



# बलिदानों की प्रशस्ति

या

## शहीद पुराण

लेखक  
कालीचरण घोष

प्रनुवादक  
शंकर सहाय सकसेना

# बलिदानों की प्रशस्ति (The Roll of Honour)

लेखक  
कालीचरण घोष

अनुवादक  
शफर सहाय सकसेना  
भूतपूर्व निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रकाशक  
मुक्तवाणी प्रकाशन  
पुस्तक प्रकाशक  
मॉडन मार्केट, बीकानेर  
( भारत )

गहन श्रद्धा और मक्ति के साथ  
यह पुस्तक  
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के उन अनजाने  
और विस्मृत वीरों को  
समर्पित है—

जिन्होंने मातृभूमि की बलिवेदी पर  
मूक रहकर अनिर्वर्चनीय वेदना को सहा  
और मौन रहकर मृत्यु का आलिंगन कर  
बलिदान एव त्याग को भी गौरवान्वित  
कर दिया ।



## लेखक की प्रस्तावना

भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो सशस्त्र विद्रोह हुआ उसके लेखनी बद्ध किये जाने की नितांत आवश्यकता है परन्तु यह पुस्तक उसका इतिहास नहीं है। एकाकी लेखन काय करते हुए मेरा यह कभी भी विचार नहीं हो सकता था कि मैं इस विषय पर विस्तार से लिखूँ। परन्तु उस महान् वेगवती हलोल जो इस देश में प्रवाहित हुई और जिसने एक विदेशी सरकार द्वारा निर्यता पूर्वक उसके मांग में जो भी बाधाएँ खड़ी करने का प्रयत्न किया उन्हें बहाकर दूर फेंक दिया उस प्रवाह के सम्बन्ध में हुई प्रमुख घटनाओं का आकस्मिक बणन यथा स्थान कर दिया है।

जैसा कि पुस्तक के नाम 'बलिदानों की प्रशस्ति' से ही विदित होता है पुस्तक में उन देश भक्तों के सम्बन्ध में लिखा गया है कि (१) जिन्होंने प्रातिकारी तथा विद्रोह के बायों में अथवा उसके परिणाम स्वरूप अपने प्राणों को उरसग कर दिया। (२) अथवा कानून के शिकंजे में पड़कर जिन पर कारागार में अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रतिबंध में रहकर समाधि की मिट्टी चढ़ा दी गई वे कष्ट में मूक होकर दम गए। (३) अथवा जिनको सरकार ने दण्ड से निर्वासित कर दिया और वे निर्वासन में ही मरे। (४) अथवा जो अपने प्रातिकारी क्षेत्र में सदैव के लिए अन्तर्ध्यान हो गए और अपने पीछे कोई चिह्न नहीं छोड़ गए। एक अंग्रेजी बहावत क सिद्धांत का अनुसरण कर कि 'किसी व्यक्ति के जीवन की एक सत्य घटना एक बृहद् जीवन चरित्र के समान मूल्यवान् है' मेरा लक्ष्य उन घटनाओं अथवा घटनाओं की श्रद्धा का बणन करने का रहा है कि जिनके कारण किसी आदर्शवादी बलिदानों जिमके लिये निर्यता पूर्ण टिण गए शारीरिक बन्ध तथा निदयता की पराकाष्ठा से होने वाली मृत्यु भी गौण थी तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसके जीवनका सहसा अन्त हो गया।

पुस्तक लिखने में जो कठिनाई उपस्थित हुई उसका समाधान होता दिखलाई नहीं देता। ऐस बहुत से स्वतन्त्रता संग्राम के वीर योद्धा हैं जिनका योगदान किसी भी प्रकार से उन बलिदानियों से कम नहीं है वरन् किसी किसी दशा में उनसे अधिक है कि जिन्होंने स्वतन्त्रता के नरशय पथ को अपने मृत शवों से पाट दिया था। उनमें से जो कुछ जो कि जीवित हैं अथवा कारागार या नजरबंदी के बाहर प्राकृतिक मृत्यु से मरे। बहुत करके उनकी किसी यामालय से प्राण दण्ड की आशा हुई और उच्च यामालय में अपील के द्वारा उनकी प्राण रक्षा हो गई अथवा 'सम्राट की क्षमा' से वे बच गए। ऐसी भी घटनाएँ कम नहीं हैं कि जब तत्परता चतुराई, विपत्ति के समय मस्तिष्क का अनुलन बनाए रखने के गुण, साहस और भाग्य के अनुकूल होने के कारण वास्तविक और प्रमुख वीर बच निकला और उसके साथी पकड़े गए और उनको अवश्यमावी परिणाम मृत्यु को वरण करना पड़ा। वे लोग अपने स्वयं की यश विभूति से आच्छादित होकर रह रहे हैं। उनके विषय में बहुत कम लोग को ज्ञात है।

इस प्रकार की घटनाओं को सत्या बहुत अधिक है। यद्यपि यह काय सरल नहीं है परन्तु अर्थ व सकोच के साथ कही तो विभाजा रेखा को रीचना ही था, यद्यपि ऐसा करने में नेहरू का घोर निराशा का भावना ने व्यथित किया है। पुस्तक के शीर्षक ने ही मुझे एक निश्चित परिधि में चलने में सहायता पहुँचाई है।

उन व्यक्तियों को छोड़कर जिनमें तनिक भी हृदय की विशालता नहीं है वे उससे रहित हैं, या जा मानव चरित्र की महानता और भव्यता से नितान्त अनिभिन्न है और जो हिंसात्मक शक्तिकारी कार्यों तथा विनाश से सम्बन्धित प्रत्येक काय को घृणा का दृष्टि से देखते हैं—अथ प्रत्येक व्यक्ति जो अपने देश की स्वतंत्रता से सच्चा प्रेम करता है वह उच्च स्वर से ससार के सामने घोषणा करेगा—

‘उन वीर कृत्यों को भुलाया नहीं जाना चाहिए  
उन नामों को मिटने नहीं देना चाहिए।’

उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है और राष्ट्र उनका श्रेणी है। देश चिरकाल रहगा उन वीरों का जो कि अभिजात मस्तिष्क और वीर हृदय के थे। और यदि अहिंसा के वातावरण में विचरण करने वाले उनके निन्दकों ने हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में उनकी मूल्यवान् सवाओं को स्वीकार करने से सवथा इनकार कर दिया है तो भी मैं कहूँगा कि उन अहिंसा के पुजारियों की दृष्टि में घृणा योग्य बलिदानियों ने— उन विभूतिमान सद्गुणों की स्थापना की जिनके बिना धन और सत्ता मनुष्य को पशु में परिणत कर देती है। जो आज स्वाधपरेता और नीचता विपुल मात्रा में पाई जाती है उसके मध्य उनका उदाहरण प्राचीन काल के उन रोमन और ग्रीक वीरों के समान है जिन्होंने अपने हतु के लिए जो उनके हृदय से प्रिय था उसकी सवा में अपने सवनाश को भी स्वीकार किया। ऐसे वीरों के वीरोचित काय ही इतिहास का प्राण हैं और जब तक मानव जाति इस प्रकार की उदात्त भावनाओं का अधिमूल्यन करती है और उनको प्राप्त करने का चेष्टा करती है उनकी स्मृति हमारी जाति की एक अत्यन्त मूल्यवान् धरोहर बनी रहेगी।’

( विलियम्स आर दी प्रेट इंडियस प्रिफेस )

सभी माय प्रिय व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि इन निर्भीक और साहसी वीर योद्धाओं के व्यक्तिगत वीरोचित कार्यों में दासता के गहन अघकार में जा लगभग दस शताब्दियों तक छाया रहा विजली की कौध का काम दिया है। इन बलिदानियों वार साहीदों ने समय के रेत के बणों पर जो अपने चरण चिह्न छोड़े हैं उन्हें जानबूझ कर मिटाने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी उनके यह वीरोचित काय भारत के भाषी इतिहासकारों को वह सामग्री उपलब्ध कर देंगे जिससे वे उन थोड़े से क्रांतिकारी युवकों के त्याग और बलिदान का चित्र चित्रित कर सकें जो चाहे फिर अधूरा हा क्यों न हो जिन्होंने नाम, यश और भौतिक लाभों की परवाह किए बिना मातृ भूमि की बलिबेदी पर अपने प्राणा की आहुति दे दी।

यह कहना कठिन नहीं है कि उन समस्त अभिलेखा की परिश्रम पूर्वक खोज बोन करने पर भी जिन्हें सरकार ने प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी अथवा जो राज-

कीय पुस्तकालयो या निजी पुस्तकालया म सुरक्षित है बहुत से कातिकारियो के नाम छूट गए है। कुछ नाम उनके साधियो को बवल याद भर हैं जा कि अधिक धामु के कारण और सम्बा समय यतीत हो जान क कारण उन धीरो के कायों का सहा सिहावलोकन नहा कर सकते और जिनका स्वरूप उनकी स्मृति स ओझल हो चुका है। जबकि पुस्तक छपन क लिए प्रेस में जा रही है तब एक दो माम प्रकाश म आए जिनके सम्बध म पूव शाध म कुछ भा पता नहीं लग सका था।

मातृभूमि की बलिबदी पर अपनी आहुति देने वाले इन धीरों के कृत्या का अभिलेखन नितात आवश्यक है फिर चाहे वह कितना ही अधूरा क्यों न हो। जिससे कि भावी पीढ़ियाँ उन साहसी और अग्नि शिखा के समान प्रकाशवान यातना सहन करने, बलिदान देने तथा अय क्रातिकारी कृत्या और उन गुणा के सम्बध में जानने से बचित न रह जावें जो कि किसी भी राष्ट्र या जाति के पौरुष को जिसके सामने भीतरी और बाहरी खतरे हा, दृढ और बलगाली बनाने के लिए आवश्यक है। सुदूर भूतकाल मे घटित महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज की बीरोचित गाथा के बिना देश निम्न काटि के घोना या निवास स्थान बन कर रह जावेगा जिसमे शौर्यवान मानव अस्तित्व के चिह्न भी शेष नहीं रह्ये। महानना इस तथ्य में समाहित है अधिकांश बलिदानिया न कभी अपने पौधे अपना नाम छोड जाने का भी विचार नहीं किया। इसक विपरीत न किंचित मात्र भी इस विचार को अपने अतर मे लाए हुए कि उनक कृत्यो के सम्बध मे भविष्य मे इस देश के इतिहास के कुछ पृष्ठ स्वयं भक्षरो म लिखे जावगे, महान कृत्य करन म गौरव अनुभव करते ये।

अवश्य ही मुझे मह स्वीकार करना चाहिए कि उन महान कायों और घटनाओ का यह एक अधूरा वर्णन है कि जो महान उदात्त भावनाओ से भावना मूक रहकर किए गए, जि हाने यटिषा साम्राज्य को नीव को हिला दिया। लेकिन किसी दिन किसी को तो उन बीर कृत्यो की गाथा लिखने का शुभारम्भ करना ही चाहिए था नहीं तो फिर बहुत अधिक बिलम्ब हो जाता। शहीदो की थोड़ी सी जीबनियाँ जो अधिक व्यापक और पूर्ण नहीं है बहुत कम शहीदो के सम्बन्ध में अभी तक लिखी गई हैं। बिना सरकार की सहायता तथा सहयोग के, तथा अय साधनो के, उन बीरो के कृत्यो का विवरण साग्रह करना तो दूर उनके नामा को भी इकठ्ठा नहीं किया जा सकता। बहुत से मूल्यवान अभिलेख और सामग्री जसा कि कहा जाता है नष्ट की जा चुकी है और जो कुछ बची है उसको छाँट कर अग्नि के समर्पित कर दिया जावेगा। इसका कारण यह है कि जो उस बहुमूल्य सामग्री को सुरक्षित रखने के उपाय कर सकते है उनमे उस सामग्री के महत्त्व का बोध ही नहीं है।

भारत की स्वतंत्रता क सम्बध म बरमा का जो भारत का अंग था धारावादी विद्रोह जो एक महाकाय विद्रोह था उसकी बहुधा उपमा की जाती है। यातना सहन करने, जावन हानि और मिला वाली सफलता की दृष्टि स वह १८५७ के महान विप्लव के बाद दूसरा बडा विद्रोह था -१८५७ के महान विप्लव मे तो लगभग उन अखलाओ को तोड ही दिया था जिहोंने भारत को दासता मे जकड रक्खा था।

घटनाओ के वर्णन म कुछ पुलिस अधिकारियो के नाम मिलेगे। यह सोचकर कि प्रत्येक राष्ट्र को ऐसे ध्वजियो की सेवाओ की आवश्यकता होती है कि जो अपने

कतव्य की भावना के प्रति इतने अधिक दृढ़ निष्ठावान हो कि जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए गम्भीर स गम्भीर खतरे का सामना करने से न हल्वके। उदाहरण देने की दृष्टि से कुछ के बारे में लिखा गया है। ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं जब तत्कालीन सरकार के प्रति जो कि यद्यपि विद्वशी सरफार थी अपना कतव्य पालन करने में राजकमचारियों ने अपने प्राणा को जोखिम में डाल दिया, जो कि अपने कतव्य के प्रति थोड़े कम उत्साह या प्रेम से सरलता से बचाया जा सकता था। इस समय सद्भावी और कृत्रिम के मध्य आलोचनात्मक विरलेपण को छाड़ देते हुए हम केवल यही कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत की सवाओ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको उन राज कमचारियों के आचरण से पाठ पढ़ना चाहिए कि जि होने अपने निर्देशित कतव्य की उच्चतम प्रतिष्ठा रखने के लिए अपने प्राणा को निष्ठावर कर दिया।

पु तक लिखने के लिये सामग्री इकठ्ठी करने में लिखक को ६ वर्षों तक कलकत्ता और बाहर के पुस्तकालयों में कभी कभी अस्पन्त कठिन परिस्थितियों में सतत परिश्रम करना पडा है। सैकड़ों पुस्तकों और अभिलेखों की छान बीन करने के अतिरिक्त कम से कम दस दैनिक समाचार पत्रों—अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, इन्डिपेंडेंट, स्टेट्समैन पायनियर फारवर्ड, एडवांस, इन्डिपेंड डेली यूज, टाइम्स ऑफ इण्डिया और आनन्द बाजार पत्रिका सम्बन्धित वर्षों के प्रत्येक अंक के प्रत्येक पृष्ठ को पढा है। देशी पत्रों सम्बन्धी रिपोर्टों की राष्ट्रीय अभिलेखागार देहली और कलकत्ते के अभिलेखागार में सावधानी से जांच पडतास की गई है।

सबका व्यक्ति जो जीवित हैं और जो स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम पंक्ति में रहे थे और जिनकी सहीदो से गहरी व्यक्तिगत ज्ञान पहचान थी—ने भी मुझे वह जान कारी देकर जो अर्थ कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती थी, सहायता पहुचाई। मेरा विश्वास है कि इनके अतिरिक्त अन्य श्रोत भी हैं जिनकी छान बीन नहीं की जा सकी थी और यदि उनकी छान बीन की जा सकती तो अच्छा होता परन्तु मेरी बड़ा अवस्था ओप आर्थिक कठिनाई तथा अर्थ प्रकार की सुविधाओं का अभाव मुझे मेरी र्घ्य की योजना को पूरी तरह से कार्यान्वित करने में बाधक हुआ।

अन्तिम अध्याय की छोड़ कर अन्तिम दो अध्याय प्रतिरोध के शिकार और सुवर्ण रोषित वैदियों में वाद को जोडा गया जिससे कि भारतीय जाति के सभी पक्षों का पूरा चित्र उपस्थित किया जा सके। अन्तिम अध्याय अर्थात् 'बलिदानों की प्रशस्ति' 'भाजाइ हिंद सेना' जांच और सहायता समिति (आई एन ए रिलीफ कमिटी देहली) की उदारता का परिणाम है।

परिस्थिति वश मैं किसी को भी व्यक्तिगत रूप से धन धादा न देने का असाधारण भार अपनाता हू क्योंकि यदि मैं ऐसा करने का प्रयत्न करता तो सूची इतनी लम्बी होता कि उसका अंत ही नहीं होता और इस मूल से बचना असम्भव होना कि ऐम मूल्यवान मित्रों के नाम छूट जाते जिन्होंने बिना यह आशा किए कि बहुत बड़ा सहायता में मुझे सहायता पहुचाने वाली में से उनके काम की सराहना करने के लिए उनको छोटा जावेगा मुझे सहायता दी। मैं उन सभी को अपने हृदय के कीमलतम स्थान से धन्यवाद देना हू जि होने इस पुस्तक का प्रकाशन को सम्भव बनाया, यदि मैं उन लोगों का अनुग्रहीत हू जि होने मुझे बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध कर दी तो मैं उनका

भी जाभारी हूँ जि होने मेरी बड़ावस्था और इतने महान लेखन कार्य के लिए आवश्यक बौद्धिक क्षमता के सम्बन्ध में आत्मशंका होने के कारण जब इस लेखन काम को बीच में ही अधूरा छोड़ देने का विचार उठता तो मुझे उत्साहित किया।

मैं इस बात का दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने लिखा है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अवश्य ही कहीं न कहीं कोई गलती हो गई होगी। कई बार ऐसा होता था कि सरकार उन व्यक्तियों के बारे में जो नबरबंद किए जाते थे वे कहा ले जाए गए अथवा वे कहा रूपने गए गए हैं और बहुधा जिनको फाँसी दी जाती थी उनकी फाँसी किस तारीख को होगी इसका समाचार छपने नहीं देती थी। ऐसे मामलों में मुझे महीना साहसी समाचार पत्रों के पन्नों की छान बान करनी पड़ती थी कि सम्भव है कि आवश्यक जानकारी मिल जावे और असफल होने पर उनके सम्बन्धियों से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता था जिनका बहुत परिश्रम करने पर ही पता लग पाता था। और इस प्रकार की घटनाएँ संख्या में कम नहीं थी।

इस महान कार्य में जिनके पुत्रों का बलिदान हुआ उन जीवित अथवा मृत माताओं को मैं अपनी गहनतम श्रद्धा अर्पित करता हूँ। मैं हीर बलिदानों सहोदो के जीवित कुटुम्बियों को अपना श्रद्धा युक्त गहन आभार अर्पित करता हूँ कि जिनके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमूल्य योगदान ने भारत को सासार के स्वतंत्र राष्ट्रों में सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान की, वह एक ऐसा स्वप्न और भ्रम था कि जो गत कई शताब्दियों में वास्तविकता की पकड़ से बचता रहा था।

वन्दे मातरम् ! जयहिन्द !

—काशीचरण घोष

# प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्री जङ्गोपाल मुखर्जी द्वारा लिखित 'रोस ब्राफ आनर' अंग्रेजी पुस्तक की प्रस्तावना

यह पुस्तक एक वीर द्वारा वीर पूजा का श्लाघनीय प्रयास है ।

यदि श्राण्टिकारी विचारों के स्वतंत्रता के मोद्धाओ की जो इस पुण्य देश के अतुलनीय वीर थे—जीविनिधो और उनके श्राण्टिकारी कार्यों का विशद इतिहास लिखने का कभी प्रयास किया जाता जिससे कि उनके प्रेरणादायक जीवन को यथार्थ रूप में अंकित किया जा सके तो एक ऐसे लेखक की आवश्यकता पडती कि जो उन वीरो की काय पद्धति और जीवन यापन के साधनो से पूणतया परिचित होता और उसका हृदन उनका पूरी तरह समझ सकने की क्षमता रखता ।

देव वृषा से इस पुस्तक के लेखक में यह वाञ्छित मेल बैठ गया । क्योंकि इस पुस्तक के लेखक श्री कालीचरण घोष बंगाल के श्राण्टिकारी दल की श्रेष्ठ परम्पराओ में प्रशिक्षित हुए है उसके साथ ही जन आन्दोलन में भी उनका गहन आस्था और विश्वास है ।

सौभाग्य वश उनकी लेखनी अत्यन्त सशक्त और सक्षम है । लेखक ने उन महान जीवनियां को लिखा और चित्रित किया है जो आज जीवित नहीं हैं वरन जो क्षितिज में खो गए हैं ।

वे अनमोल हुलम जाति के अत्यन्त सुन्दर पुष्प थे जिनको उनके यौवन काल में जब कि वे खिलने वाले थे और ताजे थे मसल दिया गया परन्तु जिनकी सुरभि आज भी विद्यमान है ।

वे कल्पना जगत में विचरण करने वाले थे, हा—पर उनकी कल्पना स्थिर और दृढ़ थी । वे समस्त मानव जाति के कल्याण के इच्छुक थे और उनकी स्नेहसिक्त भावना और विश्वास यह था कि मानव जाति का कल्याण बिना भारत देश में सश्रिय अशदान के नहीं हो सकता । अतएव उसको उठाना चाहिए । उसके बधनों को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देना चाहिए । उसके दुखो और कष्टों को छिन भिन कर देना चाहिए । अपने इस उदात्त एवम मधुर स्वप्न को चरिताघ करने के लिए कोई भी श्याग या बलिदान उनके लिए अधिक बडा नहीं था । इसी भावना ने उन्हें अपना बलिदान करने, अनन्त श्पष्ट सहन, और मृत्यु का आलिंगन करने के लिए सज्ज बना दिया था ।

वास्तव में उनकी मृत्यु नहीं हुई वरन वे आगे चले गए । वे नियति के हृदय में प्रतिष्ठित हैं ।

मैं इस महान प्रथ का हार्दिक स्वागत करता हूँ और कामना करता हूँ कि यह क्षत्रयाणित रूप से लोकप्रिय हो ।

जङ्गोपाल मुखर्जी

रांची

११ फरवरी, १९५५

# बलिदानो की प्रशस्ति की प्रस्तावना

## बलिदानो की प्रशस्ति

या

शहीद - पुराण

हमारे देश को स्वाधानता मिलन क वाद जो नवीन पीढी सामने आइ वह उन बलिदानो से प्राय अपरिचिन ही रही है जो उसके पूवजा का स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए करने पडे । त्याग तथा तपस्या के दृष्टान्तो के मजाय सत्ता का मोह अर्था पद लोलुपता की मिसालें हा उस दाख पडी, और उसका दुष्परिणाम हमारे सम्मुर उपस्थित है । यद्यपि आपात कालीन अनुगासनो स उनकी उच्छलनता पर कुछ अकु' लग गया है पर वह चिरस्थायी तभी हो सकता है जबकि साथ साथ साहित्य तथा सस्कृति के क्षेत्रो म भी नवीन पीढी को दीक्षित किया जाय ।

बधुवर शकर सहाय सक्मेना द्वारा अनुवादित यह ग्रन्थ बलिदानो क प्रशस्ति' इस महान यज्ञ म बहुत कुछ सहायता दे सकता है । मून ग्रंथो पुस्तक ' Roll of Honour' के लेखक महोदय श्री कालीचरण घोष मुझ से दिहनी : कभी मिले थे, पर मैं इस व त को बिनकुल भूल चुका था । जब पुस्तक मैंने की पी द्वारा मगवा कर पढी और उनम पत्र व्यवहार किया तो उन्होंने ही मुझे याद दिनाई जिससे मैं लज्जित हो गया । जब वे मुझ से मिले थे मैंने इस बात की कल्पना भी : की थी कि आगे चल कर व ऐस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना करेंगे । दर असल उनक पुस्तक को शहीद पुराण नाम देना चाहिए ।

उनक इस महान ग्रन्थ क सामन हम लोगो की रचनाए बहुत मामूली चीः हैं-प्राय मगण्य । ब धुवर सक्मेना जी को उनकी पुस्तक क, अनुवाद करने में जो धो परिश्रम करना पटा हांगा उसकी कल्पना मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे म कभी कभी अनुवाद काय करना पडा है ।

निस्संदेह सक्मेना जी के ग्रन्थ के पूव भी बहुत सख साहित्य इस विषय प प्रकाशित हा चुका है पर मुदिफल यही है कि कही पर भी वह इन्ठठा देखने को नह मिल सकता । हम लोग कहा भी बने पमाने पर शहीद तथा क्रांतिकारी संग्रहाल की स्थापना नह कर सकें । नासिक मे स्वातंत्र वीर साधरकर जी का संग्रहालय खालर म सिक्खा का संग्रहालय, तथा कलकत्ते म इस विषय का संग्रह-यह का अनन्य अलग विण गए है । उनके महत्त्व को कम नही मागा जा सकता, पर दिल्ली जसे के शीय स्थन म ऐसा काई प्रयत्न नही किया गया । स्वर्गीय जोगेश च चटर् ने इस दिशा म भरपूर कोशिश की थी पर वे सफल नही हो सके । एक बार हमें

इस विषय की चर्चा श्री अशोक सेन (तत्कालीन केन्द्रीय मन्त्री महोदय) से की तो उन्होंने सलाह दी कि जब तक केन्द्रीय संग्रहालय कायम न हो तब तक शहीदो सम्बन्धी सामग्री तथा महत्वपूर्ण कागजात रा. गीय अभिलेखागार (नेशनल आरकाइव्स) में रखे जा सकते हैं। जब मैंने श्री अशोक सेन का यह परामर्श श्रद्धेय जोगेश बाबू को सुनाया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वे बोले 'मुझे तो वर्तमान सरकार पर विश्वास नहीं है, वह इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों - प्रलेखा (documents) को नष्ट भी कर सकती है' मैं तब भी उनकी आज्ञा को निमूल तथा अनुचित मानता था और आज भी मैं उसे निराधार ही समझता हूँ। मेरे पास शहीदो तथा क्रांतिकारियों के सम्बन्धी जो सामग्री थी उसका एक अच्छा अंश मैंने दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में जमा कर दिया था और शेष भी शीघ्र ही उसे समर्पित कर दूंगा।

अभी शहीद संग्रहालय के बनने में कुछ वर्षों की देर लग सकती है। इस लिए फिलहाल उपयोगी सामग्री की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार की शरण लेने में कोई बुराई नहीं है।

नेत्र ज्योति मंद हो जाने के कारण मैं इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ-- 'बलिदानों की प्रशस्ति' को इधर उधर से ही देख पाया हूँ। पर जितना भी मैंने उसे पढ़ा है उतना ही भी घोष महोदय की अनुवेदण शक्ति तथा परिश्रम शक्ति का कायल हो गया हूँ। एक बात मुझे बराबर खटकती रही है कि शहीदों तथा क्रांतिकारियों पर लेख तथा ग्रन्थ लिखने वालों को मिलाने के लिए कितनी कड़ी का निर्माण हम लोग क्यों नहीं कर सके? पिछले तीस वर्षों से मेरा इस विषय से निरंतर सम्पर्क रहा है और इस ग्रन्थ में वर्णित कितने ही व्यक्तियों से सम्पर्क में आने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है।

स्वर्गीय भूपन बाबू और श्रद्धेय यात्री द्रकुमार घोष के दर्शन मैंने प्रथम क्रांतिकारी कॉन्फ्रेंस पर किए थे यद्यपि वारीन्द्र बाबू से कलकत्ते में भी मुलाकात हो चुकी थी और पंडित परमानन्द जी तथा बाबा पथ्वीसिंह जी आजाद से तो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा ही है। भाई मन्मथनाथ गुप्त, स्वामी विजयकुमार सिंहा, भगवानदास माहीर, सदाशिव, शिव दर्मा, काशीराम, यशपाल, शचीन्द्र वर्मा जी प्रमृति से कई बार मिलना हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप जी से १९२२ से ही पत्र व्यवहार रहा है और उनका मैं कपा पात्र भी हूँ। प्रयाग के क्रांतिकारी उद्दु पत्र 'स्वराज्य' के सस्थापक क्रांतिकारी नारायण भटनागर, लखाराम, नन्दगोपाल तथा अमीरचन्द (बम्बे वाले) से मेरा सम्बन्ध रहा है। लाला हनुवत सहाय जी की सेवा में बहुत बार उपस्थित हुआ था। अमर शहीद आजाद का माताजी, अन्फाक के बड़े भाई, तथा विस्मिल की बहिन की कुछ सेवा भी मुझ से बन पड़ी थी। इस विषय पर २२-२३ ग्रन्थ तथा विशेषांक भी निकालने का अबसर मुझे मिल चुका है। इन सब कारणों से यह 'शहीद पुराण' मरे लिए तो स्वाभ्याय का धार्मिक ग्रन्थ ही बन गया है।

'बलिदानों की प्रशस्ति' के जिस पृष्ठ का भी खो लिए त्याग और बलिदान के अदभुत दृष्टान्त उसमें पढ़ने को मिल जायगा।

अक्सर १९३३ का पृष्ठ खुल गया तो उसमें आण्डमन के शहीद 'इन्दुभूपन राय' का वृत्तान्त पढ़ने को मिला। १९१२ के 'माडर्न रिभ्यू' में मैं पहल उस पृष्ठ



चुका था फिर स्वर्गीय लट्टागम जा से उस घटना का बता त सुन भी चुका था और तत्पश्चात् रामचरण लाल जी आप्तमन यात्रा' सम्प्रधी पुस्तक म उमे छपा भी चुका था । उग शहीद का चित्र मुझे घोष महोदय की पुस्तक म ही मिला ।

मेरा मुझाव है—वह यह कि बंधुवर शकर सहाय सक्तेना एक ग्रंथ और भी तयार करदें—पथरी पर साक्षात् नरक (तत्कालीन आण्डमन) वाला पानी । अभी भी कितने ही शक्ति हमार बीच म विद्यमान है जो वहा क मुक्त भोगी रह चुके हैं—

वाका पथरीसिंह, पंडित परमानन्द गम्भूनाथ आजाद, श्री विजय बाबू शिव वर्मा इत्यादि । और विजय बाबू की तो अण्डमान विषयक पुस्तक काफी प्रसिद्ध हो चुका है । बंगाल में भी कितने ही मुक्त भोगी अब भी विद्यमान हंगे । आवश्यकता इस बात की है कि कोई व्यक्ति उनसे सम्पर्क स्थापित करके उस ग्रंथ की प्रमाणिक रचना करे । स्वर्गीय लट्टाराम जी के कुछ सस्मरण मने लिख लिए थ और स्वर्गीय रामचरण लाल जी की सम्पूर्ण पुस्तक ही मने एटा के भाय इटर कालेज मगजीन (पत्रिका) म छपवादी थी ।

एक अय बात भी मुझे इस ग्रंथ को पढते हुए सूना है—वह यह कि इस महान ग्रंथ का पूर्व एक अग्र ग्रंथ भी तयार होना चाहिए जिसमे सत्याग्रहियों के बलिदान की गाथा विस्तार पूर्वक वर्णित हो । शहीदा मे हम भेद भाव कदापि नहीं करना चाहिए । वे सभा व्यक्ति जिन्होने किसी प्रगतिशाल विचारधारा के लिए अपने प्राणो का बलिदान किया हा—चाहे सशस्त्र क्रांति म अथवा निशस्त्र क्रांति मे—हमारे लिए ब दनीय है ।

हमे स्वयं दो बार ललिनग्राद म उम महान तीर्थ की तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जहा कराव पांच लाख रुसी युवक फासिस्ट लोगो क विरुद्ध युद्ध करते हुए शहीद हुए थे और जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है । सत्याग्रह या अहिंसात्मक युद्ध करने वाला म अमरिका क विलियम लायड गरीसन का घुभनाम सबसे ऊपर आयेगा जि होने महात्मा गांधी से बहुत वर्षों पहले अहिंसा अस्त्र का सावजनिक प्रयोग किया था । भारत की स्वाधीनता की प्राप्ति म अहिंसात्मक आंदोलन का प्रमुख हाथ रहा है । इस लिए बलिदानो की प्रशस्ति का पूरक ग्रंथ अवश्य ही निकलना चाहिए ।

उसके सिवाय एक बात और भी है । दोना प्रकार के बलिदाना के विषय म यदि जिसवार ग्रंथ तयार कर दिया जाय तो साधारण जनता म उसकी स्मृति ताज रबली जा सकता है । आगरे म एक ऐसा ग्रंथ निकला भा है । शहीदो की समाधि पर वार्षिक मले भा लगन चाहिए ।

वद्यपि यह कविता—

शहीदो क मजागे पर जुडेंगे डर बरम मले,  
यतन पर मरने वालो का यती बीकी निशा होगा ।'

अब भी लोगो की जवान पर है पर इस प्रकार क मले बहुत कम लगाय गए है । हां आगरा जिल क चमरोला नामक स्थान म जहाँ १९४२ म चार शहीद हुए थे, वेमा मेला अवश्य लगता है ।

राहीदी तथा प्रातिकारिया के विषय में प्रमाणिक इतिहास लिखने के लिए फूचा ममाला (सामग्री) (raw material) तो बहुत फुछ इकट्ठा हो गया है, फेर भी बहुत सा सामग्री अब भी बिलखी पड़ी है। आज कल ग्रन्थों का प्रकाशित करना दिनो दिन कठिन होता जा रहा है इसलिए हमें हस्त लिखित ग्रन्थों का तयार कर लेना चाहिए। स्थायी विद्यालयों की वार्षिक पत्रिकाओं के विषेयों भी निकाले जा सकते हैं। हमारे सौभाग्य से जो भी प्रातिकारी हमारे बीच में अब भी विद्यमान हो उनसे बातचीत करके उनके अनुभव लिपि बद्ध कर लेने चाहिए।

इस प्रसंग में हम श्री जगदीशचन्द्र जी माधुर आई सी एस की याद आती है जिन्होंने कितने ही प्रातिकारियों की अनुभूतियों को रेडियो द्वारा प्रसारित कर दिया था।

इस अनुवादित ग्रन्थ के रचयिता श्री शंकर सहाय जी से मेरा परिचय 'विनाश भारत' के दिना से रहा है। यद्यपि उनके निकट सम्पर्क में आना का मौका मुझे नहीं मिला। निस्मदह यह बड़े सौभाग्य की बात हुई कि उन्हें अपने जीवन के जीवन काल में ही राजस्थान में नौकरी मिल गई जहाँ योग्यतापूर्वक काम करते हुए वे उच्च से उच्च पदों पर पहुँचे। इसने भी अधिक सौभाग्य की बात यह हुई कि उन्होंने अपने अवकाश का समय साहित्य मञ्जन में लगा दिया। उन्होंने बहुत काफी लिखा है पर मेरी ममता में उनका सज्जने महत्त्वपूर्ण काम है—स्वर्गीय विजय सिंह पथिक की स्मृति रक्षा का। यद्यपि यह ग्रन्थ १९६३ में ही प्रकाशित हो गया था तथापि यह मुझे बारह वर्ष बाद ही देखने को मिला है। यदि पोल गिल गया होता तो पिछले बारह वर्षों में उनकी कुछ सेवा कर सकता। अब धारासवी वय में मुझ में इतनी शक्ति नहीं रही कि उनको विशेष महयाग दे सकूँ। इस अवसर पर मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इस विषय पर काम करने वाले लेखकों तथा प्रकाशकों से सम्पर्क स्थापित करें और आरंभिक सहायता से इस मिशन को आगे बढ़ावें। यदि श्री सक्सेना जी ने केवल पथिक जी का जीवन चरित्र ही लिखा होता तो भी वे ग्रन्थ कीर्ति के भागी होत पर उन्होंने तो उसके सिवाय और भी अनेक कार्य किए हैं और अनेक प्रातिकारियों की कीर्ति रक्षा की है।

इन पक्तियों के साथ मैं मूल अग्रजी पुस्तक के लेखक श्री कालीचरण घोष तथा उसके अनुवादक श्री शंकर महाय सक्सेना का अभिनंदन करता हूँ और विनम्रतापूर्वक यह विश्वास भी दिलाता हूँ कि भविष्य में मुझे स जो भी उनकी सेवा बन पड़ेगी, अवश्य करूँगा। श्री कालीचरण घोष ने इस महान प्रेरणादायक पुस्तक को लिख कर देशवासियों के लिए देश भक्ति और प्रेरणा का अद्भुत और चिरंतन श्रोत उपस्थित कर दिया है। उन्होंने यह पुस्तक लिखकर देश की महान सेवा की है। प्रत्येक हिंदी भाषी को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए।

## लेखक श्री कालीचरण घोष

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास लेखकों ने उन प्रांतिकारी घोरों की घोर उपेक्षा की है जिन्होंने १८५७ के सशस्त्र विद्रोह के बाद जब कि ब्रिटिश सरकार के अमानवीय और क्रूरता को भी बचा देने वाले दमन के परिणाम स्वरूप देश में मानो मृत्यु की जसी निस्तब्धता छा गई थी और सब साधारण ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शब्द भी बोलने में भयभीत होते थे, तब उन वीर प्रांतिकारियों ने मातृभूमि के स्वतंत्रता यज्ञ में अपना आहुति देकर बड़े मात्राम का जयघोस कर फाँसी के तख्त पर चढ़ कर और अहमान की नरक यातना सहकर भी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी और देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखा था। उन पागल देश भक्तों के आत्म बलिदान से सम्पूर्ण देश मानो सोते से जाग पड़ता था। एक वीर प्रांतिकारी के फाँसी लगन पर देग पर खसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता था, देश में जसी प्रचल और गहन दस भक्ति की तीव्र लहर उत्पन्न होती थी, जो इन साधारण के अन्तर को शकशोर कर उसे देग की स्वतंत्रता के लिए अपने राष्ट्रीय कर्तव्य की याद दिलाती थी, वसी गहन बीर देग भक्ति की भावना एक लाख राज नीतिक सम्मेलन करन पर भी उत्पन्न नहीं की जा सकती थी। यह उन बलिदानियों के आत्म बलिदान का ही परिणाम था कि देश शीघ्रहीन होकर मृत प्राय नहीं हो गया और उसमें स्वतंत्र होने की भावना मरी नहीं। जो गहन और तीव्र देश भक्ति की भावना उन शहीदों ने अपने आत्मों से देश में उत्पन्न कर दी थी उसी भावना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश स्वतंत्र हुआ। पर खेद और लज्जा की बात है कि देश की स्वतंत्रता का यह भवन जिन वारों के ढाँचों की नींव पर खड़ा हुआ, देश उनको भूल गया। हमारी इस कृतघ्नता को देखकर स्वयं कृतघ्नता भी लज्जित और कुंठित होती होगी।

वीर बलिदानियों के प्रति हम घोर उपेक्षा के वातावरण में जब मैंने श्री कालीचरण घोष की महान कृति 'रोल आफ आनर' को पढ़ा तो आत्म विभोर हो उठा। देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला उन वीर बलिदानियों के सम्बन्ध में इतनी खोज पूरा पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी थी। उभी मैंने निश्चय किया कि उसका अनुवाद करूँगा उसके महान लेखक श्री कालीचरण का परिचय लिखूँगा। पर इस घुआधार आत्म विज्ञापन के युग में भी श्री घोष नव विवाहिता बधू की भाँति इतने सकोची जीव हैं कि अपने विषय में कुछ भी कहना अज्ञभ्य अपराध मानते हैं और वीर बलिदानियों के साथ इस महान ग्रन्थ में उनका परिचय दिया जाना महान पातक समझते हैं। अस्तु मुझे उनके सम्बन्ध में उनसे जानकारी नहीं मिल सकी जो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हो सकी उसी के आधार पर उनका सक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ।

श्री कालीचरण घोष ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से "बलचर आफ दै"

'कानून का स्नातक) की उपाधि प्राप्त की। यदि वे चाहते तो वकालत कर सकते थे, और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते थे, परन्तु उनके हृदय में जो देश सेवा की गहन भावना विद्यार्थी काल से ही उत्पन्न हो गई थी, अतएव वकालत न पढ़ कर उन्होंने देश सेवा को अपनाया। उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सगठनों के द्वारा अपनी विभिन्नाधा की पूरा करने का प्रयत्न किया। वह काल बंगाल में नवजागृत का काल था। बंगाल में सभी क्षेत्रों में नव शैतन्य का उदय हो रहा था। युवक कालीचरण द्विवेदी ने जिस निष्ठा, मर्यादा, और ईमानदारी से विभिन्न सगठनों में काय किया उससे बंगाल के प्रत्येक क्षेत्र के शीप नेताओं के विश्वास भाजन और प्रिय पात्र बन गए। उनकी गहन और उत्कट सेवा की भावना को देखकर प्रत्येक यह चाहता था कि वे उनके सगठन में सेवा काय करें।

जब लाड कज्जल ने बंगाल की उग्र प्रांतिकारी समितियों और क्रांतिकारी आंदोलन की शक्ति को क्षीण करने और देश की राजनीति में साम्प्रदायिक भावना उत्पन्न करने की दृष्टि से बंगाल का विभाजन कर दिया तो समस्त देश में और विशेषकर बंगाल में राजनीतिक ज्वालामुखी फूट पड़ा। देश भक्त भारतीयों का मन रोप था, और क्षोभ से भर गया। श्री घोष उससे अलग न रह सके, उन्होंने १९०५ में राजनीति में प्रवेश किया। बृटिश साम्राज्य शाही ने भारतीय राष्ट्रीयता को चुनौती दी थी, देश भक्त उत्तर भारतीय दल भक्तों ने प्रांतिकारी कायवाहियों का और अधिक तेज बरके पाया। श्री कालीचरण घोष भी क्रांतिकारी दल और क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय हो गए।

जब तीव्र राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर क्रांतिकारी युवक बड़े मात्राम का य घोष करते हुए जुलूस निकालते हड़तालें करके और अंग्रेज तथा दण्डोही भारतीयों को गोली का शिकार बताते तो यह स्वाभाविक था कि सरकार का दमन चक्र तेजी प्रचंड रूप धारण करें। उस भयंकर दमन का सृष्टा और संचालक बंगाल पुलिस की उच्च अधिकारी 'सी ट्राट' था। प्रांतिकारियों ने उसको समाप्त कर देने का स्वयं प्रयत्न किया। जो दल उसकी हत्या करने के लिए चुना गया उसमें श्री कालीचरण घोष भी थे। उन पर 'सी ट्राट' की हत्या का प्रयत्न करने का आरोप लगाया गया और अभियोग चला और जब महान प्रांतिकारी सूयसेन के नेतृत्व में चीटागाँव के स्त्रागार को प्रांतिकारियों ने छूट लिया, चीटागाँव का तार और टेलीफोन का तार काट दिया, चीटागाँव को जोड़ने वाली रेलों की पटरियाँ छेदा दी और नमन जैक को उतार कर राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तीन दिनों तक चीटागाँव पर बृटिश सत्ता समाप्त कर दी तो उन प्रांतिकारियों को सहायता देने के आरोप में उन पर अभियोग चलाया गया। पर श्री कालीचरण पर रोप सिद्ध नहीं हो सके। अस्तु कालेपानी आदि का दण्ड तो नहीं दिया जा सका, सरकार ने उनको ६ वर्षों के लिये नजरबंद कर दिया।

अब वे प्रान्ति यज्ञ में दक्षिण हो चुके थे, उन्होंने अपना मनस्त जीवन भारत सेवा की दासता की श्रमलाओं को काट कर उसकी स्वतंत्र बनने के अनुष्ठान में लगा दिया था, अस्तु वे तब से सतत प्रांतिकारी दल में सक्रिय रहे। कारावास तथा नजरबंदी से मुक्त होने पर भी वे राष्ट्रीय आंदोलन और उग्र राजनीति में सक्रिय

रहे। प्रातिकारी दल में वही प्रातिकारी सक्रिय रह सकते थे जो सर पर बफन बाँध कर दल में सम्मिलित होते थे। श्री बालीचरण घोष को उनके प्रातिकारी दल अत्यन्त जोखिम भरे कार्यों की जिम्मेदारी दी जिसे उन्होंने साहस और दृढ़ता से पूरा किया। यह देश का सौभाग्य था कि श्री बालीचरण घोष उन अत्यन्त जोखिम भरे प्रातिकारी कार्यों को करते हुए भी उन वीर बलिदानियों की स्फूर्तिदायक पाठ कहानी सुनाने के लिए हमारे मध्य हैं। उन वीर आत्माओं के आदर्शों, उनकी हृदय की मनोभावनाओं, उनके काय बलापी को और उत्तरी वायु पद्धति को जो न जानता। वह उनके शौर्यपूर्ण पावन चरित्र को नहीं लिख सकता था। नियति ने श्री बालीचरण घोष को इस कार्य के लिए सुरक्षित रखा। नहीं तो ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा जा सकता था। वे केवल एक प्रातिकारी ही नहीं हैं, बल्कि वे ओजस्वी और गविनगाली लेखनी भी धनी हैं—रैल्य एण्ड हैपीनेस (अंग्रेजी) स्वास्थ्य समाचार (बंगाली) मासिक पत्रिका और प्रसिद्ध अग्र जो दैनिक अमृत बाजार पत्रिका के वाणिज्य सम्पादक के रूप में उभरने पत्रकारिता में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया। जीवन के सध्याकाल में वे आप साहित्य सृजन के द्वारा देश को उद्वोधित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं (१) फ्रीमोस इन बंगाल, (२) इकोनामिक रिसोर्सेज ऑफ इण्डिया एण्ड पाकिस्तान (३) रोल ऑफ आनर। अंग्रेजी में तथा (१) भारत पर पाया (तीन भाग) और (२) जागरण और विस्फारण बंगाली की उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। फ्रीमोस इन बंगाल का रूसी भाषा में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। श्री बालीचरण की नवीनतम पुस्तक 'फुट प्रिंटस ऑफ द रोड टू इंडियन इंडिपेंडेंस' भारत के स्वतंत्रता आंदोलन इतिहास के विद्यार्थी तथा लेखक के लिए जानकारी का एक अमूल्य कोष है।

‘रोल ऑफ आनर’ जिसका हिन्दी अनुवाद ‘बलिदानों की प्रगति’ लिख कर श्री बालीचरण घोष ने देश की अमूल्य सेवा की है। उनके पास एक प्रातिकारी बलिदानों का हृदय है और एक शक्तिशाली लेखनी है। यह विरल संयोग है कोई बड़ी से बड़ी लेखक भी ऐसी प्रेरणादायक और मातृभूमि के लिये अपने प्राण की आहुति देने वाले वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सकने वाली पुस्तक नहीं लिख सकता था।

—शंकर सहाय सकसेना

## अनुवादक की प्रस्तावना

'बलिदानो की प्रशस्ति' पुस्तक को हिंदी जगत के समक्ष उपस्थित करते हुए लेखक को अनिवार्य रूप है। यह पुस्तक श्री कालीचरण घोष की प्रसिद्ध पुस्तक 'रोल ऑफ आनर' का हिंदी अनुवाद है। जब अंग्रेजी की यह पुस्तक प्रकाशित हुई और मैंने उसे पढ़ा तो मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ। जिन क्रांतिकारी शहीदों ने देश की स्वतंत्रता के लिए कठोर यातनाएँ सही और हसते हसते मातृभूमि की बलिबेदी पर अपना प्राणों की आहुति चढ़ा दी, वृत्तन्त देश उन्हें भूलता जा रहा है। आज जो सत्ता में है अथवा स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जो सत्ता में आए उनके सम्बन्ध में विपुल साहित्य लिखा गया है और लिखा जा रहा है। परन्तु जिनकी हड्डियों पर भारत की स्वतंत्रता का यह भव्य भवन खड़ा है उनको देश भूलता जा रहा है। चारण और भाटों की परम्परा में विचरण करने वाले देश के इतिहासकार देश को स्वतंत्र बनाने में क्रांतिकारी बलिदानियों का जो गौरवपूर्ण योगदान रहा है उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जो आज सत्ता में हैं उनकी विद्वान्बलि का गान करने में ही वे अपना हित और ग्रहोभास्य समझते हैं।

प्रकाशकों को भी सत्तारूढ़ राजनीति का योगोपाय प्रकाशित करना सुविधाजनक और लाभदायक प्रतीत होता है। एक और भी राजनीतिक कारण है जिसके परिणामस्वरूप भारत में क्रांतिकारी बलिदानियों की उपेक्षा की गई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में जो उनका गौरवपूर्ण स्थान है उसको स्वीकार नहीं किया गया। क्रांतिकारी शमभक्त शत्रु को स्वतंत्र करने में हिंसा का उपयोग त्याज्य नहीं मानते थे। उनका मानना था कि विदेशी सत्ता की दासता में जून को उतार फेंकने के लिए यदि हिंसा की आवश्यकता हो तो वह भी करना चाहिए। यदि देश मजसूर क्रांति के द्वारा स्वतंत्र हो सके तो हथियार उठाने में उन्हें सकोच नहीं था। क्रांतिकारी और यह भला भाँति जानते थे कि इस मार्ग पर चलना मृत्यु से खलना है। परन्तु फिर भी वे प्राणा की बाजी लगा कर क्रांतिकारी संगठनों के सदस्य बनते थे, भारतीय सेनाओं में क्रांतिकारी साहित्य वाटन, मजसूर क्रांति के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयत्न करते, और वृद्धि सरकार के विरुद्ध जो भी राष्ट्र के उनसे अस्त्र-पत्रों की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। जब प्रान्तीय नेताजी मुभाय चंद्र बोस ने वृद्धि के मंत्र धुरी राष्ट्रों की सहायता से आजाद हिंद सेना का गठन किया और अस्थायी आजाद हिंद सरकार का निर्माण किया तो उनका विरुद्ध वृद्धि ने प्रचार किया था और अनिपय नताजा न विदेशियों की सहायता से भारत को आजाद करने के हम प्रयत्न की आलोचना की थी। उस समय नताजी ने वृद्धि के इस घणित प्रचार का उत्तर देते हुए कहा था— 'इतिहास गाँती है कि कोई भी राष्ट्र जो कि परतंत्र था और भारतवर्ष तो केवल दासता में ही जकड़ा नहीं है निगम भी है—उमने अपनी स्वतंत्रता को बिना बाहरी शक्तियों की सहायता के प्राप्त नहीं किया।

बंगला देश का उदाहरण हमारे सामने है । भारत की सैनिक सहायता के बिना बंगला देश की स्वतंत्रता सम्भव नहीं थी । परन्तु भारत में कतिपय राजनीतिक नेता हिंसा और विदेशों से सहायता लेने के पक्ष में नहीं थे । स्वतंत्र भारत में इसी विचार धारा के अहिंसा के पुजारियों तथा बृटेन के प्रशासक राजनीतिकों का वचस्व स्थापित हो गया इस कारण क्रांतिकारी देशभक्त बलिदानों की धीरे धीरे अधिक उपस्था की गई । मातृभूमि की बलिबेदी पर अपने प्राणों की आहुति चढ़ाने वाले क्रांतिकारियों की इतिहास लेखकों ने उपेक्षा की । भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका गौरवपूर्ण स्थान था उसको स्वीकार नहीं किया उमे अंधकार में रखने की उपेक्षा करने का सतत प्रयत्न किया गया । जहाँ इतिहासकारों, बुद्धिजीवियों, सत्तावान राजनीतिकों ने उन बलिदानियों की उपेक्षा की वहाँ गव माधारण जनता ने उनके बलिदानों की सराहना की उनसे प्रेरणा ली यही कारण है कि उनको पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सका । जन साधारण ने उनकी पावन स्मृति को बनाए रखने का प्रयत्न किया । जन साधारण के हृदय के गहन तल में ही बलिदानियों के लिए कसी अटूट श्रद्धा थी इसका दिग्दर्शन उस समय हुआ जब कि लाल किले में आजाद हिंद सैनिकों पर अभियोग चलाया गया । चतुर और कुनीति में पारंगत बृटिश अधिकारियों ने विषय सैनिक अदालत में आजाद हिंद सत्ता के सैनिकों पर मुले रूप में अभियोग इस उद्देश्य में चलाया गया कि सब साधारण में उनका प्रति घणा उत्पन्न की जा सके परन्तु उस ऐतिहासिक अभियोग में जैसे जैसे प्रात स्मरणीय नेताओं सुभाषचंद्र बोस के चमत्कारी व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए मातृभूमि को स्वतंत्र करने का विवरण प्रथम बार भारतीय जनता को सुनने को मिला तो देश में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न हो गई । जबल जन साधारण ही नहीं भारतीय सनाए भी उसमें प्रभावित हुए बिना नहीं रहें । उस समय देश पर नेताजी के महान व्यक्तित्व का तेजोमय प्रकाश छा गया । जो काय इम्फाल के युद्ध में नहीं हो सका वह काय नेताजी के व्यक्तित्व ने आजाद हिंद सत्ता की रणभूमि में पराजय होने के पश्चात् कर दिखलाया । बृटिश साम्राज्य की शक्ति की आधारशिला भारतीय सेना विद्रोही हो उठी । बृटिश साम्राज्य की शक्ति की नींव हिल गई । बनर अग्रजो ने देख लिया कि अब अब भारत में नहीं टिक सकते । अस्तु उठोने भारत को छोड़ने का निश्चय कर लिया । मत्स्य तो यह है कि यदि क्रांतिकारों बलिदानियों और लोक शक्ति को जागृत करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन एक दूसरे के पूरक बनते तो देश अविभाजित स्वतंत्र होना—दशक विभाजन का विषय हमें नहीं पीना पड़ता । यह देश का दुभाग्य था कि राष्ट्रीय आंदोलन की दोनों धाराओं का मगम नहीं हुआ ।

'रोल ऑव गानर' की जब लेखक ने पढ़ा तो उसकी प्रशंसा और हृष की सीमा नहीं रही । श्री कातीचरण घोष स्वयं क्रांतिकारी रहे हैं । उनके हृदय में उन वीर बलिदानियों के लिए असीम श्रद्धा होना स्वाभाविक था कि जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र बनाने के लिए हसते हसते 'व दे मातरम्' के जयघोष के साथ अपने प्राणों को उत्सर्ग किया था । ६ वर्षों के गवाकी परिश्रम और साधना के उपरांत उठोने उन वीर बलिदानियों का विवरण पहली बार जनता के समक्ष उपस्थित किया था । पढ़कर मेरा हृदय कृतज्ञता और उल्लास से आत्मविभोर हो उठा । अभी तक

लिगानियो के सम्बन्ध में ऐसी प्रामाणिक पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। उसे पढ़ने पर  
 मेरे हृदय में यह उत्कट भावना तीव्र हो उठी कि पुस्तक का अनुवाद हिन्दी में प्रकाशित  
 किया जावे। मैंने श्री कालीचरण घाष को लिखा। उन्होंने तुरन्त मुझे उसके अनुवाद  
 करने की अनुमति दे दी। अनेक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण मुझे उसका अनुवाद  
 करने में आवश्यकता से अधिक समय लग गया। अतः पुस्तक तयार हो गई और  
 मैं उस हिन्दी जगत के सामने रख सका यह भर लिए विशेष हर्ष का कारण है।

यद्यपि दश आज स्वतंत्र है परन्तु देश के सामने भीतरी और बाहरी खतरे  
 भयानक रूप में उपस्थित हैं। अस्तु देश के जन-जन में गहन देश भक्ति की उद्घात  
 भावना को बढ करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारतवासियों को यह भूल  
 नहीं जानना चाहिए कि भारतवर्ष को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है वह अगणित भारतीयों  
 के बलिदान के परिणामस्वरूप ही प्राप्त हुई है। उन बलिदानों की कहानी और उन  
 देशभक्त नायकों की जीवनगाथा कायर व्यक्ति के हृदय में भी साहस, शौर्य  
 और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देने की भावना उत्पन्न करती है।  
 इसलिए भी यह आवश्यक है कि उन बलिदानों की यशोगाथा सब साधारण तब  
 पहुँचाई जावे। इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है। जो राष्ट्र अपने उन वीरों  
 को भूल जाता है कि जिनके त्याग और बलिदान के परिणामस्वरूप राष्ट्र स्वतंत्र हुआ  
 यह केवल कृतघ्नता के पाप का ही भागी नहीं होता वरन् लाखों देशभक्त बलिदानियों  
 के आत्म उत्सर्ग की आधारशिला पर जो स्वतंत्रता का भवन खड़ा है उसकी रक्षा  
 भी नहीं कर सकता। देशवासी और भावी पीढ़ियाँ उन बलिदानों की वीरों द्वारा देश के  
 लिए आत्मोत्सर्ग की इस पावन गाथा को जो हमारे हृदयों में गहन देशभक्ति की भावना  
 उत्पन्न करती है जान सकें इसी उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई है और हिन्दी भाषा  
 भाषी जनसंख्या के लिए हिन्दी में इसका अनुवाद लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ।

मूल पुस्तक में उन बलिदानों की वीरों के चित्र भी दिए गए हैं। पुस्तक का मूल्य  
 बहुत अधिक न हो जावे इस कारण हिन्दी अनुवाद में चित्रों को देना का लोभ छोड़  
 दिया गया है। लेखक की अनुमति लेकर मैंने राजस्थान के एक महान नायक श्री  
 जोरावरसिंह बारहट जो महाविप्लवी नायक श्री रासबिहारी बोस के साथी थे उनकी  
 यशोगाथा को जोड़ दिया है जो अभी तक अज्ञात थे।

भारतीय नायकों के बलिदान और त्याग की अद्भुत कहानी को पढ़कर  
 मन में सहसा यह विचार उठता है कि कबने साहसी थे व वीर जो यह जानते हुए कि  
 उनका या तो फाँसी के सहन पर अथवा गाली के निशाने से मृत होगा सह्य इस बलि-  
 शान यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आते थे और मातृभूमि की दासता की शृंखलाओं



को काटने के लिए बंद मातरम् का जयघोष करते हुए प्रसन्न बदन फाँसी के तख्त पर चढ़ जाते थे । उन बलिदानी वीरों के माहस और गीत को दल बर ही यदि की बाणी से निकला था —

“शहीदा की चितामा पर  
सगमे हर परस मेने,  
बतन पर मरने वाला का  
यही बाकी निगा होगा”

परन्तु उसको क्या मालूम था कि दंग के स्वतंत्र हो जाने व उपरांत कृतार्थन देगा उन बलिदानी वीरों को मुला देगा । जनकी हृदय पर भारत का स्वतंत्रता का यह भव्य भवन खड़ा हुआ है उह यह देगा भूत गया ।

बलिदानों की प्रगति हिन्दी भाषी जनता में देशभक्ति की गहन भावना तथा नेताजी के शब्दों में मातृभूमि के लिए करो सब निष्ठावर बनो तुम फकीर के पावन विचार को हृदय में पोषित कर मने वही उद्देश्य से पुस्तक लिखी में प्रकाशित की जा रही है ।

जयपुर

शकर सहाय सक्सेना

## अध्याय प्रथम

### प्रतिरोध और पुनरोत्थान (१७५७-१७७५)

प्रतिरोध पनासी का युद्ध और उसके पश्चात्—ग्रठारहवीं शताब्दी के मध्य में देहली के सिंहासन के लिए शाही मुगल वंश में निरन्तर पारिवारिक संघर्ष तथा मराठा और अथ दक्षिणी सैनिक नेताओं के कठोर प्रहारों के कारण महान मुगल सम्राटों का अधिकार यद्यपि औपचारिक रूप से भारत में मायम अवश्य था परन्तु वास्तविकता यह थी कि मुगल सम्राटों की शक्ति और प्रतिष्ठा तभी से समाप्त होती जा रही थी।

यूरोप में २१ मई १७४४ में इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध की घोषणा की जा चुकी थी, और भारत में उन दोनों देशों की कम्पनियों के अधिकारी भारत के विभिन्न प्रांतों और नरेशों से संधि करके ही अपने देश के स्वार्थों की रक्षा कर सकते थे। अतएव इन दोनों देशों की कम्पनियों के अधिकारी एक दूसरे की व्यापारिक वस्तियों को घेर कर तथा बहुधा एक दूसरे से युद्ध करके भारत भूमि पर अपना अधिकार करने और अपने व्यापारिक तथा राजनीतिक स्वार्थों को अक्षुण्ण बनाने का भावी प्रयत्न कर रहे थे।

उस समय नियति बंगाल के राजनीतिक मंच पर ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का घजन कर रही थी जिनके परिणाम भारत के लिए अत्यन्त दूरगामी होने वाले थे। १० अप्रैल १७५६ को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खा की मृत्यु हो गई। वीस वर्ष का अनुभवगूय नवाब अलीवर्दी खा का दोहित्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी और बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला उन अनुभवों और कूटनीतिक हिंडू और मुस्लिम दरबारियों को दबा कर रख सकने में बौद्धिक और नतिक दृष्टि से अक्षम था जो बंगाल में अपना वचस्व स्थापित करने के लिए और सिराजुद्दौला को अपना मोहरा बनाने के लिए प्रयत्नशील थे, और जो विदेशी व्यापारियों से गहरी मित्रता का हाथ बढ़ा रहे थे। ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारियों ने इस आन्तरिक संघर्ष की स्थिति का पूरा लाभ उठाने में तनिक भी संकोच नहीं किया और वे उन दरबारियों के साथ जो उनकी दुरभिसंधि में सम्मिलित हो सकते थे दलबदी और बुधक में सम्मिलित हो कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अरिताप करने के लिए सक्रिय हो गए। रिश्वत, धोसा विश्वासघात, और खालाकी से काम लिया और परिस्थिति अनुकूल देख कर उन्होंने नवाब सिराजुद्दौला से रणभूमि में खुलकर युद्ध किया। २३ जून १७५७ के दुर्भाग्यपूर्ण दिवस को पलासी की रणभूमि में उन्हें निर्णायक सफलता प्राप्त हुई और भारत की स्वतंत्रता का मूय दूब गया भारत पराधीन हो गया।

जब विश्वासघाती मीरजाफर युद्ध में तटस्थ हो गया तो मीर मदन के सेना पतिव में स्वामिमत्त और देगमत्त वीर ने युद्ध किया और हजारों की संख्या में वे देश के लिए रणभूमि पर लौ गए। मीर मदन तोप के शाले से दूरी तरह घायल हो गया। उसे शीघ्रता से नवाब के गिरि में ले जाया गया जहां नवाब सिराजुद्दौला के सामने उसने प्राण त्याग दिए। बंगाल से अंग्रेजों की निष्काय बाहर करने के लिए सबसे पहिला

बलिदान भीर मदन का था अतएव बलिदानों की प्रशस्ति में उसका नाम सर्व प्रथम लिखा जावेगा ।

प्रशस्ति में दूसरा स्थान नवाब के एक दूसरे मेनापति मोहनलाल का है । जब मोहनलाल को उम विनायकारी घाना का वाप हुमा जो कि नवाब के नाम से प्रसारित की गई थी कि नवाब की सेना गिरि में चली जावे तो वह शक्ति हो उठा सदाच मोहनलाल को यह जानने में दर नहीं लगी कि किसने यह घातक सलाह दी है और उसके भयकर परिणाम क्या होंगे । उसने निभय होकर उस घाना के विरुद्ध घोषणा की कि सेना के वापस लौटन का परिणाम यह होगा कि सेना में घबराहट और भगदड़ फैल जावेगी परंतु उसके विरोध का कोई परिणाम नहीं निकला । एक स्वामिभक्त और देशभक्त वीर सैनिक की भांति वह युद्ध भूमि से नहीं हटा और धकेले अपने कुछ वीर सैनिकों के साथ डट कर शत्रु से युद्ध करते हुए बोरगति को प्राप्त हुआ । देश की स्वतंत्रता के लिए रणभूमि में धीरता का अद्भुत प्रदर्शन कर मोहनलाल परासामी हुआ ।

२ जुलाई १७५७ को नवाब सिराजुद्दौला की निदयतापूर्वक हत्या कर दी गई ।

धव पलासी के विजेताओं ने अत्यन्त घृणितता के साथ बंगाल की मसनद पर एक के बाद दूसरे नवाब को बठाना प्रारम्भ किया । अंग्रेजों ने बंगाल में जिस घृणितता का परिचय दिया वह उनकी ईमानदारी और मानवीय व्यवहार पर एक अमिट क्लक बन कर रहेगा । विजित बंगाल के अभिजात और सामान्य जन एक रात्रि में ही स्वतंत्रता खोकर दास बन गए उनका उन घटनाओं को पभावित करने का अधिकार छीन लिया गया जो देश में उम समय घट रही थी और उनके परिणाम स्वरूप विदेशियों का भारत पर अधिकार स्थापित होता जा रहा था ।

जो लोग हम घृणितता के जाल से ढकी हुई घणाघात को देखने की क्षमता रखते थे और कुचक्रगुण राजनीतिक चाल को समझ सकते थे उन्हें यह समझने में अधिक देर नहीं लगी कि अंग्रेजों का अंतिम और वास्तविक उद्देश्य क्या है ।

२२ जनवरी १७६० को बाड़ीवाश के दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जो युद्ध हुआ उसके फलस्वरूप भारत में अंग्रेजों का कोई युरोपियन प्रतिद्वन्दी नहीं रह जो उनको चुनौती दे सकता । यह विचार वास्तव में अत्यन्त साहस का था कि जब युद्धों में अंग्रेजों की विजय निश्चित सी थी तब कोई यह कल्पना अपने मन में पोषित करता कि अंग्रेजों से युद्ध करके उनका पराभव किया जा सकता है । ऐसी विपरीत परिस्थिति में थोड़े से ही सही ऐसे साहसी व्यक्ति थे कि जिन्होंने विदेशियों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध करने का सकल किया ।

पलासी के रणक्षेत्र में तोपों की गोलाबारी की भयकर गजना की गूज पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी जबकि वायु में सुदूर सैनिक तयारिया की धीमी गूज सुनाई देने लगी । इस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध चलता रहा । कभी कभी यह स्वतंत्रता का युद्ध रुक जाता था । इस युद्ध को छोटे बड़े समूह विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जिसमें बर्मा भी सम्मिलित था चलते रहे । यद्यपि यह स्वतंत्रता के फुटकर युद्ध एक दूसरे से स्थान और काल की दृष्टि से बहुत समीप नहीं थे परंतु वे १५ अगस्त १९५७ तक चलते रहे । यह युद्ध दो सौ वर्षों तक स्वतंत्रता की दासता से मुक्ति



फूट पड़ा। जब मुनरो बम्बई से वापस लौटा तो उसने योरोपियन और देशी सिपाहियों को घोर विद्रोही पाया। वे सेना से भाग कर शत्रु से मिल रहे थे और अपने अफमरा को पकड़ कर ले जाने की धमकी देते और अधिक वेतन की माग करते थे। मुनरो ने देखा कि देशी सिपाहियों का एक सम्पूर्ण बटलियन अपने शस्त्रा तथा अथ सैनिक सामग्री सहित शत्रु के साथ मिल गया। इन सैनिकों का जो सेना से भाग गए थे पीछा किया गया और उनमें से कुछ को बंदी के रूप में पकड़ कर वापस लाया गया।

मुनरो ने उन सैनिकों के विरुद्ध तुरन्त सैनिक 'यायालय' में 'याय' किए जाने की आज्ञा दे दी। सैनिक 'यायालय' ने बंदियों को सैनिक विद्रोह का तथा भगोड़े होने का दोषी घोषित कर दिया और उनको प्रधान सेनापति जिस प्रकार चाहे भृत्य दण्ड देने की आज्ञा सुना दी। मुनरो ने उन सभी सैनिकों को तोप के मुह पर बंधवा कर गोले से उड़वा दिया और उनकी घञ्जिया वायु में उड़कर बिखर गईं (दो हिस्ट्री ऑफ़ आफ़ ब्रिटिश इंडिया १८५८ भाग ३ पृष्ठ २४६ जे० मिल० तथा एच एच विल्सन) सैनिक विद्रोह — बंगाल १७६५ में मेना की पदहथी बटालियन के विद्रोह ने गम्भीर रूप धारणा कर लिया। उस बटालियन को तामलुक मिदनापुर जाने की आज्ञा दी गई जहाँ से उन्हें एक समुद्री जहाज के द्वारा एक अपरिचित और अनजाने स्थान को डूब सेना से युद्ध करने के लिए जाना था। उस समय एक अफवाह इस आशय की फैल गई कि उन्हें फौज सेना से युद्ध करना है। ३ सितम्बर १७६५ को नेताओं और सिपाहियों ने अधिकारियों की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया परिणाम स्वरूप रघुनाथसिंह उमरावगिर और यूसुफ़ खा की तोप के मुह से बाध कर उड़ा दिया गया और उस सेना का पूरा विघटन कर दिया गया।

सयासी विद्रोह — सयासी विद्रोह (१७६२-७४) सयासियों और मुस्लिम फौजों का सम्मिलित विद्रोह था जिन्हें हेस्टिंग्स "हिन्दुस्तान का जिप्सी" कहता था और जो असीम फ़ोडर, साहसी और उत्साही थे। कम से कम कुछ समय के लिए ही सही उन्हें भारत में सबसे अधिक बलवान और क्रियाशील व्यक्ति माना जाता था। सरकारी लेख के अनुसार 'तिब्बत की पर्वतश्रेणी के दक्षिण में काबुल से चीन तक का देश उनके अधिकार में था और वे वहाँ रहते थे।'

१६६३ में वे बाबरगंज के समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में फैल गए और ढाका की अग्रजों की फ़क्टरी पर उन्होंने अधिकार कर लिया। १७६८ में बिहार के सारन जिले में उनका अग्रजों से भयानक युद्ध हुआ। १७७० में वे दीनाजपुर में प्रकट हुए और उसके उपरान्त वे ढाका और रांगशी के उत्तरी भाग में सक्रिय हो उठे। वे विस्तृत क्षेत्र में दूर दूर तक छूट मार करते थे और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों लिए एक कठिन और गम्भीर सकट उपस्थित कर दिया था।

उन्होंने बंगाल में पुनिया तथा दीनाजपुर तक घुस कर और रंगपुर में ब्रिटिश तथा मुसलमानों की सम्मिलित सेनाओं पर १७७२ में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की परन्तु उस सैनिक सफलता की पुनरावृत्ति नहीं हुई।

सयासी अग्रजों के लिए एक भयकर भय और धबकाहट का कारण बन गए थे। ऐसा कहा जाता है कि यदि उनके नेताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता तो वे अग्रजों के विस्तृत प्रदेश पर अपना अधिकार और प्रभाव बनाए रख सकते थे।

मराठा — मराठा (१७६५-१८१८) अपने पड़ोसी शत्रुओं से लड़ने में लगे हुए

ये इस कारण विदेशियों की बढ़ती हुई शक्ति की ओर उहाँन ध्यान नहीं दिया। फिर भी ३ मई १७६५ को उहाने अंग्रेजों से एक बड़ा युद्ध लड़ा जा अनिर्णीत रहा।

उसके उपरांत ६ जनवरी १७७६ को उहोने ब्रिटिश सेना पर बडगाव के पास भीम वेग से आक्रमण किया। अगले वर्ष १७८० को उहाने दामोई पर आक्रमण किया और अकलेस्वर तथा कतिपय अन्य महत्वहीन स्थानों पर अधिकार कर लिया। परंतु १६ अप्रैल १७८० को उहें उा स्थानों से पीछे हटना पड़ा।

८ फरवरी १७८१ को मराठों ने खण्डाला के ब्रिटिश गिविर पर आक्रमण किया और ब्रिटिश सेनापति की शीघ्रता से बहा से भागना पड़ा।

७ अप्रैल १७८३ को विजय दुर्ग के पास मराठों के जहाजी बड़े १ ब्रिटिश सेनापति कनल मैकलियाड, दो अन्य अधिकारियों तथा कुछ अंग्रेज सैनिकों को कद कर लिया और उन सबों को मरवा दिया।

इसके उपरांत २८ अगस्त १८०३ का अलीगढ़ के समीप कोली में और २३ सितम्बर १८०३ को असाई में, मराठा सेनाओं को पराजय का मुख देखना पड़ा। अंतिम युद्ध १० जनवरी १८१८ को हुआ।

इस पराजय के उपरान्त महान शिवाजी के प्रदेश में ऐसी कोई शक्ति नहीं रही जो ब्रिटिश सेनापतियों और प्रशासकों के लिए सिरदर्द होती।

हैदरअली और टीपू सुल्तान—हैदरअली अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव और सैनिक शक्ति से चौकना हो गया था। सन् प्रथम ११ जून १७६० को दक्षिण आंग्ल में तियागर में उसने ब्रिटिश सेनाओं से युद्ध किया। ३१ अक्टूबर १७८० को हैदरअली ने आरकट पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों जहाजी बड़े ने हैदरअली के नए निर्मित जहाजी बड़े पर आक्रमण किया और अक्टूबर १७८१ में मंगरोल तथा कालीकट में उसका विध्वंस कर दिया। १ जुलाई १७८१ को हरअली ने पोर्टो नोरो पर अंग्रेजी सेना से विशाल पमाने पर युद्ध की जोखिम ली परंतु वह बुरी तरह परास्त हुआ और आरकट चला गया। मई १७८२ में हैदरअली ने परमाकोइल ले लिया और २ जून १७८२ को उसने ब्रिटिश सेनापति पर आक्रमण कर उसे भागने पर विवश कर दिया।

निरंतर युद्ध करते रहने के कारण युद्ध अंतिम हैदरअली का ७ दिसम्बर १७८२ को चिस्तूर के सैनिक गिविर में स्वर्गवास हो गया।

टीपू ने अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रेंच सैनिकों की सहायता से युद्ध जारी रखता किन्तु नवम्बर १७८२ को पानिपती में उस पराजित होना पड़ा। उसे विवश होकर आरकट खाली करना पड़ा और वह बेदनोर की ओर बढ़ा। १६ फरवरी १७८३ को बेदनोर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। १८ अप्रैल १७८२ को वह बेदनोर के समीप प्रगट हुआ और अंग्रेजों को पराजित कर तीन समीपवर्ती स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया और ४ मई को मंगरोल पर आक्रमण कर दिया।

१७८६ के जुलाई मास में टीपू को निजाम पेशवा और अंग्रेजों की सम्मिलित सेनाओं का सामना करना पड़ा। १७६० में उसने इन सेनाओं से युद्ध किया। अक्टूबर १७६० में उसने दरोह और परमपुर पर पुनः कब्जा कर लिया पर १० दिसम्बर १७६० को उसके सेनापतियों को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। १७ दिसम्बर को अंग्रेजी सेनाओं ने मालाबार समुद्र तट के प्रदेश को टीपू की सेनाओं से मुक्त कर लिया और ५ अप्रैल १८६६ को उसके शक्ति के अंत और गायटम को अंग्रेजी सेनाओं ने घेर लिया। और गायटम का ४

मई १७६६ को पतन हो गया। इस युद्ध में टोपू धायल हो गया और अंत में एक तोपची के गोले से रणभूमि में धराशायी हो गया।

**चेतसिंह**— इस बीच में बनारस के राजा चेतसिंह विशेषकर उस राज्य की प्रजा वारन हेस्टिंग्स के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अंग्रेजों द्वारा खिराज की बढ़ी हुई रकम को देना अस्वीकार करने सिपाहियों का तीन टुकड़ियां न देने, और ब्रिटिश अधिकारियों का अधिकृत अमान करने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उसके विरुद्ध सैनिक फायदाही की।

अंग्रेज इतिहासकारों ने चेतसिंह की कहानी को जो १७७४ में घटी संक्षेप में इस प्रकार लिखा है। (ज. मिल् तथा यच. यच. रिसन भाग ३ पृष्ठ ३६८) आंग्रेज बिल कंपनी की काऊंसिल ने बनारस में चेतसिंह का स्वतंत्र शासक स्वीकार किया।

चेतसिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार करते समय कोई शर्त नहीं लगाई गई केवल उसे एक निश्चित अतिरिक्ततरीख खिराज की रकम देनी थी। आगे उससे और कांई मांग नहीं की जावेगी और किसी बहाने भी उसके प्रशासन में किसी भी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करने दिया जावेगा।”

१७८८ में चेतसिंह स सिपाहियों की तीन बटेसियनों का व्यय उठाने के लिए कहा गया जो पांच सारा रुपए वार्षिक था। हेस्टिंग्स ने अपने गोपनीय एजेंटों के द्वारा राजा से कीमती भेंटें मांगी और गुप्त रूप से राजा को भेंट देने पर विवश किया। किंतु इन भेंटों से भी हेस्टिंग्स को सतोंप नहीं हुआ। उसका लालच नकद बढ़ी रकम के लिए बढ़ गया। हेस्टिंग्स के शर्तों में मैन टूट निश्चय कर लिया था कि उस क्षमा प्रदान करने के बदले एक बड़ी रकम देने पर विवश करेगा भयवा उसकी पिछनी भूल के लिए उससे कड़ा प्रतिशोध लूगा। निष्पक्ष इतिहासकारों के अनुसार राजा चेतसिंह की भूल केवल यह थी कि वह उस भयकर धार्मिक भार से बचना चाहता था जो कि उस पर बलपूर्वक और अत्यायुष्क लादा जा रहा था और यह उससे मुक्त होने के उपाय सोचता था।

चेतसिंह ने इसमें बचने के बहुत से उपाय सोचे पर तु गवरनर जनरल किसी भी प्रकार सन्तुष्ट नहीं हुआ। ७ जुलाई १७८१ को बलकृष्ण से हेस्टिंग्स ने बनारस के लिए प्रस्थान किया। उसका उद्देश्य और इच्छा राजा पर कठोर प्रतिशोध लादना था। वह १४ अगस्त १७८१ को बनारस पहुंचा। राजा चेतसिंह ने मिलना चाहा तो गवरनर जनरल ने मिलना अस्वीकार कर दिया। उसने चेतसिंह के विरुद्ध औपचारिक रूप से आरोपों की सूची भेज दी और साथ ही अपनी मांगें भी भेज दी तथा साथ ही साथ १५ अगस्त को अपने सैनिकों द्वारा राजा का महल में ही उसको कैद कर लिया।

राजा चेतसिंह के कैद किए जाने को भयकर अमान और मर्मांतक पीड़ा के रूप में लिया गया और सभी ने उसे "माय और मान्यता के विरुद्ध आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त कठोर दंड माना।

अपने राजा के कैद किए जाने को राजा के आदमियों ने नृशंस अत्याचार माना और सिपाहियों की दास्यनियां जो राजा के महल में उसको धरे हुए पहरा दे रही थीं उन्हें सैनिकों की दर में राजा के आदमियों ने आतंकित कर दिया, उनकी सहायता के लिए दो और कंपनीय भेजी गईं और अंग्रेजों सेना के सिपाहियों और क्रुद्ध जनता में भयकर राय फैल गई। उस सड़क में सभी सिपाहों और उनके अंग्रेज अधिकारियों मारे गए।

बनारस की विद्रोही जनता का दमन करने के लिए और अधिक सेना भेजी गई परंतु जनता बहुत बड़ी संख्या में रामनगर महल पर आक्रमण करने के लिए बड़ी। रामनगर में भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना में प्रत्याक्रमण किया उसका कमांडिंग ऑफिसर पोफाम मारा गया और कम्पनी की सेना को बहुत भयंकर क्षति हुई।

चतसिंह को जब उसका भादमिया ने छोड़ा लिया तो वह गया का पार कर दूसरी ओर चला गया। उस प्रदेश के सभी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा और क्रोध से भर गए और उनका विरुद्ध उठ खड़ा हुए। क्रान्ति की अग्नि और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ करने की तीव्रता से समस्त प्रदेश में फैल गया। अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा और रोष केवल चतसिंह के राज्य में ही नहीं बरन आधा अवध का सूबा भी उतना ही विद्रोही हो गया जितना कि बनारस का राज्य था।

हेस्टिग्न ने स्वयं की गम्भीर भयानकता को समझ लिया और रात्रि के अंधकार में युक्त रूप से भागकर वह चुनार पहुंचा। अपनी पीछे वह बड़ा संख्या में घायल सैनिकों को बिना किसी सेवा सुश्रूषा की व्यवस्था किए ही छोड़ गया।

चतसिंह के आदमियों ने कम्पनी के सिपाहियों से कई स्थानों पर युद्ध किया परंतु भाग्य ने हेस्टिग्न का साथ दिया और अगले तीन महीनों में उस विद्रोह को भयंकर क्रूरता के साथ दबा दिया गया।

मालाबार में शोभ और उत्तेजना—मालाबार में भीषण शोभ और उत्तेजना फैल गई। पाइयो राजा (केरल वर्मा राजा) ने १८२२ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झण्डा खड़ा किया।

वजीर अली—अवध में वजीर अली ने अत्यंत भयंकर रास्ता अपनाया। १४ जनवरी १७६६ को उसने बनारस में ब्रिटिश रेजीडेंट श्रीयुक्त चरी पर घातक आक्रमण किया। असतुष्ट जमींदारों द्वारा इकट्ठी की हुई सेना को लेकर वह अवध में घुसा और अंग्रेजी सेना पर आक्रमण किया।

दूढ़ियावाघ—मसोर के वेदनार के राजा दूढ़ियावाघ ने जो जन्म से मराठा था टीपू की सेना के सैनिकों को भर्ती करके एक बड़ी सेना इकट्ठी की और सफलतापूर्वक कर्नाटक को पदाक्रान्त कर लूटा। कर्नाटक की रक्षा अंग्रेज तथा मराठा सैनिक कर रहे थे। इस समय में दूढ़ियावाघ के हाथ से घोड़े पत गाखले मारा गया। बहुत समय तक दूढ़ियावाघ अंग्रेजों के लिए एक महान आसक्त बना रहा परंतु मालप्रभा नदी के दाहिने किनारे पर होनेवाले युद्ध में वह पराजित हो गया और अंत में वह पकड़ लिया गया और ६ सितम्बर १८०० को कागाल में मार डाला गया।

सैनिक विद्रोह—दो सैनिक विद्रोह और हुए। पहला मद्रास (बेलोर) में १८०६ में और दूसरा सत्तासीस बंगाल नेटिव इन्फंट्री का विद्रोह जिसने वर्मा को प्रस्थान करने से इकार कर दिया। इससे यह पता चलता है कि भारतीय सेना में कितना शोभ था। विद्रोह की यह भावना मरी नदी और १८५७ के महान विप्लव के पूर्व अंतिम सैनिक विद्रोह बंगाल की सेना का था जिसमें सात बटलियन के सैनिक खुले रूप में नये विजित प्रदेशों में छाविनिया में रक्षित जाने वाले सैनिकों के भस्म के प्रश्न को लेकर विद्रोही हो उठे।

वहाबी आंदोलन—प्रसिद्ध वहाबी आंदोलन के जन्मदाता रायबरेली के सयद अहमद थे। उनका मुख्य उद्देश्य पुन मुस्लिम शासन की स्थापना था। क्रमशः इस



भादोलन का लक्ष्य विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना बन गया। किन्तु बाल्गातर में ज उसका राष्ट्रीय स्वरूप समाप्त हो गया तो वह हिंदू और सिक्ख विरोधी हो गया वहाबी गुप्त रूप से पटना में संगठित होने लग। खन्ना मुस्य केन्द्र उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में स्थित सिताना में था और उनके गाखा केन्द्र दूर दूर फैले हुए थे। १८६३ : उ हाने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और स्वात प्रयोग में ब्रिटिश सेना से मोर्बा लिया इस भयंकर युद्ध में उनको पानय का मुस्य देवना पडा परतु उहीन अपनी विद्रो गतिविधियों को डीसा नही किया।

वहाबियों के एक सर्वमान्य नेता अमीर खां क मुकदम की मुनवाई के सम जिसे १८१८ के नियम ३ के अंतगत पकड लिया गया था २० सितम्बर १८७१ में कलकत्ता उच्च न्यायालय (हाइ कोर्ट) के मुख्य न्यायाधीश श्री अमदुल्ला नामक बहादुर न छुरा भोक्त कर मार डाला। ८ फरवरी १८७२ को शेरमली वहाबी ने लाड मेघ तत्कालीन वायसराय की अण्डमन द्वीप में हत्या कर दी। ऐसा कहा जाता है कि यह हत्या अमीर खां के मुकदम में उसने विरुद्ध निएय के प्रतिरोध के रूप में थी। पर वहाबी भादोलन के साम्प्रदायिक स्वरूप ने उनसे ब्रिटिश विरोधी कार्यों पर एक आवरण डाल दिया जिसे उह राजनीतिक सत्ता छीनने के लिए मुत्तयत सघष करना था।

तित्तू-मीर—उन माहसी व्यक्तियों में जिहोंने अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का साहस किया तित्तू मीर का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह अमीर घारिख दातिल का पत्नी था। उनसे अपने आमपास बहुत बड़ी सख्या में विद्रोहियों को इकट्ठा कर लिया और उनकी सहायता से कलकत्ता के उत्तर पूर्व के सम्पूर्ण चौबीस परगना नदिया और फरीदपुर पर अपना अधिकार और प्रभुत्व स्थापित कर लिया था चौबीस परगने के नरकेलबारिया को उसने एक दुग में परिणत कर लिया था जहा वह दूर दूर तक घावे करता था।

आदिवासियों के अय विद्रोह—गम्भीर और साधारण फुटकर विद्रोह जग जगह पर बहुत होते रहते थे। आदिवासियों का अनेक विद्रोह हुए। उनमें १७७७ और १७७९ का चुआर विद्रोह। (घाटगिला और बाराभूम के प्रदेश में निवास कर वाले आदिवासी)। खासी विद्रोह (१७८३) विद्रोह गजाम (१७९८) नयर बटलियन विद्रोह (१८०४) फरादी भादोलन (१८०४-१८३८) ट्रावकोर के दीवान वेलू-ताम्पी के नेतृत्व में खानदेश के आदिवासियों का विद्रोह (१८०८) जाटों का विद्रोह (१८०९) सहारनपुर का गुजर विद्रोह (१८१३) खानदेश के भीला का विद्रोह १८१८ गोपालसिंह श्री दिवाकर दीक्षित के नेतृत्व में बुदेलखड की जाति का विद्रोह (१८२४) किन्तूर (बेलगाव) का विद्रोह (१८२४) कोल विद्रोह (१८३१-३२) मातृभूमि के भूमियों का विद्रोह (१८३२) विजयानगरमके नेताओं का विद्रोह (१७९४-१८३४) नागा विद्रोह (१८३९) अग्ना साहिब के नेतृत्व में कोल्हापुर विद्रोह (१८४४) उडीसा के खांडो का विद्रोह (१८४६) तिमू काहू चाद और भरव के नेतृत्व में सब विद्रोहों से अधिक तीव्र और शक्तिवान विद्रोह (१८५५) और मुंडा विद्रोह (१८५७) उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण थे। इनके अतिरिक्त और बहुत से छोटे मोटे विद्रोह हुए।

उन व्यक्तियों में से जो कि अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं और जिहोंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया और उठ खड़े हुए बालभूम का राजा (१७६६-६७) बलारी अय जिला के पोलगिर (१८०२) निजाम राज्य के नरसिंह दस्तात्रय और विजयानगर

राजा ( १७६४ ) आशम का एक मिगपोह सरदार, तालुकदार बरेली ( १८६६ )  
 तथादि मुख्य थे ।

जिसे मृत्यु का भय नहीं था— जबकि अधिक आधुनिक घटनाओं की स्मृति  
 विस्मृति के गम में डूबती जा रही है महाराज नन्दकुमार (अंग्रेजों के रेकड में उन्हें  
 नूनकामार लिखा गया है) की घटना आधुनिक युग के कराडो भारतीयों के मस्तिष्कों  
 को विदीर्ण करनेवाली स्मृति से भर दती है जिनके अशिक्षित मस्तिष्का को इतिहास के  
 पृष्ठा ने अपनी बहुमूल्य सामग्री में प्रकाशवान बनाने के लिए उन्हें कभी नहीं खोला ।

महाराजा ( यह उपाधि सम्राट शाह आलम ने मई १७६४ को उन्हें प्रदान की  
 थी ) ने वारन हेस्टिंग्स के विरुद्ध ईस्ट इण्डिया कम्पनी के निदेशक मडल ( बॉड आव  
 डायरेक्टस ) के समक्ष आरोप लगाए थे और उनकी जाच करने की प्रार्थना की थी ।  
 अपने पर दोषारोपण करनेवाले का सामना करने के बजाय जसा कि जे मिल तथा  
 यच यच, विलसन ने ( दो हिस्टरी आव ब्रिटिश इण्डिया १५५८ भाग ३ पृष्ठ ४४६ )  
 लिखा है और अपने ऊपर झूठे दोषारोपण को सुनने और उसको चुनौती देकर अपनी  
 निर्दोषता को स्थापित करने के बजाय वारेन हेस्टिंग्स ने अत्यन्त धूर्तता और होशियारी  
 से अपने विरुद्ध समस्त जाच की टालने और उसको किसी भी प्रकार रकवाने और न  
 होने देने का पद्ययत्र किया ।

अपनी प्रतिष्ठा का बचाने के लिए हेस्टिंग्स ने अपने पर दोषारोपण करनेवाले  
 पक्ष पर मुकदमा चलाने का आसाधारण निश्चय किया । और अपने ऊचे पद और  
 अधिकार का दुष्ययोग किया । नन्दकुमार के विरुद्ध यह दोषारोपण किया गया कि नन्द  
 मार उस पद में सम्मिलित था जिसमें मात्र १७७० का वारेन हेस्टिंग्स तथा उसके उन  
 अधिकारियों जो कि उमक दाहिने हाथ थे— के विरुद्ध याचिका देने के लिए एक व्यक्ति की  
 वचन किया । बाद की याचिका में लगाए गए आरोप जाच के उपरांत असत्य सिद्ध  
 हुए । महाराजा पर जालसाजी का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया और उनसे  
 जमानत ली गई ।

महाराजा नन्दकुमार को दावी मानकर उन्हें ६ मई १७७५ को बंद कर लिया  
 गया और उन्हें साधारण जेल में रूस दिया गया । उनका मुकदमा ६ जून से १८ जून  
 तक चला जिसका परिणाम क्या होने वाला है यह सभी जानते थे । ५ अगस्त १७७५  
 को नन्दकुमार का फासा की सजा सुना दी गई ।

सारे देश में आतंक और क्षोभ छा गया । विलसन ने १८५८ में इस सम्बन्ध  
 में लिखा था ।

इस सम्पूर्ण प्रशासन के किसी भी काय ने हेस्टिंग्स के यश को इतना गहरा  
 धूमिल नहीं किया जितना कि 'नूनकामार' की दुष्कांत घटना ने किया । जिस क्षण उसने  
 गवर्नर जनरल पर दोषारोपण किया उस समय उस पर उस अपराध का आरोप लगाया  
 गया जो ऐसा कहा जाता है कि उसने पांच वय पूर किया था । पांच वय पूर के कथित  
 अपराध के लिए उस पर अभियोग चनाया गया और उसे फासी दी गई । यह ऐसा काय  
 था जिससे यह दावा हाना स्वाभाविक था कि हेस्टिंग्स अपराधी था और वह नन्दकुमार  
 के पास जो उसके दावी होने के प्रमाण थे उनका सामना करने की दमता नहीं रखता  
 था । यह तथ्य कि हेस्टिंग्स यह अच्छी तरह जानता था "नूनकामार" जैसे महान प्रतिष्ठित  
 दोषारोपण करने वाले व्यक्ति का विनाश करन का गसत अर्थ लगाया जावेगा और उसके

विरुद्ध वातावरण बनेगा फिर भी ऐसा जघन्य काय करने से वह नहीं हिचका इसके निष्कप निकालना सही होगा कि वह 'नूनकामार' के आरोपों से भयभीत था और उससे समझ करने से जो उसके विरुद्ध सबूत का वातावरण उत्पन्न होता उससे भी भयकर परिणाम निकलन की उसे सम्भावना थी।

महान इतिहासज्ञ श्री देवरिज का मत था कि सम्भवतः यह अभियोग सर-यायालय के क्षेत्र के बाहर था। ए. वम्पिप्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग-२ (१७६१) श्री विल्सन का मत था कि 'नूनकामार' को जिस अपराध के लिए दंडित किया गया वह हिंदुस्तान के कानून के अनुसार प्राणदण्ड का अपराध नहीं था। यह भी रखन की बात है कि यह निम्न निर्णय और प्राणदण्ड घटनोत्तर विधि के अधीन दिया गया। क्योंकि जिस परिणियम के द्वारा सर्वोच्च 'यायालय और उसके अधिकारों को जमाना दिया गया, वह १७७४ तक प्रकाशित नहीं किए गए और उस सम्भव जालसाजी की तिथि १७७० में थी। साथ ही जो भी साक्षी उपस्थित की गए अभियुक्त को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कानून में जो अत्यंत हिंसाप्रधान है कि उस समय तक प्राणदण्ड रोक दिया जावे जबतक कि प्रिवी काउंसिल अभियोग के सम्बन्ध में अपना नियम न दे दे उनकी भी इन अभियोग में खुद प्रवृत्तता की गई।

न दुकुमार को अपने मांग से हटा देने से हेस्टिंज ने जनता के आरोपों को गारंटी की रक्षा की। फ्रांसिस ने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस सम्बन्ध में कहा — इस फ्रांसीसी ने भारतीयों को भयभीत और घातकित कर दिया जिससे कि उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आक्षेप लगाने से भयभीत है। वे (दोपारोपण करने तथा उनके समर्थक) अपने को उस भयकर खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं हैं कि एक उच्चपदस्थ अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाने से होता।

तत्कालीन राजकीय कुचक्रों में वाधित रूप से सम्मिलित होते हुए भी अन्तिम के समय महाराजा न दुकुमार की बगाल में उस समय सामाजिक तथा आर्थिक वित्तीय दृष्टि से बहुत ऊंची स्थिति थी। बस्टीड के अनुसार —

यद्यपि महाराजा न दुकुमार का जीवन प्रतिकूल विषयों से मुक्त नहीं था कि उनकी प्रतिभा और अनुभव से उहाने अग्रगण्य सम्पत्ति अर्जित की और मुर्शिदाबाद सरकार तथा कलकत्ता में कम्पना की सेवाओं के फलस्वरूप बगाल में उनका व्यक्ति बहुत उष्ण हो गया।

अपने मस्तिष्क तथा हृदय के गुणा के कारण वे अपने देशवासियों के कष्टों के लिए विशेष श्रद्धा के पात्र थे। उन्हें अपने मित्रों का ता विश्वास प्राप्त था परंतु उनके कुछ विरोधियों भी हैं उनसे विभिन्न मोर्चों पर सामंजस्य करना पड़ता उनमें विश्वास रखते थे। सामाजिक परम्पराओं और रूढ़ियों में हट आस्था, और ऊपर भगवान की इच्छा के प्रति पूरा समर्पण के कारण, उनका जा समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त था वह उनका पद और बाद बहुत कम लागू को मिला कि इनके प्रतिष्ठित स्व हेस्टिंज और इम्प की दृष्टि उन पर पड़ा तब उनकी आयु ६५ वर्ष की थी। एसी अवस्था में जो उन्हें अग्रगण्यपूरा दण्ड मृत्यु दंड दिया गया उसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश सामंजस्यीन देशवासियों का और देश की भावा पाठियों की चिरात

सहानुभूति उनके साथ हो गई।

यदि अपने जीवनकाल में नन्दकुमार महान थे तो मृत्यु में उहाने अपने यश की ऐसी गरिमामय विरासन छोड़ी जो कभी भी धूमिल नहीं हागी और न समाप्त होगी। उहाने अत समय अपने अंतर की शक्ति और दृढता का मृत्यु की भयावह विभीषिका की नितात अवहेलना कर जो परिचय दिया उसने उह मानव समाज में बहुत ऊंचे स्तर तक उठा दिया।

उस समय जो परिस्थितियां विद्यमान थीं उनमें रहकर नन्दकुमार ने अपनी शक्ति मर सघप किया और अंत में वे फाँसी के तरत पर इस प्रकार चढ़ गए जिससे (मस्त समार चकित रह गया। सम्भवत उनर्न, आत्मा को उन घटनाओं से जो उनके देश में सौ वर्षों के बाद घटित हुईं कुछ सतोप हुआ होगा।

उनके पीछे आनवाले और फाँसी के तख्ते पर चढ़नेवालों ने कुछ दशाओं में उनको भी पीछे छोड़ दिया।

महाराजा ने मनुष्य की प्राकृतिक जीवन सीमा को पार कर लिया था—कहावत के अनुसार तीन बीसी और दस वष—और उहे यह भी ज्ञात नहीं था कि वे जो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं उसका उनके लिए ऐसा भयानक परिणाम होगा। उनका मृत्यु को असाधारण साहस और शक्ति तथा सम्पूर्ण उदासीनता से बरण करना एक ऐसा उदाहरण था जिस उनके बाद उनसे बहुत कम प्रायु क युवकों ने अपनाया। यही नहीं उहोंने मृत्यु की जसी घोर अवहेलना की उससे उहोंने महाराजा नन्दकुमार की भी पीछे छोड़ दिया।

नन्दकुमार का अभियोग वास्तव में जानबूझ कर पशाचिक न्यायिक हत्या थी जो राज्य के नाम में की गई। भारत में अंग्रेजी शासन के अंतिम दिनों तक नन्दकुमार के देशवासी, प्रागणिका अधिकारियां और सम्भवत यायपालिका के भी हमसे भी अधिक नीचे दर्जे के पदयंत्र के शिकार हुए थे। उन हत्यारा को वारेन हेस्टिंग्स और 'इम्पे की भांति महाभियोग का सामना भी नहाना पड़ा। उनको बड़ी सरलता से दंडित कर दिया जाता था जिसका परिणाम था तो मृत्यु होती थी अथवा भारत के सुदूर काले पानी अडमन में अवया अय स्थानों पर आजीवन जेल में बंदी रहना होता था। नन्दकुमार की भावना ने भावी पीढ़ियां को उच्च लक्ष्य के लिए गम्भीर साहस की भावना में अंत प्राप्त कर दिया। उन निमय देश भक्त योद्धाओं के सम्बन्ध में कि वे फाँसी या गूलों की किस प्रकार देखते थे— वारेनज (पृष्ठ ३३३) ने लिखा है 'भीषण कष्ट को सह्य सहन करना जो यूनानियों में केवल सिद्धांत तक ही सीमित था हिन्दुओं ने उसको व्यवहार और काय रूप में परिणित कर दिया।

अब उह निश्वास हो जाना था कि अन्तर्पम्नावी क्षण आ गया है उनमें ऐसा परिवर्तन दिसलाई पड़ता है माना उनमें एक नई आत्मा का प्रवेश हो गया हो और व मृत्यु के बीभर्त स्वरूप के प्रति इतने अन्तर्प्राणित रूप से उदासीन हा जा यदि उदासीनता नहीं तो अत्यंत उच्च कांति की वारता है।"

नन्दकुमार और उनके दशवासियों की ऐसी उत्कट शौर्य की भावना थी जो १८६७ में चापार बघुया से आरम्भ हुई और १९४० में लन्दन में ऊधम सिंह ने उसका अन्त हुआ। उनकी असात भावनाएँ यह सोचकर अन्त में शक्ति का सुख अनुभव करती हैं कि भारत ने स्वतंत्रता के लक्ष्य तक जान क माग में उनकी सबद विजयी हुईं इतिहासों पर

चली। उसी दिन लखनऊ की सेनाएँ विद्रोही हो गईं। ३० मई को एक विद्रोही पर गाजीउद्दीननगर पर अंग्रेजी सेना ने आक्रमण और उसे पराजित किया। देहली विद्रोहियों का केन्द्र बन गया जहाँ देश के सभी भागों से विद्रोही आकर एकट्ठे हुए। मथुरा के सैनिकों ने भी अपने अंग्रेज अधिकारियों को मार कर दिल्ली की ओर बूध रु दिया।

४ जून को अंग्रेजों ने वनारस में सतीसवीं इफट्टी स हथियार ले लिए।

उस समय तक नाना साहब सक्रिय हो चुके थे। ४ जून को उन्होंने लगभग १६० यूरोपियों को जो फतेहगढ़ से भाग रहे थे बन्ध कर लिया और निहत्थे सिपाहियों पर जो जघन्य और निम्न अत्याचार किए गए थे उनका बदला देने का उद्देश्य से उन्हें मरवा दिया। बानपुर का राजकोष पूर्ण तरह से चूट लिया गया।

रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य में क्रांति का नतुव किया। वहाँ विद्रोहियों को की बारहवीं इफट्टी के सैनिकों ने अपने यूरोपियन अधिकारियों पर ५ जून को आक्रमण कर दिया और लगभग सभी को मार डाला। अब क्रांति और विद्रोह का अग्नि हनु क्षेत्रों में भी मभव उठी जो अब तक उमस अझूने थे। इलाहाबाद में ६ जून को क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई। अनेक यूरोपियन अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया गया सभी को मार डाला गया।

७ जून को जालंधर में दो पदाति सेना (इफट्टी) तथा अशरफा (कबिले) विद्रोही हो गईं। उन्होंने लुधियाना को पूर्ण तरह चूटा और दिल्ली की ओर चल पड़ीं।

जून १२ को पाचवीं अभियमित अफखसेना विद्रोह हो उठी और उसको कब के साथ बलपूर्वक दबाया गया।

१४ जून को अवातियर की सेना भी विद्रोही हो गई। यह क्रांतिकारियों का साथ मिल गई और उमने अनेक यूरोपियों को मृत्यु का घाट उतार दिया, दस देशी पदाति सेना ने फरुखाबाद में १८ जून को विद्रोह किया। १७ म ३० जून को ब्रिटिश सेनाओं ने विद्रोहियों के अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर आक्रमण किया और उल्लेखनीय सफलता मिली।

बानपुर में रहनेवाले अंग्रेजों को भयकर विपत्ति का सामना करना पड़ा। ६ जून से २७ जून तक यहाँ बहुत से अंग्रेज मारे गए। एक जुलाई को लखनऊ। रबीरौसी पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया और उसकी रक्षा करनेवाला ब्रिटिश जनरल मार गया।

१ जुलाई को होलकर की सेना में भी क्रांति की लहर फूट पड़ी और इसमें अनेक ब्रिटिश सैनिक तथा नागरिक मारे गए। मद्रास की सेना भी विद्रोही हो गई और विद्रोहियों के साथ हो गई।

अब विद्रोह की अग्नि इतनी बलवती हो उठी कि वह गुजरात प्रदेशों में फैल गई और देग का बहुत बड़ा भाग उसकी लपटों में आ गया। विद्रोहियों ने अन्धधन्वाला अमीरगज वाराहकी बहायू मथुरा काण वेगममज, नजफगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र, मदनौर, सिहोरा राहटगढ़ (गु) गुन्कोग दुग मनवर आदि पर भी आक्रमण कर दिया। बंगाल की सेना ने ६ जुलाई का विद्रोह किया। सैनिक अग

विद्रोहियों ने देहली की ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर दिया परन्तु उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। ६ जुलाई को सियालकोट में नवी देगी पदाति मेना तथा छटी अश्व सना विद्रोही होगई परन्तु अग्रजो सैनिको ने उन्हें भगा दिया वे अधिक क्षति न पहुँचा सके।

नाना की सेना विद्रोही सेनाओं में सबसे अधिक साहसी प्रमाणित हुई। उसने १२ जुलाई को ३५०० ब्रिटिश सैनिको पर भीषण आक्रमण कर दिया और ब्रिटिश सेना को बुरी तरह परास्त किया।

परन्तु १६ जुलाई के युद्ध में नाना की पराजय हुई और १६ जुलाई को उसे रणक्षेत्र छोड़ देना पड़ा। अग्रजो ने बिहूर में उसके महल को जलाकर भस्म कर दिया।

१४ जुलाई तक देहली आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण का केंद्र बन गया था। और जुलाई के अंत तक विद्रोहियों को बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी थी। परन्तु देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए विद्रोही इस युद्ध में सम्मिलित हो गए। जुलाई २५ को तीन रजिमेण्टों ने दीनार से देहली की घोर प्रस्थान किया। सिंगली में बारहवीं अनियमित अश्वसेना ने विद्रोह कर दिया। वहा के सजाने पर आक्रमण कर दिया गया। उसकी रक्षा करनेवाली ब्रिटिश सेना को बहुत क्षति उठानी पड़ी और बहुत से ब्रिटिश सैनिक मारे गए। ब्रिटिश जनरल भी घराणायी हो गया।

३१ जुलाई तक दक्षिण में भी घोर अशांति के विह्वल दृष्टिगोचर होने लगे। अहमदाबाद हैदराबाद आदि स्थानों पर अशांति भड़क उठी। परन्तु उत्तर की तुलना में दक्षिण भारत में विद्रोह का विध्वंस नगण्य था।

जुलाई २६ के उपरान्त युद्ध की स्थिति में विद्रोहियों ने प्रतिकूल परिवर्तन हुआ। उनकी स्थिति निचल होने लगी। देहली लखनऊ बानपुर पेशावर बुंदेलखंड फतहपुर, आरा फरखाबाद तथा कुछ अन्य स्थानों पर विद्रोहियों के अधिक सख्या में विद्रोही सैनिक टुकड़ियों के मारे जाने तथा तोपों के छिन जाने से भारी क्षति उठानी पड़ी। केवल गया ही ऐसा स्थान था जहाँ अग्रजों को भारी क्षति उठानी पड़ी और आत्म समर्पण करना पड़ा। वहाँ जो भी देशी सिपाही बँद थे उन्हें विद्रोहियों ने छोड़ा लिया और अग्रजो नागरिक किसी प्रकार जान बचाकर भाग गये। जो सेनाएँ देवघर, हजारीबाग और सवाल परगना में थी वे भी विद्रोही हो उठीं और उन्होंने अपने अफसरों की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया।

देहली पर विद्रोहियों ने पुन आक्रमण कर दिया उस पर उनका अधिकार हो गया। परन्तु कुछ ही समय के उपरान्त पाँसा पलट गया। अग्रजो ने देहली पर फिर अधिकार कर लिया। दोनों ओर के बहुत से सैनिक मारे गए। विद्रोहियों की अधिक क्षति हुई। सम्राट के महल पर अधिकार कर लिया गया बहादुरशाह उनकी बेगम और एक पुत्र को बँद कर लिया गया। बृद्ध मुगल सम्राट के दो पुत्रों और एक पौत्र को बँद कर लिया गया और निन्दयतापूर्वक मार डाला गया।

जबलपुर में १८ सितम्बर १८५७ को गोड राजा शकर सिंह और उसके पुत्र को फाँसी दे दी गई। छोटानागपुर में जुलाई मास में रामगड में १ अगस्त को लाहारदागा में, २ अगस्त को, जासामऊ में २१ अक्टोबर को सम्बलपुर तथा अन्य कई स्थानों पर गम्भीर अशान्ति फूट पड़ी जिसे बँदोबस्त पूर्वक दबाना पड़ा।

विद्रोह नवम्बर मास में अपने अन्तिम चरण में पहुँच कर समाप्ति के समीप था

यद्यपि युद्धनी हुई विद्रोहाग्नि की चिमकारियां जहाँ तहाँ चमक उठनी थीं। १८ नवंबर को चीटागांव में चौकीसवीं पदाति मेजा विद्रोही हो उठी। उसी के माघ २२ नवम्बर को ढाका में भी विद्रोह हो गया। दोनों स्थानों पर विद्रोही सैनिक पराजित हो गए और जलपाई युगी की घोर भागने पर विवश हुए।

अंतिम युद्ध जिसका पृथक रूप में उल्लेख करना आवश्यक है वह मसोही विद्रोही तालुकदार मुहम्मद हुसैन और घघेजों के बीच २६ नवम्बर को हुआ। इसमें यद्यपि मुहम्मद हुसैन बहुत वीरता में लड़े परन्तु घघेजों को मिली स्मरणीय १८५७ के वर्ष के अंतिम दिनों में विद्रोह के उपरान्त विद्रोही नेताओं तथा उनके बचे हुए साधियों के विरुद्ध जिम निममता निदयता पागविकता और अत्याचार से युक्त बदला लिया गया उसकी रक्त रंजित निदयता को भी क्षमा देने वाली क्रूरता की कड़वा सी घघेजों के चरित्र पर एक स्थायी कालिमा बनी रहेगी। वेनिंग के आने पर ही इस क्रूरता का अन्त हुआ और नीति में परिवर्तन हुआ।

इसमें यत्र स्वीकार करना होगा कि अधिकांश विद्रोही सैनिकों की मांग थी प्रमत्त यज्ञ था कि वे एक ऐसे वैकल्पिक प्रशासनिक प्राधिकार की खोज में थे जिसे देश ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के विरुद्ध चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता। किंतु भी मूल्य पर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना इस विद्रोह में कूटकूट क मरी हुई थी। जनवरी २७ से माघ ६ तक अन्तिम मुगल सम्राट का मुकुटमा हथ और अदालत ने उन्हें सिपाही विद्रोह का पक्ष लेने तथा विद्रोहियों की अपसहाय्य करने का दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध में अनेक व्यक्तियों को सहायता देने और उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने जिसमें कि वे हिंदुस्तान की प्रभुमत्ता को पुनः प्राप्त कर सकें—उस अपराध का भी दोषी घोषित कर दिया गया। उन्हें विद्रोह में सम्मिलित होने का भी दोषी घोषित कर दिया गया और दिसम्बर १८५८ में उन्हें कलकत्ता के मार्ग से रगून ले जाया गया जहाँ उनकी ७ नवम्बर १८६२ को मृत्यु हो गई।

विद्रोह को धारम्भ करने का श्रेय भारतीय सैनिकों को था इसमें सन्देह नहीं। बहुत से राजे भूस्वामी सरदार ठाकुर तालुकदार तथा किसान उसमें सम्मिलित हुए गए और उन्होंने इसको दूसरा रूप दे दिया वह देश की स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र क्रांति थी।

रानी लक्ष्मी बाई (भांसी) कुशरसिंह उमेरसिंह (शाहाबाद) राजा भलोखा, हैदर अली खाँ (राजीवर) ज्योधरसिंह (बिहार) पीर अली खाँ भोसाफ हुसैन (पटना) सुरेन्द्र साही (सम्बलपुर) विश्वनाथ धाही (लोहार बाग) अजुन सिंह (सिपहसि), नोसमोनीसिंह (बांजुरा) बिदाबन तिवारी (मिदनापुर) राब भोपालसिंह, अहमद खाँ (मुल्तान) महताबसिंह (अलीगढ़) नानीरामदत्त (भासाम) मानसिंह (शाहगंज) मुहम्मद वस्तखाँ (रोहतक), मुहम्मद खाँ (बिजनौर) शाहजादा फीरोजशाह (देहली) राजा सतासी और वेगम हजरत महल (इहेलखण्ड लखनऊ) मुहम्मद सासान (गोरखपुर) हैदर अली खाँ (गया) सूवेदार अलीबख्त (हमीरपुर) बानपुरा के राजा, राजा दाकर शाह (जबलपुर), कारिस अली (पटना) मीलाम्बर और पीताम्बर साही (पालामऊ) मौलवी सरफराज अली (शाहजहापुर) मुहम्मद अहमद खल्ला (लखनऊ) नरपतसिंह (रहया) खान बहादुरखाँ (बरेली) मिसौली और सेल के राजा (सीतापुर मधु) राजा साह

ध्यापुर और छात्रगण (सागर तथा नरबहा प्रदेस) माना साहब, सेनापति तारिफा टोपे जिन्हें १८ अप्रैल १८५६ को फाँसी दी गई बख्तावर खा, जवाला प्रसाद अजीम उल्ला (कानपुर) इत्यादि इत्यादि उन असह्य व्यक्तियों में कतिपय प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने उस महान क्रान्ति में भाग लिया और देश को स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान कर दिया ।

वासुदेव बलवन्त फडके— १८५७ के विद्रोह को अत्यन्त निर्दयता और निर्भयता के साथ पाशाविक बदले की भावना से दबाया गया उसके कारण कुछ समय के लिए शान्ति छा गई । परन्तु विद्रोह तथा विरोध की भावना पूरुरूप से मरी नहीं । उस समय देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो उठी थी और आर्थिक संकट तथा सगासार पड़ने वाले दुर्भिक्षों के कारण विद्रोह की अग्नि पूरी तरह बुझी नहीं । माघारण जन निराश और हताश हो गए और वे हिंसात्मक कामवाही करने के लिए सोचने पर विवश हो गए ।

महाराष्ट्र अभी अपनी स्वतंत्रता के दिनों को भूला नहीं था । उसमें स्वतंत्रता की स्मृति लुप्त नहीं हुई थी वहाँ असतोप की अग्नि छसक रही थी और वैदग्ध्य के शस्त्रों में वहाँ की स्थिति असतोपपूर्ण और संकटमय थी ।

"महाराष्ट्र में अशांति ने फुटकर डकैतियों का रूप ले लिया । डाकूओं के समूह पहले तो फुटकर डकैतियाँ छालते थे और साहूकारों के घरों पर आक्रमण करते थे परन्तु बाद को यह डाकूओं के फुटकर गिरोह मिल गए और वे इतने शक्तिमान हो गए । अतएव पूना स्थित समस्त सेना पश्चिम अरबवासी, तोपखाने को उनका सामना करना पडा । यह डाकूओं के गिरोह पश्चिमी घाट के जगन्नी प्रदेश में घूमते और जब सेना आती तो बिखर जाते और फिर किसी सुविधाजनक स्थान पर पुन मिल जाते ।

इस शक्तिवान गिरोह और संगठन का सेनापति और नेता एक तरुण वामुन्धे बलवन्त फडके था । उसी पद्धति से आरम्भ में मराठा राज्यशक्ति स्थापित की गई थी उसने उन्हीं पद चिह्नों पर राष्ट्रीय विद्रोह का संगठन करने का प्रयत्न किया । देशवासियों की दयनीय स्थिति उनकी विपत्ति, और कष्टमय जीवन उसके लिए असह्य हो उठा और उसने निश्चय किया कि यदि सम्भव हो तो गिम्पित वग की सहायता से और यदि आवश्यक ही हो जावे तो उनके बिना देश को सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार किया जावे । शिक्षित वर्ग को अपने इस सशस्त्र क्रान्ति के संगठन में आकर्षित करने में वह असफल रहा अतएव उसने अपना ध्यान अशिक्षित वर्गों की ओर फेरा । उसने रमोशी बन जाति के लोगों को जो एक समय मराठा सेना में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और जिन्होंने १८२६ में त्रिपुरा राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था— की ओर ध्यान दिया और उन्हें अपने संगठन में लाने का प्रयत्न किया । वह अपने प्रयत्न में सफल हुआ और दीर्घ ही उसने अपने आसपास वीर देशभक्त साथी इकट्ठे कर लिए ।

जब उसके पास निस्वार्थी बलिदानों और वीर सैनिक इकट्ठे हो गए तो उसने तरुणा की एक युव समिति का संगठन करने की ओर ध्यान दिया जिसमें सभी क्षेत्रों और वर्गों से तरुणों को भर्ती किया जाता था और वह उन्हें अपने तेजस्वी भाषणों और निज के कष्टमय जीवन और आत्मबलिदान के द्वारा उत्साहित और अनुप्राणित करता था । उन देशभक्त वीर तरुणों को फाँसने तथा गलतकही की पदाश्रियों के समीप सैनिक



यद्यपि बुझती हुई विद्रोहाग्नि की चिमनारियां जहाँ तहाँ चमक उठती थीं। १८ नवम्बर को चीटानांव में चौरीसवी पदानि सेना विद्रोही हो पठी। उन्हीं के साथ २२ नवम्बर को ढाका में भी विद्रोह हो गया। दोनों स्थानों पर विद्रोही सैनिक पराजित हो गये और जलपाई मुर्गी की घोर भागने पर विवश हुए।

अंतिम युद्ध जिसका पृथक रूप में उल्लेख करना आवश्यक है वह मम्लोली के विद्रोही ताल्लुकदार मुहम्मद हुसैन और घघेजों के बीच २६ नवम्बर को हुआ। इस में यद्यपि मुहम्मद हुसैन बहुत वीरता में लड़े परन्तु विजयश्री घघेजों को मिली। स्मरणीय १८५७ के वर्ष के अंतिम दिनों में विद्रोह के उपरान्त विद्रोही नेताओं तथा उनके बचे हुए साधियों के विरुद्ध जिम निममता निदयता पाशविकता और अत्याचार से युक्त बदला लिया गया उसकी रक्त रंजित निदयता को भी कृपा देने वाली क्रूरता की कड़ानी घघेजों के चरित्र पर एक स्थायी कालिमा बनी रहेगी। केनिंग के आने पर ही इस क्रूरता का अन्त हुआ और नीति में परिवर्तन हुआ।

इमें यह स्वीकार करना होगा कि अधिकांश विद्रोही सैनिकों की मांग और प्रयत्न यह था कि वे एक ऐसे दक्षिण प्रणामिक प्राधिकार की खोज में थे जिसे देश ब्रिटिश सरकार के प्रशासन के विरुद्ध चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता। किसी भी मूल्य पर राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना इस विद्रोह में कूटकूट कर भरी हुई थी। जनवरी २७ से मार्च ६ तक अंतिम मुगल सम्राट का मुकदमा हुआ और अदालत ने उन्हें सिपाही विद्रोह का पक्ष लेने तथा विद्रोहियों की अपसहाय्य करने का दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध में अनेक व्यक्तियों को सहायता देने और उन्हें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करने जिससे कि वे हिन्दुस्तान की प्रभुसत्ता को पुनः प्राप्त कर सकें—उस अपराध का भी दोषी घोषित कर दिया गया। उन्हें विद्रोह में सम्मिलित होने का भी दोषी घोषित कर दिया गया और दिसम्बर १८५८ में उन्हें कलकत्ता के मार्ग से रगून ले जाया गया जहाँ उनकी ७ नवम्बर १८६२ को मृत्यु हो गई।

विद्रोह को आरम्भ करने का श्रेय भारतीय सैनिकों को था इसमें सन्देह नहीं। बहुत से राजे भूस्वामी सरदार ठाकुर ताल्लुकदार तथा किसान उसमें सम्मिलित हो गए और उन्होंने उसको दूसरा रूप दे दिया वह देश की स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र क्रांति थी।

रानी लक्ष्मी बाई (भांसी) कु बरसिह, उमेरसिह (शाहाबाद) राजा भलीखाँ हूदर भलीखाँ (राजीगर) ज्योधरसिह (बिहार) पीर भलीखाँ मोसाफ हुसैन (पटना) सुरेन्द्र साहू (सम्बलपुर) बिन्दरनाथ साहू (जोधर डाना) अजुम सिंह (छिन्नमुरमि), मौसमोनीसिह (बांजुरा) बिदाबन तिवारी (मिदनापुर) राव भोपालसिह, अहमद खाँ (मुल्तान) महताबसिह (मलीगढ़) नानीरामदत्त (भासाम) मानसिह (शाहगंज) मुहम्मद वस्तखाँ (रोहतक), मुहम्मद खाँ (बिजनौर) शाहजादा फीरोजशाह (देहली) राजा सतासी और बेगम हजरत महल (रूहेलखण्ड लखनऊ) मुहम्मद सासान (गोरखपुर) हैन्दर भलीखाँ (गया) भूवेदार भलीबन्ध (हमीरपुर) बानपुरा के राजा, राजा शकर शाह (जबलपुर), बरिस भली (पटना) मीलाम्बर और पीताम्बर साहू (पालामऊ) मौसवी सरफराज भली (शाहजहापुर) मुहम्मद अहमद उल्ला (लखनऊ) नरपतसिह (दहया) बहादुरखाँ (बरेली) मितौली और सेल के राजा (सीतापुर भवध) राजा साहब

ध्यापुर और साङ्गड़ (सागर तथा नरबटा प्रदेश) नाना साहब, सेनापति हास्या छोपे जिन्हें १८ अप्रैल १८५६ को पामी दी गई बखतावर खा, जवाला प्रसाद अजीम उल्ला (झानपुर) इत्यादि इत्यादि उन असाध्य व्यक्तियों में कतिपय प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने उस महान् क्रान्ति में भाग लिया और देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने को बलिदान कर दिया ।

वासुदेव बलवत्त फडके— १८५७ के विद्रोह की अत्यन्त निदयता और निर्भयता के साथ पार्श्विक बदले की भावना से टबाया गया उसके कारण कुछ समय के लिए दान्ति छा गई । परन्तु विद्रोह तथा विरोध की भावना पूर्णरूप से मरी नहीं । उस समय देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो उठी थी और आर्थिक संकट तथा सगातार पढ़ने वाले दुमिष्टों के कारण विद्रोह को अग्नि पूरी तरह बुझी नहीं । साधारण जन निराश और हताश हो गए और वे हिमात्मक कायवाही करने के लिए सोचने पर विवश हो गए ।

महाराष्ट्र अभी अपनी स्वतन्त्रता के दिनों की भूला नहीं था । उसमें स्वतन्त्रता की स्मृति लुप्त नहीं हुई थी वहां असन्तोष की अग्नि घसक रही थी और वैङ्कटबर्न के शासन में वहां की स्थिति असन्तोषपूर्ण और संकटमय थी ।

“महाराष्ट्र में अगाति ने फुटकर टुकटियों का रूप ले लिया । ठाकुओं के समूह पहले तो फुटकर टुकटियों टालते थे और साहूकारों के घरों पर आक्रमण करते थे परन्तु बाद को यह ठाकुओं के फुटकर गिरोह मिल गए और वे इनने शक्तिमान हो गए । अतएव पूना स्थित समस्त सेनापतानि अदबागोही, तोपखाने को उनका आना करना पडा । यह ठाकुओं के गिरोह पश्चिमी घाट के जगली प्रदेश में धूमने लगे जब सेना आती तो बिखर जाते और फिर किसी सुविधाजनक स्थान पर पुन मेल जाते ।

इस शक्तिवान गिरोह और संगठन का सेनापति और नेता एक तरुण वासुदेव ललवन्त फडके था । उसी पद्धति से अरम्भ में मराठा राज्यशक्ति स्थापित की गई थी उसने उन्हीं पद जिन्होंने पर राष्ट्रीय विद्रोह का संगठन करने का प्रयत्न किया । देश-वासियों की दयनीय स्थिति, उनकी विपत्ति, और कष्टमय जीवन उसके लिए असह्य हो उठा और उसने निश्चय किया कि यदि सम्भव हो तो शिथिल वर्ग की सहायता से और यदि आवश्यक ही हो जावे तो उनके बिना देश की सशस्त्र विद्रोह के लिए तयार किया जावे । शिक्षित वर्ग को अपने इस सशस्त्र क्रान्ति के संगठन में आकर्षित करने में वह असफल रहा अतएव उसने अपना ध्यान अशिक्षित वर्गों की ओर फेरा । उसने रमोशी बन जाति के लोगों को जो एक समय मराठा सेना में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे और जिन्होंने १८२६ में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था— की ओर ध्यान दिया और उन्हें अपने संगठन में लाने का प्रयत्न किया । वह अपने प्रयत्न में सफल हुआ और धीमे ही उसने अपने आसपास वीर देशभक्त साथी इकट्ठे कर लिए ।

जब उसके पास निस्वार्थी बलिदानों और वीर सैनिक इकट्ठे हो गए तो उसने तरुणों की एक युव समिति का संगठन करने की ओर ध्यान दिया जिसमें सभी क्षेत्रों और वर्गों से तरुणों को भरती किया जाता था और वह उन्हें अपने तेजस्वी भावनों और निज के कष्टमय जीवन और आरामबलिदान के द्वारा उत्साहित और अनुप्राणित करता था । उन देशभक्त वीर तरुणों को कागुसन तथा गुलटेकडी की पहलियों के समीप सैनिक

प्रशिक्षण दिया जाता था। वह सभाएं करता और साधारण जनता में अग्नि बरसाते-हुं भाषण देता। जब भी सम्भव होता वह सवसाधारण में अग्नेजो के विरुद्ध उठ खड़े हो के लिए सवसाधारण का आह्वान करता। उसने अपनी दानिदानी ( डायरी ) में लिखा था प्रातःकाल से सायंकाल तक स्नान करते भोजन करते और सोते। मैं सदा इस बात को सोचता— अग्नेजो का सवनाश किया जावे— और मुझे तनिक भी भैर और विश्वास नहीं मिलता।" फडके का देश को स्वतंत्र करने तथा ब्रिटिश शक्ति का सवनाश कर का तीव्र विचार उसके मस्तिष्क में इतना अधिक भर गया था कि जब वह भाषण देता त श्रोताओं के मन में भी क्रांतिकारी विचार भर जाते वह अपने भाषणों में अग्नि उगलता था।

जब उसके सगठन का विस्तार हो गया और बड़ी सख्या में युवक उसके सगठन के अंतर्गत आ गए तो उसे प्रायिक बिता सताने लगी। उस बड़े तनिक सगठन को चला के लिए धन की कमी का अनुभव होने लगा। प्रारम्भ में वह धनी लोगों के पास गया उनसे धन देने की प्रार्थना की और उनसे कहा कि देश के स्वतंत्र हो जाने पर उनका धनराशि वापस लौटा दी जावेगी परंतु धनिकों ने उसकी बात की और ध्यान न दिया। वे उसे सनकी और विक्षिप्त समझते थे। विवश होकर उसने छूटपाट कर धन एकत्रित करना प्रारम्भ किया। वह केवल धनिकों की ही नहीं लूटता था धन सरकारी सम्पत्ति तथा धन को विशेष रूप से लूटता था।

कमश उसकी सेना आकार सख्या और शक्ति में बढ़ती गई। सेना में साधन को भर्ती करने में उसके अत्यन्त भक्त और मित्र शैलतराव रमोणी से उसे बहुत सहायता मिली जिसका रमोणी वतजानि पर अपरिमित प्रभाव था। गोविंदराव दवारे दूसरी व्यक्ति थे जो कि फडके के लिए बहुत सहायक और सगठन के लिए शक्ति का स्रोत थे। सगठन में दवारे सेनापति ( जनरल ) और फडके शिव जी द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध थे।

फडके ने एक साथ शत्रु पर बहुत से स्थानों पर आक्रमण करने का निश्चय किया उसका विचार था कि ऐसा करने से लोग यह सोचने लगेंगे कि फडके का सामने करना कठिन है और उसके पास बहुत बड़ी सेना है। अतएव वह पोस्ट आफिस रेल्वे स्टेशन और आदि यातायात और सदेश वाहन के साधनों पर आक्रमण करने लगा। सा सरकारी खजानों को लूट लेता और जेलों को तोड़ कर फदियों को मुक्त कर देता जं प्रसन्नतापूर्वक उसकी सेना में भर्ती हो जाते। इसी बीच उसने निजाम के राज्य में से हद्देलों और पठानों को अपनी सेना में भर्ती करने की कोशिश की। वह यथेष्ट कोष जमा करना चाहता था जिससे कि एक नियमित और प्रशिक्षित बड़ी सेना खड़ी कर सके। वह पहला भारतीय था जिसने भारत में गणतंत्र की स्थापना करने का विचार किया था।

वह जब विस्तृत क्षेत्र में आक्रमण और लूटपाट करने लगा। ब्रिटिश सरकार को उसे गिरफ्तार करना असम्भव हो गया। यहां तक कि उसकी गतिविधियों की सरकार को सूचना भी नहीं मिल पाती थी। उसने सर रिचार्ड टम्पल बम्बई के गवर्नर के सिरे पर ५०० रुपए के पारितोषिक की घोषणा कर दी। फडके का सवत्र आतंक फैल गया।

१८७६ में धमारी गाव पर आक्रमण किया और उसको लूटने के उपरान्त वालेह पलायने आदि पर चढ़ाई करदी। पूना जिले के क्षेत्र में फडके की सेना के रमोणी वीरो ने आतंक उपस्थित कर दिया वह उनकी क्रीडास्थली बन गई। १० मई १८७६

को फड़के की सेना ने 'दौलतराव रामोशी' के नेतृत्व में दिहर को सूट कर कौनकरण में पानेवाल के समीप नेरी में वह प्रगट हुआ और वहा से बहुत अधिक सम्पत्ति सूटकर ले गया। पलासपे में उसे अधिक सफरता मिली वहा उसे सात हजार रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई। दुर्भाग्यवश इन युद्धों में दौलतराव मारा गया जिससे रामोशी वनजाति के साहस व नतिक स्तर को गहरा घक्का लगा। २० जुलाई १८७६ को बीजापुर जिले में दावर मयादगी के मंदिर में फड़के गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर इंडियन पेनल कोड की १२१ १२४ और ३६५ धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। उसको आजीवन देश निकाले और बंद का दंड दिया गया। उसको अदन के एक कारागृह में हथकड़ी और बंदी डालकर रखा गया। सरकार ने भारत के किसी जेल में यहा तक कि अडमन के जेल में भी उस जसे साहसी आतंककारी व्यक्ति को रखना खतरे से खाली नहीं समझा। इतनी कठोरता और सावधानी रखने पर भी वह अदन के कारागृह से १२ अक्टोबर १८८० को निकल भागा परंतु कुछ समय के उपरांत यह पुनः पकड़ लिया गया और उस पर और अधिक कड़ा नियंत्रण और पहरा बिठा दिया गया। १८५७ की सशस्त्र आतंक के हतिपथ स्वतंत्रता के लिए बलिदान होने वाले वीरों के पश्चात् भारत की स्वतंत्रता के लिए सघन करने वाले उस महान स्वातंत्र्य वीर को अदन के जेल में १७ फरवरी १८८३ को मृत्यु होगई।

**फूका विद्रोह—** १८७६ में फूकाआ के नेता रामसिंह फूका ने ११ जनवरी को सुधियाना के समीप मलेर कोठला में विद्रोह कर दिया और २७ जनवरी १८८२ को उसने अंग्रेजी सेना से मुठभेड़ की। इस भयंकर युद्ध में रामसिंह फूका पराजित हुआ और उसे कद कर बरमा में भेज दिया गया। जहाँ उसकी १८८५ में मृत्यु होगई।

रामसिंह फूका के अनुयायियों ने १५ से १७ जनवरी १८७२ के बीच सरहिंद में मालोदा दुग को अपने अधिकार में करने तथा मलेर काटला पर अधिकार कर वहाँ के खजाने को सूट लेने का प्रयत्न किया। दुर्भाग्यवश दोनों ही प्रयत्न असफल रहे। बहुत बड़ी सख्या में रामसिंह फूका के अनुयायी कंद हो गए उनमें से ४६ को तोपों के मुह से बाध कर उड़ा दिया गया। शेष को फासी दे दी गई तथा फूका आन्दोलन को अत्यन्त कठोरता तथा निदयतापूर्वक दबा दिया गया।

**मणीपुर विद्रोह—** १८५७ में ब्रिटिश सरकार ने जिस प्रकार दोषी और निर्दोष व्यक्तियों का हत्याकांड किया था उसका आतंक कुछ वर्षों तक बना रहा अतएव अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संगठित विद्रोह बहुत कम हुए।

यह आतंक भारत के उत्तरी पूर्वी किनारे में स्थित मणीपुर की जनता के विद्रोह से भग होगई। सितम्बर १८६० में सेनापति तिकेन्द्रजीत सिंह के नेतृत्व में वहा की जनता ने विद्रोह कर दिया। माघ १८६१ में ब्रिटिश सेनाएँ मणीपुर पहुँची और ब्रिटिश ने तिकेन्द्रजीतसिंह से आत्मसमर्पण करने को कहा परंतु उस साहसी वीर ने आत्मसमर्पण करना अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत सेनापति तिकेन्द्रजीत सिंह ने युक्तिपूर्वक तीन अंग्रेज जनरलों को उससे वार्तालाप करने के लिए बुलाया और उन्हें पकड़ लिया। मणीपुर के विद्रोही योद्धाओं को मार डालने का प्रतिशोध स्वल्प उसने उन तीनों अंग्रेज जनरलों को मरवा दिया। ब्रिटिश सेना ने मणीपुर दुग पर भयंकर आक्रमण किया परंतु सेनापति तिकेन्द्रजीत सिंह ने ब्रिटिश सेना को पीछे खदेड़ दिया।

अंग्रेजी सेना ने मण्यरात्रि को दुग पर दूसरा भीषण आक्रमण किया परन्तु वह

यूरो तरह असफल हुई और उसे पीछे हटना पडा। सेनापति तिवे ब्रिटेन के साहस वीरता और नेतृत्व के फलस्वरूप अग्रज असफल होगए। लोग सेनापति को मणिपुर का रक्षक मानने लगे। अन्न बरमा से सहायता के लिए और सेना बुलाई गई और उस सम्मिलित सेना ने दुग पर भीषण आक्रमण किया किंतु वह भी असफल हुआ। हाताश होकर अग्रजी सेना ने बहुत बड़ी बड़ी तोपें मगवाई और उनसे निरंतर गोलावारी कर दुग को घ्वस्त किया, परंतु सेनापति तिवे द्रजत सिंह हाथ नहीं आया वह निकल गया। दुर्भाग्यवश उसका अभिन्न मित्र और सहायक जनरल येनगाल सत्रुओं के हाथ में पड गया ( ८ मई १८६१ ) दुग पर अधिकार करने के उपरांत ब्रिटिश सेना ने सेनापति तिवे द्रजीत सिंह का पीछा किया और भयकर युद्ध के उपरांत सेनापति को बंदी बना लिया गया।

सेनापति तिवे द्रजीत सिंह उसके छोटे भाई अगनेस सना, और जनरल येनगाल का मुकदमा हुआ वह एक तमाशा था। उन पर वह दोषारोपण किया गया कि उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के अधिकार से छुड़ाने का प्रयत्न किया और उन तीनों को प्राणदण्ड की सजा दे दी। १३ अगस्त १८६१ को मणिपुर के सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करनेवाले महान् वीरो को अपनी मातृभूमि में ही फासी दे दी गई।

मुडा बिद्रोह— शताब्दी का अतिम वीरोचित काय अपने नेता इक्कीस वर्षीय बिरसा क नेतृत्व में मुडा लोगो ने किया ( १८६६ १६०० )। यह सघर्ष राची के खुती सबडिवीजन में हुआ था। बिरसा क नेतृत्व में मुडा लोगो ने दुमारी पवत पर अग्रजी सेना से जमकर घमासान युद्ध किया। वह युद्ध अत्यंत लोमहर्षक था। मुडा योद्धाभा ने वीरतापूर्ण इस युद्ध में अद्भुत शौर्य प्रदर्शित किया था। वह युद्ध ऐसा भयानक था और मुडा वीरो ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखलाया कि आज भी उस युद्ध की वीरता की कहानियां मुडा परिवारों में गौरव के साथ कही और सुनी जाती है। दुर्भाग्यवश विजयश्री बिरसा को नहीं मिली वह पराजित हुआ और वहां से निकल गया। परंतु कुछ समय के उपरांत वारभूमि में वह गिरफ्तार कर लिया गया। जब वीर बिरसा गिरफ्तार हुआ तो उसने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार के पास उसे फासी दे सकने की शक्ति ही नहीं है। बिरसा पर युद्ध करने तथा राजद्रोह का अभियोग चलाया गया और उसको प्राणदण्ड की सजा दे दी गई। जिस दिन वार बिरसा को फासी देना निश्चित किया गया उससे एक दिन पूर्व वह अपना सल में मरा हुआ पाया गया। डाक्टरों ने परीक्षा करने के उपरांत घोषित किया कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है उसने आत्महत्या नहीं की है।

बिरसा के वीर और योग्य सहायक गनपतराय और विश्वनाथ साही अभी तक पकड़े नहीं गए थे उ हाने भा घनघोर युद्ध किया। उस भयानक युद्ध में वे पकड़े गए और उनको फासी दे दी गई। इस प्रकार मुडा बिद्रोह दबा दिया गया परंतु उस बिद्रोह की स्मृति दीर्घकाल तक बनी रही।

क्रांति की प्रतिध्वनि— पिछली शताब्दी के अतिम वर्षों में पश्चिमी भारत में अग्रजा क विरुद्ध कृत निश्चयात्मक हिंसक कायवाहिमों की बहुत सी घटनाएं हुई। वे घटनाएं राजनीतिक हत्याएं थी और जिन पांडे से अंगुलियों पर गिने जा सकनवाले साहसी वीरों ने बहत्याएं की वे उसके परिणामों से भली भांति अवगत थे। परंतु वे हानि बाल भयकर परिणामों का बिना किए बिना वह जोखिम भरा काम करते थे। उस समय को माग न क्रांतिकारों देशभक्तों को जन्म दिया जो "उस समय के

निश्चेष्ट समाज द्वारा उत्पन्न और उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कठोर परिस्थितियों के विरुद्ध तेजी से टकराते थे। उस टकराने की प्रक्रिया में उनकी धज्जी धज्जी उड़ जाना प्रायः निश्चित था और उनका काय उत्तरजीवित रहता है या नहीं रहता परतु इस बात की तो तनिक भी सम्भावना नहीं थी कि वे स्वयं सवनाश से बच सकते।”

इससे बहुत पूर्व कि भारतीय भावनाओं के विरुद्ध बलात्कार करने के विरोध में हिंसात्मक काण्डों का प्रादुर्भाव हुआ, क्रांति के बीज इस भावना से घोट प्रोत देशभक्ति के विचारों से बोय गए जो कतिपय कवियों और लेखकों की लेखनियों से निकले थे। यह उचित और यावपूर्ण है कि हम उन कवियों और लेखकों को सशस्त्र स्वतंत्रता सपना का भाग दिलाने वाला के रूप में याद करें और स्वीकार करें। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से यह महान् लेखक देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के विचार का प्रचार और उपदेश देने लगे थे।

रणनाल— जहां तक अनुसंधान से पता चलता है कवि रंगलाल बघोपाध्याय ने १८५८ में जो लगभग प्रथम सशस्त्र क्रान्ति के समकालीन थे जनता को अपनी कविताओं द्वारा यह कह कर उत्साहित किया कि दासता से मृत्यु कहीं श्रेष्ठ है। और लोगों को उद्वोधन करत हुए पूछा —

“ क्या कोई ऐसा मूल मनुष्य है जो दासता के बंधन और कड़ियां स्वयं अपनी गदन या पैरो में जकड़ेगा। दास बन कर लाखों वर्ष जीवित रहना नारकीय यातना से भी बढ़ कर है। एक क्षण की स्वतंत्रता भी अनंत काल तक के लिए स्वर्गीय भानन्द के तुल्य है। जो व्यक्ति आत्मबलिदान के द्वारा अपनी मातृभूमि को विदेशियों की पराधीनता से मुक्त करता है उसका ही जीवन साधक है, यही वास्तव में मूल्यवान् जीवन व्यतीत करता है। खलो भागे बढ़ो प्यारे सायियां जल्दी करो, रणक्षेत्र में जाओ, क्योंकि उस व्यक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता जिसने मातृभूमि के लिए अपना जीवित बलिदान कर दिया है।”

हेमचन्द्र— जब तक कि रंगलाल के प्रेरणादायक विचारों की ऊष्णता ठंडी नहीं हुई एक दूसरे कवि ने १८७३ में देश को प्रेरणादायक संदेश दिया। हेमचन्द्र बघोपाध्याय न लागो में वीरतापूर्ण सानक भावना का विकास करने, उनके ही अनुरूप धार्मिक शक्ति और बुद्धि बल का विकसित करने का प्रेरणा दी। उन्होंने कहा

“ मंत्रा का उच्चारण करत रहना। माला के मनकों को भगवान का नाम लेकर फेरते रहना। तपस्या, याग, प्रायश्चात देवताओं को भोग और प्रसाद चढ़ाना, हवन करना, यज्ञ करना, मूर्ति पूजा प्राण के समय कोई काम भ्रान्त वाली नहीं है। इसके विपरीत शक्ति की प्रचना करो, तार और तलवार की पूजा करो। लक्ष्य का और भागे बढ़ो, निभय हो जोरिम का स्वागत करो। पशुओं की शोटियों पर चढ़ कर उनकी खोज करो, आकाश और स्वर्ग में जो भी नक्षत्र हैं उनके गुप्त रहस्या को खोज निकालो। भ्रष्टा, टूटत हुए सितारों के बग और बिद्युत की भपकर कोंप की परवाह न करो, इनसे विचलित न हो। सभी तुम शत्रु का सवनाग कर सकोग उसको मर्द कर सकोग। उनको चुनौती देने योग्य बनो जिससे तुम्हारा सर जो प्राण विदग्धी प्रभुधा के जूतो क भार को ढो रहा है उस पर स्वतंत्रता का गौरवपूर्ण मुकुट रखवा जा सके।”

यह सत्य है कि प्राचीन भूतकाल में तपस्या और साधना के द्वारा मनुष्य अपनी

रूप पुरी कर सकता था और भगवान् पृथ्वी पर उतर कर अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक क्षेत्र में स्वयं उतर कर युद्ध करते थे।

वे तब जबकि देवताओं की भट बट्टाने और उनकी प्रायना करने से भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकती सम्भवतः कभी नहीं आये। तबवार निवासी स्वयं सङ्घ। यह रागात् उन प्राचीन समय के मानवा से बहुत भिन्न हैं।

हृषिकेशो तं युद्ध करने की शक्ति और निष्ठा प्राप्त करो। युद्ध के लिए धान-दूध और हृष की भावना से अपने को भर लो। केवल इन्हीं साधनों की सहायता से तुम सत्कार से धन-सहितत्व की रक्षा कर सकते हो। भारत की मुक्ति का और दूसरा कोई माग नहीं है।

१८७४ में जोति ब्रह्मचारी ने अपने प्रसिद्ध नाटक 'पुरविक्रम' में उन्हीं भावनाओं को व्यक्त किया जिन्होंने रणभूमि को प्रेरित किया था। जोती-ब्रह्मचारी ने पुनः यद्यपि तिसरा

जो व्यक्ति मातृभूमि की रक्षा से मुक्त करने में अपने जीवन के लिए अर्पित होता है वह धीरे सज्जा का पात्र है। एक व्यक्ति को अनन्तकाल तक दासता की अपमानजनक याचना सहन दो। स्वतन्त्रता के रूप पर बसाए हुए जीवन का उपयोग ही क्या है? वह व्यक्ति सज्जास्पद है जो ऐसी गृहीत जीवन को बसाए रखकर जीवित रहना चाहता है।"

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार के प्रेरणादायक और शक्तिवान् साहित्य और भाषणा का बगल के तरफों के मन पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ। यद्यपि अभी प्रकाश में उसके परिणाम माना गया है।

साताबरण म सोम — इस समय प्रकाशित साहित्य समाचार-पत्रों तथा पुस्तकों में देश का राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति के सम्बन्ध में तिसरे हुए सैलक समय अधिक प्रगतिशील और राष्ट्रीय विचारधारा और प्रगति उपस्थित करने लगे। वहीं वहीं इधर उधर जातिकारी राजद्रोहपूर्ण तथा भी कोई-कोई पत्र छापते थे परन्तु सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कामवाही जाती और सरकार के प्रति आदर और शक्ति को कम करने के अर्थ में उन्हें दण्ड देती थी। परन्तु बढ़ती हुई अमानि के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे थे और समाचार पत्रों का एक वर्ग कभी-कभी गुप्त रूप में अथवा अज्ञेय और पत्रों के अन्तर्गत किया जा अपने लोगों में समर्थन करने लगा था। अने जैसे जातिकारी आन्दोलन का देश बढ़ता गया उस समाचार पत्रों का समर्थन भी अधिक मिलने लगा।

प्रकाश के उन कार्यों का जो राज्य के हितों के विरुद्ध और निम्नीय प्रतीत होते समाचार पत्र तीव्र आलोचना करते और उनसे विरुद्ध सोम व्यक्त करने लगे। समाचार जातिकारी राष्ट्रीय आन्दोलन के निश्चित रूप से प्रगट होने के बहुत पहले एक घटना को मकर एक समाचार पत्र ने अपने सम्पादकीय लेख में परोक्ष रूप से प्रतिक्रिया के उस कार्य का समर्थन किया जिससे एक बहिष्कृत राज्य कमकारी की मृत्यु हो गई थी। उदाहरण के लिए बड़ोदा के गान्धिका का मामला प्रस्तुत किया जा सकता है।

भारत सरकार ने यह घोषणा की कि बड़ोदा के रजिस्ट्रार जनल पादेर को १ नवम्बर १८७४ को बहिष्कृत किया गया। भारत सरकार का कहना था कि रजिस्ट्रार को बहिष्कृत करने से बड़ोदा के महाराजा गान्धिका सम्बन्धित (महाराज राव)

का हाथ था। बनल फायरे को अवकाश लेकर ब्रिटेन जाने दिया गया और सर लियूइस पल्ली को १४ जनवरी १८७५ की बडौदा का विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया। ल्यूइस पेली की फायरे के उत्तराधिकारी के रूप में इसलिए नियुक्ति की गई कि वह गायकवाड माधव राव के आचरण की तथा उसके प्रशासन की जांच करें और अपनी रिपोर्ट दें। माधव राव को उसी महीने में उन पर मुकदमा चलाने के लिए कलकत्ता ले जाया गया। १३ फरवरी १८७५ को गायकवाड अन्धकारोप आरम्भ हुआ और उस गोपनीय जांच का निष्पत्ति और परिणाम ब्रिटिश सरकार को आवश्यक कायवाही के लिए भेज दिया गया। लाड सैलिसबरी ने माधव राव को उनके निन्दनीय आचरण तथा राज्य के बुरे प्रशासन के कारण सिद्दासन से हटा देने की सिफारिश की।

२३ एप्रिल १८७५ को वायसराय ने घोषणा के द्वारा गायकवाड को गद्दी से हटा दिया और उह मन्त्रालय में निर्वासित कर दिया। बेचारा निरुसहाय गायकवाड उम्र अल्पमानजनक दयनीय स्थिति में रहता रहा। १८८२ में मृत्यु ने उसे उस कष्ट और अपमान से मुक्त कर दिया।

इस काण्ड को लेकर भारत के प्रत्येक भाग में चिन्तित वष में बहुत उत्तेजना फैली एक बड़े भारतीय नरेश को जिसका बहुत बड़ा राज्य था और जिसका वंश शिवाजी तथा बीर मराठों से संबंधित था उसका इस प्रकार गद्दी से उतारा जाना उत्तेजना का कारण बने यह स्वाभाविक ही था। पल्ली की नियुक्ति पर अमृत बाजार पत्रिका को सदेह हुआ कि ब्रिटिश सरकार बडौदा को ब्रिटिश राज्य में मिला लेना चाहती है। अमृत बाजार पत्रिका को इस सम्भावना से इतनी निराशा और आक्रोश हुआ कि वह अपने उस आक्रोश को छिपा नहीं सकी और उसने अपने सपादकीय लेखों में इस विचाराधीन प्रस्ताव की खन्त कड़े शब्दों में निन्दा और आलोचना की। १४ जनवरी १८७५ के अंक में सपादकीय लेखों में उसने लिखा कि भावी इतिहासकार को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो पायेगा कि

'सरकार ने गायकवाड माधवराव को इस अपराध को करने पर विवश कर दिया। इस बात के बड़ी संख्या में प्रमाण मिल सकते हैं कि बनल फायरे निरंतर गायकवाड से अनुत्तुपूर्ण व्यवहार करता रहा और प्रत्येक अवसर पर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाता रहा। यही नहीं कि बनल ने गायकवाड पर अत्याचार किए और अच्छे प्रशासन के भाग में बाधाएँ डालीं वह उसकी सलाह ने प्रजा को विद्रोही बना दिया और जब महाराजा गायकवाड ने विद्रोही प्रजा को दण्ड देना चाहा तो रोजीहैंट ने उनके विरुद्ध भारत सरकार को यह रिपोर्ट भेजी कि वह अत्याचारी नरेश है। यदि बनल फायरे को बडौदा में रोजीहैंट नियुक्त न किया जाता तो सम्भवत बडौदा को ऐसी दशा नहीं होती।'

उसी लेख में प्राय चल कर लिखा था 'मानव स्वभाव के लिए ऐसी परिस्थिति में चुप रहना असम्भव था।' लेख में एक प्रश्न पूछा गया। 'अप्रेज उस दशा में क्या करते यदि उदाहरण के लिए हम का सम्राट बनल फायर जैसा अधिकारी इंग्लैंड में वहाँ की सरकार की बाधवाहियों पर निगाह रखन के लिए उनके सभी कार्यों में हस्तक्षेप करने, लोगों को अनुशासनहीनता सिखलाने, नानून को तोड़ने, और इंग्लैंड की महारानी की बदनामी करने के लिए भेज देता।'

पत्रिका ने लिखा कि इंग्लैंड के निवासी उस दशा में दो भागों का व्यवहजन



करते ।

‘यदि उन्हें अपनी शक्ति में विश्वास होता और वे शक्तिवान होते तो उस अधिकारी को सब प्रकार से अपमानित कर इम्लण्ड से निकाल बाहर करते प्रयत्न विकल्प स्वरूप उसको ऐसे ही साधनों से समाप्त करने का प्रयत्न करते जो गायकवाड़ ने किया ।’

गायकवाड़ के काय का खुले रूप में समर्थन करते हुए उसने लिखा —

‘यह स्पष्ट है कि रजिडेंट के समस्त अत्याचारों से मुक्त पाने के लिए उसके सामने इस नृशंस उपाय के आतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। यदि सही ढंग में रजिडेंट फायर के आचरण की यायिक जाच की जाय और जाच के परिणामों को प्रकाशित किया जावे तो इंगलैंड के साधारण जन का सर लज्जा से भुक्त जावेगा ।

यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी घटनाएँ अधिक नहीं हुईं ।’

इस समय ब्रिटिश सरकार और उनके भारतीय अधीनस्थ देशी नरेशों के जैसे अप्राकृतिक सम्बन्ध हैं उनकी ध्यान में रखते हुए यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि बिप्य देने के मामले इतने कम हुए । यदि भारतीय जन चरम सीमा के धैर्यवान, निबल और निरसहाय न होते तो ब्रिटिश रजिडेंटों के देशी नरेशों पर होनेवाले अत्याचारों के कारण देश में शान्ति और व्यवस्था बनाए रखना सरकार के लिए असम्भव हो जाता ।

अमृत बाजार पत्रिका के उक्त लेख ने भारतीय नौकरशाही में हड़कम्प उत्पन्न कर दी । उसकी प्रतिध्वनि और सहर सात सात समुद्र पार कर समुक्त राज्य ब्रिटेन के समुद्र तट से जाकर टकराई जो सारी शक्ति का केंद्र था । क्रुद्ध अधिकारियों ने अमृत बाजार पत्रिका के विरुद्ध कड़ी कायवाही करने का सुझाव दिया । परन्तु गम्भीर सलाहकारों ने भारत सरकार को परामर्श दिया कि उस समय चुप रहा जावे परन्तु उस पर कड़ी निगाह रखी जावे । यदि भाग वह किसी भी प्रकार में कोई राजद्रोहात्मक लेख प्रकाशित करे तो उसको तुरन्त दबोच लिया जावे ।

गम्भीर देशभक्त — अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल भारत को स्वतंत्र करने के लिए गुप्त सगठन खड़े करने और भूमिगत क्रांतिकारी कायवाहियों की बात कुछ पहले सोचने लगा था । जीवनियों सम्बन्धी साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री राज-नारायण बोस, ज्योतिर्द्रनाथ टगोर, शिवनाथ शास्त्री, बिपिनचन्द्र पाल, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सरला बालादेवी, और अन्य अष्टास्पद तथा गम्भीर व्यक्तियों ने अत्यन्त अट्टा सहित आन्दोलन चलाने की प्रतिज्ञा ली थी । कुछ ने अपने अधिर से प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर किए थे । यह गत शताब्दी की सप्तदशों की बात है ।

इस समिति में किसी भी सदस्य द्वारा कोई हिंसक काय प्रकाश में करते हुए किसी न नहीं सुना । परन्तु उन्होंने अपने कार्यों द्वारा स्वराज्य की माग को ऐसे खतरनाक तरीके से प्रिया वत करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया कि जिसका समर्थन करनेवाले और अपनेनाले वाले उस समय बहुत कम लोग थे । उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उ होन एक ऐसे आन्दोलन को ज म दिया कि जिसने उस भाग को सैद्धांतिक समर्थन दिया जिसने ऐसे सगठनों को उत्पन्न कर दिया जो बधानिक आन्दोलनों की परिधि का छोड़कर बहुत आगे बढ़ गए । वास्तव में यह उन लोगों का प्रचसनीय साहसपूर्ण काय था ।

जो गुप्त समितिमा सताब्दी के अन्त में बनी, उनका किसी प्रकार के हिंसक कार्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था। उन समितियों का लक्ष्य जनता के मस्तिष्क को विदेशी घस्त्रों के बहिष्कार, देशी उद्योग घघों की स्थापना, स्वराज्य की माग का जोरदार समर्थन करने के लिए तयार करना था।

इसके अतिरिक्त यह गुप्त समितिमा उन कानूनों का विरोध [करती थी जो देश के हितों के विरुद्ध थे अथवा जो स्वराज्य की भावना के प्रचार में बाधक होते थे। इन समितियों का अंतिम ध्यय यह भी था कि भागे चलकर जनमत को एक ऐसी विदेशी सरकार को मानने से इनकार करने के लिए तयार करना था कि जिसने देश की स्वतन्त्रता का अपहरण कर लिया था।

यह वह उपाय थे जिन्हें कांग्रेस अग्रगण्य के लिए तयार नहीं थी क्योंकि उसकी नीति दूसरी थी। यही कारण था कि लोकमान्य तिलक और अरविन्द कांग्रेस को व्यय क प्राथनापत्र तथा विरोधपत्र देने वाली सस्था के रूप में देखते थे। उ होने जनता में स्वावलम्बन तथा असहयोग की भावना जागृत करने का प्रयत्न किया और राष्ट्र की समस्त शक्तियों को एक साथ लेकर राज-सत्ताधारियों से सघप लेने की तयारी की।

विवेकानन्द— ऊपर लिखे क्रांतिकारी कार्यों को करने के विचार सब प्रथम महाराष्ट्र में चितपावन ब्राह्मणों में उत्पन्न हुए। बंगाल में यह विचार सबसे पहले स्वामी विवेकानन्द के मस्तिष्क में आया। उन्होंने पहले कुछ देशी राज्या को प्रभावित करने का प्रयत्न किया कि वे देश को स्वतन्त्र करने के लिए अपना सगठन खड़ा करें। जब वे ब्रिटेन गए तो वे सरहिराम मैक्सम से भी मिले (भूपेन्द्रनाथ दत्त लिखित— स्वामी विवेकानन्द पट्रियट प्राफेन्— पृष्ठ ८ और ९) कि आवश्यकता पड़न पर उनसे सहायता मिल सकें। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस विचार को फलाया कि वे व्यक्ति जिनके भुजदण्ड बलवान और शक्तिशाली हैं फुटबाल के खेल के द्वारा भगवान के समीप गीता को अर्पणा शीघ्र पहुँच सकते हैं।”

स्वामी विवेकानन्द सम्पूर्ण भारत में ऐसे तरुणों को जो शारीरिक और नैतिक दृष्टि से बलवान हों समूहों में सगठित करना चाहते थे। ऐसे युवक जो स्वच्छा से पीड़ित मानवता को सघा करने के लिए अपने आराम का परिस्थाय कर दें जो किसी भी ऊच आदश के लिए कष्ट सहने के लिए तयार हो और देश को एक ऊची सभ्यता और आध्यात्मिकता का शिखर पर ले जाने का प्रयत्न करें। स्वामी विवेकानन्द की देन के तरुणों के मन की उद्बलित करनेवाली अपील देश भर में प्रतिध्वनित हो उठी।

विवेकानन्द ने अपने गुह परमहंस रामकृष्ण के पदचि ू पर चलकर दश के सामन मा वाली का स्वरूप रखा जो शक्ति और विघ्वस की देवी थी। १८९८ में अपनी रचना में आन वात भूभावात का चित्र खींचने हुए उन्होंने घोषणा की कि

जो युद्ध और कष्ट को प्यार करता है और मृत्यु का आलिगन करता है मा उसी क पास आती है।

स्वामी विवेकानन्द का उद्बोधन केवल सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति से ही संबंधित नहीं था वरन् उस अग्रमानजनक कायरता के विरुद्ध था जो भारतीयों का स्वतन्त्रता प्राप्त करने से रोकती थी। उन्होंने गम्भीर गजना के द्वारा कहा कि वीरता और घोष क धनी ही स्वतन्त्र होते के योग्य होते हैं।

स्वामी जी के संदेश ने तरुणों के मस्तिष्कों को प्रभावित किया, उनमें देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर दी और उनमें से कुछ में कठोर राजनतिक कार्यों की उत्कठा उत्पन्न कर दी। जय स्वामी विवेकानन्द ने तरुणों से सयासी बन रामकृष्ण मिशन में आने का आह्वान किया तो मिशन में जो आए उनमें कम ऐसे नहीं थे जिनको युक्त पुलिस बहुत सदेह की दृष्टि से देखती थी। अमरा स्थिति बिगड़ती गई। युक्त पुलिस का सदेह घनीभूत होता गया। स्थिति ऐसी तनावपूर्ण हो गई कि उसको सुधारने के लिए बंगाल के गवर्नर जिनको रामकृष्ण मिशन के प्रति गहरी सहानुभूति थी—हस्तक्षेप की आवश्यकता अनुभव हुई तभी स्थिति सुधरी।

विवेकानन्द के स्वगवाह के पूव ही देश में इस प्रकार के संगठनों का महत्व स्वीकार किया जाने लगा जो शारीरिक उन्नति खेलकूद तलवार छुरा और लाठी चलाने की शिक्षा देने और समाजसेवा तथा रोग, वाद तथा दुर्भिक्ष निवारण के लिए सामूहिक प्रयत्न करने की ओर ध्यान दें।

इसका परिणाम यह हुआ कि १९०२ में सतीश मुक्जर्जी तथा पी मिश्रा के नेतृत्व में 'अनुशीलन समिति' जसी संस्थाओं का जन्म हुआ। सतीश मुक्जर्जी तथा पी मिश्रा अत्यंत अग्र राष्ट्रावादी होने के प्रतिरिक्त आध्यात्मिक जीवन तथा आकाशमार्गों वाले व्यक्ति थे और उनमें धार्मिक भावना कूट कूट कर भरी थी। अनुशीलन समिति की बहुत सी शाखाएँ थी विशेषकर पूर्वी बंगाल (अब बंगला देश) में उसकी बहुत शाखाएँ थी और उसके सदस्यों में ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल के ही नहीं भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को गौरव प्रदान किया।

कांग्रेस दसरी ओर उदार राजनीति की ओर भुक्ती गई। अंत में १९०७ में सूरत में यह अग्र राजनीति की अग्नि से परिष्कृत होकर निकली। रोमा रोलंड ने उस सक्रांतिकाल काल का चित्र खींचते हुए लिखा (दो प्राफेटस आफ यू इंडिया पृ ४६७) 'भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की अग्नि धीरे धीरे दीर्घ काल तक खुलती रही जबकि विवेकानन्द की श्वास ने कोयलो में ज्वाला उत्पन्न कर दी और वह उनकी मृत्यु के तीन वर्ष उपरांत ज्वालामुखी पर्वत के समान भभक उठा।

स्वामी विवेकानन्द ने भारत को और विशेषकर बंगाल को पुनर्जीवित करने में जो योगदान दिया और लोकभाष्य तिलक, अरविन्द तथा अन्यो के लिए क्रांति का बीज बोने के लिए जो उपयुक्त भूमि तयार कर दी उसको ससार भलीभांति जानता है। कालांतर में वह क्रांति का छोटा सा पीछा एक विशाल बट वृक्ष के समान बढ़ा हुआ और उसकी शक्तिशाली शाखाएँ दूर दूर फल गईं जो भारत के वासकों को भय से कपा देती थी।

उस क्रांति वृक्ष के फलरूपी दम और गोलियों से ब्रिटिश शासक केवल भारत ही नहीं सुदूर उनके पितृ देश इंग्लैंड में भी आतंकित और भयभीत थे।

रोमा रोलंड के शब्दों में स्वतंत्रता के युद्ध का उबार बड़े देश से चल पड़ा था।

'दूसरा व्यक्तित्व जो उनके बाद सबसे महान था और जो स्वतंत्रता आंदोलन में प्रकाश में आया वह उनके तरुण मित्र अरविन्द घोष थे। वह विवेकानन्द के वास्तविक बौद्धिक उत्तराधिकारी थे।'

### भारतीय अशांति के जनक (१८६३-१९०८)

बंगाल में जो आंदोलन चल रहा था उससे सवथा स्वतंत्र महाराष्ट्र प्रदेश में जाज्वल्यमान देशभक्ति की भावना प्रवाहित हो रही थी और उसने उम स्वरूप को धारण किया जो उस समय बहुत सुविधाजनक था।

डेड सी बर्षों के विदेशी प्रभुत्व के अवेध्यगहन अधिकार में उस व्यक्ति की सचित प्रतिभा से एक प्रकाश की रेखा उद्भूत हुई जिस विभिन्न विचारवाली ने असतोप उत्पन्न करने वालों में सबसे खतरनाक अग्रगण्य, 'प्रसिद्ध आंदोलनकर्ता' 'सच्चे अर्थों में भारतीय अशांति का जनक' के नाम से याद किया है और जो व्यक्ति प्रकाण्ड पांडित्य अद्भुत विद्वता और असीम गतिशील काय शक्ति का धनी था।

वह व्यक्ति एक महान महर्षि और कोई नहीं लोकमान्य बालगंगाधर तिलक थे। उनका मानना था कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने में ध्येय साधन का औचित्य स्थापित करता है और वह प्रत्येक साधन जो मातृभूमि की राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने में सहायक हो यावोचित है। श्री अरविंद ने उनके सम्बन्ध में कहा था (बन्धु तिलक, दयानन्द पृष्ठ ३६) ; 'कि उनका नाम उस समय तक कृतज्ञता के साथ लिया जायेगा जब तक देश को भूतकाल के प्रति गौरव की भावना है और भविष्य के प्रति आशा है।' मातृभूमि के लिए कष्ट उठाने के सदन में अरविंद ने तिलक के सम्बन्ध में कहा था "तिलक बिना आवश्यकता के उपयोगिता रहित शीघ्र प्रदर्शित करने के लिए नहीं बरन जब बलिदान देने और कष्ट उठाने का अवसर आता तो उसको कठोर साहस के साथ सभ्य और उसकी तनिक भी परवाह न कर मानो कुछ हुआ ही न हो पुन देश के काय में लग जाते।

तिलक के सबध में बन्देमातरम् ने अपने २६ दिसम्बर १९०६ के अंक में "भूत और भविष्य का पुष्प" शीघ्र लेख में लिखा था 'तिलक शक्ति और साहस के भीम हैं वह एक ऐसे पुरुष हैं जो यह जानते हैं कि क्या करना चाहिए और उसे करते हैं। कैसा और किसका सगठन करना चाहिए और उम सगठन को करते हैं। किसका विरोध तथा प्रतिरोध करना चाहिए और उसका प्रतिरोध करते हैं। वे मूलतः क्रियाशील व्यक्ति हैं और हमारी भावी राजनीतिक गतिविधियों का स्वरूप क्रियाशीलता होना चाहिए।'

शिवाराम महादेव पराजपे तिलक के अत्यन्त विश्वस्तनीय मित्र तथा सहयोगी थे। उन दोनों ने मिलकर शताब्दियों की दासता के भयानक समुद्र को पार करने के लिए उस छोटी सी निबल नाव के मस्तूल और ढांड को पकड़े रक्खा और उसको स्वतंत्रता के प्रकाशवान तट पर ले धाए।

१८६३ के बम्बई में हुए हिन्दू मुस्लिम दंगे की पृष्ठभूमि में कुछ लोग यह अनुभव करने लगे कि सस्य में अधिक होने पर भी आवश्यकता एकता की है और उस भावना को उत्पन्न करने की आवश्यकता है जो आज नहीं है कि दंगों में अनिन्द्यी जिस निममता से आक्रमण करते हैं उतनी ही निममता से प्रत्याक्रमण किया जावे।

अतएव यह अत्यन्त आवश्यक था कि लोग अपने को उस गतिहीन जीवन से निकाल बाहर करने के लिए सगठित करें तथा विस्तृत क्षेत्रों में क्रियाशील हो। इस सम्बन्ध में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शक्त जो पूरी करनी थी यह थी कि जहाँ तक समभव हो धन, शिक्षा, जाति, धर्म आद्यु और लिंग के भेद जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से पृथक् कर देते हैं मिटा दिए जायें।

गणपति उत्सव— यदि मुसलमानों का मुहुरम है तो हिंदुओं का भी उस प्रकार का कोई उत्सव होना चाहिए। तिलक की प्रविष्टि ने तुरन्त खोज निकाला कि यदि गणपति उत्सव को सभी लोगों के लिए बड़े पैमाने पर पुनर्जीवित किया जावे तो बहुत बड़े शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। गणेश उत्सव की तरफों का बहुत सहयोग मिला और थोड़े ही समय में वह सभी वर्गों में फल गया, शीघ्र ही उस उत्सव ने एक राष्ट्रीय आन्दोलन का रूप ले लिया। गणेश भगवान द्वारा गजामुखा का वध अत्याचार के ऊपर विजय का चिह्न बन गया।

दूरदर्शी लोग इस जनउत्साह की सम्भावनाओं को देख रहे थे और वे निस्संकोच उसको राजनीतिक रूप देना चाहते थे। वे उसको राष्ट्रीय एकता का आधार बनाना चाहते थे। १८९६ में ३१ जुलाई के शक में प्रभाकर ने लिखा

“ क्या ब्राह्मणों का यह कृत्य नहीं है कि इन मेलों को आज की अपेक्षा अधिक उपयोगी बनाया जावे। गणपति उत्सव के दिनों में एक भाषण माला का आयोजन कर उत्सव का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए क्यों न किया जावे। तत्कालीन राजनीतिक प्रवृत्तियों पर गीतों की रचना क्यों न की जावे ?

गणपति उत्सव के समय पर समाजों और जलूसों में जो श्लोक बोले जाते या गीत गाए जाते थे वे ऐसे होते जिनमें राष्ट्रीय विचार और भावनाएँ छिपी रहतीं और अर्थपूर्ण प्रस्तावों की ओर संकेत होता। उनमें से एक नीचे लिखे अनुसार था—

“शोक है कि तुमको दास बने रहने में लज्जा नहीं आती। ऐसी दशा में आत्महत्या करने का प्रयत्न करो। खेद है कि बसाहियों की भाँति दुष्ट अपने नृशंस अत्याचारों के द्वारा गाय और बछड़ों का वध करते हैं। माता को उसके कर्तों से मुक्त करो, मर जाओ लेकिन अंग्रेजों को मारो।’

स्पष्ट है कि ऊपर लिखे श्लोक में सर्वसाधारण का ध्यान उनकी दासता की ओर दिलाया गया है और उन्हें प्रोत्साहित किया गया है कि वे उसे समाप्त कर दें। वे मरेंगे परन्तु मरने में उन्हें अंग्रेजों को मारना चाहिए। वास्तव में यह राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सर्वसाधारणों को हिंसा का माग्य अपनाने के लिए बुला हुआ आह्वान था।

जब गणपति उत्सव अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो लोगों ने लोकमान्य तिलक का ध्यान शिवाजी की धरती (समाधि) की जर्जर दशा की ओर दिलाया जिनकी मृत्यु १५ अप्रैल १६८० को रायगढ़ के किले में हुई थी। तिलक ने उस कार्य को अपने आन्दोलन में अधिक तेज उत्पन्न करने के लिए एक शौजार के रूप में काम में लिया और शिवाजी की छतरी की मरम्मत करना शुरू कर दी। उन्होंने सर्वसाधारणों के सामने इस प्रश्न को इस भावना सहित रखा कि महाराजा शिवाजी का उसी दुर्ग में १६७५ में राज्याभियेक हुआ और जालना के युद्ध के उपरान्त उनके पारिविक अवशेष अर्थात् शरीर उसी दुर्ग में शिरनिद्रा में सो गया। सर्वसाधारणों ने लोकमान्य तिलक की इस अपील का उत्साह के साथ समर्थन किया। उनकी अपील ने सर्वसाधारणों की आधुनिक समय के उस महान् बीर के प्रति श्रद्धा को पुनर्जागृत कर दिया जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य के मध्य में हिन्दू राज्य की स्थापना की थी। इस प्रयत्न के फलस्वरूप रायगढ़ में पहली बार १५ मार्च १८९५ को प्रथम शिवाजी उत्सव मनाया गया।

शिवाजी उत्सव — यही तर्क सगत था कि शिवाजी की स्मृति को पुनर्जागृत करने के लिए उत्सव का सम्बन्ध उनके राज्याभिषेक से जोड़ा जावे और उनकी स्मृति के उत्सव को ज्ञान में मनाया जावे। इस प्रयत्न का परिणाम यह हुआ कि शिवाजी उत्सव समस्त देश में बड़ी घूमघाम और स्वेच्छा से मनाया जाने लगा। इस उत्सव से देश में ऐसा उत्साह उत्पन्न हुआ जो कि उसको चलानेवालों की भाषा से बहुत अधिक था। 'मुम्बई वभव' पत्र ने अपने ६ अप्रैल १८६६ के अंक में लिखा "कि शिवाजी उत्सव देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर छूत के रोग की तरह तेजी से फैल रहा है।"

इस भावोत्थान के साथ साथ महाराष्ट्र और एक सीमा तक दक्कन के तटणों में व्यायाम और शारीरिक विकास के लिए सगठन स्थापित किए और उनके माध्यम से शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया। परिणाम स्वरूप 'मिम मेला' जैसे सगठन बम्बई में स्थापित हुए जिसका नाम बाद में बदल कर 'अभिनव भारत समिति' कर दिया गया।

जहां शिवाजी के जीवन की अग्र घटनाएं पीछे छोड़ दी गईं शिवाजी के मुस्लिम शक्ति को परास्त कर एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की दृढ़ स्थापना के साहित्यिक कार्य को आगे लाया गया। भारतीयों में एक वग यह प्रश्न करने लगा कि 'एक स्वतंत्र भारत क्यों नहीं' एक राज्य की स्थापना का नमूना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका उसके सामने था दोनों का ही सही प्रतिनिधित्व महाराज शिवाजी के व्यक्तित्व में होता था।

११ अप्रैल १८६६ के "सुधाकर" ने लिखा कि इस अनोखी घटना का क्या कारण है देश में शिवाजी उत्सव के लिए जो अग्रुयं उत्साह है इसका कारण है

'स्पष्ट है कि आज का समय शिवाजी के समय के ही समान है। शिवाजी का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जबकि हिंदू धर्म असहिष्णु मुस्लिम शक्ति के कारण भयकर खतरे में था और शिवाजी के जीवन का लक्ष्य था राष्ट्र के धर्म की रक्षा करना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करना। आज हमें दूसरे शिवाजी की ओर भावश्यकता है। परन्तु उसका लक्ष्य पहले से थोड़ा भिन्न होगा। आज हमारी शिकायत यह नहीं है कि हमारे धर्म पर आघात किया जाता है परन्तु हमारा कष्ट है प्रतिदिन महारानी विक्टोरिया के सनकी अधिकारियों के बढ़ते हुए अत्याचार।'

१६ अप्रैल, १८६६ के "पूना वभव" ने इसी बात को इन शब्दों में दोहराया 'जनता उर्ध्व कटु अत्याचारों की शिकार हो रही है।'

शिवाजी ने जिस प्रकार अफजल खां को मारा उसके सम्बन्ध में एक कटु विवाद उठ खड़ा हुआ। शिवाजी ने जो किया क्या यह दुष्कृत्य या पाप था या नहीं। यह विवाद बहुत तेजी से उठा और प्रति वर्ष यह उसी तेजी से उठता था। शिवाजी उत्सव के सम्बन्ध में जो सभाएं होतीं उनमें जो भाषण होते उनमें आक्रमणकारी राष्ट्रवाद की ध्वनि गूजती और इस बात पर खेद प्रकट किया जाता कि देश पर विदेशियों का प्रभुत्व है।

१५ जून १८६७ के 'केसरी' में लोकमान्य टिळक के भाषण का जो सारांश प्रकाशित हुआ वह भीचे लिये अनुमार था।

'हम यह मानकर चलें कि शिवाजी ने 'अफजलखां' को एक पूर्वमुनिभोजित

योजना के अनुसार मारा। प्रश्न यह है कि महाराजा का वह कृत्य अच्छा या बुरा था। इस प्रश्न को पेनेल कोड (वण्ड संहिता) के दृष्टिकोण अथवा मनु और यज्ञवल्क्य की स्मृतियों की भावनाओं के आधार पर अथवा उन नैतिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए जो कि पूर्वी या पश्चिम की दक्षिण प्रणालियां द्वारा उद्घोषित हुए हैं। समाज को नियंत्रित करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वे हम जैसे साधारण जनो द्वारा आचरण के लिए होते हैं। किसी भी व्यक्ति के आज तक ऋषियों के वश परिचय अथवा उनके वश के इतिहास को खोजने की चिंता नहीं की और न कोई व्यक्ति राजा को दोषी ठहराने का प्रयत्न करता है। महापुरुष शास्त्रा के साधारण नियमों के ऊपर होते हैं। इन सिद्धांतों की दृष्टि उस स्तर या ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती जहां कि महापुरुष खड़े होते हैं।

'अफजल खा को मारो मे क्या उहोंने पाप किया। उसका उत्तर महाभारत में मौजूद है। भगवत गीता में भगवान् कृष्ण ने अपने बड़े और अधिर बाधवों को भी मारने का परामर्श दिया है। जब तुम कोई पाप उसके फल को चाहे बिना करो तो उसका कोई पाप नहीं होता। शिवाजी महाराज ने अपने स्वयं के लिए 'अफजलखा' को नहीं मारा। उहोंने अफजलखा को जनहित के 'मायपूण उद्दय से मारा। यदि चोर किसी के मकान में घुस आवें और उसकी कलाइयों में उहें मार भगाने की शक्ति न हो तो उसे बिना आत्मिक तानि के उहें मकान में बंद कर देना चाहिए और खड़े खड़े जला देना चाहिए।

सब शक्तिमान भगवान् ने म्लेच्छों को नामपत्र लिख कर भारत पर शासन करने का कोई राजलेख नहीं दे दिया था।

महाराजा शिवाजी ने उहें अपनी पितृभूमि से निकाल बाहर करने का प्रयत्न किया था और उसमें कोई 'यकिनगत लोभ का पाप नहीं था। अपनी दृष्टि को कुएं के मेंढक की भांति सीमित मत करो। पेनेल कोड को नीचे छोड़ दो और भगवतगीता के वातावरण के उच्चतम शिक्षर पर चढ़ो।

उसी सभा में अंग्रेजों के द्वारा जो आपराध दिए गए उसका सार नीचे लिखा था

"प्रत्येक हिंदू प्रत्येक मराठा को फिर वह किसी भी दल का क्यों न हो शिवाजी उत्सव पर प्रसन्न होना चाहिए। हम अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यह भयानक बोझ हम सब मिल कर ही अपने ऊपर से हटा सकते हैं। यह कभी उचित नहीं होगा कि हम किसी भी व्यक्ति के माग में दकावट डालें जो कि सच्चे हृदय से उस भयकर बोझ को उठाने का प्रयत्न कर रहा हो और जो तरीका वह ठीक समझता है उस कार्य को सम्पन्न करने के लिए अपना रहा हो। यदि कोई देश को ऊपर से पीस रहा हो तो उसे काट डालो लेकिन दूसरों के माग में रोडे न अटकावो

दूसरे व्यक्ति ने लगभग इन्ही शब्दों में कहा किन लोगों ने फ्रांस की राज क्रांति में भाग लिया उहोंने इस बात को अस्वीकार किया कि उहोंने हत्याएं की उहोंने दावा किया कि वे अपने भाग के केवल कार्यों को हटा रहे हैं। वही तक महाराष्ट्र के सम्बन्ध में क्यों लागू नहीं किया जाता।

शिवाजी सम्बन्धी दस्तावेजों में नीचे लिखे अनुसार कार्य करने के लिए लोगों का

ग्राहवान किया गया ।

‘शिवाजी की कथा को तीते की भाँति रटते रहने से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी । शिवाजी और बाजीराव की भाँति साहसिक कार्यों को करना होगा । यह जानकर तुम सभी भद्र लोगो को तलवार और ढाल उठानी होगी । हम शत्रु के अग्रिणत घोशो को काटेंगे । सुना हम राष्ट्रीय सपना में रखभूमि में अपने जीवन को खतरे में डालकर लड़ेंगे । हम पृथ्वी पर अपने उन शत्रुओं का खरि बहायेंगे जो हमारे धर्म को नष्ट करते हैं हम मार कर ही मरेंगे ।’

इन सभाओं का धारम्भ और समाप्ति शिवाजी सम्बन्धी श्लोकी से होती थी । सड़को पर जलूस बनाकर लोग इस प्रकार के गीतों को गाते चलते थे और सवसाधारण के उत्साह की कोई सीमा नहीं थी । महाराष्ट्र के लोगो में चितपावन ब्राह्मण तर्कण विशेष रूप से इस भावना से अभिभूत थे ।

राष्ट्रीय एकता का विचार जो समान शत्रु के विरुद्ध सम्मिलित कायवाही करने के लिए अत्यन्त आवश्यक था उस पर भी उचित और आवश्यक बल दिया जाता था । २८ अप्रैल १८६६ को केसरी ने लिखा —

“राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया जिसके बीच से हम इस समय निकल रहे हैं शिवाजी उत्सव को मनाने से और अधिक विकसित होगी । जिसमें सभी भारतीय फिर वे किसी भी जाति और धर्म के क्यों न हो भाग ले सकत हैं ।

२५ जून १८६६ के ‘महाराष्ट्र मित्र’ ने भी अपने लेख में लगभग इसी विचार को प्रतिध्वनित किया था ।

‘सभी सच्चे मराठों को एक सूत्र बंध जाना चाहिए यदि वे चाहते हैं कि मातृभूमि विदेशियों की दासता के जुये के निमग्न अत्याचारों से मुक्त हो ।’

गणपति और शिवाजी उत्सव उन नई भावना के पूर्वाभास थे जो भारत के अन्य भागों में विशेषकर बंगाल में फल रही थी । शिवाजी उत्सव ५ जून १९०६ में कलकत्ता में मनाया गया और उस सम्बन्ध में कलकत्ता मैदान में एक बहुत बड़ी सभा हुई । प्रायो के वर्षों में इन उत्सवों का बढ़ना हुआ प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा । इसका प्रभाव साधारण जन पर भी पडा जिन्होंने सगठन दमिन् विदेशी कुशासन के विरुद्ध प्रतिरोध और स्वतंत्रता के लिए आत्मत्याग और बलिदान की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया ।

### पूना का प्लेग और उसके पश्चात् (१८६५-६७)

जबकि गणपति तथा शिवाजी उत्सव अपना जागरण काय कर रहे थे दिसम्बर १८६६ में अत्यन्त भयंकर रूप में प्लेग के फूट पडने से बम्बई में राजनीतिक स्थिति में अप्रत्याशित मोड़ आ गया । वह छूत का रोग बन की अग्नि की भाँति एव स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता गया और बहुत थोड़े समय में ही बम्बई प्रात का अधिकांश भाग उस रोग से आक्रांत हो गया । सरकार ने अल्प छूत के रोगी को रोकने के लिए जो साधारण कदम उठाये जाते थे इसको रोकने के लिए भी उठाए परन्तु वे इस भयंकर दानव (प्लेग) को रोकने में पूर्णतः असफल रहे और बहुत बड़े क्षेत्रफल में उसके कारण विष्वस और विनाश का दृश्य उपस्थित हो गया ।

अपने प्रयत्नों में नितांत असफल हो जाने पर सरकार ने ४ फरवरी १८६७ को पारित छूत के रोग सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष अधिकारों का उपयोग कर



प्लेग को फैलने से रोकने के लिए कदम उठाए। स्वयं में सरकार का यह काय अपमानजनक नहीं था और तिलक जी के अनुयायियों ने भगवान के कोप के रूप में उस भयानक प्लेग को देखा।

सरकार ने सबसे पहला कदम प्लेग को फैलने से रोकने के लिए प्लेग से पीड़ित व्यक्तियों को घरों से पृथक् करने का उठाया। परंतु उस अधिनियम को जिस तर्क लागू किया गया वह उसका अत्यंत बीभत्स रूप था। उसको इतनी निममता और ह्यूमनीता से लागू किया गया कि लोग उसको प्लेग के रोग से भी अधिक खतरनाक तथा भयानक समझने लगे। लोगों के कण्ठ में और अधिक वृद्धि हो गई। जब 'र' नाम के अधिकारी को जो सतारा में सहायक जिलाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे अत्याचारी अधिकारी के रूप में विख्यात था उस अधिनियम को लागू करने के लिए नियुक्त कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में रैंड के पूर्व इतिहास के बारे में संक्षेप में यहाँ लिख देना अनुपयुक्त नहीं होगा—२७ सितम्बर १८६४ की तेरह नेता जो सब ग्राह्यण थे सतारा जिले की वाई तहसील में जेल में भेजे गए जहाँ रैंड सहायक जिलाधीश था। उन तेरह में तीन बैकर थे एक नगरपालिका के अध्यक्ष थे दूसरे लोकल बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन सबों पर यह दोषारोपण था कि उन्होंने जिलाधीश की आज्ञा की अवहेलना कर बाँधवाए। यद्यपि यहाँ इसके फलस्वरूप न कोई अज्ञाति हुई और न दगा ही हुआ कोई सर नहीं पूटे या हाथ नहीं टूटे। वह आज्ञा स्वयं में गरकानूनी थी और उस मुकदमें में रैंड का फैसला उसके वास्तविक स्वरूप को प्रगट करता है। उसी के शब्दों में सुनिए— यह मुझ से छिपा नहीं है कि यह सभी लोग ऊँची जाति के सम्भ्रात परिवारों के हैं औरों की अपेक्षा कारावास के बंधों और होनेवाली अयोग्यता को अधिक अनुभव करेंगे इसलिए उन पर जुरमाना करना मैं पर्याप्त दण्ड नहीं मानता और मैं इस निष्पत्ति पर पहुँचा हूँ कि उनको थोड़े समय के कारावास का दण्ड देना ठीक रहेगा और सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा।”

जिस प्रकार इस अधिकारी ने अपनी कायवाही आरम्भ की उससे प्लेग के प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों में भय और आतंक छा गया। २२ फरवरी १८६७ को 'दनयान प्रकाश' ने पूना के अस्पताल में असतोप और अपर्याप्त प्रबंध तथा कठोर नियमों के विरुद्ध असतोप व्यक्त किया जिससे जनता के मस्तिष्क में अज्ञाति की भावना उत्पन्न हो गई। उस पत्र ने १५ मार्च १८६७ को लोगों द्वारा जो कष्ट और कठिनाई उठानी पड़ी उसका चित्र इस प्रकार दिया— 'सड़कें रोक दी गईं उन पर किसी को भी नहीं चलने दिया जाता था 'रैंड की उपस्थिति में दूकानों को तोड़कर खोला गया।' 'सारी कायवाही इस प्रकार की गईं मानो किमी विजित नगर को मष्ट भष्ट किया जा रहा हो। जिन व्यक्तियों पर सदेह हो गया उन्हें अथवा दिखते हुए स्वस्थ व्यक्तियों को भी सेना के कठोर घेरे में पृथक्करण शिविर में इस प्रकार ले जाया गया मानो वे मुँह के बंदी हो।'

'देश मित्र' के अनुसार (११ मार्च १८६७) 'एक क्षेत्र' 'बद्धवार पैठ' और 'सुखराव' को दो सौ पदल सैनिकों और एक सौ अश्वारोही सैनिकों द्वारा घेर लिया गया। १५ मार्च १८६७ 'दनयान सागर' ने लिखा 'पुहयो, सिन्नयो और बच्चा को सैनिक रक्षकों की निगरानी में शिविर में ले जाया जाता। उनके भागे और पीछे

पहाही चलते । उनको नगे सिर और नगे पैर ले जाया जाता मानो, वे डाकू या चोर हों ।" यह ठीक ही था कि लोगो ने पानी में डूब कर मरना प्लेग के अस्पताल में ले जाए जाने की अपेक्षा अधिक पसंद किया ।

"झियो और पुरुषों की तलाशी लेने का तरीका अत्यंत घृणात्मक और अपमानजनक था । पुरुषों को दूसरों के सामने बिलकुल नग्न कर दिया जाता है और घर तक नगे छोड़े रखला जाता है । झियो से अपनी चोली को खोल देने और अपने वस्त्रों को ऊपर उठाने के लिए कहा जाता है "

इस कायवाही का सभी घोर से घोर विरोध हुआ और 'दनयान प्रकाश' १२ अप्रैल १८६७ के अनुसार 'रेड' से एक प्रतिनिधिमंडल मिला और इसको बतलाया कि झियो की इस प्रकार प्रस्तावित जाच से भारतीयों की भावनाओं को गहरा धक्का लगेगा । रेड ने कहा कि पर्दानशीन झियो के प्रति इस नियम को लागू नहीं किया जावेगा परन्तु उसने तुरंत प्रतिनिधि मंडल को चेतावनी दे दी कि पर्दानशीन झियो से उसका अर्थ केवल मुस्लिम झियो से है । भारतीयों के घरों का निरीक्षण दिन के समय ही किया जावेगा, अन्यथा उसने द्वि-दू तथा अश्रय जातियों की झियो का इस नियम से छूट देना प्रस्तावित कर दिया, क्योंकि उसका कहना था मुसलमानों के अतिरिक्त अश्रय जातियों के मकानों में जाच के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं होता ।

'अमृत बाजार पत्रिका' ने २० अप्रैल १८६७ के प्रक में लिखा - अनेक व्यक्ति प्लेग के अस्पताल में इस तदेह में ले जाए जाते हैं कि उन्हें प्लेग है अथवा प्लेग के चिह्न प्रगट हो गए हैं और उनके सबंधियों को तुरंत पृथक्करण शिविर में भेज दिया जाता है । उनके बिस्तरे और कपड़े जला दिए जाते हैं । मकानों को धुएँ और गस से गुद किया जाता है और उनकी सफेती कराई जाती है । इसके अतिरिक्त कानून के अन्तर्गत जितनी भी बठोरता बरती जा सकती है बरती जाती है । जब यथायक एक या दो दिन के कारावास के बाद यह पात होता है कि बिना यथेष्ट कारण के ही उन्हें अस्पताल में ले आया गया है तो उन्हें 'रोग मुक्त हो गए' कहकर छोड़ दिया जाता है । सब तो यह है उन अभाग्य व्यक्तियों को उनके घुरे प्रहो अर्थात् अस्पताल से छुटकारा मिलता है । परन्तु उनके सबंधी नहीं बच सकते क्योंकि उन्हें रोग-ग्रस्त पृथ से ले जाया गया था ।

कठिन स्थिति का सामना करने के उत्साह में सरकार ने सभी विरोध पत्रों वक्तव्य मुझावों तथा प्रतिवेदनों की अवहेलना करदी और दुराचरण पर सतोष व्यक्त करती रही । लोकमान्य तिलक तथा अश्रय ने उन सरकारो प्रयत्नो की अत्यन्त निम्न श्रेणी के अमानक कुलम या अत्याचारों को सना दी जिन्हें रेड अत्यन्त नरमी और दया का व्यवहार मानता था । लोकमान्य तिलक तथा अश्रय नेताओं ने ४ मई १८६७ को खुले आम कहा कि 'प्लेग के नियंत्रण के लिए आशा को वापस लेने के लिए एक संदेहगील, क्रोधी और अत्याचारी रेड को चुन कर सरकार ने उम्र प्राणा की बठोरता को बहुत अधिक बढ़ा दिया है ।'

सिंह के समान हृदय वाले लोकमान्य तिलक के लिए यह सारा प्लेग बाँट देशवासियों के लिए अत्यन्त दुर्भाग्य के समान था । जहाँ एक ओर उद्दान सरकार की नीति और उसके क्रियावय पर बठोर आक्रमण किया वहीं उद्दाने अपने देगवासियों और विशेषकर धनी व्यक्तियों और स्वयं भू नेताओं पर भी बठोर प्रहार किया । ४ मई १८६७ को उन्होंने केशरी में लिखा, "नया भारतीय समाज के नेताओं का यह कर्तव्य

नहीं था कि वे सनिकों द्वारा किए गए भ्रवधानिक और गैरकानूनी कार्यों के विरुद्ध को-उपाय निकालने जिम्मे कि उनके साथी नागरिक प्लेग और घर घर योरोपियन सनिकों रूपी रोग के पहुँचने से बचाए जा सकते। क्या वे अपने आपदप्रस्त भाइयों की व्यावहारिक सहायता करने के लिए कम से कम अपने स्थान पर डटे रहे? उसने स्वयं ही उत्तर दिया नहीं उन्होंने नगर से भागकर अपनी रक्षा करने का प्रयत्न किया और दूर से ही पूना के नागरिका का सनिकों के अत्याचारों को सहन करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।

तब तक की इस बात का गहरा क्षोभ था कि जब सरकार अत्याचारी हो उठी तो भी जनता में उसे दहित करने की क्षमता और योग्यता नहीं थी। पूना के समाचार पत्रों ने लोगो का आह्वान किया कि कम से कम तुमको अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने तथा स्वयं को तथा अपने भाई बहिनो की अपमान से रक्षा करने के लिए आन्दोलन खड़ा करना चाहिए। ३ मई और पुन १६ मई १८६७ को 'सुधारक' ने खेद के साथ लिखा, 'लज्जा की बात है कि पृथ्वी पर एक भी ऐसा देश नहीं है जिसके निवासी हमारे जैसे मर पा सकें' पत्र न स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो कानून की अवहेलना करते हैं उन्हें कानून की शिक्षा दो' और यदि सनिक गैरकानूनी काम करते हैं तो उनका विरोध करने में सह्योच मन करो। पत्र ने लिखा कि पूनावागियों को अत्याचार का विरोध करने में महाराष्ट्र के सामने एक उदाहरण रखना चाहिए और ग्रामीणों को 'अपनी स्त्रियों की अपमान से तथा अपनी सम्पत्ति के लूटे जाने से रक्षा करने के लिए आत्मरक्षा करने की तयारी करना चाहिए।

महाराष्ट्र मित्र ने २६ अप्रैल १८६७ के अंक में लिखते हुए जहाँ मराठों के उन विरोधित कार्यों की याद की और सराहना की जिन्होंने मुगल साम्राज्य के मध्य भाग में हिन्दू साम्राज्य की स्थापना की वहाँ इस बात पर खेद प्रकट किया "कि उनके पतित वंशज आज उन सनिकों के सामने भयभीत होकर भागते हैं जबकि वे घरा का निरीक्षण करने आते हैं और उनके अत्याचारों का तनिक भी विरोध नहीं करते।"

यह स्पष्ट हो गया था कि भारत के क्रांतिकारी इतिहास में वह क्षण आ गया था जब कि शांतिप्रिय भारतीय खुले रूप से बिना भय के आत्मरक्षा के लिए सरकार के कुकृत्यों के विरुद्ध प्रतिरोध और प्रतिशोध की बात करने लगे।

सावधान विदेशी पत्रकारों को इस सुझाव में जो राजनीतिक आंदोलन को मोड़ देने की शक्ति थी उसको देख लेने में नहीं लगी। उ होने खुले रूप में कहा कि तिलक के परामर्श का परिणाम होगा शांतिमय और सिरा का टूटना। लोकन्याय तिलक ने स्पष्ट शब्दों में इन शरारत मरे सकेतो को चुनौती दी और कहा "मैं जो ईमानदारी से विश्वास करता हूँ वह यह है कि प्लेग के सबब में जो पग उठाए गए हैं उनकी बढोतरता उस जन असंतोष के लिए उत्तरदायी है न कि वे लेख जो समाचारपत्रों में छपे हैं। सरकार ने लोगो की शिकायतों की जांच के लिए जो आयोग बठाया उसकी रिपोर्ट इस प्रकार थी— "घर घर जाकर प्लेग के रोग से पीड़ितों के निरीक्षण करने की पद्धति लोगो के लिए निता न असहनीय थी। प्लेग को रोकने के उपायों को वे प्लेग से भी अधिक भयकर मानते थे।"

उनका एक दूसरा धुरा रूप यह था कि ऊंचे और नीचे सभी लोगो को एक साथ अविवेकपूर्ण तरीके से एक ही शिविर में रखा गया। बम्बई के देशभवतो ने

रड के नृपस भत्याचारी कुटुम्बों के प्रति अपने शोभ की भावना को प्रदर्शित करने में देरी नहीं की। उन भत्याचारों के जनक को सीधे ही दण्डित किया गया। २२ जून १८६७ को उसको दण्ड देने का दिन आया। उस दिन पूना में महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक के साठवें वार्षिक उत्सव पर रड तथा एक दूसरा अंग्रेज किसी की गोली के शिकार हो गए।

रड की हत्या को भारत में लोग ने एक छुत्कारे और सतोप की भावना के साथ सुना। २७ जून १८६७ के अंक में 'राजन गोल्फार' ने लिखा—'यह दिन के प्रकाश की भांति स्पष्ट है कि हत्यारा ने उन व्यक्तियों का रक्षित बहाया जिन्होंने नगर में भत्याचारपूर्ण कठोरता से पृथक्करण की नीति को लागू किया था।' रड की हत्या पर पूना के अंग्रेजों के क्रोध और आतंक की भावना का १ जुलाई १८६७ के 'जामए जमशेद' के नीचे लिखे वाक्य में प्रतिबिम्ब झलकता है पूना के अंग्रेज पागल हो उठे हैं। अब उ हैं इस बात का अनुभव हुआ है कि अपने जाति भाई का रक्षित बहाया जाता है तो हत्यार को बसी गहरी चोट लगती है।'

यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि १८६७ के मध्य में १८६६ के पूर्वाध भाग में जो घटनाएँ घटीं उन्होंने विशेषकर उन दुष्ट अधिकारियों और गुप्तचरों के विरुद्ध प्रतिशोध के युग का गुभारम्भ किया कि जो अपना बलिदान देकर भी देशद्रोहियों और भत्याचारियों की एक पाठ पढ़ाना चाहते थे। १८६६ में मंत्र मेला ने भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सशस्त्र क्रांति और खुला विद्रोह करने की नीति को स्वीकार किया। १९०४ में उसका नाम परिवर्तन कर 'अभिनव-भारत' कर दिया गया। उसका दृष्टिकोण विस्तृत और उसका कायक्षेत्र केवल नासिक और बम्बई ही नहीं उसके बाहर विस्तृत क्षेत्र अर्थात् सम्पूर्ण भारत स्वीकार किया गया।

### गौरवपूर्ण प्रतिशोध (१८६७-६६)

जनता द्वारा विरोध करने और चेतावनी देने के साथ-साथ उसकी घोर अपेक्षा कर निःशस्त्र जन सख्या पर भत्याचार करने का कठोर प्रतिशोध लिया गया यह उसकी कहानी है। जिस और से प्रतिशोध का यह कार्य हुआ वह तो नितान्त अनापेक्षित नहीं था परन्तु जिस प्रकार प्रतिशोध लिया गया वह भत्याचार करनेवालों और भत्याचार से पीड़ितों दोनों की कल्पना से बाहर था, और उन्हें उसका स्वप्न में भी मान नहीं था। उसने प्रतिशोध लेने के लिए जिस प्रविधि का राजनीतिक क्रांतिकारी क्षेत्र में समावेश किया वह घातक रूप से प्रभावकारी और द्रुत था। यद्यपि भारत में ब्रिटिश शासनकाल में यह प्रथम क्रांतिकारी प्रतिशोध था परन्तु उसके निष्पादन की श्रद्धता में वह अत्यन्त श्रेष्ठ उदाहरणों में से एक था।

दामोदर छापेकर — दामोदर हरी छापेकर दक्षिणी चितपावन ब्राह्मण पूना का निवासी था। वह कुशल खिलाडी था और खेलबूद में उसकी गहरी रुचि थी। व्यायाम तथा शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा उसने अछूट सहनशक्ति अर्जित करली थी। सैनिक प्रशिक्षण के लिए उसकी रुचि थी, दो बार उसने सेना में प्रवेश पाने की चेष्टा की किन्तु वह दोनों बार असफल रहा। उग्र राष्ट्रवादी होने के साथ-साथ उसका अन्तर देशभक्ति की भावना से अत्यन्त प्रीत था। एक बार फरग्यूसन कालेज के मदान में उसने मुक्की को सम्बोधित करते हुए भाषण दिया कि फुटबाल और क्रिकेट

खेलना छाड़कर तलवार चलाना, पत्थर से निशाना लगाना सीखना चाहिए और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुणता प्राप्त करनी चाहिए। उनमें विद्याविधो और भय तच्छणो को कदायद, तथा सनिक क्रीडा तथा सनिक शिक्षण देने के लिए एक संगठन खड़ा कर लिया जहा तरण उसके निर्देशन में सनिक प्रशिक्षण प्राप्त करते थे।

रड के अत्याचारों के कारण जो जनता को अत्यंत पीडा और अपमान का जीवन व्यतीत करना पड रहा था उससे उसका अंतर मर्मात्क पीडा से भर गया। उस अत्याचार से पीडित जनता को छुटकारा दिलाने के सभी उपाय निष्फल हो चुके थे उसके धर्म का बाध टूट चुका था अतएव उसने रड का प्लेग सम्बन्धी काय का संचालन करने के काल में ही वध कर देने का विचार किया। १८६७ के मई मास के अन्तिम दिना में वह बम्बई से पूना आया। उसने एक लाइस सदार दूकानदार से बारूद और छरों खरीदे। २५ मई तक वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के प्रयत्नों में लगा रहा और उस ऐतिहासिक दिवस पर उसने उन वस्तुओं का लाभायक उपयोग किया। सोभाग्यवश उसकी योजना को अनुकूल परिस्थिति भी सहज ही सुलभ हो गई। लायकदिपुल के महादेवी के मंदिर का पुजारी प्लेग के भय से मंदिर छोड़कर भाग गया था अतएव दामोदर ने स्थानापन्न पुजारी का काय स्वीकार कर वहाँ डेरा जमा दिया। चौदहवीं बम्बई देशी अश्वारोही सेना वहाँ मंदिर की सुरक्षा के लिए नियुक्त थी। जबकि सतरी एक शवदाह क्रिया में सम्मिलित होने के लिए गए और वहाँ कोई नहीं रहा तो दामोदर दो मार्टिनी हैनरी राइफल (क्रम संख्या ४६८ और ५३२) तथा एक तलवार उठाकर चलता बना। उसने उन राइफलों के उपयुक्त कारतूम प्राप्त करने का प्रयत्न किया परंतु असफल रहा तब उसने अपना ध्यान विस्तार तथा अय अस्त्र शस्त्रों की ओर केंद्रित किया कि जिह उसने अय स्थानों से प्राप्त किया था।

जब रड पूना पहुँचा तो दामोदर और उसके साथी उसको अच्छी तरह से पहचानने के लिए उनमें से एक न एक लगातार रड का एक स्थान से दूसरे पर पीछा करता रहा। जहाँ रड जाता दामोदर का कोई न कोई साथी वहाँ अवश्य पहुँचता। दामोदर के सबसे छोटे भाई बामुदब ने रड की भावतो और वह कहा जाता है उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। घटना के चार पाँच सप्ताह पूर्व दामोदर रड की गाड़ी के साईस के पास गया और उससे प्रायना की वह रड से उसका साक्षात्कार करादे जिससे कि वह उसे नौकरी के लिए प्रार्थनापत्र दे सके। वह दो तीन बार इसी बहाने रड के बगले गया। उसने दो बार वहाँ के डाकिए से रड के निवासस्थान का पता पूछा और जब उसको निश्चय हो गया कि वही रड का निवास स्थान है तब दामोदर और उसके दल ने अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए विस्तार से उस पर विचार करना आरम्भ किया। महारानी विकटोरिया के जुबली समारोह के दिन रड को एक पत्र मिला उसमें लिखा था 'भाज तुम मार दिए जाओगे' परंतु रड ने उस पत्र की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। जुबली समारोह का कार्यक्रम समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया था। दल के प्रत्येक व्यक्ति को उसक जिम्मे निर्धारित काय सौंप कर उसे यथास्थान नियुक्त कर दिया गया था। उस दिन की पिछली रात्रि को रड की गतिविधियों के ऊपर बहुत समीप से दृष्टि रखी गई थी। भवितभ्यता वाले उस दिन ३२ पुन १८६७ को दल रड की खोज में कौन्सिल हाऊस गया। दल ने रड की गाड़ी

की खोज की परंतु उसकी गाड़ी बहा नहीं थी अथ अधिकारियों की गाड़ियां बहा थी जो वहां भाए थे। उसके उपरान्त वे सत मेरी के गिरजाघर गए और वहा उन्होंने रड को देखा। क्योंकि वहा बहुत अधिक भीड़ थी तथा अथ परिस्थितिया भी अनुकूल नहीं थी अतएव उस क्षण कोई कायवाही नहीं की गई। इसके उपरान्त दल के सदस्य साय-काल साडे सात बजे राजकीय भवन के समीप गनसखड भाए और उन्होंने रड को अपनी गाड़ी में अंदर जाते देखा परन्तु वहा की तेज रोशनी की चमक उनके लिए सुविधाजनक नहीं थी।

रात्रि के ११ ३० पर दामोदर राजकीय भवन के फाटक पर डट गया। बालकृष्ण को सडक के एक किनारे कुछ दूर पर जमा दिया गया। उन लोग के पास दामोदर और माधव बिनायक रानाडे द्वारा लाए हुए पिस्तौल तथा तलवारें थी। हथियारों को उन्होंने अपने बस्त्रों में सावधानी से छिपा रक्खा था। तलवारों पर पुरानी पगडों को लपेट लिया गया था।

राजकीय भवन से जो भी योरोपियन बाहर निकलता दामोदर उसके मुख की ध्यान से देखता। जब रड बाहर निकला तो उसने उसे थोड़ी दूर सडक पर कुछ गज की दूरी तक जान दिया। उसके पीछे पीछे थोड़े अंतर पर आयस्ट की गाड़ी थी। जब रड की घोडा गाड़ी दामोदर से दस कदम आगे बढ गई तो वह गाड़ी के पीछे दौडने लगा और उसने अपने और गाड़ी के अंतर को बढने नहीं दिया। वह दाइ और दोड रहा था जब वह एक स्थान पर पहुँचा जो 'जमनेदजी जीजीभाइ' के पीले रंगे हुए मकान के सामने था, बालकृष्ण ने सनेत दिया और चिल्लाया 'नारया-नारया' तब दामोदर सडक पर तेजी से दौड़ा और उसने रड की गाड़ी से अपने दस कदम के अंतर को समाप्त कर दिया। गाड़ी का हड चढ़ा हुआ था और पीछे का पल्ला नीचे बसा हुआ था वह कुछ समय तक गाड़ी के साथ दौडा और उसके पीछे चढ़ गया। उसने पल्ले को खोल लिया। उसने तुरन्त अपनी पिस्तौल निकाली तानी और पिस्तौल लगभग रड की पीठ से छू रही थी तभी उसने पिस्तौल दाग दी। आयस्ट पति पत्नी लगभग सडक पर चौपाई मील की दूरी पार कर भाए हागे, जबकि उन्होंने ठीक अपने सामने पिस्तौल की आवाज सुनी। एक फुर्तीला व्यक्ति रड की बग्गी के पीछे से कूदते हुए और दाईं ओर भागते हुए दिखलाई दिया। श्रीमती आयस्ट अपने पति से उस घटना का उल्लेख कर रही थी कि उनकी गाड़ी के पीछे से उसी समय रानाडे की पिस्तौल की गोली चलने की आवाज हुई और आयस्ट मर कर श्रीमती आयस्ट की गोदी में गिर पडा।

दल के आदमियों ने तलवारों को समीप ही एक पुलिया में फेंक दिया। वे बड़ी तेजी से खेता में से होकर भागे और बिना किसी के द्वारा देखे गए शहर में पहुँच गए। उन्होंने सभी हथियारों को समीप के एक कुए में डाल दिया। दोपी व्यक्तियों को पकडने के लिए बड़ी तेजी से खोज की जाने लगी। दामोदर को ६ अगस्त को पकड लिया गया। अपने बयान में उसने कहा कि उसने सुधारवादी दल के कुछ गण्यमाय व्यक्तियों के उत्साह को कम करने का प्रयत्न किया था। विशेषकर (१) गाडगिल का उत्साह भंग कर दिया (२) 'सौदारक एक मराठी दैनिक के सम्पादक को उसने पीटा था जिसने तिसक के विरुद्ध लिखा था (३) उसने कुलकर्णी एक अथ संपादक को भी पीटा जिसने तिसक को गाली दी। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने

महाराजी विक्टोरिया की मूर्ति पर कोसतार पोते दिया और उसके गले में जूतो की माला पहनाई। इसके अनिरीकृत उसन बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा बोड हाउस ब्रिज के निकट मद्रिब्यूलेशन पराक्षा के लिए खड़े किए गए विशाल मंडप को आग लगाकर नष्ट कर दिया तथा पूना में सरकार द्वारा सरकारी अफसरों के मनोरंजन के लिए खड़े किए मंडप में आग लगाई।

रड ३ जुलाई १८६७ को प्रात ३ १८ पर मर गया और आयस्ट की तो तुरन्त ही मृत्यु हो गई थी। ६ अगस्त को दो व्यक्ति और पूना की इस दोहरी हत्या के सदेह में पकड़े गए और उ ह बंदीगृह में रख दिया गया। १४ अगस्त १८६७ को दामोदर को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया।

दामोदर की गिरफ्तारी से मिलनेवाली जानकारी व परिणाम स्वरूप कई स्थानों की तलाशी हुई जिससे उनकी हत्या के लिए की गई तयारी और उहोन जो हथियार इकट्ठे किए थे उनका पता चला। उस तलाशी में दो मार्टिनी हैनरी राइफलें, एक तलवार की बिच, पांच बरल का एक रिवाल्वर दो भालों के फल, एक पिस्तौल, दो पीतल के कारतूस, चार चादी का मूठवाली और दो सोने की मूठवाली तलवारें, एक बड़ा चाकू तथा चार गुप्तिया प्राप्त हुई। प्रारम्भिक 'मायिक जाच के उपरांत दामोदर को घारा ३०२ ३०६ इंडियन पनल कोड तथा ३१४ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड व अ तगत पूना फौजदारी सेशन अदालत के सुपुद कर दिया गया। सेशन अदालत ने २४ जनवरी १८६८ को मुकदमे की सुनवाई प्रारम्भ की इस बीच में ३१ जनवरी १८६८ को बालकृष्ण पकड़ा गया और उसके भाई पर भी उसके साथ दोषी होने का आरोप लगाया गया।

३ फरवरी १८६८ को जब जज ने ज्यूरी को अपनी राय बतला दी तो ज्यूरी के सदस्य अदालत छोड़कर परस्पर परामर्श करने के लिए चले गए। आपस में बात-चीत करने के उपरांत ज्यूरी ने अपना मत घोषित किया कि अभियुक्त हत्या के अपराधी नहीं हैं अपसहाय्य के दोषी हैं। उसके उपरांत एक असाधारण पद्धति अपनाई गई (अमृत बाजार पत्रिका ४ फरवरी १८६८) सेशन अदालत ने ज्यूरी से जिरह की और जिरह के बाद ज्यूरी ने अपनी राय बदली और कहा "संभवत अभियुक्त हत्या के स्थान पर मौजूद था। कुछ और अधिक समय के उपरांत और सम्भवत और अधिक जिरह के बाद ज्यूरी ने उसके दोषी होने की घोषणा कर दी।

दामोदर को मृत्यु दण्ड दिया गया। जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो वह प्रसन्न था उसने पूछा कि क्या इससे भी कोई ऊचा दण्ड होता है। प्रतीत करने पर उच्च न्यायालय ने २ मार्च १८६८ को मृत्यु दण्ड की पुष्टि कर दी।

जब वह फासी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो वह नारायण जय गोपाल हरी भाई देवतामों और भगवान के नाम का जाप करता जा रहा था। उसन जेल के अधिकारियों से प्रायना कर तिलक की भगवतगीता की एक प्रति मगवा ली थी जिसे वह अपने हाथ में लिए हुए था।

दामोदर उस समय मृत्यु के सामने खड़ा था प्रात काल का समय था देर हो रही थी, समय हो गया था मजिस्ट्रेट को आने में देर हो गई तो दामोदर ने व्यग में कहा कि मेरी अभी तक यह मायता थी कि ब्रिटिश राज्य में सदैव समय की पाबंदी है क्योंकि उसके अधिकारियों को समय के पाबंद होने के लिए वेतन दिया जाता है।

उस सारे समय बंदी दामोदर अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में था, और योरोपियों की समय को पाबंदी के बारे में उसका व्यंग भरा कथन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वह साहस के साथ निघडक होकर फासी के तख्ते पर चढ़ गया। जब उससे पूछा गया कि उसे कुछ कहना है तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं कहना है। मृत्यु के सम्बन्ध में उसने कहा कि रड की पिस्तौल की गोली से मृत्यु हुई, भय लोग घोड़ी पर से गिर कर मरते हैं और मेरे भाग्य में फासी से मृत्यु लिखी थी। उसने प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु का भालिगन किया। यह मृत्यु वास्तव में भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन की सबसे पहली आहुति थी जो स्वयं उसके गौरव के अनुकूल थी। वह अपने परिवार को संदेश देकर मृत्यु की चिर निद्रा में हसते हसते सो गया।

मृत्यु के आघात से भी दामोदर के हाथ से भगवतगीता की पुस्तक नहीं छूटी जिसे उसे फासी के समय ले जाने की आज्ञा दे दी गई थी। वह मजदूरी से पुस्तक को हाथ में पकड़े हुए थे जो कि ज्यों की त्यों उसके हाथ में थी। सब को उसी दशा में पुस्तक सहित दाह स्थल पर ले जाया गया। इससे पूर्व दामोदर ने कहा कि यह पिछली रात्रि को गहरी नींद सोया और यह सब क हित के लिए शांति से मरना चाहता है।

दामोदर हरी छापेकर को दरबदा सेंट्रल जेल में १८ अप्रैल १८६८ को ६ बज कर ४० मिनट पर प्रातः काल फासी दे दी गई। उस भय आत्माहुति के दिन को समस्त राष्ट्र को भयत वृत्तज्ञतापूर्वक याद करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। कृतघ्न राष्ट्र उसे भूल गया।

बालकृष्ण— गणेशखिड की घटना के उपरान्त बालकृष्ण पूना से निकल गया और भूमिगत होगया। सरकार ने दामोदर छापेकर के साथियों की गिरफ्तारी के लिए बीस हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा की। पुलिस का संदेह यह था कि वे बालकृष्ण के भलावा भय व्यक्ति भी थे। बालकृष्ण बड़े दिनों में हैदराबाद में गिरफ्तार होगया किन्तु ब्रिटिश न्यायालय में उसका मुकदमा ही सबे इसमें थोड़ी कठिनाई हुई। निजाम सरकार ने १८६८ की प्रत्यापण-संधि की धारा ५ के आधार पर यह दावा किया कि ब्रिटिश अधिकारियों ने बालकृष्ण को उन्हे सुपुद करने के लिए जो प्रायनापत्र दिया है उसके समयन में केवल एक सह अपराधी द्वारा अपराध मगीकरण मात्र उपलब्ध है जिसकी अन्य किसी प्रमाण से पुष्टि नहीं होती, अतएव बालकृष्ण का प्रत्यापण 'याचोचित नहीं है।

अतः में यह मामला निजाम के सामने ले जाया गया और सर्व शक्तिमान रीजिडेंट ने द्विज हाइनस निजाम से इस संबंध में बात की और इस मामले के महत्व और आवश्यकता को बतलाया। विशेष परिस्थितिवश निजाम सरकार को झुकना पडा उसके लिए दूसरा और कोई चारा न था। रीजिडेंट ने बम्बई सरकार से प्रार्थना की कि वह घोषित पुरस्कार की भाधी रकम अर्थात् दस हजार रुपये निजाम सरकार की पुलिस में वितरित करने के लिए दे द।

बालकृष्ण के विरुद्ध १० फरवरी १८६६ को नगर दण्डनायक की अदालत में अभियोग प्रारम्भ हुआ। उस पर २२ जून की रात्रि को रड और आयस्ट को मारने का आरोप लगाया गया। नगर दण्डनायक ने मुकदमे की २२ फरवरी के लिए स्वगित कर दिया। अदालत में उसका भाई वासुदेव हरी छापेकर मिला जो अदालत में मौजूद था वह भाई को देखकर भावावेश के कारण द्रवित हो उठा। उसने भाई



को गले लगाना चाहा किन्तु उसे भाई से मिलने नहीं दिया गया। १८ मार्च १८६६ को जज ने बालकृष्ण को मृत्यु की सजा सुना दी। मृत्यु दण्ड की आज्ञा सुनकर बालकृष्ण ने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा "बहुत अच्छा"।

रड और मायस्ट की हत्या से वासुदेव और रानाडे का सम्बन्ध स्थापित करने में पुलिस को अपेक्षाकृत बहुत लम्बा समय लगा। समय समय पर वासुदेव को परीक्षण पुलिस स्टेशन पर उन दो हत्यामो के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया जाना था। क्रमशः उसे पता हो गया कि उसको दूसरे भाई के विरुद्ध गवाही देनी होगी। यह उसकी अपने भाई के प्रति भ्रमण स्नेह की भावना के विरुद्ध कठोर आघात था। उसका भाई उसके लिये एक मित्र, दार्शनिक ज्ञानदाता और गुरु तीनों ही था।

उसे यह ज्ञात हो गया था कि पुलिस के दो मुखविर द्राविड बंधु उसके बड़े भाई दामोदर को पकड़वाने और उसे दंड दिलाने के लिए उत्तरदायी थे। वासुदेव यद्यपि मायु में बहुत छोटा किशोर था परन्तु उसने उन लोगों से जि होने उसका सवनाश किया बदला लेने का निश्चय कर लिया। उसने दृढ़ निश्चयपूर्वक अपने काय को पूरा करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। सतकता और सावधानी को उसने त्याग दिया।

पुलिस का एक हेड कास्टेबिल रामा पाहू था। उसने इस मामले की ध्यानबीन करने में बहुत उत्साह दिखाया था और दामोदर की गिरफ्तारी में उसका बहुत बड़ा हाथ था। वासुदेव का ध्यान रामा की ओर था। वह उसको अपने कायक्षण से सदैव के लिए हटा देना चाहता था। यह याद रखने की बात थी कि बालकृष्ण का भाग्य अघर में भूल रहा था और वह हेड कास्टेबिल उस मुकदमे में एक महत्वपूर्ण घटक था। ३ फरवरी १८६६ को जब कास्टेबिल अपने घर जा रहा था तो वासुदेव ने उस पर गोली चलाई पर तु गोली घोडा दबान से पहले ही अचरमात बाहर निकल कर गिर गई और कास्टेबिल बच गया।

वासुदेव ने अपने एक निकट सम्बन्धी से कहा क्योंकि उसे अपने भाई के विरुद्ध गवाही देनी होगी अतएव उसने उस रात्रि में किसी को मारने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। जो कुछ भी अभी तक किया गया उससे वे सतुष्ट नहीं थे। अतएव वे रामा पाहू की खोज में निकले कि जिससे उसके जीवन का अन्त कर दिया जाय।

मुखविर को उसका उचित वेय— जसा कि पिछली कई रातों में हुआ वैसा ही ८ फरवरी १८६६ को रात्रि को हुआ जब कि द्राविड बंधु मारे गए। वासुदेव अपने मित्र के साथ रामजी के अपने प्रतिदिन के रास्ते पर गुजरने की प्रतीक्षा में खड़ा रहा परन्तु वह नहीं आया और उसको मारने की योजना को तिलाजलि देनी पड़ी। तब उनके मस्तिष्क में विचार उठा कि द्राविड बंधुओं को देखा जावे। जब ९ और १० बजे रात्रि के बीच वे द्राविडों के मकान पर पहुँचे तो द्राविड बंधु ताश खेल रहे थे। उनसे दो व्यक्ति जो पजाबी वेपभूषा में थे मिले और उन्होंने उनसे कहा कि सुपरिटेंडेंट पुलिस गणपति राव गणेश और रामधर से एक अत्यन्त गम्भीर आवश्यक तथा महत्वपूर्ण मामले पर बात करना चाहते हैं। गणेश ने उन दोनों से कहा कि वे आगे चलें वह खेल खतम कर आ ही रहे है।

दोनों व्यक्ति अपने चेहरे पर मुसौटा पहिनकर एक दीवार के पीछे द्राविड बंधुओं की प्रतीक्षा कर रहे थे। अन्त में दोनों भाई नीचे उतरे और उन लोगों की ओर चले जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बहुत भागे नहीं बढ़े होंगे जबकि पिस्तौल

की गोली चलने की आवाज सुनसान रात्रि में गूँज उठी। द्राविडों की माता जो कि पहले से ही अपने मन में बहुत सशयशील और भयभीत थी बहुत जोर से विल्लाई कि मेरे पुत्रों को मार डाला गया। द्राविडों के दो छोटे भाइ तुरंत घटनास्थल पर पहुँच गए और उन्होंने देखा कि गणेश और रामचन्द्रराव बहुत गम्भीरता से जग्गी हो गए हैं। गणेश घटना स्थल पर ही मर गया और रामचन्द्र दूसरे दिन मर गया।

गणेश शंकर द्राविड सरकार का छापेकर बन्धुओं को पकड़वाने, उनको दण्ड दिलाने और उनको फाँसी दिलाने का मुख्य भ्रवलम्बन था। उसका जीवन अपराधों से भरा हुआ था। वास्तव में उसका एक विश्व खलित अपराधी का जीवन था। २० वर्ष की आयु में गणेश इस्पेक्टर जनरल पुलिस पूना के कार्यालय में तैफर हुआ, अनुशासन-हीनता के अपराध में उसके वेतन में दस रुपए मासिक की कमी कर दी गई थी। अपनी इस हानि को पूरा कराने के लिए और बढ़ला लेने की भावना से वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के हस्ताक्षरों का जाल बनाकर अपने वेतन बिल का नकद रुपया बम्बई के महालेखापाल कार्यालय से लेने में सफल हो गया। परंतु शीघ्र ही उसकी जालसाजी पकड़ी गई और उसे तीन वर्ष की कड़ी कैद की सजा दे दी गई। उसने जेल के अधि-कारियों से साठ गाठ करके लेखक का काय प्राप्त कर लिया और उसको कदियों के टिकटों के लिफ्तने और भरने का सरल काय दे दिया गया। कुछ समय में उसने स्वयं अपने और एक साथी कैदी के कद से छुटकारे की जाली आजा बनाली। वे दोनों कद से छोड़ दिए गए। लेकिन पुलिस ने पीछा करके फिर उसे पकड़ लिया और हाईकोर्ट सेशन के न्यायालय में उपस्थित किया। न्यायालय ने उसे डीठ अपराधी घोषित कर दो वर्ष का कठोर कारावास प्रदान किया। इसी बीच गणेश दामोदर को पकड़वाने में वह पुलिस का सबसे बड़ा सहायक सिद्ध हुआ और २४ जुलाई १८९१ को उस सेवा के उपलक्ष में उसे धमा प्रदान कर दी गई और वह छूट गया।

उसे घोषित पुरस्कार की रकम का एक भाग ही मिला। पुरस्कार की रकम पूरी नहीं मिली। अतएव अपने पुरस्कार के लिए उसने पुलिस से भगड़ा किया और उसकी सुने धाम निंदा की। दुर्भाग्यवश उसने जो कुछ रकम पुरस्कार के रूप में प्राप्त की थी उसका बहुत बड़ा भाग ही अपने भ्रान्त भोग पर व्यय कर सका। उसकी हस्या कर दी गई जिससे कि आगे अपने पुरस्कार की मांग को सरकार द्वारा पूरी कराने के लिए वह प्रयत्न न कर सका।

द्राविड बन्धुओं ने जो जानकारी और सूचनाएँ पुलिस को दी उनके आधार पर पुलिस को यह सदेह हो गया था कि रेंड की हत्या उस क्लब के सदस्यों का काम था जिसे दामोदर ने स्थापित किया था। रानाडे, वामुदेव और एक अन्य सदस्य ३० फरवरी की पराशखाना बुनाए गए। वामुदेव ने रानाडे से कहा कि वह अपने साथ एक भरी हुई पिस्तौल ले जावे और रामा या अन्य जो भी उसको अपनी योजना को पूरा करने में बाधा पहुँचाए गोली मार दे। यह उनके लिए बहुत आसान था वे लोग सप्ते बपडे की बेली में पिस्तौल रखते और बपडों के अन्दर कंधे से सटकाए रहते थे। जब वे लोग फर्राखान पुलिस स्टेशन पहुँचे तो उ हैं मायकाल तक इतजार कराया गया। पुलिस बाहर जाच पड़ताल करने में व्यस्त थी। साथ-साथ होने पर पुलिस अधिकारियों ने उन सख्खा से पूछनाछ आरम्भ की और सुपरिटेण्डेंट ने स्वयं वामुदेव से पिछली रात्रि को उसकी गतिविधियों के बारे में

थी। मैं शायलाक की भांति अपने एक पौंड मास के लिए भूखा बनना नहीं चाहता, परन्तु सरकार ने जो राशि पुरस्कार के रूप में घोषित की थी उसको मांगने का मेरा अधिकार है। यह कहा गया कि भाषा पुरस्कार इसलिए सुरक्षित है कि बालकृष्ण अभी तक पुलिस के कब्जे में नहीं आया है।

मैं इस व्यक्ति की सूझ की तो प्रशंसा करता हूँ परन्तु उसके तक के सम्बन्ध में वसा नहीं कह सकता। यदि बालकृष्ण अत्यन्त सतक और सावधान है और पुलिस उसकी ही अक्रमण्य और निवन्धी है तो मैं उसके लिए हानि क्या उठाऊँ? जब पुलिस को यह सूत्र मिल गया कि दामोदर और उसके भाई उस दुखद कांड के लिए जिम्मेदार हैं तो प्रत्येक व्यक्ति जिसमें तनिक भी बुद्धि है वह स्वीकार करेगा कि पुलिस ने दामोदर को गिरफ्तार करने और बालकृष्ण को छोड़ देने में केवल भूल ही नहीं भयकर भूल की। इसमें मेरा क्या दोष है कि जो अपसर इस कांड की खोजबीन कर रहे थे उनमें बुद्धि की कमी थी और उसके लिए मुझे हानि उठानी पड़ रही है। यह अजीब-याय है।

अच्छा अब तो बालकृष्ण पुलिस के कब्जे में है और मेरे विचार से पुरस्कार की शेष भागी राशि को मैं मांगने का हक्कार हूँ। अपने एक देशवासी को अविज्ञापित करने (दोषी होने की घोषणा करने) और देशवासियों की दृष्टि में देशद्रोही बनने के लिए चरित्र की दृढता और शक्ति चाहिए। अधिकांश भारतीय मेरे इस काय को इसी दृष्टि से देखेंगे। फिर भी मैंने इस बात का सामना करके अधिकारियों की इस मामले में जो थोड़ी बहुत सहायता कर सकता था की। अब सरकार द्वारा घोषित पूरे पुरस्कार से मैं वंचित रक्खा जाऊँ यह केवल अयायपूर्ण ही नहीं बल्कि निन्द्यतापूर्ण भी है। अवश्य ही मेरे जैसे निधन व्यक्ति के लिए अधिकारियों के विरुद्ध रस्साकशी में जीतना असम्भव है परन्तु मैं आशा करता हूँ ब्रिटिश जाति में जो यायप्रियता की जातीय भावना है वह मेरे प्रति इस आयाय को नहीं होने देगी।

पूना ३१ जनवरी १८९६

मणेश शंकर द्राविड

बोयर युद्ध — पिछली गता गी के अन्तिम चरण में देश के बुद्धिवादी वर्ग में भीषण अशांति की एक अप्रकट धारा प्रवाहित हो रही थी। किंतु ऐसा प्रतीत होता था कि ब्रिटिश शक्ति भारत में इतनी मजबूती के साथ जम गई कि स्थिति ऐसी नहीं है कि भारतीय स्वयं अपने किसी प्रयत्न या विरोध से उसकी प्रतिष्ठा और शक्ति को नीचा दिखा सकें। बुद्धिजीवी वर्ग यह मानता था कि सोते हुए भारत राष्ट्र को जगाने और उसमें साहस उत्पन्न करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में जबकि बोयर युद्ध छिड़ा तो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग उसकी प्रगति को आशा और उत्साह से देख रहा था वह बाहर से प्रेरणा और साहस प्राप्त करना चाहता था। ११ अक्टूबर १८९६ से ३१ मई १९०२ तक युद्ध चलता रहा। ३० अक्टूबर को निकलसन नेक और १६ दिसम्बर को कोलेसो म ब्रिटिश सेनाओं को भारी पराजय का मुख देखना पड़ा और जो अग्रे कुछ स्थानों पर ब्रिटिश सेनाओं को छोटी मोटी पराजय हुई उस पर भारत में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बोयर लोगों की पराजय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परन्तु बोयर लोगों की विजय के बार में भारतीय बड़ी प्रसन्नता उत्साह और गौरव से बान केवल इसलिए करने क्योंकि मुट्टीभर बोयर लोगों ने महा शक्तिशाली ब्रिटिश सेना को पराजित कर लाञ्छित किया था।

हस जापान युद्ध— जापान का रुम से युद्ध भारत के अधिक समीप था। अतएव उसकी प्रगति को भारत में अत्यन्त उत्सुकता और अभिरुचि के साथ देखा जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भारत स्वयं जीवन मरण के सपथ से निकल रहा है। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी कि जब एक एशियाई देश ने जो सत्तार में भौगोलिक विस्तार तथा राजनीतिक महत्त्व की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था पश्चिम के महान शक्तिशाली विशाल देश को चुनौती देने का साहस किया। जापान द्वारा रुम को दी जाने वाली इस चुनौती से एशिया में जो राष्ट्रीयता का उद्रेक हुआ उसका अनुभव भारत में तेजी से हुआ।

जबकि रुम जापान का यह युद्ध पूव के शित्तिज पर आरम्भ ही हुआ था। भारत में यह भ्राम धारणा बन गई कि एशिया का भविष्य रुस जापान युद्ध में निर्धारित होगा। १२ नवम्बर १९०६ को ट्रिब्यून ने इस संबंध में ये विचार प्रगट किए। "छोटे से जापान ने विशालकाय रुस से युद्ध करने के लिए अपनी कमर कस ली है। इस युद्ध के परिणाम पर एशिया का भाग्य निर्भर करता है। यदि वह विजयी होकर सफलता प्राप्त करता है तो एशिया की रक्षा होगी वह बच जावेगा उसका भविष्य आणामय होगा उसकी प्रतिष्ठा ऊंची उठेगी और योरोप की राजनीति भी इस घटना से प्रभावित होने से नहीं बचेगी। छोटा सा जापान सुदूरपूव में ऊया के नक्षत्र की भांति अपने ससत सौन्य और गरिमा को लेकर चमक रहा है मानो वह एशिया के जागरण की घोषणा कर रहा हो।" इसी प्रकार १५ फरवरी १९०४ के कजन-गजट ने लिखा, "यह केवल भारत का ही प्रश्न नहीं है जापान की जय और पराजय के साथ एशिया पश्चिया, चीन अफगानिस्तान और एशियाटिक टर्की का भाग्य जुड़ा हुआ है। आगे पत्र ने लिखा 'यदि जापान इस युद्ध में पराजित हुआ तो सम्पूर्ण एशिया योरोपियनों के अधिकार में चला जावेगा। यदि इसके विपरीत रुस का पराभव हुआ तो एशिया में नव-जीवन का संचार होगा और उसकी स्थायी विनाश से रक्षा हो जावेगी।" रुस जापान युद्ध की घोषाचारिक रूप से ८ फरवरी १९०४ को घोषणा हुई और ६ फरवरी को जापानी पनहुम्बियों ने रुसी युद्ध पोतों पर पोट आयर में आक्रमण किया और न पोट आयर के बंदरगाह पर भीषण बमवर्षा की। १६ फरवरी १९०४ के अंक में 'काल' ने लिखा 'जापान पहला देश है जिमने एशिया में योरोपियन धूटनीति और शक्ति को भागे बढ़ने से रोक दिया। परिणामस्वरुप प्रत्येक भारतीय का हृदय उल्लास और उत्तेजना से भर गया है।" २४ अप्रैल १९०४ के 'युजराती' ने लिखा "ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के सभी बग दौर जापानियों के माध्यम से प्रतिनिधि रूप में रुस से युद्ध कर रहे हैं। आगे पत्र ने लिखा— 'जापान की विजय को खबर उन्हें हर्ष से इतना भर देती है और जापान की असफलता की अफवाह उनमें इतना विषाद भर देती है मानो यदि यह उत्तर की महाशक्ति पराभूत हुई तो उस विजय के फल उनको ही मिलने वाले हैं। ट्रिब्यून १२ मार्च १९०४ 'जापानियों के बारे में १३ फरवरी १९०४ के बगवत्सी ने लिखा कि वे बन् में छोटे हैं परन्तु प्रकृति ने उन्हें लोहे जमा बलिष्ठ शरीर दिया है यद्यपि वे नौसैन्ये हैं परन्तु रणनीशल में पारंगत हैं। वे सब वृद्ध यहाँ तक कि अपनी स्वयंत्रता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को भी बलिदान कर देना जानते हैं। और इससे अधिक क्या जो अपने जीवन को देना जानता है वह अपने शत्रु पर प्रहार भी करना जानता है।"

जापान का रुम के विरुद्ध सघन विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया और गहरी उत्सुकता के साथ उसके परिणाम की प्रतीक्षा की गई यह कहा गया कि उसने पूव में एशिया की स्वतंत्रता के भण्डे को फहराया है और वह परतंत्र भारत की जनसंख्या के हृदय में आशा की रेखा खींचने के लिए पर्याप्त है (काल ८ मार्च १९०४)। प्रत्येक देशमत्त भारतीय यह सोचने लगा है कि एशियायी राष्ट्रों का भव भविष्य में जैसा कि अभी तक योगीयनों द्वारा शोषण होता रहा है अनर्ही किया जा सकता। उसी खेल में 'जाल' ने एशिया के लोगों का इन शब्दों में आह्वान किया। "तुम्हारे दुःख और कष्ट की काली अंधेरी रात्रि समाप्त होने को है। मालस्य छोड़ो, अपने हृदय को पवित्र बनाओ और भगवान को याद कर अपना वस्तु बनना आरम्भ कर दो।" ३ जून १९०४ के अंक में 'प्रतिदण्ड का दिवस' शीपक लेख में उसने सब साधारण का नीचे लिखे शब्दों में आह्वान किया — 'स्वतंत्रता के आगमन का स्वागत करने की तैयारी करो। उदार के दिन का प्रभात होने वाला है और पूर्वीय क्षितिज पर एशिया के वैभव और गौरव का सूर्य उदय होने वाला है।'

पत्र ने लिखा कि हम भगवान से प्रार्थना करें सभी एशियावासी, भारतीय और बंगाली आकाश की ओर देखकर सत्यनिष्ठा और हृदय से प्रार्थना करें "जापान विजयी हो" (बंगवासी १३ फरवरी १९०४) जापान की सफलता के प्रति सच्ची सद्भावना व्यक्त करने के प्रतिरिक्त भारतीयों ने अपने विनम्र तरीके से जितनी सम्भव थी उतनी सक्रिय सहानुभूति भी प्रदर्शित की। बम्बई और कलकत्ते में जापानी रोगियों और जहमी सनिकों की सहायता के लिये और उन जापानी सनिकों की विधवा परिवारों और अनाथ बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए कोष इकट्ठा करने के लिए समितियाँ स्थापित की गईं जो कि एशिया में युद्ध करते हुए धराशायी हुए हो। (ट्रिब्यून १९ मार्च, १९०४)। ८ अप्रैल १९०४ को बंगाली ने नीचे लिखे आशय की कविता प्रकाशित की। 'पूव में प्रभात' जिसे बटरेड शाहवल ने लिखा और उसमें उस भावना और उत्साह को व्यक्त किया जो जापान की सफलता पर भारतीयों के मस्तिष्क में उठे थे।

'जागो एशिया जागो—लाल सूर्य तेजी से आकाश से उदय हो रहा है।'

यानि दास्र उठाओ अपने करोड़ों जन को दास्र धारण करने दो महान दोवार पर तयार रहो।

दातानियों की दाम्नि निद्रा अन्त में आकस्मिक रण दुन्दभी के नाद से दूट गई है।"

"एशिया राडे हो अपने महाद्वीप की रक्षा के लिये खडे हो। अपने दुर्गों की रक्षा करने के लिये अपनी सदाचार बाँध लो। अपनी शीमशायों पर अपने मन्त्रे अथवा सदाच के लिये मोरोर के दास बनकर रहने में सतोग करो।"

"पूव में प्रभात हो रहा है। रक्तिम सूर्य की विरलें प्रकाशमान हैं। अपने अधिकार की रक्षा के लिए आग्रमण करो और बुराई का विरोध करो। अब जबकि शत्रु कुचल और मजबूत पूर्वीय तलवार के आघात से धराशायी होकर छुपटा रहा है।"

युद्ध जापानियों की सफलता के साथ आगे बढ़ रहा था। भारतीयों के मस्तिष्क में जग ४५६ दिन अत्यंत होते गए आशा और भय की भावना तिरोहित होती गई। १० अगस्त १९०४ को जापानी नौसेना ने पोर्ट आर्थर के रुगी जहाजी बड़े को मार

भगाया। १४ अगस्त को महासमूहवाला अजय बलियावाटकर... नदी बड़े का सम्पूर्ण विध्वंस कर दिया गया। १० अक्टोबर को रूसी सेना के पश्चिमी भाग को भीषण आघात लगा जापानी सेनाओं ने उसे बुरी तरह झुकाने दिया और उसे पीछे हट कर मकहन में शरण लेनी पड़ी। ३ जनवरी १९०५ को ऐंगियाई गार्दों का इतिहास पुन लिखा गया जबकि रूस को, पोर्ट ग्रायर को जापान के समुद्र कर हटना पड़ा।

कुछ समय के उपरांत विजयी जापानी सेनाओं ने भयकर युद्ध के उपरांत मकहन में प्रवेश किया। इस भयकर युद्ध में तीस हजार रूसी सैनिक रण मैदान में परासामी हो गए और बालीम हजार रूसी सैनिक जापानियों के कैदी हो गए। इसके विपरीत १० लाख १९०५ की इस विजय के लिए जापानी सेना को कम से कम पचास हजार जापानी सैनिकों का बलिदान करना पड़ा।

ऐडमिरल तोगो ने बचे हुए रूसी जहाजों बड़े को ०७ मई १९०५ को जापान समुद्र के युद्ध में परास्त कर दिया और लगभग चार महीने शांति संधि पर हस्ताक्षर होने में लग गए। ५ सितम्बर १९०५ को पोर्टल माउथ (संयुक्त राज्य अमेरिका) में संधि पर हस्ताक्षर हुए। १६ जून १९०५ के अरु में 'इंडुपका' ने लिखा 'इस प्रकार सगते हुए सूर्य वाले राष्ट्र ने निम्न में पड़े हुए पृथ के समस्त एक अनुभव-दृश्य उपस्थित किया और अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से यह प्रशंसित कर दिया कि पूर्वीय देशों के चरित्र में ऐसा कोई जन्मजात दोष नहीं है कि जो उसे प्रगतिशील-पश्चिम के समान ऊँचा उठने के लिए किसी भी मानवीय कायकलाप के लिए अयोग्य या असक्त बना देता हो।"

अपने पत्रों ने भी इसी प्रवाह में अपना मन एक साथ व्यक्त किया और १६ जून १९०५ के अरु में 'पत्रावी' ने लिखा—'रूसियों को पर्वतों की ऊँचाई पर और घाटियों की गहराई में बुरी तरह पराजित करके, उन्हें स्थल और समुद्र में बार बार हरा कर जापान ने एशिया की प्रतिष्ठा को बढ़ाया उनके अपने घर में सर्वोपरि होने के अधिकार की रक्षा की है और विदेशी साहसिकों की दूरस्थिति का शिकार बनने से बच गया है। इस साहसिक काय से उनका गौरव और प्रसिद्धि में वृद्धि हुई है। इससे सैनिक भी आश्चर्य नहीं कि जापान के गौरव से समस्त एशिया अपने को गौरवान्वित हुआ मानता है और यह अनुभव करता है कि दुर्भाग्य और दरिद्र की घबराती ओ सभी तक उसके ऊपर छाई हुई थी। हटकर एक प्रकाशमान और गौरवशाली प्रभात उतरने वाला है।" प्रत्येक देश जिस पर किसी विदेश का प्रभुत्व है उसको जापान को बर्पाई देनी चाहिए क्योंकि जमा ४ जनवरी १९०५ के जापान-अमेरिका संधि में लिखा 'कम से कम एशिया ने योरोप पर एक ममानक युद्ध में विजय प्राप्त की है।"

कुछ विदेशियों ने इस जापान युद्ध के परिणाम का अपने ही दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। प्रत्येक योरोपीय राष्ट्र के चतुर कूटनीतिज्ञ ने अपने विवेक का उपयोग कर चुप रहना ही उचित समझा। 'अमृत बाजार पत्रिका' ने २६ फरवरी १९०६ को प्रोवोस्ट बंटसवे का मत प्रकाशित करते हुए भारतीय मानस का सही चित्रण दिया था। समाचार पत्र के अनुसार— "जापान की सफलताओं ने मानो महत्वाकांक्षा की एक अग्नि शिखा प्रज्वलित कर दी है। जो उनके विचार

सदिग्ध रूप से धीरे धीरे सुलगनी रहती।”

श्री लीच ने 'दैनिक क्रान्तिक' में लिखा जिसे १० जुलाई १९०५ के 'पजाबी' पत्र ने उद्धृत किया 'यह पश्चिम के अत्याचार के विरुद्ध पूव के विद्रोह का संकेत है।’

'पालमाल गजट' में श्री शिन्ने ने अपने भय को इन शब्दों में व्यक्त किया "जापान की विजय का प्रभाव यह होगा कि भारत की युद्ध प्रिय जातियाँ क्षुब्ध हो उठेंगी और वे जान जावेंगी कि अतत एक एशियाई राष्ट्र के लिए योरोपियनों को पराजित करना सम्भव है।” उसकी गणना थोड़ी गलत हो गई। युद्धप्रिय जातियाँ नहीं सम्पूर्ण बुद्धि जीवी मध्यवर्ग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ।

समस्त भारत और विशेषकर महाराष्ट्र बंगाल और पजाब ने मिलकर देश को पश्चिम की दासता से मुक्त करने का प्रयत्न किया।

### विदेश में प्रयत्न १८९७-१९०६

जून १८९७ में पना बम-बाँड के उपरान्त जो पुलिस ने सर्वत्र घर पकड़ और अत्याचार आरम्भ किया उसमें काठियावाड़ निवासी श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा संशुभित हो उठे। वे पहले १८८४ में एंग्लैंड गए थे और १८८५ में वापस आए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए १८९० में वे चंपचाप बम्बई से लंदन चले गए।

श्याम कृष्ण वर्मा उन लोगों में से नहीं थे जो कि चंपचाप निष्क्रिय बैठे रहें और विवशता के साथ उन सरकारी प्रयत्नों को देखते रहें जो कठोरतापूर्वक सब राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि एक ऐसा संगठन खड़ा किया जाये जो कि भारतीयों के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन की जनता को यह बतला सके कि ब्रिटिश शासन में भारतीय जनता कसा अनुभव करती है। अपने इस विचार की क्रियाविन करने के लिए उन्होंने जनवरी १९०५ से एक अंग्रेजी मासिक "दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट" पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया जिसका मूल्य एक प्रति का एक पता था। वह पत्र स्वतंत्रता तथा राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक सुधार का समर्थक था। वह पत्र मुख्यतः इंडियन नेशनल काँग्रेस के कार्यक्रम का समर्थन करता था परंतु वर्मा ने काँग्रेस से भी आगे बढ़कर हरबट स्पसर के विचारों पर आधारित एक नया राजनीतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। 'अत्याचार का प्रतिरोध केवल उचित ही नहीं अनिवार्य और अलघनीय है" अतिप्रतिरोध पदाय और स्वाय दीनों को हानि पहुँचाता है।" ( इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जनवरी १९०५ )

संपादन के क्षेत्र में पदायण करने के उपरान्त उन्होंने १८ फरवरी १९०५ को इंडियन होम रूल सोसायटी की स्थापना की। उसका उद्देश्य था प्रचार द्वारा भारत के लिए स्वशासन के आंदोलन को आगे बढ़ाना भारतीय जन में स्वतंत्रता के अपहरण के विरुद्ध गहरी जागृति उत्पन्न करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को दृढ़ करना था— श्याम कृष्ण वर्मा किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते थे अतएव वे उतने से ही केवल सन्तुष्ट रहने वाले नहीं थे जो कि उन्होंने अब तक किया था। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के मई अंक में घोषणा की कि अगली जुलाई से वे लंदन में एक छात्रवास खोलेंगे 'इंडिया हाऊस' जिसमें वे भारतीय जो कि छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड में पढ़ने आवेंगे या अन्य भारतीय जिन्हें उसमें रहने के लिए उपयुक्त समझ

जावेगा रह सकेंगे। १ जुलाई १९०५ को इंडिया हाउस की स्थापना हुई और २३ फरवरी १९०७ को इयामजी ने दस हजार रुपए के दान की घोषणा की जिसका उद्देश्य भारत में राजनीतिक मिशनरियों का एक संगठन खड़ा करना था। वे मिशनरी किस प्रकार के होंगे इसकी ध्यास्या हरदयाल ने इस प्रकार की जो कि एक तरफ युवक या और सरकारी छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड में पढ़ने आया था— "उन्हें उद्देश्य के प्रतिरिक्त और किसी से भी प्रेम नहीं होना चाहिए उनके लिए उद्देश्य ही पिता, माता, भाई, मित्र का स्थान लेगा। भीष प्रज्ञता का परामर्श छदम सप के समान प्राज्ञता जिसे वह ने अभिशाप कहा है फिर वह चाहे अपने प्रिय से प्रिय और निकटस्थ सम्बन्धी द्वारा दिया जावे उसे वह प्रस्वीकार करेगा। उन्हें अपना काय धार्मिक भावना के साथ करना होगा। उत्साह और स्वायत्त्याग उनका मागदशक सिद्धांत होगा। उन्हें जापान के कमा डर हीरोज की भांति इस बात का खेद होना चाहिए कि अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए उनके पास केवल एक ही जीवन है" और इयामजी ने स्वयं अपना विद्वांस लगभग उहीं शब्दों में व्यक्त किया जिनमें आर्चबिशप देशभक्त फिटन लेलर ने किया था (सर जेम्स ओ कोनर दी हिस्टरी ऑफ आयरलैंड भाग १ पृष्ठ २६२-६३) 'देश का सम्पूर्ण नैतिक और भौतिक स्वामित्व ऊपर सूय से लेकर नीचे पृथ्वी के मध्य तक अपने ज म सिद्ध अधिकार के रूप में केवल भारतवासियों में सन्निहित है। वे और एक मात्र केवल वे ही अपने देश की भूमि के स्वामी और विधि निर्माता हैं। जो कानून उ होने नहीं बनाए हैं वे सूय और प्रवृत्तिहीन हैं और इस स्वामित्व के पूण अधिकार को उन सभी साधनों से जो कि दबो शक्ति ने मनुष्य की शक्ति और अधिकार में दिए हैं हट निश्चयपूर्वक लागू करना चाहिए।"

जैसे ही हरदयाल भारतीय राष्ट्रवाद के घम में दीक्षित हो गए और ब्रिटेन की इंडियन होमरूल सोसायटी से संबन्धित हुए उन्होंने उस सरकारी छात्रवृत्ति को लेना प्रस्वीकार कर दिया जिसकी सहायता से वे ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे। वे इंडियन होमरूल सोसायटी के कार्यों में सक्रिय भाग लेने लगे और उनके विभिन्न विभागों को सुसंगठित और समायोजित करने में सहायक होकर वे जनवरी १९०८ में अपनी इच्छा परती को लेकर भारत की ओर चल पड़े।

उसी बीच इयामजी ने छात्र वृत्ति देने की अपनी योजना और किस प्रकार उसका उपयोग अंग्रेजी तथा भारत की अन्य मुख्य भाषाओं में साहित्य निमित्त किया जाय तत्संबन्धी योजना की घोषणा की। इंडियन सोसोलाजिस्ट में रात दिन वे पूण असहयोग और ब्रिटिश पासन को अपनी सक्रिय सहायता देना बन्द कर देने और इहताल करवाने का प्रचार करते थे। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे विदेशी सत्ता द्वारा भारत पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने में सम्पूर्ण असहयोग करें साथ ही वे उन सत्ताओं से भी जो सरकार को सहायता करती रही हैं जैसे बैंक नागरिक और सैनिक सेवा यथालय राक्षणिक संस्थाएँ उनसे भी असहयोग करें। ऐंग्लो इंडियन समाचार पत्रों का बहिष्कार किया जावे और सबसे ऊपर इहताल की जावे जो कि क्रान्ति करने का आधुनिक धस्त्र है।

इयामजी वृष्ण वर्मा उन शक्तिपूर्ण उपायों से संतुष्ट नहीं थे जो केवल दासता की गहन पीडा को और लम्बा करते। उनका विचार था कि स्वतंत्रता की ओर प्रगति को अधिक तीव्र बनाने के लिए किसी प्रकार के कठोर विचार प्रसार में



घपनाए जाने वाले उपाय को घपमाना चाहिए ।

घपने पत्र के एक अंक में उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत में सब प्रकार के संगठित छाटोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो कठोर व्यापारपूर्ण रुढ़म उठाए हैं उनका प्रतिकार करने के लिए स्थिति अनुसार भारतीयों को भी शक्ति का उपयोग करना चाहिए । क्योंकि सभी स्वधार्मिक छाटोलन घपपल हो गए इनका कोई प्रभाव नहीं हुआ घनएव भारतीयों को घपने प्राणों और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए घपने शत्रु के विरुद्ध बल का प्रयोग करना चाहिए । दिसम्बर १९०७ में उन्होंने लिखा — “ एसा प्रतीत होना है अब भारत में जो भी छाटोलन किया जाय युक्त रूप से होना चाहिए और ब्रिटिश सरकार के विमर्श को ठीक करने का एक मात्र उपाय रूढ़ी उपायों को निरंतर और तेजी के साथ काम में लाना है । जब तक कि घपने व्यापार को छुड़ाने पर विचार न हो जायें और देश में निकाल बाहर न कर दिए जायें तब तक उन उपायों को काम में लाना होगा । यह सम्भव है कि विद्यार्थी रूप में रूढ़ी लोगों का घपपत्र घपने अधिकारियों के बजाय भारतीय अधिकारियों में किया जाय ' इन्डियन मोडर्नाइजिस्ट ' की प्रतियां नियमित भारत पहुँचनी रहनी थीं और उन्हें बड़ा बड़े भाव और छाटुग्ता से पढ़ा जाता था । इंग्लैंड में ब्रिटिश वेम बहुत चौका और बड़ा के समाचार पत्रों ने उस पत्र के तथा ' इंडिया हाऊस ' की गतिविधियों के विरुद्ध विद्य उगलना घपने कर दिया । घपनी सुरक्षा के लिए श्री दयामजी कृष्ण वर्मा को घपना मुख्य कार्यालय पर्सि से जना पडा यद्यपि पत्र इंग्लैंड में ही छपना रहा ।

जो लोग दयामजी कृष्ण वर्मा के चार्गे और एकत्रित हुए उनमें विनायक दामोदर सावरकर थे जो जून १९०६ में भारत से लान गए थे । उस समय तक विनायक दामोदर सावरकर ने देश की स्वतंत्रता के महान उद्देश्य के लिए होने वाले घपने में घपने को पूरा रूप से भौंक देने का निश्चय कर लिया था । उन्होंने घपने अनुयायियों से उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी कष्ट हो उनमें घपनीत न होने के लिए आह्वान किया । उन्होंने घपने अधूरे काय को घपने योग्य बड़े भाई गणेश दामोदर को सौंप दिया जिन्होंने ' अभिनव भारत समिति ' की स्थापना की थी और जिसने भावी वर्षों में भारत की स्वतंत्रता के पाने में घपने महत्वपूर्ण काय किया ।

शांति भंग की चेतावन ( १९००-१९०५ )

हिंसा का समयन— स्वतंत्रता के छाटोलन में लोक माय तिलक के पत्र ' केसरी ' ने जो माहमपूर्ण भाग लिया था वह सब विदित था । उसके पश्चात् उसका अनुमण काल एक मरठी माहाहिक ने किया । काल सवर्षम १८९८ में पूना से श्री जिज्जाम सहदेव पराजपे ने प्रकाशित किया था । पराजपे को १९००-१९०४, १९०५ और १९०७ में सरकार न राजद्रोहा मरू लेख निखन के लिए चेतवनी दी थी । १९०८ में उन पर मुकदमा चलाया गया और उहे जेल में बन्द कर दिया गया काल घपने पत्रों की अपेक्षा कहीं अधिक भागे बढ कर खुल शांति में हिंसा का समयन करता था । उसकी मायता थी कि विदेशी लोग केवल हिंसा मरू तरीको का ही अधिमूल्यन करेगे और उनका छाटक और भय से देखेंगे । उसने घपनी युक्ति को क्रमश एक विचार बिन्दु से दूसरे बिन्दु में पिलाकर विकसित किया आरम्भ में उसने भारत की दयनीय और निरुसहाय स्थिति को सामने रखता और उसके पश्चात् उसने जनता को देश की मुक्ति के लिए कृत उक्त्व होने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा

कि यदि आवश्यकता हो तो हिंसा को अपनाया जाये।

'काल' ने मानी कविता में एक सम्वाददाता द्वारा लिखे पत्र पर टिप्पणी करते हुए २५ मार्च १९०४ को हिंदू नव वर्ष के दिन प्रत्येक हिंदू गृह के सामने विजयपताका स्थापित करने की रीति पर क्या तुमने अकजल खां की मारा ' दायक से लिखा जिसका सारांश भाग दिया जाता है। ' तुम विजयपताका क्यों गाड़ते हो ? यह किस साफल्य का स्मृति को ताजा करने के लिए गाड़ी जाती है ? क्या उसको स्थापित करने में तुम केवल एक स्मरण-तात् परम्परा को निबाहत हो ? क्या तुमने भावों को उनकी दुःखा से छुटकारा दिला दिया, और उनको स्वतंत्रता का वरदान दे दिया ? क्या तुमने रणजत्र में युद्ध में विजय प्राप्त की है ? क्या तुमने उन लोगों को निकाल बाहर किया कि जो भारतीयों की ठोकर मारते हैं और जिन्होंने उनकी स्वतंत्रता का भ्रंश कर लिया है ? क्या तुमने अकबरनवा का मार दिया या दुर्दानों का देश से निकाल बाहर किया है ? क्या तुमने रानी भासा के जख्म चारोंपट काय कर यथा विजित किया है ? यदि तुमने इनमें से कुछ नहीं किया तो ध्येय में पताका क्यों गाड़ते हो। पहले विजय प्राप्त करो उसके उपरांत विजयपताका अपने मकान के सामने धड़ी करो। '

समाचार पत्र प्रतिरोध और आत्मनिभरता के महत्व के विचार को देव में फैला रहे थे। २३ अप्रैल १९०४ को वारोसाल हितवी ने लिखा— 'चाटुकारिता और सत्त्वो चणो करने से हम अंग्रेजों का अनुग्रह प्राप्त कर सकेंगे इसकी कोई आशा नहीं है। देवों शक्ति के अटल भाग को बचाकर कौन काल के प्रवाह को रोक सकता है।' बंगाली या तो इस संघर्ष में विजयी होने या फिर इस पृथ्वी पर से उतका अस्तित्व ही मिट जावेगा। आधिकारियों की ओर उस प्यासा चिड़िया की तरह अनुग्रह के लिए मत ताको जो एक बूद के लिए भेषों की ओर टकटकी लगाए रहती है। मनन ऊपर भरासा करना सीखा, अपने परो पर खड़े हो। सावधान रहो व दृढ़ता और साहस के साथ सरकार के प्रत्येक काय का जो अत्याचार के पाप से पाकल है विरोध करो। '

१७ जून १९०४ को 'काल' ने अपने पाठकों को योरीपीय जातियों के अनिवाय भावों जिन्हो को ध्यान से देखने को कहा ' वे अभी तक अगणित व्यक्तियों की क्रूर हत्या को तथा अन्य अनुचित जघन्य कार्यों के दोषी रहे हैं। अब उनको अपने कुकर्मों का दण्ड भोगना पड़ेगा। '

सबसे विजित राष्ट्रों में विद्रोह की भावना जागृत हो गई है और " हमें इसमें छिपे देवों सकेत को पहचानना चाहिए और मद रखना चाहिए कि "जो भगवान की इच्छा है उसको देर तक रोका नहीं जा सकता। "

१२ अगस्त १९०४ के अंक में 'काल' ने लिखा ' भारत की दयनीय दशा का मुख्य कारण भारत में अंग्रेजों की अप्राकृतिक उपस्थिति है। भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के साथ अपने सम्बन्ध के स्वरूप को जानना चाहिए। पत्र ने याद दिलाया ' कि यह सम्बन्ध रोस्तविमर के नाटक में हेमलेट की मां का उसके चाचा के साथ जैसा सम्बन्ध था उसके समान है। चाचा राजकुमार को कोई गम्भीर हानि नहीं पहुँचाना चाहता था, वह केवल उसकी मां को प्राप्त करना चाहता था और चाहता था कि हेमलेट को उससे सतुष्ट रहना चाहिए। परन्तु हेमलेट की

राजधानी में यह अन्याय देर तक सहने नहीं किया गया। यह प्रकृति का एक स्वस्थ नियम है कि कोई भी अन्याय देर तक नहीं चलने दिया जाता। हैमलेट का चाचा राजकुमार के प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित करता था और राजकुमार भी बाहरी तौर पर उसकी आज्ञा पालन करता था। ठीक वही सबब अंग्रेजों और भारतीयों के बीच है। दोनों के बीच का सबब नितांत अप्राकृतिक और असद्भावी है— जब कि राजकुमार अनिश्चयकारी और सदेह की स्थिति में होता तो उसके पिता का प्रेम प्रगट होता और उससे डेनमार्क की महानता और उसके पिता अर्थात् राजा की हत्या को याद रखने को कहता। ठीक वही बात भारत की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में लागू है उस प्रकार की बुराई का निराकरण करने को हैमलेट ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण में बचन दिया था। हम सबों को उसी प्रकार नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने मन में बसे ही दृढ़ धारणा करनी चाहिए जसी कि धारणा हैमलेट ने प्रत के अंतिम शब्दों को सुनने के बाद बनाई थी।”

विदेशों में राजनीतिक हत्याएँ— सरविया ( योरोप में ) देश के निरकुश शासक अलकजेंडर प्रथम की ११ जून १९०३ को क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी गई। उसके साथ रानी प्रधान मंत्री युद्ध मंत्री तथा बादशाह के दो भाई भी मार दिए गए।

रूस का उदाहरण— २६ अगस्त १९०४ को काल 'ने प्रकाशित किया कि ' रूसी सरकार के एक उच्च अधिकारी की निहिलिस्ट दल ने हत्या कर दी। जब हत्यारा पकड़ा गया तो उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि एम डी प्लेव की हत्या करके उसने उचित काय किया है जिसके लिए उसको स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। ' उसकी मांगें थी — जनता की पार्लियामेंट, प्रस की स्वतंत्रता, दमनकारी कानूनों को उठा लिया जाय, जापान के साथ युद्ध बंद किया जाय दुश्मनों को रोकने के उपाय किए जाय, राजनीतिक कदी छोड़ दिए जाय।

' निहिलिस्टों की इन मांगों को पढ़ कर प्रत्येक व्यक्ति को असत्य तथा आश्चर्य होगा। भारत में प्रतिदिन दुर्भिक्ष पड़ते हैं और सरकार पिछले कुछ दिनों से तबत से युद्ध कर रही है परन्तु भारत ने दुर्भिक्षों और युद्ध को रोकने के लिए किन्हीं निहिलिस्टों को पदा नहीं दिया। '

“ हत्या का शैक्षणिक महत्व ' शीपक के अतगत सम्पादक ने २ सितम्बर १९०४ के अंक में इस प्रकार की हत्याओं के महत्व और अत्याचारियों के लिए उससे शिक्षा लेने की आवश्यकता पर अपने विचारों की व्याख्या की। काल ने इस प्रकार की हत्याओं के प्रयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि ' वे किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किए जाते अतएव वे सर्वथा उचित हैं। यह राजनीतिक हत्याओं उन सामान्य हत्याओं की भाँति नहीं हैं जिनके अपराधियों पर प्रतिदिन 'यायालयों में मुकदमे चलते रहते हैं। जबकि एक राजा अथवा एक उच्च राज्याधिकारी की हत्या होती है तो उससे एक क्षण के लिए ठहर कर उसके महत्व पर विचार करता है। इस प्रकार की हत्याओं मनुष्य के सामने उसी प्रकार अस्पर्शपूर्ण उत्पन्न कर देती हैं और उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर देती हैं, जिस प्रकार दृढ़ता हुआ तारा अथवा सुप्त ज्वालामुखी जब अज्ज्वलित हो फूट उठता है तो मनुष्य भौचकता और भ्रमित हो जाता है। लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि इन हत्याओं का अर्थ क्या है और जो व्यक्ति अंतरमुखी मन के हैं वे प्रभु द्वारा इन घटनाओं को घटने देना क्या उद्देश्य है इस सम्बन्ध में अपने निज के

परिणाम निकालते हैं। यह हत्याएँ जिस उद्देश्य से की जाती हैं उनका लक्ष्य घृणित व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना भयवा ईर्ष्या या शत्रुता की भावना को वृत्त करना नहीं होता है। उनके पीछे जो प्रशंसा योग्य लक्ष्य होना है वह यह है कि वह शरीर के उस विपाक्त भाग को काटकर फेंक देना चाहते हैं जो भयवा सम्पूर्ण विश्व में अपने विष को फला देता। ये हत्याएँ इसलिए एक प्रकार की रफाड का उपचार हैं जो कि राज्य रूपी शरीर को बचाने के लिए उसके सभे हुए अंग को काटकर फेंक देती हैं। यदि उपमा को बदल दें तो हम कह सकते हैं कि वे उन भ्रष्टाचार से पीड़ित जनसमूह का काना को बहरा कर देने वाला भयानक चोटकार है जब कि घनी भ्रष्ट ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपने रासरंग में इतने बेहोश हो जाते हैं कि उन्हें निघनों के कष्टों और दुख गाया को सुनने का समय ही नहीं मिलता। इन हत्याओं के सम्बन्ध में कोई गोपनीयता या छिपाने का प्रश्न नहीं उठता। वे ससार के हित के लिए की जाती हैं यद्यपि वे मुख्यतः गोपनीयता से सम्बन्धित होती हैं। परन्तु अन्ततः समस्त ससार को उनके सबध में विश्वास में लिया जाता है।”

‘काल’ ने इस हत्या के तत्कालीन कारण के सबध में लिखते हुए कहा कि उसका कारण प्लेहेव का समस्त देश पर भ्रष्टाचार था। अमानवीय यातनाएँ और दानवी सत्ताप जिनकी उसने रूस पर वर्षों की थी वही उसके दारुण अन्त का कारण बन गए। यह घटना ससार भर के भ्रष्टाचारियों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए परन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं होता। पत्र हत्या को अत्याचार का तार्किक परिणाम स्वीकार करता है— ‘संक्षेप में श्री एम डी प्लेहेव के बबर भ्रष्टाचार ने उसकी हत्या को अवश्यम्भावी बना दिया था। इस प्रकार की हत्या एक स्वतंत्र देश में प्रवाच्यनीय है परन्तु रूस जैसे निरपेक्ष शासित देश के लिए क्रांतिकारी प्रचार उसकी परिस्थितियों के अनुकूल है जहाँ राजनीतिक प्रश्नों पर सावधानिक आलोचना हो और जनता की शिक्षाओं को हल न किया जाता हो और देश भर में भयकर दमन का चक्र चलता रहता हो। लेखक ने प्लेहेव के शासन की लाठ कजन से तुलना की और लिखा यहाँ शिक्षाओं की सूची अवश्य ही प्लेहेव के दुष्कृत्यों से कहीं अधिक सम्बन्धी है। इतना कह कर पाठक का स्वयं अपना निष्कर्ष करने और यदि सम्भव हो तो देश पर जो दमन का चक्र चल रहा है उसका निवारण करने के लिए अपने कृतव्य को धुमने के लिए लेखक न स्वतंत्र छोड़ दिया।

अपने प्राचीन मन्त्री समाचार पत्रों ने निहलिस्ट धोषणा पत्र पर भारतीय परिस्थितियों की पृष्ठ भूमि के आधार पर इसी प्रकार की टिप्पणियाँ लिखीं। १३ अप्रैल १९०५ के अंक में ‘पजाबी’ ने जार को उद्बोधन करने के उद्देश्य से लिखा कि स्वतंत्र दल की आकांक्षाओं को बल और हिंसा से दबाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। इस प्रकार की कायवाही सबदा क्रांतिकारियों की शक्ति को बढ़ाती है और जो खतरे उन्हें उठाने पड़ते हैं उन्हें अधिक सावधान और सुसंगठित बना देते हैं।

उसने इस विचार का समर्थन करते हुए भागे लिखा — “यह कसी सरकार है जो इस व्यवस्था को बनाए रखती है? क्या यह वास्तव में सत्ता हथपने वालों का एक गिरोह नहीं है? यही कारण है कि रूस में सरकार का जनता पर कोई नैतिक प्रभाव नहीं है और यही कारण है कि रूस इतने अधिक क्रांतिकारियों को उत्पन्न करता है। यही कारण है कि जार की हत्या जैसी घटना भी अधिकार

जनता के मन में सहानुभूति उत्पन्न नहीं करती। राजा की हत्या कर देना रूस में बहुत लोकप्रिय है। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के दो ही माग हैं या तो क्रान्ति हो जो क्रांतिकारियों को प्राण दह दान से न तो टाला जा सकती है और न रोकी जा सकती है अथवा सरकार का चलाने में सहायक होने के लिए सर्वोच्च अधिकार स्वतः जनता को सौंप दिए जाय।

भारत के विषय में लिखते हुए 'पजाबी' ( २८ अगस्त १९०५ ) ने सरकार को इंगित किया कि राष्ट्र को पूरा नादरत लक्ष्य का द्वार बढ़ने से रोकने का प्रयत्न करना अब निष्फल होगा। वह इस प्रकार था — हमारे देश के शासक सर्वशक्तिमान वर्ग के व्यक्ति हैं। जाघ्राय कर व की भांति इस निरंकुश और स्वच्छाचारा शासन की गान्धी प्रसन्नतापूर्वक उन सभी को अपने पहिचो के माथे कुचलती और विक्षत धग करती लुद्धकता चली जाता है जिनका दुर्भाग्य होता है कि वे उसके माग को पार करत है। उन्नति पूरा नादरत है, हम आगे बढ़ना चाहए और उन सभी कावटी और बाह्यो को सोड कर साफ कर देना चाहए जा कि मूल नोकरशाह हमारे माग में उपस्थित बने। ”

स्पष्ट है कि निहलिस्टों की विजय हुई जिससे भारतीयों की स्वतंत्रता की धारणा का और अधिक आशा और बल मिला। १७ अगस्त १९०५ का सम्पूर्ण रूस के महान जार ने अपनी जनता को प्रतिनिधात्मक धारा सभा और बहुत कुछ स्वतंत्रता प्रदान करदो जिसके अभाव में जसा कि उ होन कहा ड्यूमा केवल एक तमाशा मात्र बन कर रह जाती। इस प्रकार नोकरशाहों को अवशाय शक्ति को अत्यन्त आनन्दपूर्वक जनमत के दबाव के सामने झुकना पड़ा जिसकी प्रव्यक्ति हिंसारमक घटनाओं के द्वारा हा चुका थी और सम्राट इनकालसे न रूसियों के लिए एक नए युग का प्रभात शुभारम्भ किया। सम्राट ने राजधानी में तथा देश के अनेक भागों में हुई अशांति तथा गड़बड़ के लिए दुख प्रगट किया क्योंकि जसा सम्राट ने अनुभव किया कि रूस के सम्पूर्ण सत्ताधार शासक का अहं और कल्याण बहा की जनता के हित और कल्याण से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि वह कभी भी टूट नहीं सकता और जनता का दुख उसका मित्र का दुख है। अतएव उनका दृढ़ निश्चय था कि उन कष्टों और दुखों को जो राज्य के लिए इतने खतरनाक है उनका शांतिपूर्ण समाप्त किया जाय अतएव उन्होंने विभिन्न आधकारियों का आशा प्रसारित की कि अशांति, हिंसा, और गड़बड़ी की परिस्थिति को रोकने के लिए कदम उठाए जायें। साथ ही उन्होंने यह आन लिया कि सावजनिक जीवन में शांति का प्रवेश करने के लिए यह आनिवार्य है कि उच्च सरकार के कार्य का एकीकरण किया जावे।

इस प्रयत्नोप सहाय का ध्यान में रखकर सम्राट ने नीचे लिखी घोषणा की ( अमृत-बाजार पत्रिका ३० नवम्बर १९०५ ) प्रथम जन सख्या को सावजनिक स्वतंत्रता का दृढ़ आधार प्रदान किया जो व्यक्ति को वास्तविक अनतिक्रम्यता के सिद्धान्त पर आधारित था और जो व्यक्ति को अन्त करण, भाषण, संगठन और सहयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरे ड्यूमा के जो क्रमबद्ध चुनाव, हो गए हैं उनमें बिना हस्तक्षेप किए ड्यूमा में भाग लेने की आशा देकर सम्राट की घोषणा में नई व्यवस्थापिका की स्थापना को साधारण चुनाव अधिकार के सिद्धान्त के विकास की दृष्टि दी गई। तीसरे— यह अपरिषत्तनीय कानून बना दिया

गया कि कोई भी कानून बिना इ्यूमा की स्वीकृति के लागू नहीं किया जा सकता। हम सभी निष्ठावान रूप के पुत्रों का आह्वान करते हैं कि वे अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को याद रखें और अपने सम्पूर्ण देश में शान्ति और अशुभ घातावरण पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करें। हमारे शासन के ग्यारहवें वर्ष में १७ अक्टोबर १९०५ को पीटरहोफ में की गई घोषणा।” —निकोलस

यह खेद की बात है कि हिंसा और उसकी प्रतिक्रियाओं से उस समय के सबसे धार्मिकवान सभ्य (शासन) ने जो शिक्षा ग्रहण की उससे ब्रिटेन में और भारत में ब्रिटिश सरकार ने कोई शिक्षा नहीं ली। सरकार उससे अछूती रही भयवा यह कहा जाय कि अज्ञान और हिंसा इतनी तीव्र और प्रबल नहीं हुई कि जो सरकार को उदारता, सतकता और समझौते की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह का मानने पर विवश कर सकती।

प्रतिजना' ने २६ जुलाई १९०५ को एक कविता प्रकाशित की जिसमें गुरु रामदास स्वामी और शिवाजी का साक्षात्कार का चित्र खींचा गया था जो इस प्रकार था —

‘ रात्रि अत्यन्त अंधकार पूर्ण है, आकाश मेघाच्छन्न है— जिसमें कभी कभी विद्युत् की कौंध होती है।” शिवाजी अपने गुरु से राष्ट्रीय और व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों को कैसे बढ़ाया जावे इसका उत्तर मांग रहे थे। गुरु रामदास ने उनसे कहा ऊपर देखो। उन्होंने देखा कि भारत माता की मूर्ति एक अत्यन्त भयानक तलवार अपने हाथ में लिए खड़ी है और अपने अधरो पर मुस्कराहट के साथ कह रही है कि यही पृथ्वी पर एक मात्र मांग है।”

१ दिसम्बर १९०५ के भ्रम में 'दनपोसेजक' ने चेतावनी देते हुए कहा कि पीड़ितों के धर्म की सीमा पहुँच गई है। उसने जन सख्या की हाथों से राजा की कहावत से उपमा देते हुए कहा— “ जब तक यह भीमकाय पशु उचित नियंत्रण में रखा जाता है सब ठीक रहता है परन्तु जब वह क्रोधित हो उठता है तो वह महावत का अपने परो के नीचे कुचल डालता है। जब तक कि जनता अपने दासकों के प्रत्याचारों को पालनू पशु की भाँति सहन करती रहती है तब तक उसे उसके उचित कानूनी अधिकार नहीं मिलते। देश अब एक अदृष्ट पूव सकट की ओर अग्रसर हो रहा है। भ्रमस्मात् सकट के चिह्नो के प्रगट होने से भारत के भाग्य के प्रशासकों की बुद्धि मग्न हो गई है। अब बधानिक तरीकों का विरोध सुनाई देने लगा है। ट्रिब्यून (१६ सितम्बर १९०५) ने जनता से भीख मांगने की नीति को छोड़ देने के लिए नाचे लिखे शब्दों में कहा —

एक ऐसे देश में जो बधानिक सरकार द्वारा शासित होता हो बधानिक आन्दोलन दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों द्वारा बधानिक आन्दोलन जिनको कोई ऐसा बधानिक साधन या माध्यम प्राप्त नहीं है कि वे अपनी इच्छा को जो लोग सत्ता में हैं उस पर आरोपित कर सकें— एक क्रूर व्यंग्य है। वह सर्वोच्च क्षण अब आ गया है जब कि हमें वर्तमान भीख माँगने जिसे हम मोहबध बधानिक तरीके कहते हैं और उन तरीकों के बाव किस्को अपनाए यह तय करना होगा जो आज की स्थिति की माँग है और उस स्थिति को देखते उचित हैं। कांग्रेस के नेता इस पर ध्यान दें।”

अब आन्दोलन एक नया रूप धारण कर रहा था।

विचार और काय (१९०२-१९०८)

परिनिन्द्य।— इगलड से घोटने के उपरांत परिनिन्द्य बन्दी

राज्य की सेवा में रहे। भारत में किन्हीं राजनीतिक हलचलों से विनोद रूप से सञ्चित नहीं थे। वे मानो घटनाओं का अध्ययन कर रहे थे और अपने अगले कदम की तयारी कर रहे थे। वे समय समय पर बगाल जाते, स्थिति का स्वयं अध्ययन करते और उन लोगों से सम्बन्ध स्थापित करते जो इस क्षेत्र में पहले से कार्य कर रहे थे। उन्होंने सारी परिस्थिति का भली भाँति अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि गुप्त तयारी का कार्य स्वयं में उस समय तक प्रभावकारी नहीं हो सकता जब तक कि एक विस्तृत सावजनिक आन्दोलन न हो जो कि सभी में देश भक्ति की भावना को भरदे और जो भारतीय राजनीति के सम्बन्ध में अपने विचार और लक्ष्य अर्थात् स्वतन्त्रता के विचार को लोकप्रिय बनाने में सहायक हो।

उन्होंने आन्दोलन में असहयोग, जहाँ सम्भव हो अधिकारियों का प्रतिरोध करने, और सभी क्रांतिकारी शक्तियों को क्रांति के लिए एकत्रित करने के कार्यक्रमों का समावेश करके आन्दोलन को नया रूप देने का विचार किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि बगाल के कार्यकर्ताओं से स्वतन्त्र श्री अरिबिन्द का पूना के ठाकुर साहब से घनिष्ठ सम्पर्क था। ठाकुर साहब उदयपुर राज्य के सामन्त थे। (श्री अरिबिन्द श्री अरिबिन्दु प्रान हिम सेल्फ एण्ड मदर १९५३ पृष्ठ २८) वे एक गुप्त समिति के नेता और अध्यक्ष थे जो चुपचाप बम्बई में काम करती थी। कुछ और भी लोग थे जो इतने अधिक प्रसिद्ध नहीं थे परन्तु उनका लक्ष्य वही था, और ठाकुर साहब यद्यपि किसी भी सगठन के सदस्य नहीं थे पर वे उन सगठनों की कड़ी के समान उनको मिलाने का काम करते थे। उन्होंने अपना ध्यान महाराष्ट्र पर केंद्रित किया और महाराष्ट्र उस समय असातोप से सुलग रहा था। उनकी दीर्घ दृष्टि ने उन्हें यह अनुभव करा दिया था कि जब तक सेना में एक बड़ा समूह ऐसा न हो जो क्रांति को सहायता पहुँचावे तब तक आन्दोलन उतना शक्तिवान नहीं हो सकता जो कि परिस्थिति को देखते आवश्यक है। इस भावना के आधार पर उन्होंने अपने गुप्त प्रयत्नों की दिशा उस ओर मोड़ दी। और भारतीय सेना की दो या तीन रजिमेंटों को अपनी ओर मिला लेने में वे सफल होगए। यद्यपि वे कभी भी अधिक प्रकाश में नहीं आए परन्तु वे गुप्त सगठनों की धुरी माने जाते थे। उन्होंने श्री अरिबिन्द के मास्तेष्क में अपना एक स्थायी स्थान बना लिया था। वे उस प्रकार से आच्छादित भाग में तेज प्रकाश के समान थे जो सशस्त्र क्रांति की सफलता का माग बतलाता है।

अग्निनी निवेदिता की सलाह से जब अरिबिन्द प्रथम में बगाल गए उससे पहले उन्होंने एक भोजस्वी तदृश को जो बडौदा की सेना में था। बगाल इस उद्देश्य से भेजा कि वह क्रांतिकारी कार्यों के उपयुक्त क्षेत्रों की खोज करें और उन लोगों से सम्पर्क स्थापित करे जिन्होंने पहले से गुप्त समितियाँ बगाल में स्थापित कर रखी थीं जिनके कार्यक्रम में आवश्यक ही उस समय तक आतंकवाद का समावेश नहीं हुआ था।

जतीन बनर्जी जो बाद के जीवन में 'निरालम्बन स्वामी' के नाम से प्रसिद्ध हुए — को यह कार्य करने के लिए भेजा गया कि तयारी करने और कार्यवाही करने का कार्यक्रम जो अरिबिन्द के विचार के अनुसार तीस वर्ष ले लेगा तब जाकर कहीं सफलता प्राप्त होने की सम्भावना होगी। विचार यह था कि गुप्त समितियाँ स्थापित की जावें और विभिन्न बहानों और आवरण के अन्तर् में भी दिखते हुए कार्य

किए जा सकें किए जावें। सम्पूर्ण बंगाल में क्रान्तिकारी विचार का प्रचार करना और क्रान्तिकारी समितियों के लिए लोगों को भर्ती करना उनका मुख्य उद्देश्य था।

प्रोग्राम बहुत विस्तृत और महत्वाकांक्षा पूर्ण था। उसके अन्तर्गत लक्ष्य यह था कि ऐसी सस्थाएँ स्थापित की जायें जो सांस्कृतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के काम करें और ऐसे युवकों को अपनी ओर आकर्षित करें जो सावजनिक कार्यों में प्रथवा क्रान्तिकारी कार्यों में रुचि रखते हों। अन्ततः सैनिक कामवाही के लिए तैयारी करनी थी। उसके लिए सेन कूट आक्रमण और बचाव की सैनिक शिक्षा, घुडसवारी साहसिक काम करना, सैनिक कवायद तथा संगठित रूप से एक स्थान से दूसरे को जाने आदि का अभ्यास था—जतीन बनर्जी अपने मिशन में सफल हुए और उन्होंने कलकत्ते में एक भूय केंद्र यथोचित समय में स्थापित कर लिया उनको श्री पी मिश्रा ने सब सम्भव सहायता दी। पी मिश्रा ने एक यूनिट पहले से ही संगठित कर रखा था। जतीन बनर्जी श्री भरिविन्द के पास काम की सफलता के आशाजनक समाचार ले गए। श्री भरिविन्द प्रत्येक और घटना को बड़ी पंनी दीर्घ दृष्टि से देख रहे थे क्योंकि वे भागे चलकर प्रत्यक्ष कामवाही की योजना को कार्यान्वित करना चाहते थे।

श्री भरिविन्द ने अपने अनुयायियों के कानों में मजिनी के निम्नलिखित श्लोक की भावना को फूक दिया था। "स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का सहज अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का यह नसर्गिक अधिकार है कि वह अपनी शक्तियों का अपने विशेष मिशन को पूरा करने के लिए बिना अवरोध या बाधन के उपयोग कर सके और उन साधनों को चुन सके जो उसको पूरा करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं।"

यदि उद्देश्य की पूर्ति के लिए सविनय प्रवृत्ति अपर्याप्त प्रतीत हो तो जिन साधनों की उद्धाने अपनाया "ये खुले विद्रोह की तयारी थी" उनका सिद्धान्त वाक्य जिसका वे अनुसरण करते थे यह था कि देश में एक युक्त संगठन होना चाहिए जिसका एक मात्र उद्देश्य सशस्त्र क्रान्ति करना हो।"

बंगाल में भरिविन्द और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जिन्हें श्री भरिविन्द क्रान्तिकारी दल का एक सम्भावित नेता स्वीकार करते थे—के भागे जाने पर दूसरों ने जिनके प्रगतिशील विचार थे अपने को पीछे कर लिया। यह दोनों राजनैतिक विन्तका के रूप में देखे जाने लगे जो ऐसा रास्ता खोज निकाल सकते थे जो उस रास्ते से जिस पर अभी तक देश चलता रहा था भिन्न होना था बाद की घटनाओं से यह अनुमान लगाया जाता है कि श्री भरिविन्द ने अपने उत्तरदायित्व को अन्य नेताओं के साथ बांट लिया जो उस समय के लिए यथेष्ट प्रगतिशील थे। उदाहरण के लिए राजा सुबोध मलिक, सखाराम गणेश देवुस्कर ब्रह्म बाघव उपाध्याय, चित्तरजनदास, सुरेन्द्रनाथ बार्जा भगिनी निवेदिता तथा एक दो अन्य। परन्तु जहाँ तक प्रत्यक्ष कामवाही का प्रश्न था वे उन अत्यन्त साहसी युवकों पर भरोसा करते थे जो कि फटते बमों और चलती हुई पिस्तौलों की चमक के साथ अखाड़े में प्रगट हुए थे। यह अपने अन्तिम लक्ष्य की ओर बढ़ने की एक नई प्रविधि और नया अस्त्र था।

शीघ्र ही सभी ओर से सावधानी बरतने का परामर्श आने लगे पर तु इडा ए टेलर की भाषा में (दी रिक्ल्युसतगी टाइप) "एक सच्चा क्रान्तिकारी अपने जोखिम भरे साहसिक सघर्ष में उसमें आने वाले खतरे को भली भाँति जानते हुए कूदता है।"



केवल बुद्धिमान व्यक्तियों की चेतानही ही नहीं उसके सामने इतिहास के पृष्ठों की भी यह चेतानही रहती है कि इस क्षेत्र में प्रत्येक दुर्भाग्य या विनाश के भविष्य वक्ता ने अपनी सोज की है और वह उसकी घोषणा करता रहा है। वह इस रास्ते पर चलने के इच्छुक व्यक्तियों को भिडक कर कहता है कि इस रास्ते में मृत्यु है इसमें सवनाश है। और क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक घाम रास्ता जो खोजा गया अंत में वह पहले से जाकर मिला या दूसरे तक पहुँचा जो पहले से कुछ अधिक कम खतरनाक नहीं था। स्पष्ट है कि इस बकजब्य का विरोध करना भयवा उसे गलत बताना व्यय है।

इन व्यक्तियों को उतावला भादशवादी या स्वप्न देखने वाला कहा जा सकता है कि वे जीवन की वास्तविकता को नहीं जानते। उनके पक्ष में टेलर कहता है ससार में कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो मनुष्य को खतरे के प्रति उदात्त बना देते हैं और ऐसे लक्ष्य होते हैं जो कि शांति और सुख के माग के भाकपण से मनुष्य को ऊपर उठा देते हैं। यह भाशा करना कि साहसी व्यक्ति अपने लक्ष्य से इसलए मुह मोड लेगा कि किसी ने दुर्भाग्य की भविष्यवाणी की है मानव स्वभाव की विनम्रता में भविष्यवास व्यक्त करना है जो कि कभी वास्तविकता से प्रमाणित नहीं हुआ।

साहित्य की बाढ़— थोड़े से व्यक्तियों से आरम्भ होकर क्रांतिकारी विचार अर्थात् प्रत्यक्ष कायवाही के विचार ने अधिकाधिक लोगों के मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा किया। दक्षिण से लेकर उत्तर भारत के समाचार पत्र गद्यक और अग्नि जगलने सगे और उसके परिणाम स्वरूप अधिकारियों के कोप भाजन बने। 'पूना वनव' (१८६७) मदावृत्ता (१८६७), 'केसरी' काल बिहारो घडेमातरम् (१६०६) युगांतर (१६०६) सध्या नवशक्ति कमयोगिन प्रातोदा (बम्बई) सहायक (साहोर) पेशाबल (साहोर), हुँकार स्वराज्य, देश सेवक और उसी प्रकार के अनेक दूसरे पत्र एव के बाद दूसरे जल्दा जल्दी निकले और बंद हो गए।

पुस्तकें तथा अन्य साहित्य की तेजी से जन्ती होने लगी। इस प्रकार के क्रांतिकारी साहित्य की जन्ती में केवल इतनी ही देर लगी जितनी कि अधिकारियों द्वारा माना पर हस्ताक्षर करने में लगती थी। सधु अभिनव भारत गाथा (गणेश दामोदर सावरकर की मराठी कविताएँ) मुक्ति कोन पाये, वतमान रणनीति, भवानिर मंदिर स्वाधीनतार इतिहास गरी बाल्ठो, और मजिनी के जीवनचरित्र, देशेर कथा (बंगाली) पर सरकार की विषय कृपा हुई। उसी प्रकार के अन्य प्रकाशन शुभ्र निशुभ्र वध सधु नाटक, अनल प्रमा, नव उद्दीपन, रानाजीतेर जीवन जाना, इत्यादि भी सरकार की दृष्टि से नहीं बचा। भगवद् गीता को पुलिस ने भयकर राजद्रोहात्मक साहित्य की सूची में रक्खा। बहुत बार ऐसा हुआ कि पुलिस जब भयानक अस्त्र शस्त्रों और राजद्रोहात्मक साहित्य की सोज न छापे मारती तो हिंदुओं की इस महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक को भी ले जाती। बाद के वर्षों में सेठसिन कमेटो की रिपोर्ट जो १६१८ में बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी उसको भी राजद्रोहात्मक साहित्य माना जाने लगा। वस्तुतः सरकार ने उसको बचा दिया। यद्यपि खुले रूप में यह घोषणा तो नहीं की कि उसकी प्रति जहाँ पाई जावे, जप्त करती जावे।

सरकार दमन और प्रतिरोध के उपायो को दिन प्रतिदिन कड़ा करती गई। किन्तु ऐसा लगता था कि वह एक भयकर और बढ़ती हुई बाढ़ को रोकने के लिए रैठ के बाध पर अटूट विश्वास रखती है।

## अध्याय छूसरा चिनगारी

बग भग (१९०३ १९०८) — लाड कजम का वायसराय काल जिनित भार-  
तियों के एक बहुत बड़े भाग में रोप की भावना उत्पन्न करने वाला सिद्ध हुआ। उसके  
सम्बन्ध में भारतीयों का मानना यह था कि यह भारतीयों की अकांक्षाओं के प्रति प्रसहानु-  
भूति रखता है और वह जनमत से प्रभावित न होकर केवल अंग्रेजी तरफ और इच्छा  
के अनुसार काम करता है। उसके विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ने भारतीयों में  
सशय को अधिक गहरा तथा घना कर दिया। उसका कनकता कारपोरेशन को सरकार  
के प्राधीन लाने और समाचार पत्रों का अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के अन्तर्गत  
मुह बन्द कर देने तथा ऊपर नियन्त्रण स्थापित करने के प्रयत्नों का कड़ा विरोध हुआ।  
१९०४ में कांग्रेस के प्रति निधि मण्डल से मिलने से इन्कार करके उसने देश के प्रमुख  
राजनीतिक नेताओं के प्रति जो अमर्य व्यवहार किया उसको भारतीयों ने भारत के  
स्वामिमान के प्रति घोर अपमान के रूप में देखा। बग भग का विचार उस उदार साहें  
का कोई नया काल्पनिक उदाहरण नहीं था। परन्तु वह एक पुराने सुभाव को केवल नए  
व्यक्तियों को जिन्होंने उसके कार्यों का पूरी तरह समझन नहीं किया था पाठ पढ़ाने का  
प्रयास था।

१८६८ में सर 'स्टफ्ट नाथकोट ने बंगाल के सुदूर स्थित भागों के द्वारा उन  
अधिकारियों के समय और शक्ति के नष्ट होने की घोर सरकार का ध्यान आकषिप्त  
किया था जो प्रात का गसन काय करते थे। परन्तु उसके सम्बन्ध में कोई कदम नहीं  
उठाया गया और वह सरकारी फाइलों में दबा पड़ा रहा। इस प्रश्न की दूसरी  
प्रावस्था 'वालस इलियट' के साथ आरम्भ हुई। वह लपटोनेट गवरनर था और उसने  
इन पद पर नियुक्त होने के पूर्व कभी बंगाल की भूमि पर पैर भी नहीं रखा था।  
१८९६ में इस नितात अनुभवहीन व्यक्ति ने पूर्वीय बंगाल के भाग को पृथक करके  
असम के साथ उसको मिलाने के विचार को पुर्नोचित कर दिया।

इलियट ने अपने प्रस्तावित उपाय पर जनमत जानना चाहा। जैसे ही उस  
प्रस्ताव को जनता के सामने रखा गया उसकी सब ओर से घोर घोर बठोर निंदा  
हुई और उसको वहीं छोड़ दिया गया। इलियट ने बंगाल में फीट विलियम में स्थित  
उच्च न्यायालय से इस प्रश्न पर उनकी निर्भीक घोर स्पष्ट सम्मति मांगी। विद्वान  
न्यायाधीशों ने अपनी सम्मति को केवल इस प्रश्न तक सीमित रखा कि यदि यह  
परिबर्तन किया गया तो उसका व्यवहार वाय तथा फौजदारी न्याय के प्रशासन पर क्या  
प्रभाव पड़ेगा। जो प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह न्यायालय के लिए  
अत्यन्त प्रगता की बात है कि उन्होंने नीचे लिखी स्पष्ट सम्मति दी— यह प्रस्ताव  
गतत निम्न में एक काम है। उन ब्रिलों को अन्तर्गत करना जो उस समय से जबकि  
ईस्ट इण्डिया कंपनी ने उनका प्रशासन अपने अधिकार में लिया था और जो सब से  
'विनियमन प्रदेश' का एक भाग रहे हैं एक प्रतिगामो कदम के अतिरिक्त और कुछ नहीं

होगा। अतएव चीटागांव डिवीजन का आसाम सरकार को जहाँ कि वह इन समय बनी हुई है स्थानांतरित करना प्रतिगामी और कुचेष्टाकारी कदम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा।

“यायाधीन” के उस प्रस्ताव के बारे में उक्त कथन के उपरांत उसे बिना अधिक ध्यान बीन किए ही भूमिगत कर दिया गया।

१९०२ में ही लार्ड कर्जन ने साड जाज हेमिल्टन से अपने विचाराधीन प्रश्न अर्थात् बरार को मध्य प्रांत के प्रशासन में रखने के सम्बन्ध में तथा बंगाल के विभाजन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किए थे। उनका विचार था कि बंगाल नि सन्देश किसी एक व्यक्ति द्वारा कुशल प्रशासन के लिए बहुत बड़ा है। कुछ समय के लिये उनका यह प्रिय विचार उनके ध्यान से हट गया। १२ दिसम्बर १९०३ को गजट आफ इण्डिया में यह एक रिजल्टे सक्क्रेटरी भारत सरकार को बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के नाम पत्र प्रकाशित हुआ जिसमें यह प्रस्ताव था कि बंगाल के कुछ भागों को समीपवर्ती प्रांतों में स्थानांतरित करके उसके क्षेत्राधिकार को कम कर दिया जाय। इसके लिए तब दिया गया था कि जन सह्या की वृद्धि व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थानों का विस्तार तथा प्रशासन की बढ़ती हुई जलमूर्तों के कारण बंगाल की सरकार पर जो अत्यधिक भार है उसको कम करने के उद्देश्य से बंगाल के सप्टीनेंट गवर्नर की वांछनीयता के आधार पर यह प्रस्ताव रखा गया है।

रिजल्टे स्वयं इस बात को जानता था कि यह प्रस्ताव जनता के मन्त्रिणा में विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा क्योंकि इस विगति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि सपरिपद गवर्नर जनरल का विचार है कि जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी तीव्र आलोचना हो सकती है और सम्भवतः उसका बड़ा विरोध हो सकता है।

विभाजन से प्रशासन में कुशलता आयेगी या नहीं यह किसी ने जानने की परवाह नहीं की। लेकिन उसने उसके प्रस्तावकों के भय को सही सिद्ध कर दिया। कर्जन ने फरवरी १९०३ में अपने अन्तिम सुभाव ब्रिटिश सरकार को भेजे और उसी वर्ष जून में भारत मन्त्री की स्वीकृति प्राप्त करली। इस योजना ने समाचार पत्रों और जनता को क्षोभ से पागल बना दिया। अमृत बाजार पत्रिका ने १४ दिसम्बर १९०३ को उसके सम्बन्ध में लिखते हुए कहा यह प्रकट में क्रांतिकारी और अनावश्यक प्रयत्न है जो देश में भीषण हड़कम्प उत्पन्न करेगा। अमृत बाजार पत्रिका ने यह स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि सरकार की यह कार्यवाही ऐसी उत्तेजना की भावना को उत्पन्न करेगी कि बहुत बड़ी सह्या में उसके कारण लोग पागलों जमी दगा में हो जावेंगे। सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विरोध की यादू धा गई। विशेषकर बंगाल के पत्र तो बोलता उठे। बहुतां में से कुछ मुख्य पत्र थे इंडियन मिरर (१३ १२ १९०३) बंगाली (१५ १२ ०३), इंडियन एम्पायर (१५ १२ ०३), हिंदू पट्रियट (१५ १२ ०३) पार मिहिर (१५ १२ ०३) विदुप्रिया अमृत बाजार पत्रिका (१६ १२ ०३), ज्योति (१७ १२ ०३) सत्रीवणी (१७ १२ ०३) प्रतिनिधि (२६ १२ ०३) इत्यादि इत्यादि। १७ दिसम्बर १९०३ को टिम्बून ने इस प्रस्ताव के अनेक दोषों को बतलाते हुए उसकी कड़ी निन्दा की। ‘वारु मित्र’ क अनुसार उसे छप वेद्य में बरतान मानना चाहिए। क्योंकि उसने विभिन्न देशों और विभिन्न विचार और मान्यता के लोगों को एक साथ

निकट ला दिया। १२ जनवरी १९०४ को पत्र ने लिखा—इस प्रस्ताव ने असम्भव बातों को भी सम्भव बना दिया। उसने निरक्षर भ्रातृणा को वाणी प्रदान कर दी। मूल को सोचने की शक्ति दे दी, जमींदार जिसकी एकमात्र महत्वाकांक्षा जिलाधीश को प्रसन्न करना रहती थी उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया। संक्षेप में उसने समस्त देश को एक विचार और एक उद्देश्य से प्रेरित कर एक सूत्र में बांध दिया।

१६ जनवरी १९०४ के अंक में ट्रिव्यून ने बग भग से प्रस्ताव ने जिस भादोलन को जन्म दिया उसकी गहनता और विशालता पर सतीत प्रकट करते हुए लिखा— 'पूर्वीय बंगाल के उन जिलों में जिन्हें स्वातंत्रित किया जा रहा है प्रदेश के पुनर्वितरण के विरुद्ध जमा श्रमवद्ध सद्भावी और सुसंगठित भादोलन खलाया जा रहा है भारत में पापद ही कभी देखने में आया हो। यह देखते हुए कि विचाराधीन परिवर्तन से किसी को भी लाभ नहीं पहुँचेगा परन्तु उससे कभी भी न भ्रत होने वाला भ्रम फल जावेगा और वह सन्नत की कोटि कोटि प्रजा की गहरी भावना को ठेस पहुँचावेगा, यह विश्वास नहीं किया जा सकता कि वह कभी भी काय रूप में परिणित किया जा सकेगा। बंगाली (२० जनवरी १९०४) ने सरकार के प्रस्ताव की बुद्धिमानी पर सदेह प्रकट करते हुए अपने राजनीतिक दशन को नीचे लिखे शब्दों में प्रकट किया। 'जो सरकार शातप्रिय नागरिकों को भादोलनकारी बना दे उसे अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए कम से कम बधाई नहीं दी जा सकती। २३ जनवरी १९०४ को इंग्लिशमन ने अपने सपादकीय लेख में लिखा— 'बंगाल प्रांत की काट छाट करने के अपने प्रस्ताव की लोकप्रियता के सम्बन्ध में सरकार को अब घायद ही कोई सदेह हो। विभाजन के प्रस्ताव का प्रत्येक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में तथा प्रत्येक भाषा में कटु आलोचना हुई है। यह प्रस्ताव भावना तथा बुद्धि दोनों के लिए घृणास्पद है। प्रत्येक समुदाय ने तथा प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक उपवर्ग ने उनका घोर विरोध किया है। उनके कारण अत्यंत आवेशपूर्ण विरोध का एक तूफान फूट पड़ा है जिसने इस प्रस्ताव के विरोधियों को भी चकित कर दिया है। अभी तक सरकारी पक्ष के समर्थन में कोई क्षीण स्वर भी सुनाई नहीं दिया। यदि ऐसा होना तो वह केवल विरोध करने वाले स्वार्थों के भान को बहुरा कर देने वाले घोर के महत्त्व को ही बढ़ाता। सच तो यह है कि आकस्मिक पर्यवेक्षक यही सोचेंगे कि सरकार ने बंगाल में अपनी प्रजा को विचलित करने का सोच समझ कर सर्वोत्तम उपाय ठुड़ निकाला है और उसको प्राप्त की जनता को उत्तेजित कर देने के लिए एक अत्यन्त क्षीघ्रगामी और हास्यस्पद साधन के रूप में चुना है।'

एक मास उपरांत उसने एक दूसरे लेख में लिखा— "विभाजन के समयकों, को उनके नाम प्रवश्य ही सख्या में अधिक नहीं हैं—को अपने विरोधियों की सद्भावना पर कीचड़ छालने का व्यथ प्रयत्न करने की अपेक्षा और कोई और हथियार या उपाय काम में लाना चाहिए।' इंडियन डेली यूज (जनवरी २९, १९०४) ने इस सम्बन्ध में टिप्पणी लिखते हुए अत्यंत व्यंग शब्दों में कहा— "हमने बहुत सुना है कि सरकारी तौर पर कहा जाता है कि भारत सरकार ससार में सबसे अधिक प्रगतिशील सरकार है। प्रगतिशील का यदि यही अर्थ है कि जनमत का विरोध होते हुए भी वर्तमान स्थिति में अनावश्यक गहवड़ी उत्पन्न की जावे और अनावश्यक असंतोष फलाया जावे तो अवश्य ही भारत सरकार के लिए प्रगतिशीलता की उपाधि सही है।'

साइ ऊबन की सरकार ने यह घोषणा की थी कि उस योजना को मुसलमानों

महत्वपूर्ण घटक हैं जिन्होंने अपने देश की भाषी भाषा और नियति के प्रति लोगों को प्रेरणा दी है। "सब साधारण की इस तीव्र चेतना और गहन विश्वास, कि देश में बंगाली प्रभाव को कम करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है जनता में और भी अधिक शोक उत्पन्न कर दिया है।" जीवन के एक दूसरे क्षेत्र से इस सम्बन्ध में जो सम्मति आई वह एक चिकित्सक की थी। सरजन जनरल सी बी इवाट ने भी सर हैमरी काटन के विचारा का समर्थन किया। इवाट ने कहा "जो भी कोई भारत में घरातल के नीचे देखना है वह अवश्य ही इस बात को देख सकेगा कि असतुष्ट बंगाली की भारत में शक्ति और जन कल्याण के विच्छिन्न प्रतिक्रिया होनी है क्योंकि उसके पुत्र समस्त भारतीय साम्राज्य में सबत्र फले हुए हैं और ऐसे पदों पर हैं जहां से वे प्रशामन और जनमत को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि बंगाल में असतोष का प्रभाव अभी भी उम प्रात से बहुत दूरी पर स्थित जिलों में फल रहा है अतएव इस बात की आवश्यकता है कि इस विषय पर और अधिक विचार किया जाय। फिर इडिया माफिस चाहे जो कहता हो।" (अमृत बाजार पत्रिका—२१, जुलाई १९०६)

इन महानुभावों ने अपने तरीके से सरसयद अहमद की सम्मति को ही प्रतिध्वनित किया जो १६ उद्योगी दानाजी के भारत के सबसे अधिक विविष्ट मुसलमान थे। १९०४ में उन्होंने लाहौर में कहा था कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बंगाली ही हमारे देश में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए हमें उचित रूप से गौरव हो सकता है। यह केवल उन्हीं के कारण है कि हमारे देश में ज्ञान स्वतंत्रता की भावना और देश भक्ति का विकास हो रहा है। मैं मन्वे ह्यूम से कह सकता हूँ कि वे हिंदुस्तान के सभी समुदायों के सरताब हैं।

परंतु कजन और छवी की जमी विचारधारा के लोगों के लिए सदन के एक सभाकालीन अनुदार समाचार पत्र की सम्मति अधिक वजनदार थी। उसका मत था "कि बंगाली भारत की अग्र्य तेजस्वी जातियों की तुलना में अनादर और घृणा का पात्र है।" मोडालन ने उसके उपरोक्त कथन का मुह तोड़ उत्तर देते हुए कहा 'यह उन सभ्यो में से एक है जो कि बंगालियों की भावनाओं को चोट पहुँचाने के कारण राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत खतरनाक है। सम्पूर्ण भारत के हिंदुओं की सहानुभूति उनके साथ है।"

१९०५ में जून और अक्टोबर के मध्य में विभाजन को समाप्त करने के लिए तीव्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ। उसकी तीव्रता गहनता, और विशालता ने उसके नेताओं को आशा की भी बहुत पीछे छोड़ दिया। उसकी चरमरूप सी नहीं थी कि आंदोलन इतना सबध्यापी और तीव्र होगा। विभाजन की घोषणा को लोगों ने कहा कि यह खेद और प्रसन्नता दोनों की ही बात है। आनंद मोहन बोस ने कहा— 'लाड कजन ने वास्तव में हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा की है। उसने हमें नवीन राष्ट्रीय जीवन की बहुमूल्य नींव डालने के योग्य बना दिया। जनवाणी का आशा यह था कि कजन ने बंगाल के लोगों के प्रति अपनी दुर्भावना के कारण देश में राष्ट्रीय जीवन के बीज बो दिए। उसने अपनी सनक अर्थात् बंगाल के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से क्षीण करना—को असुष्ट करने के लिए जनमत की नितांत अयहेसना की जिससे राष्ट्रीय शोक फूट पड़ा। सब बंगालियों को अनुभव

हृषीकेश की शताब्दियों की निद्रा से जगाने के लिए उन्हें मकमूरे जाने की आवश्यकता थी।

पूर्व और पश्चिमी बंगाल में हजारों की सख्या में विरोध प्रगट करने के लिए सम्राट हुईं जिनमें श्रोताओं की सख्या एक हजार से चालीस हजार के मध्य थी। प्रत्येक सभा में जनता ने इस प्रहार का विरोध करने के लिए गम्भीर और दृढ़ निश्चय, और प्रभूतपूर्व उत्साह प्रकट किया। इन सभाओं में अत्यन्त प्रोत्साह और गरम भावण होते और जो भी व्यक्ति इन सभाओं में उपस्थित होते वे उन प्रस्तावों की भावना और आत्मा को सुदूर गावों तक पहुँचाने का जिम्मा लेते। विरोध प्रगट करने का कार्यक्रम सबिन्धु प्रवृत्ता आंदोलन स्वीकार किया गया। इस कार्यक्रम में कानून को तोड़े या वधानिक प्राधिकार की प्रवृत्ता किए बिना बहिष्कार को अपनाया गया। केवल विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार नहीं बरन उन व्यक्तियों का भी बहिष्कार इसके अंतर्गत सम्मिलित था जो कि राष्ट्रीय हितों के प्रति विदेशीयता करते थे। कांग्रेस जो उस समय का देश का सबसे बड़ा गतिशील राजनीतिक संगठन था उसको भी भिक्षा मागने की नीति को छोड़ना चाहिए, जो वधानिक आंदोलन की रीढ़ प्रतीत होती थी। उपाधि धारियों को अपनी उपाधियों को त्याग देना या जो दासता के चिह्न थे। अतः में जहाँ तक सम्भव हो राजनीतिक मुद्दों में 'यायालयों द्वारा याप करने की क्षमता की अपेक्षा करना इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित थे। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इस बात की प्रतिज्ञा ली जाती कि हम प्रत्येक तरीके से अपनी भावना को ब्रिटिश जनता तक पहुँचाने की शपथ लेते हैं उसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था।

१६ अक्टूबर १९०५ को फेडरेशन हाल के शिलायास के अवसर पर जो विनाश सभा हुई उसमें जनमत को प्रतिध्वनित करते हुए नीचे लिखी घोषणा को स्वीकार किया गया। 'जहाँ सरकार ने बंगाल का विभाजन बंगालियों के एक श्वर से विरोध करने पर भी करने का निश्चय किया है। वहाँ हम यह शपथ लेते हैं और घोषणा करते हैं कि हम सब लोग अपनी शक्ति भर अपने प्रात के धर्म मग के दुष्परिणामों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे और अपनी जाति की एकता को बनाए रखेंगे भगवान हमारे सहायक हो।' ए एम बोस १६ १० १९०५

जो लोग कि राजनीतिक दृष्टि से अधिन चेतनागोल थे उन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार से होने वाले प्रभाव की पूर्ण स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण से करने की बात सोची। जिससे कि आंदोलन समर्थ होने के उपरान्त भी आघात की हुई विदेशी वस्तुओं की आवश्यकता न पड़े। राजनीतिक दृष्टि से उग्र मतवालों ने बंगाल द्वारा इस कठोर प्रमान की निष्क्रिय होकर चुपचाप सदन कर लेने की तुलना जापान द्वारा स्वतः राष्ट्रीय में सबसे अधिक प्रवृत्तारी राष्ट्र रूस के विरुद्ध शत्रुता की भावना के प्रदहन से की। उनके कथन का सारांश यह था कि 'क्या बंगालियों का कोई धर्म नहीं है उनमें क्या देशभक्ति की भावना नहीं है? उन्हें मां बाली शक्ति की देवी की याद करना चाहिए। उन्हें मराठा और सिवाजी के महान वीरोचित कार्यों के याद करना चाहिए उन्हें प्रत्येक प्रकार से विदेशी सरकार से बदला लेना चाहिए। विशेषकर बहिष्कार को इतना प्रभावशाली बना देना चाहिए कि हमारे पवित्र देश के तट पर कोई भी विदेशी दातु न जा सके।'

इस आन्दोलन में लोगों ने चीनियों का अनुकरण किया। जिन्होंने मई १९०५ में अमेरिकन वस्तुओं का विरोध स्वरूप इसलिए बहिष्कार आरम्भ किया था क्योंकि अमेरिका ने एक अन्धाय पूरा अ नय संधि का प्रस्ताव किया था। ३० जून १९०५ को दैनिक हितगदी ने लिखा "आखिरकार समुक्त राज्य अमेरिका ने यह निश्चय किया कि चीनी यात्रियों और व्यापारियों के साथ ब्रिटेन के प्रवास अधिकारी दुष्प्रवृत्त नहीं करेंगे। यह चीनियों के इस आग्रह का परिणाम था कि वे अमेरिका की वस्तुएँ नहीं खरीदेंगे।

अंतिम रूप में लाड रोनाल्डो (लाइफ प्रॉफ लाड कर्जन पृष्ठ ३२६) ने स्थिति का विवरण इस प्रकार किया है "बंगाल वास्तव में उस प्रकार के अनुचित धावेय के तूफान से निकल रहा है जो कभी भी वहाँ की भावुक जनता को बहा ही जा सकता था। लाइ कर्जन द्वारा उनकी उसी भावना को जिसकी उसने साधारण समझ कर अपेक्षा की थी छेड़ने से उनके स्नायु भीमकाय सितार के तारों की तरह झूट हो उठे थे।

सी जे ओडानल ने विरोध के मनोवैज्ञानिक विकास का नीचे लिखे अनुसार चित्रण किया है— 'लाइ कर्जन के हाथों जनता ने बहुत कुछ सहन किया परन्तु उसने धीरे धीरे व्यवस्था को बनाए रखा। उन्होंने सोचा कि अच्छा समय आ रहा है। परन्तु जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रायनामों को अन्धायपूरा और अराजनीतितापूरा सिद्धांत "यह ध्रुव तथ्य है" के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो उससे लोगों में यह निराशापूरा शोक उत्पन्न हो गया जो सभी देशों में लोगों को धावेयपूरा निराशा की सीमा पर ले जाता है।"

नवम्बर १९०५ के प्रथम सप्ताह से ही लोग स्वयं अपने से पूछने लगे "आगे कमे बढ़ा जावे"। आइरिश लोगो का उत्साहरण उनके सामने था। आइरिश लोग सातसौ वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता के लिए सघष करते रहे परन्तु उसका ब्रिटेन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका एक मात्र कारण यह था कि आयरलैंड आक्रामक और सुरक्षात्मक दोनों कार्यों के लिए अपनी शक्तियों को एकत्रित और केन्द्रित करने में असफल रहा। सब साधारण की भाँति कि 'हमें बचाने के लिए एक समतल लक्ष्य या ध्येय चाहिए। हमें एक नेता चाहिए जो हमारा मार्ग निर्देशन करे। हमें युद्ध के साधन चाहिए जिससे हम शक्तिवान बनें।"

इसके उपरान्त नव निमित्त पूर्वीय बंगाल के प्रांत में ऐसा घोर दमन आरम्भ हुआ जो कि इतिहास में किसी भी समय देग में नहीं हुआ था। कुछ वर्षों में उस भयकर दमन ने जार की उन निरंकुश आशाओं को भी अघकार में फेंक दिया जो कि कभी जनता को भयभीत कर अधीनता स्वीकार कराने के लिए निकाली गई थी। उस स्थिति का एक चित्र फिर यह चहरे जितना अधूरा ही क्यों न हो आज के पाठक को रचित कर होगा। क्योंकि जो क्रूर अत्याचार सरकार ने निराश्रित शक्तिपूरा किन्तु दृढ़ जनता पर किए उसका परिणाम यह हुआ कि बंगालियों ने सगठित हिंसा की अपनाया वे बंगाली जिन्हें भीरु और शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति की दृष्टि से निबल कह कर चिढ़ाया जाता था क्रान्तिकारी हो उठे। इस आन्दोलन ने बंगाल के तरुण बग की कल्पना की पकड़ लिया और जैसा कि अन्ध सभी देशों में हुआ जो कि किसी महान परिवर्तन के लिए सघष कर रहे थे विचार्यों उस आन्दोलन को शक्ति प्रदान करने के लिए उसमें सम्मिलित हो गए।

इधरेदी विरोध पत्र — आंदोलन को रूखा देने के लिए सरकार ने पहला कदम

विद्यार्थियों तथा शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध उठाया जो छात्र राजनीतिक आंदोलन में भाग लें भ्रष्टाचार जनक राजनीतिक कार्य के लिए उपयोग किया जावे तथा शिक्षण संस्थाएँ जो उनसे सम्बंधित थीं और सरकारी सहायता तथा अनुदान पातीं थीं उन्हें दंडित किया जाय। प्रत्येक जिले के दण्डनायक तथा जिलाधीन को एक गोपनीय परिपत्र १६७६ पी डी दिनांक १० फ़रवरी १९०५ जो बंगाल सरकार के मुख्य सचिव द्वारा दार्जिलिंग से भेजा गया था उसमें निर्देश था कि उन्हें इन अपराधों की ओर ध्यान देना चाहिए 'बहिष्कार, धरना देना, तथा अन्य दुष्प्रवृत्तियों जो तथाकथित स्वदेशी आंदोलन से सम्बंधित हैं उनके सम्बंध में जो भी जन आंदोलन हों यदि यह आवश्यक लगे तो ऐसी संस्थाओं की सरकारी अनुदान बंद कर देना चाहिए और ऐस छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए।' और उन छात्रों की छात्रवृत्ति को रोक देना चाहिए और विद्वत्विद्यालय को उन संस्थाओं को अपने से असम्बद्ध कर देने के लिए कहना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को उनकी स्वदेशी आंदोलन सम्बंधी कार्यवाही को रोकने या नियंत्रित करने में असफल रहने पर राजभक्त संस्था को उन छात्रों के नाम उचित अधिकारियों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज देना चाहिए। "इसके अतिरिक्त दण्डनायक तथा जिलाधीन से कहा गया कि वे सभी अर्थियों के अध्यापकों तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधकों से कहें कि वे विशेष सिपाहियों की भांति घाति बनाए रखने में अधिकारियों की सहायता करें। इस बात पर बहुत बल दिया गया कि ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये "जिन्हें छात्रों का घादर प्राप्त हो और जो ऐसे छात्रों को पहचान सकें जो दोषी हों।"

उस परिपत्र को सार रूप में तथा तथ्य का निवचन करते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं को भेजा गया कि वे उसके प्रावधानों को लागू करें।

पूर्वीय बंगाल सरकार तथा असम के मुख्य सचिव भी पीछे नहीं रहे। जिन्होंने ८ नवम्बर १९०५ को एक परिपत्र निकाला जो कि दूसरे माघे बंगाल के समान ही था केवल उसमें एक धारा और जोड़ दी गई थी कि "वे उन छात्रों को राज्य के हित में संस्था से निकालने के प्रश्न पर विचार करेंगे जिनका सालाना पालन उस प्रभाव के अन्तर्गत हुआ हो जो राज्य विरोधी हो।"

यह इस मायता पर आधारित था कि ऐसे छात्र सरकार की राजभक्ति के साथ सेवा नहीं कर सकते। स्वदेशी विरोधी परिपत्र की भांति और ध्वनि से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार ने छात्रों की पुलिस की सहायता पर छोड़ने के हठी तरीके का अनुसरण करने का हृदय निश्चय कर लिया है।

२५ फ़रवरी १९२५ को दार्जिलिंग से शिक्षा निदेशक न पत्रसंख्या टी २६२ निकाला जिसमें पुलिस द्वारा लिए गए दोषी छात्र का नाम रहना था और जो प्रत्येक शिक्षण संस्था के मुख्य अधिकारी को भेजा जाता था और उससे पूछा जाता था 'कारण बतलाइये कि उक्त छात्र को आपकी संस्था से निष्कासित क्यों न कर दिया जाय ?'

प्रांतीय सरकारों ने जब अपना दुर्बल कर्तव्य पूरा कर लिया तो भारत सरकार के लिए इस सम्बंध में कुछ करना शेष रह गया। ६ मई १९०७ को यह विभाग से एक परिपत्र उसी विषय पर था जिस पर दो वर्ष पूर्व स्वदेशी विरोधी परिपत्रों द्वारा प्रांतीय सरकारों का ध्यान आकषिप्त करने का प्रयत्न किया गया था। इस सम्बंध में



गहरी बि ना प्रगट की गई थी— " उच्च शिक्षा की रक्षा की जाय जिसके लिए शिक्षकों और छात्रों में राजनतिक आंदोलनों में भाग लेने की प्रवृत्ति से खतरा पदा हो गया है । "

इस प्रवृत्ति पर इन मा यता के आधार पर बंद प्रगट किया गया क्योंकि उसके कारण नीचे लिखे दोष उत्प न होते हैं । ' प्राधिकार के विरुद्ध इससे प्रतिरोध और विधि हीनता की भावना उत्प न होती है । जिसका अवश्यम्भावी परिणाम वास्तविक शिक्षा के विकास को पीछे ढकेडन, छात्र की भौतिक समृद्धि को हानि पहुँचाने तथा भारतीय सावजनिक जीवन की परम्परागत आधार शिला को उलटना होगा । "

परिपत्र में कहा गया कि इसमें केवल उच्च शिक्षा में हस्तक्षेप होने का ही गम्भीर सशय नहीं है वरन् स्कूल तथा कालेजों की कायकुशलता के क्षीण होने का अवश्यम्भावी परिणाम आयेगा । जब विद्यार्थियों का मस्तिष्क अपने उचित काय से विचलित होगा तो उसका अवश्यम्भावी परिणाम होगा अनुशासन में शिथिलता " । अतएव भारत सरकार ने यह आवश्यक समझा कि विभिन्न श्रेणी की शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों तथा छात्रों के उत्साह पर रोक लगाई जावे । जो दंड देने से वे वही थे जो कि विद्यने परिपत्रों में सुझाए गए थे । उदाहरण के लिए सरकारी सहायता को बंद कर देना छात्रवृत्ति के लिए प्रतिस्पर्द्धा में बैठने के अधिकार को छ न लेना तथा जिन्हे छात्रवृत्ति मिलती है उनकी छात्रवृत्ति को बंद कर देना तथा विश्वविद्यालय द्वारा उनकी अपने से असम्बद्ध कर देना आदि ।

कुछ विदेशी पत्रकारों का गम्भीर और सतत सम्मति यह थी कि इन परिपत्रों से ब्रिटिश सरकार के यश को धक्का लगाया । ' कपिटल ' में ' मावस ' ने लिखा ( जिसे ४ नवम्बर १९०५ के अंक में प्रमृतवाजार पत्रिका ने उद्धृत किया — ' यह मूलतापूर्ण परिपत्र रूस के जार के आजा पत्र जसा दिखता है जो भय के कारण लिखा गया है । वह ब्रिटिश प्रलेख जसा बिलकुल भी नहीं दिखता । इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रजा की स्वतंत्रता से हस्तक्षेप करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न है, और यह बंगाल के विधि पालक तर्हण विद्यार्थियों को इसके लिए भयभीत और घातकित किया करना है कि वे अपनी आत्मा की आवाज को दबाए और उन्हें इसके विरुद्ध धमकाना है कि वे अपनी किसी हानि रहित राजनतिक राय को कभी कभी प्रकट करके आत्म सुख को प्राप्त न कर सकें । यह परिपत्र एक असम्भन उपहासप्रद चिपडा है जिसके लिए बंगाल की सरकार को धोर सज्जा आनी चाहिए । उसको तुरंत वापस लेना चाहिए । यह कुछ दशकों में बंगाल में प्रत्येक शिक्षा अधिकारी के पदावनति का दारट है जो प्रत्येक शिक्षक ( आवाज ) को मुक्तिस्मैर और प्रत्येक शिक्षक को दुस्तवर बना डालना चाहता है । यह बंगाल का रूस जसा बना डालने का प्रयत्न है । इसकी केवल इसलिए बतलाना आवश्यक है जिससे कि वह उपहास का पत्र बन जावे ।

छात्रों में अशांति पर बहुत अधिक ध्यान देकर सरकार ने अपनी निवसता को स्पष्ट कर दिया जो कि ' विारी ' पत्र की दृष्टि से नहीं बची । पदह अप्रैल को उसने ' तर्हणा की शक्ति ' शीघ्र लेख में लिखा बंगाल की सरकार मुवकों से नाराज है और एक के बाद दूसरा परिपत्र निकाल कर उन्हें दबा रही है । इससे हमें निश्वास होना है कि बंगाल के युवक अपने देश के प्रति शुद्ध रूप में भक्ति रखते हैं और स्वदेशी आंदोलन को प्रबल बग से चला रहे हैं क्योंकि जब तक अज्ञान सशर्ती

देशभक्ति को नहीं देखते वे कभी नाराज होने वाले नहीं हैं। स्वदेशी आंदोलन में इस बार युवकों की वास्तविक शक्ति जागृत हुई है।”

उसी समय लंदन के एक पत्र ने ‘लंदन ट्रेड्स एण्ड लेजर गजट’ ने लिखा—  
‘ऐसा दिखता है कि सैनिक तत्व अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है और भविष्य में भारत सैनिक निरंकुश शासन से शासित होगा।’ यह केवल एक पक्ष का चित्र है। जो समाचार पत्र अंग्रेजों द्वारा निवाले गए थे और उनके स्वामित्व में थे उन परिपत्रों से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनमें उनकी इच्छा की पूर्ति समाहित थी।

बंदेशीकरण (१९०५-१९०७)—पूर्वीय बंगाल के अधिकारियों को दो साधारण शर्तों अर्थात् ‘बंदेशीकरण से विरोध रूख से चिढ़ हो गई थी। अधिकारी उन दो शर्तों को ऐसा मानते थे मानो भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की मृत्यु की घोषणा की गई जावाज हो। अस्तु बंदेशीकरण को उच्चारण करने पर सब सम्भव उपायों से रोक लगाने का प्रयत्न किया गया। इस प्रयत्न में सरकार ने जिन उपायों को काम में लिया वे अत्यंत सद्गुरु भूत की बकरता की याद दिलाते थे। सम्पूर्ण विद्यार्थी समुदाय इस दमन का शिकार हो गया। नवंबर १९०५ में रंगपुर जिला स्कूल के दो सौ छात्रों पर प्रत्येक पर पांच रुपये जुर्माना किया गया क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक सभा में भाग लिया और ‘बंदेशीकरण’ गीत गाया। ११ नवम्बर, १९०५ को ढाका शिविर से मुख्य सचिव का एक आदेश निकला कि ऐसी कोई सभा साप्ताहिक स्थान पर नहीं होनी चाहिए और ऐसे किसी जलूम को सावजनिक भागों पर निरंकुश की भांति नहीं देनी चाहिए जहां ‘बंदेशीकरण’ के नारे लगाए जाने की सम्भावना हो। यह इस प्रकार के प्रतिबंध बारीसाल, मंसूरसिंह, रंगपुर और नोमालखाली जिलों में विशेष रूप से लगाए गए।

घरों में रहने वाले वृद्ध और सबकों में सात आठ वर्ष के सुकुमार बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। बहुत बड़ी सख्या में शिष्य सख्याओं के सभी छात्रों को जुर्माना स्कूल से निष्कासन और बंदों को सजा दी गई। बारीसाल में दण्डनायक की अदालत के बाहर एक पत्र के समाचार के अनुसार कीड़े का त्रिकोण खड़ा कर दिया गया था। यदि कोई बंदेशीकरण का घोष करता तो पुलिस उसको कोड़ मारने की धमकी देती थी। यह समाचार अमृत बाजार पत्रिका के बारीसाल के सबाददाता ने २५ नवम्बर १९०५ को लिख कर भजा। १० नवम्बर १९०५ को रंगपुर जिला स्कूल के तीस सबकों को प्रत्येक पर तीन रुपये जुर्माना इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने ‘बंदेशीकरण’ का घोष किया था। चौकीदारों को यह आदेश था कि यदि सबके बंदेशीकरण का नाम लगावे तो उनके जोड़ों पर बड़ी प्रहार करो। यदि इस आराध अथवा समान अपराध के लिए उन्हें दंडित किया गया हो और स्कूल से निकाल दिया गया हो तो जिले के किसी भी स्कूल में समको प्रवेश न दिया जाय। स्कूल के अधिकारियों को जिलाधीशों से आज्ञा दे दी कि जब पुलिस अधिकारी उन छात्रों को पहचानने और जांच करने जाव जो सभाओं में सम्मिलित हुए अथवा जो स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, तो वे उपस्थित रजिस्टर उन्हें दिखावें। कालेज के प्राचार्यों को आदेश दिया गया कि वे अपने छात्रों को क्षेत्र विशेष जिसे जिमाधीश चुनें या निर्धारित करें जाने से रोकें। (उस समय वे क्षेत्र बाघ बाजार मंसूरसिंह थे)। उसके साथ ही यह भी कहा गया था कि सरकार के दिनों की अपेक्षा तथा इस संबंध में अनुशासनहीनता के दण्डबन्धन

उन छात्रों को जो उसके दोषी होंगे सरकारी नौकरिया के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।”

“१८ जनवरी १९०६ को ढाका कमिश्नर के स्कूलों के इन्स्पेक्टर ने किशोरगञ्ज स्कूल के हेड मास्टर को भ्रान्त दी कि वह प्रथम और द्वितीय कक्षाओं के सभी छात्रों को पांच सौ बार यह लिखने को कहे कि बं देमातरम बिल्लाने में समय को व्यर्थ नष्ट करना मूल्यता और अशिष्टता है। यह वाक्य सुन्दर लेख की तरह लिखे जाने चाहिए और वे सब लेख एक प्रमाण पत्र के साथ इन्स्पेक्टर को भेजे जायें कि वह उमी छात्र का लेख है जिसका उस पर नाम है ।”

हेडमास्टर को इसके अतिरिक्त यह भी चेतावनी दी गई कि जब तक शिकायत के सभी कारणों को समाप्त नहीं कर दिया जाता तब प्रकार के सरकारी अनुदान जो स्कूल को मिलते हैं समाप्त कर दिए जा सकते हैं ।

बलवत्ता के मध्य शामपनुर घाना क्षेत्र में (तथा कुछ अन्य स्थानों पर) कुछ युवकों ने अपने युवकोचित उत्साह का प्रदर्शन किया और २८ नवम्बर १९०६ को उन्होंने आभेय योग्य शब्दों 'बं देमातरम' का नारा लगाया। जैसा कि बहुधा होता है वे 'बं देमातरम' का नारा लगा कर वहाँ से अतर्धान हो गये। किन्ती ने पुलिस को खबर कर दी, एक समाचार पत्र ने लिखा कि सब इन्स्पेक्टर पुलिस बहुत बड़ी सहाय में सिराहियों को लेकर घटनास्थल पर पहुँचा और वहाँ के रहने वाली का पीटा। यहाँ तक कि घरों में रहने वाली स्त्रियाँ भी नहीं बची। २८ अप्रैल १९०६ को बगदासी ने लिखा कि 'बं देमातरम' बंगालियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है।

'बं देमातरम' शब्द में देशभक्ति की भावना का घातक है न कि राजदोह का। उसके अन्दर स्वदेशी के प्रति प्रेम निहित है न कि सम्राट के प्रति घृणा। इसमें प्रकाश है अन्धकार नहीं उसमें अमृत भरा है विष नहीं है। वह कमल नाल है जिसमें काँटे नहीं हैं वह बिना मृत्यु वाला जीवन है। यह अपनी मातृभूमि की प्रशंसा का गीत है न कि युद्ध का नारा।

'बं देमातरम' शब्द देश भर में दूर दूर फल गया। ट्रिब्यून ने २५ नवम्बर १९०५ को लिखा कि सुदूर पंजाब में भी यह शब्द परस्पर अभिवादन करने के शब्द बन गए हैं। इस सम्बन्ध में लिखते हुए ट्रिब्यून ने लिखा—भारतीयों ने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने का नारा बं देमातरम स्वीकार किया है। उसके कोई भीषण अर्थ नहीं है। उसका अर्थ केवल यही है कि अपनी मातृभूमि की जय बोलना। क्या घातक द्वारा बं देमातरम को हटाया जा सकता है? पंजाब में भी जबकि शिक्षित लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो आजकल बहुधा उक्त अभिवादन का शब्द बं देमातरम होता है। भारत के करोड़ों मनुष्यों के अग्रणीत होटो को 'बं देमातरम' कहने से रोकने के लिए सरकार को लाखों की सहाय्य देने होंगे। पूर्विय बंगाल के लोगों से संपूर्ण भारत की सहानुभूति है। १३ अक्टूबर, १९०५ को बलवत्ता में शिक्षित युवकों द्वारा एक संस्था का संगठन किया गया जिसका नाम 'बं देमातरम सप्रदाय' था और उसका उद्देश्य बलवत्ता नगर में बं देमातरम की भावना को जलूस निकाल कर बं देमातरम राष्ट्रीय गान गान करवाना था।

अप्रमान —प्रतिष्ठा और अधिकतर बड़ी आयु के राष्ट्रीय विचारों के व्यक्तियों का घोर अपमान किया जाता था। रागपुर में १५ नवम्बर १९०५ को बहुत बड़ी

सत्या में जो समाज में उत्तरदायी पदों पर थे और जो कि भ्रान्दोलन के लोकप्रिय नेता थे उन्हें विशेष कांस्टेबिल नियुक्त कर दिया गया। उनमें से कुछ को प्रातः काल पुलिस लाइन में आने और घंटों बर्बाद करने के लिए विवश किया जाता था। रोप को साधारण कांस्टेबिलों की भांति नगर में गश्त लगाना पड़ता था। जब उनको पेटो बांध कर और डटे के साथ आने को बर्हा गया तो कुछ वे उस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया इस पर उन्हें कानून की भावना करने के अपराध में दण्डित करने के लिए उन पर मुकदमा चलाने की आज्ञा दे दी गई।

सामान्य रूप से सभी दहनायक और विशेषकर रंगपुर और बारीसाल में निरकृतापाणु आचरण करने लगे जिन्हे कानून के प्रति कोई श्रद्धा न थी। बारीसाल के अधीश्वर ने कुछ भद्र लोगों को धरने बगले पर बुलाया और उनमें से एक या दो को उन्होंने विशेष गौरव प्रदान किया और कहा कि वे "मटकाने वाले बच्चा हैं" और उनको धमकी दी कि मैंने तुम्हारा नाम गुरखो को दे दिया है मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि कम से कम पंद्रह दिनों के लिए तुम नगर के बाहर चले जाओ और ध्यान रखो कि यदि नगर में कुछ भी हुआ, फिर चहे तुम उस स्थान पर उपस्थित हो या न हो सुरक्षा जसा चाहेंगे तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे यदि वे तुम्हारे साथ कोई बहुत बुरा व्यवहार करें तो मैं उसके लिए उत्तरदायी नहीं होऊंगा।

बारीसाल जगें छोटे नगर में ११० गुरखा सैनिक बुनाए गए जिनका मुख्य काम लडकों के पीछे दौड़ना और दीवारों पर चिपकाए गए कागज या विज्ञापन जिन पर 'बदेमातरम' शब्द लिखा हो फाड़ना था। बनोरीपारा मध्याह्निक, और एक दो अन्य स्थानों पर विशेष पुलिस की टोली नियुक्त कर दी गई और वहाँ के रहने वालों से उसका व्यवसाय वसूल किया गया। पुलिस की रिपोर्ट पर एक घानरेरी मजिस्ट्रेट को निलम्बित कर लिया गया और उससे पूछा गया कि क्या यह सच है कि उन्होंने २४ नवम्बर १९०५ को मैमनसिंह की सभा में भाग लिया और बोले जिसमें बारीसाल, मदारीपुर और रंगपुर के लोगो को सरकार के प्रति उनके रुझ के लिए धन्यवाद दिया गया था।

यदि तनिक भी इस बान का सदेह हो कि किसी भी रूप में राष्ट्रीय भावना के व्यक्त होने की सम्भावना है तो बिना कुछ जांच किए सामाजिक समारोहों में हस्तक्षेप किया जाता था। पूर्वीय बंगाल के जिलों में ऐसे व्यक्तियों को भी जिन पर कोई सदेह नहीं होता, निर्दयतापूर्वक बिना विभे के पीटा जाता। एसी घटनाएँ बहुत सामान्य हो गई थीं। एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट कानून पर यकायक एक बड़ा अधिकारी बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों को लेकर आया और मैमनसिंह के बड़े बाजार में त्रिसला भी पाया उसको पीटा। जा लोग निजी मकानों के बराडा में लडे थे उन्हें खींच कर गिरा लिया गया। जिला सुपरिण्डेंट ने स्वयं कई लडकों और निर्दोष व्यक्तियों को पीटा।

पूर्वीय-बंगाल के मुख्य नगरों में जिना स्थानीय पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी से लाइसेंस लिए कोई भी जलूस नहा निकाला जा सकता था। जलूस निकालने का एक लाइसेंस (सत्या ४३१ दिनांक १०-१२-१९०५) इस बात पर दिया गया— कि जब जलूस निकल रहा हो तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जायगा या कार्य किया जावेगा जिसका सम्बन्ध स्वदेशी भादोलन से हो।

राजशाही के सर्वोपरि वकील डिप्टी सुपरि टैं डेट पुलिस के पास एक साथ जनिक सभा करने की आज्ञा प्राप्त करने गये। इससे पूर्व कि वे अपनी पूरी बात कह पाते पुलिस अधिकारी ने अत्यन्त अभद्रतापूर्वक चित्लाकर कहा—अपनी जवान बंद करो। वे सज्जन अत्यन्त अपमानित होकर वापस लौट गए। जलपाईगुरी में अग्य वर्षों की भाति सरस्वती पूजा हुई। ३१ जनवरी को देवी की मूर्ति को जलमग्न करने के सम्बन्ध में जो समारोह होता है वह इस आघार पर बंद कर दिया गया कि वहाँ लड़के रास्ते में 'बदेमातरम चित्लाएमे—यह उन अनेक घटनाओं में से कुछ घटनाएँ तथा आदेश हैं जो कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए धीरे अपमानजनक थी। वे स्थिति को शांत करने के लिए स्थान पर जाति का माग प्रशस्त कर रही थीं। 'पजावी' ने सरकार की नीति की आलोचना करते हुए गम्भीरतापूर्वक पूछा। (२२ नवम्बर १९०५) 'क्या सरकार के लिए यह हितकर है कि वह शिक्षित वर्ग को मानवीय सहमशवित की सीमा के बाहर क्षुब्ध करदे और उनकी राज्यभक्ति को टूटने के बिन्दु तक सींचे। बंगाल और अंगाल के बाहर जनता के ऊपर जैसा भयकर दमन किया जा रहा है वह मानव की सहमशवित के बाहर है। परमात्मा ने वहाँ प्रतिशोध मेरा है मैं उसको चुकाऊंगा। किन्तु 'प्रतिशोध हमारा भी है' यह वे पीड़ित राष्ट्र भी कह सकते हैं जो कि आज नीचे गिरे हुए हैं। धूल में पड़े हैं। मानव जाति के इतिहास ने इसकी बार बार सान्नी की है और जसा कि हम जानते हैं इतिहास की पुनरावृत्ति होती है।'

घरना और बहिष्कार — केवल विद्यार्थियों द्वारा ही नहीं किसी भी व्यक्ति द्वारा घरना यद्यपि खुले रूप में अपराध घोषित नहीं किया गया परन्तु प्रत्येक उपाय से उसको रोकने का प्रयत्न किया गया। उसके लिए विशेष रूप से परोक्ष रूप में आदेश दिए जाते थे जिनके अन्तर्गत धमकी छिपी रहती थी — 'कोई भी जो किसी अन्य व्यक्ति को देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदने पर विवश करता है वह कानून की दृष्टि में अपराधी है।'

एक आदेश इस प्रकार था 'विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने का आवाहन इस आघार पर आपत्तिजनक है कि यह एक प्रकार से एक राजकीय घोषणा है जो कि सम्राट अथवा उसका प्रतिनिधि ही कर सकता है।' अधिकारी लोगों को उदाहरण के लिए मदारीपुर के एस डी ओ को स्वदेशी वस्तुओं के खरीदने का आग्रह करना लोगों की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने के समान प्रतीत होना था। इसके विपरीत लोगों को धमकाकर विदेशी वस्तुएँ खरीदने के लिए दबाना स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं था यदि वह सरकारी कर्मचारी करे। अंगाल के पूर्वीय तथा उत्तरीय हिस्सों में यह एक साधारण दृश्य था कि योरोपियन अधिकारी पुलिस तथा प्रशासनिक बाजारों तथा मंडियों में जाने और लोगों को इंग्लिश वस्तु लिवरपूल तक, तथा ऐसी ही अन्य ब्रिटेन की वस्तुओं का कारबार करने के लिए प्रोत्साहित करते। मोला और धारोसाल में कुछ वकीलों (२३ नवम्बर १९०५) और अनेक अन्य लोगों पर एक साथ एक ही स्थान पर तथा अन्य स्थानों पर केवल इन अपराध के लिए मुद्दमा चलाया गया कि वे लोगों से विदेशी सामक खरीदने के लिए मना करते थे।

धामको को जिन बातों से सज्जे अधिक आज्ञा था वह विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था क्योंकि उससे भारतीय बाजार में इंग्लिश के औद्योगिक तथा व्यापारिक

हितों के लिए खतरा पग हो गया था, जो कि युनाइटेड किंगडम की आय को मुख्य मात था। विजित जाति के लोगों के घरों को फोला के समान बठोर बनाने वाली प्रत्येक बातें/तर्का/अर्थों में जो खुले रूप में सपन करने का दृढ़ निश्चय सत्य हो गया उसको सामक वग जो शक्ति के कारण मदाय हो गया था समझ नहीं पा रहा था। परंतु भारतीयों को इस आ दोहन में कुछ ऐसी वस्तु मिली जो पावन थी और जिसके यम में प्रति की प्रति की चिनगारी छिपी हुई थी। 'वन्देमातरम्' न ६ अगस्त १९०७ बहिष्कार की वपगाठ' नीपक व अन्तगत लिखा — 'सात अगस्त भारतीय राष्ट्रीयता का जम दिवस है। भारतीय राष्ट्रीयता का अर्थ है दो बातें — स्वयं को राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर देना और स्वतंत्रता को व्यवहार में लाना। बहिष्कार स्वतंत्रता का आचरण है उसका व्यवहार है अतएव जब हमने सात अगस्त को बहिष्कार की घोषणा की तो हम केवल मात्र आर्थिक विद्रोह का आरम्भ ही नहीं कर रहे थे परंतु राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आचरण का आरम्भ कर रहे थे। आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी बनने से राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलम्बी बनने के प्रयत्न आरम्भ होंगे क्योंकि यह कार्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतएव सात अगस्त वह दिन है जब कि भारतीय राष्ट्रवाद का जम हुआ जबकि भारत ने अपनी आत्मा के लिए अपनी स्वतंत्रता की खोज निकाला, यह वह दिन था जबकि हमने कभी न हटने वाला कदम राष्ट्रीय एकता के पथ पर रखा जो अपने को जानने का एक मात्र माग है। उस दिन भारत को राष्ट्रीयता का शिला-पास हुआ।"

इसके उपरान्त इस महान घटना को उसकी महत्ता के अनुरूप मानने के लिए पत्र ने निर्देशन किया — 'हमें इस दिन को उस भावना और स्वरूप में मनाया चाहिए कि जो उसके महान और गौरवमय अर्थों के अनुरूप हो। उस दिन समस्त बंगाल को उस नई भावना और नए जीवन के प्रति पुनः अपने को समर्पित करना चाहिए। अपने हृदन और मस्तिष्क को मुद और पवित्र बनाना चाहिए जिससे कि वह मातृभूमि स्त्री माता के निवास के लिए उपयुक्त मंदिर बन सके। उस दिन हमें घात गम्भीर, धीरतापूर्वक पुरपोचित शब्दों में अपने स्वतंत्र अस्तित्व का दृढ़ निश्चय दोहराना चाहिए। नोकरशाही न हमारे राष्ट्रीय जीवन की नवीन गति विधियों और कार्यों के विरुद्ध क्रूर आक्रोश व्यक्त किया है। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों और सशस्त्र धार दमन के द्वारा हमारे आर्थिक बहिष्कार को चकनाचूर और मष्ट कर देने का प्रयत्न किया है। उसने युवकों द्वारा मातृभूमि की सेवा को दण्डनीय अपराध बना दिया है। बड़ी मायु के प्रीतियों और वृद्धों द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए उन्हें कारावास और देश निकाले का दंड दिया गया है। सात अगस्त इन निपच मानाओं और उत्पीडन का प्रभावशाली उत्तर होना चाहिए। बहिष्कार का पुनः निश्चय करना चाहिए। इस बार बहिष्कार को शुद्धता और सादगी से राष्ट्रीय नीति के रूप में स्वीकार करना चाहिए और सभी को उस नीति के प्रति आस्थावान और दृढ़ रहना चाहिए।"

२३ नवम्बर १९०५ को 'डेली यूज' के कलकत्ता के सम्पादक न बंगाल में पुलिस के शासन के चिन्ताजनक स्वरूप के सम्बन्ध में लिखा — 'भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नीति में आरम्भ से घात तब भयकर भूलो और दुष्टियों की एक श्रृंखला है। सब तरह से वे निकृष्ट और भयहीन हैं, और बगालियों के

सूत्रकर (१) कर उगाह कर ।

'बदेमातरम' ( जून १९०७ ) ने अपना लक्ष्य 'एक स्वतंत्र और समुक्त भारत बतलाया और भारतीय जनता को उसकी सम्भावनाओं के सबंध में प्रशिक्षित करना अपना मिशन घोषित किया १२ अगस्त १९०७ के दिन में उसने अपने दृढ़ विश्वास को नीचे लिखी भाषा में 'एक अपनाद और कुछ भ्रम' शीर्षक के अंतर्गत व्यक्त किया — ' भारतीयों के उद्देश्य उतने ही ऊंचे हैं जितने कि मैजनी या गरीवाल्डी के थे । उनका लक्ष्य है कि अग्य राष्ट्रों में हम अपना देश का स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व चाहते हैं । वह महान शक्तिवान बभवाली गोभावान देश बने और वह अपनी प्राचीन गौरवश्री को भी पीछे छोड़ दे । यह उसके प्रयत्ना का उद्देश्य है और हमने यह कठिन काम अपने ऊपर लिया है जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से हम सब कुछ दाव पर लगा देंगे— धाराम का जीवन, धन स्वनश्रता और यदि आवश्यकता हो तो प्राण भी— यह हम अग्य राष्ट्रों के विरुद्ध घृणा अथवा शत्रुता के कारण नहीं बरन इस दृढ़ विश्वास के साथ कि हम ऐसा करके सम्पूर्ण मान्यता जिसमें इंग्लैंड भी सम्मिलित है— के हित के लिए और अपनी भात्री पीढ़ियों और राष्ट्र के हितों के लिए काम करेंगे । "

दूसरे दिन ( १३ अगस्त १९०७ ) 'संध्या' ने ऐसी उद्दान्त भावनाओं से स मोतमोत, लेख प्रकाशित किया कि जिसकी प्रत्येक पंक्ति में दशभक्ति भरी थी । हमारी महत्त्वकांक्षाएँ हिमालय पर्वत से भी ऊंची है— हमारी बेदना इतनी गहन है मानो हमारे अंदर एक ज्वालामुखी हो— हम स्वयं नहीं चाहते, हम मुक्ति भी नहीं चाहते । ओ माँ हम बार बार भारत में ज म लें जब तक कि उसकी दासता की श्रंखलाएँ टूट न जायें । पहले मातृभूमि स्वतंत्र हो उसके बाद ही मृत्युलोक के बंधनों से मुक्ति का अवसर आवेगा ।

'युगांतर' ( २ सितम्बर १९०७ ) के अनुसार भारतीय जनता का स्वतंत्र होने का दृढ़ निश्चय प्रबल लोकशक्ति को उत्पन्न करेगा । वह शक्ति जिसने एक दिन भयानक रूप में फ्रांस में क्रान्ति की अग्नि को प्रज्वलित किया, उस समाज और प्रभुता को छिन्न भिन्न कर डाला जो सऊडो वर्गों से चल रही थी और जिसने एक नए जीवन की स्फुटि दी है जो प्रचंड छिन्नमस्ता ( देखी वाली का शीघ्र रहित स्वरूप ) की भाँति स्वयं अपना मस्तक काटकर स्वयं अपना सिर पीकर नृत्य में मग्न होगई । और जिसने अपने भयंकर अट्टहास से समस्त योरोप का कम्पित कर दिया । वह समय आ रहा है जब कि वह शक्ति भारत में भी उदय होगी । भारत का भी उस खेल को देखना चाहिए जिसने ग्राज रूम में अपनी गजना से प्रत्येक अत्याचारी के जीवन को सशक्ति और कष्ट प्रद बना दिया है और जो प्रत्येक युग में प्रगट होती और देश को शक्ति की नयी वहाकर पुनः और परिष्कृत कर देती है । शान्ति-धर्मों के अत्याचार और भ्रमाय उस अधिर की नदी में बह जाते हैं ।

इस प्रकार देश क्रांति के लिए तैयार होगा । जो प्रक्रिया इसको देश में ल सकती है उसका युगांतर ने ७ अगस्त १९०७ को इस प्रकार घणन किया है —

' लगभग सभी देशों में क्रांति के पूर्व जनता तीन दलों में बंट जाती है एक दल उन देशद्रोहियों का होता है जो स्थापित सरकार की सहायता करता है । दूसरे दल उन लोगों का होता है और वह देश की जन सख्या का बहुमत होता है जो कि स्वतंत्रता की उत्कट कामना करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए थोड़ा त्याग भी

करने को तयार रहते हैं। परंतु वे उसके लिए युद्ध में बूढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। तीसरा दल उन लोगों का होता है जिनके लिए स्वतंत्रता के बिना जीवन भार बन जाता है और जो अपने आदर्श के लिए स्वयं अपना बलिदान कर देने के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं होते। यह क्रमशः आवश्यक होता जा रहा है कि इस तरह का तीसरा दल प्रत्येक नगर और ग्राम में बनाया जावे और उनको एक दूसरे से जोड़ दिया जावे।”

पुनर्जीवन के लिए दमन — अंग्रेजों के स्वामित्व में प्रकाशित होने वाले पत्रों ने घालीमत्ता और गिष्कता को भी तिलाजलि दे दी इसके कारण उनकी दृष्टि ही जाती रही। जैसा कि अगस्त १९०६ के 'पायनिपर' की नीचे लिखी बौखलाहट से स्पष्ट है। 'यदि बंगालियों ने उस सलाह के अनुसार काम किया जो उन्हें दी जा रही है तो हम उन पर तोप की अग्नि और तलवार से आक्रमण करेंगे और बिना पछतावे के जमा कि हमने १८५७ में किया था वैसे ही लोगों को गोली से उड़ा देंगे और फासी पर लटका देंगे। शायद हम उससे भी अधिक कठोरता का व्यवहार करें। साम्राज्यवादी जाति की शेर की प्रवृत्ति मर नहीं गई है केवल सोती है।”

भारतीयों की ओर से 'हिंद स्वराज्य' ने (२ मार्च १९०७) उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उसने घोषणा की कि भारत को अपने स्वतंत्रता के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करना है 'यदि हम इस जीवन में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सके तो दूसरे जीवन में करेंगे भारतीय मृत्यु का सामना करने से नहीं डरेंगे। 'यदि हम अपने जीवनकाल में दासता को बर्हिया को नहीं काट सके, तो हमारे लिए बलिदान का पुरस्कार तयार है।’ उसने आगे लिखा—यदि अपनी वर्तमान दुदशा से बचने के प्रयत्न में हमारी मृत्यु हो गई तो स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुले रहेगे। पवत शिखर से जब वेगवती जलधारा नीचे की ओर तेजी से उतरती है तो उन रोड़ों और पत्थरों को घटका कर तोड़ देती है जो उसके वेग को रोकने और उसे वापस अपने उद्गम स्थान पर भेज देने की बात सोचते हैं। अंग्रेजी समाचार पत्रों और ब्रिटिश कूटनीतिज्ञों की बौखलाहट को भारतीयों ने अत्यंत उपहास के साथ सुना और उससे भयभीत होकर चुप हो जाने और मृत्यु की शांति को स्वीकार करने के स्थान पर उन्होंने दमन के द्वारा पागल बना देने वाले प्रनाथ का स्वागत किया जिससे कि ये देश में से घालस्थ, आत्मतुष्टि और भय को भगा सकें।

युगांतर' (७ मार्च १९०७) ने लिखा “हम शांति नहीं चाहते। ऐ! अंग्रेजों हम शांति नहीं चाहते जिसकी स्थापना को तुम अपने दबी कर्तव्य मानते हो। हम धन आयाचार और अत्याचार चाहते हैं। जो भयकर अशांति और अव्यवस्था आरम्भ हो गई है उसे चलने दो। वह दुर्भिक्ष की अग्नि जिसमें प्रति दिन अगणित जीवन भस्म हो जाते हैं—उस अग्नि आकाश को इसी तरह कुछ और अधिक समय तक जलने दो। इस मृत्यु में भारतीयों को अमृत प्राप्त होगा—तुम अपने स्वभाव के अनुकूल दमन और अत्याचार के पथ पर चलते चलो। सब दिशाओं में अराजकता और अशांति बिखेरते हुए आगे बढ़ो। भारतीय उसके साथ ही उचित अवसर पर शांति के बीज बोदेंगे और आवश्यक परिवर्तन और चुनाव कर लेंगे।”

एक ही दिन में दो विरोधी शक्तियों के शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए स्थान नहीं है। और इसमें भी—तनिक छेदेह नहीं है कि पुनर्जीवित भारतीय राष्ट्रवादी



अतः मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर विजयी होगा।

‘ब-देमातरम’ (१४ मई १९०७) ने असद्विध भाषा में इस सम्बन्ध में अपना नीचे लिखा निम्न पोषित कर दिया—“भारत में राजनीति सिद्धान्तों का सघष है। नौकरशाही का सघष जनतंत्र के सिद्धान्त से है जो परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं तथा देशी राष्ट्रीयता की शक्ति का सघष विजातीय साम्राज्यवाद की शक्ति से है। हमारे दासकों के साथ हमारा सम्बन्ध रक्षक और रक्षित का नहीं है बल्कि भक्षक और भक्ष का है। एक मनुष्य और एक चीता एक ही मकान में साथ साथ नहीं रह सकते। अतएव भारतीय राष्ट्रवाद और नौकरशाही का निरकुशावां भारत का अपने आपसे मर्न न तो बांट ही सकता है और न साथ साथ शांति से रह ही सकता है। उनमें से एक को जाना ही होगा।”

‘ब-देमातरम’ ने बहुत से उदाहरण देकर यह सिद्ध करना चाहा (८ जून १९०७) कि विचारों और भावनाओं की जीवन शक्ति बहुत अधिक होती है और उसने इस बात की ओर मनेत किया कि सभी निरकुशाता के आधार पर संगठित राज्य निश्चित रूप से शारीरिक और आर्थिक वन प्रयोग की शक्ति का आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं और विचार की शक्ति को ध्वंसानित करते हैं। शक्ति से मदांय राष्ट्र इस प्रकार और अलग नियम को भूल जाते हैं — “कि राष्ट्रवाद जनतंत्र तथा स्वतन्त्रता की आकांक्षा का प्रारम्भ तो दुबल होता है परन्तु अतः अत्यन्त शक्तिशाली होता है। जबकि निरकुशा राजशासन द्वारा दमन का प्रारम्भ महा शक्तिशाली शक्ति अतः दुबल होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि निरकुशा शासन का सदैव विनाशकारी ढंग से अतः होता है। यह सब होते हुए भी प्रत्येक पीछे आने वाला निरकुशा शासक अपने को धोखा देता रहता है कि उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ेगी। ब्रिटिश सरकार पर यह ऐतिहासिक पागलपन सवार होगया है क्योंकि आज वह ससार की सब शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टि से महान समृद्धिशाली देश है। इंग्लैंड (ब्रिटेन) भारत और आयरलैंड में वह दमन की तयारी कर रही है। उसे उन नवीन विचारों की तनिक भी चिन्ता नहीं है कि जिनकी मुख्य विरोधी ब्रिटिश निरकुशाता है। जो भविष्यव्यता है नियति उसी निश्चित माग पर आगे बढ़ेगी केवल देखना यह है कि इंग्लैंड इन विचारों को मनमाने और बलात कानूनों के द्वारा दबा देता है अथवा मनीनगन अथवा तोपों से समाप्त कर देता है।”

एक शक्तिशाली राष्ट्र का विकास करने के लिए जो गुण चाहिए वह विदेशी शासन में नहीं पनप सकते। ‘गुणांतर’ (१ जुलाई १९०७) ने विरोध में अपनी वाणी को प्रसर किया और कहा —

‘चाहे जिस क्षेत्र में लें क्या हमें स्थायी रूप से दूसरों के प्रति वफादार रहना होगा। ऐसी दशा में हमारी मानसिक सकीणता का कभी अतः नहीं होगा। क्या विजातियों द्वारा हमारे राष्ट्रीय जीवन का सदैव इसी प्रकार नियंत्रण होता रहेगा तो हम कभी अपने वास्तविक स्वरूप को प्रगट नहीं कर सकेंगे। उस देश में जहां शिवाजी और बालाजी ने जन्म लिया था केवल ऐसे राजभक्त राजनीतिज्ञ उत्पन्न होंगे जो याचना के लिए प्रायना पत्र लिखने में पटु होंगे।”

जो राष्ट्र दासता के अधिकार में पड़े हुए हैं उन्हें दमन के लाभदायक प्रभाव इसलिए नहीं दिखलाई पड़ते क्योंकि दमन का वास्तविक स्वरूप अत्यन्त धीमत्त और कुम्प

होता है। दमन के वास्तविक मूल्य को समझने के लिए घरातल के नीचे जाकर देखना होगा। वास्तव में भगवान जो सब कुछ देने वाला है यह उसका अनुग्रह और कृपा है। उसी पत्र ने २२ जुलाई १९०७ को लिखा — केवले यही बात नहीं है कि ब्रिटिश लोग तुम्हें पीस डालने के लिए दमन का सगठन कर रहे हैं। यह इसलिए है कि तुम्हारे लिए दमन दिन निकट आ रहा है। यही कारण है कि कल्याणकारी मा ने यह तेज उपचार किया है। भगवान को तुम पर अवश्य ही कृपादृष्टि है कि उसने तुम्हारे लिए यह महान तयारिया की हैं जिससे कि तुम शताब्दियों के अपने भयकर पापा का परिशोध कर सको। आओ हम हसते हुए अपने को कभी न समाप्त होने वाले दमन को सहन करने के लिए तयार करना चाहिए। दुनिया की यह बतलाओ कि हिंदू मरने से नहीं डरता क्योंकि मर कर ही वह जीवित रहेगा।”

वह समय आ गया है कि जबकि झूठे भय की भावना को हृदय से निकाल दो। मजबूती से सठे होने पर झूठी शक्ति का आवरण फट जावेगा। 'युगांतर' (३० जुलाई १९०७) अत्यंत सरल भाषा में सारी बात को इस प्रकार रख देता है — 'जिस दिन भारत के लोग यह जान लें कि यह ताग के पत्ता का मकान समस्त भारतीयों की एक फूव का सामना भी नहीं कर सकता उसी दिन से ब्रिटिश शासन के अन्त का आरम्भ हो जावेगा।' 'डरो मत सध्वी भीद के उपरान पुनर्जागरण के चिह्न प्रगट होन लगे हैं। क्या तुम यह अनुभव नहीं करते कि मा का प्रदत्त भगवान तक पहुँच गया है?’

यह एक ध्रुव सत्य है ( 'ब देमांतरम' १ अगस्त १९०७) जो राष्ट्र स्वतन्त्रता की पुन प्राप्ति के लिए कृत सकल्प है वह निबलता के वातावरण में भी शक्ति का स्रोत हो लेगा। 'निस्सुरा शासन की भ्रुकुटि चढाई पर तु मयूबा स्वतन्त्र है, और अज्ञेय श्रेय किया परतु अमेरिकन उपनिवेश के लोग स्वतन्त्र हैं। परतन्त्र लोगों की खती हुई निबलता प्रेरणादायक स्वतन्त्रता के आदेश से अज्ञेय शक्ति में परिणत हो पाती है। यदि यह अत्याचार छोडे समय के लिए अस्थाई रूप से जनता के साहस को मजोर करदे तो भी हमें हताश नहीं होना चाहिए। कभी पराजय कभी जय प्राप्त करते हुए हम अपने सद्य की ओर बढ़त जावेंगे।' अरविन्दु ने कहा 'दमन प्रभु के गम के अतिरिक्त कुछ नहीं है—त्याग और बलिदान के बिना किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती।

नवीन मत — भशाति के चिह्न यहा बड़ा देश में सवत्र दृष्टि गोचर होने लगे थे। आकाश में गरजते हुए बादल घिर आए थे यह एक ऐसा दृश्य था जो कि उस महान शक्ति की भाकी दिए बिना नहीं रहता था जो उसके गम में छिपी हुई थी।

उस नवीन मत के सिद्धांत 'युगांतर' ने रस्किन की भाषा में उनका समयन करते हुए प्रकाशित किए थे — (१) गहरियों में कोई कला नहीं है यदि वे शाति से रहते हैं, यदि कृपक शातिपूर्वक रहत हैं तो उसमें कोई कला नहीं है। (२) यह सब बिनाशकारी शाति थी जिसने रोम का विध्वंस किया। इस समय यह उस प्रेतसाधक के आधीन है जिसने उसे मंत्र से भूछित कर रक्खा है और भारत को नपुसक बना दिया है। (३) हम शाति और पान भजन की बात करते हैं, शाति और बाहुल्य की बात करते हैं, शाति और सम्यता की बात करते हैं, परतु मैंने देखा कि इतिहास ने

इन शब्दों का गठबधन नहीं किया। उसके अक्षरों पर शब्द यह थे शांति और ऐंद्रिय सुख, शांति और स्वाथपरता, शांति और मृत्यु। मुझे ज्ञात हुआ कि सक्षेप में सभी बड़े राष्ट्रीय ने शब्दों की सत्यता और विचारों की शक्ति को युद्ध में सीखा युद्ध में वे पनपे और शांति ने छ ह नष्ट कर दिया। युद्ध ने उन्हें मिखाया और शांति ने घोखा दिया, युद्ध ने उन्हें प्रशिक्षित किया और शांति ने उन्हें धोड़ दिया। एक रात में वे युद्ध में जमे और शांति से नष्ट हो गए।

लोगों को भूतकाल की गौरवश्री को याद करने और उसको प्राप्त करने के लिए आह्वान किया गया। 'हिन्दु स्वराज्य' (२ मार्च १९०७) लोगों को हमारे पूर्वजों की तलवार की इन शब्दों में याद दिलाता है ऐ प्रिय तलवार तू वीर पुरुष के हाथ में चमकती है और उसको बमर से लटकती है तू ही हमारे पूर्वजों की अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में एकमात्र सहायक थी।"

प्रभावित' (२ मार्च १९०७) यह घोषणा थी कि नवीन विचार जनता के प्रत्येक अंग को प्रभावित करेगा। सेना भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगी। और वे यह समझ जावेंगे कि अपने देशवासियों पर गोली चलाना और विदेशियों को उनका गला काटने में सहायता पहुँचाना जघन्य पाप है।

उत्तरदायी समाचार पत्रों ने एक स्वर बिना किसी हिचक के कहा कि सरकार भविष्य को पढ़े और समय रहते सावधान हो जाये। 'युजराती' ने (२६ दिसम्बर १९०७) को लिखा— यदि समय रहते सरकार जनता की इच्छा के सामने नहीं झुकती तो उन्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि जनता कानून की सीमा को पार कर अघबानिक तरीके से व्यवहार करे।"

लोगों का ब्रिटिश शासन पर से विश्वास उठता जा रहा है और सच तो यह है "कि किरगियों का साम्राज्य पृथ्वी पर नरक के समान है" ( बिहारी' २८ जनवरी १९०८) उसी अंक में छसने पुन लिखा कि विभिन्न देशों में देशभक्ति के विभिन्न अर्थ हैं। "यू साउथ वेल्स में देशभक्ति का सबसे अधिक आध्यात्मिक अर्थ है 'सीधी गोली चलाने की योग्यता'। यह उल्लेखनीय है कि वहाँ प्रत्येक स्कूल के भवन के द्वार पर यह आदेश बावय खुदा रहता है। बिहारी' पूछता है—देशभक्ति की यह परिभाषा क्या किसी भारतीय स्कूल में पढाई जाती है? यदि बहूँ से निशाना लगाने की दक्षता स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए उस देश में आवश्यक समझी जाती है जोकि स्वतंत्र है क्या वह कोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए और भी अधिक आवश्यक नहीं है? कैलीफोर्निया में देशभक्ति लोगों को जापानियों की तरह विदेशियों को किराच की नोक से निकाल बाहर करना सिखाती है। क्या भारतीयों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे कैलीफोर्नियावासियों के उदाहरण का अनुसरण करें और अग्रजों से उसी तरह का व्यवहार करें।

अप्य पत्र भी इसी प्रकार के विचारों का प्रचार करने में पीछे नहीं थे। 'केसरी' इससे भी आगे बढ़ा, उसने कहा (४ फरवरी १९०८) 'दमनकारी कानूनों और अध्यादेशों की अचना निर्वासन की जोखिम पर भी करनी चाहिए। जब तक हम यह रुझ नहीं अपनाते तब तक हम वर्तमान दासता की स्थिति में बने रहेंगे।' कालचक्र तेजी से घूम रहा है यदि सुधार करने का अवसर लो दिया ता देश में भ्राजकता फल जावेगी। 'युजरात ने (११ फरवरी १९०८) को नीचे लिखी चतावनी दी— 'धर्म की

सीमा होती है। पिछले दिनों सरकार का जनता के प्रति व्यवहार बहुत कठोर हो गया और यदि ऐसी स्थिति में राजद्रोही निकल पड़ते हैं और अधिकारियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है तो और किसी को दोष नहीं दिया जा सकता वे स्वयं उसके लिए उत्तरदायी हैं।”

नवासारी पत्रिका की भाषा और भी अधिक बज्रदार थी (६ फरवरी १९०८) पुलिस और सेना के शासन के विरुद्ध उसने कहा “ब्रिटिश सरकार की यह बड़ी भूल होगी कि सैनिक शक्ति में अत्याधिक भरोसा करके वह भारतीय राष्ट्र की घृणा की दृष्टि से देखे।”

एक अन्य उचित परामर्श जिसकी ओरों की भाँति भवहेलना हुई (‘राजस्थान’ ८ फरवरी १९०८) का कहना था “प्रजा से मित्रता के सम्बन्ध स्थापित करने की उपेक्षा के और जनता को दसन के द्वारा पीस डालने के सदैव भयकर परिणाम होते हैं।”

रूस में डी प्लेह्वे की हत्या के उपरांत सत्तार ने भय के साथ राजा कार्लोस पुतगाल के राजा और पुतगाल के युवराज की हत्या का समाचार सुना जबकि वे लिसबन में गाड़ी में जा रहे थे। भारतीय समाचार पत्रों के बड़े वय ने उसे भारत के निरकुश शासकों के लिए एक पाठ के रूप में लिया।

६ फरवरी १९०८ के ‘अरण्योदय’ ने लिखा—‘अत्याचारी शासकों को पुतगाली इतिहास से सबक सीखना चाहिए। यह मानना गलत नहीं होगा कि यह भयानक दुःखदायक घटना जो पुतगाल में घटित हुई है सरकार के बायों का परिणाम है। यह उन शासकों को चेतावनी के उद्देश्य से की गई है कि जो यह विश्वास करते हैं कि वे अपनी शक्ति के भरोंसे मनमानी कर सकते हैं और तलवार के जोर से अपनी प्रजा को दबाए रख सकते हैं।’ उसी विषय पर लिखते हुए ‘बिहारी’ ने (१० फरवरी १९०८) नम्र और भावनाहीन भारतीयों की तुलना उन पुतगालियों से की जिन्होंने अपने शासक के अत्याचार को सहन नहीं किया और राजा कार्लोस अपनी पीड़ित प्रजा की क्रोधान्वित शिकायत की। भारतीयों को पुतगालियों की पाठ्यपुस्तक से एक पृष्ठ ले लेना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। हमारे घम को साधुवाद है कि इस बात की कोई सम्भावना नहीं है कि कोई भारतीय अपने शासक की हत्या करे।’ रजन ने ६ फरवरी १९०८ के प्रक में लिखा) परंतु इस सम्बन्ध में किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि कभी सुदूर भविष्य में इस प्रकार के नारकीय काय भारत में भी होने लगे। यह सकेत उन घटनाओं की ओर था जो प्रारम्भिक अवस्था में हो रही थीं।

‘अरण्योदय’ (१६ फरवरी १९०८) की सम्मति में अंग्रेजों के लिए यह अनिवाय टप से आवश्यक था कि वे उन कारणों की जाँच करें जिनके परिणाम स्वरूप पुतगालियों ने उस दुष्कांड को किया और उस कांड के परिणामों को भी मालूम करें। उस पत्र के अनुसार यह जानना आवश्यक था कि उन्होंने यह दुष्कृत्य निजी स्वायत्त क्रिया अथवा निस्वाय रूप से किया। यदि यह उन्होंने निस्वाय भावना से किया हो तो जिन्होंने राजा ‘कार्लोस’ की हत्या कर दी उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। यह वास्तव में पत्र की बहुत साहसपूर्ण सम्मति थी।

“पुरानी व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ले लेती है।” और

'काल' पत्र ने गर्जना के स्वर में कहा— "राजाओं को चीत्कार करने दो और परजीवियों को सबसाधारण राजा की भांजा के सामने नम्रतापूर्वक अपनी गदन झुका देंगे। अभी हाल की घटनाओं ने यह यतला दिया कि हत्याओं का उस देश में जहा वे की गई हितकर प्रभाव पड़ा है।"

२८ मार्च १९०८ को 'हिन्द स्वराज्य' ने लोगों के हृदय निश्चय को नीचे लिखे शब्दों में व्यक्त किया— "अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। या तो हम उन अधिकारों को प्राप्त करेंगे अथवा उनको प्राप्त करने के प्रयत्न में मर मिटेंगे।" उसी तैल में उसने आगे लिखा— अब जनता की दमनकारी तरीकों से शांत कर देने का प्रयत्न व्यर्थ है। जेल हमें स्वर्ग के उद्यान की भांति सुखकर हैं और हमने अपने अधिकारों के लिए सघप करने में मृत्यु को सुखदायक मानना सीख लिया है।"

### भावना से श्रोतप्रोत

एक परतन्त्र जाति के देशभक्त एक समान भाषा में ही बोलते हैं। 'मैजिनी' ने आस्ट्रियन शासकों से कहा था— तुम हमारी राष्ट्रीय सरकार नहीं हो तुम्हारे शासन के विरुद्ध कभी न झुकनेवाला विरोध करने का यही धोचिंत्य है।"

जब आयरिश देशभक्त 'अ लियेरी' राजद्रोह के अभियोग में पकड़ा गया तो उसने कहा था— "इंग्लंड मेरी मातृभूमि नहीं है। इसलिए यदि मैं आयरलैंड में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध काय करता हूँ तो यह राजद्रोह नहीं है। क्या वह व्यक्ति राजद्रोह का दोषी हो सकता है जिसका कोई राजा ही नहीं है।" 'राजद्रोह के कानून में ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति के सिद्धांत को ही अब अस्वीकार किया जाने लगा। अब यह कहा जाता है कि कोई अत्याचारी शासक अपने अधीन लोगों से राजभक्ति का दावा करे तो यह 'यायसगत नहीं है।' 'युगान्तर' की सम्मति में वह जनसमूह जो निरंतर दुखी उत्पीड़ित आपदग्रस्त है हत्यारा के दल को खोज रहा है। 'यह वे लोग हैं जो स्वयं को मरने को भारत का स्वामी घोषित करते हैं जो कि इस देश के बालकों को दबाने और पराभूत करने के प्रयत्न में हिंसा और अयवस्था को उत्पन्न कर रहे हैं।"

सघप अशांति निरन्तर दमन प्रतिशोधात्मक हिंसा तब तक अवश्यम्भावी हो जाते हैं जब तक कि प्रकृति पुनः अभिपुष्टि नहीं करती और उस देश के निवासियों को उनके मायपूण अधिकारों और सत्ता की पुनः नहीं सौंप देती" (बन्देमातरम ६ जुलाई १९०७) राजद्रोह शब्द का अर्थ भारतीयों के लिए कोई अर्थ नहीं रखता क्योंकि 'युगान्तर' पूछता है (२ अगस्त १९०७)

'यदि यह सम्पूर्ण राष्ट्र की अभिलाषा और इच्छा है कि विदेशियों की दासता के जुए को उतार फेंका जावे और स्वतन्त्रता प्राप्त की जावे तो भगवान और 'याय' की दृष्टि में किम्का दावा अधिक याधोचित है— अंग्रेजों का या भारतीयों का अवश्य ही भारतीयों का दावा सही है।' स्वतन्त्रता की मांग सदेह रहित है और यदि फिरगी इसके विरुद्ध शत्रुता का रुन्ध अपनाते हैं तो भारत की समस्त छिपी हुई शक्ति उनके विरुद्ध खड़ी करदी जावेगी और एक अग्निशिखा प्रज्ज्वलित की जावेगी" (युगान्तर ६ नवम्बर १९०६) जिसे सत्कार की कोई शक्ति नियंत्रित नहीं कर सकेगी। वह स्थिति अब आ गई है जबकि हम अपने ध्येय स्वतन्त्रता प्राप्ति को नहीं छोड़ सकते

और उसके लिए हम अपना जीवन भी दाव पर लगा देंगे ।

उसके प्रागे भारतीयों का आह्वान करते हुए लिखता है लोगो को अपनी आन्तरिक शक्ति का नान होना चाहिए और फिरगियों के निद्राजाल को नष्ट कर देना चाहिए क्योंकि शेर का बच्चा कभी अपने अन्तर के सिद्धत्व को खोता नहीं है । जनता का मस्तिष्क स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के विचारों से मोत मोत हो जाना चाहिए । भारतीयों के हृदय को कभी भी दवाई न जा सकन वाली स्वतंत्रता की चाह को उद्बलित करना चाहिए जिससे समस्त देश में असतोष की अग्नि दिखा जल उठे । ( २ फरवरी, १९०७ का युगा तर' )

समाचार पत्रों, भजनों, साहित्य यात्रा तथा नाटकों के द्वारा भूमि को तयार करना चाहिए । इस समय और स्थिति में स्वतंत्रता के विचारों का खुले रूप में प्रचारित करने में कुशल नहीं है । अतएव गुप्त सगठनों की संघर्षों की आवश्यकता होगी । अपने विचारों को घुमा फिराकर गोलमाल भाषा में व्यक्त करना होगा । एक ऐसा गुप्त स्थान खोज निकालना होगा जहा सच्चाई अपने छद्म रूप को उत्तार कर अपने ज्वालामय रूप को दिसला सके । यह स्थान ऐसा होना चाहिए कि अत्याचारों को उसका आभास तक न हो सके । " यह स्वाभिमान के लिए अपमानजनक है कि स्वयं अपनी रक्षा के लिए योग्य वनन के वजाय हम ब्रिटिश सुरक्षा पर निर्भर रहें । हमें शारीरिक शक्ति और साहस के लिए अपने को प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे कि हम बड़ी से बड़ी आपत्ति की स्थिति का सामना कर सकें । "

भारतीयों की बढ़ती हुई पार्श्विक शारीरिक शक्ति को कम समझना फिरंगी बलियों की भयकर भूल होगी । किन्तु भारत को तयार हो जाना चाहिए । मा की रण दुदुभी बज रही है मा के पुत्रों को अब देर नहीं करनी है । समस्त देश को मृत्यु का सामना करने के लिए तयार करो पर तु कबल शब्द ही पर्याप्त नहीं होगे ( 'सध्या' १० मई १९०७ ) बिना लाठी और बम के फिरंगी की बुद्धि ठिकाने नहीं आवेगी । "

नोकरसाही के हाथों जनता को बहुत अधिक कष्ट पहुँच रहा है परन्तु यह सिद्धांत स्वीकार करना होगा कि देश के लिए, देशवासियों की भाषाओं और भाकाशाओं की पूर्ति के लिए और अपने देश के स्वयं शासक बनने के लिए कितना ही कष्ट उठाना पड़ अधिक नहीं है । " ( 'सध्या' ८ जून १९०७ ) ' सात सौ वर्षों के विदेशी अधिरोहण के बाद देश निद्रा में सो गया और निष्क्रिय हो गया । जन साधारण को स्थिति की गम्भीरता से अवगत करा कर जगाना आवश्यक होगा उसके लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे । विपक्षी से मिड़ने से ही शक्ति का विकास होता है और उससे स्वर्क्षा की भावना उत्पन्न होती है । ' ( 'युगान्तर' २६ अगस्त १९०७ )

केवल कुछ व्यायाम और अभ्यास के लिए जब भी अवसर आवे तो अपने विरोधी से लड़ना और दगा करना पड़ता है । बिना किसी शिक्षायत के जेल जाना केवल जेल जाने की अभिलाषा या उत्तेजना फलान के लिए नहीं जाया जाता परन्तु जेल के भय को लोगों से निकालने के लिए जाया जाता है । पाँसी के तख्ते पर लटकाया जाना अच्छी बात होगी यदि उसके द्वारा एक बग के लोगों का मृत्यु से भय जीता जा सके । देश के जागरण की सुदूर सम्भावनाओं का देखकर एक स्त्री की भाँति रोने से काम नहीं चलेगा । शब्द विचारों का स्पष्ट करने में सहायक हो सकते हैं परन्तु आत्मनिभरता में विश्वास पदा नहीं कर सकत । " उसके लिए अनैक्य और मतभेदों

का स्वागत करना होगा। "जब देश में एक विचार बाढ़ के समान आता है तो वह एक दार्शनिक के युक्तिपूर्ण तर्कों के समान धीरे धीरे सावधानी से रक्ख गये कदमों की तरह नहीं आता।

कोई भी देश इस प्रकार के नये तुने हिसाब लगाकर धाज तक ऊचा नहीं उठा। यह कहावत कि श्विन भय के जबड़ों में मर जाती है अक्षरस सही है। क्या तुम देश को बिना कानूनो को तोड़े जगा सकते हो? अच्छा यदि कर सकते हो तो करो किन्तु — 'ऐ देशभक्तो बिना श्विर दान किए क्या देश जागृत हो सकेगा।'

२४ अगस्त १९०७ को युगांतर ने लिखा कि देश के उद्धार के लिये ही देश में दमन का जोर है। "लोग अस्वस्थ कीड़ों की भांति जन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो तभी यन्त्रायण कोड़े की मार से हमारी तद्रा दूट गई। हमने अपनी आँखें धापी खोलीं जो सात सौ वर्षों से बंद थी और हमने देखा कि प्रातःकाल की प्रखर सूर्य की रोशनी हमारे चेहरो पर प्रतिबिम्बित हो रही है। व्यस्त और कायरत विश्व के नाद से आकाश गुंजरित हो रहा है केवल हम ही हैं जो अभी शय्या से नहीं उठे हैं।"

"हमारे अस्तित्व में एक अस्पष्ट विचार घर कर गया कि हम अवश्य ऊचा उठेंगे बिना उठे इस ससार में जीवित रहने का हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे जैसे कोड़े की मार दिन प्रतिदिन तेज और गहरी होती गई हमारे लिए जीवन भयानक हो गया और हम क्रोध और पीडा से चिल्ला उठे क्या हमारे लिए स्वतंत्रता नहीं है।"

१० अक्टूबर १९०७ को कलकत्ते में कालीघाट में एक सभा में एक वक्ता ने खुले शब्दों में कहा — हमारा अ दश वाक्य अत्र यह होना चाहिए। धूसे का जवाब धूसे, नेत्र का नेत्र से और दात का दात से।'

सध्या ने लिखा— तुम लेटे रहकर अत्याचार को कब तक सहन करते रहोगे? और क्यों? क्या तुम धूसे का जवाब में धूसे सा मारना सीखोगे।

विजयदशमी के अभिनन्दन में युगांतर (२ नवम्बर १९०७) ने लोगों से भय छोड़ देने के लिए कहा क्योंकि परिस्थिति एकदम बदल गई है। 'ब देमातरम् का ऊचे स्वर से घोष धीरे धीरे शत्रु के साहस और शक्ति को समाप्त कर रहा है। चारों ओर देखो, देखो मा देवी जगतघात्री के रूप में प्रगट हो रही हैं और राक्षसों को जब वे बहुत अधिक शक्तिशाली हो जावेंगे मार डालने का ध्वन दे रही हैं। 'तुम्हारा स्वराज्य रूपी सिंहासन अवश्य स्थापित होगा। जाओ प्रत्येक कुटी और झोपड़े में जाओ, देश की सुदुर सीमाओं तक जाओ और विजय के सुसमाचार की घोषणा करो। देखो मा का वीररूप रूप बढ़ अपना विशाल और भयानक मुख खोलते हुए हैं उसकी जिह्वा बाहर की निकली हुई है और दानव के श्विर की कामना कर रही है। अपने हृदयों को लेकर माता के चरणों में अर्पण करने से पूर्व हमें ध्यानमग्न होकर सोचना चाहिए कि मा हमारी इच्छा के अनुरूप विध्वंसकारी रूप में उपस्थित हैं। इस बार मा भेदों की बलि स्वीकार नहीं करेंगी। उच्चतम बलिदान (मनुष्यों की बलि) देनी चाहिए। अतएव ऐ देवमक्तों जल्दी करो।"

"ठठ लडे हो, यज्ञ प्राप्त करो, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर संपृद्धिसाली राज्य का सुख भोग करो इन सबों को मैंने पहले ही मार दिया है तुम तो केवल साधन मान हो।"

“प्रत्येक वस्तु की एक सीमा होती है और घैयँ उसका अपवाद नहीं है। जब सीमा रेखा पार हो जाती है तो हृदय प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो उठता है फिर उसे घत्र की शक्ति की और युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं रहती।”

‘तब हृदय में अपरिमित साहस और शक्ति का उदय होता है। युगांतर’ २१ मार्च १९०८) फिर पीछे नहीं देखा जाता और न एक क्षण के लिए मस्तिष्क में यह विचार ही छूटता है कि बाद की क्या होगा। उस समय मन में अपने सामने जो भी बाधा है उसको नष्ट कर देने की अत्याधिक उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। और इस उत्सुकता की क्रिया में परिणित करने के लिए विरोधी के विरुद्ध छस्त्र उठाया जाता है। प्रत्येक फिर वह जो भी कोई हो जो विरोधी के गोत्र या गोष्ठी (जाति, वंश या परिवार का होता उसे भयकर घत्र के रूप में देखा जाता है। प्रतिशोध की अग्नि जिसका उद्गम जनता के उत्पीड़न में छिपा होता है तब तक नहीं बुझती जब तक यह घत्र की सम्पूर्ण जाति को और उसके यश को पूरी तरह भस्म नहीं कर देती।”

### स्फुरण

मान्दोलन के आरम्भ से ही देश के लिए मरने का आह्वान किया जा रहा था परंतु अब यह पुकार अधिक बलवती अधिक गम्भीर और विस्तृत हो उठी। १२ अगस्त १९०६ को युगांतर’ के एक सम्वाददाता ने जापान से प्रकाशन के लिए नीचे लिखी आशय की कविता भेजी— ‘मनुष्य भयकर कठिनाइयों का सामना करते हुए मरे इससे अधिक गौरवशाली मृत्यु और क्या हो सकती है। वह अपने पूर्वजों की भस्मि, और अपने देवता के मंदिर के लिए मरे इससे अधिक गौरवपूर्ण मृत्यु और क्या हो सकती है।”

‘युगांतर’ में २८ अक्टोबर १९०६ को एक उद्बोधक कविता प्रकाशित हुई जिसमें भारतीयों को उनके गौरवपूर्ण भूतकाल की स्मृति दिलाते हुए उन्हें मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए आह्वान किया था। ‘तुम देखोगे कि तुम्हें इस मृत्युलाक के एक जीवन के बदले अमर और अनंत जीवन प्राप्त होगा। अपने श्रेष्ठ को अभी तुरंत चुका देना उसे भविष्य में चुकाने के लिए छोड़ने से अच्छा है। ‘धूसे का बदला धूसे से लो। यदि तुम्हें कोई धूसी मार तो उसे ठोकर मारना न भूलो। तभी तुम में पीछे के चिह्न जागृत होंगे। मृत्यु से न डरो। जिस गीत को तुम बड़े उत्साह से बहुधा जनता में गाते हो उसमें आता है— ऐ मा, यदि जीवन को समाप्त होना है तो तुम्हारा काय करते और बदेमातरम उच्चारण करते हुए प्राणों को निकलने दो।”

भाइयों, तुरंत ही अपने ऋण का भुगतान कर देना ही सबसे अच्छी नीति है। यह सलाह सध्या की थी (११ जनवरी १९०७) ‘हिंद स्वराज्य (१२ फरवरी १९०७) ने अपने परामर्श को पुन दोहराया भारतीयों को अपनी सहज सिधार्थ छोड़ देना चाहिए और अंग्रेजों को मुक्क का जवाब मुक्के से देने के लिए तयार हो जाना चाहिए।”

इंग्लैंड के कानून जो भारत में लागू किए गए हैं पाश्चविक बल पर आधारित हैं। और यदि भारत अपने को स्वतंत्र करना चाहता है तो उसके लिए तो यह निवृत्त आवश्यक है कि वह उसी प्रकार क बल का सचय करे। युगांतर’ कहता है (५ मार्च १९०७) जीवित रहने के लिए और कोई भाग नहीं है। अपने तक को



आगे बढ़ाते हुए पत्र कहता है— “क्या बंगाल के दस हजार पुत्र अपनी पितृभूमि के अपमान का बदला लेने के लिए मृत्यु का वरण करने को तयार नहीं है। समस्त भारत दश में अंग्रेजों की सरया डेढ़ लाख से अधिक नहीं है। और प्रत्येक जिले में अंग्रेज अधिकारियों की कितनी संख्या है? यदि तुम हठ निश्चय कर लो तो तुम अंग्रेज शासन को एक दिन में समाप्त कर सकते हो। वह समय आगया है कि हम अंग्रेजों का समभा दें कि धूतता से देश पर कब्जा करके उसकी सम्पत्ति का उपभोग सदब के लिए उनको नहीं करने दिया जावेगा अंग्रेजों को अब वह अच्छी तरह अनुभव कर लेना चाहिए कि उस चोर की जो दूसरों की सम्पत्ति चुराता है जिदगी इस देश में सरत नहीं है।

“एक जान लेकर अपने एक प्राण की देना आरम्भ करो। अपने जीवन का स्वतंत्रता के मंदिर को अर्पण करदो। बिना रुधिर बहाए मा देवी की पूजा पूर्ण नहीं होगी।”

उसी एक म ( ५ मार्च १८०७ ) पत्र राज लखीराने के लिए कोप इच्छा करने का पहले की अपेक्षा उत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। कोप के श्लोक— (१) चंद्र और दान (२) क्रान्ति के लिए समुदाय से बलपूर्वक आया लेना। (३) सरकारी सम्पत्ति को लूटकर भावी सावभौम राज्य को स्थापित करने के लिए व्यय के लिए लूटना कोई अपराध नहीं है। (४) कर लगा कर ( जत्र भी किसी क्षेत्र पर नियंत्रण या अधिकार स्थापित हो जावे )

‘सध्या’ ( ३० मार्च १८०७ ) के अनुसार मृत्यु और अमरता उस समय पर्यायवाची हो गए हैं क्योंकि यदि स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करते हुए मृत्यु आई तो वह अमरता में बदल जावेगी।

थोड़े में ‘युगांतर’ ( १२ मई १८०७ ) ने कहा — यदि मृत्यु आती है तो आने दो। तुम मृत्यु से क्यों डरते हो जो मानव के लिए अवश्यम्भावी है।

अंग्रेजों के प्रति भारतीय युवकों के व्यवहार तथा दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है ‘सध्या’ ने सतोप से साध लिखा ( १५ मई १८०७ ) “जब कोई उदण्ड फिरगी उनके रास्ते में आता है तो लोग उसकी अच्छी तरह से ठुकाई करते हैं। और यहा जहा जब भी कोई फिरगी दिखलाई दे जाता है तो लडके यदि उसे अबसर मिलता है उस पर ककड परपर फेंकते हैं। मोरोपियत सनिको की ठुकाई जारी है और फिरगियों की पिटाई होती है। उनकी कसी स्थिति हो गई है। वे फिरगी जो बिना किसी की परवाह किए अहंकार के साथ शहर के मध्य दान के साथ चलते थे आज शोरुने खोर र्थि त्त हैं। वे सब जेबो में पिस्तौल रखकर चलते हैं और अधिकतर नगर के भारतीय मुहल्ला से बच कर निकलते हैं।”

‘कायवाही करवे का समय आगया है। ऐ वीर! युद्ध गहन और गम्भीर होता जा रहा है। या तो गौरव प्राप्त होगा या समाधि मिलेगी तुम आगे आओ जो कि मां की उसके प्राचीन गौरव से मडित देखने के लिए अपने जीवन को बसिंदान करने के लिए तयार हों।”

‘युगांतर’ की पुकार थी। ( २६ मार्च १८०७ ) ‘फटे हुए जर्जर वज्रो को पहने हुए धूल में लौटती हुई मा के कट्टों को दूर करना होगा। पर तु प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति की लोज में है जो सर्वप्रथम अपने क्षणमग्न जीवन को, मां की सज्जा को

मिटाने के लिए बलिदान करेगा। कतव्य का माग स्पष्ट है, आवश्यकता है अग्नि निश्चय की। मृत्यु भ्रान्ति हाथ में भररता वा आशीर्वाद लिए हमारे द्वार पर खड़ी है। मैं यह देखने के लिए उत्सुक है कि आज मृत्यु के द्वारा कौन जीवित रहेगा।”

इसी श्रृंखला में 'हमारी आगा' शीपक लेख 'युगांतर' ( १६ अगस्त, १९०७ ) ने प्रकाशित किया जो स्वतंत्रता के लिए कष्ट सहन करने और उसके लिए मृत्यु का वरण के लिए लोगों को उत्साहित करने में अधिक स्पष्ट था। "वया एक भी ऐसा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है जो उन लोगों की प्रसन्नता को चकनाचूर करदे जो समाचार पत्र के सम्पादकों को जेल में डाल कर निष्कटक राज्य करने की प्रसन्नता का आनंद लेने का स्वप्न देख रहे हैं।”

‘वया अभी तक एक भी ऐसा व्यक्ति पदा नहीं हुआ कि जो यह प्रमाणित करे कि बिना रग का विचार किए ताड़ी उन लोगों के सिर पर भी पड़ सकती है जो बारीसाल में गुरखों की लाठी चलाने की आगा दे रहे हैं।”

“वया बंगाल के कोटि काटि युवकों में एक भी युवक नहीं है जो मृत्यु के भय से ऊपर उठा हो। अवश्य ही ऐसे व्यक्ति हैं। केवल ऐसे ध्यकिया न अपने को प्रकट नहीं किया है। ऐसे मा क मत्र के अग्रि हूए पुण्य। वह दिन अब आ गया है जबकि तुम्हें मृत्यु मिलाने वाला भाला या तीर चलाना चाहिए। उन थोड़े से निदयी पशुओं को जो कि अहंकार में डमकत हो तुम्हारे उदार के माग में बाधा पहुंचाते हैं दिखला दो कि आगे से बंगाली एक जीवित के बदले जीवित लेना दुर करण। ६ हे दिखला दो कि बंगाल से विदेशियों के पद चिह्नो को मिटा देना असम्भव नहीं है।

“इसमें तनिक भी सदेह नहीं है कि हमें अधिक लम्बे समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। दिव्य दृष्टि से हम देवी को उसकी युद्ध की अभिवृत्ति में अपने पत्रों के मध्य जो युद्ध में पागल हो रहे हैं खडा देख रहे हैं। देखो वह भयंकर तलवार अधिर से चमकती हुई घूम रही है वह देखो छापामार सनिका व दल देश में छा गए हैं। वहा के मा के आशीर्वाद से शक्तिशाली बन शास्त्रागारों को सूट रहे हैं। उनका जयघोष आकाश में गुंजा रहा है और शत्रु को आतंक से भर दे रहा है। वह देखो दानव का रिक्त सिंहासन बंगाल की खाड़ी की लहरों बहाए ले जा रही हैं।”

‘यदि आत्म रक्षा तथा स्वयं की परिरक्षा के लिए व्यक्ति द्वारा बल प्रयोग का समर्थन किया जा सकता है और स्वीकृति दी जा सकती है तो बड़े क्षेत्र में उसको लागू करने में कानूनन उसके विपरीत नहीं हो सकता।” “यदि एक व्यक्ति के लिए आत्म परीक्षण के लिए बल प्रयोग करना कानून की दृष्टि में उचित है तो यदि एक राष्ट्र वही करता है तो वह गणराज्यों को किस प्रकार हा सकता है? यदि टाकुषा और चोरों से आत्म रक्षा के लिए मनुष्य की हत्या करना पाप नहीं है तो राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए थोड़े से ध्यक्तिया की हत्या किस प्रकार हा सकती है?” (‘युगांतर’ ६ जून १९०७)

मच तैयार है। सध्या' (१३ अगस्त १९०७) लोगों का आह्वान करती है। “आओ हम राणक्षेत्र में उतरें। हम तुम्हें युद्ध के लिए बुलाते हैं। देखना कि अभी थोड़े दिनों में सारे देश में कैसा प्रबल सधप भारण्य होता है। मैं के पुत्र युद्ध की तयारियां कर रहे हैं। उसके शास्त्रागार में जितने भी अण्वय, वहण बायव्य अस्त्र अस्त्र हैं, उनको चमकाया जा रहा है। सुनो मैं की चारों भयानकों का कोलाहल सुनो।

क्या हम तुम्हारी तोपों और बंदूकों से भयभीत हैं।”

‘माइयो शस्त्र सभालो मुक्ति का दिवस समीप है। हमने उस धावाज को सुन लिया है और हम मरने से पूर्व अवश्य ही भारत माता को बंधनों से मुक्त देश सकेंगे। अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो गई।’

भारत को स्वतंत्र करने वाली सेना कूच कर रहा है। कोई भी उसको नहीं रोक सकता उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सध्या’ (२७ सितम्बर १९०७) रास्ते का निर्देशन करती है। गीता के उपदेश को दृष्टि से धोमल नहीं करना चाहिए। भगवान के विनम्र अभिकर्ता के रूप में हम उन लोगों को मार डालना चाहिए जिन्हें भगवान ने पहले नष्ट कर दिया है। भगवान सभी राष्ट्रों को अपनी भूर्खा से मुक्त होने और नया जीवन आरम्भ करने का प्रबल प्रदान करता है।”

हमारे माग से रोड़े हटाने के प्रश्न पर युगांतर (२७ दिसम्बर, १९०७) ने कहा था “अपने धम का नाश करने वाले को मार दो। उस व्यक्ति को मार दो जो तुम्हारे कर्तव्य और धम के माग में रोड़े डालता है फिर चाहे वह धनी हो या निधन, जमींदार हो या राजा सकार का अधिकारी हो या सम्राट।”

सध्या ने (७ अक्टूबर १९०७) प्रति दण्ड देने का एक सरल और तत्काल तरीका बताते हुए लिखा— आजकल सभामो का कोई उपयोग नहीं है इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि जेज का सारा भय और जीवन का मोह हृदय से निकाल देना चाहिये। और क्योंकि हम कोई अत्याचार नहीं करेंगे इस दूसरे को भी अत्याचार नहीं करने देंगे। यदि लाल चेहरे वाली पुलिस या क्रिने के सनिक हम पर अत्याचार करने आते हैं तो हम उनके कुछ अंगों को काट कर उन्हें छोड़ देंगे।

वेद मंत्रम पूना (६ फरवरी १९०८) ने सच्ची धीरता की परिभाषा करते हुए कहा— स्वतंत्रता और धाम के लिये अपने जीवन का बलिदान कर देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आज के समय और परिस्थिति में यह परिभाषा ही सबसे अधिक समीचीन लगती है।”

देश के शत्रु का विनाश नियमित रूप से होना चाहिए उसके लिये प्रतिदण्ड का कोई उपयुक्त अवसर नहीं होता। इसके अतिरिक्त जसा कि विदवावृत्त (मार्च १९०८) ने कहा कि यह दूसरो के भले के लिये करना चाहिए।

‘क्षीण बल और क्षीण बुद्धि के लोग कहते हैं कि उन्हें शांतिपूर्वक धाम होने के दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए और स्वयं उन पर जो अत्याचार हुआ है उसका बदला न लेना चाहिए। पर तु यह नीति पौरुष को नष्ट करने वाली और धम के विरुद्ध तथा अध्यात्मिक उन्नति के विरुद्ध है। हमारी स्मृतियों के लेखकों ने कहा है कि घोर अपराधी का वध करने में कोई पाप नहीं है। हत्यारा कदी वह व्यक्ति जो दूसरो के देश को ले लता है और वह व्यक्ति जो राजा के सामने दुवचन कहे घोर अपराधी है। घोर अपराधियों को बिना किसी हिचक के मार देना चाहिए। वे लोग जोकि अपने राष्ट्र को एक जीवित राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन्हें अपने ससी गुणों का उपयोग शत्रु का नाश करने में और देश का विकास करने में लगाना चाहिये। स्मृति हमसे कहती है कि घोर अपराधी के प्रति कोई अनुग्रह नहीं करना चाहिए वरन शत्रु को नष्ट करने के लिए तयार रहना चाहिए। शत्रु को जल्दी मार देना उसके साथ असाई करना है क्योंकि यदि अधिक लम्बे दिनों तक जीवित रहा तो वह अपने पापों में वृद्धि करता रहेगा।”

'कालेर बीरी' ( काल भेरी ) सधप का धरण शीघ्र आने वाला है। सैनिकों में मृत्यु का भय छोड़ दिया है युगा तर' ( १४ मार्च १९०८ ) चेतावनी देता है — " यदि मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। काल भेरी बज रही है महा-काल की फेरी की आवाज पर लाखों ही व्यक्ति अपने हाथों में नगी तलवार लिए आगे बढ़ रहे हैं और किसी अपरिचित पागल इच्छया के वश खुले युद्ध में अपने प्राणों को बलि दे रहे हैं। वहां काल भेरी बज रही है। यदि तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा। लाखों प्राणी युद्ध की अग्नि में बूढ़ रहे हैं। युद्ध के सगति के छिड़ते ही, महाकाल की भेरी बजत ही जो आत्माएं मुक्ति चाहती हैं वे स्वर्ग की ओर दौड़ रही हैं। "

और वास्तव में दूसरे ही महीने मुजफ्फरपुर में एक भयंकर घड़ाका हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश शासन को जड़ों की हिला दिया।

### ओलों की वर्षा

सम्पूर्ण राष्ट्र ने यह भली भांति अनुभव कर लिया था कि अंग्रेजों की सुनियंत्रित 'सभ्य दासता' से अराजकता कहीं अच्छी है। अब प्रश्न केवल विजय श्री प्राप्त करने का है और उस तक पहुँचने वाले मांग को स्वतन्त्रता के योद्धाओं और सैनिकों के टपकते हुए रुधिर से लाल करना होगा। इतना रुधिर बहाना होगा कि रुधिर की नदियाँ बहें और बाढ़ें आ जावें। युगातर' ( २२ अप्रैल १९०६ ) कहता है — ' रुधिर में सम्पूर्ण घम का समावेश है, कोई भी शक्ति के बीज को मूल से नष्ट नहीं कर सकता जो महान व्यक्तियों के रुधिर से अकुरित हुआ है। हमारा आज का घम अभी भी हतात्मा और बलिदान का है बल वह विजय श्री का घम होगा। '

इसके आगे युगातर कहता है — आज लोगों का कृत्य चुपचाप अपने प्राणों का बलिदान कर देना ही सकता है परंतु कौन कह सकता है कि कल उन्हीं लोगों का मिशन घम युद्ध में विजय श्री प्राप्त करना नहीं होगा। मानवीय रुधिर ही परतंत्रता और दासता के कलक को धो सकता है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ' डरो मत ( युगातर ३ मार्च १९०७ ) अ य देगो की कहानी हमारे हृदयों में साहस भर देगी। मा की लोह श्रलनाओं की हटाने के लिए हमारे प्रयत्नों में भयंकर युद्ध की हम कल्पना करते हैं। " युगा तर ( २४ मार्च १९०७ ) लोगों से कहता है —

' स्वराज्य की देवी के लिए स्वर्ण का सिंहासन तयार करो जो कि करोड़ों हस्तों द्वारा बहाए हुए रुधिर को मथ कर प्रकट होगा। ' हमारे कण्ठों की गहनता हम बतलाती है कि मुक्ति अवश्यभावी है। वे सब चिह्न ऊपर से भारत के हिता के विरुद्ध दिखाई देते हैं वे छल उसके अनुकूल हैं। आगे वह कहता है ( युगा तर २३ जून १९०७ ) अंग्रेजों को दूषित बुद्धि राजसत्ता की घोर बीखलाहट, अविश्वासियों का जोर स हसना और व्यंग्य शब्द कहना हमारे लिए आशा के कारण हैं, न कि निराशा के तुमको जिसमें निरस्ताह और भय दिलाता है वह एक सच्चे कार्यकर्ता के लिए आशा और उरसाह का श्रोत है। यह अंधकार ही प्रकाश के आगमन की सूचना देता है। इस मृत्यु में ही जीवन के कीटाणु भर हुए हैं। यही उत्पीड़न शक्ति की नीव डालता है। अममीत व्यक्तियों की आश्चर्यभरी चित्लाहट भावी शान्ति की श्रोतक है। यही तूफान कमजोर गहन होता जावेगा, वह अन्ततः अंधकार और स्थायी शान्ति का मांग प्रकट करेगा। जो भी कोई अमरता की इच्छा करता है उसे जोखिम भरे पथ से

चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसकी तो केवल प्रस्तावना या आरम्भ ही मानना चाहिए यह केवल मात्र जो भविष्य में होने वाला है उसकी केवल भांकी मा ही है। हमें हताश न होना चाहिए क्योंकि यही अंत का आरम्भ है।

‘देश एक विशाल समतल भूमि बन जावेगा, प्रत्येक घर से रदन का स्व उठेगा, कुत्ते और सियार भपटेंगे और खलेंगे तथा आनाद मनावेंगे। मनुष्यों के सि और मानवीय हृदियों के ककाल रास्तों और पथों पर बिखरे पड़े दिल्लाई देग। भार की मिट्टी जो फसलों के कारण हरी है रुधिर के बहाव से लाल हो जावेगी। यु की देवी मा दुर्गा के भयानक नृत्य से प्रत्येक के हृदय में प्रबल हलचल मच जावेगी लोग इतनी तीव्र क्षुधा से पीड़ित होंगे जसी कि तीव्र क्षुधा ने क्षुधित विश्वामित्र व चंडाल की भोपड़ी में जाने और वहा कुत्ते का मांस खाने पर विवश कर दिया था जब मनुष्यों का जीवन और उनकी सम्पत्ति सुरक्षित नहीं रहेगी, जब ब्राह्मण, गा और परदे की स्त्रियों के जीवन और शील के लिए खतरा उत्पन्न हो जावेगा, जब विदेशी सम्पत्ता जो पाशविक बल पर आधारित और पनपती है अपने वास्तविक रूप में पूर्ण विकसित होकर प्रकट होगी तब ब्रह्मा ब्राह्मणी और गाय पर दया कर उनका भलाई के लिए अवतार लेंगे। भगवान तब तक अवतार नहीं लेते जब तक धर्म की क्षति नहीं होती और अधम अपनी पराकाष्ठा पर नहीं पहुँच जाना। इसीलिए हम कहते हैं कि इन गलत कार्यों अर्थात् अत्याचार और अधार्मिकता का आरम्भ ही उत्साहित करता है और आशा बघाता है कि भगवान अवश्य दया और कृपा करेंगे लोग तब तक काय करने की प्रेरित नहीं होत जब तक कि वे अनति की सभावना नहीं देखते। यह बात कि हम प्रति पग पर बठिनाइयों का भय है यह बतलाता है कि वाञ्छित शुभ बहुत समीप है। हम अत्र कह सकते हैं ‘सूचित न हो हताश न हो।’ समुद्र तट के किनारे और पहाड के शिखर पर जाओ आधी उल्का तथा बर्फ पर अधिकार करो आकाश में प्रत्येक नक्षत्र की अच्छी तरह खोज करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाओ। उसी दशा में तुम अपने विरोधियों का विनाश कर सकोगे उनसे पेश पा सकोगे। तभी तुम उस क्षीय को स्वतंत्रता के हीरो से सुसज्जित कर सकोगे।

मुगांतर (२६ अगस्त १९०७) में पागल योगी के उपनाम से नीचे लिखी रचना प्रकाशित हुई ‘मैं पागल और विक्षिप्त मस्तिष्क का हूँ और उत्तेजना फलाने वाला हूँ। मेरी प्रसन्नता का प्याला उस समय भर जाता है जब मैं चारा ओर प्रशंसा की उतरते देखता हूँ। गूगे बहरा के समान मैं और भ्रमिक विश्राम नहीं कर सकता प्रत्येक दिशा से लूट के समाचार मरे पास पहुँच रहे हैं। मैं स्वप्न देस रहा हूँ मानो भावी गुरिल्ला छापामार सनिकों के दल द्रव्य लूट रहे हैं मानो छोटी डकतियों और लूट के रूप में भावी युद्ध आरम्भ हो गया हो। मैं आज तुम्हारी भचना करता हूँ हमारे सहायक और साथी बनो। तुम अभी तक फूल में ‘वल्करोग’ की तरह छिपे रहे और देश के जीवन निर्वाह के साधनों को तुमने खाकर समाप्त कर दिया। आओ यहा और वहा प्रयत्न करो और पुरानी धीरता की भावना को पुन जागृत करो। तुमने उस दिन मुझे यह वचन देने पर वाच्य किया था कि तुम्हारी कृपा से भारतीय जब तुम्हें याद करेंगे तुम्हारी भचना और पूजा करेंग तब उन्हें शस्त्र खरीदने के लिए दान मिलेगा और सनिक प्रशिक्षण प्राप्त होगा। यही कारण है कि मैं आज

तुम्हारी पूजा और भजना करता हूँ।”

“हमारा लक्ष्य भव स्पष्ट है। मा के पुत्र हजारों बाधाओं के होते हुए भी बिना हताश हुए चमकी और अग्रसर होगे।” युगांतर ( २ अगस्त १९०७ ) को इस सम्बन्ध में पूर्ण निश्चय है कि प्रत्येक भारतीय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ सत्त्व हैं चाहे फिर उसे रुधिर के समुद्र में से ही तरना क्यों न पड़े।

भद्रों का भारतीय साम्राज्य एक व्यय बात है केवल एक मनोकल्पना मात्र है और भारतीय जो इतनी दरिद्रता और कष्ट भोगते हैं वह केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने इस भयकर गलत झूठ को स्वीकार कर लिया है। युगो पहले भारत के ऋषियों ने कहा था। “ जो असत्य हैं उसे नष्ट कर दो और सत्य की स्थापना करो ”। यह विदेशी सरकार की प्रणाली जो अपराध और भ्रमाय पर आधारित है और असत्य है अतएव उसके स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को एक शुद्ध स्वदेशी सरकार स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे सत्य प्रकट हो सके और यह सम्पूर्ण असत्य का आवरण छिन्न भिन्न हो सके। ”

मा की पूजा भजना रुधिर से होगी। दैनिक हितवादी ( ११ अक्टोबर १९०७ ) में नीचे लिखी कविता में जनता को उत्साहित करते हुए कवि ने कहा ‘ हम सारे व्यय उपवास करते हैं नीच लोग आकर हमारे घरो से हमारा भोजन तथा हमारी समृद्धि की देवी को छीन ले जाते हैं। हे मा क्या तुम उस अमुर ( दानव ) को नहीं देखती जो तुम्हारे पुत्रों के देश को लूटता है। दानवों का विनाश करने वाली देवी के रूप में भवतिरित हो मा। ” युद्ध की भेरी बज उठे और हम आज मानवीय रुधिर से विशाल और भयकर पूजा करें। ”

### व्रज

नये सम्प्रदाय के नेता इस बारे में भी सोचने में पीछे नहीं रहे कि उस शत्रु से जो पूर्ण तरह आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित है उसका सामना करने के लिए किन हथियारों का उपयोग किया जावे। ‘ सध्या ’ ( १३ मई १९०७ ) उन बमों के बारे में सकेत करता है जो कि बनाए जा रहे हैं।

उस समय तक साहस उत्पन्न नहीं होता कि जब तक यह ज्ञात न हो कि किस प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। बहुत से यह जानना चाहते हैं कि कितनी बहूकें इकट्ठी करली गई हैं। हथियार इकट्ठी करना भव बहूत कठिन है। एक ऐसा बम तैयार किया जा रहा है जो कि आधुनिक युद्ध में शानि ला देगा वह बम बहुत सस्ता है और उसको हाथ में ला जेब में ले जाया जा सकता है। लेकिन हमें हथियारों की चिंता नहीं है। हम भारत मा के ऐसे पुत्रों का एक दल चाहते हैं जो कि हमारी आज की दयनीय स्थिति के होते हुए भी यह विश्वास करते हों कि स्वतंत्रता दिवस समीप आ रहा है जो साहम के साथ हृदय से यह कह सकें कि वे जिना भारत को स्वतंत्र देने मरना नहीं चाहते। ऐसे सब भारतीयों को संगठित हो जाना चाहिए। ”

दुमर दिन ( १४ मई ) वहीं पत्र बमों और उनके फेंकने की प्रक्रिया के सम्बन्ध कुछ जानकारी देता है। लेकिन साथ ही यह भी सुझाव देता है कि भय प्रकार के देशी शस्त्रों का बहुत बड़ा भंडार होना आवश्यक है। ‘ प्रत्येक ग्राम प्रत्येक मुहल्ले, भोंपड़े, प्रत्येक घर का एक किले में परिणित कर दो। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में लाठी, शूरी, तलवार, खतर और घूल होना चाहिए। तीरकमान और तीरों की तथा बाकी माई

के बमों को बड़ी राशि में इकट्ठा करो। इनमें भाग सगना नहीं है उनको योडा जोर के साथ ऊंचे से गुण्डों के दल पर फेंकना होगा। जैसे ही तुम उभे फेंकीये तुम्हें एव तेज धडाका मुनाई देगा और दस बीस मनुष्य घराघायी हो जावेंगे। काली माई के इस बम को तैयार करने में कोई व्यय नहीं होता और न उनको बड़ी राशि में इकट्ठा करके रखना पड़ता है। इन बमों को जब भी आवश्यकता हो बनाया जा सकता है। यदि फिरगी अगाति पश करेगे तो हम तुरन्त उनसे प्रतिगोध लेंगे। यदि वे पाशविक बल का निन्दयतापूर्वक उपयोग करेंगे और शान्ति को सतारा पदा करेंगे तो सध्या' (६ अगस्त १९०७) की सलाह है कि 'प्रतिगोध की देवी की अचना की जावे।'

बदक या तोप से तुम्ह डरन की जरूरत नहीं है। मां के मन्दिर के पीछे के द्वार पर अनेक प्रवार के शस्त्र बिसरे पड़े हैं। तुम उठ इकट्ठा करना नहीं जानते। तुम्ह स्वदेशी की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए और दुरात्मा को निकाल बाहर करना चाहिए। यदि वह दीवार के अन्दर घुम आवे और तुम्हें सताए तो उसको अच्छी तरह पीटना चाहिए। जब मार पडती है तो भून भाग जाते हैं। केवल अपनी राय पर अडिग रहा। तुम्हारे सब सशय दूर हो जावेंगे और आवश्यक शस्त्र शस्त्र तथा गोली बारूद स्वतः आ जावेगी। यह सोचना भूल है 'कि जीवधारियों को मारना सबदा पाप कृत्य है। जैसा कि गीता ने कहा है ऐसा नहीं है। यदि हत्या धर्म की रक्षा के लिए की जावे तो वह पुण्य काय होगा।'

'भारत में विदेशी राज्य असत्य का समसे बुरा उदाहरण है और वह लोगों को उस असत्य का नाश करने के लिए शस्त्र प्राप्त करने का आह्वान करती है।' उस सब भीम सत्ता को जिसके अखिलगाली राज्य में हम रहते हैं नष्ट करने के लिए हथियार कसे प्राप्त किए जा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो युगांतर (१२ अगस्त १९०७) उठाता है और उत्तर देता है। यह ऐसी गम्भीर समस्या नहीं है कि जो यदि दृढ़ता और हादिक उत्साह हो तो हल न की जा सके। अस्त्र शस्त्र बनाने की शक्ति किसी एक जाति विशेष के पास ही सीमित नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र जिसमें दृढ़ इच्छा और लगे रहने की शक्ति है अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर सकता है। भारत जैसे विशाल देश में जहाँ अग्रणीत बन और पवत हैं इस काय के उपयुक्त स्थान खोज निकालना सम्भव है। इस प्रकार के स्थान को चुनने में विवेक और दूरदर्शिता से काम लेने की जरूरत है।

किसी राजा के लिए इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकना कि इतने विशाल देश में कोई गुप्त रूप से क्या कर रहा है उसकी सामर्थ्य के बाहर है। एक दूसरा तरीका भी अस्त्रशस्त्र प्राप्त करने का है जो बहुत जरूरत सिद्ध हुआ है। बहुतों ने जि होने लसी तरीकों का अध्ययन किया है उन्होंने इस बात को लक्ष्य किया होगा कि क्रातिकारी दल के लोग जार की सेना में शामिल हो गए और उन्हें सब अस्त्र शस्त्र मिल गए। वे अविष्य में आवश्यकता पडने पर क्रातिकारियों के साथ आने को तयार रहते थे।

फ्रांस की राज्य क्राति में भी यह फूटचाल बहुत कारगर सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त यदि शासक लोग विजातीय होते हैं तो क्रातिकारियों को और अधिक सुविधा रहती है। विदेशी सरकार की सेना में अधिकार सनिक देश के निवासियों में से ही भरती करने पडते हैं। अतएव यदि क्रातिकारी गुप्त रूप से इन देशी सनिकों को

स्वतंत्रता का संदेश दे दें तो बहुत सुन्दर हो। जब भारत में उन्हें साम्राज्यशाही से मोर्चा लेना पड़ेगा तो क्रांतिकारियों के पास केवल कुशल और प्रशिक्षित सैनिक ही नहीं होंगे वरन् उनको अस्त्र शस्त्र और गोली बारूद का भी ताम मिलेगा जो कि साम्राज्यवादी सरकार ने उन सैनिकों को दिए होंगे। इसके अतिरिक्त शासक वर्ग के समस्त साहस को उनके मस्तिष्क में गम्भीर भय उत्पन्न करके नष्ट किया जा सकता है।

अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का एक और भी स्रोत है लेकिन उसका उपयोग अत्यन्त सतकता से करना चाहिए। प्रत्येक देश के बंदूक बनाने वाले, क्रांतिकारियों को अस्त्र शस्त्र अत्यन्त प्रशंसता से देखते हैं क्योंकि वे उनके बड़े ग्राहक होते हैं। उसी अर्थ में पत्र लिखता है (१२ अगस्त १९०७)

“यह कठोर सत्य है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए पश्चिम का व्यापारी कुछ भी कर सकता है। सच तो यह है कि बंदूक तथा अस्त्र शस्त्र निर्माण करने वाले क्रांतिकारियों को बंदूक भादि बेच कर अल्प सब ग्राहकों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाते हैं। यदि एक दिन म लाखों बंदूकें बिक जायें तो उनका मूल्य कुछ कम नहीं होगा जिनकी वे अपेक्षा कर सकें। यदि बड़े अस्त्र निर्माता इस प्रकार अपनी बंदूकों को न बेच सकें तो अधिक लम्बे समय तक अपने व्यापार को नहीं चला सकते। क्योंकि सरकार के अल्प निज के अस्त्र बनाने के कारखाने होते हैं उसको दूसरे से अस्त्र तथा गोली बारूद नहीं खरीदनी पड़ती। और बड़े निर्माता फुटकर ग्राहकों को एक या दो बंदूक बचकर जीवित नहीं रह सकते। अतएव अस्त्र शस्त्र निर्माताओं को क्रांतिकारियों का पक्ष लेना पड़ता है। परन्तु इस प्रकार अस्त्र शस्त्रों का आयात करने में बहुत अधिक सतकता बरतनी की आवश्यकता है। क्योंकि यदि राज्य को एक बार भी इसकी खबर लग गई तो वह सभी प्रकार की सावधानी के कदम उठाएगा और क्रांतिकारियों के कार्य को हानि पहुँचेगी।”

उन्नेजनावधक आह्वान (१९६५-१९०८)

कवियों ने देशभक्ति की भावना से भरे गीतों से समस्त देश को उद्बोधित कर दिया। इन गीतों में देशवासियों को भयानक श्चिरमय समय के लिये तैयारी करने सब प्रकार के आराम और विलासिता को त्याग देने किसी भी प्रापतिक स्थिति के लिए तयार रहने और बलिदान के गौरव के साथ मृत्यु का सामना करने के लिए आह्वान किया जाता था। बंगाल के युवकों ने उस आह्वान के प्रति अत्यन्त प्रतिक्रिया प्रदर्शित किया। यह इसी स स्पष्ट था कि बहुत बड़ी सख्या में लोग उरसाह और साहस के साथ आगे आये और इस प्रकार की कामवाहियों में भाग लिया जिसका अवश्यम्भावी परिणाम फाली था।

ऐसे बलिदानों लोग सख्या में बहुत अधिक थे और हर एक दूसरे से अपने हृत्त्व में बड़ बढ़कर था। रबीन्द्र डिजेद्राल, अतुल प्रसाद, रजनीकांत ने अपनी कविता और साहित्य में मातृभूमि के महान गौरवपूर्ण तथा अतीत और वर्तमान की दृश्यनीय स्थिति का चित्रण किया। एकता, सक्ति और निष्ठा स्वाभिमान की सख्त को स्वीकार करने तथा अनन्त कठिनाइयों के हाते मजबूत कदमों से आगे उरसाहित किया। परन्तु उन्होंने कभी भी सावधानी की सीमा का अतिक्रमण नहीं और कभी वरीण रूप से भी अपने प्रति अपना दूतों के प्रति हिंसा करने का



सकेत नहीं किया।

पवित्रों का वह समूह जिसने भारतीय राष्ट्रीयता के जीवित धार में स्वांस का संचार किया स्वयं एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना बन गए। जैसे ही उनके गीत लोकप्रिय हुए उनमें स बहुतां पर प्रतिघट लगा दिया गया परन्तु जिन्होंने उन्हें सुना और पढा उन्होंने उन्हें अपने मस्तिष्क और स्मृति के भण्डार में सजोकर रख लिया। उनमें से कुछ नमूने नीचे लिखे हैं।

“ऐ मा मुझे गिना दो कि मैं अपने जीवन को कम में कम मूल्यवान मानू जिससे कि उसे समर्पित कर अपने को धर्म समर्पक सखू। अपने चरणा की सेवा करने और अन्य सभी के पहले अपना बलिदान देने की मुझे गिना दो। अपने सेवकों की प्रगल्भी पक्ति के समसे आगे मुझे रखो— ऐ मा।”

‘मुझे देखने दो कि मेरा जीवन अधिर उम मिट्टी में जो तुम्हारे चरणों के स्पश से पावन हो गई है— क्या नए सेवक पत्ता कर सकता है?’

“तुम सब आओ जो एक भक्त की भाति न कि उस मनुष्य की भाति जो पहले ही मारा हुआ है मरने की तयारी रखता हो। अतुरों की मारने में कोई घबराहट नहीं हो सकती। जगली पशुओं के शोर से हमें रुकना नहीं है और न हमारे हृदयों में उससे भय होना चाहिए वन की प्रसीम गहनता जिसमें खतरा है उसकी परवाह न कर कौन है जो खतरे की खुली बाहों से गले लगावेगा? आओ वीर पुरुषों की भांति निदय शत्रुओं को मार कर मरो।”

तुम्हारी कठोर परीक्षा ही जावेगी। यह देखा जावेगा कि तुम्हारी प्रगति परीक्षा हुई। तुम्हारा शत्रु तुमसे घणा करता है और तुम्हें परो के नीचे कुचलता है। क्या तुम शत्रु को जला डालने अथवा स्वयं अग्नि में जल जाने और विश्व को शत्रु की अथवा बलिदानों वीरा की भस्मि से आच्छादित कर देने की क्षमता रखते हो शत्रु पर विजय पाने के लिए मृत्यु का आलिगन करो और उससे यह सिद्ध करो कि तुम्हारी विधिवत शिक्षा हुई है। भयकर दिखलाई देने वाली मृत्यु शीघ्रता से आगे बढ़ रही है। वह अचकार से आच्छादित सीमा रहित सघन वनों के बीच जा रही है क्या तुम अपनी काली त्वचा वाले हाथ में तेज धार की तलवार पकड़ शत्रु से वीरतापूर्वक युद्ध करने की तयार हो?

‘तुम सब मृत्यु का आलिगन करने के लिए प्रसन्नता से पावन होकर आओ। दमघान भूमि के घुँसे में बिय गिता दो जिससे वह और अधिक मारक बन जाये। मातृ भूमि तुम्हारे मरने के लिए आह्वान कर रही है। तुम उस आना को शिरोघाय करोगे अथवा नहीं। राष्ट्रीय अपमान चर्म सीमा पर पहुँच गया है और यह कलक केवल मृत्यु के पथ से ही धोया जा सकता है’

—विजय चन्द्र मजूमदार

“शक्ति के पथ में दीक्षित होकर हमारा सिर निराशा रहित मा के चरणों में झुक जाते हैं — हम हमारा और शत्रु का अधिर बहाने से नहीं डरते जब युद्ध की स्थिति में परिवर्तन होता है तो मा दुर्गा आती हैं। वह अपनी तलवार से गरम अधिर बहते और शत्रुओं के विनाश को देखकर सतुष्ट होती हैं। —धारदा चरन मित्र

“बलिदान के यज्ञ की भांति करोडा मनुष्य जो कि मृत प्राय हैं उनकी अपनी आहुति देने दो। ऐ मा तुम्हारे पुत्र तुम्हारी पवित्र मूर्ति की अचना अपने अधिर से करेंगे।”

—कुसुम कुमारी दास

“ऐ पागल यदि तुम अपने जीवन का बलिदान करना चाहते हो तो तुरन्त  
र दो। तुम्हें इममे भयदा भयसर अपने स्वामिगन की रक्षा करने का और अपने  
बलिदान करने का नहीं मिलेगा।”  
—जती त्र मोहन बागची

“बाल चक्र में ऐ मा चडो तुम इन भयकर प्रपुर्णों की दृष्टि देने के लिए आओ।  
इह राक्षस जिनके पान अपरिमित गति है तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर देगे।  
—कानी प्रसाद काव्य विशारद

“मा हीरों से जडे आभूषणों को उतार कर फेंक दो। कट हुए मनुष्यों के  
सिरों का हार धारण करो” — सोने की बामुरी को बलदहा रख दो अपने हाथ में  
हृषाण लो और असुरों को मार कर उनके श्विर से अपनी प्वास बुझाओ”  
—हरिण चन्द्र चक्रधती

“युद्ध की देवी तुम नृत्य करती हुई अपने पुत्रों में विध्वंसकारी युद्ध के लिए  
पूरी तरह तैयारी करके और रुक्च धारण करके आओ हमें युद्ध की भयकर  
कला, हमारे हृदयों में घसीम साहस पैना कर, मरना सिखाओ हम तुम्हारे गले  
में शत्रुओं के घट से नीच काटकर मुडों की माला पहनायेंगे और शत्रुओं की इड्डियों से  
तुम्हें सिर से लेकर पैर तक सजायेंगे। हम आत्र श्विर के महासागर को मयेंगे और  
स्वतंत्रता रूपी समूल्य हीरा ऊपर उतर आयेगा। ऐ युद्ध की देवी मा जागो हम तुम्हारे  
शरणों में अपनी भेंट बढाये ग”  
—गिरीदे घद गगोली

“उत्साह के साथ करोडों सिरा को अपने भयरो पर मुक्कराहट के साथ  
बलिदान कर दो। तुम्हारे सिरों पर करोडों तलवारें मडरायें मृत्यु के पास आने पर  
उसकी तथा भयकर भूतों की जो तुम्हें डराने के लिए और तुम्हारे पूव निश्चित भाग से  
तुम्हें हटाने के लिए आवें तनिक भी परवाह न करो।”  
—मनीलान गगुली

“अने समर्पित जीवन की बिनगारी से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की देशभक्ति  
की अग्नि से प्रज्वलित कर दो। प्रत्येक ऐसी बान जिसमें स्वायपरता मूट, मृत्यु का  
भय ही, उसको अपनी कष्ट यातना की अग्नि से नरम कर दो।”

“एमा कौन है जो सभी सतरों की सम्भावनाओं का बहादुरी से सामना करेगा  
सर्पाई भत्याचार स्वग ने दच प्रहार और मृत्यु। और इन सब खतरा की आति  
पूर्वक सहन करेगा फिर चाहे उसके भय खडित होकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जावें।”  
—देवदुत दसु

“उसको मा का सपून स्वीकार करो जो अपना शरीर और आत्मा को मातृ  
भूमि की पीड़ा और कष्ट मिगाने के लिए अर्पित कर अपने का बलिदान करदे। उसको  
ही यह माना जावेगा कि उसने मा के श्रेण की चुका दिया”  
—देवदुत दसु

“ऐ मुरारी सुगुन चरुपारी पनन की घत्रण्या में पडा हुमा भारत तुम्हें  
आहता है— तुम पुन भारत में अवनरित हो। आओ— अपने हाथ में भयकर तलवार  
सैकर आओ और शत्रु के श्विर से समार को श्विर—प्लाबित कर दो। तुम आओ—  
उन सब बपनों को जो भारत को बांटे हैं काटने वाले तुम आओ।”

“मा के प्रत्येक पुत्र को आकाश में फडराते हुए ध्वज के नीचे एकपिन करो।  
भारत एक नई घोर तेजस्वी वाली बने। तुम आओ— पृथ्वी को शत्रु के श्विर से  
प्लाबित करने के लिए तुम नए देश न आओ।  
—कामिनी कुमार शुकुल

### देशभक्ति पूण सगठन (१९०५-१९०८)

राष्ट्रीय शिक्षा—उपभोग विरोधी आन्दोलन के नेताओं ने जब स्कूलों और कालेजों के बहिष्कार करने की अपील की तब वे केवल बहिष्कार करने की बात कहकर ही चुप नहीं बैठ गए। १६ नवम्बर १९०५ को 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' का गठन किया गया। उसका उद्देश्य राष्ट्रीय भाषार पर साहित्यिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक (तकनीकी) तथा व्यवसायिक शिक्षा देना था। उस शिक्षा में देना उसके साहित्य, इतिहास, दशन के ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता था। उसमें जीवन के उच्चतम आदर्श और विचारों का तथा पश्चिम के उच्च विचारों का समावेश करना या और अपने देश के प्रति सच्चा प्रेम और उसकी सेवा करने की सच्ची लगन जागृत करने का उद्देश्य था। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा योजना को तयार करने के लिए जो अस्थायी समिति नियुक्त की गई थी उसने २ दिसम्बर १९०५ को अपनी रिपोर्ट दे दी जिसको परिषद ने ११ मार्च १९०६ को स्वीकार कर लिया। परिषद १८६० के द्विकीसर्वे अधिनियम के अंतर्गत १ जून १९०६ को पञ्जीकृत हुई। बंगाल राष्ट्रीय महाविद्यालय का १४ अगस्त १९०४ को उद्घाटन हुआ यह राष्ट्रीय शिक्षा का प्रथम सरकार की तत्कालीन शिक्षा नीति को एक बड़ी चुनौती थी जिसे सरकार शिक्षा तथा छात्रों की कायवाहिया पर प्रतिबन्ध लगाती थी और उन शिक्षण संस्थाओं को दण्डित करती थी जो उन अपमानजनक प्रतिबन्धों की अवहलना करते थे। जो शिक्षण संस्थाएँ अपने आंतरिक कार्यक्रम और व्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबन्धों के विरुद्ध कार्य करती थी उनको सरकार दण्डित करती थी यह राष्ट्रीय शिक्षा का महाप्रयत्न उस अराष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक खुली चुनौती थी।

### परिपत्र विरोधी समिति

सरकार के उन कुर्यात परिपत्रों के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए जिनमें छात्रों द्वारा राजनीति में भाग लेने पर दण्ड देने की व्यवस्था थी 'श्री रमाकांत रे' माईनिंग इंजीनियर ने परिपत्र विरोधी समिति की स्थापना की। इस समिति की स्थापना बारीसाल सम्मेलन में हुई जिसमें अधिकांश वे छात्र सम्मिलित हुए थे जिनको राजनीति में भाग लेने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया था। सम्मेलन में वे स्वयं सेवक की भाँति काम करते थे। 'इंगलिशमन' की भाषा में (१३ दिसम्बर १९०७) इन छात्रों ने पुलिस द्वारा दण्डित होकर प्रसिद्धि प्राप्त करली है।

नेताओं ने यह आवश्यक समझा कि स्वायत्त रहित लगन वाले कार्यकर्ताओं का सगठन करना अत्यन्त आवश्यक है। उनका उपयोग बहिष्कार करने धरना देने और सम्मेलन में जाने वाले बड़ी सख्या में प्रतिनिधियों की सुख सुविधा को देखने के लिए करना आवश्यक था।

कुछ ही दिनों में परिपत्र विरोधी समिति का स्थान वृत्त समिति, और बदेमातरम् सम्प्रदाय ने ले लिया अनेक समितियाँ और अखाड़े कलकत्ते तथा समीपवर्ती जिलों में स्थापित हो गए। १६ मई को एक सम्वादात्मता के कोमिट्टा से 'इंगलिशमन' को लिखा (१७ मई १९०७)

"इस बात की हमारे पास साक्षी है कि अधिकांश अखाड़े मुख्यतः बदेमातरम् तथा वृत्त समितियों के सदस्यों को सशस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित किए गए हैं। विशेषकर लाठी, भाला तलवार और गुस्ती चलाने की वहा शिक्षा दी जाती

है। अब सभी जगह गुप्ती तयार की जाती है और बेची जाती है। सरकार ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था (डी ऐडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल आन्डर सर ऐडवड फ्रेजर १९०३-०८ पृष्ठ १५ १६)।

“ कि इन अखाडों में युवक और बच्चों की शारीरिक प्रशिक्षण ब्यायद और अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी और लाठी चलाना तथा कुश्ती लड़ना सिखाया जाता था। इन अखाडों के सदस्यों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक कहा जाता था। इन अखाडों का उद्देश्य यह था कि एक ऐसा दल खड़ा किया जावे कि जो शक्ति का मुकाबला शत्रु से कर सके और आक्रमण तथा प्रतिरक्षा के अथवा कार्यों के लिए उपलब्ध हो।

‘ उनका अथवा कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। कुछ को सदेशवाहन की तरह उन लोगों के पास भेजा जाता है जो कि आन्दोलन को चलाने में रुचि रखते हैं और शेष को प्रचार काय करने के लिए भेजा जाता है। ’

यह स्वयं सेवक अपने ढंग से बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं वे सरकार के विरुद्ध प्रतिरोध की भावना को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस दल के बहुत से सदस्यों ने उन वायव्यद्विषों में प्रमुख भाग लिया है कि जिनके कारण अर्थोपेक्षित अधिकारियों के हृदय आतंक से भर गए हैं।

समाचार पत्रों में घोषणा से यह प्रमाणित होता है “ कि खुले आम युवकों को भर्ती किया जायेगा और सैनिक युद्ध नीति वायरलेस टेलीग्राफी, तीरदाजी, गोली का निशाना लगाना आदि की शिक्षा दी जावेगी।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए साधारण समाजों में इस आशय की अपील की जाती थी कि प्रत्येक परिवार को एक लड़के को छात्रवृत्ति पालन करने और आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन का मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए समर्पित कर देना चाहिए।

### द्वारिसाल सम्मेलन ( १९०६ )

सरकार ने अपने मस्तिष्क का सतलन खो दिया। द्वारिसाल की घटना ने अधिकारियों के पागलिक निदयतापूर्ण रुख का नग्न रूप में प्रकट कर दिया। आन्दोलन के आरम्भ से ही द्वारिसाल द्वारा अकथनीय यातनाओं और कष्टों को सन्तन करने और अतुलनीय साहस प्रदर्शित करने के कारण उसकी बहुत ख्याति हो गई थी। आन्दोलन के नेताओं ने पुलिस तथा नेपाल से बुलाए गुरुओं के अत्याचारों के होते उस जिले की सहनशीलता और त्याग की सराहना करने के उद्देश्य से बड़ा एक विशाल सम्मेलन करवाया निश्चय किया। सम्मेलन करने के लिए योजना के अनुसार सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए।

सरकार ने इस बीच यह आशा निकाल दी कि सम्मेलन के सगठन कर्ताओं को ‘ बन्धेमातरम् ’ से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। परिस्थिति बहुत कठिन हो गई। सगठन करने वालों से परामर्श करके सम्मेलन १४ अप्रैल १९०६ में अत्यन्त दुःख वातावरण में हुआ। आरम्भ से ही यह अंगका थी कि सरकार और जनता में भिन्नता होगी और वही हुआ भी।

सरकार ने अपने मुँह का आवरण उतार कर पेंक दिया और अत्यन्त निदयतापूर्ण दमन पर उतर आई। उनसे जनता को पागलिक बल पर नैतिक विजय प्राप्त करने का मुँह भर भवसर प्राप्त हो गया। सरकार द्वारा गम्भीर उत्तेजना उत्पन्न करके

के सभी उपाय करने पर भी जनता नितान्त दान्त रही यह नेताओं और जनता के लिए अत्यन्त प्रेमा की बात थी। सवित्र प्रतिरोध की मुक्ति विनाल पमाने पर पहली बार भारत भूमि पर सफ़रनापूर्वक व्यवहार म साई गई। शारीमाल ने पहली बार भारत में अहिंसक सग्राम की नींव रखी जो भविष्य में महात्मा गांधी के सुयोग्य नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता सग्राम में इतनी अधिष मन्त्वपूर्ण गिहई हुई।

सम्मान की कायवाही कायक बीच में ही रोहनी पडी और कायश्रम का अधिकांश भाग शोहना पडा। उस समय जो लोग एकत्रित हुए थे उनमें से बहुतेको तथा नेताओं को अफ़्फ़ीय यातना सहनी पडी पुलिम के साठी चाज के कारण उनके सिरों से रक्त बह रहा था। मुख्य अतिथि तथा स्वागताध्यक्ष को मजिस्ट्रेट द्वारा अपमानित होना पडा और उनके विरुद्ध फौदारी मुकद्दमा चलाया गया। परन्तु पुलिस की चिल्लाहट और शोर तथा मनुष्यों के सिर पर साठिया के प्रहार के बीच बदेमातरम् का नारा बराबर सुनाई देता था। युवक और वृद्ध सभी के साथ उस पागलपन से भरे हुए हिंसारमक आक्रमण में एक समान व्यवहार किया गया। उस तिहस्थी और पूर्ण दात भीड के पास अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी नही था। उनके पास उस कठिनाई के समय केवल अतुलनीय साहस और मातृभूमि का प्रेम था जो उनके लिए स्वयं से भी बढ कर था।

इस प्रकार बारीसान में सगंध काति था बीज बोया गया। जिसके लिए सरकार के अत्याचारों ने जमीन जोत दी और उस स्मर्णीय ऐतिहासिक दिवस अर्थात् १४ अप्रैल १९०६ पर सहोदा के बहन हुए रघिर से बह सीची गई।

उस सघप के वीर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थ जो राष्ट्रीय भारत के नेताज के बाल्गाह थे। मजिस्ट्रेट ने उनके साथ अत्यन्त अश्रद्धता का व्यवहार किया। और जब वे उस सघप से गौरव के साथ वापस लौटे तो पजाबी' ने नीचे लिखी कविता (राम शर्मा द्वारा रचित) २५ अप्रैल के अंक म प्रकाशित की।

वह आ रहा है। विजयी वीर आ रहा है भाइयों यशोगान गावो और भेरी बजावो बगाल के स्त्री पुरुषों अत्याचारी के पतन की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। तुम्हारी भाखों से आवरण हट गया आगे बढो देखो सम्मान का माग कौनसा है आगे बढो! यदि आवश्यकता हा तो रघिर मे स्नान करो। क्योंकि देशभक्त का रघिर ही स्वतंत्रता का बीज है। दुर्भाग्यपूर्ण बारीसाल सम्मेलन के तीन महीने पूव 'अमृत बाजार-पत्रिका' (१३ जनवरी १९०६) ने खुले शब्दों मे कहा कि बारीसाल के सिवाय जिसने सबसे पहले कष्ट सहा और भयकर रूप से सहा—अथ किसी भी स्थान पर अयवस्था और अशाति का मुकाबिला कम से कम अव्यवस्था और अशाति से होता। यदि पूरी आराजकता न भी फल जाती।

“दी इंडियन ऐम्पायर” (१० अप्रैल १९०६) ने बारीसाल की जनता को सरकार के सम्भावित होने वाले दमन की चेतावनी देते हुए सम्मेलना के प्रबन्धकों से कहा कि— उन्हें यह निश्चय कर लेना चाहिए कि लोग वतमान अिशा देहि की नीति को अपनाए रहें अथवा वे अपनी भुजाओं की शक्ति पर अपनी राष्ट्रीय आकाशाओं को पूरा करने के लिए भरोसा करें।

उसने इस महत्वपूर्ण कथन से अपने लेख को समाप्त किया। “गिडगिहाने से घृणा मिश्रित अनुकम्पा मिल सकती है पर तु जो सत्ता में हैं उनका आदर कभी नहीं

मिल सकता।”

जब सम्मेलन को बलपूर्वक ध्वज भिन्न कर दिया गया तो तुरंत उसके बाद सध्या ने लिखत हुए नीचे लिखा प्रश्न पूछा—‘सकड़ो गाय बल और भेड़ों की तरह मार खाना अच्छा है अथवा आत्म रक्षा के लिए लाठी का जवाब लाठी से देना अच्छा है।’

समाचार पत्र जीवन का मोह छोड़ने और अथवा की भावना फैलाने का प्रचार करने लगे। जो कि जनता के मांस का प्रतिबिम्ब था। ‘आनन्द वाजार पत्रिका में श्री श्री विष्णु प्रिया ने १६ अप्रैल १९०६ को लिखा—“सरकार को समय रहते इस तथ्य से अवगत करा देना चाहिए कि आजकल भारतीय मृत्यु को साधारण घटना समझना सीख गए हैं।”

एक भयकर तूफान दश भर में धाया हुआ है जिससे सजा के मस्तिष्क में उत्तेजना और उतावली उत्पन्न हो गई है। एक सक्क नजदीक आ रहा है और बारी साल जसी घटना और कहीं घटी तो सम्भावना इस बात की है कि लोग अपने प्राणों की परवाह नहीं करेंगे।’

यद्यपि भारतीय विशेषकर बंगाली नम्र और सहनशील होते हैं वे उतने ही भावना प्रधान हैं जितने कि अंग देश के लोग। इस प्रकार की घटना से जो असंतोष उत्पन्न हुआ है वह उसके हृदयों में गहरा पैठ जावेगा और उसका परिणाम भविष्य में अशांति के रूप में प्रगट होगा।

इस सम्बन्ध में ‘बंगाली’ ने २० अप्रैल १९०६ को लिखते हुए इससे भी आगे बढ़कर कहा—एक दूसरा और बड़ा आन्दोलन पैदा कर दिया गया और देश का बधानिक आन्दोलन में विश्वास समाप्त हो गया।

उसी पत्र ने २१ अप्रैल के अंक में इस प्रश्न पर लिखा—‘वह ऐसा कायरता पूर्ण, अप्रकोषित और नृशंस निश्चयतापूर्ण अत्याचार था कि जिसने नम्र और शांति जनता को खतरनाक ढंग से असंतुष्ट कर दिया।’

जनता की सहनशीलता की एक सीमा होती है अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि पापविक बल का उपयोग करने से पापविक शक्ति का ही उदय होता है और जहाँ बुद्धि और सुबुद्धि पूर्ण राजनीतिज्ञता का स्थान बहूक और लाठी ले लेती है वहाँ स्वभाविक है कि लोग वैधानिक तरीकों को तिलाजलि दे दें। अतएव पूर्ववत् बंगाल की सरकार अपने लिए अत्यन्त कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर रही है और उसी के तरीकों से उसको उसके कुकृत्यों का उत्तर मिलने की सम्भावना है।

अपने आवरण को फेंक कर ‘युगांतर’ ने २२ अप्रैल १९०६ को लिखा—‘तीस करोड़ लोगों को बारीसाल की घटना के सदृश्य अत्याचार के इस तरीके को रोकने के लिए अपने हाथ उठाने चाहिए। शक्ति का उत्तर शक्ति से दिये जाने की जरूरत है।’

अब यह स्पष्ट हो गया कि बारीसाल में किए गए अत्याचारों ने समस्त भारत में एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रोध की लहर उत्पन्न कर दी और ‘सध्या’ (२८ अप्रैल, १९०६) ने लोगों का आह्वान किया कि वे अपने क्रोध का प्रदर्शन करें और अपने ही स्त्रियों के समान बदला समझने की भूल न करें। यह दोष की भावना का भावना का बाह्य रूप में क्रोध में प्रदर्शन होना चाहिए क्योंकि “धरमदात बसा

व्यय क्षोभ राष्ट्रीय चरित्र के लिए अत्यंत अपमानजनक है। सब परिस्थितियों में धर्म सदैव अच्छा नहीं होता। जीवन के संघर्ष में प्रतिशोध की भावना भी आवश्यक होती है। प्रतिशोध राष्ट्रीय अपमान को दूर करने का कभी असफल न होने वाला उपाय है।”

‘बारीसाल की घटना के अपमान का विष वेधल भाषणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सब विदित तथ्य है कि विष को विष से ही नष्ट किया जा सकता है। अपमान के विष को प्रतिशोध के विष से ही समाप्त किया जा सकता है।”

‘हितवत्’ ( २६ अप्रैल १९०६ ) ने लिखा कि बाहरी दुनिया सम्भवतः यह न जान सके कि यहाँ जनता पर कितने भयंकर अत्याचार किए जाते हैं परंतु उसकी राय थी कि — ‘यदि वह घटना दुनिया के किसी और देश में हुई होती तो हमसन ( मजिस्ट्रेट जो बारीसाल घटना के लिए उत्तरदायी था ) का सिर धड़ से अलग होकर सड़क पर लुढ़कता होता। इस निल्लज व्यक्ति ने जिस प्रकार ऐसे सभ्य त व्यक्तियों के साथ जो उससे भी ऊँची सामाजिक स्थिति के थे दुर्व्यवहार किया यदि इसी प्रकार कोई निल्लज व्यक्ति अथ किसी देश में व्यवहार करता तो उसकी हड्डियों को कुचल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता।”

भविष्य बहुत अधिकारमय है और यह स्पष्ट है कि — ‘शास्त्रों के विरुद्ध शस्त्रों का उपयोग होगा निरपराध बच्चा के रघिर का अप्रैजो के और अत्याचारियों के रघिर से घोषा जावेगा। जब कीड़े को काँड़ जोर से दबाता है तो वह भी काट लेता है। इस देश के लोग जब तक धर्म धारण किए रहेंगे।’

पत्र ने टोपियों के दंडित न किए जाने पर भविष्य में होने वाली घटनाओं का अत्यंत सजीव चित्रण करते हुए लिखा

‘हम भय है कि स्वदेशी आंदोलन अब दूसरा ही रूप धारण करले। यदि ब्रिटेन के स्वाम पर हमसन का बटा हुआ सर यदि लम्बे पर लटका दिया जावे तो वह न तो जनता के लिए और न शासकों के लिए अच्छा होगा। अब हम सरकार को चेतावनी देते हैं यदि मनुष्य वेश में बबर राक्षसों को दण्डित नहीं किया गया, यदि इन व्यक्तियों के अहंकार को नष्ट नहीं किया गया तो उससे जो अग्नि प्रज्वलित होगी वह हजारों मनुष्यों के रघिर से ही बुझेगी। हम जिस बात के लिए डरते हैं वह यह है।”

सभी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों की सल्लेजना पूर्ण भाषा और जनता के क्षोभ ने जिलाधीश को चौकना कर दिया। भावी अशांति के भय से उसने सूय हूयने के दाद और सूय निकलने तक किसी भी व्यक्ति को सलवार सुती, लाठी, चास जो कि तीन फीट से अधिक लम्बा और एक इंच से अधिक मोटा हो लेकर निकलने के विरुद्ध आज्ञा प्रचारित कर दी। यह आज्ञा कुछ विशेष सड़कों बाजारों तथा स्टीमर घाट के क्षेत्र पर लागू की गई। पुन ब्रिटेन ( ५ जून १९०७ ) ने लिखा कि प्रत्येक बात शान्ति और व्यवस्था के नाम पर की जा रही है। उसने उस आज्ञा का अपने ढंग से अर्थ निकालते हुए लिखा —

‘अप्रेजो का शास्त्र ही कानून है। भारत में उसका अस्तित्व और उपस्थिति ही बहुत से देशव्यति पूरे कार्यों को दबाने और उनको छोड़ देने का संकेत है। विदेशी निरंकुशता से समझौता कर लेना ही पूरा व्यवस्था मानी जाती है। भिक्षा मागने और

राजनीतिक अधिकार की मांग करना महान् प्रशिष्टता मानी जाती है। नीकरशाही के दुष्कृत्यों को समाप्त करने का प्रयत्न करना धीर अपराध है। अनतकाल तक दासता के लिए इच्छा करना बुद्धिमानी और शांति प्रियता मानी जाती है। अपने को स्वराज्य के लिए सदैव के लिए अयोग्य मानना ही बुद्धिमानी और उदारता मानी जाती है। अपने को एक राष्ट्र मानना पागलपन माना जाता है। अपने देश को प्रेम करना अथ विश्वास समझा जाता है और उसकी मुक्ति के लिए प्रयत्न करना राजद्रोह करार दिया जाता है।

अतएव उसने यह परिणाम निकाला कि नया राष्ट्रवाद जो बहिष्कार और स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज्य को स्वीकार करता है कानून और व्यवस्था, धर्म और नतिकता या प्रियता और भोचित्य, भागपालन और अनुशासन का उच्छेदक है।

समाचार पत्र साहस के साथ तुले दाब्दो में सरकार की भरसना करने लगे और सभी विचारा के पत्र एक और ही सचेत करते—प्रतिगोप और रुधिर।

५ जून १९०६ को बंगाली 'लिखा' 'इमसन न लिखा' या कि किस प्रकार वीरवर 'लवज्वाय' ने भाषण और विचार की स्वतंत्रता के लिए एक भौंड की गोली वर्षा के सामने अपनी छाती बरदी थी और उमने जब जीवित न रहना ही ठीक या मृत्यु का आलिगन कर लिया।'

'ठीक वही भावना आज भारतीयों के मस्तिष्क में उठ रही है। लोग जानते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता केवलमात्र दाहीदो क रुधिर से ही प्राप्त की जा सकती है और वे उसके मूल्य को चुकाने के लिए तयार हैं।'

पारिविक शक्ति के लिए खुला आह्वान किया जाता है क्योंकि शत्रुओं ने कानून तोड़ डाला। ऐसी अवस्था में लोगों का कर्तव्य है कि तुम स्वयं गुण्डा बनना सीखो, स्वयं पार्शविक बल सच्य करो। याद रखो अग्रज शक्तिशाली का ही सम्मान करते हैं और निधल के लिए बाल के समान भयकर घात जात हैं।

एक बार जब जनता को दासता का भान हो जाता है वह जागृति हो जाती है और बधन की शृंखलाओं को तोड़न का प्रयत्न करने लगती है तब फिर वह कभी दबाई नहीं जा सकती। लोगों को फिर चाहे जेल भेजा जावे, देश से निर्वासित किया जावे, या फांसी पर लटकाया जावे अथवा उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिये जावें परंतु वे उस लक्ष्य को नहीं छोड़ सकते जो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। 'बगवासी' (जिसे इंग्लिशमें ने २ सितम्बर १९०७ को उद्घृत किया)।

"इसकी मानकर चला कि देशभक्ति कभी समाप्त नहीं होने वाला स्रोत है। वह रुधिर के बीज के समान है जो कि उनके विनाश करन के प्रयत्नों से और अधिक बढ़ते हैं। जहा एक व्यक्ति को कद किया जावेगा उसका स्थान लेने के लिए ही मनुष्य सठ खडे हगे।

जबकि दमन अपनी चरम सीमा पर था और कानून की अवज्ञा तथा शिकायतों के लिए प्रतिकार की भावना बलवती थी, रमेशचंद्र दत्त ने अपने मुनिश्चित विचारों को 'लदन टाइम्स' में १० जून, १९०८ को लिखते हुए कहा कि इस प्रशांति के लिए केवल मात्र जनता ही दोषी नहीं है और दमन ही केवल मात्र सिधति को काहू में लाने का एकमात्र उपचार नहीं है।



बंगाल का विभाजन सर वम्पफाइल्ड का काय नहीं है और न वर्तमान सरकार ने उसकी किया है वे उसके दुःखद परिणामों के उत्तराधिकारी हैं। जब उस कदम के विरुद्ध जन क्षोभ का विस्फोट हुआ तो लोगों के मन पर यह छाप पड़ी कि उसके विरुद्ध आंदोलन को पसंद किया जावेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि एक घण्टा के दूसरे घण्टा के विरुद्ध एक पक्ष के लोगों को दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध खड़ा किया गया और उसका परिणाम यह हुआ कि पूव बंगाल में उपद्रवों, चूट, अगणित दुष्कृत्यों की बाढ़ आ गई उस प्रकार के उपद्रव तथा चूट ब्रिटिश भारत में पिछले पचास वर्षों से अधिक समय में जिसकी मुझे याद है कभी नहीं हुई।

ऐसी दशा में बहुत अधिक सख्या में लोग यह अनुभव करने लगे कि उन्हें उनके कष्टों से मुक्ति मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। उह दगन के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं मिलने वाला है। निराशा न लोगों को हताश कर दिया और अपराध की भावना उत्पन्न हो गई।

अपराध को कठोरतापूर्वक दमना चाहिए। परंतु क्या ऊपर बखित परिस्थिति का सामना करने के लिए दमन ही एकमात्र उपचार है। 'सर-थी फुलर' जिसकी कल्पना करते हैं उससे भी अधिक भयकरता और कठोरता से पिछले बारह महीनों में दमन किया गया परन्तु वह असफल हुआ। दमन सदा असफल होगा क्योंकि भारत में आयरलैंड की तरह केवल दमन कोई उपचार नहीं है।

उसी समय सरबिन्द ने लिखा — 'अत्याचारियों ने प्रयत्न किया परंतु क्या वे कभी भी मनुष्य में जो स्वतंत्रता के प्रति प्राकृतिक प्रेम है उसको दवाने में सफल हो सके? दवाने से वह अधिक क्षति से उभरा। अत्याचारों के परा के नीचे रोदे जान पर यह अनेक रूप धारण कर लेता है और बार-बार अशफलता और अकथनीय कष्टों से प्रेरणा पाकर वह उत्तरोत्तर नए रूप में प्रवृत्त लेकर अधिक क्षतिशाली हो जाता है। अतः में वह इतना समझता जाता है कि वह अत्याचारों को सदा के लिए सत्ता से हटा देता है। यह इतिहास की शिक्षा है और यही मानवता का संदेश है।

धार्मिक पुस्तकों में वर्णित विपले सप को भाति अत्याचारियों के भावें होती हैं परंतु वे देखते नहीं, उनके कान होते हैं परंतु वे नहीं सुनते और इतिहास की वक्ष शिक्षा और मानवता का सवकालीन संदेश उनको नहीं सुना वह उनके लिए व्यर्थ होता है। और विकास का रथ मानव की भूलों और विकृत मनोदशा के कारण इस पृथ्वी पर रुधिर और विष्वस में से होकर भागे बढ़ता है।

काग्रस में फूट (१८६३-१९०७)

प्रयुक्ति—जबकि लोकमान्य तिलक और पराजपे अपने दग से उग्र नीति का प्रचार कर रहे थे जो उहाने शिवाजी उत्सव और पूना प्लेग के साथ आरम्भ की थी अरविन्द का उससे बहुत पहले ही, जबकि वे राजनीतिक जगत में प्रकाशवान हुए अविष्य में जो घटनाएँ घटन वाली थीं और जिस प्रकार वे भारत की भावी राजनीति को प्रभावित करने वाली थीं, उसका भाव था। सुदूर भूत में (१८६३) जबकि तत्कालीन राजनीतिक नेता नरम नीति का प्रचार कर रहे थे और शिक्षित वर्ग का कार्य केवल धीरे धीरे निरक्षर जनता को ऊपर उठाने तक सीमित था, अरविन्द ने (राय चौधरी, जो अरविन्द और स्वदेशी युग पृष्ठ ६८ ६९) इंदु प्रकाश में १८ सितम्बर, १८६३ में लिखा था 'स्वयं नेताओं को फ्रांस के इतिहास की शिक्षा को नहीं सुन

ना चाहिए जहाँ अबूझ जन समुदाय ने दृष्टि और अग्नि से शुद्ध और दीक्षित कर पाच भयंकर वर्षों में तैरते सौ वर्षों के सचित प्रत्याचार को मिटा दिया।" यहाँ उल्टे कहा कि आयरलैंड इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका इत्यादि के इतिहास की भी ठीक वही कहानी है। अरबिन्द न जो कुछ कहा उसके बाद प्रत्येक बुद्धिमान और विचारवान व्यक्ति के लिए यह स्पष्ट हो गया कि जल्दी या देर से एक सशस्त्र जन क्रांति अथवा राष्ट्र की भावना का किसी प्रकार का हिंसात्मक प्रदर्शन होने वाला है।

कांग्रेस के अन्दर गरम और उग्र राजनीति का विवाद अभी तक नहीं उठाया परन्तु 'काल' ने जनता के हाथ में संचित और सत्ता जाने का एक चित्र चपस्थित किया था। उसने ८ जनवरी १९०४ के अफ म लिखा— "वह कथित राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) जो सालों साल अपने सम्मेलन करती है वास्तव में राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। यह केवल उन व्यक्तियों के एक सपवग का सगठा है जिन्हें अंग्रेज लोग बुरा कर शिक्षित करते हैं क्योंकि उनमें से अधिकांश अंग्रेजों के नितांत अनुसेवी और आज्ञाकारी हैं। बहुत करके राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस इसी स्थिति में रहेगी और कभी भी देश का कोई हित नहीं कर सकेगी। लेकिन एक दूसरी भी कांग्रेस है जो अभी तक कभी नहीं मिली अर्थात् उसकी कमी बँठक नहीं हुई। लेकिन जब उसका सम्मेलन होगा तो उसकी मांग का विरोध करने का किसी को भी साहस नहीं होगा। उस कांग्रेस में वक्ता भाने मुँह से भाषण नहीं करेंगे और न उस सम्मेलन में भाने वाले प्रतिनिधि मंडप में कुर्सी पर घोंक लगा कर बैठेंगे क्योंकि तीस करोड़ प्रतिनिधियों के लिए कुर्सियों की व्यवस्था कर सकता असम्भव हो जावेगा। वर्तमान कांग्रेस शिक्षित वर्ग की है परन्तु जिस कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं वह अशिक्षित जन समूह की होगी इस दूसरी कांग्रेस के प्रस्तावों की अंजना करने का किसी भी व्यक्ति को साहस नहीं होगा। उस कांग्रेस में तीस करोड़ जन की भूख प्रतिनिधियों को खाय करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तीस करोड़ जन जिस अधिकार की मांग करेंगे वह भोजन की मांग होगी। शब्द नहीं कृत्य उनका आदेश वाक्य होगा। परन्तु यह कोई नहीं जानता कि इस कांग्रेस का अधिवेशन कब होगा। परन्तु इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि सरकार तथा इस देश का शिक्षित समुदाय इस कांग्रेस के अधिवेशन के लिए मांग खपार कर रहे हैं।"

जबकि बगमग विरोधी आंदोलन क्रांतिकारी समस्याओं को जन्म दे रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय महासभा) के उग्र राजनीति की और मुँहने के चिह्न प्रकट होने लगे। वे सीधी वायवाही का रूप ले रहे थे। उस समय जिन नेताओं के हाथ में कांग्रेस का नियंत्रण था वे भाने वाले परिवर्तन को देख रहे थे और उग्र पधियों और नरम विचार के लोगों के समझौते के रूप में दो मुख्य प्रस्ताव जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दिसम्बर, १९०६ में पास हुए इस प्रकार थे—पहला प्रस्ताव 'इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश की जनता की देश के शासन में कोई भावाज नहीं है और वे सरकार को जो प्रतिवेदन देते हैं उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती—यह कांग्रेस इस मत की है कि बंगाल में उस प्रान्त के विभाजन के विरोध स्वरूप जो बहिष्कार आंदोलन खड़ा किया गया है वह बंध है।"

दूसरा प्रस्ताव 'कांग्रेस इस मत की है कि ब्रिटिश उपनिवेशों में जिस प्रकार की स्वशासित सरकारें हैं उस शासन प्रणाली को भारत में भी लागू किया जावे।'

इस छोटी सी मांग का भी इंग्लण्ड के प्रभावशाली समाचार पत्रों ने विरोध किया था। १९०७ की जनवरी के प्रारम्भ में 'टाइम्स' ने घोषणा की 'कांग्रेस का पिछला अधिवेशन भारत अथवा विदेशों में उसने यश और प्रभाव को बढ़ाने वाले सिद्ध नहीं होंगे।' आगे उस पत्र ने लिखा कि नरम दल और उग्र पक्षियों में बिलगाव केवल नरम दल वाला दारा अधिकांश में उग्र पक्षियों की नीति को अपनाकर ही बचाया जा सकता। उसने दादा भाई नौरोजी द्वारा उपनिवेशों जैसे स्वशासन के दावे की भूल को बतलाते हुए कहा—“क्योंकि भारत को तलवार से विजय किया गया है और अतः तलवार से ही उस पर अधिकार बनाए रखा जा रहा है अतएव कांग्रेस में जिस छोटे से उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व है उसको जान लेना अच्छा होगा कि उनके शत्रुओं और उनके बीच में तलवार विद्यमान है। (४ जनवरी १९०७ इंग्लिशमैन)।”

इसको कहने की आवश्यकता नहीं कि 'टाइम्स' के उपरोक्त कथन ने जो देश में उस समय क्षोभ की लहर बह रही थी उसमें अग्नि में इंधन जसा काम किया। १९०६ के प्रस्ताव दोनों विरोधी दलों में आवश्यक शक्ति का वातावरण उत्पन्न करने में असफल रहे। १९०७ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में होने वाला था परन्तु दोनों विचारधाराओं के समर्थकों के अर्थान्तर नरम दल और गरम दल के मतभेद इतने उग्र व्यापक और कटु हो गए थे कि यह उचित समझा गया कि कांग्रेस अधिवेशन को नागपुर से हटाकर सूरत में धार्मिक वातावरण में किया जाय जो लोकमान्य तिलक के प्रभाव क्षेत्र से बहुत दूर था।

अनेक समाचार पत्र तथा मासिक पत्र दोनों विरोधी विचारधाराओं के समर्थन में निकलने लगे जो अपनी विचार धारा पर अधिकाधिक बल देते थे। बंगाल के बाहर १९०७ के मई मास में 'हिन्दू केसरी' पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ जिसका उद्देश्य हिंदी भाषियों और मराठी में पूना से प्रकाशित तिलक के मराठी 'केसरी' के विचारों को फैलाना था। उसके लेखों में उग्र विचारों का प्रतिवेदन होता था। यहाँ तक कि वैधानिक आन्दोलन के भी भ्रष्टाचार में जिस वास्तविक उद्देश्य को छिपाया नहीं जा सकता था हिंसा का भी समर्थन किया जाता था।

'हिन्दू केसरी' की उत्तजना पूरा पत्रकारिता के मार्ग में 'देश सेवक' के रूप में एक सह्याय्यी मिल गया जो हिंसात्मक उग्र राजनीति का योग्यतापूर्वक प्रतिपादन करता था।

### मिदनापुर सम्मेलन

सूरत कांग्रेस से कुछ ही समय पहले ७ दिसम्बर १९०७ को मिदनापुर राजनीतिक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में आने वाली भावी घटनाओं की भाँकी स्पष्ट दिखलाई दी। उसमें बंगाल के नेताओं ने न केवल कोई गम्भीर विचार विमर्श ही नहीं किया बरन् आपस में गहरा मतभेद लेकर गए। उग्र विचार वालों ने सामाजिक बहिष्कार सुरक्षात्मक समर्थन के रूप में अखाडों की स्थापना का समर्थन किया और केवल मुद्द स्वराज्य की मांग की जिसका नरम दल वालों ने अपनी पूरी शक्ति से विरोध किया। वे उपनिवेशों की सरकार के समान स्वराज्य से अधिक और कुछ माँगने के पक्ष में नहीं थे।

भारत के गहन होने के चिह्न और अधिक दिखलाई देने लगे थे। १५ दिसम्बर १९०७ को बलकेश के कालेज स्कावर में एक सभा हुई। उसमें अरविन्द के नेतृत्व में लाला लाजपत राय को अगले कांग्रेस अधिवेशन का सभापति बनाने का प्रस्ताव रखा। वहाँ रासबिहारी बोस का नाम पहले से प्रचारित कर दिया गया था। लाला लाजपत राय ने इस विवाद में पड़ने से इनकार कर दिया अतएव उस समय यह प्रश्न नहीं उठा।

### सूरत कांग्रेस

गम्भीर महबूबी के कारण सूरत कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो सका। दोनों दल एक दूसरे को इससे लिए दोष देते थे और २७ दिसम्बर १९०७ को अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। नरम दल वालों ने उसी दिन एक घोषणा पत्र निकाल कर प्रतिनिधियों को उस सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया जो कि भविष्य में होने वाला था। उस सम्मेलन में केवल उही व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया था जो कि इस विचार को स्वीकार करते हों कि भारत का राजनीतिक सद्यः उस प्रकार स्वशासन प्राप्त करना है जो स्वशासित उपनिवेशों को प्राप्त है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूरत में जो अलगाव हुआ उससे भारत में क्रांतिकारी भावना को बहुत प्रोत्साहन मिला। उसके हिंसात्मक कार्यों का माग प्रशस्त हुआ। कम से कम जनता के एक बहुत बड़े समूह का मन सीधी कायवाही को पसंद करने लगा था। यह इसी से स्पष्ट था कि जो समाचार पत्र इन विचारों के थे उनकी ग्राहक संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई और उग्र नीति का समर्थन करने वालों द्वारा आयोजित सभाओं में थोनामो की अधिकाधिक भीड़ इकट्ठी होती थी।

बाद के वर्षों में कांग्रेस जिन परिवर्तनों में से होकर निकली उसके फल-स्वरूप उसने १९२० में लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और महात्मा गांधी के नेतृत्व में तभी से वह अहिंसात्मक सीधी कायवाही की ओर १९२१, १९३० और १९४२ में बढ़ती गई।

कांग्रेस को क्रांतिकारियों के प्रति अपनी नीति निर्धारित करने में बहुत अधिक समय लगा। वह यह निश्चय नहीं कर पाता थी कि क्रांतिकारियों को समय न देने की घोषणा करे या नहीं। उसने उनके उद्देश्य की सराहना करने और उनके कार्यों की निंदा करने की नीति को स्वीकार किया। धीरे धीरे महात्मा गांधी के प्रभाव से उसने स्वतंत्रता के सद्यः में हिंसात्मक कायवाहियों का समर्थन करना बिलकुल बंद कर दिया।

जब कोई राष्ट्र विचलित हो उठता है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सब कुछ दाव पर लगा देता है तो स्वतंत्रता की मांग से जो वातावरण उत्पन्न होता है वह केवल नए श्रोतों से ही नवजीवन और स्फूर्ति प्राप्त नहीं करता परंतु वह पुराने परम्परागत प्रेरणा के श्रोतों को दूध निकालता है जो तरुण और वृद्ध सबों की भावनाओं को एक समान आदोलित करत हैं।

गीता का महान प्रथम महामारत का एक भाग है। वह कितने हजार वर्षों से विद्यमान है यह कोई निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता। हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों में गीता को अध्यात्मिक विचार तथा शिक्षा का सार माना जाता है। पुनर्जागृत बंगाल ने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि में उसको एक नया ही अर्थ प्रदान कर दिया

गीता को 'कर्मयोग' का धर्म ग्रन्थ, वह प्रकाश जो हम कर्म का माग बतलाता है भगवान् कर्म का धार्मिक संदेश माना जाने लगा। गीता में क्योंकि कर्म करने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है इसलिये उसको 'मात' को जो निद्रा के प्रभाव में पड़ा सो रहा था जगाने के लिए बहुत उपयुक्त समझा गया। क्रमशः गीता की प्रथम बातें कर्म से कर्म उस समय आसनों से ओझल हो गईं। गीता योद्धा को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहती है —

'पीड़िता और निबलों की रक्षा करने तथा पृथ्वी पर न्याय और उचित अधिकार को स्थापित करने के लिए लड़ो। इस वस्तु से पीछे हटना, युद्ध को टालने की बात करना मतिभ्रम और भ्रमपूर्ण विचार है हृदय की निबलता तथा नपुंसकता का चिह्न है तथा योद्धा और वीर की तेजस्विता का पतन है।'

'पाप पुण्य में पाप अर्थात् वह शक्ति जो रक्षा करती है और जा शक्ति अत्याचार और अत्याय करती है निरन्तर अघ घात होता रहता है और जब यह सवय वास्तविक युद्ध में परिणत हो जाता है तो 'पाप और सच्चाई की ध्वजा को उठाने वाला तथा उसके समर्थक को जो हिंसात्मक और भयानक काय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उससे कापाया या डरना नहीं चाहिए। उसका भयन अनुपायिणी और साथी योद्धाओं को छोड़ नहीं देना चाहिए और न उस पक्ष के साथ विश्वासघात करना चाहिए। उसको पाप और अधिकारी की ध्वजा को धूल में गन्दी होने के लिए और अत्याचारी के रुधिर से सने परोस कुचले जाने के लिए छोड़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि हिंसात्मक तथा निन्द्य और विनाश के प्रति निबल दया प्रदर्शित करना उचित नहीं है। वह विष्वस तो अनिवाय है नियति ने उसे सयोजित किया है।'

(श्री अरविन्द ऐसज भान गीता १६५६ पृष्ठ ८६)

महान् बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारत में गीता की शिक्षा का राजनीतिक क्षेत्र में उपयोग किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल राजनीतिक विचारों को ही आश्रित करने की ही आवश्यकता नहीं है वरन् जनता की आत्मा को भी उसके भविष्य का उसके भूत से जोड़ कर जागृति करने की आवश्यकता है इस काम को गीता से अधिक कुशलतापूर्वक और कौनसा ग्रन्थ कर सकता है जोकि पद्मनाभ श्री भगवान् कृष्ण के मुखारविन्दु से निकली है —

'अपने मन में निराशा और हतोत्साह को न धरने दो! बढो उठो। यह अययशकारी, अनायों का कार्य है। जबकि उद्देश्य लक्ष्य और पद प्राप्त हुए हो उसके लिए युद्ध न करने की बात सोचना स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा करने वाले के अयोग्य काम होगा। फल का कभी विचार न करो। वह अशुद्ध बुरा या साधारण जो भी हो परन्तु बिना रुके काय करते रहो उन लोगों को कोई पाप नहीं होता जो इस भावना से काम करते हैं। भगवान् योद्धाओं के सहायक होते हैं उनके साथ रहते मनुष्य केवल निमित्त मात्र होते हैं।'

'जब जब धर्म का पतन होना है तो भारत! और अथम की विजय होनी है तब तब में धर्म की रक्षा करने और अघमियों का विनाश करने के लिए भवतार लेता हूँ। धर्म की दृढ़ स्थापना के लिए मैं युगो युगो में जन्म लेता हूँ।' (साइ जेटलड-हार्ट प्रार्यावित पृष्ठ १२४)

यह यही कह देना उचित होगा कि भगवान् के मुख से निकले ये शब्द

‘युगान्तर’ ने आदेश वाक्य के रूप में स्वीकार कर लिये थे। युगान्तर ने भारतीय क्रान्ति को वास्तविकता के क्षेत्र में लाने के लिए जितना काय किया उतना किसी अन्य प्रकाशित साहित्य ने नहीं किया।

‘आनन्दमठ — स्वदेशी आंदोलन’ जो बग भग के विरोध में किए जाने वाले तीव्र आंदोलन का सामूहिक नाम था—को आधुनिक भारत के श्रुति बकिमचन्द्र चटर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक आनन्द मठ से बहुत अधिक प्रेरणा मिली। उसने भारत को जागरण का नया मात्र दिया ओ कि एक नए भारत को जन्म दे रहा है। वह मात्र ‘बदेमातरम’ था। बिपिन चन्द्र पाल के शब्दों में ‘बदेमातरम’ जिस नए राष्ट्रवाद को प्रकट करता है वह केवल एक नागरिक आर्थिक अथवा राजनीतिक आदेश मात्र नहीं है वह धर्म है।

‘आनन्दमठ’ १८८२ में प्रकाशित हुई और बदेमातरम अर्थात् मात्र भूमि की बदना का वह प्रसिद्ध गान पहले ही रचा जा चुका था जो उसमें दिया गया था। भरविन्दु के अनुसार उस गान में जो मात्र है वह मातृभूमि का उसके अपरिमित सौंदर्य गान्धीय और गौरव के साथ ध्यान करने से महान अध्यात्मिक आनन्द उत्पन्न करता है।”

उस गान में संस्कृत और बंगाली के शब्दों का मिलाकर उपयोग किया गया था इस कारण बकिमचन्द्र के कुछ मित्रों ने तत्कालीन कुछ प्रसिद्ध व साहित्यकों ने उसे अधिक पसंद नहीं किया। परन्तु बकिमचन्द्र को उस गान के गौरवपूर्ण मन्त्र का निश्चय था इस कारण उन्होंने उस गान को अपने उप पास आनन्द मठ में दे दिया। जब वह प्रकाशित हुआ तो यह उस समय जितना भावावेग उसने बाद को उत्पन्न किया उस समय उसका दसवा हिस्सा भी नहीं उत्पन्न कर सका—परन्तु क्रमशः वह भारत का राष्ट्र गान बन गया। बदेमातरम् राष्ट्रीय सघष का युद्ध घोष बन गया।

“वह केवल बंगाल की क्रांतिकारी समितियों का ही युद्ध घोष नहीं बना परन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र वाणी बंगाल का युद्ध घोष बन गया जो कि क्रांतिकारी समितियों से केवल तरीके में भिन्न था। उनका लक्ष्य एक समान था।” (लाड जेटलड दी हाट ऑफ भार्यावन पृष्ठ १४४)।

भरविन्द ने सम्पूर्ण कविता का अंग्रेजी में अनुवाद किया और सत्कार के सभी उन राष्ट्रों को वह कविता भेंट की जो अपनी स्वतंत्रता के लिए सघष कर रहे थे, और उन्होंने बकिमचन्द्र चटर्जी को आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक कह कर सम्मानित किया। भरविन्द की भाषा में —

“कोई भी राष्ट्र उस समय तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि जो उसका नया परिवेग है उसको व्यक्त करने के लिए उसको कोई सतोपप्रद और उपयुक्त माध्यम प्राप्त नहीं हो जाता। जब तक कि वह राष्ट्र ऐसी भाषा प्राप्त नहीं कर लेता जो कि उसके विचारों और भावनाओं को स्थायी रूप प्रदान कर सके और उसकी प्रत्येक प्रेरणा को तेजी और सफलता के साथ सभी देशवासियों की चेतना में प्रविष्ट कर सके तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। बकिमचन्द्र चटर्जी की भारत के प्रति यह प्रथम महान् सेवा थी कि उन्होंने भारत को ऐसा पूरा और सतोप देने वाला माध्यम प्रदान किया। (श्री भरविन्द बकिम तिलक, दयानन्द १९४७ पृष्ठ—६)

यह ठीक ही कहा गया है कि बकिम को यह अतर्ह्ण्टि थी कि भारत की मुक्ति

के लिए किस चीज की आवश्यकता थी। उन्होंने देख लिया था कि ऊपर की शक्ति का सामना करने के लिए उससे भी अधिक शक्तिवान या तबिक विरोधी शक्ति चाहिए-दमन की शक्ति का सामना करने के लिए अभिद्रोही राष्ट्रीय शक्ति चाहिए। उन्होंने हमें स्वानि आन्दोलन की पद्धति को छोड़कर सिंह के समान आन्दोलन की पद्धति को स्वीकार करने का आह्वान किया। (श्री अरविन्द बंकिम तिलक, दयानन्द पृष्ठ १०)

परन्तु वे कौन से तत्व हैं जो उनके विचारों को स्वीकार करेंगे और बाय रूप में परिणत करेंगे। वे बरागी और फकीर तथा स-गरीबी हांगे जिनका सम्पूर्ण जीवन ही त्याग पर आधारित है अर्थात् जो देश के लिए पूरा आत्म त्याग करने तथा देश की स्वतंत्र करने के कार्य के लिए पूरा आत्म निष्ठावान होंगे। अपने अमर उपवास के पृष्ठों के द्वारा उन्होंने अपने देशवासियों में सयोजन के बठोर नियमा दोष रहित पूरा सगठन और नैतिक शक्ति के तीसरे तत्व जिसमें देश भक्ति के कार्यों में धार्मिक भावना का समावेश हो-को प्रतिनिष्ट कर दिया। कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि "देशभक्ति का धर्म" बंकिम की रचनाओं का महान श्रेष्ठ विचार नहीं है।

'आन्दमठ' में बंकिमचन्द्र एक सयासी (भावान्त) के मुख से कहते हैं 'हम अन्य किसी मां की नहीं जानते। हमारे लिए माता और मातृभूमि स्वयं से भी श्रेष्ठ हैं। हम घोषणा करते हैं कि मातृभूमि ही वास्तविक माता है। हमारे कोई मां, बाप भाई पत्नी पुत्र तथा निवास स्थान आदि कुछ भी नहीं है। हमारी केवल माता (मातृभूमि) है जो जल से परिप्लावित फलों से युक्त दक्षिण की वायु से शीतल फसलों से लदी हुई मा है।'

उसी अध्याय में भावानन्द राज्य के धन को लूटने के सम्बन्ध में कहते हैं कि 'हम धोरी या डकती नहीं करते। यह द्रव्य जो कि विदेशी राजा से जावेगा उसका दुरुपयोग होगा इस द्रव्य पर उसका कोई अधिकार नहीं है। जो देश का शासन उस देश के पुत्रों के हितों में नहीं करता वह उस देश का राजा होने का अधिकार खो देता है।'

उसके साथी महेंद्र के इस प्रश्न कि इस प्रकार की घटनाओं में प्राण जाने का खतरा है" का कड़ा उत्तर मिलता है अपने जीवनकाल में मनुष्य दो बार नहीं मरता है" यह वह रास्ता है मानो अगुली के सञ्चल से बचा रहा हो जिससे मुक्ति मिलती है। उससे लम्बी निद्रा से एक साथ जागरण की अवस्था आती है। उन लोगों के छोटी पर बन्देमातरम होता था जो जो उससे भी बठोर और निदयतापूर्ण यातनाओं के शिकार होते थे। उनकी नगी पीठ पर कोड़े मारे जाते थे अथवा जो फासी की सीड़ियों पर चढ़ते थे।

नवानो मन्दिर जिसे अरविन्द ने लिखा और जो १९०५ में प्रकाशित हुआ, में क्रांतिकारियों के लक्ष्य और उद्देश्यों का विशद वर्णन किया गया है। उसमें पाठकों को शक्ति (धारीरिक मानसिक, नैतिक और अध्यात्मिक बल) का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया गया है। जिसमें कि वे स्वयं प्रता के युद्ध के लिए उपयुक्त सैनिक बन सकें। राष्ट्र की मुक्ति के लिए उसमें खुले रूप में शक्ति प्रयोग के आदेश का समर्थन और प्रचार किया गया है। जापान ने जो माग दिखलाया है उसका अनुसरण किया जा सकता है परन्तु भारत को अपना सयय धर्म की ठोस आधार शिला

पर खड़ा करना होगा। भवानी के मन्दिर अथवा काली से सम्बन्धित आधुनिक नगरों की अशुद्धता से बहुत दूर जहाँ अभी तक मनुष्य का निवास बहुत कम हुआ ही एक कमयोगियों का सघ सगठित किया जाना चाहिए ऐसे कमयोगी जो मा के लिए सदस्व त्याग सकें। इस नवीन सघ की आधार शिला में किसी भी प्रकार की निबलता नहीं होनी चाहिए वेदान्त के प्राचीन सदेश में जो ज्ञान भरा हुआ है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनमें से अधिकांश को जीवन भर ब्रह्मचारी का जीवन धरनीत करना होगा। वे भोग तभी गृहस्थआश्रम में प्रवेश करेंगे कि जब भारत को विदेशियों की आसता से स्वतंत्र करने का उद्देश्य पूरा हो जावे। पुस्तक में कमयोगियों के लिए जो विस्तार से नियम दिए गए उनमें धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक विचारों का सम दाय किया गया। स्पष्ट है कि यह विचार अकिमचंद्र के आनन्द मठ से लिया गया जिसके सबंध में पहले ही कहा जा चुका है।

प्रत्येक व्यक्ति जो अपने को भारतीय कहता है उसको भारत को उससे भी महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जितना महान वह पहले था जिससे कि वह मानवता की मुक्ति के लिए जो महान भावी कार्य उसके लिए भवितव्यता में सुरक्षित रखना हुआ है पूरा कर सके। भावी धर्म जो पृथ्वी के सभी धर्मों का समन्वित धर्म होगा भारत से निकलेगा जिसका अंतिम उद्देश्य मानव जाति में परिणित करना होगा जो एक विश्व धर्म को स्वीकार करेगी। पुस्तक का दार्शनिक पक्ष नीचे लिखे शब्दों में प्रकट किया गया।

‘पृथ्वी के सभी समाप्त न होने वाली क्रांतियों में जबकि अनन्तकाल चक्र अपने माग पर सवित के साथ घूमता है तो अनन्तकाल चक्र से जा अपरिमित सवित उद्भूत होती है और जो चक्र को प्रेरित करती है मनुष्य की कल्पना में अनन्त रूपों में दिखलाई पड़ती है। प्रत्येक स्वरूप एक युग का संकेत करता है। ( शैले जी यज्ञ श्वी अरविन्द पृष्ठ ७ )

‘भवानी मन्दिर’ की शिक्षा ने बंगाल की क्रांतिकारी समितियों को बहुत बड़ी भीमा तक प्रभावित किया। उन्होंने उस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों को रूसी क्रांतिकारी हिंसा के तरीकों और उसके विचारों से जोड़ दिया। बहुत समय तक दोनों विचार साथ साथ चले परन्तु फिर परिस्थिति की मांग के कारण हिंसा की भावना अधिक प्रबल हो गई और आन्दोलन के धार्मिक पक्ष में चिपटे रहना कठिन हो गया। ऊपर लिखी पुस्तकों के साथ अन्य पुस्तकों का नाम और जोड़ना आवश्यक है। जोगेंद्रनाथ विद्याभूषण रचित ‘सैजिनी और गरी बालडी’ के जीवन चरित्र और श्री दुर्गा चरन सनयाल द्वारा रचित ‘स्वाधोनतार इतिहास’ ( स्वाधोनता का इतिहास ) यह दोनों पुस्तकें प्रत्येक राष्ट्रीय व्यक्ति के घर में पहुँची और प्रत्येक देश भक्ति की भावनावाले युवक से उनको पढ़ा।

### मुक्ति कौन पाये

गीता और आनन्दमठ से स्वामी विवेकानन्द की प्रेरणादायक वाणी ने लोगों में जैसा राष्ट्रीय चेतन उत्पन्न किया वह पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। साहित्य गद्य, पद्य, संगीत नाटक काटन विज्ञप्तियाँ तथा समाचार पत्र जो देशभक्ति की भावना तथा राष्ट्रीय जागरण के समय के हेतुओं की सह्या में प्रकाशित होने लगे। सत्कामीन सरकार को इस जागरण के प्रति तत्कालीन सेज प्रतिक्रिया हुई और दमन तथा राजद्रोह



के अपराध में मुकदमें चलाने की घटनाएँ वर्षों में बूढ़ों के समान बहुत अधिक संख्या में होने लगीं। यहाँ उन असह्य घटनाओं में से कुछ के बारे में भी यहाँ लिखना बठिन है जिन्होंने राष्ट्र के निराश हृदय में देशभक्ति की भावना को विकसित किया। लेकिन दो के बारे में जो नीचे सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है इन लोगों के मस्तिष्क की हमें एक भाँकी देगा जो कि एक नवीन भारत को जन्म देने के लिए कृत सफल थे।

‘मुक्ति कौन पाये’ (मुक्ति किस पथ में है) इन सवम सबसे अधिक साहसिक थी। उसम देश की विदेशियों की दासता में स्वतंत्र करने के लिए कोष इकट्ठा करने के तरीके और साधन बतलाए गए थे। ‘युगान्तर’ के अत्यन्त प्रेरणादायक लेखों या उस पुस्तक के पृष्ठों में स्थान दिया गया जिनम आंदोलन में प्रयोग किए जाने वाले और व्यवहार में लाने वाले तरीकों का उल्लेख था। आने वाले आंदोलन की मुख्य बातें नीचे लिखे अनुसार थीं।

“हमारे देश की वर्तमान स्थिति में स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों तथा प्रयत्नों की कोई कमी नहीं है। भगवान की अनुकम्पा से प्रत्येक स्थान पर बगाली इन प्रयत्नों के फलस्वरूप देश प्रेम में दीक्षित हो रहे हैं और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हो रहे हैं। अतएव इन प्रयत्नों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परन्तु यदि लोग हृदय में स्वतंत्रता के आदेश को रखकर इन आंदोलन में सम्मिलित नहीं होते तो वे कभी भी वास्तविक शक्ति और प्रगतिष्ण गृहण नहीं कर सकेंगे। अतएव क्रान्तिकारी दल के सदस्य होने के नाते जहाँ एक ओर दल के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे तो दूसरी ओर उन्हें देश को अपने क्रान्तिकारी बाणों और आंदोलनों से उत्तेजित बनाए रखने का मत्त प्रयत्न करना चाहिए।”

उसमें बतलाया गया कि योरोपियों को गोली मारने में अधिक पारोरिक दल की आवश्यकता नहीं है। मरु शत्रु यदि दृढ़ निश्चय हो तो प्राप्त किए जा सकते हैं, और हथियारों का गुप्त रूप से किसी गुप्त स्थान पर निर्माण किया जा सकता है। भारतीय सैनिकों की इस कार्य में सहायता प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें देश की दयनीय दशा तथा कष्टों से अवगत कराकर उसकी हृदयगत कराना चाहिए। शिवाजी के योग का पशोचान करना चाहिए। जब तक कि क्रान्तिकारी कार्य शक्य प्रवस्था में रहे वदे से उत्साह बल सकता है। किन्तु जब कार्य आगे बढ़ जावे तो समाज से रपया बलपूर्वक छीना जा सकता है। जबकि क्रान्ति समाज के हित के लिए की जा रही है तब समाज से उसके लिए द्रव्य इकट्ठा करना न्यायपूर्ण और उचित है। हम यह स्वीकार करते हैं कि पुरी और टर्केंती अपराध है क्योंकि वे एक अछड़े समाज के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। परन्तु राजनीति इतन समाज के हित में कार्य करता है। “इसलिए एक छोटी भलाई को ऊँची और बड़ी भलाई के लिए नष्ट करने में कोई पाप नहीं है वरन पुण्य का कार्य है। अतएव क्रान्तिकारी यदि समाज के कृपण और विनासी सदस्यों से बलपूर्वक द्रव्य छीन लेते हैं तो उनका आचरण बिल्कुल उचित और न्यायपूर्ण है।”

‘पुस्तक में आगे चलकर पाठकों का आह्वान किया गया कि उन्हें सैनिकों की सहायता लेनी चाहिए। यद्यपि यह सैनिक पेट की दातिर विदेशी दास्यों की सरकार की नोकरी स्वीकार कर लेते हैं परन्तु वे भी हाड मांस के मनुष्य हैं उन्हें भी सैनिक रूप

से सोच विचार करने की शक्ति प्राप्त है। अतएव जब क्रांतिकारी लोग उन्हें देश की दुर्दशा और कष्टों से अवगत करावेंगे तो उचित समय पर वे शासकों द्वारा उन्हें दिए गए हथियारों को लेकर क्रांतिकारियों में शामिल हो जावेंगे। क्योंकि सैनिका को इस प्रकार तयार किया जा सकता सम्भव है। इसी कारण आधुनिक अंग्रेजी राज्य में चतुर बंगालियों को सेना में प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके अतिरिक्त विदेशी राज्य शक्तियों से युक्त रूप से हथियारों के रूप में सहायता प्राप्त की जा सकती है।"

यह पुस्तक अत्यन्त साहसपूर्ण थी। उसमें यह निस्सन्देह निश्चित हो गया कि जो परिस्थिति बन रही है उसमें खुला सपप होना अनिवार्य है।

यत्मान रणनीति' १९०७ में प्रकाशित हुई। उस पुस्तक में देश के तरुणों का आह्वान किया गया था कि वे भय पर विजय प्राप्त करें और मृत्यु का सामना करें। उन्हें तलवार चलाने तथा शत्रु के विरुद्ध छापामार युद्ध में कुशल होना चाहिए। शत्रु जिसने कि उन्हें हथियार निशस्त्र कर दिया जिससे कि वे सदा के लिए नष्टमक और हानि रहित बने रहें। उसकी परिस्थिति के अनुसार अपने को डालने की कला जानना चाहिए।

एक नवीन साहित्य मोड चीफ लेख में ब'देमातरम' ने अपने १३ अक्टूबर, १९०७ के प्रथम उम पुस्तक के सम्बन्ध में यह टिप्पणी लिखी— "यह पुस्तक एक छोटी सी पाठ्य पुस्तक है जो उन लोगों के लिए जो बंगाल के निवासियों की भाँति ब्रिटेन के शासन के अन्तर्गत आधुनिक शस्त्रों के उपयोग सैनिक शर्तों के अथवा प्राधुनिक सेना के विभिन्न विभागों और उनके उपयोग, छापामार युद्ध के मूल सिद्धांतों के विषय तथा उसके स्वरूप से सव्या अनुभव हैं उनके लाभ के लिए इन विषयों की व्याख्या करता है। इन विषयों को समझने के लिए इसमें आधुनिकतम युद्धों के उदाहरण दिए गए हैं। बोयार तथा रूस जपान युद्ध का इसमें बखान है। पहला युद्ध में नए तरीके प्रकाश में आए अथवा उनकी परीक्षा की गई और दूसरे युद्ध में सामान्य स्थिति के अन्तर्गत बड़े युद्ध क्षेत्र के अनुभव से उनका परिशोधन किया गया। बंगला साहित्य में यह पुस्तक एक नया मोड है जो राष्ट्र के मानस को प्रगट करता है। संकुचित जीवन और सीमित भावनाओं के पुराने समय में हम काल्पनिक कविता तथा उपवास और कभी कभी साहित्यिक दान तथा साहित्यिक आलोचना की रचनाओं से संतुष्ट थे। आजकल राष्ट्र का हृदय ऊंची चीजों के लिए उत्सुक है जैसे इतिहास देशभक्ति नाटक, राजनीति रचनाएँ राष्ट्रीय भावनाओं को उभारने वाले गान हमारे प्राचीन जीवित धर्म के अन्तर्गत से निकलने वाले विचार।—विचार ही वास्तव में वह साहित्य है जो पढ़ा और सुना जाने योग्य है।

नवोदित राष्ट्र अपने विकास और सगठन के लिए उत्सुकतापूर्वक प्रयत्न करता है और कोई भी वस्तु जो उसको इस कार्य में सहायता पहुँचाती है और उसके उपयोगी ज्ञान के क्षेत्रों का विस्तार करती है वह उसके ध्यान को आकर्षित करेगी।

X

X

X

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पुस्तक की पाठ्य सामग्री का इस समय कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जा सकता। परन्तु हजारों लाखों की इच्छा और इच्छाशक्ति स्वयं अपने क्षेत्र का निर्माण कर लेती है और जब एक राष्ट्र की किसी कार्य क्षेत्र की मांग करती है तो उस मांग से ऐसी भौतिक पटनाएँ

हैं जो कि उस समय संकुश रहित कल्पना के स्वप्न प्रतीत होने हैं। हमारा मतव्य है कि हम अपने देशवासियों को एक राष्ट्र के जीवन को प्राणवान बनाने के लिए सभी प्रकार के भावदयक ज्ञान तथा क्रिया की शिक्षा दें। यदि हमें इजाजत हो तो पान और क्रिया दोनों की शिक्षा दें यदि क्रिया करने की इजाजत न हो तो केवल क्रिया के लिए पान की शिक्षा दें। यद्यपि आज क्रिया की हम इजाजत नहीं है। परन्तु राष्ट्र के भावीपूर्ण विकास के लिए भावश्यक है। जब साधना के द्वारा एक हादिक जिज्ञासु आत्मा तैयार होती है, वह चाहे कितनी ही धमुरी क्यों न हो भगवान अपनी सुविधा से समयातुकूल क्षेत्र और अवसर उपलब्ध कर देता है और राष्ट्र की प्राकांक्षा को पूरा करता है।

यद्यपि प्रातिकारी विचार का आरम्भ पांडे से व्यक्तियों से हुआ परन्तु सीधी कायवाही के विचार ने धीरे धीरे अधिकाधिक लोगों के मस्तिष्क को अपने बंधन में जकड़ लिया। दक्षिण से उत्तर तक के समाचार पत्रों ने गंधक और अग्नि उगलनी आरम्भ कर दी और स्वाभाविक रूप से अधिकारियों की उन पर कोप दृष्टि पड़ी। 'पूना वैभव' (१८६७) मादावृत' (१८६७) केसरी 'बाल (१८६५) विहारी', 'ब-देमातरम' (१६०६) युगांतर' (१६०६) सध्या' 'नव दवित', 'कम-योगिन', 'प्रतोदा' (बम्बई) 'सहायक' (लाहौर) 'पेगावल (लाहौर) 'हुकार' 'स्वराज्य', 'देश सेवक' तथा उनके अनुरूप ही अनेक पत्र निकले और विलीन हो गए।

राष्ट्रीय विचारों को फनाने वाली पुस्तकों तथा अन्य राष्ट्रीय साहित्य को अधिकारी या तो ज त कर लेते अथवा उनके प्रकाशन को रोक देते थे। इस प्रकार के साहित्य के प्रकाशित होते ही अधिकारी उसको जल करने की आज्ञा निकाल देते 'सधु अभिनव भारत गाथा' (गणेश दामोदर सावरकर की मराठी कविताएँ) 'देश-कथा', 'सम्भु निशम्भु बध' नामक छोटा नाटक 'अनल प्रभ', 'नव उद्यमिन' 'रणजितरे' 'जीवन यम' इत्यादि ऐसी अनेक प्रातिकारी राष्ट्रीय पुस्तकों की प्रतिनिधि थी जिन्हें अधिकारियों ने जल कर लिया।

प्रति दिन सरकार का दमन और अधिक बढोर होता गया परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि मानो संहाने एक महाप्रबल और भीषण बाढ को रोकने के लिए रेत के बांध पर अटूट विश्वास कर लिया हो।

#### प्रेस सम्बन्धी कानून

"जनता के मस्तिष्क पर समाचार पत्रों के बढने हुए प्रभाव को देखकर सरकार घबराई। उसने समाचार पत्रों पर पूरा नियन्त्रण स्थापित करने का विचार किया। ३ जून, १६०७ के पूर्व जबकि भारत सरकार के गृह विभाग ने एक विज्ञप्ति इस भाष्य की निकाली थी कि यदि प्रांतीय सरकार किसी समाचार पत्र के विरुद्ध कानूनी कायवाही करना चाहे तो उसको संसम्ब धी सारा मामला भारत सरकार को भेजना होगा उसमें यह बतलाना होगा कि किन परिस्थितियों में समाचार पत्र के विरुद्ध कायवाही करना सय किया गया और उस समाचार के विरुद्ध क्या कायवाही करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार की स्वीकृति मिलने पर ही कायवाही की जा सकती थी।"

इस सदनियम को तिलांजलि दे दी गई और भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को उन सब मामलों में जहाँ कानून की अवज्ञा की गई हो मुकदमा चलाने

की इजाजत दे दी। यह जो इजाजत मिल गई उसकी प्रतिसोध की भावना से स्वतंत्रता-पूर्वक काम में लाया गया और सम्पूर्ण भारत में समाचार पत्रों के विरुद्ध विशेषकर पंजाब, बम्बई और बंगाल में उन पर मुकदमे चलाए गए। लगन वाले सम्पादकों, प्रकाशकों तथा प्रेस के मालिकों के सिर पर विपत्ति आ गई। यहाँ तक कि इन समाचार पत्रों के वितरक और हाकर भी उसकी चपेट से नहीं बचे। पैम्फलेटों और विवरण पत्रिकाओं के प्रकाशकों इत्यादि को भी फासा गया। उन पर इण्डियन पेनेल कोर्ट की धारा १२४ ए के प्रावधान के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाने लगा।

पंजाब में हलचल (१९०७-१९०८)

जनक बंगाल विभाजन के कारण अकथनीय अशांति के बीच से निकल रहा था उसी समय पंजाब में भी गम्भीर हलचल उत्पन्न हो गई। उसका मुख्य कारण था कि सरकार ने एक अत्यंत अविवेकपूर्ण और उत्तेजना उत्पन्न करने वाला कदम उठाया। पंजाब के सबल किसानों ने उसके विरोध में जो कदम उठाए वे तुरंत सफल हुए। सरकार को विवश होकर अपनी नीति को बदलना पड़ा और पंजाब के अधिकांश लोगों की बुद्धि ठिकाने आ गई।

अत्याधिक भूमि कर और ऊपर से सिंचाई तथा अन्य शुल्क लगा दिए गए इससे पंजाब के किसानों में खोम फूट पड़ा। उस समय पंजाब शुष्क था इस काम ने सूखी घास में बिनागारी का काम किया। 'सभी का कहना था कि भूमिकर बहुत ऊँचा है और सिंचाई शुल्क तो अत्याधिक है तथा जो नियम बनाए गए हैं वे अत्यन्त निराशाजनक हैं। इस क्षीम को और अधिक तीव्र करने के लिए नहर उपनिवेशों के अधिकारियों ने जिन्हें अपने कर्तव्य का मान नहीं था बीस लाख किसानों को जो तीस लाख एकड़ जमीन जोतते थे आतंकित कर दवाने का प्रयास किया मानो कि वे एक छोटे से आदेश फाम (खेत) की व्यवस्था कर रहे हों।' 'पापनियर' समाचार पत्र ने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए कहा 'जरमती के अत्यंत क्रूर और कठोर राज्य अधिकारी भी नौकरशाही की तुलना में नरम थे।'

किसानों के क्षुब्ध और असंतुष्ट रूप की दिशात उपेक्षा करके और प्रशासनिक धातुमय को तिलाजलि देकर पंजाब सरकार ने नहरों के उपनिवेश सम्बन्धी अधिनियम का सभी मूलतापूर्ण बातों को अनिच्छुक और क्रुद्ध किसानों पर कद की धमकी के द्वारा लादना चाहा। उस अधिनियम का उद्देश्य पुराने सैनिकों को पुरस्कृत करना और अधिनियम में सैनिकों की भर्तियों को प्रोत्साहित करना था।

चिन्ताय नहर उपनिवेशों में जहाँ कि सिंचाई कर और भूमि कर में कोई कमी नहीं की गई थी बिल का सबसे अधिक और अग्र विरोध था। बार के ६ सदस्यों के विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिए गए। उनमें से तीन रावलपिंडी के बरिस्टर थे। उन पर यह दोषारोपण किया गया कि वे सम्राट की प्रजा को विद्रोह करने के लिए भड़काते हैं।

मई १९०७ के प्रारम्भ में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी जमानत अस्वीकार कर दी गई। पांच महीने तक वे जेल में रहे। जबकि मुकदमे की अगलत में सुनवाई हुई तो सभी राजद्रोह के अभियोग में मुक्त हो गए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और सरदार भजीतसिंह को देश से निर्वासित कर दिया गया। अतएव यह किसान आंदोलन अखिल भारतीय आंदोलन बन गया।

बंगाल में जो क्रांतिकारी आन्दोलन चल रहा था उसने वीर पत्राचारियों के मस्तिष्कों को भी प्रभावित किया। प्रति दिन पूर्वी बंगाल घोर दमन मारघाट अशांति तथा बहिष्कार की खबरें पत्राचार में आती थीं और वहाँ के समाचार पत्र उन पर कड़ी टिप्पणियाँ लिखते थे। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा पत्राचार में अशांति तथा क्रांतिकारी पाठवाहियों के चिह्न नगरों में अधिक दिखलाई देते थे। रावलपिंडी, सियालकोट, लाहौर तथा अन्य बड़े नगरों में क्रांतिकारी आन्दोलन को खड़ा करने के प्रयत्न किए जाने लगे। सुलेखाम वह राजद्रोहकामक भाषण (ए जाने और योरोंपियों को अमानित किया जाता) पत्राचार के मामले में जो फमला दिया गया उसके परिणाम स्वरूप दगा हो गया और क्रांतिकारी गठनों ने चिह्न नहर उपनिवेश और बारी-दोआब नहर प्रदेश में आन्दोलनकारियों के हाथ मजबूत करने के लिए सभी बंदम उठाए। एक गोपनीय सरकारी नोट में लिखा गया कि आन्दोलनकारियों ने यह प्रयत्न किया कि "प्रत्येक घटना का आन्दोलनकारी सिक्खों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उभारने में उपयोग करें। आन्दोलन को दवाने में पुलिस की अपने देगवासियों के प्रति देशद्रोही कहकर भयना की जाती है। उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ देने के लिए कहा जाता है और भारतीय सैनिकों को आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।"

नोट में आगे लिखा था कि कुछ नेता अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करना चाहते हैं कम से कम वे उनकी सत्ता का ता समाप्त कर ही देना चाहते हैं। वे अंग्रेजों को या तो बलपूर्वक निकाल देना चाहते हैं अथवा समस्त देगवासियों द्वारा सत्याग्रह के द्वारा हटा देना चाहते हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध कठोर जातीय घृणा की भावना को उत्पन्न करके सारी सरकार के काम को ठप्प कर देना चाहते हैं।

पत्राचार में तलाशियों और गिरफ्तारियों की घूम मच गई थी। तनिक भी सदेह हुआ कि तलाशी और गिरफ्तारी हो जानी थी। अलीपुर पत्राचार के अभियोग में अभियुक्त द्वारा बम बनाने की पुस्तक का उपयोग दिया था। इसका पता लगने से यह सिद्ध हो गया कि पत्राचार के क्रांतिकारियों का बंगाल के क्रांतिकारियों से सम्बन्ध स्थापित हो गया था।

इन गिरफ्तारियों, तलाशियों और दमन का परिणाम यह निकला कि लोगों का क्रोध फूट पड़ा और पत्राचार के प्रमुख नगरों—दिल्ली, लाहौर और रावलपिंडी आदि में हिंसा फूट पड़ी। दोनों धार्मिक से रुधिर बहाया गया। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया गया। राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली हिंसा को जनता ने नहीं सहा, उमसा बदला लिया गया। सारे पत्राचार में क्रांतिकारियों और सरकार में युद्ध हुआ यद्यपि वह युद्ध दो असमान शक्तियों में था। यह असतोष सैनिक बगिचों तक पहुँचा और उसमें भी असतोष और अशांति फूट पड़ी। सैनिक अधिकारियों के लिए यह सब चुपचाप देखते रहना सम्भव नहीं था। अंत में लाहौर बिचनर को स्वयं हममें हस्तक्षेप करना पड़ा और तब वह नहर उपनिवेशों सम्बन्धी अधिनियम को वापस लिया गया।

पत्राचार के सन्निय प्रतिरोध की प्रतिक्रिया बंगाल में भी हुई और क्रांतिकारियों ने देगवासियों को पत्राचार के भाइयों से पाठ पढ़ने की अपील की। १६ जून, १९०७ को 'युगान्तर' ने 'साठी का उपचार' शीर्षक लेख में लिखा— "जैसे ही सिंचाई पुस्तक

बढ़ाया गया पत्राव में घोर शोभ फैल गया चारों ओर से उसका विरोध होने लगा । उसके विरुद्ध स्मृति पत्र या प्राथना पत्र देने के लिये केवल दो सप्ताह का समय दिया गया । ऐसी दशा में लोगो ने उस शोषण को अपनाया जो कि मूर्खों के विरुद्ध अपनाई जाती है । कुछ लोगो के सर फूट गए और कुछ मकान जल गए और सरकार ने सिचाई शुल्क की दरों को बढ़ाने का विचार छोड़ दिया । उपनिवेशों सम्बन्धी कानून भी श्वय हो गया । यह शोषण कितनी घमत्कारी है । वास्तव में काबुली शोषण ही सर्वोत्तम शोषण है ।”

न्यायालयों का अद्यमान (१९०७-१९०८)

राष्ट्रवाद की भावना जैसे जैसे बढ़ती और उग्र होती गई और उसको जागृत करने में समाचार पत्रों ने बहुत बड़ा योग दिया । वैसे ही सरकार ने उन समाचार पत्रों के सम्पादकों के विरुद्ध जो बहुत निर्भीक थे राजद्रोह फलान के मुकदमे बहुत तेजी से चलाने आरम्भ कर दिए । सरकार की इस चुनौति का सामना करने के लिए सम्पादकों ने तथा श्रम व्यक्तियों ने कानून की अदालतों की नितांत उपेक्षा करने की नीति को स्वीकार किया और अदालत की बायबाही में भाग लेना अस्वकार कर दिया । पहली बार इस नीति को युगान्तर के मामले में व्यवहार में लाया गया । उसके सम्पादक थे डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त ( स्वामी विवेकानन्द के भाई ) जिन पर १६ जून १९०७ के अंक में प्रकाशित एक लेख के सम्बन्ध में अभियोग चलाया गया । जैसे ही अभियोग आरम्भ हुआ डाक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त (सम्पादक) ने २२ जून, १९०७ को नीचे लिखा वक्तव्य दिया ।

“मैं भूपेन्द्रनाथ दत्त यह निवेदन करता चाहता हूँ कि मैं ‘युगान्तर’ पत्र का सम्पादक हूँ इस पत्र में प्रकाशित सभी लेखों के लिए मैं एकमात्र उत्तरदायी हूँ । मैंने जो सद्बिश्वास के साथ भरे देश के प्रति मेरा जो वक्तव्य या वह मन किया । मैं न तो और कोई वक्तव्य ही देना चाहता हूँ और न इस अभियोग में भाग लेना चाहता हूँ ।”

जो लेख कानून को दृष्टि में आपत्तिजनक थे वे थे ‘भोई भगा’ (भय को दूर करो) लाठीपधी’ (लाठी की ओपधि) अथवा भारतीयों की राजनीति’ ।

२४ जुलाई, १९०७ को दण्डनायक ने नीचे लिखा फयला दिया—‘भोई भगा (भय को दूर करो) शोषक लेख इस दावे के साथ आरम्भ होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य एक महान घोषा है—यह वह मकान है जिसकी नींव नहीं है और उसका चोटा टुकड़ा देने से ही वह गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जावेगा । लेखक भाग रहा है कि उसके देशवासियों की सुखता के कारण ही ब्रिटिश साम्राज्य विद्यमान है । उसकी शक्ति का बहुत बड़ा चढ़ाकर बहा जाता है । लेखक ने उसको एक भूत की उपमा दी जिसे धक्का देने से उसका पतन निश्चित है ।”

उसके उपरांत उसने पत्राव की घटनाओं का जिक्र किया इस सम्बन्ध में ‘लाठी की ओपधि’ लेख बहुत स्पष्ट है । उसमें लिखा है कि पत्राव में जब सिचाई शुल्क की दरों में वृद्धि की गई तो बहुत घोर मचा और लोगों ने यथानिक विरोध करने में बहुत ही अल्प समय लगाया और फिर हिंसा फूट पड़ी । उन्होंने उस उपचार का उपयोग किया जो मूर्खों के साथ रखा जाता है । सिर फूटे मकान जला दिए गए, उसका परिणाम यह हुआ कि अधिकारियों ने सिचाई शुल्क को बढ़ावे का विचार छोड़

दिया। 'काबुली शीपधि' जैसी और कोई चमत्कारी शीपधि नहीं है।'

समाचार पत्रों के विरुद्ध अभियोग चलाने को बहुत बुरी दृष्टि से देखा जाता था और 'सध्या' (२३ जुलाई १९०७) के अनुसार उसका परिणाम प्रतिशोध की भावना को उत्पन्न करना हो सकता है। उसने स्पष्ट लिखा कि पलासी के ग्रामों के बागों में छिपे रहकर, बिना कोई युद्ध किए घोसा, विरवासघात और जालसाजी से उन्होंने बगाल पर अधिकार कर लिया। यही कारण है कि वे हम नहीं समभते। अब वे वाले सप की पूछ पर चलने का दुस्साहस कर रहे हैं। यही राजद्रोह के अभियोग ही अग्नि को प्रज्वलित कर देगे। हमें ज्ञात है कि तुम मोटी चमड़ी वाले हो और तुम सुन्दर और सम्य गार्मों को नहीं समभ सकते। बगाली अब तुमसे हिसाब निबटा लेना चाहते हैं। तुम हम पर अत्याचार करके हमसे परिचय करना चाहते हो। तुम जो इच्छा हो करो। केवल भयकर सप और उसके दश को याद रखना।

डॉक्टर भूपेन्द्रनाथ दत्त क दडित किए जाने पर ब देमातरम्' ने एक पाडित्य पूण सम्पादकीय लिखा जिसमे उसने सभी दृष्टियों से एक राष्ट्रवादी के दृष्टिकोण को देत हुए इस बात पर विशेष बल दिया कि पृथ्वी के सभी पीडित लोगों का स्वतन्त्रता प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। (परिशिष्ट मे देखिए)

#### परिशिष्ट

२८ जुलाई, १९०६ को ब देमातरम्' ने युगान्तर के सम्पादक श्री भूपेन्द्रनाथ दत्त को दडित किए जाने पर लिखा —

पहने की तरह नौकरशाही न युगान्तर के सम्पादक के विरुद्ध राजद्रोह का अभियोग चलाकर अपने अधिकार के बाहर काय किया है पजाबी अभियोजन के कारण उनकी प्रतिष्ठा को अकथनीय गहरा धक्का पहुंचा और उनकी नतिकता का गय छिन्न भिन्न हो गया। नौकरशाही का कार्य नकरात्मक तथा विध्वंसकारी था।

युगान्तर' का अभियोजन राष्ट्र के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। उससे जनता के नैतिक स्तर को ऊंचा बनाने के राष्ट्रीय हित के काम का शुभारम्भ हुआ है। जनता का ऊंचा नैतिक स्तर विशेषी सत्ता के स्थान पर अपना वचस्व स्थापित करेगा और विशेषी सत्ता की केवल भौतिक बल की श्रद्धता को ध्वय कर देगा। युगान्तर के सम्पादक द्वारा अभियोग के सम्बन्ध मे नितांत निष्क्रिय रहने के कारण ही यह अछला परिणाम प्राया है। अपन अभियोग मे अपनी निर्दोषता की बकालत करने से इनकार करके उन्होंने इस अभियोग को अपने को सनसनी खेज अभियोगों से भी अधिक सनसनी खेज बना दिया। उसने भारत भर में जनता के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला है। यह नतिक साहम का केवल अक्षिउगत उदाहरण मात्र नहीं है और न वह केवल देश के प्रति अपने कतव्य को पालन करने तथा देश के लिए चुपचाप कट्ट सहने मात्र का उदाहरण है। यरन यह अभियोजन के विरुद्ध सभी भी समझौता न करने की स्वराज्यवाद की भावना का पहला व्यवहारिक प्रयोग है। पहली बार एक ऐसा व्यक्ति मिला जा विदेशी साम्राज्यवाद की सत्ता को चुनौति के स्वर में कह सकता है 'कि साम्राज्य के समस्त बन्ध, गौरव गरिमा, विस्तृत उपनिवेश, अजेयता तथा अरोप्य शक्ति, असह्य मानवीय शक्ति तथा अद्वैत सम्पत्ति, अगणित बन्दूकों और तोपों, समस्त कानून की और तसवार की शक्ति, किसी की कड करने, उस पर अत्याचार

करने और शरीर को नष्ट कर देने की तुम्हारी सम्पूर्ण शक्ति होते हुए भी तुम मेरे लिए मेरी भक्तघातमा के लिए तुम कुछ नहीं हो। मेरे लिए तुम कोई महत्व नहीं रखते। तुम केवल एक प्रावस्था एक दृश्य और समाप्त हो जान वाला भ्रम मात्र हो। स्यायी वास्तविकता मेरी मा और स्वतंत्रता है।

यह अच्युता है कि हम उस मूल प्रश्न को समझें जिम पर सभी अय प्रश्न निर्भर हैं और जिससे अय प्रश्न उत्पन्न होते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि एक भूषेन्द्रनाथ दत्त ने एषी सामग्री प्रकाशित की जो वेलवेडर, दार्जिलिंग गिलींग या गिमला म बटे हुए कुछ मूल बुद्धि वाले व्यक्तिमा जो सामूहिक रूप से अपने की बगाल सरकार या भारत सरकार कहते हैं के विरुद्ध अवज्ञा और घृणा उत्पन्न करेगी, और जनता में उनकी कानूनी सत्ता का प्रतिरोध करने की इच्छा जागृत करेगी। यदि केवल प्रश्न इतना ही होता तब हम इस प्रश्न पर तब कर सकते थे कि उन्होंने जो किया वह बुद्धि मत्तापूर्ण था, भववा उन्होंने जो कुछ लिखा वह सत्य था या असत्य था कानून सम्मत था अथवा कानून व विरुद्ध था। जो स्थिति है इसमें इन बातों का एक फूटी कोड़ी के बराबर भी मूल्य नहीं है। हम राष्ट्रवादियों के लिए वास्तविक प्रश्न इससे बहुत भिन्न और असीम महत्व का है। वह यह है कि क्या भारत स्वतंत्र है। प्रश्न यह भी नहीं है कि क्या भारत स्वतंत्र होगा? पर तु प्रश्न यह है कि क्या भारत स्वतंत्र है और क्या मैं एक भारतीय की हैसियत से स्वतंत्र हूँ? और अपनी इच्छा से सेवा करने के लिए अपने को बधा हुआ मानता हूँ अथवा अपने से बाहर कोई विदेशी शक्ति जो मेरे लिए विजातीय है जो अनात्मन' है वह स्वयं में नहीं है—क विवर्गतापूर्ण निर्देशन में मैं काम करने पर विवश हूँ। क्या मैं और मेरे देशवासी मानव समाज व अश हैं ग्रहा के ठुने हुए और छाटे हुए मन्दिर हैं और इसलिए हमें मानव समाज में रचनाप्रतापुवन सिर ऊधा किए हुए अपनी भावना और संस्कृति में पनपने का अधिकार है अथवा हम पशुओं का एक भुण्ड हैं जिन्हें उस प्रकार का जीवन स्वीकार करना है जो बाहर से हमारे लिए निर्धारित कर दिया गया है। क्या हम अपने स्वयं के भाग्यविधाता हैं? अथवा क्या हमारा कोई भविष्य नहीं है हम नगण्य हैं हम विनाश के लिए हैं। क्योंकि यह कहना व्यर्थ का मूल्यतापूर्ण प्रलाप है कि दूसरे लोग हमारे भाग्य का निर्माण और निर्देशन कर सकते हैं। वह हमारे भविष्य नष्ट कर देने का एक वेकार का बहाना है। यह केवल मूल्यतापूर्ण प्रलाप है कि दूसरे लोग हमें प्रकृष्ट दिखनावेंगे सम्य बनावेंगे और राजनीतिक प्रशिक्षण देंगे। क्योंकि जो बोध या ज्ञानादीप्ति स्वयं अर्जित नहीं किया जाता दूसरों के द्वारा दिया जाता है उससे मनुष्य की सही ज्ञान नहीं होता वरन भ्रम उत्पन्न होता है। जो सम्भ्रता ऊपर से लादी जाती है वह राष्ट्र की तेजवान नहीं बनाती वरन उस जाति को नष्ट कर देती है और वह प्रशिक्षण जो स्वयं अपने परिश्रम और अनुभव से प्राप्त नहीं किया जाता वह राष्ट्र को अकुशल और अयोग्य बना देता है। अतएव प्रश्न केवल एक है "स्वतंत्रता" का। अय सभी प्रश्न भ्रम हैं माया है। और सब अर्थात् उन लोगों की बातें हैं जो या तो सोते हैं अथवा बौद्धिक और नतिक बधनी में जकड़े हैं।

हम राष्ट्रवादियों का दावा है कि मनुष्य सदा और सबदा स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता का अतिशयण नहीं हो सकता। और हम भी व्यक्तिगत भारतीय के रूप में और सामूहिक



रूप में भारतीय राष्ट्र के रूप में सर्व्व के लिए अनन्यप्राप्त्य रूप से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मनुष्य की हैसियत से हम जो हम उचित और सत्य प्रतीत होता है कहेंगे। हम इस बात की विता या परवाह नहीं करेंगे कि अन्य लोग हमारे स्वतंत्र मनुष्य की भाँति आचरण करने पर हमारे शरीर को दण्ड देंगे या और कुछ करेंगे। स्वतंत्र मनुष्यों की भाँति हम अपने निज के स्कूलों में अपने को शिक्षा देंगे, अपने भगवों को अपने पक्ष से तय करवायेंगे अपनी स्वदेशी वस्तुओं का क्रय विक्रय करेंगे। हम अपने चरित्र सम्पत्ता और अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करेंगे। तुम्हारा स्कूल तुम्हारा प्रशासन तुम्हारे न्यायालय, तुम्हारी निमित्त वस्तुएँ तुम्हारी व्यवस्थापिका सभाएँ तुम्हारे अध्यापक, तुम्हारे राजद्रोह सम्बन्धी कानून हमारे लिए अवास्तविक और विदेशी और विजातीय हैं और हम उससे भाया अथवा अनात्मा की भाँति दूर बचते हैं। यदि मनुष्य और राष्ट्र अनन्यप्राप्त्य रूप से स्वतंत्र हैं तो दासता का बंधन एक भ्रम है एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर शासन करना प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है अतएव वह अनन्य है और अवास्तविक है। असत्य सभी तक ठहर सकता है जब तक कि सत्य अपने को नहीं पहचानता। बंगाल के शासकों ने पलासी के युद्ध के समय यह अनुभव नहीं किया कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि बाहर की कोई शक्ति उनकी रक्षा करेगी। बलाइव ने हमें दास नहीं बनाया। हजारों बलाइवों की भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह हमें दास बना सकते। हम अपने भ्रमों के कारण ही दास बने। झूठे विश्वास के कारण—कि हम निबल हैं हम दास बन गए। जिस क्षण कि हम अपनी शक्ति का पूरा विश्वास हो जावेगा, यह विश्वास कि हम सबदा स्वतंत्र हैं हमारी स्वतंत्रता अधुण है, हमारे सिवाय कोई बाहरी शक्ति हमसे हमारे ज मसिद्ध अधिकार और अमूल्य निधि को नहीं छीन सकता उसी क्षण से हमारी स्वतंत्रता निर्विवाद निश्चिन्त है। जब तक कि हम यह बिल्लाते रहेंगे कि हम अयोग्य हैं हम अयोग्य हैं” अथवा हम अपनी योग्यता पर सन्देह करते रहेंगे तब तक हम अयोग्य ही रहेंगे। स्वतंत्रता में विश्वास ही मनुष्य को स्वतंत्रता के योग्य बनाता है और रक्षक रखता है। वह विश्वास उत्पन्न करना, देशवासियों को उस विश्वास को कार्यान्वित करने के लिए उत्साहित करना ही इस नए आंदोलन का उद्देश्य है। राष्ट्रीयता अक्षुण्ण स्वतंत्रता का संदेश है, बहिष्कार स्वतंत्रता का व्यवहारिक आचरण है। बहिष्कार को समाप्त कर देना और राष्ट्रीयता के प्रचार को रोक देना ही नीकरशाही का एकमात्र ध्येय है। टाइम्स ने इस तथ्य को प्रत्यक्ष कर दिया जब उसने ३३ मार्च और ‘युगा तर’ के लेखा, विपिनचन्द्र पाल तथा उनके समान विचार रखने वालों के भाषणा तथा बहिष्कार आंदोलन को सब बुराइयों की जड़ बतलाया। इन राजद्रोह के अभियागों में कानूनी बातों का पीछा वास्तव में यह एक मूल प्रश्न है। हम राष्ट्रशाही यह घोषणा करते हैं कि हम भारतीय सदैव कभी नष्ट न होन वाली स्वतंत्रता के घनी स्वतंत्र मनुष्य हैं और स्वतंत्रता के इस संदेश को प्रचारित करने के अपने अधिकार को हम नहीं छोड़ेंगे। ‘मारले’ तथा अन्य राज्य अधिकारी हमसे कहते हैं कि तुम इंग्लैंड की सम्पत्ति हो और हमारे स्वतंत्रता के संदेश को वे एक भ्रमण अपराध मानते हैं। इस मूलभूत विरोध का जिसका कभी समाधान नहीं हो सकता—कीन और कैंसे समाधान करेगा।

ब-देमातरम्

२६ अगस्त, १९०७ को ब-देमातरम् के विरुद्ध अभियोग म पुन न्यायालय के अधिकार की भ्रंशना करने का अवसर प्राप्त हुआ। ब-देमातरम् के विरुद्ध अभियोग में श्री विपिनचन्द्र पात को अभियोजन साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आना प्रचारित भी गई। परंतु उ होने न्यायालय की कायवाही में भाग लेने से मना कर दिया। २६ अगस्त १९०७ को जब उनसे शपथ लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा "मुझे शपथ दिलाए जाने और इस कायवाही में भाग लेने के प्रति अत करण से आपत्ति है।" दण्डनायक इस उत्तर से क्रु मत्ता उठा और उसने पूछा।

' क्या तुम्हें सत्यनिष्ठा से अभिपुष्टि करने से आपत्ति है'

साक्षी मैं कायवाही में भाग लेने से इनकार करता हू क्योंकि मैं उसे

न्यायालय मुझे उससे कोई सम्बन्ध नहीं है तथा तुम्हें और किसी और मुकदमे में सत्यनिष्ठा से अभिपुष्टि करने से इनकार है।

साक्षी नहीं लेकिन मुझे इस मुकदमे में भाग लेने में अत करण से आपत्ति है।

न्यायालय तब तुम्हें इस मुकदमे में सत्यनिष्ठा से अभिपुष्टि की शपथ लेनी चाहिए।

साक्षी मैं बसा करों से इनकार करता हू।

न्यायालय तुम से प्रश्न पूछा जागा यदि तुम उत्तर देने से इनकार करोगे तब तुम्हें उसके परिणाम को मुगतना होगा।

साक्षी अत करण के आधार पर मैं उत्तर देने से इनकार करता हू।

श्री विपिनचन्द्र पात पर एक पृथक् अन्वेषण की मान हानि का मुकदमा चलाया गया। उसकी तनिक भी प-वाह न कर उन्होंने दण्डनायक के सामने १६ सितम्बर, १९०७ को एक बयान दिया जिसमें अपने इस काय के कारणों को बतलाते हुए उन्होंने कहा —

"इसमें कोई स-देह नहीं कि समाज के प्रत्येक स-स्य का यह कतव्य है कि यह न्याय के प्रशासन की समाज के हित में साक्षी देकर सहायता पहुँचाए। परंतु जबकि सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप अभियोग चलाए जाते हैं जो कि गण-यालयों के दोषाधिकार के बाहर हैं और समाज हित के विरुद्ध हो तो व्यक्ति का इसी आधार पर कतव्य भिन्न होगा। मैं ईमानदारी से यह विदवास करता हूँ कि 'ब-देमातरम्' पर चनाए गए अभियोग तथा उसी प्रकार के अन्य अभियोग हानिकर और अन्यायपूर्ण हैं। अगायपूर्ण इसलिए कि वे साधारण जनता के अधिकारों को पददलित करने वाले हैं और हानिकर इसलिए कि जनता उद्देश्य विचार और भावण स्वतंत्रता को रोकना है और न जन शांति के हित में ही वे अन्यायपूर्ण हैं। इसलिए मुझे इस अभियोजन में भाग लेने के विरुद्ध अत करण से आपत्ति है। अतएव इस मुकदमे में सत्यनिष्ठा से अभिपुष्टि करने की शपथ लेने से मैं इनकार करता हूँ। न्यायालय की, बिचके सामने यह मुकदमा उपस्थित है अवशा करने की बेरी कोई इच्छा

नहीं थी। मुझे उस समय अपना बयान देने की आज्ञा नहीं दी गई अतएव मैं अब अपना बयान देता हूँ।

श्री बिपिन चंद्र पाल को दण्डित किया गया और उन्हें ६ महीने की साधारण कारागार की सजा दे दी गई। यह उल्लेखनीय है कि उन दिनों जबकि मुकदमों की सुनवाई हुई तो यायालय के कमरे के अंदर और बाहर लोगों ने बहुत गड़बड़ मचाई। यह गड़बड़ी अदालत के समीपवर्ती स्थानों में भी फन गई और पुलिस तथा युवकों में खुली झुठेहड़ हुई। तुरंत ही उनमें से कुछ के विरुद्ध अभियोजन प्रारम्भ कर दिया गया। उनमें से एक पाँचह वर्ष के बालक को ११ कोडों की सजा दी गई।

उत्तेजित जनता में इस फसले से अत्यंत धोम उत्पन्न हो गया। समस्त बंगाल में जो उस समय असतोष की भयंकर अग्नि जल रही थी यह फसला उसको और अधिक भड़काने वाला सिद्ध हुआ। उसके कारण सरकार के विरुद्ध आंदोलन और अधिक भड़क उठा।

'पजाबी' ने उस फसले पर जो टिप्पणी लिखी वह नीचे लिखी थी वह २२ सितम्बर, १९०७ के 'बदेमातरम्' में उद्धृत हुई। 'बदेमातरम्' समाचार पत्र के साथ किसी की सहानुभूति हो या न हो वह उसका प्रशंसक हो या न हो इस परिणाम पर पहुँचे बिना नहीं रह सकता कि जो अभियोजन उसके विरुद्ध प्रारम्भ किया गया है ऐसे स्वस्थ सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के स्थान पर जो व्यवस्था और शांति स्थापित करने में मदद दें ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा कि जो कानून के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के स्थान पर उसमें अश्रद्धा उत्पन्न करेगी। श्री बिपिनचंद्र पाल को जो दण्ड दिया गया है। जो कि बदेमातरम् के अभियोग की एक शाखा है—ने इस स्थिति को काफी हद तक उत्पन्न कर दिया है। श्री पाल के मुकदमे से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस नए आंदोलन के प्रमुख समयकों में भी अव्यवस्था उत्पन्न करने अथवा कानून की अवहेलना या अवज्ञा की कोई भावना नहीं है। परंतु उन में से कुछ साधारण स्तर से बहुत ऊँचे सिद्धांतों और उद्देश्यों से प्रभावित हैं। यह सिद्धांत और उद्देश्य मानवीय सम्बन्धों के अधिक ऊँचे और अभिजात सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। योरोपियन सिविल प्रोसीजर कोड (व्यवहारिक प्रक्रिया संहिता) तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (दण्ड प्रक्रिया संहिता) उन ऊँचे और अभिजात सिद्धांतों तक नहीं पहुँचते। उन सिद्धांतों के समर्थक दूसरों को हानि पहुँचाने के अजोर बनने की अपेक्षा स्वयं कष्ट और दण्ड स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बाबू बिपिन चंद्र पाल को किस अपराध के लिए दण्डित किया गया? अवश्य ही उन्हें किसी ऐसे कृत्य के लिए दण्डित नहीं किया गया जिसे अनतिक्रम, अशोभनीय या अपराधिक कहा जा सके। अपने सामियों और सहकर्मियों के प्रति कानून बनाने वाले जिन आदर्शों की कल्पना कर सकते थे उससे ऊँचे आदर्श और कर्तव्य भावना को स्वीकार करने की उन्होंने कीमत चुकाई है। इसको 'यायालय का अपमान करना भाषा का गलत उपयोग करना है क्योंकि यायालय के प्रति अवज्ञा अथवा घृणा की उनके इस कृत्य में कोई भावना काम नहीं कर रही थी। उन्होंने केवल प्रशासन की उस नीति को जिसे वे समाज के लिए हानिकारक और अनुचित मानते हैं उसमें सम्मिलित होने में असमर्थता भर प्रकट की थी। वे अपने दृष्टिकोण में सही या गलत हो सकते हैं परन्तु उनका दोष बुरा से बुरा माना जाय तो प्राविधिक मात्र है उसमें कोई नतिक

गिरावट नहीं है जिसके होने पर ही वह कार्य अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

'पद्मावी' ने बरोहों भारतायो की भावना का ऊपर लिखी टिप्पणी में सही चित्रण किया जो उस मुकदमे के फसले से बहुत उत्तेजित थे।

सध्या—स्वदेशी आंदोलन के प्रकाशमान वीरों में से ब्रह्मा बाघव उपाध्याय ऐसे व्यक्ति थे जो अत्यन्त मेधावी थे और जिन से सब साधारण प्रेरणा लेता था। वह उन अत्यन्त निर्भीक व्यक्तियों में से थे जो बहुत से हाथ व्यक्तियों के हृदयों में साहस उत्पन्न कर देते थे। अपने को नीकरथाही के आश्रमण के लिए वे निभय होकर खतरा मोल लेकर भी खुला छोड़ देते थे। देश में नई भावना और बरसाह उत्पन्न करने वालों में उनका प्रमुख स्थान था।

उनके प्रोक्त हृदय तथा अस्तिष्क के गुणों के अतिरिक्त देश उन्हें सध्या के सम्पादक के रूप में अधिक पहचानता है। 'सध्या' उन बहुत छोटे से पत्रों में प्रमुख था जो अग्नि वर्षा करते थे और जो सोते हुए राष्ट्र को प्रेरणा देकर कायरता होने के लिए उन्हें जागृत करते थे। ३० मार्च, १९०७ को उसने अपना आदेश धान्य के रूप में लिखा "यदि स्वतंत्रता के प्रदत्त में मृत्यु हुई तो वह मृत्यु धर्मरत्न प्रदान करेगी।" आगे १० मई १९०७ को लिखा "सुनो तुमको माफी रख दुःख का नाद सुनाई देगा। मां के पुत्रों को नहीं, तयारी करो गाव गाव जाओ और भारतीयों को मृत्यु के लिए तैयार करो।"

उन्हें अपने मन में तनिक भी सदेह नहीं था कि उनके लेखों के कारण वे सरकार के कोपभाजन बनेंगे। परंतु उन्होंने इस मय से मातृभूमि को विदेशी दासता से स्वतंत्र करने के अपने दृढ़ निश्चय को तनिक भी हीला नहीं किया। अपने स्वयं के कष्ट और यातना उठाने के सम्बन्ध में वह कहते थे (२६ फरवरी, १९०७)

'अत्याचार और दमन उन लोगों के लिए कोई महत्त्व नहीं रखते जो शरीर का आत्मा से दाम्पत्य स्थापित करना पाप मानते हैं। उन लोगों का कौन दमन कर सकता है जिनकी मायता यह है कि भौतिक शरीर उसी प्रकार घृणास्पद और त्याज्य है जिस प्रकार पटे हुए पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं। जोग यह सोचते हैं कि शरीर ही सब कुछ है वे दमन सह डरते हैं। मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है क्योंकि मैं एक बगाली ब्राह्मण हूँ? यदि फिर भी मुझे शारीरिक उत्पीड़न करे तो मैं अपने शरीर को उनके सामने उसी प्रकार फेंक दूंगा जिस प्रकार सड़ा पटा पुराना धनधानिया स्लीपर फेंक दिया जाता है। (धनधानिया कलकत्ता में एक स्थान है जो स्लीपर बनाने के लिए प्रसिद्ध है)

धर्मगतमक तथा विपत्ती पर कटु आक्षेपक लेख लिखने में जिससे कि जिस पर यह आक्रमण कर रहे हैं महत्त्वहीन तथा छोटा और व्यंग के योग्य दिखे उनकी समता करने वाला कोई नहीं था। आवश्यकता पड़ने पर उनकी लेखनी से साहस का प्रज्वलित सावा निकलता था जो भीरु और साहसहीन में भी साहस उत्पन्न करके उनकी निबलता को दूर कर देता था। उनके सम्पादकीय लेखों के शीपक पढ़ने वाले की कल्पना को तुरन्त आकषिप्त करता था और जो अवाटय तक वे अत्यन्त आक्षेपक दृष्टि से और कभी कभी कवितामय भाषा में उपस्थित करते थे पाठकों को दिलाते थे।

'उनकी मृत्यु पश्चात् उनको हृदयहीनतापूर्वक सताया गया उन पर

चलाए गए। चाहे पत्र 'सध्या' के विरुद्ध राजद्रोहात्मक लेख लिखने के लिए बार-बार मुकदमे चलाए गये पर तु उनकी कभी न झुकने वाली धीर भावना छोटे धीरे व्यक्तिगत स्वायत्त के विचारों से बहुत उची थी। उन्होंने कभी इनकी परवाह न की और मृत्यु पथ तबे अपनी लेखनी के द्वारा देशवासियों को प्रेरित करते रहे।

उस सम्पादकीय लेखों की शुरुआत जिन्से इस नोट का सम्बन्ध है जब प्रकाशित हो रही थी उस समय यह बात हुआ कि उस प्रेस की जहाँ 'सध्या' प्रकाशित होती है और सम्पादक की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है १० अगस्त को प्रेस की तलाशी हुई और ३ सितम्बर, १९०७ को सम्पादक को कैद कर घाना ले जाया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया।

तुरन्त ही मुकदमा शुरू हो गया क्योंकि सब कुछ तयारी ही धुरी थी। ब्रह्म बांधव भद्रालय के कठवरे में प्रतिदिन खड़े होकर मुकदमे में भाग लेते। उनके चेहरे पर हानिया के कारण घण्टों तक खड़े रहने के कारण होने वाली पीड़ा का तनिक भी चिन्ता नहीं दिखलाई पड़ता था। उन्होंने अपने धकील को उनके हानिया होने के कारण बठन की घाना मागने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उनका हृदय निश्चय था कि वे उस विदेशी मजिस्ट्रेट से जिसकी भद्रालय में उन पर अभियोग चलाया जा रहा है कोई अनुपग्रह नहीं चाहेंगे। और उस मजिस्ट्रेट ऊंची शिक्षा प्राप्त तथा ऊँचे दर्जे के सांस्कृतिक विद्वान को जो कुछ भी थ यह सिद्धता नहीं सूझी कि उनको बठने के लिए कहता।

मुकदमे के आरम्भ में ही सम्पादक ने २३ सितम्बर, १९०७ को नीचे लिखा पत्र लिखवाया।

' मैं सध्या समाचार पत्र के प्रकाशन प्रबन्ध और संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि १३ अगस्त १९०७ के सध्या के अंश में प्रकाशित यह खम थके गची प्रेमर दाई शीपक लेख का सखक मैं ही हूँ। यह उन लेखों में से एक है जो कि उस अभियोजन का विषय है। किन्तु मैं इस मुकदमे में कोई भाग नहीं लेना चाहता क्योंकि यह विश्वास नहीं करता कि ईश्वर द्वारा निर्धारित स्वराज्य के महान बाय में अपना विनम्र भाग पूरा करने में मैं उन विदेशियों को हिसाब देने के लिए जिम्मेदार हूँ जो हम पर दासता कर रहे हैं और जिनका हित अनिवाय और स्वाभाविक रूप से हमारे सच्चे राष्ट्रीय विकास के भाग में बाधक है।'

आशेष्य लेख अगले प्रेम म मगन हूँ' जसा कि बताया गया १३ अगस्त को प्रकाशित हुआ। अभियोग चलाने वाले अधिकारियों ने १३ अगस्त के पहले और बाद को प्रकाशित सध्या में भी राजद्रोह खोज निकाला और जो अभियोग चल रहा था उसमें निरुपय सुना देने के बाद उन आपत्तिजनक सखक सम्बन्ध में पुनः अभियोग चलाने का उनका विचार था।

सखकों के तीर्थक ही उनमें लिखित शक्तिशाली विचारों को प्रगट करने के लिए यथेष्ट आशयक थे। ८ अगस्त का सखक या मुगातर के कार्यालय पर खिपर बह रहा है फिरिया के मन भय से बांध रहे हैं ६ अगस्त का लेख था "बैठे को तसा" १२ अगस्त का लेख था "कालीघाट में बलि के लिए दो इकरे ये एक काला एक गोश" २० अगस्त का सखक था "मराजकता पमप रही है फिरपी भारतवर्ष अकि

हूँ" २१ अगस्त का लेख था "फिरगी बहुत दयालु हैं उसकी कृपा से दाढ़ी बढ़ती है और शकटकद जाड़े में खाया जाता है" २३ अगस्त के लेख का शीर्षक था "युवकों का वृद्धावन ले जाया जा रहा है।"

जब २३ अक्टूबर १९०७ को अभियोग की सुनवाई हुई तो 'यायालय को सूचित दिया गया कि अभियुक्त कम्पवल हास्पिटल में बीमारी की दशा में भर्ती है। २६ अक्टूबर, १९०७ को डाक्टरी रिपोर्ट ( सरजगी के प्रोफेसर की ) 'यायालय के सामने उपस्थित की गई उसमें लिखा था ' मैं नहीं सोचना कि रोगी एक महीने से पहले 'यायालय में उपस्थित होने के योग्य हो सकेगा।'

सरकारी वकील जो कि एक यारोशियन था वह मजिस्ट्रेट से अधिक प्रतिशो धात्मक था। उसने अदालत से यह माग की कि सर्जन को 'यायालय में उपस्थित होकर छाप लेकर मजिस्ट्रेट के सामने अपनी सम्मति देने के लिए बहा जावे। सजन के सोभाग्यवश दण्डनायक मजिस्ट्रेट ने सरकारी वकील की माग को अस्वीकार कर दिया।

अभियुक्त के साथ जो कुछ किया गया नीकरशाही उससे सतुष्ट नहीं थी। उसने अभियुक्त के विरुद्ध राजद्रोह का एक दूसरा अपराध आरोपित किया और यदि भगवान ही उनके माग में बाधक न बन जाते तो सम्भवत नीकरशाही उनके विरुद्ध अनेक अपराध आरोप लगाती। मजिस्ट्रेट ने पिछली जमानत रद्द कर यह आना दे दी जैसे ही वह अस्पताल से छोड़े जावें और ठीक हो जावें जेल में ले जाए जावें।

अस्पताल में उनकी दशा खराब हो गई रोगी का हानिया (अत्रवृद्धि) का आपरेसन हुआ। आपरेसन ठीक हुआ और सब कुछ सतोपजनक था जबकि यकायक २६ अक्टूबर १९०७ का रोगी को टिटेनस के चिह्न धाठ बजे रात्रि को प्रगट हो गए। प्रातःकाल लगभग १२ घण्टे के उपरांत आगत व्यक्तियों को बतलाया गया कि रोगी की दशा बिगबनरु है और वे धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। एक घण्टे बाद ९ बजे उनका स्वगवास हो गया।

रोगी ने डाक्टरों से अपनी प्रतिभ इच्छा यह प्रगट की थी कि उन्हें बलोरिफार्म देकर बेहोग न किया जावे। उनके विचार और आंतरिक अभिलाषा उस समय जीवन के ऊंचे पक्ष का ध्यान कर रही थी। सम्भवत वे हीस की दशा में इस बात का अनुभव करना चाहते थे कि भगवान ने उनको कितना कष्ट देने का निश्चय किया है। सम्भवत वे अपने राजनीतिक काय के गौरवशाली पक्ष का अत समय तक ध्यान करना चाहते थे। यह भी हो सकता है कि वे अपने देशवासियों को दयनीय दशा और मातृभूमि की स्वतंत्रता के विषय में विचार करना चाहते हो जिसके लिए उन्होंने अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया था।

यह बांधव को अपने में पूर्ण विश्वास था। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि फिरगी ने उन्हें कद करने के लिए जो जाल दिखाया है वह अपने उद्देश्य में पूरी तरह असफल होगा। अपनी मृत्यु से एक दिन पूर्व २६ अक्टूबर, १९०७ को उन्होंने कहा था —

' मैं फिरगी की जेल में कड़ी की तरह काम करने नहीं आऊंगा। मैंने किसी के सकेत या आना के अनुसार काम नहीं किया। मैंने किसी की आज्ञा नहीं मानी। मेरी वृद्धावस्था के अंतिम दिनों में मैं मुझे कानून के लिए जेल भेजेंगे और

में बिना वेतन के वहा काम करूँगा। असम्भव। मैं जेल नहीं जाऊँगा—मुझे प्रभु का निमन्त्रण मिल गया है प्रभु का आदेश मेरे पास पहुँच गया है।'

जबकि वे स्वयं उस महान बलिदान की तयारी कर रहे थे तब उन्होंने अपने देशवासियों के नाम एक अपील निकाली। ६ अगस्त, १९०७ का कालीघाट में बहिष्कार समारोह के सम्बन्ध में आयोजित एक समारोह में ब्रह्म बांधव ने कहा था—  
'काली की वेदी पर फिरगी के पाप और पुण्य दोनों का बलिदान कर देना चाहिए। फिरगी का पाप निरंतर दमन करते रहने में निहित है और उसका भारम्भ पलासी के युद्ध से हुआ जहाँ कि फिरगी न काम के बागों में छिपे रहकर धोखे से भारत की प्रभुसत्ता की भारतीयों से छीन लिया।'

उन्होंने बंगाल के पितामों से यह प्रार्थना की कि वे कम से कम अपने एक बच्चे को मातृभूमि की सेवा के लिए अर्पित कर दें। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि भारतीय युवक फिरगी द्वारा अपमान और मार को चुपचाप सहन करने के बजाय उसका तुरंत उसी जगह बदला चुकाने का पाठ पढ़ें। कभी कभी भगडा करने और वीरता का रक्त अपनेना से फिरगी भय से कापने लगेगा।

वे स्वयं अपने उन देशवासियों के प्रति बहुत क्रुद्ध थे जो 'काले पता' (काले बकरे) देशभक्ति की भावना से रहित थे और सरकार द्वारा देशवासियों के मस्तिष्क में स्वतंत्रता की भावना उमड़ रही है उसका दमन करने में सहायता पहुँचा रहे थे। अपने एक मापण में उन्होंने ऐसे देशद्रोहियों के सम्बन्ध में कहा था—

'मेरे उन काले फिरगियाँ से वास्तविक फिरगी जाति की अपेक्षा अधिक भय खाता हूँ जो फिरगियों के सिंघाचार तथा रीति रियाजों के भवत हैं। हमारा देश, हमारा जनसमुदाय हमारी सामाजिक प्रणाली जो सर्वोत्कृष्ट हैं फिरगी विलासिता की ऋण बाध से मानो झुलन गई है। देश और जाति को फिरगियों के गंदे सिंघाचार तथा उनकी रीतियों के प्रवाह के प्रभाव से बचाने के लिए उसको रोकना होगा और लोगों को समझा कर यह विश्वास दिलाना होगा कि वे हमारे पारिस्थिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं हैं बल्कि हानिकारक हैं। जो हानिकारक है उसे त्याग देना चाहिए। फिरगियों के रहने सहने तथा सिंघाचार के प्रति आश्चर्यजनक घटा और प्रेम के कारण वे देश में प्रचलित हो गए हैं। इस फिरगी रहने सहने के प्रति प्रेम को समाप्त करने के लिए हमें उसके प्रति घृणा उत्पन्न करनी चाहिए।

इन प्रसाधारण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु होने से बुद्धिवादी लोगों में निराशा उत्पन्न होने के स्थान पर यह विचार दृढ़ हो गया कि इच्छा मृत्यु के द्वारा वह देशभक्तियोगी देशवासियों की कल्पना को जागृत करेगा और अपनी मृत्यु के द्वारा वह जितना देश का काम जीवित रह कर सकते उससे अधिक प्रभावशाली ढंग से करेंगे।

अपने लोगों ने इस शोकपूर्ण घटना में बर्दानकारी भगवान का शरद हस्त देखा ब्रह्म बांधव की मृत्यु से लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की भावना का संचार हुआ। उनकी मृत्यु की सूचना मिलने पर बंदागाव में २७ अक्टूबर १९०७ को लिखा—

'यदि संशय और सदेहात्मक मनोवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए किसी वस्तु को धारण करना पड़े—तो उस महान प्रिय राष्ट्रभक्त का उल्लासित गौरवपूर्ण अंश को

जीवन और मृत्यु में कभी पराजित नहीं हुआ उसने यह तक उपस्थित कर दिया कि स्वतंत्रता अतः विजयश्री प्राप्त करती है।

उन महान व्यक्तित्व के प्रति अधिक सुन्दर शब्दा में श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित करते हुए 'बन्देश्वर' ३ नवम्बर, १९०७ ने इस प्रकार लिखा —

“भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के साथ जो अत्यन्त नाटकीय और चमत्कारिक घटनाएँ घटी हैं उनमें सध्या' के वीर और यशस्वी सम्पादक ब्रह्म बाघव का सत्ताईस अक्टूबर के प्रातःकाल बम्बयल हास्पिटल में निधन प्रत्येक भारतीय की कल्पना को एक विशेष प्रकार से शक्तिशाली ढंग से प्रभावित करता है। उनका व्यक्तित्व ऐसा महान था कि पिछले दिनों उनके नाम की चर्चा बंगाल के प्रत्येक घर में—नौकरशाही के एक सेवक के समक्ष उन पर राजद्रोह का आरोप लगाए जाने पर उठने जो प्रेरणादायक और प्रभावशाली वक्तव्य दिया—उसके कारण होती थी। उन्होंने मजिस्ट्रेट के मुँह पर कहा कि ईश्वर द्वारा निर्धारित मिशन 'स्वराज्य' का प्रचार करने के लिए एक विजातीय और विशेषी नौकरशाही के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। बहुतों को उनका वक्तव्य शोक चिल्लियों जैसा लगा होगा। पर तु जिन लोगों के पास विश्वास और आशा के नेत्र हैं उनको देश के सुन्दर भविष्य के स्वयं दर्शन होते हैं। विश्वास और निष्ठा वाले असाधारण बातें कहते हैं, वह आश्चर्यजनक सत्य कहते हैं क्योंकि वे भविष्यवक्ता होते हैं। वे मंगलमय भगवान की पृच्छा को जानते हैं क्योंकि वे सत् प्रभु के शीखार के रूप में काम करते हैं। स्वाधीनता के सदेहवाहको में निरकुश शासका की श्रवणा करने की शक्ति होती है—उनके लिए समझौते की भाषा अपरिचिन होती है वे समझौता करना नहीं जानते। वे पराजय से भी अवगत नहीं होते। वे सभी जो निरकुशता के सहायक और अधीनस्थ रहकर काम करते हैं, जैसे उनके पीछे चलने वाले घाटुकार पुगहित कर वसूल करने वाले, सैनिक बकील, भूस्वामी जेलर और घाटुकार सभी अपनी लोहे की शस्त्राग्रा से मानवता के उद्धारकर्ता देवदूत को जख्म देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वह उनकी पकड़ से निकल जाता है और ऐसे राज्य और प्रदेश में पहुँच जाता है जहाँ राजाओं की पहुँच ही नहीं हो सकती। ब्रह्म बाघव उपाध्याय का ऐसे समय स्वगवासी होना जबकि नौकरशाही अत्यन्त भ्रष्टाचारपूर्ण प्रतिशोधात्मक भावना से उनके पीछे पड़ी थी इस बात का सक्षय रहित प्रमाण है कि जबकि अनास्थावान यह समझता है कि वह जेल फाँसी के तख्ते हथकड़ी और बेडियों के द्वारा अभियुक्त पर विजय प्राप्त कर लेगा तब विश्वास उसकी अहम-यता के लिए उसके साथ ध्यग करता है उसको मूख बनाना है और उसकी शिफार को सबसे गहन दूर ले जाता है।

राष्ट्रीय आंदोलन को उसके एक महान और शक्तिशाली नेता के निधन से गहरा धक्का लगा है।

### उत्तापन विन्दु (१९०६-१९०८)

पूर्वाभास—यह बतला देना आवश्यक है कि अनुशीलन समिति जिसे १९०२ में सतीशचन्द्र बास ने स्थापित किया थी पी दत्त की अध्यक्षता में अपने ढंग से विकास कर रही थी। यतीन बनर्जी उसी समय इस उद्देश्य से कलकत्ता गए कि वहाँ जाकर देखें कि युवकों को बन्दूक भादि शस्त्र चलाने के लिए आवर्षित करने की कौसी सम्भावनाएँ हैं। १९०४ में वारीर कुमार घोष इस उद्देश्य से बड़ोदा से आए कि वे



राजनीतिक सन्यासों की भाँति स्वाधीनता के लिए प्रचार काय करें। उक्त समय बग भग भादोलन बल पकड़ रहा था और जब वह बलकत्ते आए तो गान्धी के विरुद्ध गहरे असंतोष को फलाने के लिए अत्यन्त अनुकूल वातावरण था। गुप्त समितियों के नेताओं का यह मानना था कि इतने महान उद्देश्य के लिए केवल राजनीतिक प्रचार काय ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ दंग के युवकों के मानसिक परातल की पृष्ठभूमि भी अध्यात्मिक होनी चाहिए जिससे कि लतरे के समय भी मजबूत रह सकें। वह समय इस काय के लिए बहुत अनुकूल था और धीरे धीरे मध्यम श्रेणी के भद्र लोक के युवक धीरे किंतु दृढ़ता के साथ ऐसे क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए कि जहाँ मानव जीवन के लिए सबसे अधिक खतरा दिखमान था। उनमें से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त थे और जिन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत ज्ञान था। समिति के लिए यह विशेष सुविधा और लाभ की बात थी कि उनमें से कुछ को तीव्र विस्फोटक वस्तुओं की तयार करन का गम्भीर और गहरा ज्ञान था। स्टन फोर्ड की पुस्तक 'निट्रो ऐक्सप्लोसिव', ऐल्डफोर्ड हटन की 'सोडरूम ईसलर की ए हेंडबुक आफ माडन ऐक्सप्लासिव्ज' जे एस ब्लीच की 'माडन वैपस एंड माडन धार 'फील्ड ऐक्पर साईज' मनुयल आफ मिलिटरी इंजीनियरिंग 'इंजेंट्री ट्रेनिंग' बलरो ड्रिग' मंगीनगन ट्रेनिंग', फास्वार' इत्यादि पुस्तकों को गुप्त रूप से प्राप्त किया जाता था और उनका पूरा उपयोग किया जाता था (रिपोर्ट आफ दौ सैंडीशन कमेटी १९१८ पृष्ठ १०२)

### तैयारी

१९०६ में दंग तैयारी की स्थिति को पारकर काय करने की स्थिति में आ गण। गुप्त समितियाँ विभिन्न नामों जैसे आत्मोन्नति समिति आदि के रूप में बंगाल में यहाँ वहाँ सबन स्थापित हो गईं। विशेषकर पूव बंगाल के नए प्रांत में बहुत अधिक गुप्त समितियाँ स्थापित हुईं। गुप्त समितियों के संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए केवल योजनाएँ ही नहीं बनाई गईं बरन उनके काय रूप में परिशिष्ट करने का भी प्रयत्न किया गया।

हिंसात्मक कायवाही करने के लिए अस्त्र शस्त्रों की अत्यन्त सभ्य वस्तुओं से सबसे अधिक आवश्यकता थी। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के साधनों की ओर 'युगा तर' ने इंगित कर ही दिया था। अस्त्र शस्त्रों को खनिर्कर, असावधान अस्त्र शस्त्र के स्वामियों से, तथा खोरी से खाने वालों से प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु इस तरीके से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने से पर्याप्त मात्रा में अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं था। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने का यह तरीका नितांत अयथार्थ समझा गया। अतएव गुप्त समितियों कायकर्ता फ च उपनिवेश कलकत्ते के समीप स्थित च इत नगर जाते जहाँ कि बंदूक और पिस्तौल रखने के लिए बहुत उदाहरण और हीले नियम थे। चन्दननगर में केवल एक प्रतिबंध था कि उसको (बंदूक या पिस्तौल को) सड़क पर चलते समय रखने वाला दिखलाए नही चन्दन नगर में डाकू द्वारा उनका आयात किया जा सकता था। क्रांतिकारी चन्दन नगर से फ्रांस को बंदूक और पिस्तौलों के लिए आर्डर देते और फ्रांस से हथियार मंगा लेते। १९०६ में केवल दो बंदूक और ६ रिवाल्वर आए परन्तु १९०७ में फ्रांस से ३४ रजिस्टर्ड पासस आए और उनमें अधिक सरफा में रिवाल्वर आए। वे सभी हथियार फ्रांस की राजकीय आम्स फक्ट्री जो सेंट इटैनी में थी वहाँ से आए थे।

शपथ—यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि इन समितियों के सगठन में गोपनीयता सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। क्योंकि वे समितियाँ ऐसे काय करने वाली थीं कि जिसके परिणामस्वरूप कानून और प्रशासन के राजागार में जो कड़ा से कड़ा दण्ड था वह दिया जा सकता था। अतएव समिति के सदस्य भर्ती करते समय प्रत्येक सदस्य से प्रतिज्ञा ली जाती थी। प्रत्येक समिति में आरम्भ से ही प्रतिज्ञा लेने की प्रथा थी। सदस्यों को शपथ दिलाने की प्रथा के कारण यह समितियाँ रूस की क्रांतिकारी समितियों के बहुत नजदीक थीं। इन समितियों को स्थापित करने और उनका संचालन करने वालों की प्रशंसा करनी होगी कि सदस्यों को जो गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती थी उसके परिणामस्वरूप गोपनीयता उनसे बिसृष्ट और दूर दूर तक फले हुए सगठन में बहुत लम्बे समय तक रखी जा सकी। आश्चर्य की बात यह थी सरकार की नाक के नीचे ही यह गुप्त समितियाँ काय करती रही और सरकार को उनका पता तक न लग सका।

जैसे जैसे यह गुप्त समितियाँ बढ़ती और विकसित होती गई इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि उन पर कड़ी देखभाल रखनी जावे और उनका निरीक्षण किया जावे। समितियों के सगठन कर्तव्यों ने सम्पूर्ण बंगाल को अचलों और उप अचलों में विभाजित किया। सबसे ऊपर एक केन्द्रीय समिति थी और क्रमशः सबसे नीचे मुहकमा समिति सगठित की गई। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक था केन्द्रों के संचालक उपयुक्त और योग्य व्यक्ति हो जिनमें काय करने की लाल हो जिसे कि सारा काम ठीक और सुचारु रूप में चल सके।

कायकर्ता के स्तर और स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएँ थीं जो कायकर्ता को लेनी पड़ती थी। प्रारम्भिक और अन्तिम प्रतिज्ञाएँ सभी साधारण सदस्यों को लेनी पड़ती थीं। प्रारम्भिक प्रतिज्ञा सदस्य को भर्ती होते समय लेनी पड़ती थी और अन्तिम प्रतिज्ञा नए सदस्यों को उस समय लेनी पड़ती थी जबकि वह एक स्तर तक अनुभव और शिक्षा प्राप्त कर लेता था और दल के प्रति उसकी गहरी आसक्ति हो जाती थी। दो विशेष प्रतिज्ञाएँ केवल धान्तरिक कोषों के सदस्यों को लेनी पड़ती थीं और उनमें भी श्रेणियाँ थीं।

प्रारम्भिक प्रतिज्ञा कड़ी नहीं थी। सदस्य को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि सदस्य समिति से कभी भी पृथक् नहीं होगा। वह समिति के हितों के प्रति निष्ठावान रहेगा अपने स्वयं के चरित्र को रक्षा और शुद्ध रखेगा और जो समिति के संचालक हैं उनको आज्ञा को बिना कोई प्रश्न पूछे गिरोपाय करेगा जिमनास्टिक तथा ट्रिल में पारंगत होगा, जो समिति के सदस्य नहीं हैं उनसे समिति की सारी बातें गुप्त रखेगा आत्मरक्षा की कला में दक्ष और पारंगत बनेगा और देश के कल्याण के लिए प्रमाण सत्कार के कल्याण के लिए काम करेगा।

अन्तिम शपथ का आरम्भ हम घोषणा से होता था कि समिति से संबंधित कोई भी भीतरी बात किसी को भी नहीं बताई जावेगी और न आवश्यक रूप से उसकी चर्चा की जावेगी। जो सदस्य अन्तिम शपथ से लैला था उसको परिचालक अथवा समिति के अध्यक्ष की भाँसा को बिना प्रश्न किए गिरोपाय करना पड़ता था। वह चाहे जहाँ हो उसके करने सम्बन्ध में वह कहाँ है क्या कर रहा है इसकी सूचना परिचालक को देना आवश्यक था। अध्यक्ष को समिति के विरुद्ध यदि कोई पदचलन

हो तो उसकी सूचना देना आवश्यक था। अध्यक्ष की आना के अनुसार उस पड़यत्र का उपचार करना तथा उसकी आज्ञा पाने ही उसको अपनी ड्यूटी पर वापस लौटना पड़ता था। वह किसी भी काम को नीचा या अपमानजनक नहीं समझेगा उसे आत्म त्याग तथा अत्याग की भावना उत्पन्न करनी पड़ेगी और उन सभी व्यक्तियों से जो कि प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हैं उसे जो आज्ञा उसको मिली है गुप्त रखना पड़ती थी।

प्रथम विशेष शपथ के अनन्तर सदस्य इस बात की प्रतिज्ञा करता था कि यह दल का सब तक सदस्य रहेगा जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता उसको अपने माता पिता सम्बन्धियों घर द्वार के मोह का त्यागना होगा और सब प्रकार की धुरी आदतों को छोड़ना होगा।

दूसरी विशेष शपथ में सदस्य को यह प्रतिज्ञा लेनी होती थी कि दल के काम को पूरा करने में वह अपने जीवन और उसके पास जो कुछ है उसकी बाजी लगा देगा। अन्दर के भेदों को गुप्त रखेगा उनकी कमी चर्चा नहीं करेगा और न उनके बारे में कभी बहस करेगा जो कुछ उसको आना दी जावेगी उसे बिना कुछ पूछे शिरोधार्य करेगा। उसको मन्त्रों की गोपनीयता को सुरक्षित रखना होगा। अपने नेता से कोई बात नहीं छिपायेगा नेता को अत्यन्त बोलकर कभी धोखा नहीं देगा। द्रव्य फिर चाहे जिस स्रोत से आये समिति का सामूहिक धन समझा जावेगा। सदस्यों की सब कमजोरियाँ तथा समिति की कमियाँ नेता के ध्यान में लानी होंगी और उनको दूर करने का प्रयत्न करना होगा विभिन्न इकाइयों और दल की टुकड़ियों के नेताओं वक्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी विस्तार से वर्णन किया जाता था। विशेषकर समिति का विकास करने शारीरिक व्यायाम, धन एकत्रित करने और अन्य कार्यों पर बहुत बल दिया जाता था।

विस्फोट — इससे पहले कि क्रांतिकारी कायवाहियों का कोई बाह्य चिह्न प्रकट हो क्रांतिकारी समितियों का दृढ संगठन हो चुका था और उ होने अपने काय क्षेत्र का दूर दूर तक विस्तार कर लिया था।

सब प्रथम जब मिर्जापुर काण्ड (८ अप्रैल, १९०८) के परिणामस्वरूप अलीपुर बम केस धारम्भ हुआ तो क्रांतिकारी दृढ निश्चयी युवकों का सुदृढ संगठन हो चुका है उसका पूरा चित्र प्रकाश में आया।

इसी बीच अश्वमेध युवकों द्वारा फुटकर और बिल्ली हुई जहाँ तहाँ क्रांतिकारी कायवाहियों की जाने लगी। अतः यह निश्चयपूर्वक ज्ञात हुआ है कि अगस्त सितम्बर १९०६ में तथा मई १९०७ में बंगाल में छिपी हुई कायवाहियों की योजनाएँ बनाई गईं परन्तु फिर उनको छोड़ दिया गया।

अक्टूबर नवम्बर १९०७ में लपटीनट गवर्नर की ट्रेन को उड़ा देने के दो पड़यत्र किए गए परन्तु वे सफल नहीं हुए। ६ दिसम्बर १९०७ को भिदनापुर जिले में नारायण गज नामक स्थान पर प्रथम महत्वपूर्ण प्रयत्न लपटीनट गवर्नर की ट्रेन को उड़ाने का हुआ। यद्यपि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ परन्तु जसा भयकर विस्फोट हुआ उससे यह सिद्ध हो गया कि बम बनाने की कला में यथेष्ट सफलता प्राप्त कर ली गई थी। क्योंकि उस विस्फोट के परिणामस्वरूप ५ फुट चौड़ा और पाँच फुट गहरा सुरास हो गया।

यद्यपि इस समय कोई बहुत महत्वपूर्ण घटनाएँ नहीं घटीं परन्तु २१ दिसम्बर,

१९०७ को फरीदपुर में एक भूतपूर्व मजिस्ट्रेट पर उसकी पीठ पर गोली मारी गई और उसे यह ज्ञात हो गया कि स्वदेशी आंदोलन किस सीमा तक बढ़ गया है।

इसके उपरान्त ११ अप्रैल, १९०८ को चदरनगर के मेयर पर बम फेंका गया जबकि वह भोजन कर रहा था। बात यह थी कि उसका पूरा अधिकारियों के विपरीत वह इस बात का प्रयत्न कर रहा था कि अस्त्र शस्त्रों का विदेशों से उस फ्रैंच उपनिवेश के द्वारा आयात रोका जाय।

प्रारम्भ में असफलताभा से युवक क्रातिकारी निराग नहीं हुए। उन्होंने अधिक साहसी और बड़ी योजनाएँ हाथ में लीं। जिस प्रादेश वाक्य ने उन्हें सफलताभा से हटाया न होने का पाठ पढाया वह नीचे लिखा था।

‘कभी कभी असफलता सफलता से भी अधिक गौरवमयी होती है। विरोधी भाग्य की अवज्ञा निश्चित मृत्यु के तरीके को चुन कर करना चाहिए। अपने भौतिक जीवन के निघन साधन तथा समृद्धि को गौरव के साथ समाप्त करके भाग्य को अपनी श्रीहीन विजय के लिए लज्जित करो।’

एक घटना जिसने बीसवीं शताब्दी के क्रातिकारी काय की प्रथम आहूति ली और जिसमें प्रफुल्ल चक्रवर्ती का अमूल्य जीवन देश के लिए अर्पित हुआ विशेष उल्लेखनीय है।

## तीसरा अध्याय

एक निश्चयात्मक पग (१९०८-१९१३)

एक साहसिक प्रयोग (१९०८)—घनेब प्रयोग करने के उपरांत उलस्कर फामू के के द्वारा एक पूरा बम का निर्माण किया जा सकता था। वह समय था गया था कि जब उस बम की विनाशक शक्ति के प्रभाव का परीक्षण किया जाय। फरवरी १९०८ को वेवगड में दिविरिया पहाड़ी पर जो अधिक ऊंची नहीं थी इस परीक्षण के लिए चुना गया। पहाड़ी की तलहटी में छोटे घने वन में से रास्ता बना कर छोटी पर एक उपयुक्त स्थान चुना गया। वहाँ पर्यर की एक बहुत बड़ी चट्टान थी। ढाल की ओर वह आदमी की ठोड़ी तक ऊंची थी और पृथ्वी से लम्ब के सामान सीधो उठी हुई थी। दूसरी ओर १५ या २० गज का ढाल था जो पहाड़ी की तलहटी तक चला गया था।

सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित स्थान पर सबो ने स्थान ग्रहण कर लिया। प्रफुल्लचन्द्र चक्रवर्ती को उस चट्टान के पीछे छिपे होकर पहाड़ी की ढाल पर बम फंके का कार्य सुपुत्र किया गया था। उसको आदेश दिया गया था कि बम जैसे ही हाथ से छूटे उसे तुरंत बंठ जाना चाहिए। परंतु प्रतीक्षा करने की सतकता की सबने अवहेलना की। दुर्भाग्यवश पृथ्वी में छूने के पहले ही उसके अंदर जो अत्यंत विस्फोटक पदार्थ थे वे हवा लगने से प्रज्वलित हो उठे एक चिनगारी निकली और थोड़ा सा धुआँ निकला और हवा में ही बम फट गया। एक भयानक धडाका हुआ उस धडाके की तेज आवाज पहाड़ी की एक छोटी से दूसरी छोटी तक प्रतिध्वनित हुई, एक साथ सभी साथी अपने अपने स्थानों से प्रसन्नता से चिल्ला उठे— 'महान सफलता।

स्पष्ट था कि बम निर्धारित समय के पहले ही फट गया, प्रफुल्लचन्द्र अपने को उस बड़ी पर्यर की चट्टान के पीछे नहीं छिपा सका। बम की एक फलिका उसके सर पर आकर लगी। उसके मस्तक का एक भाग और एक घाँस चकनाचूर हो गई और उस गहरे घाव में से मस्तिष्क का एक भाग बाहर निकल आया। एक भग पूव जो प्रफुल्ल जो तरुणार्द्ध से भरा हुआ असाह और शौर्य की मूर्ति दिसलाई देता था और जिसमें देशभक्ति की भावना उद्वेलित हो रही थी, सगाधून्य हो पड़ा हुआ था। उसका जीवन दीप बुझ गया उसके प्राण पक्षेरू उड़ गए।

प्रफुल्ल के तक्षण मित्रों के लिए यह एक समस्या उठ खड़ी हुई उसके शव का क्या किया जाय। दिविरिया की पहाड़ी की चट्टानों में उसको बर छोड़कर गाड़ना असम्भव था। उनके पास न तो खोदने के लिए कोई औजार थे फिर पृथ्वी कड़ी चट्टानों वाली थी अतएव बर छोड़ सकना असम्भव था। शवदाह भी असम्भव था क्योंकि वहाँ उलनी सुखी सखड़ी मिट्टी सम्भव नहीं थी और यह भय था कि स्थानीय लोगो का दाह किया करने से ध्यान आकर्षित होने के कारण संदेह उत्पन्न हो सकता है। अतएव यह विचार करना पडा कि शव को वहीं छोड़ दिया जावे

जिससे जगती पगु उसका भक्षण करलें।

शव बिना किसी देखभाल के वही छोड़ दिया गया। दूसरे दिन जब प्रफुल्ल के मित्र उस स्थान पर गए तो उन्होंने प्रफुल्ल के शव को क्या का क्यों पड़ा हुआ पाया। उसमें कोई दुग्धी या विकृत उत्पन्न नहीं हुई थी शव क्यों का क्यों था। दूसरे दिन देवधर से कलकत्ता जाने के पूर्व जब प्रफुल्ल के मित्र प्रफुल्ल के अन्तिम स्थान करने गए तो वहाँ शव नहीं था। मित्रों ने बहुत कुछ खोज की परन्तु उसके वस्त्रों का एक धागा भी खोजने से नहीं मिला। यह वास्तव में आश्चर्य और अटकलें लगाने का प्रश्न है कि जब प्रफुल्ल का जीवन समाप्त हो गया तो वह कहाँ और कस गायब हो गया।

वैतो से पीटा जाने वाला धीर (१९०७ १५)

'बदेमातरम्', 'युगांतर', 'सध्या', कलकत्ता में तथा देश के अन्य राष्ट्रीय पत्र विशेषकर पंजाब के पत्र देश के तरुणों का आह्वान कर रहे थे कि भय की छोड़ दो। राष्ट्रीय पत्रों के इस आह्वान का शीघ्र ही अपेक्षित परिणाम आया। देशवासिणा और विदेशिया के भगडों की कहाकिया तजी से सुनाई देने लगी जिनमें सपेद चमड़ी वाले गोरे को अपमानित किया जाता था। इस प्रकार के सघर्षों की कहानियाँ सुनकर साधारण जन भी जो देश की स्वतंत्रता के युद्ध में विशेष रुचि नहीं रखते थे, प्रसन्नता से विमोह हो उठते थे।

'बदेमातरम्' के विरुद्ध अभियोग में पत्र के सम्पादक श्री अरविंद के विरुद्ध जब श्री विपिनचंद्र पाल न साक्षी देने से इनकार कर दिया था तो जनता में अतिवचनीय उत्साह की लहर दौड़ गई थी। लाल बाजार की सावजनिक अदालत में युवक मारी सध्या में इकट्ठे होते और 'बदेमातरम्' के गगनभेदी नारे लगाते। श्री विपिनचंद्र पाल ने सम्पादक के विरुद्ध साक्षी देने से इनकार करके जो 'यायालय की अवहेलना की उसके समयन में, व प्रदर्शन करते। २६ अगस्त १९०७ को क्रिस्त फोड के समझ मुद्दमे की सुनवाई हो रही थी। और दिनों की तरह उस दिन भी अदालत के कम्पाऊड में भीड़ भौजूद थी। मजिस्ट्रेट ने धीर भचाने वाले युवकों की भीड़ को अदालत से निकाल बाहर करने और उन्हें उचित आचरण करने की शिक्षा देने की आज्ञा दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी सध्या में लोहे का टोप पहने हुए तथा लाल साके वाले पुलिस कांस्टेबल भीड़ पर लाठी सेकर हट पड़े और उन्होंने खुलकर लाठियों की भीड़ पर वर्षा की।

अथाधुन्य लाठी वधा से उधर से निरलने वाले म भगदड पह गई। बहूतों के चोटें आई और कई तो बुरी तरह से घायल हा गए। एक तरुण ने साहस करके पुलिस साजेंट की मार का जवाब प्रहार स दिया। दोनो म जमकर लड़ाई हुई। इस घटना का राष्ट्रीय समाचार पत्रों न अत्यंत गौरव और प्रसन्नता से प्रचार किया। ३१ अगस्त, १९०७ के अंक में 'सध्या' ने इस घटना के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा— जिस किसी ने भी लाल बाजार में सुगील के कीरतापूर्ण और साहसिक काय को देखा वे आश्चर्यचकित रह गए। सुगील ने जब देखा कि एक लाल मुह वाला दरोगा बिना किसी कारण के लोगों को मार रहा है तो वह भी उस मारपीट के बाँड में घुस पड़ा और उसको भी मार पड़ी। सुगील केवल १५ वर्ष का बालक था जबकि वह लाल मुह वाला पुलिस कर्मचारी विद्यालय और घाटी व्यक्ति था।

सुशील का उत्साह और साहस देखने योग्य था। लाल मुह वाले कमचारी की घसने भन्धी तरह से मरम्मत कर दी। फिरगी लोगों के लम्बे चौड़े डील डील से किसी को भी डरना नहीं चाहिए उनके अन्दर सारा भूसा भरा है। सुशील ने उसको निकाल बाहर कर बतला दिया और उनके बाहरी दिखावटी डील डील के आतक को नष्ट कर दिया।”

सारजेंट की शिकायत पर सुशील के विरुद्ध मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की अदालत में मारपीट का फौजदारी मुकदमा चलाया गया। २७ अगस्त, १९०७ को मुकदमा शुरू हुआ। पुलिस सारजेंट ने मारपीट की शिकायत की कहानी सुनाई। अभियुक्त सुशील ने उत्तर दिया ‘मैं दोषी हूँ या नहीं इसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता। मैं सियाल्दा से आ रहा था। लाल बाजार से कुछ दूरी पर मैंने भीड़ देखी। मैं उस जगह आया और यह जानने का प्रयत्न किया कि क्या कारण है। उसी समय यह सारजेंट आया और जो भी उसके सामने पड़ा उसे पीटने लगा। मैंने भी उसके प्रहार का उत्तर प्रहार से दिया। इस पर वह मुझे बार बार मारने लगा और उसकी इस हरकत को रोकने के लिए मैंने भी उस पर प्रहार किया। उस समय कुछ अन्य पुलिस अधिकारी आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ कर गिरा दिया।”

मुकदमा करने वाले मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध आरम्भ से ही धारणा बनाए थे। उस समय तक अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्षी भी उपस्थित नहीं हुई थी उसके नीचे लिखे शब्द इस बात का प्रमाण हैं कि वह पहले से ही अभियुक्त के विरुद्ध था। युवकों में यह धारणा बल पकड़ गई है कि ये बंगाली पुलिस का प्रतिरोध कर सकते हैं।” अर्थात् पक्ष के वकील ने उत्तर दिया कि पुलिस का विश्वास है कि वह बंगालियों के साथ जसा चाहे व्यवहार कर सकती है कल ही अदालत में पुलिस ने बहानों को मारा था।

किंग्सफोर्ड—क्यों नहीं? जसा कि अन्य देशों में होता है उन्हें साठी से पीटना चाहिए।

उसने उस बालक को पन्द्रह कोड़े मारने की आज्ञा दे दी जिससे कि वह भविष्य में अनुशासनहीनता न करे।

बंगाल और उसके बाहर इस अमानवीय दण्ड के विरुद्ध घोर क्षोभ छा गया। तत्काल बंगाल ने किंग्सफोर्ड को न्याय (सजा) देने का निश्चय कर लिया। अंग्रेजी पत्र ‘दी नेशन’ ने लिखा—‘एक शिक्षित व्यक्ति को राजनीतिक अपराध के लिए कोड़े मारना एक नए प्रकार की दुष्कृति है। रूस में भी राजनीतिक अपराधियों को कोड़े मारने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। आस्ट्रिया के शासन में इटली में बहुधा यह दण्ड दिया जाता था और यह एक प्रमुख कारण था कि १८४८ में अनुदार अंग्रेजों को भी उससे सहानुभूति हट गई।” फिर भी १९०७ में उदार साठ मारले ने उसी किंग्सफोर्ड को अपनी नोकरी में पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान की।

‘बन्देशास्त्रम्’ ने ११ नवम्बर १९०७ को सुशील की इस कारण प्रशंसा की कि जब जेल में उसे कोड़े मारे गए तो उसने आश्चर्यजनक मूक सहिष्णुता प्रदर्शित की। वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ, न हिला क्योंकि उसने सोचा कि यदि मैं नोकरशाही सेबकों के सामने तनिक भी कमजोरी दिखाता हूँ तो यह राष्ट्रीय गौरव के लिए अनमान्यजनक होगा। पत्र ने इस बात पर हृद्य प्रगट किया कि तत्काल देशभक्तों की सुधी

लम्बी होती जा रही है और उनमें से प्रत्येक ऐसा अभूतपूर्व नैतिक साहस प्रदर्शित करता है कि उसको समस्त देश की प्रशंसा प्राप्त होती है और नौकरशाही के हृदय में भय का संचार होता है। भागे उसम लिखा "हमारी पत्निया में जो रिक्त स्थान है उन्हें भरदो, जो पक्कि विचलित हो रही है उसे दृढ़ करदो, सुदृढ़ होकर बूध करते हुए आगे बढ़ो, उस निजन भूमि की सीमा की पार कर मंगलमय भगवान व निवास की ओर बढ़ो।

सुशील की शिक्षण सस्या नेशनल कालेज उसके सम्मान में एक दिन के लिए बद कर दिया गया। २८ अगस्त १९०७ को कालेज स्वयंवर में एक महती साधारण सभा में बलकत्ते के जन समुदाय ने उसे उस साहसिक और वीरतापूर्ण परीक्षा में सफल होने के लिए बधाई दी। सुरे दनाय बनर्जी ने उस सभा में सभापति को एक स्वर्णपदक उस वीर युवक को भेंट करन के लिए भेजा। जब सभा समाप्त हो गई तो सुशील को एक खुली धाढा गाडी में जलूस बनाकर सारे बलकत्त में घुमाया गया। समस्त कलकत्ता नगर उसके वीरोचिन काय से विमुग्ध हो उठा। उसकी शोभा यात्रा के साथ युवक नीचे लिखा प्रसिद्ध गीत गाते जाते थे।

‘जय जावे जीवन चोले,

जगत मांझे तुमार काजे वदेमातरम् बोले,

बेत मेरे कि मा मोलाबो अमरा की मार सेई छले।’

अर्थान मा तुम्हारा काय करने और वदेमातरम् उच्चारण करने से जीवन जाता हो तो जाने दो, क्या तुम कोडे मार कर हम माता को भुला देने पर विवश करना चाहते हो? ऐसा मत समझना कि हम मा के ऐसे कायर पुत्र हैं।”

नौ महीने के उपरांत पांच मई १९०८ को सिलहट में अपन गाव बनिया चाग में सुशील को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर अरविन्दु वारिन्द्र जैसे भारतीय राष्ट्रवाद के दिग्गजों के साथ मुकदमा चलाया गया। जूरी ने उसे निर्दोष घोषित किया परंतु जज ने जूरी से असहमति प्रगट करते हुए उसे सात बप की बड़ी सजा दे दी। उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय में दो जजों में मतभेद हो गया। अतएव सुशील और तीन दूसरे अभियुक्तों का मुकदमा एक तीसरे न्यायाधीश को सौंप दिया गया। १८ फरवरी, १९१० को सुशील को सद्य अपराधों से मुक्त कर दिया गया।

१९१५ में सुशील कुमार एक दूसरे ही आश्वयजनक वीरतापूर्ण रूप में प्रगट हुए। २८ अप्रैल, १९१५ का कुछ घोंड स युवक नदिया जिले के प्रागपुर नामक स्थान पर दो नावों में आए थे ऐसा लगता था कि बहुत दूर से आए रहे थे उस क्षेत्र में ३० अप्रैल और २ मई को दो भयंकर टाके पड़े थे जिनमें उन युवकों का स्पष्ट रूप से हाथ था। वे उनमें सम्मिलित थे। जब गाव वालो ने उनका पीछा किया तो वे नदी पार कर खलीलपुर की ओर बढ़े। खलीलपुर में वे नावों से उतर कर एक पशु शाला में छामा बना रहे थे। एक आदमी ने उन्हें देखा, नाम पुछने पर उन्होंने नाम नहीं बतलाया उसे सदेह हो गया और उसने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस दल सीधेतापूर्वक उस स्थान पर पहुँचा और व युवक नावों में चढ़कर भागने का प्रयत्न कर रहे थे कि पुलिस ने गोली बर्षा की। दूसरी ओर से भी गोलीयों का उखार गोली से मिला। इन भागने वालों और पुलिस में गोलीयों का आदान प्रदान हुआ।



रहा। भागने वालों में एक का पैर फिसल गया और उसके हाथ की बंदूक चल गई और गोली उससे एक साथी के लग गई। घायल साथी को तुरन्त नाव में उठा लिया गया। अब वे युवक तेजी से नाव चलाकर निकल भागने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन नदी के दोनों किनारों पर गांव वाले तेजी से दौड़ते हुए उनका पीछा कर रहे थे पुलिस न नावें मगवा ली थीं और उनका पीछा कर रही थी। भागने वाले युवकों के लिए यह जीवन मरण का प्रश्न था। आकाश में घने बादल धिर आए और भयानक तूफान आ गया रात्रि का अंधकार और भी गहरा हो गया।

साथी की गोली लग जाने से जिस युवक के छिपकर दर गोली लग गई थी वह वीर सुशील कुमार सेन था। उस समय तक उसकी जीवनसीला समाप्त नहीं हुई वह भी ११ म साँसे ले रहा था। उसने अपने साथी मित्रों से कहा कि मेरी मृत्यु हो जाने के उपरांत मेरा सिर घड से काट कर अलग कर देना। तद्उपरांत उसको फेंक देना जिससे कि एक शव का बोझा कम हो जावे। इसके अतिरिक्त उस दशा में यदि घड मिल भी गया हो पुलिस के लिए उसको पहचान सकना कठिन होगा और सरकार सकलतापूर्वक साधियों पर मुकदमा चला सके इसकी सम्भावना बहुत कम रह जावेगी।

बैतों से पीटे जाने वाले वीर सुशीलकुमार के परामर्श का अंगरस पालन किया गया। ६ मई, १९१५ को खलीलपुर (क्रिस्तापुर घूर) में एक पुलिस मन ने एक रास नदी के किनारे गडा देखा और नाव का एक हिस्सा पानी के ऊपर उभरा हुआ दिखलाई पड़ा। उस स्थान की मल्लो भाति खोज की गई और एक खाली कारतूस मिला। इस पर पुलिस ने उस स्थान पर छिछले पानी में जाल डलवाया तो कुछ कपडों के टुकड़े तो मिले किंतु शव नहीं मिला।

सुशीलकुमार बालकपन से मातृभूमि की सेवा के पावन यज्ञ में दीक्षित हो चुका था। उसने ही क्रिस्म फोड के बगले पर जाकर उस पुस्तक बम को दिया था जो क्रिस्म फोड को मारने के लिए भेजा गया था जिससे कि पुस्तक के खोलते ही घडों के साथ बम फूटा और क्रिस्मफोड की मृत्यु हो जाती। जिन युवकों से मानिकतस्ता और कानवासित स्ट्रीट के घोराने पर इन्स्पेक्टर सुरेश मुर्जों को मार दिया था सुशील कुमार उस युवक समूह का प्रमुख था।

सशील कुमार असाधारण प्रतिभा सम्पन्न कुशाग्र बुद्धि और नतिक गुणों का धनी युवक था। अपने जीवन के अन्तिम दिन तक वह मातृभूमि की सेवा में अनिर्वचनीय उत्साह और निष्ठा से लगा रहा जबकि ३ मई, १९१५ को निष्ठुर मृत्यु ने उसकी दुग्ध आत्मा को चिर शान्ति प्रदान नहीं कर दी। आज हम भारतीय यह भूल गए हैं कि भारत की स्वतंत्रता का भवन वीर सुशील कुमार जैसे वीरों के बलिदानों पर खड़ा हुआ है।

रहस्यम परिस्थिति (१९०८)—पुलिस द्वारा बगाल की जनता पर भयकर दमन अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर जाने वाला दमन तथा जनता के दोष और विरोध प्रगट करने के सभी साधनों को कड़ाई से दबाने के परिणामस्वरूप आंदोलन को विवश होकर भूमिगत हो जाना पडा। वे युत राजनीतिक संगठन जो स्थापित हो गए थे कि तु सुप्त अवस्था में थे उन्होंने निश्चय किया कि बल प्रयोग का उत्तर बल से दिया जायेगा फिर चाहे उसके जो भी परिणाम हों न हों। जो सरकारी अधिकारी

निदयी और बठोर व उनकी हत्या करना (जिसका पूरा में २२ जून १९६७ का उदाहरण मौजूद था) बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम सक्षम बन गया।

इस बात के स्पष्ट संकेत उपस्थित हो गए थे कि भारतीय राष्ट्रवाद एक नई और रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश कर रहा है जिसके महत्व और प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ अनुमान लगा सकता बठिन था। वास्तव में (४ मई, १९०८ के 'स्टेट्समैन' के अनुसार) यह लाड कजन के शासन की भयंकर भूल बगभग से घारम्भ हुई। 'स्टेट्समैन' के अनुसार 'एक नई भारता और चेतना उत्पन्न हो गई जिसके अन्तर्गत बम और डायनमांट थे। इस भावना का बलवत्ता के चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के फमलो न और अधिक प्रखरित कर दिया उसके फंसलो ने अग्नि में ई धन का काम किया और समस्त बंगाल क्षीम से सिहर उठा। अगस्त १९०४ से मार्च १९०८ तक किंग्सफोर्ड ने उन सबों को निदयतापूर्वक बठोर दण्ड दिए जिन्होंने अपने कार्यों तथा लेखन से तनिक भी देशभक्ति का परिचय दिया। सरकार किंग्सफोर्ड की सुरक्षा के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित हो उठी थी, अतएव २८ मार्च १९०८ को बलकत्ते से उसका स्थानांतर मुजफ्फरपुर के जिला सदान के पद पर कर दिया गया।

क्रांतिकारी नेताओं ने यह निश्चय कर लिया था किंग्सफोर्ड की अवश्य हत्या करनी है। उसको मरना ही चाहिए। अतएव वह चाहे जहा जावे उसका पीछा करना था। इस काय के लिए दो तरुणों को चुना गया और किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उ ह अवश्यक अस्त्र दस्त्र देकर मुजफ्फरपुर भेजा गया।

निर्धारित काय को पूरा करने के लिए त्रिशा चन्द राय और खुदीराम बोस अप्रैल १९०८ के तीसरे सप्ताह में मुजफ्फरपुर पहुँच और वहा की घमशाला के एक कमरे में ठहर गए, उनके पास जा भी रुचय थे समाप्त हो गए पैसों की कमी पड गई तो उहोंने एक स्थानीय सज्जन से कुछ रुपय उपार लिए। वे सज्जन स्थानीय जमींदार के एक प्रभावशाली कमचारी थे और उहाँ की सहायता और सिफारिश से उहें घम शाला में ठहरने की स्थान मिला था। उनके पास कलकत्ते से उही सज्जन के द्वारा मनीषादर भाया जिह बाद को उन युवकों को सहायता पहुँचाने के लिए पकडा गया और न्यायालय में उपस्थित होना पडा।

दोनों और युवक एक सप्ताह तक अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। किंग्सफोर्ड अदालत के सिधाय और कहीं नहीं जाता था वह अवकाश के समय अपने बगले पर ही रहता था। वे एक बार अदालत भी गए परंतु उहोंने कोई आक्रमण नहीं किया क्योंकि यदि अदालत में किंग्सफोर्ड पर बम फेंका जाता तो बहुत सख्या में निर्दोष लोगों के प्राणों को खतरा हा सकता था।

३० अप्रैल १९०८ को दोनों मित्र घाठ बजे रात्रि को किंग्सफोर्ड के बगले के सामने पहुँचे और अपने शिंवार की प्रतीक्षा करने लगे।

जबकि दिनेश और खुदीराम टिपे हुए किंग्सफोर्ड की प्रतीक्षा कर रहे थे तो मिस्टर और मिसेज किंग्सफोर्ड और श्रीमती और कुमारी कनेडी बलब में साडे घाठ बजे ब्रिज खेल रही थीं। साडे घाठ बजे वे लोग दो पृथक खुली बग्घियों में जो बहुत कुछ एक समान थीं और दोनों में एक एक घोडा जुता था पर की और चल दिए। किंग्सफोर्ड का बगला बलब के बहुत समीप था किन्तु कनेडी का एक मील दूर था।

जिध क्षणों में धीमती और कुमारी कनेडी जा रहीं थीं वह उनके मित्र

किंग्सफोर्ड की बग्घी के ठीक आगे चल रही थी। जैसे ही कि पहली बग्घी किंग्सफोर्ड के कम्पाऊड की पहली फाटक के पास आई दिनेश और खुदीराम एक बड़े ऊंचे पेड़ की छाड़ से झपट कर निकल आए वह पेड़ बगबने और मैदान के बीच जो आम चौड़ा रास्ता था उस पर खड़ा हुआ था।

उस समय उन दोनों के पास तीन रिवाल्वर और एक बम था। योजना यह थी कि यदि बम उद्देश्यपूर्ति में विफल हो जाये तो फाय को पुग करने के लिए रिवाल्वरों का उपयोग करना था।

जब वह मनोबलानिक क्षण आया तो खुदीराम जानबूझ कर निष्कामपुत्रक बग्घी की ओर दौड़ा उसके फले हुए हाथ में बम था जो सर के ऊपर उठा हुआ था उसने उस बम को अपनी पूरी ताकत से उस बग्घी पर फेंका जिसमें उसका अनुमान था कि किंग्सफोर्ड जा रहे थे।

बम के भयानक विस्फोट से समस्त नगर चौक लड़ा। श्रीमती कंनेडी, कुमारी कनेडी और सार्जिस बुगी तरह घायल हो गए। समस्त बग्घी चक्काचूर हो गई। पीछे के हिस्से का कुछ भी शेष नहीं बचा केवल लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जो विस्फोट के कारण जल गए थे छितर गए। विस्फोट के कुछ पिनटों में ही कुमारी कनेडी की मृत्यु हो गई और श्रीमती कनेडी थोड़ी देर बाद मर गई।

किंग्सफोर्ड का सौभाग्य था कि वह निश्चित मृत्यु से बच गया। यहाँ यह कह देना उचित होगा कि किंग्सफोर्ड को कलकत्ते में उसके गाडन कोच हाऊस में पुस्तक के अन्दर एक नए प्रकार का बम रख कर उसको मारने का प्रयत्न किया गया था। वह पिकरिक एसिड का एक पतला टिन था जो बारह सौ पृष्ठ वाली एक मोटी पुस्तक में २०० पृष्ठों को निवाल कर उनके स्थान पर एमिड में भरे उस टिन को ठीक तरह से बिठाया गया था। उसमें इस प्रकार स्प्रिंग लगाए गए थे कि उस पुस्तक को जिस पतली डोरी से बांधा गया था उसको काटते ही उसका कवर एक साथ खुल जाता और पारे से भरे हुए बम के अग्र भाग जिसके फटते ही बम का विस्फोट होता—पर एक तेज कील का आघात होता।

वह पुस्तक बम किंग्सफोर्ड को भेजा गया और अपराधियों ने उसको साहब की टेबिल पर रख दिया। किंग्सफोर्ड ने उस पुस्तक बम को यह सोचकर कि कोई मित्र जो पुस्तक को भाग कर पढ़ने लगेगा था लौटा गया है उसको अपनी छप पुस्तकों में रख दिया। मुकदमे के सिलसिले में उस पुस्तक को हूँडा गया तो पात हुआ कि स्प्रिंग में जंग लग गया था पर तु विस्फोटक पदार्थ ज्यों का त्यों सुरक्षित था।

दोनों धाकमणकारी तुर न उस स्थान से भाग गए अपने जूतों को वे वहीं छोड़ गए जिससे पता चलता था कि वे नगे पर भागे थे। जूतों के कारण उनकी गिरफ्तारी बहुत आसान हो गई। मैदान में फुटबाल के गोल पोस्ट के पास एक पापा भी मिला। उस पीपे में बम को रख कर वे उस स्थान तक लाए थे। काफी दूर तक दौड़ने के उपरांत वे एक दूमरे से अलग हो गए। एक समस्तिपुर की ओर गया और दूसरा दूसरी ओर भागा।

पुलिस ने तुरन्त ही दोनों अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी स्थानों को सूचना भेज दी। जिला पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने दो थानेदारी को रेलवे लाइन के साथ घायल जावे को कहा। एक को घांतीपुर भेजा और दूसरे को मोकामह की ओर भेजा।

उन्हें यह आना दी गई कि वे प्रत्येक स्टेशन पर कास्टेबिल नियुक्त करते जावें और जो भी सशपात्मक और सदेहास्पद व्यक्ति हो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लें। जो लोग दोनों युवकों की खाज में भेजे गए उनमें से दो व्यक्ति ट्रेन के द्वारा वायनी स्टेशन पर भेजे गए।

दिनेशचन्द्र राम—घटना स्थल से भाग कर दिनेशचन्द्र राम एक मई, १९०८ को समस्तीपुर पहुँचे जो कि बी एण्ड एन डब्लू भार वा एन स्टेशन था। वहाँ से उन्होंने मुकामेह घाट के लिए एक इन्टर क्लास का टिकट लिया। इसी बीच में उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए थे वे उस समय नए कपड़े और नए जूते पहने हुए थे। एक सब इन्स्पेक्टर म दलाल बनर्जी का उनकी ओर ध्यान आकर्षित हुआ जो अपनी छुट्टी समाप्त कर विधुभूमि में अपनी ड्यूटी पर ट्रेन द्वारा जा रहा था।

दिनेशचन्द्र की सूरत शकल से सब इन्स्पेक्टर को संदेह हुआ। उसको यह संदेह हो गया कि उसका मुजफ्फरपुर पिछले सायकाल जो हत्याकांड हुआ है उससे अवश्य कुछ सम्बन्ध है। अतएव वह उसी कम्पाटमेंट में बैठा जिसमें कि दिनेश बैठा था और उससे विभिन्न विषया पर वार्तालाप करना आरम्भ कर दिया।

दिनेश सुमेरगढ पर उतर पड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए गगाजी गया। वहाँ से वह वापस लौट आया कि तु उस सब इन्स्पेक्टर की बहुत अधिक पूछ ताछ से परेशान हो जाने के कारण वह दूसरे कम्पाटमेंट में बैठ गया। मोकामहघाट पर उतर कर उसने हावडा का एक दूसरा इन्टर क्लास का टिकट लिया।

पुलिस अधिकारी ने उससे वहाँ क्षमा प्रार्थना की और पुनः उससे मित्रतापूर्ण बातचीत करने लगा। इसी बीच उसने मुजफ्फरपुर को तार से अपने संदेह की बात उच्च अधिकारियों को सूचित कर दी थी। मोकामहघाट पर उसे तार द्वारा अदेश मिला कि वह उस सदेहास्पद युवक को गिरफ्तार कर ल। उस संदेश के आधार पर दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया। परंतु दिनेश के शरीर में अपूर्व बल था उसका शरीर शक्तिशाली था उसने झटका दिया और अपने को छुड़ाकर भागा। उसको पकड़ने के लिए दो कास्टेबिल ने उसका पीछा किया जिन्हें उसकी निगरानी के लिए पहले से ही नियुक्त कर दिया गया था। प्लेटफार्म के अंत में जब दिनेश ने देखा कि निकल भागना असम्भव है तब वह घूमा और उसने उस कास्टेबिल पर गोली चलाई जो उसके बहुत पास आ गया था। गोली का निशाना चूक गया और कास्टेबिल ने दिनेश को पकड़ लिया।

किसी प्रकार बहुत प्रयत्न करके दिनेश ने अपने हाथ को छुड़ा लिया और स्वयं अपने ऊपर उसने दो गोलियाँ चलाईं। एक गोली ठोड़ी के नीचे घुस गई और दूसरी उसकी बाइ हँसुली की हड्डी में से निकल गई। दिनेश की तत्काल मृत्यु हो गई।

१ मई १९०८ को ६ बजे सायकाल के समय मातृभूमि की बलिबेदी पर दूसरे शहीद ने (प्रथम शहीद प्रफुल्ल चक्रवर्ती था) अपना जीवन बलिदान कर दिया। 'हितकारी' ने अपने १५ जून १९०८ के अंक में इस घटना पर नीचे लिखी टिप्पणी की—

“उसकी आत्मा उठ कर ऊँचे 'यायालय' में पहुँच गई जहाँ राजा और रक्त क्रांतिकारी और उनके शासक एक स्तर पर खड़े होते हैं और जहाँ 'याय' करने में उनके पद या मर्यादा के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाता।”

दिनेश के सर को उसके घड़ से काट कर अलग कर दिया गया और उसको

दाराभ में सुरक्षित रखने के लिए रखाकर पहचान के लिए कलकत्ता लाया गया। कुछ दिनों बाद यह संदेह से परे निश्चिन हो गया कि दिनेश चन्द्र राय और कोई नहीं रापुर के प्रफुल्ल कुमार चाकी थे।

प्रफुल्ल एक अत्यन्त होहार और प्रतिभावान बालक था जबकि वह क्रांतिकारी बल का सदस्य बना था। उसमें अप्रुव दारौरिक शक्ति थी और उसका शरीर लोह सन्ध्य बलवान था। इस दृष्टि से रापुर की राष्ट्रीय संस्था में वह सब श्रेष्ठ बालक था। बारिन्द्र कुमार घोष जब एक गुप्त दाय से उस जिले में गए तो वे प्रफुल्ल के हृदय और मस्तिष्क के गुणा और अप्रुव साहस से बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उसको उस प्रथम भयानक और साहसिक काय के लिए चुना कि जो प्रत्यक्ष निंदयी और दमनकारी शासक के हृदय में भ्रातृत्व और भय का संचार कर देने वाला था। यह देश का दुर्भाग्य था कि उसका प्रयत्न व्यय गया और उसका ऐसा भयानक और विनाशकारी फल हुआ। (परिशिष्ट 'अ' देखिए)

खुदीराम बोस— खुदीराम घटना स्थल से रेलवे लाइन की ओर तेजी से बढ़ा। उसका लक्ष्य था कि वह समीपवर्ती रेलवे स्टेशन पहुँच जाय और वहाँ से कलकत्ता चला जावे। वह मुजफ्फरपुर से २४ मील दूर धनी नामक बी यन डब्लू रेलवे के स्टेशन पहुँचा। वह नगे पर था और बिना भोजन किए और पानी किए इतनी लम्बी दूरी तक पदस चलने के कारण बहुत थक गया था।

धनी स्टेशन से कुछ ही गज दूरी पर प्रातः काल आठ बजे ससे बाजार में घूमते और एक दुकान के पास मुट्ठी भर भुने हुए चावल चबाते हुए देखा गया। जबकि वह पानी पीने जा रहा था उसको पुलिस ने पकड़ लिया।

पुलिस अधिकारी ने उससे बहुत पूछताछ की। उसने गोलमाल जवाब दिए और कहा कि वह बाकीपुर जा रहा है। जब उससे पूछा गया कि उस दिशा में उसे मुजफ्फरपुर उतरना चाहिए था न कि बियानी पर तो उसने यही कहा कि उसे बहुत प्यास लगी हुई थी अतएव प्यास बुझाने के लिए वह बियानी उतर पड़ा। जबकि उससे पूछताछ ही रही थी तो उसने हाथ छुड़ा कर भाग जाने का प्रयत्न किया परंतु उसको मजबूती से पकड़ लिया गया और हाथ बांध दिए गए। उसने अपने कोट से रिवाल्वर निकालने का प्रयत्न किया जो कि उसकी बगल में दबा हुआ था परंतु उसके उस प्रयत्न को भी विफल कर दिया गया। जब खुदीराम गिरफ्तार हुआ तो उसके पास दो रिवाल्वर, जिसमें से एक गोली से पूरा भरा हुआ था, तीस रुपये के नोट और सिक्के ३७ राऊड गोलियाँ इंडियन रेलवे का एक नक्शा तथा स्थानीय टाइम टेबिल की एक नकल मिली।

उस संदेहास्पद युवक को वापस मुजफ्फरपुर सायंकाल की गाड़ी से लाया गया, स्टेशन पर मनुष्यों की आपार भीड़ इकट्ठा हो गई थी जो उसे देखने के लिए आतुर थी। जब वह ट्रेन से उतरा तो उसके मुख पर तनिक भी उत्सजना या भय के चिह्न नहीं थे। वह शान्त और सुश्रवस्थित था और प्रसन्न मुद्रा में था। परंतु उसके चेहरे पर वीरता का दग्म तनिक भी नहीं था। जबकि वह पुलिस स्टेशन जाने के लिए गाड़ी में बैठा उसने 'बन्देमातरम' का घोष किया उसकी आँखों में दृढ़ता की झलक के अतिरिक्त कोई ऐसी बात नहीं थी। कोई स्वप्न में भी वह नहीं सोच सकता था कि दुबला पतला भट्टारह वय के सगभग का वह बालक एक ऐसे कांड का

विधायक हो सकता है कि जिसके घोष की प्रतिध्वनि पुन पुन प्रतिध्वनित होकर आकाश तक पहुँच गई थी।

जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में उसने कहा कि मेरी इच्छा किंग्स-फोड की हत्या करने की थी क्योंकि मेरा मानना था कि वह भारत में सबसे अधिक अत्याचारी अधिकारी है। मैंने ही गाढी पर ३० अप्रैल को बम फेंका था मेरा विश्वास था कि उस गाढी में किंग्सफोड जा रहा है न कि दो निर्दोष और भाग्यहीन महिलाएँ।

मुजफ्फरपुर बम कांड का मुकदमा २१ मई, १९०८ को आरम्भ हुआ। मुकदमे के प्रति कड़ी की घोर अपेक्षा विशेष उल्लेखनीय थी। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उसको यह भान ही नहीं था कि उसका क्या अन्त होने वाला था। जब मुकदमा हा रहा था कदी पत्थर की भाँति अविचलित था और मुकदमे के समय कुछ समय तक लोगों ने उसे सोते देखा। मुकदमे के फाल में उसका दण्ड दो पाँच बढ़ गया और उसने कभी भी कोई भावना या उत्तजना प्रदर्शित नहीं की।

२५ मई को अभियुक्त को सेशन सुपुद किया गया और आठ जून को मुकदमा शुरू हुआ। कदी ने अपराध स्वीकार कर लिया। १३ जून को मुकदमा समाप्त हो गया उसको मृत्यु दण्ड दिया गया। जब 'यायाधीश ने कदी से पूछा कि जो दण्ड उसको दिया गया है उसके परिणाम को वह समझ रहा है तो उसने स्वीकारोक्ति स्वरूप सिर हिलाया और मुस्करा उठा। उसके मुखमण्डल पर एक प्रकाश फैल गया ऐसा लगता था कि जैसे उसे उस दण्ड से कुछ भी करना करना नहीं है।

११ जून को उसने अपने वकील से अनौपचारिक बातचीत की और उस बातचीत में उसने बतलाया—'मैं मिदनापुर का निवासी हूँ। मेरे माता पिता, माई या चाचा और कोई नहीं है। मेरी एक बहिन है जो मुझसे बड़ी है जिसके कई बच्चे हैं सबसे बड़ा मेरी उम्र का है।

×

×

×

मैंने दूसरी कक्षा तक पढा है। दो या तीन घण्टे हुए मैंने अपनी पढाई छोड़ दी। सब से मैं स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। मैं एक बार मिदनापुर तथा अपनी बहिन और उसके बच्चों को देखना चाहता हूँ। मेरे मस्तिष्क में कोई परेशानी नहीं है। मेरे साथ जेल में साधारणतया अच्छा व्यवहार होता है। भोजन अदृश्य ही खराब मिलता है। मेरे लिए वह नितांत अनुपयुक्त है इसी कारण मेरे स्वास्थ्य पर उसका बुरा प्रभाव पडा है। अथवा मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाता। मुझे एकांत कोठरी में दिन रात रखा जाता है। मुझे केवल एक बार उस कोठरी से निकलने दिया जाता है जबकि मैं स्नान करने जाता हूँ। मैं प्रकेश्ये रहने से बच गया हूँ। वकील के एक प्रश्न के उत्तर में खुदीराम ने कहा कि उसे खरने का कोई कारण नहीं है। उसने गीता का मशी भाँति अध्ययन किया है। मेरे दोष स्वीकार न करने का प्रयत्न ही नहीं उठता क्योंकि मैं इस मामले में अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह अनुभव करता हूँ और मुझे इस बात का दुःख है कि किंग्सफोड अब भी जीवित है और उसके बजाय दो निर्दोष महिलाएँ मारी गईं।

खुदीराम के असीम धय और दृढ़ता को जब पसंद नहीं कर सका उसने अपने कससे में कहा—'दण्ड को कम करने के लिए मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता मुझे कड़ी के मानसिक कष्ट और अनिश्चितता को अधिक मकाना नहीं चाहिए, बरि वह

वास्तव में मानसिक कष्ट अनुभव करता है, यद्यपि मैं यह भाशा भी नहीं करता कि वह कष्ट अनुभव करने की दायता रखता है। परन्तु यदि वह ऐसा अनुभव करता हो तो एक शब्द भी अधिक बोलकर मैं उसको बढाना नहीं चाहता।”

६ जुलाई, १९०८ को उच्च न्यायालय को अपील की गई। सशिक्ष सुनवाई के बाद १३ जुलाई, १९०८ को मृत्यु दण्ड की पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी कर दी। और मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को ठीक ६ बजे प्रातः काल फाँसी दे दी गई। वह दृढ़ता और प्रसन्नतापूर्वक फाँसी के तख्ते तक चल कर गया और जब उसको टोपी छदाई गई तो वह मुस्कराया।

हृदयहीन सरकार ने मृत्यु दण्ड के उस अभियुक्त की प्रतिम इच्छा अर्थात् अपनी जन्मभूमि मिदनापुर तथा बहिन और उसके बच्चों को देखने की इच्छा पूरी करने की आवश्यकता नहीं समझी।

गडकी नदी के किनारे खुदीराम बोस का साधारण और शांत अग्नि संस्कार कर दिया गया। एक तूफानी ध्यवित्तव का भ्रातृ हो गया जिसने शराव अवस्था से ही मातृभूमि की कठोर और दृढ़ निष्ठा से सेवा की, और उसने विदेशी सरकार की कोप दृष्टि की तनिक भी परवाह नहीं की जो कि भारत को सगीनों के बल पर दास बनाये हुए थी। ऐसे वीर देशभक्त को मातृभूमि की बलिबेदी पर प्राकृति चढ़ गई। (परिशिष्ट ख' देखें)

किंग्सफीड मरा नहीं परन्तु उसको ऐसा गहरा घबका लगा और वह अपने जीवन के लिए इतना भयभीत हो गया कि वह बीमार पड़ गया और ३ मई को अपने समस्त परिवार के साथ मसूरी चला गया। कलकत्ता में राजनीतिक मुकदमों में जो तत्परता उल्लास और उत्साह वह प्रदर्शित करता था वह सदा के लिए जाता रहा और भारतीय प्रशासन के लिए वह एक प्रकार से मर गया यद्यपि वह हाड मांस के रूप में जीवित था।

ऐम्पायर (सायकल दैनिक) ने ११ अगस्त, १९०८ को सम्पादकीय लेख प्रकाशित किया। “प्रातः प्रातः काल खुदीराम बोस को फाँसी दे दी गई। कहा जाता है कि वह फाँसी के तख्ते पर सिर उठाए हुए सीधे चढ़ गया। वह प्रसन्न था और मुस्करा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जब उसका वकील फाँसी के पूव उससे जेल में मिला तो उसने कहा था कि मैं उसी निभयता से मृत्यु को अग्रीकार करूंगा जिस निभयता से प्राचीन काल में राजपूत स्त्रियाँ अग्नि धिठा पर बैठ कर सती होती थी।”

जहाँ तक खुदीराम की मातृभूमि की ज्वलत सेवा का प्रश्न है उसका पिछला इतिहास स्वर्णशिरों में लिखा जावेगा। जब वह छोटा था तब भी उसको पुलिस का तथा उनके हाथों मिलने वाले कष्टों का तनिक भी भय नहीं था।

१ अप्रैल १९०६ को एक अधोद्योगिक प्रदर्शनी का जिलाधीन की उपस्थिति में उद्घाटन हुआ तो कुछ युवकों ने ‘ब-देमातरम्’ का घोष किया। सभी उपस्थित लोग भय से प्रातःकित हो गए क्योंकि वे इस अक्षम्य अपराध के भयकर परिणाम को जानते थे। घेले की समाप्ति के दिन अंग्रेजी शासन को कोसते हुए अमानजनक भाषा में एक पत्रिका बाँटी गयी।

इससे पूर्व २८ फरवरी को एक पत्र के बालक को हृद कांस्टेबिल के

उसके पास उस घापतिजनक पत्रिका की तीन प्रतियाँ होने के कारण गिरफ्तार कर लिया था। वह बालक और कोई नहीं खुदीराम बोस था वह जहाँ भी पुलिस ले जाना चाहे जाने को तैयार था। परन्तु उसने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि उसके हाथों में हथकड़ी न डाली जावे उसके हाथ उन्मुक्त रहें क्योंकि न उसका अपराध अभी तक सिद्ध ही हुआ और न अपराध आरोपित ही किया गया है। उसके साथ एक सम्मानयुक्त नागरिक जैसा व्यवहार होना चाहिए। उस वास्टेबिल ने उसके इस कड़े रुक के वाले उसको अपमानित किया और उसको घसीट कर स्थानीय पुलिस स्टेशन (घाना) तक ले जाने का प्रयत्न किया गया। इस अपमानजनक व्यवहार से खुदीराम को अत्यन्त क्षोभ हुआ उसने बलपूर्वक अपने हाथ छुड़ा लिए और उस स्थान से तुरन्त हट कर भागा।

दूसरे दिन अर्थात् १ मार्च १९०६ से पुलिस ने तेजी से खोजबीन आरम्भ की और कई सभ्यतायुक्त व्यक्तियों तथा एक भेदिए को मजिस्ट्रेट की अदालत में धुराया गया और वहाँ उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इसके साथ ही एक ऊँचे सरकारी पदाधिकारी को पञ्चयुत किए जाने की सूचना दे दी गई।

खुदीराम का मुकाबला क्योंकि स्वदेशी आन्दोलन की ओर था, उसे अपने परिवार और घर को छोड़ना पड़ा और बुनाई स्कूल से सबधित छात्रावास में जाकर रहना पड़ा। ३१ मई १९०६ को दो यानेदार और दस सिपाही बलपूर्वक एक बजे रात्रि को छात्रावास में घुसे और खुदीराम को जो अन्य कई लड़कों के साथ सो रहा था कैद कर लिया।

इस प्रकार पुलिस लॉकअप में रहने का अनुभव खुदीराम को बालकपन में ही हो गया था। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसको जमानत न हो सकी उसने घब और बीरता से मुकदमे का सामना किया।

४ अप्रैल १९०६ को खुदीराम को जमानत पर छोड़ा गया। १७ अप्रैल को उसे इस आधार पर भेगन सुपुद कर दिया गया कि २८ फरवरी के लगभग मिदनापुर के पुराने जेल कम्पाऊड में उसने सरकार के प्रति घणा उत्पन्न करने तथा सरकार को मानहानि करने का प्रयत्न किया ( इंडियन पैनल कोड धारा १२४ ए ) उसका उद्देश्य देशी लोगों को योराफियों के विरुद्ध भड़काना या अतएव उसने उस पत्रिका को प्रचारित करके आई पी सी की धारा ५०६ के अंतगत अपराध किया।

उसके हाथों में मजबूती से हथकड़ियाँ डाल कर अदालत में लाया गया मानो वह पुराना और अनुभवही अपराधी हो और पहले कद से निकल भागने का बीदा रहा हो।

उसकी १८ अप्रैल को जमानत मजूर की गई और कम आयु का होने के आधार पर १६ मई, १९०६ को उस पर से मुकदमा उठा लिया गया।

जीवन के प्रारम्भिक दिनों में इस पाठ ने भविष्य में सेवा और बलिदान की खुदीराम बोस के जीवन में सुन्दर नींव डाल दी। क्रांतिकारियों में से कुछ ने दो निर्दोष महिलाओं को मृत्यु के लिए इस विश्वास से परचाताप किया और दुःख प्रगट किया कि भविष्य में भगवान के साथ से उनके भावी प्रयत्न असफल हो सकते हैं। 'मुगातर' ( सेल ६ जून १९०८ के इंगलिशमैन में उद्धृत किया गया ) ने कमजोर हृदय वालों की इस परराष्ट्र और परेशानी को नीचे लिखे उल्हास वचन से खूब काले का



प्रयत्न किया ।

“ यदि किसी युवक ने जो स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है वास्तव में ऐसा कहा है तो वह अभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं हुआ है । शत्रु को परो के नीचे कुचलने के लिए बँठोर हृदय होना आवश्यक है । त्रेता युग में जब राक्षस दहक वन में भयकर उत्पात और अत्याचार कर रहे थे तो राम ने समस्त राक्षस जाति का विनाश कर दिया था । लक्ष्मण ठाकुर ने रावण की सुंदर बहिन सुपनखा की नाक और कान काट कर उसे छोड़ दिया । शत्रु का विनाश करने के प्रयत्न में यदि दुष्टनावश एक महिला को मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बहुत स उदाहरण देने की जरूरत नहीं है ऐसा होता ही है । उस दशा में अंग्रेजों की भाँति भगवान् रूष्ट नहीं हाथे । कालांतर में पृथ्वी के वन से असुरों की जाति को समाप्त करने के लिए बहुत सी राक्षसिनियों को मारना होगा । इसमें कोई पाप नहीं है इसमें दया और ममता के लिए कोई स्थान नहीं है । ( परिशिष्ट ख देखिए )

परिशिष्ट— (क)

प्रफुल्ल चाकी के सम्बन्ध में अमृत बाजार पत्रिका के एक सम्वाददाता ने ३० मई १९०८ को बोगरा से लिखा— ‘ एक बालक जो इतनी कम आयु का सीधा और नम्र हो और जो बोगरा जैसे निष्क्रिय और सुप्त नगर का रहने वाला हो एक गुप्त सभ्यता का सदस्य होगा यह हमारे कल्पना के बाहर था ।

उसने एक शांत और धार्मिक परिवार में जन्म लिया था । वह देहार के स्वर्गीय राजनारायण चाकी के पाँच बच्चों में सबसे छोटा था । देहार बोगरा से बीस मील उत्तर में एक छोटा गाँव था । जैसा कि उसके नाम से इंगित होता है प्रफुल्ल बहुत हसमुख और मस्त होने के बजाय बचपन से ही गम्भीर और चुप रहने वाला था । वह अपनी आयु के बालकों के साथ बहुत कम खेलता था वरन् घंटों अकेला चुपचाप सोच विचार करता बठा रहता था ।

यद्यपि वह साबले रंग का था किन्तु उसका चौड़ा माथा पतली और सुंदर भौंहें और उसके चेहरे में दृढ़ता झलकती थी उससे यह प्रतीत होता था कि वह दृढ मस्तिष्क वाला है ।

वह उन अस्सी लड़कों में से था जिन्होंने जिले की अत्याचारी सरकार द्वारा स्कूल में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने के विरोध स्वरूप स्कूल छोड़ दिया था और अपने इस कदम से उन्होंने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की आधार शिला रखदी थी । यद्यपि उसका जीवन बहुत ही अव्यवस्थित और सूक्ष्म रहा परंतु वह एक सुसंस्कृत और सम्पन्न परिवार में उत्पन्न हुआ था ।

प्रफुल्ल ने एक वर्ष से कुछ अधिक पूँज ही अपनी माताप्री से औपचारिक रूप से विदा ले ली थी । विदा लेते समय जो रहस्यमय बात उसने कही थी उसकी वृद्ध माता के लिए अचूक थी । वह कुत्र भी न समझ सकी कि उनके क्या अर्थ हैं परन्तु अब वे शब्द धर्मों से भरे हुए प्रतीत होते हैं ।

अपने उस भयानक सेवा कार्य में भी वह अपनी मातामयी माता को नहीं भूल सका और उसने अपनी माता को दो स्थानों से दो पत्र लिखे कि तु अपना पता नहीं लिखा । उसने उन पत्रों में माता को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र तब तक भी दुखी नहीं है और न वर्तमान परिस्थिति में उसको कोई कष्ट ही है । इसके प्रतिरिक्त

उसने अपनी माँ को सूचित किया कि उसने ब्रह्मचर्य वृत्त धारण किया है। वह अपने धर्म में उन्नति कर रहा है उसका धार्मिक अध्ययन चल रहा है उसके लिए कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

इस महीने के प्रारम्भ तक सब ठीक चलता रहा कि यकायक उसके परिवार को अपने परम प्रिय स्वजन के जीवन के दुःखात भन्त का समाचार मिला जिससे समस्त परिवार को अर्मांतक आघात लगा। जबकि समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि चाकी के सिर को घड़ से भलग करके स्प्रिट में सुरक्षित रखा गया है तो सब साधारण इस निदय क्रूरता से स्तब्ध रह गया।

हमारी बुद्धि में यह तनिक भी नहीं आता कि माँ बाप कही जाने वाली सरकार का इस अत्यन्त अशोभनीय और निन्दनीय कृत्य से क्या लाभ होने वाला है जबकि सरकार ने उसकी पहचान करवाने के लिए फोटो ले ही लिया था। सभी सम्प्रदायों में पुरुषों के मृत शरीर का सम्मान किया जाता है। सरकार न जो यह अत्यन्त निन्दनीय और अणित काय किया, सब से सिर काट लिया वह बसा ही था जैसा कि—

फ्रेंच क्रांति के समय जन सुरक्षा समिति ने बलाजे के सब के साथ दुग्धवहार करने की आज्ञा दी थी। बलाजे गिरोटिस्ट सैनिक था। जैसे ही उसकी मृत्यु दण्ड की आज्ञा सुनाई गई उसने स्वयं छुरा मार कर अपनी हत्या करली। सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने अत्यन्त वीरतापूर्वक में आज्ञा दी कि बलाजे का गरम गद उसके सहयोगियों के साथ उसी गाड़ी में जेल ले जाया जाय और उसको फाँसी दी जाय

मैं इस अधूरे और शीघ्रता में लिखे रेखा चित्र की प्रफुल्ल के अंतिम पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूँ जब प्रफुल्ल भन्त के छोर पर खड़ा था उसने कहा ' हा हा तुम एक बगाली हो मेरे देवावासी हो मुझे पकड़ने आए हो "

परिशिष्ट— (ख)

बन्दितावतम् ने ( अगस्त १६ १९०८ बारह अगस्त १९०८ का सम्पादकीय ) अपने पाठकों के समक्ष में उस कृत्य का अध्यात्मिक पक्ष रखा जो कि शरीर के भय और भ्रम से बहुत उपर उठा हुआ था।

उसकी अंतिम इच्छा स्पानीय मंदिर के देवता का प्रसाद उसके प्राचीनार्थ के रूप में प्राप्त करने की थी। जेल में यह पूरे दिन धार्मिक तथा देवमक्ति पूर्ण साहित्य पढ़ता रहता था। वह मृत्यु की तयारी कर रहा था। फाँसी के तख्त पर उसके विरोधित भावचरण से यह प्रगट हो गया कि उसकी तयारी कभी पूर्ण थी। उसने इस विचार और सिद्धांत को पूर्ण तरह गलत सिद्ध कर दिया कि कृत्रिम परसाह ने उसकी इस कृत्य के लिए प्रेरित किया था। वह यह पूरी तरह जानता था कि वह उस अपराध के लिए किस सीमा तक उत्तरदायी है। वह उस कृत्य की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसकी महत्प्रशंसाजनक राजपूत महिलाओं की माँति देव के लिए मरने की थी जो अग्नि चिन्ता पर भस्म हो जाती थीं। वह एक परी के समान सुंदर था जिसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह हत्यारा हो सकता है। जब जबकि वह अत्यन्त निमग्नतापूर्वक मरा है तो हत्यारा न रहकर शीर देवमक्त बन गया है। अत्यन्त मनुष्य हा प्रकार अपने शरीर के मोह को नहीं छोड़ सकता। सोच यह कभी भी नहीं भूत सन्ने कि इस तरह व्यक्ति में आरमा ने शरीर पर विजय प्राप्त

प्राप्त करती थी। इस घटना से हमें प्राचीन समय की भौष्यात्मिक शक्ति की याद हो पाती है।

### बम का दगुन (१९०८)

मुजफ्फरपुर बम विस्फोट का शोर समस्त भारत में गूँजा और इल्लह के तट तक पहुँच कर समाप्त हुआ। राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने यद्यपि इस शृत्य की मतसना की परन्तु उन दो तरण बालकों के स्वार्थ रहित बलिदान की भूरि भूरि प्रशंसा की जिनमें से एक ने स्वयं अपने जीवन को समाप्त कर दिया और दूसरे ने फाँसी के फँदे में झूज कर अपने प्राणों का त्याग किया।

यह स्वाभाविक था कि धड़ेजों द्वारा संचालित सभी समाचार पत्र क्रोध से बोलना उठे और क्रांतिकारी आंदोलन के जाने और मनजाने नेताओं और आंदोलन के कार्यकर्ताओं के सिरों की माँग करने लगे। उम्मा कहना था कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जावे। कुछ राष्ट्रीय पत्रों ने सावधानी से काय करने की सलाह दी और सरकार से प्रायश्चा की कि वह इस बात का पता लगावे कि इस अज्ञाति तथा हिंसात्मक दोग का वास्तविक कारण क्या है? कि भारतीय जनसंख्या का एक बग जिसमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हो गई है इन बात की उक्ति भी चिन्ता किए बिना कि उसको कितनी भीषण घातना सटन करनी होगी स्वतंत्रता के लिए मरने की तयार हो गया।

केसरी' ने लिखा (५ मई, १९०८) ऐंग्लो इण्डियन प्रेस द्वारा बतलाया हुआ अपचार भवदय ही विफल होगा। जिस प्रकार वह रूस तथा अन्य देशों में विफल हुआ है। केसरी' के बाद 'प्रवारा ने लिखा (५ मई १९०८) 'अग्रज देश की राज नीति में विनाग के ऐंजिन द्वारा लगाए गए परिवर्तन से बहुत भयभीत है' पंजाबी' ने (६ मई १९०८) रोग का सही निदान किया। उसने लिखा कि इसका कारण पुराना और गहरा रोग है। इससे जात होता है कि देश में कितना गहरा असन्तोष व्याप्त है जिसके कारण वर्तमान स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसने भय खाने वाले विनम्र परिचयी प्रभाव से प्रभावित बगानी को आराजक और विद्रोही बना दिया।

सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह गम्भीरतापूर्वक उन कारणों पर विचार करे कि जिससे लोगों को इस प्रकार के अपराध करने की प्रेरणा मिलती है। 'काल' (८ मई, १९०८) ने सतपरायण दिया। बिना कारण के कोई काम नहीं होता और भारतीयों की भवदय ही कहीं से इतनी प्रथिव उत्तजना मिली होगी जिससे कि वे इस प्रकार के हिंसात्मक काय करने पर उतारू हो गए।" इसके अतिरिक्त भव बंगालियों व जेस और फाँसी का भय जाता रहा। 'हिंद स्वराज्य' (९ मई, १९०८) ने लिखा 'वे तुनी अदालत में घोषणा करते हैं कि वे देश के लिए मृत्यु का आशिर्वादन करने की तयार हैं।'

मराठा' (१० मई १९०८) ने इन शृत्यों को जन्म देने वाले कारणों का विश्लेषण करते हुए लिखा "कि यह कृत्य निस्संदेह जहाँ तक उसके स्वरूप का प्रश्न है अपराध' है। परन्तु उसमें जेस मात्र भी स्वाय की भावना नहीं थी जो कि अपराध का मदन मूल उद्देश्य हाता है। इसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई निजी अन्याय, कोई निम्न ईर्ष्या की भावना किसी से घृणित प्रतिशोध लेने का विचार काय नहीं कर रहा था, उन बालकों ने जो अपराध को स्वीकार किया वह स्पष्ट रूप से सीमा और उक्त

या धीरे-धीरे यह सिद्ध होता है कि वे तरुण साधारण राजनीतिक आंदोलनों की निस्सारता के विचार से अमिथुल होकर ही इस क्रांतिकारी आंदोलन को अपनाए के लिए प्रेरित हुए थे। उनके हृदय में अतन्तु परिस्थिति के विशद अपनी शक्ति के अनुसार भबकर विरोध करने की दवाई न जा सकने वाली भावना ने ही उसको इम काम के लिए प्रेरित किया था। इसका सुदूर उत्तरदायित्व सरकार के सर पर है।”

‘भासा’ ने ११ मई, १९०८ के अद्य में लिखा “कि अंग्रेजों का साम्राज्यवाद के खातिर स्थायी रूप से भारत पर अधिपत्य अजामे रखने का दृष्टिकोण भारतीयों को धीरे-धीरे अधिक दुःख करेगा और जो यदा कदा बम विस्फोट के द्वारा अपने शोम के अस्तित्व की सूचना देता रहेगा।”

यही तर्क ‘केसरी’ ने अस्पष्टित किया (१२ मई १९०८) जिसमें वह बम कांड और उनके कारणों की विरुद्ध व्याख्या करता है। लोगों की स्वराज्य के अधिकारों की इच्छा अधिकारिक बलवती होती जा रही है। और यदि उन्हें इन इन अधिकार प्राप्त नहीं होते असा कि वे चाहते हैं तो दासता में पडी जनसंख्या में कुछ लोग शोम और घृणा से अविभूत होकर अक्षय ही अधिकारितापूर्ण अनुचित और अमानक कृत्य करने पर उतारू हंगे। यदि शासक लोग ऐसे कृत्यों को नहीं चाहते तब उन्हें अपने प्रशासन की प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा और उस पर प्रतिबंध लगाने हंगे।

‘ऐसा प्रतीत होता कि सभी विचारवान व्यक्तियों की एक समान सम्मति है कि बम पार्टी अधिकारी बग द्वारा अत्याचार और दमन के परिणामस्वरूप बनी है। उनके द्वारा जनता पर होने वाले दमन और जनमत की अधिकारपूर्ण अवहेलना ने क्रांतिकारी दल को अम दिया है। बमों का विस्फोट इस कारण होता है क्योंकि अधिकारी बग ने बगाल के तरुणों के अर्थ की इतनी गहरी सीमा तक परीक्षा की कि बगाल के तरुणों का अिदर फिर गया। अतएव इस विपत्ति का उत्तरदायित्व राजनीतिक आंदोलन लेखों और भाषणों पर नहीं बरस अधिकारी बग के अधिकारपूर्ण हठ पर डालना चाहिए।”

यही उद्देश्य तरुणों के अस्तित्व और हाथों को अल देता है जो मृत्यु का अलिगन करने के लिए अग्ये अते हैं। इस हिंसात्मक कृत्य में मुन्स (१४ मई १९०८ को) ‘देव’ की इच्छा दिग्दर्शक पडती है कि वह बगाली अति जो अभी तक भीरु मानी जाती थी उसमें अजनों ऐसे तरुण उत्पन्न हुए जो कि देश के लिए अपने अरणों का अखण करके के लिए तयार हैं और ‘छापेकर’ जैसे तरुण कभी भी निरसाहित न होने वाले साहस और असनता के साथ किसी भी अण्ड को अहन करते हैं।

‘परन्तु सभी लोग जो उनके असाधारण साहस उनकी अण्डवादिता और उनके अहात और अविन अ्ये के अम्बान में शीघ्रते हैं वे उनकी अणसा किए बिना नहीं रह सकते। वे भी जो उनके अधिकारपूर्ण कृत्य की असनता करते हैं उनकी निस्वायता की अणसा किए बिना नहीं रह सकते। उनकी अल ही सकती है परन्तु उनका अ्ये अुद्ध और अविन था। क्या कभी कोई बिना अविन अ्ये के मृत्यु का अलिगन असनतापूर्वक कर सकता है।” यह हिंसा कांड अंग्रेजों के मन में अपने अरणों की अक्षरसा की भावना अर देगे। (हिंद पत्र १३ मई १९०८)

‘स्वराज्य’ (१९ मई १९०८) के अनुसार उस हिंसा कांड के लिए अेद अण्ड करने की अण्डकता नहीं है जिसमें केवल दो अिनयों की मृत्यु हुई। ‘क्योंकि अुनिस ने

अपने सम्पीडन के द्वारा हजारों को धमलोक भेज दिया होगा। उन देशभक्तों का साधारण स्वार्थरहित या भीर उहोने अपने को एकमात्र देश सेवा के लिए धरित कर दिया था। इन देशभक्तों को जिनका एकमात्र ध्येय देश सेवा करना है उन्हें धारा-जकतावादी कह कर बयो वदनाम किया जावे। यदि वे उनसे श्रेष्ठ नहीं तो वे नरम विचार वालों और राष्ट्रीय विचार वालों की भाति ही देशभक्त हैं। सम्भवतः उनकी देशभक्ति धरम सीमा पर पहुँच कर गलत निशा में मुड गई।”

इस लेख में पत्र इस विचार बिन्दु को भीर अधिक स्पष्ट करते हुए लिखता है—‘यह दल नीची भनोत्रुक्ति का ही ऐसा प्रतीत नहीं होगा। इसके विपरीत अपने लक्ष्य में दूरदर्शी और अपने निश्चय में घटल प्रतीत होता है। उहोने अपने समस्त स्वतंत्रता प्राप्त करने का अभिजात और श्रेष्ठ आदेश रक्खा है और उहोने वही किया कि जिसे वे उसे प्राप्त करने के लिए अपना क्तव्य मानते हैं। यह स्पष्ट है कि यद्यपि उनके मस्तिष्क धमनिशिक्षा के समान प्रज्ज्वलित थे उनके हृदय मजबूत और पवित्र थे। उनकी धात्माएँ साधारण हृत्पारो और डकतों की भाति पाप से पकिल नहीं थीं। वे शुद्ध थे।’

न्यायोत्तेजक’ ( १६ मई ) जन’ ( १७ मई ) भासा’ ( २१ मई ) पत्रों में भी उनके हृदय के ध्येय की मुक्ति कठ सं प्रशमा करते हुए उसी ढग से टिप्पणी लिखी। मुजपफरपुर की घटना का स्वरूप दूसरा है। क्योंकि जि हीने इन पड्यत्रों का सगठन किया’ वे कोई धमिक्षित या मूख अनाड़ी नहीं हैं। गुजराती ( १७ मई १९०८ ) ने लिखा कि हमें इसके कारणों को खोजना चाहिए। ‘क्या कारण है कि वे लोग शिक्षित व्यक्ति हैं जो इस बात को अक्षी तरह से जानते हैं कि उन्हें अपने प्राणों की धाहति देनी होगी, अपने को ऐसे भयानक कृत्यों में भोंक देते हैं? जब इस प्रकार का राजनीतिक पामलपन शिक्षित व्यक्तियों पर सवार हो जाता है तो धयिका रियों को समझ लेना चाहिए कि लोगों में भ्रम प्रशासन के प्रति अपनी घृणा को दबा कर रखने का धैय समाप्त हो गया है।’

अपनी स्वयं की सुरक्षा की नितांत उपेक्षा उनका ऊषा लक्ष्य और उनके द्वारा दुःप्राप्य दो तदण बालको के ददम्य साहस की सुधाकर’ ( १६ मई, १९०८ ) ने भूरि भूरि प्रशमा की परंतु उसकी उनके उस दुःकृत्य से कोई सहानुभूति नहीं थी। ‘विहारी’ ( १८ मई १९०८ ) ने लिखा कि पूना और मुजपफरपुर के कांडो का मुख्य प्रेरक कारण सम्बधित अग्रज अधिकारियों रड और किम्सफोड का भयकर दमन था।”

एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इन धाराजकतावादियों की सपा उनकी ऊँची और अभिजात महत्वाकांक्षा की प्रशसा नहीं करेगा।

बम का जन्म एक मकीन युग के धागमन की चेतावनी है। ‘किसरी’ ने २६ मई १९०८ के धन में लिखा—‘न तो १८९७ के जुबली हत्याकांड, से न सासा साजपत राय के देग निर्वासन के समाचार से और न सिवल रेजीमेंट में परिवर्तन करने से देग में ऐसा भयकर शोभ उत्पन्न हुआ था जसा बम विस्फोट से हुआ। अग्रजों का कोरुमत १८५७ के बिद्रोह के उपरांत भारत में बम के जन्म की धत्यंत धसाधारण घटना के रूप में देखता है।’ (परिशिष्ट के अनुसार) युगांतर’ जिसकी पहले बंद कर दिया गया ५ मई १९०८ को पुनः प्रगट हो गया। और उसी पहले धक में उसने स्पष्ट बिना किसी हिषक के जनता का धाहवान किया कि यह सरकारी खजानों को घूट

क्षत्रियानों की प्रशस्ति

4007

ले और "देवी चामुंडा नरमुड मालिनोकराल बदनी काली" के नाम पर शत्रु से युद्ध करने में जुट जावे। 'हितकारी' ( २६ मई १९०८ ) भी अपने पाठकों के सामने क्रांतिकारियों और भ्रातृव्यतावादियों के भेद को स्पष्ट करने में पीछे नहीं रहा और उसने निम्न होकर लिखा—' वे (बंगाल के तटस्थ) लोग योरोपियन भ्रातृव्यतावादियों की भाँति कानून और व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहते यद्यपि उनके भाषण और कार्यों से गडबडी और भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सकती है।'

' उनके सम्बन्ध में ध्याय करते समय उनके उद्देश्य और ध्येय को ध्यान में रखना चाहिए जिन्होंने उन्हें बम फेंकने पर विवश कर दिया। उनको बदनाम करने वालों और स्वयं इस कांड को करने वालों के तर्कों का उसमें संतुलन मिल जाता है।' यह कहा जाता है कि खुदीराम हत्या तथा कायरता और घृणित टाइम बम जैसे हथियार को काम में लाने का अपराधी था। क्रांतिकारी लोग इसके उत्तर में कह सकते हैं कि प्रत्येक शासक जो जनता पर भ्रष्टाचार और दमन करता है और उनको फाँसी पर चढ़ाता है—भी इसी अपराध का दोषी है। यह कहा जा सकता है कि खुदीराम भ्रष्टाचार निन्द्यी व्यक्ति है क्योंकि उसने दो निर्दोष महिलाओं की हत्या कर दी। यह सही है परंतु क्या किसी जज को इसलिए निन्द्यी माना जावेगा क्योंकि उसने भूल से एक निर्दोष व्यक्ति को फाँसी की सजा दे दी जिस पर पुलिस ने इच्छा भ्रष्टाचार से मुकदमा चलाया था।

प्रत्येक कृत्य के दो पक्ष होते हैं। इन दो परस्पर विरोधी मतों का सम बंध बिठाना कठिन होता है। किंतु उनके ऊँचे भादश के सम्बन्ध में तो दो मत नहीं थे। हिंदुस्तान ( २६ मई १९०८ ) ने नीचे लिखे अनुसार मत प्रकट किया। इस कांड के मुख्य चरित्रों की कुछ ने उनकी खरता और स्वायत्त्याग थी बड़ी प्रशंसा की है कुछ ने उनको सनकी कह कर उनकी भ्रष्टता की है कुछ ने उनको भादशवादी कह कर उनकी प्रशंसा की है तो कुछ ने उनको नाशवादी कह कर घृणा व्यक्त की है। इस प्रश्न पर चाहे कितनी ही मत भिन्नता क्यों न हो इस प्रश्न पर सब एक मत हैं कि उनमें कमीनापन तथा नीचापन सेषामात्र भी नहीं था। अपने स्पष्ट उद्घोषित उद्देश्य की सरसता और सत्यता में वे भय और ऊँचे तथा प्रकाशमान दिलसाई पड़ते थे।

'युगान्तर' ने घोषणा की ( २० मई १९०८ ) "कि देश देशद्रोहियों से प्रतिशोध लेने के लिए अधीर है। प्रतिशोध की घड़ी भव या गई है और जि होने पुलिस को सूचित किया है अथवा जिन्हें भूल से भी देशद्रोही माना जा सकता है उनको दंड भोगना होगा।"

'शास्त्र कहते हैं वह चाहे भाई, पिता, या पुत्र हो यदि वह देशद्रोही है तो उसे मार दो। उसमें कोई पाप नहीं है।

"मुटठी भर पुलिस तथा सैनिक क्रांतिकारियों के इस महासागर की उत्पल तरंगों के सामने विरोध में नहीं खड़े रह सकते हैं कि तु इनकी जगह हजारों अस्तित्व में आ जावेंगे। भयभीत न हो। धीरों के रुधिर से हिंदुस्तान की मिटटी सदब उबरा होती रही है। हिम्मत न हारो। वीरों की कमी नहीं है। यश और गौरव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी दृष्टि की एक भृष्टी ( कुछ बर्षों) में शत्रु के हृषय में भय का अंधार छर दिया है। उनके भीतर और अंधार

से आकाश गूँज रहा है। रंग मंच की यवनिका (पर्दे) के उठने से पूव रंगमंच का धानदार वभव जबकि अकॅस्ट्रा बज रहा है दशको के हृदय हर्षोन्मत्त कर देता है। इस युद्ध रूपी महासागर में और अधिक शक्ति और बल से सरो।”

‘अलीपुर पडयान के कंदियों की मानसिक दशा अतिश्रेष्ठ है। उनमें से कुछ अपने को मार कर और शत्रु को घृणा के साथ भगूटा दिखाकर स्वर्ग चले गए हैं दूसरों ने अपने साथियों को सदा के लिए विदा दे दी है।”

“दो प्रतिद्वंदी सघन युक्त शक्तियों के बीच समाज सध्य प्राप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए स्वयं निज का एक स्तर दूँड निकालता है ( केसरी ५ जून १९०८ )

‘यह सच है कि कोई भी विचारवान व्यक्ति इस प्रकार की हत्याओं का समर्थन नहीं करेगा। परंतु प्रतिष्ठित और ऊँचे दर्जे के इतिहासवेत्ताओं ने बतलाया है कि इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियों में भी भलाई करने की शक्ति छिपी रहती है इस कारण इस प्रकार के क्रांतिकारियों को मानव जाति के शत्रु के रूप में नहीं देखना चाहिए।”

“ जबकि दो शक्तियों में अ्यनुपाती सतुलन होता है तो समाज स्वतः किसी कठोर उपचार या उपाय को जन्म देता है और साम्य स्थापित कर देता है। ”

‘केसरी’ का मत है (६ जून, १९०८) कि भारत सरकार जो घोर मचाकर यह प्रचार करती है कि बंगाल में पनपने वाला बम का पथ अपने योरोपीय समरूप की भाँति ही समाज व्यवस्था के लिए विनाशकारी घोर विध्वंसक है—पूरा सत्य नहीं है। उस पत्र के अनुसार जबकि योरोप में यह पथ घनी वग से उत्पन्न हुआ परंतु बंगाल के पथ के मूल्य में देशभक्ति की भावना का अतिरेक है। स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने समस्त जाति को शीघ्रहीन बना दिया और उसको इसलिए नपुंसक कर दिया कि जिससे कि उनका छोटे से छोटा अधिकारी भी मनमाने ढंग से उन पर अत्याचार कर सके। अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों जैसी नयी उतारता ही है और न उनमें वैसी शक्ति ही है। अर्थात् (मुगल) भारत को कभी निश्चिन्त नहीं किया।

मुगल बादशाहत के शाही साम्राज्य की तुलना में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य बहुत कमजोर है और सैनिक शक्ति की दृष्टि से उसमें तेजस्विता की कमी है। सम्राट औरंगजेब ने हिन्दुओं पर धार्मिक दृष्टि से कई प्रकार के अत्याचार किए परन्तु धन वितरण की दृष्टि से कोई अत्याचार नहीं किया। उसकी दस या बीस लाख सेना दक्षिण के दस या बीस वर्षों के युद्धों में समूल नष्ट हो गई। उस पर भी देहली का साम्राज्य डेढ़ सौ वर्ष तक उसकी मृत्यु के उपरांत पसींटा हुआ चलता रहा। यदि अंग्रेजी सेनाओं को औरंगजेब की सेनाओं की भाँति ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसके उपरांत अंग्रेजों का शासन पच्चीस वर्ष भी नहीं चलेगा। इसका मुख्य कारण यह है कि अंग्रेज भारत में अस्थायी किरायेदार अथवा उड़ते हुए पक्षी की भाँति जो थोड़ी देर के लिए विश्राम करने को पेड़ पर बैठ जाता है वह रहे हैं।

सरकार ने जमता को निश्चिन्त कर दिया है और सारी सैनिक शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसका परिणाम यह है कि अंग्रेज अपने को समस्त देश का स्वामी

समझते हैं। लेकिन बम ने इस स्थिति को बदल दिया है। अतः क्योंकि अभी तक सरकार के पास ऐसे कोई साधन नहीं थे जिनसे वह यह जान सकती कि सरकार के कारनामों से उग्र स्वभाव वालों में कितनी सीमा तक निराशा-यता और क्षोभ उत्पन्न हो गया है। जनता केवल याचना पत्र देती और उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था।

बम ने जनता के हाथ में एक अत्यन्त प्रभावशाली हथियार दे दिया है और उसने सरकार की सेना की प्रतिष्ठा के प्रति भय और आदर को कम कर दिया है। आगे इङ्गलैंड भारत का शासन उस समय द्वा-रि-त और सुविधापूर्वक नहीं कर सकेगा जब तक इङ्गलैंड भारतीयों का अधिकाधिक विद्वान् प्रसन्न नहीं कर लेता।

“शत्रु का निर्माण और उनको अपने पास रखने पर सरकार कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाकर रोक सकती है पर तु बम के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता। कारखानों में दिल्खलाई देने वाले शत्रु के निर्माण के समान न होकर वह एक जादू की वस्तु के सदृश्य अधिक है।”

‘जो उग्र पथी देश भक्त पागल हिंसा पर तुने हुए हैं उन्हें बमों का निर्माण करने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री की आवश्यकता नहीं होती जसा कि कलकत्ते में छिपे हुए बम बनाने की फ़ैक्टरी को देखने से पता होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस खोज से सरकार ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। किसी भी कानून में यह शक्ति नहीं है कि जो उन लोगों से बम बनाने के ज्ञान को गोपनीय रख सकने में सफल हो जो उनका उपयोग करने के लिए कृत सक्षम हैं। क्योंकि बम बनाने का पान योरोप में गोपनीय नहीं है। भारत में अब भी यह गोपनीय है परन्तु यदि सरकार को दमन नीति देश में उग्र विचारों के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि कर देती है तो बंगाल से बम बनाने का ज्ञान शीघ्र ही देश भर में फल जावेगा।’

इनके अतिरिक्त और भी समाचार पत्र ये (विशेषकर बंगाल और महाराष्ट्र में) जिन्होंने परोक्ष रूप से मुजफ्फ़पुर काण्ड का समयन किया। उनमें से एक काल’ या जिनके लिखा—

“स्वराज्य के लिए सब साधारण व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तयार है। और वे अब ब्रिटिश शासन का यथोक्त नहीं करते। भारत में बम फेंकना रूस में बम फेंकने से भिन्न है। बहुत से रूसी लोग बम फेंकने वालों के विरोध में सरकार का साथ देते हैं परन्तु भारत में सरकार के प्रति सहानुभूति पाई जावेगी इसमें गहरा सन्देह है। यदि ऐसी परिस्थितियों में भी रूसियों को ड्यूमा (पालियामेंट) प्राप्त हो गई तो भारत की अवश्य स्वराज्य प्राप्त होगा। भारत में बम फेंकने वालों का आरजकतावादी कहना सवया असंगत है। यदि इस प्रश्न को छोड़ दें कि बम फेंकना यथय सगत है अथवा नहीं तो यह स्पष्ट है कि भारतीय जन अमान्ति और अभ्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं वरन् स्वराज्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं।”

बंगालियों के अरि के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए ‘साफ़ताव’ (२ अगस्त १९०८) कहता है — ‘कि इन बालकों ने भय पर विजय प्राप्त करली है और इन देशभक्तों की दृढ़ निश्चयो भावना का दमन करने का यदि प्रयत्न किया गया तो वह उनके मस्तिष्क को मदहोस कर देगा और उनके शरीर में अधिक शारीरिक बल को उत्पन्न करेगा। पत्र ने जिस भाषा और तर्क का उपयोग किया वह दिलचस्प है—

“देश में एक परिवर्तन की लहर बह रही है। वह बंगाल से आरम्भ होगी



है जहाँ की जनता ने सर्व प्रथम राष्ट्रीयता के प्रवाह में बुझकी लगाई। उनके देशवासी उन्हें कायर और भीड़ समझते थे परंतु उनके चरित्र के सबब में यह अनुमान गलत साबित हुआ। वे अपने को भारत का रक्षक सिद्ध कर रहे हैं। उनमें से मृत्यु का भय सवया जाता रहा और कद उनके लिए तनिक भी भातक पदा करने वाला दंड नहीं रहा। वे लोग धैर्य हैं जो कि अपने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं अपना बलिदान कर देते हैं और इस प्रकार अमर हो जाते हैं। बगानी दृढ़ निश्चय वाले होते हैं कोई भी शक्ति उनके माग को ध्विस्त नहीं कर सकती। जितना ही अधिक सरकार उनका दमन करेगी उतने ही वे अधिक शक्तिवान बनेंगे।”

इस कांड से सरकार की प्रतिष्ठा को ऐसा गहरा घक्का लगा कि बाद के वर्षों में भी उसकी क्षति पूर्ति न हो सकी।

### परिशिष्ट— अ

२६ मई १९०८ के 'केसरी' में प्रकाशित 'बम का दशन' शीर्षक लेख का अर्थ— १८९७ की हत्याओं के उपरांत अधिकारियों का ध्यान प्लेग की प्रशासनिक व्यवस्था में जो अक्षयस्था थी उसकी घोर भाङ्गीत हुआ और उस समय से प्लेग सम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन होना शुरु हुआ और शीघ्र ही उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। इस समय यह कहा जा रहा है कि सरकार बंगालियों के बमों को दो तिनके के बराबर भी महत्व नहीं देती। “दो तिनके” का अर्थ क्या है? बंगाल के बम बनाने वालों ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि अंग्रेजी सरकार बमों से उलटी नहीं जा सकती।

क्रुद्ध बातों को जनता के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। केवल अपने ही दृष्टिकोण से उनको देखना यथेष्ट नहीं है। परंतु अधिकारियों के मस्तिष्क में प्रकाश नहीं चमका। श्री रैड की बुराया से उनकी प्रकाश दिखलाई दिया और बुद्धिमानों के अहम् ने उनके अमर में गान उत्पन्न कर दिया। जहाँ तक प्लेग की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रश्न था अधिकारियों का अहंकार दूर हो गया। इसमें भूल क्या थी? इसमें ब्रिटिश सरकार की शक्ति पर लाक्षणिक कहा था? जबकि व्यक्ति धले तो उसे अपनी आँखों का उपयोग करना नहीं भूलना चाहिए। जबकि किसी को अपने क्रूर के परिणाम स्वरूप दंड मिलने पर भी यदि वह सबक नहीं लेता तो फिर क्या वेतेगा?

जिस प्रकार किसी गाँव के घराब बेचने वाले, और बेधयाए किसी विलासी और व्यभिचारी धनी पुत्र के पिता की मृत्यु से प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं वसी प्रकार 'बाम्य टाइम्स' जो मूर्खता पूर्वक मदहोश होकर तथा पूना और बम्बई के वे देशी पत्र जो सरकार द्वारा परोक्ष रूप से सहायता और संरक्षण पाते हैं यह देखकर कि सरकार पर बम की विपत्ति मडरा रही है यह सोचने लगे हैं कि अब उनकी समृद्धि के दिन आ गए हैं। यह काले देशद्रोही समाचार पत्र प्रसन्न होकर सरकार से कह रहे हैं कि सरकार को बम कांडो का सामना राष्ट्रीय समाचार पत्रों के लेखों और राष्ट्रीय दल के भाषणों के कारण करना पड़ता है इस कारण मैं वकी तनिक भी चिन्ता न कर सरकार को पत्रों तथा भाषण करने वालों का घोर दमन करके उन्हें बंद कर देना चाहिए। १८९७ में इन सरकार समयक काले प्रहरियों ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों के विरुद्ध इसी प्रकार के अन्याय दोषारोपण किये थे और सरकार को अपनी दस वर्ष की दमन नीति का परिणाम बमों के रूप में भुगतना पड़ा है। यदि सरकार इस समय भी अपनी नीति को नहीं बदलती तो उसके परिणाम सरकार और प्रजा के लिए इससे भी

अधिक भयकर होंगे ।

नागवादियों द्वारा किए गए विद्रोहों और विप्लवों को जो कि रूस में बढ़ावा होते रहे हैं के सम्बन्ध में सबसे बड़ी भाति पात है कि उनका कारण सरकार का दमन था । इस दृष्टिकोण से इस समस्या को देखें तो यह कहना पड़ेगा कि जो स्थिति रूस में सरकारी अधिकारियों, जो उनके ही देशवासी थे के द्वारा किए गए दमन से उत्पन्न हुई वही स्थिति भारत में विदेशी सरकारी अधिकारियों के दमन से उत्पन्न हो गई है । ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि जो यह न जानता हो कि ब्रिटिश सरकार की शक्ति अपनी ही बड़ी और अपरिमित है जैसी रूस की सरकार की थी । परन्तु उन शासकों को जिनके पास अब्बाय शक्ति है उन्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि जनता के घब की एक सीमा है । पुराने तथा अनुभवी नेताओं का जहाँ तक सम्बन्ध है वे इस क्षोभ को अपनी परिपक्व विचार शक्ति और अनुभव के द्वारा स्थायी रूप से सीमाओं में बाध कर रख सकना असम्भव है । साथ ही यह बिना किसी हिचक के कहा जा सकता है कि जिस देश में यहाँ के निवासियों के लिए क्षोभ की भावना सदैव निर्धारित सीमाओं में बाध कर रखना सम्भव होता है वे देश अनन्तकाल तक सदैव दास रहते हैं ।

( ख )

'किसरी' ( २७ मई १९०८ ) ने अपनी अद्वितीय आलोचनात्मक शक्ति में छापेकर बंधुओं के शीर कृत्यों और बगाल के बम फेंकने वालों में एक सूक्ष्म भेद करते हुए लिखा था — यदि साहस और काय करने की निपुणता को देखा जावे तो बगाल के बम फेंकने वालों से छापेकर बंधुओं को श्रेष्ठ स्वीकार करना होगा । परन्तु यदि उद्देश्य और उसकी प्राप्ति के लिए साधनों के उपयोग की दृष्टि से बगाल के बम फेंकने वालों की अधिक प्रशंसा करनी होगी । छापेकर बंधुओं की दृष्टि में केवल प्लेग में किए गए अत्याचार और दमन थे उनके सामने वह महत्वपूर्ण और बड़ा प्रश्न नहीं था कि वर्तमान शासन प्रणाली दोषपूर्ण है और इस बात की कोई आशा नहीं है कि नोकरशाही उस समय तक उसको बदलने के लिए कभी तैयार होगी जब तक कि उसके अस्तित्वगत सदस्यों को भयकर परिणाम की घमकी न दी जावे । आधुनिक मुक्त विज्ञान ने सभी देशों में शासकों की स्थिति को मजबूत बना दिया है और प्रजा को उसके विपरीत बहुत असुविधा की स्थिति में रख दिया है । परन्तु यदि आधुनिक विज्ञान ने शासकों के हाथ में भारक भयकर अस्त्र शस्त्रों को दे दिया है तो उसने विनाशकारी बम को भी जन्म दिया है । यदि सरकार बमों से साभ नहीं उठाती, पाठ नहीं सीखती तो वह स्वयं अपनी ही शत्रु सिद्ध होगी ।

अलीपुर का विध्वंस ( १९०८-१९१० )

३० अप्रैल, १९०८ को दुर्भाग्यपूर्ण मुजफ्फरपुर वाली घटना जिसमें दो निर्दोष महिलाओं की मृत्यु घटित हो गई—के सदम में क्रांतिकारी सगठन के दो साहसी बालकों के कार्यों ने सशस्त्र क्रांति की तयारी की प्रारम्भिक अवस्था में ही उस पर विनाशकारी प्रभाव डाला ।

पुलिस उन इमारतों पर बहुत पहले से निगाह रख रही थी जिनका सदेहास्यद व्यक्ति उपयोग करते थे । मुजफ्फरपुर की घटना के परिणामस्वरूप पुलिस ने एक साथ १ मई, १९०८ को ( १ ) नम्बर ३२ मुजफ्फरपुर रोड मानिकुतला गार्डन, ( २ ) ३८ ४

रजा नव किशन स्ट्रीट (३) १५ गोपी मोहनदत्त लेन (४) १३४ हैरिसन रोड—सभी कलकत्ते में थे—मकानों की तलाशी ली। देवगढ़ के (५) सिललाज की भी तलाशी ली गई। कुल इकतालीस व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

इन तलाशियों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में राजद्रोहात्मक साहित्य और पुस्तकें, विस्फोटक पदार्थ जो निर्माण की विभिन्न स्थितियों में थे गोली बारूद तथा धस्त्र तथा अत्यन्त भयानक विस्फोटक पदार्थों को बनाने की पूरी लिखित विधि इत्यादि पकड़ी। जो सामान मिला उससे यह अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता था कि सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की यह तैयारियां यथेष्ट लम्बे समय से की जा रही थी। यह ध्यान देने की बात है कि ऊपर लिखे पदार्थ तथा तैयारी की खोज के पूर्व भी बंगाल में कतिपय क्रांतिकारी घटनाएँ विभिन्न स्थानों पर पहुँच चुकी थी। बाद को ज्ञात हुआ कि उन घटनाओं के जनक वे ही लोग थे जो पकड़े गए थे। इसके अतिरिक्त यह हम पहले ही कह आए हैं कि नए रसायनिक पदार्थों से बनाए गए एक बम की विध्वंसक शक्ति का परीक्षण करते समय देवगढ़ में एक मूल्यवान् जीवन नष्ट हो गया था।

२ मई, १९०८ की सफल तलाशी और गिरफ्तारियों के परिणामस्वरूप ३८ अपराधियों पर अलीपुर पडयंत्र का मुकदमा चलाया गया। लोगों पर 'युगान्तर' का कल्पनातीत प्रभाव पड़ा था। कुछ अपराधियों ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि 'युगान्तर' के उत्तेजनाजनक लेखों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। और उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उस खतरनाक माग को अपनाया। ऐसे सक्कों की सख्या में युवक थे जो क्रांतिकारी संगठन के उद्देश्यों को सन्निय रूप में अथवा गुप्त रूप में स्वीकार करते थे। मानिकतला संगठन से स्वतंत्र बहुत से दल थे जो स्वतंत्रता के युद्ध के लिए यथा शक्ति तैयारी कर रहे थे।

उनका अंतिम लक्ष्य अबाध स्वतंत्रता था परंतु तत्कालीन उद्देश्य ऐसे लोगों से बदला लेना और उनको दण्ड देना था कि जिन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से अपने को देश का शत्रु और देश के हितों का विरोधी सिद्ध किया था।

विभिन्न खेतों से जो गवाही एकत्रित की गई उससे स्पष्ट हो गया कि बहुत बड़ी संख्या में भद्रलोक तट्टण सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पडयंत्र में सम्मिलित हो गए हैं। अधिकांश अपराधी शिक्षित और गहरी धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। क्रांतिकारी दल ने जो पडयंत्र किया था वह बहुत शक्तिवान् और बड़ा था। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी दल के सदस्यों ने असीम शौर्य साहस और हठ निश्चय का परिचय दिया। अपराधियों को मजिस्ट्रेट के सामने दो समूहों में उपस्थित किया गया। पहले समूह का मुकदमा ४ मई से आरम्भ हुआ और १८ अगस्त १९०८ तक चला दूसरे समूह का मुकदमा १४ अक्टूबर, १९०८ से ४ मार्च, १९०९ तक चलता रहा। पहले समूह के ३८ व्यक्ति १९ अगस्त, १९०८ को सेशन सुपुद कर दिए गए और दूसरे समूह के लोग १४ सितम्बर को सेशन सुपुद दिए गए। अलीपुर सेशन का मुकदमा १९ अक्टूबर को आरम्भ हुआ।

६ मई, १९०९ को सेशन जज ने अपना फैसला दे दिया। दो को प्राण दण्ड दिया गया और सत्रह को विभिन्न दण्ड दिए गए। दस को आजीवन निर्वासन (काला पानी) दिया गया और दोष छोड़ दिए गए। उच्च न्यायालय ने २३ नवम्बर, १९०९

को अपील में एक की प्राण दण्ड की सजा को आजीवन निर्वासन में बदल दिया और दूसरों के दण्ड को कम कर दिया। एक को मुक्त कर दिया गया और एक की मुकदमे के काल में मृत्यु हो गई। पांच के सम्बन्ध में 'यायाधीशों' में मत भेद था उनके मामले को एक तीसरे जज को दे दिया गया। उनके सम्बन्ध में १८ फरवरी, १९१० को फरमा सुना दिया गया। तीन को मुक्त कर दिया गया और दो के दण्ड को बचा रखा गया। इस प्रकार ब्रिटिश शासन में पहला सनसनी खेज राजनीतिक षडयंत्र का मुकदमा समाप्त हुआ।

### विश्वासघाती देशद्रोही का अन्त

अलीपुर षडयंत्र का मुकदमा सेशन जज की अदालत में निर्धारित गति से चल रहा था। पहले समूह में कनाईलाल दत्त जो २ मई, १९०८ को गोपी मोहन दत्त सेन से पकड़ा गया था और नरेन्द्र नाथ गोस्वामी जो ५ मई, १९०८ को सीतमपुर से गिरफ्तार हुआ था रक्षे गये थे। दूसरे समूह में थे सत्यन्द्र नाथ बोस जो आम्स ऐक्ट मिदनापुर के कदी थे। उन्हें सबसे पहले २१ जुलाई १९०८ को मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया।

अब सह कदियों की जानकारी के बिना कि सरकार नरेन्द्र को सरकारी साक्षी बनने के लिए लालच दे रही है, परन्तु उनको गहरा सदेह हो गया था कि नरेन्द्र को सरकारी पक्ष अपने साथ लेने की कोशिश कर रहा है—नरेन्द्र को पुलिस ने कदियों के कठघरे से निकाल कर उसे सम्राट के गवाह के रूप में सरकारी पक्ष की ओर से गवाहों के कठघरे में खड़ा कर दिया। नरेन्द्र ने सम्राट की क्षमा के लिए प्रार्थना की और २३ जून, १९०८ को वह स्वीकार हो गई। उसकी २४, २५, २६ जून और ३ जुलाई को गवाही हुई। पुलिस रात्रि को उसे पढ़ा देती वही वह प्रातः कास अदालत में कह देता। ऐसी बहुत से राजनीतिक नेताओं का उसने अपनी गवाही में नाम लिया जिनका षडयंत्र से तनिक भी सम्बन्ध नहीं था। उसने अपराधियों के सम्बन्ध में ऐसी कहानियाँ अदालत के सामने कही जो कभी घटित ही नहीं हुई थी। इससे अपराधियों में कदी फ्रांतिकारियों में बहुत उत्तेजना और घातक था। उन्हें अपने जीवन के लिए भय नहीं था बरन वे उनके लिए भयभीत थे कि जिनकी उनके साथ सहानुभूति थी और जिन्होंने अपने तरीके से फ्रांतिकारियों की सहायता की थी।

अदालत में तथा अलीपुर सेंट्रल जेल में जहाँ नरेन्द्र को रखा गया था उसे एक सीमा तक स्वतन्त्रता थी। अदालत के कमरे में वह पुलिस के अधिकारियों से तथा अन्य सरकारी विच्छलगुओं से मिल जुल सकता था और जब तक कि उसे अदालत उठने के उपरांत जेल ले जाने का समय नहीं होता वह पूरी तरह से स्वतंत्र था। उसे अन्य कदियों से पूछकर उनके योरोपियन बाइ में जेल में रखा गया था।

वास्तव में स्थिति अत्यन्त भयावह थी। नरेन्द्र की गवाही जो कानून के अंतर्गत जायज थी सनसल कर सकती थी। सभी यह अनुभव कर रहे थे कि वह केवल अपराधियों के लिए ही घातक नहीं थी बरन उस पवित्र उद्देश्य के लिए भी घातक थी जिसके लिए वे भोग प्रयत्नशील थे।

इसी बीच 'सत्येन' एक कमजोर और रोगी व्यक्ति जो अदालत में कदी की घोषाक में हाजिर रहता था जुलाई २६, २७, २८ (१९०८) को अनुपस्थित रहा। उसे

सर्व प्रथम १७ जुलाई १९०८ को अस्पताल ले जाया गया था और उसी दिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। वह पुन २७ जुलाई को अस्पताल में वापस लौट आया। ३० जुलाई को उसका दो बाहरी व्यक्तियों से साक्षात्कार हुआ।

कनाई ने ३० अगस्त को मयकर पेट के दद ( कालिक ) की शिकायत की और उसी दिन उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उसे एक ऐसे सह कदी की सहायता करनी थी जो चल तो सकता था परंतु स्वयं अपने कपड़े नहीं पहन सकता था।

२९ अगस्त १९०८ को नरेन' जेस सुपरिटेन्डेंट के पास गया और उससे कहा कि उसे अस्पताल में भर्ती एक कम केस के दोषी कदी का सदेश मिला है कि वह अपराध को अंगीकार करना चाहता है। सुपरिटेन्डेंट की स्वीकृति से नरेन सत्येन से उसी दिन सायकाल को तथा दूसरे दिन प्रात काल मिला। दूसरे दिन धर्यात ३१ अगस्त को दोनों के मिलने की और व्यवस्था की गई।

३१ अगस्त को एक कदी चौकीदार आया और उसने योरोपियन वाड के अधिकारी से कहा कि सत्येन नरेन से मिलना चाहता है। कंदी ओवरसियर हिगिन्स के साथ 'नरेन' उस अपनी भाग्य यात्रा पर चल पड़ा। जब वे लोग अस्पताल के समीप पहुँच रहे थे तो 'सत्येन' पहली मजिल पर बराहा की जाली के पास दिखलाई पड़ा। जैसे ही 'नरेन' और 'हिगिन्स' सोडिया चढ़ने लगे वह वाड नम्बर एक की ओर चला गया। वे दोनों डिस्पन्सरी के कमरे में प्रात काल ७ बजे प्रवेश हुए। नरेन' ने हिगिन्स से 'सत्येन' को बातचीत के लिए बुलाने को कहा।

'कनाई' दूसरे वाड में था और उस समय उसके वहाँ होने की कोई सम्भावना नहीं थी। वह वाड नम्बर एक की ओर से आता दिखलाई दिया। दोनों ने डिस्पन्सरी में प्रवेश किया और वे नरेन ( नरेद्र ) के बहुत समीप आ गए। उसके उपरांत वे तीनों साथ साथ बरडि में चले गए। हिगिन्स डिस्पन्सरी में प्रतीक्षा करता रहा।

दस मिनिट भी नहीं हुए थे कि पिस्तौल चलने की आवाज हुई। नरेन' के एक हाथ में गोली लग गई थी वह डिस्पन्सरी की ओर चिल्लाता हुआ भाग रहा था। "ईश्वर के लिए मुझे बचाओ, वे मुझे मार डालेंगे" उसके पीछे 'कनाई' और 'सत्येन' दौड़ रहे थे। 'हिगिन्स' ने नरेन को डिस्पन्सरी में भीतर की ओर डकेल दिया और स्वयं नरेन और उसका पीछा करने वालों के बीच खड़ा हो गया। वह 'कनाई' से भिड गया और जैसे ही उसने 'कनाई' के हाथ के रिवाल्वर को छीनने के लिए हाथ ऊपर उठाया। उसके दाहिने हाथ के पीछे गोली लगी। गोली उसके अगूठे को चीरते हुए निकल गई। 'हिगिन्स' जमीन पर गिर पड़ा परंतु तुरंत ही उठ बैठा। 'नरेन' ( नरेद्र ) डिस्पन्सरी के किनारे पर खड़ा हुआ था 'सत्येन' ने अपने रिवाल्वर से उसकी ओर निशाना लगाया।

तब तक नरेन' के भीतान पुन वापस लौट आए और वह डिस्पन्सरी से निकल कर बाहर भागा और सोडिया जल्दी जल्दी उतरने लगा 'कनाई' और 'सत्येन' उसका पीछा कर रहे थे, वे दौड़ते जा रहे थे और गोलियाँ चला रहे थे। एक गोली नरेन के घूतड़ पर पीछे की ओर लगी।

'नरेन' और 'हिगिन्स' भाग कर किसी प्रकार अस्पताल से बाहर निकल गए उन्होंने इस रास्ते को पकड़ा जो कि अस्पताल के फादर से पून की ओर जाता था

घोर बीविंग मिल के शेड के दक्षिणी सिरे पर था। शेड के दक्षिण पूर्वी किनारे पर एक दूसरा रास्ता उससे सीधा भाकर मिलता था जो कि कारखाने के दोनों भागों के बीच से होकर उस खुली जगह जाता था जो जेल के फाटक के समीप थी और भाज भी है।

उनका 'कनाई' घोर सत्येन' दृढ़तापूर्वक पीछा कर रहे थे। उन्होंने अपने शिकार का पीछा करते हुए कुछ घोर गोमियां चलाई एक दूसरा कंदी भोवरसियर 'लिटन' दौड़ कर शीघ्रतापूर्वक उनकी सहायता के लिए आया और उसने 'सत्येन' को जिसे उसे भ्राने का तनिक भी भान नहीं था पकड़ लिया। सत्येन जमीन पर गिर गया। 'कनाई' अपनी दृष्टि अपने शिकार पर लगाए हुए था जबकि लिटन आया और उसको पकड़ लिया। कनाई ने अपनी पिस्तौल का कुत्ता उसके मस्तक पर मारा परंतु अपने को उसकी पकड़ से छुड़ा न सका। इस कठिनाई में गिरफ्तार हो जाने पर भी कनाई ने अपना पूरा बल लगा कर अपने हाथ को छुड़ा लिया और नरेन पर बहुत समीप से अन्तिम गोली चलाई। नरेन चक्कर खाकर गिर गया। उसका प्राणा शरीर नाली में था और प्राणा रास्ते पर।

'कनाई' और 'सत्येन' ने इसके भागे किसी घोर को जल्मी करने या अपने को स्वतंत्र करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। कनाई ने अपने रिवाल्वर को फेंक दिया जिसकी पाचों गोलियां चलाई जा चुकी थी। रिवाल्वर बड़े आकार का घार थाई सी ०४५० बोर का था। सत्येन का रिवाल्वर छोटे आकार का ०३८ बोर प्रोसबोन का था। उसमें ६ चम्बर थे परंतु उसमें केवल ४ गोलियां थी जो चलाई जा चुकी थीं। वे रिवाल्वर ऐसे नहीं थे जो कारतूसों को स्वयं बाहर फेंक दें। साली कारतूसों को एक लोहे की छड़ से धक्का देकर बाहर निकालना पड़ता था।

५ सितम्बर १९०८ को 'इन्दु प्रकाश' ने इस घटना के सम्बन्ध में नीचे लिखी व्यंग्यात्मक टिप्पणी प्रकाशित की। "बंगाल के धराजकतावादियों को समस्त पृथ्वी के धराजकतावादियों में सबसे अधिक रोमांटिक माना जाना चाहिए। जहाँ तक बीरता चतुराई और शतानी का प्रश्न है उन्होंने कसी घोर स्पेन के दुस्ताहसी घोर खोखिम उठाने वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। वे सधातित बार करने में बहुत तेज हैं वे प्रतिशोध में तेज हैं तथा बलशाली योरोपियन पाठरों को पछाडने में और ऐप्रूवर (भेदी साक्षी) को समाप्त करने में बहुत निपुण हैं।"

उसके विचार में "धराजकतावादियों का कानून वास्तव में अत्यन्त भयकर है" घोर इस सम्बन्ध में उनका धम सम्भवत यह है—चाहे प्राभे दर्जन रीठ को घटसाने वाले योरोपियन बच कर निकल जावें लेकिन एक देशद्रोही विश्वासघाती को बचकर न निकलने दो' यह हत्या एक अत्यन्त साहसिक काय था। प्रतिशोध का इससे अधिक साहसी कृत्य की कल्पना करना कठिन है (सेडीशन कमेटी रिपोर्ट पृ १८८)

इस घटना की जांचे की जांच होने उपरांत उन दोनों को सेशन सुपुद कर दिया गया। 'कनाई' ने वकीला की सहायता लेना अस्वीकार कर दिया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, ७ सितम्बर १९०८ को मुकदमा भारम्भ हुआ। अभियोग चलाने वाले पक्ष की कतिपय साक्षियों के बयान लिए गए जिसमें 'शे कंदी भोवरसियर भी थे तथा मेडीकल आफीसर भी थे। ज्युरी ने तबसम्मति से 'कनाई' को दोषी घोषित कर दिया। सत्येन' के सम्बन्ध में दो के विशद तीन के बहुमत ने उसे निर्दोष घोषित

किया। 'कनाई' को प्राणदण्ड की सजा दी गई और 'सत्येन का मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया। २१ अक्टूबर १९०८ को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया और दोनों अपराधियों को प्राणदण्ड की सजा दे दी।

प्राणदण्ड का 'कनाई' पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा। मानो कुछ हुआ ही न हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उस प्राणदण्ड की घटना से वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसके मुख मण्डल पर देवी छान्ति की आभा निखर रही थी जो उस घात हृदय और मस्तिष्क का नसर्गिक प्रकाश था। उसके मुख पर दुःख या परेशानी का लेश मात्र भी चिह्न प्रगट नहीं हुआ। उसका मुख एक सुन्दर पूरे खिले हुए कमल के समान दैवीप्यमान था जो उसके अंतर के हृष्य का प्रतिबिम्ब था, क्योंकि उसका ध्येय पूरा हो गया था। उसने मृत्यु का भी सामना उसी छान्ति और ध्येय से किया जैसा कि जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण था। स्पष्ट दिखलाई देता था कि उसको जीवन के सब चिंतन सत्य की अनुभूति हो गई थी। उसके लिए कारागार, प्रहरी, सूली, फासी का तहता एकाकार होकर शून्य में परिवर्तित हो गए थे मृत्युदण्ड सुनने के उपरांत उसका वजन १६ पौंड बढ़ गया जो इस बात का निश्चित प्रमाण था कि उसका अंतर अत्यंत शक्तिशाली विचारों से भविभूत हो रहा था और वह देवी अनुकम्पा का अधिकारी बन कर दिव्य लोक में प्रवेश कर चुका था।

फैसला हो जाने के बाद उसने अपने भाई के अतिरिक्त अन्य किसी मित्र या सम्बन्धी से मिलना सस्वीकार कर दिया। वह अपने भाई से ९ भगस्त को मिला। उसने पुरोहित के द्वारा अंतिम संस्कार कराने से भी इनकार कर दिया।

फासी लगने वाले दिन से पूर्व की रात्रि को वह इतनी गहरी नींद में सोया कि जेल के कतब्य पराएण अधिकारियों को उसे फासी के लिए तैयार होवे के लिए निद्रा से जगाना पड़ा, वह उठा और प्रातःकाल की साधारण क्रियाओं से निवृत्त होकर वह सप्तर से बूच करने के लिए तैयार हो गया। उसको ६ बजकर पांच मिनट पर जकड़ कर बांध दिया गया वह फासी के तहते तक चार योरापियन वाडरो से घिरा हुआ चल कर गया। उसके कदम मजबूत थे और वह इस सब की ओर उसी प्रकार उदासीन था जैसा कि वह मुकदमे के काल में उदासीन रहा था।

बिना किसी की सहायता के वह स्वयं फासी के तहते पर चढ़ गया। उसके चेहरे पर काला टोप चढ़ा दिया गया। फासी का फट उसकी गदन में ठीक कर दिया गया। सकेत हुआ लीवर खींचा गया 'कनाई' कुछ पीट नीचे गया और सीधे ही 'कनाई' का मृत शरीर रस्सी से लटका हुआ दिखलाई दिया।

यह कभी भी न भूली जा सकने वाली घटना १० नवम्बर १९०८ को अलीपुर सेट्रल जेल में प्रातःकाल लगभग सात बजे हुई। उसके भौतिक शरीर को कपोल टोला फासीघाट में चिता पर भस्म करने का निश्चय किया गया। जेल के फाटक से हजारों व्यक्तियों का स्वतः एक जुलूस बन गया और वह श्मशान घाट की ओर चल पड़ा।

बहुत बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष वीर 'कनाई' को अपनी अन्तिम श्रद्धांजलि भेंट करने श्मशान भूमि में एकत्रित हो गए थे। जब 'कनाई' का मृत शरीर घाटा दिखलाई पड़ा तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उसी स्थान पर एक सज्जन ने चढ़ा करके कई मन चंदन की लकड़ी मगवासी।

जब मृत शरीर भस्म हो गया तो उसकी हड्डियों को ( पवित्र अविशेष के रूप में) लोग ले गए। 'कनाई' की भस्म भी भागीरथी गंगा के प्रणव न की जा सकी। लोगों ने चादी के डिब्बों तथा अन्य बर्तनों में उस पवित्र भस्म को भर लिया। भस्म को लिफाफों में भर लिया गया जिससे 'कनाई' के बाहर रहने वाले भक्तों और प्रवासकों को यह भेजी जा सके। स्थानीय पूल बेचने वाले एक दूसरे से बिना मूल्य पूल देने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, वे अपने पूलों को उस घोर के गव पर चढ़ाने के लिए घातुर थे।

दोपहर के बाद कालेज स्कंध्यर से एक जलूस बन कर सबको पर घसा। जलूस गाता जा रहा था " जय जावे जीवन चोले " ज़िया अपने शखों से घोर नाद कर रही थीं और एक वृद्ध पुरुष गा रहा था—

' जो कुछ प्रिय है उसने प्रेम को भूल जायो ।  
ससार के दुखा और चिन्तामा का विस्मरण करदो ॥  
निद्रा में अपनी चमकने वाली आखा को बंद करलो ।  
जहां न कोई अघकार है और न प्रासू हैं ।  
जहां घोर पुरुष के शव पर गौरव की वर्षा होती है ॥  
देखो कनाई' उपर स्वर्ग को जा रहा है ।

### रिवाल्वर

जनता इस बात को समझ ही न सकी केवल घटकों ही लगाती रही कि जेल में जहां कड़ी निगरानी रखी जाती है किस प्रकार रिवाल्वर फाटक से उन दोनों कदियों के पास तक छिपा कर पहुंचाए गए। वो लोग कौन हो सकते हैं जो कि छिपा कर रिवाल्वरों को जेल में ले गए और वे उन दोनों के पास किस प्रकार पहुंचे। इसके प्रतिरिक्त जेल के प्रत्येक मं वे दोनों किस प्रकार रिवाल्वरों को अपने पास युक्त रूप से रख सके। विशेषकर उनमें से एक छोटे आकार का नहीं था जो आसानी से छिपाया जा सकता। वह भारी आकार में बहुत बड़ा पुराने काले नमूने का रिवाल्वर था।

इस बात से रहस्य और भी गहरा हो जाता है कि ३० अगस्त १९०८ को सभी व्यक्तियों की एक साधारण जेल परेड प्रातः काल हुई थी। जो भी हो जो लोग इस रहस्य का उदघाटन कर सकते थे उन्होंने बसा नहीं किया। परन्तु अब यह सभी की जानकारी में है कि दो मित्रों ने अपने हाथ में रिवाल्वरों को रैपर में लपेट रखा था और जब वे कदियों से मिल कर जेल से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने वे दोनों रिवाल्वर मिलकर वापस जेल में लौटने वाले कदियों को दे दिए। यह उल्लेखनीय है कि रिवाल्वरों को ऐसी होशियारी से छिपाया गया कि जेल के अधिकारी और वाइरा की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी जो कि कदियों से मिलने के समय वहां मौजूद थे और जिन्हें उच्च अधिकारियों ने चेतावनी दे रखी थी कि मिलने के समय उन पर कड़ी निगाह रखी जावे।

### सत्येन्द्र नाथ

सत्येन्द्र की फांसी को कुछ दिना के लिए इसलिए रोक लिया गया कि उसके लेफ्टीनेंट गवर्नर को जो याचना पत्र दिया था उसका परिणाम पाठ हो जावे। इसी बीच पंडित शिवनाथ शास्त्री सत्येन्द्र से उसकी प्रायना पर जेल में १ नवम्बर १९०८ को मिले। उसका अन्तिम पत्र जो उसने अपने एक सम्बन्धी को लिखा उससे प्रगट होता है कि उसको अपनी माता के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। उसने लिखा —

मेरी प्रथम और अन्तिम प्रायना यही है कि मेरी माता की वृद्धावस्था में



तुम उसकी ठीक से देखभाल करना। मेरी इच्छा है कि मेरा दाह सस्कार धार्मिक पद्धति से हो।”

सत्येन नाथ बोस को २१ नवम्बर १९०८ के प्रातःकाल फाँसी दी गई और उसका दाह सस्कार जेल के कम्पाऊड में ही कर दिया गया।

कनाई' की फाँसी के उपरांत उसके दाह-सस्कार के समय जो अत्यन्त जनता ने विशाल भीड़ उत्तेजनापूर्ण प्रदर्शन किया था उस अनुभव से लाभ उठाकर सरकार ने जेल कांड के नियम ८४० को संशोधित कर दिया जिसके अनुसार जेल के अधिकारियों को यह अधिकार था कि यदि फाँसी का दह पाने वाले के घब को उसके सम्बन्धी या मित्र न मांगें तो जेल अधिकारी उसको पृथ्वी में गाड़ दें या उसका दाह सस्कार कर दें। सरकार ने १७ नवम्बर १९०८ को एक विज्ञप्ति द्वारा इस प्रावधान में परिवर्तन कर दिया और यह आना प्रदान कर दी।

“घब सम्बन्धियों और मित्रों को उस दशा में सुपुद नहीं किया जावेगा यदि जेल सुपरिटेण्डेंट की सम्मति में उसको सावजनिक प्रदर्शन का माध्यम बनाए जाने भयवा उसके प्रति अनुचित व्यवहार होने की सम्भावना हो।”

सरकार किसी भी प्रकार और किसी भी रूप में प्रदर्शन न होने देने के लिए हठ निश्चय थी। कुछ व्यक्तियों के मस्तिष्क में यह बात उठी और उन्होंने निश्चय किया कि 'सत्येन' के पुतल को जेल से जलूस में ले जाया जावे और गंगा के तट पर उसका अन्तिम धार्मिक सस्कार किया जावे। सरकार ने तुरन्त ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ के अन्तर्गत सत्येन के सम्बन्ध में कोई भी जलूस निकालने की मनाई कर दी क्योंकि यदि उसकी आज्ञा दी जावेगी तो उससे जनता को बाधा पडने तथा क्षोभ उत्पन्न होने की सम्भावना है। उससे जन शांति और सन्वयस्था के भंग होने की सम्भावना है। इसका फलित यह था कि जनता को जलूस में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी।

'सत्येन' का गत जीवन राजनीतिक था। मिदनापुर के कृषि राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष पर वह राष्ट्रीय स्वयं सेवकों का कपटिन था। जबकि वहाँ नेताओं में राजनीतिक प्रश्नों पर क्या चल रहे इस पर मतभेद हुआ तो वह गरम दह में सम्मिलित हो गया। १ अप्रैल १९०६ को बने लड ऐक्यूजेशन विभाग की सेवा से वह हटा दिया गया वह काय करता था।

२८ जून १९०८ को मिदनापुर में एक अभियोग में पहले उस पर हत्या में सहायता करने का धरारा लगाया गया। कुछ समय बाद उस पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए मूक शस्त्र तथा गोली बारूद एकत्रित करने का दोष आरोपित किया गया। परन्तु इस धरारा की सिद्ध करने के लिए भी कोई साधी नहीं था इस कारण वह जमानत पर छोड़ दिया गया।

जहाँ सत्येन रहता था उस मकान में एक बंदूक और तीन ससवारों जिनका कोई साइसेंस नहीं था तलाशी में पाई गई। प्रथम अभियोग के एक मास के उपरान्त पुलिस ने ग्राम्स ऐक्ट के अन्तर्गत सत्येन तथा उसके अभिभावकों का आना किया।

४ जुलाई १९०८ को ग्राम्स ऐक्ट की धारा (ई) और (एफ) के अन्तर्गत अपने भाई की बंदूक बिना साइसेंस के ले जाने के धरारा में सत्येन' को दो मास की कड़ी कद की सजा दे दी गई। १८ जुलाई १९०८ को सेशन अज ने

उसकी शरीर को धस्वीकार कर दिया। इसी बीच अलीपुर बम अभियोग में उसका नाम लिखा गया और उसे उस मुकदमे के लिए कलकत्ता भेज दिया गया। उसके अंतर में मातृ भूमि की सेवा की भावना तीव्र हो उठी थी वह लगातार इस प्रयत्न में था कि वह कोई ऐसा काम करे कि जिन बघनों ने भारत को जकड़ रक्खा है वे निबल हो जायें।

'कनाई' तथा 'सत्येन' की फाँसी से जिस प्रकार का अप्रत्याशित और अभूतपूर्व दुख और शोक जनता में उत्पन्न हुआ और वह भी उस समय जबकि ब्रिटिश शासन को जनता श्रद्धा से नहीं बग्न भय और घातक से देखनी थी इस बात की ओर इंगित करता था कि हवा का रुख किस ओर बह रहा है। यदि वह किसी बात को प्रमाणित करता था तो वह यह थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता की भावना जो जनता के हृदय में दर्बी हुई थी उसे पूरा पढ़ने के लिए एक रास्ता और माध्यम प्राप्त हो गया जिसके द्वारा वह अपनी दर्बी हुई मनोभावना को उस अबाधित ढंग से व्यक्त कर सकी। ब्रिटिश सरकार ने पुनः उस भावना को भीतर ही भीतर दशने का प्रयत्न किया उसका परिणाम यह हुआ कि अधिकाधिक खून बहा और तब तक बहता रहा जब तक कि उस बलवान और जिद्दी शत्रु के हाथ से देश की स्वतंत्रता छीन नहीं ली गई।

स्वर्ग की देन (१९०८-१९०९)

मुजफ्फरपुर के कांड ने सरकार के मस्तिष्क के सतुलन को नष्ट कर दिया। वह प्रतिगोध की भावना से इस भयकर रूप से पीड़ित हो गई कि वह अपने शिकार को मृत्यु के द्वार तक भेजे बिना चकती ही नहीं थी। अधिकारियों को यह बात स्पष्ट हो गई थी कि देशभक्ति की भावना बीस वष से कम की आयु के बालका में भी गहरी बठ गई और वे भी स्वतंत्रता के युद्ध क्षेत्र में उसी उत्साह और साहस से उतर पड़े हैं कि जिस साहस और उत्साह से उनके बड़े उतर रहे थे। ऐसे बहुत से उदाहरण सामने आए जिनमें अल्पवयस्को को ऐसा कठिन काम सौंपा गया कि जो उनके लिए भी गौरव और प्रशंसा का कारण होता तथा जो आयु तथा बुद्धि में उसके बहूत आगे थे। अशोक न दी उतीस वष या ठीक बीस वष का तरण था परंतु उसको यह गौरव प्राप्त था कि वह राज्य सरकार के विरुद्ध दो गम्भीर कांडों में एक साथ शामिल था।

२ मई १९०८ को अशोक नदी १३४ हैरिसन रोड से गिरपतार हुआ। यह मकान उस महान घडयंत्र को एक गाथा था जिसका केन्द्र मानिकनल्ला के गुरारी पुकुर गाडन में था। प्रथम उस पर विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐक्ट के अन्तगत मानिकनल्ला में निर्मित बम रखन का आरोप लगाया गया। दूसरे अभियोग में उस पर सन्नाट के विरुद्ध 'वारि डु कुमार घोष तथा अन्य अलीपुर पड्यंत्र के क्रांतिकारियों के साथ रह कर युद्ध करने का आरोप लगाया गया।

प्रथम अभियोग २८ जुलाई को आरम्भ हुआ। उसमें ७ अगस्त १९०८ को उच्च दायालय ने उस दोष मुक्त कर दिया। प्रत्येक 'यायप्रिय' व्यक्ति यह आशा करता था कि उसकी बघन मुक्त कर दिया जावेगा। परंतु सरकार ने एक दूसरी ही काय प्रणाली अपनाई। दूसरे अभियोग में दंडित होने की आशा में उसे जेल में ही रोके रक्खा गया।

जबकि वह जेल में था तो न दी को नितम्ब सधि (चूटन के जोड की हुई) का शय रोग हो गया। उसका स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिनाजनक रूप में गिरने लगा। बार बार जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए परंतु पुलिस के हस्तक्षेप पर

ने उन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार कर दिया।

अलीपुर घटयंत्र के अभियोग में सेशन जज ने उसे सात वष के निर्वासन का दण्ड दे दिया उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई जो ढेर तक बढ़ा चलती रही।

इस बीच प्रार्थी नदी की क्षारीरक स्थिति गम्भीर हो गई। उसके दुबले पतले शरीर से ग्यारह पाँच बजन घट गया। ११ मई १९०६ को पुन उच्च न्यायालय में इस आधार पर जमानत की प्रार्थना की गई क्योंकि उच्च न्यायालय में अपील की सुनवाई दो मास से पूर्व नहीं होगी। इस बात की आशंका है कि तब तक अभियुक्त की मृत्यु हो जावेगी। उच्च न्यायालय के माननीय जज कानून के अक्षरों से विपटे रहे और उन्होंने यह निर्णय दिया कि सब माय व्यवहार नीति यह है कि दीपकालीन कदियों का जबकि उनकी अपील की सुनवाई होने वाली हो जमानत पर नहीं छोड़ा जाय।

सम्राट के वकीलों ने जमानत की प्रार्थना का विरोध इस आधार पर किया कि अभियुक्त इस समय जेल होस्पिटल के क्षय रोग के बाड में है जो बहुत हवादार और आराम का स्थान है। सरकारी तंत्र में न्याय के विपरीत आचरण करने वाले और घृणित विचारों का समर्थन करने वाले भद्र कहे जाने वाले लोगों को क्षमी नहीं थी। चौबीस परगने के मजिस्ट्रेट ने लिखा कि वह दुमजिना हवादार बाड है जिसमें दोहरा बराडा है और वह क्षयरोगी के खुली वायु के उपचार के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। अपनी उदारता में वह यह लिखना भी नहीं भूला कि वह बलकत्ते के साधारण मकानों से कहीं अधिक अच्छा है और सम्भवत उस स्थान से भी अच्छा है कि जहाँ रोगी जेल के बाहर ले जाकर रखा जावेगा।

सिविल सजन ने रिपोर्ट दी कि उसमें अब भी जीवन शक्ति के चिह्न विद्यमान हैं उसकी दशा मरणासन्न नहीं है। देश बंधु चित्तरजन दास जो अभियुक्त की पंरबी कर रहे थे उन्होंने कहा—“यह खुली वायु का उपचार जो कि एक रोगी के लिए इतना अधिक आवश्यक है उन्हें तब तक ध्यान में नहीं आया जब तक कि लाड शिप के आदेश को उन पर लागू नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त इस बात की बहुत अधिक सम्भावना है कि अभियुक्त दोष भुक्त हो जावे क्योंकि उसके विरुद्ध अभियोजक निश्चित रूप से कोई भी अपराध सिद्ध नहीं कर सके। जिस दिन लाड शिप आदेश उन पर लागू किया गया उसी दिन रोगी को अस्पताल भेज दिया गया।

एक जिम्मेदार डाक्टर ने जो कि सरकारी नौकरी में था रिपोर्ट दी कि “वह गम्भीर रूप से बीमार है” जज ने निर्णय दिया कि रोगी का रोग ही उसके एकाकी कंद का एकमात्र कारण था और अब जबकि उचित और उपयुक्त प्रबंध कर दिया गया है और रोगी के लिए जो कुछ भी उपयुक्त और बाध्यनीय माना जा सकता है वह कर दिया गया है तो आदेश रद्द किया जाता है।

रोगी का स्वास्थ्य अत्यन्त चिन्ताजनक था। देश बंधु चित्तरजन दास ने व्यक्ति पिता को लफ्तीनेट गवनर से प्रार्थना करने का परामश दिया, जिसका हृदय सम्भवत जज से अधिक कोमल हो जिसके न्याय करने के कृत्य के कारण उसके हृदय में कोई कोमल और सुखुमार भावनाएँ सम्भवत न रही हो। पिता ने अपने रोगी पुत्र को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। यदि यह सम्भव न हो तो विकल्पस्वरूप उसके दण्डादेश के निष्पादन को निलम्बित कर दिया जावे और जब तक अपील का

फसला न हो उसे घर जाने दिया जाय। क्योंकि इस बात की वही प्राणका है कि यदि उसकी अपील बाद की स्वीकार भी कर ली जावे और उच्च न्यायालय की प्राणा मे वह दोषमुक्त भी कर दिया जाये तो भी वह अपनी स्वतन्त्रता का सुख भोग करने के लिए तब तक जीवित ही न रहे।

२ जुलाई १९०६ को बंगाल सरकार की प्राजा से प्रयोग नदी को जमानत पर छाड़ दिया गया। १७ अगस्त १९०६ को उच्च न्यायालय के सामने जब उस अभियोग की कायवाही प्रारम्भ हुई तो अभियुक्त के वकील देशबधु चित्तरजनदास ने याचिका दायरे से कहा कि प्रयोग नदी सरकार के प्रतिशोध की अग्नि से तथा सरकार की प्राणानुसार काय करने से बच गया। क्योंकि पिछली रात्रि को वह एक ऐसे स्थान को चला गया कि जहा पहुँचने के लिए कानून के लम्बे हाथ भी बहुत छोटे हैं।

'प्रयोग नदी' के अभियोग में २० नवम्बर १९०६ को उच्च न्यायालय ने उसकी अपील को स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में फसला किया परन्तु वह न्याय व्यय था। कई महोदयों की अनिश्चितता जाच पढताल अभियोग और अपील के उपरांत जब वह मुक्त हुआ तो बहुत तैर ही चुकी थी। वह स्वतन्त्रता का सुख अनुभव करने के लिए इन्ध पुरा पर नहीं रहा। उनके माता पिता के लिए यह कोई सतोष की बात नहीं थी कि उनका प्रिय पुत्र अहमन म सात लम्बे बर्षों तक जेल में रहने से बच गया। कल्याणमय भगवान ने अपनी प्रसन्न अनुकम्पा से उसको इस नाशवान शरीर के बंधन से मुक्त कर दिया जो उस पर जब से पुलिस की कुदृष्टि उस पर पड़ी मडरा रही थी।

### सगठनात्मक विस्तार { १९०६ १९१० }

मुजफ्फरपुर काठ तथा प्रसीपुर पडयंत्र के अभियोग ने अगाल के सब्र फले हुए क्रातिकारी सगठनों की विशालता के सम्बन्ध में अपिकारियों की आँखें खोल दी। क्रातिकारियों के सगठनों की शाखाएँ दूर दूर फैली हुई थीं जो कि अग्रजों को शत्रुओं के दब से निकाल बाहर करना चाहते थे। उन क्रातिकारी सगठनों के आकाश और शक्ति का परिचय सरकार को उन अभियोगों से मिला जो कि सरकार ने क्रातिकारी आंदोलन की प्रारम्भिक अवस्था में चलाए थे।

व्यक्तियों और व्यक्ति समूहों के विरुद्ध किसी प्रगत काय के लिए अथवा किसी ऐसे काय के लिए जो कि स्पष्ट रूप से पडयंत्र की परिभाषा में नहीं आते फौजदारी अभियोग चलाए गए। जनता की उन अभियोगों के प्रति यह धारणा थी कि यह अभियोग बहुदेगीय हैं जिनका आधार जातीय अहकार, भय, प्रतिशोध की भावना तथा प्रशासनिक अकुशलता पर निर्भर है। जो भी कुछ ही उन अभियोगों से बंगाल तथा अन्य क्षेत्रों के क्रातिकारी विचारों और कार्यों का केवल अधूरा चित्र ही सामने आया।

भारत सरकार के गृह सचिव ( होम सेक्टर ) श्री हारवे अहमसन ने १२ दिसम्बर १९०८ को इम्पीरियल नजिस्लेटिव काऊंसिल में एक विधेयक इस आशय का प्रस्तुत करते हुए कि जिससे बिना जुरी की सहायता के दोषप्रता से न्यायालय प्रवर्धना ( ट्राइल ) कर सकें। उन पुस्त क्रातिकारी सस्थाओं की रूपरेखा, उनके अर्थों और उनके कार्यों का यह विवरण दिया था — कि यह राज्य विरोधी सगठन

बाहलाती हैं जिनके सदस्य स्वयं मेवक होते हैं। वे सब प्रथम १९०२ में स्थापित हुई। परंतु १९०६ तक उनके सम्बन्ध में कुछ अधिक ज्ञात नहीं हुआ। ब्रिटिश विरोधी भावना के अधिक घनीभूत हो जाने पर इस प्रकार की समितियों का तेजी से विस्तार हुआ, विशेषकर पूव बंगाल के जिलों में उनका जाल बिछ गया। उनका विचार था अधिकांश सगठना का उद्देश्य युवकों को अस्त्र शस्त्र चमकाने की शिक्षा देना और उन्हें सम्भावित देश यापी क्रांति में सक्रिय भाग लेने के योग्य बनाना है। वे अपने युवकों को ड्रिल कराते हैं कृत्रिम युद्ध की शिक्षा देते हैं परेड करते हैं और युवकों में युद्ध की भावना भरते हैं। उनका जो प्रतिम उद्देश्य देशव्यापी विद्रोह करना है वे उसको छिपाने का प्रयत्न नहीं करते। इसके अतिरिक्त यह ग्राम शिकायत है कि वे सब और लगातार योरोपियनों को अपमानित करने का प्रयत्न करते हैं और उसको गौरव पूर्ण मानते हैं। कुछ घटनाएँ ऐसी भी हुई कि जिनमें गम्भीर रूप से मारपीट की गई डाके डाले गए क्रांतिकारियों सम्बन्धी जांच पड़ताल में हस्तक्षेप किया गया, साक्षी बने दबाया गया महा तक अभियान के महत्वपूर्ण साक्षी को सत्तार से ही हटा दिया गया।

सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इन गुप्त समितियों ने अपने कार्य को विभिन्न शाखाओं में बांट लिया है जिसका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि एक शाखा प्रकाशन तथा समाचार पत्रों की व्यवस्था करती है। सैनिक शाखा अस्त्र शस्त्र तथा बमों का निर्माण करती है और उनको एकत्रित करती है। वित्तीय शाखा का मुख्य कार्य कोष इकट्ठा करना है। उनका गुप्तचर विभाग पुलिस की गतिविधियों पर दृष्टि रखता है। परिस्थिति के अनुसार सर्वाधिक उत्तरदायित्व का कार्य अत्यंत विश्वासनीय परीक्षित कार्यकर्ताओं को ही सौंपा जाता है।

सरकार ने शोघ्रता से इस प्रकार के सगठनों को जो कि पुलिस की दृष्टि में गैरकानूनी कार्यवाहियों में सलग्न हैं दबाने के लिए एक अधिनियम पारित किया। गजट ऑफ इंडिया के १ जनवरी १९०६ के अध्याधारण अंक में सरकार की आज्ञा से नीचे लिखे सगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए।

(१) अनुशीलन समिति ढाका (२) स्वदेश बांधव समिति बारीसाल (३) वृत्ति समिति फरीदपुर (४) सुहृद समिति ममनसिंह (५) साधना समाज ममनसिंह।

दो मास उपरांत १ मार्च १९०६ को कलकत्ते की 'युवक समिति' खुलना के सतखिरा सब डिवीजन में स्थिति कुमिरा की 'वृत्ति समिति' को भी इस सूची में जोड़ दिया गया।

### व्यक्तिगत सावधानियां (१९०७-१९१०)

बहुत बड़ी गरमा म जो राजनीतिक सघात किए गए उनका एकमात्र उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यों के लिए केवल कोष इकट्ठा करना ही नहीं था किन्तु एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि तक्षण समस्या के परिणाम को माहसिस और जोखिम भरे कार्यों को करो दें यता को सहन करने, तथा परिवार के प्रति उदासीन रहने की मानसिक भावना उत्पन्न करने और अपने जीवन तथा शरीर के प्रति मोह न रखने के लिए सघात किया जाय।

वतिपय घटनाएँ और उनसे सम्बन्धित अभियोगों का क्या परिणाम निकला वह महा तिथिक्रम के अनुसार दिया जाता है।

चिप्रीपोटा —सब प्रथम घटना चिप्रीपोटा रेलवे स्टेशन की यस सोनापुर बोस परगने पर घटी । जबकि ६ सितम्बर १९०७ को रेलवे का खजाना जा रहा था उसका रूपया लूट लिया गया । इस घटना के सम्बन्ध में कुछ स्थानीय युवकों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से तीन पर अभियोग चलाया गया । परन्तु अभियोग को प्रमाणित करने के लिए साक्षी के अभाव में अभियोग को ११ फरवरी, १९०८ को वापस ले लिया गया ।

बाराह — ढाका जिले के बाराह स्थान पर जो पुलिस स्टेशन नवाब गंज में स्थित था दो जून १९०८ की रात्रि को एक डकती डाली गई । इसमें चार व्यक्ति और एक चौकीदार डाला डालने वाला का पीछा करने में मारे गए । इस सम्बन्ध में बहुत बड़ी सहाय में युवकों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से चार को उच्च न्यायालय के एक विशेष ट्रिब्यूनल के समक्ष १६ अप्रैल, १९०६ को उपस्थित किया गया । परन्तु अपराध प्रमाणित न हो सका और १० मई १९०६ को चारों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर अभियोग को समाप्त कर दिया गया ।

बाजोतपुर — १५ अगस्त, १९०८ की बाजोतपुर मंसूरसिंह में एक डाका पडा उसके सम्बन्ध में जो अभियोग चला उसमें दो व्यक्तियों को क्रमशः डेढ़ बघ और एक बघ के कठिन परिश्रम का दण्ड दिया गया ।

बिघाटी — बाराह व्यक्तियों के विरुद्ध १६ सितम्बर, १९०८ को हुगली जिले के भद्रेश्वर पुलिस स्टेशन में बिघाटी स्थान पर पड़ी डकती के अपराध में अभियोग चलाया गया, उच्च न्यायालय के विशेष ट्रिब्यूनल ने २६ मार्च १९०६ को अपना निर्णय दिया जिसमें एक अभियुक्त को ६ बघ, दो को पांच बघ, और एक को तीन बघ ६ महीने का कठिन कारावास दिया गया ।

मिदनापुर पडयत्र — नितम्बर, १९०८ में लगभग बीस अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग आरम्भ हुआ । अभियोग काल में कतिपय अभियुक्तों को बहुत बड़ी जमानतों ( २० हजार और ५० हजार रुपये के बीच में थी ) पर छोड़ा गया । ६ नवम्बर १९०८ तीन के प्रतिरिक्त सभी अभियुक्तों पर से अभियोग उठा लिया गया । लम्बे समय तक अभियोग चलने के उपरान्त दण्डित अभियुक्तों जिनमें दो को दस दस बघ और एक को सात बघों का निर्वासन का दण्ड दिया गया था उन सभी को उच्च न्यायालय ने १ जून, १९०६ को मुक्त कर दिया उनको दोष प्रमाणित नहीं हुआ ।

नारिया — फरीपुर जिले में पालोंग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक छोटे से गांव नारिया में एक अत्यन्त सनसनीपूरण दृश्य उपस्थित हुआ जब कि एक डकती में बहुत बड़ी सहाय में युवकों को भाग लेते हुए देखा गया । डाका डालने वाले सभी लोग लूट का माल लेकर बिना किसी कठिनाई के भाग गए । पुलिस ने सदेह में लगभग बीस व्यक्तियों का पकड़ लिया जिन में से १६ पर अभियोग चलाया । आरम्भ में ही २४ फरवरी १९०६ का प्रविक्षा अभियुक्तों को अदालत ने छोड़ दिया और दो की जमानत मजूर करली गई । अंत में यथेष्ट साक्षी के अभाव में अभियोग नहीं चल सका ।

भोरेहाल — २ दिसम्बर १९०८ को हुगली जिले के कृष्णनगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भोरेहाल में पड़ी डकती के सम्बन्ध में मार्च, १९०६ में लगभग बीस

दजन व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया। नीचे के न्यायालय से एक को छोड़ कर सभी अभियुक्त मुक्त कर दिए गए। केवल एक अभियुक्त का अभियोग उच्च न्यायालय को भेजा गया जिसे उच्च न्यायालय ने ८ जुलाई १९०६ को सात साल के कठोर कारावास का दण्ड दिया।

नेतरा — डायमण्ड हारवर पुलिस स्टेशन के अंतगत नेतरा गांव में २५ अप्रैल, १९०६ को डाका पडा जबकि बहुत से व्यक्तियों ने एक मकान पर घावा बोल दिया और बहुत बड़ी धनराशि तथा यथेष्ट आभूषण लेकर भाग गए। इस सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और लम्बे समय तक उन्हें हिरासत में रखा गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में से केवल कुछ ही के विरुद्ध अभियोग चलाया गया जो २ जुलाई, १९१० तक चलता रहा जबकि न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को छोड़ दिया।

पुलिस ने उन लोगों का सम्बन्ध प्रात में सुदूर स्थानों पर हुई दूसरी घटना से जोड़ने का प्रयत्न किया और ५० व्यक्तियों को सदेह में अपनी हिरासत में ले लिया और उनके प्रतिरिक्त अन्वेषण पर भी अभियोग चलाया जो 'जो हावड़ा गेग केस' के नाम से प्रसिद्ध है।

नागला — खुलना जिले के ताला' पुलिस स्टेशन के अंतगत 'नागला' नामक स्थान पर डाके के सम्बन्ध में १६ अप्रैल, १९०६ को लगभग दस व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। एक निरपेक्ष ट्रिब्यूनल के सामने अभियोग रखा गया। उसने ३ मार्च, १९१० को अभियोग को सुनना आरम्भ किया। पुलिस अभियोजक पक्षा ने एक अभियुक्त द्वारा अपराध की अंगीकार करने के कारण अभियोग को पूर्ण रूप से उसके आधार पर ही चलाया था। १५ मार्च को मुखबिर ने (भेदी साक्षी) अपने ध्यान को बदल दिया और अपराध स्वीकारोक्ति को वापस ले लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को दूसरे ही दिन अभियोग वापस लेना पडा। ६ जून, १९१० को उन्ही ट्रिब्यूनल के सामने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सरकार ने उस मुखबिर पर इण्डियन पेनल कोड की धारा ३४५ के अंतगत अभियोग चलाया। ट्रिब्यूनल ने उसे २७ जून १९१० को सात वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दे दिया।

राजेन्द्रपुरा — ११ अक्टूबर, १९०६ को जोदेनपुर और राजेन्द्रपुर डाका के बीच चलती रेलगाड़ी में डाका पडा जिसमें बहुत बड़ी धनराशि छूट ली गई। अभियुक्त छूट के माल को लेकर चम्पत हो गए। बाद को उसमें से आधा माल लोज में मिल गया।

पहले की तरह ही इस घटना के सम्बन्ध में नवम्बर भर बहुत सी गिरफ्तारियां होती रही परन्तु जिस व्यक्ति की बहुत खोज थी और जिसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी वह सफलतापूर्वक बहुत लम्बे समय तक गिरफ्तारी से बचता रहा। इसी बीच सरकार ने डकैती का अभियोग आरम्भ कर दिया जिसमें २६ फरवरी, १९१० को सभी अभियुक्त मुक्त कर दिए गए।

भागा हुआ अभियुक्त १० नवम्बर १९०६ को मालदा जिले में गिरफ्तार हुआ। उसके विरुद्ध डाका स्टेशन जज के न्यायालय में १८ अप्रैल, १९११ को अभियोग चलाया गया ज्यूरी ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। अभियोग को उच्च न्यायालय को सुपेद कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने अगस्त, १९११ को उसे

घाजीवन निर्वासन का दण्ड दे दिया ।

हल्द्व बारी—२८ अक्टूबर १९०६ के ऊपाकात मे नय्या जिले के दोसतपुर पुलिस स्टेशन के अतगत हल्द्व बारी स्थान पर एक डकती हुई । पुलिस ने सदेह में वहुत से लोगों को बिना समझे बूके गिरफ्तार कर लिया । उच्च न्यायालय के एक विशेष ट्रिब्यूनल के सामने दस ब्यक्तियों पर इंडियन पैनल कोड की धारा ३०७ और ३६५ के अतगत अभियोग चलाया गया । २१ अप्रैल, १९१० को निर्णय दिया गया जिसमे ५ अभियुक्तों को आठ आठ बष, और एक को सात बष का बठोर कारावास का दण्ड दिया गया, और एक छोड दिया गया ।

महीसा—जमोर जिले के महमूदपुर पुलिस स्टेशन के अतगत हुई डकती के सम्बन्ध में डाका डालने वाले दन को बहुत अधिक जन हानि उठानी पडी । डाका डालने वालों के विरुद्ध जो अभियोग चलाया गया उसमे एक को ६ बष दूसरे को पांच बष का कठोर कारावास दिया गया । पुलिस एक अन्य ब्यक्ति की खोज में थी जो ५ अप्रैल १९११ को कलकत्ते में गिरफ्तार हुआ । ६ मार्च १९१२ को खुलना के स्टेशन जज ने अभियुक्त को ३ बष का कठोर कारावास का दण्ड दे दिया ।

पडयत्रों के अभियोग—उन ब्यक्तियों के विरुद्ध जिनका स्पष्ट सम्बन्ध अतिकारी कार्यों से था वायवाही करने के अतिरिक्त सरकार ने बडे पडयत्र अभियोग प्रारम्भ किए जिससे कि बहुत बडी सहा में उन ब्यक्तियों को पासा जा सके कि जो सरकार की दृष्टि में अवाछित थे । उनमें से कुछ अभियोग यहा दिए जाते हैं जो १९०८ ११ के काल में हुए जिनसे उनके स्वरूप तथा क्षेत्र का पता लग सके ।

नांगला (खुलना पडयत्र) अभियोग—यह एक बडा अभियोग था । खुलना पडयत्र अभियोग बारह युवकों के विरुद्ध इस आरोप पर चलाया गया कि वे सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के लिए एक पडयत्र के सदस्य हैं । प्रारम्भिक जांच क उपरांत उच्च न्यायालय ने १८ जुलाई १९१० को उस अभियोग की सुनवाई प्रारम्भ की । ३० अगस्त, १९१० को फसला सुनाया गया । पांच को सात वर्षों के लिए निर्वासन तीन को पांच बष का निर्वासन दो को तीन वर्षों के लिए बठोर कारावास का दण्ड दिया गया । केवल एक को दोषमुक्त कर छोड दिया गया ।

खुलना दल का अभियोग—बीस ब्यक्तियों पर गदपुर और सोसेगाम्ती (खुलना) तथा धुल ग्राम और महीसा (जमोर) की डकतियों तथा अन्य घटनाओं में सम्मिलित होन का सन्देह था उन्हें जिलाधीश के समक्ष २१ अक्टूबर को उपस्थित किया गया । अठारह अभियुक्तों को इंडियन पैनल कोड की धारा चालीस के अतगत मजिस्ट्रेट ने भिन्न भिन्न अवधि के लिए टाकुमा के दल के सदस्य होने के अपराध में कारावास का दण्ड दिया । दंडित ब्यक्तियों ने उच्च न्यायालय में अपील की जिसकी सुनवाई २ अप्रैल १९११ को हुई । सभी कदियों ने अपने को अपराधी स्वीकार किया । अभियोजक पक्ष के कहने पर उच्च न्यायालय ने उनके दोष के प्रति नरम दृष्टिकोण स्वीकार किया और सभी अभियुक्तों को नर चलनी के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए विवग किया और यदि भविष्य में इनके फिर अपराध हो तो वे पुलिस को स्वयं प्राप्तममपण कर देंगे और मजिस्ट्रेट जो दण्ड देगा उसकी भुगतेंगे । न्यायाधीश ने एक को दोषमुक्त कर दिया । उसके पश्चान ६ भगोडे कुछ समय के उपरांत गिरफ्तार हो गए और उन्हें एक दूसरे अभियोग में लग्ने समय का कारावास हुआ ।



मुष्ठी गज पडयंत्र अभियोग — १२ नवम्बर १९१० को ढाका में १७ पडयंत्र कारियों पर मुष्ठी गज पडयंत्र का अभियोग चलाया गया। तीन के अतिरिक्त सभी अभियुक्त छोड़ दिए गए। २ मार्च, १९११ को उन तीन पर सेशन की अदालत में अभियोग चलाया गया। एक को धारा ४ की विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत १० अप्रैल १९११ को दस वर्ष का कठोर कारावास हुआ। उच्च न्यायालय में अपील व्यर्थ हुई।

ढाका पडयंत्र अभियोग — पूर्वी बंगाल के नागरिकों की सुरक्षा न कर सकने पर निराश और हताश होकर पुलिस ने सबसे सरल उपाय का आश्रय लिया। उसने एक बहुत बड़ा अभियोग चलाया जिसमें ५५ अभियुक्त थे। उन अभियुक्तों में तरण और वृद्ध, विद्यार्थी जननता तथा ऐसे व्यक्ति जो अपने अपने पेशों में शीघ्र स्थान पर थे और बहुत प्रतिष्ठित थे सभी प्रकार के व्यक्ति थे। उनमें से ४४ पुलिस की हिरासत में थे। ८ अगस्त १९१० को सेशन संपुट करने के लिए प्रारम्भिक जांच हुई और ३० सितम्बर से एक मजिस्ट्रेट बठने लगा। अभियुक्तों को २२ नवम्बर को सेशन संपुट कर दिया गया। अतिरिक्त जिला जज के सामने अभियोग ३ जनवरी, १९११ को प्रारम्भ हुआ और जज ने सात अगस्त १९११ को अपना निर्णय दे दिया। तीन को आजीवन निर्वासन, अठारह को दस वर्ष बौद्ध को सात वर्ष और एक को ३ वर्ष का कठिन कारावास हुआ। बाठ छोड़ दिए गए। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अक्टूबर १९११ को बौद्ध अभियुक्तों की सजा की उच्च न्यायालय ने पुष्टि कर दी और शेष को मुक्त कर दिया।

हावडा दल अभियोग — १ दिसम्बर, १९१० को एक बहुत बड़ा अभियोग उच्च न्यायालय के विशेष ट्रिब्यूनल के समक्ष इंडियन पेनल कोड की धारा १२१ १२२ १२३ के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया। अभियोजकों ने लगभग सभी राजनीतिक घटनाओं जिनका स्वरूप क्रांतिकारी था और जिनका रजिस्ट्रारों से तनिक भी सम्बन्ध होने का संदेह था उनको अभियोग में फांस लिया। उनमें चिगरी पोटा नेतृता, हल्द्वारी तथा अन्य शक्तियों के लोग तथा वे लोग भी थे जिन्होंने अलीपुर स्थित दसवीं जाट रजिमेंट की राजभक्ति को दिमाने का प्रयत्न किया था और जे सरकारी वकील तथा पुलिस अधिकारियों की हत्या से सम्बन्धित थे। बारह राजनीतिक समूहों के चुने हुए प्रमुख व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया। १९ अप्रैल, १९११ को निर्णय सुना दिया गया। प्रारम्भ में जिन ४६ अभियुक्तों पर अभियोग चलाया गया उनमें से पांच उ मुक्त कर दिए गए। एक के विरुद्ध अभियोग वापस ले लिया गया। एक की मृत्यु हो गई और तीस अभियुक्त मुक्त कर दिए गए। और ६ को जो हल्द्वारी ठकुरी के अभियोग में दण्ड भोग रहे थे उन्हें और अधिक दण्ड दिया गया।

पडयंत्र के आवरण में विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित और बहुत से अभियोग चलाए गए। उनमें से कुछ यह थे। मिदनापुर (१९०८) मदारीपुर (१९१३) बारीसाल (१९१३-१४) तथा अन्य अनेक अभियोग भारत में ब्रिटिश शासन के समाप्त होने तक चलाए गए।

यदि भारत में कभी विप्लवकारी तथा क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास लिखा गया तो वह उत्तर भारत में पंजाब और बंगाल के नेताओं ने जो एक दूसरे के

संगठनों को परस्पर सहायता और सहयोग दिया और एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापित किया यह प्रमुख रूप से सामने लाएगा। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और रचिकर अध्ययन का विषय होगा जिसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

दक्षिण में पडयन्त्र (१८६७-१९१०)

पश्चिम भारत में मुत्त क्रांतिकारी संगठन देश में अथ सभी स्थानों की अपेक्षा बहुत पहले आरम्भ हो गए थे। उनका युवका के मस्तिष्क पर जो गहरा प्रभाव था और उनकी जितनी तयारी थी इससे रड की हत्या के उपरान्त सरकार अच्छी तरह से अवगत हो गई थी। ऐश' की हत्या के उपरांत उसने पडयन्त्र अभियोगों को चलाने की तयारी के लिये षोडा अधिक समय लिया। परिणामस्वरूप अलीपुर पडयन्त्र अभियोग के समाप्त होने के कुछ समय के उपरांत १९०६-१९१० में खालियर, नासिक और सतारा आदि के अभियोग चलाए गए।

द्विनेदली पडयन्त्र अभियोग—ऐश' क हत्याकांड सम्बन्धी अभियोग के लगभग साथ साथ ही यह अभियोग भी चलाया गया। हत्याकांड के अभियोग में कुल मिलाकर लगभग १३ अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया। उन पर हत्या पडयन्त्र और हत्या में सहायक होने के आरोप थे। १५ फरवरी १९१२ को उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया जिसमें ६ अभियुक्तों को एक से सार साल का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था। तीसरे न्यायाधीश का अर्थ दो से मतभेद था। उसने केवल चार को दोषी ठहराया। अतएव उच्च न्यायालय की फुल बैंच को अभियोग सुपुद कर दिया गया। मार्च, १९१२ में अभियोग की सुनवाई हुई। पूछ निर्णय में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

खालियर पडयन्त्र—'अभिनव भारत समिति' ने अपनी छाछाए दूर दूर फला दी थीं और पश्चिम भारत के लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान में उसकी छाछा या केन्द्र स्थापित थे। बम्बई नासिक, पुना, पेन, औरंगाबाद, हैदराबाद और खालियर राज्य के भी युद्ध स्वतंत्रता के युद्ध में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त कर चुके थे।

खालियर की नव भारत समिति' ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये क्रांतिकारी कामवाही का एक कार्यक्रम तयार किया। उसको दो भागों में बांटा गया (१) शिक्षा जिसके अंतर्गत स्वदेशी प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, शराब का पूर्ण निषेध धार्मिक पर्व तथा त्योहारों का मनाना, भाषण, पुस्तकालय इत्यादि थे। (२) आन्दोलन सम्बन्धी प्रशिक्षण जिसका उद्देश्य निश्चिन्ता सगाना, तलवार चलाने का अभ्यास करना बम तयार करना डायनेमाइट, तथा रिवाल्वरों को इकट्ठा करना, हथियार चलाने की शिक्षा देना आदि सम्मिलित थे उसमें यह भी निर्देशन था कि—

यदि किसी प्रांत में उपयुक्त समय पर विद्रोह हो जाए तो सभी को उसमें सहायता और सहयोग देना चाहिए और स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। दासता को नष्ट करने के लिए विश्वास स्वयं में एक साधन है। यह हमारा पूर्ण विश्वास है कि यदि तीस करोड़ युद्ध करने के लिए तयार हो तो कोई भी उनकी इच्छा को रोक नहीं सकता। सबसे पहले मस्तिष्क को तयार करने के लिये शिक्षा दी जावेगी और तब विद्रोह छडा किया जावेगा। स्वतंत्रता का युद्ध चतुराई और धृष्टता से लड़ा जावेगा।”

उस समय इस बात के बिना सम्प्रकट नहीं था कि पुस्तक समितियाँ अपने कार्य

क्षेत्र का दूर दूर तक विस्तार करने में लगी थीं। वे साहसिक तथा महत्वपूर्ण कार्य करके अनुभव प्राप्त कर रहे थे। अहमदाबाद भी पीछे नहीं था। नवम्बर १९०६ में उसने वायसराय लाड मिटो की मोटर गाड़ी पर बम फेंक कर उस प्रकट कांड के द्वारा अपनी क्रांतिकारी तैयारी का प्रदर्शन किया। जब जुलूस निकल गया तो दो नारियल के बम सड़क पर मिले। एक दशक ने जिसे यह भान नहीं था कि यह बम हैं उसमें से एक को उठा लिया वह फट गया और उसका हाथ ही जाता रहा।

'अभिनव भारत समिति' के सम्बन्ध में खोज बंद करते हुए पुलिस ने जो स मधी इकट्ठी की उसमें वह पत्र व्यवहार भी मिला जो नासिक और ग्वालियर के क्रांतिकारियों के मध्य हुआ था। भारत सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार ने नव भारत समिति के बाइस अभियुक्तों और अभिनव भारत समिति के उन्नीस अभियुक्तों के विरुद्ध ट्रिब्यूनल के सामने जो अभियोग सुनने के लिए विशेष रूप से निर्मित हुआ था अभियोग चलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रायेण से अधिक अभियुक्तों को सजा हो गई। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप यह थे कि सभी अभियुक्त फिर चाहे वे नासिक में थे अथवा ब्रिटिश भारत के अन्य स्थानों पर वे तथा लंदन में वामोदर विनायक सावरकर ने (१) युद्ध छोड़ने का प्रयत्न किया (२) आपस में मिलकर युद्ध छोड़ने का पद्यत्र किया (३) परस्पर मिलकर इंडियन पैनल कोड की धारा १२१ में दण्डनीय अपराधों को करने का पद्यत्र किया। सभा की ब्रिटिश भारत पर से प्रभुसत्ता हटाने का पद्यत्र किया। (५) भारत सरकार अथवा बम्बई सरकार को भयभीत करने के लिए अपराधिक बल प्रयोग करने अथवा अपराधिक बल प्रयोग का प्रश्न करने का पद्यत्र किया। (६) युद्ध छोड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र इकट्ठे किये। (७) गर बागूनी तरीके से युद्ध छोड़ने के अभिप्राय और तयारी की छिपाया (इंडियन पैनल कांड की धारा १२१, १२१ ए, १२२ १२३ और १२५)

नासिक पद्यत्र — नासिक जिलाधीश की २१ दिसम्बर १९०६ को हत्या के उपरांत ज्वसन की हत्या के लिए जो सगठन उत्तरदायी था उसके गुप्त कार्य की तेजी से खानबीन हुई। उससे यह ज्ञात हुआ कि वह एक गम्भीर और गहरे पद्यत्र का परिणाम था कि जिसने उन व्यक्तियों के हाथों को बल दिया जिन्होंने यह कृत्य किया था।

इस प्रथम नासिक पद्यत्र अभियोग में कुछ नहीं तो अड़तीस व्यक्तियों को पकड़ कर ग्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। साक्षी से जो कि मुख्य कतिपय अभियुक्तों की अपराध स्वीकारोक्ति थी यह पता लगा कि 'मित्र मेला' जिसे विनायक सावरकर ने १८९६ में आरम्भ किया और जो १९०५ में 'अभिनव भारत समिति' में बदल गया उस बांड के लिये उत्तरदायी थे जिसने लंदन से चतुर्भुज भ्रमीन द्वारा लाया गया ब्राउनिंग पिस्तौल का उपयोग किया गया था। यह उस सगठन का पद्य और एकमात्र उद्देश्य विद्रोह करना था। जिसमें रूस की गुप्त समितियों का तरीका और मूला भ्रमनाया जाता था। सम्पूर्ण सगठन को छोटे छोटे समूहों में विभाजित किया जाता था। एक समूह का सदस्य दूसरे समूह के सदस्यों को नहीं जानता था। उन सबों को एक कडी में जोड़ने वाला व्यक्ति केवल उस सगठन का सर्वोच्च नेता था। सभी सदस्य गोपनीयता की शपथ व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से लेते थे—यदि पुरे समूह को कोई कार्य करना होता था।

सरकार का प्रयत्न यह था कि किसी प्रकार पड़्यत्र में गणेश विनायक सावरकर को फास लिया जावे जिससे कि कानून में जितनी व्यवस्था थी उतने लम्बे समय के लिए उसको जेल में रख कर सरकार के रास्ते से बाहर रखा जा सके। अभियोग चलाने वाला के लिए जो साधन उनके पास उपलब्ध थे उनके रहते यह कुछ कठिन नहीं था कि वे गणेश विनायक सावरकर और अन्य अभियुक्तों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने के लिए साक्षी प्राप्त कर लें।

इस ऐतिहासिक अभियोग में २४ दिसम्बर १९१० को फैसला सुनाया गया जिसमें विनायक सावरकर को आजीवन निर्वासन का दण्ड दिया गया। इस अभियोग में ३० अभियुक्त थे उनमें से अधिकांश को विभिन्न समय के लिए कठोर कारावास का दण्ड दिया गया।

अभियोग में प्रस्तुत किए गए पम्फलेट 'ब-देमातरम' से स्पष्ट था कि सगठन का तात्कालिक उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की हत्या करना था जिससे कि स्वतंत्रता ध्येय को तेजी से पूरा करने में सहायता मिले। उस प्रलेख (पम्फलेट) के नीचे दिए कुछ वाक्यों से सगठन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। वे इस प्रकार थे—अंग्रेज और भारतीय अधिकारियों को यदि भ्रातृकृत कर दिया जाय तो दमन के सम्पूर्ण सरकारी तंत्र को पक्षाघात हो जावेगा। खुदीराम बोस, कनाईलाल दत्त आदि अन्य शहीदों ने जिस नीति का गौरवपूर्ण उद्घाटन किया उसकी निरन्तर काम में लाने से भारत में ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही समाप्त हो जावेगी। भ्रमण भ्रमण हत्याओं का आदोलन ही मोक्षरक्षाही को निर्विकल्प बनाने और जनता को उत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय है। क्रांति के प्रथम चरण में पृथक् पृथक् हत्याओं की नीति ही मुख्य काय है।

उस अभियोग में जो फैसला दिया गया उससे क्रांतिकारी सगठन की कार्य प्रणाली और उसमें विनायक सावरकर का कितना हिस्सा था उस पर प्रकाश पड़ता है। इस बात की साक्षी मिलती है कि गणेश सावरकर के नेतृत्व में मित्र मेलों नामक एक सगठन स्थापित था जिसकी स्थापना १९०६ के पूर्व हुई थी। बहुत जांच पड़ताल के बाद ही किसी को उसका सदस्य बनाया जाता था। प्रत्येक सदस्य से उस सगठन के सम्पूर्ण कार्य को गुप्त रखने के लिए शपथ ली जाती थी। युवकों के छोटे छोटे समूह जो समान उद्देश्य के लिये कार्य करते थे मूल सस्था से सम्बन्ध रहते थे। राजद्रोह फैलाने और युद्ध की तैयारी करने के लिये साहित्य प्रकाशित किया जाता था। पड़ोसी देशों में अस्त्र शस्त्र खरीदने और उन्हें वहाँ जमा रखने के लिए आदेश निकाले जाते थे जिन्हें जब उपयुक्त अवसर आवे तो उपयोग में लाया जा सके। उसमें यह भी सुझाव दिया गया था कि अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने के लिए बहुत से छोटे छोटे कारखाने खोले जायें जो एक दूसरे से दूर हों। यह कारखाने प्रछन्न रूप से स्वतंत्रता की कामना करने वाले देश में स्थापित किए जायें और अन्य देशों में गुप्त समितियाँ अस्त्र शस्त्र खरीदें जिन्हें गुप्त रूप से व्यापारिक समुद्री जहाजों द्वारा आयात किया जावे।

'सावरकर' के सम्बन्ध में अज ने कहा—हमारे मत से अभियुक्त लोगों को युद्ध छेड़ने के लिए जनता को उकसाने के लिए प्रकाशित सामग्री का प्रचार करने, अस्त्र शस्त्र उरलभ्य करने और बिस्फोटकों के निर्माण के सम्बन्ध में आदेश वितरित करने का दोषी है।

दूसरा नासिक अभियोग—एक दूसरे नासिक अभियोग में सावरकर पर नासिक के जिलाधीश जैकशन की हत्या में सहायक होने का अभियोग लगाया गया। २३ जनवरी १९११ को अभियोग आरम्भ हुआ जिसमें अभियोजक (पुलिस) ने बताया कि हत्याकांड में जिम पिस्तौल का उपयोग किया गया उन बीस पिस्तौलों में से एक थी जिन्हें शिवायक सावरकर ने प्रच्छन्न रूप से भारत में भेजा था। अनएव यह सिद्ध करना कठिन नहीं था कि अभियुक्त सहायक होने का दोषी था और ३० जनवरी १९११ को विनायक सावरकर को भाजीवन निर्वासन का दूररा दंड दे दिया गया।

यह उल्लेखनीय है कि सावरकर बंधुओं को ही भारतीय देशभक्तों में यह असाधारण गौरव प्राप्त है कि वे दोनों एक साथ अपने जीवन के एक बहुत लम्बे समय तक सलुलर जेल अडमन में रहे जो भारतीय बैस्टिल' के नाम से प्रसिद्ध था। बड़े भाई गणेश को जून १९०६ को 'लघु अभिनव भारत मेला' नामक देशभक्ति पूर्ण कविताओं की पुस्तक लिखने और प्रकाशित करने के अपराध में दंडित किया गया। उनकी भाजीवन निर्वासन कारागार काला पानी का दंड दिया गया। यह दंड देश के फौजदारी कानून में सबसे भयंकर और अत्यंत गम्भीर अपराधों के लिए दिया जाता था वह देश भक्ति पूर्ण कविताओं की पुस्तक लिखने के लिए दिया गया।

बाद को साहोर पत्रकारों के मुकदमों के सम्बन्ध में यथास्थान लिखा गया है।  
कतव्य ही जीवन है (१९०८)

क्रान्तिकारी दल बंगाल के प्रत्येक जिले में स्थापित हो गया था। बहुधा क्रान्तिकारी बायबाहियों की रिपोर्ट सर्वाधिकतम मुख्य कार्यालय में पहुँचती थी। कमी कमी अत्यंत अशुभ परिणाम की भी रिपोर्ट पहुँचती थी।

क्रान्तिकारी आन्दोलन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी इस कारण यथा वहा निजी सम्पत्ति को छूटने की घटनाएँ होती रहती थी। ऐसी ही एक डकती डाका जिले नवाबगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 'बाराह' में दो जून १९०८ को डाली गई। इसमें डाका डालने वाले पच्चीस हजार रुपए नकद और जेवर के रूप में ले गए। इस डाके में अधिकतम जानि हुई। जनता के चार व्यक्ति मारे गए और कई घायल हो गए। (पृष्ठ १६२ को देखें)

जब डाका डालने वाले डाका डाल कर वापस नाव द्वारा नदी से लौटे तो इच्छामती नदी के दोनों तटों पर गाँव वालों ने उनका तेजी से पीछा किया। नाव में छेड़ हो गया और पानी तेजी से भरने लगा।

गोपाल उपनाम देवेन्द्र सेम गुप्त को नाव से पानी उलीचने का काम दिया गया जिससे कि नाव में पानी में भरे और वह हल्की रह। उसने एक थमचा सा बना लिया था और उसी से वह पानी उलीच रहा था। इच्छामती नदी को पार कर दूसरे दिन नाव ने घनेश्वरी नदी से प्रवेश किया। जब कि नाव 'सावर पुलिस स्टेशन' से निकल रही थी तो सब इंसपेक्टर राइफल लेकर बाहर निकल आया और भगने वाली नाव में जो लोग थे उन पर गोली चलाने लगा।

गोपाल नीचे झुक कर और फिर खड़ा होकर पानी को उलीच रहा था। ऐसी परिस्थिति में झुकने और खड़े होने में जो भारी जोखिम थी गोपाल उससे भली भाँति प्रवृत्त था। जो लोग नाव में उठे हुए थे। उनकी अपेक्षा वह बहुत भारी से गोली का निशाना बन सकता था। परन्तु जीवन का भय उसे अपना निर्धारित

संतुष्ट करने से नहीं रोक सका। उसके माथे पर एक गोली घाक लगी और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई।

उसको पुलिस पहचान न सके अतएव उसके मृत शरीर को नांव के भारी लगर के साथ बांध कर उस नदी में छोड़ दिया और इस प्रकार उसे बिड़ रहित जल समाधि दे दी। प्राणपुर की घटना म सुशील सेन से जोड़ा ही भिन्न भाग्य गोपाल का रहा।

### जनता का पारितोषिक (१९०८)

पुलिस इस्पिटल नन्दलाल बनर्जी का नाम प्रफुल्ल चाकसी को १ मई, १९०८ को मोकामेह घाट स्टेशन पर गिरफ्तार करने के प्रयत्न के फलस्वरूप प्रसिद्ध हो गया था। उसकी प्रशसनीय और श्लाघनीय सेवाओं के पुस्कार स्वरूप उसको उदार सरकार ने एक हजार रुपए का पारितोषिक दिया था। यह पारितोषिक १० मई, १९०८ को एक दरबार में दिया गया क्योंकि नन्दलाल बनर्जी उस निष्पल गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार था। उसने ही प्रफुल्ल चाकसी का समस्तीपुर से मोकामेह घाट तक पीछा किया था जिसके कारण घात में वह पकड़ा गया।

वह घटना के कुछ दिना पूर्व ही कलकत्ता आया था और वह सरपेंटाइन लेन' के मकान नंबर १००/२ में अपने सम्बन्धी के पास ठहरा था। ९ नवम्बर, १९०८ को एक पत्र डाक में डालने के लिए वह सात बजे सायंकाल और ७ ३० सायंकाल के बीच मकान से बाहर निकला। घपन निवास स्थान से वह केवल दो सौ गज ही दूर गया होगा कि उसको किसी ने पीछे से एक या दो गोली मारी। वह कुछ बचम ही आगे बीड पामा होगा कि अत्यधिक श्रान्ति (थकावट) के कारण यह चिन्ताता हुआ गिर पड़ा " सरपेंटाइन लेन में नम्बर १००/२ में मेरे माई को सूचना दे देना। "

मारने वाले इस बात की जोखिम तनिक भी नहीं लेना चाहते थे कि वह वहीं जीवित बच जावे। वे उसने पीछे दौड़े और दो में से एक ने नन्दलाल के शरीर पर झुककर उसके शरीर पर और फायर किए जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसकी चार गोलियां लगीं जो उसके सिर से, पीठ के मध्य से पीठ की दाहिनी और बायें बंधे से शरपात्र निकल गईं।

इस्पिटल को मुजफ्फरपुर के लिए स्थानांतरण की आज्ञा मिल चुकी थी और उसे एक दो दिन में ही ड्यूटी से मुक्त किया जाने वाला था।

इस घटना के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। मारने वाले साफ बच कर निकल गए।

### दारुण विद्योह (१९०८)

३ अगस्त १९०८ की नटोर रोड डाक की डकती के पश्चात जो साधारण चोरी पकड़ हुई उसमें एक व्यक्ति जो कि बहुत कम आयु का नहीं था और जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था गिरफ्तार किया गया। प्रारम्भिक जांच के उपरांत उसे सगन में अभियोग चलाए जाने के लिए भेज दिया गया। उस अभियोग में उसका युवक पुत्र सह अपराधी था। उस अभियोगे मनुष्य कालीचरण ठाकुर की दत्ता अभि योगाधीन कारावास के जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में विगड़ गई। उसको जमानत पर छुड़ाने के सभी प्रयत्न निष्पल हुए क्योंकि सिविल सज्जन का कहना था

कि जेल में उसकी दशा पहले से बुरी नहीं है ।

१९०८ के क्रिसमस में उस रोगी की मृत्यु हो गई और उसके मृत शरीर अंतिम सस्कार के प्रश्न को लेकर उत्तेजनात्मक परिस्थिति उत्पन्न हो गई । अधिकारि ने जेल के बाहर उसके शव का दाह सस्कार करना अस्वीकार कर दिया ।

उसका पुत्र पिता की मृत्यु से शोकातुर था परंतु फिर भी उसने अधिकारि से प्रार्थना करके इस घात पर मृत शरीर को निकट के सम्बंधियों को दे दिए जाने का आज्ञा प्राप्त करली कि किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा ।

हृदयहीन सरकार ने पुत्र को पिता के अंतिम दाह सस्कार को करने की आज्ञा नहीं दी । स्थिति इस कारण और भी उत्तेजनापूर्ण बन गई क्योंकि वह अपने पिता का इकलौता पुत्र था और धार्मिक मान्यता के अनुसार उसे ही पिता का दाह सस्कार करना चाहिए था ।

जेल के फाटक पर जब पिता का शव बाहर ले जाया जा रहा था तो जैसे कष्टपूर्ण दृश्य उपस्थित हुआ उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है उसका धरुण करना सम्भव नहीं है ।

### एक अपराधी का प्रहार ( १९०९ )

जहां तक घात और गम्भीर साहस का प्रश्न है चारुचंद्र बंसु का का- भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अग्रेसर और महत्वपूर्ण स्थान रखता है । यह ऐसा अद्भुत और हृदयसाहसी था कि उसने कामवाही करने में तनिक हिचकिचाहट ही नहीं की और न मूल योजना से वह क्वचित् मात्र भी विचलित हुआ ।

चारु दिखने में नाटा दुबला पतला और रोगी वीस बप से कम का युवक था और जन्म से ही उसकी सीधी हथेली और अंगुलियां नहीं थीं । उन लोगों के प्रतिरिक्त जो उसे समीप से जानते थे, अनेक लोगों का विचार था कि वह कोई उत्तरदायित्व का कार्य करने में असमर्थ है । जो उसे समीप से जानते थे वे उसकी अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों को कर सक्ने की योग्यता को जानते थे । चारु ने कई प्रेसों और समाचार पत्रों में काम किया । अंतिम बार वह हितपी प्रेस हावड़ा में काम करता था ।

वह १३० रुमा रोड पर रहता था और पिछले बारह वर्षों से बलकत्ता में भली भांति परिचित था । जब उसने क्रान्तिकारी कार्य करने का निश्चय कर लिया तो वह कई दिनों तक टाली गज जाकर पिस्तौल चलाने का अभ्यास करता रहा । अपने अपने गिहार अपराधी पर दृष्टि रखने के लिए भलीपुर की अदालत के चारों ओर पांच दिन तक खबर लगाया शुरू किया । पूछताछ से चारु को यह पता हो गया कि आमुतोप विश्वास किस दिन उस अदालत में आवेगा । वह उस दिन सघात करने के लिए तैयार हो गया । उस दिन उसने एक बार जज के न्याय में विश्वास पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया परंतु उसने अपने उस विचार को छोड़ दिया क्योंकि उसने देखा कि वह स्थान पुलिस द्वारा भली प्रकार चौकसी से सुरक्षित है और उसकी आशा के अनुकूल वहां आक्रमण करने का अवसर नहीं है ।

आमु विश्वास भलीपुर बार के सरकारी वकील के रूप में विख्यात हो गए थे । क्रान्तिकारी युवकों के विशेष घण्टा के पात्र बन गए थे क्योंकि वे उनके विरुद्ध बहुत उत्साह से सरकारी पक्ष की पैरवी करते थे और कभी कभी वे उन्हें सजा दिलाने के लिए ऐसे घृणित साधन काम में लाते थे जो कि न तो अभियुक्तों के लिए आयुपूर्ण होते और न वकील के लिए धोमनीय ही होते थे । यह औचित्य के बाहर जाकर

भी पुलिस को इस प्रकार बागजो को तैयार करने और साक्षी प्राप्त करने का परामश देते थे कि जिससे कि उन राजनीतिक अभिमुक्तों को दंड दिलाने में सहायता मिले जो पुलिस वी नजरोँ मे चढ चुके थे । यह वह समय था जब सरकारी प्रशासनिक अधिकारी इस बात के लिए कटिबद्ध रहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में यह बात हो जावे कि उसकी प्रवृत्ति राजद्रोहारमक है तो फिर उसकी वचना नहीं चाहिए उसको अवश्य दण्डित किया जाना चाहिए । पुलिस द्वारा इस प्रकार के अभियोग चलाए जाने में आमुतोप विस्वास ही उनका मुख्य आधार और चल था ।

कुछ क्रांतिकारियों ने किसी स्थान पर यह सोचा कि इस व्यक्ति को अपने वाय क्षेत्र से सबदा के लिए हटा दिया जाय । जसा कि अग्य दिनों में साधारणतया होता था वह वाय व्यस्त वकील एक अदालत से दूसरी अदालत को अपने पेटे के कतव्य को निभाने के लिए दौड रहा था और वह उस भाग्य निर्धारित दिन १० फरवरी, १९०६ का सब अबन मजिस्ट्रेट की अदालत में जाली सिक्के बनाने के मुकदमे में उपस्थित हुआ । आशु ने चार बजकर बीस मिनट पर सायंकाल अदालत से गमन किया । वह अदालत के पूर्वी फाटक से निकला और दक्षिण की ओर चल रहा था । जब वह अदालत के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर एक पानी के नल के पास पहुँचा तो एक गोली चली और घायल आशु चिल्लाया बाप रे' और अपने दोनों हाथों को क्षीघ्रता से हिला हिला कर पश्चिम की ओर भागा ।

चारु ने अपने शिकार का उसी तरह से पीछा किया जैसे कि वन का राजा अपने शिकार का पीछा करता है, और उसकी पीठ से अपने रिवाल्वर को सटा कर दूसरा फायर किया । गोली आशु के शरीर से पार हो गई । यहा यह कह देना आवश्यक है कि रिवाल्वर को मजबूती के साथ उसके अग्रग दाहिने हाथ में कस कर बाध दिया गया था । जब उसने दाहिने हाथ को अपने शिकार की ओर बढ़ाया तो उसके बाये हाथ ने पिस्तौल का घोडा दबाया जिससे पिस्तौल की गोली चली ।

एक पुलिस कास्टेबिल जो समीप ही खडा था उसने चारु को पीछे से दबा लिया । अपनी बाहा से चारु को कस लिया जिससे कि चारु के हाथों का हिल सकना भी असभव हो गया । तब तक आशु घुमाव के साथ दौडता हुआ अदालत के बराडे से निकल कर कोट सब इस्पिटल के दरवार में पहुँचा जहा कुछ मिनटों में ही उसकी मृत्यु हो गई । चारु पकडा गया था उसके हाथ बंध गए थे फिर भी उसने प्रयत्न करके तीसरी गोली चलाई जो कि एक दीवार के किनारे पर पक्ष से दो फिट ऊपर जाकर लगी ।

दो अग्य कास्टेबिल जो इस घटना को दूर से देख रहे थे पहले की सहायता के लिए भागते हुए अग्र और उ होने चारु को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया । जसा कि इस प्रकार की घटनाओं में बहुधा होता है चारु के साथ निदयतापूर्ण व्यवहार और मारपीट की गई परंतु उसके अघरी पर मुस्कराहट थी उसने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं अपना व्रत पूरा करने में सफल हुआ ।

रिवाल्वर जो उसके हाथ से प्राप्त हुआ कुछ सराब था और बलिजयम का बना हुआ था । उसमें ६ चम्बर ( खाने ) थे और उसमें तीन भरे हुए कारतूस और तीन खाली कारतूस थे ।

पुलिस जो भी सपराध स्वीकार कराने के गुप्त हथकण्डे और अरपुस्तक काम



राय ने भाषण दिया था जबकि वे लदन में थे। वह अपने देश के प्रति भक्ति और प्रेम को कभी भी छिपाने का प्रयत्न नहीं करता था एक बार वह यूनीवर्सिटी कॉलेज में अपनी कक्षा में १८३७ के सहीदों की यादगार में १० मई १९०६ की मीटिंग सगठित करने वाले द्वारा जो बैज उसे प्राप्त हुआ था लगा कर गया। कक्षा में उसे बज उतार देने की आज्ञा हुई। उसने बसा करने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि साथी सटकों ने रॉयिंग (तग करना) प्रारम्भ किया। गदनलाल धीगरा ने उस लटके को जो कि बहुत अधिक तग कर रहा था धमकी दी कि यदि वह नहीं मानता तो उसकी गदन काट दी जावेगी तब सब चुप हो गए।

मदनलाल धीगरा के इन कार्यों की खबर उनके पिता क पाम पहुँची जो एक प्रसिद्ध डाक्टर थे और उनका भाई बैरिस्टर था। उन्हें पता चला कि गदनलाल धीगरा उनकी समझ में बुरे प्रभाव में पड़कर अत्यन्त उग्र राजनीतिक विचारों की ओर उन्मुख हो गया है। उसने भाई ने वायली को एक पत्र लिखकर मदनलाल धीगरा को मुफारजे में उसकी सहायता मांगी। मदनलाल धीगरा ने अपने भाई के दृष्टिकोण की मत्सना करते हुए उन्हें लिख भेजा कि किसी भारतीय के निजी जीवन में वायली जम एंग्लो इंडियन का हस्तक्षेप करना नितांत असंगत है।

मदनलाल के व्यवहार और आचरण में ऊपर से किसी का भी कोई प्रभाव रहना बात नहीं दिखी। परन्तु वह निष्क्रिय और आशुमी नहीं था। उसने जनवरी में लदन में कोर्ट रिवाल्वर खरीद लिया और दूसरा रिवाल्वर उसने एक निजी व्यक्ति से जो वल्टिजियम का बना हुआ था ऊँचे दामों में खरीदा उसने एक कब्र में रिवाल्वर रॉय पर निगाना लगाने का अभ्यास करना प्रारम्भ कर दिया और वह प्रारम्भ से ही अपने अभ्यास के परिणाम को नियमित रूप से एक नोट बुक में लिख लेता था।

कनल वायली भारतीय सेना का प्रबन्ध प्राप्त अधिकारी था। सेना से अवकाश मुक्त होने पर उसे १९०१ में भारत सचिव का राजनीतिक ए डी सी नियुक्त कर दिया गया था। भारत सचिव ने लदन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की देखभाल के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी वह उसका एक प्रमुख सदस्य था। उस कमेटी के सदस्य की हैसियत से कार्य करते हुए वायली भारतीय छात्रों के राजनीतिक विचारों के भुकाव और हलचलों पर कड़ी निगाह रखता था। और अपने ढंग से उन्हें राजनीति में दूर रखने और इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य को सम्भावित हानि और खतरे से बचाने का प्रयत्न करता था।

नेशनल इंडियन एसोसियेशन की वार्षिक मीटिंग १ जुलाई १९०६ को होना पूर्व निश्चित थी। वायली सेवाय होटल में दिन का भोजन कर एसोसियेशन के एट होम में इम्पीरियल इन्स्टिट्यूट के जहागीर हॉल में सम्मिलित होने के लिए चला। मीटिंग में वायली उपस्थित होगा यह जानकारी मदनलाल को पहुँचने से ही थी अतएव वह अपने रहने के स्थान से दो घंटे पूर्व ही चल पड़ा और वेस्टबोन अपने मित्रों से मिलने गया। परन्तु उसने वहाँ अपनी योजना के सम्बन्ध में कुछ नहीं बतलाया। मदनलाल मीटिंग में समय पर पहुँच गया। जैसे ही संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ वायली जीने से उतरने लगा। मदनलाल ने मुस्कराहट के साथ उससे वार्तालाप करना प्रारम्भ कर दिया। बात करते करते उसने एक साथ रिवाल्वर निकाल लिया और एक के बाद दूसरी पाँच गोलियाँ उस पर चला दी। पिस्तौल की मर्ली वायली के चेहरे से

लगभग छू रही थी। जब बायली को पांचवी गोली लगी तो वह गिर पड़ा। एक पारसी सज्जन 'को भास लाल काका' बायली को दवाने के लिए आगे बढ़े तो छठी गोली उनके लगी जिसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों के उपरांत उनको मृत्यु हो गई। बायली की तुरंत मृत्यु हो गई और उसकी दहिनी घास पूरा रूप से छिन भिन हो गई। उसके चेहरे की आकृति इतनी बिगड़ गई थी कि उसको पहचाना नहीं जा सकता था।

पाम सहे हुए लोग ने मदनलाल को पकड़ लिया परन्तु उसने अपना हाथ उनसे छुटा लिया और रिवाल्वर से अपना सिर का निशाान लगाया। रिवाल्वर का घोड़ा दवाने की आवाज हुई परन्तु उससे तनिक भी हानि नहीं हुई क्योंकि सब गोलिएय वह अपने गिहार पर ध्यय कर चुका था। मदनलाल के पास कद होने के समय एक दूसरा भरा हुआ पिस्तौल, एक छुरा और एक चाकू भी मिला। उसने कहा कि उसकी अपन किसी को भी मारन की इच्छा नहीं है प्रत्येक अपने को सुरक्षित अनुभव करे।

पुलिस ने उसके निवास स्थान की तलाशी ले परन्तु उमे वहा कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उने इडिया हाउस तथा हाइगेट पर अधिकार कर लिया वहा से बहुत सा साहित्य और पत्र मिले। पुलिस ने 'इडियन सोशियोजिस्ट' की भी प्रतियो को अपने कब्जे मे कर लिया जिसकी एक प्रति म राजनीतिक हत्याओं को केवल क्षमा ही नहीं किया गया था परन्तु उन्हें करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

मदनलाल में घबराहट या परेशानी के कोई चिह्न प्रकट नहीं हुए वह मानो था उ, धारम सयम और साधम की प्रतिमूर्ति बन गया था उसने कहा —

“मैं एक देगभक्त हूँ और मातृभूमि की विदेशी दासता के जुए से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे लिए 'मृत्यु' या 'हत्या' शब्द के प्रयोग के प्रति मुझे घोर आपत्ति है क्योंकि मैंने जा कुछ किया है उसके करने मे मैं पूरा रूप से 'याय सगन' हूँ। यदि जगनों ने इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया होता तो अग्रज भी वही करते जो मैंने किया है।

मदनलाल को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। जिसने २ जुलाई, १९०६ को उसे एक मसाह के लिए पुलिस की हिरासत मे रखे जाने की आज्ञा दे दी। जब वह अदालत में आया उसको एक लम्बा चौड़ा मजबूत कास्टेबिल बाह से पकड़े हुए था। उसने अपने चारों ओर देखने का भी कष्ट नहीं किया परन्तु टानापूर्वक मजबूत कदमो से चल कर वह अभियुक्त के कठपरे में जाकर खड़ा हो गया। वह उस अदालत मे इस प्रकार उन्मासीन भाव से खड़ा था कि मानो वहा जो कुछ होने वाला था उसमें उसकी तनिक भी निबन्धी नहीं थी। वह अपनी पैट की जेब मे हाथ डाले खड़ा था।

मजिस्ट्रेट के लेखक के पूछने पर मदनलाल ने उत्तर दिया—“मुझे केवल यह कहना है कि मैंने जानबूझ कर लालकाका की हत्या नहीं की। मैंने उह भागे बढते देखा उने मुझे पकड़ लिया और मैंने केवल आराम रक्षा के लिए उन पर गोली चलाई।”

पुराने बंली की सेगन अदालत मे अभियुक्त का अभियोग हुआ और २३

जुलाई, १९०६ को उसे प्राणदण्ड की सजा दे दी गई। यह अभियोग केवल २० सेकेंड में समाप्त हो गया और नियाय दे दिया गया। शरिफ द्वारा १७ अगस्त को फासी का दिन निश्चित कर दिया गया।

जब जज ने पूछा कि अभियुक्त को कुछ कहना है तो उसने उत्तर दिया "तुम मेरे साथ जो भी चाहो कर सकते हो। मैं उसकी परवाह नहीं करता। मैंने पहले ही कह दिया जब तुमने पूछा कि तुम गोरे लोग अब पूरा शक्तिवान हो और जो चाहो कर सकते हो। परंतु याद रखो कि आने वाले दिनों में हमारा भी समय आवेगा।"

जुरी की मांगता को स्वीकार कर जज न मदनलाल को प्राण दण्ड की सजा दे दी जैसे ही जज ने प्राण दण्ड का नियाय सुनाना समाप्त किया मदन लाल ने कहा माई लाड अपने देश के लिए आपका धनराश देता हूँ। मुझे गव है कि मैं अपने देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर रहा हूँ।"

१७ अगस्त, १९०६ को अभियुक्त को 'पटोनविली' में फांसी दे दी गई। फांसी के समय केवल उच्च शक्ति के प्रतिनिधि और जेल अधिकारी ही उपस्थित थे। मदनलाल की जेब में सरुका निम्नलिखित वयान था— मैं यह स्वीकार करता हूँ कि उस दिन मैंने देशभक्त युवका की अमानवीय फासिया और देश निकाले के विनम्र प्रतिगोध के रूप में एन अगस्त का रुधिर बहाने का प्रयत्न किया। इस प्रयत्न में मैंने अपना अंतरात्मा के सिवाय शय किसी से सम्मति नहीं ली। मैंने किसी से मिनकर पडयत्र नहीं किया। मैंने अपना कतब्य मात्र किया है।

मरा विश्वास है कि जो देग विशेषी सगीना के बल पर दास बना कर रखा गया है वह निरंतर यद्ध की स्थिति में है। क्योंकि एक निराश्रित जाति के लिए युता युद्ध कर मरना अस्मय हो अस्तु मैंने सहमा आक्रमण किया। क्योंकि हमें बंदूक रखने की मनाही है मैंने अपना शिवल्वर निगाना और फायर किया।

'एक हिंदू क नाते में अनुभव करता हूँ कि मेरे देश को हानि पहुंचाना ईश्वर का अपमान है। उसका काय राम का काय है। उसकी सेवा श्री कृष्ण की सेवा है। मेरा जैसा पुत्र जो धन और बुद्धि की दृष्टि से निघन है अपने रुधिर के अतिरिक्त माता को और क्या अर्पण कर सकता है वही मैंने माता की बलिबेदी पर भेंट रूप पड़ा दिया है।

भारत में इस समय केवल एक ही पाठ की आवश्यकता है 'मरा कसे जाय' और उसको गिलाने का एक ही रास्ता है कि स्वयं मरा जावे। इसीलिए मैं मर रहा हूँ मैं अपने बलिदान में गौरव अशुभव करता हूँ। भारत और इंग्लैंड में यह व्यापार तब तक चलता रहेगा जब तक अग्रज और हिंदू जातिया जीवित हैं (यदि यह अप्राकृतिक सम्बंध समाप्त नहीं होता) ईश्वर से मेरी वेदल एक ही प्रार्थना है कि मैं पुन इसी देश में जन्म लूँ और मैं पुन उसी पवित्र उद्देश्य के लिए मरूँ। जब तक कि यह उद्देश्य रफ्त नहीं होता और मेरी मातृभूमि मातृवता की भलाई के लिए तथा ईश्वर की गौरवश्री का प्रगण करन के लिए स्वतंत्रता नहीं हो जाती।

—मदनलाल धीगरा

मदनलाल के पिता और माई — सायबर्जिक रूप से उसे अपना पुत्र और भाइ मानने से इनकार कर दिया परंतु मातृभूमि में तथा उसके वृत्त देशवासियों ने उसको देश के सबसे अधिक प्रिय पुत्र के रूप में अपनाया। ऐसे ही पुत्र राष्ट्र की शक्ति

और गौरवभी प्रदान करते हैं। उनके शरीर न इ इंग्लैंड की मिट्टी को धनी बनाया परंतु उसकी आत्मा ने उसका प्रयाग दान। ऐगभक्त के हृदय में प्रकाश की उज्योति भर दी।

५ जुलाई १९०६ को वायसी की हत्या के प्रति प्रतिवृत्ता प्रदर्शित करने के लिए भारतीयों की एक घाम सात की गई। सायरवर ने घोषणा कृत्य का खुले रूप में समर्थन किया और प्रस्ताव का विरोध किया। उनके साथ मार्फीट की गई और उनको भीटिंग से बाहर निकाल दिया गया। बीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने 'टाइम्स' पत्र में एक पत्र लिखकर सायरवर का उम समय दानुष्य का छात्र थे उनका विरोध का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जमे ही एक प्रकार की हितसम्बन्ध घटनाओं का कारण समझ कर दिया जावेगा तो उसके परिणाम भी समाप्त हो जावेंगे। उन्होंने आगे कहा— 'दमन भारत को गिर के दन विनाश की ओर टकेलना है। यदि इंग्लैंड अथ भी यह विश्वास करता है कि वह भारत में मानवता के हित में जमा हुआ है तो जितना वह समझता है उससे भीघ्न ही उमका धम दूर हो जावेगा अने चलकर होने वाली हत्याओं की सूची समझत नमी हागा और उसकी लम्बाई की जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य का समर्थन न कर ब्रिटन के हित में भारत को दास बनाए रखना चाहते हैं।

श्री ह्याम कृष्ण वर्मा ने 'टाइम्स' में लिखा— यद्यपि मेरा इस हत्या से कोई भी सम्बन्ध नहीं है परंतु मैं स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि मैं उस कृत्य का अनुमोदन करता हूँ और उसके कर्ता को भारत की स्वतंत्रता के निमित्त होने वाली हतात्मा अर्थात् शहीद मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्तुति अथवा घोषणा से बहनों को धक्का लगेगा किन्तु सीमाव्यवस्था कि इंग्लैंड में भी एक उन्नत विचारों के व्यक्ति हैं जो मुझसे सहमत हैं और मानते हैं कि राजनीतिक हत्या ग़ुन नहीं है।

सदन में ऐसी दो घटनाएँ हुई थीं जिनमें दो भारतीयों ने दो अंग्रेजों पर प्रहार किया था। मदनलाल ने उसको एक नया रूप ही दे दिया। १९०६ से १९०८ तक एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका था जबकि एक दूसरा अंग्रेज एक भारतीय के हाथों लगभग हारों परिस्थिति में मारा गया। इस प्रकार की सदन में नुली भटकी हत्याओं की घटनाएँ बहुत कम हुई परन्तु उनका ब्रिटिश शासकों के मस्तिष्क पर भारत में बहुत अधिक सख्या में होने वाली घटनाओं जिनमें विदेशियों की अपेक्षा भारतीय अधिक आहत होते थे, की तुलना में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था।

जब से यह पता चला कि मदनलाल की आयु २२ वर्ष की थी उसने इटर आर्ट्स की परीक्षा अमृतसर से पास की थी यह कुछ समय लाहौर में भी पढ़ा था। उसने काश्मीर के ब दोबस्त में नौकरी करली, जिसे उमन कुछ समय बाद गिमखा वाल्वा टांगा सविस में बदल लिया। छह वर्ष पूरा वह इंग्लैंड गया और वहाँ इजिप्शियन कालेज का छात्र बन गया। वह इमी वर्ष भक्तपुर में अपनी शिक्षा समाप्त कर लौटने वाला था।

—याय की अदालत में (१९१०)

प्रातिकारी राजनीतिक अभियोगों की पैरवी करने वाले अभियोजक तथा उससे सम्बन्धित लोगों की सुरक्षा सतरे में पड़ गई। ऐसा लगता था कि जोखिम की शक्ति भी चिन्ता में कर सतरे में दूद पड़ने वाले प्रातिकारियों न सारी परिस्थिति

को इस प्रकार अपने निवृत्तन में ले लिया कि वे जसा चाह कर सकते थे। अलीपुर बम पडयंत्र के अभियोग ने उन अग्नि से खेलने वाले साहसी तटणों की कल्पना शक्ति को जागृत कर दिया था। वे अपनी जोखिम की तनिक भी चिन्ता नहीं करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वे विश्वसनीय सरकारी अधिकारियाँ भ्रमवा उन लोगों की जो ऐसे अभियोगों में सरकार की सहायता करते थे गोली मार कर मार डालने की अनेक घटनाएँ एफ के बाद दूसरी शीघ्र होने लगी। सरकार जिसके पुलिस, गुप्तचरों, सूचना देने वालों, राजभक्तों पहरेदारों, रक्षकों को एन विंगल बना और अस्त्र शस्त्रों से पूरी तरह सुमजिज्ज न उ हैं रोकन में पर्याप्त सिद्ध हुए। अब एता प्रतीत होता था कि साहसी, बुद्धिमान और वायधम युवक बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध थे। मानो कि देश की राजनीतिक गिट्टी क्रांति के जल में सिंचित होकर उबरा हो गई हो और बलिदानों शहीदों की फसल बहुत हरी भरी और कभी भी समाप्त न होने वाली पैदा हो रही थी।

महान शक्तिशाली भारत सरकार के पास बहुत बड़ी संख्या में विश्वसनीय और स्वाभिमत कर्मचारी थे जिन्होंने अपने-बो अपने योग्यता से प्रशासन की मजबूत भुजा सिद्ध किया था उसके बचाव और सुरक्षा के लिए सरकार ने रक्षकों और पहरेदारों की बहुत बड़ी सेना अत्याधिक व्यय करने पर छोड़ी थी। परन्तु क्रांतिकारी दल के युवक संस्थों का प्रतिशोध उनके माग के पगचि हो को निश्चयात्मक रूप से खोज निकालता और वे अपने उद्देश्य को उसके परिणामों की तनिक भी चिन्ता न कर अवश्य पूरा करने में सफल होते थे। वह दृश्य ऐसा था मानो मृत्यु दो विरोधी विरोधों के दो व्यक्तियों को मृत्यु के झालिगन में खींच रही हो।

वीरेन्द्रनाथ दत्त गुप्त— जो केवल उन्नीस वर्ष का बालक था उसने अपने नेता से किसी जोखिम भरे कार्य के लिए भागा मांगी और नेता ने उसे शमशुल अलम बुख्यात डिप्टी सुपरिस्टेण्डेंट पुलिस का चाज सम्हालन और उसे अपने दुष्कार्यों के क्षेत्र से सदा के लिए हटा देने का गौरव प्रदान किया। अलम अलीपुर बम पडयंत्र अभियोग से प्रारम्भ से ही सम्बन्धित था और सरकार उसको ऐसे उलमन भरे राजनीतिक अभियोग को चलाने वाले अधिकारियों में सबसे योग्य मानती थी। यह अभियोजक के रूप में राजनीतिक अभियोगों में बहुत रुचि लेता था और प्रसन्नता अनुभव करता था। मानो वह उसकी साँस का भग ही बन गया था।

ऐसा प्रतीत होता था कि उसको इस बात का मान हो गया था कि क्रांतिकारी दल के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और अलीपुर पडयंत्र अभियोग के अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद उस पर दो बार प्रहार हो चुके थे। १० फरवरी १९०६ को आशु विश्वास की मृत्यु के कुछ दिनों उपरांत उसका एन युवक पीछा कर रहा था जिसे उसके रक्षकों ने पकड़ लिया। दुर्भाग्यवश साक्षी के अभाव में उस युवक को छोड़ा पड़ा।

२४ जनवरी, १९१० से एक सप्ताह पूर्व अलम मदान में जा रहा था तो एक बंगाली युवक ने उसका पीछा किया। उस दिन मुकदमे की सुनवाई समाप्त हो जाने के उपरांत सायंकाल ५.३० पर अलम अपने कागजों तथा मुकदमे से सम्बन्धित वस्तुओं को समेट कर अदालत के कमरे से बाहर भागा और जीने की ओर बढ़ रहा था जो कि अदालत के पूर्वी प्रवेश द्वार के लिए नीचे की ओर गया था, उसके सामने

एडवोकेट जनरल थे और ठीक उसके पीछे बगाल पुलिस का एक सशस्त्र सिपाही जो उम पर नजर रखन के लिए नियुक्त किया था चल रहा था। वह जीने के ऊपरी सिरे पर पहुँचन के निकट ही था कि उसे एक बगाली युवक दिसलाई दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बराडा म फिर रहा था और अपने शिकार की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। भालम के अदली ने उनसे हाथ में एक रिवाल्वर देखा। लडके ने अपनी बांह को फनाया भालम पर निशाना साधा और गोली दाग दी। गोली लगत ही भालम ने चिरलाकर पुवारा परुडो और अपनी घड़ी जो उसके हाथ में थी अदली को दे दी तुरत ही वह पीठ के बल पृथ्वी पर गिर पडा। गोली सीधी उसके हृदय में घुस गई थी। भालम, जो पुलिस का निष्ठावान अधिकारी था तत्काल ही मर गया।

जसे ही लोग विल्लाए हत्या' बिरेन जीने से नीचे छतरा। उसको किसी ने नहीं रोका। वह उतर कर पुरानी पोस्ट आफिस की सड़क के सामने अदालत की इमारत के पूर्वी फाटक की ओर दौडा। वह फाटक बंद था और भीड का एक भाग उसके बहुत समीप आ गया था। बिरेन ने दूसरी गोली चलाई और भीड तीतर बितर हो गई। वह दूसरे फाटक से निकल कर सडक पर आया और रिवाल्वर हाथ में लिए उत्तर की ओर भागा।

अब उसके पीछे पुड मवार पुलिस दौड़ी परन्तु यह उसके लिए इतनी कठिनाई की बात नहीं थी जितनी कि सड़क पर भीड इकट्ठी हो गई थी उसके कारण वह तेजी से भाग नहीं पा रहा था। बहुत कठिनाई से वह हेडिंग्ट्र स्ट्रीट पहुँचा होगा कि अस्वारोही पुलिस ने उसको पा लिया। उसने गोली चलाई परन्तु निशाना चूक गया। उसको गिरपतार कर लिया गया और तत्काल उसके हाथ से रिवाल्वर छीन लिया गया। वह रिवाल्वर ० ३८० बोर का बन्दे रिवाल्वर था जिसमें ६ चम्बर थे उसके पास एक खजर और चाकू भी था।

२७ जनवरी १९१० को उसे चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया और दूसरे ही दिन उसको उच्च न्यायालय के सेगन सुपुर्द कर दिया गया।

३१ जनवरी, १९१० को उच्च न्यायालय में अभियोग प्रारम्भ हुआ। अभियुक्त दुबला साठ और नितात उदासीन दिखाई दे रहा था। जब उसको अभियुक्त के कठपरे में प्रवेश किया तो उसके अक्षरों पर मुस्कराहट खेल रही थी। उस पर २४ जनवरी १९१० को रामगुल भालम की हत्या करने का अभियोग लगाया गया। अभियुक्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल यहो कहा कि उसे किसी बकील की सेवाभा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह दीय स्वीकार करने जा रहा है। उसकी ओर से अभियोग को सुनने या देखने के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं था। अभियुक्त ने कुछ भी कहना पसन्द नहीं किया। उसने किसी से कोई प्रश्न पूछने बचाव के पक्ष के साक्षी को उपस्थित करने भयवा जूरी को अपने अभियोग के सम्बन्ध में कुछ कहने से इन्कार कर दिया।

जूरी ने बिना परस्पर परामर्श किए ही अभियुक्त को दायी घोषित कर दिया और न्यायाधीश ने प्राणदण्ड का निर्णय दे दिया।

जबकि अभियोग चल रहा था तब अभियुक्त न कचोरी, रसगुल्ला और सदेश खाने की इच्छा प्रकट की जो उसको दिए गए। ऐसा कहा गया कि काँधी के पूर्व बिरेन

ने एक बयान दिया था जिसमें उसने यतीन मुर्कजी तथा भैया बा राम तिया कि उ हाने वह हत्या करन को कहा था। सत्य बात यह थी कि पुनिस ने एक समानार पत्र के पृष्ठ को नए रूप से छापवाया जिसमें उसके नेता जतीन मुर्कजी का एक फर्जी बक्तव्य दिया जिसमें नेता द्वारा वीरेन के विरुद्ध भ्रमवाद की बात कही गई थी जिससे कि वीरेन से भ्रमराष स्वीकार का बयान बरबाद जा सके और भ्रम्य लोगो को फामा जा सके। फौजदारी अभियोग के इतिहास में यह सबसे घणित और लज्जाजनक कृत्य था जबकि घटारह वष के एक लडके को जो मृत्यु के द्वार पर खडा था धोला देकर उससे भ्रम्य व्यक्तियों को फगाने के लिए बयान गिराने का पडपत्र किया गया। फासी के पूव वीरेन को पुनिस की धोखेबाजी का पना चन गया ता उसको अपने कृत्य पर बहुत सद हुआ और उसने यतीन मुर्कजी से क्षमा याचना की। यतीन मुर्कजी को वीरेन में पूरा विश्वास था कि वह सामान्य स्थिति में कभी भी कोई गीचा काय नहीं कर सकता था।

२१ फरवरी १९१० को वीरेन को फासी दे दी गई। अपने अनेक साथियों की ही तरह उन वार वाराक ने कभी गम्भीर राजनीतिक गार्यों के प्रति विशेष अभिष्टि प्रदर्शित नहीं की। जन्म से वह वय था वह टाका जिले के विक्रमपुर गांव का रहने वाला था। जलपाईगुरी में उसकी बहिन के घर रहकर उसकी गिना हुई थी और इद्रस की प्राथमिक वक्षा तक उसकी शिक्षा हुई थी।

उसे अमर कर देने वाली घटना के लगभग सात वष पूव वीरेन कलकत्ता आया और अपने बड़े भाई के साथ ठहरा। दो महीने पूर्व वह बचू घटजी स्ट्रीट के एक मेस में चला गया।

जिस दिन यह घटना घटी उस दिन वह सा। या ६ बजे प्रात काल प्राया और मेस ११ बजे तक रहा परन्तु उसने अपने व्यवहार से ऐसा कोई चिह्न प्रगट नहीं किया जो उसके अंतर तथा मस्तिष्क में उठने वाले तूफान की ओर इंगित करता। वह निता न घात रहा।

### घातक विदाई (१९०९-१९१०)

अभिन्नर भारत मण्डि की समस्त महाराष्ट्र में घालाए थी और महाराष्ट्र के सहस्र उन समितियों के उद्भवों को सकल बनाने में प्रयत्नशील रहते थे। कोई भी घटना जो देश के हितो के विरुद्ध समझी जाती थी वह उस समिति के सदस्यों पर ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करती थी कि उसके कारण कभी कभी वे खुले आम शान्तिकारी कृत्यों को कर उनके प्रदर्शित करते थे।

गणेश दामोदर सावरकर को भाजीवन कालेपानी (निर्वासन) के वरपनातीत कठोर दंड ने देश में क्षोभ की लहर उत्पन्न कर दी। नासिक के कतिपय ऊष्ण रुधिर वाले तरुणों ने मजिस्ट्रेट के इस अनुचित व्यवहार का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। मजिस्ट्रेट ने सावरकर को दंड देकर देश को भयंकर हानि पहुंचाई थी।

ऐसा कहा जाता है कि हृत्य की गहन इच्छा मस्तिष्क को उसको पूरा करने के लिए उपाय खोज निकालने के लिए विवश कर देती है। देश के लिए जो कुछ धरु और देशभक्तिपूरण था वह साया का साया गणेश सावरकर में प्रतिस्फुटित हुआ था। वे लडके इकट्ठे हुए और अपनी योजना को एक निश्चित रूप देने के लिए विचार विमश किया। उस चर्चा में उन्होंने यह भी निश्चय किया कि उनमें कष्टो को सहन करने और भावश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान कर सक्ने के लिए कौन है

जो इस काम के लिए उपयुक्त है। जब इस प्रकार का वाद विवाद चर रहा था तो एक मित्र ने जब यह चुनौती दी कि उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मदनलाल घोषरा के स्तर का साहसी और बनिदानी हो तो काहेंरे' अपने साहम और सहनशक्ति को प्रमाणित करने के लिए तब और गरम घोषे की क्षमता को नये हाम में दो मिनट तक पकड़े रहा।

१९०८ ई. अतः तब के साहसी लडके एकत्रित हुए और समिति में तीन नए सदस्य इस उद्देश्य से भर्ती किए गए कि अपने सम्मिलित और समान उद्देश्य का पुरा करने के लिए कोप और अस्त्र एस्त्र इकट्ठे किए जा सकें।

अनंत लक्ष्मण काहेंरे—अनंत लक्ष्मण काहेंरे औरगाबाद की अभिनव समिति का सदस्य था। औरगाबाद नासिक से बहुत दूर एक देशी राज्य का कस्बा था जहां कई घण्टों की रेल यात्रा से पहुंचा जा सकता था। मई, १९०६ के आस-पास गणेश सावरकर के विरुद्ध भायरतापूर्ण और नृशंस फसले के पक्षस्वरूप राज जैक्सन को मारने का विचार विनायक नारायण देशपांडे के मन में उठा और उसने अपना यह विचार अपने भाय साधियों पर प्रकट किया। उनमें से कृष्ण गोपाल कर्वे तथा एक भाय साथी ने उसे पूरी गम्भीरता के साथ स्वीकार किया। इसके पूर्व कर्वे ने बम बनाना सीख लिया था और कुछ पिस्तौल विभिन्न स्थानों से इकट्ठे कर लिए थे।

जबकि योजना पूरी तरह से तैयार हो गई तो अनंत लक्ष्मण काहेंरे जो उस समय औरगाबाद में था उसको नासिक बुला भेजा गया। यह १६ दिसम्बर १९०८, को नासिक पहुंचा। दूसरे दिन दल के एक सदस्य के मकान पर वह भाय सभी दल के साधियों से मिला। बातचीत के बीच अनंत लक्ष्मण काहेंरे ने बताया कि उस पिस्तौल चलाने का कोई अनुभव नहीं है। साधियों ने उससे कहा कि उसे पिस्तौल चलाने का अभ्यास करा दिया जावेगा। काहेंरे विनायक नारायण देशपांडे के साथ रात्रि को पचवटी स्कूल गया जहां देशपांडे अध्यापक था। २० दिसम्बर १९०६ के ऊपराधाल में वे बैठ रोह गए जहां काहेंरे ने हवा में पिस्तौल चलाई और अभ्यास किया। उसको कचहरी से जाया गया और जकसन को पहिचनवा दिया गया।

नासिक में अपने सेवाकाल को समाप्त कर जैक्सन को पूना के लिए तवादले की भागा मिल चुकी थी और २१ दिसम्बर १९०६ को उसको विदाई देने के लिए विजयानंद थिएटर (रगमच) पर एक नाटक के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी।

जैक्सन की हत्या की योजना को भी प्रतिम रूप दिया जा चुका था। २१ दिसम्बर के सायंकाल को देशपांडे के मकान पर काहेंरे को भावश्यक अस्त्र द दिए गए। उनमें एक चाठनिंग पिस्तौल और निकल प्लेटेड रिवाल्वर था। पूर्व निश्चय के अनुसार काहेंरे के पास आरसेनिक का एक पकेट भी था जिससे कि कद हो जाने की स्थिति में वह आत्महत्या कर सके। उस नाटक में प्रवेश पाने के लिये उसके पास दो टिकट भी थे। उसके प्रतिरिक्त दो या तीन क्षिती तरह थिएटर के आदर और धुस गए। देशपांडे का हेंरे से लगभग सात गज की दूरी पर बठा। यदि किसी प्रकार काहेंरे जैक्सन की हत्या करने में असफल हो जावे तो एक दूसरे क्रातिकारी युवक को वह काय पूरा करने का भार दिया गया था वह उस कुर्सी के बहुत पास बठ गया जो जैक्सन के बैठने के लिए विशेष रूप से रखी गई थी। यदि दोनों असफल हो जावें तो स्वयं देशपांडे रणक्षेत्र में चतुर और जकसन की हत्या कर दें। कहने का भाय यह



था कि क्रांतिकारी समिति की योजना यह थी कि भवसर खोना नहीं चाहिए, जकसन को मारना ही है ।

नासिक निवासियों के निमंत्रण पर जकसन पून निश्चय के अनुसार सभा में विदाई समारोह में सम्मिलित होने आया । जगें ही कि जकसन पिट ( बियटर के सामन की नीची भूमि ) के पास से निकल रहा था और उसके लिए आरकेस्ट्रा में मुरगित कुर्सी से तीन या चार कतार पीछे था का हेरे जो पिट के एक कोने में बठा था उठ कर अपने शिकार के बहुत समीप आ गया । एक साथ भयानक टैज धडाका हुआ लोगो न समझा कि कोई पटाखा छोडा गया । वह धडाका का हरे की विस्तोल चलन का था । पहला फायर चूक गया, गोनी जकसन की बगल में स होकर निकल गई । दूसरी गोली उसकी बगल में लगी और वह गिर गया । उसके शरीर में सामन की ओर स पांच या ६ गोलिया मारी गई वास्तव में उसका शरीर गोलियों से छलनी हो गया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई ।

का हेरे का उसी स्थान पर पकड लिया गया और जिन्होंने उसे पकडा उंहोंने उसे आत्म हत्या नहीं करने दी । उसने अपने पकडने वालो से कहा कि उसे भागो की तनिक भी इच्छा नहीं है उसे प्रस नता इस बात की है कि वह अपना कतव्य सफजतापूर्वक पूरा कर रहा । उसकी जब में एक लिखा हुआ नोट था जिसका अर्थ यह था कि जकसन सदैव अचछी बातें कहता है परंतु करता कुछ नहीं है ।

कृष्ण गोपाल कर्वे २४ दिसम्बर को पकडा गया और अय लोग विभिन्न तारीखों में उसके आसपास ही पकडे गए ।

अनंत लक्ष्मण का हेरे विनयक नारायण देशपांडे, और कृष्ण गोपाल कर्वे तथा अय चार अभियुक्तों का अभियोग १४ जनवरी १९१० को आरम्भ हुआ । प्रारम्भिक जांच के उपरांत अभियोग २ फरवरी १९१० को उच्च यायालय के विशेष ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया ।

अभियुक्तों विशेषकर काहेरे का व्यवहार इस प्रकार का था कि मानो जो कुछ हो रहा है उससे उसको कोई संबंध नहीं है वह अभियोग की ओर से निरान्त उदासीन था ।

उच्च यायालय में अभियोग ७ मार्च १९१० को आरम्भ हुआ । अभियुक्तों पर हत्या करने हत्या में सहायता पहुंचाने, हत्या के लिए उत्साहित करने आदि के आरोप लगाए गए । २० मार्च १९१० को फैसला सुना दिया गया अनन्त लक्ष्मण का हेरे कृष्ण गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को प्राण दण्ड दिया गया, तीन अय को आजीवन कालावानी ( निर्वासन ) और एक को दो वर्ष का कठोर कारावास दिया गया ।

प्राण दंड की सजा देने के कुछ दिनों के उपरांत दंडित अभियुक्तों को बायकुला के सुधार गृह स हटाकर जहां कि वे नजरबंद थे बम्बई के उपनगर के धान के विशेष जेल में बदल दिया गया ।

१९ अप्रैल १९१० को प्राण दंड ६ बजे अभियुक्तों को धाने के विशेष कारावास में प्राणदण्ड दे दिया गया । फांसी का तरता और सूली जो कि एक निश्चित स्थान पर स्थित थी उसको इस प्रकार हक दिया गया कि वह जनता को दिखाई न दे और कोई व्यक्ति उन फांसियों को देख न सके ।

### कलक का विषय (१९१०)

सतखिरा पुलिस स्टेशन के घोषागर के कालाचंद बोस सितम्बर १९१० में एक डाके के मामले में पकड़े जाकर सतखिरा उपजेल में हिरासत में रखे गए। एक प्रातः काल वह अपनी कोठरी से गायब हो गए। उनकी बही तेजी से तलाश की गई और वे केशवपुर के समीप गिरफ्तार कर लिए गए और मायुरा लाए गए। वे पुलिस की हिरासत में थे पुलिस की हिरासत में उनके साथ बसा व्यवहार हुआ यह कोई नहीं जानता केवल उसकी कल्पना ही की जा सकती है। एक दिन उनका मृत शरीर सतखिरा की सूनसा जगह पर पड़ा मिला। दिखाने के लिए कालाचंद की मृत्यु के कारण की जांच करने में सरकार की हलचल में कोई कमी नहीं थी। जांच के लिए एक एस डी श्री मायुरा पड़ुवा। उसके प्रतिरिक्त कालाचंद की आंतों को कलकत्ता रसायनिक जांच के लिए भी भेजा गया। परन्तु न तो अभियुक्त के सम्बन्धियों को और न जनता को ही कालाचंद की मृत्यु के रहस्य का कुछ पता चला। स्थानीय समाचार पत्र 'खुलना बासी' में केवल एक सूक्ष्म सी सूचना मात्र निकली।

### निरन्तर खतरे में (१९११)

पुलिस के उन अधिकारियों का जीवन जो कि जांच करते थे जैसे जैसे क्रांतिकारी संगठना की कार्यवाहिया बढ़ती जा रही थी अधिकधिक असुरक्षित होता जा रहा था। २१ फाबरी, १९११ को युद्धचर विभाग के श्री श्रीपचन्द्र चक्रवर्ती रायकाल पीने आठ बजे अपने एक मित्र के साथ अपने मकान सिकदार वागान स्ट्रीट को लौट रहे थे। एक अनजाने हत्यारे ने उनको पीछे से इतने समीप से गोली मारी कि उनकी कमोज में घाग लग गई। उस स्थान पर प्रकाश बहुत मंद था, और वहाँ सुनसान था, कोई आ जा नहीं रहा था।

उस पुलिस अधिकारी के शरीर में से जिनर के पास से गोली मारपार हो गई। वह बहुत बलवान व्यक्ति था। यद्यपि वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था परन्तु वह अपने चाचा के अस्पताल की ओर जो घटना स्थल से दूर था भागा। उसकी तुरत मेडीकल कालेज ले जाया गया और उत्तम उपचार के बावजूद एक घण्टे के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई।

उस घटना के सम्बन्ध में न तो कोई गिरफ्तारी हुई और न हत्यारे का कोई पता चला।

### भाग्य की विडम्बना (१९१०-११)

दुर्भाग्यवस्तु बालक चार चन्द्र घोष हावड़ा गंग केश के उन द्वितीय श्रेणी अभियुक्तों में से था जिन्हें २० जुलाई, १९१० को सभा के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में अभियोग के लिए सेशन सुपुद किया गया था। चार को २४ मार्च, १९१० को गिरफ्तार किया गया जबकि वह गम्भीर रूप से अस्वस्थ था। वह इतना अधिक बीमार था कि वह अपने अभियोग में मुश्किल से खड़ा हो सकता था। अदालत में उपस्थित होने का अर्थ था उसकी निश्चित मृत्यु।

१४ अप्रैल १९१४ को चार हावड़ा के स्पेशल मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। उसकी अमानत के लिए इस आधार पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त को मिरगी के पिट पडते हैं और उसको जेल में रखने से उसका जीवन ही खतरे में पड़ जावेगा। उस प्रार्थना को बिना उस पर कुछ विचार किए अस्वीकार कर दिया

गया। उसके उपरांत जेल के मेडिकल आफिसर की रिपोर्ट पर चारु को १६ मई १९१० को जमानत पर छोड़ दिया गया। कठिनाई से चार महीने ही व्यतीत हुए होते कि वह २४ सितम्बर १९१० को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उसको ४ जनवरी १९११ तक प्रतिदिन स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने पर विवश किया गया।

उसका स्वास्थ्य अब तेजी से गिरने लगा और उच्च पायालय का एक और प्रार्थना पत्र दिया गया। हाई कोर्ट में सरकारी वकील जीर जज के मध्य एक अत्यंत मनोरंजक और अजीब तर्कों का आदान प्रदान हुआ जिसमें दोनों ही एक दूसरे पर जमानत की जिम्मेदारी ढालने का प्रयत्न करते रहे और जमानत पर छूट जाने के उपरान्त उसके सम्भावित गायब हो जाने की चर्चा करते रहे। सरकारी वकील कहता था कि यदि पायाधीश महादय अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना चाहें तो अपने उत्तरदायित्व पर छोड़ सकते हैं। जबकि जज महोदय सरकारी वकील की जमानत पर छोड़ने के लिए निश्चित स्वीकृति चाहते थे। अदालत में जो जनता उपस्थिति थी वह जज और सरकारी वकील के मध्य इस आसाधारण संघर्ष को रुचि के साथ सुनती थी। अन्त में एक मध्य रास्ता निकाला गया। चारु को अभियोग की जिस दिन सुनवाई हो अदालत में उपस्थित होने से मुक्त कर दिया गया।

जेल की एकांत कोठरी में बंन अभियुक्त के लिए यह जीवन और मरण का प्रश्न था। अपनी मृत्यु के कतिपय दिनों पहले से पूव चारु को परो के पक्षाघात के कारण जमानत पर छोड़ दिया गया। फगला सुनाने के पूव ही चारु ने 'यायालय को घंटा बता दी। १६ अप्रैल १९११ को दयालु भगवान ने सरकार की प्रतिशोध की भावना और कानून के पजे से चारु को निकाल कर अपने संरक्षण में ले लिया। उस दिन रात्रि को बकुलबागान भवानीपुर में चारु की मृत्यु हो गई।

शोकातुर चारु की मा ने लफिटनंट गवर्नर को एक स्मृति पत्र इस आशय का दिया कि यदि मेरे अभावे पुत्र को कद करके एकांत कोठरी में जेल में न रखा जाता तो उमठी इतनी कम उमर में मृत्यु नहीं होती। उस समय उसका स्वास्थ्य इतना गिरा हुआ था कि उसको बहुत बच्छी देसमाल तथा सायधानी के साथ चिकित्सा कराने की आवश्यकता थी तथा उसकी बहुत बच्छी सेवा सुश्रुसा तथा पूण विश्राम की आवश्यकता थी।

उस स्मृति पत्र को जो कि एक प्रचार से बेकार ही था उसको सरकार ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। शोकातुर मा को उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया देश के कानून और अवस्था के सम्मान की रक्षा हो गई परंतु भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव की एक ईंट और सिसक गई।

### स्टेशन की दुघटना (१९१०-११)

जब कि बंगाल में राजनीतिक अमनोप चरम सीमा पर पहुंच चुका था और हिंसात्मक राजनीतिक कायदाहिया जल्दी जल्दी हो रही थी तो यह सम्भव नहीं था कि दमिण उन विचारा के प्रभाव से बचा रहना जिससे कि कम से कम तहना के एक बग में तो यह भावना खेज हो गई कि उन्हें देग को स्वतंत्र करने के लिए आवश्यक मग उठाना ही चाहिए।

१९१० के प्रारम्भिक भाग में मुनीकोरम में स्वतंत्रता का दोसन कै संगठन कर्त्तारों ने समाए की जिनमें बत्तामों ने उन्न राजद्रोहात्मक भाषण दिए जिनमें से

राजनीतिक मुकदमों के उन फसलों की घोर निंदा और भतसना की गई और कहा गया कि अंग्रेजों का भारत में रहना देश के हितों के लिए अत्यन्त हानिकारक है। 'भारत माता परिषद्' के नाम से उन्होंने उस संगठन को स्थापित किया उसमें अपने उद्देश्य को किस प्रकार पूरा किया जाय उसके साधनों और उपायों पर विचार होता था और एक स्तर पर वे लोग इस परिणाम पर पहुँचे कि योरोपियों को व्यक्तिगत तन्वार, लाठी या पत्थर से मारने से कोई लाभ नहीं, हमें १८५७ की भाँति सशस्त्र विप्लव करना चाहिए।

क्रांतिकारियों ने सपथ लेकर कुछ केन्द्र तेनकासी और तूतीकोरिन में स्थापित किए और ट्रावनकोर के पुनालूर तथा केनकोराह में खोलाए स्थापित की। तूतीकोरिन मुख्य कार्यालय का केन्द्र चुना गया और उस स्थान पर मीटिंग होने लगी। एक सभा में 'मा' वाली मूर्ति का प्रदर्शन किया गया और जल में सिद्धूर तथा घड़न रखा गया। जिससे मा काली प्रसन्न हो। इसके अतिरिक्त अपने उद्देश्य की सफलता के लिए और भी क्रियाएँ की गईं। इन बैठकों में से एक में 'वाची ऐयर' ने कहा कि भारत में प्रति वर्ष करोड़ों आदमों मरते हैं अंग्रेजों कासन ने दुर्भिक्ष, प्लेग और घोर निधनता प्रदान कर दी है। इस अत्याचार का अंत करने के लिए गोरे लोगों को मारना होगा यदि हम उनके अनिच्छुक हाथों से स्वराज्य छीनना चाहते हैं। उसने इस बात का वचन दिया कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह पार्टी को अस्त्र शस्त्र देगा। उसने उस मीटिंग में उपस्थित सदस्यों को याद दिलाया कि 'ऐश' ने स्वदेशी स्टीम-नवीगेशन कम्पनी का सवनाश कर दिया और राजनीतिक आंदोलन के प्रसिद्ध और प्रमुख नेताओं को वह लम्बे काल के लिए कारागार का दण्ड देता है। एक दूसरी मीटिंग में वाचनी ने अपने मित्रों से अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए गुप्त समितियाँ स्थापित करने के लिए कहा। वह अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने के लिए स्वयं पाठीचेरी गया।

उस समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह गुप्त समितियाँ १ जनवरी, १९११ के मध्य बहुत अधिक सक्रिय हो गईं और उनके उरसाही सदस्य तेनकासी तूतीकोरिन, केनकोराह, पुनालूर, अोट्टापदाराम और अन्य स्थानों बहुधा मिलते रहते थे बड़े पमाने पर जन विद्रोह की तयारियाँ पीछे पड़ गईं। ट्रावनकोर वन विभाग का एक क्लक वाची ने अपने कुछ चुने हुए मित्रों के साथ तिनेवली जिले के जिलाधीश राबर्ट विलियम डेस्टकोट को मारने का निश्चय किया। ऐश को नीचे लिखे शब्दों में चेतावनी दी गई — भारत माता परिषद् के सदस्य तुमको नीचे लिखी चेतावनी देते हैं 'किसी जनकाय में हस्तक्षेप मत करो' यदि तुम इस चेतावनी के बाद भी अपने हठ पर अड़े रहोगे तो तुम्हारे सिर को कुछ ही दिना में कुचल दिया जायेगा।

तुम्हारा विश्वासभाजन  
वी एम ए

(उपनाम भारत माता एसोसिएसन)

१२ दिसम्बर, १९१० को उपरोक्त पत्र डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को भेज दिया गया। इस घटना के कुछ दिन पूज्य तामिल में एक छात्रा हुमा पैम्फलेट जिसके नीचे व देमातरम हस्ताक्षर के स्थान पर छात्रा या टाक से हजारों की संख्या में भेजा गया। जिसमें भारतीयों से अभिनव भारत समाज गुप्त समिति के सदस्य बनने की

अपील की गई थी। उस पम्फलेट में स्पष्ट शब्दों में कुछ प्रतिपाद दी गई थी जिन्हें समिति के नए सदस्य को लेना अनिवार्य था। इसके साथ ही उसमें भारतीयों को अंग्रेजों की हत्या करने और भारत को विदेशी दासता से मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

अपनी 'वाची' ऐयर ऐश को दी गई घमकी को कार्यान्वित करने के लिए गम्भीरता पूर्वक तैयारियां करने लगा। १६ जून १९११ को वह अपने एक मित्र की हुडी को दूकान पर गया और वहां उसने रात्रि को एक दूसरे साथी के साथ जिसका उसने नाम नहीं बतलाया विश्राम किया। दूसरे दिन भी उसने अपने साथी के साथ वही रात्रि व्यतीत की। १७ जून को प्रातः काल दोनों यह कह कर कि वे ट्रेन से मरूंगा जा रहे हैं चल दिए।

१७ जून १९११ को भविष्यता का वह दिन आया। श्री तथा श्रीमती ऐश तिनेवली से मनयाची जकशन की यात्रा कर रहे थे जहां उन्हें कोडाइकानाल के लिए गाड़ी बदलना था। 'वाची' उस ट्रेन में तिनेवली से उस दम्पति का पीछा कर रहा था। वह स्टेशन पर उतर पड़ा और अपने शिकार पर बड़ी निगाह रख रहा था।

वे लोग मनयाची जकशन लगभग ग्यारह बजे दिन के पहुँचे। ट्रेन स्टेशन के पश्चिम के अंतिम प्लेटफाम पर ठहरी। प्लेटफाम तीन थे और टिकट घर दो प्लेटफामों के बीच में था पूव का तीसरा प्लेट फाम और बुकिंग आफिस के बीच रेलवे लाइन थी।

जब तिनेवली से ट्रेन मनयाची स्टेशन पर आकर रकी तो श्रीयुत और श्रीमती ऐश पहले दर्जे के डिब्बे से उतरे और प्लेट फाम नम्बर दो पर खड़ी गाड़ी में बठ गए तब तक उनके नौकर ने तिनेवली वाली गाड़ी से घसबाव हटाकर प्लेट फाम नम्बर ३ पर लगा दिया था जिससे कि तूतीकोरन की जब बोट मेल आ जावे तो उसमें चढा दिया जावे।

श्री ऐश पश्चिम की ओर मुक्त किए बडे कुछ पढ रहे थे और श्रीमती ऐश पूव की ओर स्थित प्लेट फाम की ओर देख रही थीं जहां कि बोट मेल आने वाली थी। बोट मेल को पकड़ने के लिए यात्री जब तिनेवली की गाड़ी से उतर कर प्लेट फाम पर आ गए उसके कुछ मिनट बाद एक घडाका सुनाई दिया। कुछ यात्रियों ने समझा कि सोडा वाटर की बोतल फट गई उसका घडाका है। किन्तु उसी समय महिला का चीत्कार सुनाई दिया। वह सहायता के लिए चीख रही थी। ऐश के गले की हड्डी के नीचे छाती की बाईं ओर गोली लगी थी। वह गोली एक अघेड आयु के श्रीमंत ऊचाई के आत्मी के रिवाल्वर से निकली थी। कुछ लोगों ने बाद को बतलाया कि उन्होंने उस आदमी को देखा था जबकि वह रिवाल्वर में प्लेट फाम पर गोली मार रहा था। ऐश गाड़ी के फग पर गिर पडा था। उसके धरिीर से बहुत रधिर बह रहा था। उसको तिनेवली की गाड़ी के एक डिब्बे में ले जाया गया जा कि तेजी से डाक्टरों चिकित्सा प्राप्त करन के लिए चल पडी।

महिला की चीख और चीत्कार के कारण जो लोग प्लेट फाम पर खडे थे उस ओर भागे जिधर स घडाके की आवाज आई थी। प्लेट फाम नंबर २ पर एक आत्मी रिवाल्वर लिए खडा खिसलाई पडा। उसके साथ एक लडका था जिस लोगों ने उसका नौकर समझा।

गोली मारने वाला हत्यारा कुछ मिनट प्लेटफाम पर इसलिए खडा रहा

कि वह जान सके कि गोली प्रभावकारी हुई या नहीं और जबकि उसकी गिनाना ठीक लगने का विश्वास हो गया तो वह उस स्याप से भाग जाने के उपक्रम में था कि ऐश के बदली ने उसे पकड़ लिया परंतु जब उसने रिवातवर से गोली मारने की धमकी दी तो उसे छोड़ दिया।

गोली चलाने वाला यह कहते हुए कि अगर कोई भी उसके समीप आया तो गोली मार दूंगा प्लेटफाम पर दौड़ा और अंत में प्लेटफाम के सिरे पर जो शौचालय था उसमें घुस गया और उसने अपने गले में गोली मारली उसकी वही तत्काल मृत्यु हो गई। घटना के पूव बाची ब' पास जो लडका प्लेटफाम पर खड़ा था वह मनयाधी स्टेशन के उत्तर की ओर भागने लगा।

जबकि ऐश के गोली लगी तो एगने अपने टोप को उतार कर गोली मारने वाले पर फेंका वह अपने लक्ष्य पर न पहुँचकर प्लेटफाम पर गिर गया। घटना के उपरान्त पुलिस बहुत सक्रिय हो उठी और प्लेटफाम पर खड़े लोगों को अघाघु घ पकड़ने लगी। जब जाच समाप्त हो गई तो पुलिस ने उच्च "याथालय के एक विनेप ट्रिपूनल के समक्ष १४ व्यक्तियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के पटयत्र हत्या पडयत्र तथा उसमें सहायक होने के आरोप लगाकर ३० अगस्त, १९११ को मुकदमा चलाया। जब अभियुक्तों का मुकदमा शुरू होने की वे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे तो उसमें से एक पुनारील के एक समृद्धिगाली ब्राह्मण वकील श्री वकटेदवर अय्यर ने अपने गले को एक तेज चापू से काट कर आत्म हत्या करली और एक दूसरे अभियुक्त श्री धमराज अय्यर ने जहर खाकर आत्म हत्या की। दोनों ने अक्टूबर १९११ में आत्महत्या की थी। फमने में कुछ अभियुक्तों को विभिन्न काल की सजा दी गई केवल दो चार ही छोड़े गए।

### एक समान भाग्य (१९११)

अपने हत्या के कारण खुफिया पुलिस का सब इन्स्पेक्टर राजकुमार राय मैनसिंह के क्रांतिकारियों का लक्ष्य बन गया था। १८ जून १९११ को जब राज कुमार अपने घर में घुस रहा था जो कि बगल स्टेशन के बहुत समीप ही स्थित था उस समय एक अनजाने अध्यानात्मक ने उसके माथे पर और धरीर के विभिन्न अंगों पर गोली चलाई वह मर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा।

उसके माथी कीट इन्स्पेक्टर ने केवल एक मूनि को तेजी से अयकार में विलीन होते भर देखा। दोपी को पहचानने का न तो समय था और न अवसर ही था और उस घटना के सम्बन्ध में न कोई कमी गिरफ्तारी हुई।

### बले ग्राम (१९११)

ढाका सब डिवीजन के सोनारग गाव में ११ जुलाई १९११ को राजनतिक कायबाही का एक रोमाचकारी दृश्य उपस्थित हुआ जबकि गाव के दोनो दफेत्तार रसूल दीवान और अमेरी दीवान तथा वाली विनोद चक्रवर्ती पर जो कि एक चपरासी पर प्रहार के मुकदमे में महत्वपूर्ण साक्षी था और जिसमें कई युवकों को सजा हो गई थी—गम्भीर रूप से प्रहार किया गया।

सध्यावाल होने पर एक युद्धक दफेत्तार रसूल दीवान के मकान पर गया और उसको बाहर बुलाया। जैसे ही वह मकान से निकल कर बाहर आया उस पर तुरन्त रिवातवर से गोली चली। रसूल ने चिल्लाकर कहा बहुत अच्छा मैंने तुम्हें

पहचान लिया"। अन्धश्रामक जो बि भागा जा रहा था वापस लौटा और उसने कई गोतिया चलाई जिससे रसूल की सुरत मृत्यु हो गई।

अमेरी दीवान और काली विनोद के मकामों पर लोग एक साथ गए और अग्ने तिकार पर आक्रमण करवा का लगभग वही तरीका दोहराया गया। अमेरी भी सुरत मर गया।

काली एक समय राजनीतिक सद्व्यक्ति था परंतु बाद की पुलिस द्वारा सालच दिग जाने पर पुलिस का एक बहुत महत्वपूर्ण साक्षी बन गया था। उस पर रिवालयर था व दूब से आक्रमण न कर चाकुओं से आक्रमण किया गया उसके गरीर पर कई घाय लगे। उसको सतरनाक स्थिति में अस्पताल ले जाया गया जहां वह चार दिन तक मृत्यु से सघप करता रहा। १५ जुलाई, १९११ को मुर्शीगंज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

जहां तक क्रांतिकारी दल का प्रश्न था उससे दृष्टिकोण से एक रात्रि में तीन दायुमा की हत्या की घटना एक अमूल्य सफलता थी विशेषकर पुलिस क्रिमी को भी नहीं पकड़ सकी और आगे चलकर पुलिस ने दोषियों को पकड़ सकने की आशा भी छूट दी।

गति पुचवत रही — ११ नवम्बर १९११ को पुतिम इन्स्पेक्टर मनमोहन घोष की बारीसाल में हत्या कर दी गई। गोधुली के समय यह टहल कर लौट रहा था। यह टाका पट्टयत्र अभियोग में एक महत्वपूर्ण मुख्य साक्षी था। क्रांतिकारियों का उस पर यह भी सपेह था कि वह अनेक क्रांतिकारियों जिन पर क्रांतिकारी नायबाहियों करने का सदेह था गिरफ्तार कराने के लिए उत्तरदायी था।

### सर्वोच्च बलिदान (१९११)

सत्तार में अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले बलिदानों में एक अनजाने और भूते हुए देशभक्त के बलिदान की समता करने वाले दृष्टांत बहुत कम हुए होंगे।

१९११ में बन्नी ममनसिंह के श्री नरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती अपने सहयोगियों के साथ जिनमें एक बीस वर्ष स कम का लडका था और जिसको सतरनाक बायों को करने की गिला दी जा रही थी सघन वन में से होकर एक क्रांतिकारी काय के लिए जा रहे थे। वे अचकार पडने के बाद अपने गतव्य स्थान पर पहुँचना चाहते थे। उन्होंने देखा कि जंगल में एक नेर उस लडके पर झपटना ही चाहता था। स्थिति अत्यंत निराशाजनक और असहाय थी। तुरंत ही नरेन्द्र नारायण ने अपना वतव्य निश्चित कर लिया। वे नेर और उस लडके के बीच में आ गए और अपनी पूरी शक्ति से दोर में कुदती में भिड़ गए। दूसरे साथी ने भी उनका साथ दिया।

नेर लडके तक न पहुँच सवा दूसरे भादमी को दो जगह घायत कर दिया और नरेन्द्र को मार कर दोर चला गया। लडका वध गया इस घटना का किसी र्थे जिक्र करना भी कठिन था क्योंकि वे क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारी काय के लिए मृत य स्थान पर जा रहे थे। यह आवश्यक था कि पुलिस एक प्रमुख क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ की मृत्यु के बारे में न जान सके नहीं हो दल के अन्य सदस्यों के लिए वह भयकर सिद्ध होता। अतएव नरेन्द्रनारायण के मृत शरीर को सघन वन के मध्य में पृथ्वी में गाड़ दिया गया और यह प्रसिद्ध कर दिया गया कि नरेन्द्रनारायण सयासी

हो गया और वह अपने परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहता। अपने साथी के लिये प्राण देने का वह गौरवपूर्ण और अनुपम उदाहरण था।

अन्त में महादत्त (१९०८-१२)

स्वतंत्रता संग्राम के लिए और और देशभक्त सैनिकों पर भारत में तथा मुद्रा अदमन की जेल में जसा अमानवीय शरणाचार होता था उसकी हृदय विदारक कहानी जनता को पूरी तरह पता नहीं है। इसका कारण यह है कि उसका किसी ने ली प्रकार वर्णन नहीं किया और न उन वीरों ने उस कहानी का वर्णन लिखा उन्होंने उन शरणाचारों को स्वयं भोगा था। केवल एक ऐसे बांड का बहुत सूक्ष्म वर्णन उपलब्ध है जो कि उस अपरिमित पाशाचिक क्रूरता भरे व्यवहार का एक प्रोग्राम सा अंगमात्र है जो कि उन व्यक्तियों के साथ किया जाता था जिनके नाम इतिहास में स्वर्णांगुरों में लिखे जाने के योग्य थे।

२ मई १९०८ को मानिकतला में मुरारीपुत्र रोड से घाटगारह बप के अणु इन्द्रभूषण राय को गिरफ्तार किया गया उसके साथ बारीन्द्रकुमार घोष और अन्य व्यक्ति भी गिरफ्तार किए गए। इन पर अलीपुर पदमंत्र के अन्तर्गत प्रभियोग लगाया गया। इन्डु के तरुण हृदय में स्वतंत्रता की उत्कट चाह उत्पन्न हो गई थी। वह मातृभूमि की किरणियों की दासता में मत्त कर रहा था और पच्छी मर डार स्वागित करना चाहता था। वह सुतना के हाई स्कूल का छात्र था और १९०७ में एंट्री की परीक्षा में बठा जिसमें वह अनुत्तीर्ण हो गया। उन दिनों में बाप तथा सम्बन्धी लोग अपने दूर्चों तथा प्रतिपात्या का काम आयु में ही विवाह कर देते थे। इन्डु भी उन परिपाटी का अपवाद नहीं था। इन्डु के पिता ने उसको विवाह के लिए बहुत दबाया तो वह उन्हें बिना सूचना के ही अपने प्रिय माता पिता को छोड़ कर एक सायासी का जीवन व्यतीत करने के लिए घर से निकल पड़ा। जबकि वह रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान की खोज में घूम रहा था तो कालेज स्कन्दर पर उसको बारीन्द्र मिला। उसने उसे बताया कि वहा युत रूप से क्या क्या समारिष्ठा हो रही हैं। उसने मानिकतला में रहना शुरू कर दिया और गम्भीरतापूर्वक गीता पढ़ने लगा। अन्त में उसके मन में यह विचार दृढ हो गया कि वह अपने जीवन का देश के लिए बलिदान कर दे और अपने देशवासियों के लिए एक आदर्श उपस्थित करे। वह इतिहास का एक गम्भीर विचार्यो था और 'मानद मठ' तथा उस जसी अन्य पुस्तकों के पढ़ने में उसको ऐसे महान विचार बनाने में सहायता मिली थी।

जीवन के प्रति तनिक भी माह न होने के कारण उसको अत्यन्त सतरे के काम के लिए चुना जाता था। ११ अप्रैल १९०८ को अदर नगर के मेयर पर वम फेंकने के लिए उसको चुना गया। अलीपुर पदमंत्र के मुकदमे में इन्डु को दस बप के पात्रा पानी की सजा दी गई।

इन्द्रभूषण दिसम्बर १९०६ का अदमन के सलुलर जेल में पहुँचा जिसके नाम से भयकर और पक्के डाकू तथा खूनी भी भयभीत होकर काप उठते थे। वह उन लोगों में से था जिन्हें जेल में बाहर काम करना पड़ता था। इन्डु के लिए जेल में बाहर का काम जेल के अदर के काम की अपेक्षा अधिक कष्टकर और लज्जाजनक था।

स्थिति यह थी कि यदि साधारण कैदी जेल के बाहर काम करता था यदि



बीमार पड़ जाता था तो वह जेल के अस्पताल में भेजा जाकर एक अथ अस्पताल में भेजा जाता था जो जेल के अस्पताल में अच्छा था। राजनतिक कर्तव्यों के लिए इससे सवया भिन्न व्यवस्था थी। यदि वह बीमार पड़ जाता तो यह घोषित कर दिया जाता था कि वह बीमार पड़ने का यशान्त कर रहा है और उसे बीमार पड़ने के लिए विशेष रूप से दण्ड दिया जाता था। बीमारी कितनी गम्भीर है उसकी घोर तनिव भी ध्यान न देकर राजनतिक कदी को जो कि बीमारी के कारण काय करने के प्रयोग्य हो जाता उसे अपने बिस्तरे को अपने काने पर होकर चार मील चलाया जाता था और उसको अपनी एकान सेल में बन्द कर दिया जाता था।

इदु की दारीरिक् सहन शक्ति ने अब त्राय दे दिया तो उसने जेल के अन्दर काय करने की इच्छा प्रकट की। जब वह जेल में पहुँचा तो उसके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी गई और उसको अपनी पुगनी कोठरी (सेल) में ले जाया गया। एक या दो दिन बाद उसको पुन उपनिवेश में निर्धारित काय करने के लिए वापस जाने की आज्ञा दी गई। उसने वहाँ जाने से इन्कार कर दिया। उस पर तुरन्त जल के अनुशासन को भंग करने का आरोप लगाया गया।

इदु के स्वास्थ्य की दशा अत्यन्त दयनीय थी और जो काय उसको करना पड़ता था वह अत्यन्त कठिनाई से कर पाता था। २८ अप्रैल १९१२ को उसने जेलर से मिलना चाहा और उसको जेलर क कार्यालय में ले जाया गया उसने जेलर से अत्यन्त विनम्र शब्दों में याचना की कि राम बांस से सके सन बनाने का काम से उसे हटाकर और दूसरा काम दे दें। रामबांस के रस से उसके हाथों में भयकर छाले पड़ गए थे और उनके कारण इनकी सूजन और दद था कि वह अपनी अंगुलियाँ को कठिनाई से हिला सकता था। हाथ में इतना दद होता था कि उसे रात्रि को एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई उसकी अंगुलियाँ में ऐसी भीषण पीड़ा थी और उसके हाथ के जहमा के कारण वह रोटी का कौरा मुह तक भी नहीं ल जा सकता था। हाथ के जहमों में दाग लग जाने से ऐसी भयानक पीड़ा होती थी कि उसकी आँसु के आसू गाला पर बहने लगते थे और वह भोजन को छू भी नहीं पाता था। उसने अत्यन्त वातर होकर प्रार्थना की कि यदि यही स्थिति रही तो मैं शुषा से मर जाऊंगा।

उसने पुन अपने काम में परिवर्तन के लिए प्रार्थना की। यदि वह सम्भव न हो तो कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल भेज दिया जावे जिससे कि उसकी हथेली के जर्म ठीक हो जावें। उसकी सभी प्रार्थनाओं को जेलर ने कठोरतापूर्वक टुकरा दिया। यही नहीं पृथ्वी पर उस भयकर तरह के जेलर ने उपयुक्त शर्तों में इदु को अत्यन्त अमद भाषा में गालियाँ दीं। इदु फिर भी उससे कृता रहा कि उस डाक्टर से मिलने की आज्ञा दी जावे जिससे कि वह उसे अपने हाथों की दशा दिखाकर उपचार करवा सके।

जेलर बिलाया तुमको मेरी आज्ञानुसार काय करना होगा। उसके उपरांत एक मिनट ठहर कर वह बोला 'बहुत अच्छा मैं तुम्हारे काय को बदल दूंगा' और बाहर को आज्ञा दी कि दूसरे दिन से इदु को उस भयकर और सबको शयभीत करने वाले तेल के कोल्हू (घानी) में जोत दिया जावे। इदु ने कहा कि यदि उसको उन जर्मों हाथों से कोल्हू में काम करना पडा तो उसका मृत्यु हो जावेगी। कि तु जेलर यह सब सुनने की तयार नहीं था। इदु को अमद भाषा में गाली देकर उसने हटा दिया।

यह ऊट की पीठ में छान्तिम सीर था। प्रातःकाल दूधु अपनी कोठरी में फासी लगाकर लटका मिला। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। २६ अप्रैल १९१२ को वह ऊपर की खिड़की से लटका हुआ मिला। अपने फटे हुए बूटों की धीरो से उसने रस्सी बनाली थी। सलुनर जेल के एक कदी (वीर सावरकर मेरे निर्वाचन की पहानी पृष्ठ २१४ ने लिखा) 'उस युवक ने अपनी बेइज्जती को सहन न कर सकने के कारण जीवन को मार स्वरूप समझा और उसका अंत कर दिया।' प्रातःकाल गश्त में एक वाइर ने उसको अपनी कोठरी में लटके हुए देखा। शीर मच गया जेलर दोड़कर उस जगह आया। मेडीकल सुपरिंटेण्डेंट को चार पांच बार टेलीफोन से सूचना दी गई। एक पुलिस का घदती उसके बगले भेजा गया जो ज्यादा दूर नहीं था, परंतु दूसरे दिन प्रातःकाल घाठ बजे से पहले कोई उत्तर नहीं आया। इसी बीच एक मदरासी जो कि अस्पताल में अतिरिक्त डाक्टर था बुला भेजा गया परंतु जब तक वह आया उसका घरीर लवड़ी के लटके की भांति बंठोर हो गया था।

दूसरे दिन प्रातःकाल जेन सुपरिंटेण्डेंट, जिलाधीन और पुलिस सुपरिंटेण्डेंट जाच के लिए आए। जेलर जो कि एक छटा हुआ बदमाश गुण्डा था उसने एक अजीब बयान गढ़कर सुना दिया जिसे उन अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि दूधु ने आत्महत्या इस कारण करली कि उस भ्रम हो गया था कि उसने माधो कदी उसकी हत्या कर देंगे। स्वयं शतान भी ऐसा विचित्र बहाना खोज कर नहीं निकाल सकता था।

दूधु भूषण की इस मेदजनक मृत्यु की सूचना भारत में आई सप्ताहों के बाद पड़ोसी और सबत्र अतीव शोक की लहर फच गई। इन परिस्थितियों में भारतीयों की विवगता ने हजारों व्यक्तियों के हृदयों में दूधु भूषण की मृत्यु का बन्ला भारत की स्वतंत्र बनाकर लेने के लिए दृढ़ सकल्प के रूप में उत्पन्न कर दिया जिससे कि भविष्य के सम्य दासन में इस प्रकार की जगलीपन की क्रूर घटनाएँ न घट सकें।

### चौकीदार पर चौकसी (१९१२)

सरकार के एजेण्टों की गतिविधि को वे लोग अिन पर पुलिस उसके पिटुओं और जासूसों की बड़ी निगाह रहती थी ध्यान से देखते रहते थे।

ढाका पुलिस का हेड कांस्टेबल रतोलाल चर्ई दिनों से कतिपय सदेहास्पद लोगों पर नजर रख रहा था। अपनी ड्यूटी के पाचवें दिन उसने अपने अधिकारी से कहा कि उसके कुछ भागे हुए सदेहास्पद अक्रियता को उस क्षेत्र में घाते जाते देखा है। २४ सितम्बर, १९१२ की सायंकाल को वह अपने एक मित्र के मकान पर गया। वहाँ से वह सात बजकर पंद्रह मिनट पर चला और दस मिनट बाद ही क्लानबारी गली में गोली से मार दिया गया।

जिसने उसे मारा इसका कोई सकेत तथा खोज न मिलने के कारण दोषी को पकड़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा सका।

### महान पडयंत्र (१९१२-१५)

ब्रिटिश दासन के विरुद्ध विद्रोह की भावना ने बंगाली तहणों की कल्पना को अकड़ लिया था उसने शीघ्र ही साहसी और वीर पत्रावियों के मस्तिष्क को भी प्रभावित कर दिया। जसा कि १९०७ के आरम्भ के महीनों में पजाब के लपनीनेट गधनर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था—“प्रत्येक स्थान पर लोग एक परिवर्तन का अनुभव कर

रहे थे। एक नई हवा साधारण जन के मस्तिष्क में बह रही थी और वे लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि देखें कि उसमें से क्या निकलता है। रिपोर्ट भाव की सही शान बमेटी १९१८ पृष्ठ १४१।

उसी रिपोर्ट में आगे चलकर कहा गया 'बड़े नगरों में प्रातः के क्षेत्रों में आंदोलनकारी जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति दुर्भावना फैलाने की गम्भीरतापूर्वक कोशिश करते हैं। कतिपय महत्वपूर्ण नगरों में जैसे रावलपिंडी, सियालकोट (और सायलपुर में एक साथ खुले रूप में तेजी से ब्रिटिश विरोधी प्रचार किया जा रहा है। प्रांत की राजधानी लाहौर में ब्रिटिश विरोधी प्रचार ऐसा प्रचंड है कि उसके परिणाम स्वरूप वहाँ अशांति की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

उप विचारों के समर्थकों की सलाह से जो रा बढ रही थी। एक पंजाबी को राजद्रोह के अपराध में सजा देने के कारण दगा हो गया। योगोपियन लोगों को जिनसे सभी तक लोग आतंकित और भयभीत रहते थे और अनिच्छापूर्वक आदर और मान देते हैं उनके प्रति अब थोड़ा भी विधेयाचार नहीं करता जाता था। विहित उप विचारों के आंदोलनकारी साधकनिक सभाओं में भाषणा के द्वारा अंग्रेजों के प्रति घृणा फैलाते थे। गांधी में भी और विशेषकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ कि महर उपनिवेशों में भूमि के स्वामित्व सम्बंधी नियमों में प्रस्तावित कानून के कारण गहरा असंतोष व्याप्त था तथा भारी दोगाब में गहरो से सिचाई की दर में वृद्धि का प्रस्ताव था वहाँ निश्चिन्त रूप से ब्रिटिश विरोधी प्रचार किया जा रहा था। महान सिक्ख जाति के क्रोध और असंतोष को भड़काने का विरोध रूप से प्रयत्न किया जा रहा था जिससे कि यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उठ सही हो।

आंदोलनकारी पुलिस की ओर विरोध रूप से ध्यान देते थे जिनको देशद्रोही कहकर देशवासियों में अनाम किया जाता था और उनको सरकार की नौकरी छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। भारतीय सैनिक जो कि अत्यंत राजभक्त हैं उन्हें सेना के पदों को छोड़कर जन आंदोलन में सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया जाता था। आंदोलन का उद्देश्य यह था कि जातीय घृणा की भावना को अत्यंत तीव्र और बलवती बनाकर सरकार के शासन तंत्र को ठण्ड कर दिया जावे।

जब ऊपर लिखे तरीके अपने उद्देश्य की पूर्ति में अत्यंत सफल हुए तो यह यदि दिनों का नहीं तो महीनों का प्रश्न था कि प्रांत में कहीं हिंसात्मक बाढ़ हो। पंजाब की तुलना एक सुखे बाहुर के देर से की गई जिस पर एक विनगारी पड जाने से भयकर विस्फोट होने की सम्भावना थी। वही भारत की राजधानी के मध्य घटित हुआ।

यह घटना २३ दिसम्बर १९१२ को भारत के वायसराय लार्ड हार्डिंग पर एक साहसी द्वारा बम फेंकने के रूप में घटित हुई। यह वह अवसर था कि जब वायसराय देग की नवीन राजधानी दिल्ली में उसको भारत की राजधानी घोषित करने के लिए प्रवेश कर रहे थे। महामहिम वायसराय को लाने वाली स्पेशल ट्रेन दिल्ली की से टूल स्टेशन में पहुची। उस स्थान पर उस अवसर पर जो राजकीय समारोह आयोजित किए गए थे वे सभी शाही शानशोक्त से किए गए। उसके उपरांत लार्ड हार्डिंग एक उंचे हाथी पर विराजमान हुए और वह भय विशाल जलूस चलना शुरू हुआ। जबकि जलूस चांदनी चौक के मध्य में घटाघर के आगे पंजाब नेशनल बैंक के भवन

के सामने पहुँचा कि एक बम हीदे के गूँठ भाग पर साठ हाडिंग तथा पीछे बँटे सेवक के बीच भयानक घटाके के साथ जिसस समय के लोग थोड़ी देर के लिए बहरे हो गए फूटा। हीदे में पीछे बठा सत्रय यलरामपुर राज्य का जमादार महावीर सिंह या जो साठ हाडिंग पर धन लगाए हुए बठा या मर कर लटक गया। बम का पूरा प्रभाव वायसराय पर उनके सिंहासन के कारण नहीं पडा। सिंहासन रुपी कुर्सी का गूँठ भाग नष्ट भ्रष्ट हो गया। कुर्सी के निछने हिस्से में जा मोटी चादी की चादर का बहुत भारी काम था उड गया। बम का एक टुकडा साठ हाडिंग की पीठ पर लगा और उनके कंधे पर से ऊपर निकला उसके लगन से कंधे में चार इंच लम्बा घाव हो गया और कंधे की हड्डी निकल आई। उनकी गदन की दाहिनी तरफ कई घाव सगे और उनके दाहिने नितम्ब पर भी घोट आई।

लेडी हाडिंग जो अपने महान पति के साथ ही जलूस में चल रही थी उन्होंने उस घटना का नीचे लिखे शब्दों में बयान किया है। उन्होंने उस घटना को अपने लिए 'भयानक अनुभव' कहा है जो कि वास्तव में उनके लिए एक भयानक अनुभव था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उस परिस्थिति में भी अतना वे घात रह सकती थीं उतना घान्त रह कर उन्होंने अपने को सम्हाला और जो सेवक वायसराय के निकटतम थे उन्हें शीघ्र ही महा महिम वायसराय को एक ऐसे स्थान पर ले चलने के लिए कहा जहाँ शीघ्र से शीघ्र सहायता तथा चिकित्सा प्राप्त की जा सके। उन्होंने लिखा —

जब हम चादनी चौक से निकल रहे थे और चारों ओर हल ध्वनि हो रही थी तो मैंने थकावक एक हटडम्प का अनुभव किया और मैं प्राय की ओर ओर के धक्के से गिर पडी। जब मैं पुन धरने स्थान पर बठ गई तो मेरी आँखें चौंधिया गई और मस्तिष्क में जोर की भनभनाहट से मैं निश्चयपूर्वक क्षण भर के लिए बहरी हो गई। वायसराय ने मेरी ओर मुड़ कर कहा कि मुझे भय है कि यह बम था।

हाथी रुक गया था। इस पर वायसराय ने जोर से कहा चलो और जलूस पुन चल पडा तब तक मेरे मस्तिष्क पर यह छाव पडी कि भीड़ में पूरा रूप से निश्चयता और घान्ति थी। किन्तु हम जब पुन चल पडे तो भीड़ से आवाजें आई 'घाबाल'।

'किर मैंने घ स पास विस्तार से देखना आरम्भ किया। उदाहरण के लिए हीदे की पीठ गायब थी और वायसराय पीछे पड़ गए थे मैंने कहा "आपको निश्चय है कि आपके चोट नहीं आई?"

'उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे इस बात का निश्चय नहीं है कि मेरे चोट नहीं आई। मुझे गहरा आघात लगा परन्तु मैं समझता हूँ कि जलूस में चल सकता हूँ।"

कुछ सेकिड उपरान्त मैंने थोक लगाई और वायसराय के दाहिने कंधे के पास फटी हुई यूनीफार्म से (जो मुझ से दूर थी) मुझे लाल मासपेशी दिखावाई पडी। तब मुझे यह मान हुआ कि मैं उन्हें बतलाऊँ कि वे घायल हो गए हैं परन्तु उसस उनके भयभीत हो जाने का डर था, अथवा हाथी के चलने से उनको लगने वाले झटकों से होने वाली हानि की जोखिम लूँ। मैंने पुन चारा और देखा तो मैंने एक आदमी की टाँगों को देखा जो उल्टा लटक रहा था और मर चुका था।

तब मैंने धारे से कहा मुझे जलूस को रोकने दो क्योंकि मुझे भय है कि पीछे का सेवक मर चुका है। उस समय तक हम १५० गज चल चुके थे।"

"वायसराय ने कहा भवश्य ही एसी परिस्थिति में हम आगे नहीं चल सकते।"

मैंने हाथी की हकवाया और सामने के हाथी में कनल मकखल को सनेत किया। वह दौड़कर भाये और वायसराय ने उनसे कहा कि क्या तुम पीछे सटके हुए बेचारे जमादार के लिए कुछ कर सकते हो ?

'मैंने कहा क्या तुम बनल राबट को बुलाना पराद करोगे मेरे विचार से वायसराय का क ना जरूरी हो गया है।'

'ठीक उसी समय वायसराय को घोड़ा घाघेप हुआ और उनकी घटना जाती रही। कुछ समय उपरांत जब उनकी चेतना चकित पुन लौगी तो उन्होंने समारोह के सभी कायों को पुरी तरह करने की आणाए दी।'

इसके उपरांत और कुछ कहने को गप नहीं है केवल वायसराय को हौदे से उतारने और उनके कपड़ों को उतारने में जो कठिनाई हुई उसका वगुन गप रहता है। उनके छ जन्म लगे ये जिनम में बहुत अधिक श्रधिर बह रहा था। घर में कोई भी नहीं था पर तु सेवकों तथा कमचारियों ने सारा प्रबन्ध कर दिया और सारी व्यवस्था अत्यन्त सुन्दर ढंग से करदी।'

(पत्र जो बम्बई के टाऊन हाल में ८ जनवरी १९१३ को हुई सभा में पड़ा गया)

भारत सरकार ने बहुत बड़े पारितोषिक की घोषणा की उससे अतिरिक्त राजभक्त देशी नरेशों ने अपनी राजभक्ति प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ी रकमों के पारितोषिकों की घोषणा की। जिन अधिकारियों को इस घटना से चितित होना चाहिए था उनसे भी अधिक चिन्ता देशी नरेशों ने व्यक्त की। इस पर भी किसी को पकड़ा नहीं जा सका। घोषित पारितोषिकों की रकम अनास्तविक और कल्पनातीत सख्या तक पहुँच गई और इस बात में सन्देह होने लगा कि यदि कभी वह भवसर आया तो क्या वह राशि उपलब्ध भी हो सकेगी।

२४ जनवरी, १९१३ को भारत सरकार ने घोषणा की कि यदि जो कोई ऐसी सूचना देगा कि जिससे अपराधी जो उस कृत्य के लिए उत्तरदायी हैं उसको पकड़ा जा सके और उसे सजा दिलाई जा सके उसको एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जावेगा। उन घोषणा से पहले के सभी सरकारी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा घोषित पुरस्कारों को रद्द कर दिया गया।

बहुत कुछ जांच पड़ताल करने के उपरांत विशेषण केवल यह सिद्धांत निर्धारित कर सके कि वह बम उसी प्रकार का था जसा कि बंगाल में हुए बमकाण्डों के बम थे। बम एक सिगरेट के टिन का बनाया गया था। उसमें विकिरिक एसिड, फलमिनेट आद मरकरी और जूट कांबस (टैब लोहे की तिलियां जिन्हें किस कहा जाता है) का उपयोग किया गया था।

टिन में बम बनाकर देहली में वायसराय पर फेंकने के बाद एक विचार यह था कि टिन पर सिगरेट का लेबिल भी ज्यों का र्यो लगा होने के कारण दोषी व्यक्ति उसको बिना सन्देह उसी न किए उसे आसानी से कही भी ले जा सकता था।

सरकार की पुलिस ने आघाघुघ गिरफ्तारिया की और हजारों की सख्या में पुलिस और गुप्तचर अथक परिश्रम कर बम काण्ड का पता लगाने का प्रयत्न करने लगे। परंतु कही कुछ पता न लगा। देहली की पुलिस निराश होकर घुब हो गई और वह मामला वहीं अटक गया कोई संकेत न मिला।

वायसराय की हत्या करने के प्रयत्न के ६ महीने के बाद लाहौर से इस बात के संकेत मिले कि प्रातः म. क्रान्तिकारी सशस्त्र हैं। १७ मई १९१३ को लारेंस गाडन में जो बाट हुआ वह अपने उद्देश्य में विफल रहा। मांट गोभरी हाल से सी गज की दूरी पर ज़िमखाना क्लब का एक खर्रासी स्टक पर मरा पड़ा मिला। उसकी बाईं टांग और सीधे घुटने में भयंकर जख्म थे। उसकी छाती और शरीर मानो तेज कीला से छेद दिए गए थे। जहां वह खर्रासी का शव पृथ्वी पर पड़ा हुआ था उसके सामने की ओर सड़क के किनारे सालटन का सम्भा टुकड़ टुकड़े होकर गिरा पड़ा था।

दापी का कोई पता नहीं चल सका जांच से यह बात हुआ कि जिस सड़क पर वह प्रमाणा खर्रासी साइकिल पर जा रहा था वहां एक बम रख दिया गया था। जब खर्रासी उसे टकराया तो वह फट गया।

बंगाल से लाहौर समाचार पहुंच चुका था कि मोलावी बाजार का कुम्ह्यात गाडन लाहौर के एक जिले कसूर में इसलिए स्थानांतर करके भेजा गया है कि जिससे बंगाल के क्रान्तिकारियों के प्रतिशाघ से उसकी रक्षा की जा सके। प्रांतिकारी उसकी गतिविधियों पर बड़ी निगाह रख रहे थे और पंजाब में बंगाल के प्रतिरूप क्रान्तिकारियों को यह ज्ञात हो गया कि १७ मई, १९१३ को वह कलकत्ता में उपस्थित होगा। जब वह कलकत्ता से निकल कर बाहर आवे तो उसकी हत्या कर देनी है। देहली काण्ड की तरह ही पुलिस इस हत्यकांड का भी पता नहीं लगा सकी।

देहली तथा अन्य स्थानों पर क्रमशः क्रान्तिकारी कार्यावाहियों के चिह्न मुखर होने लगे थे। तदर्थों को क्रान्तिकारी कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने वाले पत्रों भारी संख्या में विशेषकर छात्रों में बांटे जाते थे। एक पत्रिका में लाड हाइडिंग के जीवन पर २३ दिसम्बर, १९१२ को होने वाले प्रहार की नीचे लिखी भाषा में प्रशंसा की गई थी।

‘गीता, वेद कुरान हम आजा देते हैं कि जाति धर्म रग की चिंता किए बिना मातृभूमि के शत्रुओं को मार दो। भय बड़ी और छोटी घटनाओं को छोड़ दो तो गत दिसम्बर में देहली में देवी शक्ति का जो विशेष प्राकट्य हुआ वह निरसदेह इस बात का प्रमाण है कि भारत का भाग्य का स्वयं भगवान् निर्माण कर रहा है।’

दो गम्भीर और भयंकर बम काण्डों का कुछ भी पता न लग सकने, भ्रमित हो जाने, और दोषों को गिरपतार करने के प्रयत्न में असफल हो जाने पर पुलिस ने अपना ध्यान राजद्रोहात्मक साहित्य के उद्गम स्थान की ओर केन्द्रित किया। पुलिस लिबर्टी पत्र के सम्बंध में विक्षेप रूप से सतक थी कि जिसके एक गुप्त रूप से लोगों के पास भेजे जाते थे और समय समय पर सहर के भिन्न भिन्न भागों में दीवारों पर चिपकाए जाते थे।

१६ फरवरी, १९१४ को और उसके उपरान्त विभिन्न स्थानों पर अनेक मकानों की तलाशियां ली गईं। पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली द्वारा प्रेस एक्ट के अंतर्गत निवासों के आधार पर यह तलाशियां ली थीं। यह उत्तेजना फैलाने वाले साहित्य को जप्त करने के उद्देश्य से ली गई थीं। उस साहित्य का सम्बंध सरकार के इस बयान के द्वारा बंगाल से जोड़ने का प्रयत्न किया गया कि जो पत्रें जप्त किए गए थे उनकी प्रतियां राजा बाजार बम केस साक्षी के रूप में उपस्थित की गई थीं। भागे चलकर जो लोग देहली पड़्यत्र के मापल में अभियुक्तों के रूप में उपस्थित

उनमें से अधिकांश इन तलाशियों के समय गिरपतार किए गए थे।

यह ज्ञात हुआ कि 'लिबर्टी पत्र या तो जालवार से प्रकाशित होता है कम से कम उसके पहले दो अंक जाल धर में छपे थे या बलकत्ता से प्रकाशित होता है विशेषकर उसके तीसरे और चौथे अंक वहा से ही प्रकाशित हुए। उसके एक अंक में उसने उन बीरो की सूची प्रकाशित की जिन्हें हत्या के अपराध में फांसी दे दी गई थी अथवा जिन्हें हिंसात्मक अपराधों में सजा दी गई थी। उन व्यक्तिगणों के लिए लिखा गया था कि वे भगवान के कायकर्ता हैं और वे दबी प्रेरणा से दबी निर्दोषता में काम करते हैं। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ईश्वरीय काय करने में अभिरुचि होनी चाहिए। उस काय में जीवन को उत्सर्ग करना अनिवार्य है। उसके अंत में लिखा था " भगवान के अज्ञान वनों, मरों और अपने राष्ट्र का निर्माण करो।

— ब. देमातरम'

क्रांतिकारी दल की बंगाल और पंजाब शाखाओं को जोड़ने वाली कड़ी रास बिहारी बोस थे। उत्तर भारत में क्रांतिकारी संगठन में जीवन और सक्रियता उत्पन्न करने का श्रेय उन्हीं को था। रास बिहारी बोस द्वारा चलाए गए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था — इन हिंसात्मक वाण्डों के द्वारा जनता को जागृत कर यह तथ्य बताना है कि हम विदेशों की दासता के जुग में जी रहे हैं। जब जनता यह जान जायेगी कि हम दास हैं तो जनता में खुले विद्रोह की चाह मजबूत उठेगी।"

रास बिहारी केवल बंगाल और पंजाब में एक बड़ी का ही काम नहीं करते थे बल्कि वे समस्त उत्तर भारत में क्रांतिकारी कार्यों के संचालक भी थे। उन्होंने अपने कुछ सहकारियों को चुना था जो जितना भी कर्म न हो अभीम कष्ट उठाने के लिए तयार थे यहां तक कि वे बड़ी से बड़ी जोखिम भर्थात् मृत्यु का भी सामना निभय होकर करने की तयारी रखते थे।

उनमें से एक अवध बिहारी थे। उन्होंने लाहौर से ट्राल ट्रेनिंग कालेज में शिक्षा प्राप्त की थी परंतु वे देहली में रहते थे और १९०८ से अमीरखान के चनिष्ठ मित्र थे। वे १९१२ में रामबिहारी बोस से अप्रवाल आश्रम में मिले थे। अवध बिहारी को उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्रांतिकारी कार्यों का अध्यक्ष बनाया गया। उसका क्रांतिकारी संगठन के प्रत्येक विभाग में हाथ रहता था और कठिन से कठिन कार्य को बे सरलता से निवटा था। एक बार उन्होंने अपने एक मित्र को लिखा था—

'मृत्यु हर एक के लिए अनिवार्य है और हम एक बीर पुरुष की मृत्यु प्राप्त करेंगे। बंगाल की क्रांतिकारी भावना की पीढ़ी को पंजाब में हमें लगाना चाहिए।'

१९ फरवरी १९१४ को अवध बिहारी को गिरपतार कर लिया गया। उनके कमरे में 'लिबर्टी पत्र की वृत्तिप्रतिष्ठा, तलवार' पत्र की हस्तलिखित प्रति जो सब प्रथम १९ माघ १९१० को बलिन में प्रकाशित हुआ था। उसके मुख्य पृष्ठ पर मदनलाल घोषरा का चित्र था जो उन पत्र का आदेश और बीर पुरुष था एक हिंदी पुस्तिका की पाहुलिवि भी मिली जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए भिन्न प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में थी। उनके कमरे से एक प्रालेख भी प्राप्त हुआ जिसमें सभी घोरोपियनों को मार डालने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया था। अन्य वस्तुओं में बम की एक टोपी और पेट्रोल की एक बोतल भी तलाशी में मिली थी।

अमीरखान कुछ समय तक कनिष्ठ मिशन स्कूल में मास्टर रहे थे और

गिरफ्तारी के समय चर्खे वाला सम्स्कृत स्कूल के हैडमास्टर थे। वे सन "ईश्वर के कर्त्तामो के सबसे महत्वपूर्ण केन्द्रीय व्यक्ति थे। उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य तरणों को क्रांति धम की दीक्षा देना था। उनका अनुभव और उनकी प्रतिभा सगठन के लिए निस्संदेह एक बहुत मूल्यवान निधि थी।

अमीर चंद के मकान की तलाशी में एक विशेष प्रकार के भूरे रंग के कागज मिले कागजों में एक हिन्दी पुस्तक बिप के उपयोग पर प्राप्त हुई। कुछ प्रतिमा 'लिवर्टी' की और एक प्रलेख मिला जिसमें कुछ नामों की सूची उनके उपासकों सहित मिली और प्रत्येक नाम के सामने बणमाला का अक्षर लिखा हुआ था। स्थाना के नामों की एक सूची मिली जिनके सामने एक पक्षर लिखा था जो क्रांतिकारियों के मिलन के स्थान का द्योतक था। अमीर चंद के मकान को २० १०० और अवधविहारी के मकान को २० ४०० कहा जाता था। इसी प्रकार अयो के मकान के सकेत थे। अना पाई से समय का बोध होता था। एक हस्तलिखित लेख स्वतंत्रता का प्रेम' शीपक से मिला जिसमें सभी योरापियनों विशेषकर अग्रजों की हत्या करने के लिए कहा गया था। इसके प्रतिरिक्त और बहुत सा आपत्तिजनक साहित्य मिला।

दूमरे कमर में एक बिस्कुट का बाक्स भी मिला जिसमें कुछ कपास और उन थी जिस पर कुछ पीले छीटे थे। अमीर चंद और उनके भतीजे को १६ फरवरी १९१८ को गिरफ्तार किया गया।

बाल मुकुंद अवध विहारी के साथ विशेष रूप से राजद्रोहात्मक साहित्य को तयार करने और उसको बाटने के लिए नियुक्त किए गए थे और उनको बम फेंकने की शिक्षा दी गई थी। फरवरी १९१४ में बालमुकुंद ने जोधपुर में जहां वे राजघराने में निजी अयापक का काम करते थे वायसराय के निवास स्थान में प्रवेश या सकन के लिए पास प्राप्त करने का प्रयत्न किया परंतु वे उसमें सफल नहीं हुए। वे पंजाब और विशेषकर लाहौर के क्रांतिकारी कार्यों के लिए नियुक्त किए गए।

रासबिहारी बोस ने बालमुकुंद को वसंत कुमार विश्वास के लिए नौकरी ढूढने का दायित्व सौंपा था जिससे जब भी उसकी सेवाओं की आवश्यकता हो वह उपलब्ध रहे।

वसंत उपनाम बिचिनदास लाहौर की पापुलर डिस्सर्सरी 'सुतरामद' में नौकर था। बाल मुकुंद के प्रयत्नों से उसको यह नौकरी मिली थी वह अपने मालिकों के साथ और अपने कर्त्तव्य की प्रति लापरवाह नहीं था परंतु साथ ही वह अपने राजनीतिक नेता के कार्यों और योजना को कार्यान्वित करने के लिए सदैव समय और अवसर निकाल लेता था। वायसराय पर आक्रमण के समय में उसने बहुत प्रशमनीय काम किया था। वह अत्यंत चतुराई के साथ गिरफ्तारी से बच निकला कि वह 'नी है कि' उसका मुकामर चेहरा और छोटा कद स्त्रियों के वस्त्र पहन स्त्रिया का रूप धारण करने के लिए अत्यंत सुविधाजनक था। वह स्त्री के वेप में घादनी चौक में पंजाब नेशनल बक की इमारत में लडो स्त्रियों में मिल गया जो कि वायसराय की सवारी और जलूस देखने के लिए एकत्रित हुई थी। उसने कहा— उधर देखो। जब स्त्रिया उसके सुभाव पर जलूम के एक भाग की ओर देखने लगीं और उनका ध्यान उस ओर गया तो ऐसा कहा जाता है कि वह बिना किसी के देखे बम फेंकने में सफल हो गया। जब बम के धडाके से खलबली और भगदड़ मच गई तो वह फुर्ती से उस इमारत से लिपक कर बाहर निकल गया



और सड़न पर भोड़ म घामिल हो गया । X

अवध बिहारी व साथ उसकी गाड़न को मारने के लिए जुना गया था । यदि वह घम को उस माग म रखने की भूल न करता जिस पर वनब के योरोपियन सदस्य नहा जाते थे तो यह अपने कारनामा म एक श्रीर शानदार पृष्ठ जोड़ देता ।

बसंत विश्वास देहली व अपने पतृक गाव बगाल के नाटिया जिले के परागाचा गाव म अपने बाप का घाद—करने गया था जहां यह २३ फरवरी १९१४ को गिरपतार कर लिया गया ।

रासबिहारी बोम जा नि मुख्य अराराधियो म से थ उनका कही पता नहीं लगा उनका पकडवाने के लिए सरकार ने १४ मार्च १९१४ को ५०००) के पारितादिक की घोषणा कर दी । उह उद्गोपित अपराधी घोषित कर दिया गया और उनकी सारी जायदाद जब्त करली गई ।

एक गस्ती पत्र में उसकी आरुति का इम प्रकार वणन किया गया था " वह लगभग ३० वष की आयु का ह रग गोरा है और लम्बा है उसकी आरें बड़ी बड़ी हैं और उसके एक हाथ की तीसरी अगुली कड़ी है उस पर दुघटना म घाट का नेगान है ।" अभियोजन के साक्षियो म से एक ने जो कि देहली पडयत्र वेस म भेरी-साक्षी था कहा —

उसके शरीर की बनावट मजबूत है उमका रग न तो गारा है और न बहुत काला है । वह बगाल और पजाबी वेग भूग म बगाली या पजाबी लगता है जब उसे बल धारण कर लेता है बसा ही लाने लगता है । उसकी तीसरी अगुली में छोटे से घाव का चिह्न है जो कि पिछली बार बगाल जात समय रेल के डिब्बे में अगुली कुचल जान से लगा था । वह घाव चबत्री के आकार का है उसकी आरें चौड़ी हैं ।

१६ मार्च १९१४ को अमीरच अवधबिहारी बसंत विश्वास बालमुकद तथा अय सात अरारिया को देहली के मजिस्ट्रेट के समन मुकदमे के लिए उपस्थित किया गया । अभियुक्तों पर पडयत्र, राजद्रोह, हत्या, विस्फोटक पदार्थों को रखन के जुम लगाए गए । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एक समान दोषारोपण यह था कि उ होने हत्या करने के लिए पडयत्र किया और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे कानून के विरुद्ध गौली बारूद रखते थे । अभियोजको (पुलिस) का कहना यह था कि अभियुक्तों में से कतिपय ने घास्तव मे हत्या की है उदाहरण के लिए लाहौर में जबकि १७ मई १९१३ को एक अपराधी मारा गया । उनमें से कुछ पडयत्र के सदस्य थे जिनके पास ऐसा साहित्य था जिसमें लोगों को हत्या करने के लिए उकसाया गया था और जिसे वे बाटते थे ।

मजिस्ट्रेट ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो सख्या में ग्यारह थे हत्या तथा पडयत्र का अपराध स्थापित कर लिया । अमीरच बलमुकद और बसंत विश्वास पर विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत भी अपराध स्थापित किया गया तथा अवधबिहारी और बसंत विश्वास पर १७ मई १९१३ को अपराधी की हत्या का प्रमाण से अपराध लगाया गया । २० मई १९१४ को देहली सेशन में मुकदमा आरंभ हुआ बहुभ्रमित दोषारोपण इस प्रकार था —

कि तुमने अक्टोबर १९१० और मार्च १९१४ के बीच देहली तथा

X ( कुछ लोगों की भाषणा है कि जोराधरसिंह बारहट ने घम फेंका था—अनुवादक )

ब्रिटिश भारत के अन्ध स्वार्थों पर एक दूसरे से तथा अन्यो के साथ (भेद साक्षी प्रादि के साथ) जिनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है हत्या करने का पडयान किया (इण्डियन पनल कोड धारा ३०२) वह अपराध १७ मई १९१३ को लाहौर में (धारा ३०२ इण्डियन पनल कोड तथा १२०वीं उपधारा) घटित किया गया।

२५ मई को दोपारोपण में सघोषन किया गया। पडयान के स्थान पर 'सहमत' होना कर दिया गया।

५ अक्टूबर १९१४ को मुकदमे का फसला सुना दिया गया। अमीरचन्द और अवध बिहारी को २० वष का कालापानी विस्फोटक पदाथ रखने के जुम में सजा दे दी गई। बसंत विश्वास को उसकी कम आयु होने के कारण आजीवन काला पानी दिया गया। इसके अतिरिक्त अन्ध अपराध में अमीरचन्द अवध बिहारी और बाल मुकद को फासी की सजा दी गई।

अमीरचन्द, अवध बिहारी और बालमुकद की ओर से उस फैसले के विरुद्ध पंजाब की चीफकोर्ट में ५ अक्टूबर १९१४ को अपील की गई। अभियोजक (पुलिस) के वकील ने तीनों अभियुक्तों की सजा की पुष्टि करने और बसंत विश्वास की सजा को फासी की सजा के रूप में बढ़ाने की अपील की। उसके सम्बन्ध में कहा गया कि उसकी आयु २२ वष की है और वह जो कृत्य कर रहा था उसके परिणामा से भली भाँति अवगत था। १० फरवरी, १९११ को सभी अभियुक्तों जिनमें बसंत विश्वास भी था, को फासी की सजा दे दी गई अन्य तीन को अलग अलग समय के लिए कारावास का दण्ड दिया गया।

अभियुक्ता की ओर से भारत सचिव से यह प्रार्थना की गई कि वह कुछ समय के लिए फासी को रूखा दे जिससे कि फासी की सजा वाले अभियुक्त प्रिवी काउन्सिल में अपील कर सकें। १ मार्च १९१५ को भारत सचिव ने उस प्रार्थना को भस्वीकार कर दिया।

अभियुक्तों के पास समय और साधना की अत्यन्त कमी थी फिर भी किसी प्रकार उद्धाने प्रिवी काउन्सिल से अपील की। प्रिवी काउन्सिल की 'याचिक समिति' ने उनकी अपील अस्वीकार कर दी। प्रिवी काउन्सिल के फैसले की सूचना २९ अप्रैल, १९१५ को भारत पहुँची, सरकार ने उनिक भी देरी नहीं की और चारों अमीरचन्द, बालमुकद, अवधबिहारी को देहली जेल में और बसंत विश्वास को अम्बाला जेल में ११ मई १९१५ को फासी दे दी गई (लाहौर की एक सूचना जो १४ मई, १९१५ के 'पापनियर' में प्रकाशित हुई थी उसमें कहा गया—उभी अर्थात् चारों अपराधियों को फासी दे दी गई।)

भारत के ये चार वीर जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों के सामने भी अडिग निष्ठा के साथ देश को स्वतन्त्र कराने का काय किया था उ होने अपने जीवन का, साथ साथ फाँसी के तख्ते पर बलिदान भी कर दिया और वे सहोदो के स्वर्ग में राष्ट्र की भरीम और अमर कृतज्ञता का उपभोग करने चले गए।

यद्यपि दुनियाँ उनके सम्बन्ध में अधिक नहीं जानती परन्तु देहली पडयान के सम्बन्ध में एक मूक शहीद की गाथा को उनके त्याग और बलिदान के योग्य श्रद्धा से लिख देना आवश्यक है। बाल मुकद ने अपने देश प्रेम के अपराध में देश के कानून के अन्तर्गत जो सर्वोच्च दण्ड था, प्राप्त किया था। जब उनकी फाँसी की सूचना उनके

घर पहुँची तो उनकी निष्ठावात पत्नी रामरखी ने सबों के बहुत मना करने और मनाने पर भी उ होने भोजन लेना और जल पीना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में वे मृत पर मुस्कान लिए और अपने पावित्र्य जीवन के अन्तिम दिनों में सभी हितचिन्तियों के आशीर्वाद के साथ अपने पति के पदचिह्नों पर पर रखती हुई चली गई।

वे धन्य हैं उनका नाम प्रत्येक देशभक्त भारतीय को अनन्तवास तक प्रेरणा देता रहेगा।

### शांति बलिदान (१९१३)

नासिक पट्टणों के मामलों में से एक में बहुत बड़ी सख्या में प्रातिकारी देशभक्तों को सजा हुई थी उनमें से एक "सखाराम दादाजी गोरे थे"। उनको पाँच वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था। वे एक ऐसे जल में रक्ते गए जहाँ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। उनको फेफड़े का रोग अर्थात् प्रोकाइटिस हो गई और १२ फरवरी १९१३ को उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। (इतिहासमन फरवरी, १४ १९१३) उ होने देश के सामने देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चुपचाप अपने जीवन की मातृभूमि की बलिबेदी पर चढ़ाने का आदर्श उपस्थापित किया।

### खेदजनक घटना (१९१३-१९१५)

दाहबाद जिले के बिया और सब डिवीजन में निमेज की घटना का राजनीतिक स्वरूप केवल उसके उद्देश्य से ही जाना जा सकता है। पट्टण का एक प्रमुख अभियुक्त अपने अनुयायियों को यह उपदेश देता रहता था कि जा भी काय यहाँ तक कि डाका भी स्वराज्य के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सहायक हो तो वह "यायोचित" है। एक दूसरा अभियुक्त एक ऐसे व्यक्ति से निरन्तर सम्बन्ध रखता था कि जो देहली पट्टण के प्रतिष्ठित श्री अमीरचंद का बहुत घनिष्ठ मित्र था।

उस इलाके में यह कहानी बहुत ज़ोरों से फनी हुई थी कि निमेज के महिदर के महंत ने अपार धनराशि संचित की है और सारा का सारा धन आश्रम में ही खर्च कर रखता है। २० मार्च १९१३ को मोतीचंद ने अपने चार साथियों को लेकर महिदर पर आक्रमण कर दिया। महिदर भगवानदास ने आक्रमणकारियों का मुकाबला किया उस संधप में महिदर भगवानदास मारा गया। उसका मौकुर बसीघर जो बीस वर्ष से बहुत कम उम्र का लड़का था उसकी उन लोगों ने हत्या कर दी जिससे कि उस अपराध का कोई साक्ष्य न रहे। आक्रमणकारियों को बहुत कम सम्पत्ति हाथ लगी। वह इतने भ्रम में और संधप की तुलना में लगभग थी। विशेषकर जबकि हम देखते हैं कि उस काण्ड में दो निर्दोष जानें नष्ट हो गईं तो उस थोड़े धन की व्ययता और भी स्पष्ट हो जाती है।

उस घटना के सम्बन्ध में उस समय कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ महीनों के उपरान्त मुख्य अभियुक्त का नाम एक दूसरे राजनीतिक मुकदमे में प्रमुख रूप से उभर कर प्रकाश में आया और उन हत्याओं के सम्बन्ध में सब जानकारी पुलिस को प्राप्त हो गई। मोतीचंद और उसके मित्र गिरफ्तार हो गए और उनके विरुद्ध हत्या और डाका डालने का मुकदमा शुरू हो गया। प्रारम्भिक जांच के उपरान्त अभियुक्तों को ७ जुलाई को सेशन सुपुद कर दिया गया। ५ अक्टूबर १९१४ को मोतीचंद को प्राण दण्ड दे दिया गया और उनके एक साथी को लम्बे समय के लिए कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। दूसरे को दस वर्ष का काला पानी मिला। २५ जनवरी,

१९१५ को उच्च न्यायालय ने मृत्यु दण्ड की पुष्टि कर दी ।

मोनीच इ ने प्रिवी काऊंसिल में अपील की परंतु प्रिवी काऊंसिल की न्यायिक समिति ने उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया उसी महीने में उनको फाँसी दे दी गई ।

### एक असावधानी का कृत्य (१९१२-१३)

२७ मार्च १९१३ को सिलहट के मौलवी बाजार में एक भयंकर घडाका सायकल ७१ बजे सुनाई दिया । दूसरे दिन प्रातः वहाँ के एस डी ओ श्री गाडन के बगले के बम्पाऊड की बाऊडरी के पास एक घब जो छिन्न भिन्न हो गया था और पहचाना नहीं जा सकता था पडा मिला । वह एक सभ्रान बगाली लगता था । उसके शरीर पर जनेऊ था उससे पता चला था कि वह जाति का ब्राह्मण था ।

मृतक का बाया हाथ कलाई तक और कुछ सीधे हाथ की अंगुलियाँ घड़ाके के साथ उड गई थी उनको खोजा नहीं जा सका । उसकी दाहिनी जाघ भी नष्ट हो गई थी मांस और हड्डियाँ इत्यादि केवल एक मास का लोथड़ा बन कर रह गई थी । समस्त शरीर पर अनेक भयंकर घाव थे वह दृश्य अत्यन्त भयानक और मन को क्षुब्ध करने वाला था । उसकी छाती और पेट में अनेक घाव थे उसके बाईं ओर का चेहरा बुरी तरह से विकृत हो गया था ।

मृतक एक कोट, एक कमीज एक गजी और एक शाल पहने था । कोट की जेब में एक भरा हुआ रिवाल्वर था और कुछ फाततू कारतूस भी थे, दो डक के लिफाफे, कुछ कौरे कागज और एक पेंसिल थी ।

एक दूसरा भरा हुआ रिवाल्वर कुछ दूरी पर पडा मिला । ऐसा प्रतीत होता था कि मृतक एक हाथ में बम और एक हाथ में रिवाल्वर लिए हुए था । घड़ाके के कारण रिवाल्वर उड गया ।

छाती की जेब में कुछ रुपए मिले । उनमें से कुछ में छेद हो गए थे जैसे किसी ने स्क्रू छेद कर दिए हों । यह उस काड के प्रभाव के कारण हो गया ।

यह भी पता हुआ कि एक पिस्तौल नया है और दूसरे का पुराना मॉडल है । फूटा हुआ बम ठीक वसा ही था जसा कि वायसराय लाड हार्डिंग पर फँका गया था ।

ऐसा अनुभव होता था कि गाडन को अपने बगले में न पाकर वह युवक सर्किट हाऊस की ओर गया जहाँ गाडन के होने की सम्भावना थी क्योंकि वहाँ रात्रि को एक डिनर होने वाला था । गाडन वहाँ भी नहीं था ।

वह वहाँ से जल्दी ही चापिस लौटा और गाडन के बगले में घुमने की जल्दी में उसने तारों को फनागना चाहा उसके कारण वह भूमि पर गिर गया गिरने से जो बम उसके हाथ में था वह फट गया और उसका घातक परिणाम हुआ ।

बहुत समय तक खोज बोन करने पर भी पुलिस उस युवक को पहचान नहीं सकी ।

इस प्रयत्न के पीछे एक कहानी थी । गाडन ने अपने को सबों की घणा का पात्र बना लिया था क्योंकि वह जिनके सबध में तनिक भी सदेह करता कि उनका सबध कानून को अवना से और उसके प्रशासनिक अनुशासन को भंग करने से है उनके साथ वह अत्यन्त बबरतापूर्ण अमानुषिक व्यवहार करता था किसी ने उसको यह सूचना दी कि सिलचर का जगतसी आश्रम राजनीतिक कायवाहिया का केन्द्र बन गया है और आश्रम





के भयस ही यह घोषणा करती है कि उसे ब्रिटिश शासन में तनिक भी थदा है। इसके प्रतिरिक्त यह भी कहा गया कि ३० जून १९१२ को उसने सरकार के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। गाडन के पास न तो इतना समय था न उसकी इच्छा ही थी कि वह उस मामले का बारीकी से अध्ययन करता। तुरंत ही बिना समझे वृद्धे मन में यह दृढ निश्चय कर लिया कि वह उस आश्रम नष्ट कर देगा और आश्रमवासियों को तितर बितर कर देगा उसकी योजना आश्रमवासियों तथा स्थानीय नागरिकों का भातकित करके वह उस आश्रम को कर देगा। क्योंकि अधिकार स्थानीय जनता उस आश्रम के प्रति भक्ति करता थी।

यह अपने क्रोध का प्रदर्शन करने का अवसर खोज ही रहा था कि उसे विश्व एक सज्जन की इस भांग्य की सुविधाजनक शिक्षायत आ गई कि उसके भाई का आश्रम वालों ने उड़ाकर बलपूर्वक आश्रम में रोक रखा है। यह गिब उसके लिए बहुत अच्छा बहाना थी। तुरंत ही आश्रम वालों की तलाशी लेन की लहवे को आश्रम से निकाल लेने की आना निकाली गई। पुलिस अपने ढंग से करना चाहती थी। पुलिस ने ऐसा प्रचारित किया कि ६ जुलाई को आश्रमवासियों ने तलाशी का विरोध किया और उसमें हकावट डालने का प्रयत्न किया। दूसरे दिन रात जुलाई को सहायक सुपरिटेण्डेंट पुलिस द्वारा सशस्त्र पुलिस के साथ आश्रम के और आश्रमवासियों पर लाठी और सगीनों का खुलकर प्रहार किया गया पुलिस ने गोनी भी चलाई। महेंद्रनाथ डे जो योगानन्द के नाम से प्रसिद्ध थे (ए कत्ता) विश्वविद्यालय के एम ए थी एम सी डे) तलाशी के समय पुलिस की ग लगने से बलकें में हो गए।

आश्रमवासियों को सौचते की मैं वास लोट आया परंतु उहोने जा कुछ आ न मिल सवी।

### एक उत्तरेखनीय शिकार (१९१४)

गुप्तचर विभाग कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच के इन्स्पेक्टर नयेन्द्रनाथ घोष । हत्या अवश्य ही एक प्रतिभापूरण और चतुराई का काय था और वह प्रातिकारियों के प्रारम्भिक स्तर पर राजनीतिक कार्यों की जिनम पुलिस अपसरो की हत्या करने का प्रयत्न किया गया एक भारी विजय और सफलता थी।

१९ जनवरी, १९१४ को लगभग आठ बजे सायंकाल जबकि ग्रन्ट्रोट ग्री बितपुर रोड के मिलन स्थान पर बदल चलने वालों तथा सवारियों की बहुत भीड थी उस समय सड़क के सोवा बाजार के कोने में नृपेन्द्र को किसी ने गोली से मार दिया जहा यह घटना हुई थी वह कुमार तुली पुलिस स्टेशन से केवल सौ गज की दूरी पर थी। सड़क पर जो भारी भीड थी उसके कारण मारने वाले को उसे मारकर भीड में मिल जाने और उसके पहचाने जाने, गिरफ्तार होने से बचने की विशेष सुविधा और अवसर मिल गया।

नृपेन्द्र न गुप्तचर विभाग के मुख्य कार्यालय में जो एलीसियन में स्थित था अपना दिन भर का काय समाप्त किया और लगभग ७ ४५ पर वह ट्राम द्वारा अपने घर की ओर चला। ट्राम से उतरते उसे देर नही हुई थी कि मारने वाला जो उसका पूरी मात्रा में निकट से पीछा कर रहा होगा ट्रैलर कार से कूदा उसने रिवॉल्वर निकाला





## चौथा अध्याय

प्रथम महायुद्ध के आसपास  
(१९१४-२२)

एक अप्रत्याशित सफलता

पूर्वीय बंगाल में भूले भटवे पड़ने वाली राजनीतिक इर्दगिर्दों कातिकारी विस्फोटक की अग्नि को प्रज्वलित रण रही थीं और सरकारी अधिकारियों के प्राणों पर आक्रमण बहुत कम हो गए थे।

इस समय का उपयोग उन कातिकारी नेताओं ने जो भारत में थे और जो उस समय विदेशों में विपक्षीय जर्मनी में रहते थे एक विस्तृत क्षेत्र में कातिकारी कार्यवाही की योजना के तयार करने में किया। जिसकी प्रहार करने की शक्ति अधिक थी। ऐसे धर्म से कातिकारी कूटनीति नेता थे जो कि कूटनीतिक तनाव की बिगड़ती हुई स्थिति से अविष्य भं यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में युद्ध छिड़ जान की सम्भावनाओं को देख सकते थे। ने कातिकारी नेता सावधान हो गए और उनसे पास जो बहुत छोटे और सीमित साधन उपलब्ध थे उनके द्वारा उन शक्तियों को इकट्ठा करने तथा उनका संगठन करने में लग गए जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर प्रहार कर सकती।

कातिकारी दल की सन्ध्या के रूप में तथा सक्रिय समयकों के रूप में चाहे जितनी भी मानवीय शक्ति क्या न हो उनके पास साजों की बहुत कमी थी जिनके द्वारा वे सन्ध के अन्तर्गत सुरक्षित और महत्वपूर्ण स्थानों पर आक्रमण कर सकते। सन्धों और गोली बाह्य प्राप्त करने के स्रोत बहुत ही कम थे। उनको प्राप्त करने में जोखिम बहुत अधिक था और उनका मूल्य इतना अधिक था कि उनको प्राप्त कर सक्ना कठिन था।

उस समय तकालीन महत्व की एक ऐसी घटना घटी कि जिससे कि कम से कम समय के लिए यह कठिन समस्या हल होगई। बलकत्ता की मेमर्स रोड एण्ड कम्पनी ने जो बंदूक बनाने का काम करती थी विदेश में कारना के लिए आर्डर दिया और अगस्त १९१४ के तीसरे सप्ताह में २०२ पेटियों में भरे हुए शस्त्र बलकत्ता बंदरगाह में टीक तरह से पहुँच गए। कम्पनी का एक कर्मचारी २६ अगस्त १९१४ को बस्टम से माल छुड़ाने के लिए नियुक्त किया गया। प्रथम बार में उसने १६२ बस्तों की बिलिवरी ली और पुन वह आफिस से शेष दम की डिब्बीवरी लाने गया। पर तु वह लौट कर युक्त सगत समय में जब वापस नहीं आया तो कम्पनी ने पुलिस को सूचना दी। यह सूचना पाकर पुलिस ने उसकी खोज में बहुत दौड़ भाग की पर तु उसका पता लगाने में असफल रही। मुम हुए फिसा में पचास मौजर पिस्तौल थे और उनके लिए छिपावलीस हजार (४६०००) राऊड गोलिया थी। पिस्तौल बड़े आकार के ०३०० बोर के थे। उनकी बनावट इस तरह की थी और उनका इस प्रकार पैक किया गया था कि यदि उसकी मूठ पर जिसमें पिस्तौल रहता था उस बाक्स को सटा दिया जाय तो एक ऐसा शस्त्र बन जाता था कि जिसको उसी तरह जिस तरह राइफल को खताया जाता है वैसे से

बलाया जा सकता था।" (सेडीघान कमेटी रिपोर्ट १९१८, पृष्ठ ६६)

इस प्रकार जो पिस्तौल और कारतूस मिले उससे क्रांतिकारियों की दस्तों की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी हो गई। क्रांतिकारियों को जो बहुत बड़ी संख्या में कारतूस प्राप्त हुए उन्हें जब भी पिस्तौल को काम में लाने की आवश्यकता पड़ी स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी हिचक के काम में लाया गया। इस घटना के उपरांत शायद ही ऐसी कोई राजनीतिक हत्या या अन्य हिंसक कार्य हुआ होगा जिसमें मौजर पिस्तौल का उपयोग न हुआ हो। क्रांतिकारियों के दुर्भाग्यवश २६ फरवरी १९१५ तक पुलिस ने २३ ००० राउंड कारतूस तथा १९१८ के मध्य तक ३१ पिस्तौल विभिन्न स्थानों से बरामद कर लिए।

भारत जर्मन गुप्त प्लान (१९१४-१८)

जर्मनी का इंग्लैंड के साथ युद्ध छिड़ने के बहुत पहले ही जर्मनी के कूटनीतिज्ञ भारत में राजनीतिक प्रशांति और हिंसात्मक कार्यों के विस्फोट को ध्यान और आशा के साथ देख रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में राजनीतिक प्रशांति उत्पन्न करके उसको भारत में बहुत अधिक सेना को रखने के लिए विवश कर दिया जाय। जिससे कि जब जर्मनी से युद्ध छिड़े तो इंग्लैंड भारतीय सेना को युद्ध क्षेत्र में न भेज सके। इस सम्बन्ध में जब जर्मन सरकार की भारतीय क्रांतिकारियों में बातचीत हुई तो भारत की स्वतंत्रता का प्रश्न सर्वोपरि था। जर्मनी की सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के प्रयत्न के लिए पूर्ण समर्थन और सहायता देने का आश्वासन दिया।

१९११ में ही कुछ भारतीय युवक जो क्रांतिकारी विचारों के थे बलिन अथवा उसके आस पास रहते थे। वे भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने की बात सोच रहे थे। जब उन्हें जर्मन सरकार की इस विचारधारा का ज्ञान पता लगा तो उन्होंने जर्मनी को इस रूप में सहायता देने के लिए कि जो दोनों के लिए लाभदायक हो और भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को सहायता देने के लिए औपचारिक रूप से जर्मन सरकार के सामने अपने प्रस्ताव रखे। लाला हरदयाल इन प्रस्तावकर्ताओं में प्रमुख थे। उन्होंने इस नए क्रांतिकारी आन्दोलन का श्रीगणेश किया और उसमें पूरी तरह लग गए। जब उन्होंने योरोप से समुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया तो उनके पास परिस्थिति का पूरा चित्र उपस्थित था।

व अग्रे १९११ में समुक्त राज्य अमेरिका पहुँचे। उन्हें वहाँ यह देखकर बहुत मत्तोप हुआ कि उनसे जैसे विचार वाले युवक ने वहाँ एक सुन्दर और सबल संगठन पहले से ही बना रखा था जिसके द्वारा वे समान उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते थे।

नया पथ—जब इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो इससे भारतीय क्रांतिकारियों के लिए अपनी कार्यवाही को अधिक सतेज बनाने का नया भाग मिला गया। उन्होंने जर्मन सरकार से अपने उद्देश्य में सहायता पहुँचाने के लिए प्रायत्न करने में क्षण भर की भी देर नहीं की।

उस समय तक जर्मन सरकार को प्रत्येक भारतीय क्रांतिकारी जो जर्मनी में रह रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी और भारत में अतिशय घासन

के सम्बन्ध में उसके क्या विचार हैं उसमें भी जर्मन सरकार ध्वगत हो चुकी थी। उन भारतीय प्रातिकारियों ने जर्मनी के वदेशिक विभाग में सम्पर्क स्थापित किया और उसको वे यह विद्वानग दिल देने में मजबूत हो गए कि वे विदेशियों को भारत में निकाल बाहर करने के लिए तैयार और कटिबद्ध हैं। उन्होंने जर्मन सरकार के वदेशिक विभाग से भारत के स्वतन्त्र युद्ध के लिए सभी सम्भावित सहायता देने का यत्न प्राप्त कर लिया।

भारतीय क्रांतिकारी जो भी घातके हरम तथा घमघसानों के रूप में जर्मनी सरकार से सहायता प्राप्त करने उनके उत्तरे जर्मनी की विभीषण से घबरा नहीं चाहते थे। यह उनके स्वभिमान के विरुद्ध था। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा जिसे जर्मनी के वदेशिक विभाग ने स्वीकार कर लिया कि भारत के प्रातिकारी जो भी सहायता जर्मनी में लगे वह श्रुत स्वहृद होगी जिसे स्वतन्त्र भारत की सरकार भविष्य में चुका देगी।

जर्मनी के वदेशिक विभाग ने यह भी स्वीकार कर लिया कि वह अपने हीनो खूब बटाविया मैनिता, इत्यादि दादासों को यह आदेश दे देगा कि वह भारत के स्वतन्त्रता के प्रयत्न को उसी तत्परता और लगन से सहायता पहुँचावे जसी ठापरठा और लगन से वे जर्मनी का काय करते हैं। उन्हें भारतीयों द्वारा पृष्ठों के विभिन्न भागों में प्रातिकारी केन्द्र स्थापित करने में सहायता पहुँचानी तथा उन सभी बिलदे हुए व्यक्तियों और हस्तों को एक सूत्र में संगठित करने के लिए सहायता करनी होगी जो भारत को स्वतन्त्र बना के प्रयत्न में लगे हुए हैं। यह प्रयत्न किया गया कि विभिन्न इकाइयों को एक आन्दोलन से सम्बद्ध कर दिया जावे जिससे कि क्षमतावान प्रातिकारी इकाई का निर्माण हो जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्थित सेना में तथा युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारम्भिक गिरावियों में विशेष पलायन हो।

एक प्रमुख भारतीय प्रातिकारी को काय सौगा गया कि जिन भारतीय सैनिकों को जर्मनी युद्ध में पकड़ने उन्हें ब्रिटिश सेना में हटा कर तथा ब्रिटिश शासन की भक्ति और निष्ठा में पृथक् कर प्रातिकारी सेना में भर्ती कर ले। इस बात की भी व्यवस्था की गई कि युद्ध के समाचार संपादन के समय, बरफा सोपा पर गुप्त रूप से बर्तन घाफिस कोड की सहायता से भारत में भेजे जाव। इस काय का भार जिस व्यक्ति को सौगा गया उसे बर्तन घाफिस कोड पहले ही दे दिया गया था।

इस प्रकार जर्मनी का सन्धिगत रुढ़ आधार पर स्थापित किया गया। समस्त याना के निष्ठा ब्रिटिश सन्धिगत स्वयं जर्मन सम्राट वसर ने की और उसको कार्यायित बर्तन वदेशिक विभाग ने गुप्त एजेण्टों के द्वारा किया। सान फ्रांसिस्को में जर्मन कौमिस १० द्वारा एक बर्तन युद्ध कोड में इस काय के लिए धन देने का निश्चय हुआ। भारत के लिए यह गौरव और सानकार वान थी कि स्वतन्त्रता संधाम के सैनिकों में जो विदेशों में जाति घम प्रादेशिक हलीय किसी तरह का भेद भाव नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने स्वयं अथवा व्यक्तित्व को एक सामान्य संगठन में समाहित कर दिया जिसमें कि वह संगठन पूरे विश्वास के साथ और एक राष्ट्र की ऊँची भावना से श्रोत प्रोत्साहन देना की स्वतन्त्रता के लिए कार्य कर सके। उस समय भारतीय प्रातिकारियों को एक और सुविधा यह थी कि भारतीय

मुस्लिम जनता का उनके आगोलन की समयन मिलना लगभग निश्चित था क्योंकि तुर्की के सुल्तान न यद्यपि तब तक खुले रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी परन्तु वह जर्मन सरकार के सन्तुष्टों के विरुद्ध पूरी सहायता देने को तैयार था।

संगठन का ढांचा—सितम्बर १९१४ में ज्यूरिख में एक अन्तर्राष्ट्रीय "भारत समर्थक समिति" ( Pro Indian Committee ) संगठन स्थापित किया गया। उसके अध्यक्ष ने स्थानीय जर्मन कौमिल से प्रार्थना की—वह उसको जर्मनी में ब्रिटिश विरोधी साहित्य प्रकाशित करने की आज्ञा प्राप्त करे। दूसरे मास वह ज्यूरिख से बर्लिन गए। वहां उनके जाने का उद्देश्य विदेशी विभाग के अंतर्गत काम करना और तत्काल सन फ्रांसिस्को की गदर पार्टी के सदस्यों को साथ लेकर भारतीय राष्ट्रीय दल" (Indian National Party) स्थापित करना था।

एक दूसरे भारतीय क्रांतिकारियों के समूह ने बर्लिन में १९१४ के अंत में इण्डियन इंडिपेंडेंस कमेटी (भारतीय स्वतन्त्रता समिति) की स्थापना की। समिति ने पहला काम यह किया कि एक घोषणा पत्र निकाल कर जापान की मित्र राष्ट्रों का साथ देने की बटु आलोचना की और जर्मनी के प्रति गहरी सहानुभूति प्रदर्शित की। घोषणापत्र निकालने के कुछ ही समय बाद जर्मन अधिकारियों से महत्वपूर्ण वार्ता हुई। जर्मन अधिकारियों ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रस्तावों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और बताया हुए उग से काम आरम्भ हो गया।

#### कार्य की योजना

जब जर्मन अधिकारियों से हठ सम्बन्ध स्थापित हो गया तो यह आवश्यक समझा गया कि भारत में स्वतन्त्रता के लिए युद्ध करने वालों की सहायता भी जावे। सबसे पहले यह आवश्यक समझा गया और जो समझौता जर्मनी से किया गया था उसमें यह प्रावधान भी था कि भारत को गोली बंदूक और अस्त्र दस्त्र भेजे जावें। जर्मन ने सना की कहा गया कि वह अपनी सुविधानुसार पर तु सीप ही अस्त्र दस्त्र तथा गोली बाण्ड को भे जावे और भारतीय क्रांतिकारियों को पहुँचाने का प्रयत्न करे। यह स्पष्ट था कि जर्मनी का सरकार की योजना यह थी कि भारतीयों को भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने में सहायता पहुँचाये और मध्य योरोप के देशों पर इंग्लैंड जो आक्रमण करने की तैयारियाँ कर रहा है उसमें बाधा पहुँचाये। भारत पर दो और से आक्रमण करने की योजना थी। क्रांतिकारी लोग मॉन्गोल, चीन, जापान, बोरनियों और श्याम हाकर बरमा पहुँच। पश्चिम में योजना यह थी कि स्वेडन नहर पर अधिकार कर लिया जाय और फारस और अफगानिस्तान होकर भारत की पश्चिमी सीमा पर पहुँचा जावे। मुस्लिम असतोप के आधार पर जो योजना तैयार की गई उसका सद्य पश्चिमोत्तर सीमा प्राप्त की और था कि तु दूसरी योजना सन फ्रांसिस्को की गदर पार्टी के तथा बंगाली क्रांतिकारियों के सहयोग पर आधारित थी उसके केन्द्र बेंगलूर और बटाविया में थे। बंगाली योजना गदर पार्टी के वानस आए हुए सिक्कों को सौंप दी गई और बटाविया की योजना बंगाली क्रांतिकारियों के जिम्मे दे दी गई। दोनों ही योजनाएँ सघाई स्थित जर्मन वातल को सामान्य निर्देशन में रखी गई जो कि वाशिगटन स्थित जर्मन दूतावास की आज्ञानुसार काम करता था।

सद्वृत्त राज्य समोरका में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों ( गदर )

से नियमित संपक स्थापित कर सकना बहुत कठिन था। अतएव स्वीकृत योजना के अनुसार उनमें से कुछ बलिदान मंगाए गए। उनमें से दो या तीन को वापस भारत में भेजा गया कि वे भारतीय सहकर्मी क्रांतिकारियों को इस बात की सूचना दे दें कि सुदूर विदेशों में भारत के हितों के अनुकूल घटनाएँ घट रही हैं और जर्मन सरकार भारत की स्वतंत्रता के लिए सहायता दे रही है।

१९१५ तक "भारतीय स्वतंत्रता समिति" (इंडियन इम्पियल कमेटी) विदेशी प्रभाव से सवधा स्वतंत्र होकर अपने ढंग और अपनी स्वतंत्र योजना के अनुसार काम करने लगी।

वास्तव में कतिपय भारतीयों के लिए जो कि अधिक प्रसिद्ध नहीं थे सुदूर विदेशों में एक क्रांतिकारी संगठन को स्थापित कर उसका संचालन करना बड़े साहस और जीवट का काम था। कमेटी ने भ्रम यह निश्चय किया कि पृथ्वी भर में जहाँ भी क्रांतिकारी कार्यकर्ता फले हैं उनसे सम्पर्क स्थापित किया जावे।

बंगाल में जो क्रांतिकारी कार्यवाहियों का विस्फोट हुआ वह बहुत हद तक बलिदान कमेटी द्वारा क्रांतिकारी कार्यवाहियों को अधिक गहरा और सतैज करने का परिणाम ही था। समुक्त राज्य में स्थापित गदर पार्टी ने अपने सदस्यवाहक जर्मनी भेजे और उन दोनों संगठनों में जो सम्पर्क स्थापित हुआ। उससे दोनों देशों में क्रांतिकारी कार्य को बहुत बल मिला।

बंगाल का प्रयत्न — भारत में और विशेषकर बंगाल में क्रांतिकारी गति १९१५ के आरम्भिक दिनों में मिले और उन्होंने जर्मनी की सहायता से भारत में विद्रोह भड़काने की योजना को अंतिम रूप दिया। बंगाल के क्रांतिकारी संगठन से श्याम तथा अन्य स्थानों के भारतीय क्रांतिकारियों का सम्पर्क स्थापित हो गया और उन लोगों ने विद्रोह की कार्यवाही करने के लिए जर्मनी से भी सम्पर्क स्थापित कर लिया। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों में बहुत अधिक तेजी आ गई थी। क्रांतिकारी कार्यकर्ता बटाविया, धनकाक जापान श्याम और बरमा में आ जा रहे थे। बंगाल के गदर और उसके पड़ोसी प्रांत उड़ीसा में जर्मनी द्वारा भेजे जाने वाले अस्त्र वास्त्रों को विभिन्न स्थानों पर प्राप्त करने का उचित प्रयत्न कर लिया गया।

### मध्यपूर्व

बलिदान कमेटी को पश्चिम एशिया में अपनी कार्यवाहियों का विस्तार करना आवश्यक प्रतीत हुआ। उन्होंने फारस के क्रांतिकारियों से इस उद्देश्य से सम्पर्क स्थापित किया कि वे उनकी सहायता से भारत पहुँचने के लिए बिना किसी जोखिम के माग पा जायें। जा लोग बलिदान कमेटी के इस मिशन के साथ फारस आए उन्हें उन लोगों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई जो उनके विचारों के ही थे और उनसे पहले ही बहा पहुँच कर, वहाँ की परिस्थिति का अध्ययन कर अपने ढंग से ही कार्य कर रहे थे।

माघ, १९१५ में भारतीय क्रांतिकारी तुर्की पहुँचे और उन्होंने अपने को दो समूहों में बाँट लिया एक समूह फारस होकर बगदाद जाने वाला था दूसरा समूह स्वेज होकर दमिस्क जाने वाला था। ३ नवम्बर, १९१४ को तुर्की युद्ध में सम्मिलित हो गया और इसमें गदर समाचार पत्र ने बहुत प्रशसनीय कार्य किया। सम्पादकीय लेखों और समाचारों सम्बन्धी दिप्पणियों के प्रतिरिक्त इस पत्र में गरम हल के मिस्री

नेताओं के लेख भी समय समय पर प्रकाशित होते थे ।

२० नवम्बर १९१४ के अंक में अनवर पाशा के नीचे लिखे भाषण को पत्र ने बहुत महत्व देकर प्रमुख स्थान पर छापा — 'यह अनुकूल अवसर है कि जब हिन्दुस्तान में 'गदर' की घोषणा कर देनी चाहिए अंग्रेजों के साम्राज्य को लूट लेना चाहिए उनके अस्त्र शस्त्रों पर कब्जा कर लेना चाहिए और उनसे अंग्रेजों को समाप्त कर डालना चाहिए। भारतीयों की सरण बत्तीस करोड़ है अंग्रेज केवल दो लाख हैं। उनके पास कोई सेना नहीं है। स्वेज नहर का सीध ही तुम्हें बंद कर देंगे। जो भी अपने देश और मातृभूमि को स्वतंत्र करने में मर जावेंगे वे सदा के लिए अमर हो जावेंगे। हिन्दुओं और मुसलमानों, तुम दोनों ही स्वतंत्रता की सेना के सैनिक हो और भाई भाई हो। यह नीच और अतीत अंग्रेज तुम्हारे शत्रु हैं। जिहाद की घोषणा करके तुम्हें गाजी बन जाना चाहिए और अपने भाइयों के साथ इस स्वातंत्रता के युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए। अंग्रेजों को मार डालो और भारत को स्वतंत्र करो। (रिपोट भाव दी सेडीशन कमेटी पृष्ठ १६६)

१९१५ के आरम्भ में कतिपय प्रमुख क्रांतिकारी कास्टनटिनोपिल पहुँचे। जो भारतीय सैनिक वहाँ के पास मसोपोटामिया पर आक्रमण करने के लिए जमा थे उनमें क्रांतिकारी साहित्य के द्वारा प्रवेश किया गया। और उनमें से बड़ी संख्या में सैनिकों ने ब्रिटिश सेना को छोड़ दिया और क्रांतिकारियों के साथ हो गए।

सीरिया को भी नहीं छोड़ा गया दल के एक दो सदस्य वहाँ भी गए। ईजिप्ट को विद्रोह और क्रांति के लिए अधिक उपयुक्त स्थान समझा गया वहाँ बड़ी संख्या में ईरानी सैनिक मौजूद थे। प्रत्येक स्थान पर क्रांतिकारियों द्वारा विद्रोह की चिन्तना पहुँचाने में उन्हें अपने जीवन को भयकर खतरे में डालना पड़ता था। अंग्रेजों की गुप्तचर सेवा बहुत कुशल और सक्षम थी। उन्होंने अपने सम्पूर्ण साम्राज्य में और उन देशों में जो परिस्थितिवश उनके प्रभाव में आ गए थे गुप्तचरों का जाल बिछा दिया था और सैनिकों की चौकियाँ स्थापित कर दी थीं।

गदर पार्टी के लगभग आधे दर्जन सदस्य किसी प्रकार अत्यंत कठिनाई से फारस में प्रवेश कर गए वहाँ उन्हें पता चला कि दो क्रांतिकारी पहले से ही भेप बदल कर गुप्त रूप से वहाँ रह रहे हैं। बाद को पता चला कि वे दोनों ब्रिटिश विलोचिस्तान में घुस गए और भारत में अस्त्र शस्त्र पहुँचाने में आशिक रूप से सफल हुए। दुर्भाग्यवश सरकार को पडवत्र का पता चल गया। दोनों ही पकड़ लिए गए और उनको मार दिया गया।

समुद्री मार्ग से अस्त्र शस्त्रों का आना (१९१४-१५)

जर्मन सरकार ने भारत को शस्त्र भेजने का जो वचन दिया था उसको पूरा करने की भरसक चेष्टा की। सरकार ने सभी जर्मन राजदूतावासों को आदेश भेज दिया कि जहाँ भी सम्भव हो भारत को अस्त्र शस्त्र भेजने का वचन पूरा किया जावे।

माच के आरम्भ में भारत में जर्मनों के शस्त्र देने के वचन की सूचना पहुँची और यह भी बताया गया कि बटाविया में स्थित जर्मन अधिकारियों से सारी बातें विस्तार से तय कर ली जावें कि कितने शस्त्र किस प्रकार से भारत में पहुँचाए जावेंगे। जब भारत से क्रांतिकारी दल के सदेशवाहक जर्मन अधिकारियों से इस सम्बन्ध में बात करने के लिए बटाविया पहुँचे उसी समय 'एस० एस० मावेरिक' एक तेल के

जाने वाला जहाज कलीफोर्निया के सटपट्टो से २२ माघ १९१५ को भारत की ओर चला। मून योजना यह थी कि सस्त्र बराची पर उतारे जावें उसको बदल कर बगाल और उड़ीसा पर सस्त्रों को उतारने का निश्चय किया गया। यह परिषदतन भारतीय क्रांतिकारियों के प्रतिनिधि के बहने पर हुआ जो उस समय कलकत्ता से बटाविया पहुँच गया था।

'मावेरिक' सब प्रथम लोभर कलीफोर्निया में 'सेन जोस डल बोबो' गया उसका लक्ष्य जावा में 'एंगर' पहुँचना था। अपनी यात्रा में उसी मकामको वे १०० मील पश्चिम में सोकोरो को छुआ और एक दूगरे जहाज ऐनीलारसेन के इत जाय में एक मास तक ठहरा रहा जिसमें सनडियेगा में सस्त्र सस्त्र तथा गोली बारूद लादा गया था। यह उसका चोखी करना रहा 'मावेरिक' को अचानक तलाशी ली गई यद्यपि ए एस घेना तथा यद्यपि यी यम रनबो और एक अमेरीनी युद्ध पोत ने उसकी पृथक् पृथक् तलाशी ली। उसके उपगत वह जावा की ओर चला बीच में पैलो जावन द्वीप को छूत हुए जावा पहुँचा। २२ जुलाई को जावा पहुँचने पर एच डब्लू टारपीडो ने उसको पकड़ लिया और वह वही रोक लिया गया।

ऐसी लगभग अपने उद्देश्य में असफल हो जाने के कारण इधर उधर उद्देश्यहीन हाँस चक्कर लगाता रहा। यत्र जितना भी हो सका तलाशी और नजर बंदी की बचाता रहा और जून १९१५ में वाशिंगटन में 'होबयाम' पहुँचा उसकी सुरत समुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली गई। इस जहाज का सारा सस्त्र सस्त्रों और गोली बारूद का सामान सरकार ने जप्त कर लिया।

एक हीसरे जहाज 'हेनरी यस' का भी यही भविष्य हुआ। मनीला से साधारण की ओर चलने के पूर्व ही मनीला के कस्टम अधिकारियों ने सतम भरे हुए बहुत अधिक मात्रा में सस्त्र सस्त्र तथा कारतूस अदि का पता लगा लिया। उहाँन जहाज के मास्टर को विवश कर दिया कि वह सारा माल उतार कर ही जा सकता है। अपने उद्देश्य में बुरी तरह असफल होकर ही उसे वहाँ से जाने की आज्ञा मिली।

अब यह ज्ञात हो चुका है कि प्रथम महायुद्ध के समय इसी तरह के कई प्रयत्न भारतीय क्रांतिकारियों के लिए सस्त्र सस्त्र जहाजों द्वारा भेजने के प्रयास किए गए। उनमें से एक साधारण से बगाल के लिए और दूसरा उड़ीसा के लिए निर्देशित था। तीसरा 'मण्डमन' जाने वाला था। यह बहुत बड़ी मात्रा में सस्त्र सस्त्र तथा गोली बारूद ले जाकर पोर्ट ब्लेयर पर आक्रमण करता। वहाँ जो भी क्रांतिकारी और विद्रोही कद थे तथा सिंगापुर के विद्रोही सैनिक जिनके बारे में यह धारणा थी कि वे वहाँ नजरबन्द हैं छुड़ा लेता और फिर रगून की ओर जाकर उस पर आक्रमण करता।

इस योजना का सारा समाचार ब्रिटिश सरकार को ज्ञात हो गया इस कारण यद्यपि से सम्बंधित किसी भी व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं रहा कि वह गुप्त रूप से और सुरक्षित रहकर काय कर सके। प्रत्येक क्रांतिकारी पर जो यद्यपि में सम्मिलित था ब्रिटिश सरकार बड़ी नजर रख रही थी और प्रथम अवसर पर ही उन्हें गिर पतार कर लेती थी। यद्यपि कारिया का प्रत्येक गुप्त स्थान ब्रिटिश सरकार को ज्ञात

हो गया था और उन्हे यह भी ज्ञात हो गया था कि कब क्या होने वाला है। पठ्यत्र कारियों के लिए सदेशवाहकों के द्वारा भ्रमवा डाक द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क बनाए रखना बहुत कठिन हो गया। डाक बीच में ही सरकार के हाथ पड़ जाती और सदेशवाहक पकड़े जाते। इस प्रकार जिस योजना पर भारत में विद्रोह सड़ा कर रखने के लिए भारी आशाएँ लगाई गई थी वह व्यर्थ हो गई और उसका कोई परिणाम नहीं निरस्ता।

जबकि भारत के अन्दर और बाहर महान दक्षिणाली भयकर विप्लव की जोरदार तैयारियाँ चल रही थीं। बंगाल के विभिन्न भागों में यहाँ यहाँ सरकार के कमचारियों, एजेन्टों पुलिस के अधीन युवकों तथा मुलाबिरो के विरुद्ध क्रांतिकारियों द्वारा हिंसक आक्रमण होते रहे जिनमें कुछ की जाँ गई।

### गदर आंदोलन (१९०८-१९१८)

घटनाएँ तेजी से घट रही थी। मुजफ्फरपुर की दुघटना, अलीपुर तथा अन्य पठ्यत्र तथा अन्य फुटकर कांडा से यह स्पष्ट हो गया कि देश में सगठित हिंसात्मक कायवाहिया की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। कतिपय देशभक्त भारतीयों के प्रारम्भिक अग्रगामी काम, उत्पश्चात् 'इण्डियन एसोसिएशन भाव-दी-पक्षिक फोस्ट' 'दी इण्डियन इण्डियन लीग', (दी हिन्दी एसोसिएशन) संयुक्त राज्य अमेरिका में, दी इण्डियन इण्डियन कमेटी तथा जर्मनी की 'बर्लिन कमेटी' की स्थापना विदेशों में रहने वाले भारतीयों के क्रांतिकारी कार्यों की सूचक थी। उन दोनों समूहों के लिए यह बहुत कठिन काम नहीं था कि वे जर्मन सरकार की सहायता से समुद्र के पास एक दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर सकते। उन दोनों भारतीय क्रांतिकारी समूहों की सम्मिलित कायवाहियों का प्रदान हम सुदूर पूर्व, मध्यपूर्व, ईजिप्ट, टर्की, चीन, जापान और बर्मा तथा भारत के उत्तर पश्चिमी सीमांत में दे देने को मिलता है। भारत में भी इसके फलस्वरूप युवक क्रांतिकारी सगठन सतेज हो उठे और उनके कारण पंजाब में क्रांतिकारी कायवाहिया अधिक उग्र और गम्भीर हो उठी।

यह एक विद्यालय और महान क्रांतिकारी योजना थी यद्यपि वह आशिक रूप में ही सफल हो सकी। फिर भी उसमें अदम्प साहस निर्भीकता दृढ़ निश्चय साधनों की सुन्दर व्यवस्था, धन तथा मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों के असीम कष्ट सहने की शक्ति के दशन होते हैं। गदर पार्टी तथा बर्लिन कमेटी अपनी शाखाओं के सहित देश की स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपने गौरवशाली अग्र का दावा कर सकते हैं।

प्रारम्भ अत्यन्त साधारण ढंग से हुआ। जिस प्रकार एक छोटी सी चिनगारी भयकर अग्निबाद का कारण बन जाती है उसी प्रकार इस दिलजे हुए साधारण क्रांतिकारी प्रयत्न के फलस्वरूप तीन महाद्वीपों के भारतीय क्रांतिकारियों का मिलन हुआ और उसने ऐसी दृढ़ नींव डाली कि जिस पर भावी क्रांतिकारी आंदोलन मुख्यतः आधारित था।

१९०७ में कुछ युवक बर्लिन, क्लिफोर्निया में अध्ययन के उद्देश्य से आए। वे आपस में मिले और उन्होंने अपना एक सगठन स्थापित किया जिसका उद्देश्य तत्कालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार सभी देशों की स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त हो सके उन कार्यों को करना था। इस सयोग के सहयोग से उन्होंने १९०८ में क्लिफोर्-



फोनिया में "इण्डियन इण्डिपेंडेंस लीग" की स्थापना की जिसके नाम से ही उसके संस्थापकों का उद्देश्य स्पष्ट था।

इस संगठन के सबसे प्रथम व्यक्ति जि होने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया श्री तरकनाथदास और उनके थोड़े से सहयोगी थे। कुछ ही समय के उपरांत श्री पादुरंग खान खोजे उसमें सम्मिलित हो गए और उनके उपरांत श्री वाशी राम और प्र य लीग उसके सदस्य बने। अपने अध्ययन और एक राजनीतिक दल के संगठन के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उनमें से कुछ लोगों ने सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा बमों तथा विस्फोटक पदार्थों का निर्माण करने का क्रिया सीखने का प्रयत्न किया।

जिस समय इन तरुणों ने अपनी क्रांतिकारी कायवाहियों को खुले रूप में करना आरम्भ किया उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में रहने वाले सिक्खों में भयंकर असंतोष और शोभ की लहर फैली हुई थी। विशेषकर कनाडा में रहने वाले सिक्खों बहुत अधिक क्षुब्ध और असंतुष्ट थे। कारण यह था कि भारतीय होने के नाते उन्हें बहुत कठिनाइयों और अपमान को सहन करना पड़ता था। जितने भी भारतीय वहां रहते थे उनमें सिक्खों संख्या में सबसे अधिक थे और उनकी कठिनाइयों के कारण सभी वर्गों के भारतीयों में बहुत अधिक रोष व्याप्त था।

पोटलड में सिक्खों बहुत अधिक संख्या में केंद्रित थे अतएव वह अग्रजों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न करने और उसको फैलाने के लिए उपयुक्त स्थान बन गया। वहां अग्रजों के विरुद्ध घृणा के बीज बोये गए क्योंकि वे भारतीयों की संरक्षण दिलाने में असमर्थ थे जबकि अपने देश भारत में उन्हें दास बनाकर रखे हुए थे।

खान राजे ने काशीराम को अपने साथ लेकर पोटलड में 'इण्डियन इंडिपेंडेंस लीग' की स्थापना की। शीघ्र ही लीग के केंद्र संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न केंद्रों में अनेक प्रोटोगान संनकासिस्को वाशिंगटन आदि में स्थापित हो गए। शीघ्र ही यह संगठन अधिक विस्तृत और शक्तिशाली बन गया। यह संगठन घोषणापत्रों के रूप में क्रांतिकारी साहित्य अपने सदस्यों के लिए निकालता था उनमें वह साहित्य बांटा जाता था और वह साहित्य भारत के तट पर भी पहुंचता तथा अन्त में भारतीय क्रांतिकारियों के हाथ में पहुंचता था।

१९०६ के आसपास सम्बन्धी अधिनियम ने भारतीयों के मस्तिष्क में घोर असंतोष उत्पन्न कर ही दिया था। लीग के नेताओं ने उस असंतोष और आक्रोश का पूरा लाभ उठाया। कुछ भारतीयों में विद्रोह की भावना उत्पन्न कर दी गई और उनमें यह भाव उत्पन्न कर दी गई कि जिस प्रकार अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के नागरिकों के साथ व्यवहार किया जाता है ठीक वसा ही व्यवहार उनके साथ किया जावे।

'इण्डिया इण्डिपेंडेंस लीग' के वाय को विष्णु गणेश विंगले और उसके उपरांत प्रमेल १९११ में हरदयाल के फ्रेंड्स को म धाने पर और अधिक बल मिला। अपने गतिशील क्रांतिकारी व्यक्तित्व इतिहास के गहन ज्ञान अद्भुत भाषणकला के धनी होने के कारण साला हरदयाल ने प्रानिचारियों में नया जीवन और नया दृष्टिकोण उत्पन्न कर दिया।

धीरे धीरे विद्रोह की आगशिला कनीफोनिया और ओरेगान पर फैलने लगी। उन दोनों राज्यों में भारतीय प्रवासी बहुत बढ़ी संख्या में बसे हुए थे। इस

विद्रोह की भावना का प्रथम परिणाम यह हुआ कि ओरेगान राज्य में एसोसिएशन नामक स्थान में १९१२ के अंतिम दिनों में अथवा १९१३ के प्रारम्भ में हिन्दुस्तानी एसोसिएशन की स्थापना हुई। उस एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य भारत से दूरी भाषाओं के पत्र मगवाना, भारतीय युवकों को अमेरिका आने के लिए प्रोत्साहित करना, था, जिसे कि वे अमेरिका में निवास प्राप्त कर नए विचारों और कार्य करने के नए तरीकों का शील कर देना की सेवा कर सकें। एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठकों की चर्चा में मन्स्यो में गहन देशभक्ति की भावना प्रदर्शित होती थी और वे लोग बहुधा इस प्रकार की चर्चा किया करते थे।

बाद में जब हिंदी एसोसियेशन की स्थापना हुई तो उससे उद्देश्य भी अपनी युवकों हिंदुस्तानी एसोसिएशन के सामान ही थे। उसका लक्ष्य भारत के सभी वर्गों और धार्मिक विचारों के लोग की एकता को स्थापित करना था और भारतीयों को भारत में अग्रजों का विरोध करने के सामान उद्देश्य से सिद्धि करना था।

उससे भी पहले "इण्डियन एसोसिएशन आफ दी पसिफिक कोस्ट" स्थापित हो चुकी था और इन क्रांतिकारियों में परस्पर सम्पर्क स्थापित हो चुका था। क्रांतिकारी वायवार्थियों तथा गतिविधियों को अधिक तीव्र करने के लिए एक "गदर पार्टी" की स्थापना की गई और पार्टी का एक मुख्य पत्र गदर प्रकाशित करने का निष्पत्त किया गया। प्रारम्भ में गदर गुरुमुखी में प्रकाशित किया गया अथवा उसको हिंदी, उर्दू और गुजराती में प्रकाशित करने का निश्चय किया गया। एक वर्ष के बाद इन भाषाओं में भी गदर पत्र प्रकाशित होने लगा। उस पत्र के चुने लेखों का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाता था और जन लोग में बिना मूल्य वितरित किया जाता था कि जो लोग भारत की स्वतंत्रता के प्रदान में लिखम्पी दिखलाते थे। विशेषकर यह वह घस-तुष्ट सिक्कों तथा भारतीय सेना के सैनिकों में बाटा जाता था जो पृथ्वी के विभिन्न भागों में पड़े हुए थे।

'गदर' पत्र का पहला अंक जन फ्रांसिसको से एक नवम्बर १९१३ को प्रकाशित हुआ। जिस प्रेस में वह पत्र छापा गया उसका नाम युगान्तर अथम रखा गया। पत्र के पहले ही अंक में खुले शब्दा में धोपणा की 'याज विदेशी भूमि पर परतु हमारी अपने देश की भाषा में ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ होता है। तुम्हारा नाम क्या है? 'गदर'। तुम्हारा कार्य क्या है गदर', वह कहा होगा? भारत में एक समय आवेगा जबकि लेखनी का स्थान राइफल और स्याही का स्थान लेंगी।'

'गदर' पत्र उस प्रत्येक भावना को उभारता था कि जो भारतीयों की क्रांतिकारी भावना को उत्तेजित करे। उसके प्रत्येक वाक्य में भारतीयों के लिए अंग्रेजों के मारने और उनके विरुद्ध विद्रोह करने का उद्बोधन होता था और वह प्रत्येक भारतीय को भारत जाकर वहाँ के शासन को ठप्प कर अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए प्रोत्साहित करता था।

'गदर' पत्र ने इस बात का भी ध्रुव प्रचार किया कि भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध की सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नए क्रांतिकारी पत्र निकाले जावें और अपयुक्त पुस्तकें प्रकाशित की जावें और उन्हें भारत में भेजा जावे। सन्निक कथायद हर एक भारतीय के लिए अनिवार्य आवश्यकता है तथा विदेशी राष्ट्रों से अपीक्ष

की जाव कि वे भारत के विद्रोहियों को सश्रिय सहायता द। सीध ही एसोसियशन की गतिविधिया सभी दिशाभा में तजी स फलन लगी और उस पोटलेड, और ऐसटारिया क प्रतिरिक्त सेंट जोन, सत्रामटो स्ट्राकटन, ब्रिडाल वेल्, इत्यादि स्वानाम भा साक्षात् खोलनी पडी।

गदर' पत्र निकालने के साथ साथ क्रांतिकारी कविताए गदर की गूज' 'नीम हरीम खतरए जान', गार छाही जुलम आदि भा प्रकाशित का गइ। उन सभी कविताभा में इस बात की धारणा का गई कि अब समय ब्यय खान का नही है उह पंडित और मुस्लामों की उचित माग दिखान के लिए जरूरत नही है। 'तलवार खीची अब युद्ध करने का समय है भापसा देव प्रापना और समय के लिए स्पष्ट कर दो इस धण का पुकार हे। मारो मारो सभी कांधताभा और लता का सार दा।

सयुक्त राज्य अमरिका के अधिकारियों ने लाला हरदयाल का २१ माघ १९१४ को उनके असजना रूप न करने वाल हिंसात्मक भाषणा और भाषांतजनक वायवाहियों के लिए गिरफ्तार कर लिया। ये जमानत पर छोड़ दिए गए और सयुक्त राज्य अमेरिका से भाग गए, जिससे कि उ हे पड्डी अग्रजों के सुपुद न कर दिया जाय। गदर पार्टी की गांथांधिया की प्रतिध्यान कालाम्ब्या में पड्डी और वहा के सिक्ता और हिंदुभा में साथ उत्तजना जाएत हा गई। कनाडा सरकार ने भाप्रवास नियमा के द्वारा ला कठनाइया भारताया के लिए उडा बरखा थी, उनक मान्दोलन का साथ बनान के लिए पूब लाम उठाया गया और उत्तर प्रावधाना की जहा तक व भारतायो को प्रभावित करते य उ हे प्रभावद्वोन और ब्यय करने के प्रयत्न किए गए।

सीध ही गदर पार्टी ने यह अनुभव कर लिया कि बवल विदेश में भा दोलन करना इतना अधिक प्रभावशाली और कारगर नही होगा कि भारत सरकार पर यथेष्ट दबाव पड सक और न ब्राटश सरकारया के लिए इतनी असमन और मानुसता ही उत्पन्न कर सकता हे कि य उनको स्पत्तत्रता की माग की मान ल।

गदर पार्टी के बढ़त हुए प्रभाव और धांक्त के कारण अमोरकन सरकार की यह मायता बन गई कि वह अनुप्रास देव वाला सीमा से बाहर चला गई हे और सयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक गम्भोर समस्या बन गई हे। इस बात की साधा की कमी नही थी कि गदर पार्टी ने सयुक्त राज्य अमरिका तथा कनाडा के समांत क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का सामत करन के बजाय उसने अपने सदस्यों का भारत भेजने और वहा देश की स्वतंत्रता के लिए प्रचार करने तथा अपने को सब प्रकार की परिस्थितया के लिए तयार रहने के कार्यक्रम का अपना लिया था। भारत स्थित भारतीय सना को गदर पार्टी भेद्य बिदु मानती थी जहा यदि बुद्धिमत्तापुण ढग से प्रवेश किया जावे और सानको को समझाया जावे तो सफलता मिल सकने की सम्भावना थी। अतएव गदर पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को अपने एक भाग को उस दिशा में लगाने का परामश दिया जाता था।

१९१३ में तीन सिक्ख प्रांतनिधि पत्रात्र आए। वे गदर पार्टी के सदस्य थे और वहां का परिस्थिति को टाह लगाने आए थे। उ होन पत्रात्र के विभिन्न नगरो और कस्बो में कनाडा में रहने काल भारतीयों की कठिनाइयो और शिकायतो के सम्बन्ध में भाषण दिए और उन सभी समाप्तो में उसके विरोध में प्रस्ताव पाठ कराए जिनमें सभी जातियों के लोग सम्मिलित थे।

गदर पार्टी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न राज्यों में सभाएं करना प्रारम्भ कर दीं। विनेपेकर अन फॉर्मिडो और कैलीफोर्निया में बहुत सी सभाएं की गईं। कैलीफोर्निया राज्य के सैंफ्रैन्सो की सभा जो ३० नवम्बर १९१२ को बुलाई गई बर्फ धारणों से विशेष महत्वपूर्ण थी। वहाँ एक विधाल और वृद्ध जग समूह था जिसमें भारत की सभी जातियों का प्रतिनिधित्व था। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय उसमें सम्मिलित हुए थे और उसमें जर्मनी के उच्च अधिकारी भी उपस्थित हुए थे। इसमें पाने वाली घटनाओं की छाया स्पष्ट होने लगी थी और उस सभा के महत्त्व को उसने बहुत अधिक बढ़ा दिया था।

'कोमागाटा मार्ग' जहाज जो गदर पार्टी के सदस्यों को लेकर यजबज को चला था उसको भाग में विभिन्न बन्दरगाहों पर जो उस सन्धी यात्रा में कष्ट और कठिनाई का सामना करना पड़ा था उसकी खबरों ने भारतीयों और विनेपेकर सिक्कों के रोप को बहुत अधिक बढ़ा दिया था तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय आक्रोश में बहुत अधिक धुंध था। उनका रोप चरम सीमा पर पहुँच गया था और वे उस लाष्टना और अपमान को ठीक करने के लिए सभी प्रकार का त्याग और बलिदान की जोखिम उठाने के लिए तयार हो गये। सितम्बर २६ १९१४ को यजबज में 'कोमागाटा' मार्ग जहाज के भारतीय यात्रियों पर जो गोलीबाद हुआ उसमें घास के ढेर में जैसे अग्नि की चिनगारी फेंक दी और विदेशी सरकार ने जो भारतीयों का अपमान किया और निर्दोष भारतीयों का खून बहाया उस अपमान का बदला लेने की तेजी से तयारियाँ होने लगीं।

भारतीय क्रांतिकारियों से सहानुभूति रखने वालों और भारतीय क्रांतिकारी ऐजेण्टों के प्रयत्नों और गुप्त रूप से क्रांतिकारी साहित्य को प्रचुर मात्रा में बाँटने के परिणामस्वरूप सुदूरपूर्व में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रांति के लिए नए सदस्य भर्ती कर लिए गये। विनेपेकर संधाई में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए। भारतीयों को संधाई हांगकांग मन्िला, पनांग, सिंगापुर तथा श्याम के क्रांतिकारी आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहन दिया गया।

अब संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारतीय बहुत बड़ी संख्या में वापस लौटने लगे। प्रत्येक जहाज जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा से आता जैसे कोरिया, 'तोनामारु', 'मागिमारु कवाचीमारु' 'सालामिस' आदि और जिसका लक्ष्य भारत होता उसमें भारी संख्या में मित्र बंधे होते जो भारत इस उद्देश्य से वापस आ रहे थे कि वे भारत में क्रांति की संधारी करें जिससे कि भारत में अंग्रेजी सरकार को उलट देने का अन्तिम ध्येय पूरा हो सके।

#### स्मरणीय क्षेपक (१९१४-१५)

गदर पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्यों के सम्बन्ध में अब कोई गोपनीय बात नहीं रह गई थी। ब्रिटिश तथा कनाडा की सरकारों ने मिलकर इस आन्दोलन को धागे बंधने से रोकने तथा अंग्रेजी और अंग्रेजी साधनों से इस आन्दोलन के मुख्य प्रतिनेताओं को सत्कार से हटा देने का निश्चय कर लिया।

सबसे पहले इन दोनों सरकारों ने कनाडा में गुप्तचरों का एक जाल बिछा दिया। उसका मुख्य उद्देश्य वैलावर की इडिया इमेटी को घोट देना . . .

प्रतिनिधियों ने कोमा गाटा मारु जहाज को किराए पर तय किया था। इस प्रकार दोनों सरकारें यह चाहती थी कि 'कोमागाटा मारु जहाज जो कि भूमट में फंसा गया था उसकी सहायता के सभी प्रयत्न को विफल कर दिया जाय और वे शय किसी जहाज की भी कनाडा में उद्विकासियों को भविष्य में ला सकने के लिए किराए पर तय न कर सकें।

इस विचार को काय रूप में परिणित करने के लिए यह विभाग ने अपनी 'अपराधी खोज शाखा' में इंडियन पुलिस मेवा के एक अरसर प्राप्त अधिकारी विलियम हापकिंसन को सारी कामवाही का भार सौंप दिया। हापकिंसन ने बेलासिंह को अपने प्रमुख भेदिए के रूप में नीकर रख लिया। बेलासिंह अपराधी खोज शाखा के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

अब बहुधा यह रिपोर्ट सुनने को मिलने लगी कि लोगों को समझाया जा रहा है उन पर दबाव डाला जा रहा है उन्हें आर्थिक लाभ का लालच दिया जा रहा है तथा बेलासिंह और उसके आत्मी लोगों को डरा धमका रहे हैं कि वे इंडिया कमटी से अपना सम्बन्ध टाढ़ दें। बेलासिंह के द्वारा अब सिक्ख समुदाय पर हापकिंसन का स्वतंत्र प्रभाव पड़ने लगा। कुछ सिक्ख उससे प्रभावित होने लगे। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सरकारी एजेंटों की इन जघन्य कारवाहियों को रोका जावे जो सगठन के लिए खतरनाक बनती जा रही थी। गुप्त मनणा हुई कि बेलासिंह की जघन्य कारवाहियों को किस प्रकार रोका जावे और कुछ ही दिनों में बेलासिंह का एक आदमी रहस्यपूर्ण ढंग से गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं लगा। पहली घटना से कुछ ही दिनों के बाद बेलासिंह के दूसरे आदमी अजु नसिंह को रामसिंह ने दिन दहाड़े गोली से मार दिया। रामसिंह ने अपने जो निजी सुरक्षा का बहाना किया और यायातय ने अभिकथन को स्वीकार कर लिया।

बेलासिंह बदला लेने की भावना से अगस्त में वकोबर के एक सिक्ख गुम्बरा में गया जहाँ एक मृत सहदेशमक्त की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना समाप्त होने जा रही थी और वहाँ उपस्थित जन समुदाय के लोग गुरुग्रय साहव को धीश भुका कर प्रणाम कर रहे थे उस समय यकायक बिना किसी उत्तेजना के बेलासिंह ने कनाडा के क्रांतिकारी सगठन के अध्यक्ष भागसिंह और सरदार बतनसिंह को गोलियों से छननी कर दिया। दोनों की घटनास्थल पर तुरंत ही मृत्यु हो गई। एकत्रित भीड़ में अनेक लोग जन्मी हो गए उनमें से कुछ तो सम्भीर रूप से घायल हो गए थे। वह २२ अक्टोबर १९१४ को यायालय के समक्ष हत्या के अपराध में उपस्थित किया गया। हापकिंसन ने उसे जमानत पर छुटा लिया। अभियुक्त बेलासिंह ने खुली अदालत में अपने अपराध को स्वीकार कर लिया परंतु स्वयं निज की रक्षा का बहाना लिया उसने इन अभिकथन को इन आधार पर स्वीकार कर लिया गया और उसे मुक्त कर दिया कि इतनी बड़ी भीड़ के समक्ष ऐसा साहसपूर्ण कार्य केवल निज की रक्षा के लिए किया जा सकता है। अभियोजका का तक कि बेलासिंह गुरद्वारे में जहाँ धार्मिक भावना से प्रेरित निशस्त्र जन समूह एकत्रित था भरा हुआ पिस्तीन लेकर गया और उसने गोलिया चलाइ इस बात का प्रमाण है कि वह वहाँ हत्या करने के विचार से ही गया था, अनाय करदी गई।

यह चुनौती स्थानीय सिक्खों के लिए इतनी गम्भीर थी कि सिक्ख उसको चुपचाप

सहन कर लेते यह सम्भव नहीं था। इसका बदला लेने और विशेषकर मुख्य हत्यारे हापकि सन को धराशायी करने की बहुत सी योजनाएँ सोची गईं और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अंत में एक युवक ने जो सिविल समुदाय में अधिक प्रसिद्ध या परिचित नहीं था उसने 'भागसिंह' तथा सरदार बाठनसिंह की मृत्यु का बदला लेने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया।

युवक 'सेवा (या मेवा) सिंह' ने हापकि सन का प्रिय और विश्वास प्राप्त बनने के लिए एक युक्ति सोची उसने भारतीयों के विरुद्ध भेदिए का काम करने का प्रस्ताव हापकि सन के सामने रखा। भाग्य प्रबल था हापकि सन उसके जाल में फँस गया परंतु सेवासिंह को बहुत निराशा हुई क्योंकि उसका अपना काम पूरा करने का उपयुक्त अवसर ही नहीं मिल सका। एक दिन प्रातः काल जब हापकि सन अपने कमरे में हजामत बना रहा था सेवासिंह अपने हाथ में रिवाल्वर लिए हुए घुसा। हापकि सन को अपने शीशे में सेवासिंह खिललाई दे गया और बिजली जमी फुर्ती से उसने पलट कर सेवासिंह का हाथ पकड़ लिया (गुरदित्तसिंह की वायज आफ कोमागाटा मार्ग भाग दो पृष्ठ १६) सेवासिंह ने अपने मस्तिष्क के सतुलन को बनाए रखने में कमाल कर दिया हमते हुए उसने हापकि सन से कहा आप तनिक भी उत्तेजित न हो। मैं रिवाल्वर को आपको देने आया हूँ क्योंकि अब उसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं रहा। सेवासिंह ने अपने चेहरे पर गम्भीरता और वेदना के भावों का ऐसा स्वभाविक प्रदर्शन किया कि जिसकी समता कर सवना किसी के लिए भी असम्भव था। उसने कहा 'मेरे देशवासी मुझमें घृणा करते हैं खुले रूप में मुझ पर दोषारोपण करते हैं कि मैं तुम्हारा वेतन भोगी जासूस हूँ जबकि आपने मुझे जो नौकरी देने का वचन दिया था आज तक नहीं दी।' यह ऐसे दयनीय जीवन के भार को ढोने के कारण अत्यंत सज्जित और अपमानित अनुभव करता है और हापकि सन के पास इसलिए आया है कि वह रिवाल्वर की गोली से उसके इस अपमानजनक जीवन का अंत करदे।

इस चतुराई और युक्ति ने केवल सेवासिंह के जीवन की ही रक्षा नहीं की बरन उसे हापकि सन के अधिक नजदीक ला दिया। २१ अक्टूबर १९१४ को जब सेवासिंह का मुकदमा अपनी निर्णायक स्थिति में पहुँच गया और हापकि सन अभि योजन की अत्यंत महत्वपूर्ण बातों में सहायता पहुँचाने में व्यस्त था उस समय विक्टोरिया में खुली अदालत में उसको गोली मार कर मार दिया गया। गोली मारने वाले से जब बाद को कद होने के उपरांत पूछा गया तो उसने कहा कि हापकि सन जसा व्यक्ति जो भाई के विरुद्ध भाई का जासूस की भाँति उपयोग करने का उद्योग करता था इस प्रकार गोली से मारे जाने ही योग्य था।

एत्या के अपराध में चलाए जाने वाले मुकदमे में सेवासिंह ने अपने बचाव की तनिक भी कोशिश नहीं की और उसने मुकदमे को यह स्वीकार कर कि उसने अनुमति कर हापकि सन की हत्या की है बहुत सरल और सीधा बना दिया। सेवासिंह की मृत्यु दण्ड दिया गया। ११ जनवरी १९१५ को जब उसे फाँसी दी गई तो उसने स्थानीय मुखद्वारा के महन्त के द्वारा, जो उसमें गिलने वाला अंतिम व्यक्ति था, सप्ताह के लिए एक सन्देश दिया।

सेवा सिंह फाँसी के समय अत्यंत प्रसन्न दिखलाई देता था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सुख भावी अस्तित्व की कल्पना कर रहा हो। उसका कहना था कि वह

'सहायता सेन' के द्वारा भारतीय विप्लववादियों को जापान में हुई एक गुप्त सभा में सहायता देने का वचन दिया। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्र भारत क्या-बहुं के केवल एशिया के ही नहीं अन्य महाद्वीपों के निवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत कर देगा। वह उन जातियों की झालें खोल देगा कि जो श्वेत जातियों की दासता में पड़ी हुई कराह रही हैं। वह उस युद्ध में सफलता की सम्भावनाओं को उपस्थित करेगा कि जिसमें एक अशान्त देश या उपनिवेश जो कि शक्ति में एक बौने के समान है ब्रिटिश साम्राज्य तथा अन्य औपनिवेशिक शक्तियों की गहरी शक्ति से सफलतापूर्वक मोर्चा ले सकता है।

बहुत बड़ी सख्या में दृढ़ निश्चयी भारतीय जन कि भारत में प्रवेश का प्रयत्न कर रहे थे कद कर लिए गए और जेल में दूस दिए गए। उनमें से कुछ भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के द्वारा फलाए हुए जाल से बचकर पंजाब पहुँच गए। उनके हृदय में उस शासन के बिहद घोर घणा थी जो कि उन देशों में जिनके इङ्गलैंड से कूटनीतिक सम्बन्ध थे उनकी प्रतिष्ठा और 'यूननतम मानवीय अधिकारों' की रक्षा नहीं कर सका।

पंजाब की अशान्त और जो समस्त पंजाब में हिंसात्मक विस्फोट हुए वह अधिकतर उन क्रांतिकारियों के प्रयत्नों के परिणाम थे जो कभी कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। केवल राजभक्त किमानों के पास ही नहीं क्रांतिकारी उत्तर भारत में स्थित लाहौर फीरोजपुर अम्बाला, बनारस आदि की सैनिक छावनियों में भी गए और उन्होंने सैनिकों से विद्रोह में सहायक होने के लिए कहा। बहुत से सैनिकों ने क्रांतिकारियों को सहायता देने का वचन दिया था।

एक दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा (१९१३-१४)

यत्र कहावत कि जिसका घर पर मान घाबर नहीं होता उसको बाहर भी मान घाबर नहीं मिलता। यह कहावत उन सैकड़ों सिक्खों के सम्बन्ध में शरिताथ होती थी कि जो कनाडा जीवन यापन की खोज में गए थे। उनमें से बहुत से अचकास प्राप्त ब्रिटिश सेनाओं के सैनिक थे जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम भाग साम्राज्य की रक्षा में व्यतीत किया था।

१९०४ तक उनके साथ व्यवहार साधारणतया ठीक था। १९०८ तक उनकी सख्या आठ हजार तक पहुँच गई और भारत से और अधिक सिक्ख आकर कनाडा में बसने लगे। यह क्रम जारी था। कनाडा सरकार कनाडा को एक मात्र श्वेत जातियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती थी। अतएव उसने भारत से आकर बसने वाले भारतीयों को रोक दिया। जो पहले से बसे हुए थे उनके विरुद्ध मुद्दामें खड़ाए जाने लगे जिससे कि उनकी कनाडा से निकाल बाहर किया जाय।

भारतीयों में जो कनाडा में बसे हुए थे इस भारतीय विरोधी नीति के कारण घोर खोम और रोष उत्पन्न हो गया। सरकार की भारत विरोधी नीति का विरोध करने के लिए बहुत बड़ी सख्या में मीटिंगें हुईं कभी कभी उन मीटिंगों का रूप राजनीतिक हो जाता था उनमें भारतीयों को समस्त ब्रिटिश उपनिवेशों में अन्य स्वतंत्र देशों के नागरिकों के समान बराबर दर्जे की मांग की जाती थी। अपने इस प्रयत्न में सफल न होने पर उन्होंने ब्रिटिश तथा कनेडियन सरकार से भारतीयों के साथ अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में भेदात्मक नीति को रोकने के लिए प्रार्थना की। इन प्रतिवेदनों का भी कोई परिणाम नहीं निकला। भारतीय मुख्यतः पंजाबी थे और

उनमें भी अधिकतर सिक्ख थे। बैंकोवर में जो पजाबी और सिक्ख थे वे राजनीतिक आंदोलन के प्रभाव के कारण बहुत उत्तेजित हो उठे थे।

कनेडियन सरकार इस आंदोलन से बहुत चोंकी और उसने यह आशा निकाली कि सभी भारतीय कनाडा छोड़कर ब्रिटिश हॉबुरास चले जावें जो उस समय वहाँ की कठिनाइयों और समस्याओं के कारण पृथ्वी का नरक माना जाता था। भारतीयों ने कहा जाना अस्वीकार कर दिया।

इस प्रस्ताव के विरुद्ध प्रबल आंदोलन उठ सठा हुआ। कनाडा सरकार ने ६ मई १९१० को एक कानून बना दिया जिसके अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय को (कुछ विधेय भारतीयों को छोड़कर) जो भी कनाडा में आकर बसना चाहता हो कनाडा सरकार को इस बात का सतोप दिलाना होगा कि उसके पास दो सौ डालर हैं और वह अपने देश से सीधे टिकट के द्वारा कहीं बिना रुके हुए कनाडा आया है।

यह प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि भारत से कनाडा कोई सीधा स्टीमशिप नहीं आता था। इसका सीधा अर्थ था कि भविष्य में भारत से कनाडा आकर कोई बस नहीं सकता था।

उस आशा को चुपचाप स्वीकार कर लेने के बजाय १५ दिसम्बर १९११ को इस राज्याज्ञा का विरोध करने के लिए दो समितियाँ (१) दी यूनाइटेड इण्डिया लीग (२) दी खालसा दीवान सोसायटी बैंकोवर में स्थापित हुईं। यह समितियाँ इस आशा का विरोध करने के लिए अधिकारियों के पास प्रतिनिधिमण्डल ले गईं परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उस स्थिति में श्री गुरुदत्त सिंह ने जो सिगापुर और मत्साया के एक धनी और साधन सम्पन्न ठेकेदार थे १९१३ में स्वयं हांगकांग की स्थिति का निरीक्षण करने आए और गुरु नानक नवीयेशन कम्पनी के लिए उ होने एक जापानी जहाज 'कोमागाटा मार्क' को किराये पर ले लिया। उनकी आगे योजना यह थी कि वे चार जहाज ले लें। २ जहाज सीधे कलकत्ता से कनाडा साइन पर चले और दो बम्बई काजीस साइन पर चले। यह नया किराये पर लिया हुआ जहाज ४ अप्रैल १९१४ को हांगकांग से चला उसने साघाई मोजी और याकोहामा पर यात्रियों को लिया। वह ३७२ यात्री लेकर २१ मई को विक्टोरिया और २३ मई को बैंकोवर पहुँचा। कनाडा सरकार के सैनिकों ने उस जहाज को घेर लिया और २२ व्यक्तियों को छोड़कर दोष सभी को कनाडा को वापस आ रहे थे उन्हें कनाडा की भूमि पर उतरने नहीं दिया गया।

दो महीने में जहाज में जो भी भोजन और पानी था समाप्त हो गया। जहाज के सभी यात्री भूखे और प्यासे थे और स्थिति अत्यन्त विस्फोटक हो गई। जापानी यात्रियों को छट पर से जल साने दिया जाता था। उस खत को देखकर बहुधा मगड़े होने लगे।

अनुनय विनय, प्रार्थना, कानूनी कार्यवाही सब निरर्थक रहे उसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और स्थिति विस्फोटक हो गई। १६ जुलाई, १९१४ को जहाज को बम्बईगाह से निकस जाने की आज्ञा दी गई। परन्तु यात्री जाने के लिए तैयार नहीं थे वे बैंकोवर में सपर्य करके मरने के लिए तैयार थे फिर यह सपर्य आड़े जो भी रूप धारण करे। कारण यह था कि यात्री यदि उस आगा को स्वीकार कर लेते तो खूने समुद्र में उनकी भूख और प्यास से निश्चित मृत्यु होती परन्तु वे लपटें लपटें मरना पसन्द करते थे। यात्रियों के मित्रों और सम्बन्धियों को बताने के लिए



उनसे मिलने नहीं दिया गया और न यात्री उन लोगों से जो तट पर थे कोई सम्पर्क ही स्थापित कर सकते थे।

अब सरकार ने जहाज को बन्दरगाह छोड़ कर चले जाने के लिये विवदा करने के लिए बल प्रयोग करने का निश्चय किया। एक बहुत बड़ी स्टीम बोट 'सी लायन' जिसमें बहुत बड़ी सख्या में सगज पुलिस थी कोमागाटा मारु जहाज के पास पहुची। दोनों में १६ जलाई को युद्ध शिष्ट गया। पुलिस के पास पिस्तौल थे और जहाज के यात्रियों के पास वह लकड़ियाँ थीं जो समुद्र में उड़ कर आ जाती हैं तथा बायलर में जलने वाला कोयला था।

दोनों दलों के लोग घायन हो गए। उस युद्ध का समाचार दूर दूर फल गया। जहाज के यात्रियों ने भारत तथा ब्रिटेन में उत्तरदायित्व पूर्ण अधिकारियों और व्यक्तियों से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की परन्तु किसी ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना। यही नहीं की ब्रिटिश सरकार ने उन निरीह यात्रियों की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया बरन् आगे बढ़कर उस जहाज के विरुद्ध बल प्रयोग की आज्ञा भी दे दी और युद्धपोत रेतबो तथा एक दूसरे युद्धपोत को उस जहाज को निजाल बाहर करने की आज्ञा दे दी। दोनों युद्धपोत कोमागाटा मारु जहाज से दोनों घोर आकर जम गए और सन्निव वायवाही की आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तट पर भयान भीड़ उस सघष के परिणाम की देखने के लिए जमा हो गई।

जो भी भारतीय तट पर थे वे निम्नहाय और विवग थे व अपने देशवासियों की कोई सहायता नहीं कर सकते थे। इस अपमानजनक व्यवहार का बदला लेने की भावना प्रत्येक भारतीय के हृदय में जाग उठी थी। कोमागाटामारु जहाज में जो भी यात्री थे उन्होंने यह हृदय निश्चय कर लिया कि वे जो कुछ भी मिलेगा साठी लोहे की छड़ें कोयले के ढेने जहाज में जो कुछ लोहे की चीजें जो निकाली जा सकती थीं उनको निकाल कर सड़ेंगे यद्यपि यह एक व्यग सा लगता है परन्तु उस समय प्रत्येक यात्री का यह हृदय निश्चय था कि वह सघष जीवन मरण का सघष है और उसका सामना साहस और दृढ़ता से करना होगा, स्थिति भयत अनरुण और गम्भीर हो गई थी।

जहाज के डेक से किसी ने देखा कि बन्दरगाह से कुछ दूर की पहाड़ी पर से कोई व्यक्ति किसी विद्येय उद्देश्य से सन्नेत कर रहा है। अधिकारियों के बिना जाने हुए जहाज में जा तिक्रम से उन्होंने 'मिमेकोर सिगनल' के द्वारा उस सिगनल करने वाले व्यक्ति को सूचित कर दिया कि इस समय जो भी योजना कारगर और सम्भव प्रतीत हो उसे वायरूप में परिणित करने के लिए तयार है। पहाड़ी पर से उत्तर में सिगनल आया कि यदि चैकोवर बन्दरगाह में कोमागाटा मारु जहाज के विरुद्ध कोई कायवाही की गई तो समस्त चैकोवर बन्दरगाह को भस्म से भस्म कर दिया जायेगा। इस योजना को कोमागाटा मारु जहाज के यात्रियों ने जहाज के यात्रियों की मृत्यु के प्रतिबोध रूप में स्वीकार कर लिया।

भारतीयों द्वारा चैकोवर बन्दरगाह को धाग लपकाकर भस्म कर देने की योजना को तब्र जासूसों तथा भेदियों के द्वारा बहुत थोड़े समय में ही अधिकारियों के पास पहुच गई। उसका परिणाम यह हुआ कि अधिकारी भयभीत हो गए उन्होंने कोमागाटा मारु जहाज को खाने पीने का सामान मयेष्ट राशि में दे दिया और २३

## बलिदानों की प्रशस्ति

जुलाई १९१४ को कामागाटामार्क जहाज दो महीने के कठिन सघन के उपरान्त बंकोवर बंदरगाह से जापान में याकोहामा की ओर चल पड़ा ।

१६ अगस्त १९१४ को जहाज याकोहामा बंदरगाह में पहुँचा । परन्तु भारतीय यात्रियों को ले जाने का अग्रिम उपाय उसका पिंड नहीं छोड़ रहा था वह उसका पीछा कर रहा था । हागकाग बंदरगाह के अधिकारियों ने उहाँ भूमि पर उतरने नहीं दिया । अतएव वहाँ से जहाज याकोहामा की ओर चला और २१ अगस्त को कोबे पहुँचा जहाँ उसके माग में नई कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी गई । अब उसके लिए हागकाग बढ़ कर दिया गया था । उस समय यह समाचार आया कि भारत सरकार जहाज को कोबे से भारत की ओर भेजने का समस्त व्यय वहन करेगी ।

यद्यपि कहा यह गया कि जहाज का लक्ष्य कलकत्ता पहुँचना है परन्तु जहाज को मदरास की ओर चलने की आज्ञा दी गई । इस पर पुनः कठिनाई और झूठ उठ खड़ा हुआ । अतएव कोबे के ब्रिटिश कौंसिल जनरल को भुक्तना पडा और पुनः जहाज को कलकत्ता जाने की आज्ञा दी गई ।

कामागाटा मार्क जहाज २६ सितम्बर १९१४ को सिंगपुर पहुँचा जहाँ उसे तट से पाँच मील दूर रोक रखा गया । यात्रियों को तट पर उतरने की आज्ञा नहीं दी गई । यहाँ तक कि भारत में संबंधित अधिकारियों तथा प्रायः स्थाना को तार देने के लिए भी किसी को तट पर उतरने की आज्ञा नहीं दी गई ।

२६ सितम्बर, १९१४ को जब जहाज अपनी पूरी गति से जा रहा था तो कुल्पी के समीप उसने यकायक अपनी गति को रोक लिया । एक योरोपियन एक लांच से भंडी के द्वारा सिगनल दे रहा था । दूसरे दिन एक लांच में कई योरोपियन अधिकारी और बहुत बड़ी सट्या में पजाबी आए और वे जहाज पर चढ़े । उन्होंने डेक के सभी यात्रियों की पूरी तरह तलाशी ली । अगले दो दिन भी इसी प्रकार सभी यात्रियों की तलाशी ली गई । जब २८ सितम्बर १९१४ को जहाज बंगुरज के समीप पहुँचा जो कि बलरसे से सत्रह मील दूर था तो यह स्पष्ट हो गया कि जहाज की यात्रा समाप्त हो गई है । जिन अधिकारियों ने यात्रियों का आज्ञा लिया उन्होंने बतलाया कि यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से सीधे पलायन भेजा जायेगा ।

गुरबिल सिंह ने अपने माथी यात्रियों की ओर से इस घोषणा पर आश्चर्य प्रकट किया । उनसे कहा गया कि वे अपने साथियों से बिना तनिक भी विरोध या झुंझ किए कोबे उतर जाने को कहें । जब कि सभी यात्री भौंवरके होकर परामर्श कर रहे थे कि आज्ञा क्या किया जावे योरोपियन अधिकारी उनके पास आया और उसने आज्ञा दी कि यदि वे पंद्रह मिनट में जहाज से उतर कर उसको खाली नहीं कर देते हैं तो गोलियों के द्वारा उन्हें जहाज को खाली करने पर विवश किया जायेगा । प्रत्येक पाँच मिनट के उपरान्त वह बिल्ला कर कहता था कि आज्ञा को काय रूप में परिणत करने में कितने मिनट होय रह गए हैं । अन्त में उसने घोषणा की कि अब केवल एक मिनट होय है ।

यह और भूखे यात्री समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें । उनके होश हवास गायब थे । उन्हें धक्के मार कर और लातें मार कर जहाज से केवल एक तश्त के द्वारा उतारा गया कि जो जहाज को डाक से जोड़े हुए था ।

२८ सितम्बर १९१४ को बंगुरज रेलवे स्टेशन पर उन यात्रियों को आज्ञा दी गई कि वे तुरन्त बिना तनिक भी देरी किए खड़ी हुई ट्रेन में बैठ जावें । अतएव १९१४

कह दिया गया कि यदि उन्होंने बातचीत, सलाह मसबरा करके समय मऱ्ट किया तो बस प्रयोग करना होगा ।

यात्रियो ने अपने प्रतिनिधियो के द्वारा उन अधिकारियो से उनके साथ इस प्रकार का दुऱ्यवहार करने के लिए सरकारी आज्ञा दिखाने की माग की । अधिकारी उन्हें एक चिट भी नहीं दिखा सके । चौबीस परगने के मजिस्ट्रेट की आज्ञा के विरुद्ध यात्रियो ने ट्रेन में बठने से इनकार कर दिया और उन्होंने पदल कलकत्ते की ओर चलने का निऱ्णय कर लिया । तब तक पहली स्पेशल ट्रेन ६० आदमियो को लेकर जा चुकी थी । यात्रियो को ले जाने के लिए एक दूसरी स्पेशल ट्रेन तयार की गई ।

जिलाधीश के पास यदेष्ट पुलिस दल नहीं था कि जिसस वह यात्रियो को कलकत्ते की ओर जाने स रोक सकता । अतएव उसने पुलिस तथा सेना बुलाई । कुछ योरोपियन अधिकारियो ने यात्रियो के माग को रोकना चाहा । प्रत्येक अधिकारी ने पिस्तोल तान कर कहा कि यदि वे आगे बढ़े तो वे गोली मार दगे । सरदार इ दरसिह और सरदार अमरसिह ने अपनी छातिया खोल दी अपनी छातियो को पिस्तोलों की नली स लगाकर अधिकारियो से गोली चलाने को कहा । अधिकारी झिन्क गए गोली नहीं चली ।

यात्रियो ने चलना जारी रख्ला वे तीन मील तक चलते गए । पजाब की पुलिस उनके दोनो ओर बस रही था । एक मील तक वे और चले जदकि स मने से एक कार जिसके पीछे अनेक कारें थी जाती दिखलाई पडी । उनमे से एक ब्यक्ति ने गवरनर के प्रतिनिधि होने का दावा किया और यात्रियो को वापस बज बज स्टेशन लौटने की आज्ञा दी जहा वह उनकी शिकायतो को सुनेगा । थके हुए यात्रियो को निरौह पशुओं की भांति धमकी और अपमान के साथ पुन वापस लौटना पडा । सारे रास्ते उनके साथ दुऱ्यवहार किया जाता रहा । तब तक जिलाधीश का दल बढ़ गया था । कसकत्ता रिजव पुलिस की एक बडी टुकडी जिसके पास राइफल्स थी भा गई थी और फोर्ट विलियम से रायल प्यूजिलियस की दो कम्पनिया पहुँच गई थी ।

जैसे ही कि सब लोग सध्या पड़ते पड़ते स्टेशन पर आ गए पुलिस ने उन्हें ट्रेन के बजाय स्टीमर पर चढ़ने की आज्ञा दी । उस समय यात्रियो के मन में बहुत प्रचार की दुश्चिन्ताए और भ्रम फैल गया क्योंकि कुछ ही घण्टे पहले उन्हें उसी जहाज से उतरने पर विवश किया गया था । उन्होंने स्टीमर के बजाय गाडी में चढ़ने की अपनी इच्छा जाहिर की । जब यात्रियो ने स्टीमर म चढ़ने से इनकार किया तो बुरी तरह से पीटा गया साते मार कर धक्का देकर उन्हें स्टीमर में जाने के लिए कहा गया । क्रोधित यात्रियो ने स्टीमर म जाने की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया । उन पर किरचों से वार किया गया और जब यात्रियो ने अधिक विरोध किया तो उन पर गोली चलादी गई । उन्हें गोलियो से भून दिया गया और सोलह (गर सरकारी सूत्रो के अनुसार चालीस) प्लेट फाम पर मरकर गिर पडे । एक यात्री तहल सिह १३ अक्टूबर को मेडिकल बालेज म मर गया । इस प्रधाधुध गोली बर्षा क जवाब में जिन एव दो यात्रियो के पास रिवाल्वर थे उन्होंने भी गोली चलाई उससे मेजर ईस्टवुड, पजाबी पुलिसमन मालासिंह, एक कास्टेबिल तरणसिह और कुछ फाम पुलिस के सिपाही

मारे गए। रेलवे का डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिन्टेण्डेंट सोनावस के गोली लगी और यह वहीं मर गया।

यात्री तितर बितर हो गए उनका पीछा किया गया और उनपर गोली चलाई गई। जिस प्रकार जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है उसी प्रकार उनका पीछा किया गया और उन पर गोली चलाई गई। यह हत्याकाण्ड ३ बजे प्रातः काल तक चलता रहा। १२० से अधिक पत्राचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक युद्ध भारम्भ हो गया था। शत्रुओं तथा भवाश्रयनीय विदेशियों के घिरद मुकदमे चलाने के लिए सङ्कालीन कानून बना दिए गए थे। 'कीमागाटामारू' जहाज के अन्तर्गत यात्रियों पर उन सङ्कालीन कानूनों के अन्तर्गत मुकदमे चलाए गए।

यात्रियों ने जो अग्रमान और आपत्तियाँ उठाईं और जिस प्रकार निदयता के साथ गोलियों से उन थके हुए यात्रियों को मारा गया जिनको कनाडा से आने में असीम आर्थिक हानि और शारीरिक कष्ट उठान पड़े थे उसके कारण समस्त भारत तथा कनाडा और समुक्त राज्य अमेरिका में बसे भारतीयों में रोष फैल गया। जो आन्दोलन अधिकतर आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक बातों से सम्बन्धित था उसका गहरा राजनीतिक रूप बन गया। 'कीमागाटामारू' दुष्टता भारम्भ से लेकर अन्त तक ऐसा काण्ड है जिसके लिए यह मानना होगा कि उसने भारत के स्वाधीनता आन्दोलन की गति को तीव्र बनाया।

आंगिक सफलता— एक उच्च और प्रसिद्ध पुलिस अधिकारी बसंत कुमार चटर्जी पर आक्रमण करने के लिए स्थान और समय निश्चित करने में कोई भूल नहीं हुई परन्तु भाग्य ने उसका साथ लिया। वह बच गया और उसका अग्ररक्षक हैडकास्टेबिल रामभजनसिंह उसके बजाय मारा गया।

२५ नवम्बर १९१४ को ७ और ८ बजे रात्रि के बीच तीन बगाली युवकों ने पुलिस अधिकारी के मकान नम्बर १०/४१४ मुसलमानपुरा लेन के बँटखाने पर बम फेंका। जहाँ कि कुछ मिनट पहले बसंतकुमार चटर्जी ने तीन अग्र्य पुलिस अधिकारियों से बातचीत की थी। बसंत को मकान के धँदर बुला लिया गया था और तीनों पुलिस अधिकारी वहाँ से गए ही थे कि कुछ ही मिनटों में एक बम फटा जिससे रामभजन गम्भीर रूप से घायल हो गया उसकी दोनों टाँगें पूरी तरह से नष्ट हो गईं और उसके शरीर पर और भी वरुण हो गए। अमागा व्यक्ति उन जख्मों से दो दिन में मर गया। बम फेंकने वाले बम फेंक कर उस स्थान से गायब हुए कि उनका कोई पता न लग सका।

उस घटना के स्थान से ३०० गज दूरी पर एक बगाली सड़क के किनारे बठा हुआ मिला जो कि दूरी तरह घायल था और रुधिर अधिक निकल जाने से बहुत थका हुआ और निबल हो गया था। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया परन्तु अन्वये मुकदमे के बाद भी पुलिस उसका सम्बन्ध बम की उस घटना से प्रमाणित न कर सकी और उसको छोड़ दिया गया।

### अभिमन्त्रित जीवन (१९१४-१६)

इस प्रकार की अधिक कदायें सुनने की नहीं मिलेंगी जब कि एक पुलिस अधिकारी के जीवन को लेने के लिए उस पर दो असफल आक्रमण किए गए हैं और पुन ३० जून १९१६ को उस पर उषी उद्देश्य से आक्रमण किया गया जिसके सम्बन्ध में 'स्टेटसमैन' ने अपने सम्पादकीय लेख में नीचे लिखे अनुसार टिप्पणी की थी।

“वह बंगाली क्रातिकारियों द्वारा किए गए घातक कार्यों में सबसे अधिक साहसपूर्णकाय है।” और जहाँ वह क्रातिकारियों की अभूतपूर्व विजय है वह सरकार के लिए विशेष सज्जा और अपमान की बात है।

वहाँ दूसरी ओर उस घटना ने उस अधिकारी की कसब्य परायणता को भी सिद्ध कर दिया। उस पर दो बार आक्रमण हो चुके थे। दूसरे आक्रमण के उपरान्त उस पुलिस अधिकारी को भासानी से पुलिस लाईन में अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित काय जिसमें जोखिम न हो, दिया जा सकता था अथवा वह पुलिस अधिकारी अपने हत्यारे के बार-बार के आक्रमण से बचने के लिए उस पद को छोड़ सकता था।

प्रथम बार उस पर ढाका में १९ जुलाई, १९१४ को आक्रमण किया गया। उस पर कई गोलियाँ चलाई गईं परन्तु उसके कोई गोली नहीं लगी, वह बच गया परन्तु उसका नौकर घटना स्थल पर ही मर गया। जसा कि ऊपर बतलाया गया एक दूसरा प्रयत्न बसंत कुमार चटर्जी पर किया गया जबकि उसका बठकखाने पर बम फेंका गया परन्तु जब बम फटा तो उसके कुछ मिनट पहले ही वह वहाँ से चला गया था।

गर्भी के दिन सायंकाल का समय था। सूर्य की रोशनी पूरी तरह से चली नहीं गई थी लगभग ६। बजे का समय था जबकि बसंत कुमार चटर्जी अपने कार्यालय से साइकिल पर अपने घर की ओर जाता दिखाई दिया। उसके पीछे उसका सगन्ध भग रक्षक भी साइकिल पर आ रहा था। वे दोनों धम्भूनाथ पंडित सड़क पर भयानीपुर में जा रहे थे। उस समय पड़ोस की सड़कों पर सवारियों और पदल चलने वालों की भारी भीड़ थी। सड़क की एक ओर एक खुला हुआ मैदान था जहाँ बंगाली युवक फुटबाल खेल रहे थे।

सड़क की एक ओर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सूर्य से पाँच बंगाली युवक रिवास्वरों को ताने हुए बसंत और उसके भग रक्षक अदली पर भूषण कर रहे थे। चोकरने और चतुर अग्ररक्षक न उन लोगों को देख लिया जो उसके अफसर पर आक्रमण कर रहे थे। उसने एक को गदन से पकड़ लिया और जब तक वह अपने अस्त्र निकाले उसकी टांगों पर दो बार प्रहार किया गया और वह गिर पड़ा। बसंत को रिवास्वर की नौ गोलियाँ लगीं। अभी तक किसी पुलिस अधिकारी को इतनी गोलियाँ नहीं मारी गई थी। एक गोली उसके सिर को छेद कर निकल गई जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। थायल अदली बिलासचंद्र घोष धम्भूनाथ पंडित अस्पताल में १६ अगस्त १९१६ को जल्मों के कारण मर गया।

सड़क पर चलते हुए एक दूसरे पुलिस कास्टेबिल ने उन्हें ललकारा तो उन बंगाली युवकों ने रिवास्वर से खाली पायर करके उसे भयभीत कर दिया। मारने वाले घटना स्थल से पूर्व की ओर भागे और एक छोटी गली (पीपल पट्टी लेन) में घुस गए और आँख से भोझन गए। पुलिस ने घटना स्थल पर जो जाँच की उससे उन्हें इस बात की तनिक भी आशा नहीं रही कि कोई उन्हें पहचान सकता है। उसके अनिश्चित कोई ऐसा सूत्र उन्हें नहीं मिला जिससे कि वे उन लोगों को पकड़ सकते।

उलझा हुआ जाल (१९१४ १७)

फीरोजपुर हत्याकांड—पार्टी के लिए धन एकत्रित करने के उद्देश्य से पंजाब के क्रातिकारियों ने ३० नवम्बर, १९१४ को मोगा के सरकारी लजावे को छूटने की

योजना तैयार की।

२७ नवम्बर, १९१४ को लगभग एक बजे दोपहर को पन्द्रह भादमियों का एक दल जिसमें जगतसिंह जीधनसिंह कान्धीसिंह, साससिंह, ध्यानसिंह, काशीराम जोशी तथा रहमत भली ये फीरोजपुर छावनी के दरवा स्टैंड पर आया और उसने उन सबों को फीरोजपुर नहर के पुस तक ले जाने के लिए तीन टमटम किराए पर की।

मिथीवाल गांव में यानेदार बशारत भली और ज्वालासिंह, जेलदार तथा घोड़े से और भय पुलिस दल के लोग सुपरिस्टेण्ड पुलिस उस समय वहाँ पहुँचने वाला था।

इतने भादमियों को एक साथ जाते देखकर यानेदार बशारत भली ने टमटम वालों को रुकने का संकेत किया परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

बशारत भली ने इस पर अपने एक भादमी को घोड़ी पर भेजा कि वह जगतसिंह और उसके दल को जाकर रोक दे। उसने जाकर उन्हें रोक दिया और वह उन्हें यानेदार बशारत भली के पास ले आया। बशारत भली ने उन्हें अपने चारों ओर बिठा लिया तो उनमें से एक ने कहा कि वे सरकारी कमचारी हैं और सेना के लिए रगड़ भर्ती करते हैं और पुलिस द्वारा उनके काम में हस्तक्षेप करना नितान्त अप्राप्तनीय है।

यानेदार ने उन लोगों की बातों पर विदवास नहीं किया और उन पर सदेह-जनक व्यवहार का दोषारोपण किया। उनसे कहा गया कि वे जब तक सुपरिस्टेण्ड पुलिस न आ जायें वहीं रुके रहे जब पुलिस सुपरिस्टेण्डेट आ जायें तो वे उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं।

क्रांतिकारियों के दल को यह अच्छी तरह से अनुभव हो गया कि अब पुलिस के पजे से निश्चल जाना कठिन होगा अतएव चारों न पिस्तौल निवाल लिए और जगतसिंह ने बशारत भली पर गोली चला दी। जैसे ही बशारत भली गिरा दूसरे भादमी ने तबुये से उसके सर पर कई बार बार किया। पुलिस के भादमी तथा जेलदार तथा भय कुछ लोग जिन्हें पुलिस ने रोक रक्खा था भाग खड़े हुए। जेलदार ज्वालासिंह को पीछा करने वालों ने पीछे से गोली मार दी और वह गिर पड़ा। जबकि कि वह जमीन पर लम्बा लम्बा गिर पड़ा तो उसको दूसरी गोली मारी गई और उसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया गया।

तब तक मिथी वाला गांव के लोग यह देखने के लिए कि क्या बात है वहाँ आ गए और उन अजनबियों को डाकू समझ कर जो भी उनको मिला लेकर उनका पीछा किया। जगतसिंह तथा भय दूसरे इतनी अधिक सख्या में गांव वालों को देखकर डर गए और उन्होंने वहाँ से भाग जाने का प्रयत्न किया किंतु गांव वाला ने उनका पीछा करने में ढील नहीं की। क्रांतिकारी दल के नौ भादमियों ने नहर के दोनों किनारों पर जो नरकुल का जंगल था उसमें धारण ली वे उसमें छिप गए। और दोप ६ भोगा की ओर भाग गये इनका पता न लग सका।

गांव वालों के सक्रिय हस्तक्षेप से साहस पाकर बशारत भली के कुछ भादमी वहाँ लौट कर वापस आए तो उन्हें बशारत भली मरा मिला। ज्वालासिंह कुछ मिनट और ज़िन्दा रहा। जो भी भादमी नरकुल के जंगल में छिप गए वे वहाँ से निकल

नहीं पाए क्योंकि गांव वालों ने संमस्त क्षेत्र को पूरी तरह घेर लिया था। उनमें से एक जीवनसिंह एक पेड़ के नीचे बाहर दिखलाई पड़ा और वह गिरपतार कर लिया गया। जो दल उन लोगों को घेरे हुए था वह उस और ही लगातार गोली चला रहा था जहां से घिरे हुए लोगों की गोलियां आ रही थीं। ६ व्यक्ति अपने छिपने के स्थान से निकल कर बाहर आ गए और भलग भलग स्थानों पर पकड़ लिए गए। कुछ लोगों ने साहस किया और आगे बढ़े और जहां भागने वाले छिपे हुए थे उसकी खोज की। उनमें से एक च दासिंह मर गया और दूसरा ध्यानसिंह मरणसन्न रूप से घायल हो गया था। वह बहुत लम्बे चौड़े डोल डोल वाला आदमी था और उनका नेता प्रतीत होता था।

उनका फौजपुरेशन के यहां मुकदमा हुआ और १३ फरवरी, १९१५ को फैसला सुना दिया गया। जगतसिंह को बश रत अग्नी की हत्या के अपराध में इंडियन पिनल कोड की धारा ३०२ में सजा हो गई और दूसरे ६ (१) जीवनसिंह (२) काकशीरामसिंह (३) सालसिंह (४) ध्यानसिंह (५) काशीराम और (६) रहमत अली को इण्डियन पिनल कोड की धाराओं १४६ और ३०२ में प्राण दण्ड दिया गया। प्रत्येक अपराधी को सब सम्पत्ति राज्य ने जप्त करली।

अपराधियों ने पंजाब की कोर्ट में अपील की जो ६ मार्च, १९१५ को अस्वीकार कर दी गई और नीचे न्यायालय की सजा की पुष्टि कर दी गई। तीन अपराधियों को मांटगोमरी जेल में २५ माच को फांसी दे दी गई और शेष दो को लाहौर जेल में २७ मार्च को फांसी दी गई।

अक्रामात पकड़े गए—पंजाब में सिक्खों में अशांति के स्पष्ट चिह्न थे और पुलिस बहुत चौक नी थी। वे जो भी सन्देशजनक बात होती उसको ध्यान से देखते थे। २० फरवरी १९१५ को तीन सिक्ख जिनमें एक अजुन उपनाम सज्जन सिंह था। अन्नारकली डाकघर के पास एक तांगे पर दिखल ई पड़े जो साठियां ले जा रहे थे उनको देखकर धानेदार मुहम्मद भूसा को सदेह हुआ। उसे ऐसा लगा कि वे बाहर से दिखलाई देती हैं वसी नहीं है सम्भवत लाठी के आवरण में वह तलवारें हैं।

उसने तांगे को रोकने के लिए कहा वह साठियों की जांच करना चाहता था। सिक्खों ने मना किया और नाराजगी जाहिर की परन्तु पुलिस ने उनमें से एक के हाथ से वह लाठी छीन ली।

तुरन्त ही सज्जनसिंह ने रिवाल्वर निकाल लिया और पुलिस पर गोली चला दी। हैड कांस्टेबिल मामूम शाह के गोली लगी, हास्पिटल पहुँचते पहुँचते मर गया और धानेदार मुहम्मद भूसा गम्भीर रूप से घायल हो गया। सज्जनसिंह को समीप खड़े हुए राहगीरों ने पकड़ लिया और उसको ठकेल कर एक दुकान में बन्द कर दिया। अन्य दो भाग गए।

यह अनुमान लगाया गया कि तीन सिक्ख जो अन्नारकली कांड में सम्मिलित थे उस दल के थे जो १८ फरवरी को पकड़े गए और उनके दो साथी २० फरवरी, १९१५ को पकड़े गये। २५ फरवरी १९१५ को सज्जन सिंह को हैड कांस्टेबिल मामूम सिंह को मारने तथा धानेदार मुहम्मद भूसा को मारने का प्रयत्न करने के अपराध में जिलाधीश की अदालत में उपस्थित किया गया। उसकोेशन सुपुद कर दिया गया जहां ११ मार्च, १९१५ को उसका अभियोग अरम्भ हुआ।ेशन जज से सज्जन की

दोषी घोषित कर उसे प्राणदण्ड की सजा दे दी। सशजम सिंह ने न्यायालय में साहस और वीरता के साथ घोषणा की कि जो भी भारत के हितों के विरुद्ध काय करेगा। मुझे उसे मारने में तनिक भी हिचक नहीं होगी। अपराधी काँदी सज्जनसिंह को लाहौर सेट्रल जेल में २० अप्रैल १९१५ को प्रातःकाल सड़के फाँसी दे दी गई।

मेरठ की सैनिक अदालत में कोर्ट मार्शल (१९१५)

जो चारों ओर घटनाएँ घट रही थी उनके कारण तथा देशभक्तों द्वारा भारतीय सेनाओं के सैनिकों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने का कुछ सैनिकों के मन पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ा और उनमें देशभक्ति की भावना का उदय हुआ। बारहवीं अग्नारोही सेना (कवेलरी) और १२८ पायनियर्स के साथ उन्हें सफलता मिली यह स्पष्ट था। पहली सेना के (सवार ऐड्रिंग लस दफादार) ईश्वर सिंह और सवार हजारा सिंह तथा भय दो हवलदार (कशटर मास्टर हवलदार) बीबा सिंह और सिपाही फूला सिंह जो दूसरी सेना के थे उन पर यह अभियोग लगाया गया कि दो फरवरी और २३ मार्च १९१५ के बीच यह जानते हुए कि राज्य के विरुद्ध एक पकड़ बना हो रहा है कुछ व्यक्ति मेरठ में स्थित सैनिकों को राज्य के विरुद्ध सुला विद्रोह उठा करने के लिए भड़का रहे हैं, उन लोगों ने उपयुक्त अधिकारियों को उसकी सूचना तुरन्त बिना देरी किए नहीं दी।

१९ एप्रिल १९१५ को मेरठ में एक समरी कोर्ट मार्शल की बैठक (सैनिक अदालत की बैठक) हुई और सभी अभियुक्तों का मुकदमा हुआ। सैनिक अदालत ने फसला दिया कि सभी अभियुक्त व्यक्तिगत और सम्मिलित रूप से दोषी हैं। चारों को दोषी पाया गया और उन्हें ब्रिगेडियर प्रेसीडेंट मेरठ ने एक साथ प्राण दण्ड की सजा दी। २१ एप्रिल १९१५ को प्रधान सेनापति ने फसले की पुष्टि कर दी।

२३ एप्रिल १९१५ को सिविल जेल मेरठ में चारों को फाँसी दे दी गई। चारों भारतीय सैनिक जिनके हृदय में स्वतंत्र भारत के लिए गहरा प्रेम और भावना थी वे भारतीय स्वतंत्रता की बलिदेदी पर अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले बलिदानियों की सम्बन्धी पक्ति में सम्मिलित हो गए।

होशियारपुर कांड— क्रांतिकारियों को इस बात के यथेष्ट संकेत मिले थे कि कोई व्यक्ति जो उनके बहुत समीप था उसने इस प्रकार का आचरण अवश्य किया कि जिससे दल के एक विरुद्धसैन्य और सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी हो गई। जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि चादा सिंह जेलदार ना गल कला गुप्त रूप से क्रांतिकारी दल के सम्बन्ध में अधिकारियों को समाचार देता था। क्रांतिकारी दल की गुप्त बैठक में यह निश्चय किया गया कि चादासिंह को मार डाला जाये जिससे वह आगे दल के विरुद्ध कोई कार्य न कर सके।

२५ अप्रैल, १९१५ की शाम को एक आदमी चादासिंह के मकान नामगल कला भेजा गया कि वह पता लगाए कि चादासिंह उस समय घर पर है अथवा नहीं। उस आदमी ने बांतासिंह और बूटासिंह को कहला भेजा कि वे दोनों तयार रहें। संदेशवाहक के द्वारा यह जानकर कि चादासिंह घर पर ही है बांता सिंह, बूटासिंह और एक तीसरा आदमी जो बाद को फरार हो गया चादा सिंह के मकान के पास अपनी योजना को कार्यात्मक रूप में परिणित करने के अवसर की ताक में प्रतीक्षा करते रहे। कुछ देर बाद जैसे ही चादा सिंह मकान से निकल कर बाहर आया बांता सिंह और



बूटा सिंह ने उस पर यथायक आक्रमण किया उन्होंने उसके सिर में गोली मारी जिससे वह तुरंत मर गया ।

६ जून १९१५ को बूटा सिंह एक अग्र्य क्रांतिकारी के साथ जो साहौर पडयत्र का फरार था । 'चित्ती' गांव में पकड़ा गया और बांता सिंह २५ जून को अपने ही गांव में कद हो गया । २३ जुलाई १९१५ को उन पर अभियोग खलाया गया कि उन्होंने २५ अप्रैल १९१५ को नागल कला म चादा सिंह की हत्या कर दी ।

२७ जुलाई १९१५ को दोनों अभियुक्तों बांतासिंह और बूटासिंह को प्राण दण्ड की सजा दे दी गई और उनकी समस्त सम्पत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली गई । पंजाब सरकार तथा भारत सरकार को प्राणदण्ड पर पुन विचार करने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई और १२ अगस्त १९१५ को दोनों अभियुक्तों को साहौर जेल में फांसी दे दी गई ।

### देशद्रोही का पुरस्कार (१९१५)

यद्यपि क्रांतिकारी बड़ी योजनाओं की तैयारी में लगे थे । वे आलस्य में नहीं थे और उन मामलों की ओर ध्यान देते थे कि जिन्हें वे अपने मांग में बाधक समझते तरल तारण से १५ मील दूर जगतपुर ग्राम के सरदार बहादुर इखरा सिंह के बारे में क्रांतिकारियों की दृढ़ धारणा थी कि वे देशद्रोही के समान कार्य कर रहे हैं । सरकारी पक्ष का समयन करने के कारण वे सावजनिक घृणा के पात्र बन गए थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ क्रांतिकारियों को इस बात की धमकी दी थी कि वे उन पर बुरे चरित्र के होने तथा उनके जीवन निर्वाह के कोई दिव्यते हुए साधन न होने के अपराध में मुकदमा खलावेंगे । उनको रास्ते से हटा देने की योजना तयार की गई । ४ जून १९१५ को दिन दहाड़े साडे ६ बजे सायंकाल उस पर कालूसिंह आत्मासिंह चानन सिंह और बांता सिंह ने आक्रमण किया और वह स्थान पर ही मारा गया ।

पहले तीनों १२ जून और चौथा २५ जून को गिरफ्तार हो गए । अभियोग में आत्मा सिंह, कालूसिंह चानन सिंह और बांता सिंह को प्राण दण्ड दिया गया (२१ जुलाई १९१५) और उनको साहौर सट्टल जेल में ६ अगस्त १९१५ को फांसी दे दी गई ।

बग्ता उपनाम बूटा सिंह की फांसी इसलिए रोक दी गई क्योंकि उसके विरुद्ध अवालत में और भी अभियोग थे जिनमें उसे अपस्थित होना था ।

### बल्ला नहर पुल पर आक्रमण (१९१५)

क्रांतिकारी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अस्त्र शस्त्रों की बहुत आवश्यकता होती थी । अतएव गम्भीर खतरे की उठा कर भी उनको प्राप्त करने की योजनाएं और तैयारियां की जाती थीं । १२ जून १९१५ को कालासिंह, चाननसिंह हरनामसिंह आत्मा सिंह और बनतासिंह कुछ अग्र्य साथियों के साथ बल्ला नहर के पुल के पास आए जो अमृतसर के पास था और बल्ला रेलवे पुल के पास जो मिलिटरी गाड़ था उस पर चार बजे सायंकाल आक्रमण किया । आक्रमण का उद्देश्य बंदूकें तथा गोली बारूद प्राप्त करना था । उन्होंने उसी समय निकलने वाली एक रेलवे ट्रेन का साम उटाया और अस्त्र तेजी और फुर्ती से सैनिक गश्क पर टूट पड़े ।

सिपाही फूल सिंह और हवलदार छितर नायक राइफल तथा पिस्तोल की गोलियों से मारे गए । गोलियों के अतिरिक्त फूलसिंह के शरीर पर पांच घावों के घाव भी थे और उसका शरीर गोणियों से छलने हो गया था । छितर नायक के दो गोणियों

घोर दो घाव घावी से लगे । ६ राइफलें घोर बहुत से कारतूस घोर घोर गोलियाँ प्राक्रमण जारी उठा से गए ।

यह हत्याएँ करके क्रान्तिकारी दल हथियारों को लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा । पलासुर के समीप उन्होंने गुनाब नामक व्यक्ति को मार दिया क्योंकि उसने उन्हें अपना घोड़ा देना भस्वीकार कर दिया था ।

पलासुर से प्राक्रमणकारियों का गोविन्दयाल नाब घाट तक लोगों ने पीछा किया । पीछा करने वालों और जिनका पीछा किया जा रहा था दोनों में रात्रिभर लगातार गोलियों का आदान प्रदान होता रहा । नाब वालों को मार डालने की धमकी देकर प्राक्रमणकारियों ने उन्हें कलांग नदी के दूसरे किनारे पर पहुँचा देने पर विवश कर दिया । एक नाब वाले मालग को उन्होंने गोली मार कर इसलिए मार दिया क्योंकि उसने नाब वालों को उन भगोड़ों को अपनी भावों में पार न उतारने का परामर्श दिया गया था ।

काला सिंह और उसके दल का सदाश्र पुलिस तेजी और दृढ़ता से पीछा कर रही थी, भाग में वे दो क्रान्तिकारियों को पकड़ने में सफल हो गए । दोप दल वालीस भील चलकर कपूरथला राज्य सीमा में घुसने में सफल हो गया । वहाँ कालासिंह खानसिंह हरनाम सिंह और आत्मा सिंह पकड़ लिए गए ।

अपने ही आशयों द्वारा विश्वासघात किए जाने पर बस्तासिंह बहुत खोज के उपरान्त एक स्थान पर जो उसके घर से बहुत दूर नहीं था २५ जून १९१५ को पकड़ लिया गया ।

अभियुक्त कालासिंह ने घोषणा की कि उसने गाँव (सैनिक रक्षक) पर प्राक्रमण किया था और वह स्वयं उसकी मृत्यु का कारण है । वह शर्मा से कोसम्बो होकर भारत एक फौज जहाज में आया था और उसने यह निश्चय कर लिया था कि भारत पहुँच कर और देश की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने के उपरांत वह भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करेगा ।

१२ जून १९१५ को सभी पाँचों अभियुक्तों पर छिस्तासिंह हवलदार फूलसिंह गुलाब और मलांग की हत्या करने और डाका डालने के अपराध में अभियोग चलाया गया । २१ जुलाई १९१५ को उन सभी को प्राण दण्ड की सजा दे दी गई ।

सैंपटीनेट गवरनर को दया की प्रार्थना का पत्र दिया गया जो ४ अगस्त १९१५ को भस्वीकार कर लिया गया । बस्तासिंह को छोड़कर चारों अपराध (१) कालासिंह (२) खानसिंह (३) हरनाम सिंह, (४) और आत्मासिंह को ६ अगस्त और १४ अगस्त १९१५ के बीच लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई ।

### पदरी हत्याकांड (१९१५)

लाहौर पदयत्र के मुकदमे में पदरी का कपूर सिंह एक सरकारी आहू था । उसके उपरांत यह पुलिस का मसबिर बन गया तथा राजनीतिक दृष्टि से सदेहजनक व्यक्तियों के विरुद्ध यह पुलिस को खबर करता रहता था ।

९ अगस्त १९१५ को ठीक सूय नूषने के बाद प्रेमसिंह जो लाहौर पदयत्र (पुरक) अभियोग का अभियुक्त था तथा कुछ अन्य क्रान्तिकारी जो बल्ला नहर पुल के प्राक्रमणकारी दल के ही थे अमृतसर बिलेके पदरी का स्थान पर मिले । उनके मिलने का उद्देश्य उस प्राप्तिजनक व्यक्ति को सत्कार से हटा देना था । शिकार अर्थात् कपूरसिंह कुँय पर

नहा कर घर की ओर आ रहा था जबकि उसके गोली मारी गई और वह घटना स्थल पर ही मर गया। मृतक के दोनों हाथों को घावों से काट लिया गया।

उस सूचना के आधार पर पन्द्रह सिक्खों पर जिनमें अधिकतर विदेशों से आए हुए थे अभियोग चलाया गया। चार पर हत्या का आरोप लगाया गया तीन पर पड़यंत्र तथा अपराध में सहायक होने का तथा अन्यो पर पड़यंत्र तथा हत्या का आरोप किया गया।

७ मार्च, १९१६ को लाहौर के विशेष न्यायालय ने 'सूरसिंग' के प्रेमसिंह तथा पदरी के हजरसिंह को प्राणदण्ड तथा पांच अभियुक्तों को आजीवन काला पानी की सजा दे दी।

### सैनिक विद्रोह (१९१५)

राष्ट्रीय काय के लिए सेना को अपनी ओर लाने के प्रयत्न सर्वथा व्यर्थ नहीं गए। लाहौर पड़यंत्र के अभियोग में अभियोजकों ने बहुधा इस बात का उल्लेख किया था कि क्रांतिकारियों ने सेना को अपने साथ लाने का प्रयत्न किया। जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया कि २३ कवेलरी रेजीमेंट (अश्वारोही सेना) के कुछ सैनिकों का कमांडा और अमेरिका से वापस आने वाले सिक्खों द्वारा संडे किए गए विद्रोह से अधिक गम्भीर और निकट का सम्बन्ध था जिसके सम्बन्ध में तब तक कुछ ज्ञात नहीं हो सका था।

कम से कम अठारह व्यक्तियों का विप्लववादियों से सम्बन्ध था यह प्रमाणित करने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी की गई। ये लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उन अठारह व्यक्तियों पर भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव करने के प्रयत्न करने का अभियोग लगाया गया और समरी बोट मासल (सैनिक अदालत) के सामने उनका अभियोग सुना गया। १४ अगस्त, १९१४ तथा उसके आगे की तारीखों में अभियोग की सुनवाई हुई।

सोलह सवार, एक लैंस दफेदार और एक दफेदार जो कि तेईसवीं (अश्वारोही) कवेलरी फ्रांटियर फोर्स (सीमा सेना) के सैनिक थे, १५ अक्टूबर १९१४ और १५ मई, १९१५ के बीच पड़यंत्र करने के अपराध में सैनिक अदालत के सामने उपस्थित किए गए। उन पर यह आरोप था कि वे उस पड़यंत्र में सम्मिलित थे जिसके अंतगत बनों को बनाया गया। तार काटे गए, और पुत सभाएँ हुईं जिनमें विप्लव की घोषणाएँ तयार की गईं। उन गर कमीशन अधिकारियों में से आठ पर यह वकल्पिक आरोप भी लगाया कि उनमें से प्रत्येक १५ अक्टूबर और १५ मई १९१५ के मध्य लाहौर छावनी में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा पड़यंत्र की तयारी के बारे में जानता था कि जो कानून द्वारा स्थापित भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न था। उस पड़यंत्र के परिणाम स्वरूप कतिपय कमीशन प्राप्त अधिकारी और उसी सेना के सैनिकों ने खुला विद्रोह करना स्वीकार कर लिया था और उन्होंने उस पड़यंत्र की सूचना तुरन्त ही कमांडर अथवा अन्य किसी उच्च अधिकारी को नहीं दी।

बिना अधिक प्रयास के सैनिक अदालत ने सत्रह अभियुक्तों को प्रथम अपराध का दोषी करार दे दिया और उन्हें प्राण दण्ड की सजा दे दी। अठारहों को उम्हेंदे दूसरे अपराध का दोषी पाया और उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई।

अभियोग के पुनर्विचार के बाद प्रधान सेनापति ने भीचे दिए बारह अभि-  
युक्तों के प्रासुदण्ड की सजा की पुष्टि कर दी —

(१) अब्दुल्ला (२) भगतसिंह (३) बुढसिंह (४) बूढासिंह (५) गूजरसिंह  
(६) इन्दरसिंह (७) इन्दरसिंह (८) जेतासिंह (९) लछमन सिंह (१०) मोतासिंह  
(११) तारासिंह और (१२) बघावतसिंह उनमें से अधिकांश लाहौर और अमृतसर के थे।

सभी बारह को अम्बाला के सिविल जेल में ३ सितम्बर १९१५ को फासी  
दे दी गई। उन बारह को फासी मानो उन व्यक्तियों का कत्ले आम था जो अपने देश  
को स्वतंत्र देखना चाहते थे और उसी लक्ष्य और उद्देश्य के लिए उन्होंने काम  
किया। वे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए बलिदान हो गए।

एक दूसरे अभियुक्त नन्दासिंह को अण्डमन में निर्वासित कर दिया गया जहाँ  
उसकी २० अक्टूबर, १९१८ को मृत्यु हो गई। मत्यासिंह का भाग्य भी उसी के जसा  
था। उसकी मृत्यु १६ अप्रैल १९२० को हुई। ('पीपुल्स पाय' फरवरी, १९६६  
पृष्ठ ५१)

### लाहौर पडयंत्र अभियोग (१९०६-१९१५)

ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की धरमा के बाद सबसे अधिक बड़े  
पैमाने पर पत्राचार में तैयारियाँ की गईं। अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने का विचार  
पत्राचार में १९०६ में उत्पन्न हुआ तथा प्रथम विश्व युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में वह  
विकसित और पल्लवित हुआ।

उस पडयंत्र का बिना फिर चाहे वह कितना ही अपूरण क्यों न हो प्राप्त करने  
के लिए जो घटनाएँ विदेशों में विशेषकर समुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मलाया  
बरमा तथा अन्य पूर्वी देशों में घट रही थीं उनका गौरा जानना आवश्यक है जो  
अप्यत्र दिया गया है। गदर कीमागाटा माठ बजबज विद्रोह सनफ्रांसिस्को अभियोग,  
गोचधी देशी लाइट इन्फैंट्री तथा मलाया स्टेट गार्ड्स का विद्रोह मांडले पडयंत्र तथा  
अन्य अभियोग जो सभ्राट के विरुद्ध पठ काने तथा सेनाओं को सभ्राट के विरुद्ध  
विद्रोह करने के लिए महकाने के आरोप में चलाए गए थे उनमें से कुछ घटनाएँ थीं  
जिनका १९१५ और उसके पश्चात् लाहौर पडयंत्र के अभियोग से निकट का सम्बन्ध  
था।

सुभ पत्राचार में क्रांतिकारी मोलन को समुक्त राज्य अमेरिका कनाडा  
उपाई तथा सुदूर पूव के देशों से लौटकर आए हुए भारतीयों से बहुत बढ़ावा मिला।  
उन भारतीयों का विदेशों का विस्तृत और विभिन्न प्रकार का अनुभव था साथ ही  
उनका मानस किसी भी दुपटना का सामना करने के लिए पूर्ण तैयार हो चुका  
था। उनके आ जाने से पत्राचार में जो क्रांतिकारी संगठन पहले से ही सक्रिय था  
अधिक शक्तिवान और सतेज हो उठा। अमेरिका, कनाडा तथा अन्य देशों से प्राप्त  
रकिए हुए अस्त्र दस्त्र गोली-बारूद बड़ी मात्रा में भारत में गुप्त रूप से लाए गए।  
विदेशों से लौटे हुए भारतीयों ने जैसे ही भारत भूमि पर पैर रखता उनमें से बहुतों की  
गिरफ्तार कर लिया गया। और कारागार में डाल दिया गया। उनमें से कुछ को  
जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया अथवा उनकी कड़ी जांच करके छोड़ दिया गया वे  
पत्राचार था और सन्निवों तथा प्रामोहों में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने लगे।

क्रांतिकारियों के सामने यह स्पष्ट था कि देश को स्वतंत्र करने के लिए

लाहौर की छावनी में सशस्त्र प्रदर्शन किया और फिर वे इस उद्देश्य से फ़िरोजपुर की ओर बढ़े कि मोगा के खजाने और घसत्रागार को ३० नवम्बर १९१४ को लूट लिया जावे। मोगा की ओर जाने वाले सशस्त्र क्रांतिकारी दल की फ़ीरोजपुर ( फ़ीरोजघर ) के पास २७ नवम्बर १९१४ को पुलिस के दल से मुठभेड़ हो गई जिसमें एक घानेदार और एक जेलदार मारा गया। क्रांतिकारी दल और पुलिस में देर तक गोली चलती रही। क्रांतिकारियों में दो क्रांतिकारी घटनास्थल पर ही मर गए और बाद को सात क्रांतिकारियों पर मुकदमे चले और उन्हें फाँसी दे दी गई।

लुधियाना जिले के 'सानेवाल' और मानसुराम' स्थानों पर क्रमशः २३ और २७ जनवरी १९१५ को क्रांतिकारियों ने डाके डाले और धनिकों की सम्पत्ति नातिकारी कार्यों के लिए लूट ली। इसी प्रकार मालेरकोटला रियासत 'भानेर' स्थान पर जनवरी २९ को, अमृतसर जिले 'छावा' नामक स्थान पर २ फरवरी को लुधियाने जिले के 'रामोन' नामक स्थान पर ३ फरवरी को तथा अन्य स्थानों पर डाके डाले गए।

इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत क्रांतिकारियों द्वारा आक्रमण और भूषणें बहुधा बड़ी संख्या में होती रही। २० फरवरी १९१५ को अनामकली बाजार ( लाहौर ) में एक क्रांतिकारी द्वारा एक घानेदार और कास्टेबिल मारा गया जिसके लिए उसको फाँसी दी गई। क्रांतिकारियों का एक सशस्त्र दल ५ जून १९१४ को एकत्रित हुआ। उनका लक्ष्य कपूरथला सशस्त्रागार को लूट कर अस्त्र शस्त्र प्राप्त करना और तत्पश्चात् लाहौर और मांटगोमरी जेलों पर आक्रमण करना था। जब क्रांतिकारी इकट्ठे हुए और उन्होंने सारी परिस्थिति का अध्ययन किया तो उन्होंने अनुमति किया कि दल की शक्ति उस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं है अतएव १२ जून को अधिक शक्ति संचय कर कार्यवाही करने का निश्चय किया गया। उ होने कुछ क्रांतिकारियों को वाल्ला पुल पर नियुक्त सैनिक टुकड़ी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। ११ जून को पुल की रखवाली करने वाले सैनिकों पर आक्रमण किया गया जिसमें चार सैनिक मारे गए और आक्रमणकारियों में से चार पर मुकदमा चला और उनको फाँसी दे दी गई।

वाल्ला पुल पर आक्रमण रेल यातायात को नष्टभष्ट करने के उद्देश्य से किया गया था जो कि क्रांतिकारियों के कार्यक्रम का एक भाग था। एक दूसरी योजना फरवरी १९१५ में दारहा रेलवे पुल पर आक्रमण करने की थी जो अंतिम क्षण में स्थगित कर दी गई।

पंजाब के क्रांतिकारियों का सम्बंध मंडी रियासत के असतुष्ट और दुर्बध् व्यक्तियों से भी था। क्रांतिकारियों से निश्चय किया कि रियासत में बम और शस्त्र इकट्ठे किए जावें और पंजाब से क्रांतिकारियों को लाकर बंजीर तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि रबीडट को मार कर रियासत पर अधिकार कर लिया जाय। क्रांतिकारियों का लक्ष्य यह था कि मण्डी को समीपवर्ती प्रदेश पर विस्तृत आक्रमण करने के लिए आधार के द्र बनाया जावे। इससे पृथक मण्डी पृथक्-पृथक केस में पांच क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाए गए इनमें से एक को भाजम कालापानी और अन्यो को विभिन्न जालों के लिए कारावास की सजा दे दी गई।

क्रांतिकारियों में विसंखण योग्यता प्रतिभा अदभ्य साहस तथा क्षमता के व्यक्ति थे। १२ फरवरी १९१५ को लाहौर में चहोने यह निर्णय किया कि २१ फरवरी को विभिन्न स्थानों पर बहुत विषाध क्षेत्र में जनविद्रोह खड़ा कर दिया जाय। क्रांतिकारी

सदेधवाहको को विभिन्न छावनियों में २१ फरवरी को होने वाले विद्रोह की सूचना देने के लिए भेज दिया गया। योजना यह थी कि जब मीरपुर में विद्रोह होने की सूचना मिले तो समस्त पंजाब में सेनाएं विद्रोह कर दें।

इस बात की भी व्यवस्था करली गई थी कि ग्रामीणों के समूहों को लाहौर में इकट्ठा कर लिया जाय और उन्हें भी विद्रोह में सम्मिलित किया जावे। बड़ी मात्रा में बम बनाए गए और बहुत बड़ी राशि में अस्त्र अस्त्र इकट्ठे किए गए जो कि विद्रोह के समय क्रांतिकारियों में बांट दिए जाते। विद्रोह की व्यवस्था को पूरा करने के लिए तारों को काटने के लिए तथा संचार व्यवस्था के केबलों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में धातु इकट्ठे कर लिए गए। जब विद्रोह सफल हो जावे तो सभी प्रमुख स्थानों पर स्वतंत्र भारत की ध्वजा को फहराने के लिए बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय झंडे तैयार कर लिए गए। तात्पर्य यह है कि उस विनाश जन क्रांति को सफल बनाने के लिए शीघ्रतापूर्वक पूरी तैयारी करली गई।

जब तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी उसके अंतिम चरण में क्रांतिकारियों को यह पता लगा कि पुलिस को होने वाले विद्रोह की एक जासूस के द्वारा तैयारी की खबर लग गई है और विद्रोह को न होने देने के लिए सारा प्रबंध कर लिया गया है। सभी प्रमुख स्थानों पर तथा केबलों पर सैनिक रक्षा नियुक्त कर दिए गए और जिन सैनिक टुकड़ियां तथा सैनिकों ने विद्रोह में सम्मिलित होने का वचन दे दिया जिनकी उनके साथ सशस्त्र भूमि थी उन्हें रात में ही बहुत दूर स्थानों तरिक कर दिया गया।

जब क्रांति के नेताओं के समक्ष यह नवीन परिस्थिति उपस्थित हुई तो इस उद्देश्य से कि महीनों की विप्लव की तैयारी व्यर्थ नष्ट न हो जाय उन्होंने शीघ्रतापूर्वक विद्रोह की तारीख को निर्दिष्ट तारीख से दो दिन पूर्व अर्थात् १९ फरवरी कर दिया। परंतु अब समय इतना कम रह गया था कि बदली हुई तारीख की सूचना सभी केबलों में जो एक दूसरे से बहुत दूर थे पहुंचाना कठिन था। विद्रोह का सगठन करने वालों के लिए इसका परिणाम अत्यंत भयानक हुआ। क्रांतिकारी कुछ भी कर सकें उससे पूर्व ही विद्रोह की विधान योजना निराशापूर्ण ढंग से अक्षय हो गई थी।

एक साथ पंजाब में क्रांतिकारी दल के सदस्यों की घर पर घर घारम्म हो गई। बहुत बड़ी संख्या में क्रांतिकारी पकड़ लिए गए। उन सबों के घरों की बड़ी बारीकी से तलाशी ली गई छोट से छोट कामज के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ा गया। पुलिस घरों से कागज और अन्य सभी ऐसी वस्तुएं ले गई जिनसे पदचिह्न के सम्बन्ध में तनिह भी जानकारी मिल सकती थी। १९ फरवरी को लाहौर के मोघी गेट की तलाशी में एक जगह बहुत से तैयार बम तथा बम बनाने की सामग्री तथा रिवाल्वर और संचर मित्रे। २० फरवरी की तलाशी में विभिन्न प्रकार के रिवाल्वरों के कारतूस टोपियां रेतो हुप्लिकेटर, एक गुत्ती, राष्ट्रीय झंडे तथा क्रांतिकारी साहित्य प्राप्त हुआ। २४ फरवरी, १९१५ को लाहौर के गुमटी बाजार के मकान में तथा बच्छावाली के एक दूसरे मकान में ४ बंगाल में बने हुए बम एक पिस्तौल, विभिन्न प्रकार के कारतूस, एक योग्य विषम ग्रीक फायर (Greek Fire) का सातपूजन भरा था तब

बम बनाने में काम आने वाले रसायनिक पदार्थ मिले।

२७ अप्रैल, १९१५ को लाहौर के सेंट्रल जेल में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल के सम्मुख देवा का सबसे बड़ा पडयंत्र का प्रयोग चलाया गया। भारम्भ में ६२ अभियुक्त थे परन्तु बाद को उनकी संख्या बढ़कर अस्सी हो गई जिनमें से सोलह फरार हो गए।

सभी अभियुक्तों पर धाराओं १२१ १२१ ए १२२ १२२ ११६, १२३ १२४ ए, १२४ए १०७ १३१ १३२ ३०२ ३०३/१०६/१२० वी ३६५ ३६५-२६७ ३६६ ४१२ ४१४ आई पी सी ( इंडियन पिनल कोड ) के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इसके अतिरिक्त विस्फोटक पदार्थ कानून (१९०८ के एक्ट ६) की धारा ३ ४ ५ ६ के अंतर्गत भी उन पर अभियोग चलाया गया।

इस पडयंत्र के अभियोग में १२ सितम्बर १९१५ को फैसला सुनाया गया जो कि उसके उद्गम उद्देश्य समय स्वरूप पेवीदगी प्रभाव और उसमें जितने व्यक्ति फसे हुए थे तथा उनके कार्यों के क्षेत्र की दृष्टि से अनोखा था। उसके फैसले के अनुसार चौबीस आतिशारियों को फाँसी दे दी गई। छ बीस को धाज म कालापानी और अर्यों का विभिन्न समय की बड़ी सजा दी गई। दो धार को ही मुक्त किया गया।

१४ नवम्बर १९१५ को गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने सत्रह व्यक्तियों की मृत्यु की सजा को भाजीवन काने पानी में परिणत कर दिया। केवल सात व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड भुगतने के लिए छोड़ दिया जिन सात को मृत्यु दण्ड मिलना था वे थे— १ बकशोशसिंह, २ विष्णु गणेश पिंगले ३ सुरेसिंह (ईश्वरसिंह के सुपुत्र) ४ सुरेसिंह (वर्मिंह के सुपुत्र) ५ हरनामसिंह (स्याल कोट वाले) ६ जगन्नाथसिंह और ७ करतारसिंह (सराबा) यह सातों धीरे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के युद्ध को लड़ा जिन्होंने लम्बे वर्षों तक देश का स्वतंत्र करने के लिए अथक परिश्रम किया जिन्होंने देश के लिए अथपनीय कष्ट उठाए और उन सब सुखों का त्याग कर दिया जिनके पीछे साधारण व्यक्ति दौड़ते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सबस्व निछावर कर दिया उन्हें १७ नवम्बर १९१५ को लाहौर के सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई।

यायालय के कक्ष में और फाँसी के तट्टे के सामने खड़े होने पर भी उन सभी वीर अभियुक्तों ने अपने काय को पडयंत्र की सजा देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उ होने कोई पडयंत्र किया था। उनका कहना था कि उनका प्रयास विदेशी शासकों के विरुद्ध एक खुला विद्रोह और चुनौती था। अवश्य ही उन विदेशी शासकों ने उन देशभक्त वीरों के विरुद्ध जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र बनाने के लिए देश पर सबस्व निछावर कर दिया—राजद्रोह अर्थात् सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाया।

करतार सिंह सराबा ने कहा कि मैंने जो कुछ किया उससे लिए मुझे तनिक भी खेद नहीं है वरन् उसे इस बात का गौरव है कि उसने उन विदेशियों को जिन्होंने पडयंत्र से देश पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली है चुनौती दी। अवश्य ही उसे मुझे अपने इस प्रयत्न के असफल हो जाने का भयभीत है। उसने दृढ़ता पूर्वक इस बात को कहा कि प्रत्येक दासता में पड़े व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है और मातृभूमि के पुत्रों द्वारा अपने प्रारम्भिक अधिकार अर्थात् स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए विद्रोह

किया उसके उपरांत यह सुना गया कि वे जुलाई में श्याम पट्टेचे और भगस्त, १९१३ में बंगकाक में गिरफ्तार कर लिए गये। वहां से उन्हें सिंगापुर में ले जाया गया जहां से उन्हें पुलिस की हिरासत में भारत में बहुगमिन पट्टयात्र के अभियोगों के अभियुक्त के रूप में लाया गया। उस समय अधिकारियों का सारा ध्यान उन पट्टयात्रों के अभियोगों के फले हुए ज्वर ने अपनी और खीच रक्सा था अधिकारियों को व पट्टयात्र के अभियोग एक सुलभ अस्त्र के रूप में प्राप्त हो गए थे कि जिनके द्वारा साहसी और सशक्त पत्राचारियों को राजभक्ति और नागरिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता था।

### साहसी की सख्या में वृद्धि (१९१५)

उन अनेक क्रांतिकारी वीरों में से जिनकी हठियाँ अदमन की मिट्टी में दब गईं उनमें से एक 'भानसिंह' थे जिन्हें १९१३ में काले पानी भेजा गया था। भानसिंह उग्र और दृढ़ विचारों के व्यक्ति थे अतएव बहुत जल्दी ही उनका अभियुक्त वाद्यों तथा नीचे अफसरो से सघन छिड़ गया। अतएव उन्हें उस कोठरी (मैल) में बदल दिया गया जहां निमग्न क्रूरता के साथ अभियुक्तों पर पारिविक अत्याचार किया जाता था जिसे वहां की भाषा में "गुलाई" कहा जाता था। जब सुपरिटेण्डेंट को इस बात की सूचना दी गई तो वह उनकी सल में आया और उन्हें अत्यंत गंदी भाषा में मही गालियाँ दीं। भानसिंह ने अतएव के अनुकूल उचित भाषा में सुपरिटेण्डेंट के इस अमर और अपमानजनक व्यवहार का विरोध किया। उस सुपरिटेण्डेंट के लिए यह एक नवीन अनुभव था वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई अभियुक्त उसे अपमानित करने का साहस करेगा।

सुपरिटेण्डेंट की आशानुसार बहुत से लोग भानसिंह पर दूट पड़े और उनकी बड़ी निदयता और क्रूरता के साथ मारा उसके परिणामस्वरूप भानसिंह को खून की क हूई, बहुत सा खून बमन में गिरा। उन्हें जेल के अस्पताल में ले जाया गया पर तु वहां भी उनकी दशा में सुधार नहीं हुआ। वे बहुधा रक्त बमन करते रहे। सत विक्षत शरीर की लेकर भानसिंह दो महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे। वे मृत्यु से सघन करते रहे। जीवन क्रमशः क्षीण होता जा रहा था। एक दिन वे अपनी सल में मरे मिले। अंग्रेजी सरकार की निदयता के शिकार उस वीर ने मातृभूमि की बलिबेदी पर अपने प्राण अर्पण कर दिए। (सदम वीर की डी सावरकर रचित 'स्टोरी आफ् माई ट्रांसमोटेशन फार साइफ' पृष्ठ ३८६)

### मेरी मा की रोने दो जिससे अर्थ किसी की मा न रोवे (१९१५)

राजस्थान के एक मंत्री परिवार का यज्ञ होने का प्रतापसिंह को गौरव प्राप्त था। उनके यशस्वी पिता श्री केशीसिंह बारहठ को उदयपुर तथा कोटा के दरबारों में बहुत सम्मान मिला था। प्रतापसिंह की अपने नेता राजबिहारी का असीम विश्वास प्राप्त था, साथ ही उत्तर भारत के क्रांतिकारियों और सहयोगी मित्रों में वे बहुत आदर के साथ देखे जाते थे। अपने समय में प्रतापसिंह राजपूताने के क्रांतिकारियों के अग्रदिग्ध नेता थे। उन्होंने राजपूत सैनिकों में अथ ही उत्थान करने का प्रयत्न किया और जबकि उनके नेता राजबिहारी बोल फरार होकर गुप्त रूप से नवद्वीप (बंगाल) में छिपे थे और उनको पकड़ने के लिए सरकार ने जासूनों की एक सेना जुटा रखी थी, प्रतापसिंह ने अपने नेता से नवद्वीप में मिलने का खतरा मोल लिया और पश्चात् में क्रांतिकारी कार्य करने के लिए उनका परामर्श लिया। देहली के प्रतिष्ठ



वाला पुल पर आक्रमण करने के लिए दल को संगठित करने का भार दिया गया था। (४) हरसिंह तनवादी दुसाज, भोगा, फिरोजपुर के निवासी थे वे घुडकी के क्रांतिकारियों में से थे। वाला पुल पर प्रथम आक्रमण में सम्मिलित थे। (५) उत्तमसिंह हासी जोगराव लुधियान के निवासी थे। बहुत पहले ही वे लोहातवादी क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आ गए थे। उन्होंने लोहातवादी क्रांतिकारी दल को अस्त्र शस्त्र देकर तथा उसके लिए दस्त्र इकट्ठा कर बहुत सहायता पहुँचाई थी। उन्होंने दल के लिए बम तयार किए तथा फिरोजपुर जिले के आक्रमण में भाग लिया था। ५ जून, १९१५ को कपूपला में जो क्रांतिकारियों की सभा हुई उसमें भी वे सम्मिलित थे जिसमें कि वाला पुल पर आक्रमण करने की योजना तयार की गई थी। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार होकर फरीदकोट राज्य में भाग गए थे।

### (द्वितीय पूरक) अभियोग (१९१६)

पहले और दूसरे लाहौर पडयंत्र के अभियोगों में जो आरोप और साक्षी उपस्थित की गई थी वहीं आरोपों और साक्षी पर उसी ट्रिब्यूनल के समक्ष द्वितीय पूरक अभियोग ८ नवम्बर १९१६ को आरम्भ हुआ जिसमें बड़ी सख्या में क्रांतिकारियों को फांसा गया। अपेक्षाकृत यह अभियोग थोड़े समय तक ही चला क्योंकि जितनी भी गवाही थी वह १४ दिसम्बर तक सब समाप्त हो गई। उस समय तक अभियोजन के साक्षी सब भली भाँति साक्षी दौरे में प्रशिक्षित और पारागत कर लिए गए थे और पुलिस उनसे जो कहलाना चाहती थी वे बिना कठिनाई के वही कह देते थे साथ ही अभियुक्त भी उस प्रकार की गवाही सुनने के अभ्यस्त हो चुके थे और वे यह भी जानते थे कि उनका भविष्य क्या होना है।

५ जनवरी १९१७ को ६ व्यक्तियों को प्राणदण्ड की आज्ञा दे दी गई। अभियोग के पुनर्विहावचोकन पर सरकार ने एक अभियुक्त के प्राणदण्ड को आजीवन काले पानी में परिणत कर दिया। साथ पाँच जिनको प्राणदण्ड दिया गया वे थे —

(१) बाबूराम (२) बलव तसिंह (३) सफोज अम्दुल्ला, (४) हरसिंह और (५) नना उक्त पाँच क्रांतिकारी धोरों ने अपने को उन शहीदों की सूची में जोड़ दिया जिन्होंने लाहौर सेन्ट्रल के फाँसी के तख्ते को २९ मार्च, १९१७ को अपनी सहायता से पवित्र किया था। अन्य अभियुक्तों के बारे में बहुत कुछ खोज करने पर भी कोई ब्योरा नहीं मिल सका। बलव तसिंह के विषय में इतना भवदय ज्ञात था कि वे कनाडा के क्रांतिकारी आंदोलन में अत्यन्त प्रभावशाली और प्रसन्न कामकर्ता थे। वे १९१३ के आरम्भ में युनाइटेड किंगडम छिपे गए और वहाँ उन सभी व्यक्तियों से मिले जो अत्यन्त उग्र राजनीतिक विचारों के थे। उसी वर्ष के अगस्त मास में वे लाहौर आए और उन्होंने 'गदर' तथा विद्रोहों में भारत की स्वतन्त्रता के लिए किए जाने वाले संघर्ष में अनेक प्रभावशाली भावण लिए।

१९१४ में वे कनाडा वापस लौटे जबकि 'बोमागाटा मार्च' कांड के कारण कनाडा के सिविलों में बहुत खोम और उत्तजना फैली हुई थी। बलव तसिंह भी उसमें बूझ पड़े और उन्होंने उस जहाज की यात्रा से सम्बंधित आंदोलन में प्रमुख भाग लिया। वे भारतीयों के क्रांतिकारी उद्देश्य से भारत वापस लौटने की योजना के सबसे प्रथम और सफल समर्थक थे। वे निसम्बर १९१६ में कनाडा से चले और कुछ दिनों बीच में सन सिंसिगटो टहरे वहाँ उन्होंने गदर पार्टी के मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित

किया उसके उपरांत यह सुना गया कि व जुलाई में श्याम पट्टे के और भ्रगस्त, १९१३ में बंगकाव में गिरफ्तार कर लिए गए। वहां से उन्हें सिगापुर में ले जाया गया जहां से उन्हें पुलिस की हिरासत में भारत में बहुगर्भिन पट्टयात्र के अभियोगों के अभियुक्त के रूप में लाया गया। उस समय अधिकारियों का सारा ध्यान उन पट्टयात्रों के अभियोगों के फले हुए ज्वर ने अपनी और खींच रखा था। अधिकारियों को व पट्टयात्र के अभियोग एक सुलभ अस्त्र के रूप में प्राप्त हो गए थे कि जिनके द्वारा साहसी और सशक्त पत्रावियों को राजभक्ति और नागरिकता का पाठ पढ़ाया जा सकता था।

### साहसी की सहाय में वृद्धि (१९१५)

उन अनेक क्रांतिकारी वीरों में से जिनकी हृदयिया अदमन की मिट्टी में दब गई उनमें से एक 'भानसिंह' थे जिन्हें १९१३ में काले पानी भेजा गया था। भानसिंह उष और दृढ़ विचारों के व्यक्ति थे अतएव बहुत जल्दी ही उनका अभियुक्त बाइरों तथा नीचे अफसरों से सघप छिड़ गया। अतएव उन्हें उस कोठरी (सेल) में बदल दिया गया जहां निमग्न क्रूरता के साथ अभियुक्तों पर पारिविक अत्याचार किया जाता था जिसे वहां की भाषा में "धुलाई" कहा जाता था। जब सुपरिटेण्डेंट को इस बात की सूचना दी गई तो वह उनकी सेल में आया और उन्हें अत्यंत गंभीर भाषा में मही गालियां दीं। भानसिंह ने अक्सर के अनुकूल उचित भाषा में सुपरिटेण्डेंट के इस अमर और अपमानजनक व्यवहार का विरोध किया। उस सुपरिटेण्डेंट के लिए यह एक नवीन अनुभव था वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई अभियुक्त उसे अपमानित करने का साहस करेगा।

सुपरिटेण्डेंट की आशानुसार बहुत से लोग भानसिंह पर दूर पड़े और उनको बड़ी निंदयता और क्रूरता के साथ मारा उसके परिणामस्वरूप भानसिंह को खून की कं हुई, बहुत सा खून बमन में गिरा। उन्हें जेल के अस्पताल में ले जाया गया परन्तु वहां भी उनकी दशा में सुधार नहीं हुआ। वे बहुधा रक्त बमन करते रहे। अतः विषल शरीर को लेकर भानसिंह दो महीने तक जीवन और मृत्यु के बीच झूलते रहे। वे मृत्यु से सपप करते रहे। जीवन क्रमशः क्षीण होता जा रहा था। एक दिन वे अपनी सल में मरे मिले। अग्रणी सरकार की निर्दयता के निकार उस वीर से मातृभूमि की बलिबेदी पर अपने प्राण अर्पण कर दिए। (सदम वीर धी डी सावरकर रचित "स्टोरी आफ् माई ट्रांसमोडेशन फार लाइफ" पृष्ठ ३६६)

### मेरी मा को रोने दो जिससे अन्य किसी की मा न रोये (१९१५)

राजस्थान के एक मन्त्री परिवार का वंशज होने का प्रतापसिंह को नीरव प्राप्त था। उनके यशस्वी पिता श्री बेशीसिंह बारहठ को उदयपुर तथा कोटा के दरबारों में बहुत सम्मान मिला था। प्रतापसिंह को अपने नेता रासबिहारी का असीम विश्वास प्राप्त था, साथ ही उत्तर भारत के क्रांतिकारियों और सहयोगी मित्रों में वे बहुत आदर के साथ देखे जाते थे। अपने समय में प्रतापसिंह राजपूताने के क्रांतिकारियों के असदिग्ध नेता थे। उन्होंने राजपूत सनिकों में अंध शोष उत्पन्न करने का प्रयत्न किया और जबकि उनके नेता रासबिहारी बोल फरार होकर गुप्त रूप से नवद्वीप (बंगाल) में छिपे थे और उनको पकड़ने के लिए सरकार ने जासूसों की एक सेना जुटा रखी थी, प्रतापसिंह ने अपने नेता से नवद्वीप में मिलने का खतरा मोल लिया और पंजाब में क्रांतिकारी कार्य करने के लिए उनका परामर्श लिया। देहली के प्रसिद्ध

क्रांतिकारी अमीरचंद ने प्रतापसिंह का परिचय कराया था। अमीरचंद ने रासबिहारी बोस को उनकी निष्ठा के सम्बन्ध में जो आश्वासन के शब्द कहे थे, प्रतापसिंह ने जीवन में उनको कभी भूठा नहीं हाने दिया।

१९१५ में प्रथम बार प्रतापसिंह देहली पडवत्र के सम्बन्ध में पकड़े गए पर तु उनके विरुद्ध पुलिस यथेष्ट साक्षी उपस्थित नहीं कर सकी इस कारण अदालत उन्हें छोड़ दिया। दूसरी बार उन्हें पुनः पकड़ लिया गया। पुलिस ने उन्हें दल के भेद बताने के लिए बहुत अधिक धन देने का लालच दिया। यही नहीं उनसे कहा गया कि उनके पिता और चाचा के विरुद्ध जो पडवत्र के मुकदमे चल रहे हैं उनको उठा लिया जावेगा उनकी जमानत की हुई जायदाद वापस करदी जावेगी उनके पिता को कारागार से मुक्त कर दिया जावेगा और स्वयं उन्हें छोड़ दिया जावेगा। उनसे कहा गया कि उनकी माता उनके लिए दिन रात रोती रहती हैं; इक्कीस बार्डस वष के उम्र की युवक ने जो उत्तर दिया वह क्रांतिकारियों का इतिहास में अत्यन्त गौरवमय है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा— तुम्हारा यही तो कहना है कि मेरी माता दिन रात रोती हैं और मेरे भविष्य के सम्बन्ध में बहुत ही दुखी हैं। पर तु मे प्रथम किसी मा के रोने का कारण बनना अस्वीकार करता हू। यदि कभी ऐसा हो तो वह मेरी मृत्यु होगी और वह मेरी माता का अपमान होगा।” प्रतापसिंह को बरेली जेल में हृदय हीन अधिजी सरकार ने महीनों तक अमानवीय यातनाएँ देकर बार्डस वष की आयु में मार डाला।

#### अनअभ्यस्त व्यापार (१९१६)

इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि क्रांतिकारियों ने जो सनिकों को उनकी छावणियों और बरको में जाकर अग्नेजी सरकार के विरुद्ध भड़काया उसमें उनकी सातवीं राजपूत बटालियन में आंशिक सफलता मिली थी। देहली में २८ फरवरी १९१६ को सजित सामान्य सनिक अदालत के (Summary General Court Martial) के सामने ड्रिल हवलदार जालेम्बरसिंह और एक नायक (दोनों ही सातवीं राजपूत बटालियन के थे) पर लिखे आरोप के आधार पर अभियोग चलाया गया। यह जानने हुए कि राज्य के विरुद्ध एक पडवत्र हो रहा है उन्होंने कमांडिंग अफवा अपने से उच्च अधिकारी को सूचना नहीं दी। बनारस में एक जनवरी और १५ अप्रैल, १९१५ के बीच यह जानते हुए कि गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा एक पडवत्र इस उद्देश्य से रखा जा रहा है कि ब्रिटिश भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार को उखाड़ फेंका जावे जिसके परिणामस्वरूप उस रजिमेंट के कुछ भादमी उस क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होकर विद्रोह करने के लिए तयार हो गए थे उन्होंने इसकी सूचना अपने कमांडिंग अफवा उच्च अधिकारियों को नहीं दी।

दोनों ही अभियुक्तों को प्राण दण्ड की सजा दे दी गई। बाद की नायक की प्राणदण्ड की सजा की आजीवन कालेवानी की सजा में बदल दिया गया। २१ मार्च, १९१६ को देहली सेन्ट्रल जेल में जालेम्बरसिंह ने भारत माता के एक धीरे सपूत की भाँति साहस के साथ मृत्यु को वरण किया।

#### बहुतों में से (१९१७)

रामरत्न फरवरी १९१७ के माइले पूरक अभियोग में अभियुक्त था जिसे ९ जुलाई, १९१७ को आजीवन कालेवानी की सजा दी गई। उसको अदमन भेजा गया

घोर बंदोबस्त करवाया गया। क्योंकि वह हष्ट पुष्ट और अच्छे स्वास्थ्य का युवक था उस अत्याधिक भ्रमानवीय बंदोबस्त को लम्बे समय तक बरकरा रखा गया। उसने धार्मिक भावचरण के सम्बन्ध में उसका वहाँ के अधिकारियों से संपर्क हो गया। उसने कुछ सुविधाएँ और विशेषाधिकार जिसका वह अधिकारी था मांगी परन्तु अधिकारियों ने अस्वीकार कर दी। उसने उसके विरोधस्वरूप मृत्यु पत्र तैयार किया और लम्बे उपवास के उपरांत उस घोर देशभक्त ने अपनी छोटी सी सैल में अदमन के समुद्रजल में जो भारत के बंदिग के नाम से प्रसिद्ध था की मृत्यु का वरण किया।

### मातृभूमि की सेवा करने प्रलोभन (१९१५-१७)

एक व्यक्ति जो बहुत लम्बे समय तक भारत के बाहर विशेषकर कनाडा में रहा मातृभूमि की पुकार सुनकर वापस भारत लौट आया। जब वह १९१५ में कलकत्ता लौटा तो उसको नजर बन्द कर लिया गया और पुलिस की निगरानी में लाहौर भेजा गया। उसके तेज मस्तिष्क में यह सद्दह प्रबल हो उठा कि जब वह निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचेगा तो बन्द कर लिया जावेगा अतएव गाँवों (सिपाहियों) की श्रावण बचाकर बिना उन्हें पात हुए बीच के एक स्टेशन पर उतर गया। अत्यंत कठिनाई से पदल चलकर पुलिस की श्रावण में घुल भोंककर वह पंजाब पहुँच गया और वहाँ वह क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया। उसको बम बनाने की विशेष जानकारी थी और बम बनाने में वह निपुण था। उसके बनाए हुए दो बमों का मसुरान डकती में उपयोग हुआ था जिसका लाहौर दण्डन के अभियोग में प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया था।

यह जानकर कि उसका पंजाब में ठहरना अत्यंत जोखिम भरा है 'मथुरासिंह' भारे से काबुल चला गया और उसके उपरांत उसने सीमा पार कर रूस में प्रवेश किया। अत्यंत कठिनाई के साथ वह ताशकंद पहुँच गया। वहाँ से उसने एक अत्यंत योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति के साथ जार के नाम पत्र भेजा। यह काय पार्टी के नेताओं ने उन्हें सौंघा था। उन्हें यह जानकर सतोष हुआ कि वह पत्र जार के पास पहुँच गया। जार ने भारत की स्वतंत्रता की आकांक्षा के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की, बाद की मथुरासिंह को यह पता चला कि धार्मिक सकट के कारण जार अधिक कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अतएव मथुरासिंह को पुनः वापस भारत की ओर आना पड़ा। ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप पर रूसी सरकार ने मथुरासिंह को कद कर लिया। उन्हें पंजाब लाया गया और जमशेरी, १९१६ के अन्तिम सप्ताह से लाहौर जेल में रखा गया।

२१ फरवरी, १९१७ को डाक्टर मथुरासिंह को एक विशेष ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित किया गया और उन पर सत्राट के विरुद्ध युद्ध करने तथा अशान्ति फैलाने लगाए गए। भारतीय दंड संहिता की धाराएँ १२१, १२१ ए १३१ १३२, ३०२ १०६ के अंतर्गत उन पर अभियोग चलाया गया। ट्रिब्यूनल ने उन्हें अपने फँसले में प्राण दण्ड की सजा दी। अभियुक्त ने उस फँसले की अत्यंत उदासीनता से सुना, मानो उसका उनसे कोई सम्बन्ध न हो। स्वतंत्रता के वीर योद्धा और क्रांतिकारी दल और विद्रोह के सशक्त दाहिने हाथ डाक्टर मथुरासिंह को लाहौर से ट्रल जेल में २७ मार्च १९१७ को फाँसी दे दी गई।

अन्त में (१९१७)

मून लाहौर दण्डन के एक अभियुक्त जवाहरसिंह बहुत लम्बे समय

तक फरार रहे और गिरफ्तार होने से बचते रहे। अन्त में पुलिस ने मई १९१७ को उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन पर अभियोग चलाने के लिए तुरंत एक विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया।

सभी आरोप जो मूल अभियोग में क्रांतिकारियों के विरुद्ध लगाए गए थे उनके विरुद्ध लगाए गये। उस अभियोग में जो साक्षी उपस्थित किए गए और साक्षी दिलवाई गई वह ठीक वही थी जो ऐसे मुकदमों में बहुधा दिलवाई जाती हैं। लाला हरदयाल के समुक्त राज्य अमेरिका में आने से लेकर बाद को जो भी घटनाएं घटीं वे सभी इस अभियोग में दुहरायी गयीं। यह सिद्ध हो गया कि जवाहरसिंह क्रांतिकारी दल का एक प्रत्यक्ष सक्रिय सदस्य था। यही नहीं व्यक्तिगत रूप से जवाहरसिंह अथवा किसी भी दल के सदस्य से राजनीतिक हत्याओं और डकैतियों के लिए जिम्मेदार था। पुलिस ने जवाहरसिंह पर यह आरोप लगाया गया कि २३ जनवरी, १९१५ को सानेवाल में २७ जनवरी को मसूरान में, २ फरवरी को छाब्वा में पढी डकैतियों में तथा १२ जून १९१५ को बालगिज पर आक्रमण करने वाले दल में वह सम्मिलित था। जैसा कि उस समय लोहौर में विशेष अदालत का साधारण रूप से व्यवहार बन गया था जवाहरसिंह को सात आरोपों में से पांच आरोपों में दोषी पाया गया और ३० मई १९१७ को उनको प्राण दण्ड दे दिया गया। जवाहरसिंह भी उन देशभक्त वीरों में से थे जिन्होंने मानृमुक्ति की सेवा के लिए अपने तूफानी क्रांतिकारी जीवन में अपने प्राणों की कमी चिन्ता नहीं की। और उसका कोई मूल्य नहीं समझा। प्राणदण्ड के फसले को उन्होंने बड़ी उदासीनता से सुना माना उसके लिए उसका कोई महत्त्व नहीं था।

१० जून १९१७ को लाहौर के सेट्रल जेल में उस वीर देशभक्त को फांसी दे दी गई।

### अद्भुत साहसिक कार्य (१९१५)

बलकृष्ण नगर के अत्यंत भीड़ भरे क्षेत्र में बलकृष्ण मेडिकल कालेज के दूसरे मुख्य फाटक के ठीक सामने १६ जनवरी १९१५ को दस बजे के समय मधुसूदन भट्टाचार्य जी भाई जी इन्स्पेक्टर दक्षिण की ओर जाने वाली ट्राम गाड़ी से उतरा। वह स्थान दक्षिण की ओर कालूटोला और कालेज स्ट्रीट के मिलन स्थान से कुछ गज ही पर था। मधुसूदन भट्टाचार्य कतिपय राजनीतिक सदेहस्पद व्यक्तियों पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त किया गया था। यह स्वाभाविक ही था कि जिन व्यक्तियों पर दृष्टि रखने के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी वे भी उस पर बड़ी निगाह रखते थे। जैसे ही उसने ट्राम से उतर कर अपना कदम पृथ्वी पर रक्खा कि दो बंगाली युवक सामने के फुटपाथ पर से दौड़ते हुए आए जब वे अपने शिकार के बहुत समीप पहुंच गए तो उन्होंने अपने रिवाल्वर निकाल लिए—एक के पास माजेर और दूसरे के पास बल्ले रिवाल्वर था और जिन्होंने मधुसूदन पर तीन फायर तीन सेकंड से कम समय में कर दिए। मधुसूदन भयंकर रूप से घायल होकर खबर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वे दोनों अशरिचित युवक प्रतापचन्द्र स्ट्रीट जो कि एक सूनी गली थी उसमें भागे कुछ सड़क पर चलने वाले ने उनका पीछा गया। दोनों लगातार रिवाल्वरों से गोली चला रहे थे इस कारण कोई भी उनके समीप नहीं पहुंच सका। वे दोनों युवक एक नीची दीवार को फांग कर एक समीप के मकान के कम्पाऊड में उतर गए

श्रीर फिर उनका कोई पता नहीं चला। मधुसूदन भट्टाचार्य को तुरन्त ही अस्पताल ले जाया गया पर तु उसका जीवन शांत हो चुका था। उसके शरीर पर दो जखम थे एक कंधे पर और दूसरा पीठ पर था। अनुमान यह था कि जब उसके कंधे पर गोली लगी तो वह घूमा जिसके कारण दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी और छाती में घुस गई।

सड़क पर उस घटना को देखने वालों की साक्षी के आघार पर पुलिस ने उन दोनों युवकों का इस प्रकार विवरण प्रकाशित किया।

(१) रंग काला, हूट पुष्ट शरीर की बनावट' मझोला कट, लम्बी और घनी मूछें एक सपेद भलवान और कुर्ता पहन था।

(२) रंग गोरा, पतला शरीर, मझोला कद, मूछ बादामी भलवान और पञ्जाबी कमीज पहने था।

### एक सफल फटा (१९१५)

क्रांति के काम में सफलता का एक माप दण्ड यह भी था कि पुलिस अधि कारियों पर आक्रमण करने तथा उन्हें मारने में कितनी सफलता मिलती है। क्रांतिकारी दल के नेता जसीद्रनाथ मुकुर्जी ने यह निश्चित कर दिया कि सुरेशचन्द्र मुकुर्जी ही आई डी विभाग की स्पेशल ब्रांच का इन्स्पेक्टर अमुक तारीख के अपरात जीवित नहीं रहना चाहिए। क्रांति के सनिक अपने जीवन को खतरे में डालकर भी उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तयार थे।

चित्तप्रिय राय चौधरी घोषित अपराधियों की सूची में था। पुलिस एक दीघ काल से उसकी खोज में थी परन्तु उसको पकड़ने में सफल नहीं हो रही थी। उसने अपने तीन चार अन्य सहयोगियों के साथ इस जोखिम भरे कृतव्य को करने की जिम्मेदारी ली और २८ फरवरी, १९१५ को अपनी योजना को इस प्रकार काम में परिणित किया कि वह कल्पनातीत रूप से सफल हुई।

उस दिन कलकत्ता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने वाला था। सभी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी समारोह की व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध को देखने में लगे थे जिससे कि वायसराय की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जा सके जो दीक्षांत भाषण देने वाले थे।

सुरेश एक सब इन्स्पेक्टर और भदली के साथ कालेज स्वबायर में प्रात सुरक्षा व्यवस्था देखने गया। वह पाक (हेडुमन) के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर खड़ा हुआ था उस समय उसका ध्यान तरुणों के एक समूह को और आकर्षित किया गया जिनकी गतिविधि सदेहजनक थी। सुरेश ने तुरन्त उस समूह में से चित्तप्रिय राय चौधरी को पहचान लिया।

सुरेश ने अपने भदली को आना दी कि वह चित्तप्रिय राय चौधरी को गिर पतार करले जबकि चित्तप्रिय सुरेश के समीप लाया गया तो उसने चित्तप्रिय को कद करने के अनिप्राय से उसका हाथ पकड़ना चाहा। चित्तप्रिय थोड़ा धागे की ओर भुका और एक क्षण में ही उसने अपनी कमर से रिवाल्वर निकाला और फायर किया। परन्तु रिवाल्वर का धोड़ा रुक गया चला नहीं। उसी क्षण एक दूसरा युवक सागे भागे भागा और उसने समीप से सुरेश पर गोली चलाई सुरेश घायल होकर गिर गया उसी समय तीन चार युवक दौड़कर उस स्थान पर आ गए और उन्होंने उस पुलिस अधिकारी

के पृथ्वी पर पड़े हुए शरीर पर और अधिक गोलिया चलाई । उन्होंने सुरेश के भद्रली द्योप्रसाद बहार को भी गम्भीर रूप से घायल कर दिया । द्योप्रसाद ने अपने सतुलन को तुरन्त खो नहीं दिया वरन् उसने उस तरण को पकड़ने का प्रयत्न किया कि जिसने उसके मालिक को मारा था । परन्तु वह अशक्त होकर भूमि पर गिर पड़ा । सुरेश के मुह पर धड़ पर, पेट पर और कंधों पर पांच गोलिया लगी । वह तत्काल मर गया । भद्रली की दशा क्रमश विगड़ती गई और वह भी घटना के तीन दिन बाद मर गया ।

उन अपराधियों के बारे में कोई कुछ पता न लगा सका । उनमें से एक भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं में अद्वितीय साहसी और बोर योद्धा चित्तप्रिय राय चौधरी या ऐसा बलवत्ता की पुलिस स्वीकार करती थी ।

### एक अनुत्तर दायित्वपूर्ण काय (१९१५)

१२ फरवरी १९१५ को गाडन रीच हार्डि वे पर डकती के सम्बन्ध में पुलिस ने अनेक युवकों को केवल इस सदेह पर कि उनका इस घटना से कुछ सम्बन्ध है पकड़ कर चलान कर दिया । उनमें से एक सरोज भूपण दास कलकत्ता की भद्रा पालिटन इस्टीट्यूट में अध्यापक भी थे । अभियुक्त होने के नाते १३ फरवरी १९१५ को उन्हें जेल भेज दिया गया । उसी महीने की १८ तारीख तक उन्हें अच्छे और पूण स्वस्थ होने की घोषणा की गई ।

जेल के नियमों के अनुसार जसा कि वहां साधारण चलन था उ हे सब प्रसि स्ट्रेट सज्जन ने कुछ दिनों बाद टीका लगाया और उसके कुछ ही दिनों बाद उनके भयकर चेचक निकल आई । उनके सम्बन्धियों को सूचित किया गया और सरकार ने कदी को जमानत पर जेल से छोड़ दिया । सरोज को अपने घर ले जाया गया जहां २ मार्च १९१५ को मृत्यु ने उसे यायिक जमानत की शर्तों से मुक्त कर दिया ।

### प्रथम खुला संघर्ष (१९१५ २४)

जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए क्रांतिकारियों में जो पहले धबराहट और अनिश्चितता थी उसका स्थान ब्रिटिश नौकरशाही की प्रतिष्ठा पर सफल आक्रमण होते गए । १९१४ तक क्रांतिकारियों ने परिस्थिति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था । डकतियों और हत्याओं के असफल प्रयत्नों की सख्या घटती जा रही थी । कलकत्ता में एक के बाद दूसरे, ग्यारह हिंसा के कांड हुए जिसमें चार मोटर टैक्सियों के द्वारा हुए । यह क्रांतिकारी कांडों में एक नया प्रयोग था । यह कांड १२ फरवरी, १९१५ को गाडन रीच डकती से आरम्भ हुए जिसमें बोड एंड कंपनी के भठारह हजार रुपये की लूटा गया । उसके पश्चात् २२ फरवरी को बेलिया वाटा की डकती हुई जिसमें क्रांतिकारियों ने एक चावल के बड़े व्यापारी के कश्चियर से बीस हजार रुपये का कांसी नोट छीन लिए । तीसरा कांड जो अधिक साहसी था २ दिसम्बर को घटित हुआ जिसमें बारपोरेदान स्ट्रीट कलकत्ता की एक चावल के व्यापारी की दुकान से क्रांतिकारी २५ हजार रुपये ले जाने में सफल हो गए ।

तीन पुलिस आफिसरों और एक जासूस के जीवन पर सफल आक्रमण हुए । यह सभी कांड तथा अन्य कुछ कांडों को करने का श्रेय जतीन मुकर्जी और उनके साथियों को था । उच्च न्यायालय के समीप वाली घटना में जतीन मुकर्जी को पुलिस ने २६ जनवरी, १९१० को अपर चितपुत्र रोड के २७५ नम्बर के मकान से गिरफ्तार

कर लिया। उनके साथ कलकत्ता तथा हावड़ा और चौबीस परगने के जिलों में बहुत से क्रांतिकारियों का सङ्घ में पकड़ लिया गया। जतीन मुकर्जी को कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर ने उस काठ में सम्मिलित होने के आरोप में ३१ जनवरी को बरी कर दिया। परन्तु एक दूसरी डकती के अभियोग में जो उस समय चल रहा था उसे जेल में रखा गया। हावड़ा गैंग केस १२ फरवरी, १९१० को हावड़ा के जिलाधीश की अदालत में आरम्भ हुआ। सभी अभियुक्तों को २० जुलाई १९१० को उच्च न्यायालय के सुपुद कर दिया गया। जबकि जतीन मुकर्जी उच्च-न्यायालय के समस्त अभियोग सुने जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे तब उन्हें शम्स उल अलम की हत्या के मामले में एक अभियुक्त के अपराध में अगीकार वक्तव्य के द्वारा फसाने का प्रयत्न किया गया। उस अभियुक्त ने जो वक्तव्य दिया वह नीचे लिखे अनुसार था ऐसा सरकारी पक्ष का कहना था—

‘मैंने एक व्यक्ति से जिसका नाम जतीन नाथ मुकर्जी था और जो २७३ अपर चित्रपुर रोड में रहता था एक सड़के द्वारा सितम्बर के महीने में परिचय कराया गया। युगांतर’ पत्र को पढ़कर मेरे मन में वीरता और हिंसात्मक काय करने के लिए तीव्र इच्छा जागृत हो उठी थी मैंने जतीन मुकर्जी से मुझे कोई वीरता का काय देने को कहा। उन्होंने मुझ से शम्स उल अलम डिप्टी सुपरि-टेन्डेंट पुलिस को गोली मारने के लिए कहा जि होने अलीपुर बम अभियोग का सचालन किया था और उस सड़के को जिन्नका नाम था इसके लिए उचित व्यवस्था करने की आज्ञा दी। मैंने जतीन से इस प्रकार के कार्यों को मुझे भी सुपुद करने को कहा तो उन्होंने मुझ से पूछा कि क्या मैं शम्स उल अलम की हत्या कर सकता हूँ। मैंने उत्तर दिया कि इस काय को कर सकता हूँ।

बीरेन के इस अपराध स्वीकार करने वाले वक्तव्य के उपरांत पुलिस ने तत्काल जतीन मुकर्जी के विरुद्ध एक दूसरा अभियोग चलाया। १९ फरवरी १९१० की रात्रि को जतीन मुकर्जी के सम्बन्धियों को सूचित किया गया कि वह दूसरे दिन प्रातःकाल प्रेसीडेंसी जेल में भेज दिया जायेगा। जतीन मुकर्जी के सम्बन्धी जब अपने वकील के साथ प्रेसीडेंसी जेल में उपस्थित हुए तो उन्हें पता हुआ कि चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट उस दोषी के अभियुक्त के वक्तव्य के आधार पर जतीन मुकर्जी के विरुद्ध एक नए अभियोग को चलाने की तैयारी कर रहा है। बीरेन ने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया था, मजिस्ट्रेट ने प्रतिवादी के वकील से जिरह करने को कहा। जतीन के वकील ने उस सम्पूर्ण कायवाही का विरोध किया और जिरह करने से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसको अपने वादाधी (बलाइट) से इस सम्बन्ध में आदेश प्राप्त करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया और न उसके पास कोई ऐसे तथ्य ही हैं जिन पर जिरह की जाये। उसने उस मुकदमे को स्थगित करने की प्रार्थना की जिससे कि बीरेन की फांसी को वह स्थगित करवा सके और जतीन से इस सम्बन्ध में आदेश प्राप्त कर सके।

मजिस्ट्रेट ने थोड़े समय के लिए मुकदमे को स्थगित करना स्वीकार कर लिया। जतीन का वकील पुलिस कमिश्नर के साथ बलवेडर दौड़ कर गया कि जिससे वह सप्टीनेट गवर्नर से बीरेन की फांसी को कुछ समय के लिए स्थगित करवा सके। सप्टीनेट गवर्नर ने इसमें हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और बीरेन को उससे जिरह किए जाने से पूर्व ही फांसी दे दी गई। परन्तु जतीन के विरुद्ध मुकदमा



वापस नहीं लिया गया। पुलिस की मायता थी कि क्योंकि बीरेन ने एक लामा दण्डनायक के समक्ष अपना बयान दे दिया है अतएव उसका बयान जतीन के विरुद्ध बंध है।

इस मामले को उच्च मायालय को उसकी सम्मति के लिए भेजा गया। २१ फरवरी, १९११ को हावड़ा गैंग केस की सुनवाई के समय मुख्य 'यायाधीश' ने व्यवस्था की। "मजिस्ट्रेट न जतीन के वकील से उसके मिलने की व्यवस्था नहीं की इस कारण वकील अपने मुवक्किल से आवश्यक आदेश प्राप्त नहीं कर सका अतएव हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि मुकदमे को भारतीय साक्षी अधिनियम की धारा ३३ के अंतर्गत चालान नहीं किया जा सकता। अतएव बीरेन का बयान वा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। जिन परिस्थितियों में यह बयान दिया गया है उसको देखते यदि यह मान भी लिया जावे कि उस बयान का इससे सम्बन्ध है तो भी उसके द्वारा जो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा है उसके प्रमाणस्वरूप उसका कोई मूल्य नहीं है।"

सरकारी वकील ने फिर उसके बाद इस मुकदमे में आगे कोई कायदाही करना पसंद नहीं किया तथा जतीन और एक दूसरा व्यक्ति गैंग केस के समाप्त होने से पूब छोड़ दिए गए।

जबकि पुलिस उन काटो का पता लगाने में असमर्थ रही कि जिसमें राज्य नमचारियों के जीवन तथा धन की हानि होती थी तथा जब उनको यह सूचना मिली कि उनमें से कुछ न जतीन सम्मिलित था तो उनको कद करने के लिए तत्परता से तलाशी की जाने लगी। जतीन अपने कुछ विश्वस्त सहायकों के साथ भूमिगत हो गए। जतीन का बहुत कुछ खोज करने पर भी पुलिस को कोई पता नहीं चला। जब पुलिस बिलकुल निराश हो गई और उसको पकड़ सकने की उसे तनिक भी आशा नहीं रही तो उसने यह सोच कर सतोप कर लिया कि या तो उसने क्रांतिकारी राजनीति से सत्यास ले लिया है अथवा वह किसी क्रांतिकारी कायदाही में मारा गया।

परंतु जतीन पुलिस के चण्डल से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथियों के साथ चले जाते। इस प्रकार वे पुलिस से बचते रहे। २० फरवरी १९१५ को पयरिया घाट स्ट्रीट में एक फानीभूषण राय ने ७३ नम्बर का मकान किराए पर लिया। फानीभूषण जाली नाम था। उस नाम से जतीन तथा उनके क्रांतिकारी साथियों के लिए वह मकान किराए पर लिया गया। २४ फरवरी १९१५ को निरोध हल्दर नामक व्यक्ति को वस्तुतः एक पुलिस उपचर या उस मकान में घुसा और एक नाम लेकर विलगाया और ऊपर चला गया। उसने जतीन को अपने पाँच छ युवक साथियों सहित बँठे देखा तो बेहद खुश हुआ। जतीन को पहचान कर उसने कहा 'अच्छा जतीन तुम यहाँ हो।' एक युवक कुछ बंदम आगे बढ़ा और उसने निरोध पर रिवाल्वर तान दिया। और जैसे ही कि निरोध घूमा और उसने उस कमरे से बाहर भागने की उसने कोशिश की, एक गोली उसकी रीढ़ को छेद कर अंदर चली गई और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा।

उसको मरा समझ कर तीन युवक साइकिलों पर चढ़कर और दूसरे अपना पदल सामान लेकर वहाँ से चलते बने। निरोध मरा नहीं था वह जश्मी हो गया था। इस घटना के तुरंत बाद सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची और वह निरोध को मेयो

हॉस्पिटल ले गई। उसको इतना होश था कि उसने बतलाया कि वह निश्चयपूर्वक कह सकता है कि इस मनुष्य समूह में जो कि उस कमरे में जमा था उसने जतीन को देखा और जतीन ने ही उसको गोली मारी।

निरोद को अस्पताल में प्रातः काल ८-२० पर भर्ती किया गया परंतु २६ फरवरी १९१५ को मध्याह्न के उपरांत दो बजे उसकी मृत्यु हो गई। नियमानुसार निरोद के शव की शव परीक्षा हुई। मृत्यु नैदानिक तथा ज्यूरी का पक्ष यह था कि मृतक के मृत्यु के समय बयान के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी ऐसी नहीं है जिससे इस मत को समर्थन मिले कि उसको जतीन ने गोली मारी है। ज्यूरी ने "किसी अनजान व्यक्ति द्वारा मारी गोली से मृत्यु होने का निष्पत्ति दे दिया।"

जतीन अपने विद्वान्मयी और वीर साधियों के साथ कुछ दिन और कसकत्ते में रहा और उस सप्ताह म तथा बाद के सप्ताह में कतिपय अत्यन्त साहसिक क्रांतिकारी कार्यों को करने का उसको श्रेय दिया जाता है। कुछ समय के उपरांत जतीन तथा उसके साधियों के लिए बलकत्ते में और अधिक ठहर सकना असम्भव हो गया। पूर्व व्यवस्था के अनुसार जतीन और चित्तप्रिय माध १९१५ म काशी पोदा (महूलदिहा) पहुंच गए और कुछ दिनों के पश्चात् निरेन और मनोरजन भी प्रा पहुंचे।

सम्ये समय तक आधेरे गंदे स्थानों में जहां दिन का प्रकाश भी नहीं पहुंचता था, रहने के उपरांत स्वतंत्र वातावरण में पहुंचने पर उन दोनों युवकों के हृदय में धसीम हय और स्फूर्ति की उत्तेजना उत्पन्न हो गई। वे छलने मूढ़ने और खेलने लगे। मनोरजन के हाथ में मोजर पिस्तौल था। पिस्तौल को निरेन की ओर तान कर व्यग में उसने निरेन से पूछा कि क्या उसको मृत्यु का कोई भय है और यदि वह उसे गोली मार दे तो वह क्या करेगा।

निरेन ने उत्तर दिया कि व्यवहारिक प्रयोग इस बात को प्रमाणित कर देगा कि वह जीवन की सनिक भी चिन्ता नहीं करता क्योंकि उन्हे तो मरना ही है। मनोरजन ने अपना व्यग जारी रखा और निरेन से पूछा कि क्या वह गोली मार दे। उसको पूरा विद्वान्मयी था कि पिस्तौल में कोई कारतूस नहीं था। निरेन ने स्वीकृति दे दी। मनोरजन ने घोड़ा दबाया और अपने आश्चर्य चकित होकर देखा कि पिस्तौल से गोली निकल कर निरेन के दायें पर में घुटने के नीचे धारपार हो गई। निरेन के मुखमण्डल पर कोई धवराहट के चिह्न प्रकट नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि कुछ हुआ ही न हो केवल कुछ समय के लिए वह चल फिर नहीं सकता था।

निरेन का कोई इलाज नहीं कराया जा सकता था। उसके लिए डाक्टरों सहायता प्राप्त नहीं की जा सकती थी। केवल कुनीन की टिनिक्का पीछ कर अरुम पर लगाई हुई। केवल यही औषधि उस समय उपलब्ध हो सकी। यह सूचना कलकत्ता पहुंची। तुरन्त कुशल और योग्य चिकित्सक वहां भेजा गया। जाच से पता चला कि गोली मांस में से पार हो गई उससे हड्डी को कोई चोट नहीं लगी। निरेन को पुन चलने फिरने लायक होने में कुछ समय लग गया। ज्योतिषध्वंश पाल काशिपोदा कुछ समय के उपरांत पहुंचा और उड़ीसा की भूमि पर द्विदिश सरकार के विरुद्ध प्रथम खले सष्य में सम्मिलित हुआ।

जतीन के उड़ीसा पहुंचने के पहले यह धावधपक समझा गया कि कलकत्ता से सम्पन्न बनाए रखने की व्यवस्था की जावे अतएव "यूनीवर्सल एम्पोरियम" नाम के

एक व्यापारिक फर्म जो दिखते हुए साइकिलों और घड़ियों का व्यापार करती थी, बालासोर में खाली गई।

काशीपोदा में अपने शरण स्थल के अतिरिक्त उससे लगभग ६ मील दूर एक दूसरा कैम्प मध्य के एक सप्ताह पूर्व स्थापित किया गया। निरेन और ज्योतिष वहा खेती करने और दूकान खोलने के लिए भेजे गए। इस बीच दोनों कैम्पों के कार्यकर्त्ता दो बार प्राप्त में मिले। मार्च १९१५ में कलकत्ते की पुलिस को बालासोर के यूनीवर्सल एम्पोरियम के सम्बन्ध में कुछ सूचना मिली। सूचना यह थी कि उस दूकान पर बाहर के लोग बहुधा आते जाते हैं। कलकत्ते का अग्राधी जाच विभाग सतक हो गया और वह तेजी से कार्य करने लगा। सितम्बर १९१५ के प्रारम्भिक दिनों में विभाग के कतिपय शीघ्र अधिकारी बालासोर पहुंचे। ५ सितम्बर को यूनीवर्सल एम्पोरियम की तलाशी ली गई और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

एक रही बागज के टुकड़े से जो कि पत्त पर पड़ा हुआ था पाणीपोदा गांव के गारे में जो कि मयूर गज राज्य से मिले हुए नील घड़ी राज्य का एक छोटा सा महत्वहीन गांव था और जिसे एक छोटी सी नदी मयूर गज से पृथक करती थी सकेत पाकर बालासार का जिलाधीश उस गांव की ओर ६ सितम्बर को सूय छिपन के बाद सेना तथा उच्च पुलिस अधिकारियों को साथ लेकर पहुंचा। वहा उन्हें पता लगा कि व अपरिचिन नोग मोहुत्तिया भोजे में जो कि नाम मात्र की उस नदी के पास एक भोंपड़ी में रहते हैं। ६ सितम्बर की रात्रि को काशीपोदा के शांत वातावरण में बहुत चहल पहल हो गई। क्योंकि उस रात्रि को कई योरोपियन योरोपियन पोशाक में बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों के साथ वहा आए हुए थे। यह काशीपोदा के लिए एक आश्चर्यजनक बात थी। वे लोग वहा तक हाथियों पर सवार होकर गये थे। हाथियों के गले में जो घण्टिया बंधी हुई थी उनकी आवाज ने उन लोगों को सशय बना दिया जो उस साधु (जती) और उसके दो साथियों में अधिक रुचि रखते थे। उनमें से एक भयभीत होकर दोड़ा दोड़ा जतीन के पास गया और उसको मयूर गज प्रदेश के जगती क्षेत्र में जो बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस और सेना की कामवाही हो रही थी उसकी सूचना दी।

जतीन चित्तप्रिय और मनोरजन तीनों ने जो नष्ट कर सकते थे उसको नष्ट करके उस स्थान को तुरंत छोड़ दिया। वे तलदिहा की ओर तेजी से चले जिससे कि निरेन और ज्योतिष को भी अपने साथ ले लें इस प्रयत्न में बहुत सा बहुमूल्य समय नष्ट हो गया परन्तु अतीत कभी भी अपनी सुरक्षा की बात इस मूल्य पर नहीं सोच सकनत थे कि उनके तर्हण साथियों को खतरे में छोड़ दिया जावे। अंधेरी रात्रि के कारण जिलाधीश कुछ न कर सका। उसने प्रातःकाल की प्रतीक्षा में वही डेरा डाल दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने उस स्थान की तलाशी ली। पेड़ पर जो लक्ष्य वेध (टार्गेट) रक्म हुए थे तथा भोपडा की मिट्टी की दीवार में गोलियों के चिन्ह मिले। थोड़ी सी बारूद और दो चार दूर दूर पड़ो हुई बंदूक की गोलियां भी मिली परन्तु जिन लोगों की तलाश थी वे नहीं मिले। जो कुछ जानकारी वहा उपलब्ध थी उससे पुलिस को यह पता लग गया कि तलदिहा उन क्रांतिकारियों का दूसरा शरण स्थल था। वे अपने को दो समूहों में बांट कर एक दूसरे से दूरे दूरी पर रहते थे।

जब सब लोग जतीन से मिल गये तो जतीन और उनके सभी साथी बालासोर

रेलवे स्टेशन की ओर चले। वे हरिपुर भरिया गांव तक पहुँच गए जो उनके लक्ष्य से अधिक दूर नहीं था परंतु वहाँ उन्हें इस बात का पूरा संदेह हो गया कि वहाँ भी उनके लिए खतरा मौजूद है।

य पुन वापस लौटे और खुले में भा गए। वे इस बात की सम्भावना का पता लगाना चाहते थे कि क्या पुलिस के घुल से बच निकलने का कोई भाग हो सकता है।

जिलाधीन की आशानुसार मयूरभञ्ज की पुलिस ने उन क्रान्तिकारियों की खोज जारी रखी और जिलाधीन बालासोर इस उद्देश्य से लौटा कि मयूरभञ्ज राज्य से बालासोर को जाने वाले सभी मार्गों को ढक्का दे। क्योंकि जिलाधीन तथा पुलिस अधिकारियों का विचार था कि वे बगाली क्रान्तिकारी रेलवे स्टेशन पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक पुलिसमन की आज्ञा दे दी गई कि वह जो भी अज्ञानबी मिले उस पर कड़ी नजर रखें। उस प्रदेश के निवासियों में यह बात साधारण चर्चा का विषय बन गई कि कुछ बगाली डाकू उस क्षेत्र में फिर रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए दौड़पूव कर रही है। एक व्यक्ति जो बालासोर कस्बे में दूकान करता था और जहाँ वह प्रति दिन जाता था। जबकि ८ सितम्बर को वह दूकान बंद करके घर वापस लौट रहा था तो उसने पुलिस कमचारियों को नाव घाट पर नाविकों से यह कहते सुना कि वे बाहरी लोगों पर कड़ी नजर रखें और यदि बाहरी व्यक्ति वहाँ घावें तो पुलिस को तुरंत सूचित कर दें। घर लौट कर उस दुकानदार ने यह बात अपने भाई को बतलाई जो कि खेतों करता था और उससे कहा कि वह भी चौकना रहे और देखभाल रखे।

९ सितम्बर वृहस्पतिवार को प्रातःकाल ६ बजे वह किसान जिसे सारा तथ्य मालूम था उसे ही अपनी छोटी नाव से किनारे पर उनरा और उस नाव को छूटे से बांध दिया उसके सामने के किनारे पर पाँच अपरिचित व्यक्ति खिखलाई दिए। उन्होंने पुकार कर उस किसान से कहा कि वे सरकारी कमचारी हैं और चाहते हैं कि वह उन्हें नदी के उस पार पहुँचा दे। उसने उन्हें उस पार पहुँचाने से इस कारण इनकार कर दिया कि उसकी नाव सरकारी (किराए की नाव) नहीं है और वह इतनी छोटी है कि उतने आदमियों को वह बिना डूबे नदी के पार नहीं ले जा सकती।

उन अज्ञानियों ने यह प्रस्ताव रखा कि वह नदी पार करके उनके कपड़ों और भोला को ले जावे वे स्वयं नदी को तैर कर पार कर लेंगे। वह किसान उसके लिए भी तयार नहीं हुआ। इसके विरुद्ध उसने सुझाव दिया कि थोड़ी दूर ऊपर की ओर चार मावें हैं और वे उनमें से एक में सरलता से पार जा सकते हैं। उस सुझाव के अनुसार जतीन और उनके साथी उन नावों की ओर गए और उन्होंने नदी पार की। उस किसान को वह बात याद आई— जो पिछली रात को उनके भाई ने कही थी और उन अज्ञानियों के सम्बन्ध में उसे जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। वह उस स्थान पर गया जहाँ कि नदी के उस पार वे अज्ञानबी उतरे थे किनारे पर उतर कर वे अज्ञानबी जगल की ओर बढ़े तब उस आदमी ने पुकार कर कहा कि उधर कोई सबक नहीं है। तब वे अज्ञानबी उसकी ओर मुड़े। तब तक वहाँ एक भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में से एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं जब उन्हें उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसका संदेह और दृढ़ हो गया।

शुभ तक उस आदमी के पास कुछ व्यक्ति इकट्ठे हो गए थे उसने यह सुझाव रखा कि एक आदमी को जाकर दफ्तार को सूचित कर देना चाहिए। और वह तथा उसके साथ साथी उन पर निगाह रखेंगे वे अजनबी नदी के किनारे कुछ दूर चलकर उस रास्ते पर गए जो कि बाघ की सड़क पर मिलता था जो कि नदी के समानान्तर पर पचास कदम की दूरी पर जा रही थी। क्योंकि अजनबी लोग निश्चित नहीं थे कि कितना जाया जाए उसी आदमी ने उनमें पूछा कि वह कहा जाना चाहते हैं तो वह उन्हें वहाँ का रास्ता दिखा देगा। उन अजनबीयों ने उत्तर दिया कि वे रेलवे लाइन पर जाना चाहते हैं तो उस आदमी ने बतलाया कि उ हे बाघ की सड़क से जाना चाहिए जो उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। वे अजनबी उसी सड़क की ओर गए पर तु कुछ मिनट बाद वे विधाम करने के लिए बठ गए। वह स्थान जहाँ वे बैठे गोविंदपुर गाँव के समीप था।

वह आदमी वहाँ चुपचाप श्री आदमियों को बुलाने चला गया और जब वह लौट कर आया तो उसने देखा कि वे अजनबी चले जा रहे हैं। दफादार का भाई दौड़ कर आगे आया और उसने उनका रास्ता रोक उनसे जाने में उसके साथ चलने को कहा उन अजनबीयों ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया जब दफादार के भाई ने दुवारा उनको रोकना चाहा तो उ होने बमर से पिस्तौल निकाल ली और गाँव वालों को जो सख्या में बढ गए थे डराने के लिए इधर उधर फायर किए इस प्रकार वे अजनबी दुमूदा गाँव ११ बजे पहुँच गए और गाँव वाले उनका पीछा करते रहे। जब गाँव वालों ने देखा कि गोलियों से किसी को कोई प्रकार की हानि नहीं पहुँची तो एक गाँव वाला उनके बहुत नजदीक आ गया। जब वह उन भागने वाले अजनबीयों के पश्चिम कदम दूरी पर पहुँचा तो उ होने गोली चलाना शुरू की दुर्भाग्यवश मनोरजन की पिस्तौल से निकली हुई गोली राजू महती के लगे और वह भूमि पर गिर पडा।

राजू महती के गिरते ही चार को छोड़ कर और सब गाँव वाले भाग गए। दफादार का भाई और दोष तीन बालाघोर की ओर बढे जो कि वहाँ से आठ मील दूर था। वे मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को इस घटना की सूचना देना चाहते थे। वे अजनबी कुछ दूर चलने के उपरांत बठ गए और उ होने थोडा जलपान किया। गाँव वाले उनका पीछा कर रहे थे। उ होने बन्द रोड को छोड़ दिया और खेतों और मदानों में से पूव को चल दिए।

जब उहाने सड़क पार करली तो उनके सामने एक छोटी नदी आई। वे उस नदी के पानी में से चन कर उस पार गए। उ होने अपने कपडे और रिवाल्वर सिर पर बांध रखे थे वे एक एक करके नदी पार कर रहे थे साथ साथ कभी कभी गोली चलते जाते थे जिससे कि गाँव वाले दूर रहे। उसके उपरांत वे चसरवद गाँव की ओर बढने लगे। कुछ आगे बढने पर वे घान कि खेतों के बीच में एक पुराने तालाब के बाँध पर एक चींटियों के भिटे के पीछे छिप गए। उसक चारा और भाडिया थीं जिससे कि वे दिखलाई नहीं पड़ते थे। वहाँ से वे चारा ओर दूर दूर देख सकते थे।

लगभग उसी समय बालाघोर से पुलिस फोस बुरह बलग के किनारे पर पहुँची। मजिस्ट्रेट ने पुलिस फोस को दो टुकड़ियों में बाट दिया। एक टुकड़ी भयूर भज सड़क से उस क्षेत्र को पार करने आगे बढी दूसरी मिदनापुर की सड़क के रास्ते से गई। दोनों

टुकड़ियाँ उस स्थान पर जाकर मिलीं जहाँ कि पुलिस धानेदार ने एक सफेद कड़ा गाड़ लिया था। पुलिस धानेदार दफादार के साथ वहाँ पहले ही पहुँच गया था। मजिस्ट्रेट ने ० ३०३ स्पेक्टिंग राइफल से गोली इस उद्देश्य से चलाई जिससे कि कानिबारी यह समझ लें कि पुलिस के पास दूब तक मार करने वाली राइफिलें हैं जिससे कि वे बिना जीवन की हानि के आत्म समर्पण कर दें।

परंतु क्रांतिकारियों ने अग्नि का उत्तर गोली से दिया। दोनों ओर से बीस मिनट तक गोली चलती रही। पुलिस में बहुत लोग घराघायी हो गए। उस समय गोली चलना बन्द हुई तो दो व्यक्ति छड़े हुए अर्थात् दोनों हाथों को ऊँचा किए दिखलाई दिए। मजिस्ट्रेट ने गोली चलाना को बंद करने की आज्ञा दी। पुलिस दल सतर्कता-पूर्वक भाग बड़ा। समीप पहुँचने पर पता चला कि एक व्यक्ति मारा गया है और दो घायल हो गए हैं। तुरंत मृतक व्यक्ति तथा दोनों घायलों और दोष दो कदियों को बालासोर लाने का प्रबंध किया गया। मृतक के शव को शव गृह में, घायलों को अस्पताल में और कदियों को जेल में भेज दिया गया।

चित्तप्रिय राय चौधरी गोली बारी में उसी स्थान पर मारे गए थे। जतीन गम्भीर रूप में घायल हो गए थे उन्हें माझे आठ बड़े रात्रि में अस्पताल में भर्ती किया गया। उनके पेट में तथा बाएँ हाथ में गम्भीर जखम थे। उनके बाएँ हाथ की इट्टिया बुरी तरह टूट चुकी थी। ज्योतिष के एक ही गोली से दो घायल हो गए थे। गोली पीठ की बाईं ओर से घुप कर छाती से निकल गई थी।

१० सितम्बर १९१५ को जतीन की प्रातः काल मृत्यु हो गई। ज्योतिष ठाक हो गया और २२ सितम्बर को जेल भेज दिया गया। बाद की उस पर निरेन और मनोरजन के साथ मुकदमा चला।

१ अक्टूबर १९१५ को ज्योतिष अत्र पाल, निरेन्द्रदास शुभ और मनोरजन सेन शुभ एक विशेष न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए उपस्थित किए गए। वह विशेष अदालत सात अक्टूबर से बालासोर में नियमित रूप से बैठी। उन तीनों अग्नि युवकों के विरुद्ध हत्या करने का बालासोर पर आक्रमण के सम्बन्ध में हत्या करने के प्रयत्न तथा जिलाधीश और पुलिस की हत्या करने तथा अस्त्र धस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप लगाए गए। अक्टूबर १६ को फैसला सुना दिया गया। मनोरजन और निरेन को मृत्यु दण्ड दिया गया और ज्योतिष को चौहूँ वर्ष का बालापानी (निर्वासन) का दण्ड दिया गया।

३० अक्टूबर को बिहार उड़ीसा कलकत्तीनेट गवर्नर ने समा की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया जिसे अग्निपुत्रों की ओर से उनके वकीलों ने की थी। दोनों युवकों को २२ नवम्बर १९१५ को बालासोर की जेल में फाँसी दे दी गई। मातृभूमि की बलिदेही पर दोनों युवक बलिदान हो गए।

जतीनद्रनाथ मुर्जी का व्यक्तित्व मनोहारा था। उसमें अद्वितीय शक्ति थी। उसमें शारीरिक, मानसिक नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति का प्रदूट भंडार था। आध्यात्मिक शक्ति जो कभी भी बिनाश न होने वाली और कभी भी समाप्त न होने वाली शक्ति है और जो अन्य सभी प्रकार की शक्तियों का स्रोत है उसमें अद्वितीय शक्ति थी। बंगाल में कानिबारी कायों की चरम सीमा के दिनों में वह एक ऐसे अद्वितीय पर खड़े थे जहाँ विभिन्न दिशाओं और ओरों से बढ़ने वाली जल पाराएँ अपनी

समस्याओं का सन्तोषजनक हल प्राप्त करने के लिए धाती थी और वह उनकी भाषाओं की भली भाँति पूरा करता था ।

जतीन अपने साधियों में नवीन उत्साह और स्फूर्ति फूँकता था वह उनमें साहस और दृढ़ निश्चय उत्पन्न करता था और उनके लिए मानो वह एक सुरक्षित स्वर्ग था जहाँ अपनी सभी चिन्ताओं को उसके प्यार भरे व्यक्तित्व की सौंपकर उसके साथी चिन्ता मुक्त हो जाते थे । मातृभूमि के लिए असीम प्रेम और भक्ति तथा देश-वासियों के लिए सहानुभूति में जतीन बेजोड़ था । उसकी समता करने वाला कोई नहीं था । १९१४ में जबकि क्रांतिकारियों में उदासीनता और अपेक्षाकृत निश्चेष्टता व्याप्त थी वह क्रांतिकारी युद्ध क्षेत्र में उतरा और क्रांतिकारियों का उसने उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया । प्रत्येक क्रांतिकारी उसमें असीम विश्वास रखता और उसके व्यक्तित्व के प्रभाव से प्रत्येक क्रांतिकारी अपनी मायताओं तथा धारणाओं को उसके अनुसरण बना लेता था । उन्हें उसके नेतृत्व को स्वीकार करने में प्रसन्नता होती थी । उसी वष वह रामबिहारी बोस से बनारस में मिला । उसका सद्देख्य यह था कि उत्तर भारत में कार्य करने वाले क्रांतिकारियों से बंगाल के क्रांतिकारियों का सम्बन्ध जोड़ा जावे । इन दो महान क्रांतिकारियों के परस्पर सम्बन्ध अत्यन्त मधुर थे वे एक दूसरे की भली प्रकार समझते थे और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते थे ।

जतीन के चरित्र में आध्यात्मिकता कूट कूट कर कर भरी थी परन्तु वह उसके क्रांतिकारी कार्यों तथा अन्य सामाजिक कार्यों में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करती थी । वह प्रत्येक प्रश्न को सही दृष्टिकोण से देखता था और प्रत्येक समस्या को निलिप्त होकर हल करने का प्रयत्न करता था । ० अगस्त १९१० को उसने अपनी बहिन विनोदबाला की छलीपुर से टूट जेल से निम्न पत्र लिखा था—

तुमने देख लिया कि इस पृथ्वी की सभी वस्तुएँ और घटनाएँ कितनी दृढ़ मगुर हैं । वह व्यक्ति वास्तव में सोमागदशाली है जिसे किसी महान कार्य के लिए अपने अणुमगुर जीवन का बलिदान करने का अवसर मिले ।”

उसके जीवन में मातृभूमि की स्वतंत्रता की विधासा अथवा सभी आकांक्षाओं से बड़ी हुई थी । उसका अपने तरुण सहोदरों जो नाम उसने प्रेमवश अपने साधियों को दे रखा था के लिए जो प्रेम और सहानुभूति थी वह सब प्रसिद्ध थी वह एक लोकोक्ति बन गई थी । उसका शरीर और हृदय जहाँ फोलाव का था वहाँ वह इतना कोमल भी था कि जो धोमकण से भी अधिक कोमल था ।

उसका सम्पूर्ण जीवन एक महान वीर का इतिहास था । यह उस जैसे महान वीर के योग्य ही था कि भगवान ने उसकी मृत्यु के लिए खुले युद्ध रूपी मृत्यु का द्वार खड़ा कर दिया । जब उस महान क्रांतिकारी वीरेण ने उस मृत्यु द्वार में प्रवेश किया तो वह अपने समकालीन सहयोगियों और पीछे आने वाला के लिए निरंतर प्रवाहित होने वाली प्रेरणा छोड़ गया । स्वयं अमरता प्राप्त कर कभी न लुप्त होने वाले महान यश का भागी बना ।

तीन मित्रों में से चित्प्रिय मनोरजन और निरेम के सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सप्ताह में उनके आधिर्भाव में कुछ ही वर्षों का अन्तर था वे मदारीपुर के एक ही स्कूल के छात्र थे जबकि दिसम्बर १९१३ में वे गिरफ्तार हुए और गोपालपुर बलाकुरी इकती अभियोग (फरीदपुर पहचान अभियोग) में अभियुक्त

बनाए गए। वह अभियोग बाद को २० एप्रिल १९१४ को वापस ले लिया गया। सभी साहसिक कार्यों और जोखिम भरे कार्यों में वे एक साथ रहे। तीनों ने उसी महान काम के लिए जीवन का उत्सव कर दिया। एक ने रणभूमि में अपना जीवन दिया और दोष दोनो ने फाँसी के तख्ते पर झूठ कर अपने जीवन का उत्सव कर दिया। इस पावन यज्ञ में तीन मास का भी अंतर नहीं पड़ा।

निरैन और मनोरजन बच्चे भाई थे गाव में उनके मकान बहुत पास थे। उनमें कुछ सौ गज की ही दूरी थी। राजनीतिक कार्यों और सरकार द्वारा चलाए गए अभियोग में वे एक दूसरे से चिपटे रहे और जीवन की अंतिम घड़ी तक वे साथ साथ रहे। उनको एक ही दिन एक ही जेल में और लगभग एक ही समय फाँसी दी गई। वास्तव में वह एक मनोबोधागत था। उन तरणा की आत्मा में कोई किसी प्रकार का भी भय नहीं था इस कारण उन्हें अपने सम्बन्ध में कोई बदेह तथा भ्रम नहीं था। अपने मन से सभी प्रकार के सदेह और भ्रम उन्होंने निकाल दिए थे।

चित्तप्रिय राम चौधरी ने जब सबदा के लिए अपने घर को छोड़ दिया और भूमिगत हो गया उस समय अपने एक सम्बन्धी से गुप्त सहायकार में कहा था— गीता का कथन है कि आत्मा अमर है और उसका मुख्य काय पुनजन्म में मनुष्य को नवीन शरीर धारण करने की शक्ति प्रदान करना है।”

उन दिनों जबकि पुलिस उनका तेशी से पीछा कर रहा था, उसने कहा था— ‘मृत्यु मेरे द्वार पर प्रतीक्षा कर रही है वह मेरे सिर पर मड़रा रही है परंतु मैं उससे भयभीत नहीं हूँ। मालस्य में जीवित रहने की अपना धीम्र मृत्यु को प्राप्त करना श्रेयस्कर है। उस दशा में मैं पुनजन्म लूँगा धीम्र ही एक नए और बलवान शरीर में रहकर धीम्र ही सक्रिय हो सकूँगा और अग्नेयों का विनाश कर सकूँगा।’

निरैन दास गुप्त ने फाँसी के पूव अपने माता पिता भाई बहिनो को लिखा था— ‘मेरी मृत्यु से आपको दुखी नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय हिंदुमा का यह दृढ़ विश्वास है कि वे अमर हैं पार्थिव शरीर की मृत्यु से उनकी मृत्यु नहीं होती।’

जतीन्द्र नाथ भारतीय क्रांतिकारियों के उस वरिष्ठ नेता ने धरमपुर से टूल जेल से २० अगस्त १९१० को लिखा था— ‘मेरी दृष्टि सत्कार के सवशक्तिमान विधाता के चरणों पर टिकी हुई है। जो कुछ भी यह करेगा मैं उसे उसके भागीवार्द स्वरूप स्वीकार करूँगा। वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करता जो हमें तनिक भी हानि पहुँचाने वाला हो, अपनी अज्ञानता में हम यह अनुभव नहीं करते कि जिन बातों को हम अपने लिए हानि कर समझते हैं उसके पीछे उसका कोई महान उद्देश्य होता है।’ दीदी ने जतीन को उत्तर में लिख भेजा “मैं सिंह को पुन जिंके (जेल) में बंद न देखूँ।”

जबकि वे लोग अत्यंत कष्टकर जीवन व्यतीत कर रहे थे और उनकी निरंतर खत्रे का सामना करना पड़ता था। मनोरजन और निरैन दोनों ही का वजन बढ़ गया और उनका शरीर और मूल मडल शक्ति और जातिमय बन गया। यहाँ तक कि उस समय मनोरजन एक हृष्ट पुष्ट पञ्जाबी लगने लगा वह दुबल बगाली नहीं रहा था। उन मित्रों और सम्बन्धियों का जिन्होंने उसे पृथ्वी पर अंतिम बार देखा, कहना था कि जब अभियुक्त के कंधरे में वह आया तो वह बहुत स्वस्थ प्रसन्न और ताजा था। उन दोनों के चेहरे मुस्कराहट और प्रसन्नता भंग तक बनी रही। अभियोग में क्या होगा, वे उसकी और स निताम्न विश्वास थे। मनोरजन ने उस सम्बन्धी से कहा कि उसको तनिक भी शोक नहीं



करना चाहिए क्योंकि जो कुछ 'दादा' (जतीन) तथा चित्त प्रिय के साथ घटित हुआ वह उनके साथ हो सकता था। उसने कहा सच तो यह था कि जब पुलिस से युद्ध चल रहा था तो उनका यह हृदय निश्चय था कि अंतिम द्वास तक वे युद्ध करते रहेंगे और वीर गति प्राप्त करेंगे। पर तु दादा का आदेश इसके विपरीत था और अनुशासित सैनिक की भांति उ होने अपने सेनापति की आज्ञा का पालन किया।

उ होने जो अंतिम पत्र अपने माता पिता स्नेहशीला भगिनियों और सहोदरों को लिखे उनका सारांश यही था कि मृत्यु के लिए रोना व्यर्थ है विशेषकर एक बलिदानी सहीद की मृत्यु पर रोना शोभा नहीं देना। यह सबदा याद रखना चाहिए कि इस पावित्र्य गरीर का नष्ट होने से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। यही जीवन का सम्बन्ध में हिन्दुओं का सर्वमाय दृष्टिकोण है।"

अपने मित्र को एक पृथक पत्र में उन्होंने पुनः जर्मन में अपने अहिंसक विश्वास को प्रकट किया और लिखा कि उनको यह हृदय विश्वास है कि वे बार बार जर्मन लेंगे और मरेंगे जब तक कि भारत माता विदेशियों की दासता से मुक्त नहीं हो जाती।

ज्योतिष चन्द्र को अदमन भेज दिया गया जहाँ उसके मस्तिष्क में विकार होने के विह्वल प्रगट होने लगे। कुछ वर्षों के उपरांत उसको बहरामपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया जहाँ वह ठीक हो गया। उसके मित्र तथा सम्बन्धी समय समय पर मिलते रहते थे। अंतिम साक्षात्कार के समय व लोग उसके लिए कुछ कपड़े ले गए थे पर तु उसने उन्हें लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उनकी उसे आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे सूचित किया गया था कि वह पंद्रह दिन में जेल से मुक्त किया जाने वाला है।

यकायक बरहामपुर जेल से उसके सम्बन्धियों के पास मदारीपुर एक तार पहुँचा कि वह गम्भीर रूप से बीमार है। सात घंटे में दूसरा तार इस आशय का आया कि कदी की मृत्यु हो गई।

ब्रिटिश सेना से भारत में प्रथम खुले युद्ध का अंतिम वीर बरहामपुर जेल में ४ दिसम्बर १९२४ को सप्रेहात्मक परिस्थिति में मार दिया गया।

सरकार की दृष्टि में जतीन्द्रनाथ मुकुर्जी चित्तप्रिय राय चौधरी मनोरंजन सेन गुप्त निरेन्द्रनाथ दास गुप्त और ज्योतिष चन्द्र पाल कानून की दृष्टि में घोषित अपराधी थे। सरकार उन्हें लफ्फा डाकू और हत्यारा कह कर बदनाम करती थी। राजमत्त लोग जो बुद्धिमान होने का दावा करते थे उनका मानना था कि वे देश को नष्ट करते पर तुले हैं। पर तु समय के साथ भारत के इतिहास में उनको उनका उचित स्थान प्राप्त होगा और उनके कृत्य देशवासियों के हृदय में वे सदैव गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे।

### परिपूर्ण व्यवस्था (१९१५)

कलकत्ता से ममनसिंह यह समाचार पहुँचा कि प्रसिद्ध डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस जतीन्द्र मोहन घोष ममनसिंह कुछ सदेहास्पद राजनीतिक व्यक्तियों के अभियोग के सम्बन्ध में वहाँ पहुँच रहा है।

६ फरवरी १९१५ को जबकि डिप्टी सुपरिटेंडेंट तथा उसकी पत्नी पाँच वर्ष के एक बालक के साथ मकान के दरवाजे के सामने बैठे थे पाँच व्यक्ति यकायक वहाँ प्रगट हो गए उ होने उसकी पत्नी से कहा कि वह वहाँ से चली जावे क्योंकि उ ह साहब से कुछ बातें करनी हैं। पत्नी उस स्थान से पूरी तरह हटी भी नहीं थी कि भाग तुको ने जतीन पर कई गोली दाग दी। एक गोली उसके मस्तक पर लगी और दूसरी उसके पेट के पार

निकल गई वह तुरन्त मर गया। बच्चे के भी एक गोली लग गई जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई।

वह पुलिस अधिकारी क्रांतिकारियों की छांटा में चढा हुआ था। उसने हावडा घोर खुलता गैंग अभियोग तथा नदिया द्विगस बायम टूटिंग बेस में बहुत सक्रियता दिखाई थी। उसकी काय क्षमता को देखकर सरकार जटिल राजनीतिक अभियोगों को उसी के सुपुन करती थी। यही कारण था कि वह उन लोगों (क्रांतिकारियों) के रोप का लक्ष्य बन गया जिनके काय म उसके कारण हानि पहुँचती थी।

माद मे आक्रमण ( १९१५ )

क्रांतिकारियों द्वारा अनेक साहसिक कार्यों म २१ अक्टोबर १९१५ को मस्जिदबारी स्ट्रीट में जो उन्होंने साहस दिखाया वह बहुत ऊचा माना जाता है।

चार बरिष्ठ पुलिस अधिकारी मस्जिदबारी स्ट्रीट क्लबकत के मकान नम्बर ६६ मे पासे का खेल खेल रहे थे। लगभग साढ़े दस बजे रात्रि का समय था जब कि गिरिन्द्र नाथ बनर्जी ने अपने निज के क्वाटर मे जाने की बात कही उसके साथी मिला-दियों ने इस बात का आग्रह किया कि वह थोड़ी देर और ठहरे कि जिससे उस खेल विरोध का फलता हो जावे। घर के स्वामी ने यह सुभाष दिया कि सुरक्षा की दृष्टि से उसे जाकर उस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए कि जो गली मे खुलता है। कारण यह था कि उस समय पुलिस के अधिकारियों के जीवन को बहुत अधिक खतरा रहता था। उनमे से एक दरवाजे को बंद करने के लिए उठा।

उस मनोवैधानिक क्षण पर एक युवक ने उस कमरे म प्रवेश किया उसके पीछे तीन और थे और उसने पूर्वा वगाली सहजे में पूछा कि क्या वह गिरीन्द्र नाथ बनर्जी नहीं है? उत्तर की प्रतीक्षा न कर उस आग्रुतक ने गिरीन पर गोली चलाई जो बच कर निकल गई उसके नही लगी। दूसरी गोली हरीकेन लालटन मे लगी जिससे वह घकनाचूर हो गई। रोगनी बुझ गई और सम्पूर्ण कमरे में घोर भयवार छा गया। चारो पुलिस अधिकारी उस कमरे से जो कि केवल सात या आठ वग गज का था निकल कर भागे। उन्होंने प्रयत्न किया कि वे मकान के आंगन म पहुँच जावें पर तु आक्रमणकारी उनका पीछा कर रहे थे। आक्रमणकारी बिना रुके गोली चला रहे थे। चारों पुलिस अधिकारी जो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे उस पलसे लग जीने की और भपटे जो उस इमारत के दुमजिले पर जाता था।

वे कठिनाई से जीने के सिरे पर पहुँचे होंगे जबकि गिरेन उन जखमो से रुधिर बहने के कारण जो कि उसके बाये नितम्ब पर और छाती के दाहिने तरफ हो गये थे एक कर मिर पडा और घराशायी हो गया।

यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि गिरेन उस समय बाल बाल बच गया था जबकि मुसलमान पाडा लेन में अपने मकान मे डिप्टी सुपरिण्डट बसंत कुमार चटर्जी को मार डालने का प्रयत्न किया गया था।

दूसरा पुलिस अधिकारी जिसके बाये टखने और दाहिने नितम्ब पर गोली लगी थी कुछ सप्ताह के उपरांत ठीक हो गया।

देरी से कायवाही ( १९१५ )

सरपै टाइन लेन से एक मकान की तलाशी लेने के उपरांत पुलिस ने अक्टोबर मास के अन्तिम सप्ताह मे तीन सदेहास्पद व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

व्यक्तियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जो कि उस स्थान पर उनके मित्रों के गिरफ्तार हो जाने के उपरांत सम्भव हो सकते थे सिपाही बलाग नाथ पाठक वहाँ पहरा देने के लिए और भविष्य में क्या होता है देखने के लिए नियुक्त कर दिया गया ।

उस गली में प्रकाश कम था और वह तग गली थी । ६॥ और १० बजे रात्रि के बीच ३० नवम्बर १९१५ को एक बंगाली युवक एवं दूसरे युवक क साथ कलाश के सामने प्रगट हुआ और समीप जाकर उसने कलाश पर गोली चलाई । सेट पाल स्कूल का रसोइया जो अपने घर वापस जा रहा था उस पर उन युवकों को यह सन्देश हो गया कि वह उनका पीछा कर रहा है । वे पीछे को मुड़े और उसे गोरी मारदी दोनों ही व्यक्ति घटना के कुछ घटों के बाद ही मर गए ।

### फौलादी इच्छा

सत्सर्ग का दासता म पड़े देशों में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते जिसमें ऐसा व्यक्ति जो जन्म से ही अयोग्य हो उसने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया हो । सूफीजी का एक हाथ उन्हीं था । एक भुजा का न होना और फिर भी उस उद्देश्य के लिए युद्ध करना जो उसको अत्यंत प्रिय था । सूफीजी के समान ही केवल आरक्षक था जो जन्मजात अयोग्य था और जिसकी दाहिनी हथेली नहीं थी ।

सूफी अम्बाप्रसाद जब छोटे थे तब अपने मित्रों से अयोग्य में कहा करते कि मेरी दाहिनी भुजा १८१७ के सिपाही विद्रोह में कट गई थी । जब वे छोटे थे तभी से मातृभूमि के प्रेम ने मानो उन्हें आत्म विभोर कर दिया था । वे मातृभूमि के प्रेम के नशे में सब कुछ भूल चुके थे । जब वे पच्चीस वर्ष के भी नहीं थे उन्हीं ने 'हलूस नामक उद्भूत पत्र निकालना आरम्भ कर दिया था । वे हलूस पत्र मुरादाबाद ( उत्तर प्रदेश ) अपने पतृ निवास स्थान से निकालते थे । उन पर अराजकता फलाने के अपराध में अभियोग चलाया गया और उन्हें अठारह महीने का कठोर कारावास का दण्ड दिया गया । बाद को उन्होंने 'भारत माता' पत्र निकाला और उसके संपादक की हैसियत से उन पर पुनः अभियोग चलाया गया और अक्टूबर १८९७ में उनको पुनः एक वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिया गया ।

१९०६ में जब बंगाल में बंगभंग के कारण तीव्र हिंसात्मक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ और समस्त बंगाल में क्रांति फूट पड़ी तो पंजाब पर भी उसका प्रभाव पड़ा । वहाँ के किसान विद्रोही हो उठे परन्तु उन्हें अपने वायव्य दिक्कत मागने के अपराध में अंग्रेजी सरकार के क्रूर दमन को सहना पड़ा । उस समय अम्बाप्रसाद जी सूफी गुजरानवाला से निकलने वाले पत्र 'इंडिया' के सहायक संपादक थे जिसमें वे ४ अप्रैल १९०७ को आए थे । उन्होंने स्थानीय किसान नेताओं का समर्थन किया । उन पर २५ सितम्बर १९०७ को लाहौर सेशन जज के समक्ष राजद्रोह का अभियोग चलाया गया । परन्तु सेशन जज ने ११ जनवरी १९०८ को उन्हें मुक्त कर दिया ।

जब अयोग्य नेता गिरफ्तार हो गए तो अम्बाप्रसाद सरकार की आंख में और अधिक खटकने लगे । परन्तु अम्बाप्रसाद किसी प्रकार नेपाल में छुस गए । उसी बीच उन्होंने 'भारत माता पुस्तक समिति' नामक संस्था देशभक्ति पूर्य साहित्य प्रकाशन के लिए स्थापित कर दी । जब उन्होंने देखा कि देश में रह कर काम कर सकना कठिन

हे और वहा का वातावरण उनके लिए अनुकूल नहीं है वे काबुल चले गए और वहां से ईरान चले गए ।

बलिन प्रांतिकारी कमेटी के निर्देश के अंतगत जर्मन सरकार की सहायता से सूफी अम्बाप्रसाद दो प्रमुख क्रान्तिकारियों के साथ टर्की पहुँचे । उन्होंने तुर्की के शासक से एक पत्र अमीर अफगानिस्तान के नाम इस आशय का लिखा कि वह उनकी सहायता करें । वे उस पत्र को लेकर अमीर अफगानिस्तान के पास पहुँचे और उसके द्वारा भारत पर आयोजित आक्रमण में सहायता देने की प्रार्थना की । अफगानिस्तान के अमीर ने उनको भारत के आक्रमण में कोई सहायता देने से सबया इनकार कर दिया परंतु उनको ब्रिटिश अधिकारियों को नहीं सौंपा क्योंकि अफगानिस्तान का प्रधान मंत्री इसके विरुद्ध था ।

अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री की जानकारी अथवा उसकी जानकारी के बिना भारतीय क्रांतिकारियों ने अपनी एक अस्थायी सरकार अफगानिस्तान में स्थापित कर ली थी और वे चुपचाप २१ फरवरी १९१५ को भारत में होने वाले विद्रोह में सम्मिलित होने की तयारियाँ कर रहे थे । योजना यह थी कि वे लोग पश्चिम से आक्रमण करेंगे । परंतु पञ्जाब में एक व्यक्ति के विश्वासघात के कारण जब विद्रोह की सारी योजना डह गई तो काबुल सरकार ने उन भारतीय क्रांतिकारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने का निश्चय किया जो वहा अभी तक रह रहे थे ।

अम्बा प्रसाद सूफी के दो साथी बड़ी ही कठिनाई से काबुल से निकल जाने में सफल हो गए और ईरान ( परशिया ) पहुँच गए । अम्बाप्रसाद कद हो गए और उनको काबुल स्थित ब्रिटिश एजेंट ने ( जो काबुल में था ) प्राप्त कर लिया । अम्बाप्रसाद को घोर ताड़ना और कष्ट दिए गए उनके साथ अत्यन्त निमम और क्रूर व्यवहार किया गया और उन्हें कहा गया कि वे अपराध को स्वीकार कर लें और रात्रि को उन्हें जेल में बंद कर दिया गया । अम्बाप्रसाद के साथ जो मार पीट और क्रूर व्यवहार किया गया था उसमें उनके बहुत चोटें भाई थी । उस मार और निमम क्रूर व्यवहार का परिणाम यह हुआ कि प्रातःकाल वे अपनी कोठरी में मरे पाये गए । किसी को भी ज्ञात नहीं हो सका कि उनका अन्तिम क्षण कब आया और वे कब शांत हो गए ।

अम्बा प्रसाद की मृत्यु के समय में एक दूसरा कथन यह है कि वे शिराज ( परशिया ) में पकड़े गए । जबकि प्रथम महायुद्ध में ब्रिटिश विजयी हो गए । उनका शोध के मुह में बांध कर उहा देने की आज्ञा दी गई । परंतु रात्रि को उनकी कोठरी में उनकी मृत्यु हो गई जिससे वे उस प्रकार की मृत्यु से बच गए ।

रहस्य भली प्रकार सुरक्षित रक्खा गया ( १९१५ )

क्रांतिकारियों में भी अविनाश क्रांतिकारी उस भोले भाले युवक के बारे में कुछ नहीं जानते थे जिसको जतीन मुक़्तरी १ जर्मनी से अस्त्र वास्त्र भेजने का कठिन उत्तरदायित्व दे रक्खा था । उसको १९१५ के पहले सुदूर पूर्व की ओर भेज दिया गया था और विदेशों में उसे भारतीय क्रांतिकारियों को अस्त्र वास्त्र भिजवाने की व्यवस्था की पूरी आदरणीय जानकारी थी । वह उसी वय गोप्ता आया और सी माटिन' ( नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य जो बाद की मानवे द्रनाथ राय के नाम से प्रसिद्ध हुए ) के सम्बन्ध में चिन्तित हो जाने के कारण उसने एक सार माटिन को

भेजा जिसमें उसने पूछा था कि मैं कैसे हूँ। इस तार ने ब्रिटिश पुलिस को उसके सबब में सचेत दे दिया और उसने गोघ्रा की पुलिस को विवश कर दिया कि वह उसको पकड़ ले। मद्रा प्रबल ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप करने पर पोतु गीज अधिकारियों ने उसको गोघ्रा रा निवासित कर दिया और उसको भारत गोघ्रा की सीमा पर पकड़ लिया गया और पूना क फार्गशवाने ले जाया गया।

उससे अघराघ स्वीकार करान के सभी नशत और क्रूर उपाय काम में लाए गए पर तु भोला नाथ चटर्जी उन उपायो क सामने भी डटा रहा उसने भेद नहीं खोना पर तु अब उमठे लिए वह नशत उत्पीडा असह्य हो उठा और उसने देखा कि उस नृशय उत्प डन को और अधिक सटन कर सकना असम्भव है तो उसने अपनी घोती के द्वारा ७ २८ जनवरी १९१६ को रात्रि को आत्महत्या करली और अपने को पुलिस क उन क्रूर कुत्तो क चयुन से मुक्त कर लिया।

एक समय में दो ( १९१६ )

ढाका जासूसी विभाग के दो कॉन्टेन्डर सुरेन्द्र भूषण मुखर्जी और रोहिणी कुमार मुखर्जी जो कि क्रांतिकारी दल के दो फरार क्रांतिकारियों की खोज में लगे थे उन पर ढाका के बैरागीटोला मुहल्ले में २३ जून १९१६ को ६ बजे सामकाल आक्रमण किया गया। आक्रमणकारी अपने शिकार को बच जाने का कोई अवसर नहीं देना चाहते थे इसलिए उन्होंने सुरेन्द्र पर पांच बार गोली चलाई जबकि रोहिणी के सात गोली लगी। एक गोली उसके मस्तिष्क का फाड़ कर निकल गई।

मृत्यु जिसका व्यौरा ज्ञात नहीं ( १९१६ )

सजीव चंद्र राय ममनसिंह जिले के किशोर गज का निवासी था। वह बहुत कम उम्र में ही राजनीतिक कामवाहियों में भाग लेने लगा था और सगठन करने की अद्भुत क्षमता तथा सहस्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध था।

अप्रैल १९१६ में भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उसको नजरबंद करने की आज्ञा निकाली गई। जबकि पुलिस अधिकारी उस आज्ञा को लेकर उसके घर पहुंचे तो वह वहां नहीं था। बाद को किशोरगंज सब डिप्टीजन नगर के समीप वह पकड़ा गया वह सार्विकल पर था और उसके झोले में एक रिवाल्वर और कारतूस थे। १३ जुलाई १९१६ को उसको दो बप के बठोर कारावास का दण्ड दे दिया गया। उसको अत्यंत जमानतीय नृणसना और क्रूरता से उत्प्राणित किया गया पर तु उसने बहुत प्रणसनीय सहस के साथ उस उत्पीडन को सहा।

सजीव को तनिक भी विश्राम करने का अवसर नहीं दिया गया। जुलाई में जबकि वह जेल में था उस पर नजरबंदी की आज्ञा से अपने के अपराघ में अभियोग चलाया गया।

उसने अपनी सजा के विरुद्ध अपील की और वह मुकदम की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी बीच में सरकार ने सितम्बर १९१६ के प्रथम सप्ताह में यह घोषणा की कि वह जेल में पचिस से मर गया। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले तक उसके बीमार होने की तनिक भी खबर नहीं थी। मृतक के शव को सम्बधियों को प्रतिम स्स्कार के लिए नहीं दिया गया यद्यपि उन्होंने उसके लिए बहुत दौड़धूप और प्रयत्न किए। इस प्रकार ब्रिटिश जेल की कोठरी में एक बहुमूल्य जीवन समाप्त हो गया और किसी को वास्तविक तथ्य ज्ञात नहीं हुआ।

### रहस्यमय अदृश्य होना (१९१५)

गिरिधर मित्र अपना नाम 'हाबू' जिस नाम से वह अपने मित्रों में अधिक प्रसिद्ध था और पुलिस भी उसको उसी नाम से जानती थी रोडा विस्तार चोरी के मामले में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उस चोरी में उसका प्रमुख हाथ था। हाबू किसी प्रकार गिरफ्तारी से बचने में तो सफल हो गया पर तु निकल भागना उसका लिए कठिन था। पुलिस का जल उसके चारों ओर बिछा हुआ था और पुलिस बहुत चौकनी होकर उसको गिरफ्तार करने का प्रयत्न कर रही थी।

ऐसा कहा जाता है कि हाबू ने भारत से चुपचाप बाहर निकल कर पदल चीन में उत्तरी सीमा से घुसने का प्रयत्न किया। इस साहसपूर्ण और जोखिम भर प्रयत्न में उसको सीमा के प्रहरी ने गोली मार दी और वह अल्पकाल में अपने छिपने के स्थान से गया उसका कोई पता किसी को नहीं लगा।

### क्रूरता से मार डाला गया (१९१६-१७)

शचींद्र नाथ दास गुप्त राणपुर निवासी एक अत्यंत मेधावी तथा दमतावान लड़का था। उस पर पुलिस को यह संदेह हो गया था कि वह क्रांतिकारी कार्यों में सम्मिलित है। अतएव २४ अगस्त १९१६ को उसे भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। अपने घर से बहुत दूर एक गांव में उसे नजरबंद कर दिया गया। वहां नियमित रूप से पुलिस जाकर क्रूरता के साथ उसको मारती पीटती थी। इसके अतिरिक्त उस स्थान का जलवायु इतना अधिक खराब था कि शचींद्र उसका सहन नहीं कर सका और उसका स्वास्थ्य गिर गया। उसके पिता द्वारा अल्पकाल पूर्वक आश्वासन देने पर उसे एक नजरबंद के रूप में ६ दिसम्बर १९१६ से अपने पिता के पास रहने की आज्ञा प्रदान कर दी गई। सरकारी आज्ञा के अनुसार उसको एक बहुत सीमित दायरे में ही आने जाने की आज्ञा थी। उसकी नजरबंदी की शर्तों में मनोरंजन इत्यादि में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं थी। जब वह गिरफ्तार किया गया था उस समय वह कलकत्ता जेल के चतुर्थ वय का छात्र था। उसने सरकार से अपने अध्ययन को जारी रखने की आज्ञा मांगी जिस सरकार ने अस्वीकार कर दिया।

इसके अतिरिक्त उस नजरबंद मुक्त को न तो खेलने दिया जाता था और न किसी से मिलने दिया जाता था। स्थानीय पुस्तकालय में भी वह पढ़ने नहीं जा सकता था। उसको अपने परिवार के सदस्यों के अनिश्चित और किसी से बात करने की आज्ञा नहीं थी।

क्रमशः शचींद्र की जीवन में रुचि कम होती गई। १८ सितम्बर १९१७ को उसने रात्रि को सोने जाने से पूर्व कहा कि इस प्रकार जीवित रहने से कोई लाभ नहीं जिसमें कि वह कोई उपयोगी काम भी नहीं कर सकता। उसकी स्थिति जेल में बंद एक अपराधी से भी नहीं बेटी थी। उसके लिए यह एक महान मानसिक कष्ट था कि वह उस प्रकार के अमिश्रित जीवन को लेकर परिवार पर एक भयकर बोझ बन गया था। उसने मा से यह भी कहा कि परिवार के लिए यह एक स्थायी विपत्ति का श्रोत बन गया है क्योंकि परिवार को सदब चलाशी और उत्पीडन का भय बना रहता है।

शचींद्र प्रातः काल शीघ्र उठता था जबकि सात बज गए और फिर भी वह कमरे के बाहर नहीं निकला तो उसकी मां ने उसके बंद कमरे को खटखटाया परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। दरवाजा तोड़ा गया तो शचींद्र जमीन पर बेहोश पड़ा था और

उसके समीप ही एक बतन में बहुत थोड़ी मात्रा में दूध और अफीम का घोल रखा था । बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी उसको होश नहीं आया और १६ सितम्बर १९१७ को उस ददनाक स्थिति में बारह बजे दिन के उसकी मृत्यु हो गई । मृत्यु के समय उसकी आयु अठारह वष की थी ।

उसके कमरे में तीन पत्र एव जिलाधीश के नाम दूसरा सी आई डी इस्पक्टर के नाम और तीसरा उसके भाई के नाम मिले । भाई के नाम जो पत्र था उसमें उसने उही उद्गारों को व्यक्त किया था जो उसने मा से व्यक्त किये थे । पुलिस के दुष्प्रवहार तथा परिवार में रहने के कारण परिवार वालों को जो अध्ययन और उत्पीडन सहन करना पड़ता था उसका उल्लेख था । उसके लिए जीवन असह्य हो गया था अतएव उसने वह दुःखदायी परंतु घातक बंदम उठाया जिससे कि वह स्वयं अपने को तथा परिवार को उन विताओं से मुक्त कर दे जो कि पुलिस के दुष्प्रवहार के कारण प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी ।

सी आई डी इस्पक्टर को उसने पत्र में लिखा "मैं अब ऐसे स्थान के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ जहाँ कि तुम न तो मेरा पीछा ही कर सकते हो और न मुझ पर दृष्टि ही रख सकते हो ।

राजोद्धार की इस दुःखद मृत्यु की सीपता रवीन्द्र नाथ टगोर के द्वारा प्रवासी' अग्रहायना १३२४ में प्रकाशित 'छोटो और बड़ों (छोटे और बड़े) शीपक लेख में उस शोक जनक मृत्यु के सम्बन्ध में उल्लेख से बहुत बढ़ गई और अविश्व प्रकाश में आई । उनके बंगाली में लिखे लेख का जिसकी भाषा को कोई नहीं पा सकता स्वतंत्र परंतु भद्रा अनुवाद हम यहां देते हैं—'सभी महान व्यक्तियों का इतिहास यह पुकार कर कहता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो यह अतश्चालना उठती गिरती घोर गजन करती और नदी की धारा के समान फेनिल बन सफलता और विफलता के परपरो से टकराती हुई सभी व्यवधानों और रुकावटों को चकलाचूर करती और तोड़ती हुई पृथ्वी पर अहिंसे से उतरती है एक महान वरदान है । सतों और महारामों के उपदेशों तथा इतिहास के पाठ के विपरीत उन युवकों को जिनमें भावना की स्फूर्ति विद्यमान है विवशता पूरा भालस्य मृत्यु से भी अधिक बड़ा अभिशाप प्रतीत होता है । यह बात हृदय को व्यथित करने वाले घचीन दास गुप्त के अपनी आत्म हत्या के सम्बन्ध में लिखे गए अन्तिम पत्र से स्पष्ट हो जाती है ।

भाज में अत्याधिक दुःख और प्रसन्नता से यह देख रहा हूँ कि भारत में ऐसे तरुण यात्रियों की कमी नहीं है जो ऐसे कटक कीण भाग पर चलने को तयार है जिसमें न तो भौतिक वमव है और न पद और प्रतिष्ठा ही है और जिसमें अकथनीय कठिनाइयाँ और कष्ट हैं । ऊपर से पुकार आई और हमारे युवकों ने उसका तत्काल प्रत्युत्तर दिया । सर्वोच्च बलिदान की चरम सीमा पर ये धार्मिक जोश के साथ अपने कठिन भाग पर आगे बढ़ने के लिए माग बनाते हैं । उ हे इस बात की ठनिक भी भाशा नहीं है कि नकली अग्रज ( भारतीय साहब ) उनके ऊचे आदेशों की सराहना करेंगे अथवा उनसे उनको अपने प्रयत्न में आशीर्वाद प्राप्त होगा । वे देश जो सोभाग्यशाली हैं और जिस पर सोभाग्य की वर्षा हो रही है और जहा मानव और मातृभूमि की सेवा करने के अनेक विशेष क्षेत्रों का विस्तार हो चुका है जहा कि पोषित इच्छामों और उनके लिए किए गए प्रयत्नों के क्षेत्र का सुखद सम्मिलन होता है वहाँ इहं निश्चयी, आत्म बलिदानों, भौतिक

हानि साम की चिंता न करने वाले संवेदनाशील युवक जिन के हृदय पर धादसों को प्रकृत किया जा सकता है देश के प्रत्येक बहुमूल्य कोप के समान मूल्यवान होते हैं।

राजीव द्वारा भारत बलिदान की इस अन्तिम घटना का सिंहावलोकन करने पर प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि यदि वह तर्क उन प्रपेजों के देश में उत्पन्न हुआ होता जिन्होंने उसे दण्ड दिया तो वहां राजीव भारतगौरव के साथ जीवन व्यतीत कर सकता था और गौरव तथा धन से प्रशंसित गौरवपूर्ण मृत्यु को प्राप्त कर सकता था।

प्राचीन काल अथवा आधुनिक काल का कोई भी शासक अथवा उसके पिठहू किसी भी देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक कठोर दमन के द्वारा तथा क्रूरतापूर्ण दंड देकर जीवन रहित और निष्क्रिय बना सकते हैं। यह काम बहुत सरल है पर है अत्यंत क्रूरतापूर्ण और असम्भव। इनसे अधिक निदयतापूर्ण मानवीय जीवन का अपव्यय क्या हो सकता है कि तनिक से सदेह पर उन तर्कों को जो ऊंचे चढ़ने में दुर्घटनावश नीचे फिसल जाते हैं और जिन्हें उनसे खतरे से भरे माग से आशा और हृष के एक शब्द से पीछे वापस लाया जा सकता है जीवन भर के लिए अगो में परिणत कर लिया जाय। प्रत्येक लड़के और प्रत्येक युवक को बिना सचे विचारे या विरोध किए गुप्त पुलिस की दया पर छोड़ देना बुद्धिमानी की राजनीति नहीं है। यह ठीक वंसा ही है मानो कमीनेपन को अथवा असम्भव पाप को राज्य चिह्न से भूषित किया जावे। यह ठीक वंसा ही जसा कि भैंसों के एक झुंड की रात्रि में एक हरे उद्यान में खुला छोड़ दिया जाय। उद्यान का स्वामी निराश और दुखी होकर आह भरता है और कातर होकर अपने सिर को हाथों से धुनता है जब कि भैंसों के झुंड का स्वामी अतीव हृष से प्रफुल्लित होकर इस बात पर सतोष व्यक्त करता है कि उद्यान में घास का एक भी तिनका नष्ट होने से नहीं बचा।

राजीव नाथ टैगोर की प्रभावशाली भाषा में उस आक्रोश और उदासीनता के विचारों और दुखी भावनाओं का सही प्रतिबिम्ब उतरा है जो कि ऐसे प्रत्येक बच्चे के माता पिता और सम्बन्धियों के हृदय में उठती थीं और प्रकाश में आना चाहती थीं कि जिन्हें पुलिस तनिक से भी सदेह पर गिरफ्तार कर लेती थी।

स्वाभिमान का प्रतीक ( १९१५-१७ )

अतीवनाय मुकर्जी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी हलचलों में भाग लेने के लिए मधारीपुर गाँव के एक लड़के ने अपना गृह त्याग दिया। १२ फरवरी १९१५ को गाँव न रीच डकैती के सिलसिले में पुलिस उसकी तलाश में थी।

राधाचरण प्रमाणिक एक स्थान से दूसरे स्थान में छिप कर पुलिस की आँसों से बचता रहा। रात में २० फकीरचन्द दत्त स्ट्रीट कलकत्ता में वह एक पिस्तौल और कुछ कारतूसों के साथ पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और उसको दो वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दे दिया गया। उसको अस्त्र दास्य अधिनियम के अन्तर्गत तथा डकैती डालने के लिए पकड़ने करने के लिए २७ मई १९१५ को दण्ड दिया गया।

गाँव न रीच डकैती के संबंध में २ जुलाई को राधाचरण को अतिरिक्त अपराधी बनाकर मुकदमा चलाया गया और १७ अगस्त को सेशन जज की अदालत में उसकी सुनवाई हुई। उस पर अस्त्र डकैती डालने का अपराध लगाया गया



तथा २२ नवम्बर तक वह मुकदमा चलता रहा। जब उसमें एक और अपराध साधारण दकती डाली का जोड़ दिया गया तो उसी दूसरे अपराध को स्वीकार कर लिया परंतु पहले अपराध को अस्वीकार कर दिया। उसको उसी तारीख को सात बघ के कठोर कारावास का दंड दे दिया गया।

जब वह जेल में दो बघ रह चुका तो उसकी भाखी में कष्ट रहना आरम्भ हो गया। उसने जेल सुपरिटेण्डेंट से अपनी भाखी की बीमारी की उचित चिकित्सा कराने की प्रार्थना की। उस प्रार्थना के उत्तर में उसने कहा गया कि उस जैसे दकती और हत्याओं की अछा है कि वे अंधे हो जावें जिससे कि देश और सरकार बहुत से कष्टों और वितापों से बच जावे।

राधाचरण ने इस पर यह प्रतिज्ञा करती कि जेल के अंदर वह सरकारी व्यय से तारी हुई किसी औषधि का उपयोग नहीं करेगा। दुर्भाग्यवश एक सप्ताह के अंदर ही उसका सूनी पेटिश भयकर रूप में हो गई। डाक्टर न दवा देनी चाही परंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसने औषधि लेने में हठनापूवक इकार कर दिया। १९१७ के फरवरी के महीने में मार्च बघ के उम तरण ने स्वाभिमान की वेदी पर और अपमानानक जीवन व्यतीत करने के विरोध स्वरूप अपने प्राणों का बलिदान कर दिया।

### घोर विश्वास घात ( १९१७ )

कुछ क्रांतिकारी जो जर्मनी में क्रांतिकारी कार्य करते थे इस आशा से परगिया ( ईरान ) गए कि वहां से वे देश की अधिक अछी सेवा कर सकेंगे उनका तात्कालिक उद्देश्य भारत में उनके सहयोगियों से ईरान के द्वारा सम्बंध स्थापित करना था और उनका एक उद्देश्य यह भी था कि यदि सम्भव हो तो भारत पर आक्रमण करने के लिए एक गुरिल्ला सैनिकों का दल तैयार किया जाय।

इन साहसी क्रांतिकारियों में केदार नाथ जो केवल २२ बघ का था एक अत्यंत साहसी युवक था। परगिया में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने उसको आपवासन दिया और उसे तालिब देश में गिरान स्थित भारतीय दूतावास में इस उद्देश्य से ले गए कि उसे ब्रिटिश अधिकारियों को मौन दिया जाय। परंतु केदारनाथ को अपने नए मित्रों पर सन्देह हो गया और उसने अपनी सुरक्षा के लिए मद्रूमि को पार कर सुरक्षित स्थान पर चले जाने का निश्चय किया।

उन विश्वासघातियों को केदारनाथ की इच्छा पात हो गई। उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया और पेशुओं को मुमुद कर दिया। उसको 'महद ले जाया गया था' में उसे कर्मन् स्थान पर रखा गया वहां १९१७ में 'सुन' की मद्रूमि में जो मध्य परगिया में स्थित है ब्रिटिश सत्ताओं ने गोली से मार दिया।

### वास्तविक मित्र ( १९१७ )

नदारनाथ के दो साथी थे। दोनों ही बलिदान के सदस्य थे। उन्होंने भी केदारनाथ की नीति और भाव प्रणाली का अनुसरण किया और सम्भवतः उसी दिन और उसी स्थान पर उन्हें गोली मार दी गई।

दादा चान्नी केरमाहा बलिदान में ही जीनियरिंग का छात्र था। उसको ईरान के राहों से मद्रमानिस्थान में उद्देश्य में भेजा गया था कि वह भारत को बिना अधिक कठिनाई और जोरिम के हथियार भेज सके। उसका उद्देश्य सफल नहीं हुआ

भक्तएव उसने पुन परगिया वापस आकर अपने पहले के काय को पुन करने की कोशिश की। वह सत्ताना में पकड़ लिया गया।

वसन्तारिह जो पहले गदर पार्टी का सदस्य था उसने मंसोरोटमिया में भारतीय सनिकों को राजभक्ति से हटाने का प्रयत्न किया जिसमें उसको सफलता नहीं मिली। अस्तु वह अफगानिस्तान चला आया। उमको यह आग थी कि वहा उसे इंडियन मिशन के लोग मिल जावेंगे और वह सगठन के द्वारा भारत को द्रय भेज सकेगा।

केरसास्प और वसन्तारिह जब वापस लौट रहे थे उम समय भारतीय रानाओ द्वारा करमान अफगानिस्तान की सीमा पर पकड़ लिए गए। केरारनाप की भाति ही ब्रिटिश अधिकारियों की आना से उन्हें गोली से मार दिया गया।

### नियति का पथ (१९१८)

अपने कृत्य के पालनाथ बोगरा सी आई डी विभाग का सब इस्पेक्टर हरिदास भद्र घाठ मई १९१८ को कुछ सिपाहियों के साथ एक महिला के मकान पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गया जिसके सम्बन्ध में यह संदेश था कि वह क्रान्तिकारी दल से मिला हुआ है। हरिदास मकान के अन्दर घुसा तो वह मकान की तलाशी लेने वाले दल के आगे था। मकान के अन्दर जिस युवक को वह गिरफ्तार करने के लिए गया था उसने हरिदास पर गोली चलाई। गोली चलने से जा हडबडी और घबराहट फन गई उसके फल स्वरूप यद्यपि सिपाही उम युवक को घेरे रहे पर तु वह लगातार गोलिया चलाता रहा और निकल भागने में सफल हो गया।

हरिदास भद्र वही मर कर गिर पडा और उम युवक का कहीं पता नहीं लग सका।

### कल्टका बाजार की मुठभेड़ (१९१८)

अब तक पुलिस और क्रान्तिकारी युवक एक दूसरे से बहुत सभोप था चुके थे क्योंकि अधिकांश क्रान्तिकारियों के पकड़े जाने पर उन्हें जेल हो जाने, बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द हो जाने के कारण बहुत थोड़े प्रातिकारी बाहर बच गए थे जिन पर पुलिस अब अपनी पूरी शक्ति लगा सकती थी। अब पुलिस सभी सन्देशवाचक व्यक्तियों की घर पकड़ कर रही थी और उनकी तलाश में युक्त रूप से पता लगाकर उनके रहने के स्थान पर छापा मारती थी।

इस प्रकार के एक घाघे में पुलिस ने टाका के कटला बाजार के एक मकान पर सूचना मिलने पर १५ जून १९१८ को छापा बोल दिया। उम मकान के रहने वालों ने देखा कि पुलिस ने चारों ओर से मकान को पूरी तरह से घेर लिया है और पुलिस के घेरे से निकल जाने का कोई अवसर नहीं है। मकान में केवल तीन व्यक्ति तरनी प्रमन मजूमदार नलिनीकांत बागची तथा एक और व्यक्ति था तीनों ने निश्चय किया कि पुलिस से खुल कर युद्ध किया जावे फिर वह चहे जितना असमान युद्ध क्यों न हो। बिना पुलिस को तनिक भी अवसर दिए उ होने गोली चलाना आरम्भ करदी। उत्तर में पुलिस ने भी गोली चलाई।

प्रीतमसिंह कास्टेबिल पहला व्यक्ति था जिसे घातक गोली लगी जिसने मकान में घुसकर एक व्यक्ति के हाथ से हथियार छीनने का प्रयत्न किया था। दूसरा व्यक्ति जो घिरे हुए लोगों की गोली से घायल हुआ तलाशी लेने वाले दल का सब इस्पेक्टर था।

दूसरे पथ में तरनी के घातक जख्म लगा उसे मिल फोड हास्पिटल ले जाया गया जहाँ वह कुछ घंटों के बाद मर गया। नलिनीकांत भी गम्भीर रूप से घायल हो गया था।

दूसरे दिन १६ जून १९१८ को उसी अस्पताल में उसकी भी मृत्यु हो गई। उसी दिन प्रीतम सिंह भी मर गया। अतः सब इन्स्पेक्टर बच गया। मकान में तीसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया।

तरनी और नलिनी दोनों ही नम्बे समय से त्रातिकारी दल की सेवा कर रहे थे। खनरो का सामना करने तथा दल की सेवा का उनका विद्युत् काय अत्यन्त प्रशसनीय रहा था। जब पुलिस बगाल में बहुत सक्रिय थी उस समय क्रातिकारियों को अपेक्षाकृत आसाम अधिक सुरक्षित प्रतीत हुआ और उनमें से कुछ वहाँ बचाव के लिए चले गए। क्रमशः गोहाटी क्रातिकारियों के रहने का केन्द्र बन गया जहाँ वे घस्यायी रूप से आनिपूर्वक अपना सर छिपा सकते थे।

सभी क्रातिकारियों के लिए एक छिपने का स्थान अर्थात् या आग-तुक क्रातिकारियों ने रहने के लिये दो मकान चुने एक अटगाव में जो जेल के बहुत समीप पूव की ओर था और दूसरा फसी बाजार में था। ७ जनवरी १९१८ को पुलिस अटगाव के मकान पर रात्रि के साढे तीन बजे चढ़ आई। क्रातिकारियों और पुलिस में जमकर गोली चली। पुलिस किसी को भी गिरफ्तार न कर सकी सब के सब निकल गए। उस मकान से निकलकर क्रातिकारियों ने आसाम की नवागृह पहाड़ियों में शरण ली।

पुलिस के भेदिया ने उस स्थान का भी पता लगा लिया। १० जनवरी १९१८ को दो बजे दिन के बहुत बड़ी सख्या में पुलिस वहाँ पहुँची जबकि त्रातिकारी अपने दोपहर के भोजन के लिए तैयार ही हो रहे थे।

दोनों दलों में जमकर मुद्द हुआ। पुलिस को कुछ समय के उपरांत रुक रुक कर दूसरी ओर से गोली आने से यह पता चल गया कि क्रातिकारियों की गोली बाह्य समाप्त हो रही है। तब पुलिस ने घिरे हुए क्रातिकारियों के चारों ओर घेरे को और कसना आरम्भ कर दिया। नलिनी का त बागची उन लोगों में से एक था जो पुलिस के घेरे में फस गया था। वह अपने नेता के साथ बिना किसी भय के मरने के लिए सटा हो गया।

दल के गुप्तचर विभाग का नलिनी अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी घटक था। नेता ने नलिनी को आज्ञा दी कि वह सीधे किसी सुरक्षित स्थान को चला जावे जब तक (नेता) पुलिस को गोली की मार से आग बढने से रोकेगा।

नलिनी अत्यन्त चतुर और साहसी था वह उस सकटपूर्ण परिस्थिति से साफ बच कर निकल गया। परन्तु उसके भाग्य में पुलिस से खुले युद्ध में १६ जून १९१८ को एक बोर की मृत्यु मरना लिखा था।

तरनी पुलिस की सदिग्ध व्यक्तियों की सूची में बहुत दिना से था। पुलिस अत्यन्त दृढता के साथ उनकी खोज में थी। परन्तु १९१६ से तब तक सदैव अपनी युक्ति में गिरफ्तार होने से बचता रहा और पुलिस को मूख बनाता रहा। १९१६ में पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए अपने प्रयत्नों को अधिक तेज कर दिया।

कोमिल्ला में पुलिस ने तरनी को उसके आश्रम स्थान पर घेर लिया। साहस के साथ तरनी एक हाथ में रिवाल्वर और दूसरे में पिस्तौल लेकर निकला जो उस समय उसके पास थे और वह पुलिस घेरे में से निकल जाने में सफल हो गया। एक बार पुलिस न उसको बलकता में भयानीपुर में बसारीबारा में उसके मकान में घेर लिया। उस समय उस मकान में से किसी के लिए भी निष्कल जाना सम्भव

नहीं था। तरनी ने मकान की छत से छानोप मारी और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। परंतु उस समय भी जबकि उसकी टांग में भयंकर दर्द था और तत्काल कैंद ही जाने का खतरा था। उसकी चतुराई और प्रतिभा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने लगडेपन का उस क्षण बड़ी युक्तता से उपयोग किया। उसने अपने शरीर पर जो भी वस्त्र वह पहने हुए था उन्हें फाड़ कर चिपड़े कर दिया और कुछ मिनटों में ही अपने को एक लगडे लपनोप भिखारी के रूप में परिवर्तित कर लिया वह पुलिस के घेरे में से साफ निकल गया किन्ती पुलिस वाले को उस पर तनिक भी सदेह नहीं हुआ। सारे के सारे पुलिस में उस मकान को घेरे सटे रहे पर तु तरनी जिसरी कैंद करने के लिए वह विशाल साधन किया गया था साफ बच कर निवृत्त गया।

अपने गुप्त यात्रा कार्यक्रम के अनुसार परिभ्रमण करना हुआ तरनी १५ जून १९१८ को अपने नक्ष्य स्थान पर पहुँच गया। वहाँ उसने अत्यंत वीरतापूर्वक युद्ध किया और वीर योद्धा की मृत्यु उसने प्राप्त की।

इस प्रकार दो अग्नि मित्रों की घटना बहुत ही रोमांचक समाप्त हो गई। उन दोनों का जीवन उनके सम्पूर्ण राजनीतिक क्रांतिकारी जीवन काल में अत्यंत जासिम भरा रहा और वे दोनों प्रगाढ़ प्रालिगन में बद्ध मातृ भूमि की सेवा में अपने जीवन के अन्तिम क्षण तक लगे रह कर अज्ञात देश में चले गए।

### अपराध पूण मानव हत्या (१९१८)

कनकता विश्व विद्यालय का एक अत्यंत मेधावी प्रतिभावान छात्र एम ए गणित का स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता मणीद्रनाथ सेठ १९१६ में गौलतपुर अकादमी का उपाध्य नियुक्त हुआ। जब रंगपुर कालेज खुला तो वह अपने विषय १९१७ में अपने विषय का बरिष्ठ प्रोफेसर नियुक्त हो गया। अकादमी में उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। जून १९१७ की जब कि वह अपने नए पद का कामभार लेने गया तो उस सस्था का मंत्री जो कि एक मजिस्ट्रेट था उसने उसकी इस आधार पर अपने नए पद का कामभार लेने से रोक दिया कि उसने विरुद्ध पुलिस ने कुछ रिपोर्ट दी है। इस कारण उसको उसके नए पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। मंत्री ने उसकी एक मास का वेतन देने का प्रस्ताव रखा—मानी मनी उस पीडित व्यक्ति के प्रति महान अनुकम्पा और दया कर रहा हो।

जुलाई १९१७ के मध्य में मणीद्र दार्जिलिंग जाकर सरकार के राजनीतिक सचिव (पोलिटिकल सेक्रेटरी) से मिला। वह उसने अपने भाई शचीन जो कि हिरासत में था उसके छुटकारे के लिए प्रार्थना करत तथा अपनी परिस्थिति के बारे में बतलाने गया था। जब मणीद्र ने राजनीतिक सचिव से पूछा कि इन परिस्थितियों में वह अपना जीवनयापन किस प्रकार कर सकता है? तो उसने राजनीतिक सचिव ने सरल ढंग से कहा— 'तट पर लडे रहकर मैं यह कैसे वह सकता हू कि नदी किस ओर बहगी ब'तु तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए और अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि तुम्हें नजरबंद नहीं किया गया' (अमृत बाजार पत्रिका २५ जनवरी १९१८)

मणीद्र के सामने अत्यंत खटिल समस्या खड़ी हो गई। उसके लिए अपने घर से दूर भ्रमण नहीं निकरने के लिए प्रयत्न करना बहुत बठिन था क्योंकि उसके माता पिता का मृत्यु के परिणाम स्वरूप उसके दो अनाथ छोटे भाई जो क्रमशः १२ और दस वर्ष के थे उनकी उसको देखभाल करनी पड़ती थी। उसकी अनुपस्थिति में

उन दोनों छोटे भाइयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उस परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक था कि या तो शचीन को मुक्त कर दिया जावे यदि वह सम्भव न हो तो विकल्प स्वरूप उसे उसके अपने घर में ही नजरबंद कर दिया जाय।

परंतु भाग्य ने और ही कुछ लिख रखा था। बहुत जल्दी ही राजनीतिक सचिव की भविष्य वाली सत्य हो गई। २६ अगस्त १९१७ को मणींद्र गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता को ले जाया गया। वहां उसको सभी प्रकार के अनिवीक्षाधीन बंदियों के साथ रखा गया जिनमें पागल बंदी भी थे।

एवं अत्यंत ऊंचे दर्जे के सम्राट और उच्च शिक्षा प्राप्त युवक के लिए जो कोमल भावनाओं से युक्त था कद किया जाना तथा अनिवीक्षाधीन सभी प्रकार के अपराधी बंदियों में रखे जाना एक गहरा और असहनीय आघात था। ऊपर से दो छोटे निराश्रित भाइयों की दयनीय दुदशा के विचार ने उसके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का जजर कर दिया। वह उस आघात को सह नहीं सका। परिणाम अत्यंत घातक सिद्ध हुआ। ११ सितम्बर १९१७ को जेल सुपरिटेंडेंट ने सरकार को रिपोर्ट भेजा कि कैदी को मस्तिष्क विकार के चिह्न प्रकट होने के कारण निरीक्षण में रखा जा रहा है।

२६ सितम्बर १९१७ को सरकार ने शीघ्रता करके नजरबंदी की आज्ञा निकाल दी। उसके विरुद्ध जेल रिपोर्ट यह भेजी गई कि वह खतरनाक है। अनिवीक्षाधीन कैदियों के साथ जेल के अधिकारी क्या व्यवहार करते थे यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि ठीक एक महीने के उपरांत २८ अक्टोबर को जेल से यह रिपोर्ट भेजी गई कि वह पागल नहीं है वरन् अपने वृत्त्या के लिए उत्तरदायी है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि उसको क्षय रोग होने का संदेह है।

४ नवम्बर १९१७ को उसे घर में नजरबंद करने की आज्ञा हुई और उस अमागे यत्ति को कलकत्ता में एक ऐम्बेल्सम्बन्धी के घर में नजरबंद कर दिया गया जो उसको रखने के लिए तयार नहीं था। दूसरे दिन अर्थात् ६ नवम्बर को उसकी दशा चिन्ताजनक हो गई। और उसे गीघनापूर्वक अस्पताल ले जाया गया।

वह एक प्रोफेसर था और अविवाहित था जिसके बारे में दोलतपुर के लोगों की राय थी कि मणींद्र कष्ट से पीड़ित मानवता की सेवा तन मन धन से करते थे। वह शिक्षा क्षेत्र में एक आदर्श गुरु थे और विद्यार्थी समूह के नतिक उत्थान के लिए अथक परिश्रम करते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनको आदर और प्रेम करता था और वे प्रत्येक अभाव प्रस्त के सच्चे हितैषी और मित्र थे। वे अपने जीवन की अंतिम घड़िया गिन रहे थे। सरकारी अधिकारियों ने उस समय सतोष की सास ली जबकि १६ जनवरी १९१८ को रात्रि के साढ़े दस बजे मणींद्र चिर निद्रा में सो गए। उनकी मृत्यु कलकत्ता मेडिकल कालेज में ही हुई। जिस समय मणींद्र कलकत्ता मेडिकल कालेज में पुलिस अधिकारियों, उनके पहरेदारों तथा जेल के अधिकारियों से गिरे हुए मृत्यु शय्या पर पड़े अंतिम घड़ियां गिन रहे थे उस अंत समय भी उनको अपने निराश्रित भाइयों के भविष्य की चिन्ता व्याकुल कर रही थी।

घार नरायण (१८१८)

उच्च शिक्षा, संस्कृत, उच्च सामाजिक स्तर तथा ऊंचे पारिवारिक सम्बन्ध

थादि किसी भी युवक को क्रांतिकारी संगठन में आने के लिए कोई रुकावट नहीं थे। ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त युवक जब क्रांतिकारी संगठन में सम्मिलित होते तो वे पुलिस की छाया में चढ़ जाते और उन्हें उसके भयकर दुष्परिणाम सहने पड़ते। ३ जून १९१८ को 'प्रमृत बाजार पत्रिका' में एक सम्वाददाता ने इस घाशय का लेख प्रकाशित कराया कि १७ जून को राजागाही जेल में ग्यारह बजे रात्रि को एक अत्यंत दुखद घटना घट गई जबकि मैमनसिंह के निवासी एक कायस्थ युवक ने जो बलकृता विश्वविद्यालय का एम ए उपाधि प्राप्त था अपने छपने ब्रस्त्रो को पिट्टी के तेल से भिगो कर उसमें आग लगाकर आत्म हत्या करली। कोई भी उस भयानक कृत्य का क्या कारण था यह नहीं बना सका परंतु तथ्य यह था कि ब्रिटिश जेल में बिना मुकदमा चलाए शीघ्राल तक कैद रखने के कारण एक अत्यंत मूल्यवान जीवन का अंत हो गया।

कुछ जेलों में कदियों को जिस दुर्दशा और अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ता था उसके फलस्वरूप उनमें से बहुत से आत्म हत्या करने पर विवश हो जाते थे, कुछ उनमें से पागल हो जाते, कुछ जेल से छूटते ही मर जाते अथवा जीवन भर के लिए शारीरिक दृष्टि से नितांत क्षीण और अशक्त अथवा अपंग हो जाते थे। उस समय समाचार पत्र उस युवक का नाम प्रकाशित नहीं कर सका। जहां तक राजनीतिक कदियों का प्रश्न था यदि वे आत्म हत्या करते तो उनके सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित करने पर एक मौखिक प्रचारित परम्परा के अनुसार सरकार द्वारा नियंत्रण लगा था।

४ जुलाई १९१८ को लजिस्ट्रेटिव काऊंसिल के सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर सरकार के होम मेम्बर ने उस अभागे युवक का नाम 'रसिक सरकार' बतलाया परंतु उसके बारे में अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया।

#### कदम-द्वय कदम (१९१८)

प्रत्येक क्रांतिकारी का एक गुण अविचारिता होता है जबकि उसको परिवार तथा देश दो परस्पर विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता है और उनमें से एक को चुनना पड़ता है जबकि दोनों ही प्राथमिकता का दावा करते हैं। बनारस पड़पत्र के मामले में क्रांतिकारी दल के साथ घनिष्ठ रूप से काय करत हुए सुशीलचंद्र लाहरी जो मदनपुरा—बनारस का निवासी था तथा बलकृता विश्वविद्यालय का विज्ञान का स्नातक था नितांत भाग्यवश उस मुकद्दमे में फसने से बच गया। परंतु पुलिस उसकी गतिविधियों पर कड़ी दृष्टि रख रही थी और २१ फरवरी १९१८ को उसने लाहरी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया। उसके निवास स्थान को तलाशी लेने पर एक टिन मिला जिसमें दो रिवाल्वर थे और उसके पड़ोसी के वक्ष से २०० जीवित बारतूस पुलिस के हाथ लगे।

इसी बीच में विनायक राव कपिले अपना नाम 'सत्येन' अपना नाम बहा बाबू जो किसी समय बंगाल के राजनीतिक संगठन का प्रमुख और महत्त्वपूर्ण सदस्य था और जिस पर दल के साथ और विश्वासघात कर पुलिस से मिल जाने का भयकर दोषारोपण था १९ फरवरी १९१८ को लखनऊ की घसियारी मंडी में बंदूक की गोली के घाव के परिणाम स्वरूप मरा पाया गया।

६ मई १९१८ को भारतीय रास्त्र अधिनियम की धारा २० के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। अग्रियुक्त सुशील को पांच वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दे दी गई।

कदी ने २६ मई को जुड़ीशियल-कमिश्नर अथवा की अदालत में नियुक्त के

विरुद्ध अपील की और २६ जुलाई को मुकद्दमे की सुनने की तारीख निश्चय की गई। परिणाम यह हुआ कि अपील खारिज कर दी गई।

फिर भी पुलिस ने कपिले की हत्या के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की खोज के अपने प्रयत्न में तनिक भी शिथिलता नहीं आने दी। जांच पड़ताल कर लेने के उपरांत पुलिस ने सुशील जो बारागार में था तथा एक दूसरा व्यक्ति जो फरार था वे विरुद्ध मुकदमा दायर किया। सन दाना पर कपिले की हत्या करने का सप्तेह था। 'यायिक जांच के उपरांत सुशील और दूसरे व्यक्ति को जो बनारस पडयत्र का फरार था १७ जुलाई १९१८ को सेशन सुपुद कर दिया गया। मजिस्ट्रेट ने सेशन सुपुद करन की आज्ञा देते हुए कहा कि जो बारागार मकान में मिले थे वे उस खाली कारतूस की ही बनावट और स्वरूप के थे जो कि उस स्थान पर मिला था जहां विनायक कपिले मारा गया था। सुशील तथा फरार युवक पर इंडियन पिनल कोड ( भारतीय दण्ड संहिता ) की धारा ३०२ और ११४ और ट्रिनिटल प्रोसीजर कोड ( दंड प्रक्रिया संहिता ) की धारा २११ (१) के अंतर्गत दोषारोपण किया गया और अभियोग चलाया गया।

सेशन यायालय ने सुशील को ११ मगस्त १९१८ को प्राण दण्ड की आज्ञा दे दी अभियुक्त ने अपने बचाव में कोई भी बयान देन से इनकार कर दिया और प्राण दण्ड की मजा को तनिक भी विचलित हुए बिना सुना।

सेशन के फमले की अवधि के पुर्नोत्थित कमिश्नर न पुष्टि कर दी और उसके पांच बप के कारावास की अवधि पूरी न हो सकी क्योंकि अक्टोबर १९१८ में वह मृत्यु लोक को छोड़ कर स्वर्ग सिपार गया। अंतिम क्षण तक वह छात बना रहा उसका मानस तनिक भी विचलित नहीं हुआ। प्रात काल उसने पवित्र मगाजल से स्नान किया उसका स्नान के लिए मगजल लाया गया। एक ईश्वर भक्त ब्राह्मण के सभी कृत्यों को उसने धट्टा के साथ सम्पन्न किया। उसके उपरांत वह सिर ऊंचा किए दृढ़ता के साथ चला और फाँसी के तख्ते पर जाने के लिए मुखमंडल पर गौरव की अम्मा लिए सीढियों पर एक ओर पुरुष की भाँति चढ़ गया। उसका समस्त व्यक्तित्व उस समय देश की स्वतंत्रता की बलिधेदी पर सर्वस्व अर्पण कर देने वाले वीर पुरुष के समान आलोकित हो रहा था। जबकि फाँसी का फटा उसके गले को बँडोरता से रुस रहा था उसने अंतिम शब्द ' वदेमातरम ' का घोष किया।

### दुःखद मृत्यु (१९१८)

बंगाल के सफ़्टो युवकों की भाँति सरयेदख्द्र सरकार जिसकी अवस्था बीस बप से कम थी फ्राँतिकारी कार्यों में सम्मिलित होने के परिणाम स्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया और कारावास के दण्ड की अवधि समाप्त कर जसोर जिले के छोगाछा गाव में नजरबंद कर दिया गया। एक नजरबंद को जिन विपत्तियाँ और कठिनाइयों को सहना पडता है उनको सहते हुए मई १९१८ के एक दिन उस निराश्रित युवक को एक पागल कुत्ते ने काट खाया उसका यह सौभाग्य था कि उसको डाक्टरों सहायता दी गई जो बहुधा नजरबंदों को नहीं दी जाती थी। उसको उपचार के लिए शिलोंग भेजा गया जहा वह ६ जून १९१८ तक रहा। उसके उपरांत उसे अपने गाव जाना पडा।

शिलोंग से वापस आने पर लगभग चार मास उपरान्त १ अक्टोबर को वह सहसा भयंकर रूप से रोग ग्रस्त होगया। उसके गम्भीर रूप से बीमार हो जाने की

सूचना जिला कार्यालय में भेज दी गई। क्रांतिकारियों के संबंध में राजतंत्र में बहुत देरी और घीमे से कोई हरकत होती है और इससे पहले कि कोई डाकूरी सहायता मा सकती यह युवक बुत्ते के काटने से उत्पन्न होने वाले रोग जलमी (हाइड्रोकोबिया) से दूसरे दिन दोपहर के बाद एक बजे मर गया। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रोग के उपचिह्न जो सत्यन म अत्यंत तीव्र रूप से प्रगट हो गए थे उनकी अवहेलना कर रोगी की किसी भी देखभाल तथा सेवा श्रमा नहीं की। उसके मित्र तथा सम्बन्धी उस जोखिम को उठाने का साहस कर सकते थे वे उससे बहुत दूर थे। उनके शव पर किसी ने भी श्रद्धापात नहीं किया। क्योंकि उसका कोई स्नेही वहां नहीं था। उसके शव का अंतिम संस्कार किस प्रकार किया गया कोई नहीं जानता।

श्रायु को भी क्षमा नहीं किया गया (१९१८)

क्रांतिकारियों के विरुद्ध घृणा और क्रोध से पागल बंगाल सरकार ने जो अवाधुनिक गिरफ्तारियाँ और नजरबंदियों की उनमें अधिक श्रायु वाले और अवकाश प्राप्त वृद्ध लोगों को भी शांति से नहीं रहने दिया। नाल डागा रंगपुर के 'धारदा का त चत्रवर्ती' जो साठ वर्ष के एक सम्मान्य व्यक्ति थे २३ सितम्बर १९१७ को गिरफ्तार होने से पूर्व वर्षों से वाराणसी में रहे थे। वही बस गए थे। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ और धार्मिक कृत्यों में व्यतीत करते थे और उदार मना होने के कारण वे अनेक युवकों के अध्ययन के लिए उनकी आर्थिक सहायता करते थे अथवा निधन परिवारों को पालते थे। एक एक करके वे सभी छात्र पकड़ लिए गए और कारावास में डूब दिए गए।

वृद्ध धारदा का त चत्रवर्ती का गिरफ्तार करके कलकत्ता से जाया गया और वहां से उन्हें जयोर जिले के 'अल्फडागा' नामक स्थान पर भेज दिया गया जो अत्यंत अस्वास्थ्यकर था। वहां पहुंचने के एक सप्ताह के बाद ही उनको मलेरिया ज्वर ने घेर दबाया और अधिक श्रायु होने के कारण वे उस ज्वर की विभीषिका को सहन न कर सके। उनको जो भत्ता दिया गया वह अत्यंत अपर्याप्त था विशेष कर ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने जीवन में ऊंचे रहन सहन तथा सम्पन्नता का जीवन व्यतीत किया हो। वे प्रत्येक महीने अपने सम्बंधियों से श्रद्धा भेजने की प्रार्थना करते। वे उस स्थान के अस्वस्थकारी जलवायु से इतने अधिक गमभीत हो गए थे कि जो भी उनका मित्र या सम्बन्धी उनसे मिलने के लिए आने की इच्छा प्रगट करता वे उससे प्रार्थना और आग्रह करते कि वह वहां किसी भी दशा में न आवे। वे जो भी पत्र लिखते थे उनमें यही सूचना होती थी कि उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा है और अंतिम पत्र से तो यह स्पष्ट हो ही गया कि उन्होंने उस पत्र को और किसी से लिखवाया था। उनके सम्बंधियों का इससे चिन्तित होना स्वाभाविक था। अतएव उन्होंने एक के बाद दूसरा कई बार उस घाने के अधिकारी को उनके स्वास्थ्य के संबंध में सही स्थिति जानने के लिए दिए। उन सभी तारों का अन्त में एक अन्तम्य उत्तर आया उससे ज्ञात हुआ कि नजरबंद कैदी ३० नवम्बर को स्वयं सिंघार गया और यह सब समय कहीं जाने वाली सरकार के शासन में हुआ।

आपराधिक प्रमाद (१९१८)

मिदनापुर के देगरा नामक स्थान पर कोई योग्य प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं था। उस विद्यालय प्रदेश में कटक मेडिकल स्कूल का एक छात्र ही एक मात्र चिकित्सक



था। वह इतना भेयावी था कि कभी उसने मेडिकल डिप्लोमा की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की। उसके प्रतिरिक्त उस क्षेत्र में एक अर्द्ध प्रशिक्षित पशुओं का डाक्टर था। ऐसे स्थान पर एर अत्यन्त मूल्यवान जीवन को नजरबंद करके अपराधिक उपेक्षा और घोर प्रमाद के फलस्वरूप केवल मरने के लिए रख दिया गया। इस उपेक्षा के शिकार कुमुत् बंधु भट्टाचार्य थे जिन्हें यदि उनकी इच्छा पर छोड़ दिया जाता तो वे सीधे फाँसी के दंड को पसंद करते। उन्हें १९१६ में नजरबंद करके रखा गया। उनको नाम मात्र का इतना कर्म भत्ता दिया जाता था कि जो उनके निर्वाह के लिए नितान्त अपर्याप्त था। स्थान के अत्यन्त अस्वस्थकर होने के कारण वे नियमित रूप से निरन्तर मलेरिया ज्वर से पीड़ित रहते थे। उन्होंने बराबर इस शिकायत का अधिकारियों के समक्ष सभी तरीकों से रखने का प्रयत्न किया परंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं हुआ।

उनकी दशा १९१८ में अत्यन्त निराशाजनक हो गई। केवल उनकी प्रायना की ही नहीं बरन यानेवार की प्रनुातिविति में हेड कास्टेब्लिन जो उन समय याने का इंचार्ज था उसकी रिपोर्ट को भी जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने कोई सुनवाई नहीं की। परिणाम यह हुआ कि वह मेधावी युवक उन दो अर्द्ध बिकित्सकीय उपचार तथा देख रेख में मर गया जिन्हें किसी सम्य देश में मनुष्यों का तो क्या पशुओं की चिकित्सा करने की भी आज्ञा नहीं दी जाती। वह युवक १५ दिसम्बर १९१८ को बिना किसी देखभाल और सेवा के मर गया। उसकी मृत्यु पर उसके पास कोई दो अर्ध गिराने वाला भी नहीं था।

### एक व्यक्तित्व (१९१८)

क्रांतिकारी जगत में गिरजा बाबू के नाम से प्रसिद्ध नगेद्र नाथ दत्त राजनीति की अग्नि में कूदने से पूर्व अपने पिता के द्वारा समाज सेवा की प्रारम्भिक प्रशिक्षा प्राप्त कर चुके थे। जब अथ व्यक्ति किसी रोगी के पास उनके गम्भीर रोग तथा छूत लग जाने के भय से घाते से भयभीत होत और कतराते थे तब उस रोगी की देखभाल करने नगेद्र नाथ के पिता जो एक प्रसिद्ध वकील थे उसके पास अवश्य पहुँचते वह अपनी रोगशय्या के पास उनके सहानुभूतिपूर्ण मुख को अवश्य देखता था।

जबकि नगेद्र नाथ दत्त कठिनाई से बीमार था पंद्रह वर्ष का होगा उसने अपने साथ खेलने वाले एक मित्र से अपने पिता के रिवाल्वर को लाने के लिए कहा जिससे कि वह बाबूक या रिवाल्वर चलाने का अभ्यास कर सके। खेल में ही उसने मित्र पर निशाना साधा और घोड़ा दबा दिया क्योंकि उस बरिल (खाने) में कोई कारतूस नहीं था कुछ भी नहीं हुआ। जब उसकी बारी आई परंतु दूसरे बरिल (खाने) में एक जीवित कारतूस था और जैसे ही उसके मित्र ने फायर किया गोली नगेद्रनाथ दत्त की एक जघा से पार हो गई। उस घाव के ठीक होने में बहुत ही लम्बा समय लग गया।

जब नगेद्र नाथ दत्त सिलहट सुनामगज थे कानून का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने बग भग विरोधी आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। वे अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए और उन्होंने वहाँ समिति की शाखा स्थापित की। क्रांतिकारी संगठन के नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के कारण संगठन निबल पड़ गया था। नगेद्रनाथ दत्त ने उसमें पुन स्फूर्ति और उत्साह उत्पन्न कर दिया। बहुत ही

पुलिस का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ और उन्हें एक बड़े क्षेत्र में काय करने के लिए उस स्थान को छोड़ना पड़ा।

वे प्रसिद्ध विप्लवी रासबिहारी बोस के निकट सम्पर्क में आए और वे उनके इतने अधिक विश्वासपात्र बन गए कि वे उत्तर भारत में फले हुए उनके महान् और विस्तृत क्रांतिकारी संगठन के संचालन में उनका दाहिने हाथ बन गए। जब महान् विप्लवी रासबिहारी बोस भारत छोड़ कर चले गए तो नगेन्द्र नाथ ने इस बात का भागीरथ प्रयत्न किया कि विस्तृत क्षेत्र में फले हुए फुटकर छोटे छोटे क्रांतिकारी दलों में एकता बनी रहे। उनकी यह इच्छा और चिर पोषित आशा थी कि विदेश से रासबिहारी बोस भारत में बहुत बड़ी राशि में अस्त्र सस्त्र भेजने में सफल हो जावेंगे अथवा वे स्वयं बहुत बड़ी मात्रा में अस्त्र सस्त्र लेकर भारत आवेंगे और विप्लव के अपूरे काम को पूरा करेंगे।

रासबिहारी बोस के भारत में छिपे हुए जोखिम भरे परिभ्रमण में पुलिस व घेरे से निकलते हुए गिरजा बाबू बराबर उनके साथ रहे यहाँ तक कि जब एप्रिल १९१४ को रासबिहारी बोस कलकत्ते से जा रहे थे तो वे बंदरगाह तक उनके साथ थे।

भारत छोड़ने व पूर्व रासबिहारी बोस ने अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया कि उनके पीछे व गिरजा बाबू तथा एक दूसरे नेता के नतृत्व में काय करें जिससे कि उनकी अनुपस्थिति में संगठन अशुण्य और सुसंगठित बना रहे।

यद्यपि गिरजा बाबू की रासबिहारा बोस से अल्पकाल की ही घनिष्टता थी परंतु उनकी निष्ठा स्वायत्त्याग विलक्षण बुद्धिमत्ता तथा चतुराई के कारण बोस का उन पर अटूट विश्वास था और वह महान् विप्लवी नेता उनकी विशेष प्रतिभावान् व्यक्ति मानते थे।

गिरजा बाबू १९१२ में गिरफ्तार हुए और बनारस पड़यंत्र में उनको अभियुक्त बनाया गया दिल्ली और लाहौर पड़यंत्रों के मामले में भी उनका नाम प्रमुख रूप से आया परंतु सरकार के लिए उनको बनारस पड़यंत्र के मुकदमे में फासना अधिक सुविधाजनक था। उनको चार वर्ष का कठोर कारावास का दण्ड मिला। जेल में उनको भयंकर पेशिया का आक्रमण हुआ उनका कोई ठीक से इलाज नहीं कराया गया। उनके स्वास्थ्य के प्रति सरकार की इस असम्पन्न उदासीनता के परिणाम स्वरूप उनकी आगरा जेल में १९१८ में किस दिन मृत्यु हो गई किसी को ज्ञात नहीं है।

सर्वोच्च जोखिम के रहते (१९१९)

घटना के दिन ६ मई १९१८ को एक यात्री मैमनसिंह जिले के डिगोरगञ्ज में एक स्टेशन पर रेल गाड़ी से उतरा उसके हाथ में एक बटल था। एक कास्टेबिल जिसका काय सभी सदेहासन्द व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखना था जो भी स्टेशन से निकले, उस भजनवी व्यक्ति के पास गया और उसके सभी सामान की तलाशी लेने की इच्छा प्रकट की। उस घनात यात्री ने कास्टेबिल को अपने सामान की तलाशी लेने की स्वीकृति दे दी। जबकि कास्टेबिल सामान की देख रहा था तो उस यात्री ने एक रिवाल्वर निकाल लिया और उसने कास्टेबिल प्रसन्न न दी को गोली मार दी।

उस बटल में बहुत से कारतूस और कुछ मोजार जो कि राजनीतिक काय में सहायक होते हैं मिले। वह यात्री गोली मारकर भाग गया, पायस कास्टेबिल को

अस्पताल ले जाया गया। उसकी माँ गम्भीर थी और वहाँ जाकर उसकी चोट से मृत्यु हो गई।

अंतिम आश्रय के रूप में (१९१६)

निदयतापूर्ण निष्ठुरता और घोर उत्तरदायत्वहीनता के जो असह्य उदाहरण हैं उनमें कलकत्ता के उपनगर आलमबाजार के माखनलाल घोष की कहानी जिसकी आयु केवल पन्द्रह वर्ष की थी और जो स्थानीय स्कूल का छात्र था, विशेष महत्व का है। माखनलाल घोष को मार्च १९१६ के दूसरे सप्ताह में गिरफ्तार किया गया और उस पर एक डकती में सम्मिलित हान का अभियोग लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने अपराध सिद्ध न होने के कारण उसको छोड़ दिया किंतु उसको भारत रक्षा कानून के अंतर्गत पुनः गिरफ्तार कर लिया और उसे प्रसीडेंसी जेल में भेज दिया गया जहाँ उसे एक एकांत कोठरी में एक महीने तक रखा गया।

उसके उपरांत उसको 'कालछीनी' नामक गाँव में नजरबंद कर दिया गया। वह गाँव जलपाइगुड़ी जिले में एक अत्यंत असह्यकर स्थान था। वहाँ वह गम्भीर रूप से बीमार पड़ गया तो उसको झलीपुर जेल भेज दिया गया। वह वहाँ पूर्ण रूप से रोग-मुक्त नहीं हो पाया था कि उसका स्थानांतरण हुगली जेल में कर दिया गया जहाँ वह एक वर्ष तक रहा। हुगली जेल से उसको मिदनापुर जेल भेजा गया जहाँ बड़ी कठिनाई से वह अपने स्वास्थ्य को नष्ट होने से बचा सका।

उसके उपरांत उसको हजारी बाग जेल भेजा गया जहाँ उसका स्वास्थ्य कुछ सुधरने लगा और वहाँ उसको अपनी स्वास्थ्य श्रद्धा लगने लगा। जिस प्रकार बिल्ली अपने नवजात बिल्ले को मुँह में दाब कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरती रहती है उसको बाकुरा जिले के तातडारा स्थान पर जाकर रहने की आज्ञा हुई। तालडारा में कुछ से आठदिन अंधेरे और गंदे मकान में जो वास्तव में मृत्यु का पिंजड़ा था उसको रहना पड़ा। वह स्थान अत्यंत असह्यकर था और विपली सर्पों की वहाँ बहुतायत थी। माखनलाल ने उस असह्यकर स्थान के विरुद्ध सरकार के पास अपनी प्रतिनिवेदन भेजा। सुपरिटेंडेंट पुलिस उस स्थान का निरीक्षण करने आए और उन्होंने उसको प्रतिवेदन देने के लिए डाटा और उसे यह सत् परामर्श देकर चले गए कि दयालु सरकार ने उसके रहने के लिए जो व्यवस्था की है उससे ही वह संतुष्ट रहे। लेकिन वहाँ उसके लिए और अधिक रह सकना असम्भव था अतएव उसने अपनी नजरबंदी की सीमा को नजरबंदी के नियमों के विरुद्ध पार किया और सदर पुलिस स्टेशन पर गिरफ्तार होने के लिए उपस्थित हो गया।

धर दृश्य बदला और माखन को 'ओ डाल' भेज दिया गया जहाँ उसको हैजा हो गया। उसकी माँ को अपने रोगी पुत्र की देखभाल करने की आज्ञा दे दी गई और वह उसके पास १३ मार्च को पहुँच गई। वह रोग से पूर्ण रूप से सम्हल भी नहीं पाया था कि उसको आज्ञा हुई कि वह बदवान पुलिस सुपरिटेंडेंट से मिले। उसकी माँ ने अपने पति यह को खली गई और वह समागा युवक आदेशानुसार बदवान की ओर चला।

पन्द्रह दिन तक उस समागे युवक की कोई खबर नहीं मिली। उसके चिन्ताग्रस्त पिता ने उसके समाचार जानने के लिए सभी उपाय किए। दोष काल के उपरान्त अन्त में उसके पिता को सूचित किया गया कि वह चोटागाव जिले के

'महेशकाली' स्थान पर नजरबंद है। महेशकाली में उसके कष्ट पक्षे की अपेक्षा सौगुने अधिक हो गए। जसा कि उसने अपनी माता को एक के बाद दूसरे तीन पत्रों में लिखा था। अन्तिम पत्र २६ दिसम्बर १९१६ का लिखा था जिसमें उसने लिखा था "समय पर मैं तुम्हें सब कुछ बतलाऊंगा।"

७ जनवरी १९२० को माखन के पिता को सरकार द्वारा भेजा गया एक पत्र इस भाशय का मिला 'सरकार को यह जानकर खेद है कि २६ दिसम्बर १९१६ को महेशकाली' के माखन लाल घोष की आत्म हत्या के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई जिसके लिए सरकार घोष के परिवार के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करती है।

माखन लाल घोष की मृत्यु के सबब में सब साधारण तथा उसके माता-पिता यह अटकलें ही लगाते रहे कि क्या वास्तव में उसकी मृत्यु आत्म हत्या के कारण हुई अथवा साप के काटने, गम्भीर रोग, अथवा पुलिस के निमम अत्याचार के कारण हुई। माखन लाल घोष की मृत्यु के बारे में कोई कुछ जान सका।

मण्डीपुर में ज्वाला भभकी (१९१७-१९१८)

१८६०-६१ की अन्तिम अशांति के उपरांत मण्डीपुर में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कोई बाहर से दिखता हुआ बड़ा संघर्ष का चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ पर तु विद्रोह की अग्नि जो एक बार भयंकर चुकी थी वह पूरी तरह बुझी नहीं वह अदर ही अदर सुलगती रही। जिन अधिकारियों को कुर्की और नागा अपने अन्तिमय जीवनयापन के लिए एक मात्र अनिवाय अधिकार मानते थे जब उन पर नये ढंग से चोट हुई तो उस परिवर्तन के आके से सुलगती हुई अग्नि अप्रत्याशित रूप से समक उठी।

१९१७ में प्रथम महायुद्ध में मुख्य कार्यालय पर आक्रमण कर दिया। एक दूसरे महत्त्वपूर्ण गांव 'ऊला पर सरकारी सेना की कुर्की विद्रोहियों के बड़े मुकाबले का सामना करना पडा। कुर्की विद्रोही ने अपने जंगलों में छिपने के स्थान से भारी गोली बर्षा की जिससे बहुत बड़ी सख्या में सरकारी सैनिक घाराशायी हो गए।

अपनी इस सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने एक सेना के कपेटन और स्वयं पोलोटीरान एजेंट और उसके दल पर आक्रमण कर दिया। दोनों ही बाल बाल बच गए। इसके प्रतिशोध स्वरूप सरकारी सेना ने 'ऊला' गांव को जला कर भस्म कर दिया। उसके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्रोही गांवों को अत्यंत निन्दयता से नष्ट कर दिया गया और उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया गया। इससे भयभीत अथवा निरुत्साहित होने के स्थान पर कुर्की विद्रोहियों ने दुगने वग से आक्रमण किया और मण्डीपुर की सीमा की चौकी 'तैम्नोपाल' पर आक्रमण कर वहाँ के रक्षक हवलदार तथा अन्य सैनिकों को मार डाला। यातायात तथा सभी सदेहवाहक साधनों को नष्ट कर दिया गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि कम से कम समय विद्रोहियों का वहाँ अधिकार हो गया। वह विद्रोहियों की असूतपूर्व सफलता का दिन था।

अब सरकार को स्थिति की गम्भीरता का अनुभव हुआ। आसाम राइफिल्स को दो सेनाएँ दक्षिणी और उत्तरी पहाड़ियों के विद्रोही सरदार के विरुद्ध भेजी गईं। साथ ही बरमा सरकार को आज्ञा भेजी गई कि वह भी भारतीय सेना की सहायता के लिए और उससे सहयोग करने के लिए अपनी सेना भेजे। इसके अतिरिक्त चागा पहाड़ी क्षेत्र के ब्रिटीश कमिश्नर ने भी अपने जिले की सीमा पर स्थित कुर्की

गावों के विरुद्ध सेना सहित कूच कर दिया। आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित प्रशिक्षित विशाल सेना से मुठभेड़ होने पर विद्रोही कुर्की जंगल में पीछे हट गए। अब सेना ने निदयतापूर्वक प्रतिशोध आरम्भ किया। एक के बाद दूसरे गांव को जलाया गया। गांवों को पहले अच्छी तरह लूटा जाता और उनको पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता। फिर उन्हें जला दिया जाता। नागा घरों में जो भी कुछ धन होता वह ले लिया जाता।

परन्तु एक दूसरे क्षेत्र में विद्रोहियों को गयेष्ट सफलता मिली। कप्टेन के अग्र रक्षक तथा दो राइफल मैन मार दिए गए और उस दल के बहुत से सैनिक गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।

फरवरी १९१८ में नागा पहाड़ी क्षेत्र की सेना को उस क्षेत्र में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था अतएव सिलचार् से एक दूसरी सेना उसकी शक्ति में वृद्धि करने तथा उसके साथ सहयोग करने के लिए भेजी गई। दोनों सेनाओं ने इम्फाल की ओर कूच किया और वहा की मचार व्यवस्था को जो हितमिन्न होगई थी पुन व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया।

वनाभाच्छादित पर्वतों के प्रदेश में कुर्की और नाना वीरों के जो छावनायार युद्ध में निपुण थे आक्रमण का सामना करना कठिन था। ब्रिटिश सैनिकों के लिए उन लोगों से युद्ध करना और उनकी परत न करना बहुत कठिन कार्य था, जो लोग उनके समीप आने वाली सेना पर पोलो वर्षा करते और वहा से अंतरद्वान हो जाते थे शत्रु सेना के प्रत्याक्रमण की प्रतीक्षा ही नहीं करते थे।

ब्रिटिश सेना ने इसका प्रतिशोध बचल एक के बाद दूसरे गांव को नष्ट करके उनकी समस्त धन सम्पत्ति को लूट कर उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु को वहा तक कि अनाज को भी छीन कर ही नहीं किया वरन उनको खेत न करने देकर भी लिया। विद्रोहियों को दबाने के लिए सेना में वृद्धि की गई और वरमा तथा आसाम सेनाओं के सहयोग की उत्तम व्यवस्था की गई।

कुकी और नागा विद्रोह अन्ततः दब गया परन्तु उनकी विद्रोही भावना को नहीं दबाया जा सका। कुकी लोग तथा उनके पड़ोसियों को युद्ध में सेना के लिए जाने के सारे प्रयत्न बुरी तरह असफल हो गए। (स्त्रोत २१ फरवरी १९१८ का निकाली गई सरकारी विज्ञप्ति से।)

### पंजाब अग्नि की लपटों में (१९१६)

धम्तु स्थिति यह है कि १९१६ में पंजाब में जो भयानक हड़कम्प आया और उसके परिणाम स्वरूप उस अमागे प्रांत के निवासियों को भयकर बर्षो और नृशर अत्याचारों को सहना पड़ा उसका कारण इस पुस्तक की योजना में हमने जो पद्धति अपनाई है उसके अनुरूप नहीं है।

जहा तक जन साधारण में उग्र राष्ट्रीय जागृति का और उसके परिणामस्वरूप जो भारतीयों को और कुछ गर सरकारी भ्रोरोपियनों को उसके भयानक परिणाम भुगतने पड़े उन सब का प्रश्न है और जो अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराधों सम्बन्धी अधिनियम जो रोलेट ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध है— के पास होने के कारण घटित हुए वसा उग्र राष्ट्रीय जागरण भारत क राष्ट्रीय जीवन में कभी उत्पन्न नहीं हुआ। परन्तु इस उग्र राष्ट्रीय विस्फोट में उस क्रांतिकारी सगठन की मूल भावना काम नहीं कर रही थी जो कि क्रांतिकारी सगठनों का मुख्य लक्षण था। क्रांतिकारी

संगठन युग रूप से अज्ञ शक्तों के द्वारा विदेशी शासन को असम्भव कर देने और अतिचतुःक शासकों के हाथ से सत्ता छीन लेने के एक मात्र उद्देश्य से गठित किए जाते थे। परन्तु यह एक प्रगट जन आन्दोलन था और उसमें भाग लेने वाला वो उसके क्या परिणाम होंगे भली भाँति माँसूम था। परन्तु इसका चलन यहाँ इसलिए समीचीन है क्योंकि रोलेट एक्ट इसलिए बनाया गया था कि उसमें क्रांतिकारी आंदोलन को दबाया जा सके जिसके उभरने की आशंका बढ़ गई थी। कारण यह था कि युद्ध काल में जो बहुत से महत्वपूर्ण अधिकार शासन सत्ता को प्राप्त थे, जिनके कारण देश में शांति बनाए रखी जा सकी वे शीघ्र ही समाप्त होने वाले थे।

पंजाब की प्रचंड अग्नि एक साधारण सी चिनगारी से प्रारम्भ हुई। देखते देखते उसमें विद्युत की कौंध के समान तीव्र गति से समस्त प्रांत को अपनी लपट में ले लिया। भूमिगत क्रांतिकारी आंदोलन के विपरीत इस विद्रोह की कोई पूर्व तैयारी नहीं हुई थी। वह तो एक प्रदल पर जिसकी कोई पूर्व कल्पना भी नहीं कर सकता था विस्फोट हो गया मानो ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। उसके कारण हिंसा का एक कुचक्र सा बन गया जिसमें दोनों और हिंसा प्रतिहिंसा का दृश्य उत्पन्न हो गया।

भारत के इतिहास के पृष्ठों में पंजाब की घटना सदैव एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी, क्योंकि यह एक ऐसी घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप समस्त देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अत्यन्त कटु भावना उत्पन्न हो गई और जिसने उस समय तथा उसके उपरान्त उनीसों तीस के आसपास देश भर में क्रांतिकारी भावना के उदय होने में सहायता पहुँचाई।

सरकार चाहती थी कि क्रांतिकारी अपराधों के विरुद्ध साधारण दण्ड विधि को नए कानून बना कर अधिक प्रभावशाली बनाया जावे। वे उसके पुरक हू। इस उद्देश्य से ६ फरवरी १९१९ को उसने इम्पीरियल लजिस्लेटिव काऊंसिल में दो विधेयक उपस्थित किए। उनका उद्देश्य साधारण दण्ड विधि की कमी को पूरा करना और आपातक अधिकार सरकार का देना था। अधिनियम की विभिन्न धाराओं में बिना कोई कारण बतलाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेने तथा कद बंद रखने व गुरन्त सीधेतापूर्वक मुकद्दमा तय करने का प्रावधान था जिसकी अपील नहीं हो सकती थी।

२६ फरवरी १९१९ को गांधी जी ने बम्बई से उन विधेयकों की कटु भर्त्सना करते हुए घोषणा की कि इन अधिनियमों से यह प्रतीत होता है कि सरकार में गहरा रोग पड़ गया है जिसको पहले निकालना होगा। परन्तु सरकार ने विरोध की परवाह नहीं की दोना विधेयक १८ मार्च १९१९ को लैजिस्लेटिव काऊंसिल के भीतर और बाहर बड़े विरोध के बावजूद पास हो गए और कानून बन गए।

देश ने सरकार की इस छुनौती को चुपचाप सहन नहीं किया। समस्त देश ने एक स्वर से इन अधिनियमों को निन्दा त प्रभावशाली और दक्ष के हितों के विरुद्ध बतलाया। अपना विरोध प्रगट करने के लिए महात्मा गांधी ने २४ मार्च को चौबीस घंटे का उपवास रक्खा। ३० मार्च को समस्त देश में शोक तथा राष्ट्रीय धपमान दिवस मनाने का निश्चय किया गया।

जो राष्ट्रीय धपतोप की अग्नि अभी तक सुलग रही थी उसमें लपटें उठीं। एक अप्रैल १९१९ को दिल्ली में गम्भीर दंगा हो गया

गोली से कई आदमी मारे गए और बहुत से घाहत हो गए। बात यह थी कि जो दूकानदार अपनी दूकानें बंद नहीं करना चाहते थे और व्यापारी अपने व्यापारिक सस्यनों को खुला रखना चाहते थे उनके राष्ट्रीय कार्यकर्ता देखें नहीं उनको रोकने के लिए पुलिस ने गाली चलाई।

६ अप्रैल को महात्मा गांधी बम्बई से देहली की ओर चले। दस अप्रैल को जबकि वे अण-बाम्बे बड़ीदा एण्ड सट्रल इंडिया ट्रन से यात्रा कर रहे थे उह कीसी काला स्टेशन पर नोटिस दिया गया कि व पंजाब प्रांत की सीमा में प्रवेश न करें। उनको ट्रन से उतार लिया गया मथुरा ले जाया गया। इसके पश्चात् पंजाब और दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें यह आगा दी कि वे दोनों सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्र में प्रवेश न करें। गांधी जी ने सरकार के नोटिस की अज्ञा की और वे गुड गांव जिले के पलवल स्टेशन की ओर चले। उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यह आज्ञा प्रचारित की गई कि वे केवल बम्बई में रहें अथवा नहीं जा सकत दस अप्रैल १९१६ को गांधी जी ने देशवासियों को सदेश देते हुए कहा कि जब रोलेट कानून परिनिवयन पुस्तक के पृष्ठा को कलुषित कर रहा हो तो मुक्ति रहना अत्यन्त कष्ट का कारण है। उसी दिन पंजाब के पुछ प्रथम थली के नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। १० अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी के विराध में आम हड़ताल हुई। लाहौर और अमृतसर में गम्भीर दंगे हुए। पहले की तरह ही पुलिस बहुत बड़ी सख्या में शस्त्रों से पुरी तरह लस होकर हड़ताल और दंगों का दमन करने के लिए निकल पड़ी कई स्थानों पर गोली चली और बहुत से आदमी मारे गए।

ग्यारह अप्रैल १९१६ को गांधी जी वापस बम्बई पहुंचे और उ होने एक विशाल जन समूह के समक्ष भाषण दिया। नगर के अन्ध भाग में हिंसा फूट पड़ी और पुलिस ने गोली बर्षा की। १२ अप्रैल १९१६ को बलकत्ते में विरोध सभाएं की गई और जलूस निकाले गए। बहुत सी ही शून्ध जन समूह आपे के बाहर हो गया और शान्ति भंग हो गई।

लाहौर में दंगे ने अत्यन्त चिन्ताजनक रंग ले लिया। क्रुद्ध जन समूह ने व्यापारिक सस्थाना के चार योरोपियन अधिकारियों की हत्या कर दी। १४ अप्रैल १९१६ को जलियावाला बाग का निमम और क्रूर हत्याकांड हुआ। जलियावाला बाग हत्याकांड के जनक डायर के शब्दा में जो उसने हटर कमटी (पंजाब अशांति जांच कमटी) के सामने १६ नवम्बर १९१६ को बयान देते हुए कहे थे कि इतिहास में उसकी समानता करने वाली घटना नहीं मिल सकती।

डायर ने अपनी गवाही में कहा था कि वह ११ अप्रैल १९१६ के सायनाल पहुंचा, डिप्टी कमिश्नर की प्राथना पर मैंने कमान अपने हाथ में ले ली। उसने यह समझा कि परिस्थिति ऐसी भयावह है कि नागरिक शासन समाप्त हो गया है और उसका स्थान सनिक शासन को लेना होगा। वह एक असाधारण परिस्थिति थी और उसने प्रशासन को नागरिक अधिकारियों द्वारा कहने पर अपने हाथ में ले लेने को उचित बसलाया। यद्यपि इस प्रकार का कोई अधिनियम या परिनिवयन नहीं था कि किसी नागरिक प्रशासनिक अधिकारी के कहने मात्र से सनिक शासन स्थापित स्थापित हो जावे।

उसने अपने बयान में कहा कि अमृतसर के बाहर भी अशांति थी। उसकी

मायता थी कि जलियावाला गोली कांड सच था। उसने लोगों को सभा न करने के लिए बार बार घोषणा करवाई परन्तु उन्होंने उसकी आज्ञा की अवहेलना की। उसको यह अनुभव हुआ कि उसकी आज्ञा की अवज्ञा की गई। माश ला (सैनिक कानून) की अवहेलना की गई थी अतएव यह उसका कर्तव्य था कि वह उस भीड़ को तेज गोली वर्षा से तिनर बितर कर दे।

उसने पहले से ही निश्चय कर लिया था और वहाँ पहुँचते ही तुरन्त गोली चलाने की आज्ञा दे दी। माश ला (सैनिक कानून) की सरकार द्वारा विधिवत् घोषणा न होने पर उसने गोली चलाने की आज्ञा देने के पक्ष डिप्टी कमिश्नर से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं समझी और वहाँ डिप्टी कमिश्नर उपस्थित भी नहीं था।

उसने यह अपना कर्तव्य समझा कि उस समय तक गोली चलाई जाती रहे जब तक कि सम्पूर्ण भीड़ तितर बितर न हो जावे। थोड़ी देर गोली चलाने से उस समय तो भीड़ तितर बितर हो जाती परन्तु वे लोग पुनः वापस इकट्ठे हो जाते और मैं मूर्ख बनता। उसने सोचा कि उसको घरेला घेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। स्थिति भयावह और गम्भीर थी और उसने अमृतसर की भीड़ को विद्रोही समझा। जलियावाला बाग गोली कांड को उसने अपना कर्तव्य समझा— भयानक कर्तव्य।

मिस्टर जस्टिस रैनकिन (एक कमिश्नर) ने कहा "जनरल मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि क्या यह भयभीत होने के कारण नहीं था।"

जनरल डायर— नहीं यह भयभीत होने के कारण नहीं था। वह एक भयानक कर्तव्य था जो मुझे करना पड़ा। मेरे विचार में मेरा यह कृत्य दया का काय था। मैंने सोचा कि मुझे अच्छी तरह जम कर और मजबूती से गोली चलाना चाहिए जिससे कि भविष्य में मुझे प्रथवा और किसी को कभी गोली न चलाना पड़े। यदि मुझे एक गोली चलाने का अधिकार था तो मुझे बहुत अधिक सख्या में गोली चलाने का भी अधिकार था। मैं तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचा कि मुझे उस भीड़ को छिन्न भिन्न कर देना चाहिए जिसने कानून की अवहेलना की है। बीच का कोई रास्ता नहीं था। केवल एक ही बोज थी शक्ति और बल।

जब उससे पूछा गया कि क्या वह ऐसा नहीं सोचना कि उसने ब्रिटिश राज्य की कुसेवा की है। उसने कहा कि जो कुछ उसने किया वह उचित और ठीक था उम्ह उसका आभारी होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए।

प्रश्न — जब गोली कांड समाप्त हो गया तो तुमने आहतों की सेवा सुश्रुता तथा उपचार की कोई व्यवस्था की ?

उत्तर — नहीं कदापि नहीं। यह मेरा काय नहीं था। अस्पताल खुले हुए थे और घायल वहाँ चिकित्सा के लिए जा सकते थे।

प्रश्न — क्या तुम्हारे इस काय का जिसके परिणामस्वरूप जसा कि हम जानते हैं चार से पाँच सौ व्यक्ति मारे गए पंजाब सरकार ने अनुमोदन किया ?

उत्तर — अवश्य मेरा ऐसा विश्वास है।

देश में शान्ति और सुव्यवस्था बनाए रखने के प्रयत्न में सरकार ने एक ऐसा कानून बनाना आवश्यक समझा कि जो एक स्वतंत्र नागरिक की स्वाधीनता के प्रथम सिद्धांत की ही अवहेलना करता था। उसने देश के नेताओं और सब साधारण जनता में ऐसा कड़ा और पक्का विरोध उत्पन्न कर दिया कि सरकार का जो उद्देश्य



या, परिणाम स्वयं उसके विपरीत निकला। तेरह अप्रैल की दुपटना तथा हत्याकांड ने समस्त राष्ट्र को इतना दुःख कर दिया कि क्रोधोन्मत्त जनता को नियंत्रण में लाने के स्थान पर उसने उसको उस निमग्न दुर्भाग्य की ओर से नितांत उदासीन बना दिया कि जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। १५ अप्रैल को समस्त पंजाब में खुला विद्रोह उठ खड़ा हुआ। लाहौर में दगाइयो पर दस वर्षों मशीनगनों से गोली वर्षा की गई। नागरिक कानून को तिलांजलि दे दी गई और गुजरानवाला लाहौर तथा अमृतसर जिलों पर माशला ला लागू कर दिया गया।

सैनिक प्रशासन में निर्दोष व्यक्तियों को बपड़े उतार कर निबसन (नगा) कर दिया जाता और उन पर कोडों की मार पड़ती। यह सब सबको पर होता उनके हाथ और पर खम्भा से बांध दिए जाते जो इस काम के लिए खड़े किए गए थे। जनश्रुति के अनुसार कोडों की मार से तीन या चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। परंतु सरकार ने इस अफवाह का खंडन किया और विज्ञप्ति में कहा गया कि १५ अप्रैल से १५ मई १९१६ तक तीनो जिलों में केवल ३२ व्यक्तियों के कोडे लगाए गए। कोडों की औद्यत सख्या प्रति व्यक्ति ग्यारह थी।

हजारों छात्रों को प्रति दिन हाजिरी के लिए सोलह मील चलने पर विवश किया जाता था। सबको की सख्या में छात्रों और उनके प्राफेसरों को गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में रख लिया गया। पांच वर्ष से सात वर्ष तक के छोटे बालको को परेड पर आने और यूनिफन जक को सलामी देने के लिए विवश किया जाता था। इमारतों तथा मकानों के मालिकों को उनकी इमारत की दीवारों पर चिपकाए गए माशला ला के इन्हारों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता था।

एक सम्पूर्ण बारात जो बाहर से भाई थी और जिसे माशला ला के प्रावधानों की कोई खबर तक नहीं थी उसको सबके सामने खुले आम कोडे मारे गए।

इसलामिया स्कूल के ६ छात्रों को केवल इसलिए कोडे लगाए गए क्योंकि वे बड़े दिखलाइ देते थे उनको दण्ड देने का और कोई कारण नहीं बतलाया गया। लोगों को अपमानित करने के लिए पशुओं के पिंजड़े के द्रीय स्थानों पर खड़े किए गए तथा वनवाए गए और उनमें कद किए गए लोग जिनमें बहुत से अत्यंत सभ्रांत व्यक्ति थे रक्ते गए जैसे वे कोई हिंसक पशु हो।

तरह तरह के नए नए दंडों का आविष्कार किया गया। लोगों को रेंग कर पेट के बल सड़क पर चलने कूद कूद कर चलने तथा ऐसे ही अनेक दण्ड दिए गए जिनकी किसी ने सैनिक कानून अथवा नागरिक कानून में स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी यह नए आविष्कार किए हुए दण्ड दोषी तथा निर्दोषों को समान रूप से दिए गए उनमें कोई भेद नहीं किया गया। लोगों के हाथों में हथकण्डे डालकर उन्हें रस्सी से एक साथ बांध दिया गया और वह चिलचिलाती धूप में खुले दूरों पर पंद्रह घंटे खड़ा रक्खा गया। यह दिखलाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम एकता का क्या परिणाम होता है कि दुर्षों और मुसलमानों के जोड़े को हथकण्डियों से एक साथ बांधा गया।

लोगों पर शरीर बंधक घोषा गया अर्थात् यदि परिवार के किसी व्यक्ति को सरकार चाहती थी तो उसके भाई अथवा पुत्र को हिरासत में रख लिया गया तथा अनुपस्थित अभियुक्तों अथवा सदेहास्पद व्यक्तियों की उपस्थिति के लिए या तो सम्पत्ति

जब्त करनी गई अथवा उसको नष्ट कर दिया गया। बहुत बड़ी सल्ल्या में भारतीयों के मकानों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए और दड़ के रूप में जल देना बंद कर दिया गया। भारतीयों को अपने निज के बगलों से निकलने पर विवश किया गया, उनको योरोपियनों को दे दिया गया। भारतीयों की मोटरें तथा घोड़ा गाड़िया छीन ली गईं और उन्हें योरोपियनों के उपयोग के लिए दे दिया गया।

निहत्थी जनता को आतंकित करने के लिए हवाई जहाज, जुद्धस तोपें, और वैज्ञानिक युद्ध के आधुनिकतम अस्त्र अस्त्र का प्रदर्शन किया गया जिससे लोग ब्रिटिश राज्य की महान शक्ति को समझें।

कवित्त अपराधियों के विरुद्ध शीघ्र से शीघ्र मुकदमों तय करने का प्रयत्न किया गया जिससे कि माशला ला की अवधि समाप्त होने से पूर्व ही उनको तय कर दिया जाय। कई स्थानों पर सनिक प्रदालत स्थापित कर दी गईं जिन्होंने ५५२ अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई की जिसमें से ५८२ को सजा दी गई। बौत्तियों अपराधियों को प्राण दंड की सजा दी गई और उनमें बहनों को फासी लगा दी गई।

गोदायर और डायर ने भारत को ब्रिटिश राज्य के लिए सुरक्षित बनाने के लिए जो कदम उठाए ऊपर उनका बड़ा नमूना दिया गया है। वे अपने उद्देश्य में कहा तक सफल हुए उसका असदिग्ध प्रमाण तो केवल इतिहास दे सकता है और गोदायर भी अपने दुष्कृत्य को सजा पाए बिना नहीं रहा।

दुर्भाग्य द्वारा पीड़ित (१९१७-२०)

जब स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना देश के वायु मंडल में फैल जाती है तब कोई भी नहीं जानता कि वह किसी व्यक्ति को किस प्रकार प्रभावित करके उसको सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

क्रांतिकारी कायदाही के विचार को मूल रूप देने वालों में औरंगा निवासी गूदालाल दीक्षित थे। वे कुछ समय तक एंग्लो वेदिक स्कूल में अध्यापक भी रहे थे।

उन्होंने शिवाजी समिति नामक एक संगठन महान् महाराष्ट्र वीर शिवाजी के नाम पर खड़ा किया जिससे उसके सदस्य छत्रपति शिवाजी के आदर्शों का उनके रणनीति का अनुसरण करें।

अपने राजनीतिक जीवन के पारम्परिक काल में उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार शिक्षित और सम्पन्न लोगों में किया उनका विचार था कि उन्हें देश की दासता और उसकी वेदना का ज्ञान है और जीवन की दैनिक चिन्ताओं से मुक्त होने के कारण देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करने में वे उनका साथ देंगे। परंतु उनके प्रयत्नों में वे अधिक सफल नहीं हुए। शिक्षित और सम्पन्न व्यक्तियों का प्रति उत्तर उत्साहवर्क नहीं रहा। परंतु गूदालाल दीक्षित निराश नहीं हुए। उन्होंने अपना प्रयत्न और ध्यान निराशाच व्यक्तियों अर्थात् ग्वालियर राज्य के डाकुओं की ओर मोड़ दिया। जिन्हें अपने जीवन की चिन्ता नहीं थी।

एक बार गूदालाल ने सेना में भर्ती होने का प्रयत्न किया परंतु उनको सेना में भर्ती नहीं किया गया। वे कहा करते थे कि महापुरुष छिड़ा हुआ है उसमें अज्ञेयों की हार हो रही है वे बहुत कठिमाई में हैं यही विप्लव करने और जनता द्वारा विद्रोह करने का अनुकूल अवसर है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे ग्वालियर आए और वहा वे १९१७ में लक्ष्मणानन्द प्रह्लवारी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति से मिले।

उन्होंने अपनी बिलसती पत्नी को यह कह कर सा त्याग दी कि देश में हजारों ऐसी निस्सहाय विधवाएँ हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उनको अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए कि उनका पति मातृभूमि की स्वतंत्र करने के प्रयत्न में स्वगवासी हुआ। केवल उसको इसी बात का खेद है कि वह अपने जीवन के मिशन को पूरा किए बिना ही हम सत्कार को छोड़ कर जा रहा है।

बड़ी कठिनाई से उनके मित्र और पत्नी उनको एक अस्पताल में ले गए और वहाँ उसकी पहचान होने से पूर्व ही २७ दिसम्बर १९२० को मध्याह्नोपरात दो बजे उनको मृत्यु हो गई। (स्रोत — स्मृति कथा विप्लवी बंगाली २ अक्टोबर १९१९ पृष्ठ ६०१-६६८ चटर्जी जे सी प्रदेसिया)

भ्रूभावात उत्पन्न करने वाले शान्ति दूत का भागमन (१९०३-१९२२)

वीरेन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय भारतीय विश्व-विद्यालय से स्नातक की उपाधि लेकर १९०३ में किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बरन गम्भीर अध्ययन के लिये योरोप आया। जबकि वे मिडिल टेम्पलइस आफ कोर्ट के विद्यार्थी थे तब उन्हें इस आरोप पर सस्था से निकाल दिया गया कि वे उन क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध रखते हैं कि जो कि युनाइटेड किंगडम में रहते हैं।

बात यह थी कि चट्टोपाध्याय श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा की धीर भावपित हो गए थे और इंडियन सोस्योलाजिस्ट के प्रकाशन तथा संपादन में उनके सहायक थे। १९०६ में वे कामिल पाशा से मिले जो कि तरण तुर्कों का सवमाय नेता था और उस समय युनाइटेड किंगडम में रहता था। चट्टोपाध्याय ने भारतीयों द्वारा ब्रिटिश सामन को भारत में निकाल बाहर करने में उसकी सहायता चाही।

जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में जो अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय उसमें सम्मिलित हुआ और वहाँ से वह फ्रीवार्डों (पोलड) तथा यासों की यात्रा पर गया। इस यात्रा में उसका तलवार पत्र जो योरोप में एक महत्वपूर्ण ब्रिटेन विरोधी पत्र था उसके लेखक तथा संपादक से घनिष्ठ परिचय हो गया।

१९०८ में वह आयरलैंड गया वहाँ से १९०९ में यह परित्त चला गया जहाँ वह मेडम कामा के 'बन्देमातरम् समूह' में सम्मिलित हो गया जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहा था। १९१० से वह नियमित रूप से 'तलवार' पत्र में लिखने लगा।

उसने रूस आयरलैंड और विनेदकर मरक्को के 'रिपस' क्रांतिकारी दलों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन दलों से सम्पर्क स्थापित करने का उसका मुख्य उद्देश्य सैनिक अनुभव प्राप्त करना था। उसकी मायता थी कि वह अनुभव भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

६ जुलाई १९१९ को लंदन के 'टाइम्स' पत्र में उसने अपने विचार व्यक्त करते हुए इस भाष्य का लेख लिखा कि यह यद्यपि आतंकवाद को समाप्त कर देने के लिए अत्यंत इच्छुक है परंतु वह अतःकरण से ब्रिटिश सरकार की उसको दवाने में सहायता नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दृढ़ मायता है कि ब्रिटिश सरकार की नीति गलत है। अपने लेख में उन्होंने इस बात का भी संकेत किया कि भविष्य में राजनीतिक हत्याओं की सूची अधिक लम्बी होगी और उसकी जिम्मेदारी उन पर

होगी जो भारत की स्वतंत्रता के काम में सहायक न होकर भारत में ब्रिटेन के स्वार्थों को प्रक्षुण बनाए रखना चाहते हैं ।

१९१४ के आरम्भ में जब ब्रिटेन और जर्मनी के कूटनीतिक सम्बन्ध बिगड़ने लगे तो वे सतक हो गए और वे फ्रांस से जर्मनी चले गए । वहा वे एक प्रकाशन संस्था के लिए हिन्दी उद्गू तथा अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तिकाएँ लिख कर जर्मनी में भारत के हित में प्रचार करने लगे । उक्त प्रकाशन संस्था ने भारत की स्वतंत्रता के आन्दोलन को सहायता देने का वचन दिया था । वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय ' बलिन-कमेटी ' के संस्थापकों में से एक थे और उसके प्रथम मंत्री थे ।

प्रथम महा युद्ध के उपरान्त १९२२ में वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय जर्मनी से निकलकर किसी प्रकार रूस पहुँचे । ऐसा कहा जाता है कि वहा उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई । उसके उपरान्त उनका कोई भी समाचार किसी को नहीं मिला ।



## अध्याय पांच सुदूर पूव में अशांति (१९१२-१७)

जालुन अथवा म्यो का विद्रोह — बर्मा महायुद्ध के उपरांत सव प्रथम बरमी देशभक्तों ने १९१३ में जालुन अथवा म्यो का— विद्रोह के रूप में बरमा की स्वतंत्र करने की सगठित कायदाही की। १९१२ में सघन देशभक्तों के एक समूह ने गुप्त रूप से इस बात की तयारियां की कि सरकार पर एक म्यान विरोध पर आक्रमण किया जावे और यदि विद्रोह सफल हो और परिस्थिति अनुकूल हो तो विभिन्न स्थानों पर विद्रोह को भड़काने का प्रयत्न किया जावे। योजना यह थी कि १८ सितम्बर १९१२ को जालुन पर आक्रमण किया जावे और उस पर अधिकार कर उसको सरकारी सनाआ के विरोध में जब तक सम्भव हो मोर्चा लेकर दृढ़ रहा जावे। विद्रोह के आरम्भ होते ही सरकार ने सेना को विद्रोह के स्थल पर भारी सरया में भेज दिया और विद्रोहियों से युद्ध हुआ। विद्रोही देश भक्ता को भारी जन हानि के बाद पीछे हटना पडा।

पुलिस और सेना की टुकड़ियों को समीपवर्ती स्थानों की तलाश करने के लिए भेजा गया जिससे युद्ध में भाग लेने वाले नेत्र तखण देशभक्तों को पकडा जा सके। वे लोग सस दल के दो बड़े नेताओं को बंद करने में सफल हो गए— 'गमो साया' उपनाम 'पोमया' और उसका सहायक म्या हपोनगी (हरो गाई उपनाम यू-बयेडा) जबकि सेना तथा पुलिस की टुकड़िया उस क्षेत्र की खोज कर रही थी तो वे दोनों गिरफ्तार हो गए।

१४ मार्च १९१३ को उन दोनों तथा उनके अनुयायियों जिनकी संख्या पंद्रह थी पर सेना जज हुआदा की अगलत में मुकदमा चलाया गया और उनको फाँसी की सजा हो गई। उस दल के अथ व्यक्तियों पर जिनकी संख्या लगभग पंद्रह थी सेश स अगलत में पडयत्र करने तथा विद्रोह में शामिल होने के अपराध में मुकदमा चलाया गया। उनमें से दस को प्राण दण्ड की सजा हुई। उच्च न्यायालय में अपील करने पर उनमें से आठ की सजा आजीवन काले पानी में परिणित कर दी गई। इस प्रकार सगठित रूप में सरकार के विरुद्ध विद्रोह का यह सब प्रथम प्रयास समाप्त हुआ। दुर्भाग्यवश जिन लोगों ने विद्रोह में भाग लिया उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं।

### बरमा पडयत्र (१९१५)

भारत में जो क्रांतिकारी हलचलें हो रही थीं उन्होंने बर्मा के राजनीतिक जीवन को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित किया। ऐसा समय कभी भी नहीं रहा जबकि बरमा में हम प्रकार के प्रयत्न फिर वे चाहे जिनने निवृत्त क्यों न हों पूरुण समाप्त हो गए हों कि जिनका उद्देश्य विदेशियों को देश से लक्ष्य बाहर कर उस प्राचीन देश में पुन राजा की सत्ता को स्थापित करना था।

भारतीय क्रांतिकारियों का प्रथम सगठित प्रयत्न प्रथम विश्व महायुद्ध के काल में प्रकाश में आया जबकि भारतीय क्रांतिकारियों ने गुप्त रूप से बरमा के क्रांतिकारियों से अपने दृढ़ सम्बन्ध स्थापित कर लिए। युद्ध तथा युद्ध की तयारियों का

नाम उठा कर भारतीय क्रांतिकारियों के भारत के अंदर और बाहर अपने केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न प्रारंभ किया। उनकी दृष्टि से बरमा उनके लिए एक अनुकूल और उपयुक्त स्थान था जो अभी तक पुलिस तथा गुप्तचरों के लिए शहद की मंत्रिखणों का छाता नष्ट बना था।

बरमा में क्रांतिकारियों का मुख्य कार्यक्रम सेना में विद्रोह फैलाना और सातको की क्रांतिकारी दल में सम्मिलित करना था जिससे सेना द्वारा भीतर से ही विदेशी सरकार को उखाड़ा जा सके।

प्रथम विद्रोह युद्ध के पूर्व ही बरमा में कुछ बगाली क्रांतिकारी पहुँच गए थे जो कि स्थानीय जनता से सम्पर्क स्थापित कर उनमें सरकार विरोधी भावना को फलान का प्रयत्न कर रहे थे। वे इसके लिए साहित्य प्रकाशित करते और जहाँ भी सम्भव होता सम्भल करके सरकार विरोधी विचारों का प्रचार करते।

संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुभवों भारतीय क्रांतिकारियों और साहित्य के प्रचुर मात्रा में आ जाने से जो स्थानीय भारतीय क्रांतिकारियों को बहुत अधिक बल मिला जो अभी तक अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में बाध कर रहे थे। क्रमशः पूर्वोक्त सीमा से बहुत बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों के बरमा में घुस आने का परिणाम यह हुआ कि बरमा में क्रांतिकारी युत्का का एक ऐसा दल उत्पन्न हो गया जो कि विनक्षण योग्यता साधा सम्पन्नता उच्च शिक्षा और संगठित के धनी थे। उनके लिए जहाँ तक सातुभूमि को स्वतंत्र करने का प्रश्न था वहाँ से बड़ा खतरा भी कुछ नहीं था। क्रांतिकारी विचारों के प्रवाह का मुख्य स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका की गदर पार्टी थी। उसके सदस्य बरमा में सुदूर पूर्व के देशों मुख्यतः थाईलैंड (स्याम) के मार्ग से घुस आए और बरमा में क्रांतिकारी आन्दोलन को गदर पार्टी के मुख्य कार्यालय बंगकाक से सहायता मिलती थी।

क्रांतिकारी आन्दोलन का मुख्य पत्र 'गदर' पत्र था जो सभी भारतीयों को विनियम कर जो भारतीय बगालक में रहते थे उन्हें बिना मूल्य भेजा जाता था। जो लोग क्रांतिकारी विचारों से सहानुभूति रखते थे उनको एक से अधिक प्रति भेजी जाती थी और प्रत्येक से यह प्रामाणा की जाता थी कि जब उस को पढ़ लें तो अपने कार्य मित्र को दे दें। पत्र के इस प्रकार के बहनों को पाने वालों में एक 'भाय प्रिस क्लॉस' देगबक में थे। अक्षय यह नाम पढ़ी था। इनके पास पत्र की पचास प्रतिष्ठा छंटने के लिए आती थी। क्रमशः सरकार ने विदेशों से पत्रों तथा अन्य साहित्य के डाक से आने पर सेंसर स्थापित कर दो उसके परिणाम स्वरूप विदेशों से आने वाले समाचार पत्रों की संख्या कम हो गई और जब सरकार की पुलिस ने विदेश से आने वाले पत्रों की जांच करना आरम्भ कर दी तो उनका आना प्रायः बन्द हो गया।

एक दूसरा पत्र प्रिन्सिपल इस दिशा में कुछ काम किया 'जहाने-इस्लाम' था जो मई १९१४ में निकला और जिसमें अरबी हिंदी और तुर्की में लेख होते थे। इस पत्र में ब्रिटिश और उसके मित्रों पर कठोर प्रहार किए जाते थे इस कारण सरकार ने 'गदर' पत्र की तरह ही उसका भी बरमा में आने से रोकने का प्रयत्न किया। परन्तु पत्र के प्रवेश होने पर रखावट होने से पूर्व उसने अपने उद्देश्य में गहरी छापना प्राप्त कर ली थी। २० नवम्बर १९१४ को पत्र के उद्गार सरकार में मिला वे अगले पाया का इस आक्षेप का एक भाषण प्रकाशित हुआ कि अखण्डता की घोषणा अविश्वसनीय होगी

चाहिए। उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अनवर पाशा ने भारतीयों को विद्रोह के लिए नीचे लिख शब्दों में ललकारा था—

‘ अंग्रेजी सरकार के राजागारों ( मैगजिनो ) को लूट लो और उन्हीं वस्तुओं की सहायता से अंग्रेजों को मार डालो। भारतीय सत्ता में बत्तीस करोड़ है और अधिक से अधिक अंग्रेज सत्ता में केवल दो लाख हैं उन सभी को मार देना चाहिए। इनके पास कोई सेना नहीं है। स्वज नहर को शीघ्र ही तुक लोग बंद कर देंगे। जो भी व्यक्ति अपनी जन्म भूमि तथा देश को स्वतंत्र करने के लिए मरेगा वह अमर हो जाएगा। हिंदू और मुसलमान तुम दोनों ही स्वतंत्रता की सेना के सैनिक हो और भाई हो और यह नीय और घृणित अंग्रेज तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें गाजी बनना चाहिए और जिद्द से धोखा बर देनी चाहिए साथ ही अपने भाइयों से मिलकर अंग्रेजों को मार कर भारत की स्वतंत्र बनाना चाहिए ’ ( रिपोर्ट-संघिन कमेटी १९१८ पृष्ठ १६६ )।

अरमा भी जो पड़यत्न का संगठन किया गया उसको तुक सरकार का तथा ऐसे व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था जो अंग्रेजों से गहरी घृणा करते थे। तुर्की सरकार ने ऐसे ही व्यक्तियों को महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त कर दिया था। तुर्की सरकार अरमा स्थित कर्मियों ने भारतीय क्रांतिकारी का दोहन की बहुत सहायता की।

रगून स्थित सेना में विद्रोह की भावना उत्पन्न करने विशेषकर १३०वीं दलोक सेना में विद्रोह उत्पन्न करने के प्रयत्न एक सीमा तक सफल हुए थे और १९१२ के जनवरी मास में सेना सरकार के विरुद्ध खुले रूप में विद्रोही हो उठी। उस विद्रोह के संगठन कर्त्ताओं तथा उसमें सम्मिलित होने वालों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। उसके उपरांत विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वालों को अपने प्राण देने पड़े, परन्तु उसके अतिरिक्त दो सौ से अधिक व्यक्तियों को विभिन्न समय के लिए कठोर कारावास मिला। इसके अतिरिक्त मेले स्टेट गार्ड्स तथा पाँचवीं लाइट इन्फैंट्री ने भी विद्रोह किया।

विद्रोह के संगठन कर्त्ताओं ने बहुत बड़ी जोखिम तो ली ही, साथ ही बहुत कठिनाइयाँ का सामना भी किया। यहाँ तक कि संगठन कर्त्ताओं में से एक मैन्सला और सिगापुर होकर भाड़ले पहुँचा और दूसरे लोग अगकाक से सियाम की सीमा के मार्ग से भाड़ले पहुँचे थे। अरमा में विद्रोह के लिए धन और अस्त्र राज एकत्रित करने का कार्य बड़ी सावधानी और तेजी से चलता रहा, और यहाँ विद्रोही बहुत सक्रिय थे।

एप्रिल १९१५ में सरकार को अरमा में गदर करने के पड़यत्न की साक्षी मिल गई और उसको दबाने के लिए उसने कड़े कदम उठाने का निश्चय किया। गदर सम्बन्धी साहित्य बहुत से स्थानों पर मिला विशेषकर अरमा की सीमा पर स्थित म्यावादी में गदर साहित्य बहुत अधिक प्राप्त हुआ। विद्रोह की सहायता करने वालों की भर्ती तेजी से की जा रही थी। विशेष कर सिक्ख और पन्जाबी मुसलमान बहुत बड़ी संख्या में विद्रोह में भर्ती हुए थे। पुलिस को ऐसे बहुत से नामों का पता चला जो कि बाद के मुकदमों में अत्यन्त महत्वपूर्ण क्रांतिकारी प्रमाणित हुए। जिन लोगों को कब किया उनके विरुद्ध मुख्य आरोप यह था कि उन्होंने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह (मुद्र) किया और राजभक्ति और निष्ठा को नष्ट करने का प्रयत्न किया और सम्राट के शत्रुओं की सहायता करने के लिए बहुत संवेचनाजनक समाचार फैलाए।

एक पैम्पलेट के द्वारा विद्रोह करने के लिए खुला आह्वान किया गया। उस पैम्पलेट का शीर्षक था 'सैनिक बंधुओं को आशा का संदेश' सैनिक पुलिस के अधिकारियों को दासता के पदक तथा चिह्नों के लिए लातमार्जित न हाथ डालें फेंक देने के लिए आमंत्रित किया गया था और उनका आह्वान किया गया था कि वे अपने पुराने दासता के पाप के बलक को धो डालें तथा घपनी छाती पर स्वतंत्रता के चिह्न को धारण करें।"

बाद की पता चला कि सैनिक विद्रोह की आरंभ तयारियाँ १९११ से ही हो रही थी। सैनिक विद्रोह की तयारियाँ करने में सुदूर पंजाब से आए हुए कुछ युवकों का प्रमुख हाथ था। इनमें से कम से कम दो को बम बनाने का ज्ञान था। एक तीसरे के पास बम बनाने की सामग्री मौजूद थी। उन्होंने रगून में एक मकान किराए पर ले लिया जहाँ सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए निरंतर बैठकें होती थी।

'गदर' पत्र को इस मकान में दुपलिकेटिंग मकान पर छपा जाता था। वे लोग बगकाक तथा भारत में क्रांतिकारी कार्यक्रमों से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित किए हुए थे। क्रांतिकारी नरेश के लिए चंग इकट्ठा किया जाता था। क्रमशः उन क्रांतिकारियों का पाप क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया। उनमें से कुछ का यह दृढ़ विश्वास था कि सब व्यापी विद्रोह होना अनिवार्य है विद्रोह के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं और सफलता निश्चित है।

पड़यंत्रकारी केवल मात्र ध्यान मावना पर ही निर्भर नहीं कर रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी के कार्यो में जर्मन सरकार ने गहरी रुचि ली थी। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों को सैनिक शिक्षा देने की व्यवस्था की थी।

"उत्तरी इरान में बरमा की ओर जो रेलवे लाइन बन रही थी उसको अधिकतर जर्मन इंजीनियर और पंजाबी श्रमिक बना रहे थे। उन भारतीय श्रमिकों को जर्मन सैनिक अधिकारी अस्त्रों को चलाने का प्रशिक्षण विभिन्न विभिन्न स्थानों पर देते थे जिससे जब वे भारत लौटें तो बरमा पर आक्रमण कर सकें तथा भारतीय पुलिस तथा सेना में विद्रोह भड़का सकें।"

सुदूर पूर्व में कई स्थानों पर गहरे क्रांतिकारी हलचलों ही रही थी जिनमें बहुत अधिक चतुराई बुद्धिमत्ता तथा साधनों की आवश्यकता थी। बगकाक एक अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र था जहाँ भारत की मुक्त क्रांतिकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि संयुक्त राज्य अमेरिका में सन फ्रांसिस्को तथा बरमा के विभिन्न केंद्रों के क्रांतिकारी प्रतिनिधियों से मिलते थे और जो भारत के विभिन्न क्रांतिकारी दलों से मिलकर काम कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार इन क्रांतिकारी हलचलों की सूचना पाकर अत्यंत चौकन्नी हो उठी और उसका मुकाबला करने के लिए सबसे कठोर कदम उठाए तथा तयारियाँ आरम्भ कर दीं। ब्रिटिश सरकार को इस बात की पुनः सूचना मिल चुकी थी कि क्रांतिकारी १९१५ के अक्टोबर मास में बकरीद के दिन विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं अतएव पुलिस ने सरलता से उस विद्रोह की योजना को व्यथ कर दिया। प्योबी में स्थित सैनिक पुलिस बटालियन जो विद्रोह करने के लिए बिल्कुल तैयार थी और विद्रोह करने की तयारी में थी परंतु वह भी निश्चित समय पर कायवाही न कर सकी क्योंकि कुछ लोग हिचक गए और सरकार ने बिना सैनिक भी बिलम्ब किए पायेंबाहो करके योजना को बिकल कर दिया। विद्रोह की इस योजना को



रूप अथ पट्टयन्त्रों की तुलना में बहुत धन और विस्तृत था। विद्रोह की विस्तृत पैमावे पर तयारिया की गई थी। रिवाल्वर, डायनोमाइट तथा अथ विस्फोटक पदार्थों को बहुत बड़ी राशि में एकत्रित किया गया था। क्रांतिकारियों ने अत्यंत जोखिम भरे कार्य में बड़े साहस और गौरव का प्रदर्शन किया परंतु कतिपय कार्य और लोभी व्यक्तियों के कारण असफलता और निराशा हाव लगी अथवा यह पडपत्र वर्मा के इतिहास में गौरवशाली अध्याय जोड़ता और प्रथम विश्व युद्ध में भारत के साथ ही बरमा भी स्वतंत्र हो जाता।

### काचिन विद्रोह

भारतीय क्रांतिकारियों के सहयोग से एक विस्तृत क्षेत्र में सदस्य क्रांति और विद्रोह की तयारियाँ चर रही थी, बरमा के विभिन्न भागों में कुछ घटनाएँ घटीं जिससे इस बात का प्रमाण मिला कि गुप्त क्रांतिकारी दल तत्काल क्रांतिकारी कार्यवाहियों के लिए तयार थे।

१९१८ के आरम्भ में नगा-पो घटक करने की मितांग (चमरकारी शक्तियाँ से युक्त) नेना घोषित करने लगा और गुप्त रूप से बरमिया में अपने ध्येय को पूरा करने के लिए बरमिया में प्रचार करने लगा। उसी अपन दल में यांग और क्षमतावान सहायकों को भर्ती किया जिनमें तीन प्रमुख सहायक थे जो अत्यंत योग्य और जायसम थे। सहायकों को भर्ती करने उसने काचिन प्रदेश की यात्रा इस उद्देश्य से की कि वहाँ से विद्रोह खड़ा किया जाये। पी येमक तथा उसके तीन प्रमुख सहायकों ने सरकारी सेवाओं के विरोध का सामना करते हुए विशाल भू-भाग को पदाक्रान्त कर दिया। नगा कई को जिस प्रदेश को क्रांतिकारियों ने स्वतंत्र कर लिया था उसका संरक्षण निर्युक्त किया गया। ब्रिटिश सरकार की सेनाओं से सघप करते हुए भी उसने उस विशाल प्रदेश पर अथेष्ट दीघकाल तक अपना अधिकार जमाएँ रखा।

सिन पो पाई शल्ल भंडार बड़ी राशि में सैनिक सामग्री एकत्रित थी। क्रांतिकारियों ने उस पर भी आक्रमण कर दिया। यह उनका अत्यंत साहसिक कार्य था। विद्रोही भावांग में एकत्रित हुए जो कि मालिखा और 'माई चाईमाप्रताओं' भाग के बीच में स्थित था और वहाँ पर शि-घोई के रसद भंडार पर आक्रमण करने की तयारियाँ की गई। उस आक्रमण में उनका सामना ६४ वी पायनियर सेना से जो दो योरोपियन सैनिक अधिकारियों के अधीन थी, हुआ दोना दली में 'वादांग' नामक स्थान पर जम कर युद्ध हुआ। दोनों ओर से तोपों की आघात से अधिक लम्बे समय तक मार होती रही। विद्रोहियों ने इस युद्ध में सात से दस तक अलग अलग तोपों का प्रयोग किया यह इस बात का प्रमाण है कि विद्रोहियों ने बहुत बड़ी तयारी कर ली थी। ब्रिटिश सेना ने भीम थे उसे 'वावांग' पर आक्रमण किया और उसको जला कर भस्म कर दिया। परंतु फिर भी विद्रोहियों ने अपनी कार्यवाही में कोई शिथिलता नहीं आने दी। जब ब्रिटिश सेना युद्ध स्थल से लौट रही थी तो विद्रोहियों ने उस पर आक्रमण कर दिया और कुछ सैनिक गम्भीर रूप से घायल हो गए। इस आक्रमण में दो काचिन मारे गए।

'नगा कई', पी येमक के पन युद्ध का काचिन लोगों में मुख्य प्रचारक था और विद्रोह में जो सफलता मिली थी उसका अधिक अथ उसी को या वह अपने को

‘हामेंगे और वो बेधक को मिताग’ घोषित करता था। ‘नगा कई’ की ही सारी योजना की बिसरक परिणाम स्वरूप उस अत्याधुनिक विद्रोह में सफलता प्राप्त हुई।

दूसरे अर्थ दो प्रमुख विद्रोही और सहायक नगा नी’ और नगा सो वेन’ थे जो वो बेधक की यात्राओं में उसके साथ रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते और अपने उद्देश्य का प्रचार करते। उन्होंने विद्रोह की तैयारी में प्रमुख सक्रिय भाग लिया। वो बेधक के साथ रहने से वो बेधक ‘मिताग की प्रतिष्ठा और प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई थी।

१९१५ में ब्रिटिश सरकार सतक हो गईं उनसे यह अनुभव कर लिया कि ‘वावांग की घटना सम्राट के विरुद्ध एक बड़े युद्ध की योजना का ही एक भाग है।

अतएव सरकार ने इस अभियोग के लिए एक विशेष सेवान जन्म नियुक्त किया। ‘मई १९१५’ में अभियोग चला और—(१) नगा पोषक (२) नगा कई (३) नगा-नी और (४) नगा सी घौन को अभियुक्त करार दिया गया। एक सितम्बर १९१५ को एक अत्यन्त ही अभियोग की सुनवाई के उपरान्त जज ने निर्णय दे दिया और चारों ही अभियुक्तों का फाँसी का दण्ड दे दिया गया।

### कामाङ्ग विद्रोह अभियोग (१९१५)

काश्मिर विद्रोह के थोड़े दिनों बाद ही कामाङ्ग विद्रोह अभियोग चला। उस विद्रोह के सम्बन्ध में अधिक कुछ ज्ञान नहीं है। अभियुक्तों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का गम्भीर आरोप लगाया गया था। उस अभियोग में चारों अभियुक्तों—घानो को प्राण दण्ड दिया गया और २६ सितम्बर १९१५ को अर्पण बरमा के जुडीशियल कमिश्नर ने उस दण्ड की पुष्टि कर दी। लैफ्टीनेंट गवर्नर ने काफी लड़ने पर हस्तक्षेप करना अस्वीकार कर दिया और सभी अभियुक्तों को फाँसी दे दी गई।

### नामती शान अभियोग (१९१५)

नामती शान अभियोग में तीन अभियुक्त थे। सभी पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग चलाया गया। उनसे दोषी पाया गया और मृत्यु दण्ड दे दिया गया। उन्होंने लैफ्टीनेंट गवर्नर को अभियोग पर पुन विचार करने के लिए याचना पत्र दिया परन्तु लैफ्टीनेंट गवर्नर ने २५ सितम्बर १९१५ को उसे अस्वीकार कर दिया।

### माडले पञ्चम (१९१५)

जो भारतीय क्रांतिकारी विदेशों में रहते थे उन्होंने बहुत पहले बरमा पर समीपवर्ती देशों से आक्रमण करने की बात सोची थी। यह विचार सोहनलाल को बहुत पसंद आया। सोहनलाल भारत की स्वतंत्रता के लिए अथक परिश्रम करने वाले एक प्रतिष्ठित और पुराने कार्यकर्ता थे। उस विचार को मूल रूप देने के लिए सोहनलाल प्राणपण से जुट गए। १९१० में वे श्याम में थे और यहाँ रहने वाले सिक्ख उन्हें बहुत श्रद्धा और आदर से देखते थे। १९११ के आरम्भ में वे लाहौर आए और वहाँ से वे १९३२ में समुदाय राज्य अमेरिका चले गए जहाँ वे १९१४ तक रहे। समुदाय राज्य अमेरिका की सरकार के भारतीय क्रांतिकारी दल से उनके सम्बन्ध की सूचना मिल गई अतएव उन्हें समुदाय राज्य अमेरिका छोड़ना पड़ा और उन्होंने श्याम को अपनी प्रतिविधियाँ का मुख्य केन्द्र बनाया। इस कार्य में अमरसिंह उनके मुख्य सहायक थे। सोहनलाल वर्षों के अन्त में ‘श्याम’ वापस आए और धीरे धीरे उन्होंने पुराने

मित्रों तथा सहयोगियों से सम्पर्क स्थापित किया जो गदर के कट्टर समर्थक थे।

उन्होंने बरमा में विद्रोह का संदेश पहुँचाने का दायित्व स्वयं अपने ऊपर लिया और इस प्रकार वे इस पड़यंत्र के केन्द्रीय व्यक्ति बन गए। बरमा पहुँचने से पहले उन्होंने अपने दो विश्वासपात्र सहायकों को इस उद्येश्य से भागे भेज दिया कि वे एक ऐसे भवन का पता लगावें जिसमें 'गदर के तीर्थ यात्री' जाकर ठहर सकें और वहाँ बिना किसी भ्रष्टचन के अपनी कायवाही को चुपचाप कर सकें।

सोहन लाल ने पाइको में प्रातिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया जिसमें बहुत बड़ी संख्या में प्रातिकारी सम्मिलित हुए थे। उस सम्मेलन में प्रातिकारियों को छाटा गया और उनकी विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए। उनमें से एक जिसने अपने को बचाने के लिए अपने चलकर पड़यंत्र अभियोग में सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया उसको सोहनलाल ने यूनान तथा छिपिनटिन भेजा जहाँ जर्मन सैनिक अधिकारी दो सौ भारतीयों को जो यथा समय बरमा पर आक्रमण में भाग लेने के इच्छुक थे सैनिक प्रशिक्षण दे रहे थे। यह व्यवस्था की गई थी कि सोहनलाल मुजतबा हुसेन और अमर सिंह बरमा पहले चले जाएँ और वहाँ उस वृत्त का प्रति और विद्रोह की संपादी करें।

वह १९१५ के प्रथम भाग में बरमा आए और उ होने वहाँ जो सेनाएँ पड़ी थीं उनसे सम्पर्क स्थापित किया। अपने उद्देश्य में अत्यंत निष्ठावान होने के कारण तथा इच्छित परिणाम को शीघ्रतापूर्वक साने के उस्ताह में सोहनलाल से सतकता को तिलाजलि दे दी। कभी कभी वह सैनिकों से खुले में बातचीत करने की धारी जोखिम भी लेता था। वह उन्हें ब्रिटिश शासन की बुराइयों को बताता और ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों की अधीनता में भारतीयों की दयनीय तथा लोच्छित प्रवस्था का भान कराता था।

१४ अगस्त १९१५ को वह एक जमादार और तीन अन्य सैनिकों हवलदार इत्यादि से मिला वे सभी दरजात माऊटेन बटरी 'सेना के सैनिकों के जो 'मेमो' में पड़ी थी। उसने उनसे अभिवादन किया और पूछा कि भारत के किस भाग के रहने वाले हैं। उनसे भारत के सम्बन्ध में बात करके वह उनका मित्र बन गया। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति उन पर स्पष्ट की और उन्हें यह बतलाया कि ब्रिटिश शासन के कारण भारत की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। उसने उन सैनिकों को बतलाया कि देश में ऐसे बहुत से सगठन हैं जो कि देशवासियों के असतोष भटकाने का काम कर रहे हैं और साथ ही अनुकूल अवसर पर खुला युद्ध छेड़ने की तयारी भी कर रहे हैं। भारतीय सैनिकों के लिए यह उचित है कि उनकी सब प्रकार सहायता करें और उनका पक्ष लें। उन्हें दो प्रकार से विद्रोहियों की सहायता करनी चाहिए। निष्क्रिय रूप में वे विद्रोहियों की सहायता सरकार द्वारा विद्रोह को दबाने के प्रयत्नों में सहायता न करके कर सकते हैं और सीधे ही प्रत्यक्ष रूप में विद्रोहियों के साथ शामिल होकर विद्रोह की सहायता कर सकते हैं।

सोहनलाल प्रतिदिन सैनिकों से मिलने जाता था। एक दिन जब कि वह सैनिकों से बात करके गया तो एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और यह उन्हें 'मेमो' से धाया और अपने आफिसर कमांडिंग के सामने उपस्थित कर दिया। इससे पूर्व कि सोहनलाल अपने कद करने वाली से छूटने का प्रयत्न करें उसको मजबूती से

पकड़ लिया गया और उसकी तलाशी ली गई। उसके पास नीचे लिखी वस्तुएं मिलीं —

(१) दो कारतूसों से भर ब्राऊनिंग स्वचालित पिस्तौल और कारतूस  
(२) एक छोटी पट्टी हुई पुस्तिका जिसका कवर हरे रंग का था और जो आशियन रूप में  
भरबी उद्गू और तुर्की में लिखी थी। (३) भरबी भाषा में लिखा हुआ 'पतवा'  
जिसकी फोटोग्राफ द्वारा प्रतिया निकाली गई थी उसकी चार प्रतिया। (४) दो पृष्ठों  
में बम बनावे का फारमूला बृहत् रूप एक घड़ी तथा कुछ भय सामग्री।

१४ दिसम्बर १९१५ को माउले में सोहनलाल पर सेशन जज की अदालत  
में मुकदमा दायर किया गया। उन पर भारत सुरक्षा अधिनियम १९१५ के नियम दो  
धारा ६४ तथा भारतीय दंड संहिता ( इंडियन पेनल-कोड ) की धारा १२४ १२४ अ  
तथा धारा १३१ के अंतगत मुकदमा चलाया गया। उन पर उत्तेजनापूर्ण समाचार  
फनाकर सम्पादक के अनुष्ठा की सहायता पहुँचाने, राजद्रोह, तथा सनिका को राजमर्ति  
और राज निष्ठा से विमुख करने के आगोप लगाए गए। इसके अतिरिक्त उन पर  
यह भी आगोप लगाया गया कि सोहनलाल इस प्रकार के कृत्य प्रसारित करते थे  
जिनका उद्देश्य सम्पादक की प्रजा के विभिन्न वर्गों में घृणा और शत्रुता उत्पन्न हो।  
उन्होंने ममथो स्थित माऊलेन वेदरी में अत्यंत उत्तेजनापूर्ण सरकार विरोधी साहित्य  
बाट का उस सेना के सनिका की राजनिष्ठा को भंग किया और सनिका को अपने  
कृत्य से विमुख किया।

१५ दिसम्बर १९१५ को अभियुक्त को प्राण दंड की सजा दे दी गई।  
उनकी अपील ७ जनवरी १९१५ को रद्द कर दी गई। जबकि प्राण दंड की अपील  
में पुष्टि हो गई तो सोहनलाल के एक मित्र ने उनसे प्रायना की कि वे दया की प्रायना  
करें। तो उस क्रांतिकारी वीर ने उत्तेजनापूर्ण स्वर में कहा सरकार भयायी और  
अत्याचारी है— क्षमा याचना उसे करने चाहिए मुझे नहीं। १० फरवरी १९१६  
को सोहनलाल को मांडल जेल में फाँसी दे दी गई।

### बरमा पटयत्र अभियो (१९११-१६)

समुक्त राज्य अमेरिका में लिए हुए निश्चय के अनुसार गदर पार्टी के  
सदस्यों में से अनेक लोग बरमा में विभिन्न मार्गों से विभिन्न समय पर घुसे।  
अधिकतर लोग क्याम के मार्ग से गए।

१९१५ में पजाबियों का एक दल जो उच्च शिक्षा प्राप्त थे और जिनकी  
समाज में ऊर्ची प्रतिष्ठा थी और जो ऊँचे और उत्तरदायित्व के पदों पर थे बरमा पहुँचा।  
पहुँचते ही उन क्रांतिकारियों ने अपना काय करना आरम्भ कर दिया और उन्होंने  
रगून में कई महान किराए पर ले लिए। उन्होंने बरमा के विभिन्न मार्गों की ओर  
खुले रूप में राजद्रोह का प्रचार करना आरम्भ किया। वे सभी प्रकार के बरमी  
सोर्गों से मिल विशेषकर उन सोर्गों से वे बहुत घुल मिल गए जिनकी राष्ट्रीय कार्य  
के प्रति सहानुभूति थी। वे इस विचार का प्रचार करते थे कि जब भी सम्भव हो हमें  
विद्रोह शुरू कर देना चाहिए और बरमा 'अदर गदर' की चोरी छिपे लाने का  
प्रयत्न करना चाहिए। जब बरमा में पुलिस ने चौकसी बहुत बढ़ी कर दी और बाह्य  
से समाचार पत्र तथा साहित्य आना असम्भव हो गया तो उन्होंने बरमा में ही उसकी  
प्रतिया निकाल (डुप्लीकेट) कर बाँटना आरम्भ कर दिया। कभी कभी वे सोर्ग घुले  
कर में विद्रोह करने का प्रचार करते थे और कहते थे विदेशों से बन तथा राज्यों की

सहायता और भारत के क्रांतिकारियों से बहुत बड़ी सहायता में क्रांतिकारियों के समर्थन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है।

पूर्व तथा बरमा में विशाल क्षेत्रफल में क्रांतिकारी केन्द्र स्थापित कर लिए गए थे। यदि कोई गदर पार्टी का सिंगापुर में सदस्य बनता था तो वह तुरन्त रगून के क्रांतिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर लेता था। एक अभियुक्त ने विद्रोह के उपरांत सिंगापुर छोड़ा और फरवरी १९१५ के अंत में रगून चला गया। क्रमशः समस्त बरमा और विक्षेपकर माडले और रगून पूर्व में क्रांति के मुख्य केन्द्र बन गए जहाँ भावी विद्रोह के लिए पूरी और विस्तृत पमाने पर तयारियाँ की गईं। अन्न शास्त्र गोलियों बाखर ड्राइंगमैन्ट तथा अन्य विस्फोटक पदार्थ उतनी राशि में एकत्रित किए गए जितना उन परिस्थितियों में सम्भव था। एक अभियुक्त जिसका सोहनलाल से परिचित और निकट का संबंध था, तन्मा में बहुत से अन्न धान तथा अन्य सामग्री लेकर आया जिससे कि ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जा सके।

जब कि विद्रोह की तयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी थीं तब समय पुलिस को हाने वाले विद्रोह का सूचना मिल गई। पुलिस ने क्रांतिकारी संगठन पर एक साथ घावा डोल दिया और रात्रि पत्रिकाओं को गिरफ्तार कर लिया। कालांतर में ६ मार्च १९१६ को इन सभी अभियुक्तों को एक विशेष न्यायालय के सामने अभियोग के लिए उपस्थित किया गया।

उन पर सभा के विरुद्ध युद्ध करने का बहुवर्षीय आराप तो लगाया ही गया उसने अतिरिक्त विद्रोह की तयारी करने शत्रु को महत्वपूर्ण जानकारी देने, सैनिक पुलिस की राजगिष्ठा का डिगाने पडयत्र करने तथा राजद्रोह फजाने के आरोप ( १२१, १२१ घ, १२२, १२४ अ डिफेंस आफ इंडिया बस लीडेशन नियम १९१५ आदि की धाराओं के अंतर्गत ) लगाए गए।

३१ जुलाई १९१६ को अभियोग का फसला सुना लिया गया जिसमें नीचे लिखे सात क्रांतिकारियों की फाँसी की सजा दी गई—

(१) हरनाम सिंह, (२) छलियाराम (३) नारायण सिंह, (४) बासवा सिंह (५) नारायण सिंह (६) पालिया सिंह (७) एक अन्य। एक के अतिरिक्त शेष को आजीवन काले पानी देश निकाले की सजा दी गई।

१६ अगस्त १९१६ को स्थानीय सरकार ने एक आज्ञा निकाली, जिसके अनुसार उनकी ममस्त सम्पत्ति को जब्त कर लेने की सजा को भाग्य बर दिया गया हरनाम सिंह छलियाराम और नारायण सिंह ने उनसे अभियोगों पर पुन विचार करने की प्रार्थना ही नहीं की, अतएव उसी सजा में बर्ती करने का प्रश्न ही नहीं उठना था। अन्य तीन अभियुक्तों ने दया के लिए प्रार्थना की जो अस्वीकार कर दी गई। सातवें अभियुक्त की प्राणदण्ड की सजा आजीवन काले पानी ( देश निकाले ) में बदल दी गई। एक अन्य अभियुक्त भाई बसवत सिंह ने दया की प्रार्थना की जो अस्वीकार कर दी गई। सभी दंडित अभियुक्तों को बरमा में १९ से २२ अगस्त के मध्य फाँसी दे दी गई।

माडले का पूर्व अभियोग (१९१५-१७)

गदर आन्दोलन जिसका सूत्रपात और संगठन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ उसका प्रभाव विशाल क्षेत्र में फैल गया। क्रांतिकारी कार्यकर्ता विदेशों में जहाँ जहाँ

भारतीय बने थे इस उद्देश्य से भेजे गए कि जहाँ भी सम्भव हो विद्रोह खड़ा किया जावे। अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सुदूर पूर्व का भू भाग अत्यन्त उपयुक्त समझा गया। लक्ष्य यह था कि भारत उसको भारत पर आक्रमण करने की आधारभूमि के रूप में काम में लाया जावगा।

उन बहुत सम्पन्न शक्तिधारियों में से जो समय समय पर बरमा गए उनमें से चार ने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया कि वे विद्रोह की तैयारी के काम को धार्ये बढ़ावेंगे। उनका नेता मूलतः उपनाम मुज्तबा हुसेन था जो जयपुर का रहने वाला था। उसके सहकर्मी तुधियाना के अमरसिंह होशियारपुर के रामरत्ना उपनाम बाहले और पत्तर प्रदेश में फजाबाद जिले के राहजूरपुर नामक स्थान के अली महुमद सिद्दीकी थे। इन सभी ने सोहनलाल से सम्पर्क स्थापित कर रक्खा था और वे भी अंग्रेजों को भारत के तट से निकाल बाहर करने के समान उद्देश्य से कार्य कर रहे थे। मुज्तबा हुसेन जिम्मा हीसरा नाम मुजबफर हुसेन भी था ने सुदूर पूर्व के देशों की प्रचारारम्भक लम्बी यात्रा की। उन देशों में वह खूब घूमा।

उसके सुदूर पूर्व में अण्डमाल के सम्बन्ध में उन्होंने जो सिंगापुर से ३० अक्टोबर १९१५ को पत्र लिखा था उससे कुछ प्रकाश पड़ता है। बलबत्ता से वे ३ अक्टोबर को अदरनगर गए। पुलिंग की यात्रा से बचने के लिए उन्होंने चन्नर नगर से हांग कांग तथा पनांग और सिंगापुर के माग से जहाज में प्रथम श्रेणी में यात्रा की। ३ नवम्बर को वे जापान की ओर एक अमेरिकन यात्री के साथ अमेरिका जाने के उद्देश्य से चल पड़े। वे वहाँ तीन वर्ष इस उद्यम से रचना चाहते थे कि जिससे वे वहाँ की नागरिकता के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लें। उस प्रमाण पत्र को लेकर वे भारत बिना किसी भय के सुरक्षा के साथ वापस लौट सकते थे।

परन्तु उसके पश्चात् जो पत्र उन्होंने याकोझामा नागासकी से लिखे उसे यह प्रगट होता था कि उन्होंने अमेरिका जाने का अपना विचार बदल दिया और वे मैनिला की ओर चले गए। बरमा में क्रांतिकारी पायवाहियों और वहाँ के आन्दोलन में उनकी इतनी गहरी रुचि उत्पन्न हो गई थी, वे उन आन्दोलन में इतने गहरे पठ गए थे कि वे इसके अनिश्चित और कुछ सोच ही नहीं सकते थे कि वे इस महा नाटक में अपना पाट अच्छी से अच्छी तरह निभा सकें।

मुज्तबा न गदर साहित्य को मयुक्त राज्य अमेरिका से मगाने की व्यवस्था कर रक्की थी और वे उस साहित्य का विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार पहुँचाने थे कि वह साहित्य जहाँ जहाँ पहुँचता था कि जिनमें भारतीय सन्निह रहते थे। गदर साहित्य विशेष रूप से उन भारतीय सैनिक छावनियों में पहुँचाया जाता था जो 'मिडानों और उत्तरी बोर्नियो के बीच सन्तान द्वीप में स्थित थी।

उह अपनी उद्देश्य में बहुत बड़ी सीमा तक सफलता मिली। भारतीय सेना में विद्रोह फूट पड़ा। परन्तु उस सन्निह विद्रोह का बहो दूरता के साथ दबा दिया गया। यह बात उल्लेखनीय और विशेष महत्वपूर्ण है कि मुज्तबा हुसेन ने सेना के एक सूबदार को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि उसने मोर्चे पर जाने से अस्वीकार कर दिया। आफिमर कमांडिंग ने उस सूबदार का कोर्ट मार्शल किया और उसको गोली से मारे जाने की आज्ञा दे दी। जब सूबदार

को गोली से मारे जाने की धांसा हुई तो उस उसने गम्भीर परिस्थिति का सामना बड़ी वीरता से किया। मानो वह नितांत उदासीन हो उसके चेहरे पर भय अथवा खेद का कोई चिह्न नहीं था अपने वक्ष में गोली लगे के पहले उसने अपने उन सभी साथियों से जो उस समय वहाँ उपस्थित थे उनसे शांत पूर्वक कहा कि वह जिस महान उद्देश्य के लिए मृत्यु को स्वीकार कर रहा है वह उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को प्रिय होना चाहिए और आप लोग मेरी मृत्यु का प्रतिशोध ले कर उस उद्देश्य को पूरा लें।

दूसरे ही दिन कमांडिंग आफिसर के ब्रदली ने कमांडिंग आफिसर को मा डाला जिसका अवश्यम्भावी परिणाम ब्रदली को भुगतना पड़ा। इस सबका परिणाम वह यह हुआ कि सैनिक नियंत्रण के बाहर हो गए उनमें तीव्र असंतोष फूट पड़ा उ होने जेल को तोड़ कर बहुत से बंदियों को मुक्त कर दिया। उन दिनों क्रांतिकारियों के प्रचार के कारण सेना में अनुशासनहीनता की घटनाएं आए दिन होते लगी थी। उक्त घटना विशेष इस बात का प्रमाण थी कि सोहनलाल मुजतबा हुसेन और उनके साथियों का उन सैनिकों पर गहरा प्रभाव था जिनसे वे सम्पक स्थापित करने में सफल हो गए थे।

अमरसिंह श्याम का रहने वाला था और श्याम का नागरिक था वह भी मुजतबा हुसेन का निकट सहयोगी बन गया था। रामरक्खा बम निर्माण करने के लिए आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करने का कार्य करता था। वह उक्त सामग्री को बगला से प्राप्त करता था जहाँ वह उपलब्ध थी। जब सिंगापुर में विद्रोह भड़क उठा उस समय वह वहाँ उपस्थित नहीं था। वह उस घटना के कुछ दिनों बाद सिंगापुर पहुँचा उसका विश्वास था कि जब विद्रोह आरम्भ हो जावेगा तो जरमनी की सहायता पहुँच में देर नहीं लगेगी। रगू म यह निश्चय किया गया था कि विद्रोह बकरीद १९११ के दिन आरम्भ किया जावेगा। परन्तु उस योजना को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय तक अस्त्र धारकों की कमी थी यथेष्ट अस्त्र इकट्ठे नहीं हो पाए थे विद्रोह आरम्भ करने का महत् बड़े दिन के लिए स्थगित कर दिया गया जो कि कभी नहीं आया।

प्रथम मांडले पडयन अभियोग के सम्बन्ध में मिली हुई जानकारी के आधा पर पुलिस ने विभिन्न समय पर चारों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। लोग एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं पकड़े गए। उनको गिरफ्तार कर पुलिस ने पूरा मांडले पडयन अभियोग १९१७ में चलाया। अभियोग मांडले में २८ माघ की आरंभ हुआ। अभियुक्तों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने पडयन करने, सेना की राजभक्ति को डिगाने का प्रयत्न करने इत्यादि आरोप लगाए गए। गवाहियों में समुक्त राज प्रेमिका में गदर पार्टी के कार्यो के संबंध में विस्तार से साक्ष्य दी गई। उन गवाहों विद्रोह में जरमनी का सहयोग जरमनी ने मिलने वाली सहायता विद्रोहियों का भारतीय विद्रोहियों से सम्बन्ध तथा अभियुक्तों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी सभी विषयों पर साक्ष्य दी।

६ जुलाई १९१७ को फसला सुनाया गया। (क) मुजतबा हुसेन उपनाम मूलचंद उपनाम मुहम्मद जफर जयपुर का। (ख) लुधियाने का अमरसिंह (ग) फज्जाबाद जिन्ने (उत्तर प्रदेश) के राहबादपुर के अली अहमद सिद्दीकी तीनों को प्राण दण्ड की सजा दी गई। (घ) रामरक्खा उपनाम बाहले- होशियारपुर की आजीबन कासापानी

देश निकाले का दण्ड दिया गया। अभियुक्तों की समस्त सम्पत्ति राज्य द्वारा जप्त कर लेने का आदेश था।

अभियुक्तों द्वारा अपील करने पर लफ्तीनेट गवर्नर ने मुकदमे पर पुनर्विचार का फसले की पुष्टि करनी। केवल सम्पत्ति को जप्त करने की आज्ञा का सशोधन कर दिया, उसे रद्द कर दिया। ७ दिसम्बर १९१७ को रगून के प्रेस नोट में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक अभियुक्त के प्राण दण्ड की सजा को आजीवन कालेपानी देश निकाले में परिवर्तित कर दिया गया है।

रामरक्षा को अपनी सजा भुगतने के लिए अहमन सैल्यूलर जेल भेजा गया। अहमन सैल्यूलर जेल में उसका जल के अधिकारियों से सघर्ष हो गया। उसने वहाँ की अपमानजनक परिस्थितियों को सहन करने से इनकार कर दिया और उसने उस अपमानवीय व्यवहार का दृढ़ता से विरोध किया, जो वहाँ बंदियों के साथ किया जाता था। उसको जेल अधिकारियों की आज्ञा न मानने पर निदयतापूर्वक पीटा गया। उसके विरोध में उसने धामरण अनशन किया। मरने से पूर्व उसको खून की कं बूने लगी थी परन्तु जेल के अधिकारी उसको जीवित रखने के लिए उसके गले के नीचे कुछ भी न उतार सके, १९१९ में उसकी मृत्यु हो गई।

सब पूछा जावे तो उपरोक्त घटना इस पुस्तक की योजना के अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि सभी अभियुक्तों को आजीवन कालापानी द्वारा वे मृत्यु से बच गए। परन्तु सुदूरपूर्व में विद्रोह के इतिहास में इस महत्वपूर्ण अध्याय छोड़ देना, इस अपवाद से जो विशेष परिस्थितियों में किया गया है अधिक अक्षम्य होता।

इस सबब में यह बताना आवश्यक है कि वायसराय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण प्रविलम्बन जो कि उन्होंने प्रदान किया वह मुख्य लाहौर घटयत्र अभियोग में किया वह मुख्य लाहौर घटयत्र अभियोग में किया था। १३ सितम्बर १९१५ को २४ व्यक्तियों को प्राणदण्ड की सजा दी गई थी। वायसराय से प्रायना की गई और १४ नवम्बर को घोषणा की गई कि सात व्यक्तियों को छोड़ कर दोष सत्रह (१) बलवतसिंह, (२) हरनाम सिंह (३) जगत राम-होशियारपुर, (४) हिरदा राम, (५) कालासिंह अमृतसर (६) केशर सिंह अमृतसर (७) खसान सिंह छागा, (८) नन्द सिंह-लुधियाना (९) निधान सिंह फीरोजपुर (१०) पृथ्वीसिंह लुधियाना (११) परमानन्द (१२) रामसरन दास (१३) रूसासिंह भाकना (१४) स्वान सिंह अमृतसर (१५) बसवासिंह (१६) भाई परमानन्द भासी (१७) सोहन सिंह अमृतसर के प्राण दण्ड को आजीवन काले पानी (अहमन) देश निकाले में परिवर्तित कर दिया गया।

पाचवी देशी लाइट इन्फैन्ट्री का विद्रोह (१९१५)

प्रथम विश्व महायुद्ध के समय १९१५ में सिगापुर में स्थित पाचवी देशी लाइट इन्फैन्ट्री का विद्रोह सबसे अधिक घातक विद्रोह था जिसका अग्रजों को सामना करना पड़ा।

सोहनलाल तथा अन्य क्रांतिकारियों द्वारा प्रेरणा पाकर कुछ क्रांतिकारी सेना में क्षोभ और असंतोष के बीज बोने में सफल हो गए। उस सेना में कुछ असंतोष पहले से ही इस कारण था कि उसमें लोगों की मनमाने ढंग से पदोन्नति कर दी गई थी और उस सेना की अविवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न स्थानों पर भेजा गया था। जबकि उस रेजीमेंट को जिसकी संख्या ८०० इतिक थी, उसको हांगकांग



जाने के लिए सैयार होने की आज्ञा दी गई तो असतोप की जो शक्ति धीरे धीरे सुलग रही थी ज्वाला में भस्म उठी और उन्होंने आज्ञा मानने से खुले रूप में इंकार कर दिया।

सैनिक अधिकारियों को इस विद्रोह की कल्पना भी नहीं थी वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी सुमधुर प्रणाली निकम्मी प्रमाणित हुई। यह उम विद्रोह के संकथ में सैनिक भी पूव जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रही। बिना किसी अग्रिम सूचना के विद्रोह १५ फरवरी १९१५ को तीन बजे सीगर पहर फूट पड़ा। यह घिनौने के वर्षारम्भ का दिन था विद्रोह ने तुरंत ही गम्भीर रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने समस्त सेना को प्रभावित करने का प्रयत्न किया और उसमें से कुछ सैनिक जो निष्ठावान थे उन्होंने विद्रोह में सम्मिलित होना अस्वीकार कर दिया उनको विद्रोहियों ने गोली मार दी भयवा उनको आज्ञा दी कि वे उनकी कायबाही में कोई हस्तक्षेप न करें।

उन क्रांतिकारियों की राय से जो विद्रोह कराने के लिए उत्तरदायी थे विद्रोहियों ने पूव निश्चित योजना के अनुसार जर्मन कदी गिविर पर पहरा देने वाले गाइस और सतरियों पर गोली चलाना आरम्भ कर दिया। इनका परिणाम यह हुआ कि जो सतरी मारे नहीं गए भयवा जहमी नहीं हो गए वे भाग खड़े हुए और जर्मन कैदियों को निकल भागने का अच्छा और सुगम अवसर मिल गया। उससे उपरान्त विद्रोही सैनिक नगर की ओर चले। विद्रोही सैनिक जिस माग से गए उस पर पडने वाले मकानों को उन्होंने लूट लिया और उनमें आग लगा दी। उन्होंने आफिशर कमांडिंग के मकान को घेर लिया जिसके साथ अलग्रेडिया बरका में और ऊचे सैनिक अधिकारी भी थे। सहायता का काम केवल उन अस्सी सैनिकों से आरम्भ किया गया कि जो एक ब्रिटिश जहाज में बदरगाह में प्रतीक्षा कर रहे थे।

अधिकांश विद्रोह न होने के कारण विद्रोही सैनिक गालफ सेल के मैदान की ओर बड़े और जो लोग वहाँ थे उन पर भया घुष गोली चलाई जिससे वहाँ सबसे अधिक क्षया में नागरिक मारे गये।

१६ फरवरी के पूरे दिन गर गोली चन्ती रही। १६ की रात्रि को भीषण गोली वर्षा हुई। १७ फरवरी को विद्रोही सैनिक नगर के समीपवर्ती नमस्त घामोण क्षेत्र में फन गण और विभिन्न दिशाओं और स्थानों से गोली चलने की आवाज सुनाई देती रही। उनमें से कुछ विद्रोही मुख्य आठरिक प्रदेश में घुस गए जिसके कारण अधिकारियों के समक्ष गम्भीर समस्या उठ खड़ी हुई। १६ फरवरी को पाष बजे सायकाल गफ जहाज से आई सैनिक टुकड़ी पर अलग्रेडिया रोड के पूर्व में स्थित चीनी बाग की एक कोपडी में गपकर गोली वर्षा हुई। उसका उत्तर सहायता के लिए आई हुई कुमुकन भयकर गोली वर्षा करके दिया।

२० फरवरी तक युडनैडस के समीप युद्ध चलता रहा जहां ४ बजे सायकाल दो रूसी जहाजी नाविक (सेनघ) घायत हो गए। चार विद्रोही सैनिकों में जो कि शस्त्रों से सुसज्जत थे रूसी सैनिक टुकड़ी पर जो कि विद्रोहियों की सोज में एक निश्चित स्थान पर जा रही थी गोली वर्षा आरम्भ करदी। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सायकाल सवा सात बजे रूसी सैनिक चीकी पर जिन विद्रोहियों ने आक्रमण किया उनकी सख्या आठ थी। उन विद्रोहियों ने रूसी सैनिकों को उस स्थान से

डल्लेस की ओर जो कि वहाँ से पंद्रह मील पर था वापस लौटने पर विवश कर दिया।  
क' अन्नास' के बगीचे से भी फुटकर गोली वर्षा हुई जिसमें दो रूसी सैनिक,  
मारे गये।

२१ फरवरी को दो आक्रमणकारियों को गोली से मार दिया गया। उनमें से  
एक पाचवी लाइट इन्फंट्री का देशी सफसर था और दूसरा एन सी ओ था।

स्थिति कितनी गम्भीर हो गई थी उसकी कल्पना तो उस सेना से की जा सकती  
कि जो उस विद्रोह को दवाने के लिए इकट्ठी की गई थी। स्थानीय सैनिकों के  
विरुद्ध नागरिक सशस्त्र पुलिस, मुल्तान और लाहौर के सैनिक भी थे (जो विशेष रूप से  
उन विद्रोहियों का सामना करने के काम में लाए गए जो कि देश के भीतरी भाग में घुस  
गए थे। जो युद्ध के सैनिक बदरगाह में महायुद्ध की प्रथम अवस्था में तैनात थे उनसे  
भी विद्रोह को दवाने में सहायता ली गई। अल्पकाल में ही फ्रेंच, जापानी, और रूसी  
युद्धपोत बहा पहुँच गए और उन्होंने बड़ी सख्या में सैनिक टुकड़ियों को बहा उतार दिया।  
सैनिक भी अन्य सैनिकों के साथ विद्रोहियों को पकड़ने में सहायता देने लगे। यहीं  
तही विशेष स्वयं सेवक तथा कांस्टेबल इसी कार्य के लिए विशेष रूप से भर्ती किए गए।  
दो सौ जापानी स्वयं सेवकों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। छत्तीसवीं सिक्ल  
रजिमेंट को टुकड़िया तथा मलाया स्टेट्स वालटियर राइफिल्स के बियासी सैनिकों को  
इस कार्य में लगाया गया।

स्त्रियों और बच्चों को जानसन पियर से हटा कर उन्हें जहाजों में भेज दिया  
गया बहा लांच तयार थी कि यदि आवश्यकता पड़े तो उनको युद्धपोतों पर ले  
जाया जा सके।

मासल ला घोषित कर दिया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि यदि कोई  
भी व्यक्ति शत्रुओं से लिखकर अथवा सकेत अथवा अन्य प्रकार से ऐसे समाचार फलायेगा  
जिनसे जनता में आतंक भय और निराशा फले तो उसे कठोर दण्ड दिया जावेगा। यह  
चेतावनी की आज्ञा २० फरवरी १९१५ को निकाली गई। विद्रोह को अत्यंत कठोरता  
से दबाया गया और जा सत्रह जर्मन बंदी निकल भागे थे उनमें से अधिकांश को फिर से  
पकड़ लिया गया। विद्रोहियों तथा सेना से भागने वालों के विरुद्ध कोट - मासल की  
कायवाही की गई। उन पर विद्रोह में सम्मिलित होने तथा रजिमेंट के अन्य सैनिकों से  
मिल कर वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना करने तथा उनके विरुद्ध हिंसात्मक  
कायवाही करने तथा विद्रोहियों को गोली बरसू देने का आरोप लगाया गया।

३ मार्च १९१५ को तीन ( एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार ६ ) विद्रोहियों को  
कोट मासल ने गोली से मार देने का फैसला किया। वह फैसला एक मार्च को जल  
के बाहर मुख्य पाटक पर आठ बजे प्रातः काल पढ़ कर सुनाया गया। उस समय वहाँ  
स्थानीय लोग बड़ी सख्या में एकत्रित थे।

८ मार्च को प्रातः काल तीनों को गोली मार कर हत्या करनी गई।

(क) रसूलाह जिस पर कैप्टेन इजाजद की हत्या का आरोप था। (ख) इमामाज  
मली जो १५ फरवरी को अपने अधिकार का उपयोग करने में असमर्थ रहा लोगों  
अपनी रजिमेंट के सैनिकों को बंदूकों तथा गोली बरसू देने के तारों को तोड़ कर  
एम्पुनिशन निरूालने में नृपयता दी जिसका विवरणों ने उपयोग किया तथा भी सत्रह  
दिया था।

(ग) रखनउद्दीन जिसने विप्लवियों को सख्त तथा कारतूस आदि देने में सहायता पहुँचाई और अपनी रंजीमेंट के उस आदमी को गोली मार देने की धमकी दी जो उस स्थान से चला नहीं जावेगा जिससे कि विप्लवियों का आन्दोलन प्रभावशाली तथा सरल बन सके ।

गोली से मार कर तीनों की हत्या करने की सजा जेल की दीवार के बाहर जनता की उपस्थिति में दी गई जिसके लिए यथेष्ट व्यवस्था की गई थी । १३ मार्च १९१५ को पाँचवीं लाइट-इंफैंटरी के पैंतालीस व्यक्तियों पर तीसरी पुलिस कोर्ट सिगापुर में मुकदमा चलाया गया उनमें चार एन सी भी थे, उनसे नाम ये—

(१) लड़ हवलदार—सुलेमान (२) नायक—मुशीखाँ (३) नायक जफर अली और (४) लैंड नायक—बब्दुल रजाक खाँ ।

'उद्दीने विप्लव में सम्मिलित होकर तथा अन्य विप्लवियों से मिलकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा की अवहेलना कर तथा उनके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाहों की और जब उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा गया तो आत्म समर्पण करने से इनकार कर दिया और उद्दीने सन्नाट की सेना पर गोली चलाने के उद्देश्य से अपनी राइफिलों में गोलियाँ भरी । उनके विरुद्ध अभियोग चलाने वाले अधिकारी ने कानून के अंतर्गत जो वरम दंड हो उसकी माँग की ।

समान रूप से उद्दीने आरोपों पर सात सिबखों के विरुद्ध अभियोग चलाया गया । वे सात ये थे — (१) बगगत सिंह (२) अंतर सिंह (३) तभार सिंह (४) रुलाह सिंह (५) हजारा सिंह (६) तामार सिंह (७) वीर सिंह उनमें से रुलाह सिंह के सम्बन्ध में तो निश्चित रूप से मालूम है कि उनको गोली से उड़ा दिया गया । दोष का भविष्य भी वही हुआ होगा यद्यपि उनके सम्बन्ध में कोई लेख नहीं मिला ।

२२ मार्च १९१५ तक उन लोगों को छोड़ कर जिन्हें गोली से मार दिया गया अथवा फाँसी पर चढ़ा दिया गया, साठ सैनिक या तो युद्ध में मारे गए अथवा डूब कर मर गए । नागरिकों में तैंतालीस नागरिक मारे गए और छत्तीस जख्मी हो गए ।

एक अत्यन्त धनी व्यक्ति जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था वह भी उस तीव्र देश भक्ति की भावना से नहीं बच सका जो प्रथम विश्व युद्ध के समय सुदूर पूर्व में प्रबल थी । १९१४ के अंतिम दिनों में सिगापुर के एक प्रसिद्ध व्यापारी परिवार के श्री आसिम इस्माइल मसूर का सम्पर्क रगून स्थित भारतीय सेनाओं से हुआ । उसने अपने देशवासी सैनिकों को आवाश्यक वस्तुएँ देने तथा उनके भाने जाने के लिए सुविधाएँ देने की बात सोची ।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने शत्रु के एजेण्टों से जो बर्मा में थे पत्रों द्वारा सम्पर्क स्थापित किया । उस प्रकार का एक पत्र जो २८ दिसम्बर १९१४ का लिखा हुआ था रनून में जर्मन कौंसिल को लिखा गया था । पत्र लिखने का उद्देश्य उसके साधनों की सहायता से दो समुद्री जहाजों को भारतीय सैनिकों को सिगापुर से ले जाने के लिए प्राप्त करना था ।

वह पत्र पकड़ा गया और मसूर पर ग्यारह आरोप लगाए गए । नौ आरोप अग्निद्रोह के थे दसवाँ शत्रु को सैनिक जानकारी देने का था और ग्यारहवाँ सन्नाट के विरुद्ध युद्ध करने का था । यह आरोप ३ मई १९१५ को फील्ड कोर्ट मासाल के सामने अभियुक्त मसूर पर लगाए गए । तत्कालीन वातावरण तथा हिंसात्मक प्रतिशोध की भावना

के अनुकूल कोर्ट माशाल ने एक सुनवाई में ही अभियुक्त को फांसी की सजा दे दी।

बाहरी दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। एक धनी व्यापारी जो यदि चाहता तो भाराम से भोग विलास का जीवन व्यतीत कर सकता था उसने अपने देश के लिए फांसी के तख्ते पर मृत्यु को भगीकार किया।

[ एक दूसरी भ्यूज एजेंसी की रिपोर्ट २१ मई १९१५ की यह है " अभियोग के कुछ दिनों बाद जो कि फील्ड जनरल कोर्ट माशाल ने गुप्त रूप से सुना था— दंड जनता के मामले पढ़ कर सुनाया गया और जनता के सामने ही सजा दी गई।" अमृत बाजार पत्रिका २२ मई, १९१५ ]

### मार्ग से बहुत दूर (१९१५)

बहुत से लोग ऐसे थे जो कि राजनीतिक कार्यकर्ता या शान्तिकारी नहीं थे परन्तु उन्होंने अपने मार्ग से हट कर स्वतंत्रता के क्राय में सहायता पहुँचाई और अपने प्राणों को देश के लिए उत्सर्ग कर दिया।

श्याम ने 'पाकोह' के इजिनियर श्री अमरसिंह ने 'हैनरी यस समुद्री जहाज द्वारा ले जाए जाने वाले अस्त्र शस्त्रों के एक भाग को अपने पास गुप्त रूप से छिपा कर रखने और ले जाने का खतरे से भरा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया उनका नाम उस सूची में था, जो उस व्यक्ति के पास से मिली जो उनमें से एक व्यक्ति था, जो जर्मनी से भारतीय क्रांतिकारियों के लिए भेजे जाने वाले अस्त्र शस्त्रों को ले जाता था। वह पकड़ा गया और उसके पास मिली सूची में अमर सिंह का नाम था। उस सूची से मिली हुई जानकारी के आधार पर श्री अमर सिंह को पकड़ लिया गया उन पर अभियोग चला और उन्हें प्राण दण्ड की सजा दे दी गई। किसी समय १९१५ में उनको माइले जेल में फांसी दे दी गई। ( सदन सैंडलिन कमेटी रिपोर्ट १९१८ पृष्ठ १२५ )

### माले स्टेट गाइडस (१९१५)

सेना का एक दूसरा भाग ' माले स्टेट गाइडस ' जो सुदूर पूर्व में स्थित था। वह भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह में उठ खड़ा हुआ। वह विद्रोह उतना विस्तृत और भयावह नहीं था जितना कि पाँचवी लाइट इन्फैंट्री द्वारा खड़ा किया गया विद्रोह सतर्नाक और प्रबल था। परन्तु यह विद्रोह भी उस विद्रोह के साथ ही उठ खड़ा हुआ इससे स्थिति अत्यंत गम्भीर और भयावह हो उठी। गाइडस को आजा दी गई कि वे उन विभिन्न सेनापों की सहायता करें जो विद्रोह को दबाने में लगी हुई थीं परन्तु उ होने विद्रोह को दबाने में सहायक होने से इनकार कर दिया वरन उनमें से कुछ विद्रोह में सम्मिलित हो गए। उ होने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और जब उनको आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया तो उन्होंने आत्म समर्पण भी नहीं किया। इसके अतिरिक्त उन पर विप्लव भड़काने तथा विप्लव में स्वयं सम्मिलित होने का भी आरोप लगाया गया।

कोर्ट माशाल के समक्ष उनमें से कुछ का तथा पाँचवी लाइट इन्फैंट्री के कुछ विद्रोहियों का साथ साथ मुकदमा हुआ और नीचे लिखे पाँच विद्रोहियों को गोली मार कर मृत्यु दंड की सजा दी गई।

(१) सूवेदार ड डे ( दु डे ) खा (२) जमादार चिस्तीखा (३) १८६० हवलदार रहमत भली ( हलवार-लुधियाना के ) (४) २३११ सिपाही इकिम भली और (५) २१८४ हवलदार अब्दुल गनी।

२३ मार्च १९१५ को अपराजित समूह के सामने सिंगापुर जेल की दीवारों के बाहर पुराने फाँसी देने के स्थान पर समस्त सेना तथा बालटिथरों ने पूरी सह्यार्में परेड की। उन लोगों को अभी हाल के कोट माइल के द्वारा दिए दंड को जो दोषी सैनिकों तथा अधिकारियों को दिया जाने वाला था उस उरसव को दिखाने के लिए बुलाया गया था।

उनके अपराधों और उसकी सजा को उन बंदियों को पढ़ कर सुनाया गया। दोषी बंदी पत्थर की शिला के समान दृढ़ता से खड़े थे। उसके उपरांत उन दोषी बंदियों के हाथ पीठ के पीछे बांध दिए गए और उनको बध-स्थल तक जेल के बाहरों के कड़े पहरे में माच कराया गया। वहाँ गोली मारने वाला दल जो 'रायल गरिसप आरटीलरी और रायल इंजीनियर्स सेना का था, पहले से उनको गोली मार कर मारने के लिए तैनात था।

उनके विरुद्ध प्राण दंड की सजा की विधिवत घोषणा की गई। गोली चलाने वाले दल के कमांडिंग ऑफिसर ने तलवार ऊपर उठाई 'रही' (तैयार हो) कहा। रही की आज्ञा देते ही गोली चलाने वाले दल ने चीखता से एक के बाद दूसरी गोली अपनी राइफलों में भर ली उसके उपरांत अधिकारी ने प्रेजेंट (उपस्थित हो) फायर (दागो) की आज्ञा दी। एक साथ गोलियाँ दागी गईं।

जिन अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड दिया गया था वे गिर गए और इन प्रकार 'याय पूरा हुआ। न्याय के नाटक का पटाक्षेप हो गया। उन विदेशियों के जो बल पूर्वक भारत को दास बनाए हुए थे और जिसका भारतीय विरोध करते उनके अनुसार देश भक्तों को इस प्रकार मार देना ही न्याय था। सत्रह दूसरे अपराधियों को छाई की दूसरी और खडा किया गया। प्रत्येक को खम्भे से अलग अलग बांध दिया गया था। एक ही सगस्र सेना के सैनिक जिनमें से आधे सीधे तन कर खड़े हुए थे और आधे अपने एक घुटने पर आराम कर रहे थे। सब औपचारिकता समाप्त हो जाने के उपरान्त उ होने एक ही राइफिलें दोषियों की ओर तान दी निशाना लिया और तब उनको दो बार गोली दागने की आज्ञा दी गई। गोलियों की प्रथम बौछार बाढ़ ने सभी सत्रह धीरो को मार दिया। गोलियों की दूसरी बाढ़ इसलिए दागी गई कि यह निश्चय हो जावे कि पहले गोली से कोई बच न गया हो। (सदभ पी चक्रवर्ती से मुनेर प्रत्येक पृष्ठ ५५)

### असीम निदयता (१९१५-१६)

एक अभागा युवक चंडी चरन नाग मई १९१३ में नौकरी की खोज में सपाताला हाजीगज तिपरा से बरमा पहुँचा। उसको पीगू सक्लि के कजरवेटर आफ फॉरिस्ट के कार्यालय में नौकरी मिल गई। वह रगून की लाइस स्ट्रीट के ६३ नम्बर के मकान में रहता था।

बरमा सरकार ने ५ अक्टोबर १९१५ को चंडी चरन को 'भारत में प्रवेश अध्यादेश के अंतगत बंद कर लिया और उसे रगून सेंट्रल जेल में रखा गया। दिसम्बर १९१५ को उसको टाईफाइड ज्वर का आक्रमण हुआ और उसके जीवन की कोई आशा नहीं रही। उसकी गिरफ्तारी के बाद उस युवक के अभागे पिता ने कई स्मृति पत्र अपने पुत्र के बारे में यह जानने के लिए भेजे कि वह कहाँ है और कसा है परन्तु कोई उत्तर उसे नहीं मिला। उन स्मृति पत्रों के उत्तर में प्रथम बार १३ फरवरी, १९१६ को

उन्हें इस आशय का उत्तर मिला " उनका पुत्र एक समय रगून जेल में डबरे से पीड़ित था परंतु अब स्वास्थ्य लाभ कर रहा है और यदि कोई अनहोनी परिस्थिति उत्पन्न न हो तो उसके पूर्ण स्वस्थ हो जाने की आशा है। पिता को अपने पुत्र से साक्षात्कार करने की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया गया।

( पायनियर १३ जून १९१७ )

उसी समय बंगाल सरकार ने घोषणीय रूप से पूछा कि क्या उस नजरबंद युवक को कलकत्ता भेजा जा सकता है? उसके उत्तर में २४ फरवरी १९१६ को बरमा सरकार ने लिखा ' कि उसको क्षय रोग होने का संदेह है। " ३ मार्च १९१६ को बंगाल सरकार ने अपनी यह इच्छा प्रकट की कि उस बंदी को कलकत्ता भेज दिया जावे।

७ मार्च १९१६ को बरमा सरकार ने चंडी चरन के पिता को सूचित किया कि उनके पुत्र चंडी चरन को सीधे ही रगून से टूल जेल से मुक्त कर कलकत्ता भेज दिया जावेगा। ११ मार्च को चंडी चरन को जेल से मुक्त कर दिया गया और दूसरे ही दिन वह स्वास्थ्य की भ्रत्यंत खतरनाक दशा में अस्पताल में प्रविष्ट किया गया।

२५ एप्रिल १९१६ को यकायक पुलिस ने चंडी चरन को अस्पताल से निकाल कर एक स्टीमर पर सवार करा दिया जो कलकत्ता जाने वाला था। उसके लिए यह आशा हुई कि उसे अपने पतृक प्राम में नजरबंद कर दिया जावे। वह अपनी नजरबंदी के स्थान पर ३० एप्रिल १९१६ को पहुँचा।

भ्रत्यंत अश्वस्थ और अशुचिकर स्थान में ६ मास तक नजरबंद रहने के उपरांत २७ अक्टूबर १९१६ को एक आज्ञा निकाली गई कि वह जहाँ चाहे रहने के लिए स्वतंत्र है। जब चण्डी चरन को स्वतंत्र किया गया तब बहुत देर ही चुकी थी। उसका ६ मास तक कोई उचित उपचार नहीं हुआ था। यदि यह कहा जावे तो सत्य के अधिक निकट होगा कि नाम मात्र की भी कोई उपचार नहीं हुआ था। प्रायिक साधनों के अभाव में उसका पिता उसे किसी स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भी नहीं भेज सके। परिणाम यह हुआ कि वह अभागा युवक २९ जनवरी १९२७ को प्रातः ११ ३० पर स्वयं सिंघार गया। उसकी मृत्यु से उदार ब्रिटिश सरकार को एक झूठ से छुटकारा मिल गया। जिसने अपनी हृदयहीनता और असीम निर्दयता का परिचय देकर एक उपयोगी जीवन का असमय में ही अंत कर डाला।

अच्छा जोड़ मिला ( १९१५-१७ )

यदि भारत सरकार सुदूर पूर्व में भारतीय राष्ट्र भक्तों के बीच अपने भेदिए तथा एजेंटों की गुप्त रूप से जमाने में सफल हुई तो बहुधा इन भेदियों और एजेण्टों का क्रांतिकारियों को पता चल जाता था और उनको क्रांतिकारी उचित दंड देते थे।

यह केवल अवसर न मिलने के कारण था कि इस प्रकार की अधिक हत्याएँ नहीं ही पायी थी। अथवा ऐसे साहसी क्रांतिकारियों की कोई कमी नहीं थी कि जो अपने प्राणों की परवाह न कर उन भेदियों को जब भी अवसर मिलता समझीक पहुँचाने का प्रयत्न करते।

१९१५ में भारत सरकार ने सुदूर पूर्व में रहने वाले भारतीयों की मनोकृति की प्राप्ति करने के लिए जिस उच्च अधिकारी को भेजा उसके भी घोषणीय रिपोर्टें थी

उसमें उसने लिखा "यह खेदजनक किंतु सत्य है कि सुदूर पूर्व में बसाने वाले भारतीय अधिकारी में पूरा रूप से सरकार विरोधी हैं उनमें तनिक भी राजमति नहीं है।" उस अधिकारी ने हरनाम सिंह नामक एक कुशल और दमतावान व्यक्ति को चुना जो कि इयाम में भारतीय क्रांतिकारी दहयंत्र के सम्बन्ध में जाच कर रहा था। वह इस सम्बन्ध में बहुत उपयोगी बयान कर रहा था जबकि विरोधी शिबिर का एक व्यक्ति जिसका नाम आत्माराम था उसके भाग में भाया और उसने समस्त घटनाक्रम को ही बदल दिया।

आत्माराम अत्यन्त मेधावी चतुर और क्रियाशील व्यक्ति था। उसकी चतुराई और दक्षता के कारण वह बेपत्ताक स्थित जर्मन लियेसन के अनुग्रह को प्राप्त करने में सफल हो गया। यहाँ यह बतला देना आवश्यक है कि आत्माराम ही क्रांतिकारियों को सदेव भेजता था कि जर्मनी से ब्रह्म दल्ल भारत भेजे जा रहे हैं और वही जहाज से अस्त्र शस्त्रों के बवसा को छतरवाने की व्यवस्था करता था।

उस समय भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधिया इयाम में बहुत बढ़ गई थीं उससे इयाम की सरकार बहुत सशक्ति हो उठी। इयाम की सरकार उसकी कायवाहियों पर प्रतिबन्ध लगाने भयवा उसे देश से निकाल बाहर करने के लिए क्या कदम उठाए जावें कि इस पर गम्भीरता से सोचने लगी। इससे पहले कि इयाम सरकार उसके विरुद्ध कोई कायवाही कर पाती आत्माराम अपने हैडक्वार्टर को इयाम से हटाकर नांनरिंग ले गए।

इस म देश की भूमि से हटने के पूर्व आत्माराम ने एक अत्यन्त साहसपूर्ण काय किया। उसने हरनाम सिंह को हत्या करदी। उस पर उसको ब्रिटिश एजेंटों ने पकड़ लिया और दण्डाई ले जाया गया। अभियोग खला उसमें आत्माराम ने हरनामसिंह को मारने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। न्यायालय के समक्ष बयान देते हुए आत्माराम ने कहा कि हरनामसिंह का मैंने इस कारण वध किया क्योंकि मैं उसे अपने देश का शत्रु मानता था।

उस साहसी भावना प्रधान देवभक्त युवक को २ जून १९१७ को फाँसी दे दी गई।



## छठा अध्याय

सषप गहन हो गया (१९२४-३०)

### आमुख

महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन के द्वारा जो देश में अपेक्षाकृत निष्क्रिय धार्मिक छा गई थी वह क्रमशः तिरोहित होती गई और भारत के प्रांतिकारी दल ने विशेषकर उत्तर भारत में अगले दो दशकों में पुनः प्रांतिकारी कायवाही के चिह्न प्रकट करने प्रारम्भ कर दिए। यह एक कविता की स्मृति दिलाती है जो उस राजनीतिक दशन के सार सत्य को प्रकट करती है जिसमें घटनाओं के स्रटाव उतार का बखान होता है और जिसके द्वारा अन्तिम लक्ष्य को पहुंचा जाता है। उस कविता का भावार्थ नीचे लिखा है

“महान अगली छलायें उसके उपरांत बहोश होकर गिरन की घटना काल गति का नियम है। मानव जाति को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह भयकर तूफानों से घिरा हुआ रहा है स्वर्ग से मानव को जो उपहार मिला है उसका मूल्य सषप के रूप में ही चुकाना पडा है क्योंकि बिना युद्ध कर मृत्यु का आतिगन किए कुछ भी प्राप्त नहीं होता”।

‘मृत्यु का आतिगन करके तक युद्ध रत रहना’ ही सकहे सखों का बडी मात्रा में भागे चल कर प्रयास रहा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में दुदमनीय साहस और बिलगल बुद्धिमत्ता का प्रदशन किया।

खेदजनक — ३ अगस्त १९२३ को एक खेदजनक घटना घटी जबकि चार सखल आतिकारियों ने शकरी टोला पोस्ट आफिस पर आवा किया। पोस्ट-अमृतलाल के आक्रमणकारियों का विरोध किया और उन्हें गोली से मार दिया गया। आक्रमणकारी गोली मारने वाले को लोगों ने लम्बी दौड़ के उपरांत पकड़ लिया। अमियोग हुआ और उसको प्राणदंड हुआ जो उसको दया प्रायना पर बाद को घटा कर आजीवन काले पानी में परिणित कर दिया गया।

गलत ब्यक्ति— ऐसे ब्यक्ति अथवा ब्यक्तियों को मृत्यु जिनके प्रति हिंसा का अपवहार करने का किसी का कमी भी उद्देश्य नहीं था और जिन पर घातक प्रहार करने का तो कमी प्रयत्न ही नहीं उठता था। १२ जनवरी, १९२४, की घटना का एक विशेष महत्व है।

ई डे नामक एक मोरोपियन सज्जन जो कि कलकत्ता की एक व्यापारिक फर्म के कमबारी थे साठ बजे से साठे आठ बजे तक मैदानों तथा उसके आस पास प्रातःकाल वायु सेवन का आनन्द लेते थे उस घटना के दिन वे चौरंगी रोड और पार्क स्ट्रीट के आतिग पर एक फर्म के छोटे कमरे को देख रहे थे तभी एक गोपीनाथ (गोपी मोहन) शाह जो सकेर बोली खाकी कमीज और काले बूटों के साथ आये



अप्रेज सज्जन पर धाठ या दस फिट से गोली चलाई। गोली निघाना चूक गई। उं धूमे धीर उ होने अपने मारने वाले का सामना किया। दूसरी गोली छनके लग गई और वे वही गिर गए। घराशाही शरीर पर तथा मरते हुए व्यक्ति पर युवक ने कुछ धीर गोलियां इस उद्देश्य से चलाई कि वह किसी भी प्रकार कही मृत्यु से बच न जावे।

पहले तो गोली चलाने वाला युवक पाक स्ट्रीट धाराम धाराम से चला। उसका एक टक्सी ड्राइवर ने अपनी टक्सी स पीछा किया। गोपीनाथ ने उस ड्राइवर पर गोली चलाई पर वह कारगार नहीं हुई। तब उसने अपनी चाल तेज कर दी और वह रसल स्ट्रीट में घुस आया। उसने एक बहुत बड़ी इमारत का चक्कर लगाया और पुन वह पाक स्ट्रीट पर घा निकला युव की ओर धागे चल कर उसने एक खड़ी प्राइवट मोटर कार के ड्राइवर को उस ले जाने के लिए प्रेरित करने का प्रयत्न किया। ड्राइवर ने उसे ले जाने से इंकार कर दिया इस पर शाहा ने उस पर गोली चलाई परंतु ड्राइवर जो बल्ट बांधे हुए था उससे वह बच गया। अब शाहा ने दौड़ना प्रारम्भ किया उसका एक बड़ी भीड़ पीछा कर रही थी जो प्रति मिनट बढ़ती ही जाती थी।

पाक स्ट्रीट और फ्री स्कूल स्ट्रीट की क्रासिंग पर वह भिक्का। उस जगह वह पकड़ा ही जाने वाला था कि उसने अपना पीछा करने वाले पर गोली चलाई जो उसके हाथ में लगी। वह फ्री स्कूल स्ट्रीट के रास्ते से अब रायड स्ट्रीट पहुँचा। उसके सपरात वह तेजी से दौड़ता हुआ वाक्बन लेन से होकर रिपन स्ट्रीट पर पहुँचा और फिर बलेडले स्ट्रीट की ट्राम लाइन पर पहुँचा। वहाँ उसने एक घोड़ा गाड़ी में पर रक्खा परंतु ड्राइवर ने गाड़ी हावने से इनकार कर दिया। उसी समय एक धादमी पहुँचा और वह उसस भिड गया और शाहा गिर पड़ा। एक कास्टेबिल की सहायता से उसको जकड़ कर बाँध दिया गया। गिरने से उसके माथे में बहुत चोट आई।

जिस समय वह गिरपतार हुआ उसके पास एक मैगजीन पिस्तौल, एक रिवाल्वर और चालीस या पचासीस जीवित कारतूस थे। पुलिस को जाच पडताल में अधिक दिन नहीं लगे और उसवे एक जनवरी १९२४ को शाहा को चीफ प्रसीडेंसी मैजिस्ट्रेट के समक्ष अभियोग के लिए उपस्थित किया। अभियोग की सम्पूर्ण कायवाही में वह युवक जिसका रंग साँबला था और जिसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी नितान्त दाम्त रहा, उसने कायवाही के प्रति शनिक भी दिलचस्पी नहीं दिखलाई।

सरकारी अभियोजक (पब्लिक प्रोसीक्यूटर) के एक बत्तव्य विशेष के सम्बन्ध में उसने कहा— 'सरकारी अभियोजक का कहना है कि मैं लाल बाजार में निरुद्देश्य घूम रहा था, मुझ बऊ बाजार में एक मकान में एक दूसरे व्यक्ति के साथ घुसते देखा गया। यह बिलकुल गलत है। मैं सदैव अकेला जाता था और अकेला ही घूमता फिरता था और सदैव टगाट साहब को मारने का प्रयत्न करता था। मैं टगाट को भली भाँति जानता हूँ। परन्तु दुर्भाग्यवश मैंने एक निर्दोष साहब की हत्या कर दी। उस निर्दोष साहब की सूरत ठीक टगाट की भाँति थी। भगवान की कृपा से टगाट बच गया और यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने प्रयत्न में असफल रहा। मैंने भूल की है।'

‘यदि देश में कोई देशभक्त युवक है तो वह मेरे अग्निकण्डू काय को पूरा करेगा। मुझे आशा है कि वह ऐसी भूल नहा करेगा जसी कि मैंने की है और मुझे आशा है कि वह अधिक चतुराई और कुशलता से काय करेगा।’

जब युवक ने कहा ‘ मैं मर्दान्ग टैगाट साहब को मारने का यत्न करता रहा।’ तो उसने टैगाट साहब की ओर ताका धीरे-धीरे चिढ़ाते हुए मुस्कराया जब कि गोपीनाथ को अभियुक्त के कटघरे से हटाया गया तो उसने चिन्ता कर कहा ‘श्री टैगाट अपने को सुरक्षित समझ रहे होंगे परन्तु वे सुरक्षित नहीं हैं। मैं उस काय को पूरा न कर सका। मैं उस अग्निकण्डू काय को दूसरी के लिए छोड़ जाता हूँ।’

अभियोग की सुनवाई के दूसरे दिन १७ फरवरी को एक स्थल पर साहा ने सरकारी अभियोजक से जल्दी करने को कहा। अभियोग की सुनवाई बंद होने पर उसने कहा कि ‘अभियोग की कायवाही की सम्झी करने से क्या लाभ?’

२१ जनवरी को उस पर हत्या करने, तथा सदोप मानव हत्या का प्रयत्न करने जिसका परिणाम हत्या का नहीं होना, के आरोप लगा कर उसको हाईकोर्ट सेदान सुपुद कर दिया गया। जब उससे पूछा गया कि वह अपने बचाव के लिए कोई बयान देना या साक्षी उत्पन्न करना चाहेगा तो उसने कहा ‘ससका क्या परिणाम होगा’ अपने दोषों के आरोप सुन कर उसने कहा “बहुत अच्छा बहुत अच्छा” और योही सी घाराए ब्यो नहीं जोड़ देते।

१३ फरवरी १९१४ को हाईकोर्ट सेशन में अभियोग आरम्भ हुआ। अभियोग की सुनवाई के दूसरे दिन अभियुक्त ने कायवाही में अधिक दिलचस्पी ली। जब अभियोग समाप्त पर आ गया तो उसने कहा

“मेरे लिए यह अत्यन्त पावन दिवस है माता मुझे इसलिए बुला रही है कि मैं सदा के लिए उसके वक्ष पर विश्राम करूँ अतएव मैं जाना चाहता हूँ। पिछले वर्ष के आरम्भ में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि टैगाट नामक एक योरोपियन ने भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में समस्त विश्व में घूम कर जानकारी एकत्रित की है और वह भारत इस उद्देश्य से वापस आ रहा है कि भारत को स्वतंत्र करने के हमारे प्रयत्नों में अडचन डाले। मैं हमारे स्वतंत्रता आन्दोलन में अडचन डालने के प्रश्न पर गहराई से सोचने लगा। जबकि मैं इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित कर सोच रहा था तो मुझे अनुभव हुआ कि मेरा मस्तिष्क गरम हो गया। मैं रात्रि को न तो सो सकता था और न खा ही सकता था और रात्रि की अपने मकान की छत पर टहलता था।

“जब मेरी ऐसी दशा थी तो मैंने माँ की पुकार सुनी वह यह थी “उसना पीछा करो” तब से मैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगा। उसके उपरांत इस मामले पर मैं बहुत गहराई से चिन्तन करने लगा। जबकि मैं चिन्तन कर रहा था तो माँ की आवाज आई ‘उसे इस पृथ्वी पर से उठा दो।’

जहां तक उस निर्दोष साहब का प्रश्न है जिसे मैंने मार दिया मुझे अत्यन्त खेद है। क्योंकि कोई साहब है इसीलिए मैं उसे अपना शत्रु नहीं मानता” २६ फरवरी १९२६ को फसला सुना दिया गया अभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया गया। गोपीनाथ ने अत्यन्त घात हीकर न्याय को सुना, वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ।

न्यायालय के वक्ष में जो उसने अंतिम शब्द कहे वे यह थे “मेरे शिर की प्रत्येक बूंद भारत के प्रत्येक घर में स्वतंत्रता के बीज बोये” धामे उसने कहा “जब तक

जलियाँवाला बाग चादपुर इत्यादि जैसे निदयतापूर्ण दमन होते रहेंगे वही स्थिति बनी रहेगी। एक समय भावेगा जबकि सरकार उसके परिणामों का अनुभव करेगी।'

जिस दिन गोपीनाथ को प्राण दंड की सजा हुई और जिस दिन उसको फांसी दी गई उस समय के बीच उसका वजन पांच पौंड बढ़ गया। उसने अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में सदैव उदासीन मनोवृत्ति बनाए रखी, मानो कोई असाधारण बात घटित ना हुई है। उसको लोगो ने सदय प्रसन्न चित्त देखा वह जेल की कोठरी में प्रसन्नतापूर्वक जीवन बिता रहा था और नियमित रूप से स्वाद के साथ भोजन करता था। जिस दिन उसको फांसी लगी उसके पिछली रात्रि को वह अत्यंत गहरी नींद में सोया।

प्रेसीडेंसी जेल में एक माच १९२४ को वह उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ फांसी लगनी थी। वह फांसी के तख्ते पर बिना किसी का सहारा लिए खड गया। वह निरन्तर मुस्करा रहा था और देवी देवताओं का नाम जप रहा था। ६ बजे प्रातः काल स्त्रियों के बाड के समीप बाहरी दीवार के समीप ही उसका दाह संस्कार हुआ।

उसने जो अंतिम पत्र अपनी माता को लिखा उसमें उसने अपनी मां से प्रार्थना की थी कि वह स्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करे कि प्रत्येक भारतीय माता उसके जैसे पुत्र को जन्म दे और प्रत्येक भारतीय गृह उसकी मां जैसी माता से पवित्र बने।

### मदरास एजेंसी विद्रोह (१९२४)

आदिवासियों के स्थानीय कष्टों तथा शिकायतों को दूर करवाने से आरम्भ तथा राजकीय अधिकारियों द्वारा निघन, अधिक्षित तथा विवश आदिवासियों के प्रश्न को लेकर जिनका कोई मित्र और सहायक नहीं था 'अल्लूरी सीताराम राजू' जो कि राजू के नाम से प्रसिद्ध था ही आदिवासी एजेंसी क्षेत्र में शासन अधिकारियों के लिए चिन्ता और परेशानी का एक प्रमुख कारण बन गया।

अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में राजू अध्ययन की ओर अधिक ध्यान न देकर धार्मिक कृत्यों तथा घम चर्चा की ओर अधिक ध्यान देता था। वह अपना अधिक समय समाज सेवा के कार्य को करने में लगाता था लोगों को वह यह उपदेश देता कि उन्हें अपने पड़ोसियों से तथा मनुष्य मात्र से मित्रतापूर्वक और शान्तिपूर्वक रहना चाहिए।

एक बार वह अपने सेवा कार्य के सिलसिले में जो बहुत कुछ सत्याग्रह आन्दोलन के सहस्य लगते थे गिरफ्तार कर लिए गए। उनको सत्याग्रह आन्दोलन से बहुत सी बातों में कोई विशेष लगाव नहीं था न वे उसके बड़े भक्त थे परन्तु उनको गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु १९२२ में उन पर बिना अभियोग चलाए ही उनको छोड़ दिया गया।

अपने स्कूल जीवन में जो उन्होंने अध्ययन की ओर उदासीनता बरती थी उस कमी को उन्होंने स्कूल के बाहर निकल कर पूरा किया और उन्होंने सस्त्रुत और अग्रणी मापाओं का ऊँचा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब उन्होंने यह अनुभव कर लिया कि शान्तिपूर्वक अहिंसारमक उपाय से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता अहिंसारमक उपाय पर्याप्त नहीं है तो क्रमशः वे अहिंसक विद्रोह करने की ओर झुकते गए। अब उन्होंने स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए गाँवों में ग्राम सभाएँ की स्थापना तथा मद्यपान के दुगुण को आदिवासियों से दूर करने में और

स्वराज्य प्राप्ति के लिए अपनी शक्ति लगाना प्रारम्भ की। वे अहिंसावादी नहीं थे। उनके लिए यह सैद्धांतिक अनिवायता नहीं थी कि स्वतंत्रता का युद्ध अहिंसात्मक उपार्यों से ही लड़ा जाये।

यह स्वामाविक ही था कि सरकार उनकी बायबाहियों के प्रति सघक हो गई और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जाने लगी। उसी बीच राजू ने गजाम, विजगापट्टम और गोदावरी के पहाड़ी और मलेरिया से ग्रस्त एजेंसी द्विबीजन के जिलों के पवतीय लोगों तथा आदिवासियों में अपने सेवा काय के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ा लिया और उनका समयन प्राप्त कर लिया। नवम्बर १९२० में इन क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्र से अलग करके एक पृथक जिला एजेंसी द्विबीजन बना दिया गया जिससे कि जिन क्षेत्रों में आसानी से पहुँचा जा सकता था उनको अधिक नियंत्रण में लाया जा सके और उनका विकास किया जा सके।

अल्पकाल में ही राजू एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में उस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए और सब साधारण उन्हें अर्द्धा और आदर की दृष्टि से देखने लगा। लोग ऐसा मानने लगे कि सब साधारण के हितों के लिए ही अपना जीवन खपा रहे हैं। धीरे धीरे उनका नाम दक्षिण भारत के प्रत्येक घर और झोपड़े में फैल गया। अल्पकाल में ही लोग उनकी और अधिकाधिक आकर्षित होते गए। उन्होंने उन स्थान के सब मैजिस्ट्रेट तथा उनके पिट्टुओं के कुटुंबों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पवतीय लोग उनके आचार्यों से दुखी थे अतएव श्री राजू ने उनके कष्टों को दूर करने के लिए सघप प्रारम्भ कर दिया।

इस प्रकार राजू का उस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता गया और उस आदिवासी क्षेत्र के सरल स्वभाव के जो पुरुष उन्हें दैवी शक्ति सम्पन्न मानने लगे। अपने निज के अति कृपा से लेकर एजेंसी क्षेत्र तक राजू का प्रभाव असीमित था। उसका प्रभाव उस समय अरम सीमा पर पहुँच चुका था। अब वह पुलिस थानों पर आक्रमण करने की तैयारियाँ करने लगे। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में पवतीय लोगों को इकट्ठा कर लिया। वे सब के सब अशिक्षित थे और किसी बड़े काय अथवा घटना के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। राजू को इस बात की चिंता और खोज थी कि उनको कुछ योग्य व्यक्ति मिलें जो उनके सहायक के रूप में कार्य कर सकें। उन्हें धीरे धीरे दो प्रमुख व्यक्ति 'गाम मालू डोरे' और 'गाम गौतम डोरे' जो गाम बंधु के नाम से उस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे सहायक के रूप में मिल गए। वे दोनों ताल्लुके के सरकारी अधिकारियों और विशेषकर सरकार की वन संरक्षण नीति से घोर असंतुष्ट थे। दोनों भाईयों ने इस बात पर राजू को पूरी सहायता और समयन देने का वचन दिया कि वह सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर देगा।

राजू ने इस बात को स्वीकार कर लिया उसका परिणाम यह हुआ कि गाम-बंधु जो पवतीय लोगों में बहुत अधिक प्रभावशाली थे उनके राजू के साथ आ जाने से राजू की शक्ति और अधिक बढ़ गयी।

आगे घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि एजेंसी विद्रोह में इन दोनों का अत्यन्त महत्वपूर्ण और बड़ा भाग रहा था। अभी तक विद्रोह की तैयारियाँ पूरी तरह परिपक्व नहीं हो पाई थीं कि जिला अधिकारियों ने राजू की गतिविधियों पर अति ध्यान देकर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। १९२० के प्रारम्भिक दिनों में रम्या एजेंसी के

असिस्टेंट कमिश्नर ने राजू को कृष्णा देवी पेटा से हटाकर पेड़ी पुत्ता भेज दिया जहाँ उन्हें कुछ भूमि खेती करने तथा शांतिपूर्वक रहने के लिए दे दी गई।

यहाँ रह कर राजू ने असिस्टेंट कमिश्नर को प्रभावित कर लिया, वह राजू पर विश्वास करने लगा। २६ जुलाई १९२२ को राजू ने असिस्टेंट कमिश्नर से नेपाल भ्रमण के लिए उस पर अपने प्रभाव के कारण पास पोस्ट प्राप्त कर लिया। ४ अगस्त १९२२ को उसे पेड़ी पुत्ता से प्रस्थान करने की आज्ञा मिल गई। परंतु वह नेपाल न जाकर गुदेम एजेंसी अपनी पुत्र योजना को काय रूप में परिणित करने के लिए वापिस लौट आया। मदराम के प्रथम फिंतूयरी विद्रोह में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था कि राजू के नेतृत्व में विद्रोही इस बात का बहुत ध्यान और सावधानी रखते थे कि गाँव के लोगों तथा स्थानीय अधिकारियों को नाराज न किया जावे। यह स्पष्ट था कि इस बात की सावधानी बरती जाती थी कि लोगों को धारीरिक कष्ट न पहुँचाया जावे। यहाँ तक कि जो लोग विद्रोहियों के साथ विद्रोह में सम्मिलित होने से इनकार कर देते थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। जिन पुलिस अधिकारियों और पुलिस मैनों को गिरफ्तार किया जाता था उनके साथ भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था।

जब तक कि राजू और उसके भादमियों से पुलिस से लिगा पुरम पर सघप नहीं हुआ था तब तक स्थिति यही थी। उसके उपरांत ग्रामवासियों को डराया और धमकाया जाने लगा और जो भी पुलिस और मैजिस्ट्रेट भादि बफसर पकड़े जाते उनको पीटा जाता था।

जैसे जैसे राजू की शक्ति बढ़ती गई वह पुलिस वालों पर अधिकाधिक आक्रमण करने लगा और सरकारी अधिकारियों को सब तरह आतंकित और परेशान करने लगा। राजू राम्या में उपस्थित था जो घने जंगलों से भरा हुआ प्रदेश था। राजू ने छिपने के लिए उस स्थान को इस कारण चुना था क्योंकि वहाँ गुप्त रूप से रहने के लिए बहुत सी सुविधाएँ थी। वहाँ घाटो के समानांतर पर्वत श्रेणियाँ खड़ी थीं इस कारण जब पुलिस दल आता तो समीपवर्ती घाटियों में रहने वाले राजू के अनुयायी और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोग उसे देख लेते और राजू को सावधान कर देते। दूसरी बड़ी सुविधा वहाँ यह थी कि मैदान में रहने वाली आक्रमणकारी पुलिस उन लोगों के विरुद्ध कुछ कारवाही करने में असमर्थ थी कि जो पहाड़ी श्रेणियों के पीछे छिपे हुए थे।

राजू और उसके अनुयायियों तथा सशस्त्र पुलिस के बीच कई बार जम कर लड़ाई हुई। पुलिस की सहायता के लिए सेना बुलाई गई। ६ मई १९२४ को राजू का आसाम राइफल्स से रेवेल्सू पर जो युद्ध हुआ वह राजू और उसके अनुयायियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आसाम राइफल्स की एक पूरी टुकड़ी ने राजू पर आक्रमण किया। आसाम राइफल्स के ३७० सैनिक घायल होकर बेकार हो गए। विद्रोहियों के १२ व्यक्ति स्थल पर ही मारे गए। युद्ध में मारे जाने वालों में स्वयं फिंतूयरी नेता मल्लूरी सीताराम राजू भी थे।

इस प्रकार एक ऐसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी व्यक्तित्व का अन्त हो गया जिसने कम से कम पाँच वर्ष निरंतर सरकार को तनिक भी धन नहीं लेने दी वह अत्यंत ममणीत और आतंकित रही।

राजू कई बार बास बास पकड़े जाते थे बचा। सरकार ने जो उसके विर

पर बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा कर रखी थी, वह व्यय रहा उसका कारण यह था कि उसके अनुयायियों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस घृणित लोभ के बशीरूत होकर अपने नेता के साथ विश्वासघात करता।

जो युद्ध सीताराम राजू ने आरम्भ किया था वह उनकी मृत्यु के उपरान्त भी समाप्त नहीं हुआ। उस युद्ध को राजू के अत्यन्त विद्वत्तनीय सहायक गौतम डोरे ने जारी रखा।

राजू की मृत्यु के उपरान्त जहाँ तक एजेंसी-फितूरयी विद्रोह का संबंध था गौतम तथा दल के अन्य सदस्यों की गतिविधियाँ तथा कायवाहियाँ एक मास के लिए बिल्कुल बंद हो गईं। ७ जून १९२४ को कृष्णा देवीपठ पुलिस का एक गश्त लगाने वाला दल जो फितूरयी विद्रोहियों की सम्भावित छिपने के स्थानों की खोज कर रहा था अपने वेकादरा के शिविर के पास यदुमुर्दा नामक गाँव के पास एक गहरे खड्ड के भीप पहुँचा। पुलिस के गश्त लगाने वाले दल ने अपने को तीन टुकड़ियों में बाँट लिया और उन्होंने उस क्षेत्र के आस पास सभी स्थानों की बारीकी से खोज आरम्भ कर दी। पुलिस की एक टुकड़ी ने विद्रोहियों के एक दल को जिसमें सात बाठ व्यक्ति थे खोज निकाला किंतु जब तक कि खोज करने वाला दल भली प्रकार उस विद्रोही दल की पहचान कर सकता विद्रोही भाग खड़े हुए। तुरन्त ही पुलिस ने गोली चलाना आरम्भ कर दी और पुलिस की अन्य दोनों टुकड़ियाँ भी घटना-स्थल पर पहुँच गईं और गोली चलाने लगीं।

विद्रोहियों की इस अंतिम बची हुई टुकड़ी में स्वयं गौतम डोरे भी था। उस असमान युद्ध में रहने अपनी अनुपम वीरता प्रदर्शित की, उसने पुलिस की गोली का उत्तर दिया दोनों ओर से गोली चलने लगीं। दुर्भाग्यवश गौतम डोरे और उसके दूसरे साथी घातक रूप से घायल हो गए। ७ जून १९२४ को राजू के अत्यंत योग्य सहायक गौतम डोरे की मृत्यु से एजेंसी विद्रोह को गहरा घक्का लगा।

विद्रोह का दीपक फिर भी कुछ देर तक और धीमी रोशनी से दमकता रहा मालूम डोरे अंतिम बचा हुआ विद्रोहियों का नेता था। वह राजू का दाहिना हाथ माना जाता था और लोगों की ऐसी मान्यता थी कि विद्रोह खड़ा करने में उसका प्रमुख हाथ था। लगभग पुलिस की बीस रिपोर्टों में उसका नाम आया था और इस बात की प्रचुर साक्षी उपलब्ध थी कि विद्रोह के प्रथम दिवस के उस दिन तक कि जब वह गिरफ्तार हुआ, वह विद्रोही दल का सर्वाधिक कायशील साधन सम्पन्न और सतर्नाक नेता माना जाता था।

वह गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद उसका अभियोग चला उसको १६ जून १९२४ को मृत्यु दण्ड दिया गया और फाँसी के तख्ते पर उसके जीवन का अंत हो गया।

बहुतों में से एक

२५ मई १९२४ को जब प्रफुल्ल कुमार राय पुलिस यानेदार जब पल्टन प्राकट में गश्त लगा रहा था तो ठीक घाघी रात्रि के बाद किसी अज्ञात आक्रमण करने वाले व्यक्ति ने उस पर गोली चलाई।

प्रफुल्ल कुमार राय पीटागाँव गूटिंग अभियोग का इजाज था जिसमें सूबे के दो अन्य योग्य साथियों के साथ अभियुक्त था। उस सब इस्पन्टर (कानेवार) ने

चीटा गाव डकती त्रिभुवन की भी जांच पड़ताल की थी जिसमें आसाम बंगाल रेलवे का सत्रह हजार रुपया लूट लिया गया था। प्रफुल्ल को तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी डाक्टरों जांच के पश्चात उसको ठाना अधिक कुशल सर्जरी की सहायता के लिए ले जाना आवश्यक समझा गया। योग्य चिकित्सकों की देखभाल में वह ठाका को ले जाया जा रहा था कि लक्ष्मण नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई और उसके शव को पुनः चीटागाव दाह संस्कार के लिए वापस लाया गया। गोली मारने वाला बच कर निकल गया उसका कोई पता नहीं लग सका।

### बिना नाम के (१९२५)

प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के पूर्व एक तछण हृषीकेश लट्टा भारत से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूफी अम्नाप्रसाद के साथ परगिया गया। बलिन कमेटी के नियंत्रण पर लट्टा जर्मनी गया और वहाँ से केदारनाथ केरसरूप के साथ वापस परगिया (ईरान) आया। भारत में विद्रोह करने तथा विदेशी शक्तियों से उस विद्रोह के लिए सहायता प्राप्त करने के प्रयत्नों में वह लगा रहा। अपनी जन्म भूमि से दूर निर्वासित होकर वह १९२५ में वहीं मर गया (सदम डाक्टर बी एन दत्त—अप्रकाशित स्वाधीनता संग्राम के राजनीतिक इतिहास पृष्ठ १७८-७९)

### दुखद सम्बन्धन (१९२५)

एक अभागा युवक अम्बिका खा कलकत्ता तथा उसके समीप के क्रांतिकारी कायवर्तियों की आतंरिक परिधि में प्रवेश कर गया इस कारण पुलिस उसको शका की दृष्टि से देखने लगी। बाद को अपने अविवेकपूर्ण दुसमिल व्यवहार के कारण उसने अपने साथियों का भी विश्वास खो दिया। १९२४ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में ठूस दिया गया। अलीपुर सेंट्रल जेल में उसे नजरबंद कर दिया गया। उसके साथ के बँदियों ने देखा कि वह क्रमशः उदास और दुखी रहने लगा। सम्भवतया उसके हृदय और मस्तिष्क में जो अन्तर द्वंद्व चल रहा था उसी कारण वह दुखी और उदास था। १९२५ के आरम्भ में एक दिन उसने जेल के अन्दर अपने बखों को मिट्टी के तेल से भिगे कर उनमें आग लगा ली। उसका परिणाम यह हुआ कि वह दुखी तरह जल गया और इस प्रकार उसने अपनी अशान्त आत्मा को शान्ति पहुँचाई।

### बम्बर अकाली दल (१९२५)

जलियावाला बाग हत्याकांड के कारण समस्त देश क्षुब्ध हो उठा था। यह स्वाभाविक था कि उसके कारण लोगों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध घोर कटुता और क्षोभ उत्पन्न हो। उस क्षोभ और कटुता के परिणाम स्वरूप पंजाबियों के एक दल ने जलियावाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध स्वरूप सरकार के विरुद्ध सपासत्र विद्रोह खड़ा करने की बात सोची।

इस उद्देश्य से एक सगठन खड़ा करने का विचार सब प्रथम जालधर के श्री कृष्ण सिंह गढ़गात्र के मस्तिष्क में आया। सगठन को मूल रूप देने में आरम्भ में ही किशन सिंह के साथ होशियारपुर के घन्ना सिंह थे। यह सगठन बम्बर अकाली दल अथवा चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किशन के पीछे सैनिक प्रशिक्षण की पृष्ठभूमि थी क्योंकि वह २३५ सिक्ख रबीमट में हवलदार रह चुका था। किशन सिंह इस क्रांतिकारी दल का केवल मस्तिष्क ही नहीं था वरन् सगठन को चलाने तथा उसकी कायशील बनाने में मुख्य प्रेरक और उसकी आत्मा था। वह अत्यंत दुस्साहसी

व्यक्ति या और कभी कभी अपने उत्साह में सतकता और सावधानी को तिलांजलि दे दे देता था। वह अत्यन्त उत्तेजक भाषण देता था अपने अग्निमय भाषणों में वह देश के प्रशासन को कठोर भालोचना करना और लोगों को बलपूर्वक उसे उखाड़ फेंकने के लिए प्रोत्साहित करता था। दिसम्बर १९२२ में "बम्बर भकाली दोआबा" नामक पत्र निकाल कर उसको मुफ्त सब साधारण में बाटना सगठन का एक प्रमुख काय था।

धीम्र ही किसान सिंह और उनके साथियों ने दल की समस्त पंजाब में शाखाएँ स्थापित कर दीं। उनका मुख्य केंद्र जालपर था। 'बम्बर भकाली दल' के सदस्य अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अन्न शाल और गोली बारूद इकट्ठा करने लगे। दल के अनुशासन का कठोरता से पालन किया जाता था और समय समय पर खुल्लम खुल्ला हिंसा के काय किए जाते थे। यह हिंसा के काय अप्रेजों के आतुकारों और सरकार परस्त लोगों के विरुद्ध होते थे। इन लोगों को उन्होंने "झोली हुकम" का नाम दिया था। 'बम्बर भकाली दल' के सदस्यों ने ऐसे अनेक सरकार परस्त देश द्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया।

अब पुलिस चौकरी हो गई और इन लोगों के नाम गिरफ्तारी के वारंट निकाले गए। उसका परिणाम यह हुआ कि किसान सिंह के कुछ विश्वसनीय व्यक्ति पकड़ लिए गए और जेल में ठूँस दिए गए। किसान सिंह बच कर निकल गए और बड़ा से दूट कर उन्होंने अपना काय क्षेत्र दोआबा बना लिया, जहाँ उन्हें अपने विचार वाले कुछ नवयुवक मिल गए। उन लोगों के मिल जाये से उनकी शक्ति बढ गई और उन्होंने सुदूर गाँवों की सूची इस उद्देश्य से बनाई कि वह अधिक बड़ी सख्या में लोगों से सम्पर्क स्थापित कर सकें। अब दल का प्रभाव बहुत बड़े क्षेत्र में जनता पर बहुत अधिक बढ गया वे छिपे भ्रयवा खुले रूप में उन क्रान्तिकारियों से सहानुभूति रखते थे जो कि एक अत्यन्त साहसी और जोखिम भरे काय में रत थे।

कुछ सरकार परस्त लोगों के मारे जाने के उपरांत पुलिस ने इन क्रान्तिकारियों को पकड़ने के अपने प्रयत्न को और अधिक तेज कर दिया दल को उन्होंने तनिक भी आराम नहीं करने दिया। एक सितम्बर १९२३ को क्रान्तिकारियों का एक दल जिसमें करम सिंह उदधसिंह, बिशन सिंह और महेन्द्र सिंह थे वे कपूरथला रियासत में बोमेली नामक स्थान के पास से जा रहे थे जबकि उनको पुलिस और सेना ने चाने और से घेर लिया और निकलने के सब रास्ते बंद कर दिए। दोनों और से गोली चलने लगी और उस असमान युद्ध में क्रान्तिकारी दल के सभी सदस्य युद्ध करते हुए मारे गए। कुछ पुलिस के सिपाही भी मारे गए।

होशियारपुर के घनासिंह जो कि किसानसिंह के दाहिने हाथ थे उन्होंने अपने कार्य से यह सिद्ध कर दिया कि वे समस्त जीवन जेल में बंद रहने की अपेक्षा एक वीर की मृत्यु भरना पसंद करते थे। उनके दल का एक विश्वासघाती सदस्य जो कि पुलिस से मिला हुआ था उन्हें धोखा देकर मनहूना गाँव ले गया जहाँ उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बहुत बड़ी सख्या में मौजूद थी। पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनके दोनों हाथ पुलिस मैना ने मजबूती से पकड़ लिए। पर तु मुक्ति से वे अपने एक पकड़ने वाले से जोर के साथ टकरा गए उसका परिणाम यह हुआ कि बम जो उनके वस्त्रों में छिपा हुआ था फट गया और वह स्वयं तथा उनको गिरफ्तार करने वाले पाँच सिपाही तथा पुलिस दल का एक उच्च कोरीपियन



अधिकारी घटना स्थल पर डी मर गए ।

यह दुर्भाग्य की बात थी कि दल में सदस्यों की भर्ती करने में शीघ्रता करने के कारण जातिवारी दल के नेता प्रत्येक व्यक्ति के चुनाव में यथेष्ट, सावधानी नहीं बरत पाते थे और बिना पूरी ध्यानबीन किए ही उन्हें दल में भर्ती कर लेते थे । दल में कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि सरकार द्वारा दिए गए । लाभ के शीघ्र विचार हो जाते थे । ऐसे एक सदस्य ने ज्वाला सिंह बनता सिंह और यरियाम सिंह को अपने मकान में धरण देकर पुलिस को सूचित कर दिया । १२ दिसम्बर १९२३ को तीनों को पुलिस के दल से युद्ध करना पड़ा जिसमें ज्वाला सिंह और बनता सिंह मारे गए । धेराम सिंह किसी प्रकार वहां से निकल गया और बड़ी कठिनाई से वह लायलपुर पहुंचा जहां ८ जून १९१४ को पुलिस द्वारा फँसाए हुए जाल में वह फस गया । गिरफ्तारी से मृत्यु को उसने पसंद किया और सिंह की भांति वीरतापूर्वक युद्ध कर वह वीर गति को प्राप्त हो गया ।

सरकार ने उन सभी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया जिन पर दल से सम्बंधित होने का तनिक् भी संदेह था और बम्बर अकाली दल के ६१ सदस्यों के विरुद्ध एक बड़ा पडयत्र का अभियोग चलाने की तयारी कर ली । प्रारम्भिक सामान्य जाच के उपरान्त ४ अप्रैल १९२४ को अभियोग सेशन संपुष्ट कर दिया गया । २ जून १९२४ को अभियुक्तों पर यह आरोप लगाए गए कि उनके पास धायात किये हुए एक गोली बारूद तथा सनिक स्टोर इस रूप में उपलब्ध हुआ जिसमें पता चलता था कि उनकी इच्छा यह थी कि यह बात किसी भी सरकारी राज कर्मचारी को विदित न हो । वे बिना लाईसेंस के धात्र शस्त्र लेकर चलते थे उन्होंने हत्याएँ की और हत्या करने के प्रयत्न किए लोगों को सम्भोर रूप से धायल किया, उन्होंने डकतियाँ डालीं और १९२१ के अंत में जालपर के पूर्वी भाग में उहाने यह सब विधान सिंह के साथ पडयत्र में शामिल होने के परिणामस्वरूप किया । इसके अतिरिक्त उन पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने आराजकता फैलाने वाले भाषण दिए लोगों को धमकी और चेतावनी दी कि वे सरकार को उनकी गतिविधियों के सम्बंध में कोई भी जानकारी देकर सहायता न करें । अपने भाषणों के द्वारा उन्होंने सरकार के विरुद्ध सब साधारण में इस सद्दृश्य से अक्षतोप उत्पन्न करने की चेष्टा की कि यहाँ विद्रोह भडक उठे और ब्रिटिश सरकार को पजाब से निकाला जा सके ।

अभियोग एक वर्ष तक चलता रहा प्रारम्भिक जाच से फसला सुनाने तक एक वर्ष लगा उस काल में तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो गई और वे सभी प्रकार के दण्ड मृत्यु दण्ड अथवा अन्य प्रकार के दण्ड से बच गए ।

मुख्य बम्बर अकाली अभियोग में २८ फरवरी १९२५ को ५४ अभियुक्तों को न्यायालय में दोषी पाया । उनमें से पाच को मृत्यु दण्ड और ग्यारह को आजीवन काले पानी की सजा दी गई । जिन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया वे यह थे —

- (१) किशन मिश्र को न्यायालय ने सगठन का मुख्य नेता घोषित किया ।
- (२) करम सिंह (३) न दन सिंह को घुरियाम के सूवेदार सिंह को हत्या करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया । (४) सत्ता सिंह पडयत्रकारियों में एक प्रमुख पडयत्रकारी था । अकेले ही उसने कई हत्याएँ की थी और इसके अतिरिक्त उसने डकतियाँ और सूटपाट भी की थी । (५) दिलीप सिंह जो केवल अठारह वर्ष का

बासक या उसको हत्याओं तथा भय भयरायों का दोषी पाया गया ।

उच्च न्यायालय में उन पाँचों के प्रतिरिक्त एक प्राचीन काले पानी के अभियुक्त की ओर से अपील की गई । एक जुलाई १९२६ को उच्च न्यायालय ने अपील प्रतीकार करदी और धरम सिंह की सजा को बढ़ाकर मृत्यु दण्ड में बदल दिया ।

उन सभी को २७ फरवरी १९२६ को फाँसी दे दी गई ।

सर्वोत्कृष्ट वार ( १९२६ )

यह पदाज लगा रहना बहुत कठिन होता है कि प्रातिकारी भावना प्रकट क्या रूप धारण करेगी । वह अत्यन्त अप्रत्याशित ढंग से अपने को प्रकट करने के उपयुक्त अवसर की खोज करती रहती है । कतिपय तरण बम अन्य घातक बनाने के लिए धातु रसायनिक द्रव्य संचित करते हैं । उन्हें केवल इतना ही ज्ञात था कि उनका उपयोग उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए होगा । उन्हें यह पता नहीं था कि किस पर और कहाँ उनका उपयोग किया जावेगा । काकोरी अभियोग जांच में पड़ताल के समय पुलिस को उस पहयत्र की कुछ गंध मिली और उन्होंने १० नवम्बर १९२५ को बरनागोर दक्षिण नेश्वर की बाधस्पतिघारा लेन के एक मकान की तलाशी ली । जो नवम्बर यहाँ मिले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उस घर में एक जीवित बम एक वलिव ६ चैम्बर का पूर्ण तरह कारतूसों से भरा रिवाल्वर एक मजिल लोड्रिंग हाथ पिरतोल, बड़ी सत्या में कारतूस, बहुत बड़ी मात्रा में बारूद गोलियाँ नाइट्रिक तथा सलफ्यूरिक एसिड की कई बोतलें ग्लास ट्यूब, तथा बटरिया इत्यादि मिले । वारतय में यह गुप्त स्थान बम और विस्फोटक पदार्थ बनाने की फैक्टरी था । यहाँ कई प्रलेख तथा कागज पत्र मिले ।

एक प्रलेख में लिखा था । "वर्तमान में इस प्रयत्न का उद्देश्य यह है कि प्रातिकारियों के हाथों में ऐसे घातक जो कि अत्यन्त विस्फोटक तथा घातक हो देना—इसके लिए सबसे सरल तथा शीघ्रतम उपाय का चुनाव किया गया है तथा अत्यन्त क्षतिशाली तथा विध्वंसक सामग्री का उपयोग किया गया है ।

बंदी बनाए हुए ६ अभियुक्तों के विरुद्ध अलीपुर में २८ नवम्बर १९२५ को एक विशेष अदालत ट्रिब्यूनल (अदालत) के समक्ष अभियोग चलाया गया । १९२५ के बवाल क्रिमिनल ला एमेंडमेंट अधिनियम के अंतर्गत यह प्रथम विशेष ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया था । उनकी अपराधिक पहयत्र में सम्मिलित होने तथा भारतीय शास्त्र अधिनियम की धारा १६ (घ) और (फ) तथा विस्फोटक पदार्थों सम्बंधी अधिनियम की धारा (४) (ब) और इंडियन पेनल कोड की धारा १२ (ब) के अंतर्गत अपराध करने के आरोप लगाए गए । 'अभियुक्तों के पास विस्फोटक पदार्थों का निबलना दुर्भावना पूर्ण तथा पर कानूनी काय था और इससे यह सिद्ध होता था कि उनका उद्देश्य ब्रिटिश भारत में स्वयं अथवा उन विस्फोटक पदार्थों की सहायता से दूसरों के द्वारा कुछ मनुष्यों के जीवन को खतरा पदा करना तथा सम्पत्ति को हानि पहुँचाना था ।"

उस अभियोग में ६ जनवरी १९२६ को फैसला सुनाया गया जिसमें अन्तहरी मित्र, राजेन्द्रनाथ साहिरी तथा एक अन्य को दस वर्ष का देश से निर्वासन (काला पानी) तथा दोष को विभिन्न समर्थों के लिए कठोर कारावास का दण्ड दिया गया ।

जिस दिन दक्षिणेश्वर में गिरफ्तारियाँ हुईं । उसी दिन अर्थात् १० नवम्बर १९२५ को सायकाल के समय सोया बाजार स्ट्रीट के चार नम्बर वाले मकान की तलाशी में प्रमोद राजन-बीबरी और एक अन्य युवक गिरफ्तार किया गया । जो बस्तुएं बहुत

मिलीं उनमें बलजियम का बना हुआ पांच पम्बर का एक रिवाल्वर ४४ राऊड ० ४५० बोर के कारतूस तथा ३१ कारतूस ० ३१ बोर के मिले ।

वहाँ एग पर बहुत सा साहित्य बिखरा पड़ा था । उसमें अंग्रेजी की एक पाहुलिया थी जिसका शीपक था तम्बु भारत का निर्माण (Formation of young India) जिसको कई भागों में बाटा गया था । पुस्तक में अंतिम लक्ष्य के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा गया था " देग और मानवता की सेवा करना " कि तु तत्कालीन लक्ष्य " देश को स्वतंत्र बनाना था । " जहा तक साधनों का प्रश्न था सभी सम्भावित उपायों जिनमें सशस्त्र धाति भी सम्मिलित थी उनका उपयोग करना अभीष्ट था ।

उसके लिए नीचे लिखे उपादानों की आवश्यकता बतलाई गई थी (१) एक सगठन जिसमे (1) बलिदानों युवक तथा (11) सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति हो (२) भय सग्रह (२) अस्त्र शस्त्र तथा बिस्फोटक पदार्थों का सग्रह एक दूसरी पुस्तक जिसका शीपक था ' क्रांति कैसे हो ' (How to Rise) में बतलाया गया था कि भारत में क्रांति नीचे लिखे अनुसार आवेगी । (१) व्यक्तिगत प्रदर्शन द्वारा अर्थात् ऊँचे सरकारी अधिकारियों की हत्या करके सरकारी द्रव्य अस्त्र शस्त्र तथा गोली बारूद इत्यादि को लूट कर सरकारी सन्ध्याओं पुलों को नष्ट कर जेलों के फाटक तोड़कर तथा रेलों को नष्ट कर (२) एक ही समय बहुतों द्वारा प्रदर्शन करके (३) परिद्रोह जिसमें छापा मार युद्ध भी सम्मिलित है उसके द्वारा । (४) विद्रोह के द्वारा लखक ने इस बात का समर्थन किया था कि जो देश इंग्लड के शत्रु है उनसे संपक तथा घनिष्टता स्थापित करना जिससे कि आवश्यकता के समय इनसे सहायता मिल सके । प्रमोद रजत चौधरी तथा उनके मित्र २ जनवरी १९२६ को अलीपुर में एक विधेय अदालत (ट्रिब्यूनल) के समक्ष उपस्थित किए गए । उन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने गर कानूनी ढंग से धाम्प ऐक्ट बिस्फोटक पदार्थ अधिनियम इंडियन पेनल कोड के प्रावधानों के विरुद्ध अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने तथा उनका भ्रमण पास रखने का पड़यंत्र किया ।

यह माना गया कि सोवाबाजार का मकान दक्षिणेश्वर के मकान की सीमा चौकी थी । यह दक्षिणेश्वर के मकान को आगमियों तथा सामग्री भेजने के लिए आश्रय स्थान था । दोनों दलों के व्यक्ति समान उद्देश्य से काम कर रहे थे ।

१५ जनवरी २६२६ को अभियोग का फसला सुना दिया गया और दोनों अभि युक्तों को एक समान दंड अर्थात् पांच वर्षों का कठोर कारावास दिया गया ।

इस प्रकार फसला हो जाने पर जब दोनों अभियुक्तों को अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया और राज्य को बलिपत्र दंड निश्चय वाले युवकों तिनके लिए जीवन में देश की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि महत्व की वस्तु थी वे आलु ठन से राज्य की रक्षा कर ली गई तो नाटक का प्रथम भाग समाप्त हो गया ।

उसके उपरान्त इस नाटक का दूसरा अत्यन्त रोमांच उत्पन्न करने वाला अंक प्रारम्भ हुआ ।

भूपेंद्र नाथ चटर्जी स्पेशल सुपेरिण्डेंट पुलिस सी घाई डी , इनटेलीजंस ब्रांच कलकत्ता नियमित रूप से प्रतिदिन कार्यालय के बंद होने के उपरान्त अलीपुर सेंट्रल जेल में राज नीतिक बंदियों से मिलने और बातचीत करने स्टेट याड में धाया करता था । २८ मई १९२६ को उक्त पुलिस अधिकारी जेल के फाटक पर सायंकाल पांच बजकर बीस मिनट पर धाया और उसके उपरान्त स्टेट याड की ओर बढ़ा जो कि जेल के फाटक की ओर

जाने वाले माग के सिरे पर स्थित था जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। उस माग के पश्चिम की ओर मृत्यु दण्ड प्राप्त बंदियों की सँस थी जहाँ ये कदी रखे जाते थे जिन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया था। उसके दक्षिण में मार्ग के उची ओर 'हाजत' याड था जहाँ उन अभियुक्तों को रखा जाता था जिन पर अभियोग चल रहा होता था। माग के पूर्व की ओर बम याड था जहाँ दक्षिणेश्वर तथा उससे मिले जुले अभियोगों के अभियुक्त रखे गए थे। भूपेद्र स्टेट याड लगभग ३ ३० सायकाल पहुँचा और वहाँ पहुँची मजिल में जो मजदूर बाद कदी थे उनसे भाग घंटे तक बातचीत करता रहा। भाग घंटे बाद वह याड से घना, अभियोजन की सादी के अनुसार उस समय बम याड में दस अभियुक्त थे जबकि भूपेद्र उस माग से चलकर वहाँ पहुँचा। याड के बाहर की उन अभियुक्तों न पकड़ कर जमीन पर गिरा दिया। उस याड के फाटक की चाबी अभियुक्तों ने बाहर से बलपूर्वक छीन ली और चार अभियुक्त बाहर निकलकर भपटे और अग्य चार जमीन पर पड़े बाहर की दबाए रहे जिससे कि वह उठ न सके। विद्युत् वेग से उड़ान पुलिस अधिकारी पर लोह दण्ड तथा बम से आक्रमण कर दिया जो कि उ होने बाहर से छीन लिए थे। उसके सर में बाईं ओर पाव तथा दाहिनी ओर दो गम्भीर चोटें आई। खोपड़ी फट गई। लोहे की छद्म नाक में घुम गई और और उसने भेजे की फाड़ दिया। बाईं भाग की पुतली फट गई और भाग की सम्पूर्ण हड्डी टुकड़े टुकड़े होकर चूर हो गई वह बनपटी को फाड़ते हुए खोपड़ी में घुम गई। उसका ऊपर का जबड़ा टूट गया और चेहरा बुरी तरह से विवृत हो गया। भूपेद्र ८ ३० पर रात्रि को मर गया।

इस बाड में जिन लोगों ने भाग लिया था उनमें से दो ने इस कहानी को थोड़ी भिन्न रीति से बनलाया। भूपेद्र नाथ स्टेट याड से वापस लौट रहा था तो पड़मन करने वाले घटस्यो ने उस पर ध्यान रखा। एक ने बाड र से उसकी सेल के फाटक की खोल देवे के लिए कहा जिससे कि वह अपनी धोती जो पहली मजिल से आगन में नीचे गिर पड़ी थी उठा ले। ज से ही उसकी सेल का फाटक बाहर से खोला वह बाहर निकल आया और उसने पुलिस अफसर से 'हेटनी' कहा जो कि सेल से कुछ कदम आगे बढ़ गया था जहाँ बम के बंदी रहते थे और वह मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहा था। वह रुक गया और पीछे मुड़ा। तुरंत कभी उस पर दृष्ट पड़े उसके कोट के कालर को पकड़ लिया और उसको पर बहुत जोर का घूसा लगाया जिससे कि उसकी प्राणा के आगे अंधेरा छा गया।

बारदादर दौड़ कर उसकी सहायता के लिए आया वह चेतावनी की सीटी बजाना भूल गया। प्रमोद रजन लोह के डंडे की लेकर बाहर निजता जो कि दो फिट लम्बा और एक इंच मोटा था, जो गुप्त रूप से पहले से ही उपलब्ध कर लिया गया था। उसने बाडर को डराने के लिए उस लोह दण्ड को उठाया—बाडर भगभीत होकर घटना स्थल से तुरंत भाग गया। एक क्रुद्ध घोर की भाँति प्रमोद ने भूपेद्र पर कई प्रहार किए वह पहले ही प्रहार में लड खड़ा कर नीचे गिर गया उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो गया था। आताहरी जिसने बाडर का लकड़ी का डंडा छीन लिया था वह भी भूपेद्र पर प्रहार करने में सम्मिलित हो गया। भूपेद्र को बुरी तरह से घायल कर दिया गया। उसको मारने के लिए जितने प्रहारों की आवश्यकता थी उससे कहीं अधिक प्रहार उस पर किए गए। दल के प्रत्येक सदस्य ने उस योजना में उसके लिए जो भी निर्धारित काम था वह उसने बड़ी हीगवारी और दक्षता के साथ एक एक अनुशासित सैनिक की भाँति बिना किसी धक्कापिट के निश्चित होकर किया।

सतरे की वही बज उठी। घंटा बहुत तेजी से बज रहा था। उस कांड में जो भी क्रांतिकारी सम्मिलित थे चुप चाप निर्णय बासकों की भांति अपनी अपनी सेतों में बसे गए। उनके चेहरे पर ऐसी निर्णयता उद्भासित थी कि मानों उनकी सैल की दस मील दूरी पर भी कुछ नहीं हुआ हो। प्रमोद के हाथ शिथिल से सने हुए थे और सोह दण्ड जिससे भूषेन्द्र को मारा गया था उससे खून टपक रहा था। सोह के ढंढे को तथा हाथों को घोंसे से यह मालूम हो जाने का भय था कि भूषेन्द्र को बिसने मारा है। प्रमोद ने अपने साने की घाली में लाठे के ढंढे और हाथों को घोसा और उसको पी गया। यह जल की अपेक्षा शिथिल शक्ति था ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भीमसेन ने दुश्वासन को मार कर उसका शिथिल पान किया हो और शीघ्र ही के समान का प्रतिशोध लिया हो। एक दूसरे साथी ने सोह के ढंढे को लेकर बंदियों के कुदती के अराड़े के सिरे पर ऐसी सफलता पूर्वक गदूरा गाट दिया कि प्रथम दो प्रयास उसको ढूंड निकालने में असफल हो गए।

सत्र पुलित जेल के घंटर घुम आई और इससे पहले कि पुलिस बंदिया पर अत्याचार कर सकती जेल सुपरिंटेंडेंट ने हस्तक्षेप किया और समस्त पुलिस को जेल से बाहर निकल जाना पड़ा। पुलिस दल बंदियों पर प्रहार कर उनसे बदला से सक्ने में असफल हो जाने के कारण बहुत शक्ति ऋद्ध थी और दांत पीस रही थी। १५ जून १९२६ को उसी विधेय अदालत (ट्रिब्यूनल) के समस्त बम याद के दस बंदियों पर पुनः हत्या का अभियोग बना। अभियोग १८ जून को समाप्त हुआ और २१ जून १९२६ को फमला सुना दिया गया। फमले में अनांत हरि मित्र प्रमोद रजन चौधरी तथा एक अन्य को प्राण दंड दिया गया। बायों को विभिन्न समय के लिए कठोर कारावास का दंड दिया गया। उस फमले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की गई। २६ जुलाई १९२६ को अभियोग की उच्च न्यायालय के सामने सुनवाई आरम्भ हुई। ६ अगस्त १९२६ को फंसला हुआ। दो जजों की बंघ ने अनांत हरि के प्राण दण्ड की पुष्टि कर दी परंतु प्रमोद रजन के सम्बन्ध में उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया। उनमें से एक प्रमोद को आज न काला पानी की सजा देने के पक्ष में था। तीसरे व्यक्ति को छोड़ दिया गया। प्रमोद का मामला एक तीसरे जज को सौंपा गया। उसने २३ अगस्त १९२६ को उसके प्राण दण्ड की पुष्टि कर दी। अनांत हरि प्रमोद रजन चौधरी को फांसी दे दी गई उन दोनों की मृत्यु कई वर्षों में १९०८ में बनाईलास दत्त की मृत्यु के समान थी।

### काकोरी रेलवे ट्रेन की डकती (१९२५-२७)

उत्तर प्रदेश में जो बहुत सी क्रांतिकारी हलचलें हुईं उसमें काकोरी डकती निस्संदेह प्रमुख और सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी। विधेयकर इस दृष्टि से कि इस एक घटना में तीन नहीं चार मृत्युवात जीवन बलिदान हुए।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और बंगाल के कुछ युवक मातृभूमि के प्रति प्रेम के समान बंधन से एक सूत्र में बंध गए। विदेशियों को देश से सन्देश कर बाहर करने के लिए वे विचार विनिमय करने के लिए मिले। साहजहापुर के रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा कि अहिंसक सधय से कुछ होने वाला नहीं है देश को दासता से मुक्त करने के अर्थ साथियों को काम में लाना होगा। उस पद्यत्र में सम्मिलित होने वाले लगभग सभी क्रांतिकारी १९२४ के आरम्भ में रामप्रसाद बिस्मिल के मकान पर भावी कार्यक्रम बहिष्कृत करने के लिए मिले। उसके पश्चात् एक दूसरी मीटिंग में उन्होंने कार्यक्रम की

रूपरेखा निश्चित करली। उसमें से प्रथम ने अपना एक नया नाम रख लिया जिससे कि वे अपने संगठन में पुकारे जाते थे। उदाहरण के लिए 'नवाब' गगाराम किशोरिन्दर भादि भादि। दल के नेता रामप्रसाद बिस्मिल के चार नाम थे। अशफाक उल्ला 'कुवरजी' के नाम से प्रसिद्ध थे और बहुधा हिन्दू लिबास में रहते थे। रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उनके दल तथा उस दल के सदस्यों के साथ जिन पर मनपुरी पक्षपात के सम्बन्ध में मुकदमा चला था जिसे गैदालाल दीक्षित प्रमुख थे ने कई स्थानों पर कायवाहिया की। तेरगाड़, बिचपुरी, मनपुरी इत्यादि स्थानों पर जो डकैतियां पड़ीं उनमें रामप्रसाद बिस्मिल के दल ने प्रमुख रूप से भाग लिया था। ६ अगस्त १९२५ को लखनऊ जलघन से १४ मील की दूरी पर भालमनगर तथा काकोरी स्टेशनो के बीच एक पसेजर ट्रेन को खतरे की खोजी खोज कर कात्तिकारियों ने रोकना। उसी दिन घाठ बन्न कर तीस मिनट पर रात्रि को पुलिस म घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गई।

वह पता लगा कि जब काकोरी से ट्रेन लखनऊ के लिए रात्रि में सवा सात बजे चली तो चार व्यक्ति चसली हुई गाडी के ब्रेक-वान में घुस गए उन्होंने गाड से गाडी को रोकने के लिए कहा क्योंकि उनका अशवाब काकोरी स्टेशन पर छूट गया है। गाड गाडी रोकने से इनकार कर दिया। तुरन्त ही दो आक्रमण कारियो ने रिवाल्वर निकाल लिए और गाड को उन्होंने घाय दिया। उन्होंने जजीर खीच दी। जैसे ही गाडी रुकी सोलह आदमी ब्रेक वान में घुस आए और गाड के डिब्बे में से उस सडूक को ले गए जिसमें कैश (नवद रुपया था। उनमें से कुछ यात्रियों पर चौकसी रख रहे थे। एक सुरक्षा यात्री जिसने अपनी राइफल निकालने की कोशिश की उसको एक आक्रमणकारी ने गोली से मार दिया। एक दूसरे यात्री जिसने लिडकी से भाग कर देखना चाहा रिवाल्वर की गोली से अस्फी हो गया। एक योरोपियन यात्री जिसके पास राइफल थी उसका पैर जखमी हो गया क्योंकि वह उन आक्रमणकारियो पर आक्रमण करने के लिए ट्रेन से उतर रहा था। जिस समय कि ट्रेन लूटी जा रही थी उसी समय देहरादून मेल उस लूटी गाडी के पास आ गई, इस कारण धिक्क होकर आक्रमणकारियो को भागना पडा। ब्रेक वैन से जो खजाने के सडूक से जाए गए थे घटना स्थल से थोड़ी ही दूरी पर दूसरे दिन खाली कर दिए गए।

उत्तर प्रदेश में तथा अन्य स्थानों पर सगी सदेहास्पद व्यक्तियों को २५ दिसम्बर १९२५ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थानों पर हुई। काकोरी डकैती का सम्बन्ध बंगाल, सिन्धुपुग तथा अन्य स्थानों के कात्तिकारियो से जोड़ने के लिए भरसक प्रयत्न किए गए।

बकीरत व्यक्तियों पर जिनने रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र नाथ लाहिरी, और रोशनसिंह भी थे दिसम्बर १९२५ म अभियोग चलाया। प्रारम्भिक जाच के उपरान्त १६ अप्रैल १९२६ को अभियोग छेशन भेज दिया गया। एक मई १९२६ से अभियोग लखनऊ में छेशन की घदालत में चलना आरम्भ हुआ। पांच अभियुक्तों को छोड़ दिया गया केवल बीस पर मुकदमा चला कुछ फरार थे उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। काकोरी डकैती के प्रतिरिक्त अभियुक्तों को बमरोली की डकैती (२५ दिसम्बर १९२५) बिचपुरी डकैती (पोलीमीत जिला) (६ पाच १९२५) और डारकापुर डकैती (२४ मई १९२५) के लिए भी उत्तरदायी ठहराया।

बहुत लम्बे समय तक अभियोग चलता रहा क्योंकि रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन

सह, तथा राजेन्द्र नाथ लाहिरी ने खम्बे समय तक भूख हड़ताल रखी थी इस कारण अभियोग को रोकना पडा था। तीनों तस्खों को सेवान्-या-वालय से प्राण दंड की सजा दी गई और श्राय अभियुक्तों को विभिन्न समय के लिए कठोर कारावास दिया गया। ६ अप्रैल १९२६ को फसला सुनाया गया अभियुक्तों पर इंडियन पेनल कोड की १२१ अ, १२० ब, ३६६ और ३०२ धाराया के अंतर्गत अभियोग चलाया गया था। इसी बीच सितम्बर १९२६ में अशफाकउल्ला भी श्राय सायियों के साथ दरली में पकड़े गए और वहीं आरोपों के आधार पर उन पर भी एक पथक अभियोग चलाया गया। २२ अप्रैल १९२६ को सेवान में अभियोग आरम्भ हुआ। अशफाकउल्ला को कानून में अधिकतम दंड अर्थात् मृत्यु दंड की सजा दी गयी। बदियों को एक दूसरे से पथक कर दिया गया। रामप्रसाद बिस्मिल को एक श्राय के साथ गोरखपुर के जेल में रखा गया। रोशनसिंह को इलाहाबाद जेल में राजेन्द्रनाथ लाहिरी को गोंडा में और अशफाकउल्ला को फजाबाद जेल में रखा गया।

वायसराय को दया के लिए स्मृति पत्र दिया गया जिसे उसने १० अक्टूबर १९२७ को अस्वीकार कर दिया और बदियों को सूचना दे दी गई कि उनकी १२ अक्टूबर १९२७ को फांसी लगाने की तिथि निश्चित कर दी गई है। किंतु फांसी को इस कारण रोकना पडा क्योंकि अभियुक्तों ने प्रिवी काऊंसिल में अपील की जो कि नवम्बर १९२७ के अंतिम सप्ताह में सुनी गई। १२ दिसम्बर १९२७ को अपील अस्वीकृति हो गई और सभी जेलरों को अपील के परिणाम से सूचित कर दिया गया। (१) १७ अक्टूबर १९२७ को राजेन्द्रनाथ लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। (२) अशफाकउल्ला और (३) रामप्रसाद बिस्मिल को १६ दिसम्बर १९२७ को क्रमशः फजाबाद और गोरखपुर जेलों में फांसी दी गई।

२१ दिसम्बर १९२७ को अंतिम अभियुक्त (४) रोशनसिंह के नैनीताल जेल में फांसी के तहत पर अपने प्राण दिए। प्रत्येक युवक अभियुक्त ने मृत्यु के सामने भी अमृतपूर्व साहस प्रदर्शित किया। उनके अन्तर्गत तथा पत्र भावी पीढ़ी के लिए सग्रहणीय हैं जिन्हें अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी। गोंडा जेल से राजेन्द्रनाथ लाहिरी ने १३ दिसम्बर १९२७ को लिखा आज प्रातः काल जेल सुपरिटेण्डेंट से मुझे सूचित किया कि प्रिवी काऊंसिल ने मेरी अपील अस्वीकार कर दी, मेरी मृत्यु गोरखपुर होगी, क्रिपी को उड़के लिए खेद नहीं करना चाहिए। प्रायः सब भगवान से यह प्रार्थना कर कि मैं पुनः जन्म लू और अपना जीवन मातृभूमि की सेवा में पुनः अर्पित करूँ। राजेन्द्रनाथ लाहिरी अपने देशवासियों को उसके बधाव के लिए सभी सम्भावित उपाय करने के लिए प्रयत्न देना नहीं भूला।

राजेन्द्रनाथ लाहिरी के भाई ने जो कि लाहिरी की फांसी के दिन जेल में उपस्थित था। उसने जनता को बतलाया कि राजेन्द्रनाथ बहुत प्रसन्न बदन दिखलाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कि वह अपने इस मौलिक शरीर को एक नए तथा अधिक भव्य और गौरवशाली शरीर में परिणित कर रहा हो। उन्होंने प्राणदंड का सामना साहम पूरा ढंग और वीरता से किया। उनके मुख मंडल पर दिव्य आभा भलक रही थी। पिछली सारी रात वे भजन गाते रहे तथा भगवत गीता तथा उपनिषदों के श्लोकों का पाठ करते रहे। प्रातः काल ६:१५ तक यह क्रम चलता रहा। उसके उपरांत लाहिरी ढक कदमों से और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए बाहरों के

पीछे बले और फासी के तहने पर सीधे तन कर लड़े हुए और प्रसन्न मुद्रा में उन्होंने मृत्यु का सामना किया।

रामप्रसाद बिस्मिल ने जहाँ क्रांतिकारी जीवन में अद्भुत साहस और कार्य क्षमता का परिचय दिया था अपनी ममता मयी माँ को देखकर द्रवित हो उठा जो कि वह फासी होने के पहले अंतिम विदा देने आई थी। वह स्थावरित शोक था। रामप्रसाद इस विचार से विह्वल हो उठे कि उनकी ममता मयी माँ अपने पुत्र के वियोग से दुखी और व्याकुल रहेगी। माँ को अपने पुत्र की आँखों में अश्रु देखकर वह भ्रम हुआ कि वह फासी के भय से रो रहे हैं उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम ऐसे समय जब कि तुमको अपनी प्रसन्नता और साहस के साथ मृत्यु का सामना करना चाहिए तुम द्रवित हो उठाग। रामप्रसाद ने तुरंत ही उनकी भूल से भवगत करा दिया और उनके मुख मडल पर शोक के स्थान पर आत्म गौरव की आभा उद्भासित हो गई। रामप्रसाद ने अपने पिता को यह कह कर सात्त्वना दी कि एक पुरुष होकर और रामप्रसाद के पिता होने के नाते उहे रोना शोभा नहीं देता जब कि स्त्री होकर उनकी माँ ने अपने प्रिय पुत्र के वियोग के दृश्य दुःख पर साहस और वीरता के साथ विजय प्राप्त कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार रोजगारिह भ्रत तक अत्यन्त शांत और अविचलित रहे। उनके होठों ने जिस अंतिम शब्द का उच्चारण किया वह 'ब दे मातरम्' था। अशफाकउल्ला ने अद्भुत साहस और देश प्रेम का परिचय दिया। जो वकील उनके पक्ष की परवी कर रहे थे उन्होंने अपने मुखविकल के ध्यवहार और आचरण का जो परिचय दिया वह उहे क्रांतिकारियों में भी बहुत ऊँचा उठा देना है। सरकार ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखना कि यदि वे अपने क्रांतिकारी साथियों से अपने सम्बन्ध में और काकोरी कांड में उनका क्या भाग रहा उसके बारे में बयान दे दें तो उहे मुक्त कर दिया जायेगा। उन्होंने अपने साथियों के साथ विश्वासघात के मूल्य पर प्राण रक्षा करने के उस सरकारी प्रस्ताव को घणा के साथ अस्वीकार कर दिया। अभियोग का परिणतम पूरा विदित था। तीन को फासी की सजा दी जा चुकी थी उनके विरुद्ध और उनको दोषी सिद्ध करने के लिए और अधिक साक्षी जुटा ली गई थी इस कारण इस बात की किंचित मात्र भी आशा नहीं हो सकती थी कि उनकी गरदन को किसी भी प्रकार रक्षा हो सकती है। इस घृष्ट भूमि में जिस दिन अभियोग का फसला सुनाया जाने वाला था उस दिन अशफाकउल्ला ग्यायालय में अद्भुत प्रसन्न मुद्रा में आए थे हल्के पीले रंग की पोशाक पहने हुए थे, उनकी भावना में अत्यन्त शान्ति और तना हुआ शरीर तथा मिसले वाले दड के प्रति घोर उपेक्षा जो उहीने उस अवसर पर प्रदर्शित की वह उनके ऊँचे आत्मबल की सूचक थी।

अशफाकउल्ला को काकोरी और बिचपुरी कांडों में भाग लेने के अपराध में दो प्राण दंड दिए गए। अथ अपराधों के लिए विभिन्न काल के लिए कठोर कारावास दिया गया। जब फसला सुनाया गया तो अशफाकउल्ला के मित्र और सम्बन्धी शोकातुर हो उठे। उसके विपरीत अशफाकउल्ला ने कहा कि इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। केवल एक बात है जिसके बारे में मैं प्रसन्न नहीं हूँ। जेलर से कहा कि बंदी का बजन बहुत अधिक बढ़ गया है यहाँ तक कि इस सम्बन्ध में एक को छोड़ कर उसने सब रेकाड (मान दण्ड) ठाड दिए हैं। उस वृत्ति का बजन अशफाकउल्ला से भी ६ पाँड अधिक बढ़ा था। उसने जेलर को आश्वासन दिया था कि वेह किसी को



रेकार्ड को तोड़ने नहीं देगा। परन्तु खेद है कि उसको उस सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने से वंचित कर दिया जावेगा क्योंकि उसको फसला हो जाने के कारण उस जेल में रखा दिया जावेगा जिसमें फाँसी की सजा पाने वालों को रखा जाता है। यदि उसको 'ब' श्रेणी के राजन तिक कदियों के प्रति जसा व्यवहार होता है और जसा कि परिचय चलने के समय उसे प्राप्त था जीवन के दोष छोड़े दिनों में और मित्रों को वह इस सम्बन्ध में सबों के और सब समयों के रेकार्ड तोड़ सकता है। फजाबाद जेल में उसके एक मित्र उसके भाई और मतीजे से प्रतिम बार उससे साक्षात्कार करने की आज्ञा उसको मिली थी। उस प्रतिम साक्षात्कार में उसने अपने दोहातुर सिद्धते हुए सम्बन्धियों से कहा कि उन्हें उस पावन और गम्भीर घड़ी में जब कि अतीव प्रसन्न होने का अवसर है तनिक भी शोक करके उसके महत्व को नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का अपने लिए महान प्रतिष्ठा और गौरव की बात मानता हूँ कि मुझे अपने उन देशवासियों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिन पर मातृभूमि की स्वतंत्रता के सपने का उत्तरदायित्व है। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि उनका एक निकट सम्बन्धी भाई और चाचा मातृभूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहा है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हिन्दू समाज में कर्नाई और खुदी राम जैसे ऊँची आत्मा वाले वीर उत्पन्न हुए हैं। यह उनके लिए और भी विशेष गौरव की बात है कि सम्भवतः मुसलमानों में यह पहला व्यक्ति है कि जो उन अविनाशी प्रसिद्धि वाले शहीदों के शरण चिन्हों का अवलम्बन कर रहा है। यह अत्यन्त खेद और परवाताप की बात है कि इन वीर और साहसी युवकों ने अपने को जिस महान गौरव के प्रभा महल से प्राश्चर्य कर लिया था उस गौरव - प्रभा को हमारे देशवासी आज अपने अशोभनीय आचरण से धूलिल कर रहे हैं।

### विस्तृत क्षेत्र में (१९२८)

मोलवी बरकतउल्ला उस दस के अत्यन्त सक्रिय तेजस्वी और साधन प्राप्त सदस्य थे जो भारत के बाहर देश की मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था। अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में वे भोपाल से इङ्गलण्ड अध्ययन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने स्वतंत्र वायु महल का मुल अनुभव किया और वे काय करने की एक परिपक्व योजना लेकर देश वापस लौटे। उन्होंने बंगाल के कतिपय क्रांतिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया। बग भग के समय उनकी भावना को बहुत ठेस लगी। उनका हृदय रोप से भर गया और उन्होंने बगवासियों के साथ मिल जाने का विचार किया जिन्होंने उस शक्ति के मूल को ही उलाह फेंकने का निश्चय किया था जिसने वह विनाश कार्य (बग भग) किया था। उन्हें मुसलमानों में कार्य करना आरम्भ किया और एक सीमा तक वे उनमें राष्ट्रीय भावना को जागृत कर सके जो कि तब तक निरन्तर देश की अन्य जातियों के साथ किसी राजनीतिक आशोलम में सहयोग करने से इनकार करते रहे थे।

वह गुप्त रूप से भारत से चले गए। उस समय रंगीन एशिया वास्तियों की दृष्टि में जापान सनिक शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने वहाँ अध्ययन काय करना आरम्भ किया और अपने सम्पादकत्व में एक पत्र 'यू इस्लाम' प्रकाशित करना शुरू किया। जापान में भी उन्हें शान्ति से नहीं रहने दिया गया क्योंकि ब्रिटिश गुप्तचर विभाग के सूत्री कुत्ते (गुप्तचर) उनके पीछे लगे हुए थे। किसी प्रकार वे जापान से निकसकर

अधुनकारण अमेरिका बचे गये। वहाँ उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रवाद की बहती हुई प्रबल भावना को देखा और देखा कि भारतीय नेता प्रथम राष्ट्रीय भावना वाले भारतीय को भारत छोड़ने और क्रांतिकारियों के साथ मिल कर काय करने का आह्वान कर रहा है कि जो कि जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम की तैयारियाँ कर रहे थे।

उनको पता हुआ कि मध्य पूब के मुस्लिम देशों को प्रभावित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं अतएव उन्होंने शीघ्रता पूर्वक समुक्त अमेरिका से पलायन किया और इस्तम्बुल में १९१५ में इब्रो जमन टर्किश मिशन में सम्मिलित हो गए। बरकत उल्ला मिशन के साथ काबुल पहुँच और उसके सदस्यों ने अफगानिस्तान में एक आजाद हिन्दुस्तान की सरकार बनाई। अफगानिस्तान सरकार द्वारा अपना समर्थन वापस ले लेने से मिशन को शीघ्रता पूर्वक अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। बरकत उल्ला जर्मनी चले गए। उनको उन भारतीय युद्ध बंदियों को जो कि जर्मनी द्वारा युद्ध में बन्दी बना लिए गए थे ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति और निष्ठा को तिलांजलि कर क्रांतिकारियों के साथ जाने और काय करने के लिये आन्दोलन चलाने का काय भार सौंपा गया। बरकत उल्ला जर्मनी में बर्लिन स्थित इन्डियन नेशनल पार्टी के सदस्य बन गए जो जर्मन जनरल स्टोफ से सम्बद्ध थी। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर बरकत उल्ला ने योरोपियन देशों का दौरा किया व जहाँ गए वहाँ उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। योरोप का दौरा करके १९२१ में वहाँ से पहुँच। दूसरे ही वष से जर्मनी वापस सोट आए और 'अल-इस्लाम' नामक पत्र प्रकाशित करना आरम्भ किया जो कुछ समय प्रकाशित होकर बन्द हो गया। जर्मनी से १९२७ में ब्रुसल्स में होने वाले साम्राज्य विरोधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। वहाँ उन्होंने उन राष्ट्रों का अपने भोजस्वी और तक पूर्ण भाषण में पक्ष समर्थन किया कि जो साम्राज्यवादी शक्तियों की दासता में बंधे हुए थे।

वहाँ तक अथक परिश्रम करने के उपरान्त मोलाना साहब अत्यंत थक और थकावट अनुभव करने लगे। उनकी इच्छा थोड़ा विश्राम लेने की हुई। जब कि वे विश्राम लेने की बात सोच रहे थे कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजा महेन्द्र प्रताप उनके स्थान पर आकर मिले। उन्होंने श्री बरकतउल्ला खा को अपने साथ उन फ्रांसिस को विश्राम करने के लिए चलने का आग्रह किया और उन्हें राजी कर लिया। उनके सक्रिय जीवन का अन्त समीप आ रहा था। थोड़े दिनों की बीमारी के उपरान्त मा घरती का यह महान पुत्र २७ सितम्बर १९२७ को चिर निद्रा में सो गया।

स्मरणीय सघष (१९२८ ३१)

एक अप्रत्याशित मोड़

अधिकारियों ने प्रशान्ति तथा विद्रोह को दबाने के लिए जो कठोर कदम उठाये उनके कारण पंजाब रोप और क्षीभ से तिलमिला रहा था। विभिन्न स्थानों पर समय समय पर फुटकर हिंसक कायवाहियाँ हो रही थीं। उसी समय ३० अक्टोबर १९२८ को साइमन कमिशन लाहौर पहुँचा। साइमन कमिशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के लिए एक विशाल जलूस रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। वहाँ पुलिस ने मजबूत लकड़ी के खम्भों में काटेदार तार लगा कर उसकी रोकने के लिए बाड़ बना रखी थी। काटेदार बाड़ के समीप प्रथम पंक्ति में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय तथा अन्य नेता खड़े थे। जलूस निताण्ड आठ और अहिंसक या जलूस में किसी के पास हथियार या बाड़ी आदि

नहीं थी वह साइमन के जाने की याति पूरा ढग से प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय किसी उच्च पुलिस अधिकारी की आज्ञा से उस जलूम पर जिसन प्रकोपन का तनाव भी भवसर नहीं दिया था पुलिस ने आक्रामक कर दिया। एक लाठी के प्रहार से लाला सात्रपत राय का छाता टूट गया। उन पर कई लाठी प्रहार हुए एक लाठी उनकी छाती में लगी। उससे उनकी छाती में चोट आ गई। उस लाठी प्रहार के सम्बन्ध में लाला जी ने स्वयं ने कहा कि यद्यपि पुलिस के लाठी प्रहार से लगन वाली चोटें बहुत गम्भीर नहीं थीं परन्तु मेरे विचार से उनके परच प्रभाव से मुझे बहुत गहरा घबरा लगा जिससे मेरे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। १७ नवम्बर १९२८ को स्नायु शक्ति के कारण लाला जी की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। उनके चिकित्सक ने कहा कि ३० फ़रवरी को जो उनके चोटें लगीं उ होने निस्सदेह उनकी मृत्यु को शीघ्र ला दिया।

लाला जी की दुःखद मृत्यु के पश्चात् उसका प्रतिशोध लेने में अधिक देरी नहीं लगी। लाला जी की मृत्यु का प्रतिशोध एक युवक समूह ने लिया जो पहले से ही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह खड़ा करने के लिए प्रयत्नशील थे। मगन सिंह तथा उनके पच्चीस साथियों ने हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोशियशन तथा इंडियन रिपब्लिक पार्टी नामक दो पार्टियाँ स्थापित की थीं। जो बाद को हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी में मिल गईं। २ अगस्त १९२८ में देहली में विभिन्न प्रांतों की कायवाहियों का सम्बन्धन करने के लिए एक बैठक हुई और एक के द्रीय समिति का गठन किया गया। प्रत्येक प्रदेश का एक नेता नियुक्त किया गया। मगनसिंह तथा सुखदेव को पंजाब का उत्तरदायित्व दिया गया। चन्द्रशेखर शिव वर्मा तथा एक अन्य को उत्तर प्रदेश सौंपा गया। इसी प्रकार बिहार उड़ीसा और राजपूताने तथा अन्य प्रदेशों की व्यवस्था की गई। चन्द्रशेखर आजाद ने सैनिक विभाग का कार्य भार सम्भाला। भगवती च न, मानसिंह के मुख्या सहायक नियुक्त किए गए। यह नियुक्त किया गया कि अपने अधिकार क्षेत्र में जो भी कायवाही हो उसके लिए उस क्षेत्र के अधिकारी उत्तरदायी हों यदि किसी प्रांतीय नेता को प्रांत के बाहर यदि कोई कायवाही करनी हो भयवा बाहर से कोई सहायता लेनी हो तो वह मामला के द्रीय समिति के सामने आवेगा। वही उसके सम्बन्ध में प्रतिम नियुक्त करेगी और आज्ञा देगी। सभी अस्त्र हस्त्र तथा गोली बारूक के द्रीय समिति के पास जमा रहेंगे और जब भी और जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी वह विभिन्न प्रांतों के सदस्यों को कायवाही के लिए दिए जायेंगे। इसी प्रकार प्रांतों की वित्तीय व्यवस्था के लिए के द्रीय समिति जिम्मेदार रहेगी साठस की हूरया

१० दिसम्बर को लाहौर में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट पार्टी की काऊंसिल की युक्त बैठक मोजग हाऊस में अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक की घटना के कुछ ही दिन बाद हुई उसमें प्रांतों की कायवाहियों का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। बैठक में यह निश्चय किया गया कि लाला सात्रपत राय पर लाठी चार्ज के लिए उत्तरदायी श्री स्काट की हूरया कर दी जाय।

११ दिसम्बर को दल के एक सदस्य को उक्त पुलिस अधिकार की गतिविधियों पर मन्त्र रखने के लिए नियुक्त किया गया। चौदह दिसम्बर को चार बजे सायकल कायवाही करने का निश्चय किया गया।

इसी बीच उस दिन कायवाही करने के लिए उस कार्य के लिए चुने गए अपने

साथियों के साथ भगतसिंह तयारियां कर रहे थे। कार्यक्रम का एक भाग स्वरूप हिन्दु-स्थान सोसलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की धोर से साल रंग के कागज पर छपे हुए परिपत्र बड़े पमाने पर सब साधारण में बाटे गए।

कुछ कारणों से स्काट की हत्या की तारीख बढा कर सत्रह कर दी गई। राजगुरु, भगतसिंह चन्द्रशेखर आजाद तथा एक अन्य सुपरिटेन्डेंट पुलिस के कार्यालय के पास एकत्रित हुए जो कि मुख्य सड़क पर था जो डी ए वी कालेज तथा क्लबटरी को मिलाती थी। उ होने भागने के लिए तीन साइकिलें तयार रखी थी। एक व्यक्ति को पदल जाना था। राजगुरु कुछ कदम आगे बढा और ऐसे स्थान पर ठहर गया जहा से वह धिक्कार पर आक्रमण कर सकता था। आजाद डी ए वी कालेज के फाटक के पास चार दीवारी से सट कर खडा हो गया।

साइस जिसे क्रांतिकारियों ने भूल से स्काट समझ लिया। सुपरिटेन्डेंट पुलिस के कार्यालय से तीसरे पहर चार बज कर सैंतीस मिनट पर बाहर निकला और अपनी मोटर साइकिल पर सवार होने ही वाला था कि राजगुरु हाथ में रिवाल्वर लिए आगे झपटा। उसने साइस पर गोली चलाई जो उसके सर में लगी। साइस गोली लगते ही पृथ्वी पर गिर गया उसी समय भगतसिंह दौडता हुआ उस स्थान पर आया और गिरे हुए साइस पर पांच या ६ गोलियां चलाई। आक्रमणकारी म गजब का आत्म विश्वास था। साइस पर गोली चला कर वह घटना स्थल से घूमा और अपनी जेबों में दोनों हाथ डाल कर इस प्रकार वहाँ से चल दिया मानो वहाँ कुछ हुआ ही न हो।

जब कि साइस पर गोली चलाई जा रही थी तब एक सार्जेंट कार्यालय से बाहर निकला और उसने तथा साइस के अग्ररक्षक च नानसिंह ने आक्रमण कारियों का पीछा किया। इन दोनों में से एक ने फिर कर सार्जेंट पर गोली चलाई लेकिन वह उसके पास से निकल गई वह बाल बाल बच गया। फिर भी उसने पीछा करना नहीं छोडा। भाग्यवश वह फिसल जाने से गिर पडा और उसकी बाह की हडडी टूट गई।

गोली काट में हिस्सा लेने वाले सभी क्रांतिकारी डी ए वी कालेज बोर्डिंग के मुख्य फाटक की धोर बड़े उस समय उ होने देखा कि च नानसिंह दौडता हुआ उनके बहुत समीप आ गया है। चन्द्रशेखर आजाद जो कि साथियों के बच कर भाग निकलने की सुरक्षण देने के लिए खडे प्रतीक्षा कर रहे थे उ होने उस पुलिसमैन पर गोली चलाई। गोली उसके पेट में लगी यह कुछ गज की दूरी तक पीछा करते हुए धोर दौडा, उसके जखम से खरिब बह कर पृथ्वी पर टपक रहा था परन्तु कुछ गज आकर वह घराघायी हो गया।

आक्रमणकारी रिसिपल के बगले के पास के समीप के फाटक से डी ए वी कालेज में घुसे और एक हाल में से निकल कर वे बोर्डिंग हाऊस पहुचे। पहली मञ्जिल में जाकर वे इमारत के विछले भाग में पहुचे। वहाँ पहुँच कर उ होने दीवार को कनागा धोर पृथ्वी पर कूद गए। वहाँ से उ होने अपनी साइकिलें ली धोर बोर्डिंग हाऊस की इमारत के विछले फाटक से निकल गए।

पुलिस ने वाद को जो खोज की तो उन्हें कुछ दूरी पर साइकिलें छोडी हुई पडी मिली और यह शात हुआ कि नामा हाऊस के पीछे कहीं मोटर कार उनकी प्रतीक्षा में खडी थी जिसमें सवार होकर वे क्रांतिकारी आमीण क्षेत्र की धोर भाग गए, सीधे

उनके कोई बिंदु नहीं मिले।

इसके उपरांत उन गिरफ्तारियों की खोज के लिए पुलिस ने पाकाय पाताल एक कर दिया। रावी नदी के किनारे सघन वन को पुलिस ने इस उद्देश्य से छान डाला कि सम्भव है कि वहाँ उस घटना से सम्बंधित रियाजतवर अथवा अन्य कोई वस्तु मिल जाय।

अपनी खोज वीन के बीच पुलिस ने कई स्थानों की तलाशी ली। यहाँ तक कि सेंट्रल प्राक इंडिया सोसायटी (भारत सेवक समिति) डी ए वी कालेज होस्टल दैनिक प्रताप, आदि की भी तलाशी ली गई परंतु वहाँ कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। १० दिसम्बर तक बीस से कम गिरफ्तारियाँ नहीं हुईं जिनमें से कई विद्यार्थी थे।

इसके विपरीत लाहौर के ट्रिब्यून दैनिक पत्र के सम्पादक की एक व्यक्ति का पत्र मिला जिसने अपने को भारत की क्रांतिकारी सेना का प्रधान सेनापति घोषित किया था। उस पत्र में उसने लिखा था कि उसने साइस की हत्या की है और वह अब भी स्वतंत्र और स्वच्छ द धूम रहा है और पुलिस अब तक उसके किसी सहयोगी को स्पष्ट भी नहीं कर सकी। उसके पास अभी भी बहुत बड़ी राशि में गोली, बारूद और करतूस हैं और यह अपनी कायबाही जारी रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। २२ दिसम्बर १९२८ को लाहौर और शालीमार द्वारों पर एक हाथ का लिखा पोस्टर चिपका मिला वह उही महानुभाव का था (भारतीय क्रांतिकारी सेना के प्रधान सेनापति का) उसमें स्वयं अपने को गिरफ्तार करने वाले को सरकार ने जो भी उनकी गिरफ्तारी पर पारितोषिक घोषित किया हो उसके अतिरिक्त पाँच हजार रुपए के पुरस्कार देने की घोषणा की थी।

अगले उस पोस्टर में लिखा था कि उसकी रूधिर की प्यास अभी बुझी नहीं है वह अभी लाहौर में पाँच दिन और रहेगा। उसने लिखा था कि चाननसिंह को मारने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी।

इसी सम्बंध में अगले सप्ताहों में अनेक पोस्टर विभिन्न स्थानों में चिपके मिले। इस प्रकार के पोस्टरों के जल्दी जल्दी निकलने से यह स्पष्ट हो गया कि लोग मजराक में यह सब कर रहे हैं उसके पीछे कोई गम्भीर योजना नहीं है।

### गिरफ्तारियाँ

पोंडे से सदेहास्पद व्यक्तियों की गिरफ्तारियों से पंजाब पुलिस को न तो सतोष ही हुआ और न उन्हें भाराम ही मिला। गुप्त रूप से लोगों पर निगाह रखना और जो भी कोई सदेहजनक सूचना उन्हें मिलनी उसका पीछा करना उनके लिए नियमित काय बन गया।

६ एप्रिल १९२६ को पुलिस को यह सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों ने लाहौर के लोहे की बस्तुएँ डालने वालों को कुछ लोहे के अण्डाकार बस्तुएँ बनाने को दी हैं जो कि दोनों तरफ खोलनी हैं। उनकी गस की मशीन का एक भाग बताया गया है जो स्थानीय कारीगरों की उस पुर्जे के सम्बंध में उत्पन्ना जागृत हो गई और उन्होंने अपने जान पचान के एक कास्टबिल से यह बात कही। यह सूचना पुलिस के मुख्य कार्यालय में पहुँची। पुलिस अधिकारियों ने सूचना देने वाले को आज्ञा दी कि जिन व्यक्तियों ने उक्त लोहे की बस्तु को बनाने का कारीगरों को आडर दिया है उन पर इन्स्टि रजें और वे कड़ा जाते हैं, यहाँ तक उनका पीछा करें।

पुलिस ने देखा कि लोहे की वस्तुओं को ढालने वाले कारीगरों के पास सुखदेव बहुधा जाता था और चुपचाप काश्मीर बिल्डिंग को भोर चला जाता था। वह मकान दिन में बंद रहता था और ऐसा प्रतीत होता था कि दिन में वह खाली रहता था और रात्रि को खलता था। पुलिस ने उस मकान पर यह जानने के लिए कड़ी दृष्टि रखी कि उसमें लोग किस समय आते हैं। ध्यान देने पर पात हुआ कि उस मकान की नालियों में कुछ पदार्थ जमा हो गया जिसमें गंधक के बिन्दु थे। इसी बीच जो देहली से सूचना आई और एसेम्बली में फेंके गये बमों के खोलों से मिलान किया गया तो शायद हुआ कि लाहौर में बने हुए बमों की ही सूरत यकल के बम भी थे।

घात में सूचना मिलने पर १५ एप्रिल को पुलिस ने मकलियाड रोड पर स्थित काश्मीर बिल्डिंग में कमरे नम्बर ६६ की तलाशी ली जिसे एक महीने पूर्व भगवती चरण ने देरह रूपग मासिक पर किराये लिया था। उस कमरे में पन्द्रह दिन तक कोई नहीं रहा था इसके पश्चात् कुछ छात्र वहाँ रहते थे। वे उस पत्र को दस बजे दिन में छोड़ देते थे और दोपहर बाद वापस आते थे। कभी कभी वे कई दिनों तक अनुपस्थित रहते थे। उस स्थान की तलाशी लेने पर पुलिस को ग्यारह बम २४ कारतूस तथा दो पिस्तौल मिले। मकान का किरायेदार भगवती चरण उस समय वहाँ मौजूद नहीं था। उस स्थान पर तीन व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए जिनमें एक सुखदेव थे।

उसी दिन एक व्यक्ति बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया जिसके पास सात बम मिले। १३ मई १९२६ को उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में तलाशी लेने पर वहाँ पाँच बम पाँच रिवाल्वर तथा दो कारतूस मिले। उस स्थान पर दो गिरफ्तारियाँ हुईं। उस समय पुलिस के कब्जे में बीस से अधिक व्यक्ति थे जिन्हें उसने गिरफ्तार कर रखा था।

### एक कोलाहल पूर्ण अधिवेशन

जब कि मेरठ पढयत्र अभियोग चल रहा था और लाहौर पढयत्र अभियोग चलने वाला ही था कि भारत सरकार ने फरवरी १९२६ को लजिस्लेटिव एसेम्बली में एक विधेयक उपस्थित किया जिसके सम्बन्ध में कांग्रेस दल के नेता ने कहा 'कि उसका अर्थ भारतीय राष्ट्रवाद और कांग्रेस पर प्रहार करना है।' विधेयक को भावश्यक संशोधन के लिए सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया।

एसेम्बली के अध्यक्ष श्री वल्लभ भाई जे. पटेल ने २ एप्रिल १९२८ को इस बात की सिफारिश की कि जब तक मेरठ पढयत्र अभियोग चल रहा है तब तक के लिए विधेयक को स्थगित कर दिया जाय। उन्होंने सुझाव दिया कि वे इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दें उससे पूर्व सरकार ट्रेड डिस्प्यूट विधेयक को ले ले। परन्तु यह सदस्य (होम मेंबर) ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह सावजनिक हितों के लिए भयंकर रूप से खतरनाक होगा वे अध्यक्ष के उस परामर्श को मानने के लिए तयार नहीं हैं।

८ एप्रिल १९२८ को अध्यक्ष ने प्रारम्भ में ही औद्योगिक प्रशासित सम्बन्धी विधेयक (ट्रेड डिस्प्यूट बिल) के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी। कांग्रेस की कायवाही के सम्बन्ध में उन्होंने कहा 'अब जब कि औद्योगिक प्रशासित सम्बन्धी विधेयक हमारे माग में नहीं है मैं अब "सावजनिक सुरक्षा विधेयक" (पब्लिक सेफ्टी बिल) के सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था देता हूँ' उन्होंने अपना वाक्य समाप्त भी नहीं कर पाया था कि एसेम्बली के फर्दा पर एक के बाद दूसरा दो बम भयानक घटाके के छाब कूटे और

उसके उपरांत दो रिवाल्वर की गोलियां चली ।

यह स्वाभाविक था कि बम फटने से और गोली चलने से एसम्बली के सदस्यों में आसक्त छा गया और दर्शक भयभीत होकर इधर उधर भागने लग गए । एसम्बली में भगदड़ पड़ गई ।

कुछ लोगो ने देखा कि दर्शको की दीर्घा में एक युवक आगे बढ़ कर रेलिंग के पास आया उस पर झुका और उसने पहला बम फेंका उसके उपरांत दूसरा तरुण आया और उसने दूसरा बम फेंका ।

बम का भयंकर प्रभाव विशेषकर दूसरे बम का इतना अधिक हुआ कि जहाँ फण पर बम फूटा था वहाँ का पक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया और दो बच्चे चक्काचूर हो गई ।

बम फेंकने के तुरंत बाद ही दूसरे युवक ने रिवाल्वर निकाल लिया और दो गोलियां चलाई । उसके उपरांत वह हवा में कुछ विज्ञप्तिया फेंकने लगा जो कि 'हिन्दुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का घोषणा पत्र था (परिशिष्ट अध्याय के अ-१ में देखें) उनमें से एक ने जोरदार शब्दों में कहा 'मैंने अपने देश के प्रति कृतज्ञता को पूरा किया है और अपने रिवाल्वर को अपने बदन के स्थान पर फेंक दिया । दूसरे ने भी उसका अनुसरण किया । सभी साजेंट लोग दौड़ कर आए और उन दोनों ने बिना तनिक भी विरोध या प्रतिकार किए अपने को गिरफ्तार हो जाने दिया ।

बाद की ऐसा पता चला कि उक्त दोनों युवक जब एसम्बली समा भवन में कोई भी नहीं आया था तभी आकर अपनी जगहों पर बैठ गए थे । बमों को कागज में लपेट कर वे वहाँ डेढ़ घंटे से अधिक प्रतीक्षा करते रहे होंगे तब कहीं जाकर उ होने उनका उपयोग किया ।

उन दोनों युवकों ने अपने नाम क्रमशः भगतसिंह आयु चौबीस वर्ष पंजाब निवासी तथा दूसरा युवक बटुकेश्वर दत्त बंगाली आयु २२ वर्ष जो पंजाब में बस गया था—बताए । भगतसिंह को पुलिस एक दूसरे अभियोग में भी पकड़ना चाहती थी परंतु उस समय तक भगतसिंह गिरफ्तार होने से बचता रहा ।

एक प्रश्न के उत्तर में भगतसिंह ने पुलिस अधिकारियों को बतलाया कि इस सत्याजसे लोग भारतीय पार्लियामेंट कहते हैं—के द्वारा राष्ट्र को अपमानित और लाजिस्त किया जाता है अर्थात् यह अत्यंत लज्जाजनक और अपमानजनक होता कि उसका सम्भार और जोरदार विरोध किए बिना उसको चलने दिया जाता । अस्तु उ होने यह निश्चय कर लिया था कि इस तमाके को रोकने के लिए वे अपने जीवन की प्राणति दे देंगे और इस नोकरशाही का जनता के समक्ष नकाब उतार कर उसे अपने वास्तविक रूप में प्रकट कर देंगे ।

वे दोनों गिरफ्तार युवक नितांत शांत और स्थिर चित्त थे मानो कुछ हुआ ही न हो ।

१५ एप्रिल १९२६ को बहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज 'शीपक विज्ञप्ति लाहौरी फाटक पर छिपकी मिली ।

पुलिस द्वारा इस महीने की सात तारीख को लाहौर में गरवानूनी कायवाही ने हमें आगे कायवाही करने के लिए मजबूर कर दिया है । अतएव रिपब्लिकन एसोसियेशन आर्गों के प्रधान सनापति ने शिमला में यह निश्चय किया है कि लाहौर पुलिस

के प्राक्सर इन घाज को जिस प्रकार सांडस को मारा गया उसी प्रकार रास्ते से हटा दिया जाय। मतएव क्रम सख्या २०३ तथा १८२ सनिकों को आज्ञा दी जाती है कि वे तुम्हें त कायवाही करें।

आज्ञा से

जी रसूल

निजी सहायक

प्रधान सेनापति - रिपब्लिकन

एसोशियेशन आर्मी ऑफ इंडिया

विज्ञप्ति के नीचे जो कि लाल बाण पर टाइप की हुई थी नीचे लिखा आदेश था —  
प्रतिलिपि सनिकों सख्या २०३ और १८२ स्वाट सीनियर सुपरिटेण्डेंट पुलिस लाहौर, डिप्टी कमिश्नर लाहौर तथा सपादक ट्रि-यून लाहौर का भेजी जाती है।

भगतसिंह और बकुटसवरदास ने ६ जून, १९२९ को मजिस्ट्रेट के सामने उस घटना के सम्बन्ध में उसके उद्देश्य और जिन परिस्थितियों में वम फेंके गए उनके सम्बन्ध में बयान देते हुए कहा—

‘वह आक्रमण किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्दिष्ट नहीं था वरन् वह एक सत्या विरोध के विरुद्ध था। हम मानवता के प्रति प्रेम में किसी से भी पीछे नहीं हैं ऐसी दशा में किसी व्यक्ति विरोध के प्रति द्वेष रखने के स्थान पर हम मानव जीवन को प्रत्यत पवित्र मानते हैं हम मजबूतपुत्रक इतिहास और मानवीय आकांक्षाओं के तथा अपने देश की स्थिति के गम्भीर विचारों होने के प्रतिष्ठित अथ किसी बात का दावा नहीं करते और हम पाखण्ड से घृणा करते हैं।’

यह प्रतिवाद केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा (सट्रल लजिस्लेटिव एसम्बली) के विरुद्ध केवल उसकी नितात व्ययता के कारण ही नहीं था वरन् जो उसकी कुचेष्टाओं को करने की असीम शक्ति मिली हुई है उसके विरुद्ध भी था।

हमें यह विश्वास हो गया है कि उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि वह विश्व के सामने भारत की अपमानजनक और अस्सहाय अवस्था का प्रदर्शन करे और यह अनुत्तरदायी निरंकुश शासन की सर्वोच्च प्रभुता का प्रतीक है।”

अनेकों बार राष्ट्रीय मांग की रद्दी के आगजा की डलिया में फेर दिया गया है। सभा द्वारा पारित किए हुए सत्यनिष्ठ प्रस्तावों को इस तथाकथित भारतीय पार्लियामेंट के फर्दा पर परो के तले रौंदा गया है। जहा दमनकारी तथा निरंकुश अधिनियमों को निरसन करन के प्रस्तावों को यहा प्रत्यत उदात्त घणा के साथ अस्वीकार कर दिया गया वहाँ उसके विरुद्ध सरकारी प्रस्तावों तथा उपायों को जिहे चुने हुए सदस्यों ने अस्वीकार कर रह कर दिया था कलम की एक रेखा से पुनस्थापित कर दिया गया। यही कारण है कि यहाँ इस सस्या को ‘एक खोखला तमाशा और भ्रम कहने पर बाधित होना पना।

बयान में आने उहोने कहा —

उन सावजनिक नेताओं की मनोवृत्ति जो भारत की अस्सहाय दासता के इस नाटकीय प्रदर्शन पर जनता का धन और समय नष्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति की समझ में नहीं आ सकती। मजदूर आन्दोलन के सभी नेताओं की गिरफ्तारी ने हमारे इस विश्वास को फुट कर दिया है कि भारत के करोड़ों श्रमिक उस सस्या से कोई आजा



नहीं कर सकते जो कि शोषकों के दम घोट देने की भयानक शक्ति और भस्महाय मजदूरों की दासता का भयानक स्मारक है।

अब से पहले वायसराय की कार्याकारिणी परिषद (एंग्जीन्यूटिक काऊंसिल) के विधि सदस्य (ला मेम्बर) के शर्तों को उदघृत करते हुए 'बम इन्फ्लोड को जागृत करने के लिए आवश्यक था' अभियुक्तों ने कहा।

हमारा एक मात्र उद्देश्य वहूँ को सुनने पर विवश करना तथा उनको जो कि ध्यान ही नहीं दते समय रहते चेतावनी देना था क्योंकि वे यह तेजी से अनुभव करते हैं कि भारतीय मानवता के ऊपर से दिखते हुए शांति समुद्र में भयकर तूफान उठने वाला है। हमने तो केवल उन लोगों को चेतावनी देने के लिए कि जो धामे धामे वाले भयकर खतरे की ओर तनिक भी ध्यान न देकर तेजी से भागे जा रहे हैं उनको केवल खतरे की झड़ी मात्र बतलाई है।

उन्होंने केवल 'काल्पनिक अहिंसा के युग की समाप्ति को चिह्नित कर दिया है जिसकी व्यथना के सम्बन्ध में वर्तमान पीढ़ी पूरी तरह से विश्वास करती है।

"काल्पनिक अहिंसा की व्याख्या करने की आवश्यकता है। जब आक्रमक ढंग से शक्ति का प्रयोग किया जावे तो उस हिंसा कहते हैं अतएव नैतिक दृष्टि से वह अनुचित है। परन्तु यदि वह एक 'यायोचित उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जावे तो वह नैतिक दृष्टि से उचित है। सब स्थितियों और सब कुछ सहने पर भी शक्ति का उपयोग न करना काल्पनिक है और जो एक नया भा दोलन देश में उठ खड़ा हुआ है जिसकी हमने चेतावनी दी थी उसको प्रेरणा देने वाले आदर्श 'पवित्र गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी कर्मावली पाशा, राजावा वाशिस्टन, गरी बाल्डी लफायट्टी तथा लेनिन हैं।"

यदि उनकी इच्छा अधिकतम सम्पत्ति या मानव जीवन का विनाश करना होता तो वे वह अन्याय ही सरलता से कर सकते थे क्योंकि उनको ऐसे ज्वलितशाली बमों को बनाने का ज्ञान था। वे यदि चाहते तो वे 'सम्बली के सभा भवन के ऐसे स्थान पर बम फेंक सकते थे कि जहाँ अधिकतम गीठ होती और वे साइमन पर भी यदि चाहते तो बम का प्रहार कर सकते थे क्योंकि वह भी 'बम्बर में धटे हुए थे और उनके आक्रमण की पहुँच के अन्दर थे।

आगे वे कहते गए —

उसके उपरान्त हम लोगों ने जो कुछ किया उसका दण्ड भुगतने के लिए हमने स्वयं अपने को इसलिए पुलिस के समर्पण कर दिया कि हम साम्राज्यवादी शोषकों को यह बतला दें कि वे विचारों की दृष्ट्या नहीं कर सकते। हम जसी दो महत्वहीन दृष्टियों (ध्यातियों) को कुचल देने से सम्पूर्ण राष्ट्र को नहीं कुचला जा सकता। हम उस ऐतिहासिक पाठ पर बल देना चाहते थे कि 'नेटस डी कट चेट' और 'बस्टाइलस' जैसे भयानक अत्याचारों के प्रतीक भी प्राप्त के क्रांतिकारी आंदोलन को नहीं कुचल सके। फाँसी और साइबेरिया के बंदी शिविर भी इसी क्रांति की अग्नि को नहीं बुझा सकते। तथा अघ्यादा तथा सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक भारत की स्वतंत्रता की अग्नि शिक्षा को बुझा सकते हैं। यह पडयंत्र के अभियोग, चाहे फिर वह पुलिस द्वारा बनाए गये हों अथवा खोज निकाले गए हों तथा उन सभी नवयुवकों को जेल में ठूस देने से जो कि अपने हृदयों में एक महान आशा का प्रतिबिम्ब देखते हैं क्रांति के प्रवाह को नहीं रोकना सकते हैं।

नीचे की घदालत ने भगतसिंह से पूछा कि वे 'क्रान्ति' शब्द से क्या अर्थ समझते हैं।

उनका उत्तर था —

“क्रान्ति में रुधिर बहाने वाला सन्ध ही हो यह आवश्यक नहीं है और न उसमें शक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए स्थान है। वह हम और पिस्तौल का घम नहीं है। क्रान्ति से हमारा अर्थ यह है कि वर्तमान समाज व्यवस्था जो स्पष्ट अर्थ पर आधारित है समाप्त होनी चाहिए। उत्पादक श्रमिक समाज के अत्यन्त अन्याय और शोचस्पद अंग होने के बावजूद भी उनके पापकों के द्वारा लूटे जाते हैं। उनके श्रम के फल को उनसे छीन लिया जाता है और उनके अपने मूल अधिकारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता है—यह सब बद होना चाहिए।

पूज्यपति शोचक अपनी मौज और तरंग पर कराहो हुए व्यथ कर देते हैं। यह अर्थकर अस्माननाए तथा अदृष्टों की आगोपित असमता विश्व को एकट के समीप ले जा रही हैं वर्तमान समाज व्यवस्था की स्थिति यह है कि मानो समस्त समाज एक ज्वाला भुस्की के किनारे आनन्द और भोग मत्ता रहा हो और शोचकों के निर्दोष बच्चे तथा करोड़ों कोपित समान रूप से उत्तरनाक अस्पृश्य बतवा अट्टान के किनारे चल रहे हों।

इस विनाश की स्थिति से रक्षा करने के लिए परिवर्तन अत्यन्त अन्याय आवश्यक है तथा समाज का समाजवादी आधार पर पुनर्गठन करना आवश्यक है जब तक यह नहीं किया जाता और जब तक मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण, जो साम्राज्यवाद का अदम्य देश धारण कर लेता है उसका अर्थ नहीं हो जाता तब तक यह घातना और संहार जिससे समाज आज सृजित है उसको रोका नहीं जा सकता और युद्धों को रोकने और विश्व शांति का युग लाने की समस्त शर्चा आवरण रहित आवश्यक है।” अर्थात् क्रान्ति में सब द्वारा वर्गों की सावभौम अन्तता होगी जिससे परिणाम स्वरूप एक विश्व अर्थ मानव समाज को पुनर्जीवात् के अर्थ और साम्राज्यवादी युद्धों की विभीषिका से मुक्त कर सकेगी।

अभियुक्तों ने यह कहते हुए अपने उत्तर को समाप्त किया —

‘यह हमारा आदेश है और हमारी प्रेरणा के लिए इस आदेशवाद के साथ हमने उचित समय रहते तेज आवाज में चेतावनी दे दी है। फिर भी यदि यह चेतावनी मनसुनी कर दी जाती है और वर्तमान शासन प्रणाली उन तटस्थ शक्तियों के माग को अवरुद्ध कर देती है जो उभर रही हैं तो एक निष्ठर और बड़ी संघर्ष अभिव्यक्ति रूप से आरम्भ होगा जो सम्भोत्कावटों को उखाड़ फेंकेगा और सवहारा अंग के अधिनायकवाद को स्थापित करेगा। क्रान्ति मानव समाज का अभी भी नष्ट न किया जा सकने वाला अधिकार है और स्वतंत्रता सभी का कर्म नाग न होने वाला जन्म सिद्ध अधिकार है। अर्थ ही वास्तव में समाज को जीवित रखना है जनता की प्रमुखता ही श्रमिकों की शरम नियति है। इन आदेशों और इस विश्वास के लिए हमें जो भी बच्य या यातना दी जावे हम उनका सहर्ष स्वागत करेंगे। इस क्रान्ति की वेदी पर हम अपनी तरुण्य की अन्न की सुगन्धित सामग्री की आर्ति अर्पित करने लाए हैं। क्योंकि ऐसे शोचपूर्ण और धानदार अदृश्य के लिए कोई भी त्याग या बलिदान बड़ा नहीं है। हम सतुष्ट हैं। हम क्रान्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं—क्रान्ति चिरजीवी हो।”

### मुकद्दमा

जब प्रारम्भिक जांच पड़ताल समाप्त हो गई तो भगतसिंह और बटुवेश्वर दत्त को देहली से ट्राल जेल में ७ मई १९२६ को एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया। उन पर इंडियन पिनस कोड की धारा ३०७ तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ३ तथा इत्यादि के प्रयत्न के आरोप लगाए गए। दूसरे दिन ८ मई को उन्हें छगन सुपुद कर लिया गया। १० जून १९२६ को एसएम म परस्पर निर्णय के सम्बन्ध में मतभेद था। १२ जून को जब ने दानो को साजीवन देश निष्कासन (काले पानी) का दण्ड सुना दिया। अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की ६ जनवरी १९३० को सुनवाई हुई और १३ जनवरी १९३० को उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को अस्वीकार कर दिया।

### भाषना की विजय

जब १० जुलाई १९३० को लाहौर पब्लिसन की अभियोग प्रारम्भ हुआ उस समय कुछ ऐसे अभियुक्त थे जो पहले ही अनशन कर रहे थे और उनका स्वास्थ्य अत्यन्त गिर गया था। सजा हो जाने के उपरांत भगतसिंह तथा बटुवेश्वर दत्त को बहुत दारोरीक कष्ट दिया गया और उनके साथ जेल में अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार किया गया। उनके विरोध की कोई सुनवाई नहीं हुई। अन्त में उन्होंने सरकार के विरुद्ध शक्ति परीक्षण करने का निश्चय किया। उनका इस शक्ति परीक्षण का उद्देश्य यह था कि सरकार राजनीतिक दलों के दलों को ऊंचा उठा कर जता कि उनकी मांग भी ऊंचे दर्जे के योरोपियन कैदियों के समकक्ष कर दिया जाय। उनका कहना था कि उनसे कठोर श्रम न लिया जाय उनको निम्न स्तर के कठोर अपराधियों से पृथक रखना जावे और अपने कारावास के जीवन में उनको पुस्तकें तथा अन्य साहित्य पढ़ने की दिया जाय। उनकी मांग को अत्यन्त घणा और कठोरता के साथ ठुकरा लिया गया। इन सुविधाओं की मांगने की मूलता और घट्टता के फल स्वरूप उनकी और अधिक अपमानित किया जाने लगा। उनके बर्तिया डाल दी गई और जेल के अनुशासन का भंग करने का अपराध में अनेक नए नए कठोर दण्डों का आविष्कार किया जाता और उन पर उनका प्रयोग किया जाता। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने को कठोर दारोरीक श्रम करने के अयोग्य बना लेंगे और अपनी इस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने भोजन करना बिल्कुल बन्द कर दिया जिससे कि उनके शरीर की शक्ति मिलती थी। २३ जून को जेल की सेल से यह सूचना बाहर फूट पड़ी कि पिछले नौ दिनों से बटुवेश्वर ने भोजन करने से मना कर दिया है और इस अपराध के दण्ड स्वरूप अनशन का प्रारम्भ से ही उनके चेहरे डाल दी गई हैं। वे इतने निबल हो गए हैं कि न तो वे खोल ही सकते हैं और न अपनी टांगों पर खड़े ही हो सकते हैं। ६ जुलाई १९२६ को मियात्रली जेल से लाहौर उठे हथकड़ी और चेहरे डाल कर ले जाया गया। यह बात हुआ कि उनके अनशन का पच्चीसवां दिन था। १३ जुलाई को बटुवेश्वर को न्यायालय में स्टैचर पर लिटा कर लाया गया क्योंकि वे भोजन न करने के कारण इतने निबल हो गए थे कि बैठ ही नहीं सकते थे। अभियुक्त के कंधरे में उन्होंने क्रांति चिरन्वीरों को सामाज्यवाद का विनाश हो का घोष किया। उनके साथी कल्पिया न भी उनकी सहानुभूति में अनशन किया। यतीनदास जो लाहौर जेल में १६ जून १९२६ को पटुबा था उनमें से एक था। दस दिन तक प्रतीक्षा करते थे उपरांत

जेल के अधिकारियों ने उन्हें भोजन करने पर विवश करने के लिए उन पर बल प्रयोग किया। प्रत्येक सेल में डाक्टर के साथ पांच वाडर जाते थे बंदी को जमीन पर पटक दिया जाता था हाथ पाव और सर मजबूती से पकड़ लिए जाते थे जिससे कि वह तनिक भी हिल न सके। उस स्थिति में नाक से ट्यूब के द्वारा दूध पेट में पहुँचाया जाता था। दूध में इस कारण दूध नहीं पिलाया जा सकता था क्योंकि बन्दी लोग दाँतो को बिटकटा कर भीव लेते थे। क्योंकि बन्धियों ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि पेट में दूध नहीं पहुँचाने देना अनएव इस तरीके से दूध पिलाने में उन्हें भीषण सघष करना पड़ता था उस कारण बन्धियों को परिणामतः घोर दण्ट होता था। जेल अधिकारियों की दृष्टि से यह तरीका एक सीमा तक सफल रहा क्योंकि उससे बन्दी लोग जीवित रहे। बन्दी ऐसे उपाय करते थे कि वे हो जावे निम्ने कि जो घोड़ा बहुत दूध पेट में पहुँच गया है वह निकल जावे। यतीन की दगा चिन्ताजनक हो जाने के कारण पच्चीस पच्चीस हजार रायों की दो जमानतें देने पर जेल से छोड़ देने की धाना २ जुलाई को दी गई। परंतु दूसरे ही दिन बिना कोई कारण यह धाना रद्द कर दी गई। ११ जुलाई को जब कि बन्धियों को अदालत में याप्त लाया गया आठ पठानों को भगतसिंह और बटुकेश्वर वत्त को बलपूर्वक भोजन करने के लिए रखा गया। उस असमान समय में दोनों को अत्यंत पीडा और कष्ट सहना पड़ा। भगतसिंह को अत्यंत निदयता और शूरता से मारा गया उन्होंने अपने शरीर पर मार के चिह्नों को दूसरे दिवस अदालत में दिखाया। अनशन करने वालों ने उस जीवन मरण के समय को जारी रखने में जो तरीका अपनाया उसको अजय घोष ने अपनी पुस्तक 'भगतसिंह और उनकी साथी' शीषक पुस्तक में नीचे लिखे शब्दों में व्यक्त किया है। श्री अजय घोष स्वयं एक बन्दी अभियुक्त थे और अनशन में सम्मिलित थे। जेल अधिकारी इस बात के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि बन्धियों को अनशन तोड़ने पर विवश करना है अतएव उन्होंने हमारी कोठरियाँ से जल बिलकुल हटा दिया और घड़ों में दूध भरवा कर रख दिया। यह वास्तव में ऐसी कठोर परीक्षा थी कि जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। एक दिन के उपरांत असहनीय प्यास उत्पन्न हो गई। हर बार मैं यह आशा करके पसीट कर घड़ के पास जाता कि उसमें शायद जल ही परंतु उसमें दूध देख कर पीछे लौट जाता। इस स्थिति में हमें पागल बना दिया था। जिस व्यक्ति ने यह युक्ति रोज निकाली थी यदि मेरे सामने होता तो मैं उसे मार डालता। बाहर गाड़ चुपचाप बिना कुछ कहे तथा हरकत किए प्रत्येक क्षण हम पर नजर रख रहे थे। मैं अधिक देर तक अपने पर विश्वास नहीं रख सकता था। मैं जानता था कि कुछ ही घंटा में मैं मर जाऊँ ही हार जाऊँगा और दूध पीऊँगा। मेरा गला बिलकुल सूख गया और जबान सूज गई थी। मैंने गाड़ को पुकारा जो कि सीकुरों के बहर दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उससे कहा कि कम से कम कुछ बूँदें जल की दे दे उसने अंतर दिया 'मैं जल नहीं दे सकता मुझे जल देने की आज्ञा नहीं है।' मैं शीघ्र से उमत्त हो गया। मैंने घड़े को उठा लिया और दरवाने पर दे मारा। घड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया और दूध गाड़ (रखक) पर गिरा। उसने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। वह ऐसा समझने में बहुत गलत नहीं था। इसी बीच हम लोगों की सहानुभूति में जहाज का राजनीतिक बन्दी थे वहाँ बन्दी अनशन कर रहे थे। हमारी माँगों के समय में एक अत्यंत बन्धुवशीली प्राबोलेन उठ खड़ा हुआ था। कुछ दिनों के उपरांत मेरे दृष्टयंत्र अभियोग के बन्धियों ने भी अनशन कर

दिया यह समाचार कि भारत में राजनीतिक बादी अनशन कर रहे हैं और उनके साथ निंदामा का उपवास किया जाता है समुद्र पर विदेशों में पहुंचा। इंग्लैंड में इसके बहुत बड़ी हलचल के कारण सभी देशों का ध्यान भारत के कारागारों की प्रमानवीय प्रशासन प्रणाली पर गया। १३ जुलाई को सरकार ने यह स्वीकार किया कि डाक्टरों का धार पर विशेष भोजन दिया जा सकता है। बहिषा ने अनशन तोड़ना स्वीकार कर दिया क्योंकि सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया कि विशेष भोजन राजनीतिक बहिषा का अधिकार है। जब कि दूसरे बादी धीरे धीरे जीवन से मृत्यु के मुख में जा रहे थे। २४ जुलाई १९२६ को यतीन की दवा यकायक खराब हो गई। दो बार उसकी नब्ब लुप्त हो गई। उसका कारण यह बताया गया कि बल पूर्वक जो उसको दूध पिलाया गया और उसने जो थोड़ा बहुत निबल विरोध किया उसकी यकान से ऐसा हुआ है। जब उसकी नाक की द्वारा एक ट्यूब डाला जा रहा था और दूसरा गले के द्वारा डाला जा रहा था तो वह बेहोश हो गया। उससे पिछले दिन उसको चैतायनी दे दी गई थी कि वह नहीं मानेंगे तो उनके साथ और कठोर व्यवहार किया जावेगा। उस मर रहे धीरे युवक पर इस घमकी का कोई असर नहीं हुआ परन्तु उसको घमकी की अवहेलना का परिणाम भुगतना पड़ा। २४ जुलाई १९२६ को यतीनदास को जेल के अस्पताल ले जाया गया। २४ जुलाई १९२६ को यतीनदास को हॉस्पिटल ले जाया गया। सामूहिक भूख हड़ताल के परिणाम स्वरूप कतिपय बहिषा की दशा अत्यंत गम्भीर है इस समाचार से देश के नेता चिन्तित हो उठे उनके मन उत्तेजित हो उठे। उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने २६ जुलाई को एक प्रस्ताव के द्वारा अपनी चिन्ता प्रकट करते हुए कहा 'कि सरकार ने उन बहिषा के साथ जो सखीके अपनाये हैं वे ऐसे निरपेक्ष और अमानक हैं कि जिनके असम्भ और बबर देशों को भी आघात लगेगा।' २५ जुलाई को डाक्टरों को यतीनदास को बल पूर्वक भोजन देने का साहस नहीं हुआ क्योंकि डाक्टरों का यह मत था कि यतीन दास के विरोध तथा सघष के कारण बल पूर्वक उन्हें भोजन देने से कोई लाभ नहीं है। यतीनदास को हल्का ज्वर था तथा फेफड़ों के मून में भारीपन था। २६ जुलाई को यतीन की दवा और अधिक बिगड़ गई। उनकी निमोनिया हो गया और ज्वर १०३ डिग्री तक बढ़ गया। ३१ जुलाई को उनकी दवा सफट की अवस्था को पहुंच गई और वे बार बार जल्दी जल्दी बेहोश होने लगे। क्योंकि दवा के साथ पानी मिला लिया जाता था परन्तु यतीन दास ने कोई पेय पदार्थ लेना भी स्वीकार कर दिया। एक अगस्त को उनकी नाड़ी की घड़कन गिरकर ४५ हो गई। दूसरे दिन उ होने अपनी जिम्मा को जो बहुत सूख गई थी तरल करने के लिए जल की कुछ बूँदें ली। ६ अगस्त को रात्रि को वे एक साथ वे चार घंटे तक बेहोश रहे। उसी दिन उनकी ऐनिमा दिया गया जिससे वे और अधिक निबल हो गए।

अब यतीन दास सतरे के बिन्दु से भी आगे बढ़ गए गए थे। २३ अगस्त की रात्रि यतीनदास को अत्यंत अगाध से व्यतीत हुई। २७ अगस्त को उनकी दृष्टि दुःप्रभावित हो गई। दूसरे दिन लोगो ने देखा कि उनका अस्तिष्क अत्यंत निबल हो चला और बाये पैर के हिताने दुपने की शक्ति समाप्त हो गई। ३० अगस्त को उनकी किसी प्रकार औपधि लेने के लिए तयार किया गया जिससे उन्हें बहुत खावी आई। १८ अगस्त को सरकार ने एक आजा प्रचारित कर न्यायालय से दण्ड प्राप्त तथा अभि

योगाधीन बलिदानों सम्बन्धी नियमों की जांच के लिए पंजाब जेल जाच समिति गिठाई। जाच समिति के सदस्यों ने भूख हड़ताल करने वाले बलिदानों से भूख हड़ताल समाप्त कर देने की अपील की उनकी इच्छा के प्रति आदर दिखाने के लिए ताहोर बडपत्र के बलिदानों ने दो सितम्बर को पांच बजे सायंकाल से भूख हड़ताल ताहोर का निरन्तर चलाया। यतीन के लिए तब तक बहुत विलम्ब हो चुका था। वे सीधे मृत्यु और स्वतन्त्रता की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। एक सितम्बर को यतीन दस नाथ दास की कमर से नीचे गिराया भ्रम पूरा रूप से निश्चेष्ट हो गया। वे अपनी आँखें भी नहीं खोल सकते थे और उनकी बाणी लुप्त हो गई। तीन सितम्बर को उनका ज्वर बहुत बढ़ गया तापक्रम बहुत ऊँचा हो गया। नाड़ी की गति घटि तीव्र हो गई और रोगी के क्रमशः ह्रवण (समाप्त) होने के बिना दृष्टि गौचर होने लगे। ६ सितम्बर को अत्यधिक ज्वर के कारण वे अत्यन्त अस्वास्थ्य रहे। आठ सितम्बर को सायंकाल सात बजे के लगभग यतीन दस नाथ दास के हाथ और पैर पूर्ण रूप से निश्चेष्ट हो गए। दस सितम्बर को बंदी ने अपने उपवास के ६० दिन पूरे किए। उनका मस्तिष्क अत्यन्त निबल हो गया था, उनके भ्रम निश्चेष्ट और विपिन हो चुके थे उनमें गति की शक्ति समाप्त हो गई थी ग्यारह सितम्बर एम्बली में यह विभाग के सदस्य ने घोषणा की कि यतीन दस नाथ दास की दशा अत्यन्त सङ्कटापन है। बारह सितम्बर को प्रातः काल यतीन को खून का यमन हुआ और उनके हाथ पाव ठंढे हो गए। १३ सितम्बर १९२६ को मध्याह्न उपराध्द एक बखर पांच मिनट पर यह निर्णायक क्षण जिसकी वीर यतीन दस नाथ दास ने कामना की थी क्रमशः घन घन पर दृढ़ पगों से भा पड़वा और उनके कष्टों का अन्त हो गया। उस दिन उनके उपवास का अन्त सटवां दिन था। उस दिन प्रातः काल दस बजे उनको यथेष्ट होश आ गया उन्होंने अपनी मृत्युशय्या के पास अपने सभी मित्रों और सहयोगियों को बन्दे कहा और प्रसन्न मुद्रा से सबों से अन्तिम विदा ली। यतीन की मृत्यु के एक दिन पूर्व १२ सितम्बर को एम्बली के एक प्रमुख मुस्लिम सदस्य ने घोषणा की 'कि जो व्यक्ति भूख हड़ताल करता है वह ऐसा अपनी आत्मा की पुकार के कारण ही करता है।

यतीन ने होश में जो अन्तिम शब्द अत्यन्त कठिनाई से कहे थे "मैं नहीं चाहता कि मेरा अन्तिम संस्कार काली माँ में प्राचीन बंगाली परम्परा के अनुसार किया जाये। मैं बंगाली नहीं हूँ मैं भारतीय हूँ।" बाई बजे बोरस्टाल कारागार से यतीन का शव एक बाप्ट टिकरी पर बाहर लाया गया। उनकी आँखें गहरे गहरे में बँठ गई थी अत्यन्त निबलता के कारण उनके गाल की इट्टी बहुत ऊँची उठाई की और उनका चेहरा अत्यन्त पीला पड़ गया था। समस्त देश यतीन की मृत्यु पर शोकमग्न हो गया। सारे देश के राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने यतीन दस नाथ दास के बलिदान की प्रशंसा में सम्पादकीय लेख लिखे। उन्होंने अपने लेखों में यतीन के बलिदान सुधा और पिपासा के दारुण कष्टों तथा घन घन माने वाली मृत्यु की छाया जो ६३ दिन के उपवास में गहन होनी जा रही थी उसके विरुद्ध अदभुत सहन शक्ति की भूरि भूरि प्रशंसा की। टिन्बून ने यतीन दस नाथ दास की मृत्यु पर लिखा 'यदि कभी एक ऊँचे उद्देश्य के लिए किसी व्यक्ति ने एक वीर तथा बलिदानों मृत्यु को अर्पण किया तो वह यतीन दस नाथ दास थे। लहीदों का खून सभी देशों और सभी कालों में ऊँचे और उदात्त जीवन, तथा उत्तम सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को अग्र देता है।' काक के लाइ मेयर की

मकम्बनी जिने घायर लड म समान परिस्थितियो म अपने जीवन का बलिदान कर दिया था उनकी योग्य धमपत्नी मेरी ने तार द्वारा सदेश भेजा । टरेस मकम्बनी का परिवार वीर यती द्र नाथ दास की मृत्यु पर देश भक्त भारतीयों के इस गौरु और गौरव के क्षण म उनके साथ है । स्वतंत्रता प्रवश्य आयगी । २४ सितम्बर १९२६ को वीर यती द्र नाथ दास तथा अय व्यक्तियों का जिस 'यायालय म अभियोग चल रहा था उसकी कायवाही आरम्भ हुइ तो सरकारी वकील ने उस व्यक्ति (यती द्र नाथ दास) के प्रति अपनी श्रद्धा जली भेट की जिसकी 'यायालय के द्वारा फाँसी के निणय के द्वारा वह मृत्यु के लिए प्रयत्न शील था । सरकारी वकील न कहा । यायालय का घाना से मैं अपने तथा अपने सहयोगियों की ओर से उस दुखद और खेदजनक घटना के प्रति अपनी श्रद्धा के पुष्प कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि जो गिछली वार जब कि 'यायालय बठा था उसके पश्चात घटी थी । मैं सभी की ओर से उस उदभावी खेद और अतिरिक्त शोक का प्रकट करता हूँ जो कि हम सब यती द्र नाथ दास की असामयिक मृत्यु पर अनुभव कर रहे हैं । कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि सभी व्यक्तियों को समान रूप से उनकी प्रशंसा करने पर विवश करते हैं उनम से किसी ऊँचे आदर्श को प्राप्त करने में साहस और स्थिरता के गुण प्रमुख हैं । यद्यपि हम उन आदर्शों को स्वीकार नहीं करते कि जिन आदर्शों को उल्लेख स्वीकार किया था परंतु हम उल्लेख जो अपना उद्देश्य प्राप्त करने में आश्चर्य जनक हडना साहस और असीम शक्ति प्रदर्शित की उसकी सच्चे दिल से सराहना करते हैं ।" भगतसिंह तथा वदुकेश्वर दत्त ने प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव के प्रति आदर भावना प्रदर्शित करने के लिए ४ अक्टोबर १९२६ को आमरण उपवास का समाप्त कर दिया । जो सन्धेजनक व्यक्ति अर्थात् तक फरार थे उनकी गिरफ्तारी के उपरांत उनके विहद दो भागो म अभियोग चलाया गया । एक उन लोगों के विहद जो काश्मीर विल्डिंग बम फक्ट्री से सम्बन्धित थे दूसरे भाग म वे लोग थे जो कि साइस की हत्या से प्रयथा उसके पूर्व तथा पश्चात के अपराधो से सम्बन्धित थे ।

१६ जून १९२६ धारा ३०२ १०२-वी तथा १०० के अन्तर्गत ६ अपराधियों के विहद जिनमें सुब्रह्म भी सम्मिलित थे चालान दाखिल किया गया । एक अपराधी को अनुपस्थिति में अभियोग को १० जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया । कुछ प्रमुख अपराधी निम्नलिखित थे ।

सुलदेव उपनाम दयाल उपनाम स्वामी उपनाम प्रामोण पुत्र श्री रामलाल लायलपुर जो १५ फरवरी को लाहौर बम फक्ट्री म पकड़े गए । यती द्र नाथ दास पुत्र श्री बकिम चंद्र दास भवानीपुर कलकत्ता जो १४ जून १९२६ को कलकत्ता म गिरफ्तार हुए और १६ जून को पुलिस के पहरे म लाहौर लाए गए ।

भगतसिंह पुत्र श्री विगमसिंह खवासरियान लाहौर के निवासी जो केन्द्रीय एस्त्रवली सभा मदन म ८ अप्रैल १९२६ को कद हुए और एस्त्रवली बम कांड में दंडित किए गए । रघुनाथ उपनाम एम उपनाम शिवराम राजगुरु पुत्र श्री हरिराम राजगुरु मदाशिव पेठ पूना के निवासी जो कि १८ अक्टोबर को यायालय के समक्ष उपस्थित किए गए और जिह पूना में कुछ दिना पहले गिरफ्तार किया गया था । फरार अभियुक्तों में से दो प्रमुख थे चंद्र शेखर आजाद उपनाम पंडित जी पुत्र श्री गेजनाव राम उपनाम सीताराम मिनीपुर बनारस भगवती चरण उपनाम बी सी बोहग पुत्र राय बहादुर पिबवरन दास भगतसिंह पांडेई हुस्पाकांड में सम्मिलित थे । यह बात एक व्यक्ति

के बयान से ज्ञात हुई जो उसने दशहरा वम विस्फोटों के सम्बन्ध में जांच के समय दिया था। प्रथम विस्फोट १९२६ और दूसरा १९२८ में रोजन द्वारा (रोगनी) फाटक पर हुआ था। जांच में यह पता चला कि ओरियन्टल कानेज के दो भूतपुत्र छान छात्रावास की इमारत में पहली तथा, दूसरी मजिल में बहुधा छाया करते थे जहां कि वमा का विस्फोट हुआ था। भगतसिंह के साठवें हत्या कांड में सम्मिलित होगा इस बात से भी निश्चित हो गया कि जो पिस्तौल उनके पास थे, एसम्बली सभा भवन में छीनी गई थी उसका बोर वही था जो सत्रह दिसम्बर १९२८ में हुआ हिमा काण्ड में काम में लाई गई थी। सरकार का यह भी कथन था कि अभिपुत्र अपने भय साधियों के साथ लाहौर तथा ब्रिटिश भारत के भय स्थानों पर विभिन्न अवसरों पर १९२८ से उसके गिरफ्तार होने के समय तक सम्राट के विरुद्ध पडयंत्र करने में सम्राट के ब्रिटिश भारत में साव मौम सत्ता से वंचित करने तथा भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार को पराभूत करने और उलट देने के प्रयत्न में लगा रहा। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन लोगों ने अस्त्र धस्त्र गोली बारूद तथा व्यक्तियों को इकट्ठा किया सभी उद्देश्य से उन्होंने कोष प्राप्त करने के लिए नौका और खजानों को लूटा वमा का निर्माण किया उन व्यक्तियों की हत्या की जिन्होंने उनके पडयंत्र के उद्देश्य को कार्यावित करने में बाधा, डाली, रेल गाडियों को उड़ाया राजद्रोहात्मक तथा क्रांतिकारी साहित्य को तयार किया उस अपने पास रखता और उसका प्रचार किया, ऐसे व्यक्तियों का छुड़ाया जो कि राजनीतिक प्रपगण्डा के कारण या तो दक्षिण हो चुके थे अथवा कानून के अनुसार हिरासत में थे विभिन्न तरहका को उहोंने पडयंत्र में सम्मिलित करने के लिए बहुरामा तथा विष्णो में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों से आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त की जो कि भारत में विद्रोह कराने में रुचि रखते थे तथा भय सभी उपाय किए जिन्हें वे अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आवश्यक समझते थे। अभियुक्तों के विरुद्ध और भी दोषारोपण किए गए जिनमें से निम्न लिखित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। १३ जनवरी १९२८ को सी आई डी, पुलिस के इनस्पेक्टर की हत्या करने का प्रयत्न किया। दल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए २६ जून १९२८ को जिला गोपालपुर के सुरहान गज डाकखाने के कोष का रबन किया। ४ दिसम्बर १९२८ को पंजाब मेसजर्स की को लूटने की योजना बनई गई। १७ दिसम्बर १९२८ को साइंस की हत्या की गई। ८ अप्रैल १९२९ को एसम्बली हल में वम फेंका गया और पिस्तौल से गोली चलाई गई। ७ जून १९२९ को मीलनिमा में डाका डाला गया। लाहौर सहारनपुर, बिलासपुर बलरसा और भागेश में वम बनये गए। उस रेसगाडी को जा साइमन कमिशन को बम्बई से पूना ले जा रही थी डाकघर से उछाने का प्रयत्न प्रथम किया गया। काकोरी डकती के मुकद्दमे में जिन व्यक्तियों को सजा हुई थी उनको छुड़ाने की योजना बनाई गई।

१० जुलाई १९२९ को जब कदी ग्यालय में लए गए तो उहोंने अदालत में घुसते ही क्रांति चिह्नोवी हो-साम्राज्यवाद का नाग हो" का घोष किया और जब भगतसिंह और दत्त आए तो कदियों ने पुन इप नारे को दोहराया और एक दूसरे को गले लगाया। प्रारम्भ में ही एक अभिपुत्र ने मजिस्ट्रेट से शिवापस की कि एक पुलिसमैन ने उसको अपशब्द कहे और यदि उस अपराधी सिपाही को नहीं हटाया तो उसको कानून को अपने हाथ में लेने पर विषय होगा पडेगा। दृष्ट



बचाव करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। अतएव सरकारी वकील ने १६ जुलाई को सरकार के व्यय पर उन अभियुक्तों के बचाव के लिए वकीला की नियुक्त करने की भाषा प्राप्त करने के लिए अदालत से अपील की। उच्च न्यायालय के २६ जून को सरकारी वकील के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उक्त अभियोग को सुनने के लिए जो विदोष मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ है उसे बिना उच्च न्यायालय की सहमति के भूख हड़ताली बंदियों के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। पुलिस के दुर्व्यवहार से हताश होकर तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें उस दुर्व्यवहार से सुरक्षा न दे सकने के कारण बंदियों ने अभी स्थिति उत्पन्न कर दी कि जिसको मजिस्ट्रेट के लिए भी नियंत्रित कर सकना कठिन हो गया। मजिस्ट्रेट यह भाषा दे दी कि प्रत्येक अभियुक्त को एक क्वार्टरबिल के साथ हफ्तेकड़ियां हाल कर अदालत में लाया जावे और जब वे अदालत से जावें तो भी उनके हाथों में हफ्तेकड़ियां हाल कर ले जाया जावे। अभियोग सरलता से बिना विघ्न बाधा से नहीं चला सका। अभियोग के चलते बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो गईं और अभियोग के बार-बार स्थगित होने के कारण वह बीच-बीच में रुक जाता था। अभियुक्त और कम से कम उनमें से एक अदालत में उपस्थित नहीं हो सका अथवा जान बूझ कर उपस्थित नहीं हुआ। १४ अगस्त १९२६ तक लोग इस बात की अटकल लगाने लगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की धारा ५४० की संशोधित क्रिया जा रहा है जिसके अंतर्गत अभियुक्त की स्वेच्छा से किए हुए किसी बाय से उसकी अनुपस्थिति होती है जैसे भूख हड़ताल के द्वारा तो उसके विरुद्ध जांच या अभियोग चलाया जा सकता है। उस संशोधन के अंतर्गत मजिस्ट्रेट दण्डनायक या म्यायाधीश (जज) को यह अधिकार भी देने की बात थी कि यदि दण्डनायक अथवा म्यायाधीश को विदवांस हो जावे कि अभियुक्त ने स्वयं अपने ही वृत्त से अपने को अदालत में उपस्थित हो सकने के अयोग्य बना लिया है तो उस अभियुक्त की उपस्थिति को आवश्यक न माने और उसकी अनुपस्थिति में भी अभियोग की शायवाही जारी रखे। इस प्रकार उसकी अनुपस्थिति में जांच अथवा अभियोग में अदालत जिस फसले को दे वह गर कानूनी नहीं ठहराया जा सकेगा परन्तु अभियुक्त को यह अधिकार होगा कि वह भागे चल कर अपने बान्धुनी सलाहकार द्वारा अपनी बकायत करवा सके। ८ सितम्बर १९२६ को दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) के संशोधन का विधेयक गृह सदन द्वारा केन्द्रीय एसम्बली के सामने उपस्थित किया गया।

उस विधेयक के प्रश्न पर विरोधी कांपैस हल ने १४ सितम्बर को एसम्बली में एक स्वयं प्रस्ताव रख दिया जिसके द्वारा व. लाहौर पंडित अभियोग में अभियुक्तों के प्रति अमानवीय व्यवहार की सरकारी नीति को अंतना करना चाहते थे। सरकारी सदस्यों तथा सरकारी वकीलारी ने उक्त प्रस्ताव का घोर विरोध किया परन्तु सरकार तथा उसके समर्थकों के घोर विरोध करने पर भी वह प्रस्ताव ४७ मतों के विरुद्ध ५५ मतों से पारित हो गया। सरकार की प्रतिष्ठा को गहरा घक्का लगा और उस बिल को एसम्बली में सीधे रखने के बजाय उसकी सदस्यों की जानकारी के लिए परिवहन के लिए इस उद्देश्य से भेज दिया गया "कि परस्पर विश्वास उत्पन्न हो और सधम दूर हो" साथ ही यह धमकी भी दे दी कि यदि एसम्बली की अगली बैठक होने से पूर्व प्राणाय स्थिति उत्पन्न हो गई तो सरकार यह अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती

है कि वह विधेयक के पारित करने में देरी करने की उक्ति या को रोक सके।' इससे उपरान्त अभियोग प्रत्येक प्रवर्तित ढंग से चला। २१ अक्टोबर को एक वाह जा कि मुसविह बत गया या साक्षी कक्ष में गिरत देखा गया। उसको एक अभियुक्त न बडे वेग से झूता फेंक कर मारा या। दण्डनायक ने आज्ञा दी कि जब तक अभियुक्त प्रदासत में रहें उनके हथकड़िया लगा दी जावें। दूसरे दिन अभियुक्त न पुनिस घान से वाहर निकलने और 'यायालय के कक्ष तक आने से मना कर दिया क्योंकि उनके दोनो हाथों में हथकड़िया डाल दी गई थी। उनको विषाहिया ने सशरीर उठा कर कठ घरे में रख दिया। २१ अक्टोबर को अभियुक्तो ने पुलिस द्वारा भयानक यातना दन की निशकायल की और मजिस्ट्रेट से सुरक्षा की याचना की। जबकि उ ह बरिफों में से निकाल कर लाया जा रहा या तो पुलिस ने उनके दोनो हाथों में हथकड़ी डालने का प्रत्येन किया जिसका उ होने विरोध किया। अतएव उन्हें वैरिफो में वापस भेन दिया गया। एक घट के पश्चात उन्हें पुन धुलाया गया तो उन्होंने देखा कि लगभग ३०० पुलिसमैन तथा वाहर उनके विरुद्ध बल प्रयोग करने के लिए तैयार खडे थ। दूसरी बार भी अभियुक्तो न हथकड़िया पहिनन से इनकार कर दिया। उनके साथ पुलिस ने अमानवीय पशुता का व्यवहार किया। अमानवीय यातना देने का एक तरीका यह था कि अभियुक्तो की गुना में अगुनो धुनेडी जातो तथा काठा पर ठोकर से प्रहार किया जाता यह अमानवीय यातना और वेतों से कठोर प्रहार एक घटे स अधिक चता रहा। जब कि अभियुक्त पूरा रूप से अद्विसक थे। अभियुक्तो ने 'यायालय को सूचित करे दिया कि दूसरे दिन अर्थात् २४ अक्टोबर १९२६ से वे अपने बचाव के लिए किसी वकील प्रादि की सहायता नही लेंगे। मई १९३० में सरकार ने एक श्य्य शेशि शाल कर अभियुक्तो के प्रारम्भिक अभियोग का बद कर दिया और पजाब उच्च 'यायालय के मुख्य 'यायाधीश को यह अधिकार प्रदान कर दिया कि वह तीन जजा का एक ट्रिब्यूनल नियुक्त करे जो इस अभियोग को सीप्रता पूर्वक समाप्त कर दे। मुख्य न्यायाधीश इसके लिए जिन जजो को चुने उ हें यह अधिकार भी होगा कि वे 'याय के प्रशासन में जान बूझ कर विघ्न डालने के प्रयत्नों को उचित दण्ड दे सकें तथा उन प्रयत्नों को ध्यय कर सकें। ट्रिब्यूनल ने १७ मई १९३० को अभियुक्तो को प्रदासत में उपस्थित होने से मुक्त कर दिया इनकी उपस्थित को आवश्यक नहीं समझा। ११ जुलाई १९३० को ट्रिब्यूनल ने भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं - १२० बी १३१ ए १२२ १२६, और ३०२ तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं ४ १ ६ के अंतर्गत दोषद अभियुक्तों पर आरोप लगाए। यह दोष डाल तक चलने वाला अभियोग ७ अक्टोबर १९३० को समाप्त हुआ जब कि ट्रिब्यूनल न अपना पगला दे दिया। (१) भगतसिंह की भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२१ तथा ३०२ के अंतर्गत तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा ४ बी के अंतर्गत दोषो पाया गया। (२) शिवराम राजगुरु उपनाम एम की भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२१ तथा ३०२ के अंतर्गत अपराधी पाया गया। (३) सुबदेव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२१, ३०२ १०६ तथा १२० बी के अंतर्गत अपराधी पाया गया और इन तीनों को प्राण दण्ड की आज्ञा दी गई। श्य्य घाठ को आजीवन क रावास तथा बाले पाती का दण्ड दिया गया। जब फतवा सुना दिया गया तो भगतसिंह ने कहा 'पापी पर सत्य कर मरना जन में सड़ने और अगोठे करते रहने से कहीं अधिक मान्य दायक है। किसी घाटसिल में

टिपूनल के निराश्रित विरुद्ध अपील की गई जो ११ फरवरी १९३१ को अस्वीकृत कर दी गई। १३ मार्च १९३१ को जेन अधिकारियों ने मृत्यु दण्ड के बंदियों के सम्बन्धों से अभियुक्तों से साक्षात्कार करने के लिए कहा। देश में इस समाचार से आंगा की लहर फैल गई जि महात्मा गांधी वायसराय से इन क्रांतिकारियों के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं तथा उनके दण्ड को कम कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। वायसराय ने गांधीजी का सकेत तब नहीं दिया और समा प्रायना को अस्वीकार कर दिया और उन्हें फांसी देने की अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई। भगतसिंह के पिता को १८ मार्च १९३१ को लाहौर में एक पत्र मिला जिसमें उन्हें सूचित किया गया — मुझे आपको सूचित करने का भावना है कि आपका मृत्यु दण्ड प्राप्त अभियुक्त भगतसिंह से साक्षात्कार २३ मार्च को ग्यारह बजे होना निर्दिष्ट किया गया है। आप अपने सभी अधिार सम्बन्धियों को अपने साथ लाने की व्यवस्था करें। इसी प्रकार की सूचना अर दो बंदियों के सम्बन्धियों के पास भेजी गई। सोमवार २३ मार्च १९३१ को पीने सात बजे सायंकाल लाहौर सेंट्रल जेल में सीनो वीरो को फांसी दे दी गई।

उाके शर्कों का दात्र सस्कार सरकारी अधिकारियों ने २४ मार्च को किया। शर्कों को सम्बन्धियों का नहीं दिया गया। श्रुता की परामर्श हो गई। जिलाधीश ने नीचे लिखी सूचना निराली जो २४ मार्च को प्रातः काल लाहौर के विभिन्न स्थानों पर पोस्टर पर छाप कर चिपका दी गई थी। जनता को सूचित किया जाता है कि भगतसिंह राजगुरु और सुखदेव के शर्कों का जिह्वा कल (२३ मार्च) के सायंकाल फांसी हुई थी जेल से सतलज नदी के तट पर ले जाया गया और उनका शिवल तथा दिव्य रश्मि के अनुगार उनका दाह सस्कार कर लिया गया तथा उनकी अस्म तथा अस्थितियां सतलज में डाल दी गई। पुलिस ने जेल से सुखदेव द्वारा अपने भाई को भेजे गए एक पत्र को पकड़ लिया जिसमें उनके कार्यों की याचना तथा उद्देश्य का विवरण था। वह पत्र अत्यन्त रोचक था। पत्र की भाषा नीचे लिखी थी।

#### आक्रमक कायदाही की योजना

'सबसे पहले हमने साधा कि एक आदमी को पिस्तौल देकर भेजा जावे वह स्काट को मार कर वहीं उसी समय अस्म समपण कर दे। उसके उपरान्त वह अपने वगान में यह बहे कि जब तक कि भारत में क्रांतिकारी है राष्ट्रीय सम्मान का इस प्रकार प्रतिशोध लिया जा सकता है। बाद को यह अधिक उपयुक्त समझा गया कि तीन व्यक्तियों को भेजा जावे। इसमें भी निकल भाग सकने का विचार प्रमुख नहीं था। बच कर निकल जानने की इच्छा हमक पीछे नहीं थी। हमारा उद्देश्य यह था कि हत्या कर देने के उपरान्त यदि पुलिस पीछा करे तो उसका सामना किया जावे। जो भी बच जावे और गिरफ्तार हो वह हम प्रकार बयान दे। इस उद्देश्य से हम लोग आक्रमक कायदाही के समय ठीक कर डी ए सी कालेज व छात्रावास की छत पर चढ़ गए। व्यवस्था यह की गई थी कि भगतसिंह जो कि स्काट को पहचान सकते थे पहली गोली मार राजगुरु यही दूसरी गोली सुखदेव और भगतसिंह को रक्षा करें। यदि कोई व्यक्ति भगतिर पर आक्रमण कर तो राजगुरु उनका समना करें। इनके उपरान्त भगतसिंह और राजगुरु दोनों भी भग जायें। और क्योंकि जब वे भाग रहे होंगे तो वे उन लोगों को गोली नहीं मार सकते कि जो उनका पीछा कर रहे होंगे अस्तु पंडित जी पीछे दखे देंगे और डाक्री रक्षा करेंगे। उस समय हम लोगों का यह निश्चय उसको मारने

ता अधिक था और अपने बचाव की कम या हम नहीं चाहते थे कि जिस व्यक्ति को हम मारने का निश्चय करें वह अस्पताल में मरे। यही कारण था कि जब राजगुरु ने गोली मारी तो भा मगनविह तब तक गोली चलान रह जब तक कि वह निश्चय नहीं हो गया कि वह मर गया है। हत्या करने के उपरांत भागने की हमारी योजना नहीं थी। हम जनता को यह बतला देना चाहते थे कि यह हत्या राजनीतिक हत्या है और इससे करने वाले प्रातिकारी हैं मानागी क साथी नहीं हैं। इसी लिए हमने हत्या के उपरांत अपने पोस्टर चिपकाए और उन्हें छान के लिए भी भेजा। हमें खद है कि न तो हमारे नेताओं ने और न समाचार पत्रों ने उस समय हमारी कोई सहायता की। और सरकार को थोड़ा देने के अतिरिक्त स सत्रों ने अपने देशवासियों को ही थोड़ा दिया। हम चाहते थे कि व दास माल गदों में लिखें कि वह राजनीतिक हत्या थी और सरकार की उस नीति का परिणाम था कि जो इस कारण की घटनाओं के लिए उत्तर दायी है। पर तु यह सब जानत हुए और मेरे बार बार दोहराने पर भी व ऐसा कहने का साहस न कर सके। यह बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग गिरफ्तार हो गए इस कारण जनता को सारी बात स्पष्ट हो गई। प्रिय बंधु मैं अपनी गिरफ्तारी को इसी कारण अपना अहोभाग्य मानता हूँ। इस कायवाही के स्वरूप का कारण स्पष्ट कर चुकने के उपरांत मैं उसकी पीछे जो नीति है उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं यह दिखाना चाहता हूँ कि हमारा विचार यह था कि हमारी कायवाही ऐसी हो जो जन मानस की इच्छा को पूरी करे और सरकार के विरुद्ध जो जनता की शिकायतें हैं उनके समर्थन में हो जिससे वे जनता की सहानुभूति और सहायता प्राप्त कर सकें। इस विचार से हम जनता में प्रातिकारी भावों तथा काय प्रणाली का प्रसार करना चाहते थे। ऐसे विचार ऐसे व्यक्ति के मुख से अधिक शोभा देते हैं तथा गौरवयुक्त प्रतीत होते हैं कि जो अपने भावों के लिए फाँसी के तट पर खड़ा होता है।”

### परिशिष्ट

हिन्दुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की एक पम्पलेट जिस पर 'बलराज' कमांडुन की एक भाष्य भाषा - प्रधान सेनापति के हस्ताक्षर थे उसकी भाषा नीचे लिखी थी। 'बहरे को सुनाने के लिए चिन्ता कर शोभा पड़ता है' एक ऐसे ही अवसर पर श्री धारजतावादी बलिदानों ने यह धमक दार कहा था। क्या हम अपनी इस कायवाही को और भी उचित ठहराते हैं। शासन सुधार के क्रिया-दान के विरुद्ध दस वर्षों के अग्रमानजनक अग्रद्वार और इस सदन द्वारा जिसे भारत की पालिका कहा जाता है न जो भारत का वेदमन्त्री की है उसका उत्सव न करते हुए हम यह इंगित करना चाहते हैं कि जब कि सब साधारण साधन कमीशन द्वारा शासन सुधार के चोट से और दुबड़ों की प्रतीका कर रहे हैं और प्रस्तावित शासन सुधार की माँग की बाँटन के लिए आवस्य म भगद रह है सरकार हम पर सावजनिक सुरक्षा, औद्योगिक विप्लव विधेयक जैसे दमनकारी कानून लागू रही है साथ ही प्रेम सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी की भाँसी बँटक के लिए रख रही है। जो अतिक्रमिता मजदूरा में प्रवृत्त रूप से काम करने हैं उनकी असाध्य गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि हवा का एक हिस्सा है। इन सोशलीन प्रकीर्ण परिस्थितियों में हिन्दुस्तान समाजवादी जनता पक्ष (हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एनोन्सियन्स) ने आत्मन गम्भीरता पूर्वक अपने उत्तरदायित्व का अनुभूत कर यह निष्कर्ष दिया है कि वह अपनी सत्ता को इस हिस्से

का नहीं करन के लिए आज्ञा दे जिससे कि यह अपमानजनक शक्ति प्रयोग बन्द हो।  
 17 विद्वही गायक नोकरशाही जो चाहे वह करे पर तु हम उसे जनता के सामने अपने  
 सभी रूप में उपस्थित होने के लिए विवश कर देंगे। जनता के प्रतिनिधियों को अपने  
 क्षेत्र में जाना चाहिए और जनता की आने वाली क्रांति के लिए तैयार करना  
 चाहिए। साथ ही सांख्यिक सुरक्षा तथा औद्योगिक विप्लव विधेयका का तथा लाला  
 लालनाराय की निम्न हत्या का निस्सहाय भारतीयों की ओर से विरोध करते हुए  
 सरकार का यह दतला देना चाहिए कि तुम व्यक्तियों को मार सकते हो परन्तु तुम  
 विनाश की हत्या नहीं कर सकते। बड़े विशाल साम्राज्य ध्वस्त हो गए परन्तु सभी  
 विनाश जीवित रहे। बीरता तथा जासूसी का पतन हो गया परन्तु क्रांति की जय पताका  
 पर और वह भंगे बढी। हमें योद्धा है कि हम जो कि मनुष्य जीवन को इतना  
 अधिक पवित्र मानते हैं जो एक शानदार तथा समृद्धिवादी भविष्य के स्वप्न देखते हैं  
 जब कि मनुष्य का पूरा शक्ति तथा स्वतंत्रता से रहने को मिलेगा उसे मनुष्य का खून  
 बगल पर विवश होना पडा। परन्तु उस महान क्रांति की धेदी पर जो कि मनुष्य द्वारा  
 मनुष्य के शोषण को असम्भव बना देगी, व्यक्तियों का बलिदान आवश्यकता है उसे  
 रोकना नहीं जा सकता।

क्रांति चिरजीवी हो।

### विश्वसनीय सहायक (१९३०)

क्रांतिकारी समाजवादी जनतांत्रिक दल में भगतसिंह के विश्वसनीय सहायक  
 के नाम में प्रसिद्ध लाहौर के भगवती चरण (बोहरा) ने पाठ के खतरनाक क्रांतिकारी  
 कार्यों में गतवत् महत्वपूर्ण भाग लिया था। उन्हीं कायदाद्विही के कारण भगतसिंह तथा  
 उनके दो साथी मुख्तियार और राजगुरु को फांसी हुई थी। वे भगवतीचरण ही थे जिन्होंने  
 १५ मार्च १९२६ को काश्मीरी बिल्डिंग में ६८ नम्बर के कमरे को १३ ४० मासिक  
 किराए पर लिया था। जिसका दल के शस्त्रागार के रूप में उपयोग होता था। १५  
 अप्रैल को हुई तलाशी के समय भगवती चरण अनुपस्थित थे। पुलिस ने भरसक प्रयत्न  
 किया पृथ्वी आकाश एक कर दिया कि किसी प्रकार भगवती चरण गिरफ्तार हो जावे  
 जिससे कि घट भी लाहौर घटयंत्र (सांख्यिकी हत्या) के अभियोग में अभियुक्त बनाया  
 जा सके परन्तु उनके सब प्रयत्न असफल हुए। भगवती चरण पुलिस के लाल प्रयत्न  
 करी पर भी उसके हाथ नहीं भाए। उनको घोषित अपराधी और फरार अभियुक्त  
 घोषित कर दिया गया। पुलिस उनके मकान पर १० मई १९२६ को गई और उनकी  
 सम्पूण वस्तु सम्पत्ति की उसने सूची तैयार कर ली और उनकी पत्नी से पुलिस ने कहा  
 कि वे जाने पति को पुलिस के याने में भेज दें क्योंकि उनसे कुछ आवश्यक काम है।  
 ६ मार्च १९३१ को एक मुलीबर क द्वारा (लाहौर घटयंत्र अभियोग का मुख्यवीर)  
 पुलिस को जान हुआ कि भगवती चरण बर्मा नदी के किनारे जंगल में जब  
 प्रयोग कर रहे थे तब बम फट जाने से भगवती चरण गम्भीर रूप से घायल हो गए।  
 ५ मई १९३१ को उनके दोनों हाथ उड़ गए। यह घटना जनवरी १९३१ में घटित  
 हुई। उनके परिणाम स्वरूप उनकी तरहाल मृत्यु हो गई। उस परिस्थिति में उनको  
 डाक्टरों की सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। उनके मित्र जो वहाँ उपस्थित थे उन्होंने गुप्त  
 रूप से शीघ्र ही उनका अंतिम संस्कार जिस प्रकार भी वे कर सकते थे कर दिया और  
 भद्रा मता ने अपना एक बेटा आझावान पुत्र छो दिया। उन्होंने क्रांति के लिए अपने



दि घोड़े में एक निर्दोष योरोपियन को अपने जीवन से हाथ घीने पड़े थे। परन्तु अभी तक भी टगाट के भाग्य में उसका साथ नहीं छोड़ा था। जब २५ अगस्त १९३० को उसको मारने का प्रयत्न किया गया तो वह जैसे चमत्कार हुआ हो बाल बाल बच गया। वह जल्दी भी नहीं हुआ। दिन के ग्यारह बजे टंगाट कीड स्ट्रीट से लाल बाजार में स्थित पुलिस के मुख्य कार्यालय को ट्राम की पटरी के साथ डलहोजी स्कायर के बाई ओर जा रहा था। वह उस सड़क पर पेपररूम की आफिस की उत्तर की ओर कुछ ही गज आगे बढ़ा होगा उसी समय टंगाट की मोटर की बाई ओर उसके बहुत समीप भयानक घटावा हुआ और एक क्षण बाद ही दूसरी ओर भी भयानक घटाके की घावाएँ हुईं। लोगों में उस घटाके के कारण भगदड़ पड़ गई और वे डलहोजी स्कायर के दक्षिण पूर्वी किनारे के चारों ओर दौड़ बर हेर-स्ट्रीट की ओर भागने लगे। प्रथम बम फेंकने वाला भी भीड़ के साथ विदेशी दिल्लीवरी आफिस के सामने फुटपाथ पर भागा और डलहोजी इस्टिट्यूट के सामने कारनर से लगभग ५० गज पहुँच गया। वह पूरा रूप से पक गया था और शक्ति हीन हो गया था और जैसे ही उसने स्कायर की रेसिंग पर बाटर मूफ रखला कि वह बेहोश होकर चार दीवारी के नीचे गिर पड़ा। उसके अघो वस्त्र खून से भीगे हुए थे और ही उस घायल व्यक्ति के आस पास बहुत अधिक रुधिर बहने लगा। उसको गिरतार कर लिया गया। पुलिस उसे लाल बाजार घाने में ले गई जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। उसके पास ० ४५० बोर का एक रिवाल्वर और दो बम मिले।

उस घटना चक्र में जिसमें तीस सवेड सगे हागे कि एक दूसरा बंगाली युवक भागता दिखाई पड़ा जिसका पीछा ट्रिफिक वास्टेबिल कर रहा था और जो स्कायर के दक्षिण की ओर भागा जा रहा था। वह एक खड़ी हुई टेक्सी में बूद पडा परन्तु वहाँ उसको तार घर के एक कमचारी ने पकड़ लिया। उसने अपना रिवाल्वर अपने पकड़ने वाले पर तान दिया और इस प्रकार से छुटकारा प्राप्त कर बनेजली पलेस की ओर तंगी से भागा। इस बार उसके पीछे एक दूसरा वास्टेबिल भाग रहा था। वह गवन मट पलेस में घुसा जहाँ उसको पकड़ लिया गया और हेर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसके पास ० ३२० बोर का ६ चेंबर का एक भरर हुआ पिस्तोल एक अधूरा चला कारतूस तथा चार खाली कारतूस तथा अलमीनियम के एक छोटे में एक जीवित बम एक सिगार तथा कुछ रुपया मिला। जाच पडताल से पता चला कि मतक व्यक्ति का नाम अनुजा चरण सेन गुप्ता था वह खुलना जिल के सोनाहाटी का रहने वाला था। वह पहले कभी हिंदू सभ' पत्र का सम्पादक था जिसका प्रकाशन अब बन्द हो चुका था। वह अपने भाई के साथ ११ १ १ करववा टक सेन में रहता था। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका नाम दिनेशचन्द्र मजूमदार था वह कलकत्ता विश्व विद्यालय के ला कालेज का छात्र था। वह चौबीस परगने के बशीरहाट का रहने वाला था। वह कलकत्ते में ७ राममोहन रोड पर रहता था।

जिम सजन (डाक्टर) ने अनुजा का पोस्टमाटम किया उसने नगर के मृत्यु प्राधिकार (कारोअर) को दो सितम्बर १९३० को बतलाया कि मतक के पृथक पृथक ७ ठ घाव थे जिनमें बम की किरचें घुसी हुई थी। उसकी मृत्यु अत्याधिक रुधिर के शरीर से निकल जाने के कारण हुई। ११ सितम्बर १९३० को दिनेश पर अभियोग चलाया गया उस पर नीचे लिखे आरोप लगाए गए। (१) अनुजा चरण गुप्ता के साथ

मिलकर टंगाट की हत्या करने का षडयंत्र करना । (२) टंगाट की हत्या की समान दण्डा को बाय रूप में परिशिष्ट करने का प्रयत्न करना । (३) विस्फोट करना । (४) दुर्भावना पूर्ण बाय में उपग्रहायक होना । (५) ऐसे विस्फोटक पदार्थ रखना कि जिनसे अनुपय जीवन को उत्पन्न हो । और (५) अपने पास भरा हुआ ग्लिजोल रखना । १८ सितम्बर १९३० को प्रथम द्वितीय और तृतीय आरोप में मे प्रत्येक के लिए दिनेश को आजीवन काला पानी का दण्ड दिया गया और पाँचवें आरोप के लिए उसे बीस साल का कठोर कारावास दिया गया । सारी सजाएँ एक साथ चलने वाली थीं ।

विभी प्रकार दिनेश का जीवन बंध गया । ७ अक्टोबर १९३० को उसका स्थानांतर मबिनापुर जेल में सी थैली के कदो की भाँति अपनी सजा को वहाँ रह कर काटने के लिए कर दिया गया । सात फरवरी की रात्रि और घाठ फरवरी के प्रात काल के मध्य दिनेश दस्य चार लम्बी सजा बले कदियो सहित अपनी अपनी कोठरी से गायब पाये गए । पुलिस ने उनका पता लगाने और पकड़ने का दायर प्रयत्न किया, आकाश पाताल एक कर लिया परंतु वे उसे पकड़ने में सफल नहीं हुए । इसके उपरांत दिनेश दो बड़े और साहसिक कार्यों में प्रगट हुआ । प्रथम बार ६ माघ १९३३ को बदनगर काण्ड में और दूसरी बार २२ मई १९३३ को कार्तवालीस स्ट्रीट कलकत्ता में ।

### बड़ा शिकार (१९३०)

क्रांतिकारियों का गुप्तचर विभाग तथा जासूसी की बला बहुत ऊँचे दर्जे की थी और वे उसका पूरा उपयोग करते थे । ढाका में रिपोर्ट पहुँची कि इ स्क्वैर जनरल पुलिस यफ जे लीमैन ६ अगस्त १९३० को ढाका आवेंगे अतएव इस अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए आवश्यक तैयारियाँ शुरू कर दी गईं ।

ढाका के पुलिस सुपरिंटेंडेंट श्री इडसन के साथ इस्पेक्टर जनरल नारायण गंग नदी पुलिस के सुपरिंटेंडेंट को देखने गए थे जो मिर्गी के दोरे के कारण मिलफोर्ड अस्पताल में पड़े हुए थे । जबकि इस्पेक्टर जनरल अस्पताल के कम्पाऊर में सुपरिंटेंडेंट इडसन से प्रात काल ८ १४ पर बातचीत कर रहे थे तो प्रहार करने वाला पीछे से टपकते हुए आया और पचाम फीट की दूरी से उसने इस्पेक्टर जनरल इडसन पर गोलियाँ चलाना आरम्भ कर दिया । प्रहार करने वाले ने गोली चलाने में आश्चर्यजनक तीव्रता और कुशलता प्रदर्शित की साथ ही उसका निशाना भी अचूक था क्योंकि एक भी गोली नहीं चूकी सभी गोलियाँ निशाने पर लगी । इडसन के तीन और लीमैन के दो गोलियाँ लगी और घाव हो गए । एक गोली जो लीमैन को लगी उसने शरीर में बाईं शोल्डर से घुस गई और रीढ़ की हड्डी में अटक गई । एक डेवेदार ने प्रहार करने वाले का पीछा किया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया परंतु वह अपना हाथ छुड़ाने में सफल हो गया और वह अपने दो साथियों सहित मेडिकल स्कूल के अहाते से भाग गया । भागते समय वह अपना रिवाल्वर और स्लीपर छोड़ गया ।

उस साहसी युवक के पास दो रिवाल्वर थे क्योंकि एक रिवाल्वर से जो उसके पास था वह अपना पीछा करने वालों पर गोली चला कर उन्हें अपने से दूर रख रहा था । इस बात की भी सम्भावना की अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसका मित्र जो उसके भागने के मार्ग पर दृष्टि रख रहा था उसने भी उस पर पीछा करने वालों के आक्रमण से उनकी रक्षा करने में सहायता की हो । लीमैन का आपरोधान हुआ परंतु उसका कोई परिणाम नहीं हुआ । ३१ अगस्त, १९३० को प्रात काल ६-३४ पर उसकी



मृत्यु हो गई। अपनी कमफ्लता से निराग और सिन्न होकर पुलिस ने मेडिकल मेसों के आदर रहने वाले से बदला निवाला। इनयायन बोडरों को पुलिस ने इतनी चुरी तरह पीटा कि उनको अस्वताता में भर्ती करना पड़ा।

### सम सम्भावित गोलो (१९३०)

देश में विधेपकर पजाव और बगाल में हिंसा फूट पड़ी और जो भी क्रांतिकारी बायबाहियों के सम्बन्ध में प्रान्तिकारियों पर दृष्टि रखते उनको गिरफ्तार करने तथा उनके विरुद्ध अभियोग चलाते वे क्रांतिपारियों की गोलो का निगाना बनते और उन पर आक्रमण होता।

एक ऊंचे पुलिस अधिकारी एक सान बहादुर को जो क्रांतिकारियों पर अभियोग चलाने वाले विभाग का प्रमुख था। मागल-ला (१९१९) बबर अकाली (१९२३) लाहौर पडयान (१९३०) और दशहरा वम (१९२८) के अभियोगों के सम्बन्ध में उसकी बी गई सेवाओं के उपलक्ष में उसे पान बहादुर की उपाधि मिली। वह ४ अक्टोबर १९३० को ११ बजे प्रात काल नहर के किनारे माल-लाहौर के छावनी की ओर अपनी मोटर कार स्वयं चला कर जा रहा था। उसका अदली उसके साथ था। उसी समय अज्ञात प्रहार करने वाले ने अस्मात् उस पर आक्रमण किया और उमकी मोटर पर कई गोलिया चलाई। गोलिया उससे बच कर निकल गई परन्तु उसके अदली के एक गोली लगी जो उमकी धारी में अटक गई। उसका आघात किया गया और समे समय तक यह मृत्यु में सघष करता रहा और अन्त में १० अक्टोबर १९३० को उसकी मृत्यु हो गई। गोली मारने वाले को गिरफ्तार कराने या उसके सम्बन्ध में सूचना देने वाले को दस हजार रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। वह पकड़ा नहीं जा सका।

### अतिम क्षण तक युद्ध करता रहा (१९३०)

दयानन्द एंग्लो वैदिक कालेज कानपुर के बाहर १ दिसम्बर १९३० को एक बड़ा पुलिस दल बाहर सटा प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस कालेज की तलाशी लेना चाहती थी। कालेज की तलाशी लेने के पूर्व ही पुलिस के आदमियों ने एक व्यक्ति को उस रास्ते से निकलते देखा जिसे उन्होंने पहचान लिया कि वह सालिगराम शुक्ल थे जिन्हें पुलिस अभिनास को रोकने सम्बन्धी अध्यादेश के अंतगत जो उस समय लागू था तलाश कर रही थी। शुक्ल पर पुलिस तुरन्त दृष्ट पड़ी और उनसे कहा गया कि वह उनके बंधी हैं। सालिगराम ने अपने को पुलिस की पकड़ से छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया तो तुरन्त और पुलिसमैन उनकी सहायता को पा गए कि जिससे वे निकल भाग सकें। सालिगराम ने एक विस्तोल निकाल लिया और उन्होंने तीन गोलिया चलाई जो तीन पृथक् पुलिसमैनो को लगी जिनमें से प्रेम भत्ता गम्भीर रूप से घायल हो गया। उसकी जान को मृत्यु हो गई।

इस पर समान पुलिस दल जिसके साथ दो योरोपियन आफिसर भी थे अकेले सालिगराम से भिड़ गए परन्तु फिर भी सालिगराम ने अपने को पकड़ा जाने नहीं दिया एक योरोपियन सारजेंट ने अपने पिस्तोल के हत से उनके मर पर बल पूवक प्रहार किया। उन प्रहार के परिणाम स्वरूप शुक्ल पृथ्वी पर गिर गया परन्तु विस्तोल उनके हाथ में ही रहा। दूसरे योरोपियन आफिसर ने शुक्ला के सर पर एक डके से दूसरा प्रबल प्रहार किया उसका परिणाम यह हुआ कि शुक्ला लगभग दशा मृत्यु हो गया।

उसकी मरना हुआ जान कर पुलिसमैनों ने अपने घायल साथियों की देखभाल और बाबू प्रारम्भ की जिनमे से एक मृत्यु के बिनारे था। इतने में शुबला को होश आ गया और इतनी शक्ति आ गई कि वह भाग सके। जैसे ही वह भये कि साजेंट ने उन पर दो गोलिया चलाई। दूसरी गोली से उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

शक्ति के गढ़ में (१६३० ३१)

८ डिसेम्बर १६३० के दिन के १२ ० बजे जबकि बंगाल सरकार के मुख्य कार्यालय राइटस बिल्डिंग में भारी चहल पहल थी, सैकड़ों उच्च अधिकारी और उनके सहायक वहाँ अपने अपने काम में व्यस्त थे उस समय तीन युवक जो यीरोपियन पोशाक पहने थे और अपनी गदन के घारा और मफलर लपेटे थे, इमारत की पहली मजिल पर पश्चिमीय जीने से खड कर पहुचे। उनके वस्त्रों के कारण किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। वे तीन युवक जिनका नाम बाद को जान पड़ताल से ज्ञात हुआ था (१) सुघोर गुप्ता उपनाम 'बादल' (२) विन्नेय बसू (३) दिनेश गुप्ता उपनाम 'नसू'। वे तीन माहव अर्थात् बनल एन एस सिम्पसन से साक्षात्कार करने की इच्छा प्रगट की जो कि जेल विभाग के इन्स्पेक्टर जनरल थे। उनके अदली ने उनमे परम्परा के अनुसार स्तिप करने को कहा और जब तक माहव उनको बुला न भेजे प्रतीक्षा करने को कहा। यह सब कुछ करने के वजाय उ होने अदली को घबका दकर हटा दिया और वे तेजी से कमरे में घुस गए जहां सिम्पसन अपनी फाइलो में गहरे डूबे हुए थे।

इससे पूर्व कि श्री सिम्पसन प्राणुतकों की क्या इच्छा है यह अनुभव कर पाते अथवा अपनी अरुम रक्षा के लिए उपाय करते बल पूर्वक कमरे में घुसने वाले युवकों ने अपने रिल्यात्व निश्चाल लिए और तत्काल पांच या ६ गोलिया दाग दीं। बनल सिम्पसन अपनी कुर्सी से लूटक पड़े। वे तीनों तेजी से कमरे से निश्चले और इमारत के पूर्वी भाग की ओर डलहीजी रक्वायर के सामने के चौड़े बरामदे से होकर भागे। कृपि विभाग के सचिव ने उन आक्रमणकारियों पर कुर्सी फेंकी उ होने सचिव पर गोली चलाई। दोना पत्तों ही वे निशाने चूक गए। वे लोग वित्त सचिव के कमरे के सामने पहुँचे और अदली से पृच्छा कि क्या साहब कमरे के अंदर हैं। अदली परिस्थिति को समझ गया उसने कहा कि साहब बाहर गए हैं कमरे में कोई नहीं है। उन तीन में से एक युवक ने कमरे की ओर कुछ गोलिया चलाई। गोलिया दर्वाजे के शीशों को तोड कर निकलीं।

गोलिया चलने की आवाज सुन कर इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस अपने कमरे से हाथ में रिवावर लेकर बाहर निश्चले और उ होने पीछे से उन युवकों पर गोली चलाई परन्तु निगाना चूक गया। एक साजेंट ने उनके हाथ से रिवावर ले लिया और भागते हुए युवकों पर उसने गोली चलाई परन्तु गोली दूसरी ओर चली गई। अतिस्टेटेड इसे अदर जनरल ऑफ पुलिस एक दूसरे रिवावर को लेकर आए उ होने भी उन भागते हुए युवकों पर गोली चलाई परन्तु उनके गोली नहीं लगी, उनकी गोलिया भी व्यय रही उनकी कोई परिणाम नहीं हुआ। आक्रमणकारी युवक अब पास पोस्ट कार्यालय में घुस गए और उ होने अपने रिवावर में कारतूस भर लिए एक विदेशी यात्री तथा आफिस अतिस्टेट जो कि उनको पकड़ना चाहत थे उनको उ होने रिवावर बताया। वे भय से हट गए और तुरन्त वहाँ से भाग खड़े हुए। 'यापिक' सचिव अपने कमरे के दरवाजे के समीप आया और उसने बाहर भाग कर देखा। उसको युवकों ने गोली मार दी, गोली

उमरी जाय में यम गई । मखिद लगडग हुमा भाग उमने पाव से बहुत अधिन घून यह रहा । न ही वह दू रे नरे न न कर दि गय

मीर दिन और दिनेश का घाबरी कमरे में घ नमे से नक 10 जि से भाव कर बाहर देखा और पुनिस न ग गोली चलता जो कि अब उम कमरे को देते हुए थी । पुनिस ने भी जवाब में गोली चलाई । साथ बाजार पुनिस के मुख्य न वसिय को सामाचार भेजा गया और तर्जोचक पुनिस अधिकारी बतहागा भागते हुए घटना स्पस पर पहुंचे । उस समय तक कमरे के आदर से गोली चलना बन्द हो गई थी एक मिनटे बिल से कहा गया कि वह कमरे के आदर दखे और वहाँ की सही रिपोर्ट दे । हीनों हीरों में से दो फर्श पर पड़े थे और तीसरा कुर्सी पर बठा था और अपने सिर को सामने की मेज पर टिकाये हुए था । ऐसा प्रतीत होता था कि यदि वह मर नहीं गया था तो मर रहा था । मेज पर दो रिवाल्वर और कई कारतूस पड हुए थे और कुछ सफे पाऊडर उसके चारों ओर पडा था । ऐसा प्रतीत होता था कि उसने तो उसने थोडा पाऊडर खा लिया था । दूसरा युवक जो फर्श पर पडा था उसकी गन की दाई ओर गोली का घाय था ।

एक १ नम्बर वाला रिवाल्वर चलाए गए तथा अपूरे चले कारतूसों के साथ उसकी टांगों के बीच पडा था । तीसरे आदमी के सर के दोनों ओर घाय थे । यह उस समय भी होना में था । उसने अपना नाम विनोय बोर बतलाया । विनोय बोस ने पहले व्यक्ति का नाम सुपति राय बतलाया जिसको बाद को पुनिस ने पहचान लिया कि वह सुधीर गुप्ता था । दूसरा व्यक्ति जिसे बिरेन घोष बतलाया गया वास्तव में दिनश गुप्ता था । विनोय को जब में बुनडाग की शकल का एक रिवाल्वर तथा चले हुए और पाँच जीवित कारतूस मिले । कमरे के फर्श पर तथा सुधीर की जेब में तीन तीन रंग के भण्डे मिले जो कि उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय भण्डे थे । बड़ी सख्या में कारतूस तथा चनी हुई गोलियाँ कमरे में तथा बरामदे में बिखरी हुई थीं जि हें अधिकारियों तथा पुनिसमैनो ने उठा लिया ।

विनोय और दिनेश को मेडिकल कॉलेज हास्पिटल से जाया गया । ६ दिसम्बर को उनकी जेल (हास्पिटल) की हिनासत में रख दिया गया । इसी बीच १० दिसम्बर को विनोय की दशा खराब हो गई भेजे का मांस सब भी बाहर निकला था रहा था । दूसरे दिन उसकी दगा और भी अधिक खराब हो गई रात्रि को उसकी दशा सकट की हो गई । जब उसे होश रहता वह मौपवि लेने से इनकार कर देता और अपने सिर की पट्टी को जितना गडबड कर सकता था करता । १३ दिसम्बर १९३० को विनोय ने अपने प्राण छोड दिए । उसके शव को नीमत्ला घाट ले जाने दिया गया । परंतु घाय के साथ उसके घोडे से सम्बन्धियों को ही जाने की आज्ञा मिली और साथ में बहुत बड़ी सख्या में पुलिस थी । विनोय ने मृत्यु के समय मृत्युफालीन घोषणा की कि 'लोमैन' को उसने गोली मारी थी जिसने उसकी मृत्यु हुई । १२ दिसम्बर को दिनेश का आपरेसन हुआ और उसके सर में से एक गोली निकाली गई । उसकी दगा में धीरे धीरे सुधार १३ दिसम्बर १९३० को दिनेश को मेडिकल कॉलेज हास्पिटल उसको पुलिस के दिनेश को मेडिकल कॉलेज हास्पिटल और उसके दिनेश को विरोध की गई । २० जनवरी, १९३१

से अभियोग ग्रारम्भ हुआ दिनेश पर ग्राम्स एक्ट की धारा १६ एक तथा भारतीय अपराध दण्ड संहिता (इंडियन पनल कोड) की धारा ३०२, ३०७ तथा १२० के अंतर्गत उस पर आरोप लगाए गए। यह प्रमाणित हो गया कि सिम्पसन को उनके रिवाल्वर से निकली दो गोलियाँ लगी थीं। १२ फरवरी १९२१ को ५३० बजे सायंकाल निएय सुना दिया गया। कानून के अंतर्गत जो अधिकतम और उच्चतम दण्ड था (मयु दण्ड) वह उनको दिया गया। वीरवर दिनेश ने उस दण्ड को एक दार्शनिक की भाँति उदासीनता से सुना।

उनके अभियोग को उच्च न्यायालय को पुष्टि के लिए भेजा गया। ग्यायाधीश ने १७ और १८ मार्च को अभियोग की सुनवाई की और २७ मार्च १९२१ को निएय द दिया। ट्रिम्बूनल ने जो प्राण दण्ड की सजा दी थी उच्च न्यायालय ने उसकी पुष्टि कर दी। जिस दिन ट्रिम्बूनल ने निएय दिया था उस दिन से फाँसी छे दिन तक दिनेश ने ईश्वर में अटूट विश्वास का आश्चर्यजनक परिचय दिया जो सबके उच्चतम ऊँचे यात्री के योग्य था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह पूर्ण रूप से बीसाराग हो गये थे और जीवन तथा जो भी मनुष्य के अस्तित्व के लिए प्रिय दस्तुएँ होती हैं उससे उनका कोई मोह नहीं रहा था। ६ फरवरी १९२१ को उन्होंने अपने भाई को लिखा कि इसमें तनिक भी सदेह नहीं है कि उन्हें जीवन में एक अद्भुत अह्लाद का अनुभव हुआ है और जिस प्रकार मेरी मृत्यु होगी वह भी मेरे लिए एक नवीन अनुभव होगा।" इन दिनों उनका वजन बढ़ गया। उन्होंने अपने दूसरे भाई को लिखा 'तुम एक डाक्टर हो। क्या तुम यह विश्वास कर सकते हो कि जब से मुझे मृत्यु दण्ड का निर्णय सुनाया गया है मेरा वजन १२ पौंड बढ़ गया है। भाई ने उनके इस कथन पर जब सदेह प्रकट किया तो जल के डाक्टर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि तोलने वाली मशीन बिलकुल सही और ठीक है दिनेश का वजन वास्तव में बढ़ गया है दिनेश जिसका घर का नाम 'नासू या भावी भारत को लेकर उसकी माता उसके भाई तथा भावजों मन से बहुत दुखी थे उनका अंतर अत्यंत बाधर हो उठा था। उनकी अत्याधिक याचना पर उनके पत्रों का उत्तर देते हुए 'नासू' ने २६ मार्च १९२१ को लिखा 'मेरे लिये यह वास्तव में असम्भव है कि मैं उहे वे साधन दत्तला सकू कि जिसे वे अपने मे सार्थि प्राप्त कर सकें। क्योंकि मुझे स्वयं इस समस्या के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है' परंतु उन्होंने यह भी लिखा — 'क्योंकि हम लोगो मे मृत्यु का अर्थ त भय होता है वह भय ही हमें बुरी तरह परास्त कर देता है। यदि हम किसी तरह मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर लें तो मृत्यु हमारे लिए एक नश्य घटना हो जावेगी। मृत्यु से भयभीत होने के स्थान पर हमें उसका निताम्न घात चित्त और भयरहित होकर स्वागत करना चाहिए।' इसके आगे दिनेश ने लिखा — 'हम लोग हिंदू हैं। यदि मृत्यु का विचार मात्र से ही हम घबरा उठते हैं तो हम पहले पग पर ही जीवन की दौड़ में हार जाते हैं असफल हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हम कभी नहीं मरते। जिसकी मृत्यु होनी है वह यह पारिविक शीर है। आत्मन मृत्यु रहित है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी। मैं वह हूँ आत्मा और आत्मा ही भगवान है। जब कि मनुष्य इस तथ्य की अनुभूति कर लेता है तब वह यह सकता है— मैं कभी बूढ़ नहीं होता कभी मरता नहीं मैं सवकालीन हूँ अमर हूँ।' जिसे यह पत्र लिखा गया था वे कह सकते थे कि यह केवल यथायता का प्राकट्य मात्र है और पूछ सकते थे कि उस स्थिति तक पहुँचने के लिए मार्ग कौन सा है? उदका विज्ञान के उत्तर

अपने पत्र में दे दिया। 'इसके लिए केवल मात्र मार्ग है भगवान को पूर्ण समर्पण इस स्थिति को प्राप्त करने का और दूसरा कोई साधन नहीं है। हम भगवान के नाम का चाहे जितना जप करें उसका नाम जप करके तपस्या करके तथा भाल पर चन्दन का तिलक लगा कर अपने को चाहे जितना भक्ति भाव से सजायें अथवा भ्रम प्रकार से उसकी प्रचना करें पर-तु हम वास्तव में उससे प्रेम नहीं करते। जिस किसी भी भगवान के प्रति यथाथ रूप में भक्ति उत्पन्न करली है मृत्यु उसके लिए एक खोलनी ध्वनि है उसमें कोई तथ्य नहीं है। उसको वास्तव में बगल के निमाई ने प्रेम किया था, जिसका फ्राइड ईसा ने किया था जो स्वयं प्रेम का अवतार थे, और उन सभी कम आयु के युवकों ने प्रेम किया था जिन्होंने मुस्कराते हुए मृत्यु का आलोकन किया।' 'देवी व्यवस्था में किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए।'

'प्रत्येक प्राणी को भगवान के 'याय सिंहासन तक' उसके सिंह द्वार तक पहुँचने की छूट है और वहाँ निरंतर याय की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक प्राणी का वहाँ 'याय होता है। उसके 'याय में अटूट विद्यास रक्षो। उसके याय को शीघ्र भुजा कर अत्यंत विनम्रता और भक्ति से सरलता पूर्वक स्वीकार करो।' ८ अप्रैल १९३१ को नासू ने अपने माई को अपनी माया में लिखा — मेरे लिए मृत्यु कोई साहसिकता का उपक्रम नहीं होगा परन्तु मैं उसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करूँगा। हिन्दू दर्शन शास्त्र कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद सदैव मनुष्य के लिए सांसारिक सुखों के रूप में ही नहीं आते बरन वह मृत्यु और सकल के रूप में भी प्रगट होते हैं। अपनी ममता मई मता के सम्बन्ध में सोच कर नासू भी बठिनाई से अपने को समर्पित कर सका उसी पत्र में उसने माता के सम्बन्ध में अंग्रेजी में लिखा —

"To die for me, no terror holds  
yet one fear presses my mind  
Much I fear that over my corpse  
The scalding tears of my mother shall flow"

मृत्यु से मुझे तनिक भी भय नहीं है  
किर भी एक भय मेरे मन पर भार बना हुआ है  
मुझे इस बात का भय है कि मेरे सब पर  
मेरी माँ की अविरल अश्रुधारा बहेगी"

मैं आप सब से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे सब पर शोक न करें। हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। हम मृत्यु को अपने पर विजयी नहीं होने देंगे।" नासू को अपनी मृत्यु पर शोक उदासी का चिह्न भी देखना पसन्द नहीं था। उसकी यह हार्दिक इच्छा थी जो उसने नीचे लिखी पत्तियों में व्यक्त की थी—

Memories of Life and Laughter  
Memories of earthly glee  
As I go to the hereafter  
All my Lullaby shall be

दिनेश ने जो पत्र २२ जून को लिखा उसमें भी उसने मृत्यु के सम्बन्ध में अपने उक्त विचारों को दोहराया। 'मुझे मरने में तनिक भी खेद नहीं है। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि जीवन मधुर है पर कभी कभी मृत्यु मधुरतर होती है। मैं सोना

चाहता हूँ गहरी निद्रा में सोना चाहता हूँ। उस निद्रा को भयनाभा चाहता हूँ कि जो ससार के कभी समाप्त न होने वाले कष्टों दुखों और दुर्भाग्यों से हृदय को शान्ति प्रदान करती है। मृत्यु मेरी मित्र है मेरी सबसे बड़ी उपकार करने वाली है। मृत्यु मुझे बंधन से छुटकारा दिलाएगी। मृत्यु मुझे स्वतंत्र कर देगी मेरी स्वतंत्रता मृत्यु में सनिहित है मेरे जीवन की असरता मृत्यु में है। "जब मैं मरूँ तो मैं अश्रुपत पसंद नहीं करूँगा। यदि मुझे कोई प्रेम करता है और यथाथ में मेरे लिए उसे शोक है तो उसे रोना नहीं चाहिए। मेरी आत्मा को अश्रुओं से सतोंप नहीं होगा। असमय और विवक्षता में पड़ लोगों के खारे पानी से मेरी आत्मा सतुष्ट नहीं होगी।"

दिनेश उस समय गहरी नींद में सो रहे थे जब उन्हें अंतिम यात्रा के लिए तयार होन के लिए जगाया गया तो उन्हें अपनी प्रातः काल की नित्या क्रिया अत्यंत सामान्य ढंग से ही स्नान किया और प्रहरी को सूचित कर दिया कि वह तयार है। वह अत्यंत दृढ़ कदमों से उन सीढ़ियों पर चढ़े जो फासी के तख्ते पर जाती थीं। वह उस समय तक जोरदार आवाज में बड़े मातरम् का घोष करते रहे जब तक कि ७ जुलाई १९३१ को प्रातः काल ३ बज कर ४५ मिनट पर फासी के क्रूर फंदे में उनके गले को बिलकुल घोट नहीं दिया जिससे उनकी बाणी बंद हो गई। दिनेश का आचरण भारत माता के सच्चे पुत्र जसा था। भारत मा के एक सच्चे पुत्र को जो करना चाहिए था वही उन्होंने किया। डाक्टरों ने उनको मृत्यु के मूह से निकाल कर अपना कर्तव्य पालन किया। ब्रिटिश सरकार ने उनको फासी देकर 'याय की रस्म को पूरा किया। और भारत की स्वतंत्रता उनके इस धरम बलिदान से अपने लक्ष्य को और लम्बे कदम रख कर बहुत आगे बढ़ी। बाद को यह पता चला कि दाका में सो में पर जो आक्रमण हुआ था उसके लिए यही तीनों मित्र उत्तरदायी थे। तीनों ही कलकत्ता और बरनागौर पहुंचे। कुछ दिनों वे बादल के आचा के मकान में कुछ रातों रहे उनकी आची ने उन्हें बहुत प्रेम पूर्वक रक्खा। वहां भास पास के लोग कानाफूसी करने लगे अतएव वहां और अधिक रहना खतरा स खाली नहीं था। बादल कोपले की खानो में चला गया और खान के आदर काम करने लगा जिससे पुलिस की दृष्टि से बचा रहे। अथ दोनो मित्र समीप ही रहते थे और तीनों ही एक दूसरे से यथासम्भव सम्पर्क रखत थे। वे कलकत्ता भाए और स्थानीय मित्रो की सहायता से उन्होंने आक्रमण की योजना बनाई। घटना वाले दिन बादल योरोपियन वेश भूषा में अपने आचा से अंतिम बिदा लेने के लिए कैवट्टरी में मिला। बाद को सुना गया कि उसने ८ दिसम्बर १९३० को राइट्स बिल्डिंग (उच्चालय) में अपनी हत्या करली।

विद्या के क्षेत्र में (१९३०-३१)

पंजाब विश्वविद्यालय का उपाधि वितरण समारोह २३ दिसम्बर १९३० को १ १५ तथा १ २३ मध्याह्नपर त समाप्त हुआ ही था। उप कुलपति ने कुलपति अर्थात् गवर्नर स प्राथमा की ऋि वे समारोह की समाप्ति की घोषणा करें। गवर्नर के द्वारा समारोह की घोषणा हो जाने के उपरांत जलूस चला। एक तक्षण ही एस बालाघेर भद्रदान उत्तर पश्चिमीय प्रांत का निवासी प्रतिदिश के अना शुरू होने में पूर्व ही बिना पास के हाल में घुस आया था। जब तक समारोह चलता रहा वह दर्शकों की दीर्घा में बठा देखता रहा। वह योरोपिय पोशाक में था। जब विद्यालय के कुलपति पंजाब गवर्नर क्रियाको डी गॉट मारेगसी कुछ कदम आगे बढ़ तभी वह अनाजाना बलारपथेबठा

'धारावादी' से बहुत दूर परस्थित गांवों में भी विद्रोही सक्रिय थे। उदाहरण के लिए 'वागवयात' जो सिट्कविन के उत्तर पूव में स्थित है वहां भी विद्रोही प्रभावशाली थे। सरकारी सेना को ३ जनवरी १९३१ को विद्रोहियों के एक बड़े झोर कतिबाली दल से युद्ध करना पड़ा। घमासान युद्ध हुआ उस युद्ध में पन्द्रह विद्रोही रणभूमि पर सड़क के लिए सो गए।

जनवरी के प्रारम्भ में प्रान्त के कई जिलों से विद्रोहियों के वहां सक्रिय होने की खबर आई। उनमें से एक रयून से २७५ मील की दूरी पर यामेघीन' नामक स्थान था। सरकारी सेना ने उन पर आक्रमण किया, ४ जनवरी १९३१ को घमासान युद्ध हुआ और युद्ध की समाप्ति पर ३६ विद्रोही एक फोगार्ड' के नेतृत्व में युद्धभूमि पर भरे मिले। उसी दिन यामेघीन' से आठ मील दूर दो गांवों हुना हमासी और वादवा' पर सेना ने आक्रमण किया।

७ जनवरी १९३१ को 'ओक्कान' में विद्रोहियों के सक्रिय होने की सूचना मिली। पुलिस ने सबसे मुठभेड़ की, दोनों पक्षों में जमकर लम्बे समय तक युद्ध हुआ, दोनों पक्षों की घबेष्ट जनहानि हुई। इस युद्ध में ६ विद्रोही घोर गति को प्राप्त हुए।

इसके अतिरिक्त पयू' मिनलाग (अमहस्ट जिले में) लानमाडो ओलो हयाम-विगोन मि हा तथा अय स्थान भी विद्रोह की अग्नि की लपट से बच नहीं सके।

प्यापान' जिले में देदायो' दूसरा स्थान था जहां ७ जनवरी १९३१ को विद्रोहियों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण के सम्बन्ध में यह मायता थी कि वह विद्रोह के सर्वोच्च नेता के निर्देशन में हुआ था। इस युद्ध में समुद्र के निकट जिले के सुदूर दक्षिण पूव के चार पांच गावा की लगभग सम्पूर्ण जनसंख्या ने भाग लिया था। 'धारावादी' के विपरीत जो सघन वनों से आच्छादित थी वहाँ विद्रोहियों ने घान के खेतों के भरे मदानों में अपना डरा डाला। जब पुलिस वहां आई तो वे भागे नहीं। धनु की बंदूकों की मार से डरे नहीं बरन उड़ने पुलिस पर आक्रमण कर दिया घमासान युद्ध के उपरान्त उह पीछा हटना पड़ा इस युद्ध में ३० या ४० विद्रोही खेत रहे। जहां तक पठा लग सका ५ जनवरी १९३१ तक विद्रोहियों के ३०० घोर योद्धा रणक्षेत्र में युद्ध करते हुए मारे गए और २०० घायल हुए या गिरपतार हुए। यह स्पष्ट हो गया कि विद्रोहियों ने बहुत बड़ी संख्या में अस्त्र दस्त्र एकत्रित कर लिए थे। जिनमें बंदूकों बहुत बड़ी संख्या में थीं। मि हा ओक्को के समीप बड़ी मात्रा में अस्त्र दस्त्र तथा बंदूकों सरकारी सेना ने विद्रोहियों से छीन ली थी।

१९३१ के पहले तीन महीनों में विद्रोहियों ने बिना रुके हुए लगातार एक के बाद दूसरे स्थान पर जो एक दूसरे के निकट नहीं थे आक्रमण किए। पिनतायवा सुरक्षित वन प्रदेश उनमें से एक क्षेत्र था जहां विद्रोहियों से सेना भी मुठभेड़ हुई। जिन नगरों और गांवों पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया उनको सूची खम्बी और अघूरी है उनमें से मुख्य देदाये (पादरान जिला) यामेघिन गगले दातबोग, याबागान, जिगोन, वागगा, मुख्य थे। युद्धस्थानों पर विद्रोही आक्रमण करने वाला था सरकारी सेना ने मुनायला किया किंतु अय स्थानों पर उनका नाम मात्र का प्रभाव नहीं के समान विरोध हुआ। देदाय तथा यामेघिन विद्रोहियों के पचास योद्धा रणभूमि पर सड़क के लिए सो गए। विद्रोह का अंत होने की आशा के विरुद्ध रेलवे माग की नष्ट नष्ट करने की विद्रोहियों की कायवाही बढ गई। १ मार्च १९३१ को 'इनीवा' और 'लेनाडा' के

मध्य तथा अग्र स्थानों पर रेलवे पुलों और रेलवे लाइन को उखाने के लिए डायनेमाइट का उपयोग किया गया। यद्यपि सैनिक सामग्री तथा अस्त्र-सस्त्रों के अभाव में विद्रोहियों को अपनी हिंसात्मक कार्यवाहियाँ करने में बहुत कठिनाइयाँ होती थीं परंतु फिर भी विद्रोह की अग्नि के घात होने के कोई चिह्न प्रगट नहीं हो रहे थे। पारा लाइन पर स्थित जिवजू गांधी स्टेशन पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया इस आक्रमण में स्टेशन मास्टर मारा गया। १३ जनवरी १९३१ को भी पहले की ही भांति पारावादी ने विभिन्न स्थानों पर आक्रमण होते रहे। लगभग उसी समय इनसीन पर आक्रमण के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे। वतमान विद्रोह पर सरकार की गम्भीर चिंता इसी से लक्षित होती थी कि ११ जनवरी १९३१ को एक अध्यादेश जारी किया गया गया कि जिससे विद्रोहियों के अभियोग सीधता पूर्वक निबटारये जा सकें। इस अध्यादेश में बरमान एक सबल आतङ्कवादी संगठन के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, जो कि आशिक रूप से बंगाल के आतङ्कवादी संगठन से परामर्श लेकर कार्यवाही कर रहा था। सरकार ने उसकी गम्भीरता और भयकरता पर अपने अध्यादेश में बल दिया था।

३ फरवरी १९३१ को अथवा उसके आस पास विद्रोहियों और सेना में आतङ्कवादी जिवे के आतङ्कवादी स्थान पर खुल कर घमासान युद्ध हुआ जिसमें तीन विद्रोही मारे गए और ६ घायल हो गए। लगभग ४४ ग्रामीणों ने इनीवा से दस मील और पारावादी से ४३ मील दूर जगध्वी पर ४० सैनिक पुलिस के सिपाहियों पर आक्रमण कर दिया। अब हज्जादा की बारी थी। इरगाऊ का दोदान पर जो कस्बे का कार्यालय था और हामानदान के कार्यालय पर २३ फरवरी १९३१ को आक्रमण कर दिया गया। इस समय में विद्रोहियों के पक्ष में कुछ मृत्युएँ हुईं। पहले स्थान पर ६ तथा दूसरे स्थान पर तीन विद्रोही शेर रहे। विद्रोहियों ने माच के अंतिम सप्ताह में अपनी कार्यवाहियाँ अधिक तेज कर दीं। पुलिस के गवनी दलों और पुलिस चौकियाँ पर खुले आम आक्रमण होते और अनेक स्थानों में बहुत बड़ी सत्यामे डकतियाँ डाली गईं। वन विभाग के डिप्टी कमरेक्टर तथा जिला चिकित्सा अधिकारी को विद्रोहियों ने गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

रगून से लगभग ४० मील दूर पर सडक पर विद्रोहियों ने एक पेड़ को काट कर डाल दिया और रास्ता रोक दिया। विद्रोही सडक के समीप पेड़ों और झाड़ियों में छिप गए। जब पुलिस कांस्टेबल को लेकर मोटर बस बहा आई तो विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। २५ मार्च १९३१ को इनसीन जिले में पूर्व भोक्कान क्षेत्र में कामपादी पुलिस चौकी पर ६५ विद्रोहियों ने तीखरी वार आक्रमण कर दिया। इस समय में वार विद्रोही धराशायी होकर वीर गति को प्राप्त हुए। जब कि एक पुलिस दल अपने छिविर की ओर लौट रहा था तो विद्रोही पुनः प्रकट हो गए और उनमें से कुछ को घुँव होने गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इस समय में उनकी अपने दो साथियों को भी शोना पडा। उसी समय १५ मार्च १९३१ को जब कि कामपादी का युद्ध लडा जा रहा था तो एक पुलिस दल पारावादी के यागाई सुरक्षित वन की जब लाज कर रहा था तो उन्हें वहा एक विद्रोही छिविर मिला। उन्होंने उस पर तुरंत ही आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में २२ विद्रोही मारे गए जिनमें दो प्रमुख स्थानीय नेता थे। पुलिस और सेना द्वारा विद्रोह के दमन के प्रयत्न न जो परिणाम आए सरकार उनसे पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हुईं अतएव मार्च में अपने बाबुगानो का विशेषकर पारावादी तथा



पैगू क्षेत्र में विद्रोहियों के जमाव का पता लगाने के लिए उपयोग किया। स्वभाविक था कि इससे विद्रोहियों का अहित होना था। परंतु उनके सामने प्रश्न यह था कि "क्या कि शरीर झुक जाता है तब भी आत्मा बलवती रहती है" अस्तु वे इसकी परवाह न कर डटे रहे। पूव घोषित सरकारी विजय के बावजूद ६ एप्रिल १९३१ को थोरावादी और इनसीन की सीमा पर स्थित शोवकान पुलिस थाने पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया और वहाँ जो भी अधिकारी तथा सैनिक थे मारे गए। इस संधय में विद्रोहियों का एक साथी मारा गया शोवकामा से थोड़ी ही दूर एक दूसरे संधय में एक विद्रोही और और गति को प्राप्त हुआ। पैगू और ताऊ ग जिलों में विद्रोही एप्रिल १९३१ में बहुत सक्रिय थे। यह जिले विद्रोहियों से बहुत अधिक प्रभावित थे। विशेषकर पेंदेगांव के उत्तरी भाग में विद्रोही कायवाहियों का बहुत असर था जहाँ कि उन नागरिकों को जिन पर सरकार को सहायता पहुंचाने का सदेह था विद्रोहियों के द्वारा बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा। ६ एप्रिल १९३१ को एक सदेहास्पय व्यक्ति का पीछा करके जो बाजार में खरीदारी कर रहा था पुलिस ने पारावादी के पशुप्रांशु के जंगल में विद्रोहियों के छिपने के स्थान का पता लगा लिया उन्होंने उस शिविर पर जिसमें विद्रोही छिपे हुए थे गोली बर्षा की जिसके फलस्वरूप चार विद्रोही मारे गए उनमें एक शैता भी था। एप्रिल १९३१ के प्रथम सप्ताह में एक तरुण बंगाली को अनन्ता में उत्तेजना फलाने वाली बाली विश्वशिया जिनमें सरकार को किसी भी प्रकार प्रत्येक साधन से उखाड़ फेंकने के लिए आधाहन किया गया घंटने के अपराध में तीन वर्ष की कठोर सपरिश्रम सजा हुई। नाथ पड़ताल से उस तरुण बंगाली का बंगाल के प्रांतिकारी स'ठनो से घनिष्ठ सम्बन्ध होने का पता लगा। ८ एप्रिल १९३१ के सरकारी स'थ के अनुसार एप्रिल के प्रथम सप्ताह हल्पीदीन पारावादी इनसीन, तथा इनसीन के गांवों की मठभेडों में पदरू विद्रोही खेत रहे रणभूमि पर सदा के लिए छो गए। थामटम्बो जिले में अशान्त तथा विद्रोह बढता जा रहा था। ११ एप्रिल १९३१ को कामा बस्वे के एक गांव 'पून' पर आक्रमण कर दिया उस मठभेड में गांव का मुखिया तथा एक पुलिस अधिकारी मारा गया और विद्रोही ब दूकें ले गए। विद्रोहियों की भी इस मठभेड में जन हानि हुई। दस अप्रैल को अथवा उसके आस पास क्याकयोक थामटम्बो में स्थित तीन तथा हैजादा म छोड़ी बड़ी लडाइयां होती रहीं। २७ अप्रैल को बसीन थामटन हैजादा (काजिदा) में युद्ध हुआ। २८ अप्रैल को पुन युद्ध हुआ। २९ मार्च १९३१ को कानथोया में पांच विद्रोही मारे गए। १२ अप्रैल १९३१ को 'बो वी' के नेतृत्व में जसोदे' नामक स्थान पर पुलिस तथा विद्रोहियों का अथसमात आमना सामना हो गया। युद्ध थोड़ी ही देर चला कि तु उस युद्ध में चार विद्रोही मारे गए। १८ अप्रैल को रिपोट मिली कि 'खोडी' स्थान पर हुए युद्ध में विद्रोहियों के कम से कम पांच शव रण भूमि पर पड़े मिले। थामटम्बो थानु के आक्रमण का मुख्य स्थल बिन्दु बन गया था। वहाँ अल्दी अल्दी कई आक्रमण हुए। २१ अप्रैल १९३१ को एक सौ विद्रोहियों के दल ने सैनिक चौकी पर जिसमें २५ सैनिक थे आक्रमण कर दिया और वे साहस के साथ उस चौकी के बहुत निकट पहुंच गए। इस युद्ध में २५ विद्रोहियों ने अपने प्राण गवाए। विद्रोहियों के बहुत क्षति उठा कर हटने पर भी उस क्षेत्र में और अधिक सेना भेजनी पड़ी, परंतु विद्रोहियों ने २३ अप्रैल को पुन इन्वे अथवा इम्बाई पर आक्रमण करके नितांत दुस्साहस का परिचय दिया। यह स्थान कामा से कुछ मील उत्तर में स्थित था। अथवारोही सेना, सेना की

सहायता के लिए एक प्लेटून भ्रोर भेजा गया और विद्रोहियों को पीछे हटेल दिया गया। इस युद्ध में ४२ क्रांतिकारी रण भूमि पर सो गए। क्रमशः सरकार को यह अनुभव हो गया कि उस क्रांतिकारी आन्दोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं और जैसा कि पहले सरकार का विश्वास था वह केवल ऊपरी असतोप मात्र नहीं है। अतएव सरकार को अधिक सेना बुलानी पड़ी। दूसरी ग्रेवस्टर रैजीमट को भारत से बरमा में भेजा गया जिससे कि बरमा की सैनिक शक्ति को अधिक सशक्त बनाया जा सके।

अब इसमें किसी की तनिक भी सदेह नहीं रह गया था कि विद्रोही क्रांति कार्यो का एक मात्र लक्ष्य ब्रमेजा को विस्तार बधवा कर बरमा से खदेड कर प्राचीन राजतंत्र को पुन बरमा में स्थापित करना था। १ मई १९३१ की रगून की एक सूचना में यह बतलाया गया कि काविजा के समीप विद्रोहियों की एक बड़ी सेना से मूठभेड हुई धमासान युद्ध हुआ जिसमें पाच विद्रोही मारे गए। कायाया के समीप विद्रोहियों के शिविर पर यकायक आक्रमण किया गया जिसमें और दो विद्रोही मारे गए। इलीन में पुलिम की गोलीसे भी दो विद्रोही मारे गए। ५ मई १९३१ डेट्रीगान के समीप म्योमा गांव के पुलिस थाने पर विद्रोहियों ने जिनकी सख्या ६० थी आक्रमण किया और वहा से वे लोग डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस तथा कुछ अन्य पुलिस के आदमियों को पकड ले गए। उस थाने की सहायता के लिए सैनिक सहायता द्रुति गति से भेजी गई और विद्रोहिया से ओ युद्ध हुआ उसमें सात विद्रोही रण भूमि पर सदक के लिए सो गए। मई के मध्य से रगून में इस आशय का समाचार पट्टा कि बास्टम्यो, हेंजादा, ह्यावाडी, देदाए प्यापान इमीन चारावादी पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया जिसके फलस्वरु सरकारी सम्पत्ति का बडी मात्रा में विनाश हुआ और कई पुलिस अधिकारी हंड कास्टेबिल मारे गए। ११ मई १९३१ को ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक अप्रुष्ट समाचार के आघार पर सूचित किया गया कि उस समय तक लगभग एक हजार विद्रोही मारे जा चुके हैं और दो हजार गिरफ्तार किए गए हैं। रवैको और मेयो के क्षेत्र में बरमा में बाहर से आन वाली सेना न एक बडे भाग को वहां स्थित सेना की शक्ति में वद्ध करने के लिए भेजा गया और १२ मई १९३१ को हेंजादा में कफ्यू लगा दिया गया। ६ मई १९३१ को यह सूचना आई कि प्रोम के निकट विद्रोहियों का पीछा करते हुए सम्पूर्ण पुलिस दल जिसमे योरोपियन जिला सुपरिटेंडेंट भी था विद्रोहियों द्वारा घेर लिया गया। उनमें से एक भी जीवित नहीं मिला। सेना के मुख्य कार्यालय से विद्रोहियों के विरुद्ध अधिक सेना भेजी गई। उस सेना ने समीपवर्ती क्षेत्र में विद्रोहियों को खोज कर उनका शिकार किया सात विद्रोही मारे गए। परिस्थिति का सम्पयन करने वाला का कहना था कि इसकी अधिक सख्या में विद्रोहियों के मारे जान पर भी विद्रोह की गति में कोई कमी नहीं हुई। विद्रोहियों का सुस्माटस अनुपमेय था। विद्रोहियों की छुनी कायवाहियाँ और अधिक प्रभावशाली होती रई। थामेटम्यों में मेडासी नामक स्थान पर जो १२ मई के आस पास मूठभेड हुई उसमें २१ विद्रोही मारे गए। कोई भी स्थान फिर चाहे वह बडा हो या छोटा जो विद्रोहियों के आक्रमण से सुरक्षित नहीं था लेट्टू के पुलिस थाने पर विद्रोहियों ने अधिकार कर लिया और पुलिस अधिकारी तथा वहां के सभी सिपाही मारे गए। वहा से १५ मई १९३१ को बहुत बडी राशि में गोली बारुद तथा कई बडूकें विद्रोही ले गए। १८ मई १९३१ को सर्वेक्षण विभाग ने एक बहुत बडे योरोपियन अधिकारी को आक्रमण में विद्रोहियों के

घेर लिया और मार डाला और उसका मृग दरीर जो गोलियों से क्षत विक्षत या घटना के स्थान से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। १६ मई १९३१ को अथवा उसके पास ही प्रादा जिले में विद्रोह का दमन करने के लिए जो अनेक सैनिक शिविर स्थापित किये थे उनमें एक पर अचानक विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने वहाँ के कई सिपाहियों को मार डाला। इस युद्ध में तीन विद्रोही भी मारे गए। चायेटम्पो में कामा सैनिक टुकड़ी जब एक घने जंगल में विद्रोहियों की सोज में घूम रही थी तो २३ मई को विद्रोहियों ने भीम वेग से आक्रमण कर दिया उसमें सैनिक टुकड़ी का बर्बाद तथा दो विद्रोही मारे गए। २५ मई को पारावाडी जिले इतलागू से सात मील दूरी पर विद्रोहियों के एक शिविर का पता चलता। सेना ने उस पर आक्रमण कर दिया मयकर युद्ध हुआ चार विद्रोही मारे गए शेष बच निरन्धे। शिविर को पूर्ण रूप से प्वस कर दिया गया। उसी दिन चायेटम्पो में एक और विद्रोही मारा गया। २६ मई १९३१ को विद्रोहियों के एक शीपस्थ नत्ता के गुप्त शिविर पर सेना ने आक्रमण किया युद्ध कर्त हुए चार विद्रोही मारे गए। उनमें से दो को पहचाना गया कि वे विद्रोह के दाहिन हाथ थे। मई १९३१ के अन्त तक स्थानीय अधिकारियों ने पारावाडी की घटनाओं के सम्बन्ध में घोषणा कर दी कि स्थिति अत्यन्त खतरनाक है और यह अत्यन्त आवश्यक है कि भारत से और अधिक सेना की बटालियन बुलाई जावें। मई १९३१ के तीसरे सप्ताह में प्रोम और इनसीन में भयकर घडान्ति फूट पड़ी और वहाँ एक बहुत ऊँचा योरोपियन अधिकारी तथा अम सरकारी आदमी मारे गए। हैजादा के समीप विद्रोहियों के एक सुदृढ केंद्र पर आक्रमण किया गया इस युद्ध में कुछ सरकारी सैनिक मारे गए। १८ मई अथवा उसके आस पास चायेटम्पो के समीप सेना और विद्रोहियों में भयकर युद्ध हुआ जिसमें कई विद्रोही परागामी हो गए।

२१ मई १९३१ को शिमला में सरकारी नोट में स्थिति को अत्यन्त भयानक बताया गया और इस बात की अनिवार्य आवश्यकता बतलाई गई कि निजाम की गिया-सत से कई इनफैंट्री ब्रिगेड लाए जावें जिनके पास सिगनल तथा मातायात्र की भी सुविधा हो जिससे कि बरमा में चिन्ताजनक स्थिति का सामना किया जा सके। एक ब्रिगेड में तीन इनफैंट्री बटालियन होती थी जिनमें दो भारतीय तथा एक ब्रिटिश बटालियन होती थी। उस समय सभी ने इस बात को स्वीकार किया था कि बरमा की सेना के लिए परिस्थिति पर अधिकार वा सक्ता सम्भव नहीं था। अधिकारियों का मानना था कि शीघ्र आने वाले तीन घोर वर्षों के महीनों में विद्रोहियों के अनेक स्थानों पर आक्रमणों का सेना सामना नहीं कर सकेगी। कानयूतकिन टीगू) पर जो कि पारावाडी जिले में है वहाँ स्थानों पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर उनको मर्द फाट कर दिया वहाँ जो कुछ था लूट ले गए और अधिकारी कुछ न कर सके। २३ मई १९३१ को अथवा उसके आस पास मिनून कस्बे के समीप युद्ध में दो विद्रोही तथा एक सेना का व्यक्ति मारा गया। चारों ओर से रगून में समाचार पहुँचने लगे कि पारावाडी इनसीन है कामा चायेटम्पो हवावाडी प्यापोन और कहां नहीं सभी जगह विद्रोहियों को घोर हित्वात्मक कायवाहिया फूट पड़ी है। ऐसा प्रतीत होने लगा कि राज्य सरकार का शासन समप्त हो गया और विद्रोही जसा चाहते हैं बसा कर सकते हैं। २३ मई १९३१ को हैजादा जिले में तांगोकाक की पुलिस चौकी पर आक्रमण हुआ जिसमें तीन आक्रमणकारियों ने प्राण गवाए। उसी समय माबिन पर भी विद्रो

हिरो ने आक्रमण कर दिया। २८ मई १९३१ को प्यापोन म्याग्ना, तथा हैजादा से यह समाचार आया कि विद्रोहियों ने राजकीय चौकियों पर भीषण आक्रमण किया और निजी मकानों विशेषकर मुखियों के मकानों में आग लगाने की घटनाएँ अधिक होने लगीं। तौगू धारावाही तथा इंसोन में डकतियाँ डाली गईं जिनमें बहुमूल्य सम्पत्ति को लूटा गया और विद्रोही पाच राइफिलें ले गए। जब सभी उपाय स्थिति पर प्रतिकार पाने के लिए अप्रयत्न सिद्ध हुए तो सरकार ने ६८ बर्मा सगठनों को जिनमें ४५ महिलाओं के सगठन थे अपर चिहबिन जिले में क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत गर कानूनी घोषित कर लिए। धारावाही जिले में दस पुलिस चौकियाँ स्थापित की गईं। सभी प्रभावित क्षेत्रों में १९३१ के अन्तिम तीन महीनों में भी पुनर्वन स्थिति गम्भीर रही। बरमा सरकार जब उपर्युक्त सैनिक साधनों से स्थिति पर कानूनी पाने पर नितांत असमर्थ हो गई तथा और निरसहाय अनुभव करने लगी तो उसने गिमला को घबड़ा कर स देश भेजा कि एक कैंबलरी बटालियन शीघ्र भेजा जावे। भारत सरकार ने बरमा सरकार को इस प्रार्थना को इस कारण अस्वीकार कर दिया कि विद्रोहियों से युद्ध करने में घोड़े की बहुत हानि होती है और वहाँ के एक स्थानीय रोग से भी सेना के घोड़े बहुत संख्या में मरते हैं। भारत सरकार ने बरमा सरकार को यह परामर्श दिया कि वह बरमा में ही कुछ सवार सेना तैयार करे और वहाँ के घोड़ों का उपयोग करे जो कि वहाँ के जलवायु और वहाँ की विशेष परिस्थितियों में अच्छा काम दे सकें विद्रोह द्वारा प्रभावित क्षेत्र के निवासियों का सरकार पर से विश्वास उठ गया और वे भाग कर उन नगरों में आकर इकट्ठे होन लगे जो भली भाँति सुरक्षित थे तथा समुद्र के किनारे था जहाँ विद्रोहियों के आक्रमण बहुत कम होते थे। ३१ मई १९३१ को विद्रोहियों की घबराहट कायवाही के कारण एक पुल पर रगून भाड़ले मेल गाड़ी रगून से ११६ मील दूर पर दुर्घटना प्रसूत हो गई। सारी गाड़ी चकनाचूर हो गई। रेल की पटरी विद्रोहियों द्वारा उखाड़े जाने तथा रेलवे क्वाटरों में आग लगाने के समाचार आने लगे। ३१ मई को जब यह समाचार रगून पहुँचे तो सरकार अत्यंत निराश और निरसहाय अनुभव करने लगी।

एक जून १९३१ को विजनाई इनया तथा अन्य स्थानों से ५०० विद्रोहियों ने वटिंगान पुलिस थाने पर बला लेने की भावना से आक्रमण कर दिया और सरकारी सम्पत्ति को भारी क्षति पहुँचाई। सरकारी सेनाओं द्वारा वटिंगान के दक्षिण में प्रोम में कपाकटाही नामक गाँव इनसोन कामा ममेगीग्वाग तथा हैजादा पर आक्रमण किए जाने पर भी विद्रोहियों ने अपनी हिंसात्मक कायवाहियों में कोई क्षिप्तता या दिलाई नहीं आने दी। वहाँ उनके बारह साथी विद्रोही घरागाँगी हो गए और उ होने धारावाही में भीषण वेग से आक्रमण किया तथा तथा २५ दिनों में उ होने बहुत से मकानों को विध्वंस कर लिया। ये इतने निडर हो गए थे कि उन्होंने एक मकान में निश्चित होकर भोजन किया और जो कुछ उन्हें पसंद आया उसे लेकर चले गए। योरापियर्ना तथा उन लोगों के मकानों को विद्रोही लूटते थे जिन पर सरकार को महत्प्रता करने का संदेह होता था। कानून की खुली अवहेलना कर वे अंग्रेजों और सरकार के सहायकों के मकान लूटते थे, वास्तव में उस प्रदेश में कानून समाप्त हो गया था।

२ जून १९३१ को प्रोम जिले में पकवांग के समीप बँट्टी में भयंकर युद्ध हुआ उसमें रणभूमि पर गिरे हुए १८ सशस्त्र गिरे गए। इस गाँव में विद्रोहियों के अपने

प्रसन्न शस्त्र तथा रसद भण्डार जमा कर रखे थे वह उनका प्रमुख आधारभूत स्थान था। जून १९३१ में विद्रोहियों की कायबाही पूववत् चलती रही उसको सरकार द्वारा रोक नहीं जा सका। उस समय सरकार द्वारा बरमा में एक सम्पूर्ण डिवीजन को अग्र सहायक सेनाओं के साथ भाड़ने का गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया। रगून मांडले रेलवे लाइन पर नानग्लविन तथा पर्ई के मध्य रात्रि में समस्त ट्रेना का चयना रोक दिया गया। सभी ट्रेनों को दिन में ही भागे चलने वाली सैनिक ट्रेन अपने साथ ले जाती थी। अग्रे पायलट बिलिट्री ट्रेन चलती थी और पीछे सवार गाड़ी चलती थी। जो विद्रोही कामा के पास पास विद्रोही कायबाहिया करते थे उन्होंने ६ जून १९३१ को चालेगी तथा पदांग पी एस पर आक्रमण किया। वे हारगू में छिपे हुए थे। युद्ध के बाद वे घटना स्थल से चुपचाप चले गए उनका एक साथी मारा गया। उसी दिन प्रोम से, जो उस स्थान से ३० मील दूर था पुलिस ने तेजी से यात्रा बोला और उस गाव को घेर लिया, युद्ध हुआ जिसमें एक विद्रोही मारा गया।

इसी बीच विद्रोहियों के काय बलागो से उत्साहित होकर यावेयान (प्रोम) के ग्रामीणा ने एक पुलिस दल पर जिसमें एक यानेदार तथा तीस सिपाही थे जून १९३१ के मध्य आक्रमण कर दिया परन्तु दुर्भाग्यवग उनके स्मारक साथी नेता सहित सघप में मारे गए। १२ जून १९३१ को मिन्डोन तथा पायटमो को विद्रोहियों ने लूट लिया। अगल्या तथा मोलमीन में सरकार के सहायकों के अनेक मकाना में आग लगा दी गई तथा चाराबाड़ी और इन्लीन पिलों में अनेक इकतियां बाली गई जिनमे सरकारी तथा निजी सम्पत्ति लूट ली गई।

एक रिपोर्ट के अनुसार १८ जून को विद्रोहियों के छिपने के एक स्थान को पुलिस ने ढेर लिया उस सघप में एक विद्रोही मारा गया नेप निकल गए।

जेल को तोड़ने तथा जेल अधिकारियों पर आक्रमण करने की नए प्रकार की प्रयास का रूप उस समय प्रकट हुआ जबकि यानेविन सब जेल में पंद्रह बरमी कदियों ने जिन पर अभियोग चल रहा था जेल के अस्त्र शस्त्रों को लूट लिया और जेल छोड़ कर पहाड़िया की ओर भाग गए। इस घटना से सम्पूर्ण नगर में आतंक छा गया। जब उन कदियों का पीछा किया गया तो उन्होंने गोलिया की वर्षा करना आरम्भ कर दिया और गोली वर्षा के आवरण में वे निकल कर सुरक्षित पहाड़ी में पहुंच गए। दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए पर तु जेल तोड़ कर निकल जाने वाले विद्रोहियों को कोई गम्भीर क्षति नहीं पहुंची उसमें से कुछ बाद को भिन भिन स्थानों पर गिरफ्तार कर लिए गए। सैनिक कायबाही के असन्तोषजनक परिणामों से हताश और निराश होकर (गिमसा जून १९ १९३१) सरकार ने जिन घणित उपायों को काम में लिया वे गणतन्त्रा की सीमा को भी पार कर गए। १३ जून १९३१ या उसके पास पास पोक्सांग के समीप बट्टो में पुलिस और विद्रोहियों में जो भयकर मुठभेड़ हुई उसमें २१ विद्रोही मारे गए। उनमें से १६ के सर काट लिए गए और बटे हुए सरों को लम्बे बांधों के सिरे पर लगा कर गांव भर में इस लिए घुमाए गए कि जिससे वे श्रापीण प्राप्त हो जावें कि नये उनके प्रति तनिक भी सहानुभूति का भाव हो। वे फिर प्रोम आए गए और वहां उनका कई दिनों तक प्रदर्शन किया गया।

१५ जून १९३१ के लगभग पोक्सांग के समीप बट्टो में विद्रोहियों की राजकीय सेना से जो मुठभेड़ हुई उसमें विद्रोहियों की देना को गम्भीर क्षति पहुंची उसमें

बड़ी संख्या में जीवन हानि हुई। युद्ध के उपरांत रण भूमि में २२ विद्रोहियों के शव पड़े थे।

जून के तीसरे सप्ताह में सम्पूर्ण प्रशान्त क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में ठकतियाँ पड़ीं। पहले की अपेक्षा ठकतियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। विद्रोहियों की संरक्षण कायवाही और अधिक तेजी से फूट पड़ी।

(रगून २४ जून १९३१)

२७ जून के एक सदेश के अनुसार जो विद्रोही युद्ध में घायल हुए गए थे और जो पुलिस की निगरानी में अस्पताल में रखे गए थे वे निकल भागे और उनका कोई पता नहीं लगा सका।

दरमा के अधिकांश भाग में विद्रोहियों के छिपने के स्थान तथा उनके केंद्र फले हुए थे। २९ जून १९३१ को पादांग स कुल्ल भील पश्चिम ओरकपित पहाड़ियों के सघन वन में स्थित एक ही विद्रोहियों के छिपने के स्थान पर सरकारी सेना ने आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ जिसमें चार विद्रोही मारे गए। जुलाई के आरम्भ होते ही बाराबाड़ी, बसौन है जादा, प्यापोन घायट्टमो और प्रोम में एक साथ भयंकर प्रशान्ति और अवस्था फूट पड़ी। यह भयंकर प्रशान्ति की लहर बहुत बड़े क्षेत्र में फल गई थी और कभी कभी यह सोचना भी बठिन होता था कि उन क्षेत्रों पर पुन अधिकार कर सकना सम्भव भी हो सकेगा या नहीं।

सैनिक कायवाही के अतिरिक्त उन सभी ग्रामीणों के विरुद्ध कड़ी कायवाही की जाती थी कि जिन पर विद्रोहियों को आश्रय देने अथवा उन्हें किसी प्रकार भी सहायता देने का संदेह होता था। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संदेहजनक व्यक्तियों को कड़ी नजरबंदी में रखा गया और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे संदेहजनक व्यक्तियों को अपने गांव या नगर से बहुत दूर कहीं शिविरों में ले जाकर रख दिया गया जो इस उद्देश्य से बनाए गए थे।

जुलाई के अंत तक सरकारी सेना ने अपने आक्रमण के बिंदुओं की उचित व्यवस्था कर ली और विद्रोहियों की शक्ति के निबल होने के चिह्न दृष्टिगोचर होने लगे परन्तु फिर भी उनके आक्रमण तथा लूट पाट जारी रही। इतना कुछ होने पर भी बसौन, हैजादा, घायट्टमो, पेगू और प्रोम में अनेक ठकतियाँ पड़ीं और प्रोम और बसौन में एक एक विद्रोही मुठभेड़ में मारा गया। सेना बानेटचांग तथा तेपकाई कस्बों के घने घोर गहन जंगलों में विद्रोहियों के छिपने के स्थानों को खोज निकालने में सफल हो गई। एक स्थान पर सेना और विद्रोहियों के मध्य खूब कर गोली चली जिसमें एक विद्रोही नेता मारा गया। जुलाई १९३१ के मध्य से विद्रोहियों के मारे जाने की संख्या में वृद्धि होने लगी। प्रोम सड़क के युद्ध में लड़त हुए चार विद्रोही मारे गए। घायट्टमो में एक अत्यंत भयंकर काण्ड हुआ। उस काण्ड में अनेक ग्रामीण मारे गए और विद्रोहियों द्वारा अनेक ठकतियों में बहुत बड़ी राशि का धन लूट लिया गया। एक मुठभेड़ में दो विद्रोही मारे गए। बसौन प्यापोन तथा ठौगू को भी भयंकर लूट पाट को सहन करना पड़ा। (रगून १४ जुलाई) उन्नी प्रवार भयंकर भी विद्रोहियों की कार्यवाहियों से अस्त हो उठे।

धार्म राज्य में

धार्म राज्य भी इस विद्रोह को शक्ति से रुच नहीं सका। जुलाई १९३१ तक

विद्रोहियों और पुलिस में युद्ध होना एक साधारण घटना हो गई। क्रांति की प्रारम्भिक अवस्था एक बरमा क्रांतिकारी हस्तिना की एक जागीर हसुमहसाई के दानू गाव में स्थित 'माकिना' बौद्ध मठ में घाया। माकिना, माडले लाशियो रेलवे लाइन पर मायम्यो से ४५ मील दूरी पर स्थित है।

वह क्रांतिकारी वहाँ गालोन समिति के नाम से लोगों को भर्ती करने लगा। वहाँ एक स्थानीय दल खड़ा किया गया जिसमें खाद को बरमा से आए हुए गालोन सदस्य सम्मिलित हो गए। उनका उद्देश्य हस्तिना नगर को पदाक्रांत करना था। क्रांतिकारियों के नेता न लाकसा राज्य में पिगबा में आगवालेम्यों (विजय का नगर) का निर्माण किया। १ जुलाई १९३१ को उत्तरी शान राज्यों के बटेलियन तथा स्थानीय पुलिस तथा सैनिक अधिकारियों ने उस क्षेत्र को घेर लिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध हुआ खुल कर गोली चली जिसमें ४० विद्रोही मारे गए वहाँ बहुत सी बंदूकें तथा युद्ध सामग्री राज्य की सत्ता को मिली। ३ जुलाई १९३१ को बलूची बटेलियन ने अपनी सैनिक कार्यवाही प्रारम्भ की। शान राज्यों में १५० विद्रोहियों पर सेना ने आक्रमण कर दिया उनमें से सत्तर विद्रोही मारे गए। ७ जुलाई अथवा उसके बाद पास सेना के लुइस गन सेकशन ने घुड़सवार सेना तथा सकेत देने वाली टुकड़ी को साथ लेकर विद्रोहियों पर लाशियो में आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सेना की बहुत क्षति उठानी पड़ी। दो सैनिक मारे गए और बड़ी सहायता में सैनिक घायल हो गए। ६ जुलाई १९३१ को विद्रोहियों ने उत्तरी शान राज्यों में नानखियोगी स्थित सैनिक केंद्र पर निराशो मत होकर भीषण आक्रमण कर दिया इस संधय में सेना की बहुत क्षति हुई विशेषकर उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा। जब वह घमासान युद्ध समाप्त हुआ तो ६ विद्रोहियों के शव रण भूमि पर बिखरे हुए मिले। ८ जुलाई १९३१ धारावाड़ी स्थित एक कारेन गाव लेसादान में ग्रामीणों तथा विद्रोहियों में भयंकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गाव वालों की सत्ता ने सहायता की और उनकी सम्मिलित शक्ति के कारण लगभग २० विद्रोही मारे गए।

है जादा के जालूर क्षेत्र में करेन सेना तथा विद्रोहियों के माध्य युद्ध हुआ जिसमें ६ जुलाई को ३ विद्रोही मारे गए। हयावादी जिले में उसी दिन एक सैनिक कायवाही में विद्रोहियों का नेता ही-ही मारा गया।

स्थिति पर काबू पाने के पुलिस शक्ति में तत्काल वृद्धि की गई और दूसरी तथा पांचवी मराठा लाइट इन्फंट्री (मराठा घुड़ सवार सेना) को प्रभावित क्षेत्र में धीघ्रता से भेजा गया। प्रोम २२ जुलाई १९३१ को वेटिगान क्षेत्र के म्योभा नामक स्थान पर यकायक सेना ने विद्रोहियों पर आक्रमण कर दिया। वहाँ सेना ने युद्ध सामग्री को अपने अधिकार में ले लिया और एक भागे हुए विद्रोही नेता को जिसने सैनिक घेरे से निकल भागने का प्रयत्न किया मार दिया गया। १ अगस्त १९३१ को वायसराय ने बरमा सकट कालीन अधिकार अध्यादेश पांच १९३१ को लागू करने की घोषणा कर दी। प्रारम्भ में यह अध्यादेश पीगू हा थाकड़ी धारावाड़ी, प्रोम बसीन हैजादा, वायट्टो, माबिन म्याग्म्या प्यापान तीगू और इनसीन में लागू किया गया। उस अध्यादेश के अंतगत डाक खानों तथा तार घरों और प्रस का नियंत्रण बरमा सरकार ने ले लिया। इसके अतिरिक्त उस अध्यादेश के अंतगत स्थानीय सरकार को यह अधिकार भी दे दिया गया कि जिस किसी व्यक्ति को विद्रोहियों से सम्बंधित होने का विश्वास हो निर-

पठार कर लिया जावे ।

एक ऐसा भी समय आया कि जब यह गम्भीरता पूर्वक सोचा गया कि बरमा को सन्निक शासन के अंतर्गत रख दिया जावे क्योंकि कुछ महीनों तक बरमा की स्थिति अत्यंत गम्भीर और बिता जनक हो गई थी और भारत सरकार तथा स्थानीय सरकार अत्यंत चिंतित हो उठी थी । पारावाड़ी में दिसम्बर १९३० में जो विद्रोह की अग्नि भड़क उठा वह कई जिलों में फैल गयी थी और इस बात का खतरा था कि वह अन्य क्षेत्रों में भी फल जावे । अन्धदेश के प्रावधानों का उपयोग विद्रोह का दमन करने तथा उसको रोकने के लिए तथा सच्चाट की प्रजा के सभी वर्गों के जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए किया जाने वाला था । विद्रोहियों के एक सर्वोच्च नेता की गिरफ्तारी तथा कम से कम तीन प्रमुख नेताओं की सेना की गोलियों से मृत्यु होने के कारण विद्रोहियों को गहरा धक्का लगा । विभिन्न जिलों में विद्रोहियों के विरुद्ध मुकदमों चले जिसमें अनेक अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड दिया गया । विद्रोहियों की गति विधियाँ तब भी जारी थीं परंतु उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी । १२ जुलाई १९३१ को पगू नदी के बारह मील दूर ऊपर की ओर एक स्थान पर विद्रोहियों तथा सेना की मुठभेड़ में १२ विद्रोही मारे गए । तथा ६ बंदूकें छीन ली गईं । रगून से २८ मील दूर एक दूसरी मुठभेड़ में चार विद्रोही रणभूमि पर सदैव के लिए सो गए । १० जुलाई को विद्रोहियों ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राम वट्टू, केय-जी पर आक्रमण कर दिया जिसमें दो विद्रोही घराणायी हो गए । ६ अगस्त १९३१ को कामा सीमा के समीप पदांग कस्बे के एक गाँव पर विद्रोहियों ने आक्रमण किया । तुरंत ही एक पुलिस दल घटना स्थल पर भेजा गया । एक विद्रोही घटना स्थल पर ही मारा गया । सेना ने अनेक विद्रोहियों का तेजो से पीछा किया और सेना की गोलियों से दो विद्रोही और मारे गए । अगस्त १९३१ के प्रथम सप्ताह में पूरे सरसित वन प्रदेश हैजादा तो पूरे थायट्टो तथा निचले बरमा के अनेक क्षेत्रों में लगातार डकतियाँ डाली गईं । डकतियों की वह शृंखला विद्रोहियों द्वारा बदला लेने की भावना से प्रोत्साहित थी । १४ अगस्त को पारावाड़ी से ३२ मील दूर इरावदी नदी के किनारे एक गाँव में विद्रोहियों ने गश्त करते हुए एक पुलिस दल पर आक्रमण कर दिया । उस भोवण युद्ध में कई विद्रोही तथा उनके नेता मारे गए । १७ अगस्त अथवा उसके आस पास पारावाड़ी की पुलिस चौकी पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया और उसको जला कर भस्म कर दिया । पुलिस ने उन पर प्रत्याक्रमण किया जिसमें कई विद्रोही मारे गए । हैजादा क्षेत्र में कई स्थानों पर विद्रोहियों की कायदाहियाँ संचालित हो गईं और उनमें से एक जगह १७ अगस्त को पुलिस थानेदार मारा गया । विभिन्न स्थानों से डकतियों के समाचार आ रहे थे उनमें से रगून नगर में आक्रमण कारियों ने जो डकती डाली उसमें उठने प्रभुव साहस और शौर्य का परिचय दिया । थायट्टो प्रोम इत्यादि स्थानों पर विद्रोहियों के जो छिपने के स्थान थे वे क्रमशः सेना के आक्रमण से नष्ट भ्रष्ट हो गए । इन सभी जिलों में जहाँ विद्रोही सक्रिय थे वहाँ पुनः उनकी गतिविधियाँ जागृत हो उठीं । अब यह विद्रोही कायदाहियाँ मुख्यतः डकतियाँ और सरकारी सम्पत्ति की लूट तथा सरकारी चौकियों पर आक्रमण के रूप में चमक पड़ीं । ९ सितम्बर १९३१ को बि. डोन से साठ मील दूर विद्रोहियों के दो शिविर देखे गए । सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया । उस समय में कई विद्रोही मारे गए उनमें कई उनके नेता भी थे । १५ सितम्बर १९३१ को कीकू नदी की घाटी में उनी



विद्रोहियों के सब मां र दो नेताओं के मारे जाने से विद्रोहियों को गहरा आघात लगा, कुछ अग्र विद्रोही भी इस सघप में मारे गए। सितम्बर १९३१ के अंतिम सप्ताह में सरकारी सेना न्यायट्टमा जिले में विद्रोहियों की चालीस बन्दूकें और बहुत बड़ी राशि में गोली बारूद भण्डन अधिकार में कर ली।

२५ सितम्बर १९३१ को पीगू जिले के तीकांग नामक स्थान पर हुए एक युद्ध में विद्रोहियों को भयंकर क्षति उठानी पड़ी। उस युद्ध में सात विद्रोही और दो नेता घरायशी हो गए। प्रोम जिले में विद्रोहियों ने एक गांव पर आक्रमण किया और वहां से दो बन्दूकें तथा बहुत से कारतूस ले जाने में सफल हो गए। २४ सितम्बर को सूचना मिली कि प्रोम जिले के पाडी गांव रलव स्थान पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया परंतु सेना से मुठभेड़ होने पर वे हट गए, उनके चार साथी युद्ध में मारे गए कोई पकड़ा नहीं जा सका। बाद को यह ज्ञात हुआ कि तार प्रणाली को उ होने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। २६ सितम्बर को प्रोम के पोंगदेह क्षेत्र के एक गांव में चालीस विद्रोही घुस आए। उन्होंने बन्दूकें धारियों पर यकायक धावा बोल दिया उनकी बन्दूकें छीन लीं। और बहुत बड़ी राशि में गोली बारूद लूट कर ले गए। एक अग्र विद्रोही दल ने उसी जिले में एक घन विभाग के बगले को नष्ट कर दिया।

२७ सितम्बर १९३१ को कामा से दस मील दूर पायट्टियों के सघप वन में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें दो विद्रोही मारे गए। उनमें से एक नेता था जिसका नाम पो हटेक था वह सायासान के सहायक साया यान का भाई था। १२ अक्टोबर १९३१ को पारावाडी के पूव में एक गांव में विद्रोहियों की सेना से मुठभेड़ हुई जिसमें दो विद्रोही मारे गए और एक या दो गम्भीर रूप से घायल हो गए। विद्रोहियों का दूसरा भयंकर आक्रमण प्रोम जिले के इनवागी ग्राम पर हुआ विद्रोहियों ने गांव में भोजन किया और रात्रि को वहां सोये। मानो वे इस भयंकर खतरे की ओर से निरतान्त आभावधान हो ओ उनके सर पर था। दूसरे दिन वे समीपवर्ती गांव में गए वहां उनकी गांव वालों ने भोजन कराया और वहां के लोगों से एक अच्छी घन राशि इकट्ठी करके वे चुपचाप वहां से चले गए। १५ अक्टोबर को अधिक संख्या में हिंसात्मक कार्यों की सूचना प्राप्त हुई। एक दिन में ही हिंसात्मक कार्यावाहियों की ग्यारह घटनाएं घटित हुईं। यह घटनाएं शेबेलदा कस्बे के समीप तथा माठ पास घटी थीं जो प्रोम जिले में स्थित था। वहां विद्रोहियों की एक कुछ सवार पुलिस की टुकड़ी से मुठभेड़ हो गई। इनकीन की मुठभेड़ में ६ विद्रोही मारे गए और एक प्रोम की मुठभेड़ में मारा गया यह मुठभेड़ें लगभग एक समय एक साथ ही हुईं।

२४ अक्टोबर को दो प्लटूनो सेना के तथा पुलिस के बहुत बड़ी संख्या में सिपाहियों ने 'कागीक्तांग' नामक मोटेगरी को जहाँ 'टाइगर सेना' छिपी थी को घेर लिया। उस स्थान पर दोनों सेनाओं में भीषण और खतरनाक युद्ध हुआ। विद्रोहियों के सन्निव बड़ी संख्या में खेत रहे। विद्रोहियों के पत्रह वीर रण भूमि में सर्व्व के लिए सो गए जिनमें दो प्रमुख नेता भी थे। दो पो हटिन पारावाडी के नेता थे और दो ता दुन प्रोम जिले के नेता था। पारावाडी जिले में स्पिनकरलान के उत्तर पूर्व ६ मील दूरी पर एक विद्रोहियों का शिविर था। २४ अक्टोबर की एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार उस पर आक्रमण किया गया। उस सघप में विद्रोहियों का नेता चित्त ली तथा अन्य पांच वीर विद्रोही मारे गए। वहाँ बड़ी मात्रा में भस्त्र वस्त्र भी प्राप्त हुए।

सब कुछ करने पर भी स्थिति काबू में नहीं आ रही थी अस्तु बरमा के विद्रोह को दबाने के लिए भारत से और अधिक सेना बुलाने की आवश्यकता पड़ी। अक्टूबर २७ अक्टूबर को चौथी डिवीजनल सिगनल सेना पूना से बरमा भेजी गई उसके साथ एक बेतार की संचार व्यवस्था भी थी तथा तीसरी भारतीय डिवीजनल सेना की एक घोर थी टुकड़िया भी भेजी गई। २७ अक्टूबर को एक मुठभेड़ में यह ज्ञात हुआ कि विद्रोहियों का एक नया सम्प्रदाय जो सूय और चद्र के नाम से जाना जाता था भी बहुत सक्रिय है। इस सघष में उसके दो नेता 'सायाचित' तथा 'यान गी यांग' जो पादि याचिन के थे मारे गए। ५ नवम्बर १९३१ को येगाव के एक पुलिस दल ने विद्रोहियों के एक दल पर आक्रमण किया। उस सघष में इरावरी और प्रोम रेलवे के मध्य 'स्वोडांग' पहाड़ियों में फँसी हुई विद्रोही सेनाओं का प्रधान सेनापति तथा नेता मारा गया। यह राजकीय पुलिस की एक बड़ी सफलता थी। १३ नवम्बर को यायटमी में 'कासके' स्थिति विद्रोही सिविर पर सेना ने आक्रमण कर दिया भयंकर युद्ध हुआ जिसमें एक विद्रोही मारा गया। १६ नवम्बर को प्रोम जिले के एक गाँव में बरमा राइफल्स से मुठभेड़ में दो विद्रोही और मारे गए। तिनसाखान के दक्षिण पश्चिम में एक नदी के समीप ११ नवम्बर को एना की २० विद्रोहियों से मुठभेड़ हुई उस युद्ध में विद्रोहियों का नेता वीर गति का प्राप्त हुआ। २२ नवम्बर को सेना की विद्रोहियों के एक दल से मुठभेड़ हुई जिसमें दो विद्रोही मारे गए यह मुठभेड़ एक सूनसान स्थान पर हुई थी। प्रोम जिले के एक ग्राम में २४ नवम्बर को एक घोर सफल सैनिक आक्रमण हुआ जिसमें दो विद्रोही मारे गए और एक तोप मिली। उसी जिले में एक दूसरी मुठभेड़ में एक दूसरा विद्रोही वीर गति को प्राप्त हुआ। २७ नवम्बर को प्रोम जिले के पाँच देह पर सेना ने पुनः आक्रमण कर दिया। उस सघष में विद्रोहियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख नेता हान-नया खेत रंग।

२४ दिसम्बर को पुलिस ने पेगू जिले के एक गाँव में जहाँ विद्रोहियों का सरण स्थल था आक्रमण कर दिया कड़ा मुकाबला हुआ जिसमें एक विद्रोही मारा गया। प्रोम जिले के एक जगल में विद्रोहियों और सेना में ३ दिसम्बर को भयंकर मुठभेड़ हुई जिसमें एक विद्रोही मारा गया। २७ दिसम्बर को प्रोम में सेना के साथ विद्रोहियों की सबसे अधिक भयंकर मुठभेड़ हुई जिसमें सेना की सिमिजवी टुकड़ी ने विद्रोहियों के एक बहुत बड़े दल पर लुइस गनों से आक्रमण किया। इन विद्रोहियों के समूह का नेता जो 'सिंह सेना' के नाम से प्रसिद्ध थी तथा एक अग्र प्रमुख नेता तथा पाँच विद्रोही इस भयंकर युद्ध में सदा के लिए रण भूमि में सो गए। पाँच बंदूकों, बहुत बड़ी राशि में गोली बारूद तथा अन्य वस्तुएँ वहाँ प्राप्त हुई। रंगून की २२ जनवरी १९३२ के एक संदेश के अनुसार हैनजादा जिले के विद्रोहियों का नेता यो ग्याव को उस क्षेत्र की सैनिक पुलिस ने गोली मार दी।

प्रोम में एक प्रमुख विद्रोही नेता अपने साथियों सहित ३ फरवरी १९३२ को एक खुले स्थान पर गाँव वालों की दिखलाई पड़ा। उस समय तक विद्रोह की गति शिथिल हो चुकी थी विद्रोहियों की शक्ति क्षीण रही थी। अतएव प्रोमिणा ने बंदूकों से इन विद्रोहियों पर आक्रमण करने का साहस किया दोनों और से धमासान युद्ध हुआ जोसी खली जिसमें बलिपय विद्रोही भी मारे गए। हैनजादा धारावादी सीमा के समीप १५ एप्रिल को एक अत्यंत बठिन युद्ध में हैनजादा के विद्रोहियों का सबसे महत्वपूर्ण नेता 'यो-बी' युद्ध करते मारा गया। राजकीय सम्पत्ति जिसमें लष्कर घोरोपियन शक्ति-

कारियों के बगले भी सम्मिलित थे पर आश्रमण डाक के थलो की लूट रेलो को पटरी से उखाड़ कर उलटने के प्रयत्न डाके और अग्नि काण्ड तथा अथ विद्रोही काय बाहिया १९३१ के पहले तीन महीने तक चलती थी। सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए विशेष सैनिक अदालतें स्थापित की जो बहुत जल्दी ही मुकदमा करके दण्ड देती थी। नाम मात्र को याच का नाटक करके बहुत बड़ी सख्या में विद्रोहियों का कत्लेआम करना एक ही मुकदमा में चालीस पचास विद्रोहियों को फासी दे देना बरमा प्रशासन के लिए विद्रोह के पश्चात एक साधारण बात हो गई। पूर्ण शान्ति हो कभी भी स्थापित नहीं हो सकी पर तु १९३२ के मध्य तक स्थिति पर सेना ने नियंत्रण स्थापित कर लिया।

### जो भुका नहीं (१९२८-१९२९)

जिन क्रांतिकारियों ने बरमा की जनता के हृदय में स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित की उनमें कयामगोर-बधीन के हपुनगो यू विजाया' का स्थान सर्वोपरि है। याच बादी विद्रोह के कुछ ही पहले बरमा में राजनीतिक जागरण का सघन बीज भिक्षुआन चलाया था। उन बीज भिक्षुआने सासांक माया मोह को तिलाजलि दे दी थी उनके पास कोई सम्पत्ति या धन नहीं था और वे जनता जनार्दन अर्थात् छव साधारण के कल्याण के लिए ही जीवित रहते थे। विजाया एक बीज भिक्षु थे। पर तु उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनको १० जुलाई १९३१ को घोस म्नेने की सदी कद व्यापान के मजिस्ट्रेट न दे दी। उनका लगभग बीस महीने की कद दूतरी बार भी हुई जिसको पूरा कर वे २८ फरवरी १९२८ को जेल से मुक्त हुए। दो बार की सजा उनकी भावनाओं और अत्माओं को परास्त नहीं कर सकी। ४ अप्रैल १९२९ को उनको एक राजद्रोहात्मक आचरण देने के अपराध में पुन गिरफ्तार कर लिया गया और ६ अप्रैल को उ हे अभियुक्त कदी के रूप में जेल में रख दिया गया। वे केवल ३४ दिन ही जेल के बाहर रह पाये थे कि पुन जेल में पहुच गए।

अभियुक्तों को कानून के अंतगत जो सीमित सुविधाए तथा आजादी मिलनी चाहिए थी जेल अधिकारियों ने उन पर भी अकुश लगा दिया अतएव ६ अप्रैल १९२९ को उन्होंने अनशन आरम्भ कर दिया। उन्होंने (१) राजनीतिक कदी के रूप में विशेष भोजन पाने (२) विशेष उरसों पर बीज भिक्षु के पीत वस्त्रों को धारण करने, (३) तथा एक म्नेने में दो बार उपवास करने की सुविधाओं की मांग की। परतु उनकी इस प्रायना को जेल के अधिकारियों ने मानने से अस्वीकार कर दिया और दैनिक भोजन न करके जेल के अनुशासन को भंग करने का उन पर दोषारोपण किया। उनके मूल अपराधों का मुकदमा जेल के अंतर् ही हुआ और उनको ६ वर्षों की कड़ी कद की सजा दे दी गई। घपील करने पर सजा घटा कर तीन वर्ष की कर दी गई। परतु उन्होंने अपना अनशन जारी रखा जो अनशन के इतिहास में सबसे अधिक लम्बे काल तक चला। उनकी बलपूर्वक दूध पिलाया गया उससे लाभ होने के स्थान पर अधिक हानि हुई और इस प्रकार १६३ दिनों तक अनशन करने के उपरांत वह दृढ़ प्रतिज्ञा देशभक्त २० सितम्बर १९२९ को इस नश्वर शरीर को छोड़ कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। अज किनेने लोग हैं जो उस देशभक्त वीर का नाम भी जानते हैं। जिन देशभक्तों ने अपने आत्म बलिदान से अपने देश की स्वतंत्रता की नींव रखी उनके प्रति ऐसी ही श्रद्धा और शोभा अथवा पाप है। वह हीर विष्मति के गर्भ में जन्म गया।

घात तक युद्ध करते रहे (१९३०-३१)

१९२१-३२ का धरमा विद्रोह उन सभी विद्रोहों से अधिक महत्वपूर्ण और भयानक था जिसका भारत का शासन करते हुए अंग्रेजों को सामना करना पड़ा था उस विद्रोह को चलाने वाले बहुत से स्थानीय नेता थे जिन्होंने उस अभूतपूर्व विशाल पैमाने के विद्रोह को मृत रूप दिया और उसका नेतृत्व किया परन्तु उस विद्रोह को खड़ा करने का उसका अत्यन्त कुशलता पूर्वक संचालन करने का श्रेय मुख्य रूप से एक व्यक्ति को है जिसने उतने विशाल पैमाने पर विद्रोह का संगठन करने, उसका संचालन करने में विलक्षण कौशल तथा संगठन शक्ति का परिचय दिया।

उस महान देश भक्त वीर का नाम 'सायासान था। बरमा के इतिहास में 'सायासान' का नाम उन महान वीरों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जावेगा जिन्होंने बरमा की स्वतंत्रता के लिए बरमा की भूमि पर अंग्रेजी सेनाप्रा से भयंकर युद्ध किया। 'सायासान' घूमकेतु की गति के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाता और निरास तथा हताश हृदयों में पुनः जोश और उत्साह भरता। देश की स्वतंत्रता के उस युद्ध के लिए नए क्रांतिकारी सैनिकों को भरती करता जिससे विजातियों को बरमा की भूमि से निकाल बाहर करने के लिए अस्त्र तन्त्र युद्ध लड़ा जा सके और जहाँ भावश्यकता होती-वहाँ अस्त्र शस्त्र तथा सैन्य सामग्री पहुँचाता। उसके भक्त और प्रशंसक उसमें अमृतकारी और दैवी शक्ति का होना मानते थे उसका कारण यह था कि उसके काय वास्तव में अमृतकारी होते थे। माँडले पठार में मुक्दम के सोहनलास के बाद सायासान ही एक ऐसे वीर देश भक्त और क्रांतिकारी थे जिन्होंने बरमी तथा भारतीय जनता के हृदय में अपना स्थायी स्थान बना लिया था। वे उनको गहरी श्रद्धा करते थे। धारावादी विद्रोह के सम्बन्ध में चर्चा करने पर सब प्रथम सायासान का नाम आता है फिर और किसी का नाम लिया जाता है।

अपनी विलक्षण प्रतिभा, अमृतकारी कायों और भूमिगत हो जाने की अद्भुत कुशलता के कारण लोग उनको कई नामों से पुकारते थे और विदेशियों के साथ जब उनके सम्बन्ध में चर्चा होती थी तो उनको बहुधा 'बरमी विद्रोह का रक्षापति शतपुष्प' के नाम से पुकारा जाता था। बरमी लोगों के गोपनीय समूह के द्रों में प्रायः एक व्यक्ति जानता था कि 'स्वर्ण काग (गोल्डन फ्लाऊ) अथवा 'गौलोस का राजा' से क्या अर्थ होता है। यह उसके पुत्र नाम थे। अपनी सुरक्षा के लिए और जब वह 'याय की पकड़ से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को भागते थे तो वे अपने अनेक नाम रख लेते थे। उनका अंतिम छद्म नाम 'श्याना' था जिस समय कि वे गिरफ्तार हुए थे। उनके माता पिता ने उनका नाम 'शान शा' रखा था। वे ऊपरी बरमा के इम्पूची जिले के निवासी थे जहाँ से बरमा के राजाओं की सत्ता को मुख्यतः सैनिक प्राप्त होते थे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भग निचले बरमा और श्याम में व्यतीत किया और वे अपने पेशे में इच्छानुसार परिवर्तन करते रहे। १९३० में वे धारावादी में बस गए और उसी वर्ष के नवम्बर मास से वे विद्रोह की तयारियाँ करने लगे। आरम्भ में उन्होंने धारावादी इन्सीन, प्यापान में विद्रोह भड़काने पर अपना ध्यान दिया। राजकीय सेनाएँ बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी वे कहा है इसका पता लगाने में निराल्प असफल रही उनको उनकी गतिविधियों का सैनिक भी पता नहीं चल सका। इसका मुख्य कारण था कि सबसाधारण उनको इतना अधिक प्रेम और श्रद्धा करता था कि

कोई भाषण में उनका सम्बन्ध में कानों फूटी भी नहीं करता था जिससे कि उनका पता लग सकता और उनसे गिरफ्तार होने की सम्भावना हो सकती। राजकाय क्षेत्रों में 'सायासान' की धारावादी विद्रोह का जनक और एकद्वय नेता माना जाता था। सरकारी क्षेत्रों का मानना था कि विद्रोह तथा करने का विचार उनके मन में १९२८ में ही उठा था। कहा जाता था कि उन्हें अपने को दरमया का राजा घोषित कर दिया था। एक अनजाने व्यक्ति का पीछा करते हुए जो कि अलाहाबाद के निजाम मार्ग पर जा रहा था पुलिस को घेरने में एक महल मिला जो कि विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। ३१ दिसम्बर १९३० को उस पर आक्रमण कर दिया। वहाँ बहुत बड़ी राशि में गोली बरसू, प्रस्त्र, बन्दूकें तथा विदेशी हथियार मिले। उस आक्रमण में लगभग ३ या ६ विद्रोही घटना स्थल पर ही मारे गए और एक व्यक्ति जिस पर 'सायासान' होने का संदेह था पकड़ लिया गया। वह को यह पता चला कि पकड़ा जाने वाला व्यक्ति एक प्रमुख व्यक्ति था पर निस्सन्देह वह सायासान नहीं था। घोसा देकर निजाम जान की बला में उनका उस अत्यन्त खतरे के समय वहाँ से चुपचाप निकल जाने में सहायता की। वे समझ गये कि खल खतम हो गया था। वे घोसा देकर वहाँ से विसर्ग गए। उस अलाहाबाद की उस घटना के उपरांत सायासान एक स्थान से दूसरे स्थान में छिपत रहे। उन्हें यह ज्ञात हो गया था कि धारावादी उनके लिए अब अत्यन्त अरक्षित स्थान था। वे भीतमान तथा माडले की पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध मन्दिर में गये वहाँ उन्होंने विद्रोह के लिए लोगों को भरती किया और उनको आशीर्वाद देकर वे उत्तर की ओर चले गए।

कई बार वे बाल गंगाधर तिलक और सेना उनका सहायता से पीछा कर रही थी व भाग रहे थे। इस प्रकार वे धान राज्य कैलाशका नामक स्थान पर पहुँचे वे धान राज्य के वन आच्छादित प्रदेश में और आगे बढ़े परन्तु अपने अनुयायियों के पीछे छूट जाने के कारण वे घात होकर न बैठ सके। उन्होंने वहाँ और विद्रोहियों को भरती करना आरम्भ किया। उनकी सेना में थड़ापड़ लोग भरती होने लगे। उन्होंने अपने बिसरे हुए अनुयायियों को पुनः एकत्र कर भारतीय सेनाओं से मुठभेड़ करने का निश्चय किया कि इनका नेतृत्व और प्रशिक्षण कर रहे थे। कई स्थानों पर उन्होंने सेना से मुठभेड़ की परन्तु उसका परिणाम प्रशिक्षण के लिए अधिक आशावान नहीं हुआ। उस समय 'सायासान' का नाम धान राज्य के लिए धान राज्यों में प्रसिद्ध हो गया और वहाँ से अपने सघर्ष को उन्होंने जारी रखा।

यद्यपि उनके दो सबसे अधिक विश्वसनीय सहायकों की मृत्यु के कारण उनकी शक्ति कम हो गई थी और उनकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था परन्तु देश की स्वतन्त्रता के लिए जो उस विषम परिस्थिति में भी युद्ध करने में उत्साह और उत्साह का अनुभव होता था उनको जीविन संकल्प था और उनके उत्साह को बनाए रख रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में भी वे हताश या निराश नहीं हुए। जुलाई १९३१ के समय में यह अफवाहें सुनाई देने लगी कि 'धान' के नेतृत्व में विद्रोही दल जो अभी तक धान राज्यों में सक्रिय था माडले जिले में खदेड़ दिया गया है और वे लोग माडले के उत्तर पूर्व में कहीं शिविर लगा कर पड़े हैं। मायमेयो तथा अन्य स्थानों से माडले की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर सैनिक चौकियाँ बिठा दी गईं और उन मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी थी। कोई भी व्यक्ति उन मार्गों पर बिना उसकी आज्ञा पत्राव

घोर पूछ ताछ के नहीं जा सकता था। २६ जुलाई को छावनी पुलिस स्टेशन में पुलिस दल ने मांढले मांढया सड़क पर जाने वाली एक बस को रोक लिया। इसमें पुलिस को तीन व्यक्ति मिले जिनमें दो सात और एक बरमी था। पुलिस ने उन्हें सदेह में गिरफ्तार कर लिया और जांच के लिए उन्हें गुप्तचर विभाग में भेज दिया। उन व्यक्तियों की यातना देकर गुप्तचर विभाग न जो जातकारी दल पूर्वक प्राप्त की उस जातकारी के आधार पर पुलिस को यह सदेह हुआ कि एक विद्रोही गुप्त आश्रय स्थान पर साक्षात्कार छिपे हुए है। ३० जुलाई को उस स्थान पर छापा मारा पर तु इनको पकड़ना सम्भव नहीं था क्योंकि दूसरी ओर ऊंची पवन श्रेणी थी जिसके कारण विद्रोही दल के बच कर निकल जाने के लिए माग सुगम था। पर तु वहाँ मूल्यवान युद्ध सामग्री स्टोर और विशेषकर नेता की एक दलदिनी (डापरी) मिली जो बहुत मूल्यवान थी। २ अगस्त १९३१ को हनुमन्ती राज्य में एक फौजी अत्यन्त अशक्त दशा में अपने पाँच अनुयायियों के साथ पकड़ा गया। जो व्यक्ति सायासान को पहचानने की योग्यता रखते थे उन्हें वहाँ भेजा गया और यह निश्चित हो गया कि फौजी और कोई नहीं वही विद्रोही स्वयं सायासान है जिसके पीछे सेना जाने दिनों से पड़ी थी। उनको सेना ने हथियारों के निकट एक साधारण सामान्य व्यक्ति की बस भूषा में ३ बजे पकड़ा। उनका स्वास्थ्य अत्यन्त गिरा हुआ था। मभावों कट्टो तथा चिताओं से उनका शरीर जजर हो चुका था और वह अत्यन्त अशक्त हो गए उनका स्वास्थ्य अत्यन्त गिरा हुआ था। इस प्रकार उस व्यक्ति का अमरत्व धूमकेतु के समान व्यक्तित्व का प्रतीक हो गया जिसको गिरफ्तार करने के लिए भारत सरकार ने दस हजार रुपए का और सात राज्यों ने एक दूसरा पाव भी रुपये का पारितोषिक घोषित किया था। उनको सात राज्यों के ता गलियों स्थान पर बंद रखा गया जब तक कि उन्हें एक बन्द रेल के डिब्बे में शारावादी लाने का प्रबंध नहीं हो गया। वह बंद डिब्बा १४ अगस्त १९३१ को ट्रेन में जोड़ दिया गया और उसकी रक्षा के एक बड़ा सशस्त्र पुलिस दल साथ भेजा गया।

१५ अगस्त १९३१ को वे विशेष मायालय में उपस्थित किए गए और उनको एक विशेष सुरक्षित कठघरे में जो उनके लिए विशेष रूप से बनाया गया था खड़ा किया गया। उस समय की प्रचलित परम्परा के अनुसार उनको एक लाल जैकट पहनाई गई थी कि उन व्यक्तियों को पहनाई जाती थी कि जो पून के अपराध के दोषी होते थे। उनके विरुद्ध मुख्य दोषारोपण नीचे लिखे थे। उन्होंने ६ सौन शारावादी और ६ बादा में विद्रोह कराया अलावा ही पहाड़ियों में एक महल बनवाया जिसका उपयोग विद्रोहियों के मुख्य केंद्र के रूप में किया जाता था उ होने गलोन समितियों का संगठन किया, उन्होंने विद्रोही सेना को एकत्रित किया और अपने हस्ताक्षरों से बुद्ध राजा के नाम से घोषणा पत्र जारी किया। इसके अतिरिक्त उन पर वन विभाग के इजिनियर तथा एक डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट को मारने का अपराध लगाया गया। इसके अतिरिक्त वन पर यह दोषारोपण भी किया गया कि उनके अनुयायियों ने अनेक मुखियों और पाँच बालों को मारा इनीवा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण किया तथा अनेक गाँवों पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा।

अपराधों की सूची अभी पूरी नहीं हुई। उन पर यह दोषारोपण भी किया गया कि उनके अनुयायियों ने सभा की सेनाओं जिनमें पन्नाची देवीमेंठ भी सम्मिलित

धी आक्रमण किया। अभियोग में उन पर यह भी दोवारोपण किया गया कि उनके प्रचार का उद्देश्य दे दाए, मौलमीन, हैजादा और पीगू क्षेत्रों को प्रभावित करने का था। सम्म्राट के विरुद्ध पट्टयत्र करने तथा युद्ध करने का भी उन पर अपराध लगाया गया।

अभियोग की नियमित सुनवाई २० अगस्त से आरम्भ हुई। अभियुक्त ने अपील बचाव के लिए किसी वकील की सेवाएँ लेने से इंकार कर दिया। उनका सारे अभियोगों का केवल एक मात्र उत्तर यही था कि मैं दोषी नहीं हूँ मैंने अपनी जननी भूमि को स्वतंत्र करने के लिए सघप किया जिसका प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। यह उत्तर बरमा के नेताज के बादशाह साया सान जैसे महान कान्तिकारी के योग्य ही था। १० अगस्त १९३१ को सक्षिप्त अभियोग के उपरांत बरमा के जन विद्रोह उस महान क्रांतिकारी नेता को प्राण दण्ड दे दिया गया। २८ नवम्बर १९३१ को सात युद्धों के उस महान क्रांतिकारी वीर को फासी दे दी गई। इस प्रकार वह प्रकाश जिसने बरमा के आकाश को कई वर्षों तक प्रकाशवान बनाया था, बुझ गया।

### पटाक्षेप

#### अलताग विद्रोह अभियोग

२२ दिसम्बर और ३१ दिसम्बर १९३० के मध्य जो घटनाएँ घटीं उनके सम्बन्ध में एक सम्पूर्ण अभियोग धारावादी में एक विशेष न्यायालय के समक्ष सतीस विद्रोहियों पर चलाया गया। विशेष न्यायालय ने ग्यारह व्यक्तियों को प्राण दण्ड दिया। अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। उच्च न्यायालय ने नौ व्यक्तियों की सजा को माय कर दिया और दो की प्राण दण्ड की सजा घटा कर आजीवन कारावास तथा काले पानी की सजा में बदल दिया।

वेदाये विद्रोह अभियोग—सात जनवरी १९३१ को प्यापान जिले में वेदाएँ में एक छोटा और सक्षिप्त विद्रोह हुआ। वह विद्रोह साया सान की आज्ञा से उनके अनुयायियों के एक दल ने किया था। वह युद्ध लगभग डेढ़ घंटे तक चला था जिसमें लगभग ३० या चालीस विद्रोही मारे गए थे। विद्रोहियों में से बचे हुए और उनके समयक बड़ी बहटा में गिरफ्तार कर लिए गए। काना उर में एक विशेष न्यायालय के समक्ष बहतर अभियुक्तों के विरुद्ध सम्म्राट के विरुद्ध युद्ध करने तथा पट्टयत्र करने के अपराध में अभियोग चलाया गया। उनमें से अठारह को प्राण दण्ड की सजा दे दी गई। उच्च न्यायालय ने पट्टयत्र की प्राण दण्ड की सजा माय कर दी। इसके उपरांत सरकार से दया की प्रार्थना की गई। चार को छोड़ कर सरकार ने शेष सभी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उन चार क्रांतिकारियों को कुछ समय के उपरांत फाँसी दे दी गई।

#### हतोहलेग विद्रोह

हतीहलेग के साधारण से विद्रोह के अपराध में सत्ताईस व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया। न्यायालय ने दो को प्राण दण्ड दे दिया। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उच्च न्यायालय ने कहा कि यू पायालावका के विरुद्ध अभियोग सिद्ध हो गया है अतएव उसकी अपील अस्वीकार की जाती है। दूसरे अभियुक्त की अपील भी अस्वीकार कर दी गई। यथा समय दोनों क्रांतिकारियों को फाँसी दे दी गई।

#### कामा विद्रोह अभियोग

५ जून १९३१ को क्रांतिकारियों के एक दल ने पालेगीपदांग पुलिस थाने पर

आक्रमण कर दिया और राजकीय सम्पत्ति को गहरी क्षति पहुँचाई। जब उनकी पुलिस से मुठभेड़ हुई तो उन्हें वहाँ से हटना पड़ा। इस युद्ध में एक विद्रोही मारा गया। यादृगो के विशेष-यायाधीश के समक्ष बहुत बड़ी सरया मजन विद्रोह के अपराध में अभियोग चलाया गया। जज महोदय ने पचहत्तर अभियुक्तों को प्राण दण्ड की सजा दे दी। ६ अगस्त १९३१ को उच्च-यायालय ने पतीस के प्राण दण्ड की सजा को घटा दिया और शेष आलीस के प्राण दण्ड को सजा को माफ कर दिया।

### किनपादी विद्रोह अभियोग

इस अभियोग में १२५ व्यक्ति जो गिरफ्तार किए गए उनमें से पचहत्तर के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने 'कई बिनाला' के मुखिया को मार डाला, किनपादी लखड़ी खोरने की मिल पर नियुक्त पुलिस दल पर आक्रमण किया तथा मगई सुरक्षित बन में पजाबी सनिकों से मुठभेड़ की। १६ अक्टोबर १९३१ को विशेष-यायालय ने उनमें से तीन को प्राण दण्ड दे दिया। अपील करने पर उच्च-यायालय ने दो के प्राण दण्ड को माफ कर दिया।

### मिनहोन विद्रोह

मिनहोन में जो विद्रोह हुआ वह उस विद्रोही की श्रृंखला में से एक था जो कि बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में धारावादी के विद्रोह के सम्बन्ध में बरमा में सदा फली हुई प्रशान्ति का एक भाग थे। जो भयानक दण्ड इस अभियोग में दिया गया उससे इस विद्रोह की युक्ता और गम्भीरता का अनुमान किया जा सकता है। इस विद्रोह के सम्बन्ध में तथ्य पात नहीं हैं परन्तु यह पता चलता है कि वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। २७ सितम्बर १९३२ को उच्च-यायालय ने अनेक अभियुक्तों की अपील पर निर्णय दे दिया कि जिनके विरुद्ध सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने पढ्यत्र करने तथा तत्सम्बन्धी अथ आरोप थे जिनमें ३० अभियुक्तों को विशेष-यायाधीश ने प्राण दण्ड की सजा दी थी। उच्च-यायालय ने उन तीस में से चौबीस के प्राण दण्ड की सजा को माफ कर दिया और शेष को आजीवन काले पानी के कारावास की सजा में परिणत कर दिया।

### धारावादी के अभियोग

(क) यह अभियोग 'सादवा' में हुए उस युद्ध के आधार पर चलाया गया जिसमें गाँव वालों में और पुलिस में कई मुठभेड़ें हुई थी। पुलिस प्रति व्यक्ति कर उगाहना चाहती थी और ग्रामीण उसका विरोध कर रहे थे इस विद्रोह की तैयारियाँ एक नेता (भाग ह्वा) के मकान पर की गईं। भाग ह्वा को एक दूसरे अभियोग में आजीवन काले पानी का दण्ड दिया जा चुका था। उनके मकान पर विशेष सत्कार में प्रातिकारियों ने विद्रोही धम की दीक्षा दी गई और नए भरती किए जाने वालों को राय दिलाई गई। इस युद्ध में अनेक व्यक्ति मारे गए और ६५० व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया। इनके विरुद्ध सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने तथा अनेक अथ आरोप लगाए गए। ६ मई १९३१ को विशेष-यायाधीश ने अभियोग के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे दिया। उत्तर अभियुक्तों को विशेष बदालत ने दण्डित किया उनमें से पन्द्रह को प्राण दण्ड दिया गया। उन पन्द्रह में जिनको मृत्यु दण्ड दिया गया था बा छीन और हे अदमान सनखान भी थे जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण नेता के विरुद्ध अनेक कारावाय का दण्ड का युक्त था पुत्र थे।



(ख) १४ मई १९३१ को एक विशेष न्यायालय के समक्ष ४६ व्यक्तियों पर इनसीन और धारावाही की सीमा पर विद्रोह खड़ा करने का आरोप लगाया गया। उस विद्रोह में ग्रामीणों ने अपने समूह बना कर अलाहाबाद की ओर दूध किया। माग में पुलिस चौकियों पर आक्रमण किया और सरकारी सम्पत्ति को लूट लिया। जबकि विद्रोही दूध कर रहे थे तो माग में उनको सैनिक पुलिस का दस्ता मिला, जिससे युद्ध हुआ। उस मुठभेड़ में कम से कम आठ विद्रोही वीर गति को प्राप्त हुए।

(ग) २१ मई १९३१ को एक दूसरे अभियोग में विशेष न्यायालय के समक्ष ४६ अभियुक्तों को उपस्थित किया गया जिनमें विद्रोह का संगठन करने युद्ध में सम्मिलित होने पुलिस और सेना को क्षति पहुँचाने और समस्त प्रदेश में विद्रोह खड़ा करने का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने आठ को निर्दोष पाकर छोड़ दिया शेष ४१ पर अभियोग चलाया गया वे सब दोषी पाए गए और उनमें सात को प्राण दण्ड दिया गया विशेष न्यायालय ने अपना यह निराय न अगस्त १९३१ को दिया था।

उन सातों ने सरकार से दया की प्रार्थना की उनके नाम नीचे लिखे हैं —

(१) नगा पो बुल (२) नगा पो गाक (३) नगा धान मेदिग (४) नगा पो पिट (५) नगा पो साग (६) नगा वा श्वा और (७) नगा पो टटा

गवर्नर जनरल ने सातों अभियुक्तों की दया की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और उन वीर क्रांतिकारियों को फाँसी दे दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिए सातों वीरों ने फाँसी के तहत पर अपने प्राण दे दिए।

(घ) सरकार ने एक पूरक अभियोग चलाया। जिसमें १५३ अभियुक्त थे उनमें १४ फरार थे अस्तु ५१ पर विशेष न्यायालय के सामने अभियोग चलाया गया। यह अभियोग भी धारावाही विद्रोह से सम्बन्धित घटनाओं को लेकर चलाया गया था। बारह अभियुक्तों को प्राण दण्ड और छब्बीस को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

पायटम्बो विद्रोह अभियोग—पायटम्बो में तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र में हुए विद्रोह में कई विद्रोही चार पुलिस के सिपाही तथा दो अग्रियों की जीवन हानि हुई। सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने तथा अग्रियों और अग्रियों के लिए बहुत बड़ी सख्या में अभियुक्तों पर अभियोग चलाया गया। उनमें से कई को कानून के अन्तर्गत अधिकतम दण्ड दिया गया। उनमें से पाँच अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने १३ जनवरी १९३२ को अपना निर्णय दे दिया। सभी अपीलें खारिज कर दी गई। आठ को प्राण दण्ड की सजा माय कर दी। विद्रोहियों का नेता इस विद्रोह के समय हुई मुठभेड़ों में वीर गति को प्राप्त हुआ।

#### टाइगर सेना विद्रोह अभियोग

इस अभियोग में ४६ अभियुक्तों पर जिनमें ईशान मुख्य अभियुक्त था १९२७ में पाँचे सब द्विवीरन में कर न देन का अज्ञान करने जिसके कारण 'पदि नविन' में दगा हो गया अभियोग चलाया इस दगे में एक वरमी धानदार मारा गया। इसमें ईशान तथा उसके एक दूसरे साथी को प्राण दण्ड की सजा दी गई।

टाइगर सेना के कुछ अग्र नेता २४ अक्टोबर के पायटम्बो की घटना में मारे गए। वो वो जो विद्रोहियों का नेता था इस समय में मारा गया और उसके पास से एक बंदूक तथा पचास कारतूस प्राप्त हुए।

जिगोम विद्रोह अभियोग—झोम जिले के सिमिजदे क्षेत्र में जिगोम में १९

दिसम्बर १९३१ को राजकीय सेनाओं और विद्रोहियों में भयकर मुठभेड़ हुई जिसमें सिंह सेना का नेता (विद्रोहियों के दल का नाम) अपने पाच सहायकों के साथ मारा गया। एक विशेष यायाचीश ने धारावादी जेल के अंदर जिंगोन विद्रोह अभियोग की सुनवाई की। १८ अगस्त १९३२ को निणय सुना दिया गया। जिसमें ६ अभियुक्तों को प्राण दण्ड दिया गया।

बरमा में फाँसियाँ—धारावादी विद्रोह के सम्बन्ध में बरमा सरकार के गृहमंत्री ने २४ फरवरी १९३३ को बतलाया कि कुल २७४ विद्रोहियों को प्राण दण्ड दिया गया उनमें से ५१ को फाँसी दी जा चुकी थी। और विद्रोह में भाग लेने के कारण आजीवन कारावास का दण्ड भुगतने वालों की संख्या ५३५ थी।

## आठवां अध्याय

### चिटागाव के शीय की कहानी

(१९२६४२)

#### घरातल

सम्पूर्ण प्राविभाजित भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक सौन्दर्य की धनी भूभाग जहाँ प्रकृति देवी ने अपनी अपरिमित नसगिक देन को मुक्त हस्त से सुटगया है—जहाँ सहस्रों उत्तम फसलें उत्पन्न करने वाले खेत हैं सग्न बहार वन हैं, जो धप भर हरे भरे गहते हैं और जहाँ के पहाड वन अच्छादित ही नहीं प्राकृतिक सौन्दर्य की अपरिमित सम्पत्ति के धनी हैं जहाँ हरित परिधान धारण किए हुई पर्वतमालाओं की समाप्त न होने वाली श्रृंखलाओं का तांता लगा है जिसमें अजरूप छोटे बड़े नद और नदियां शांत भाव से बहती हैं और गम्भीर गति से अद्यान्त समुद्र से मिलने के लिए बहती रहती हैं—बहु नसगिक सौन्दर्य का अत्यन्त धनी प्रदेश अत्यन्त वीरतापुण क्रान्तिकारी कार्यों का केन्द्र बन गया जिनकी समता भारत के अथवा विश्व के अन्य किसी देश के क्रान्तिकारी इतिहास में मिलना असम्भव है । उग्र सैनिक राष्ट्रवाद के पुन फूट पडने के समय स चीटा गाव का राजनीतिक इतिहास अत्यन्त रोमाचकारी और चित्ताकर्षक है ।

चीटा गाव के इस गौरवपुण क्रान्तिकारी इतिहास में सूर्य-सेन का नाम भारत के गौरव को बढ़ाने वाला है और प्रत्येक भारतीय गृह में उनका नाम सब गुणों के लिए कि जो अडिग वीर सहासी और हड क्रान्तिकारी योद्धा में होने चाहिए याद किया जावेगा । उनका नाम एक ऐसे वीर क्रान्तिकारी योद्धा के लिए याद किया जावेगा जिसने अकल्पनीय कष्टों को सहकर भी अपनी मातृभूमि को विदेशिया की दासता से मुक्त करने के लिए निरन्तर युद्ध किया । उनके वीरोचित कार्यों ने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त करने के कठिन माग पर कभी न मिटने वाले चिह्नो को अंकित किया है जो सदैव देश भवनों को देश के लिए अपने जीवन को उरसर्ग करने की प्रेरणा देते रहेंगे ।

ब्रिटिश शासन के इस सुदृढ केन्द्र पर जो साहसपूर्ण आघात किया गया उसकी गुरुता को समझने के लिए उस जिले के घरातल की बनावट को ठनिक विशद रूप से समझ लेने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त उग्र आक्रमण के बाद जो अत्यन्त क्षतरनाक और जोखिम भरा काय उन क्रान्तिकारियों ने वापस लौटाने में किया उसको भली भांति समझने के लिए भी उस प्रदेश के धरताल की बनावट को जान लेना आवश्यक है । यदि पर्वतमाला, सघन वनों छोटी छोटी नदियों और बिलखी हुई दूर-दूर गाव और बस्तियों के कारण क्रान्तिकारियों की गतिविधियों और पुलिस द्वारा पीछा करने पर भाग निकलने में बहुत अडचन और कठिनाई थी तो क्रान्तिकारियों के लिए उनमें पुलिस और सेना के नाक के मोचे ही छिपकर रहने के लिए सुविधा भी थी । सम्पूर्ण जिला एक लम्बी और पतली तटीय पट्टी की भांति फला हुआ था । उसकी पीठ के पीछे नीची पहाड़ियां थीं जो कि बगाल की खाड़ी और चिटागाव और अराकान

पर्वतीय प्रदेश के माध्य में स्थित था। समुद्र तट और पीछे की पहाड़ियों के बीच जो समतल तटीय भूमि है उसमें अनेक छोटी छोटी नदियाँ हैं जिनमें ज्वार का जल चढ़ कर फलता है। इस जिले की मुख्य नदियाँ कणकुली और सानगा हैं—दोनों में वष भर नावें चल सकती हैं। जिले में पाँच मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं (१) सीतल कुण्ड (२) गोलिबासी (३) सतकानिया (४) मशाल (५) और तेकनाफ पर्वत श्रेणी।

चिटागाव नगर कर्ण कुली के दाहिने तट पर बसा है और उसके मुहाने से लगभग १२ मील उत्तर में स्थित है। चिटागाव नगर में अनेक छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो उसके मध्य में स्थित हैं वे अत्यंत ढालू हैं। एक या दो के सिवाय किसी के भी श्रय की चोटी पर कोई सवारी नहीं पहुँच सकती। सभी पर्वत पहाड़ियों की चोटियों से कर्ण कुली पुष्पा की माला के समान प्रतीत होती है। उतरती चढ़ती पहाड़ियाँ ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो बहुत बहुत विशाल और लम्बे सपे चल रहे हों जो कि भोड़ों पर तथा किनारे की भाड़ियों और ऊँचे पेटों में कभी कभी गमब हो जाते हैं। वे पहाड़ियाँ तथा पहाड़ी मार्ग इतने उबड़ खाबड़ हैं कि उनका ठीक विवरण दे सना सम्भव नहीं है। मुख्य पर्वत श्रेणियों से इस विस्तृत और दूर दूर तक फैले हुए सघन वन आच्छादित प्रदेश का दृश्य अत्यंत भव्य मनोहर और आकर्षक है। उन ऊँचे स्थानों से देखने पर नीचे जो जंगल फैला हुआ है वह एक समतल हरित प्रदेश जसा प्रतीत होता है जब कि वास्तव में वह अत्यंत दुर्गम और दुःख प्रदेश है जिसमें से होकर निपलना बहुत कठिन है।

### पृष्ठभूमि

भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में चिटागाव सदैव अग्रणी पक्ति में रहा है और भारत के राजनीतिक भविष्य के सम्बन्ध में जो भी विचार विमर्श हुए उनमें उसका यथेष्ट प्रतिनिधित्व रहा है।

कांग्रेस की विचारधारा के अतिरिक्त तरुणों के मन में क्रांतिकारी विचारों का भी उन्मूल हो रहा था। प्रथम विश्व व्यापी महायुद्ध में चीटागाव के तरुण भी बंगाल के सैकड़ा तरुणों के साथ बिना अभियोग चलाये गिरफ्तारी से नहीं बच सके। १६ जून १९१४ को एक डिपार्टी पर क्रांतिकारियों ने वार किया परन्तु उसके बजाय उनका एक क्रांतिकारी साथी मारा गया। क्रांतिकारी भावना उस समय तक तरुणों में इसी प्रकार प्रवाहित होती रही जब तक महात्मा गांधी एक वर्ष में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की योजना को अहिंसात्मक उपायों से प्राप्त करने के अर्थ को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर उदय नहीं हुए। यद्यपि क्षीर्ण थे क्रांतिकारी नेताओं को इस अहिंसात्मक आंदोलन की सफलता में तनिक भी विश्वास नहीं था परन्तु महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन को अचित्त अक्सर देना आवश्यक था। अतएव क्रांतिकारियों ने महात्मा जी के आंदोलन को इस विश्वास के साथ समर्थन दिया कि क्रांतिकारी कायवाही केवल थोड़े से ही क्रांतिकारी कर सकते हैं। क्रांतिकारी कायपद्धति के बंदल थोड़े से ही अनुयायी बन सकते हैं क्योंकि उसमें असीम बल सहन और बलिदान की आवश्यकता होती है अस्तु सब साधारण में राजनीतिक चतय उत्पन्न करने के लिए गांधी जी के कार्यक्रम के अतिरिक्त सफल होवे की सम्भावना और अक्सर ये।

परन्तु सत्याग्रह आंदोलन से क्रांतिकारियों ने जो आशा की थी वे सफल नहीं हुईं और चीटागाव के उत्साही और जोशीले क्रांतिकारी अंधी हो उठे। १९२२

में चीटागांव में क्रांतिकारियों का एक बृहत् सम्मेलन गांधी जी के राजनीतिक आंदोलन के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा भावी कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए हुआ। जब कि सम्मेलन समाप्त हो गया तो हिंसात्मक उपायों के समयकों में आपस में निश्चय किया कि वे अपने हिंसात्मक क्रांतिकारी मार्ग पर ही चलेंगे और उस कार्य को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए धन एकत्रित करने के उपाय सोचे गए। इसी अभिप्राय से १९२३ में परायण्वीरा डकैती डाली गई। उसी वर्ष २३ दिसम्बर को क्रांतिकारियों ने रेलवे की एक बहुत बड़ी धन राशि चुरा ली। यह 'नेमापारा' स्थान पर हुई थी इस कारण 'नेमापारा' डकैती के नाम से प्रसिद्ध है। इसी बीच इस धन का भी प्रयत्न किया गया कि उस क्रांतिकारी दल से हाथ मिलाया जाये जो प्रचलित भारतीय आंदोलन पर सशस्त्र विद्रोह कराने के लिए सगठन कर रहा था और उस दिशा में प्रयत्नशील था।

नेताओं ने इस विचार को अधिक पक्का नहीं किया। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए निजी धनवा राजकीय धन को छूटने के सम्बन्ध में भी उनका मत परिवर्तन हो गया। क्योंकि टाका डालने में अपने सहयोगियों का न्यायालय में बचाव करने के लिए व्यय करना पड़ता था दोष घुप करनी पड़ती थी और इस बात की भी सम्भावना रहती थी कि सजा हो जाये जिसमें कि लम्बे समय के लिए सक्रिय क्रांतिकारी योद्धा को दल छोड़े। अतएव यह निर्णय किया गया कि धन और यदि सम्भव हो तो हथियार भी दल के सदस्यों की सहायता से उनके घरों से ही प्राप्त किए जावें। उसी समय १९२५ में विना अभियोग चलाए केवल सजा पर बड़ी सख्या में गिरफ्तारियों और क्रांतिकारियों को जेल में रखने की दूमरी लहर आई। उन सारे के सारे क्रांतिकारी नेताओं को सरकार ने जेल में रखा और अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें छोड़ा गया। १९२८ तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस सरकार द्वारा आरोपित निन्दुलेपन और क्रियाशून्यता के समय में कश्मिरी को अजिला में आए हुए कश्मिरी से मिलने का तथा जिन जिलों में तमारियां पूरी हो जावें उन जिलों में सशस्त्र विद्रोह किस समय खड़ा किया जाये इस सम्बन्ध में विचार विमर्श तथा चर्चा करने का अवसर मिला। १९२८ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो विराट अधिवेशन बलरुत्ता में हुआ। उसमें जो नेतागण सुभाषचन्द्र के नेतृत्व में पूरा सन्निक वर्षों से युक्त बहुत बड़ा स्वयं सेवक दल खड़ा किया गया उससे चीटागांव के क्रांतिकारी नेताओं को प्रेरणा मिली और बहुत जल्दी ही उन्होंने भी एक पूरा वर्षोंवारी क्रांतिकारियों का सन्निक दल बनाना भी सहा कर लिया। १९२५-२८ के बीच चीटागांव के क्रांतिकारियों को जो सदेह में गिरफ्तार कर लिया गया था उनमें एक क्रांतिकारी की छूटने के पूर्व ही मृत्यु हो गई। एक क्रांतिकारी की बलि चढ़ गई। १९२८ में जब कि कश्मिरी की रिहाई शुरू हो गई थी एक की अनुपस्थिति से मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु उसकी रिहाई की तारीख से कुछ सप्ताह पहले हुई। उसका मृत्यु ४ एप्रिल १९२८ को मनराज की जेल में हुई थी। १९२९ में चीटागांव जिले में क्रांतिकारी कार्यवाही करने के लिए क्रांतिकारी अंधीर हो उठे। सम्पूर्ण जिले में दोष और रोष व्याप्त था। परंतु क्रांतिकारियों को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन के समयको के कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा था। ११, १२ और १३ मई १९२९ को जो जिला युवक सम्मेलन हुआ उसमें दोना दलो का यह मतभंग स्पष्ट हो गया और ऊपर गया। वास्तव में यह मतभेद उस प्रसंग तोष की छिपी हुई धारा का प्रावण था कि

जो उस समय प्रत्येक जिले के राजनीतिक बायबर्साओ को भकभोर रही थी। वष के अउ तक स्थिति बेबावू हो गई जब कि उम दुर्भाग्यपूर्ण घातक आक्रमण की सृष्टि हुई। उस घातक आक्रमण से भविष्य में होने वाली घटनाओ का पूव सकेत मिलता था।

### अहिंसा के समर्थनो की हिंसा

अहिंसात्मक आन्दोलन के असफल हो जाने पर खीटागांव कांग्रेस समिती के नेताओ ने जिले को अधिकारियो के विरुद्ध प्रावि उबारी सभष के लिए तयार करने का विचार किया। इसवे सहायक उपाय के रूप में यह आवश्यक हो गया कि खीटागांव कांग्रेस समिती पर उनका प्रभावकारी नियन्त्रण स्थापित हो जिससे कि वे जिले को आने वाले प्रावि उबारी सभष के लिए तयार कर सकें। सूचनेन न इस अभिप्राय से अर्थान अन्तिम सभष के लिए दण को सगठित करना आरम्भ किया और धार्मिक बायकारिणो के चुनावो के लिए वे तयार होकर आए थे। २१ सितम्बर १९२६ को चुनाव हुए और अहिंसात्मक आन्दोलन के समर्थनो की पराजय हुई। भविष्य में आने वाले अहिंसात्मक आन्दोलन जिसकी उस समय तेजी से अर्चा चल रही थी के समर्थनो की चुनाव में पराजय हुई। वह कांग्रेस समिती की अटक लूफानी अटक थी जिसमें विरोधी पक्षों में अहून गरमा गरमी हुई और एक दुर्भाग्यपूर्ण और भरी घटना ने उस दिन के दुग्ध वातावरण को अलविन कर दिया। बात यह हुई कि कुछ स्थानीय गुण्डों ने सूचसेन, निमल सेन और पद्महर्षीय सुखदेव विद्याल दत्त पर छुओ से आक्रमण कर दिया। सूचसेन तथा निमलसेन की चोटें बहुत गम्भीर और गहरी नहीं थीं पर तु सुखदेव की रीढ़ में एक सोहे के ड डे से गहरा आघात लगा था सोहा गहरा घस गया था।

खीटागांव में जो भी चिकित्सा की सहायता उपलब्ध थी उससे सुखदेव के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। उसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि उसको अधिक कुशल चिकित्सकों की देख रेख में रखा जावे इस कारण उसको ६ अक्टोबर १९२६ को अलकनन्दा ले जाया गया और कारमाइकेल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रखा गया। वहाँ उसको सभी प्रकार की अच्छी से अच्छी सम्भावित चिकित्सा की सुविधा दी गई पर तु ३३ अक्टोबर १९२६ के पास पास सुखदेव की दिशा तेजा से बिगड़ने लगी। उसके पर पूरी तरह से बेवैरा रहिन और गतिहीन हो गए थे उसकी स्थिति पक्षाघात जसी हो गई थी। वह पेट में अयकर पीड़ा की बराबर शिकायत करता था और डाक्टरों ने उसकी जिडनी के विपाक्त हो जाने की बात कही। पद्महर्षीय के उस बालक सुखदेव को अगल के शीघ्रतय सब माय सा जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बोस भी थे देखे लहे थे। २७ अक्टोबर १९२६ को प्रात १० बज कर १७ मिनट पर उस आभागे बालक ने सबों के सामने प्राण छोड लिए। उसने गव की नीमतल्ला स्मशान घाट पर दाह किया की गई। उसके दाह सस्कार में बहुत बड़ी सहायता में कांग्रेस जन तथा उसके प्रिय मित्र तथा असह्यक प्रशसक सम्मिलित हुए थे। इस प्रकार तरुण सुखदेव उस आ दोहन की पहली बलि था जिसने आगे चल कर अनेक बलिदान लिए। सुखदेव का श्राद्ध बैरान बाजार में २६ नवम्बर १९२६ को हुआ।

### शस्त्रागार पर आक्रमण

प्रारम्भिक—ऊार की घटनाओ से तनिक भी विचलित न हते हुए एसाही युवक प्रातिवारी बड़ी प्रातिवारी कार्यव ही की तयारी में जुट गए जिससे कि विन्ध को यह अज्ञात था कि सोता हुमा सिंह अय जाग गया है। मास्टर-बा के नेतृत्व

में जो क्रांतिकारी युवकों की टोली थी वह अधिक सक्रिय और उत्साही थी। मास्टर-दा के चुने हुए सहयोगी उस समय बहुत सत्रिय हो उठे। उन्होंने कई स्थानों पर कठोर शारीरिक व्यायाम के केंद्र स्थापित करना, पद चालन (हट माच) लोहे की छड़ों को मोड़ देना, चलती मोटर गाड़ी को पकड़ कर रोक लेना, लाठी, तलवार, छुरा, चलाना तथा मुक्केबाजी (बाक्सिंग) इस नवीन शारीरिक व्यायाम की लहर के मुख्य अंग थे। उनके काय पुलिस की दृष्टि को आकर्षित किए बिना नहीं रहे। नवम्बर १९२६ के मध्य में चोटागाव में २४ अतिरिक्त सिपाही सदेह जनक व्यक्तियों पर कड़ी निगाह रखने के लिए भेज दिए गए। फरवरी १९३० में सीता कण्ठ में एक मेला हुआ उसमें क्रांतिकारियों के नेता खाकी ब्रिजिस तथा कोट पहने हुए तथा सर पर लोहे का शिरत्राण और कंधों पर सैनिक बिल्से लगाए देखे गए जिस प्रकार सेना के कपटेन पहिनते हैं। माच १९३० के अंत तक और अतिरिक्त २२ कार्टेबिल चोटा गाव में एक नई योजना के अंतर्गत जिले में चौकसी रखने के लिए भेजे। भूतपूर्व नगर व क्रांतिकारियों तथा उनके सहयोगियों की कायवाहियां तथा गतिविधियां उस समय तक इतनी अधिक तेज हो गई थी कि उन पर निरन्तर निगरानी रखना अत्यंत आवश्यक हो गया। रात्रि को भी यह क्रांतिकारी सैनिक वेप में तथा खाकी वर्दी में घूमते थे वे अपने दल के लिए कोप इकट्ठा करते, मोटर चलाना सीखते, बड़ी टाच लाइट तथा पानी की बोतलें इत्यादि खरीदते दिखलाई पड़ते थे। पुलिस इस बात से तो प्रसन्न थी कि वे युवक नगर के आस पास कृष्यांत गुण्डों को नियंत्रण में रखते थे और उनके प्रभाव के कारण सड़क पर चलते गुण्डागर्दी आक्रमण लूटपाट अपहरण, तथा बलात्कार तथा अश्रम अपराधों की संख्या बहुत कम हो गई। २१ माच १९३० को जाना मोहन हाल में सत्याग्रह की समाप्ति हुई उसमें भाषण कर्त्तव्यो न घोषणा की कि वे नमक कानून तथा राजद्रोह सम्बन्धी कानून को शीघ्र ही तोड़ने जा रहे हैं और उ होने श्रोताओं से उनके इस श्रेष्ठ और महान लक्ष्य के लिए सब प्रकार से सहायता करने की अपील की। नगर में तथा अश्रम स्थानों पर समा में व्यक्त किए गए विचारों के समयन में विज्ञप्तियां वितरित की गई। २६ माच १९३० के रात्रि के पीने तीन बजे त्रिपुरा सेन जिस पर पुलिस को सदेह था खाकी कमीज तथा कोट पहने सर पर टोप लगाए और हाथ में टाच लाइट लिए साइकिल पर म्युनिस्पल स्कूल के उत्तर की दिशा से जाता दिखलाई पड़ा। जैसे ही उसने अपने रास्ते में एक चौकीदार सिपाही को देखा उसने एक दूसरी पृथक गली की ओर साइकिल मोड़ दी और गायब हो गया। क्रांतिकारियों के मिलने के स्थान कांग्रेस इपतर, सरदारगढ़ फिजिकल कल्चर क्लब (व्यायाम शाला) सरदारगढ़ जटी, लोटस सिनेमा पलेस और नेताओं के महान थे। जहाँ क्रांतिकारी मिलकर चर्चा किया करते थे।

क्रांतिकारियों का यह दल ही डियन रिपब्लिकन आर्मी चोटागाव शाखा के नाम से प्रसिद्ध था। दल ने इस बात की पूरी व्यवस्था की थी कि दल के अत्यंत विश्वसनीय और अत्यंत मेधावी कुशाग्र बुद्धि सक्रिय सत्य जिले के युतचर विभाग पर निगाह रखें। प्रमुख नेताओं की एक युत बैठक में वरुनि (क्रांतिकारियों) निर्दिष्ट कर दिया गया और सभी क्रांतिकारी युवक अनुगणियों को चेतावनी भर आज्ञा दे दी गई कि वे उस महान कार्य के लिए तयार हो जावें जिसमें या तो वे महान गौरव के भागी होंगे या फिर कष्ट में ही जावेंगे। परन्तु फरवरी १९३० में रामकृष्ण विद्वांस के मकाम में इस

के फट जाने से क्रान्ति की तयारी में कुछ देरी हो गई। इस बम विस्फोट में रामकृष्ण विश्वास और अमरेन्द्र नदी गम्भीर रूप से जल गए उनके समस्त शरीर पर जलने के घाव हो गए। इसके उपरान्त एक दूसरे बम विस्फोट में अरधेन्द्र दास्तीदार जल कर घायल हो गया। रामकृष्ण और अमरेन्द्र शरीर पर घाव होने के कारण आक्रमण में सम्मिलित होने के योग्य नहीं रहे परन्तु अरधेन्द्र नदी आक्रमण में भाग लिया यद्यपि उनके घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे।

### आक्रमण

आक्रमण की पूरी तैयारी हो चुकी थी, किन्तु स्थानों पर आक्रमण किया जावेगा उसका एक विस्तृत चार्ट तैयार कर लिया गया था उसमें इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि सेना कहा है हथियार तथा विस्फोटक पदार्थ कहाँ कक्षा हैं। योजना यह थी कि एक साथ ही शस्त्रागार, मगजीन गाड़ हम पुलिस लाइन की बंदी पर आक्रमण किया जावे और उन पर घबना अधिकार कर लिया जावे। पहाड़ ताली पोलो ग्राऊंड में स्थित ब्रिटिश सहायक सेना के शस्त्रागार मगजीन तथा गाड़ हम पर आक्रमण किया जावे।

टेलीफोन कार्यालय, तारपर पर आक्रमण किया जाय और उन्हें नष्ट कर दिया जावे और उन दोनों संचार प्रणालियों के तारों को जहाँ भी दिखाई दें काट डाला जावे। घूम के समीप रेल की पटरियाँ उखाड़ दी जावें जिससे कलकत्ता या ढाका से सैनिक सहायता न आ सके। सभी योरोपियनों का कालेग्राम कर दिया जावे जिससे कि वे इतने घातक और भयभीत हो जावें कि पुलिस की सहायता करने के स्थान पर चोटागांव सभागने की सोचें। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चोटागांव शाखा में ६२ क्रान्तिकारी थे, जिनमें अधिकतर बौद्ध धर्म के नीचे या लगभग थे। वे अधिकतर स्कूल भयवा कालेजों के नए छात्र थे। उनके पास केवल १४ पिस्तौल एक दजन ०।१२ बोर वीचलोइड गन और योडे से बम थे। इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई हथियार नहीं थे।

क्रान्तिकारी सैनिकों को ले जाने और आक्रमण के विभिन्न बिन्दुओं से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मोटर गाड़ियों की आवश्यकता थी। शस्त्रागार के फाटक पर आक्रमण कर उसको विध्वंस करने के लिए अत्यन्त शक्तिशाली मोटर की आवश्यकता थी। क्रान्तिकारियों ने मोटर गाड़ियों के ड्राइवरों से धन लेकर गाड़ियाँ छीन ली और कुछ को उड़ाने क्लोरोफॉम सुधा कर बहोश कर दिया और उनकी गाड़ियाँ छीन ली। घटना के एक दिन एक मोटर उड़ाने खरीदी थी। १२ अप्रैल १९३० को ८.३० बजे रात्रि को आक्रमण करना निश्चय किया गया। परन्तु यथेष्ट संख्या में मोटर गाड़ियाँ मिलने में कुछ अड़चन होने के कारण आक्रमण रात्रि को १०.३० पर आरम्भ हुआ। बात यह थी कि नाजिर अहमद टैक्सी चालक (ड्राइवर) को मार कर उसकी गाड़ी क्रान्तिकारियों ने अपने अधिकार में करली तब यथेष्ट संख्या में उनके पास मोटर गाड़ियाँ हो गई। आक्रमण करन वाले मुख्य दो दल निश्चित समय पर निजाम पलतन पर मिले। क्रान्तिकारी सेना के जन ल तथा उनके कुछ सहायक पूरे सैनिक बेध में थे और उनके कंधे तथा बर्दों पर तारा तथा सैनिक सम्मान सूचक अलकरण भी सजे हुए थे। उनकी उस सैनिक बेध भूषा में बहुत प्रभावोत्पादक तथा भव्य लग रहे थे। उस महान घटना के अनुकूल ही उनका बेध और अलकरण था। सभी नेता आवश्यक



श्रीर उपलब्ध सहायता में आक्रमण के विभिन्न क्षेत्रों पर निश्चित समय पर पहुंच गए श्रीर ठीक रात्रि के साढ़े दस बजे जसा पहले से ही निश्चित था आक्रमण आरम्भ हो गया। नगर के सुदूर सिरे पर पुलिस लाइन का शस्त्रागार स्थित था। क्रांतिकारी वहां अपनी मोटरों में पहुंचे श्रीर जब सतरी ने उनको ललकारा तो उन्होंने उसे वहीं गोली से मार दिया। अत्र सतरी भय तथा घबराहट के कारण भाग खड़े हुए श्रीर उन्होंने उस शस्त्रागार को क्रांति कारियों के अधिकार में छोड़ दिया कि वे जसा चाहें करें। क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार के अस्त्र शस्त्र तथा गोली बाह्य सब लूट लिए। यूनिफॉर्म जूट को उतार कर फेंक दिया श्रीर ब्रिटिश शासन तथा सत्ता के चिह्न मिटा दिए।

ठीक इसी प्रकार का आक्रमण सहायक सेना के मुख्यालय पर किया गया। सतरी को गोली से मार दिया गया। सारजेंट मेजर फरस को भी मार दिया गया। शस्त्रागार का यह बख जहां अस्त्र शस्त्र रखे थे उसका ताला तोड़ दिया गया। ताला तोड़ने के लिए क्रांतिकारियों ने यह युक्ति की कि दरवाजे के ताले में मोटी रस्सी बांधी श्रीर उस रस्से का दूसरा सिरा नई खरीदी गई मोटर कार के पीछे बांध कर मोटर को एक साथ तेजी से चलाया इससे ताला टूट गया श्रीर दरवाजा खुल गया शस्त्रागार को लूटने में जो कुछ विरोध हुआ उसको उन्होंने सरलता से समाप्त कर दिया श्रीर दोनों ही दलों ने एक साथ मिलकर अपनी सफलता पर हर्ष श्रीर प्रसन्नता प्रगट की। जो भी मोटर गाड़ियां पहाड़तली सड़क से गुजरीं उन पर क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया। जिलाधीश जो उस सड़क पर आ रहा था अपनी मोटर वहीं छोड़ कर भाग गया इस कारण बाल बाल बच गया। उसका बदली क्रांतिकारियों की गोली से मारा गया। दूम दूमा श्रीर जरांगम जो चिटागांव से पचास मील दूर है के बीच रेलवे लाइन को सफलतापूर्वक उखाड़ दिया गया श्रीर एक बगन को पटरी से उतार दिया गया जिसके कारण रास्ता रोक दिया गया।

तार घर श्रीर टेलीफोन के कार्यालयों पर आक्रमण किया गया श्रीर संचार व्यवस्था के दोनों क्षेत्रों को पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। ईस्टर की छुट्टी होने से योरोपियन क्लब में कोई नहीं था इस कारण क्रांतिकारियों का दस निराश श्रीर उदास मन होकर लौट आया। क्रांतिकारी चार घंटों तक मन मानी करते रहे। उनको रोकने या उनका विरोध करने वाला कोई भी नहीं था। चार घंटों के उपरान्त घाटंर बर्ष की श्रीर से उन पर मधीन मन से गोलियों की बौछार हुई। उसका उत्तर क्रांतिकारी आक्रमण कारियों ने लगातार गोलियां चला कर दिया यहाँ तक कि उनकी मार के कारण शत्रु की गोलियां चलना बंद हो गईं। इन्डियन रिपब्लिकन पार्टी की चिटागांव शाखा की इस सफलता के उपरान्त उन्होंने १८ अप्रैल १९३० को आरजी क्रांतिकारी सरकार की सूचसेन की अध्यक्षता में स्थापना कर दी। उस क्रांतिकारी सरकार का तात्कालिक काम शत्रु पर प्राप्त की विजय को स्थायी बनाने श्रीर उसकी रक्षा करने, सम्पूर्ण देश को स्वतंत्र बनाने श्रीर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठना था। उसके उपरान्त क्रांतिकारियों पर मधीनमन से आक्रमण हुआ जिसको क्रांतिकारियों ने तुरंत ही सफलता पूर्वक श्रीर प्रभावशाली ढंग से विफल कर दिया। सरकार की सहायता के लिए इबल मीर गज जैट्टी आरमरी से सेना आई परन्तु क्रांतिकारियों ने उसको भी परास्त कर दिया। उसका उन्होंने सफलता पूर्वक सामना किया।

### पासा पलटा

पुलिस लाइन शस्त्रागार पर जो आक्रमण हुआ उसमें एक लडके के भाग लग गई, और उसको घटना स्थल से हटना पड़ा। उसको वहाँ से हटाने में क्रांतिकारी सेना के चार सैनिक मुख्य सेना से पृथक हो गए और दूर पड़ गए वे अभियुक्तों के कठघरे में ही फिर अपने साथियों से मिले। शत्रु (सरकार) प्रथम प्रबल आघात के कारण एक बार तो हतप्रभ हो गया। सरकार ने विभिन्न श्रोतों से सहायता एकत्रित करके अपनी शक्ति को बढ़ाया परंतु यह सब धीघ्र नहीं हो सका, कुछ समय के उपरान्त ही सम्भव हो सका। जब २० एप्रिल को गुरखा सेना बाहर से आ गई और वह क्रांतिकारियों की सोज में फिरने लगी तब उस क्षेत्र में पुनः सरकार का प्रभाव स्थापित हुआ। गुरखा सेना की शक्ति को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से और अधिक सेना बुलाई गई कि जिससे क्रांतिकारी सेना का मुकाबिला किया जा सके, जिसने सरकार की प्रतिष्ठा को उस क्षेत्र में समाप्त कर दिया था।

### पीछे हटना

२१ अप्रैल को सेना क्रांतिकारियों का पीछा करती हुई उनके समीप पहुँच गई। क्रांतिकारी पुलिस स्काऊटिंग दस्त से दो मील से अधिक दूर नहीं थे। सरकार की सुरमा वसो साइट हास और ईस्टन फ्रंटियर राइफिल्स की टुकड़ियों के आ जाने से जिनमें १५०० गुरखा सैनिक थे, शक्ति बहुत बढ गई। क्रांतिकारियों ने १६ अप्रैल को शूलुक बहार पहाड़ी पर आश्रय लिया। २० अप्रैल को वे पतेहाबाद पहाड़ियों की ओर चले गए और बड़ी कठिनाई से उनको बहुत कम मात्रा में भोजन प्राप्त हुआ। जो कुछ भी थोड़ा भोजन उन्हें मिला वह उन भूखे और व्यासे बीरों के लिए बहुत ही कम और अपर्याप्त था बड़ी होपियारी और परिश्रम से और बहुत बड़ी जोशिम उठा कर सदेखावहक कस्ये में भेज गए जो परिस्थिति का मूल्यांकन करें, परिस्थिति की जांच करें और अन्य क्रांतिकारी समूहों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करें। परंतु उनका यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ।

जलालाबाद—क्रांतिकारियों के लिए यह आवश्यक था कि वे उन पर्वत श्रेणियों के जमघट से निकल जावें कि जहाँ कोई मार्ग नहीं था और जिनमें सुरक्षित स्थान पर पहुँच जावें। जबकि वे यह प्रयत्न कर रहे थे तो २२ अप्रैल को वे जलालाबाद की पहाड़ियों के पास पहुँचे जो कि खोटागाव से केवल ३ मील दूर थी। जलालाबाद की पहाड़ियों के समीपवर्ती क्षेत्र में जो गुप्तचर और भेदिफ फले हुए थे उनको क्रांतिकारियों की उस क्षेत्र में उपस्थित का पता चल गया। उन्होंने तुरंत ही मुख्यालय को सन्देश भेज दिया। खोटागाव के वे और क्रांतिकारी तीन ओर से पुलिस और सेना से घिर गए। पुलिस और सेना रथे ट्रेन तथा अन्य साधनों से पहाड़ियों के पास अपनी राइफिलें और मुद्स गन लेकर पहुँच गई। सायकल पांच बजे दोनों पक्षा में युद्ध आरम्भ हो गया। दोनों ओर से तेज गोली बर्षा हुई। युद्ध ऐसा विकट और घमासान था कि अप्रेञ्जी सेनाएँ आश्चर्य चकित थी भारत में उतने भयंकर युद्ध को लड़ना ब्रिटिश सेनाएँ भूल गई थीं। इस मयानक युद्ध का प्रथम शहीद युवक हरगोपाल बाल (तेगरा) था जब उसका शरीर गोली से विदीर्ण हो गया तो भी उसने अपने साथियों को उत्साहित करते हुए कहा आत्म समर्पण न करना, लड़ाई जारी रखना। हरगोपाल घोती— तथा कमीज— पहले था उसके शरीर पर तीन घाव थे (१) बलस्थल की दाहिनी ओर का ६ इंच लम्बा तीन इंच

गहरा घाव (२) बाईं जाघ और घुटने पर (३) तथा दाहिने घुटने पर एक गोलाकार घाव था। उसन पुलिस साइन के सस्त्रागार की लूट म भाग लिया था।

त्रिपुरा सन दूमरे घाहीद थे। वे ढाढा के निवासी थे, उनके वयस्थल के मध्य मे एक घाव था बाहर की ओर कोई घाव उन ी पीठ पर नही था। वे खाकी कोट, कमीज, पट और मोर्जे पहने थे। सस्त्रागार पर आक्रमण करने म वे हरनापाल के साथ थे। वीर गति प्राप्त करने वालों में चौथे व्यक्ति विधु भूयण भट्टाचार्य थे। उनकी बाईं जघा में एक धार पार घाव था और उनके बिर की बाईं और गोली का जखम था। वे खाकी नेकर और कमीज पहने थे। इसके उपरगत मधोन गन की गोली वर्षा से घातक रूप से घायल होकर नरेश राय घराणायी हो गए। उनकी छाती मे एक धोर से दूसरी धोर धार पार गोली का घाव था। वे खाकी नेकर घट तथा माजे पने थे। वे मैमर्नसह के निवासी थे और उनको थोरोपियन बलव पर आक्रमण करने के लिए नियुक्त किया गया था जलालाबाद की पहाडियों के उस बिरस्मरणीय युद्ध म उस दिन नीचे लिखे व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हुए वे युद्ध करते हुए राण भूमि मे सो गए—सर्वांक दत्त, मधुसुदन दत्त पुलिन विराश घोष (मोशल डांगा) जितेनदास गुप्त (गोवराला) तथा प्रभाय बाल। रात्रि के साढ़े सात बजे वह घमासान भयकर युद्ध समाप्त हुआ। चीटागांव के सन वीर क्रांति कारियों की बिकट मार के कारण पुलिस और सेना को वहां से हटना पडा। २३ एप्रिल के प्रात काल प्रकाश होते ही सेना और पुलिस वहां वापस आई। उन्हे राण भूमि पर दस घन मिले। गरीर रूप से घायल लोगों में मातीलास कानूनगो थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बतलाया। कुछ ही क्षण के उपरगत उ होने 'हरि बोले' का उच्चारण किया और अपनी मातृ भूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उनके पेट की बाह पर एक गोली का घाव था जो कि पीठ पर रीढ़ की हड्डी के पास कमर के कुछ इंच ऊपर धार पार निकल गया था। उनकी छाती मे बाईं धोर दूसरा घाव था। वे खाकी नेकर तथा कमीज पहने थे। उन वीरों के शवों को एक जगह इकट्ठा किया गया और जलालाबाद पहाडों की षोटी पर उनका दाह संस्कार किया गया। जलालाबाद पहाडों की यह षटी अविभाजित भारत में सबसे अधिक पवित्र स्थान बन गया जहाँ सन स्वतंत्रता युद्ध के वीरों का दाह संस्कार हुआ था।

### विघटन

जब कि सेना उस युद्ध के उपरगत हट कर उस क्षेत्र का छोड कर चली गई तो परिस्थित बना इन्डियन रिपब्लिकन आर्मी बिल्वर गई एक दल दूसरे से पृथक हो गया। मनएव प्रवेश समूह ने चीटागांव के विभिन्न भागों म घरने अपने उब से धारण ली। एक समूह जनकता की ओर चला गया। दूसरा समू वरमा चला गया। इन समूहों की पुलिस और सेना से विभिन्न स्थानों पर मूठभेडें हुई उनमें भी क्रांतिकारी वीर घराणायी हुए। उन मुठभेडों का भी विषय उल्लेख आवश्यक है। जो भी फुटकर मुठभेडें हुई उनमें इन्डियन रिपब्लिकन आर्मी की चीटागांव धारा की बहुत अधिक जन हानि हुई। रिपब्लिकन आर्मी ने चीटागांव नगर पर अपना अधिचार जमाए रखने का पूरा प्रयत्न किए किन्तु उनका प्रयत्न विफल हो गया। सरकारी सेनावा की शक्ति बढ़ती गई। वे अधिक प्रभाव गांधी हो गई और क्रांतिकारी सेना का खल समाप्त हो गया।

क्रांतिकारी मना न ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब कि वे चारों धोर से भरकर सने से घिरे हुए प उस युद्ध की बनासे रहना उनके सदस्य साहस धोर चतुर

रण कौशल का एक सुन्दर उदाहरण था। पुलिस मुख्यालय तथा सेना की बरकों को उड़ा देने के लिए क्रांतिकारियों ने विपुल मात्रा में विस्फोटक सामग्री एकत्रित की थी। उनकी योजना यह थी कि जेल की ऊंची दीवार को तोड़कर क्रांतिकारियों को जो जेल में बंद थे छोड़ा लिया जावे। ११ मई १९३१ को एक सप्तेहजनक पासल में जिसको किसी ने अपनी सम्पत्ति नहीं बताया दिगारा छोड़ वस्तुओं के कार्यालय से भाई। उस पासल को जिलाधीश के पास आसाम बगल रेलवे प्रशासन ने भेजा। जब वह पासल एक सब डिवीजनल आफिसर के सामने छोला गया तो उसमें ३०० बीवित तथा २० बाल कार-तूस निकले। एक खाली मकान जो जमाखाना में स्थित था उसको कुछ व्यक्तियों ने फर्जी नाम से किराए पर ले लिया था। जब कुछ स्त्रियाँ एक कमरे को साफ करने के लिए उसमें आईं तो उन्हें कुछ तार जमीन से निकले हुए दिखलाई दिए। जब पुलिस वहाँ भाई और उसने खोज बोन की तो पता चला कि वहाँ तीन बनस्तर मोमजामे में साटे हुए हैं जिनमें बहुत विनाशकारी विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ था वे बनस्तर ठीक उसी प्रकार के थे जैसे कि कुछ दिन पूर्व बचहरी पहाड़ी पर पाए गए थे।

**जो अन्तर तक क्रांतिकारी था**

भारधेन्द्र दस्तीदार एक दूसरे क्रांतिकारी समूह का सदस्य था। जब वह बालक ही था तभी उसने अपने पिता का आश्रय छोड़ दिया क्योंकि राजनीतिक मामलों में उसके पिता के विचारों में गहरा मतभेद था। वह मास्टर-दा के सुयोग्य नेतृत्व में पीटागाव के क्रांतिकारी दल का सक्रिय सदस्य बन गया। शस्त्रागार को लूटने के कुछ दिनों पूर्व ही वह अत्यन्त शक्तिवान विस्फोटक बम बनाने के उपयोग में आने वाले पिकरिङ एसिड पाऊडर बनाने समय दुघटना बरा गम्भीर रूप से जल गया। उसके घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे कि वह उस क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया जिसने १८ तारीख को पुलिस लाइन पर आक्रमण किया था। क्रांतिकारियों के मुख्य दल के साथ वह जलालाबाद की पहाड़ियों में चला गया। वहाँ अंग्रेज सिपाहियों से जो युद्ध हुआ और गोलियों का आदान प्रदान हुआ उसमें वह छटा व्यक्ति था जो घायल हुआ। उसके पैर में एक घातक घाव हो गया जिससे कि वह बेहोश हो गया और उसको मरा हुआ समझ कर भूमि पर ही छोड़ दिया गया।

कुछ समय के उपरांत उसको होश आया और उसने देखा कि उसका एक दूसरा साथी जो उसी की तरह मरा हुआ समझ कर छोड़ दिया गया था उठने का प्रयत्न कर रहा था और उस स्थान से जाना चाहता था। मृत्यु की बाट जोहने वाले उस वीर ने उससे अपने पास आने को कहा अर्थात् भारधेन्द्र ने उस ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर बहुत खेपटा करके भी कुछ गज ही सरक पाया। उसका प्रयास यह था कि कुछ समय के उपरान्त सम्भवतः उसमें इतनी शक्ति आ जावे कि वह अपने साथी के साथ उस स्थान से जा सके। उसके लिए चल सकना असम्भव था अतएव उसने वहाँ से जाने की आज्ञा छोड़ दी और अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। जब उसने देखा कि उसका मित्र साथी उसे ऐसी अवस्था में छोड़ जाने से हिचक रहा है तो भारधेन्द्र ने उनसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना की, उसे क्षीमातिथीय अपने को खतरे से बचाने के लिए वहाँ से चले जाना चाहिए। उससे अपने मित्र द्वारा विदा लेते समय उससे अन्तिम प्रार्थना यह की कि वह कष्ट मास्टर दा से कह दे यदि भाग्य उसको उनसे मिलाए कि भारधेन्द्र को अन्तिम साथ तक अपने नेता के साथ पाव दे 'स्वाधीनता अथवा मृत्यु'।

अरधे द्र के एक घाव दाहिने हाथ के मध्य या उसके दाहिने हाथ की छोटी प्रपुली टूट गई थी और उसके पेट की बाईं ओर पातक घाव था। उसी दाहिनी जाघ के घाव पर पट्टी बंधी थी। वह उससे विस्फोट में जल जाने के कारण घाव हुआ था। युद्ध के दूसरे दिन अर्थात् २३ अप्रैल को एक छोटा सा दल पहाड़ी की चोटी पर चढ़ कर आया और उमने अरधे द्र को मर्मांतक अवस्था में पाया। वे लोग उस वहाँ से दस बजे के पूव उठाकर ले गए। उसको एक सशस्त्र टून में चीटागांध ले जाया गया और उसी दिन मध्याह्न उसे एक बज कर चालीस मिनट पर जनरल हास्पिटल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस ने उससे बहुत कुछ पूछा परन्तु उसने अपना और अपने पिता का नाम बताने के अतिरिक्त और कुछ बतलाने से इनकार कर दिया। पुलिस तथा गुप्तचरों ने बहुत धर पटका कि उसके गाव का नाम वह बतला दे परन्तु वह सफल नहीं हुए उनके सारे प्रयत्न और युक्तियां विफल हो गई। अरधे द्र ने यह भी बतलाने से इनकार कर दिया कि उसको वे घाव कबने लगे। पुलिस और गुप्तचरों के समक्ष वह एक कठोर चट्टान के समान अडिग बना रहा। जब पुलिस तथा गुप्तचरों ने सारे हथकण्डों का प्रयोग कर लिया और वे असफल रहे तो सदन सब डिवीजनल आफिसर जो कि मरने वाले अर्धघात मरे हुओं से अपराध स्वीकार करने के यत्नय्य सिखा देने के लिए प्रसिद्ध था और कुख्यात अडिग कर चुका था रात्रि को उसके पास आया। उसने प्रात ही प्रत्येक व्यक्ति से यहाँ तक कि सजन जो कि अरधे द्र की गम्भीर दशा के कारण उसकी निरंतर देखभाल कर रहा था उसके कमरे से बाहर निकल जाने के लिए कहा। सब डिवीजनल आफिसर न प्रगट रूप में उस लाला को कमरे से बाहर निकल जाने के लिए यह बहाना लेकर कहा कि कमरे में गोन माल होने से रोगी को बहुत बध्ट और असुविधा हो रही है। आदेशानुसार सभी लोग यहाँ तक तस को भी बाहर जाना पडा। पीछे क्या हुआ कोई नहीं जानता।

जब मुकदमा हुआ तो मजिस्ट्रेट ने अरधे द्र का एक पूरा अपराध स्वीकारोक्ति का बयान अदालत में प्रस्तुत कर दिया जिसमें अग्य कई अभियुक्तों को पठ्यत्र में सम्मिलित बताया गया था। असिस्टेंट सजन को कई बार रोगी को उसके माद उस थोड़े से समय के अंतगत देखने आना पडा क्योंकि उसका जीवन दीपक बुझ रहा था। सरकारी वकील ससार को यह कह कर घोला देना चाहता था कि अरधे द्र ने स्वतः अपनी इच्छा से वह अपराध स्वीकारोक्ति का बयान दिया है। इससे बड़ा घोला और भूठ और क्या हो सकता था। अरधे द्र मृत्यु से कुछ घन्टे और युद्ध करता रहा और रात्रि में एक बज कर पचास मिनट पर २४ अप्रैल १९३० को (२३ अप्रैल की रात्रि और २४ अप्रैल के प्रात काल के मध्य) उसकी मृत्यु हो गई। मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए अरधे द्र जिग मरा। ऐसे ही बलिदानियों की नींव पर भारत की स्वाधीनता का भवन खडा हुआ है।

### प्रमाद का दण्ड

जबकि अग्निबलिपरी सेना के शस्त्रागार पर सफलता पूर्वक आक्रमण रिया गया तो यह निश्चय किया गया था कि उसको प्राग लगायी जावे जिससे कि जो अस्त्र शस्त्र वहाँ बच रहें नितान्त बकार हो जावें। हिमाभू धिमल सेन ने अपने ऊपर यह भार लिया था कि वे शस्त्रागार के अन्दर पेट्रोल छिडका देंगे जिससे कि शस्त्रागार के बिनाश का काम सरल हो जायेगा। उसने यह काम अवश्य ही पूरा कर दिया परन्तु वह सब

करने में उन्होंने अपने वस्त्रों पर भी असावधानी से कुछ पट्टोल के छींटे पड़ने दिए। जैसे ही उन्होंने घाग लगाई शस्त्रागार तथा उनका शरीर दोनों एक साथ जल उठे। उनका समस्त शरीर धुरी तरह जल गया उनको उनके चार साथियों द्वारा उन्हें घटना स्थल से उठा कर ले जाना पड़ा। उन चार में से दो हीपस्थ नेता थे जिन्होंने आक्रमण का संचालन किया था और उस आक्रमण की योजना बनाई थी। घायल हिमासू विमलसन को चन्दनपुरा क्षेत्र में ले जाया गया वहाँ एक ऐसे मकान में जिसके स्वामी ने उसे छोड़ रखा था उन्हें रखकर उनकी देखभाल के लिए जो भी उस परिस्थिति और उस समय उनके मित्र तथा प्रशंसक मिल सकते थे-उन पर छोड़ दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस उस स्थान की खोज करने के लिए वहाँ १६ अप्रैल १९३० को आई। अधिकाारी ने मकान के मुख्य द्वार पर देखा कि ताला लगा है तो उसको इस बात की आशंका और सदेह हुआ कि उस मकान में कोई व्यक्ति है भी या नहीं। इसफाक से उसको घर के अन्दर किसी व्यक्ति के पलंग पर बिछी चादर पर हिलन डुलने का शब्द सुनाई दिया। उसने मुख्य द्वार को खटखटाया तो एक दूसरा दरवाजा खुला। मकान के अन्दर एक व्यक्ति चारपाई पर सेटा था। जिसके चेहरे हाथ और पैरों पर जलने के बहुत चिह्न थे। एक युवक रोगी के पलंग के पास बठा था। दोनों को पुलिस न गिरफ्तार कर लिया और मकान की अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद उनको पुलिस कोतवाली से गई। कोतवाली से उन्हें घीटागाव जनरल अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें सायकाल सवा सात बजे भर्ती किया गया।

उनके समस्त शरीर पर मिट्टी पोत दी गई जिसको घोंने से उन्हें मर्मांतक पीडा होती थी। हिमासू ने २० अप्रैल को एक बयान दिया जबकि उनके असहाय पीडा हो रही थी और उनके स्नायु मडल पर दबाव था। उनका अपने स्नायु तंतुओं पर नियंत्रण नहीं रहा था। २१ अप्रैल को रोगी को ज्वर हो गया। यह इस घात का फलक था कि उनको सप्टिक हो गया है। रोग बढ़ता गया और उसी रोग से २५ एप्रिल १९३० को जेल हास्पिटल में उनकी रात्रि को साठे भी बजे मृत्यु हो गई।

स्वयं अपने द्वारा अपने शरीर पर घावों से मृत्यु

युवक अमरेन्द्र न दी उस दल के साथ था जिसने पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर हमला किया परंतु वह मुख्य दल से हट कर किसी प्रकार दूर चला गया। अपने साथ साथियों की तरह वह भी सुरक्षित नहीं था क्योंकि पुलिस नगर के कोने कोने पर रट्टि गढाए हुए थी। २४ अप्रैल १९३० को वह ग्रेजुयेट हाई स्कूल में दिखलाई दिया। उस समय स्कूल बिल्कुल खाली था। उसके हाथों में एक रिवाल्वर और एक पिस्तौल था। पुलिस ने उसका पीछा किया वह स्कूल की इमारत से निकल कर मुख्य सड़क (सरदारगढ सड़क) पर भागा और अलकरान सेन में एक पुलिसवा के नीचे उसने धारण ली। पुलिस भी तुरन्त ही वहाँ पहुँच गई। अमरेन्द्र ने जिस स्थान पर आश्रय लिया और जिस स्थान अर्थात् पुलिसवा के नीचे वह छिपा था वहाँ से गोली चलाना आसान नहीं था। उसकी उस विनोय स्थिति के कारण उसके लिए पुलिसवाली से युद्ध कर सकता कठिन था पर फिर भी उसने पुलिस से बड़ा मुकाबला किया। पुलिस न कई बार उससे आश्रय समर्पण करने के लिए अनुरोध किया परंतु उसने आत्म समर्पण करना अस्वीकार कर दिया। जब अमरेन्द्र की ओर से गोली चलना बंद हो गया और सब शांत हो गया तो पुलिस उसको उसके आश्रय स्थान से निकाल कर ले आई। उसके शरीर पर गोली-

के जखम थे। पुलिस उसे हास्पिटल ले गई परंतु वहाँ पहुँचने के कुछ समय के उपरान्त ही वह वीर चल बसा। सिविल सज्जन की रिपोर्ट के अनुसार उसके जखम घातक थे क्योंकि उसने एक गोली जो ठुनी पर मारी थी वह उसके सर से निकली थी और दूसरा कारण यह था कि उसकी खाल काली पड़ने लगी थी। उसकी छाती पर भी घाव था। छाती पर अमरे द्र ने जो गोली मारी उससे उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसने दूसरा फायर ठोड़ी पर किया जो कि सफल हुआ।

### कालर पोल का युद्ध

जब क्रांतिकारियों की सेना बिखर गई तो जो मुख्य दल से बिछुड़ गए थे छोटे छोटे दल बना कर भाग खड़े हुए। उन छोटे क्रांतिकारियों के दलों ने सरकार की शक्ति के ब्यवसंगत के द्रो पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस प्रकार के एक छोटे से दल ने जिसमें ६ युवक थे—स्वदेश राय रात्रतसेन, देवप्रसाद गुप्ता, मनोरजन सेन तथा अन्य दो युवक थे—वे अपने छिपने की जगह से चले और ६ मई १९३० को शामपान (एक प्रकार की नाव) के द्वारा योरोपियन क्लब पहुँचने का कार्यक्रम बनाया जिससे उस पर आक्रमण किया जा सके।

यह सूचना कि कुछ सदेहास्पद व्यक्ति शामपान के द्वारा बणकुली नदी में सदेहजमक डग स जा रहे हैं कोतवाली पहुँची। यह खबर मिलने पर कुछ पुलिस अधि-कारी कुछ सशस्त्र सैनिकों को साथ लेकर नाव के द्वारा उनकी खोज में दौड़े और उन्होंने शामपान का पीछा किया। शामपान ने इन युवकों को साम्भूर हाट पर उतार दिया। जबकि पुलिस की नाव नदी के बीच में पहुँची तो उस पर एक टाच की रोशनी पड़ी जिन युवकों का पुलिस पीछा कर रही थी व नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच चुके थे और पुलिस ने पाँच या ६ व्यक्तियों को नदी के किनारे से कालर पोल की ओर जाते देखा। गावों वालों ने तथा यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष ने जो एक मुसलमान था ने देखा कि ६ युवक तेजी से गाँव की सड़क पर जा रहे हैं प्रत्येक के हाथ में एक पिस्तौल भी है और उनकी पोशाकें भिन्न भिन्न प्रकार की थी। अतएव उन भागने वाले युवकों का गाव ने पीछा किया और कठिन क्रासिंगो पर वे उनको सलकारते थे तथा उन पर आक्रमण करने का प्रयत्न करते थे। युवकों ने अपने को पकड़े जाने से बचने के लिए कुछ गोलियाँ या ही चलाई जिससे पाँच मिनट के अंतर में दो व्यक्ति मर गए। दो युवकों जिनमें से एक फनीश्र नदी था—को गाव वालों ने धर दवाया। एक पुलिस कास्टेबिल प्रसन्न बरुआ ने उनमें से एक युवक को पकड़ने का प्रयत्न किया तो उन्होंने उस पर गोली चलाई जिसके परिणाम स्वरूप वह ६ मई की ठीक मध्य रात्रि को मार गया। अब चार युवक जो अब स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे उन्होंने अपना रक्त पूर को कर लिया और व तेजी से खेतों में से होकर भागे बड़े क्योंकि उनका पीछा करवाते तथा अन्य सांग पश्चिम से भा रहे थे। कुछ समय तक यह दौड़ होती रही और इसी बीच एक बड़ा पुलिस दल उच्च पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में वहाँ पहुँच गया। जब कि उन चार क्रांतिकारियों का पुलिस दल पीछा कर रहा था तो दो दो चार चार करके थोड़ी थोड़ी सख्या में लोग उस भाग पर आ गए और उस मार्ग पर जिन पर कि क्रांतिकारी भागे बढ रहे थे एक बहुत बड़ी भीड़ उनके भागे इकट्ठी हो गई। पुलिस दल जब जुल्दा नामक स्थान पर पहुँचा तो लोगों ने उन्हें बांसों का झुर मुठ दिखाया जहाँ बांसों के झुरमुट में चार व्यक्ति एक दूसरे से सटे हुए लेटे थे। ऊप

की गिरण फूटने से पूव समीरपुर गांव में दोनों ओर से कुछ देर के लिए तेज गोली चली परंतु बाद को बासो के मुरमुट से गोली चलना पूरी तरह बंद हो गया। प्रात काल होने पर जब पुलिस उन क्रांतिकारियों के आश्रय स्थल पर पहुंची तो उसने देखा कि तीन क्रांतिकारी युवक देवाप्रसाद, रजत और मनोरजन मर चुके थे और चौथा स्वदेश मृत्यु की बाट जोह रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया परंतु गिरफ्तार होने के उपरांत कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु ने उसको भावी सभी कष्टों और परेशानियों से मुक्त कर दिया।

उनके शरीर को देखने से पता चलता था कि अग्र्य जसमो तथा चोटो के अति रक्त अपने स्वयं के द्वारा लाए गए घाव चारों के शरीरों पर विद्यमान थे जिससे इस बात का संकेत मिलता था कि पुलिस के कठोर बतने की अपेक्षा उन्होंने स्वयं अपने हथियारों में ही अपनी मृत्यु बुलाना अधिक पसंद किया। यह चारों युवक १८ एप्रिल १९३० के उस बड़े आक्रमण में सम्मिलित थे जिसमें युद्ध के एक दूसरे क्षेत्र में इतिहास का निर्माण किया था। स्वदेश और मनोरजन पुलिस लाइन पर आक्रमण में शामिल थे और रजत अग्निशक्ति सेना के अस्त्रागार के आक्रमण में सम्मिलित था। कालार पोल में गिरफ्तार होने वाले दो क्रांतिकारियों तथा अन्य दस क्रांतिकारियों पर सरकार ने जो अभियोग चलाया उसमें १ मार्च १९३२ को फैसला सुना दिया गया। चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा काले पानी का दण्ड दे दिया गया।

#### चंदर नगर पर सहसाक्रमण

बाल बाल पुलिस से बचते हुए तथा अकथनीय कष्टों को सहते हुए चार क्रांतिकारी बलरुत्ता पहुंच गए। उस कठिन परिस्थिति में उनका स्नेह पूरा स्वागत हुआ और कई गुप्त आश्रय स्थलों को बदलने के उपरांत विशेष कर ६ राजा वसंत राय रोड कालीघाट में आश्रय पाकर अंततः उनको फ्रैंच अधिकार में चंदर नगर के एक दुमजिले मकान में रख दिया गया। वह मकान एक एकाकी स्थान पर था। वह हुगली नदी से १२० गज पश्चिम में डाडलपारा नामक स्थान में स्थित था। ब्राड ट्रक सड़क से निकली हुई कई गलियां वहां तक जाती थी और मकान के चारों ओर एक नीची दीवार थी जो उसे घेरे हुए थी। बलरुत्ते से एक पुलिस दल अपने कप्तान की आधीनता में अथ रात्रि को चलकर २ सितम्बर १९६० को प्रातः बाल (अंधेरे में) २ ३५ पर चंदर नगर पहुंचा। उनकी हुई टाचों की रोशनी में पुलिस दल उस आश्रय में आगे बढ़ता गया और पहुंचते ही दीवार को कूद कर उसने उस मकान को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस ने उस मकान का घेरा इतना कड़ा किया कि किसी के निकल भागने की सम्भावना ही समाप्त हो गई। फ्रैंच शासन से पहले हुई बातचीत के अनुसार आक्रमणकारी पुलिस दल के प्रमुख ने चंदर नगर के पुलिस अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उससे कहा कि वे वह अपने आदमियों के साथ वहां आक्रमण में उपस्थित हों और उनकी सहायता करें यदि उनकी सहायता की आवश्यकता पड़े। आक्रमणकारी पुलिस दल का मुख्य अधिकारी दूर नहीं गया था कि दोनों ओर से तेज गोलियां चलाना शुरू हो गई और यह आगे न जाकर घटना स्थल पर वापस लौट आया। उस मकान के अंदर जो क्रांतिकारी थे उन्होंने देखा लिया कि अपरिचित लोग अथ रात्रि की दीवार कूद कर अंदर में घुसे हैं परंतु वे वस्तु स्थिति को तुरन्त ताड गए। चारों क्रांतिकारियों ने दक्षिण में पीछे के दरवाजे से निकल जाने का प्रयत्न किया जो कि तालाब के किनारे था। साथ ही वे



पुलिस पर गोली भी चलाते जाते थे। एक दो मिनट दोनों ओर से तेज गोलियाँ चलीं जब कि घिरे हुए क्रांतिकारियों का एक दस तालाब के किनारे एक झाले में छिपा दिखलाई दिया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अन्य दो को पुलिस ने बिना युद्ध किए ही कुछ मिनटों में ही गिरफ्तार कर लिया। चौथा व्यक्ति 'जीवन' जिसका उपनाम मखन घोषाल था वह जब निकल भागने का प्रयत्न कर रहा था तालाब के किनारे पर पुलिस द्वारा घायल हो गया। वह तालाब में गिर पड़ा और डूब गया। उस कमरे में जिसमें वे फरार क्रांतिकारी रहे थे वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत से भोजन मिले उदाहरण के लिए बड़ी सरपा में वहाँ चाइस छेनी रैती आरे सीमे के टुकड़े बहुत बड़ी राशि में अलमीनियम एलाय तथा पीली मिट्टी मिली। जिन क्रांतिकारियों को पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार किया उ हैं पुलिस चीटागाव ले गई और वो शास्त्रागार पर आक्रमण का मुख्य अभियोग विशेष न्यायालय के सामने चल रहा था उसके अभियुक्तों में उनको भी सम्मिलित कर दिया गया।

### आंशिक सफलता

जब कि उनका अस्तित्व ही खतर में था और उनके प्राण पक्षी ओरे से लटक रहे थे तो भी १८ एप्रिल, १९३० के शास्त्रागार पर आक्रमण करने वाले वे क्रांतिकारी और उस युद्ध को जो उ होने छेड़ा था उसको बन्द करना नहीं चाहते थे। अपने छिपने के स्थान से वे पुलिस की गतिविधियों को जानने का प्रयत्न करते रहते, उनके काम कलापो की सूचना प्राप्त करते और यदि उनको अवसर मिल जाता तो वे उसका पीछा करते थे। उनके पास यह समाचार पहुँचा कि इस्पेक्टर जनरल पुलिस का निरीक्षण करने के लिए दौरे पर निकले हुए हैं तुरंत ही क्रांतिकारियों ने यह निष्पत्ति कर लिया कि दौरे में उन पर आक्रमण किया जावे। यह काम रामकृष्ण विद्वांस और उसके साथियों के समुद्र किया गया। वे तोग भयानक खतरे की तन्त्रि भी परवाह न कर जो उनके प्रत्येक बंदम पर उनका पीछा कर रहा था अपने छिपने के स्थान से बाहर निकले।

इस्पेक्टर जनरल चीटागाव का दौरा समाप्त करने के उपरांत बलकत्ता जाने वाली टाक गाड़ी से लक्ष्मण और घादपुर के माग से टाका की ओर चला। गाड़ी लक्ष्मण दो बजे रात्रि को पहुँची। इस्पेक्टर तरनी मुर्जी जो रेलवे पुलिस से सम्बद्ध था इस्पेक्टर जनरल की घादपुर में भगवानो बरने के लिए लक्ष्मण में गाड़ी में चढ़ा। सभी दूसरे दर्जे के डिब्बे भरे थे दूसरे दर्जे में उसको कोई स्थान नहीं मिला। अस्तु तरनी इस्पेक्टर जनरल के पास प्रथम श्रेणी के कूपे में चला गया। एक क्रांतिकारी आक्रमणकारी ने अपने को हरे और दूसरे ने अपने को लाल रपर से ढक रक्खा था। वे चाय की स्टाल की ओर से आए इस्पेक्टर जनरल के डिब्बे की ओर कर इस्पेक्टर जनरल जिस डिब्बे में था उससे आगे वाले डिब्बे में चढ़ गए। गाड़ी एक दिसम्बर १९३० को घादपुर प्रातः काल ४ बजे पहुँची। जैसे ही गाड़ी रुकी इस्पेक्टर तरनी मुर्जी ने अपने रूप को लिटकी खोली और घादपुर के राजकीय रेलवे पुलिस के साथ इस्पेक्टर पुलिस से अपना दरवाजा खोलने को कहा। जब उसके डिब्बे का दरवाजा खुल गया तो तरनी गाड़ी से उतरा। उसका चहूरा गाड़ के डिब्बे की ओर था। स्टेशन पर जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उस सत्युट किया। कुछ ही सविण्डों में तीसरे दर्जे के कम्पाटमेंट की ओर से वहाँ दो सुबक प्रगट हो गए और चहूँके पीछे के पीछे के कई गोलियाँ चलाईं।

बायल इस्पेक्टर तरनी लडखडाते हुए रैलवे पुस की धोर भागा जिससे कि पुल की छींटियों के नीचे वह धात्रय ले सके परन्तु वह प्लट फ़ाम पर गिर पडा। सब इस्पेक्टर, तथा इन्स्पेक्टर वा भग रसक दोनो ही भाग खडे हुए और वे अपनी सुरक्षा के लिए स्टेशन के एक कक्ष में घुस गए। दोनों युवक प्रातिकारियों ने उनका कुछ दूर तक अपने हाथों में रिवाल्वर लिए हुए पीछा किया। इस्पेक्टर जनरल ने जब गोली चलाने की आवाज सुनी तो उसने अपने डिब्बे की खिड़की खोली और तरनी के प्लट फ़ाम पर गिरे हुए शरीर पर धाकमण का दृश्य देखा। उसने खिड़की से गोली चलाई किन्तु निशाना चूक गया। उसने दूसरी बार गोली चलाने की कोशिश की तो उसका स्वचालित पिस्तौल खराब हो गय जम गया चला नहीं। उसके सेवक ने भी उन दोनों युवकों पर कुछ धोसियाँ चलाई, वे चूक गईं।

इस्पेक्टर जनरल ने अपने सशस्त्र अग्रक्षक के साथ दोनों क्रांतिकारी युवकों का पीछा किया। दोनों युवक स्टेशन के उत्तर की ओर भागे जहा रेल के डिब्बों की लम्बी पंक्ति खड़ी थी जिससे कि उनका पीछा करने वालों को वे दिखल ई नदों दिए और वे दोनों प्रधेरे में गायब हो गए। तरनी को जब स्थानीय अस्पताल में ले जाया जा रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। युवक प्रातिकारियों का अग्रय पुलिस अधिकारियों ने पीछा करना जारी रखा। उन अधिकारियों को उस दुखात घटना की इस बीच खबर मिल गई थी और वे घटना स्थल पर पहुंच गए थे। अतिरिक्त पुलिस सुपरिटेण्डेंट अपनी मोटर कार में चादपुर की ओर चला जैसे ही वह मेहरू कानी रैलवे स्टेशन के पास से निकला जो चादपुर से बीस मील और लगभग इतनी ही दूर पर कोमिल्ला से था तो उसने दो युवकों को जो कि हरे और सान रेपिंग में वे उसको बचा कर निकलने का प्रयत्न करते हुए देखा पुलिस अधिकारी उनके पास पहुंच गया और उसने उनसे जो प्रश्न पूछे उन्होंने जो उत्तर दिए उससे उसके मस्तिष्क में जो उनके प्रति सदेह उत्पन्न हो गया था वह दूर नहीं हुआ।

पुलिस अधिकारी ने साधारण रूप से रामकृष्ण के शरीर की तलाशी ली तो उसको एक कठोर वस्तु का अमास हुआ जो कि उसकी कमर में छिपी हुई थी। जब उसके साथी की कमीज को उठाया गया तो एक पूरी तरह भरा हुआ रिवाल्वर दिखलाई दिया। जब रामकृष्ण की भी उसी प्रकार तलाशी ली गई तो उसके पास भी एक दूसरा भरा हुआ रिवाल्वर तथा एक यलूमोनियम बम मिला। उनको दोपहर १२.४५ के समय गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों कदियों को ३ जनवरी १९३१ को एक विशेष 'याया' सभ के समक्ष उपस्थित किया गया। २४ जनवरी १९३१ को नियुक्त सुना दिया गया। जब से रामकृष्ण विश्वास को प्राणदण्ड और उसके साथी को आजम कठोर वारादास और काले पानी को सजा दे दो। फंसले की पुष्टि के लिए अभियोग को उच्च 'यायालय' में भेजा गया। उच्च 'यायालय' सत्रह मच को बठा और उसने ७ माघ की विशेष 'याया' सभ के नियुक्त की पुष्टि कर दी।

रामकृष्ण विश्वास को झलीपुर के सेंट्रल जेल में ४ अगस्त १९३१ को एक बने रात्रि को फाँसी दे दी गई। रामकृष्ण अनेक गुणों का धनी था। वह अपने स्कूल का अत्यन्त मेधावी छात्र था और जिले में १९२८ के मैट्रिकयूलेशन की परीक्षा में प्रथम रहा था। वह एक अत्यन्त कुशल खिचाडी था और प्रत्येक प्रकार के सांकेतिक श्रम में वह औरों के कहीं आगे रहता था। सभी प्रकार के शारीरिक श्रम के कार्यों में वह दक्ष

या उसकी प्रातिवारी भावना की गहनता के सम्बन्ध में इतना कहना ही मयेष्ठ है कि दस्त्रागार पर आक्रमण के पूर्व वम तयार करने के लिए विचरिक् एसिड बनाते समय जल गया था। वह उससे ठीक हो गया। परन्तु ऐसे सतरनाक काय जिनमें प्राणों की जोखिम थी उसे अपने निर्धारित प्रातिवारी माग से विचलित न कर सके।

### एक साथ छुटकारा

अनक प्रातिवारी युवकों के साथ जिन पर पुलिस अधिकारियों की बोवहट्टि की सत्रह वर्षीय युवक सुबोध-दे भी १८ अप्रैल १९३० के दस्त्रागार पर आक्रमण के सम्बन्ध में गिरफ्तार हुआ। उसकी बगाल दण्ड विधि सशोधन अधिनियम (बगाल क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट) के अन्तर्गत गिरफ्तार कर सीटागांव जेल में बंद कर दिया गया था। वहा से नवम्बर १९३० में उसको प्रेसोडसी जेल में भेज दिया गया। वह बीमार पड़ गया। डाक्टरों जांच से पता चला कि उसको मोतीकरा (टाइफाइड) का पत्र है जेल में डाक्टरी चिकित्सा से उसके स्वास्थ्य में सुधार के जब कोई चिह्न दृष्टि गोचर नहीं हुए तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में उसको मेडिकल कालेज के अस्पताल में स्थान्तरित कर दिया गया। वहा उसकी दशा और भी अधिक बिगड़ती गई। १५ अप्रैल १९३१ को उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के दो चार दिन पूर्व सरकार ने उसको जेल से मुक्त कर दिया। मानो सरकार ने उसको दूसरी दुनियाँ स्वर्ग में जाने के लिए उसके पैरों में जो पुलिस की बेडियाँ पड़ी थीं उनको खोल दिया हो।

सुबोध दे के दुखी और शोकातुर सम्बन्धी उसके शव को नीमतस्ता घाट दाह सस्कार के लिए ले गए अर्थात् उसके सम्बन्धियों मित्रों और प्रान्तको ने ससका दाह सस्कार किया। सभी जन उस समय तीव्र शोक से व्याकुल हो उठे थे।

### भयकर सूर्तिग

सूय सेन अपने युद्ध आश्रय स्थान से अपने प्राणों को अपनी हथेली में लेकर समिकों, जो कि कम उमर के युवक थे के द्वारा युद्ध का संचालन कर रहा था। उसने पुलिस इन्स्पेक्टर अशानुहोला की हत्या कराने की योजना बनाई और एक लडके की वह काय करने के लिए चुना। उसने अपने शिष्य को रिवाल्वर चलाने और लडक पर निशाना लगाने की शिक्षा दी। ३० अगस्त १९३१ को टाऊन क्लब और कोहिनूर टीम में मंच था। अशानुहोला का टाऊन क्लब की टीम से गहरा सम्बन्ध था और वह उसमें गहरी रुचि रखता था। खेल समाप्त हो चुका था। अपनी टीम के विजयी होने और रेलवे क्लब को प्रस्त करने के उपलक्ष्य अशानुल्ला अत्यन्त हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा था कि एक लडका उसके पास आया तेजी से उसने रिवाल्वर निकाला और एक के बाद दूसरी बार शक्तिशाली दाग दी। एक गोली ने अशानुल्ला के हृदय को विदीर्ण कर दिया। अशानुल्ला पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मुह नीचे की ओर था और उसकी पीठ से अत्याधिक रुधिर तेजी से निकल रहा था। अशानुल्ला की इस लिए हत्या करने का निष्पत्त लिया गया क्योंकि दस्त्रागार पर आक्रमण के मुकदमें में जांच करने तथा मुकदमा चलाने के लिए प्रमाण तथा गवाही आदि जुटा कर मुकदमा चलाने का काम उसके सुपुत्र किया गया था और वह उन क्रांतिकारियों को हठने में जो कि माग कर भूमिगत हो गए थे खोज करने में अत्याधिक उत्साह दिखा रहा था।

घटना के उपरांत गोली चलाकर हत्या करने वाले लडके ने भागने का प्रयत्न नहीं किया। अशानुल्ला के अत्यन्त निकट हीन व्यक्ति छड़े थे जिसमें से एक उसको

उत्साह से बधाई देता हुआ जोर से हाथ मिला रहा था। लड़के को निश्चय हो गया था कि उसकी गोली ने अपना काम कर दिया है अस्तु वह बिना हिले हुले वहीं खड़ा रहा। जैसे ही अशानुल्ला भूमि पर गिरा समस्त खेल का मैदान खाली हो गया सारी भीड़ चली गई थी अस्तु उसके लिए यह सम्भव नहीं था कि खेल के मैदान के चारों ओर जो दर्शकों की भीड़ थी वह उनमें मिलकर गांधव हो जाता। उसको एक पुलिस अधिकारी ने जो उस स्थान पर घटना के बाद आया गिरफ्तार कर लिया। उसको इतनी निमग्नता और अमानवीय ढंग से पीटा गया कि वक्र बेहोश हो गया और बेहोशी की बशा में ही जाने ले जाया गया। इस घटना के बाद चीटागांव तथा उसके उपनगरों पर मानो रोग्य नरक उतर आया हो। एक जाति विशेष के मकानों पर पुलिस नगर तथा समीप वर्ती कुश्वात गुण्डों को साप लेकर गई। जो भी १४ वय से लेकर ४५ वय के पुरुष थे उनको अत्यन्त निमग्नता से पीटा गया और उन्हें सड़क पर घसीट कर जाने तक ले जाया गया। जिस बंदी गृह में इन कैदियों को बोरों की तरह एक दूसरे पर ठूस दिया गया उसकी नाली से रुधिर बहने लगा।

पुलिस न दुकानों तथा अन्य निजी सम्पत्तियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मन माने ढंग से लूटा और वहुनों में भ्राग लगा दी। पुलिस ने इस नशस और घणित लूट पाट को साम्प्रदायिक दंगा प्रसिद्ध कर दिया। यह लूटपाट अग्नि काण्ड तीन दिन तक कल्पनातीत नशसता से चलती रही और राति और सुब्यवस्था रखने वाली पुलिस के दर्शन भी नहीं हुए। लोगों को छुरे से मारने की घटनाओं की रिपोर्ट जिला के ड्र में पहुँचती रही परन्तु अभिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। १६ सितम्बर १९३१ को सदर सब डिवीजनल आफिसर ने अभियुक्त पर दृश्या करने और गर कानूनी सस्त्र रखने के आरोप लगाए और उनको सेशन सपुद कर दिया। १४ अक्टोबर १९३१ को ज्यूरी ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित कर दिया। परन्तु सेशन जज ने ज्यूरी से असहमति प्रपट की और मुकदमें को उच्च न्यायालय में भेज लिया। उच्च न्यायलय ने अभियुक्त के बहुत छोटी उमर होन के कारण उसको आश्रितन कारावास तथा काले पानी का २२ नवम्बर १९३२ को दण्ड दे दिया।

धोर विपत्ति—इस बात को जानते हुए कि क्रांतिकारियों को जो कि भागे हुए हों घरने घर में छिपाना अत्यन्त जोखिम को मोल लेना है सम्भ्राण मिलाए जिनका परिवार होता था, बहुधा उन क्रांतिकारियों को अपने मकान में आश्रय देती थीं जिनको पकडने पर पुरस्कार की घोषणा हो चुकी होती थी एक स्थान से दूसरे को भागते और छिपते हुए सूर्यसेन अपने दा वीर सहायको निमल सेन और भूपव सेन तथा एक अन्य युवक के पास डालाघाट पहुँचा। यह स्थान पाटिया सनिक शिविर के उत्तर में लगभग ४ मील या और चीटागांव शहर से दस मील दूर था। १३ जून १९३२ को लगभग ६ बजे प्रात काल जब कि मास्टर दा और उसके स ही भोजन समाप्त कर चुके थे और उठने ही वाले थे उस गृह की एक छोटी लड़की (इन कायों में प्रत्येक परिवार के सबसे छोटे सदस्यों ने सदब बहुत भविष्य चतुराई और अनुशासन दिखलाया) ने सवेत किया कि बहुत बड़ी सख्या में अपरिचित व्यक्ति उस स्थान पर आ गए हैं।

वह मकान बच्चा और दो मजिला था। पुलिस ने मकान को घेर लिया। यद्वाइसवीं गुरखा सेना का कप्टेन कंमरा तथा एक हवलदार जो उस पुलिस दल का नेता था उन्हें यह निश्चय था कि सददेहास्पद व्यक्ति निश्चित रूप से इस मकान में हैं

बाहर के जीने से ऊपर की मञ्जिल में गए । सूयसेन तथा उसका तरुण साथी रसोई के ऊपर पड़ी हुई टीन पर एक बास की सीढी के द्वारा चढ़ गए और उस पर से नीचे जमीन पर कूद कर भाग कर गायब हो गए । हवलदार कप्टेन से आगे था और जब कि वह एक तग दरवाजे में से निकल रहा था उसको सीढी पर से घबका दे दिया गया जिससे कि वह धडाम से जमीन पर आ गिरा । एक तरुण युवक जो कि अश्रुव सेन था और जिसके पास रिवाल्वर था उसने कॅप्टेन कैमरा को एक गज की दूरी से गोली मार दी । कैमरा को मार कर वह नीचे तेजी से उतरा जहाँ कम्पाऊड में एक राइफल मैन ने उसको ललकारा । जैसे ही उसने भागने का प्रयास किया कि राइफलमैन ने गोली मार दी और वह घटना स्थल पर ही मर गया । तभी दूसरा व्यक्ति निरमल ऊारी मञ्जिल से कूद कर भागने की कोशिश करता हुआ दिखलाई पड़ा । उस पर गोली चलाई गई और वह जलमी हो गया । वह तुरंत अपने बचाव के लिए कमरे में छिप गया । रात अधिक हो गई जब हवलदार ने पातिया सैनिक शिविर से कुम्ह सान का विचार किया । वह सीधे ही पंद्रह अतिथित राइफल धारियों और एक लुइस गन लेकर वापस आ गया । उसने मकान के चारों ओर अधिक गाड़ लगा दिए और उस कमरे में जिसमें कि क्रांतिकारों छिपा हुआ था उसके विरुद्ध वायवाही शुरू की । उसने लुइस गन से खिडकी पर निशाना लगाया खिडकी से तीन रिवाल्वर छाट चलाए गए परंतु वे गोलियाँ छिडी के नहीं लगीं । लुइस गन से कुछ समय तक लगातार गोलियाँ चलती रहीं कुछ समय के उपरांत उस कमरे में सभी हलचल के चिह्न बंद हो गए । शेष राति मकान की चौकसी रखी गई, सैनिक पहरा देते रहे । प्रातः काल मकान के सभीप ही एक भाड़ी में उस युवक का शव मिला । जिसने कॅप्टेन कैमरा पर आक्रमण किया था । उसके पास दो रिवाल्वर थे । एक रिवाल्वर उसके हाथ में था और दूसरा उसकी कमर की बल्ट में था । ऊपर की मञ्जिल में निरमल सेन मरा हुआ पड़ा था उसके शरीर पर अनेक घाय थे ।

घर की स्वामिनी विधवा उसका पुत्र तथा उस घर में दो और व्यक्ति थे जिन्होंने उन भागने वाले क्रांतिकारियों को आश्रय और शरण दी थी पकड़ लिए गए, उन पर मुकदमा चला और २४ अक्टूबर को उनमें से प्रत्येक को चार चार वर्ष की कठोर कद की सजा दे दी गई ।

जो प्रशिक्षण में था — वह केवल एक तरुण बालक था जो उन पुराने क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आया जो अपने ज्ञान के स्थान से क्रान्तिकारी कार्यों का संचालन करते थे । सुकुमार कानूनगो ने उनसे क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने की छद्म और दृढ़ इच्छा व्यक्त की । उसको क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने के भय कर सतरे से भ्रमगत कर दिया गया परन्तु वह दल में सम्मिलित होने का दृढ़ आग्रह करता रहा अस्तु उसको दल में सम्मिलित कर लिया गया । उसको रिवाल्वर चलाने और निशाना लगाने की शिक्षा दी गई । घटना वाले दिन उसने गोली चलाने की प्रकटित समाप्त की और अपने दो साथियों सहित समीप के छालाब में स्नान करने गया । सुकुमार समस्त रहा था कि उसने अपने रिवाल्वर की सब गोलियाँ चलाकर समाप्त करदी हैं और खिलशाड में रिवाल्वर की नली को अपने गले की ओर करके निशाना लगा रहा था । यह अपने मित्रों को यह दिखला रहा था कि भापातकाल में कद होवे से पूर्व वह अपने किस तरह मारेगा । उसने जैसे ही थोड़े को घुमा कि अन्तिम गोली जो रिवाल्वर में

शेप थी चल गई और वह उसके गले में घुस गई जिससे वह घटना स्थल पर ही मर गया ।

पछताये के फल स्वरूप — अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ अच्छा काम करने के कारण क्रांतिकारी दल में क्रमशः यह माना जान लगा कि शैलेस्वर चक्रवर्ती को उत्तरदायित्व पूरा काम सौंपा जा सकता है । दल ने यह निश्चय किया कि सितम्बर १९३२ को एक निश्चय तारीख को पहाड़वाली योरोपियन क्लब पर आक्रमण किया जावे । शैलेस्वर को यह जिम्मा दिया गया कि वह क्लब के बहुत निकट सुविधाजनक स्थान पर छिपा रहें और निश्चित समय बम तथा अथवा शस्त्रों सहित प्रगट हो जावे । निर्धारित समय हो गया, आक्रमण के लिए चुने हुए क्रांतिकारी भी यथा स्थान पहुँच गए परन्तु शैलेस्वर का कहीं पता नहीं था । उन व्यक्तियों के लिए जो कि वहाँ एक मात्र उद्देश्य प्रयत्न क्लब पर घावा बोलने के लिए एकत्रित हुए थे, यह अत्यन्त आतंजनक स्थिति थी । उनके पास उस समय जितने भी हथियार थे उनकी गिनती करन के उपर उ तथा सारी परिस्थिति का विश्लेषण करते उन्होंने निश्चय किया कि वे लोग वहाँ से चले जावें । शैलेस्वर निश्चित स्थान और समय पर उपस्थित था परन्तु किसी कारणवश उपयुक्त क्षण पर उपस्थित नहीं हो सका । दल के जो लोग वापस लौट रहे थे वह उनमें से कुछ के साथ हो लिया । उन लोगों ने अपने अपने घरों को लौटने के बजाय एक भौंठे में आश्रय लिया जो निजन था वे सोन की चेष्टा करन लगे परन्तु नींद इस कारण नहीं आ रही थी कि उन्होंने क्रांतिकारी वायवाही की तयारी की थी उसकी उत्तेजना के उपरांत कुछ न कर सकने की असफलता के कारण प्रयत्न करन पर भी नींद नहीं आई । एक साथी ने जो सोन के पहले देखा कि शैलेस्वर चटाई पर छाती के बल लेटा हुआ एक कागज पर कुछ लिख रहा था । अब रात्रि के दो बजे तो साथियों ने शैलेस्वर की उन्ही स्थिति में पड़े देखा उसका सिर झुन गया था और चेहरा पृथ्वी को छू रहा था । परीक्षा करने पर जात हुआ कि वह मर चुका है । उसके समीप ही थोड़ा सा सफेद पाऊंडर बिखरा पड़ा था उससे जात हुआ कि उसने पोटेशियम साइनाइड विष खाकर आत्म हत्या कर ली है । यह स्वभाविक ही था कि जब दल क्लब से वापस लौटा तो उससे यह तो पूछा गया कि वह समय पर क्यों नहीं पहुँचा परन्तु किसी ने भी उसको इसके लिए मला दुग नहीं कहा । उस घटना के उपरांत लोगों ने अनुमान लगाया कि उसके आत्म हत्या करने का क्या कारण हो सकता है तो पता चला कि उसको प्रथम बार आक्रमण की वायवाही के संचालन का उत्तरदायित्व दिया गया परन्तु जिस दिन आक्रमण करना निश्चय किया उस दिन ईस्टर की छुट्टी थी और क्लब बंद था और क्रांतिकारी दल को बिना कोई कायवाही किए ही वापस लौटना पड़ा । अब यह दूसरी बार आक्रमण करने की तयारी थी इसमें मुख्यतः शैलेस्वर की असावधानी से असफलता मिली उसने अपने मित्रों से अलग में कहा कि वह अवश्य ही अनुभूत व्यक्ति है और कोई उत्तरदायित्व पूरा कार्य करने के प्रयोग्य है । यह विचार उसके मस्तिष्क तथा हृदय पर एक भारी बोझ बनकर रहा होगा जिसके कारण उसने अपने हाथों से ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया ।

एक महिला की बारी — शास्त्रागार पर हुए आक्रमण से जो अशान्ति और उथल पुथल हुई थी वह बहुत कुछ शांत हो चुकी थी और योरोपियन तथा एंग्लो इण्डियन निश्चित होकर धाराम की सांस ले रहे थे । उस समय प्रसाम बंगाल क्लब को पहाड़वासी इन्स्टिट्यूट के नाम से प्रसिद्ध था और जो धोटागाव से तीन मील दूर था

यहाँ २४ सितम्बर को १० बजे सायबाल तीस चासीस के लगभग व्यक्ति एकत्रित हुए । उनमें से कुछ लोग हिस्ट ताश का खेल खेलने के लिए बैठ गए । यकायक रात्रि के ११ ३० पर एक बम खुली हुई लिडकी से फेंका गया जो हॉल के फर्श पर आकर पटा । पहले बम के बाद शीघ्र ही दूसरा और तीसरा बम फेंका गया साथ ही बन्दूक तथा रिवाल्वरों की गोलियाँ लगातार चलन लगी । बमों के फटने तथा गोलियों के चलने से दस बारह व्यक्ति घायल हो गए और एक बूढ़ योरोपियन महिला के शरीर में एक गोली घुस जाने से उसकी मृत्यु हो गई । यह आक्रमण विद्युत् गति से किया गया था । आश्रमण करने वाले दस पन्द्रह व्यक्ति थे जो विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहने थे और उनके चेहरे मुँहोटे से छिपे हुए थे । जब तक कि लोग सम्मेलन और स्थिति को समझें और कोई कार्यवाही कर सकें वे तेजी से भाग गए । एक पुरुष वश में महिला को छोड़कर सब आश्रमणकारी भाग गए । पुरुष वश में वह महिला घटना स्थल से एक सौ गज की दूरी पर मरी हुई पड़ी थी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसने स्वयं विष खाकर आत्महत्या की थी । बाद में उस महिला को पहचाना गया । उसका नाम प्रतिलता दादेदार था । बहु कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्नातिका थी और नन्दरानन गत्स स्कूल की मुख्य प्रध्यापिका थी । २४ जून १९३२ की ढालाघाट कांड के उपरांत वह गांधी थी । वह निश्चय पूर्वक उस आश्रमण में उपस्थित थी परंतु वहाँ से वह निकल भागने में सफल हो गई थी । घटनास्थल के समीप खोज करने से तीन भरे हुए बन्दूक के कारतूस कई राऊंड रिवाल्वर की गोलियाँ एवं स्वचालित निस्टल मयजीन तथा अनेक खाली चले हुए बन्दूक और रिवाल्वर के कारतूस बिल्लरे पाए गए । बरानदे में तथा बिलियड खलन के कमरे में एक-एक बम जो पटे नहीं थे, मिले । उस स्थान की अधिक सावधानी से खोज करने पर बहुत सी खाल स्पारी म लियी हुई विषतियाँ मिली जिहे भारतीय क्रांतिकारी सेना न निकाला था उन विज्ञप्तियों में युवकों को क्रांतिकारी सेना में सम्मिलित होने तथा योरोपियन तथा एंग्लो इण्डियनों को मारने के लिए आमन्त्रित किया गया था । घटना जिस रात्रि को हुई उसी दिन सायकाल को ये विज्ञप्ति समीपवर्ती बस्ती में छूब बाटी गई । एक विज्ञप्ति का प्रारम्भ चौटागाव और हिजली में किए गए भग्नेजों के प्रयाचार से हुआ था और उसमें "भयानक सोमवार" का उल्लेख भी था अर्थात् ३१ अगस्त जिस दिन अशानुल्ला की हत्या के पश्चात चौटागाव का कांड हुआ । एक दूसरी विज्ञप्ति में अन्त में लिखा था जो भी योरोपियन या एंग्लो इण्डियनों को जीवित या मरा हुआ भारतीय क्रांतिकारी सेना के मुख्यालय में लाएगा उसको पारितोषिक दिया जावेगा । सरकार ने उस समस्त क्षेत्र पर सामूहिक जुर्माना इस आधार पर किया कि स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को आक्रमणकारियों को गिरफ्तार करने में यथेष्ट सहायता नहीं दी ।

दुस्साहसी बल — यदि क्रांतिकारी जो फरार हो गए थे बहुत सतक ये सो पुलिस भी बहुत सक्रिय हो गई थी । भेदियों और गुप्तचरों द्वारा सूचना पाकर पुलिस ने यकायक २७ नवम्बर १९३२ को पातिया के निकट जगलखेत में एक टूटे फूटे मकान को घेर लिया । उनको यह सूचना मिली थी कि शास्त्रागार पर आक्रमण करने वाली से कुछ वहाँ छिपे हैं । मकान में बिनकुल शर्मा उ थी, पुलिस ने मकान के म दर जो लोग थे उनको चेतावनी दी कि वे बिना किसी विरोध के शर्मा तपूवक आत्म समर्पण कर दें । एक तहण श्यामकुमार न दी ने पुलिस के धेरे को तोड़कर निकल भागने का प्रयत्न किया पुलिस ने उसे गोली से मार गिराया, इस बीच दूसरा युवक नक्कल कर भाग गया । उस

मकान की तलाशी ली गई तो एक युवक जिसके जलने के घाव थे और एक डाक्टर एक कमरे के अन्दर मिले उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और नगर में ले जाया गया। कुछ एसिड जिनसे यह सकेत मिलता था कि वहाँ बम बनाए जाते थे उस घर में मिले।

नौसिलिए का माध्यम—क्रांतिवारी दल के कुछ नेताओं के कद हो जाने से कुछ के विरपतार होकर उन पर मुकदमे चलने के कारण और कुछ को फाँसी लग जाने से, जो बचे हुए नेता वे वे छिप कर आगे बायबाही करन की योजना बना रहे थे। उसके लिए नए क्रांतिकारियों को भर्ती करना अत्यन्त आवश्यक था। विरेन दे कम उमर का लडका था वह उन छिपे हुए क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आया। उसने उन लोगों की सहायता करने की उत्कट इच्छा प्रगट की कि जो देश के लिए कल्पनातीत त्याग और बलिदान कर रहे थे। उसको गोली चलाना और निशाना लगाना सिखाया जाने लगा। उसको यह ज्ञात नहीं था कि उसके रिवाल्वर में एक गोली बची हुई है। इत्फाक से गोली चल गई और उसके पेट के नीचे के हिस्से में घुस गई। डाक्टरी सहायता मिलना कठिन था। अस्तु घाव से जो रुबिर बहा वह रुक न सका और घाव विषाक्त होकर खराब हो गया उससे उस लडके की मृत्यु हो गई। वह अपने काय को अचूरा छोड़ कर सभी क्रांतिकारी साधियों को दुःख से कातर करके इस ससार से चल बसा।

मास्टर दा विलक्षण बुद्धि के धनी—चीटागाव काण्ड की जो प्रसिद्ध हुई उस काण्ड में जो सैनिक तयारी और चमत्कारी काय हुआ वह मुख्यतः सूयसेन के मस्तिष्क का अमलकार था। उन्होंने उस योजना को अचूक कतिपय सहयोगियों के सहयोग से तयार किया और उसको ऐसे तरणों जो कि बीस वर्ष के नीचे थे, के द्वारा कार्यान्वित कराया। प्रथम आक्रमण में पराभूत हो जाने के उपरान्त सरकारी सेनापति ने और शक्ति समग्र ही अधिक सेना बुलाई गई और उसने सम्पूर्ण नगर और समीपवर्ती गावों को क्रांतिकारियों की खोज में रौंद और ध्यान डाला। जब खुला युद्ध सबका असम्भव और मूलतःपूर्ण हो गया तो वह दुबला पतला पुरुष एक गाव का अध्यापक विभिन्न मकानों में आश्रय लेने के लिए विवश हो गया। पुलिस सूयसेन का अपनी समस्त शक्ति लगा कर पीछा कर रही थी और वह विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति हर बार पुलिस से बच कर निकल जाता। पुलिस से बच निकलने की उसकी युक्तियाँ उस प्रदेश में कहानियाँ बन कर प्रसिद्ध हो गई थीं। कभी वह मुसलमान धरो वाला बन कर, कभी साधारण किसान के रूप में और कभी स्त्री का वेष धारण कर तथा जसा समय हो वसा ही वेष धारण कर पुलिस की भाल में धूल भोकर कर बच निकलता था, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो कोई दवी शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। क्योंकि अनेक बार ऐसा हुआ कि वह पकड़े जाने से बाल बाल बच गया। विशेषकर १३ जून १९२२ को ढालघाट में जब पुलिस ने उसे घेर लिया और वह पुलिस के घेरे से निकल गया और जब कि उसके दो अग्रपंक्त कुशल योग्य और विश्वसनीय सहयोगी खड़े रहे तब तो लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ३० अगस्त १९३१ को अशानउल्ला की हत्या के उपरान्त पुलिस ने उस व्यक्ति जिसने अशानउल्ला को गोली मारी थी, निमग्न गायना देकर यह कहलवा लिया कि मास्टर दा ने समस्त योजना तयार की थी और उन्होंने ही उसे अस्त्र दिया था। उसके उपरान्त पुलिस जहाँ भी उसे शनिक भी खबर लगती उनका बेतहाशा पछा करती अरस्तु हर बार असफल होती। जो लोग, सूयसेन के सम्बन्ध में जानकारी दे



सकते थे वे या तो अपने प्राणों के भय के कारण जानकारी देने से मना कर देते और अधिकतर वे इस कारण उनकी गतिविधियों की जानकारी देने से मना कर देते क्योंकि वे उन्हें अत्यंत थकावट की दृष्टि से देखते थे और उनके प्रशंसक थे। सूयसेन अपने तीन साथियों के साथ पातिया पुलिस स्टेशन से पांच मील दूर गोयराला गांव आश्रय लिया।

एक देशद्रोही ने पुलिस को सूचना दे दी कि मेरे मकान के समीप वाले मकान में कुछ फरार व्यक्ति ठहरे हुए हैं और वह १६ फरवरी १९३१ को दन्तीधवी गोरख राइफिल्स की एक टुकड़ी को बुला लाया। जब कि सेना उस मकान की चारों ओर घेर रही थी तो सेना पर सच लाइट का प्रकाश पड़ा और उस प्रकाश में उठने देखा कि मकान के उत्तर की दिशा से तीन व्यक्ति अपने रिवाल्वरों से सेना पर गोली चल रहे हैं। सेना ने भी जवाब में गोली चलाई और शीघ्रता पूर्वक मकान की घेरा बंद पूरी की। दोनों ओर से थोड़ी देर तक शक्ति रही, कुछ देर के बाद दो व्यक्तियों सेना पर पुनः गोली बर्षा की और घेरे को तोड़ कर निवृत्त भागने की चेष्टा की। सेना उस समय गली नहीं चला सकती थी क्योंकि भय था कि वहाँ उनके दल के लोग भी गोली से न मारे जायें। रात्रि के ११ बजे ये जब कि मास्टर दा ने उस दीवार को ज मकान की चारों ओर थी उत्तर की दिशा में पार कर लिया पर तु जैसे ही वह दीवार की कूड़े सामने ही हवलदार खड़ा था उसने उन्हें पकड़ लिया। घिरे हुए क्रांतिकारियों को मकान की दक्षिण दिशा से सेना पर गोली चलाई सेना ने गोली चलाकर उत्तर दिया इसी बीच एक चीख की आवाज आई और समीप के सासाब में छपाके का शब्द हुआ आक्रमणकारी सेना ने देखा माल की पर तु कुछ पता न चला और न किसी को पकड़ जा सका। प्रातः काल पृथ्वी पर एक खून की धारा दिखलाई दी जो कुछ दूरी तक जाकर गायब हो गई। एक खून के धब्बों वाली साड़ी, स्त्री के वस्त्र, एक जोड़ी सड़ियाँ और कुछ आपत्तिजनक कागज प्राप्त हुए। उस मकान के पास जो जंगल था उसको छाँट कर दिया गया और एक खाई मिली जिसमें कि कुछ कागज पत्र मिले उस मकान में जं भय लोग थे उनको प्रातः काल होते ही गिरफ्तार कर लिया गया और शहर में जाया गया।

सूयसेन को एक रेलवे ट्रेन में ले जाया गया जो घटना स्थल से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उनको एक छोटे से स्टेशन शोलाशहर पर उतार लिया और वहाँ से उनको पहरे में एक मोटर तक ले जाया गया और वहाँ से शहर ले जाया गया। जब कि सूयसेन जेल में थे तो मास्टर दा की विलक्षण बुद्धि ने जेल के बाहर जा उनके क्रांतिकारी साथी थे उनसे सम्पर्क स्थापित कर लिया था और वे अपने साथियों को जेल में आदेश तथा भय आश्रयक पत्र यहाँ तक एक पुस्तक की सामग्रियों की पाठ्यलिपि भी भेजते रहते थे। यह रहस्य एक खोज में पता चला जब कि झालघाट में वे कागज पकड़े गए। उन कागजों से यह निश्चय पूर्वक यह प्रमाणित हो गया कि मास्टर-दा तथा प्रीतिलता उस समय मकान में मौजूद थे जबकि सेना ने उस मकान को घेरा था। मास्टर दा को जेल से छुड़ाने के लिए एक अत्यंत साहसिक योजना तयार की गई। उनके साथियों ने जेल की इमारत के एक भाग को ढाढ़ने माइंट से उड़ा कर मास्टर-दा को जेल से निकाल देने की योजना तयार की और वह उस समय पकड़े गई कि जब जेल की इमारत को उड़ा देने की योजना लगभग पूरी हो चुकी थी। सूयसेन और तारकेश्वर दस्तीदार

जो कि १६ मई १९३१ को गिरफ्तार हुए और जिन पर पुलिस इस्पेक्टर को १६ मार्च १९३१ को गोली से मारने का आरोप था दोनो को १५ जून १९३३ को स्पेशल ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित किया गया। चीटागाव पुरानी कलक्टर की इमारत जिसमें मुकदमा प्रारम्भ हुआ उस पर सेना का बड़ा पहरा लगा दिया गया था।

उस अभियोग में शस्त्रागार पर आक्रमण से लेकर पहाडतली के काण्ड तक का सारा इतिहास बतलाया गया और यह घोषित किया गया कि मास्टर दा ही निश्चय-पूर्वक क्रांतिकारी दल तथा भारतीय जन तांत्रिक सेना (इण्डियन रिपब्लिकन आर्मी) की चीटागाव शाखा के नेता थे। मुख्य अभियुक्त (सूय सेन) ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रत्येक सम्भावित उपाय तथा साधन से युद्ध करने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने जो 'बिरहा' कविता बनाई थी और जिसे पुलिस ने छीन लिया था और साक्षी के रूप में ग्यायालय में उपस्थित किया था उसमें सूयसेन ने लिखा था कि इस सगठन से मेरा अटूट और दृढ़ सम्बन्ध है और इसके ज म से ही मैं अपने हृदय की गहनता से इसके साथ हूँ। मैंने अपने अनेक निष्कट के मित्रों तथा स्नेह शील भाइयों और बहिनों की विजय (उन्होंने अपनी कविता में विजय लिखा था) के दशन किए है और मैं उन सब कार्यों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूँ। दूसरे अभियुक्त तारकेद्वर के विषय में यह कहा गया कि उसका क्रांतिकारी पदयत्र से प्रारम्भ से ही सम्बन्ध था। वह गोहिराम क्रांतिकारी दल का मुखिया था और उस समय सूय सेन की गिरफ्तारी के पश्चात् सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के पदयत्र में उसने सक्रिय सहयोग दिया। १४ अगस्त १९३३ को अभियोग समाप्त हो गया और दोना अभियुक्तों को उसके प्रतिरिक्त और कोई दूसरी धाना नहीं थी। मृत्यु दण्ड दे दिया गया। १२ जनवरी १९३४ को अथ रात्रिक समय जब मास्टर-दा से तैयार होने के लिए कहा गया तब जेल अधिकारियों ने देखा कि वे घ्यात मग्न समाधि लगाए इस्वर प्रायना में तल्लीन हैं। उन्हें बहुत कुछ झकझोरा गया तब उनकी समाधि टूटी और उनको वस्तु स्थिति से भवगत कराया। वे उठ खड़े हुए और जब वे चले तो उन्होंने बड़े जोर से 'ब दे मातरम्' का घोष किया जो चीटागाव के छोटे से जेल में सबत्र गूज गया। प्रति उत्तर में प्रत्येक कोठरी से जिसमें शस्त्रागार के आक्रमणकारी तथा उसके पश्चात् के काण्डों के क्रांतिकारी कदो बन्द थे उनमें भी बन्दे मातरम् का घोष गुजरित होने लगा। समस्त जेल में बन्दे मातरम् का घोष प्रतिध्वनित होने लगा। जेल के सभी कदियों को ज्ञात हो गया। मास्टर-दा के अंतिम प्रयाण का क्षण आ गया और सभी बड़े उत्साह से 'बन्दे मातरम्' का घोष करने लगे।

जेल के अधिकारी इस स्थिति के लिए तयार नहीं थी। जैसे ही मास्टर दा बन्दे मातरम् का उच्चारण करने धारकर उन पर प्रहार करते। हर धार बन्दे मातरम् उच्चारण करने पर उन पर साठी और डडे का प्रहार होता। यह क्रम उस समय तक लगातार चलता रहा जब तक कि उस निमम मार के कारण उनका दुबला पतला शरीर अधिक मार सहन न कर सका और वे गिर कर बहोश हो गए। उस समय समस्त जेल अथ क्रांतिकारी कदियों क बन्दे मातरम् के घोष से प्रतिध्वनित हो रहा था जो निष्कटे में बन्दे सिंह के समान दहाड रहे थे। चीटागाव के उस क्रांतिकारी युद्ध का वह स्वमान्य नेता, जिसके नेतृत्व में अनेक युद्ध लड़े गए थे और जिसका नाम अत्यन्त शक्ति शाली ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सफलता पूर्वक अनेक युद्धों का सफल नेतृत्व और

संचालन करने के साथ जुड़ा रहेगा, उसको जेल के बारडरों ने मार मार कर बेहोश कर दिया अथवा मार डाला गया। सत्य क्या था जानने का कोई साधन नहीं है क्योंकि वहाँ कोई साक्षी नहीं था परन्तु वास्तविक तथ्य यह था कि वह जिसके नाम से ही भारत स्थित ब्रिटिश सेना में जो अत्यन्त वीर सैनिक थे उनके शरीर में कपकपी उत्पन्न हो जाती थी और सुदूर कलकत्ते के सुदृढ़ प्रशासनिक केंद्र के बरिष्ठ प्रशासक परते ये वही वीर क्रांतिकारी सेमानी सूरसेन को जल बारडर पकड़ कर फाँसी के तख्ते पर ले गए और उस प्राण दण्ड पाने वाले अभियुक्त सूर सेन के गले में उन्हीं ने फाँसी का फटा डाला जिसने विदेशियों की दासता से अपने देश को स्वतंत्र करने का प्रयत्न किया था अपने नेता का आजीवन साथी तारकेश्वर दस्तीदार ने भी अपने नेता का उसी रात्रि (१२ जनवरी १९३२) में अनुसरण किया। उन्हीं भी चीटागांव जल में फाँसी दे दी गई। भारत में कानून और व्यवस्था के संचालकों ने दबी हुई विद्रोह की साँस ली कि ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा शत्रु समाप्त हो गया। परन्तु उन दोनों क्रांतिकारियों के मृत शवों का क्या किया जावे? उनके पवित्र अवशेषों को अधिकारियों के लिए एक बटिल समस्या खड़ी कर दी। यदि उनके मृतक शरीरों का अग्नि साकार करते हैं तो उनकी भस्म से कहीं फोयनिकसों की भाँति सक्कों वार न उत्पन्न हो जावे जो मातृ भूमि के घोषित शत्रु से युद्ध करें। अतएव सूर सेन और उनके मृत शरीरों को प्रातः काल होने के पहले एक युद्धपोत (जहाज) पर रक्षित किया गया। वह जहाज ईस्ट इंडिया भी सेना के बंड का बच एम एस ऐपि धम युद्धपोत था। उस जहाज को सुदूर समुद्र में ले जाया गया वहाँ दोनों शवों का भारी पत्थरों से अच्छी तरह बाँध कर समुद्र के तल में पहुँचा दिया गया जिससे कि गहरे समुद्र के जल में उनसे शरीर को पता जायें।

#### पातिया काण्ड

जब कि चीटागांव के चप्पे चप्पे को पुलिस तथा सेना घेरे हुए थी और प्रत्येक तरफ पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी तो जिस व्यक्ति ने सूर सेन के छिपने के स्थान की सूचना पुलिस को दी थी और उसके साथियों से प्रतिशोध लिए बिना उनको यो ही छोड़ा नहीं जा सकता था। पातिया जाने के मुख्य अधिकारी मन्खनलाल दीक्षित को क्रांतिकारियों ने मास्टर दा और तारकेश्वर दस्तीदार की गिरफ्तारी के लिए उत्तर दायी ठहराया और उससे प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। मन्खनलाल दीक्षित ने मुख्यालय को सूचना भेजकर एक सैनिक टुकड़ी जिसमें पतीस सैनिक थे, तीन अस्सिस्टेंट सब इस्पेक्टर व तीन कार्टबिल थे, बुला भेजा था। यह सैनिक तथा पुलिस दस्ता एक उच्च योरोपियन सैनिक अधिकारी के आधीन सदेहास्पद व्यक्तियों के विरुद्ध कायवाही करने के लिए शीघ्रता पूर्वक गोयराला की ओर रवाना हुआ। चीटागांव के दोष क्रांतिकारी योद्धाओं को कुछ समय के उपरान्त पता चला कि मास्टर दा सूर सेन तथा तारकेश्वर दस्तीदार को पकड़वाने में मन्खनलाल दीक्षित का हाथ था। अतएव २६ मार्च १९३३ को गोधूली के उपरान्त सामकाल के सात बजे उठने मन्खनलाल को उसके बगल में में गोली से मार दिया और बिना किसी की दृष्टि में पड़े के चुपचाप उसको मार कर निकल गए।

अवसमाप्त आरूपण—कुछ परिवार उन भागे हुए क्रांतिकारियों को जिनके सर पर भारी पुरस्कार घोषित किया हुआ था भयकर खतरा उठा कर भी उनको अपने घर में आश्रय देते थे। अन्त रात्रि के कुछ समय के उपरान्त पुलिस ने बगल की छाड़ी में

पत्नी प्रकाश स्तम्भ के समीप अनवारा घाने में 'गोहिरा' गांव जो कि चीटागांव से १३ मील दूर था 'पुरना ताल्लुकदार' के मकान को घेर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि उस मकान में ६ व्यक्ति छिपे हुए हैं जिनकी पुलिस को खोज थी और उनमें तारके श्वर दस्तीदार और मनोरजन दास भी हैं। पुलिस ने उस मकान को १६ मई १९३३ को घेर लिया। अपपलायक-भागे हुए क्रांतिकारी पुलिस के आगमन को जान गए और उन्होंने पुलिस पर गोलीया चलाई पुलिस ने भी उत्तर में गोलीया चलाई। इस दूध और गडबड में दो क्रांतिकारी बच कर निकल गए। प्रातः काल चार बजे पुलिस ने घिरे हुए क्रांतिकारियों से आत्म समर्पण के लिए कहा। तब गोली चलना बन्द हुआ और उस घर से चार क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। दो आदमी पूर्णचंद्र ताल्लुकदार गृह स्वामी और भाग हुए क्रांतिकारी मनोरजन दास पुलिस की गोलीयो से मारे गए। पूर्णचंद्र का जब उनके घर वालों को दाह सस्कार के लिए दे दिया गया। मनोरजन दास के जब को उस समय किसी ने भी नहीं पहचाना यहा तक कि उनके मित्रो तथा सम्बन्धियो ने भी नहीं पहचाना। तारकेश्वर दस्तीदार पर बाद की दस्त्रागार पर आश्रमण में सम्मिलित होने के आरोप में अभियोग चलाया गया और १२ जनवरी १९३४ को उनकी मृत्यु दण्ड दे दिया गया।

मदनूमि की घायु मे—रात्रपुलाने में देवली का बन्दी सिविर अपन अल्पकालीन जीवन में ही अनेक क्रांतिकारियों की मृत्यु के कारण कुख्यात हा गया था। हिजली बन्दी सिविर के एक बन्दी श्री शैलेशचंद्र चटर्जी का बहुधा मलेरिया ज्वर हो जाता था और उनका बदन निरन्तर कम होता जा रहा था। उनको १२ सितम्बर, १९३२ को देवली सिविर में स्थानान्तर किया गया। स्वयं शैलेश तथा उनके सम्बन्धियों ने उनका इयाणा म्तर का विरोध किया परन्तु सरकार ने उनके विरोध को धनसुना कर दिया। पुलिस तथा बन्दी सिविर की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार शैलेशचंद्र चटर्जी क्रांतिकारी दल के एक अत्यन्त प्रमुख और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अतएव बंगाल में उनका रहना राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक था। शैलेश चटर्जी के अभागे पिता उस समय कोमिल्ला में थे जब जिलाधीश ने तार द्वारा उन्हें सूचित किया कि उनके पुत्र की जेल के प्रसवाम में सत्रह अक्टूबर १९३३ को मृत्यु हो गई। यह ज्ञात हुआ कि रोगी पर भयकर मलेरिया ज्वर का आक्रमण हुआ, उनका एक अनुभवही नमगाऊण्डर के मना कान पर भी डाक्टर ने इन्ट्रावीनस अधिक कुनीन का इंजेक्शन दे दिया और तुरन्त ही रोगी की मृत्यु हो गई।

क्रिकेट खेल मदान का काण्ड—सात जनवरी १९३४ को एक क्रिकेट मैच योरोपियन क्लब मदान (पलटन) में खेल को अवन क लिए भारी सहया में योरोपियन काए जिनमें स्त्रियां और बच्च भी थे। मैच समाप्त हुआ ही था और दसक छोट-छोटे समूहों में बंट गए थे इस बात से नितांत अनभिज्ञ थे उनके साथ क्या घटना बीतने वाली है। मैच देखने के उपरांत सुपरिस्टडट जो कि एक योरोपियन या क्लब में वापस जाता गया। जबकि वह लगभग सायफस साढ़े पाच बजे अपने बगले की ओर कार से जा रहा था तो उसने दो पुरुषों को जो मजदूरों की सी पोताक पहने थे क्लब के समीप देखा। उन्हें देख कर उसको सदेह हुआ उसने अपनी मोटर कार रोक कर उनकी तलाशी लेना चाही उसी समय उनमें से एक ने उस पर बम फेंका। बम पटा परन्तु उससे सुपरिस्टडट को कोई छोट नहीं आई वह बच गया। उसने दो बम उन पर फेंके परन्तु वे

फटे ही नहीं। सुपरिस्टडट सुरत ही अपने ऊपर बम फेंकने वाले पर दूट पड़ा और उससे गुप्त गया और उसके शोफर ने उस युवक नित्यरजन सेन को गोली मारी जिससे कि नित्यरजन सेन घटना स्थल पर ही मर गया पर तु पुलिस आफिसर के हाथ में भी थोड़ी चोट लगी। उस समय इस घटना से समस्त भीड़ में सनसनी फल गई। मोटर द्वार और पहाड़ी की ढाल के मध्य जो गडबड फैल गई उसके कारण दूसरे युवक हिमाशु विमल चक्रवर्ती ने अपने को छुड़ा लिया और उस भीड़ में से निकल कर भागा जो कि उसके चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस पर दो बार गोली चलाई गई दूसरी गोली घातक सिद्ध हुई।

दो अन्य युवको वृष्णचंद्र चौधरी और हरेद्रनाथ चक्रवर्ती ने एक साथ मिल कर पविलियन पर जो कि खेल के मदान के दूसरी ओर था आक्रमण कर दिया। उ होने से भी और नगर के पुलिस इन्स्पेक्टर के बगले के बीच बम फेंके पर तु वे फटे नहीं। हरेद्र कुछ भागे बड़ा और उसने अपने रिवाल्वर से गोली चलाई जो कि दूर चली गई किसी के भी नहीं लगी। उसका साथी निकल भागा पर तु उसका पीछा किया गया और उसको पकड़ लिया गया। उसकी पुरी तलाशी लेने पर उसकी बाई जेब में एक बम तथा कुछ अन्य वस्तुएं मिलीं और दाहिनी जेब में उसके कपसूल मिला। अतः मे यह मालूम हुआ कि दोनों आक्रमण कारियों के पास एक रिवाल्वर चार बम तथा कई राऊंड कपसूल और कारतूस थे। दोनों गिरफ्तार युवको पर अभियोग चलाया गया। वृष्णचंद्र चौधरी की आयु २१ वर्ष की थी वह मुख्य शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले में से था जो फरार हो गया था। दूसरा युवक हरेद्रनाथ चक्रवर्ती अठारह वर्ष का था। उन दोनों को विशेष ग्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया गवर्नमेंट हाऊस के दरवार हाल में २३ जनवरी १९३४ को अभियोग आरम्भ हुआ। हाल पर कड़ा पहरा लगा दिया गया था।

वृष्णचंद्र चौधरी और हरेद्रनाथ चक्रवर्ती दोनों पर सम्मिलित रूप से २६ जनवरी १९३४ को धारा ३०७/३४ इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत अभियोग चलाया गया। जिसमें कि १९३२ के क्रिमिनल ला एमंडमेंट एक्ट (फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम) की धारा ६ (१) में अधिक दण्ड का प्रावधान था। योरोपियनों बिनमें स्त्रियां और बच्चे भी सम्मिलित थे उन पर ७ जनवरी १९३४ को बम फेंक कर तथा रिवाल्वर से गोली चला कर उनको मारने की इच्छा से आश्रमण किया गया था। यदि उससे किसी की मृत्यु हो जाती तो वे खून के अपराधी होते। उन पर दूसरा अभियोग विस्फोटक पदार्थ कानून की धारा ४ ए और ४ बी के अंतर्गत चलाया गया। उन्होंने बम फेंका था जिससे मनुष्य के जीवन को खतरा हो सकता था और जो १९३२ के बंगाल अधिनियम की धारा ५ ए के अंतर्गत अधिक दण्ड के भागी थे। तीसरा आरोप केवल अरेले हरेद्र चक्रवर्ती के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम (ग्राम्स एक्ट) की धारा १९ ए के अंतर्गत लगाया गया, कि वे बिना लाइसेंस के रिवाल्वर रखने तथा भरे हुए कारतूस रखने के अपराधी थे। १९३२ बंगाल अधिनियम २१ और आर्मस एक्ट की धारा १३-ए के अंतर्गत वे अधिक दण्ड के भागी थे।

विशेष ग्यायालय ने ३१ जनवरी को धपना निराय सुना दिया और दोनों अभियुक्तों को प्राण दण्ड दे दिया गया। दोनों युवक अधिक दंड अधिनियम के अन्तर्गत ठिकार हुए। दोनों अभियुक्तों ने उच्च ग्यायालय में अपील की। ६ अप्रैल को उच्च

न्यायालय ने अपील सुनी और उसने अपील मस्वीकार कर दी। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायालय के निर्णय को मांथ कर दिया और प्राण दण्ड की पुष्टि कर दी। दोनों युवक अधिक दंड भविष्य के प्रथम शिकार हुए। उन्हें हत्या करने के प्रयत्न में प्राण दंड की सजा दी गई। ५ जून १९३४ को कृष्णचंद्र तथा हरेन्द्र को मिदनापुर जेल में फांसी दे दी गई।

उसी के घर में —सूयसेन की गिरफ्तारी के उपरांत उनके दल के थोड़े ही क्रांतिकारी युवक बचे थे जो अपनी सुरक्षा के लिए भागते फिरते थे उनका कोई भाग दशक या नेता नहीं रहा था। फिर भी वे फरार युवक उन व्यक्तियों को पाठ पढ़ाने से नहीं चूकते थे कि जो देशद्रोही थे और सरकार को सूचना देते थे।

यह साधारण चर्चा का विषय था कि नरेन्द्र रंजन सेन जो घोयराला के बड़े भ्रमोदार थे मास्टर-दा की १६ फरवरी १९३४ को गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थे। मास्टर दा की गिरफ्तारी ऐसा भयकर घबका था जिसके कि भागे हुए क्रांतिकारी अभी तक सम्मल नहीं पाए थे। फिर भी ८ जनवरी १९३४ को जबकि नरेन्द्र रंजन अपने घर के भद्र भोजन कर रहे थे तो एक या दो अपरिचित युवक अकस्मात् प्रगट हो गए और उहाने नरेन्द्र रंजन को छुरों से छेद कर मार डाला। नरेन्द्ररंजन को मार कर वे उसी तेजी से गायब हो गए जो कि उन्होंने आने में दिखलाई थी।

जितने स्वयं ही मुक्ति चाही —चीटागाव में पकड़ा जाकर ब्रजेद्रलाल चौधरी को कि कानूनगोपाइया का रहने वाला था जनवरी १९३४ में वरहामपुर बंदी शिविर में भेज दिया गया। जब २७ अगस्त १९३४ को रात्रि में ९४५ पर कैदियों की गिनती की जा रही थी तो ब्रजेद्रलाल अपनी कोठरी में नहीं था। इस पर उनकी खोज हुई तो वह युवक कामन-रूम की छत की लोहे की छड़ से एक बटो हुई धोती से लटकता मत्ता। उसके पैरों के नीचे एक कुर्सी उबटो पड़ी थी। ब्रजेन्द्र और छतमें जो उस बंदी शिविर में थे उनमें से अनेक घाज नहीं हैं अतएव वे कुछ भी बताने नहीं सकते। कोई भी उस सम्भय में प्रकाश नहीं डाल सकता। केवल अनिश्चित काल तक बंदी रहने की स्थिति ही स्वयं अपने हाथों अपने जीवन को समाप्त करने का कारण हो सकती है।

निर्बधता का काय —जब सब कुछ सामान्य हो गया तब भी पुलिस की बदला देने की भूल छांट नहीं हुई। पातिया पाने के शकशाला गाँव में एक माता अपने पुत्र प्याज काटी चौधरी को भोजन परोसने की व्यवस्था कर रही थी कि एक सी भाई बी (बासूरी विभाग) का एक कास्टबिल भाया और बिना कुछ कारण बताए उससे पाने को खाने को कहा। चिंतित और घबड़ाई हुई माता ने हस्तक्षेप किया और कास्टबिल से कहा कि क्षण भर के लिए ठहरकर प्रतीक्षा करे जिससे कि उसका पुत्र भोजन करले और तब जावे। पुलिस मैन ने भोला बनकर कहा कि मामला बहुत साधारण है और उसे सोटने में अधिक देर नहीं लगेगी। थोड़ी देर में वापस आकर वह भोजन कर लेगा। प्याज देर हो जाने पर भी नहीं लौटा। मां ने पाने पर कुछ टाक की परन्तु कुछ पला नहीं चला उसके सारे प्रयत्न व्यय हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल जब पाने ने जो रात भर सोई नहीं थी मकान के द्वार खोले तो उसे अपना पुत्र बेहोशी की अवस्था में निजा और फिर वह कभी होय में नहीं आया।

स्वतंत्रता प्राप्ति सबसे बड़ी आवश्यकता थी  
चीटागाव बिले के "धोरोला" गाँव का वह हूट पुष्ट युवक जिसमें देशभक्ति

की अग्नि घबक रही थी और जो अत्यंत प्रतिभाशाली था वह पुलिस की कुदृष्टि से नहीं बच सका। निरेन्द्रलाल भट्टाचार्य बंगाल क्रिपिनल सा प्रिमेंडमेंट ऐक्ट (बंगाल फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम) के अन्तर्गत गिरफ्तार करके स्थानीय जेल में ठूस दिया गया। उसके कुछ समय के उपरांत उसको हिजली बाड़ी शिविर में स्थान्तरित कर दिया गया। उसका अर्थ यह था कि उसका भविष्य अज्ञकारण मय हो गया।

अनिश्चित बाल तक बंशे बने रहने की सम्भावना ने उसमें वहाँ से निकलकर स्वतंत्र मनुष्य की भक्ति मात भूमि की सेवा करने की धकान्ता उत्पन्न कर दी। उसने सबसे सरल रास्ता चुना क्योंकि सरकार उसे कब छोड़ेगी यह अज्ञान अनिश्चित था उसने आत्म हत्या करली। २७ फरवरी १९३६ को वह मुख्य जीने की दीवाल में खिड़की की लाहे की सलाखा से लटका हुआ मिला।

मृत्यु के द्वार को — १२ मार्च १९३२ को महेन्द्रनाथ राय को गिरफ्तार कर जेल में रख दिया गया। उनका स्वास्थ्य जेल में लगातार गिरता ही गया। अस्तु उनको ३१ मई १९३६ को प्रेसीडेंसी जेल में स्थान्तरित कर दिया गया। प्रेसीडेंसी जेल में भेजने के पहले उनको ३० अप्रैल से ३१ मई तक युना डिटेंशन शिविर में रक्खा गया था। प्रेसीडेंसी जेल में भी उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया। उनके स्वास्थ्य की दृष्टा इतनी गम्भीर हो गई कि उनको मेडिकल कॉलेज में ले जाना पड़ा जहाँ उस देशमन्त धीरे ने मातभूमि की बलिबेदी पर अपने को भेंट चढ़ा दिया। ४ फरवरी १९३७ को मेडिकल कॉलेज में उनका स्वर्गवास हो गया।

अन्तिम गान — रामकृष्ण चक्रवर्ती जब गिरफ्तार हुआ तो वह फेफड़ों के क्षय रोग से पीड़ित था और उसका स्वास्थ्य अत्यंत गिरा हुआ था। परन्तु उसकी अन्तर आत्मा उसके दुबले पतले निबल नाशवान शरीर की अपेक्षा बहुत सबल थी अतएव वह मारी कष्टों की सम्भावना की ओर से नितांत उदास था। उस समय के अत्यंत कुख्यात जेल मिदनापुर की गदी और अधेरी कोठरी में और वह भी अधिकारण समय हथकड़ी और बेड़ियों में रहने के कारण उसका स्वास्थ्य तेजी से गिर गया। दशावान सरकार ने उसकी माता सावित्री देवी को जो माने हुए क्रांतिकारी को आश्रय देने के अपराध में अभियुक्त थी उसी जेल में स्त्रियों के बन्द में रख दिया था। उसको केवल यही सतोष था कि वह अपने पुत्र के समीप उसी जेल में है जो कि मृत्यु कारण पर पड़ा था। मां ने बार बार प्रायना पत्र दिए कि उसे अपने क्षय रोग से ग्रस्त पुत्र से साक्षात्कार करने की आना दी जावे परन्तु उस उदार सरकार ने मां की उस प्रायना को अस्वीकार कर दिया। दुखी मां का वास्तव्य पूरित हृदय अपने पुत्र के गिरते हुए स्वास्थ्य की खेदजनक सूचना से विदीर्ण हो उठा परन्तु सरकार का हृदय नहीं पछीजा। रामकृष्ण की शक्ति क्षणिक होनी गई और बढ़ती हुई थकावट के चिह्न प्रगट होने लगे परन्तु उसको रोकने के लिए जेल अधिकारियों ने कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया। अतएव वह और अधिक निबल होता गया। यद्यपि रामकृष्ण का शरीर अशक्त हो गया था परन्तु उनकी आत्मा में आत्मगौरव की भावना उच्चतम शिखर पर थी। जेल अधिकारियों ने बहुत कुछ प्रयत्न किए परन्तु उन्होंने अपना मतान जनक शर्तों को घणा पूवक ठुकरा दिया। १९३६ में अपनी मृत्यु के पूव वे जेल अनुशासन को भंग करने के अपराध में सजा भुगत रहे थे। अन्त में उनकी पाचन क्रिया बिगड गई जो कि क्षय रोग का अन्तिम लक्षण होता है और एक दिन के पक्ष पर मरे पड़े मिले। उनके हाथों में उस समय भी हथकड़ीया पड़ी हुई थीं।

उनकी माता को अत्यन्त अनुकम्पा करके सरकार ने अपने पुत्र के अन्तिम दशन करने की आज्ञा दी जो कि अब इस सप्ताह में नहीं था। मा को उनके शव के समीप वहीं जान दिया गया। रामकृष्ण की कोठरी की सुदृढ लोहे की छड़ें उनकी मां को अपने वीर पुत्र के शव पर मां के अश्रु बहाने से रोके हुए थी। रामकृष्ण की मा सावित्री देवी के चोरु की गहनता को एक भमतामई माता ही जान सकती है। सरकार ने उसे जो कारावास का दंड दिया था इससे यह दंड (अपने पुत्र के शव पर मासू न बहा सकने का दंड) वहीं अधिक भयानक था। घरभेद्र को द्वितीय वीर भूमि अभियोग में ३० अप्रैल १९३५ को सजा हुई थी उसकी सूरी जेल में २ अप्रैल १९५७ को मृत्यु हो गई।

सूची में बद्धि हुई —सात मई १९३० को जो कालरपोल में युद्ध हुआ उसमें थार प्रायिकारी वीरो ने वीर गति प्राप्त की और दो को पुलिस ने बंदी बना लिया। फणि भूपण-नदी जो कि घरभेद्रनाथ नदी का खेरा भाई था उन दो में से एक था। जो अभियोग चला उसमें फणिभूपण को साजीवन निर्वासन काले पानी का दण्ड मिला। उसको जेल में फेफड़ो का क्षय हो गया और अलीपुर सेट्रल जेल में १९३७ में उसकी मृत्यु हो गई।

पागलपन में भी एक तरीका था —अश्वनी कुमार गुहा जो कि हिजली बंदी शिविर में एक बंदी था उसमें विक्षिप्तता के चिह्न प्रगट हो गए और उसको मिदनापुर जेल में स्थान्तरित कर दिया गया। वहां उसमें सुधार के चिह्न प्रगट होने के बजाय उसकी दशा बिगड़ती गई। अंत में उनको पुलिस की चौकसी में राची के पागलखाने में रख दिया गया। पागलपन की चिकित्सा करने का यह अत्यंत निवृष्ट तरीका था। ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वनी अपने पागलपन की अवस्था में भी आत्महत्या की भावना पर विजय नहीं पा सका। एक बंदी के जीवन से मुक्ति पाने के लिए उसने पुलिस की मांस बचाकर जो हर समय उसकी चौकसी करती थी फांसी लगाकर राची के पागल खाने में आत्म हत्या करली।

सुदूर देश में —हरिपद महाजन जो कि चीटागांव शस्त्रागार पर आक्रमण में उपस्थित था और जिसकी गिरफ्तारी के लिए भारी पुरस्कार था, भारत की सीमा को पारकर अक्याब पहुंच गया। वह आठ महीने तक पुलिस द्वारा आक्रान्त चीटागांव में छिपा रहा था। हरिपद का सक्षय बरमा था। पुलिस के गुप्तचर उसका पीछा कर रहे थे वह अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए छोन दिन कठिन यात्रा कर अक्याब पहुंचा। बरमा में उसका जीवन अत्यंत कष्टमय और अभावग्रस्त था। वह अपने अभावों और कठिनाइयों से एक वीर योद्धा की भांति जीवन के अंत तक सघय करता रहा। अंत में १९४२ में उसकी मृत्यु हुई। वह वीर अपनी मातृभूमि से बहुत दूर जिसको स्वतंत्र करने के लिए उसने अपने जीवन को ही समर्पण कर दिया था। अज्ञात दशा में मरा।

अनिश्चित अस्तित्व —बिहारीलाल बरूमा जो चीटागांव का रहने वाला था फरार हो गया था, २० अक्टूबर, १९३४ को गिरफ्तार कर लिया गया। ५ जुलाई १९३५ को गिरफ्तारी से बचने के लिए सरकारी भाषा की भवना करने के अपराध में उसको पांच बय का कठोर कारावास का दंड दिया गया। जेल में उसे क्षय रोग हो गया और २७ नवम्बर, १९३७ को अलीपुर सेट्रल जेल में उनकी मृत्यु हो गई।



## अध्याय ६

न रुकने वाला प्रकोप (१९३१-४२)

जबकि देश राष्ट्रपिता महात्मागांधी के नेतृत्व में देश व्यापी सत्याग्रह आन्दोलन की तैयारियां कर रहा था, उस समय क्रांतिकारी कायवाहियों अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच रही थीं। क्रांतिकारी योद्धा विशेषकर उत्तर भारत में अत्यन्त सक्रिय हो उठे थे और अपने लक्ष्यों पर सफलता पूर्वक आक्रमण कर रहे थे। क्रांतिकारी कायवाहियों की यह प्रक्रिया बिना रुके प्रवाह गति से चल रही थी। इन क्रांतिकारी कायवाहियों के फल स्वरूप दोनों ही दलों में घबरेल जीवन हानि हुई। दमनकारी अध्यादेशों तथा कानूनों का कोई प्रभावकारी परिणाम नहीं निकला। मिदनापुर में लगातार तीन घंटे का विद्युत् मैनिसट्रेटो की हत्या, चौडागाव में अश्रुगागर तथा छ प सरकारी भवनों पर सफल आक्रमण भारत के वीर पुत्रों के क्रांतिकारी प्रयत्नों की इस काल में शरम उपलब्ध थे।

दबो हुई शिकायत (१९३१)

पंजाब की क्रांतिकारी घटनाएं लाहौर जिले के बलतोहा गांव के सज्जनसिंह के मण्डितक में अत्यन्त पुथल मचा रही थी अतएव उसने १९३० में किसी ब्रिटिश आफिसर को मारने के स्पष्ट उद्देश्य से पंजाब की प्रशिक्षण बटलियन में अपना नाम लिखा लिया। वह तीन महीने तक उपयुक्त अवसर की बाट ढोहता रहा परंतु उपयुक्त अवसर प्रगट नहीं हुआ।

२० जनवरी १९३१ को मैजिस्ट्रेट के सम्मुख जो कि उसके अभियोग की सुनवाई कर रहा था सज्जनसिंह ने कहा कि वह अपने गांव से लाहौर छावनी के बगल की हत्या करने के उद्देश्य से चला। उसको बतलाया गया था कि भुगलपुरा में कैप्टन बटिस के बगले में अर्पणित सैनिक अधिकारी रहता है। उसने तुरन्त निश्चय कर लिया कि वह सीधा बगले घुस कर उसको मार देगा। उसने मकान का पता लगा लिया और १३ जनवरी १९३१ को मध्याह्न के उपरांत वह मकान में घुस गया और अपनी कृपाण से मिसेज बटिस और उनकी दो लक्ष्ण लडकियों पर कई बार किए। उसके उपरांत उसने बनन की तीव्रता से खोज की पर तु बगल बगल नहीं पा। श्रीमती बटिस की अस्पताल में मर चुकी थी और दोनों लडकियां किसी प्रकार बचा ली गई। सज्जनसिंह पर श्रीमती बटिस का खून करने और उनकी दोनों पुत्रियों को गम्भीर घोटें पहुंचाने के आरोप लगाए गए। सात फरवरी १९३१ को सज्जनसिंह को मर्युदंड दे दिया गया जो उसने बिना तनिक भी अहिंसता प्रदर्शित किए सुना। एक प्रश्न के उत्तर में सज्जन सिंह ने कहा कि उसने बच्चों पर बार इतना किया, क्योंकि जलियां वाला बाग और पेशावर में भारतीय बच्चों को अत्यन्त निन्द्यतापूर्वक मारा गया था। माठ अप्रैल, १९३१ को सज्जनसिंह ने लाहौर सेंट्रल जेल में कानून के अधीन सर्वोच्च दंड प्राप्त किया। जब वह फाँसी के तख्ते पर चढ़ा तो वह बराबर "भगतसिंह जिन्दाबाद" के नारे उठाता रहा।

शतयुद्धों का वीर (१९३१)

पश्चिम घाजव उत्तर प्रदेश और पंजाब की दो सरकारों के लिए बनकर

घातक था। उसका नाम पुलिस को भयभीत कर देने के लिए यथेष्ट था क्योंकि वह अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक आक्रमण करने के लिए प्रसिद्ध था। उसके सम्बन्ध में यह भी प्रसिद्ध था कि वह ऐसे अवसर पर भी गिरफ्तारी से बच निकलने में शिद्ध हस्त था कि जब कि पुलिस यह समझती थी कि उसके भय बच निकलने की किंचित मात्र भी सम्भावना नहीं है। बालकूपन में उसका नाम चन्द्रशेखर था परन्तु असहयोग आन्दोलन में अपने सट्टल हिन्दु हाई स्कूल से अपनी पढाई छोड़ी तो अपने नम के साथ आजाद षोड लिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब असहयोग आन्दोलन छिड़ा तो चन्द्रशेखर ने स्कूल छोड़ दिया। यद्यपि चन्द्रशेखर मुख्यतः भैरुपुर वाराणसी में रहते थे परन्तु अपने जीवन में उन्होंने उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के विस्तृत क्षेत्र को अपना काय क्षेत्र बना लिया था। वे अपने साधियों के लिए जो कि प्रांत के सुदूर भागों में काय कर रहे थे एक सम्पन्न बड़ी का काय करते थे और उन सभी साधियों के लिए प्रकाश देने वाले सारे की भांति थे। अहिंसक असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के दण्ड स्वरूप उन्हें कोठे से पीटे जाने का दण्ड दिया गया। परन्तु दाद को उन्होंने सशस्त्र तथा सैनिक कायवाही पर अधिक बल दिया और जब कि असहयोग का तेज प्रवाह बह रहा था तो उस समय का उपयोग उन्होंने सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करने के लिए किया कि जिससे अनुकूल अवसर पर देश को स्वतंत्र बनाने के लिए सशस्त्र क्रांति भी जा सके।

उत्तर प्रदेश की हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की सेना के वे एक ध्यत नेता थे और सेना के प्रधान सेनापति थे। जब कभी यह क्रांतिकारी सेना कोई आक्रमण या कायवाही करती, चन्द्रशेखर आजाद सदैव आगे की पंक्ति में रहते थे, और ऐसी कोई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कायवाही नहीं थी जिसमें वे स्वयं सम्मिलित न हुए हो और अपने साधियों का नेतृत्व न किया हो। काकोरी देहली और लाहौर की घटनाओं में उनके नेतृत्व में ही क्रांतिकारियों ने काय किया था। पुलिस ने जो जाच की उससे ज्ञात हुआ कि इस सभी कायवाहियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। कई वर्षों तक वे पुलिस की आस में घूम भोंक कर बचते रहे। पुलिस उनकी टोह में थी परन्तु वे उसके हाथ नहीं आए और वे कभी मोटर टाइवर तो कभी नाविक का काम करते थे। १६ अक्टूबर, १९३० को सरकार ने 'लाहौर पडयत्र' के अभियोग में वाच्छिन-यक्तियों तथा कुछ अन्य यक्तियों के सम्बन्ध में जिनको एक विस्तृत क्षेत्र में फंसी हुए पडयत्र के सम्बन्ध में जिसके बारे में पंजाब में जाच हो रही है पुलिस पकड़ना चाहती थी—आवश्यक जानकारी या खबर देने पर जिससे कि वे लोग गिरफ्तार हो सकें, भारी पारितोषिक देने की घोषणा की।

सरकार को जिस यक्ति की विशेष रूप से तलाश थी उसके सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति में जानकारी दी गई वह इस प्रकार की थी चन्द्रशेखर आजाद अपना नाम पण्डित जी अपना नाम सीताराम जाति ब्राह्मण जो पहले बैजनाथ टोना डाकखाना भैरुपुरा बनारस में रहता था। यह उस व्यक्ति का विवरण था जिसकी सरकार को आवश्यकता थी। उस दव निर्धारित दिन अर्थात् २७ फरवरी १९३१ को वे अपने एक साथी के साथ एम्फोर्ड पाक इलाहाबाद में बैठे हुए थे। समय लगभग प्रातः काल १॥ बजे था। वहा कुछ पुलिस के भेदिण उन पर निगाह रख रहे थे उन्हें सदेह हो गया कि वे सदेहजनक व्यक्ति हैं उन्हें कोतवाली को सूचना भेज दी। जो पुलिसमैन पाक की रखवाली कर रहे थे धीरे धीरे अपने शिकार की ओर बढ़ने लगे। जब कि वे आजाद से बीस गज की

दूरी तक पहुँच गए तो आजाद ने अपना रिवाल्वर निकाला और जो पुलिसमैन इनके सबसे अधिक पास था उस पर निशाना लगाया। उन्हें थोड़ी देर हो गई। पुलिस ने उनको बहुत पहले ही देख लिया था। उससे पहले कि आजाद को पुलिस की उपस्थिति का ज्ञान हुआ पुलिस इसके लिए पहले से ही तयार थी अतएव आजाद जब तक अपने रिवाल्वर से गोली छेड़ें उससे एक सैंडविच से भी कम पहले पुलिस ने गोली चला दी। ऐसा प्रतीत होता था कि इनकी टांग में कहीं गोली लगी क्योंकि उ हे उठने में कठिनाई हुई। उसके बाद दोनों और से गोली चलने लगी और सम्भवत आजाद के बाये हाथ में दूसरी गोली लगी उसका साथी कुछ कदम दौड़ कर एक पेड़ के पीछे छिप गया। आजाद कठिनाई से रेंग कर एक मोटे वृक्ष की आड़ में चले गए।

दो पुलिसमैन आजाद के बहुत समीप एक खाई के समीप तक रेंग कर पहुँच गए। अब आजाद उनकी गोलियों की बौछार के सामने थे। यह घमासान युद्ध लगभग पंद्रह मिनट तक चलता रहा। उसी समय एक गोली लगने से आजाद गम्भीर रूप से घायल हो गए और वे पीठ के बल गिरते हुए देखे गए। इस युद्ध में तीन पुलिसमैन जखमी हो गए एक अत्यंत गम्भीर रूप से घायल हो गया था। आजाद का साथी जो उनसे कुछ ही गज की दूरी पर प्रतीक्षा कर रहा था उसने पेड़ के आश्रय को छोड़ कर उस योरोपियन आफिसर पर आक्रमण करना चाहा जो पुलिस दल का नृत्व कर रहा था। आजाद ने जोर में विन्यास उसमें कहा मैं मरने वाला हूँ भगवान के लिए भाग जाओ मेरे लिए नहीं प्रत्येक अनिचरा पूर्वक साथी को अपने नेता की आज्ञा शिरोधार्य करनी पनी और वह समीप ही खड़े हुए एक विद्यार्थी से उसकी साइकिल छीन कर उस पर चढ़ कर भागा। घायल व्यक्ति (आजाद) ने अपनी पिस्तौल उठाई और बनपटी पर गोली चला दी। उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। उस दशा में उन पर एक दूसरे कार्टेजिल में गोली चलाई। गोली ने उनकी जाघ को क्षेप दिया।

आजाद की दाहिनी टांग के निचले हिस्से में दो घाव थे जिनके कारण जाघ की हड्डी टूट गई थी। एक दूसरी गोली दाहिनी जाघ से निकाली गई। घातक घाव सिर की दाहिनी ओर था और एक घाव छाती पर भी था। आजाद का शव रसूलावाद घाट पर दाह संस्कार के लिए भेज दिया गया। पुलिस की निगरानी में उनकी दाह क्रिया कर दी गई।

इस प्रकार एक अत्यंत प्रकाशवान नक्षत्र देश की राजनीतिक दासता के अघकार को धरने तज प्रकाश से अपने जीवनके अल्प समय में झालोक्ति कर अन्त काल के गम में अस्त हो गया। अपने पीछे वे अपना नाम या छोड़ गए जो इतिहास के पृष्ठों को अलङ्कृत करता रहेगा। २८ फरवरी १९३१ की पोस्ट भाटम रिपोर्ट के अनुसार यह ज्ञात हुआ कि चार गोलियाँ और पाँचवी गोली का एक टुकड़ा उनके शरीर से निकाला गया।

नोट—आजाद का जन्म २३ जुलई १९०६ को पूव अलीराजपुर राज्य के भावरा ग्राम में हुआ था। साइस हत्या काण्ड में आजाद ने ही उस सिपाही को अपने रिवाल्वर से मारा था कि जो साइस की हत्या करने वालों का पीछा कर रहा था। काकोरी रेलवे डकैती तथा अनेक भी क्रांतिकारी कायवाहिया उनके निर्देशन में ही हुई थी। भगतसिंह द्वारा जो दम काण्ड हुआ वह भी उनके निर्देशन में ही हुआ था। अमर शहीद दत्त राजगुरु, सुखदेव तथा भगतसिंह इत्यादि सभी उन्हें अपना सच्चा मित्र नेता स्वीकार करते थे।

- श्रीणी में प्रथम (१९३१)

स्थानीय स्कूल के मुख्य अध्यापक के निमन्त्रण को स्वीकार कर मिदनापुर के जिलाधीश जेम्स पंडो सात एप्रिल १९३१ को मिदनापुर कालिजियेट स्कूल के प्रवचकों द्वारा जो शिक्षा प्रदर्शनी आयोजित की गई थी उसको देखन गए। जिलाधीश एक शिक्षार अभिमान के लिए गए हुए थे और उसी दिन बस्त्र म शिक्षार से वापस लौट थे। जब उन्होंने प्रदर्शनी कक्ष में प्रवेश किया तो कोई घटना नहीं घटी और वे चुपचाप दूसरे कक्ष में चले गए। उन्होंने प्रदर्शनी में अपनी गहरी रुचि प्रदर्शित की। कुछ ही सैकिण्डा के उपरांत सायनाल के साठे सात बजे दो आक्रमणकारी जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने उनके बहुत समीप से उन पर गोलियां चलाई। उत्तर की ओर दरवाजे की चौखट के पास से जो कि जिलाधीश से तीन फीट से अधिक दूरी पर नहीं थी वहां से वे गोली चला रहे थे। आक्रमणकारी दल में एक लडका था जिसकी आयु बीस बर से कम थी और जो घारीदार घुमर रंग की कमीज पहने था। सब मिला कर उस छोटे से कक्ष में कुल सात या आठ गोलियां चलाई गई और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां भगदड़ पड़ गई। उस समय किसी की भी मन स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह सम्मानीय प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में पूछनाछ करता और न ही वे यह देख सके कि वे क्या चले गए। जब स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो श्री पंडो को लोगो ने सट हुए कमरे में एक दीवार के सहारे खड़ा पाया ऐसा प्रतीत होता था कि गोतिया लगने के उपरांत वे बीच के दरवाजे से उस कक्ष में चले गए होंगे। यह आश्चर्य की बात थी कि यद्यपि तीन गोलियां उनकी पीठ में और दो दोना हाथों में घुस गई थी परंतु पंडो की चेतना नष्ट नहीं हुई। उन्हें तुरन्त एक घोड़ा गाड़ी में डाल कर मिदनापुर अस्पताल में ले जाया गया उनके घावों से बहुत अधिक रुधिर बह रहा था। एक स्पेशल गाड़ी से कलकत्ता से सजन और नर्स तुरन्त भेजी गई जो प्रातः २॥ (डार्न) बजे मिदनापुर पहुंची। सजन ने तुरन्त ही आरेगन किया और उनके शरीर से एक गोली निकाली गई। दूसरे दिन १० बजे प्रातः काल पंडो का दुवारा आरेगन हुआ। रोगी की दशा में सुधार के कोई चिह्न दृष्टि-गोचर नहीं हुए अतः उनकी दशा गिरती गई और तीसरे पहर ५ १० पर उनकी मृत्यु हो गई।

बधन में मृत्यु (१९३१)

दो मंदेहजनक व्यक्ति जिनमें से एक देहनी पदयंत्र अभियोग का फरार था लखनऊ से पटना में आए। स्थानीय पुलिस ने इन पर निगाह रखना शुरू कर दिया क्योंकि कि लखनऊ की पुलिस ने जो हुसिया तथा अन्य विवरण दिया था उससे वे दोनों मिलत जुलते थे। पटना पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी का प्रयत्न और व्यवस्था की।

लगातार दो दिन सायनाल के समय वे पटना नगर की निचली सड़क पर देखे गए और २० जून १९३१ को रात्रि के मौ बने वे अग्नी साइकिलो पर परिवहोरे याने के नयाटोला स्थान पर पहुंचे। वहां पुलिस ने उन्हें ललकारा। पुलिस दल की उपस्था कर दोनों ने जो जान से भाग जान की चेष्टा की थी। उस भगदड़ और सघप में उनमें से एक सन्देशजनक व्यक्ति ने एक बम फेंका जिससे धानदार रामनारायण सिंह घायल हो गया और जो बाद को जनरल हास्पिटल में मर गया। एक दूसरा सिपाही बम से बुरी तरह घायल हो गया जिसे अस्पताल अंतरनाक स्थिति में हास्पिटल से जाया गया। उन

दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जाने वाले अभियोग के मध्य यह बात हुआ कि राम ललित नामक एक व्यक्ति जिसे क्रान्तिकारी लोग पुलिस का जासूस मानते थे क्रान्तिकारी दल द्वारा ककर बाग में मार दिया गया, और एक कायकर्ता ने जब कि वह एक अग्नि दाहिम (बायूड भरा घनार) भर रहा था तो दुष्घटना हो गई और वह कायकर्ता स्वयं अपनी भूत से मर गया। इन घटनाओं का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध न हो सका। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक को आजम कठोर धारावास और निर्वासन (फाला पानी) की सजा दी गई और दूसरे को सात बर्ष की कठोर कैद दे दी गई।

### लाहौर गाडन का युद्ध (१९३१)

पुलिस दीवखाल से जगदीश और उनके साथी दो क्रान्तिकारियों का खोज में थी। पुलिस उनकी खोज लाहौर पटवत्र अभियोग के सदस्य में कर रही थी। उन पर पुलिस एक विस्तृत क्षेत्र में नजर रख रही थी। लगातार खोज बोन करने के उपरांत ३ मई १९३१ को पुलिस ने उन्हें शालीमार गाडन (लाहौर) की ओर जाते देखा। यह सामाचार शीघ्र ही विभिन्न पुलिस बंदो को पहुँचा दिया गया। जब तक कि वे सदेहजनक व्यक्ति बाग में पहुँचे समस्त बाग को पुलिस ने घेर लिया। जगदीश तथा उनके साथी को उस समय तक कोई सदेह नहीं हुआ। जगदीश एक बहते हुए कृत्रिम नाले के किनारे बठ गए और उनका साथी पास ही सेट कर धाराम करने लगा पुलिस ने एक पुरुष को बुद्धिमत् स्त्री के वेप में अपने शिकार को बातघैठ में उलझाए रखने के लिए भेजा। एक स्त्री के आने से दोनों को सदह हो गया और वे खुले सघर्ष के लिए तयार हो गए। दोनों ओर से गोलियाँ चलने लगी। इस गोली विनिमय में एक गोली जगदीश की गदन में लगी। जगदीश गोली के लगने से नाले में गिर पडा और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसका मित्र गम्भीर रूप से घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

### दुष्घटना के शिकार (१९३१)

दो मित्र चाननसिंह और उनके दूसरे साथी होशियारपुर से खतरनाक ढग से यात्रा कर रहे थे उनके असबाब में तेज विस्फोटक बम छिपे थे। ३१ मई १९३१ को वे वहाँ जिस उद्देश्य से उत्तरे यह स्पष्ट नहीं है। जब कि वे सडक के किनारे बठे हुए थे तब उनमें से एक न असावधानी से अपने असबाब को धक्का दे दिया उसका परिणाम यह हुआ कि घोर गजना के साथ बम फट गया और चाननसिंह बुरी तरह घायल हो गए जिससे कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई।

उनके साथी ने भागवे की चेष्टा की पर तु वे गिरफ्तार कर लिए गए। उन दोनों के मकानों की पुलिस ने तलाशी ली तो उनके यहा विस्फोटक पदार्थ बड़ी मात्रा में मिले।

### अस्त्र शस्त्रों का लोभ (१९३१)

देहली और पंजाब में जो क्रान्तिकारी भावना की लहर आई और जिसके परिणाम स्वरूप जो बड़ी संख्या में अनेक क्रान्तिकारियों को फासी दी गई उसका भारत के अन्य भागों के भावना प्रधान युवकों पर गहरा प्रभाव पडा। क्रान्तिकारियों की मनो भावना बम्बई में भी प्रवेश कर गई और वहा भी क्रान्तिकारी वाण्ड होने धारम्भ हो। जसा कि एक युवक ने घटना के उपरांत बतलाया कि कतिपय युवक भगतसिंह ढायों के सम्बन्ध में साहित्य पढ़ते रहे थे और उहनि भगतसिंह के साहसिक कृत्य को

दोहराने का निश्चय किया। उसके लिए उन्हें घना और रिवाल्वरो की आवश्यकता थी। वे अपने विचार को मूल रूप देने के लिए उपयुक्त अवसर की खोज में थे। २३ जुलाई १९३१ को तीन मित्र यशवंत सिंह देव नारायण तिवारी तथा एक अन्य तीसरे ने सड़वा में एक रेल के डिब्बे में एक योरोपियन को अपने सामान तथा राइफल के साथ झकेले देखा। उन्होंने तय किया कि उन योरोपियन के सामान को लूट लिया जावे और राइफल को छोड़ कर उसको बेच कर उसके रूप से रिवाल्वर खरीदे जावें। अतएव वे तीनों उस गाड़ी में चढ़ गए वह गाड़ी पंजाब मल थी। गाड़ी में चढ़ कर उन्होंने लपटीनेट 'जी' आर हैक्सट पर आक्रमण कर दिया। लपटीनेट बम्बई होकर पूना के संकेत विद्यालय (सिगनल स्कूल) को जा रहा था। चार बजे प्रात का समय था ठाक गाड़ी डोंगरे गाव और माहवा के मध्य दौड़ रही थी बम्बई से वह स्थान तीन सौ मील की दूरी पर था। लपटीनेट हैक्सट के साथ उसके डिब्बे में उसका कुत्ता भी था जो खोर से भूँका और उसने हैक्सट को जगा दिया। उसने दो अजनबी व्यक्तियों को अपने डिब्बे में देखा त्रिनके हाथों में छुरे थे। जैसे ही उसने घटने का प्रयत्न किया दोनों ने उस पर आक्रमण कर उसको चेतना शून्य कर दिया।

हैक्सट के साथ एक दूसरा यात्री भी था। वह २८वीं फील्ड ब्रिगेड का लपटीनेट था, जो लाहौर से पूना की यात्रा कर रहा था। उसने डिब्बे में तीन व्यक्तियों को देखा और वह एक व्यक्ति से भिड़ गया। उसने उस छुरे के फल को जिससे उस पर आक्रमण किया गया था हाथ से पकड़ लिया। छुरा टूट गया और उसका बड़ा टुकड़ा उसके हाथ में रह गया। जब दूसरे व्यक्ति ने उस पर आक्रमण किया तो उसने उस दूँट हुए छुरे से वीरता पूर्वक उसका सामना किया। उसने विजली का बटन दबा कर प्रकाश कर दिया और खोर से चित्पना कर हैक्सट को पुकारा कि वह जजीर खींच दे। उसको पता चला कि हैक्सट की दशा गम्भीर है वह लगभग मृत प्राय था अस्तु उसने स्वयं ही जजीर खींच दी, और गाड़ी की गति धीमी हो चली तभी आक्रमणकारी चलती हुई गाड़ी से कूद कर भाग गए। गाड़ी घटना स्थल से कुछ दूर पर अंत में आकर रुकी।

हैक्सट को अस्पताल ले जाया गया, उसकी दशा खतरनाक थी। २४ जुलाई १९३१ को मध्याह्न उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। आक्रमणकारियों का गाड़ी से भागने के उपरांत तेजी से पीछा किया गया। सभी पुलिस स्टेशनों को सदेश भेज दिया गया और सभी पुलिस स्टेशनों तथा अधिकारियों को आगा दी गई कि वे आक्रमणकारियों की खोज करें। एक पीछा करने वाला सब इन्स्पेक्टर पुलिस जिसे समीप के घाते में सबसे पहले सूचना मिली थी तुरन्त भुसावल की ओर चल पड़ा। उसे कुछ स्पष्ट मान नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए परन्तु उन सभी को जो उसे मिले यह आज्ञा दी कि जो भी सदेहासद व्यक्ति मिले उसे गिरफ्तार कर लो। ३३१वें मील पर उस पुलिस अधिकारी को सड़क पर वाम करने वाले गैंग (मजदूर दल) के लोग मिले। उन्होंने उसे बतलाया कि एक व्यक्ति जो काला कोट तथा पट पंने है और कनवस के जूते पहने है माहवा की ओर एक घंट पहले जाता दिखाई दिया था।

जब कि सब इन्स्पेक्टर मजदूरों से बात कर रहा था कि एक मोटर ट्राली उसकी ओर आती दिखलाई दी। उसमें बम्बई के डिप्टी चीफ इंजिनियर तथा भुसावल के विबीजनल इंजीनियर तथा एक अन्य अधिकारी निरीक्षण के लिए दौरे पर जा रहे थे।

सके तो उसे भारी पारितोषिक दिया जावेगा परन्तु सब व्यर्थ हुआ। उस घटना का एक व्यक्ति से जिसे उसने सदह में गिरफ्तार किया था अनायास ही विमल गुप्त के सम्बन्ध में पता चल गया। यद्यपि वह व्यक्ति आसानी से पुलिस को विमल गुप्त के सम्बन्ध कुछ भी बताने को टाल सकता था परन्तु दण्ड और दण्ड के अभिमान में उसने पुलिस को बतलाया कि उस युवक का नाम बन ईनात भट्ट था और वह चौबीस परगने मजदुराने जाने के माजिलपुर गांव का निवासी था। पुलिस ने बहुत प्रयत्न किया कि उसका किसी प्राधिकारी से सम्बन्ध जोड़ा जावे, परन्तु उसको कोई प्रमाण नहीं मिले, पुलिस को बिना अभियोग चलाए अनेक युवकों को गिरफ्तार कर जेल में डालने का अवसर मिल गया।

### सिंह की गुफा के समीप (१९३१)

अभी अंधेरा छाया ही था कि ३१ जुलाई १९३१ को पटना सिटी पुलिस स्टेशन के निकट ही एक विस्फोट की भयंकर आवाज सुनाई दी। पता लगा कि राम (बाबू) घरमशाला गेट घाट में एक बम को लिए हुए था कि बन का विस्फोट हो गया जिसके कारण उसका हाथ बहुत अधिक जखमी हो गया और वह कक्ष (कमरा) भी बुरी तरह प्रतिप्रस्त हो गया। उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ७ अगस्त १९३१ को उसकी मृत्यु हो गई। राम बबू सूरज नाथ चौधे का घनिष्ठ मित्र तथा सहयोगी था। सूरज नाथ चौधे को १६ अप्रिल १९३१ को मृत्यु दण्ड दिया गया था। दोनों ने मिल कर पहचान किया और यानेदार रामनारायण (सलित) सिंह को ककर बाग रोड पटना में मार डाला था।

### योजना के अनुसार (१९३१)

थोड़ा समय से हिजली नजरबंदी शिविर के प्राधिकारी कदियों तथा शिविर अधिकारियों के बीच खिचाव और कलह चल रहा था। और शिविर के निम्न कोठि के अधिकारियों की नाराजगी के रूख से स्पष्ट था कि कदियों पर बहुर दूटने वाला है। सायकल के समय एक नजरबंदी और सतरी के मध्य कहा सुनी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी। यह भी अपवाद लगाया कि एक नजरबंदी कदी ने एक सिपाही की बिच को तीसरे पहर छीन लेने का प्रयत्न किया। १६ सितम्बर १९३१ को प्रातः काल ६ बजे पचास पुलिस मन तथा दो दजन सिपाही लाडियों और डंडों से लैस होकर नजरबंदियों की बरकी पर दूट पड़े और कमरों के अन्दर बिना किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिए उन्होंने गोली चलाना आरम्भ कर दी। नजरबंदी कदी इस आक्रमण के लिए तनिक भी सचेत नहीं थे उहे इस प्रकार बिना सूचना दिए घातक प्रहार होया इसका तनिक भी भान नहीं था अस्तु वे अपने को लाठी किचों और गोलियों से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए बतहाशा इधर-उधर भागने लगे।

अल्पकाल में ही उन क्रूर सिपाहियों ने शिविर तथा अस्पताल के उस भाग में जहा कि कातिपय बोमार नजरबंदी कदियों को सुरक्षा के लिए भर्ती किया गया था सी गोलिया दाग दी। भाठ चौकियों के सतरियों और उन पहरेदारों ने जो कि स्नान गृहों के पास तैनात थे तथा उन सिपाहियों ने भी जो कि शिविर की सीमा के बाहर पहरेदारी पर नियुक्त थे—एक साथ गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया। उस समय कुछ नजरबंदी कदी डाईनिंग हॉल में बैठे भोजन कर रहे थे। उनमें से कम से कम एक कदी को गोली भाकर लगी। कदियों के नौकरों ने पबराहूट और भय से डाईनिंग हास को रोखनी

कुम्हारों की तरह कहीं जाकर गोली चलना बंद हुई क्योंकि जहाँ सतरियों की चौकी थी वहाँ से हाल के अदर कोई दिखलाई नहीं दे सकता था।

इस भयंकर कांड में कम से कम बीस नजरबंद जख्मी हो गए। उनमें से चार गम्भीर जख्मी हो गए थे। दो नजरबंद कदी 'सतोप कुमार मित्र-कलकत्ते के और गोयला बारीसाल के तारकेश्वर सेन मारे गए। तारकेश्वर सेन दूसरी मन्जिल के बरामदे से देख रहे थे कि साथी कदियों के साथ क्या हो रहा है? उनके माथे पर गोली मारी गई जिससे उनकी तत्काल घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सतोप कुमार मित्र पहली मन्जिल में अपने कमरे की डयोडी पर लड़े हुए थे। उनके पेट में दो गोलियां घुस कर पार हो गईं और वे वहीं मरकर गिर पड़े। कुछ सिपाही ऊपर चढ़ गए और जो भी उन्हें मिला उनको खूब पिटा। एक तरफ से जेल के सतरियों और सिपाहियों ने भयानक मारवाड़ शुरू कर दी थी। उस क्रूर व्यवहार की तीव्रता सिपाहियों के अपमानजनक शब्दों से और भी अधिक स्पष्ट हो गई। सिपाही चिल्ला रहे थे 'हुकुम मिल गया, रामजी की जय साला लोग को मारो।'

सिपाहियों को निशास्त्र कदियों पर इस क्रूर हिंसात्मक कायबाही से रोकने के लिए कोई उच्च अधिकारी वहाँ उपस्थित नहीं था। वे निशास्त्र कदी सरकार और उसके प्राज्ञावर्ती सबको की दया पर आश्रित थे परंतु उनके प्रति किए गए इस निभय हिंसात्मक व्यवहार से उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। यद्यपि कामाडेंट वहाँ से दो मिनट की दूरी पर ही था परंतु वह घटना के एक घंटे बाद घटना स्थल पर आया। उसके इस व्यवहार से जनता के मन में यह संदेह और गहरा तथा पक्का हो गया कि उसे इस योजना का आरम्भ से ही ज्ञान था और वह जानबूझ कर नहीं आया। सरकार ने इस खेजजनक घटना की जांच करने के लिए जो कमेटी नियुक्त की उसकी रिपोर्ट १६ अक्टूबर १९३१ को प्रकाशित की गई। कमेटी ने तथ्यों का विवरण इस प्रकार दिया था। 'एक सतरी ने प्रकीर्ण के कारण खतरे की घटी बजादी इस पर घात के फाटक से सशस्त्र सिपाही दौड़ पड़े और हवलदार की आज्ञा से उन्होंने उन नजरबंद कदियों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें डकैल दिया जो छि इधर उधर घूम रहे थे।'

रिपोर्ट में आगे कहा गया — "पहले सतरियों ने गोलियां चलाईं उसके उपरांत नजरबंद कदियों ने कुछ थोड़ा बहुत प्रतिशोध करने की चेष्टा की। इस पर सिपाहियों ने धावा बोल दिया और अघाघु घ बिना दके गोनिष्ठा चलाना आरम्भ कर दी जिसका तनिक भी अचिंत्य नहीं था। उन्होंने मुख्य इमारत पर आक्रमण कर दिया और अघाघु घ गोलियां चलाईं परिणाम स्वरूप दो नजरबंद कदी मारे गए और अन्य अनेक घायल हो गए। कमेटी ने यह भी कहा कि कतिपय सिपाही बिना किसी अचिंत्य या कारण के इमारत में घुस गए और कुछ नजरबंद कदियों को लाठियों और सगोनों से मारा, उन्होंने कुछ गोनिष्ठा भी चलाईं और उसके उपरांत वे चले गए।" रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह नशस हत्याकांड बिना किसी कारण के किया गया। इस पर कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है।

महिलाएं भी (१९३१)

भारतीय क्रान्तिकारी आंदोलन के इतिहास में भी सी जी बी स्टीवेन्स कोमिन्स तथा तिपरा के मन्निस्ट्रेट तथा क्लेकटर और त्रिपुरा राज्य के पोलिटिकल



एजे ट की हत्या सरकारी अधिकारियों और उनके एजेन्टों की हत्या की कड़ी में ए उल्लेखनीय विचलन है। यह प्रथम अवसर था जब बंगाली लड़कियों ने उस काय व अपने हाथों में लिया जो अभी तक पुरुषों की कठोर भुजाओं के लिए ही सुरक्षित थे सभ्रा १ परिवारों की दा लड़किया ओ फुटिंग राजस्थान हाई स्कूल में आठवी कक्षा में पढ़ती थी १४ दिसम्बर १९३१ को लगभग दस बजे प्रात बाल एक घोड़ा गाड़ी जिलाधीश के निवास स्थान पर आई। उ हाने घोड़ा गाड़ी का फाटक पर ही छो दिया और जिलाधीश से मिलने पदल बगले तक गई। उ होने एक विजिटिंग काड जि पर उनमें से एक लड़की के हस्तलेख में इलासेन और मीरादेवी नाम मन्त्री में लिखे स्टीवेस के पास उनसे साक्षात्कार करने के लिए भिजवाया। स्टीवेस उस समय दफ्तर में था और एस डी ओ (टिप्पणी कलक्टर) से वार्न कर रहा था। दोनों अधिकार दफ्तर के कमरे के दरवाजे पर आए और लड़कियों से मिले। उ होने लड़कियों से उनका जाने के उद्देश्य के सम्बन्ध में थोड़ी बातचीत की। प्राथमिक व तृतीय के उपरान्त लड़किया ने एक याचिका मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दी जो स्कूल के तरणताल में बगाल लड़कियों ने तरने देने के सम्बन्ध में थी। उस याचिका को लेकर स्टीवेस वार्न जाने कमरे में अपनी मेज पर गया और याचिका पर निम्नलिखित पृष्ठांकन किया 'पुरुष अध्यापिका महोदया के सुभाव के वस्ते।' वह उसे लेकर लड़कियों के पास आ और मौखिक रूप से उनसे कहा कि वे मरुष अध्यापिका के द्वारा उनकी सहमति काये तभी प्रस्ताविक तराकी प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था की जा सकती है। एक छटक जब कि याचिका को स्टीवेस के बड़े हुए हाथ से अपने हाथ में लेने ही वाली थी तभी दूसरी लड़की ने रिवाल्वर निकाल लिया और मजिस्ट्रेट की छाती पर केवल डेढ़ फीट की दूरी से गोली दाग दी। इस प्रकार गोली लगने से स्टीवेस अपने बचाव के लिये पीछे हट जिससे कि डाइनिंग रूम से होकर वह रसोई घर के कमरे में घुस जाये। जब कि वा पीछे भाग रहा था तो उस पर एक दूसरी गोली दागी गई परंतु वह उसे न लग कर दूर चली गई। बाद की स्टीवेस रसोई घर के कमरे में भूमि पर पड़ा मिला सबसे प्राण पक्षे उड गए थे। दोनों लड़कियों को नौकरों की सहायता से एस डी ओ गिरपतार कर लिया और उह पुलिस के हवाले कर दिया। लड़कियों ने जिन रिवाल्वर का उपयोग किया था वे गर लाइसेंस के थे। व वेलजियम के निमित थे और ०३२० और के थे। स्टीवेस की शव परीक्षा से ज्ञात हुआ कि उसके हृदय के नीचे घातक घाय था और दोष गोलियां जो कि घबराए हुए हाथों से दागी गई थी उसके नों लगी। जांच से बाद को यह ज्ञात किया गया कि दो या तीन युवकों ने उस घोड़ा गाड़ी को किराया किया था जिसका लड़किया न उपयोग किया था। वे उन लड़कियों को लेकर फौजदारी अदालत की बिंडिंग इन प्राशा से गए कि स्टीवेस वहा मिलेगा। जब स्टीवेस वहा नहीं मिला तो उन युवकों ने गाड़ी को छोड़ दिया। वे उतर गए और लड़किया गाड़ी में बँधी रही उहोंने गाड़ीवाले को लड़कियों को जिलाधीश के बपने ले जाने के लिए कहा। १८ जनवरी १९३१ को लड़कियों पर अभियोग चलाया गया। उन पर हत्या करने के लिए पड्यत्र करने तथा हत्या करने के आरोप लगाए गए। २७ जनवरी १९३२ को निर्णय दे दिया गया। अभियुक्त सालद्वय की आयु से अधिक की नहीं थी अतएव उन सिद्धाओं को ध्यान में रख कर जो कि कम उमर क तथा विधोर्न अध्यापिका के अपराधियों के सम्बन्ध में लागू किए जाते हैं उन्हें फाँसी की सजा न देकर भाजम काले पानी का दण्ड दिया गया।

### पुष्प झड़ गया

सात जनवरी १९३१ को बारीसाल जिले के मरसियानपुर गांव में एक गन्ने के खेत में कुछ क्रांतिकारी तहफण बम बना रहे थे। एक भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के फलस्वरूप कृष्णकांत दास के शरीर पर गम्भीर घाव हो गए और असमय में ही उस क्रांतिकारी युवक की मृत्यु हो गई।

### विरोधी स्थान से (१९३२)

शीतल प्रसाद पांडे पुलिस विभाग में चौबीस परगान में परिवीक्षाधीन (प्रोवेश मरी) कास्टेबिल था। पुलिस विभाग को छोड़ कर शीतल प्रसाद पांडे क्रांतिकारी राजनीतिज्ञों के साथ भा गया और शीघ्र इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सरकार उसको गिरफ्तार करने के लिए आकाश पाताल की खोज करने लगी। यह सूचना मिलने पर एक व्यक्ति बिना साइस के फिं चाल्वर के साथ यात्रा कर रहा है, रेलवे पुलिस सब इन्स्पेक्टर मजहर हुसैन जबीडहि स्टेशन पर सियाल्दा देहली एक्सप्रेस में चढा। जून ३ अप्रैल १९३२ को प्रातः काल ६ बजे पांडे काका स्टेशन पर रुकी तो उसको एक आदमी 'शीतल प्रसाद' जिसकी पुलिस को तलाश थी बतलाया गया। कतय परायण पुलिस अधिकारी सूचना देने वाले के साथ उस डिब्बे में घुसा जिसमें शीतल प्रसाद बठा था। घुसते ही यानेदार ने शीतल प्रसाद से पूछा तुम्हारा नाम क्या है क्या तुम शीतल प्रसाद हो और क्या तुम्हारे पास बिना साइस का रिवाल्वर है। उसने उत्तर दिया कि मैं शीतल प्रसाद हूँ और साइस निकालने के बहाने उसने अपनी जेब से कारतूसों से भरा एक रिवाल्वर निकाल लिया और एक के बाद दूसरी अत्यंत शीघ्रता से चार गोलियां सब इन्स्पेक्टर पर और सूचना देने वाले पर दाग दी। यानेदार मजहर हुसैन की तत्काल मृत्यु हो गई और सूचना देने वाला गम्भीर और खतरनाक रूप से घायल हो गया। उसने अपने सहयात्रियों को उसकी गिरफ्तारी होने के लिए अधिक समय नहीं दिया। उस भीड़ भरी गाड़ी में उसने आश्चर्य चकित यात्रियों के सामने ही स्वयं को गोली मार ली और मृत्यु का आलिङ्गन कर लिया।

### क्रूर भाग्य (१९३२)

ढाका के इकरामपुर गांव में एक निस्तब्ध और शांत गृह में रहने वाले क्षतीश पात्र मुकर्जी अपने एकाकी कक्ष में एक दिन अत्यंत खतरनाक दशा में पाए गए। उनका शरीर बुरी तरह जल गया था विशेषकर नाक। एक बम बनाते समय उसके फट जाने के कारण उनकी यह दशा हुई थी। १५ अप्रैल १९३२ को क्षतीश को मिटफोड अस्पताल में भर्ती किया गया। जहां उसकी बाईं हथेली और दाहिने हाथ की दो अंगुलियां काट दी गईं। रोगी को फिर चेतना नहीं हुई और १७ अप्रैल, १९३२ को घावों के परिणाम स्वरूप उसने महाप्रयाण किया।

### गलत योजना (१९३१-३२)

पांच तहफण जिनमें क्रांतिकारी भावना कूट कूट कर भरी थी १४ मार्च १९३२ को चार मुगुरिया डाकखाने के पास भाए और दीख कर उस कमरे में घुसे जहाँ कि पोस्ट मास्टर तथा उसके सहायक मजदूर बैठ अपना काम कर रहे थे। उनमें से दो के पास रिवाल्वर थे और एक के पास छुरा था। उन्होंने पोस्ट मास्टर से उस समय पोस्ट आफिस में जितना भी रुपया था तत्काल मांगा और उनमें से एक ने वह सब गड़गड़ रुपया और बीजे के लिफाके जो मेज पर पड़े थे, उठा लिए। आक्रमणकारी कक्ष

के बाहर निकल आए और उन्होंने उस यवित्त का अनुकरण किया कि जो कि अपने हाथ में रिवाल्वर लिए पहन ही जा चुका था। फिर उन सबों ने डाकघान की ईमारत को छोड़ दिया और सड़क पर भा गए। जब कि डाकघाने के कमचारी उस घबराहट में घात्रमण व घक्क से मचन हुए तो उन्होंने घात्रमण कारियों का पीछा किया और कमरा उनके साथ कुछ गांव वाले भी सम्मिलित होते गए। घात्रमण कारियों में से एक व्यक्ति मनोरंजन भट्टाचाय पकड़ा जान वाला ही था कि उसने पहले उसका पीछा करने वाला और उसके बाद एक डाकिए के घुरा मारा। इतने पर भी गांव वाला ने पीछा करना नहीं छोड़ा और अंत में उन्होंने सभी घात्रमण कारियों को पकड़ लिया। उनके पास से भी लूट का माल बरामद कर लिया। पांच अभियुक्तों पर विशेष भ्रष्टालत में अभियोग चलाया गया। विशेष भ्रष्टालत में मनोरंजन भट्टाचाय को भारतीय दण्ड संहिता (इंडियन पेनल कोड) की धारा ३०२, ३२६, २६६ तथा शस्त्र अधिनियम की धारा १६ एफ के अन्तर्गत अपराधी पाया गया और उसको प्राण दण्ड की सजा दी गई तथा शेष चारों को सात सात साल का कठोर कारावास दिया गया। मनोरंजन की अपील की सुनवाई ४ जुलाई १९३२ को उच्च न्यायालय की एक विशेष बच के सामने हुई। उसकी अपील अस्वकार कर दी गई और नीचे की अदालत के नियम को पुष्टि कर दी गई। बारीसाल जेल में २२ अगस्त १९३२ को फरीदपुर जाने के इदिलपुर गांव के मनोरंजन भट्टाचाय को फांसी दे दी गई।

### मुक्ति के लिए निराशांघ प्रयास

एक हैड कांस्टेबल ने अथवा कांस्टेबलों के साथ अण्डमन से वापस भेजे गए पच्चीस आजीवन कदियों को ले जा रहे थे। उन कदियों को पञ्जाब जेल को स्थानांतर करने की आज्ञा दी गई थी और वे २३ एप्रिल १९३२ को ६१ अपर्टेन से यात्रा कर रहे थे। जब कि ट्रेन नरवागा और कीद तथा देहली के मध्य जा रही थी तभी यकायक २३ एप्रिल की रात्रि के एक बज कदियों ने कांस्टेबलों पर घात्रमण कर दिया और उन्हें विवश कर दिया। कदियों ने घकुअप ब्रेक जंजीर को लीचकर गाड़ी को रोक लिया और उनमें से दस कदी कांस्टेबलों की चार बंदूकों और कारतूस लेकर भाग गए। भागने वाले कदियों का पञ्जाब सरकार की रेलवे पुलिस पेट्रोल ने जो छि उस गाड़ी से यात्रा कर रहा था सामना किया परन्तु वे कदियों को भागने से रोकने में सफल नहीं हुए। दोनों दलों में जम कर गोली चली। गोलियों के इस आदान प्रदान में हैड कांस्टेबल अमरनाथ को घातक भयंकर चोट आई और एक दूसरा कांस्टेबल भी भयंकर और गम्भीर रूप से जखमी हो गया। कोई भी कर्मी पकड़ा न जा सका।

प्रतिशोध — १६ मार्च, १९३१ को गुप्तचर विभाग के इन्स्पेक्टर सप्तमका भट्टा चाय को अमरेन्द्र नाथ नदी ने गोली मार कर उसको यम लोक पहुँचा दिया।

जो अन्त में चला गया — भखिल चन्द्र बानिका ममनसिंह जिले की सराय बादा डकैती के अभियोग में पकड़ा गया। उस पर अभियोग और उसको पांच घण्टा कठोर कारागार का दण्ड दे दिया गया। जब कि वह अज्ञान दण्ड भुगत रहा था तो ममनसिंह जिला जेल में सात और अठ जून १९३२ के मध्य उसकी मृत्यु हो गई। १५ फरवरी १९३२ को इयानगेल (ममनसिंह) में डकैती डालते समय डाका डालने वाले क्रांतिकारी समूह के वीरेन्द्रकुमार दत्त के शरीर में विरोध करने वालों द्वारा फेंका गया भाला घुस गया। वीरेन्द्र का पेट चिर गया और दूसरे दिन सोलह फरवरी १९३२ को

इयानगिल के अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई ।

श्रृंखला में दूसरी घटना (१९३२-३३)

मिदनापुर जिले के जिलाधीश श्री रोबर्ट डोगलास जो श्री जे पंडी के जिलाधीश नियुक्त हुए अपने जीवन के लिए शक्ति थे । जब वे मिदनापुर जिले के जिलाधीश नियुक्त हुए और काय भार सम्हाला तो उनका मन भावी सकट की आशंका से अक्रांत था । जिस खतरे की आशंका उनको थी वह सही सिद्ध हुआ । उन्होंने ५ अगस्त १९३१ को अपने भाई को लिखा था "सम्बद्ध तथ्य यह हैं कि मेरा जीवन वास्तविक तथा गम्भीर खतरे में है ।" यह आशंका और भय धकारण नहीं था । इसी बीच उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला था । उन्हें सदैव हत्यारे की गोली की आशंका बनी रहती थी इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता और सावधानी बरतते थे । परंतु एक जिलाधीश तथा दण्डनायक होने के नाते उन्हें राजकीय कार्यों तथा जिला बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के नाते अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आना जाना तो पड़ता ही था । ३० एप्रिल १९३२ को डोगलास जिला बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे । वहां जिला बोर्ड के सदस्य बड़े संख्या में उपस्थित थे और सायंकाल ५.३० तक बैठक की वायवाही सुचारु रूप से चल रही थी । जब कामगम (एजेंडा) के नवें पद (आइटम) पर पहुंचे उस समय डोगलास एक मेज के ऊपर बठे हुए जिला बोर्ड के कुछ कांजीवरी पर हस्ताक्षर कर रहे थे । उसी समय दो युवक परिवर्तनीय फाटक से इमारत के वगमदे में आए । और उनमें से एक डोगलास के दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर उनसे केवल चार गज की दूरी पर खड़ा हो गया । बिना तनिक भी समय नष्ट किए सहोने एक के बाद दूसरी तेजी से ६ गोलियां दाग दी । उनमें से तीन गोलियां जिलाधीश के क्रमशः बांह छाती और पेट में लगीं उनको तुरंत हास्पिटल ले जाया गया । खडगपुर से सिविल सर्जन और नर्स तुरन्त भेजी गईं परंतु डोगलास की रात्रि को ६.४५ पर मृत्यु हो गई । डोगलास के चार गोली घुसने के और तीन गोली निकलने के जखम थे और उनकी मृत्यु गोलियां के लगने से निकलने वाले रूधिर तथा मानसिक आघात से हुई । दोनों आक्रमणकारी जिनमें से एक प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य था जिस कमरे में जिला बोर्ड की बैठक हो रही थी उसके उत्तरी दरवाजे से निकल कर मुख्य फाटक की ओर भागे और उन्होंने मान को दोड़ कर पार कर लिया । सब डिबीजनल आफिसर तमलुक ने रिवाल्वर लेकर उनका पीछा किया । इस घातक आक्रमण के होने के पूर्व 'ब्रिटिश उच्छेद' समिति मिदनापुर लगातार समय-समय पर पोस्टर निकालती रही थी । फरवरी १९३२ में एक ऐसा पोस्टर घाने पर चिपका हुआ था । उसका शीर्षक था 'प्राण के बदले प्राण ।' उस पोस्टर की पीठ पर जो कि डोगलास को भेजा गया था लिखा था "डोगलास हम यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी आत्मा से अथवा क्या तुम्हें यह ज्ञात है कि मुनिया तथा अय घानो के अंतर्गत कांग्रेस के स्वयं सेवकों के विरुद्ध पुलिस ने अत्यंत क्रूर दमन चला रखा है और पुलिस भयानक दमन कर रही है । अपना कार्य आरम्भ करने के पूर्व हम यह आवश्यक समझते हैं कि यह स्पष्ट कर लें कि क्या यह यह तुम्हारी आज्ञा से अथवा तुम्हारी जानकारी में हो रहा है । इसके उपरान्त हम प्रतीक्षा करेंगे और देखेंगे कि हम भयंकर दमन को सलोप जनक दमन से रोकने के लिए तुम कोई आज्ञा निकालते हो या नहीं । यदि तुम अभी कोई आज्ञा नहीं निकालते तो हमें विश्व होकर, तुम्हारी पुलिस के विरुद्ध मार्गवाही करनी होगी और तुम्हें यह ध्यान

में रखना चाहिए कि जल्दी या देर से तुमको इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे ।

—हम्नाथर भाई बी पी

जिला बोर्ड के कार्यालय से निकलने के उपरांत दोना आक्रमणकारी थोड़ी दूरी तक साथ भाग और अमर लाज के समीप दो सड़कों के मिलन स्थान पर वे अलग हो गए । उनमें से एक उत्तर पूव की ओर भागा और दूसरा दक्षिण की ओर चला गया । प्रद्योत कुछ मोपड़ियों के समूह में घुम कर सबसे भीतर के कमरे में घुस गया । दो पुलिस के अदालतियों तथा दो अन्य सिपाहियों ने निकलने के रास्ते को रोक लिया । डोगलास के सशस्त्र अदली ने भोपड़ी के दरवाजे के चौकटे में से गोली चलाना आरम्भ किया । उस चौकटे में कोई पत्तिया नहीं थी । प्रद्योत ने देखा कि वह आश्रय स्थान सुरक्षित नहीं है अतएव वह उस मोपड़ी से निकल कर उत्तर की ओर भागा । पीछा करने वालों ने उस पर दो गोलियां चलाई और वह काटेदार भाड़ी में घुस पड़ा और बुरी तरह भूमि पर गिर पड़ा । उसको पीछा करने वालों ने जमीन पर ही दबोच लिया और उसको बहुत मारा गया । उसकी, जभी कि इन परिस्थितियों में तलाशी ली जाती है तलाशी ली गई । उसकी दाहिनी जेब में एक कागज का स्लिप मिला, जिस पर नीचे लिखा हुआ था । 'यह हिजली के नशस और भयानक अत्याचारों के विरुद्ध एक निबल प्रतिवाद है । इन यत्नियों की मृत्यु से ब्रिटन पाठ पढ़े और और हमारे बलिदानों से भारत जाग उठे ।' यह यहाँ बतला देना आवश्यक है कि ७ सितम्बर से २१ सितम्बर १९३१ तक डोगलास ने हिजली गोलीबाज का मामले की जांच की थी जिसमें दो मजदूर बंदी मारे गए थे । एक दूसरे कागज के टुकड़े पर एक पत्र लिखा था 'हमारी प्रारम्भिक गणित' जिसका अर्थ सरकार ने यह लगाया कि प्रतिशोध की श्रुतला में यह प्रथम कायवाही थी । उसके पास से पुलिस ने ६ चम्बर या एक रिवाल्वर छीन लिया जिसमें पांच जीवित कारतूस भरे थे । केवल चम्बर खाती था । बाद को यह पता चला कि प्रद्योत के पास जो रिवाल्वर मिला उसकी गोली से डोगलास की मृत्यु नहीं हुई थी ।

इसके अतिरिक्त दूसरे दिन अमर लाज के माग पर जिस और दूसरा आक्रमणकारी भागा था एक गोली मिली थी । उससे यह निश्चयपूर्वक सिद्ध हो गया कि उसके पास ० ३५० और का रिवाल्वर था और डोगलास की मृत्यु उस पत्तियों की गोली से हुई कि जो साफ बच कर निकल जाने में सफल हो गया । प्रद्योत के साथी का कोई पता नहीं चला । उसको २४० गज तक पीछा करने वालों ने भागते देखा उसने उपरांत वह गायब हो गया और उसका पीछा करने वालों की दृष्टि से भोझल हो गया । २१ मई को उसको गिरफ्तार करने अथवा उसके बारे में ऐसी सूचना देने जिससे कि वह गिर पतार किया जा सके के लिए पांच हजार रुपयों का पारितोषिक घोषित किया गया परन्तु उसके सम्बन्ध में तबिक भी कुछ बात नहीं हो सका । कम से कम अभियोजकों को अपने मतलब की कोई जानकारी उसके सम्बन्ध में प्राप्त नहीं हुई । प्रद्योत के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया उसको भयंकर दारारिक यातना और कष्ट दिए गए कि वह अपने साथी का नाम बतलादे । प्रद्योत ने बहुत अधिक शारीरिक यातना सहने के उपरांत ४ मई को उसका नाम "सिता-गस बोस बतलाया जो कि बाघ करके पर नकली नाम निकला । प्रद्योत ने शारीरिक यातना से छुटकारा पाने के लिए एक फर्जी नाम बतला दिया ।

प्रद्योत पर एक विशेष अदालत के समक्ष अभियोग चलाया गया । विशेष

अदालत ने अभियोग की सुनवाई ८ जून १९३२ से आरम्भ की। १० जून को अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ जो कि धारा १०२ बी के साथ पढ़ी जानी थी और धारा ३०२ जो धारा ३४ के साथ पढ़ी जानी थी के अंतर्गत आरोप लगाए गए। इन धाराओं के अनुसार उस पर हत्या के लिए षडयंत्र करने और हत्या करने के लिए समान इच्छा से क्राय करने के आरोप लगाए गए थे। २२ जून को अभियोग समाप्त हो गया। विशेष अदालत ने मिदनापुर में २५ जून १९३२ को अपना निर्णय दे दिया और अभियुक्त को इस लिखे आदेश पर प्राण दण्ड दे दिया कि "हत्या जानबूझ कर की गई तथा वह निर्मम थी। अभियुक्त ने अपने रिवाल्वर से डोगलास पर निशान लगाया था परन्तु उसके रिवाल्वर की गोली चूक गई अतएव वास्तविक हत्यारे और उसके सहयोगी क दण्ड में कोई अंतर नहीं किया जा सकता जिधने एक रिवाल्वर से गोली चलाई जो चूक गई।" उच्च पायालय में इस निर्णय के विरुद्ध अपील की गई। उच्च पायालय ने १६ अगस्त को अपील सुनना आरम्भ किया और २२ अगस्त को निर्णय दे दिया। उच्च पायालय ने विशेष अदालत के निर्णय की पुष्टि कर दी।

सात अक्टूबर को जब प्रद्योत की माता उससे पहली बार सक्षात्कार करने गई तो वह अत्यंत प्रथम मुद्रा में था और उसने अपनी मा से कहा उसे किसी प्रकार की कोई शिष्यता नहीं है। अंतिम सक्षात्कार ११ जनवरी १९३३ को उसके उन सम्बन्धियों के साथ हुआ जिन्हें सरकार ने उससे मिलने की अनुमति दी थी। मिदनापुर जेल के दर १२ जनवरी १९३३ को प्रातः पाच बजे प्रद्योत को फांसी दे दी गई। प्रद्योत का अन्तिम अभियोग का आरम्भ होने से फांसी के बीच में यथेष्ट बच गया था। इससे पता होता है कि उसका मन कितना प्रफुल्लित था। मातृभूमि की बलिबेदी पर अपना शीश चटाने वाले मृत्यु से भय नहीं खाते।

### दुस्साहस (१९३२)

१७ मई, १९३२ को जिला बोर्ड की सड़क पर जो कि स्टीमर स्टेशन की ओर जानी थी एक डाक हरकारे पर आक्रमण कर तारुणों के एक दल ने उसके डाक के धने को छीन लिया। आक्रमणकारी जबकि सड़क के किनारे की खोल को पार कर रहे थे तो घेतों में काम करते हुए किसानों ने उनको देख लिया। उन किसानों ने उनका तेजी से पीछा किया और वे बचने के लिये भागे। एक पीछा करने वाले के पास तेता (भाले के प्रनुरूप एक अस्त्र) था जिसे उसने ज्योतिमय मित्र के ऊपर फेंक कर मारा जो कि आक्रमणकारियों में से एक था। तेता से ज्योतिमय के पेट में एक गहरा घाव लग गया और वह भूमि पर गिर गया। बाद की जो और सड़ाई हुई उसके परिणाम स्वरूप उसके पेट का अरुम और फट गया और वह खतरनाक हालत में मदारीपुर अस्पताल में ले जाया गया। १८ मई १९३२ को उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार दुस्साहस के कारण एक मृत्युवान जीवन समाप्त हो गया।

### मरुभूमि की वायु में (१९३२)

बंगाल सरकार की ग्रीष्म राजघ नी दार्जिलिंग से एक सदेश मिला जिसे समाचार एजेंसी ने प्रसारित किया। समचार एजेंसी ने ६ जून १९३२ को हममय ङ से प्रसारित किया कि देवली (राजस्थान) के नजरबंदी कैदियों के शिविर में मृणाल कांतोराम चौधरी ने आत्म हत्या कर ली। और भी कई नजरबंदी कैदियों ने अज्ञात भविष्यता से अपनी रक्षा करने के लिए मृणाल कांती घोष का अनुसरण किया।

किसी के जाने उस स्थान से निकल गया। वह वापस लौट कर दूकान में प्रातः काल प्राया स्नान किया और पुनः शरपताल गया मानों वह अपने मित्र को देखने गया हो। लौट कर उसने पुनः दूकान में विश्राम किया।

लगातार कई बार व दूकान चलने की आवाज सुनकर प्रतिधेय एस डी भी दौड़ कर जीने से नीचे आए और उ होने देखा कि उनके प्रतिधि मरे हुए पड़े हैं। पलंग पर चार खाली कारतूम पड़े थे और एक उस नाली में पड़ा था जो कि इमारत के चारों ओर बनी थी। कामाक्षा प्रसाद सेन के एक जूझ ठोड़ी पर था दो घाव छाती की दाहिनी ओर थे और एक पेट में था। जास पास के सभी स्थानों को छान डाला गया परंतु हत्या करने वाले का कोई पता नहीं लगा और न कोई सबूत या चिह्न मिला। जिलाधीश हत्या करने वाले को दूढ़ने के सभी उपाय कर रहा था। उसने पुलिस के आदेश पर पोस्टमॉर्टम को यह निर्देश दिया कि सदैव जनक तारो पर दृष्टि रखे और यदि ऐसा कोई तार आवे तो पुलिस को तुरन्त सूचित कर दे।

सायंकाल २ बजे के लगभग एक व्यक्ति आया उसने एक तार दिया जिसमें निम्न लिखित संदेश था। कामाक्षा का आघात सफल हो गया कोई भी ता की बात नहीं है। वह तार इच्छापुर के धारदा मेडिकल हाल के एक डाक्टर को दिया था। भेजने वाला था सुरेश मोहन चक्रवर्ती ७ पट्टाटेली डाका। पुलिस को तुरन्त सूचना दी गई और वह फौरन पोस्टमॉर्टम पहुंची। तार के साने वाले को रोक लिया गया था और पुलिस ने आते ही उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ वह व्यक्ति लौट कर दूकान में गया और उसने कालीपद को बतला दिया जो वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उसे वे कीतवाली से गए। बाद को पता चला कि कालीपद ने इससे पूर्व भी एक तार इच्छापुरा के उसी व्यक्ति को इस आशय का दिया था।

“मुर्कजी की हठी गम्भीर रूप से टूट गई है आघात सफल हुआ उसको बलवत्ते भेज रहे हैं। भेजने वाला गिद्ध मुर्कजी।” पुलिस की हिरासत में अभियुक्त ने नीचे लिखा वक्तव्य किया। मैंने कामाक्षा प्रसाद सेन का मातृभूमि के काय के लिए उसको गोली मार कर सदर सब डिवीजनल मॉर्टमर के मकान में वध किया है।” “दीवार को फलाग कर मैं प्रातः ३ और ४ के मध्य खिडकी के रास्ते उस कमरे में घुमा जिसमें कामाक्षा प्रसाद सेन सो रहा था। मैं प्रवेला इस हत्या के लिए उत्तर दायी हू। यदि मातृभूमि को प्रेम करना अपराध है तो मैं अवश्य ही अपराधी हू।” २७ तारीख को मैंने सुरेश गंगोली को तार भेजा था क्योंकि बाजार में केवल मात्र वही व्यक्ति था जो निर्मित था और वह सम्भवतः यहाँ से इस हत्या का समाचार प्रकाशित होता तो वह तार का प्रथम समझ जाता।

‘एस डी भी के मकान को किसी ने मुझे नहीं दिखलाया मैंने स्वयं उसे खोजा।’ मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं बतलाऊंगा जिसने मुझे पिस्तौल दिया था, जिसे मैंने नदी में फेंक दिया। मैंने कामाक्षा प्रसाद सेन का वध इस लिए किया क्योंकि उसने असहयोग आंदोलन के सम्बन्ध में घोर भ्रष्टाचार किया था विशेषकर उसने महिलाओं के साथ भ्रष्ट व्यवहार किया था। मैंने यह उचित समझा कि देश की भलाई के लिए उसे समाप्त कर दिया जाव। न तो मुझे यह कहने के लिए सिखाया गया है और न मैं अवश्य यह कह रहा हू। मैं यह अपराधागीकरण इस लिए कर रहा हू कि जिससे पुलिस

निर्दोष व्यक्ति को व्यथ मे तग न करें । १ नवम्बर १९३२ को कालीपद को ढाका के विशेष जज के समक्ष उपस्थित किया गया । जज के समक्ष उसने पुलिस को दिए गए अपने बतव्य को वापस ले लिया जिसमें उसने अपने अतिरिक्त और किसी को भी सम्मिलित नहीं किया था । ४ नवम्बर को उस पर हत्या करने का अपराध लगाया गया और ८ नवम्बर को उसको मृत्यु दण्ड दे दिया गया । ९ दिसम्बर १९३२ को उच्च न्यायालय ने मृत्यु दण्ड को पुष्टि कर दी । १६ फरवरी १९३३ को उस युवक ने अपने परिवेक पूरा बाय का मूल्य चुकाया जब कि उस दिन सुबह तबके उसको ढाका सेट्रल जेल में फांसी दे दी गई । उसके मृत शरीर को पूर्वीय बंगाल ब्राह्मण सभा को उसका अग्नि सत्कार करने के लिए दे दिया गया ।

### अन्न में (१९३२)

२३ अप्रैल १९३२ को रतनसिंह नामक एक बबर अनाली अभियुक्त भटिण्डा के निकट रेल में अपने दस अन्न साधियों के साथ जो पुलिस दल उनको लेकर जा रहा था उस पर आक्रमण कर निकल भागा । हैड कास्टेबिल जो कि पुलिस दल का नायक था और कदिया के चाज में था मारा गया । सरकार ने भागने वाले अभियुक्तों के नेता रतनसिंह की गिरफ्तारी पर तीन हजार रुपए पारितोषिक की घोषणा कर दी । १५ जुलाई १९३२ को होशियारपुर जिले के हडकी गाव में वह एक भापड़ी म मिला । पुलिस ने गाव वाली की सहायता से सायबाल को उस मकान को घेर लिया और दोनों पत्थों में युद्ध आरम्भ हो गया । रतनसिंह ने पुलिस के आक्रमण का जम कर तीन घंटे तक सामना किया । इस युद्ध में तीन पुलिस कास्टेबिला और एक गाव वाले को रतनसिंह ने मार दिया । अन्त में पुलिस की गोली से रतनसिंह घातक रूप से घायल हो गया और वह जीवित रहते गिरफ्तार होने से बच गया । आत्म समर्पण करने की अपेक्षा मृत्यु उसके लिए अधिक सम्मानजनक थी ।

### जातीय घृणा (१९३२)

२२ वष का एक मुसलमान युवक लेडी रीडिंग हास्पिटल पेशावर में अदली था । उसको १९३२ में घटना देने के अपराध में छोड़े दिनों की सजा हो चुकी थी । जबकि २२ जुलाई १९३२ को डब्लू जे कोल्डस्ट्रीम अस्पताल के सिविल सजन अपने कार्यालय से बाहर निकल कर आपरेशन रूम की ओर जा रहे थे, आक्रमणकारी अब्दुल रशीद ने उन पर एक छुरे से आक्रमण कर लिया और घनकी गदन के दाहिनी ओर गहरा घाव कर दिया । कोल्डस्ट्रीम अब्दुल रशीद से भिड गया और उसको हाथ से पकड़ लिया । परंतु अब्दुल रशीद ने अपने को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और बच कर निकल भागने के उद्देश्य से हास्पिटल के मुख्य पाटक की ओर भागा । कोल्डस्ट्रीम कुछ दूरी तक उसके पीछे भागा परंतु लड़खड़ा कर पृथ्वी पर गिर गया । कुछ ही देर के उपरांत अत्याधिक खून बह जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । जांच से पता हुआ कि इस घटना के पूर्व आक्रमणकारी का नवजवान भारत सभा के दो कार्यकर्ता सदस्या से सम्बन्ध था जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । परंतु उनके विरुद्ध इस पक्षपात में सम्मिलित होने का कोई सतोषजनक प्रमाण नहीं मिला अस्तु उनको छोड़ दिया गया । अब्दुल रशीद का सेसन जज की अदालत में २६ जुलाई को अभियोग आरम्भ हुआ और २८ जुलाई १९३२ को उसको मृत्यु दण्ड दे दिया गया । उसको पेशावर की जेल में १ अक्टूबर को फांसी दे दी गई ।



### चतुराई का कार्य (१९३२)

२६ जुलाई १९३२ को जय फोमिला के अतिरिक्त पुलिस सुपरिटेण्डेंट ई बी ऐलीसन अपनी सार्जेंटल पर कार्यालय से मध्याह्न के उपरांत अपने बगले की ओर वापस सौट रहे थे तो उन्हें एक पटाखे छूटने की आवाज अपनी साइबिल के बहुत ही समीप सुनाई दी। जैसे ही वह उठोने मुड़ कर देखने का प्रयत्न किया कि क्या हुआ, पीछे से एक युवक ने उनकी बाह पीठ और पेट में गोली मारी। ऐलीसन साइबिल से उतर पड़े और यद्यपि वे दम्भीर रूप से घायल हो चुके थे परंतु फिर भी उन्होंने आक्रमणकारी युवक पर गोली चलाई परंतु युवक बच कर निकल गया। घायल ऐलीसन एक सप्ताह तक अग्रज जीवन के लिए सधय करता रहा। उसको चिकित्सा के लिए दावा से जाया गया परंतु उसके जीवन की रक्षा करने के सभी प्रयत्न विफल हुए और उसकी ५ अगस्त १९३२ को मृत्यु हो गई।

### भयकर विपत्ति (१९३२)

बंगाल में क्रांतिकारी कायवाहियों के तेज होने के साथ साथ योरोपियन ऐनोसियेशन, सरकार के मक्त भारतीय, तथा गर भारतीय दोनों सामंत वर्ग के लोग सभी चिल्लाने लगे कि इस सशस्त्र राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए बलक तथा टैन उपाय तथा कठोर दमन करने की नितान्त आवश्यकता है। अधिकारी लोग इस भाग को स्वीकार करने के लिए पहले से ही तयार थे, उन कतिपय चाटुकारों की बीछलाहट को उन्होंने जनता के सच्चे जनमत की सज्ञा दी और कहा कि यह बंगाल भर का जनमत है।

'स्टेट्समन' जिसकी ग्राहक संख्या बहुत अधिक थी और उस समय की सरकार पर जिसका असीम प्रभाव था (भाज तक भी उसका सरकार पर प्रभाव है) वह उस समय बंगाल तथा दश के अन्य भागों के क्रांति विरोधी संगठनों का मुखपत्र बना हुआ था। इस क्रांतिकारी विरोधी प्रचार को रोकने के लिए तथा अन्य समाचार पत्रों के सामने जो कि सरकार को दमन के लिए कठोर कदम उठाने की सलाह दे रहे थे के सामने एक उदाहरण उपस्थित करने के लिए स्टेट्समन के सम्पादक वाट्सन पर आक्रमण करने का निश्चय किया गया। ५ अगस्त १९३२ को एलफ्रेड वाट्सन लगभग ३ बजे मध्याह्नोपरांत दोपहर का भोजन कर कार्यालय के लिए सौट रहे थे उस समय एक बंगाली युवक अतुल कुमार सेन—जिस कि बाद को उसका नाम पात हुआ, ने फाटक पर मोटर कार की धीमी गति का लाभ उठाकर यकायक दौड़ कर आगे बढ़कर अपना हाथ सामने की खिडकी से कार में घुसेड दिया और एक गोली दाग दी। गोली वाट्सन की कनपटी की छीलनी निकल गई और कार के पीछे के शीशे को उसने तोड़ दिया।

आक्रमणकारी के हाथ से खिवावर छूट गया वनाकि उसको भान हो गया था कि उसका प्रयत्न विफल हो गया। उसको फाटक पर के दरवान ने दबोच लिया जिसकी सहायता के लिए गोरी बनने की आवाज सुनकर उसी समय एक कास्टेबिल भी वहां पहुंच गया था। वाट्सन अपनी कार से उतर पड़े और उठोने गिरपठार किए गए युवक को कम्पाऊड के म दर ले चलने का आदेश दिया। अतुल ने अरों को कद करने वालों के कड़े बदन से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए घोर प्रयत्न किया और एक क्षण के लिए वह अपने हाथ को छुड़ाकर अपने मुंह में कुछ रखने में सफल हो गया। इससे पहले कि अतुल को स्टेट्समन के कार्यालय में ले जाया जा सकता कि उसको बचकर

सा प्राया परंतु उसको दोनों व्यक्ति मजबूती से पकड़े हुए थे इस कारण वह गिर तो नहीं सका परन्तु सना गूँथ हो गया। जब तक कि उस युवक को अस्पताल ले जाया गया उसकी मांग में ही मृत्यु हो गई। वह खुलना जिले के सेनहाटी नामक स्थान का रहने वाला था और उस समय कलकत्ते के नरकेल बागानलेन के दस नम्बर में ठहरा हुआ था। अनुल जिस दल का सदस्य था वह दृढ़ निश्चयी प्रतीत होता था क्योंकि २८ सितम्बर १९३२ को पुन वाटसन को मारने का प्रयत्न किया गया। दिन भर के कठिन परिश्रम के उपरान्त वाटसन अपनी महिला सफ्रेटरी के साथ कार में लगभग ६३० बजे सायंकाल कार्यालय से चला। वाटसन की कार आकूरलोनी रोड, इडन गाडन रोड, स्ट्रड रोड होड़ी हुई नेपियर रोड पहुँची। मदान पर हेस्टिंग्स के समीप क्वाइड रोड के मिलन स्थान पर एक खुली हुई टुअरिंग कार जिसका हुड नीचे गिरा हुआ था और जिसकी पीछे की छोट पर तीन व्यक्ति बठे थे और एक व्यक्ति उसकी चला रहा था उसके पीछे आई। उस मोटर में बैठे हुए व्यक्तियाँ न एक के बाद दूसरी तेजी से वाटसन की कार की दाहिनी खिडकी से तीन गोलियाँ चलाई। दो गोलियाँ वाटसन के कंधे में लगी। वाटसन ने ड्राइवर से गाड़ी को तेजी से चलाने के लिए आदेश दिया परन्तु एक घंटा गाड़ी ने अपना माग रोक रक्खा था।

जैसे ही कि सड़क साफ हो गई और मोड़ छूट गई वाटसन की गाड़ी क्वाइड रोड के किनारे मुड़ी और कठिनार्द से बीस गज प्राण हो गी कि आक्रमणकारियों की मोटर कार तेजी से आई और वाटसन की मोटर से भीड़ गई। दोना मोटर गाडिया एक दूसरे से गुथ गई थीं और वाटसन की गाडी पर गोलियों की वर्षा हो रही थी। दो आक्रमणकारी जो कि वाटसन की ओर भुके हुए थे जिससे कि वे ठीक निगाना लगा सकें, उस पर गोलियाँ चला रहे थे। एक पुलिस सर्जेंट जो कि समीप ही ड्यूटी पर था गोली चपने की आवाज सुनकर दौड कर वाटसन को बचाने के लिए धाया और आक्रमणकारियों पर अपने रिवाल्वर से उसने फायर किया। आक्रमणकारी अब समझ गए कि खस समाप्त हो गया परंतु उन्होंने अपनी मोटर को चलट्टा कर लिया और मयानक तेज गति से दक्षिण की ओर भागे। सेंट ज्याज गेट रोड और लोमर सभ्यूलर रोड से निकल कर उन्होंने जीवत पुत्र को पार कर अत म शाहपुर पहुँचे। मोटर में सामने कोई रोगनी नहीं थी और उसका विद्युति संचालित होन (ध्वनि) बिना रुके बज रहा था। उसन एक ट्रफिक के वा सटविन के रुकने के संकेत की उपेगा की और उसकी गिरा दिया। सर्जेंट न कार का कुछ दूरी तक वाटसन की गाडी में पीछा किया किन्तु वह गाडी अचकार म घटदय हो गई। वाटसन और उनकी महिला सचिव दोनो को हास्पिटल ले जाया गया वहा जाकर पात हुआ कि उनके जहन साधारण हैं गम्भीर नहीं हैं।

इसके उपरान्त आक्रमणकारियों की कार लगभग सात बजे सायंकाल मजेहाट के समीप निपलाई दी। जब कार "बडा निवटोना पहुँची तो वहां दो बैलगाडियाँ और एक घोडा गाडी के कारण भाग भयरूद्ध था। बिना तनिक भी देगी किए निकल जाने की छीप्रता म कार एक सम्प के सम्भे से टकरा गई और गम्भीर रूप से दातप्रस्थ हो गई। आक्रमणकारी उस मोटर को छाडकर भागे। उस छोडी हुई गाडी में ६ सितम्बर वाला रिवाल्वर पाँच जीवित और ४ ताली कारतूम मिल। रिवाल्वर पूरी तरह चार कारतूमों से भरा था। चारों आदमो पूर्व में रायवहादुर रोड की ओर भागे। उनमें से

एक दक्षिण की ओर बचकर निरुल भागा और शेष तीनों दौड़ते ही चले गए और वे एक बड़ी चावल की मिल के पास पहुँचे जहाँ वे पकड़ लिए गए। दो आक्रमणकारी जिन्हें बाद को पहचाना गया कि वे मनीलाहरी और अनिल बहादुरी थे सड़क पर मर कर गिर पड़े और तीसरा व्यक्ति एक टकमी में निरुल भागा। उस वक़्त के सम्बन्ध में कई व्यक्ति गिरफ्तार हुए और अभियोग चला। उनमें से कुछ को आजीवन कालापानी हुआ और थोड़े को लम्बे समय का कारावास हुआ।

२६ अगस्त १९३० की बारीसाल के एक प्रत्यन्त रण क्रांतिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया वह कई जेलों में रखा गया अंत में उसे भोवाली सैन्योत्तरियम (उत्तर प्रदेश अलमोड़ा जिले में क्षयरोग का अस्पताल) भेजा गया जहाँ उसकी १७ अगस्त १९३२ को मृत्यु हो गई।

### एक विस्फोट (१९३२)

वह उनमें से एक था जिन्होंने खतनाक वस्तुओं की बिना उनको काम में लाने के ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया और अपने जीवन का बलिदान कर दिया। सुगन्धू शेखर नन्दी की २४ अक्टोबर १९३२ को बम विस्फोट से लगने वाले जख्मों के कारण मृत्यु हो गई। उसके अतिरिक्त उस विस्फोट के कारण तीन युवक गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।

### व्यथ की सुरक्षा (१९३२-३४)

सरकार ने उसके बचाव का पूरा प्रबंध कर दिया था। उसको ९४ घंटे के लिए पुरेदार तथा अगस्त्य और रिवाल्वर दे दिया गया था। यह सब अपने क्रांतिकारी मित्रों के विरुद्ध भेदी साक्षी (एप्रूवर) की महत्वपूर्ण सेवाओं के उपलक्ष्य में किया गया था। उसने कई राजनीतिक अभियोगों में अपने मित्रों और सहयोगियों के विरुद्ध साक्षी देकर कई को फाँसी और मनेको को लम्बे समय के लिए कारावास का दण्ड दिलवाया था। अगस्त्य राठोर और सुब्रह्मण्य के विरुद्ध लाहौर घडयंत्र अभियोग में मौलनिया डकती अभियोग तथा पटना घडयंत्र अभियोग में फणी घोष अभियोजक साक्षी के रूप में अत्यंत महत्व का साक्षी था जिसका पुलिस ने खूब ही उपयोग किया वह 'हि दुस्तान रिपब्लिकन पार्टी' का सदस्य था और वह उस क्रांतिकारी दल के रहस्यों और भेदों को जानता था जिसका पुलिस अभियोजकों ने इन अभियोगों में क्रांतिकारियों के विरुद्ध पूरी तरह उपयोग किया। फणी को सरकार ने अपने निजी यापार करने के लिए यथेष्ट धन भी दिया जिससे उसने बेतिया में एक दुकान खोली जहाँ कि पुलिस पहरेदार निरंतर उसकी सुरक्षा के लिए पहरा देता था। घटना वाले दिन ६ नवम्बर १९३२ को सायनाल सात बजे वह एक समीप की दुकान के सामने बठा था और अपने मित्र गणेश प्रसाद गुप्त से बात कर रहा था। उसी समय पीछे से आक्रमणकारी ने मुजाली से उसके सिर पर प्रहार किया। गणेश ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो एक दूसरे व्यक्ति ने जो पहले की भाँति अस्त्र से सज्जित था, गणेश के सिर पर भी प्रहार कर दिया। चोट खाकर भी गणेश चुप नहीं हुआ इस पर आक्रमणकारी ने उसके सिर पर दो प्रहार और किए फिर भी गणेश ने दोनों आक्रमणकारियों का दक्षिण दिशा में कुछ दूरी तक पीछा किया। थोड़े से समय दुकानदार भी उनका पीछा करने में सम्मिलित हो गए।

म्यूनिसिपल सड़क पर सम्प के लम्बे से टिकी हुई दो साइडिलें रखी थीं।

स्पष्ट था कि आक्रमण कारियों ने उस घटना के पूर्व उह वहा रक्खा था। वे दोनों साइकिलों की घोर दौड़े पर तु उहोंने देखा कि पीछा करने वाले बहुत ही समीप आ गए हैं। एक आक्रमणकारी भागन वाले ने अपने साथी से कुछ कहा जो कि उससे भाग या घोर दौ में से एक साइकिल पर सवार होन ही वाला था। इस पर दोनों ही साइकिलों की दिशा से मुड़े और दक्षिण की ओर दौड़ते हुए अचकार म लुप्त हो गए। दोनों घायल व्यक्तियों को तुरत ही अस्पताल मे ले जाया गया जहा फणी का १७ नवम्बर को और गणेश का २० नवम्बर १९३२ को देहांत हो गया। अनेक बार समय समय पर फणी की 'उसके कुहत्यों के अग्रकर परिणाम हूंगे' ऐसी घमकिया मिल चुकी थीं। एक लम्बे समय के लिए बारावास भुगतने वाले कदी द्वारा हजारी बाग जेल से एक पत्र गुप्त रूप से उसके पास भेजा गया जिसमें लिखा था कि उसका जीवन समुप स्थित खतरे म हैं।

घटना के लगभग पाच दिन बाद दो पोस्टर जो हि दी म साल रोशनार्ई से लिख गए थे १४ नवम्बर को समस्तीपुर म्यूनिसिपलटी (नगर पालिका) के कार्यालय की इमारत पर चिपके पाए गए। उनकी श दावली भिन्न थी उनमें लिखा था "क्रान्ति दीघत्रीवी हो-भगतसिंह राजगुरु आर सुखदेव को फासी पर लटकाने का प्रतिशोध। मैंने दल प्रखिल भारतीय रिपब्लिकन एसोसियसन की अनुमति स विद्वासघाती दशद्रोही को दण्डित किया है। क्रान्ति ही स्वतंत्रता प्राप्ति का सच्चा भाग है शान्त चित्त से उसका स्वागत करो। स्वतंत्रता के माम म विध्वंस एक खतरनाक ध्येय है। आत्मिक बल के द्वारा भाग बड़े चलो।" एक साइकिल के लगेज करियर पर जिसे आक्रमणकारी छोड़ गए थे एक कपडो का बडल था जिसे पुलिस को दे दिया गया था। उस बडल में एक खजर कुछ स बुन तेल आदि और एक घोठी थी जिस पर घोठी का विशेष चिह्न प्रकृत था। पुलिस द्वारा गहरी छान बीन करने पर पात हुआ कि घोठी दरभंगा मेडिकल स्कूल क छात्रावास के एक छात्र की थी जहां ४ और ५ नवम्बर को बँकुठ और उनका साथी ठहरा था।

अभियुक्ता के नाम बकुठ शुक्ल और दूसरे का नाम मडिनल स्कूल के एक छात्र से पुलिस को पात हुए। पुलिस को इस बात की पूव सूचना थी कि बँकुठ हाजीपुर गांधी आश्रम म काम करता है और उसका प्रशिक्षण हि दुस्तान सेवा दल मुजफ्फरपुर मे हुआ है। वह फाणो की तरह हि दुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य था। १९ अक्टोबर १९३२ को अर्थात् भेदी साक्षी फाणी पर आक्रमण करने से तीन सप्ताह पूव वह अपने पतन गृह जलालपुर गया जो मुजफ्फरपुर जिले में लालगंज थाने मे था। वह बहुधा अपने साथ एक बडल रखता था और जब वह एक समीपवर्ती तालाब में स्नान करने गया तो उस बडल की एक धानेपार ने तलाशी ली जो वहा सदेह पर आया था। उसको बडल म एक रिवाल्वर छिपा हुआ मिला। उस समय से बकुठ भूमिगत हो गया और क्योंकि उसका ठौर ठिकाने का कोई पता नही था अतएव उसको सद्घोषित अपरधी घोषित कर दिया गया। उसकी सम्पत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया परन्तु उसका कोई परिणाम नही निकला। हत्या की घटना के उपरांत नियमित रूप से पुलिस उसको पकडने के लिए जुट गई। ६ जुलाई १९३३ तक वह गिरफ्तार होने से बचना रहा। ६ जुलाई १९३३ को जब वह सोनेपुर के गडक नदी के पुल को पार कर रहा था तो पुलिस ने उसको देखा। उसके कुर्ते में छाती के भाई और की जेब मे मारियल का

जीवित बम या पुलिस से बगुंठा की बड़ी मिडत हुई और यह अपनी छोटी और से भूमि पर गिर पड़ा और उसके छोटी और गम्भीर छोट लग गई । जब उसको पकड़ा गया तो उसने चिल्ला कर 'जिन्नाबाद' भगतसिंह की जय' का उद्घोष किया । बगुंठा को छारा जेल में अभियोग की सुनवाई तक के लिए बंद कर दिया गया ।

पुलिस की दृष्टि में बगुंठा उत्तरनाथ धारापी या और सेशन की सुली प्रदालत में उसका अभियोग सुना जाना उत्तरी अभिरक्षा के लिए अपर्याप्त समझा गया । बिहार छोटा के राजपत्र (गजट) के अधाधारण भ्रम में २४ नवम्बर को घोषणा की गई कि सेशन की प्रदालत मोतीहारी जेल के अंदर बडेगी । सेशन की प्रदालत में ४ दिसम्बर १९३३ को अभियोग आरम्भ हुआ । २३ फरवरी १९३४ को फसला सुना दिया गया और अभियुक्त को भगतसिंह तथा अन्यो की मृत्यु का प्रतिशोध देने के लिए फाँसी बिसाक्षी की हत्या करने के अपराध में बगुंठा को प्राण दण्ड दे दिया गया । ६ मार्च १९३४ को पटना उच्च न्यायलय में सेशन के फगले के विरुद्ध अपील की गई जो १८ एप्रिल १९३४ को अस्वीकार कर दी गई । वह देश की स्वतंत्रता का धोर मोटा १४ मई १९३४ को गया सेट्रल जेल में प्रात काल बहुत तडके फाँसी के तहते पर प्रसन्नता पूर्वक खड़ा हो गया और उसको फाँसी दे दी गई ।

### अल्पकाल की स्वतंत्रता (१९३२)

दीनाजपुर के सयालो के एक समूह ने ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का विचार किया । अपने दो प्रमुख नेताओं जीतू छोटका' और सामू जिनमें से एक को गांधी के नाम से पुकारा जाता था-के नेतृत्व में कुछ सौ बलिष्ठ सयालो ने अदिना मस्जिद में अपनी डरा जमाया आर स्थानाय राज्य अधिका रियों की भ्रवणा कर दिसम्बर १९३२ को अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करदी । वह सूचना पाकर जिलाधीश, पुलिस सुपरिटेण्डेंट और एक बड़ा सशस्त्र पुलिस दल घीघ्रता पूर्वक इस चुनौती का सामना करने के लिए १४ दिसम्बर १९३२ को वहां पहुंचा । कुछ समय तक वहां भयकर युद्ध हुआ । सयालो ने अपने परम्परागत अस्त्रों तीर कमान का उपयोग किया । उन्होंने अपने हीरो से एक का सटबिल को मार गिराया और बहुतेको घायल कर दिया । पुलिस ने अघाघुत्र गोली वर्षा की और घटना स्थल पर ही चार सयाली वीर घराशायी हो गए । १८ दिसम्बर १९३२ को एक सयाली वीर की अस्पताल में गोली से फेफड़े के छिद जाने से मृत्यु हो गई । एक दूसरे सयाल के छाती में गोली लगी और उसका फेफड़ा भी छिन्न गया । उसके इतना अधिक रुधिर बहा कि वह रुका ही नहीं और उसकी किसी भी क्षण मृत्यु होन की भासका हो गई ।

### मृत्यु से खिलवाड़ (१९३३)

हैदराबाद के पुलिस सब इन्स्पेक्टर की मृत्यु के लिए उत्तरनाथी सज्जनसिंह के साथी जगूराम जो कि नानकाना बम केंद्र का अभियुक्त था, फरार हो गया । मृत्यु उसके पीछे ठंड रही थी । २८ जनवरी १९३३ को जगूराम लाहौर आया और रणजीत सिंह की समाधि पर आकर ठहरा । एक फरवरी १९३३ को दस बजे प्रात काल के लगभग एक भयकर विस्फोट से वह स्थान हिल उठा । उस समाधि का पुजारी उस भयकर धडाके का कारण जानने के लिए भागकर वहां प्रीया । जगू उस कमरे से लड़ खड़ाता बाहर निकला उसके समस्त शरीर से रुधिर बह रहा था । वह एक बच पर बैठ गया । दयावान पुजारी ने उसको खड़ा होने को कहा जिससे कि वह उसकी छोटी की

परीक्षा कर सके। जगू उसके बड़े अनुहार जैसे ही खड़ा हुआ। उसी क्षण वह पृथ्वी पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई।

### स्थान का परिवर्तन (१९३३)

चन्दननगर जहाँ २ सितम्बर १९३० को एक फरार क्रांतिकारी की जीवन लीला समाप्त हुई वहाँ उसका एक पुलिस कमिश्नर भी मिदनापुर जेल से भागे हुए शान्तिनारी की गोली से मारा गया। फरवरी १९३३ के अज्ञ में आधे दर्जन युवक चन्दननगर आए और बाजार के समीप 'केंद्रघाट गली' में उन्होंने एक पुराना और टूटा फूला मकान किराए पर लिया। वे दिन में बहुत कम मकान के बाहर जाते थे और जो कुछ भी वे करते थे वह रात्रि के उस समय किया करते थे जबकि सड़को पर सूनसान होती कोई चलता फिरता नहीं था। कालांतर में यह खबर पुलिस के प्रधान कार्यालय तक पहुँची। ६ मार्च १९३३ को सायंकाल ५ बजे पुलिस कमिश्नर एम विवन एक पुलिस दल के साथ उस मकान की तलाशी लेने के लिए पहुँचा। जैसे ही विवन मकान के पास पहुँचा एक व्यक्ति जो मकान के सामने बैठा था वह अन्दर की ओर अपने सावियों को सचेत करने के लिए दौड़ा। एक मिनट के अन्दर ही तीन युवक जो धोती और कोट पहने थे बच कर निकल जाने के लिए तेजी से दौड़ते हुए बाहर निकले। उनमें से एक सड़क के किनारे खड़ी एक झाड़ी से टकरा कर गिर गया और तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु शेष दो बड़ी तेजी से भागे और छात्रों से ओझल हो गए। एक अरुण बंगाली जो सामने अर्थात् विरोधी दिशा से आ रहा था। उसने एक भागने वाले युवक को पकड़ने का प्रयत्न किया। उसको उस युवक ने गोली मार दी और वह गिर पड़ा उसके घाव से बहुत अधिक रुधिर बह रहा था।

विवन जिस स ईकिल पर तलाशी के लिए वहाँ आया था उसी साईकिल पर सवार होकर उसी दिशा में चला जिस ओर उन युवकों के भाग कर जाने की अधिक सम्भावना थी। जबकि वह साईकिल पर सवार होकर जा रहा था तो उसने देखा कि दो पत्तल चलने वाले राहगीर आठ टुक रोड की ओर जा रहे हैं। वह उन्हें पार कर भागे निकल गया। दस गज भागे जाकर वह साईकिल से उतर पड़ा। वह उन दोनों से पूछ कर यह जानना चाहता था कि वे कौन हैं। जबकि वह उनके बहुत समीप आ गया तो उनमें से एक पदल राहगीर ने रियाल्वर निकाल लिया और बहुत नजदीक से पुलिस कमिश्नर पर गोली चला दी। पुलिस कमिश्नर की छाती छर और चेहरा खरबी हो गया। एक वास्टेबिल जो पुलिस कमिश्नर की सहायता के लिए आया उसको भी गोली मार दी गई। विवन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत शरीर को वायुयान से ब्रि में दफनाने के लिए फ्रांस ले जाया गया। जिस युवक को गिरफ्तार किया गया वह बाद में पहचाना गया। यह घाटसन पर आश्रमण कर उसका बच करने वाला था। यह पता लगा कि उन दो युवकों में से एक दिनेशचन्द्र मजूमदार था जो सात और ८ फरवरी १९३२ की मध्य रात्रि को मिदनापुर जेल से निकल भागा था। दिनेशचन्द्र चन्दननगर से किसी प्रकार बच कर निकल गया और उसने अपने मित्र के पास ३३६/३ बी कानवालिज रोड में आश्रय लिया। खोजियों द्वारा सूचना दिये जाने पर २२ मई १९३३ को अधिकारियों सहित एक बहुत बड़ा पुलिस दल जो छात्रों से भली भाँति सज्जित था प्रातः काल ४ बजे ११४-ए कानवालिज स्ट्रीट, कलकत्ता पहुँचा। सभी निहटवर्ती मकानों अर्थात् ११४

३-ए, १३६/३-बी और १३६/४-बी को पुलिस के दस्तों ने घेर लिया। एक पुलिस दल १३६/३ बी की छत पर चढ़ा और एक दूसरा पुलिस दल १३६/४ ए की छत पर चढ़ गया। पहले मकान की छत पर पहुंच कर उन्होंने उस कमरे के दरवाजे को खट खटाया जिसमें स दोहस्रद व्यक्तिओं के होन को पुलिस को खबर मिली थी। एक सब इंस्पेक्टर दरवाजे के पास वाली खिड़की के पास गया। तत्काल खिड़की खुली और कमरे के आंदर से एक गाली चली जो यानगर के कंधे में घुस गई।

उसके उपरान्त दोनों और से गोशिया चलने लगी। स्थिति यह थी कि पुलिस कमरे में तिरछे होकर बोल से गोली चला रही थी। स्वयं वे दीवाल से सटे हुए थे जिससे कि कमरे से आने वाली गोलियों से बच सकें। गोलियों के चलने के कारण जो गडबड उत्पन्न हो गई उसमें एक क्रांतिकारी एफ पतले लकड़ी के खम्भे पर चढ़कर जो कि बरामदे को सहारा दे रहा था वही कुशलता से निकट के मकान की छत पर चढ़ गया पर तु क्योंकि समीपवर्ती मकानों की भी पुलिस घेरे हुए थी वह तुरंत गिरपतार कर लिया गया। कमरे में जो क्रांतिकारी व \* थे उनसे बार बार आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया। परंतु अंदर से उनका कोई उत्तर नहीं मिला। अवश्य ही कभी कभी अंदर से गोली चलती और सनसनाती हुई आश्चर्यकारी पुलिस दल के आदमियों के सिरों के पास से निकल जाती। जैसे ही प्रातः काल की सूचना पडी बमर में छिपे हुए लोगो ने चिल्लाकर आत्म समर्पण करने के लिए कहा और उसकी गारंटी स्वरूप उन्होंने उस खिड़की के नीचे आने रिवाजवर रख दिए जिससे कि वे गोली चला रहे थे। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोल दिया और प्रतिपूर्वक गिरपतार हो गए। दिनेशचंद्र मजूमदार और उसके साविया का अभियोग अलीपुर में ५ अक्टूबर १९३३ को आरम्भ हुआ। १० अक्टूबर १९३३ को दिनेशचंद्र मजूमदार को प्राण दंड दे दिया गया। दिनेशचंद्र पर आरोप यह था कि ऐसे कदी के सहयोग से जो आजीवन कारवांस की सजा भुगत रहा था और जल से निकल भागा था की सहायता से उसने एक पुलिस आफिसर को हत्या करने का प्रयत्न किया। जज की दृष्टि में ऐसी कोई बंध्य परिस्थिति नहीं थी जिससे दंड की कठोरता को कम करने की सुझाव हो। जज के फवले के विरुद्ध उच्च न्यायलय की अपील की गई जो १५ जनवरी, १९३४ को अस्वीकार कर दी गई। दिनेशचंद्र को जून, १९३४ को अंधरात्रि के समय अलीपुर से टून जेल में फंसी दे दी गई।

### अविवेक पूण काय (१९३३-३४)

१३ मार्च १९३३ को मायकाल रात्रि बजे हरीगज के इगखोना डाकखाने से पन्द्रह रात्रि करकारा डाक के थन की थने को रेलवे स्टेशन ले जा रहा था। जबकि वह स्वामीय बोड आफिम से कुछ दूर ही गया होगा एक व्यक्ति अपने हाथ में एक बोटल लिए हुए प्रकट हुआ। एक मिनट के उपरान्त एक दूसरा व्यक्ति उत्तर की ओर से आया और डाक हरकारे के पीछे पीछे जाकर उसने उस पर आक्रमण कर दिया। डाक हरकारा पृथ्वी पर गिर पडा उस समय उन्होंने उसको लोहे की छड़ों से पीटा। चार व्यक्ति जो कुछ दूरी पर प्रतीक्षा कर रहे थे पूव की ओर से आए। टोन थले को उठाया और भाग गए। वे बहुत दूर नहीं गए थे कि उस बांड को देखन वाली के क्षोर मचाने से बहुत से लोग घटना स्थल पर एकत्रित हो गए और उन्होंने भागने वाला का लेजी से पीछा किया। जब कि भगने वाले लगभग पकड़े जाने वाले थे कि उनमें से एक ने गोली

चलाई जिससे कि एक रेल का कमचारी मर गया। इस पर गांव वालों ने और भी अधिक हड़ता और तेजी के साथ उनका पीछा करना जारी रखा और अन्त में रेलवे का बाहरी सिगनल (जो दूर होता है) पर उन ६ व्यक्तियों को पकड़ लिया। विरपतार व्यक्तियों में एक व्यक्ति 'सिलहट' का था—शेप सभी 'तिपरा' के थे।

उन सभी पर २२ जुलाई १९३३ को अभियोग चलाया गया जिसमें अधिक भद्राचाय को प्राण दण्ड और अन्य सभी को आजीवन कारावास तथा काले पानी का दंड दिया गया। उच्च न्यायालय ने २४ जुलाई १९३३ को नीचे की अदालत से दिए हुए दंड को पुष्टि कर दी। अभियुक्तों की अल्प आयु—उनकी आयु केवल उन्नीस वर्ष की थी—के आधार पर दण्ड की कठोरता को कम करने के तर्क पर उच्च न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। मा की दया की याचना को भी आसाम के गवर्नर ने २६ जून १९३४ को अस्वीकार कर दिया। २ जुलाई १९३४ को सिलहट जेल में मारी पुलिस के प्रयत्न में जिससे जनता प्रदर्शन न कर सके उन्नीस वर्ष के गालक को फांसी दे दी गई। 'अशित' के सम्बंधियों को यह प्रायश्चित्त भी अस्वीकार कर दी गई कि अशित के मृत शरीर को उन्हें दाह संस्कार के लिए दे दिया जाय।

### कूच पर एक बटालियन (१९३३)

जेलों तथा कभी शिविरों में साधारण बंदि्यों से अधिक अच्छे व्यवहार के लिए दंड निश्चयी अभियोगाधीन राजनीतिक बंदि्यों के समूहों को समय समय पर नियमित युद्ध और सवष करना पड़ता था जिसके परिणाम बहुधा सवनाशी होते थे। जब सव प्रथम अडमन में राजनीतिक अपराधी और कैदी आए तब से समय समय पर उनमें और अधिकारियों में कठोर सवष होता रहता था। साधारण सुविधाओं और सहूलियतों के लिए भी उन राजनीतिक बंदि्यों को अकालीन बंष्ट उठाने पड़ते थे और कभी कभी उन बंष्टों के परिणाम स्वरूप उनको मृत्यु का आलिङ्गन करना पड़ता था। इस शताब्दी के तीसरे दशक में समस्त भारत में और विशेषकर पंजाब और बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में राजनीतिक बंष्टी अडमन आए। राजनीतिक बंदि्यों और अधिकारियों में उन छोटी बंष्टियों के लिए सवष आरम्भ हो गया जिन्हें राजनीतिक बंष्टी उन कोठरियों में क्षीणता तक उनमें रहने और अस्वस्थ कर वातावरण की दृष्टि से अनिवाय और आवश्यक समझते थे। व्यक्तिगत दृष्टि से भी वे उन सुविधाओं को आवश्यक समझते थे। इस सवष में बंदि्या के पास केवल मात्र एक ही अस्त्र था कि वे भूख हड़ताल करें और अपने शरीर को भयंकर बंष्ट दें। १२ मई १९३३ को कुछ बंदि्यों ने उस समय तक भोजन या प्राय किसी प्रकार के पोष्टिक पदार्थ लेना अस्वीकार कर दिया जब तक कि उनकी आपत्तियां नहीं मिटाई जाती।

उन बंष्टियों में एक महावीर सिंह था जो अनेक लाहौर पढ्यत्र अभियोग में से एक में दण्डित हुआ था। १२ मई से भूख हड़ताल आरम्भ करके १६ मई तक वह बिल्कुल ठीक ठक था यद्यपि वह कुछ निबल अवश्य हो गया था। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सजन) ने १७ मई को उसको देखा और उसने कृत्रिम रूप से भोजन देना—उसके जीवन की रक्षा के लिए आवश्यक बतलाया। उसी दिन प्रातः काल ग्यारह बजे उसे नाक के द्वारा रबर ट्यूब की सहायता से दूध और चीनी का भोजन बलपूर्वक दिया गया। रोगी ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति से इस प्रकार बलपूर्वक भोजन देने के लिए कहा सवष किया दो घंटा के अंदर ही महावीर में गहरे मानसिक आघात के चिह्न



प्रगट हो गए और १८ मई १९३३ को रात्रि के एक बजे उसका जीवन समाप्त हो गया। मध्य रात्रि के कुछ ही समय उपरांत वह वीर सदाव के लिए चिर निद्रा में सो गया। अधिकारियों की ओर से यह कहा गया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे भोजन देने में कोई गलती नहीं की गई परंतु निबलता की स्थिति में रोमी द्वारा बलपूर्वक भोजन देने पर जो संघर्ष किया गया उससे उस पर बहुत अधिक परिश्रम पड़ा और थकावट के कारण वह समवसत हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। महावीर अपने इस महाप्रयाण में एकाकी नहीं था उसका मित्र मोहनकुमार नामदास जो सख्तूलर जेल में बगाल का बन्दी था उसने भी महावीर का अनुसरण किया।

उसने १६ मई को भूख हड़ताल आरम्भ की। १७ मई को उसे बलपूर्वक कृत्रिम भोजन दिया गया। १९ मई को उसे अस्पताल में निमानिया के लिए भर्ती किया गया और २६ मई १९३३ को उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इसी श्रृंखला में एक तीसरी मृत्यु भी हुई। मोहित मोहन मिश्र २ फरवरी १९३२ को सख्तकालीन अधिकार आग्रहों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था। वह अवर सख्तूलर रोड़ पर स्थित एक मकान से गिरफ्तार हुआ था क्योंकि उसके पास बिना लाइसेंस के पांच चम्बर वाला एक रिवाल्वर तथा ग्यारह कारतूस मिले थे। उसको पांच वर्षों के लिए निर्वासन और बठोर कारावास का दण्ड दिया गया और उस अडमन भेज दिया गया। अपने साथियों के साथ ही उसने भी १२ मई १९३३ को भूख हड़ताल आरम्भ की। उस भी बलपूर्वक कृत्रिम रूप से भोजन दिया गया। अवर ट्यूब से जो दूध दिया गया वह पेट में न जाकर सास की नली में गया जिसके परिणाम स्वरूप उसे निमोनिया के चिह्न दृष्टिगोचर हो गए। स्पष्ट है कि मानवृष्ण के साथ ही यही हुआ और २८ मई १९३३ को मोहित की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

### निमम हत्या (१९३३)

पुलिस द्वारा राजनीतिर सदेहास्पद व्यक्तियों की जान बूझ कर योजनाबद्ध हत्या कोई प्रसाधारण बात नहीं थी। ऐसे मामलों में पीडित व्यक्ति को अधिकारियों से धाय नहीं मिलता था। जमालपुर के धीरेन दे अपने घर से लापता हो गए। दो दिन तक तक बहुत कुछ खोज करने पर भी उनका कोई पता नहीं चला। २३ अगस्त १९३३ को गवर्नमेंट स्कूल के खेल के मैदान में गोलियों से क्षत-विक्षत उनका मृत शरीर पड़ा मिला। उनके अभागे और दुखी पिता ने जो अधिकारिया को याचिका दी उससे उस जगह पर अपराध की बल्पना की जा सकती है। याचिका में पिता ने लिखा था — यह स्पष्ट है कि यह घटना नगर (जमालपुर) के बाहरी क्षेत्र में एक सूनासान स्थान पर जो कि सबक के किनारे था हुई और मृत्यु गोलियों के लगे धावों से हुई, यह भी स्पष्ट है। गहराई से जांच करने से यह स्पष्ट हो जावेगा कि वह भयानक कृत्य उस स्थान पर नहीं हो सकता था जहां कि मृत शरीर पाया गया और न रिवाल्वर की गोलियों से ही उसकी मृत्यु हुई।'

'गोलियों के धारों के अनिश्चित उसके पेट तथा शरीर के अथ भागों पर भिन्न प्रकार की छोटों के निशान भी थे जिनसे उसकी मृत्यु हो सकती है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक है कि मृतक के कपड़ों में छिपे हुए कोई घब्दा तक नहीं था। इन तथ्यों से यह सम्भावना प्रतीत होती है कि घटना और वही घटी और आश्चर्यजनक स्थितियों ने मृत शरीर को वहां से हटा कर उस स्थान पर डाल दिया। उनका

उद्देश्य पकड़ जाने से बचना और इस घटना को क्रांतिकारियों के आक्रमण का रूप देकर छिपाना था।" पिता ने भाई की सब इस्पेक्टर उनके सशस्त्र गाड़ और एक प्रयस्थानीय गुण्डे पर दोपारोपण किया और प्रायता की कि बिना तनिक भी देरी किए उचित ढंग से इसकी जाच प्रारम्भ कर दी जावे। यह रहस्य रहस्य ही बना रहा क्योंकि अधिकारियों ने उस रहस्य के उदघाटन का कोई प्रयत्न ही नहीं किया।

विशाल सेना में से एक (१९३३)

देवली वी शिविर (राजस्थान) में लम्बे समय तक ऐसे जलवायु में जिसमें कि वे रहने के अभ्यस्त नहीं थे—रहने के कारण बड़ी सख्या में बंदियों का स्वास्थ्य गिर जाता था। हरपल यागची उन भनेकों में से एक था। वह बुखसा बंदी शिविर में नजर बंद था और उसको बहुत से रोग लग गए थे। कुछ समय के उसके रोग को पेफडो का रोग घोषित कर दिया गया था। उसको मुक्त न करके सरकार ने उसको राजपूताने की मरूमूमि में अपने जीवन के शेष दिन व्यतीत करने के लिए भेज दिया। उसका विक्टोरिया अस्पताल में अत्र पुच्च बोप (अर्गोडिसाइटिस) का आपरेशन हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही उसको निमोनिया हो गया जिससे कि २२ अगस्त १९३३ को उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। जिससे कि सरकार का एक बड़ा सिरदद दूर हो गया। उनके मृत शरीर को स्थानीय कांग्रेसजनों को दाह सस्कार के लिए दे दिया गया।

श्रु खला में तीसरा (१९३३ ३४)

ऐसा प्रतीत होता था कि मिदनापुर के तरुण क्रांतिकारियों को मोरोपियन विलासियों तथा मजिस्ट्रेटों के जीवन से आसक्ति हो गई थी। मई १९३२ में धार डोगलास की हत्या के उपरांत ही ई जे युग मिदनापुर के जिलाधीश नियुक्त हुए। नवम्बर १९३१ में उन्होंने हिजली बन्दी शिविर के कामाडेट के पद पर काय किया था। सरकार ने उच्च राजकीय अधिकारियों के जीवन की रक्षा करने के लिए जो बहुत कठोर कदम उठाए थे और तत्कालीन बंगाल गवर्नर द्वारा इस सम्बन्ध में जो आश्वासनों की घोषणा हुई थी उससे यह आशा थी कि क्रांतिकारियों के यह आक्रमण बिलकुल बंद हो जायेंगे। युग धरने बगले से बाहर बहुत कम निकलता था। परंतु यह फुटवाला का उत्साही था। वह स्वयं भर्षों में खेलता था और मिदनापुर में कलकत्ते की प्रसिद्ध फुटबाल टीम के साथ मंच कराने की व्यवस्था करता था।

दूसरी धार इस प्रकार की अफवाह थी कि ६ नवम्बर १९३२ को कर बंदी आंदोलन के विरुद्ध जो कठोर कदम उठाए गए और उनके फल स्वरूप धार दमन हुआ वह आजा युग ने निकाली थी। अतएव कुछ तरुणों ने जिनकी आयु बीस वर्ष से कम थी उन अत्याचारों का प्रतिशोध लेने के लिए जो सरकार ने जनता पर किए थे और भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को बल देने का निश्चय किया वे जो सख्या में अधिक नहीं थे समय-समय पर मिला करते और भिन्न स्थानों पर अपने लक्ष्य को पूरा करने के उपायों पर विचार विमर्श करते थे। वे बहुत सावधानी बरतते थे क्योंकि पुलिस बहुत कठक और सजग थी क्योंकि जिलाधीश पर इसमें पुब दो आक्रमण हो चुके थे। उन्होंने कलकत्ते से हृदियार लाने का निश्चय किया। मृगेन्द्र कुमार दत्त अनाय बन्धु पजा और एक प्रयस्थानीय प्राप्त किया। मृगेन्द्र अनाय निमल, जीवन, पप यजकिगोर चक्रवर्ती तथा रामकृष्ण राय कलकत्ते से ट्रेन द्वारा रिवाल्वर खड़गपुर लाए और उन्हें बोडिंग हाऊस

(छात्रावास) में छिपा कर रक्खा और वहाँ से साइकिलों द्वारा मिदनापुर लाए। वे अस्त्र वास्त्र भद्र वृद्धणियों और सुसंस्कृत महिलाओं के पास छिपा कर रखे गए। कुछ ही महीनों में उन्होंने पांच रिवाल्वर और घोड़े से छुरे एकत्रित कर लिए। इतनी तैयारी कर चुकने के उपरांत गोप पहाड़ियों में जो कि चारों ओर जंगल सघिरी हुई थी वहाँ एक दूटे फूटे खडहर जैसे मकान में उन्होंने अपनी बैठके कीं। वहाँ वे क्रांतिकारी समय समय पर रिवाल्वर से लक्ष्य वेध का भी अभ्यास करते थे। पहले दो बार — एक बार जब बुग बाढ़ राहत काय की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा था और दूसरी बार जब ३१ अगस्त को वह एक फुटबाल का मैच देखने गया तब पुलिस की अत्यधिक चौकसी और सावधानी के कारण उस पर आक्रमण करने के सारे प्रयत्न विफल हो गए।

२ सितम्बर १९३३ को टाऊन क्लब जिसका बुग अध्यक्ष था और मुहमडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच से ट्रस जेल के खेल मैदान में मैच होने वाला था। निमल जीवन को टाऊन क्लब के सेक्रेटरी से यह पता चल गया कि बुग उस मैच में स्वयं खेलेगा। निमल, जीवन घोष बजकिशोर चक्रवर्ती अनाथ बंधु पंजा मृगेन्द्र तथा एक अन्य एक सितम्बर को पांच ताल के किनारे पर मिले और यह निश्चय किया कि दूसरे दिन मैच के आरम्भ होने पर बुग को मार दिया जावे। यह निश्चय किया गया कि बजकिशोर के सकेत करने पर अनाथ और मृगेन्द्र रिवाल्वर से बुग को गोली मार देंगे। एक ताजीघेरिया रेलवे स्टेशन पर और निमल मिशन गल स्कूल के सनीप चौासी के लिए खड़ा रहेगा। अर्थात् साधी महत्वपूर्ण मुद्दावश्यक स्थानों पर उठे रहेंगे जिससे कि आक्रमणकारियों के भागने का आच्छादन कर सकें। निमल अनाथ मृगेन्द्र तथा एक अन्य पुलिस के खेल के मैदान को ओर चले जहाँ कि मैच होने वाला था। क्रांतिकारियों का एक दूसरा दल कलकत्ते की इमारत के माग से उठी गत-य स्थान को गया।

अब फुटबाल मैच तथा बुग की हत्या के हिंसा काय के लिए मैच तैयार हो गया। पुलिस के सभी उच्च अधिकारी वहाँ उपस्थित थे, कुछ तो मैच में भाग लेने वाले थे और कुछ मैच को देखने के लिए आए थे। प्रसिस्टेंट पुलिस सुपरिटेन्डेंट खेलने वाला था और योरोपियन रिजर्व इन्स्पेक्टर खेल को रफरी करने वाला था। मृगेन्द्र और अनाथ खेल के मैदान में विरोधी दल अर्थात् मुहमडन स्पोर्टिंग क्लब के साथ थे। विरोधी दल मैच आरम्भ होने से पूर्व फुटबाल (गैंग) से अभ्यास कर रहे थे। ऐसे कई खिलाड़ी थे जो घोंती पहने हुए थे और किसी के लिए भी अर्थात् से उनका विभेद करना कठिन था। पुलिस अधिकारी कुछ पहले आ गए थे। बुग अपनी मोटर में अपने दो व्यक्तिगत अग्ररक्षकों के साथ आया। अपनी मोटर कार को खेल के मैदान के पूर्व की ओर छोड़कर अग्ररक्षकों को उसने खेल के मैदान की बाहरी रेखा पर छोड़ दिया और वह खेल मैदान के मध्य गया। अनाथ और मृगेन्द्र खिलाड़ियों के साथ खेल के मैदान में थे व दक्षिणी गोल पर पहले से फुटबाल की किक कर रहे थे। जैसे ही बुग खेल के मैदान में पहुँचा वे उस पर झपटे उनके हाथ में स्वचालित पिस्तौल था और उन्होंने दो या तीन गज की दूरी से उस पर आक्रमण कर दिया।

एक न बुग की पीठ में रिवाल्वर से पांच गोलियाँ दाग दीं और दूसरे ने अपने स्वचालित से तीन तोलियाँ बुग के सामने से मारी। बुग के ६ गम्भीर घाव लगे वह पथी पर गिर पड़ा और उसकी उत्काल मृत्यु हो गई। एक प्रसिस्टेंट पुलिस सुपरिटेन्डेंट को कि लगभग दस गज की दूरी पर खड़ा था गोली चलने की आवाज सुनकर घूमा और तुरंत ही वह मृगेन्द्र एक आक्रमणकारी पर झपटा इस पर मृगेन्द्र ने अपना रिवाल्वर

उधकी और ताना परन्तु अचिस्टे ट पुलिस सुपरिटेण्डेंट उसके रिवाल्वर को नीचे गिरा देने में सफल हो गया और उससे निकली गोली उसकी टांगों के बीच से निकल गई। अब जो दोनों में गुल्यम गुल्या हुई तो दोनों पृथ्वी पर गिर पड़े और उस दशा में जिलाधीश के दो ०-वक्तिगत अग्ररक्षक दौड़ पड़ उठेने आक्रमणकारी को जन्मी कर दिया और उसको पकड़ लिया। अनाथ -दूसरे आक्रमणकारी का रिजव इस्पेक्टर न सामना किया और उसे घटना स्थल पर ही गोली से मार दिया। भुगेन को सदर अस्पताल ले गए जहां दूसरे दिन प्रात काल अर्थात् ३ सितम्बर को उसकी ८३० पर मृत्यु हो गई। सम्पूर्ण नल मरण को पुलिस न घेर लिया और घटना स्थल पर ही सदेह के कारण चार व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के उपरांत पुलिस ने आतंक और कठोर दमन का दौर दौरा प्रारम्भ कर दिया। नगर के विभिन्न भागों में घरों की तलाशी और गिरफ्तारियों की घूम मच गई। पुलिस ने कठोर दमन का ताण्डव नृत्य प्रारम्भ कर दिया।

सामान्य जाच पड़ताल तथा पूछ ताछ के उपरांत और असमाय निदयतापूर्वक यातना देकर बलपूर्वक उनसे अपराध अ गीकार कराकर पुलिस ने ३ जनवरी १९३४ को तेरह तहनों पर अभियोग चलाया। इस अभियोग को सुनने के लिए सरकार ने एक विशेष 'यायाधिकरण' की स्थापना की उसके समक्ष ३ जनवरी १९३४ को अभियोग प्रारम्भ हुआ। मुख्य अभियुक्त मिदनापुर कालेज के प्रथम वष इंटर आटस के छात्र निमल जीवन घोष, ब्रह्मिणार अतुर्वेदी जिहोन १९३२ में पढना छोड़ दिया था और जो मिदनापुर कालेज में द्वितीय वष तक पढ़े थे और रामकृष्ण राय जिहोने हिंदू स्कूल म मद्रिफ तक पढा था, मुख्य अभियुक्त थे।। अभियुक्तों पर यह आरोप लगाया गया कि मिदनापुर जिलाधीश तथा मिदनापुर जिले के अय उच्च अधिकारियों को मारने के उद्देश्य से आगराधिक पडयत्र में सम्मिलित हुए।

१० फरवरी १९३४ को निणय सुना दिया गया। निमल ब्रजकिशोर और रामकृष्ण को प्राणदण्ड दिया गया तथा अय चार को आजीवन निर्वासन का दण्ड दिया गया। अभियुक्तों ने यायाधिकरण के निणय के विरुद्ध उच्च 'यायालय' में अपील की जिसकी सुनवाई १३ अगस्त १९३४ को समाप्त हुई। उच्च यायालय ने अपील अस्वीकार कर दी और ३० अगस्त १९३४ को 'यायाधिकरण' द्वारा दिए गए दण्ड की पुष्टि कर दी। ब्रह्मिणोर और रामकृष्ण को २५ अक्टूबर की तथा निमल को २६ अक्टूबर १९३४ को प्रात तड़के मिदनापुर से टूल जेल म फांसी दे दी गई। मिदनापुर क तरुण अग्र राष्ट्रवादिता का यह विषय उल्लेखनीय कीरतापूर्ण काय था कि उन्होंने तीन जिज्ञाधीना को मार दिया अर्थात् पंडी को सान अग्रेल १९३१ को, डोगलास को ३० अग्रेल १९३२ को और बुग को २ सितम्बर १९३३ को मारा गया। उन तरुणों के इस साहसी काय से अपने साहस और काय क्षमता के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारियों के हृदय भय से घर घर कापने लगे। इंग्लंड में उनके सगे सम्बन्धियों ने आकाश पाताल एक कर दिया वे प्रणिशेष के लिए पागल होकर चिन्ताने लगे। उन्होंने निमल दमन की मांग की साथ ही ऐन कठोर कर्म उठाने का मुन्नाव दिया जिससे समस्त बंगाल प्र सी-दन्धी बंगाल के निवासियों के लिए एक वृहद कारागार बन जाना।

कारागार की प्राचीरो के अन्दर (१९३३)

अम्बर अकाशी अभियोग में दण्डित भाई गुरदितसिंह को लम्बे समय के कारा-

वास का दण्ड दिया गया था। अतः में उनको मुखतान के पुराने से ट्राल जेल में कैद कर दिया गया। बाह्य जगत को उनकी मृत्यु का समाचार १७ अक्टूबर, १९३३ को एक कदी से ज्ञात हुआ जो उस जेल से मुक्त हुआ था। उसने लोगो को बतलाया कि भाई गुरुदत्तसिंह कुछ दिन पूर्व ही कारागार के भीतर ही महाप्रयाण कर गए।

मृत्यु से सघप (१९३३)

मैमनसिंह जिले के जमालपुर क्रांतिकारी दल के एक तरुण सदस्य वीरेन दे को दिसम्बर १९३३ को तगेल तहसील के सागलीपाटा में डाका डालन के लिए चुना गया। जब कि व उस मकान में बलपूर्वक घुसने का प्रयत्न कर रहे थे जिसमें डाका डालने का निश्चय किया गया था उनकी पीठ एक बल्लम से चिर गई। वहा जो बहुत से गाव वाले इकट्ठे हो गए थे, उनमें से एक न वह भाला जिसमें कई नोकें थी उस पर फेंका था। वह (वीरेन दे) पीछे फिर और उसने बल्लम के सिरे को अपने हाथ से पकड़ लिया और उस स्थान से तेजी से भागा, उसके पीछे एक छोटी धी भीड़ भी भागी। उन्होंने उसको बच कर निकल भागते देख लिया था। वह बहुत दूर तक दौड़ गया। वह लगभग उस नदी के किनारे तक पहुंच गया जहा कि उसे वापस ले जान के लिए नाव उसकी प्रतीक्षा कर रही थी।

बल्लम का घाव बहुत गहरा था और बहुत अधिक ख़िदर बह चुका था। यह थकावट और पीडा से घूर होकर पृथ्वी पर गिर पडा और उसका पोछा करने वालों ने उसको पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वीरेन दे को अस्पताल ले गई। वहां भाले का फल उसके शरीर से निकाल लिया गया। परंतु वहां वीरेन दे को पुलिस द्वारा दी जाने वाली निदयता पूरा यातना को सहन करना पडा। वे उससे बल पूर्वक अपराध अगोकार कराना चाहते थे। पर तु वह वीर टस से मस नहीं हुआ। तीन दिन तक अपने घावो की पीडा और पुलिस के निदयतापूर्ण अत्याचार को वह सहन करता रहा। उसके उपरान्त मृत्यु ने उसकी शारीरिक पीडा और पुलिस की यातना से मुक्ति कर दी।

बिना जमानत के रिहाई (१९३४)

पुलिस की जब किसी पर कुदृष्टि पड़ जाती थी तो उस व्यक्ति को बद्ध तक ले जाकर छोड़ती थी। जिला ममनसिंह की तहसील जमालपुर के बागवेद गांव के जतीन्द्र नाथ दत्त को शस्त्रो सम्ब धी अधिनियम के प्रावधानो को भंग करने के आरोप में गिर पतार किया गया। पुलिस के लिए जतीन के विरुद्ध अभियोग स्थापित करना कठिन था अतएव उसको छोडना पडा परंतु उसे तत्काल दण्ड प्रक्रिया सहिता (क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड) की धारा ११० में पुन गिरपतार कर लिया गया। ४ अप्रैल १९३४ को जतीन के सम्ब धियों को बन्दी की सम्भीर बीमारी के सम्ब ध में सूचित किया गया। दूसरे ही दिन जमानत पर छोडने की याचिका की गई। अतिरिक्त जिलाधीश ने पाच सौ रुपए की दो प्रतिभूतियो (जमानतियो) पर जितेन को जमानत पर छोड दिये जाने की आज्ञा दे दी। दो जमानती उपस्थित किए गए और पुलिस को आज्ञा दी गई कि उन जमानतियों की योग्यता की जाच करें। जतीन को दशा तेजी से गिरी और ६ अप्रैल १९३४ को उसने महाप्रयाण किया। उही दिन मध्याह्न उपरान्त पुलिस ने रिपोर्ट दी कि वे जमानती स्वीकार योग्य नहीं हैं। पुलिस की यह रिपोर्ट बचारे जतीन को कारागार से मुक्त किए जाने से नहीं रोक सकी। जतीन का दाव उसके सम्ब धियों को इस स्पष्ट षट पर दिया गया कि उसके दाह संस्कार के सम्बन्ध में कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा।

### विधि का मजाक

१० अप्रैल १९३४ को नारायणगंज बस्ते के सुप्रीम को गाँव शैवमोंग के कुछ मुसलमान गाँव वाले सड़क के किनारे के एक बरामदे में रात्रि के दो बजे बैठे थे। उन्होंने सड़क पर तीन हिन्दू युवकों को जाते हुए देखा। किसी के कहीं जाने का वह असामान्य समय था फिर उनके पर नंगे पैरों से जूते नहीं पहने थे परन्तु उनकी वेशभूषा उत्तम थी इससे उन मुसलमान गाँव वालों को संदेह हुआ उ होने युक्तों से पूछा कि वे कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। उनमें से एक युवक हक गया जो कि देवभाग गाँव का ही रहने वाला था उसका नाम मातीलाल मलिक था। शेष युवक धीरे धीरे आगे चलते गए। मातीलाल ने अपने से प्रश्न करने वालों को बतलाया कि अथ तरूण उसके साथी हैं जो कि उसके मकान पर भोजन करने वापस जा रहे हैं। एक मुसलमान मातीलाल के साथ उनके पास गया और एक टाच की मदद से उनसे जूतों को देखा। टाच से देखते समय उसे मातीलाल को बगल में एक पोटरा (बडल) दिखालाई दिया उसने उस पोटरा को मातीलाल की बगल से खींच लिया और तीन टोपियाँ पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस घटना से उनका संदेह और अधिक बढ़ गया और उसने एक युवक को पकड़ लिया और दो अन्य मुसलमान गाँव वाले न शेष अथ दो को पकड़ लिया। पहले युवक ने बायें हाथ से एक रिवाल्वर निकाला और अपने को पकड़ने वाले मुजफ्फर पर फायर कर दिया। तीसरे युवक ने रमजान की गदन में गोली मार दी। मातीलाल ने अपनी कमर में से एक छुरा निकालने का प्रयत्न किया।

माती और उसके दो साथियों ने अपने को उन मुसलमानों से छुड़ा लिया और घटना स्थल से भाग जाने में सफल हो गए। ज़रूमी व्यक्तियों ने भागने वालों का कुछ दूरी तक पीछा करने का प्रयत्न किया। वे सहायता के लिए और उन भागने वालों को पकड़ने के लिए चीख चीख कर पुकार रहे थे। यह शोर सुन कर गाँव वाले अपने भौंपड़ों से बाहर निकल आए और उन्होंने उन युवकों का तेजी से पीछा किया। मातीलाल पकड़ा गया और गाँव वालों ने उसको उसी स्थान पर अत्यंत निदयता पूर्वक पीटा बाद को पता चला कि मुजफ्फर के घाव से बहुत अधिक रधिर बह रहा है और रमजान की मृत्यु हो गई है। मातीलाल को गाँव वालों ने पुलिस के सुपुद कर दिया। पुलिस ने अपराध भगीकार कराने और साथियों के बारे में सब कुछ बताने के लिए उसको अत्यंत निदयता पूर्ण यातनाएँ देना प्रारम्भ कर दिया। और मातीलाल वह सब सहन करता रहा परन्तु उसने अंधों पर मानों मौनवत की मुहर लगी थी। पुलिस वाले उसको कठोर से कठोर यातनाएँ देकर हार गए परन्तु उससे कुछ भी जान न सके। मातीलाल मलिक ने तथा एक अथ के विरुद्ध ३० जुलाई १९३४ को अभियोग प्रारम्भ हुआ। मातीलाल के विरुद्ध अथिनियम की धारा ६ ई (१८७८ का ग्यारहवाँ अथिनियम—छुरा रखना) और उसी अथिनियम की धारा २० ए जसी कि वह बगाल के अथिनियम १९३४ के द्वारा संशोधित हो चुकी थी, जिसकी भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३४ के साथ मिलकर पढ़ा जाने पर अपराध स्थापित होता वे धाराएँ लगाए गए। कारण यह बताया गया कि क्योंकि उसका तथा उसके अथ दो साथियों का अभिप्राय एक समान था और उसके वे दोनों साथी भारतीय दण्ड अथिनियम (१८७८ का ग्यारहवाँ अथिनियम) की धारा तेरहवीं के प्रावधानों का उल्लंघन कर रिवाल्वर लेकर गए थे और जो परिस्थितियाँ प्रगट हुईं, उससे यह दृगित होता था कि उन सभी को

अभिप्राय यह था कि वे रिवाजवर उपयोग में लाए जावें और हत्या की जावें। उस पर विभिन्न अधिनियमों की नीचे धी हुई धाराओं के अंतर्गत आरोप लगाए गए — भारतीय शास्त्र अधिनियम की धारा १६ ए जिस प्रकार वह बंगाल के १६३२ के इक्की सवें अधिनियम के अनुसार सशोधित हुई और भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३४ के साथ पढ़ी जावे। भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३४ के साथ पढ़ी जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२० बी जो १६३२ के ग्यारहवें भारतीय शास्त्र अधिनियम की धारा १६ ए के साथ पढ़ी जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२० बी जो १६३४ के सातवें भारतीय शास्त्र अधिनियम की धारा २० ए के साथ पढ़ी जाय।

६ अगस्त १६३४ को विशेष न्याय अधिकरण ने मातीलाल को सभी आरोपों का अपराधी पाया और उसे प्राण दण्ड दे दिया। २७ सितम्बर १६३४ को उच्च न्यायालय ने अपील की सुनवाई की। अपील की सुनवाई के समय डिप्टी लीगल रिमेंडरसर ने शास्त्र अधिनियम के अंतर्गत मृत्यु दण्ड के प्रश्न पर ही अधिक बस दिया। उसकी सम्मति में उस प्रकार के अभियोग में प्रश्न यह नहीं था कि जिस व्यक्ति के पास रिवाजवर या उसकी इच्छा व्यक्ति विशेष को मारने की थी अथवा वे शास्त्र केवल इसलिए लिए जा रहे थे कि वे बलाचरण के द्वारा अथवा बलाचरण का प्रदर्शन करके बच कर निकल जाना चाहते थे। प्रश्न यह था कि जब वे साहसिक काय के लिए निकले तो अपने सद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो हत्या करने का अभिप्राय भी उनके मन में था फिर चाहे उद्देश्य कुछ भी हो। आवश्यकता पड़ने पर हत्या करने का अभिप्राय शास्त्र अधिनियम की धारा २० ए के अनुसार अपराधी को मृत्यु दण्ड देने के लिए पर्याप्त है।

एक अक्टोबर १६३४ को उच्च न्यायालय ने विशेष अधिकरण के निष्पत्ती की पुष्टि कर दी। आरोप यह था कि वह अचयाधित या प्रलक्षित हत्या है। उच्च न्यायालय ने मातीलाल के काय को यह स्वीकार किया कि मानो उसने स्वयं अपने हाथ से गोली चलाई हो। इस प्रकार सशोधित कानून व्यक्तियों को फाँसी के तख्ते पर भेज सकता था जबकि उस अधिनियम के अंतर्गत केवल दो या तीन वर्ष के कठोर कारावास की अधिकतम दण्ड की व्यवस्था थी। मातीलाल को ढाका सेंट्रल जेल में १५ दिसम्बर १६३४ को प्रातः काल ६ बजे फाँसी दे दी गई।

### अवधि से पूर्व गिराई (१६३४)

पुलिस द्वारा जो बंगाल में सदेह पर ही अघायुष गिरफ्तारिया हुई उसमें सड़कों की सख्या में देशभक्त युवकों को पकड़ लिया गया। उन सड़कों युवकों में नन्दा दुलाल घोष भी गिरफ्तार कर लिया गया और अन्यो के साथ हिबली बंदी शिविर में अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। १५ अप्रैल १६३४ को नन्दा दुलाल घोष ज्वर से पीड़ित हुआ और कई दिन हो गए ज्वर नहीं चला। डाक्टरों ने उसे चेचक निकलने की घोषणा कर दी और उसे २७ अप्रैल को बंदी शिविर के अस्पताल में भेज दिया गया। उसने पिता को जब यह ज्ञात हुआ तो वह अपने पारिवारिक चिकित्सक को साथ लेकर ढोडा आया। उस चिकित्सक पर समूचे परिवार का पूरा विश्वास था। पिता चाहता था कि उसके पुत्र की चिकित्सा उसका विश्वसनीय पारिवारिक चिकित्सक करे। परन्तु जेल अधिकारियों ने आज्ञा नहीं दी। वह युवक २६ अप्रैल १६३४ को जेल के

अस्पताल में ही मर गया गया। जेल के उसके साथियों ने अपने प्रिय मित्र साथी के मृत शरीर को ले लिया और स्थानीय शमसान घाट पर उसका दाह संस्कार किया।

**भयक योद्धा—चम्पाकेश्वर पिलाई** जो केवल सत्रह वर्ष का बालक था भारत की स्वतंत्रता के लिए काय करने के उद्देश्य से १९०८ में भारत से जर्मनी गया। प्रथम विश्व युद्ध में उसने जर्मनी की नौ सेना में प्रवेश किया। वह एमटन जहाज (पनडुब्बी) का नाविक था जिसने मद्रास पर बम वर्षा की थी जब जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और वह सत्ता में आया तब जर्मन अधिकारियों को उस पर यह संदेह हो गया कि वह जर्मनी की अपेक्षा भारत के हित में ही काय करता है। अतएव उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया वह नजर बंद कर लिया गया। क्रमशः उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। ऐसा संदेह किया जाता है कि उसकी घीमे विष से मई १९३४ में मृत्यु हो गई। उसको घीमा विष देकर मार दिया गया।

### हिमालय की ऊंचाई पर (१९३४ ३५)

भायरलड में क्रांति की गति को मोड़ने के लिए भयंकर और निदयता पूर्ण दमन का परीक्षण किया गया था। उसका क्या परिणाम निकला? उसकी पुष्टि तो केवल इतिहास ही करेगा। पर सर जान ऐडरसन के 'ब्लैक एण्ड टन' के वारनामी ने भायरलड में तथा इंग्लैंड के अन्य आधीनस्थ देशों में ब्रिटिश शासन को लाञ्छित और अपमानित प्रवृत्त किया था। अवश्य ही ब्रिटिश सरकार उस दमन से प्रसन्न और सन्तुष्ट हुई होगी। कम से कम ब्रिटिश सरकार इस विचार से अभिभूत प्रवृत्त थी कि एक महान शक्तिवान कठोर शासक जिसे कि कठोर उपायों से शांति और व्यवस्था का अनुभव है उसके दमन से बायर बगाली चुपचाप आत्म समर्पण कर देंगे। अतएव अशांत और दुःख बगाल के मुख्य प्रशासक के रूप में ब्रिटिश सरकार ने ऐडरसन को बगाल में भेजा। सरकार का विचार यह था कि यदि क्रांति को दबाया नहीं जा सका तो कम से कम सरकार को यह छांटा प्रवृत्त थी कि ऐडरसन ऐसे भयंकर दमनकारी उपायों को प्रारम्भ करेगा कि जो भारत में पहले कभी भी नहीं करते गए थे। ऐडरसन के बगाल में आते ही, अध्यादेशों के द्वारा प्रशासन प्रचलित अपराध सम्बन्धी कानूनों का सशोधन राजनीतिक सद्भावपूर्ण व्यक्तियों से व्यवहार करने में आका पीछा कर गिरफ्तार करने में सम्य तरीकों को तिलाञ्जलि दे देना, शास्त्र अधिनियमों तथा विस्फोटक पदार्थों सम्बन्धी अधिनियमों का अन्वयान करने पर मिलने वाले दण्ड में वृद्धि करने, भारतीय दण्ड संहिता के कतिपय प्रावधानों में ही हुई सजा को बढ़ा देने इत्यादि कठोर दमनकारी उपायों का ऐडरसन के बगाल में आते ही बोलबाला हो गया। जिन लोगों ने मातृभूमि के लिए सर्वस्व दाव पर लगा दिया हो और जो लोग मातृभूमि के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिये, यहाँ तक कि प्राणों का उत्सर्ग करने के लिये भी तैयार थे। वे ऐडरसन को पृथ्वी से विदा करने के लिए सक्रिय हो गए।

ढाका में जयदेवपुर के कतिपय युवकों ने इस प्रश्न पर सम्भीरता पूर्वक विचार किया और अपने विचार को मूर्त रूप देने के लिए वे अनुकूल अवसर ढूँढने में व्यस्त हो गए। ऐडरसन के चारों ओर बड़ा पहरा रहता था और उसकी सुरक्षा के लिए अनेक कुशल अगस्त्यक नियुक्त कर दिए गए थे अतएव ऐडरसन के समीप पहुँचने का भय कोई अवसर पाना कठिन था अतएव यह निष्पत्ति लिया गया कि उसका सामना लेबांग दाजलिग के घुडदौड में मैदान में किया जावे। २२ अप्रैल १९३४ को ढाका में



एक गुप्त बठक हुई भवानी प्रसाद मट्टाघाय और उसके जोड़ीदार को आवश्यक दस्त दे दिए गए। वे ३० अप्रैल १९३४ को और अधिक अनुबंध प्राप्त करने के लिए बलकत्ता गए। कलकत्ते से वे पुनः जयदेवपुर वापस लौटे और २ मई की एक दूसरी बठक में कायवाही की योजना पूरी तरह तयार करली गई और उस महान भयंकर नाटक के दोनों पात्र दाजलिंग को चल दिए। वे अपने निदिष्ट स्पान दाजलिंग ४ मई को पहुंच गए और कुछ जुबली सैनिटोरियम में ठहर गए।

दो अन्य क्रांतिकारी सीधे कलकत्ता से दाजलिंग पहुँचे और एक दूसरे होटल में ठहर गए। भवानी प्रसाद को 'स्नो वू होटल' में ५ मई १९३४ को उसका रिवाल्वर प्राप्त हुआ। यह निश्चय हुआ कि फूलों की प्रदशनी में अबसर को ताल में रखा जावे जहाँ कि ऐं डरसन जाने वाला था। परंतु उस अबसर का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि वहाँ प्रवेश पाने में बहुत कठिनाई थी। ८ मई १९३४ को होने वाली घुड़दौड़ के लिए दो टिकट खरीद लिए गए और भवानी प्रसाद तथा उनके साथी जो योरो पियन वेशभूषा में थे, वे ऐं डरसन की कुर्सी के दाहिने और बाये कुछ ही गजों की दूरी पर पब्लिक स्टैंड में जम गए। ऐं डरसन की (सीट) कुर्सी ग्रांड स्टैंड के बिल्कुल नीचे स्टीवड बाक्स के समीप थी। गवरनर कप की घुड़दौड़ लगभग समाप्त हो गई थी और ऐं डरसन उठ कर खड़ा हो गया था। उसी समय भवानी प्रसाद कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने अपने दाहिने हाथ को सीमेंट कांक्रिट की दीवार पर रखता जो कि गवरनर और जनता के बीच पाथफ़ाय करती थी। भवानी ने अपना रिवाल्वर बाहर निकाल लिया और अपने लक्ष्य पर गोली चलाई जो उससे आठ या नौ फीट पर खड़ा था। गोली निशाना चूक गई। भवानी को बदले में चार घाव लगे जो उन लोगों के गोली चलाने से लगे थे जो कि वहाँ उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त एक भ्रादमी भवानी पर कूदा और उसको जमीन पर गिरा लिया।

दूसरे भ्रादमी ने जब भवानी को गोली चलाते देखा तो वह अपनी जगह से आगे बढ़ा कुछ कदम चला और उसने गवरनर पर गोली चलाई। वह गवरनर से केवल ५ फीट ही दूर था। एक दशक जो कि पास ही खड़ा था उस पर दूट पड़ा और उसको पकड़ लिया। उसको एक सार्जेंट के रिवाल्वर से निकली गोली भी लग गई। भवानी की तलाशी लेने पर उसके पास रिवाल्वर की ० ३२ बोर के दस कारतूस और उसके साथी के पास उसी बोर के ६ कारतूस मिले।

जो रिवाल्वर भवानी से छीना गया था उसमें पांच कारतूस थे एक चल गया था एक जो चला नहीं और तीन जीवित कारतूस थे और दूसरे व्यक्ति के रिवाल्वर में ६ जीवित कारतूस थे। रिवाल्वर में कुल सात कारतूस भरे जा सकते थे। भवानी ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा कि वह गवरनर को मारने के लिए धाया था मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार मने कोई अपराध नहीं किया।" मुझे बहुत दुख है कि वह बिना जहमी हुए जीवित है म बहुत प्रसन होता यदि म उसे मार सकता।" दाजलिंग में १४ अगस्त १९३४ को विशेष न्याय अधिवरण के समक्ष अभियुक्तों पर अभियोग आरम्भ हुआ। उन पर हत्या करने के अभिप्राय से पटव न करने तथा बिना लाइसेंस के अग्नि दस्त्र रखने के आरोप लगाए गए। उन पर दस्त्र अधिनियम की धारा २० ए के अंतर्गत अभियोग चलाया गया जिसके अनुसार उन परिस्थितियों में दण्ड को बढ़ा कर प्राण दण्ड की व्यवस्था की गई थी।

इन परिस्थितियों में प्राण दण्ड देने के सिद्धांत का समावेश ऐडवरेसन ने ही किया था अस्तु उस सिद्धांत को लागू करने के लिए यह अभियोग उपयुक्त था क्योंकि सिद्धांत के जनक से ही उसका सम्बंध था। यह यहाँ बता देना आवश्यक है कि दण्ड विधि सशोधन अधिनियम के अंतर्गत जैसा कि वह धारा ६ के द्वारा १९३२ में सशोधित हुआ था उसके अनुसार हत्या का प्रयत्न करने पर मृत्यु दण्ड की व्यवस्था की गई थी। १२ सितम्बर १९३४ को निराय दे दिया गया। भवानी और उसका दोना मित्रों को प्राण दण्ड दिया गया। उच्च न्यायालय ने ३ दिसम्बर, १९३४ को भवानी तथा एक दूसरे को प्राण दण्ड की पुष्टि कर दी किन्तु तीसरे के मृत्यु दण्ड को घटा कर आजीवन कठोर कारावास और निर्वासन में बदल दिया। गवरनर ने जो उसको दया करने का अधिकार था उसका उपयोग कर २४ दिसम्बर, १९३४ को दूसरे अभियुक्त के प्राण दण्ड को घटा कर आजीवन कारावास का दण्ड कर दिया क्योंकि उसने इस बात पर गहरा खेद प्रकट किया था कि उसने दूसरे के प्रभाव में आकर जो कुछ किया और विशेषकर उस व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया जिसे वह अपने पिता के समान मानता है उसे वास्तविक खेद है। तीन अभियुक्तों में से जिन्हें विशेष पाप अधिकरण ने प्राण दण्ड दिया था प्रकले केवल भवानी प्रसाद को राजशाही जेल में ३ फरवरी १९३५ को फासी दे दी गई।

### सम्बन्धी सावधान रहे (१९३४)

एक पुलिस अधिकारी जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था और जो अभियोजन की सहायता के लिए काकोरी डकैती के अभियोग में सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था मनीन्द्र नाथ बनर्जी का मामला था। काकोरी डकैती के अभियुक्तों को मृत्यु दण्ड दिया गया उसने उस सबेदना शील और शीघ्र प्रभावित होने वाले युवक के मस्तिष्क को मकमूर दिया। मनीन्द्र नाथ बनर्जी ने १२ जनवरी, १९२८ को एक रिवाल्वर से अपने मामा पर आक्रमण कर दिया और उनको मार दिया। अभियोग में उसको दस वर्ष का कठोर कारावास हुआ। उस पर सदोष मानव हत्या का, जो कि हत्या के समान नहीं हो पारोप लगाया गया था।

मनीन्द्र फासी के तल्ले से बच गया। परन्तु जब वह कारावास का दण्ड भुगत रहा था तब उसको निर्मोनिया हुआ और २० जून १९३४ को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में उसकी मृत्यु हो गई। कोमिल्ला के सहाय सम्पद चौधरी को तेरह जून १९३३ को रिपनार करके २२ व ३३ को पाठना में नजरबन्द कर दिया गया। उस युवक की तनिक भी देखभाल नहीं की गई केवल एक चौकीदार उसकी निगरानी करने के लिए रक्खा गया था, १८ फरवरी १९३४ को निरसहाय चौधरी का उस भोपडे में मृत्यु ने अन्त कर दिया। चौधरी के अतिरिक्त अन्य कई नजरबन्द क्रांतिकारी इसी प्रकार मृत्यु के शिकार हो गए।

### अभिजात मिसन (१९३४)

सतवान गुहा एक तरुण था जिसमें विलक्षण साहित्यिक प्रतिभा थी। साहित्यिक प्रतिभा का धनी होने के साथ ही वह खतरनाक राजनीति में भी सक्रिय था। साहित्यिक प्रतिभा और क्रांतिकारी राजनीति का उसमें अपूर्व सम्मिलन था। यद्यपि वह बहुत ही अल्प आयु का तरुण था परन्तु अपने समय के सर्वश्रेष्ठ दैनिक पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं में राजनीति, अर्थशास्त्र तथा जीवन चरित्र सम्बन्धी अत्यन्त बहुधा-

पूरा और विद्वाना पूरा उसके लेख प्रकाशित होते थे। उसने कई बहुत उत्तम कोटि की पुस्तकें लिखी जिनमें से अधिकांश पुस्तकों को उनमें लिखित अत्यंत उग्र राजनीतिक विचारों के कारण सरकार ने उहे जन्त कर लिया।

ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक था कि अधिक दिनों तक जेल के बाहर नहीं रह सकता था। बीस वर्ष की अल्प आयु में १९३१ में वह कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया और एक बंदी की भांति बंगाल दण्ड विधि सशोधन अधिनियम के अन्तर्गत राजशाही जेल में भेज दिया गया। उसकी शुद्ध आत्मा जेल के कठोर और अमानवीय नियमों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण नियमों की अवहेलना करने के कारण उसे बार-बार दण्ड भुगतना पड़ता था। नियमों का उल्लंघन करने के परिणाम स्वरूप जो प्रतिरिक्त सजा दी जाती थी उनमें एक बार वह बीमार पड़ा उसके फलस्वरूप १६ दिसम्बर, १९३४ को उसकी मृत्यु हो गई। उसको पेट की शिकायत हुई थी और उन्हीं के कारण वह अपने जीवन के लक्ष्य को आशिक रूप से पूरा किए बिना ही महा प्रयाण कर गया। मा भारती के चरणों में एक मूल्यवान और सुगन्धित कलिका जो अभी खिली भी नहीं थी, चढकर समाप्त हो गई।

### अन्तिम आश्रय (१९३५)

पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो जाने और उसके परिणामों के खतरों की परवाह न कर शम्भु नारायण १३ नवम्बर १९३४ को देहली से अजमेर यात्रा कर रहा था। उसके पास एक रिवाल्वर और पांच कारतूस थे। यात्रा करते हुए वह बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी भी गई तो एक देशी पिस्तौल और क्रांतिकारी साहित्य उसके मकान में मिला। उस पर अभियोग चलाया गया। उसको अपराधी दण्ड संहिता की धारा ११० और अस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियोगाधीन बंदी के रूप में अजमेर जेल में रक्खा गया। जेल की यातनाओं और अत्याचारों के कारण उसका मस्तिष्क विक्रित हो गया और उसने ५ जनवरी १९३५ को स्वयं फांसी लगाकर अजमेर जेल में अपनी आत्महत्या करली और इस प्रकार उन यातनाओं से अपना छुटकारा कर लिया।

### सहन शक्ति का अंत हो गया (१९३५)

रोहिनी बन्धुआ अठारह वर्ष का बालक था। उसे फरवरी १९३३ में सदेह के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उसको गोलुंडा घाने के अत्यंत अस्वस्थकर स्थान फरीदपुर में एक अत्यंत कठोर और अनुदार यानेदार सयद इरशाद अली की दया पर रख दिया गया। इरशाद को रोहिनी को परेशान करने, उसे क्षुब्ध करने में पान-द आता था। वह प्रतिदिन रोहिनी को व्यथित और परेशान करने की नई-नई युक्तियां करता। बेचारा बंदी अपने माता पिता और सम्बन्धियों से दूर उसने अत्याचार को सह रहा था। उसको यह भी पता नहीं था कि उसे कितने समय तक उस गंदे अस्वस्थ कर तथा सहायुभूति शून्य शुद्ध वातावरण में रहना होगा। इसी बीच जनवरी में उसकी माता की मृत्यु का समाचार उसे मिला कुछ ही दिनों के उपरान्त उसकी भाभी की मृत्यु का समाचार आया। अपने इन स्नेही सम्बन्धियों की मृत्यु से उसके मन को गहरा आघात लगा। वह नजर बंद था उसकी स्नेहशीलता मातेश्वरी और भाभी रक्गवासनी हो गई वह अन्तिम समय उनके दशन भी न कर सका, इसने उसके हृदय में आक्रोश उत्पन्न कर दिया।

यानेदार इरशाद को सम्भवतः यह मान नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। रोहिनी अपने बन्दी जीवन का समय अध्ययन में व्यतीत करता था। उसने बन्दी दशा में ही मैट्रिकयूल्शन परीक्षा उत्तीर्ण की, परन्तु कुटिल यानेदार इरशाद ने उसे शांतिपूर्वक नहीं रहने दिया। कई बार उसके मन में आत्महत्या कर लेने की भावना का उदय हुआ। बहुत विचार मथन करने के उपरान्त उसने यह निश्चय किया कि वह आत्म हत्या करके नहीं मरेगा। वरन् उस व्यक्ति को मार कर मरेगा जिसने उसके साथ इतना क्रमद्वय व्यवहार किया है। १५ जून १९३५ को प्रातः काल घाठ बजे वह हठ निश्चयी युवक इरशाद अली यानेदार के कमरे में घुसा। यदि वह यानेदार को भ्रवसर देता तो उसको और अधिक अपमान सहन करना पड़ता। जब वह यानेदार के कक्ष में घुसा तो उसके हाथ में 'दागो' था। उसका शिकार (यानेदार) बठा काम कर रहा था। उसने घुसते ही यानेदार इरशाद की गदन पर शीघ्रता पूर्वक तीन बार किए। उसका सिर लगभग धड़ से अलग हो गया और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

रोहिनी पर एक विशेष 'याय' अधिकरण के समस्त अभियोग चलाया गया। विशेष 'याय' अधिकरण के समस्त १६ जुलाई १९३५ को उसका अभियोग आरम्भ हुआ। १८ जुलाई को जज न उस लड़के को प्राण दण्ड दे दिया। उच्च 'यायालय' में शर्पीत की गई। २५ नवम्बर १९३५ का उच्च 'यायालय' ने निर्णय दे दिया। रोहिनी की शर्पीत मस्वीकार कर दी गई। प्राण दण्ड सजा की पुष्टि कर दी गई। १८ दिसम्बर १९३५ को फरीदपुर जेल में रोहिनी को फासी दे दी गई। उसके मृत शरीर को जेल के अधिकारियों ने जला दिया। हृदयहीन सरकार ने उस युवक को परणोपरात भी यह सुविधा और अधिकार नहीं दिया कि उसके सम्बन्धी उसका विधिवत् दाह संस्कार कर सकते। हृदयहीनता और निष्ठुरता का अतिक्रम हो गया।

जिसका अन्त शीघ्र हो गया (१९३५)

झाका जिले के जमीनबारी के मनी गोगल सरकार को गिरफ्तार कर ११ १० ३१ को जेल में रख दिया गया। बरहामपुर जेल स २७ ३ ३३ को वह जमीर के गांव में भेज दिया गया। जेल की बंटे यातना तथा रोग के आक्रमण से उस पुत्र के सामान सुन्दर युवक कातिकारी का अन्त २३ दिसम्बर १९३५ को उसी गांव में हो गया।

मृत्यु के साथ खिलवाड़ (१९३५)

दरभंगा से बीस मील दूर मधुवनी याने में मौजा गौहर में 'अशरफी' नामक युवक जिसको बम बनाने की कला का पूरा ज्ञान नहीं था बिना किसी चिकित्साहट तथा सहाय के बम बनाने में जुटा हुआ था। ६ जुलाई १९३५ को रात्रि को किसी को भी नहीं मालूम कि अशरफी की दुष्टता से मृत्यु कब हो गई। यह एक सूनसान कमरे में मरा हुआ पड़ा मिला। उसके चेहरा और छाती पर बम के विस्फोट से लगने वाले गम्भीर चकम थे। उस मकान की तलाशी लेने पर पुलिस को एक पुस्तक 'पत्रावेर हत्याकांड' की एक प्रति तथा एक हस्तलिखित पुस्तक 'अपज के छूनी करने के' प्राप्त हुई। वह वास्तव में युवक भी नहीं था छोटा लड़का ही था और उस बच होने वाली मेट्रिक परीक्षा में पढीस हाई स्कूल से बठ रहा था।

बिना किसी प्रकार की सहायता के (१९३५)

झाका के अन्तगठ मू शीगम का उपद्रव नाथ दत्त नामक एक छोटी उमर का

लडका नवम्बर १९३१ में गिरफ्तार हुआ। उपेन्द्र को भय सक्छो धगाली युवको को भांति उसे केवल सदेह पर गिरफ्तार कर लिया गया और बुझा बंदी शिविर में लगभग तीन वष तक बंदी बनाकर रक्खा गया। उसे १९५ में मुंशिदाबाद के अन्तगत लाल गोला नामक एक अत्यंत अस्वस्थकर स्थान पर बंदी बना कर रक्खा गया। उपेन्द्र को दोष युक्त मलेरिया का प्रकोप हुआ और इससे पूर्व कि याने में सरकार की उसकी चिकित्सा कराने की आज्ञा पहुँची वह बंदी उसी वष उसी स्थान पर मृत्यु का शिकार हो गया। उसको किसी भी प्रकार भोषधि नहीं दी गई और न उसको किसी प्रकार की चिकित्सा की सुविधा ही दी गई।

### एक कलुषित काय (१९३६)

एक पुलिस के अत्याचार से अत्यंत पीडित परिवार जिसके प्रति पुलिस की प्रतिशोध की भावना अत्यंत गहन थी का नव जीवन घोष नामक युवक जो निम्न जीवन घोष का भाई था नवम्बर १९३३ को अपने जिले से जहाँ उसका घर था निष्कासित कर दिया गया। जबकि वह कलकत्ता में था तो फरवरी १९३४ में उसको बंगाल सशोधित आपराधिक अधिनियम के अंतगत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बरहामपुर बंदी शिविर में भेज दिया गया। जून या जुलाई १९३६ को फरीदपुर जिले में गोर लगज याने में नजरबंद बंदी के रूप में स्थापित कर दिया गया। अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि उसने २२ सितम्बर १९३६ को आत्म हत्या कर ली। उसका मृत शरीर अपने कमरे की एक चूली से लटका हुआ था। स्थानीय लोगो का कहना था कि बहुधा उसका स्थानीय पुलिस अधिकारियों से दुर्व्यवहार के कारण झगडा होता रहता था और बहुधा उसको निंदयतापूर्वक पीटा जाता था। स्पष्ट था कि जब कि पुलिस द्वारा उसको इतना मारा गया कि वह मानवीय सहन शक्ति से भी अधिक हो गया तो नवजीवन का मृत्यु हो गई संक्षेप में यदि कहें तो वह निंदयतापूर्वक हत्या करने का मामला था।

याने के चाज में जो अधिकारी था, उसने दो पत्र लिखे थे, जो वह छोड गया। एक पत्र उसके पिता के नाम था और दूसरा सरकार के नाम था। पिता के बार-बार प्राथना करने पर कि उसे वह पत्र पढ़ने दिया जाय सब डिवीजनल माफिसर ने उस दुखी पिता को वह पत्र पढ़ने के लिए नहीं दिया। बंदी की उस अत्यंत सदेहजनक मृत्यु की छिपाने के लिए जो कोहरा उत्पन्न किया गया वह इतना हल्का था कि उससे सत्य के प्रकाश को छिपाया नहीं जा सका वह दूर से भी दिखलाई दे गया। (सदभ - धी जे घोष [ब्रिटिश मजिस्ट्रेट की हत्या] मरडर आफ ब्रिटिश मजिस्ट्रेट पृष्ठ ६६ संस्करण १९६२)।

### मरुभूमि में मृत्यु (१९३६)

देवली (राजस्थान) के बंदी शिविर में जीवन कितना असहनीय और यातनामय होगा इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यही सल्ल्या में युवक जिनका स्नायु संस्थान फोलाद के समान सबल और दृढ था, वे भी वहाँ एक के बाद दूसरा आत्म हत्या करने पर विवश हो गए। यह आत्म हत्याएँ बहुत अंतर से नहीं हुईं। सतोपचंद्र गंगोली एक वीर युवक था। जो कि देवली बंदी शिविर में बंदी था। वह उन बंदी अधिकारियों की विशाल सना में से एक था। १७ अक्टूबर, १९३६ को उसने आत्म हत्या करके अपने जीवन का अन्त स्वयं अपने हाथों से कर लिया। सरकार

ने उसको मृत्यु के सम्बन्ध में जसा हि वह सदैव लीपा पोती वो विज्ञप्ति निकालती थी उसकी आत्म हत्या के सम्बन्ध में भी निवाची जिसको किसी भी प्रकृतिस्य घोर सही निदान के मनुष्य ने सही, नहीं माना। वे आत्म हत्या के कारणों को अच्छी तरह से जानते थे। अतएव उस भूठी विज्ञप्ति से किसी को घंटा नहीं हुआ।

### विशिष्ट क्रान्तिकारी (१९३७)

वह बहुत कम प्रकाश में आते थे। सावजनिक समारोहों, समस्याओं में वे बहुत कम भाग लेते थे और वे कांग्रेस की विचारधारा का और जन आंदोलनों का ही बाहर जनता में आकर समर्थन करते थे। वे कभी सावजनिक सत्याग्रह में कोई पद भी ग्रहण नहीं करते थे जिससे उसका नाम यश, प्रतिष्ठा, हो या धन की प्राप्ति हो। वे शान्त प्रकृति के परंतु जम ज्ञात नता थे। उनमें नेतृत्व के सभी गुण विद्यमान थे। उनका नाम 'सतकारी बनर्जी' था वे चौबीस परगने के महीनगर के निवासी थे। बंगाल के क्रान्तिकारी संगठन में वे अपने प्रारम्भिक जीवन से मृत्यु पयन्त एक महान दलितवादी व्यक्ति थे। उनके शक्तिशाली व्यक्तित्व का क्रान्तिकारी संगठन पर गहरा प्रभाव था। उनका हृदय अत्यन्त दयालु और पीड़ितों के लिए करुणा से भरा हुआ था। उनका दयालु हृदय पीड़ित मानवों के लिए फिर वे चाह किसी भी जाति, धर्म, सम्प्रदाय, स्त्री हो या पुरुष भयवा समाज में उनकी ऊंची या नीची किसी भी स्थिति क्यों न हो दयालु हो उठता था। उनको पीड़ित और कष्ट में देखकर वे दुःखित हो उठते थे। उनका व्यक्तित्व इतना अधिक आकर्षक और चुम्बकीय था कि जो भी उनका गांव वाला या सहयोगी युवक मित्र उनके सम्पर्क में आता वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था। वे लोग उनके सकेत मात्र पर किसी भी विपत्ति या खतरे का सामना करने से नहीं हिचकते थे। उनका एक एका उनके लिए ब्रह्म शपथ था।

वे अत्यन्त गम्भीर भसलो पर भी अल्प समय में ही निराश्रय कर लेते थे। यहां तक कि जिन मामलों में मानव की सबसे बहुमूल्य सम्पत्ति जीवन पर भी जोखिम आने की सम्भावना हो उसमें भी विनिश्चय करने में उन्हें देर नहीं लगती थी। जब एक बार वे कोई विनिश्चय कर लेते तो फिर उसको पूरा करके रहते, उनका किया हुआ विनिश्चय निरस्त नहीं होता था। अपने साधियों और सहयोगियों में वे किसी भी प्रकार की कमजोरी, दोलापन और निश्चय से पीछे फिरने की भावना को सहन नहीं करते थे। जहां तक क्रान्तिकारी हलचलों और कृत्यों का प्रश्न था वे उस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति को भी कठोरता पूर्वक दबा देते थे जो कि साहसिक विचारों और जोखिम भरे दिलों के कार्यों के विपरीत हो।

वे साधियों से कहते 'मत्त आओ यदि तुममें साहस नहीं है।' यदि तुम संगठन के अन्दर आते हो उसमें सम्मिलित होते हो तो तब तुम्हें मत्त तब तक उसके साथ रहना होगा यही उनका मूल मन्त्र था। अपने सम्पूर्ण जीवन काल में सतकारी जिन्हें उनके बड़े प्रिय सत्तु और छोटे सतदा कहते थे—न एक अनुशासित जीवन जिया, सभी अनासक्त आराधना की वस्तुओं को त्याग कर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। वे केवल अपनी ही वस्तुओं का उन्मोग करते थे कि जो स्वस्थ और शक्तिवान जीवन के लिए नितान्त आसक्त हों। एक क्रान्तिकारी की दृष्टियत से 'सतकारी' अपने मनु से अपने लिए कोई अनुग्रह या सुविधा की कभी प्रायना नहीं करते थे फिर जेल के अन्दर अथवा बाहर

सह्ये चाहे कितना भी कष्ट और यातना क्यों न सहन करना पड़े। उह अत्यंत अस्वस्थकर स्थानों और अस्वस्थकर परिस्थितियों में नजर बंद और कद रक्खा गया परंतु सह्याने जेल अधिकारियों से किसी प्रकार की सुविधा की आकांक्षा नहीं की। वह अपने माता पिता से साक्षात्कार करने के लिए कभी जेल अधिकारियों से प्रार्थना नहीं करते थे। न वे कभी अपने परिवार के लिए आर्थिक अनुदान प्रतिशोधार्थक नियमों की बठोरता को कम करने नजरबंदी के नियमों को ढीला करने चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा और सहायता, अथवा किसी भी प्रकार की सुविधा को जेल अधिकारियों से प्रार्थना करते थे। पुलिस के पास जो उनकी फाइल थी उसमें उनके क्रांतिकारी जीवन के तीस वर्षों का इतिहास अंकित था। उस फाइल में केवल उनकी गिरफ्तारी, नजरबंदी और रिहाई की आज्ञाएं भर थी और उनके हाथ की लिखी एक पंक्ति भी नहीं थी। वे बंगाल के क्रांतिकारी योद्धाओं में भीम थे। उनका जीवन केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए ही पूरी तरह समर्पित था। वह महान क्रांतिकारी सतकरी' देवली (राजस्थान) के बंदी गृह में इस नश्वर शरीर को छोड़ कर महा प्रयाण कर गए। देवली का बंदी शिविर बंगाली क्रांतिकारियों के लिए उसके प्रतिकूल जलवायु के कारण मृत्यु द्वार के समान था। वहां जाकर कितने ही क्रांतिकारी पृथ्वी संसमय में ही मुर्त्ता कर सूख गए और भड़ गए। सतकरी की भयंकर खूनी बवासीर से ६ फरवरी १९२७ को मृत्यु हो गई। उस मरुभूमि में चिकित्सा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी।

### एक नौसखिए का कृत्य (१९३८)

अपने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही हरेन्द्र नाथ मुष्ठी क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया था और शीघ्र ही १९३४ में अन्तर प्रांतीय पडयत्र अभियोग के सम्बन्ध में वह गिरफ्तार हो गया। उसको पडयत्र करने के अपराध में पाब बप का कठोर कारावास हुआ और उसको डायमंड हारबर सब जेल में भेज दिया गया कुछ समय के उपरांत उसको ढाका सेट्रल जेल में अपने कारावास काल को काटने के लिए स्था उरित कर दिया गया। २१ जनवरी, १९३८ को उसने भूख हड़ताल आरम्भ कर दी। अधिकारियों द्वारा नासिका से उसको भोजन देने की क्रिया से उसको हानि हो गई। रबर ट्यूब उस नली में न जाकर जिसमें कि भोजन जाता है श्वास की नलिका में घुसा गया। जिस पक्ति ने उसके ट्यूब डाला था वह सम्भवतः नौसखिया था उसने कभी नलिका नाक के द्वारा न तो स्वयं कभी डाली थी और न किसी को डालते देखा था। उसका परिणाम यह हुआ कि बेचारे हरेन्द्र को निमोनिया हो गया और उसकी ३० जनवरी, १९३८ को मृत्यु हो गई।

### ऐतिहासिक प्रतिशोध (१९४०)

ऐस उगाहण बहुत कम मिलते हैं कि जब निर्दोष व्यक्तियों के अम कत्ल के रूप में राष्ट्रीय अपमान और पीडा को उस प्रांत का एक पुत्र एक चौथाई सतावनी तक याद रखे जहां कि वह जघप अपराध हुआ हो और उस बाधित स भयानक प्रतिशोध ले जिसने वह हत्या काण्ड क्रिया और जो हत्यारा रिटायर होकर जीवन का आनंद भोग रहा हो। और वह प्रतिशोध उस देश में ले कि जहां कि वह हत्यारा रिटायर होकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो और जिसे स्वप्न में भी यह सदेह या कल्पना न हो कि उसको अपने कुकृत्य का याथोचित दण्ड उस देश के व्यक्तियों के द्वारा मिलेगा जहां कि उसने वह कुकृत्य किया था। १९१९ में पंजाब में जो

निमम हत्या काण्ड और अत्याचार हुए थे उसके लिए माइकेल ओडायर प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी था। उसने पञ्जाब के गवर्नर के पद से २६ मई को मुक्ति प्राप्त की और भारत के तट से ३० मई १९१६ को प्रस्थान किया। भारतीयों पर जो उसने कल्पनातीत अत्याचार किए थे उससे भारत के मानस को जो पीड़ा थी उसमें राष्ट्रीय अपमान को जोड़ देने के लिए ओडायर के प्रसङ्ग और कृतन देशवासियों ने उसके इंग्लैंड पहुँचने पर उसको बीस हजार पाँच की सैनी भेंट की। उसने भारत के प्रति अपनी शत्रुता और घृणा को तनिक भी कम न कर अपनी पुस्तक 'इण्डिया एज आई नो इट' (भारत जैसा कि मैं उसे जानता हूँ) में उस कड़वी घृणा को उडेल दिया। उस पुस्तक में उसने सरकार द्वारा उन सैनिक और सिविल अधिकारियों को दण्ड दिए जाने की कड़ी आलोचना और शिकायत की, कि जिन्होंने इस निमम अत्याचार में निदयता का परिचय दिया था।

परन्तु प्रतिशोध की देवी निरन्तर उसके पीछे चल रही थी। १३ मार्च, १९४० को वह अपने किंग्स्टन के घर से 'गुडबाई' कह कर तथा यह श्रावण कह कर कि मैं पांच बजे पाप पीने के समय तक वापस लौट आऊंगा, निकला। वह अपने गृह से सीधा उस सभा में गया जिसकी व्यवस्था रायल से ट्रूल एशियन सोसायटी और ईस्ट इण्डिया एसोसियेशन ने संयुक्त रूप से की थी और जिसमें 'अफगानिस्तान' पर एक व्याख्यान होने वाला था जिसे सुनने के लिए ओडायर वहाँ गया। जैसे ही सभा के अध्यक्ष सार्जेंट जेटलंड ने सभा की कायवाही आरम्भ की अभियुक्त अनेक व्यक्तियों को पार कर बीच के रास्ते में खड़ा हो गया। उसकी पीठ दीवार की ओर थी और उसके सामने प्लेट गाम (मच) था जिस पक्ति के सामने सामने वह खड़ा हुआ था वह सामने से चौथी या पाँचवीं पक्ति थी।

सभा की कायवाही ४-३० सायनास समाप्त हुई। धर्मवाद का मत दिया ही गया था और सभा में संश्लिष्ट होने वाले व्यक्ति एक दूसरे से विदा लेकर जाने ही वाले थे कि आक्रमणकारी शीघ्रतापूर्वक मच की ओर बढ़ा और उसने एक के बाद दूसरी शीघ्रता पूर्वक लगातार पाँच या ६ गोलियाँ चलाई। यह स्वाभाविक ही था कि लोग फाटक की ओर भागे और फाटक पर भीड़ हो गई। एक काला हट्ट पुष्ट व्यक्ति ऊपरसिंह जिवन कि गोलियाँ चलाई थी, द्वार की ओर लपका और वह निरन्तर जोर से बिल्ला कर रह रहा था मार्ग से हट जाओ यह कहते हुए वह भीड़ से भरे हुए रास्ते से द्वार की ओर भागा। उसको तुरन्त ही दो व्यक्तियों ने पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिरा लिया। ऊपरसिंह ने अपने को उनकी पकड़ से मुक्त करने के लिए कड़ा समय किया परन्तु उसके शरीर पर बहुत स अधिक बँठ गए और उसकी पूरी तरह से दबोच लिया जिससे कि वह अपने हाथ पर भी नहीं हिला सकता था।

ओडायर की पीठ में दो गोलियाँ एक दूसरे के नीचे लगी थी और वे शरीर में समान्तर दूरी पर घुसती हुई चली गईं। एक गोली बाईं ओर निकली और एक खुला पाँच बन गया। दूसरी गोली पेट में रह गई। पहली गोली प्रभावकारी सिद्ध हुई और ओडायर की तश्काल मृत्यु हो गई। आक्रमणकारी मुहम्मद विह माजाद एक इन्जीनियर था। पुलिस ने प्रारम्भिक जांच पड़ताल तथा पूछताछ के उपरांत उसको १४ मार्च, १९४० को मंत्रिमंडल के समक्ष उपस्थित किया उसने उसे अज्ञान की प्रतिरक्षा में एक क्लेश के लिए भेज दिया। जबकि आजाद अदालत में सुना तो आजाद



मुस्करा रहा था और उन दो अधिकारियों से बात चीत कर रहा था जो कि उसके साथ चल रहे थे और उनमें से एक उसकी हथकड़ी को डोरी पकड़े था। अभियुक्त ने किसी से कोई प्रश्न करना मस्वीकार कर दिया और अदालत की कायवाही दो मिनट में ही समाप्त हो गई।

यह बाद की बात हुआ कि आक्रमणकारी का नाम उधमसिंह है जो कि पंजाब का रहने वाला है। वह भारत में अपने को मुहम्मद सिंह आजाद कहता था। वह जन्म से सिक्ख था और एक आरजकता पूर्ण भाषण देने के कारण भारत में थोड़े समय के लिए कैद काट चुका था। अभियुक्त को २ अप्रैल १९४० को 'याशालय' के समक्ष उपस्थित किया गया। आडायर के विरुद्ध जो उसकी लम्बे समय से घृणा भारत में घनीभूत हो रही थी वह इस बात से स्पष्ट थी कि ऊधमसिंह ने अपने शिकार का नाम और पता 'सर मार्केल ओडायर सनी बैंक, यल्सटन साऊथ डेवन' नबद साते (केश प्रकाश) के पृष्ठ पर लिख रक्खा था। उसकी १९३६ और १९४० की दोनों डायरियों में ठीक उसी पृष्ठ पर दोनों वष ओडायर का नाम और पता लिखा हुआ था।

ऊधमसिंह ने अपने वक्तव्य में कहा — 'मैंने उसे मारा क्योंकि मुझे उससे रजिशा थी। वह उसी (मृत्यु) का पात्र था। मुझे कोई चिंता नहीं है मैं मरने से नहीं डरता और न उनकी परवाह करता हूँ। इससे क्या लाभ कि मरने के लिए मृदा अवस्था की प्रतीक्षा की जावे। जब कि हम युवक हों तभी मरना चाहिए। यही ठीक है। यही मैं कर रहा हूँ। मैं अपने देश के लिए मृत्यु का आलिगन कर रहा हूँ। क्या लाड जेटलैंड की मृत्यु हो गई? उनकी मृत्यु हो जानी चाहिए क्योंकि मैंने ठीक उस स्थान पर (अपने पेट की ओर इंगित करके) दो गोलियां मारी थीं।' ऊधमसिंह को जब गिरफ्तार किया गया तो उनके पास अमेरिका का बना ६ चम्बर का ०.४४५ बोर का रिवाल्वर मिला जो २५ वष पूर्व ब्रिटिश सरकार के लिए बनाया गया था। इसके अतिरिक्त उनके पास २५ राऊड कारतूस और छुरा था। वे कारतूस भी लगभग ३० वर्ष पुराने थे उसके परिणाम स्वरूप कुछ कारतूस रिवाल्वर में डीले रहते थे कारण पूरी तरह फिट नहीं होते थे। जब कि मैजिस्ट्रेट ने उसका नाम पुकारा तो उसने कहा "महोदय मेरा नाम ऊधमसिंह नहीं है। उसके मित्र उसको राम मुहम्मद सिंह आजाद के नाम से जानते थे।

२१ अप्रैल १९४० को अभियुक्त पर वाऊस्ट्रीट पुलिस अदालत में सर मार्केल ओडायर की जानबूझ कर हत्या करने का आरोप लगाया गया। एक पुलिस आफिसर से उससे कहा था कि उसको नजर बंदी रक्खा जावेगा तो उसने उत्तर दिया कि यह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब समाप्त हो गया और उसने अपना बयान जारी रक्खा। 'मैंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अतन्त भारत में लोगों को क्षया से पीड़ित देखा है। मैं उसका इस प्रकार प्रतिवाद करने के लिए तनिक भी दुखी नहीं हूँ। अपनी मातृभूमि के हित में मेरा यह कृत्य था। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझे क्या दण्ड दिया जाता है—दस, बीस, पचास वष भयवा फांसी।' उसको 'गोल्टर बली सेट्रल क्रिमिनल कोर्ट के सुपुद कर दिया गया जिसने उसको प्राण दण्ड दे दिया। भारत माता के महान सुपुत्र ऊधमसिंह को १२ जून १९४० को फांसी दे दी गई। (श्री ३. — जन सम्पर्क विभाग तथा पब्लिक विभाग, पंजाब) इस प्रकार सन्दर्भ में भारत

माता के उस महान क्रान्तिकारी पुत्र का घन्ट हुआ। उसका नाम उन स्वतन्त्रता के बलिदानों की सूची में सदब धमर रहेगा जिन्होंने केवल मात्र जननी जन्म भूमि की सेवा से जो देशभक्तों को ह्य होता है उस ह्य के लिए बिना किसी क्षतिपूर्ति प्रपवा प्रतिदान की आशा किए अपने प्राणा की आहुति दे दी।

### रोम भयवा यातना (१९४१)

सक्रिय जीवन के आरम्भ से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियों के कारण बिटेद्र नाथ मलिक के लिए पुलिस की दृष्टि से बच सकना कठिन था। पुलिस उनके पीछे थी और वे पुलिस के द्वारा उत्पीड़ित थे। कभी तो वे पुलिस से छिपते, गिरफ्तारी से बच जाते तो कुछ ही सप्ताहों के उपरांत जेल में ठूस दिए जाते। उनको जेलों में बंदी बनाया गया। बन्दी गिरियों में नजरबंद रखना गया और यहाँ तक कि अस्व-स्पर्श ग्राम्य क्षेत्र में कई बार बन्दी बना कर रक्खा गया। पुलिस उनको कभी चैन की साँस नहीं लेने देती थी। वह कभी परारी का जीवन श्यतीत करते तो कभी जेल में जबकि वे फरार थे उस समय वे दिसम्बर १९४१ में लखनऊ पहुँचे वहाँ उनको भयकर आन्त्रज्वर ने घर दबाया वे रोग शय्या पर पड गए। ऐसी असहाय और रोग प्रस्त प्रवस्था में पुलिस ने उनको १३ दिसम्बर १९४१ को गिरफ्तार कर लिया और छठी दिन उन्हें सेट्रल जेल भेज दिया। सभी की राय में रोगी की दवा गम्भीर और बिजाजनक थी। लेकिन फिर भी जेल जीवन की कठोरता में तनिक भी कमी या िलाई नहीं की गई। रोगी की जेल में दो दिन के उपरांत अर्थात् १५ दिसम्बर १९४१ को मृत्यु हो गई। जेल में यह ग्राम अफवाह थी कि जतीन के साथ निदयतापूर्ण पाशविक शारीरिक प्रत्याचार किया गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत शरीर को उनके सम्बन्धियों को दाह सस्कार करने के लिए नहीं दिया गया वरन स्थानीय आय समाज को अन्तिम सस्कार करने के लिए दे दिया गया।

### जिनके भाग्य के बारे में ज्ञात नहीं (१९४५)

जिन प्रातिकारियों के बारे में हमें बहुत कम पता है उनमें एक कुसुम रजन पाल था। जबकि वह कालेज का छात्र था उसने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया और कुछ समय के लिए उसको जेल हो गई। वह अपने जीवन यापन के लिए पेशे की तलाश में इगलण्ड चला गया और वहाँ जाकर भारतीय खनिज का व्यापार करने लगा। द्वितीय महायुद्ध के समय वह प्रात ह्मरणीय नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के निकट सम्पर्क में आया और व्यापार छोड़ कर उनके दल में सम्मिलित हो गया। वह भारत की स्वतन्त्रता के काम को आगे बढ़ाने के लिए आजाद हिंद शैडियों से प्रसारण करता था। जबकि जमनी ने आत्म समर्पण किया कुसुम रजन पाल को गिरफ्तार कर लिया गया और छोकियत रूप ले जाया गया। सबसे उसके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इस सम्बन्ध में कुसुम के पहले बिटेद्र नाथ चट्टोपाध्याय रुसिया के हाथ पड गए थे। सम्भवत रुसियों ने उन दोनों को व्यय जीवित रखने की कम्मत को मोल लेना पसंद नहीं किया और सम्भवत उन्होंने उन दोनों भारतीय प्रातिकारियों को समाप्त कर दिया। वे दोनों प्रातिकारी देश भक्त अनिश्चित द्वार से अनन्त में विखीन हो गए।

## अध्याय-नवा (अ)

उचित स्थान से पृथक

मुख्य धारा की उर्मिकाएँ

इस खण्ड में अनेक शहीदों के नाम देने का एक मात्र कारण यह है कि उनके बारे में खोज और जानकारी देर से मिली इस कारण उनको और कही स्थान नहीं दिया जा सका। ऐसे प्रकरण और घटनाएँ जिनके सम्बन्ध में अधिक विस्तृत जानकारी नहीं है उनका उल्लेख इस आशा से किया गया है कि यदि इन हतात्माओं (शहीदों) के कोई मित्र या सम्बन्धी हो और वे इनके नामों के कवाल को विस्तृत जानकारी 'रूपी मास से ढक सके तो आगे चलकर उनके सम्बन्ध में अधिक लिखा जा सके। ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में लिखने में जिनके बारे में कोई लेख नहीं है केवल जनश्रुति ही प्रचलित है जिसकी किसी ग्रन्थ श्रोत से पुष्टि नहीं हो सकती बड़ी कठिनाई है। इसमें बड़ी जोखिम है। अदमन में एक राजनीतिक कदी की मृत्यु की एक अत्यन्त विद्वसनीय मित्र ने जानकारी दी और उनके सम्बन्ध में प्रेस के लिए लेख तैयार कर लिया गया। एक दूसरे मित्र ने उस लेख की पांडुलिपि को पढ़ कर कहा कि प्रमुख स्थान पर उस हतात्मा के सम्बन्ध में जांच कर लेना उचित होगा। उस पते पर लिखने से अत्यन्त हृष का समाचार मिला। उक्त क्रांतिकारी सज्जन यद्यपि अत्यन्त वृद्ध हो गए थे परन्तु पूर्ण स्वस्थ थे। यदि अनजाने में किसी अथ क्रांतिकारी के सम्बन्ध में ऐसी भूल हो गई हो और वे जीवित हो तो लेखक की यही कामना है कि वे दीर्घायु हों। इसके साथ ही इस बात की जोखिम को भी हमें नहीं भूल जाना चाहिए कि ऐसा नाम जो कि सभी प्रकार बलिदानों की प्रशस्ति में सम्मिलित किए जाने योग्य है जहां तक सम्भव हो छूट न जावे।

उत्तमसिंह—उत्तमसिंह गदर पार्टी के सदस्य थे। वे सयुक्त राज्य अमेरिका से भारत वापस लौटे और उन्होंने फौजी छावनियों में सेनाओं में क्रांतिकारी और विद्रोह की भावना को फैलाना आरम्भ किया। वे १५ सितम्बर १९१५ को जब कि एक गांव में विश्राम कर रहे थे गिरफ्तार कर लिए गए। उनको प्राण दण्ड दिया गया और फाँसी दे दी गई। (सदम—स्वामी केशवान द अग्नि दन ग्रन्थ पृष्ठ १६१-६२)

प्रबोध भट्टाचाय—प्रबोध भट्टाचाय राजशाही कालेज का छात्र था जो ललिते स्वर इक्की में १९१६ में निपरा में मारा गया (सदम—पकरसी अग्निदिनेर कथा १९४७ पृष्ठ ५७)

हरिदास दास—हरिदास दास डायमंड हारबर थाने में सेतालामपुर के निवासी थे। पुलिस का कहना था कि वे भवानीपुर क्रांतिकारी दल के सदस्य थे। ग्रन्थ बहुत से सदेहास्पद लोगों के समान उन्हें भी गिरफ्तार करके राजशाही जिले के पुतिया थाने के बरोई पारा नामक स्थान पर नजरबंद कर दिया गया। यह घटना १९१६ की है।

वह स्थान अत्यन्त अस्वस्थ कर होने के लिए कुस्यात था और उन्हें सरकार जो भत्ता देती थी वह भी बहुत ही कम और अत्यन्त अनियमित था। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही उनके लिए अत्यन्त कठिन था, शोषणियों के लिए

व्यय कर सकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। कमी कमी उन्हें भूखे ही छोड़ना पड़ता था। अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्होंने जो भी प्रतिवेदन दिए उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें ऐसी कठिनाई में देखकर उनके पुलिस गाड़ ने अपने पास के साधनों से उनके लिए भोजन बना देने का प्रस्ताव रक्खा यदि दरोगा साहब उसके व्यय के भुगतान की गारंटी दे दें। परन्तु दरोगा ने उससे प्रस्ताव को मस्कोकार कर दिया। जुलाई में हरिदास पुतिया गैस्ट हाऊस पुलिस जानकारी में गया और ६ जुलाई को वापस लौटकर आया तो भीषण ज्वर था। वास्तव में उसे पहले भी ज्वर आया था परन्तु दोच में उतर गया था कुछ दिनों के अन्तर से उसे पुनः भयंकर ज्वर हो गया। पुलिस अधिकारी ने उसे १७ जुलाई और उसके दूसरे दिन भी आकर देखा। उसने पुलिस अधिकारियों से अपनी कष्ट गाथा सुनाई। परन्तु स्थान परिवर्तन के लिए उनके सारे प्रयत्न व्यय सिद्ध हुए। अन्त में निराश और हताश हरिदास ने १८ जुलाई १९१७ को अपनी आत्म हत्या कासी लगा कर करली। सरकार ने सतीष की सांठ ली उनके सिर का दण्ड कम हुआ।

सरकार ने हरिदास के पिता, हरिदास की पत्नी और समस्त परिवार को उनकी मृत्यु से जो शोक और आघात पहुँचा उसके लिए भ्रमरमच्छ के आसुओं की तरह सद्गानमूर्ति भी प्रकट की। पत्र में यह भी सूचित किया गया था कि इसमें धोखे धड़ी का कोई सदेह नहीं है।

शिशिर कुमार गुहा — शिशिर ने २३ दिसम्बर १९०७ को एक अत्यन्त शीघ्र और बीरतापूर्ण काय किया जबकि गोल-होम उसने, श्री ऐलन की पीठ में बहुत से धारियों के बीच में गोली मार दी। श्री ऐलन की मृत्यु नहीं हुई वे ढाका के जिलाधीश थे। वह गिरफ्तार होने से बच निकला। इस घटना के उपरान्त वह एक साधु बन गया और सात वर्षों तक चुपचाप शांत जीवन व्यतीत करता रहा। १९१४ में उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको एक वर्ष का कठोर कारावास ही गया। एक वर्ष के कारावास की अवधि के समाप्त होने पर जब वह जेल से मुक्त हुआ तो उसको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और एक गांव में नजरबंद कर दिया गया। दुनिया को यह प्रकट किया गया कि शिशिर अपने गाँव में मर गया। (सदभ टो यस चक्रवर्ती विप्लवी बगल १७५७-१९१२ पृष्ठ १५६) शिशिर के सम्बन्ध में और अधिक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

रेवती चरण नाग — जिन पर सदेह होता ऐसे राजनीतिक क्रांतिकारियों की मृत्यु रहस्यमयी होना कोई असाधारण बात नहीं थी। परन्तु रेवती चरण की जिस प्रकार मृत्यु हुई उसकी तुलना में अन्य सभी रहस्यमयी मृत्यु नगण्य सी प्रतीत होती है। रेवती ने १९१५ में कोमिला जिला स्कूल से मट्रिक्यूलेशन परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उसके पिता की आर्थिक स्थिति खराब थी अतएव उनकी इच्छया थी कि वह कोई नौकरी करले जिससे कि वह कुछ कमाए और परिवार को आर्थिक सहायता पहुँचा सके। रेवती चरण ने १९१५ में अपने घर को छोड़ दिया और उसके घर से निकल जाने के उपरान्त यह पता चला कि उसकी इच्छया एम ए पढने की थी और एम ए करके ही वह कोई अच्छी नौकरी करना चाहता था जिससे कि समृद्धिशाली जीवन व्यतीत कर सके। वह अपना घर छोड़कर भागलपुर चला गया और उसने स्थानीय कालेज में इन्टर मीडियेट में अपना प्रवेश ले लिया। उसको कासिमबजार राज्य से एक छोटी सी छात्र

वृत्ति मिल गई थी और वह एक सभ्रांत परिवार में दो छोटे बच्चों का ट्यूटर नियुक्त हो गया था। वह उन्हीं के यहाँ दो छोटे बच्चों के अभिभावक शिक्षक की भाँति रहता था। इस प्रकार वह अपनी पढाई का सच चलाता था। किसी कारणवश उसने १८ अक्टूबर, १९१६ को भागलपुर छोड़ दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ पुलिस उसको गिरफ्तार करने का वारंट लेकर आई। जिस कमरे में वह रहता था उसकी बहुत अच्छी तरह से तलाशी ली गई और उसकी सभी वस्तुओं को पुलिस ले गई। एसी मायता थी कि उसके कोमिटला स्कूल छोड़ने के समय रकून के हैडमास्टर की हुई हत्या के सम्बन्ध में पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती थी। उस हैडमास्टर के सम्बन्ध में लोगों की धारणा थी कि वह पुलिस का भेदिना है। रेवतीचरण के सम्बन्ध में किसी को कुछ भी पता नहीं हुआ कि वह कहाँ चला गया। दीपकाल के तीन वर्षों के उपरांत एक पुलिस आफिसर ने रेवती के एक दूर के रिश्तेदार को भिगरा रेलवे स्टेशन पर बुलाया जो उसके पट्टव गाव तिरग म 'सपालता' गाव से बहुत ही दूर था। उस पुलिस आफिसर ने रेवती के उस दूर के रिश्तेदार को वे ८९ चीजें सौंप दीं जो कि उसके भागलपुर के कमरे में पुलिस को मिली थी और उससे यह संदेश कहा कि जनवरी १९१७ में उसकी उसके दल वालों ने भागलपुर में हत्या कर दी।

वह रहस्य और भी गहन हो गया जबकि सेडीगन कमेटी - १९१८ की रिपोर्ट प्रकाशित हुई (पृष्ठ ८९) और उसमें यह लिखा था कि रेवती चरण की उसके साक्षियों ने सिराजगंज में अनतिक्रम के अपराध में हत्या कर दी। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं कि फरवरी १९२० तक अर्थात् मृत्यु के तीन साल बाद तक न तो उसके पिता और न अन्य रिश्तेदारों को उसकी मृत्यु की सूचना दी गई। उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि (पृष्ठ १२८ १३०) रेवती बिहार के क्रांतिकारी दल का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण सक्रिय सदस्य था। वास्तविकता तो यह थी कि वह उन व्यक्तियों में से था कि जो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और उसने अनेक युवकों को क्रांतिकारी दल के सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया था। उस पर अनतिक्रम का आरोप लगाना अत्यंत घृणास्पद था। उसके चरित्र के सम्बन्ध में जो विभिन्न श्रोतों से ज्ञात हुआ अर्थात् रेवतीचरण जिन होने उस भागलपुर में उसे आश्रय दिया था, एक अभ्यापक जो उसको बहुत घनीप से जानते थे और उसके अभिन्न मित्र ने एक स्वर से कहा कि उसका चरित्र निश्कलक था। उसके चरित्र में कभी कोई ऐसी बात नहीं मिली कि जिसके कारण उसके दल वाले उसकी हत्या कर दें।

इसके अतिरिक्त उसके पिता की माइसे में एक पत्र मिला जहाँ वे अपने आजीविका उपाजन के लिए काय करते थे। उस पत्र पर ईस्ट रगून के डाकघराने की १। मार्च १९२० की मुहर लगी हुई थी। पत्र में लिखा था कि रेवती चरण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उससे अपराध प्रतीकार करने के लिए उसको उन्हीं यातना देकर मार डाला। रेवती चरण के निश्कलक चरित्र के सम्बन्ध में जो कुछ ज्ञात है उससे पत्र में लिखी सूचना का पूरा मेल खाता है। रेवती की मृत्यु की सूचना देने का सदेहजनक तरीका और मृत्यु कहाँ हुई उस स्थान में भेद-पुलिस ने बताया कि भागलपुर में हुई रिपोर्ट में मृत्यु का स्थान सिराजगंज बताया गया। जब सिराजगंज में यह जांच पड़ताल की गई तो वहाँ के स्थायी रहने वाला से पता चला कि जनवरी १९१७ में वहाँ कोई हत्या नहीं हुई। रेवती चरण की मृत्यु के पहले और पश्चात् इस प्रकार

को संदेहजनक मृत्युप्रो के लेख हैं कि जिनकी एक मात्र वारण पुलिस थी परंतु पुलिस उस क्रान्तिकारी के मस्तिष्क में विचार हो जाने के कारण घातम हत्या कर लेने प्रथवा साथियों द्वारा मार दिए जाने का झूठा बहाना बताकर अपने कुदृष्ट्य पर पर्दा डालती थी ।

### सुरेद्र (सौरे द्र) कुसारी

७ मई १९१७ को क्रान्तिकारी दल ने धारमीनियन स्ट्रीट की एक दुकान को लूटा । उसमें दो व्यक्ति मारे गए और दो गम्भीर रूप से जख्मी हो गए । सुरे द्र (सौरे द्र) कुसारी आक्रमणकारी दल में था उसको अपने साथी की ही एक गोली लग गई । उसके साथी उसको एक सुरक्षित स्थान पर उठा कर ले गए । परंतु अंतत उसकी उस जख्म के कारण मृत्यु हो गई । (सदम एन के गुहा बंगालया विल्पवादा-पृष्ठ ३०१)

गौरव गरिमा—बंगाल लजिस्ट्रेटिव काऊंसिल में सरकार के ग्रह सदस्य ने नीचे लिखा उत्तर दिया था—सुरेद्रनाथ कार ने जेल में घातम हत्या कर ली । केशवलाल देव की टायफाइड ज्वर से मृत्यु हो गई । जतींद्रनाथ राय की हैजे से मृत्यु हो गई । धीरेन्द्र मोहन मुखर्जी की हैजे से मृत्यु हो गई । (अमृत बाजार पत्रिका, ५ जुलाई १९१८)

भार्गसिंह—भार्गसिंह लाहौर पडयंत्र अभियोग में एक अभियुक्त था । कहा जाता है कि अभियोग के मध्य एक भेदिए से भगडा हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । (अमृत बाजार पत्रिका ८ जनवरी १९१७)

शांति-चक्रवर्ती—शांति क्रांतिकारी दल का एक अत्यंत सक्रिय सदस्य था । कलकत्ता की मिर्जापुर स्ट्रीट की एक दुकान में बाहर से फेंके हुए बम के विस्फोट के सम्बन्ध में वह सदेह में १९२३ में गिरफ्तार कर लिया गया । वह एक मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित किया गया किंतु विद्वसनीय साक्षी के अभाव में अदालत ने उसे निर्दोष कह कर छोड़ दिया । एक दिन विशेष को-एक गुप्त सन्देश के अनुसार जो वह छोड़ गया था—वह अपने निवास स्थान से अपने एक मित्र से मिलने गया जिसने उसके पास शांति की सम्भावित गिरफ्तारी के पूव जमा किए हुए अस्त्र अस्त्र वापस लौटाने का वचन दिया था । शांति रात्रि को वापस लौट कर नहीं आया । जिन मित्रों को उसके जाने का कारण मालूम था, उसके सम्बन्ध में बहुत चिंतित और आशंकित हो गए और उन्होंने उसकी खोज की । कुछ समय खोज करने के उपरान्त वह शांति का मृत शरीर डमडम रेलवे स्टेशन से अधिक् दूर नहीं, रेल की पटरी पर मिला । उसके शरीर पर कई गहरे घाव लगे । (जी एन चंदा अबिसमरानिया पृष्ठ ६६)

उधमसिंह कासेल—जबकि उधमसिंह समुक्त राज्य अमेरिका में था वह गदर पार्टी में सम्मिलित हो गया था और १९१४ में वह तोसा मारु' जहाज से भारत वापस लौटा । कसकत्ते में जहाज से उतरते ही उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसको पंजाब ले जाया गया । बाद को उसको एक लाहौर पडयंत्र में अभियुक्त बनाया गया और सजा हो जाने पर १० दिसम्बर १९१५ को उसे अडमन सलूलर जेल में भेज दिया गया । जेल का दण्ड और सलूलर जेल का कठोर धम उसकी अंतर की अग्नि को मर न कर सका । जबकि एक साथी कदी को नारियल की छपने हिस्से की जटा तैयार न कर सकने पर जेलर ने गाली दी तो उधमसिंह से सहन नहीं हुआ । उसने जेलर को उसके कार्यालय में ही जाकर खूब पीटा, उसके परिणाम स्वरूप उधमसिंह को भी निंद्यता पूर्वक मारा पीटा गया ।

उसी समय सरकार की नीति में ५

और उधमसिंह को भारत

वापस भेज दिया गया और उसे बलारी जेल में रख दिया गया । वह किसी प्रकार जेल से भागने में सफल हो गया और अरुणचरीय वृष्टो को सहन करते हुए वह किसी प्रकार पञ्जाब पहुँच गया । जबकि उसे लगा कि उसके लिए अपने गुप्त आश्रय स्थल पर और अधिक ठहरना बहुत कठिन हो गया है तो वह १९१२ में भारत की सीमा को पार कर काबुल (लासपुरा) पहुँच गया और वहाँ वह कुछ समय तक छिपा रहा । कुछ ही महीनों में उसके तीन साथी उसके साथ मिले और उन्होंने नकली नाम रख कर जनता में भावसाधक का प्रचार करने के लिए 'कीर्ति' नामक पत्र निकालना प्रारम्भ किया । (सदम देशमन्त्र यादा नवम्बर १९६३ पृष्ठ १६) उसके दोष जीवन रहस्य के गम में छिपा है ।

नृपेन्द्रनाथ दत्त और बीरेन्द्रनाथ चक्रवर्ती—जलपाडगुरी में जब दो युवक नृपेन्द्रनाथ और बीरेन्द्रनाथ १९३० में एक निश्चित स्थान पर तारों को काटने के लिए रेलवे लाइन के साथ साथ जा रहे थे, जिसे कि सवार व्यवस्था ठण्प हो जावे तब एक बेजो से घाने वाले रेलवे इंजन के नीचे घाने से उनकी मृत्यु हो गई । रेलवे इंजन उनके बिना जाने तेजी से उन पर घा गया वे दृष्ट न सके । (सदम जी एन चण्ण अविस्मरणीय पृष्ठ १५६)

पीतम खाँ—एक ट्रेन डकैती के अभियोग में पीतम खाँ को प्राण दण्ड दिया गया और फाँसी के तख्ते पर उनका महाप्रयाण हुआ । (सदम अखिल भारतीय छात्रिता का गी सहीद वमटी अल्वम पृष्ठ ५६)

गनेशिलाल खास्ता—बनारस पढाई अभियोग के एक अभियुक्त गनेशिलाल को दीघकाल का कारावास हुआ । जब कि वे जेल में अपने कारावास का दण्ड भुगत रहे थे तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई । (वही पृष्ठ १२)

बेहरासिंह—बेहरासिंह के सम्बन्ध में इससे अधिक और कुछ ज्ञात नहीं है कि उनकी मृत्यु जेल में हुई । (वही पृष्ठ ५६)

रबोन्द्रमोहन कार—जबकि राजनीतिज्ञ अभियोग में दण्डित होकर वे कारगार में थे तब वहाँ बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई । (एम एन युता काकोरी सराजानेर स्मृति पृष्ठ ६५)

पाठके—सिगापुर में जो सेना ने विद्रोह किया वह मुख्यतः गदर पार्टी के सन्ध्य पाठके के प्रयत्नों का परिणाम था । उनकी गिरफ्तार कर सैनिक न्यायालय में उन पर अभियोग चलाया गया और उनकी प्राण दण्ड की सजा देकर फाँसी दे दी गई । (शर्मा तथा कुमार इंडियन प्रिंटिंग स्ट्रिगिल मॉटीनरी पृष्ठ २२६)

बकटरमन—बकटरमन की मदगास में एक बम के विस्फोट हो जाने के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई । (पी दास युता विल्पावर पापे पृष्ठ १७४)

धीरेन्द्रनाथ दे—धीरेन्द्र को पुलिस ने सदेह पर गिरफ्तार कर लिया और ममनसिंह के जमानतुर कस्बे के पुनर्गत घाने में रखा गया । पुलिस ने घाने के साक्ष्य में उनकी निदयता युवक यात्रना देकर मार डाला । (वही सन्ध्या ७५)

मनोत्र उशील—मनोत्र को १९३० में सदेह पर गिरफ्तार कर लिया गया और बंगाल की अनेक जेलों में रह चुकने के उपरांत भारत में मनोत्र राजपूताने (वर्तमान राजस्थान) के दक्की ब दी सिविर में पहुँचा । उन्हें वेदों का क्षय रोग हो गया और जब कि मृत्यु के निकट पहुँच गए तो वे गीर्ह के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया गया ।

जसोबापाल—जसोबा ६६ एडवर के बम अभियोग में एक अभियुक्त थे । जब

उनको बहुत लम्बे कारावास का दण्ड दिया गया तो उनके स्वास्थ्य की दशा अत्यन्त गिरी हुई थी। जेल में जब उनकी दशा मरण तुल्य हो गई तो उ हे समय से पहले रिहा कर दिया गया। परन्तु वे स्वास्थ्य लाभ न कर सके और उनकी मृत्यु हो गई।

**बीरेन्द्रनाथ दे—बीरेन्द्रनाथ दे** दिसम्बर १९३३ में तमिल सब डिवीजन के सगालिया पाहा में क्रान्तिकारियों की एक टुकड़ी में दल के लिए घन एकत्रित करने की कायवाही करने के लिए सम्मिलित हुए। उस कायवाही में एक ग्रामीण द्वारा फेंका हुआ बल्लम उनके शरीर में घुस गया। उस बल्लम को हाथ से पकड़े हुए वे भागते चले गए। नदी के किनारे जहाँ उनको भगा ले जाने के लिए एक नाव तैयार खड़ी थी वहाँ पहुँच कर शविर के बहने के कारण वे मर कर गिर पड़े।

**जन भूति सचोत्रनाथ राय—**पुलिस की कुत्सित से बचने के लिए १९१५ में मृगगत हो गए उसके उपरांत उनके सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। **गोपेन्द्र राय—**पाथार प्रतिमा स्थान पर नजरबंदी की दशा में मरे। **महेश बरुआ—**को बाधुआ टकठी के सम्बन्ध में कारावास का दण्ड मिला था। जेल में उनकी मृत्यु हुई।

**बारीसाल के सुनील चक्रवर्ती—**की राजशाही जेल में मृत्यु हुई। **बारीसाल के त्रिनेन समादार—**की नजरबंदी की दशा में मृत्यु हुई।

**हरन चक्रवर्ती—**जब रेल की लाइन के किनारे एक प्रांतिकारी दल की कायवाही में (याक्रमण) भाग लेने के लिए बामुदेवपुर की ओर जा रहे थे तो एक चलती हुई गाड़ी के नीचे भा गए और उनकी मृत्यु हो गई।

**धीरेन्द्रनाथ बरुआ—**को चीटा गांव में प्रांतिकारी तारे लगाने के अपराध में इतनी निदयता से पुलिस ने पीटा जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई।

**रामजी कलहाटकर—**को १९१९ में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी नासिक पढयन्त्र अभियोग के सम्बन्ध में हुई थी। उस समय वे क्षयरोग से पीड़ित थे। जेल के कठोर जीवन ने उनकी लाञ्छन और कष्ट से मृत्यु के द्वारा मुक्ति दिला दी।

**सुशील दत्त—**पुलिस से हुई एक मुठभेड़ में उत्तर भारत में १९१६ में धीरेन्द्रनाथ की गति को प्राप्त हुए।

**मनीन्द्र बोस—**१९१५ में मैनसिंह में पुलिस की गोली से मारे गए।

जो अजेय था

यह उन दिनों की बात है जबकि मेवाड़ के सिंहासन पर महाराणा सज्जनसिंह राज्य शासन कर रहे थे। वे प्रगतिशील स्वाभिमानी और कुशल शासक थे। स्वामी दयानंद के भक्त और प्रशंसक थे। उनके मंत्री ठाकुर कृष्णसिंह बारहूट थे वे भी स्वामी दयानंद के भक्त और प्रशंसक थे और स्वामी के राष्ट्रीय विचारों के प्रति श्रद्धा रखते थे। देशी नरेशों पर अंग्रेजी सरकार कठोर अक्रुण रखती थी। विदेशी विभाग प्रत्येक राज्य में कुछ अंग्रेज अधिकारी नियुक्त करवा देता था जो एक प्रकार से महाराजा पर अक्रुण रखते थे। मेवाड़ में भी विदेशी विभाग के पोषित कतिपय अंग्रेज अधिकारी थे। महाराजा सज्जनसिंह उनके वचस्व से दुखी था। ठाकुर कृष्णसिंह के सुभाव पर उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो माक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त तथा लन्दन से बार एट ला करके भ्राए थे मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा उदमट विद्वान राजनीति विचारद प्रांतिकारी विचारों के देशभक्त थे। स्वामी दयानंद से उनकी घनिष्टता थी अस्तु ठाकुर कृष्णसिंह बारहूट के प्रस्ताव तथा स्वामीजी के



समयन से वे मेवाड़ के दीवान पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने उदयपुर आते ही अंग्रेज अफसरों को बतुराई और युक्ति से निकाल बाहर किया।

ठाकुर कृष्णसिंह के तीन पुत्र केशरीसिंह बारहट और जोरावरसिंह बारहट थे। केशरीसिंह बारहट को प्रकाश पांडित्य, देशाभिमान, देशप्रेम अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था। इयामजो कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी महान राजनीतिक और उद्भट विद्वान के सहवास तथा स्वामी दयानंद के उपदेशों के फलस्वरूप उनमें क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हुए और उनका देश के प्रमुख क्रांतिकारियों से निकट का सम्बन्ध स्थापित हो गया। विताथी के स्वर्गवासी होने पर वे उदयपुर में उनके पद पर नियुक्त हुए। उनकी योग्यता की प्रशंसा सुनकर कोटा नरेश ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। ठाकुर केशरीसिंह का महाविष्णवी नायक श्री रासबिहारी बोस से घनिष्ठ सम्बन्ध था। वे राजस्थान में क्रांतिकारी दल के रतन्म बन गए। क्रांतिकारी कार्यों की शिक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई ठाकुर जोरावरसिंह बारहट पुत्र प्रतापसिंह बारहट और जामाता ईश्वरदान प्रसाया को रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के प्रमुख नेता श्री अमीरखान के पास दिल्ली भेजा। कालांतर में ठाकुर केशरीसिंह बारहट को भारा पड़-यत्र के मुकाम में प्राजीवन कारावास का दण्ड दिया गया। पर तु छोटे भाई जोरावरसिंह भूमिगत हो गए और २५ वर्षों तक ब्रिटिश शासन की चुनौती देते हुए अज्ञात रह कर क्रांतिकारी कार्य करते रहे।

जब देहली में लाड हार्डिंग पर रासबिहारों के क्रांतिकारी दल ने धम पेंका तो ठाकुर जोरावरसिंह अपने भतीजे प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्रतापसिंह बारहट के साथ उसमें सम्मिलित हुए। बात यह थी कि बंगाल के क्रांतिकारी दल के साहसपूर्ण कार्यों से भारत सरकार चिन्तित हो उठी थी अस्तु उसने भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा कर दिल्ली लाने का निश्चय कर लिया था। उस समय ब्रिटिश कूटनीतियों ने सरकार को यह परामर्श दिया था कि अत्यंत प्राचीनकाल से इन्द्र प्रस्थ-दिल्ली भारत की राजधानी रही है। भारत की जनता का दिल्ली के साथ भावात्मक सम्बन्ध रहा है। कलकत्ता जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया उसका भारत के जनमानस से कोई सम्बन्ध नहीं है अस्तु यदि उसके स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जावे तो भारत की जनता पर उसका अत्यंत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। यही कारण था कि १२ दिसम्बर १९११ को स्वयं सम्राट जाज पाचवें ने दिल्ली दरबार में यह घोषणा की कि कलकत्ते के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी होगी वगैरह को समाप्त कर बंगाल को एक प्रांत बना दिया जावेगा। सम्राट ने नई दिल्ली का शिलान्यास अपने हाथों से किया। उस समय जो दरबार किया गया था उसकी शान शौकत ने ब्रिटिश सरकार की महान शक्ति और वमव का भारत की जनता के मानस पर मनोवाच्य प्रभाव डाला था। ब्रिटेन अजय है, कोई शक्ति उसको हिला नहीं सकती ऐसी भावना भारत में दृढ़ हुई थी।

जब नई राजधानी का निर्माण पूरा हो गया और कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाने का प्रश्न सटा तो भारत सरकार ने राजधानी के उदघाटन समारोह को भी दिल्ली दरबार के समान ही शान शौकत से करना निश्चित किया जिससे कि भारतीय जनमानस पर यह छाया पड़े कि ब्रिटिश सरकार महान शक्तिशाली है उसको कोई शक्ति नहीं कर सकती।

जब लाड हाडिंग की सजी हुई स्पेशल ट्रेन कलकत्ते से वायसराय को लेकर दिल्ली पहुँची तो उनका सम्भार के समान ही स्वागत किया गया। लोगों की गहन भेदी गजन के साथ स्वण सज्जित हथौड़े में बैठकर जब लाड हाडिंग का सुसज्जित हाथी चला, भारत के सर्वोच्च देशी राज्यों के नरेश अपने अग्र रक्षकों के साथ उनके पीछे चल रहे थे भारतीय सेना सज्जित के साथ कूच कर रही थी। सैनिक बड़ मोहक ध्वनि बजा रहे थे और भारत सरकार के सभी अधिकारी जलूस में चल रहे थे। जब यह जलूस बादनी चौक में घटाघर से आगे बढ़ कर पत्राव नेशनल बैंक के सामने पहुँचा तो एक गहन भेदी भयानक घडाका हुमा और एक बम हथौड़े के टिछले भाग पर आकर फटा। हथौड़े का पिछला भाग ध्वस्त हो गया। छत्रधारी जमादार महावीरसिंह मर कर हथौड़े के पीछे लटक गया। वायसराय गम्भीर रूप से घायल होकर थोड़े समय के लिए बेहोश हो गए।

बम फेंकने वाले ऐसे गायब हुए कि ब्रिटिश स्काटलैंड यार्ड के सत्तार प्रसिद्ध गुप्तचर और भारत सरकार की पुलिस और गुप्तचर बम फेंकने वाले का पता न लगा सके। लखों रुपये के पारिवेशिक घोषित किए गए। समस्त सरकारी तंत्र ने सारे प्रयत्न कर लिए परंतु वे असफल रहे। आज तक यह प्रश्न विवाद ग्रस्त प्रश्न बना है कि बम किसने फेंका था। जापान में महाविप्लवी नायक रासबिहारी बोस की पुत्री ने कहा था कि मेरे पिता ने मुझे बतलाया था कि बम उड़ाने फेंका था। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त योजना रासबिहारी के मस्तिष्क की उपज थी और वे बड़ा स्वयं मोहूद थे उनकी देख रेख में ही बम फेंका गया। चन्दननगर से बम मारने की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। अस्तु उनको इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। परंतु क्या वास्तव में बम उन्होंने फेंका? यह कहना कठिन है। क्रान्तिकारी दल के वे सर्वोच्च नेता थे उन्होंने ही बम फेंकने की व्यवस्था कर ब्रिटिश सरकार की शक्ति और प्रभाव को चुनौती दी थी।

क्रान्तिकारी आन्दोलन का इतिहास लिखने वालों से कुछ ने बसत विश्वास द्वारा बम फेंकने जाने की बात कही है। 'रोल ऑफ आनर' के प्रसिद्ध लेखक श्री कालीचरण घाय की भी यही मान्यता है। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी स्वर्गीय जागेश चटर्जी ने भी अपनी पुस्तक 'इन सच आफ फ्रीडम' में बसत विश्वास द्वारा बम फेंका जाना स्वीकार किया है। बंगाल के अधिकांश क्रान्तिकारी भी इसी विचार को स्वीकार करते हैं। ठाकुर केशरीसिंह बारहट के जानाता ईश्वरदान भासिया जो मास्टर अमीरचन्द के पास जोरावरसिंह बारहट तथा प्रतापसिंह बारहट के साथ क्रान्तिकारी शिक्षा लेने गए थे और जिनका रासबिहारी से सम्पर्क था उन्होंने उदयपुर में लेखक को बतलाया कि मास्टर अमीरचन्द ने फासी होने के पूर्व उन्हें बतलाया कि बम बसत विश्वास ने फेंका था। श्री कालीचरण घाय ने लेखक को सूचित किया है कि लाला हनुमंत सहाय जिनको क्रान्तिकारियों के निकल भागने की व्यवस्था करने का काय दिया था और जो आज भी जीवित हैं उन्होंने किसी व्यक्ति से कहा है कि बम फेंकने का काय बसत विश्वास को सौंपा गया था।

परंतु प्रताप बारहट जो कि रासबिहारी बोस के अत्यन्त विश्वास पात्र और प्रमुख सहायक थे और जिन्हें अंग्रेज सरकार ने यतना देकर बरेली जेल में मार डाला उनके अरने मित्र तथा सहायी श्री रामनारायण (श्री) जो राजस्थान के परिषद और

प्रसिद्ध पत्रकार लेखक और राजनीतिज्ञ नेता हैं उ होने लेखक से कहा कि प्रतापसिंह बारहट ने उन्हें बतलाया कि बम ठाकुर जोरावरसिंह ने फेंका था। ठाकुर केशरीसिंह के पुत्र अर्थात् कुंवर प्रतापसिंह बारहट के छोटे भाई की पुत्री को सन १९३७ में बीरवर जोरावरसिंह ने दिल्ली में पहली बार बम कांड के २५ वर्ष बाद बतलाया था कि लाड हार्डिंग पर बम उताने फेंका था और बादनी चौक के उस स्थान को भी दिखलाया था कि जहां से उताने बुर्का पहन कर बम चलाया था। उस समय ठाकुर केशरीसिंह बारहट की पत्नी श्रीमती राजलक्ष्मी देवी चौदह वर्ष की बालिका थी उनका पति श्री फतेह सिंह ने जो को १ में नार दण्डनायक थे ने, लेखक को पत्र लिखकर इस कथन को पुष्टि की है।

बीरवर जोरावरसिंह ने लाड हार्डिंग पर बम फेंका उसके एक साथी और हैं वे हैं श्री मणिराजसिंह जागावत। जब जोरावरसिंह बम फेंक कर दिल्ली से निकले और फरार हो गए तो सरकार ने सारे प्रयत्न कर लिए कि तु वे पकड़े नहीं जा सके। २५ वर्षों तक लगातार वे राजस्थान तथा मध्य भारत के जंगलों में फिरते थे। उ होने अपना नाम अमरदास बरागी रख लिया था और साधुवेश में रहते थे। जीवन के अन्तिम दिनों वे सीतामऊ राज्य में अश्विक रहे और श्री मणिराज जागावत उनके निकट सम्पर्क में आए। श्री जागावत ने लेखक को लिखा है कि ठाकुर जोरावरसिंह ने उन्हें बतलाया कि लाड हार्डिंग जब हीरे पर बठ कर निकले तो मैंने एक ऊँचे मकान से बम फेंका। बम फेंककर जब हम दिल्ली से निकले तो एक दिन मैं हम चालीस मील चले। एक गुप्तचर हमारे पीछे हो गया। वह हमारा पीछा कर रहा था। कुछ दिनों के उपरान्त जब हम बासवाडा (दक्षिण राजस्थान में एक छोटा राज्य) की सीमा पार कर रहे थे तब उस गुप्तचर ने जोर से पुकार कर नाकेदार से कहा कि इस व्यक्ति को पकड़ लो। जोरावरसिंह ने उस नाकेदार को तुरंत मार गिराया और वहां से निकल गए। जबकि वे सीतामऊ के जंगलों और पहाड़ों में अज्ञात रूप से रह रहे थे तब तत्कालीन सीतामऊ महाराजा को यह पता चल गया कि जोरावरसिंह सीतामऊ के जंगलों में छिपे हुए हैं अतः उनके मन में यह भावना उदय हुई कि उन्हें पकड़ कर यदि ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जावे तो वे ब्रिटिश सरकार के विशेष कृपापात्र बन सकेंगे। जब जोरावरसिंह को सीतामऊ नरेश की इस मनोभावना का पता चला तो उन्होंने एक दोहा लिखकर उनके पास भिजवाया। उस दोहे को पढ़कर सीतामऊ नरेश के मन में जो निबलता आ गई थी वह दूर हो गई और उ होने उस विचार को हृदय से निकाल दिया।

लेखक का मत है कि महाविप्लवी नायक रावबिहारी बोस ने सम्भवतः दो व्यक्तियों बसंत विश्वास तथा बीरवर ठाकुर जोरावरसिंह को बम फेंकने के लिए नियुक्त किया था जिससे कि यदि एक का बार खाली जाव तो दूसरे का बम वापसराय को सजे, अतएव बम दोनों व्यक्तियों ने चलाया। बसंत विश्वास कुछ दिनों के बाद गिर पतार हो गए, उन पर अभियोग चला। पहले तो पायाधीश ने उन्हें मात्र मर्द का दण्ड दिया परंतु सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने उनकी प्राण दण्ड की आज्ञा दे दी और उनकी काशी का दिन निर्दिष्ट हा गया तो उस काठिहारी बीर मुबक ने अपने विसी क्रांतिकारी मित्र अथवा सम्बन्धी की बतलाया कि बम उताने फेंका था परंतु बरासत में यह बात सभी श्रान्तिकारियों को शार्त हो गई।

परंतु जोरावरसिंह बम काण्ड के उपरांत पच्चीस वर्षों तक जंगल और पहाड़ों

में फिरते रहे, गिरफ्तार नहीं हुए व किसी से यह कैसे कह सकते थे कि बम उड़ोने फेंका था। जीवन के सघ्ना काल में उन्होंने ठाकुर बेशरीसिंह की पत्नी तथा अपने मित्र मणिराज जगावत को कहा था। पच्चीस वष के दीघकाल तक यह बात गुप्त रही इस कारण वह प्रचारित न हो सकी और लोग बीरवर जोरावरसिंह को भूल गए। उनके जीवन काल में वे लोग भी यह प्रगट नहीं कर सके, जो जानते थे। जीवन के सघ्ना-काल में वे रोग ग्रस्त हुए, कहीं चिकित्सा तो वे करा नहीं सकते थे और न उनकी सेवा सुश्रुषा ही हो सकती थी। इस प्रकार उस क्रांतिकारी ने अपने प्रणों की मातृभूमि की बलि वेदी पर उर्त्सर्ग कर दिया। जब कि वे अमरदास बैरागी नाम से अज्ञात वास में पच्चीस वर्षों तक पहाड़ों और जंगलों में घूमते थे तब भी वे राष्ट्रीय विचारों और देश भक्ति की बलिदान बनाकर, उन्हें गाकर सब साधारण में देश भक्ति की भावना भरते रहे।

जो दो चार व्यक्ति जानते थे कि उन्होंने लाड हाडिंग पर बम फेंका था वे भी उनके जीवित रहते यह बात प्रकाश में नहीं ला सकते थे। यही कारण था कि जोरावर सिंह बारहट विस्मृत कर दिए गए। आज जो सत्ता में है और जो अपनी देश भक्ति का विनापन कर अपनी यशकीर्ति फलाने का प्रयत्न करते हैं उ होने इन बलिदानों की वीरो को भुला दिया। वृत्तन् देश ने इन वीरो की स्मृति को विरम्यायी करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। न जाने और कितने जोरावरसिंह जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान कर दिया भुला दिए गए। (अनुवादक)

नोट — लाड हाडिंग पर बम चलाने के काय में जो लोग सम्मिलित थे उनमें से आज केवल दिल्ली के प्रसिद्ध क्रांतिकारी महाबलधी नयक रासबिहारी बोस के विश्वास पात्र लाला हनुमन्त सहाय ही जीवित हैं। पुस्तक के लेखक श्री कालीचरण घोष ने मुझे (अनुवादक) को सूचित किया था कि लाला हनुमन्त सहाय ने किसी सज्जन से कहा था कि बम फेंकने का काय बसन्तविश्वास के सुपुट किया गया था। श्री कालीचरण को ऐसा लिखने पर मैंने लाला हनुमन्त सहाय से सम्पर्क स्थापित किया। लाला हनुमन्त सहाय ने मुझे लिखा — मैं इस विवाद में नहीं पडना चाहता कि लाड हाडिंग पर बम किसने फेंका।" खेद की बात है कि जो व्यक्ति साधकार इस प्रश्न पर प्रकाश डाल सकते हैं वे मौन ही रहना चाहते हैं। (शंकर सहाय सक्सेना-अनुवादक)

सिंह जो किसी भी वंश कोण्ट के लिए बहुत बड़ा था

भारत के क्रांतिकारी युद्ध में अग्रिमपक्ति के क्रांतिकारियों में केवल एक ही महान क्रांतिकारी था जिसे भारत तथा विदेश में ब्रिटिश साम्राज्य की अत्यन्त कुशल तथा समस्त पुलिस कारावास में नहीं भेज सकी, और न एक दिन के लिए भी उसे नजर बंद कर सकी। मच तो यह है कि महाविप्लवी नायक रासबिहारी बोस की इस दृष्टि से यह एक अप्रसूत विशेषता थी। ऐसे अनेक क्रांतिकारी धीरे धीरे जिन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए हस्तक्षेप मृत्यु का आलिंगन कर लिया। परन्तु जीवित क्रांतिकारियों में कोई भी गिरफ्तार होने से नहीं बच सका। उस दिन से जिस दिन से रासबिहारी बोस ने क्रांतिकारी क्षेत्र में पदार्पण किया—उस दिन तक जिस दिन मृत्यु ने उनके क्रांतिकारी कार्य में हस्तक्षेप नहीं किया वे केवल अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए विचार ही नहीं करते रहे वरन् सबसे लिए खतरनाक तरीके से सश्रिय रहे। उनके जीवन का उद्देश्य उनके नीचे लिखे वाक्यों से लक्षित होता है।

“भारत को स्वतंत्र प्रवक्ष्य होना है क्योंकि समस्त विश्व के पुनर्जनन के लिए उसका स्वतंत्र होना नितांत आवश्यक है। यह स्वयं में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है वरन् वह एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। वह लक्ष्य है साम्राज्यवाद और सैनिकवाद का विनाश और हम सभी मानव मात्र के लिए रहने के लिए अधिक उत्तम विश्व का निर्माण।” १९११ से उहोने भारत में विप्लव कराने के लिए कार्य किया और इस उद्देश्य से चाहाने उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अपना सम्पूर्ण स्थापित कर लिया था। उहोने अपना मुख्यालय लाहौर को चुना जो कि देहली पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारियों को जोड़ने की कड़ी का काम करता था। बंगाल से आतंकवाद को उत्तर भारत में लाने के लिए रासबिहारी बोस को उत्तरदायी ठहराया जाता है। उस क्रांतिकारी का दोलन का उद्देश्य जसा कि स्वयं रास बिहारी बोस के शब्दों में इस प्रकार था — ‘अग्रज अधिकारियों के विरुद्ध आक्रमणकारी घटनाओं के द्वारा सब साधारण को इस तथ्य से अवगत करना और इस बात की जागृति उत्पन्न करना कि वे एक विदेशी शासन में रह रहे हैं। ऐसा होने पर उनमें खुले विद्रोह के लिए प्रबल इच्छा फूट पडती।’ उहोने सर्व अपनी घोषित नीति के अनुसार कार्य किया और उहोने आक्रमणकारियों की एक शृंखला बंद घटनाओं का संगठन किया। कभी कभी तो वे इन कार्यवाहियों में गिरफ्तार हो जाने और उसके तनिक परिणाम स्वरूप प्राण दण्ड तक की जोखिम उठाने से नहीं हिचकते थे।

२३ दिसम्बर १९१२ को तत्कालीन वामसराय और गवरनर लार्ड हाडिंग पर चम फेंकने की घटना में पुलिस की मायता थी कि निश्चय पूर्वक श्री रास बिहारी बोस का हाथ था। देहली, लाहौर और बनारस पड्यत्र के अभियोगों में वे अभियुक्त थे। और उनके जीवित या मृत पकड़ने के लिए साधारण ऊंची राशि के पारितोषिकों की

धोपणा की गई थी। यद्यपि वे देहरादून की घन अनुसंधान शाला (फारेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट) में हेडक्लक के पद पर कार्य करते थे फिर भी यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि उन्हें गुप्त क्रांतिकारी राजनीतिक कार्यों के करने तथा क्रांतिकारी संगठन को खड़ा करने के लिए समय मिल जाता था।

रासबिहारी ने अपने पास एक अत्यंत निष्ठावान् कायकर्ता का समूह एकत्रित कर लिया था। जैसे मास्टर अमीरचंद, अश्वविहारी, बालमुकुन्द पिंगले, बसंत कुमार विश्वास, प्रतापसिंह वारहट, जोरावरसिंह वारहट, छाटेवाल इत्यादि और भी अनेक उनके सहयोगी थे बिहाने बाद को या तो फाँसी के तहते पर अपने जीवन का बलिदान कर दिया अथवा उससे बाल बाल बच कर आजीवन कारावास और देश से विदाई भ्रमवा लम्बे कारावास की सजा भुगती। बंगाल के क्रांतिकारियों से उनका अत्यंत परिचित सम्बन्ध स्थापित था। वे बनाए बमों के लिए वह नितांत उद्यमशील रहते थे। उनके परामर्श से ही पंजाब और देहली के कुछ युवक बंगाल के क्रांतिकारियों से बम बनाने की तकनीक सीखने के लिए गए थे। यद्यपि रासबिहारी अपने दल के सदस्यों को हिंसात्मक कार्यों के लिए तैयार कर रहे थे परंतु वे क्रांतिकारी साहित्य उत्पन्न कर पुस्तकों, विनमियों गुप्त समाचार पत्र द्वारा क्रांतिकारी विचार पार के प्रचार की ओर से भी उदासीन नहीं थे। वे गुप्त क्रांतिकारी पत्र निकालते थे और विशेष संस्थाओं में और सेना में उसको पहुंचाते थे। अपने में उन्हें अपरिमित विश्वास था और उन्होंने आवश्यकता पड़ने पर अपने दल के सदस्यों को बम पहुंचाने अथवा बम बनाने के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रखा था।

यह विलक्षण बात थी कि यद्यपि उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़ा पुरस्कार घोषित किया गया था और छाया चित्र (फोटो) सभी स्थानों पर भेजे गए थे। वे १९१४ के पूरे वर्ष वाराणसी में रहने में सफल हो गए और पुलिस को उनके वहाँ रहने का पता नहीं लग सका। वे अधिकतर रात्रि में बाहर निकलने की सावधानी रखते थे। परंतु वाराणसी में ठहरने के प्रारम्भिक काल में वे दिन में बिक्टोरिया पार्क अथवा छाया किसी बाग में अपने साधियों से मिलते थे। जोगेश्वर प्रेस के पीछे पिलरी पोखरा में बोस के लिए एक मकान बिराए पर ले लिया गया था, वहाँ व फरवरी १९१४ से नवम्बर १९१४ तक रहे। जब वे बहा रहते थे तो सभी प्राणियों के क्रांतिकारी दल के सदस्य जिनमें बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारी भी सम्मिलित थे बहुधा उनके पास मंत्रणा करने के लिए आते रहते थे। १८ नवम्बर १९१४ की रात्रि को दो बमों की टोपियों की जब व जाँच कर रहे थे तो उनमें से एक फट गया और उसके विस्फोट से व गम्भीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपना निवास स्थान बदल दिया वे वहाँ से हट कर बंगाली टोला चले गए। उसी समय वहाँ दो महान् क्रांतिकारियों रासबिहारी बोस तथा जतीन मुर्जी की चिरस्मरणीय बातचीत हुई थी। जतीन मुर्जी जिस प्रकार के युवक दल में आ रहे थे उनसे व निराश हो हतोत्साहित से रहे थे और उनकी यह धारणा बन रही थी कि जन क्रांति का समय अभी दूर है। जबकि वे रासबिहारी बोस से वर्तमान कर रहे थे तो उस चर्चा में भाग लेने के लिए विष्णु गरीश पिंगले को आने दिया गया। पिंगले ने जो कुछ कहा उससे जतीन बहुत ही अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने रासबिहारी से कहा कि पिंगले ने

बान करने के उपरांत मेरे मन में परिवर्तन हुआ है। क्योंकि आज भी पिछले जसे युवक हैं जिन पर गम्भीर क्रांतिकारी कार्यों के लिए पूरी तरह निर्भर रहा जा सकता है और जिन पर पूरी तरह विश्वास किया जा सकता है।

जब कोई गम्भीर खतरा होता उस समय रासबिहारी बोस में असीम और चमत्कारी साहस उत्पन्न हो जाता और उनका मस्तिष्क इतनी तेजी और धैर्य से काम करता कि वे उस खतरे से बच निकलने में सफल हो जाते। एक बार पुनिस ने उस मकान की सदेह में घेर लिया जहाँ रासबिहारी बोस थे। उसी समय मेहतर शौचालय की सफाई करने आया हुआ था। उन्होंने उसके बगड़े पहने और मैले की टोफरी अपने सर पर रखी और बिना किसी दुविधा के दरवाजे से निकल गए। बलकत्ते में वे जब छिपे हुए गुप्त रूप से रहे तो उन्होंने किसी तग गली अथवा निजन एकांत मकान को चुनने के बजाय धरमतरला पोस्ट आफिस के ऊपर एक कमरे को अपने रहने के लिए चुना। वह स्थान बलकत्ते का सबसे अधिक जनसङ्कुल और व्यस्त स्थान था। श्री रासबिहारी बोस भेष बदलने में अत्यन्त दक्ष थे। जब वे भेष बदले होते तो सभी अभी उनके अत्यन्त निकट के सहयोगी भी उन्हें पहचान नहीं सकते थे। लाहौर में वे पजबी वेप धारण करते और वे ऐसे लगते माना कि उनका जन्म और लालन पालन पंजाब में ही हुआ है। वे जिस भी प्रांत के वस्त्र धारण कर लेते वही के रहने वाला लगने लगते थे। उनका कई भाषाओं पर अधिष्ठान था जिस प्रांत का वे वेप धारण करते उसी प्रांत की भाषा भी धारा प्रवाह बोलते थे। यद्यपि उनके बहुत उपनाम थे परन्तु अधिकतर उनके दल में उनको 'सती चंद्र' अथवा "मोटे बाबू" पुकारा जाता था। ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनके सही नाम को जानते थे।

यद्यपि जब वे मूल में थे तब वे अध्ययन की ओर से नितांत उदासीन रहे परन्तु बाद को उन्होंने विभिन्न विषयों को बड़े ही मनोयोग से पढ़ा और विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया। विभिन्न विषयों का उन्हें गहन ज्ञान था। अपनी मातृ भाषा बंगाली के अतिरिक्त वे अंग्रेजी हिन्दी पंजाबी, गुजराती और मराठी धाराप्रवाह बोलते थे। वह भाषा बोलने में पारंगत होने के कारण अपना क्रांतिकारी कार्य करने में तथा गिरफ्तारी से बचने में उन्हें बड़ी सहायता मिलती थी। रासबिहारी बोस ने समस्त देश में सेनाओं द्वारा तथा जन विद्रोहों की जो २१ फरवरी १९१५ की तारीख निश्चित की थी उसको बदल कर १९ फरवरी करना पड़ा क्योंकि क्रांतिकारियों में मिले हुए एक भेदिये ने इस विद्रोह की सूचना पुलिस को पहुँचा दी थी। तारीख बदलने की सूचना सभी के-द्रों को पहुँचाना सम्भव नहीं था तथा सरकार को पूरा सूचना मिलने के कारण वह सतक ही गई थी और उसने विद्रोह को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों के उपाय कर लिए थे अतएव इस देश व्यापी विद्रोह की योजना असफल ही गई। उस समय रासबिहारी के विश्वसनीय और कमठ सहयोगी जिनका उस आयोग जिन विप्लव से सम्बन्ध था बड़ी सख्या में पकड़ लिए गए।

देहली राजद्रोही अभियोग जो १७ मार्च १९१५ को प्रारम्भ हुआ कि प्रारम्भिक जांच पड़ताल के उपरांत रासबिहारी बोस पर भारतीय दण्ड संहिता (इन्डियन पेनल कोड) की धारा १०२ बी और ३०२ के अन्तर्गत आरोप लगाया गया। उनकी गिरफ्तारी के कारण वे वापिस लौट आया क्योंकि रासबिहारी का कहीं पता नहीं था। देहरादून फारेस्ट रिजर्व इन्स्टिट्यूट जहाँ पर वे मौजूद थे, उन्होंने छुट्टी ले रखी थी। रासबिहारी

बोस को उद्घोषित अपराधी घोषित करने के लिए प्रदालत ने पुलिस की याचिका स्वीकार कर ली और उसे एक नए उपनाम 'बिनोद बिहारी बोस' के नाम को जोड़ कर उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया। २७ मार्च १९१४ को एक परिपत्र रास-बिहारी का पूरा विवरण देने हुए निकाला गया उसमें लिखा था 'कि यह व्यक्ति लगभग ३० वर्ष का है, रा गौरा है वह लम्बा है उसकी आँखें बड़ी हैं और एक हाथ की अंगुली मुड़ती नहीं है उस पर चोट के चिह्न हैं जो किसी दुर्घटना में उसके लगे थे।

भारत का सम्पूर्ण विशाल पुलिस दल उस एक व्यक्ति की तुलना में नितान्त हनप्रभ और पराजित दिखलाई पड़ रहा था कि जिसने उसको विश्व के समक्ष हास्यास्पद बना दिया था। पुलिस की अक्रुशलता और निष्पत्ति के लिए उसकी उच्च सत्ता से भ्रष्टता की जा रही थी और भारत सरकार पर ब्रिटिश सरकार का गहरा दबाव पड़ रहा था कि किसी भी प्रकार क्यों न हो उस भयंकर क्रांतिकारी को अवश्य गिरफ्तार किया जावे। इसका परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण देश में पुलिस ने उस रहस्यमय क्रांतिकारी को ढूँढने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। सम्पूर्ण देश की पुलिस उनकी खोज में लग गई। सरकार की सारी शक्ति और सम्पूर्ण राज्यतंत्र अपनी असफलता के कारण बौखला उठा और भागने वाले उस विद्रोही को गिरफ्तार करने की विस्तृत योजना बनाई और उनके चारों ओर पुलिस का जाल बिछ गया। पुलिस का जाल अब उनके चारों ओर कड़ा होता जा रहा था।

अब भारत में उनके लिए ठहरना किसी भी प्रकार भी सुरक्षित नहीं था। जब मित्रों और सहयोगियों का बहुत जोर पड़ा तो रासबिहारी बोस भारत को छोड़कर विदेश जाने के लिए चन्द्रनगर गए। पी एन टेंगोर के रखे हुए नाम से एक पास पोस्ट बनवा लिया गया। उस समय के छद्मवेश में थे उ दोने अपनी वेप भूषा इस प्रकार बदल रखी थी कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। १२ मई को रासबिहारी बोस ने जापानी जहाज 'शानुकी मार्स' जो कलकत्ता के 'मैन ऑफ वार जट्टी' से चलने वाला था—पर सवार हो गए और उ होन अपनी मातृभूमि को अंतिम नमस्कार किया। वे २२ मई १९१५ को सिंगापुर पहुँच गए। भारत में रहकर थी रासबिहारी बोस ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जो कुछ किया था वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में उनके लिए एक प्रमुख स्थान प्राप्त करने के लिए यथेष्ट था। परन्तु उनकी आत्मा तब तक शान्ति का अनुभव नहीं कर सकती थी कि जब तक उनके जीवन का सत्य पूरा न हो जाता धरती निदयी मृत्यु उनको अपने काय क्षेत्र से न हटा देती। फिर चाहे उनका काय क्षेत्र भारत में हो या विदेश में।

सिंगापुर से वे जून १९१५ के आरम्भ में टोकियो पहुँचे। वे भारत के क्रांतिकारियों की सहायता करने के लिए आतुर थे। वे जून के मध्य में इसी उद्देश्य से शर्वाई गए। भारत में गुप्त रूप से अस्त्र शस्त्र पहुँचाने की उद्देश्य से वे यहाँ आये थे। उन्हें इन प्रयत्नों का पान था कि जो जर्मनी की सहायता से भारत में अस्त्र शस्त्र भेजने के लिए जा चुके थे। उहाँ प्रयत्नों के सद्भ से वे शर्वाई में जर्मन अधिकारियों से मिले और भारत में अस्त्र शस्त्र निर्रवाने के सम्बन्ध में अपनी योजना उनके सामने रखी। परन्तु वह प्रयत्न विफल हुआ। जो जहाज अस्त्र शस्त्र लेकर चला वह बीच में ही रोक लिया गया और अस्त्र शस्त्र भारत के क्रांतिकारियों के पास न पहुँच सके। रासबिहारी बोस ने अब यह



निश्चय किया कि वे जापान के निवासियों को भारत की समस्याओं से भ्रमगत करायें और उन्हें बतलाए कि भारत की ब्रिटेन के शासन में कभी दयनीय स्थिति है। अस्तु उन्होंने २७ नवम्बर १९१५ को एक सभा बुलाई और एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने भारत में अंग्रेजी शासन की अत्यन्त कठोर निन्दा की।

इस सभा के उपरांत रासबिहारी बोस ने जो पी एन टैगोर का छद्म नाम और वेप धारण कर रक्खा था वह हट गया। ब्रिटिश गुप्तचरों ने पता लगा लिया कि वह रासबिहारी बोस हैं। अस्तु ब्रिटिश सरकार ने जापान की सरकार पर दवाव डाला कि वह रासबिहारी बोस को उनके सुपुट कर दे। ब्रिटिश सरकार से जापान की सरकार दब गई और रासबिहारी बोस तथा एक अन्य बंगाली जो उनके साथ था उसके लिए भागा निकाली गई कि वे पुलिस कार्यालय में उपस्थित हों। पुलिस के पास जाने का भय होता अंग्रेजों के चंगुल में फँस जाना। अस्तु रासबिहारी बोस भूमिगत हो गए। पुलिस ने उनका खोजने का बहुत प्रयत्न किया। परन्तु सब व्यर्थ हुआ, वे नहीं मिले। रासबिहारी बोस को श्री 'आइजो सोमा' के परिवार ने आश्रय दिया और उन्हें छिपा लिया। यह आश्रय जापान के शीप राजनीतिक और सामाजिक नेता 'श्री तोयामा' के सबेत् पर उन्हें आइजोसोमा के परिवार ने दिया था। श्री तोयामा एक अत्यन्त प्रभावशाली राजनीतिक दल के सर्वोच्च अधिकारी और जापान में वे अत्यन्त श्रद्धा और आदर के साथ देख जाते थे।

जब रासबिहारी पुलिस को नहीं मिले तो पुलिस ने प्रत्यागण आज्ञा निकाली कि रासबिहारी बोस पाच दिनों में अन्दर जापान दश की भूमि से चले जावें और यह भागा स्थान-स्थान पर छिपना ही नहीं। परन्तु प्रत्यागण की आज्ञा व्यर्थ हो गई क्योंकि रासबिहारी बोस का कहीं भी पता न लग सका। तब भारत सरकार ने एक अत्यन्त कुशल और दक्ष पुलिस अधिकारी को १९१५ में एक विशेष उद्देश्य से जापान भेजा। यह विशेष उद्देश्य यह था कि वह यह पता लगाए कि सुदूर पूव में भारतीयों के मन में राजद्रोह की भावना कितनी गहन है परन्तु मुख्य रूप से उसको भेजने का सत्य था कि वह रासबिहारी बोस का पता लगावे कि वे कहाँ हैं। उस पुलिस अधिकारी ने १९१७ में सुदूर पूव में भारतीय राजद्रोह के सम्बन्ध में रिपोर्ट देते हुए लिखा 'कि रासबिहारी बोस यहाँ गुप्त रूप से छिपे हुए रह रहे हैं और उनके जीवन यापन की वर्तमान स्थिति उनके पड़ोस कर सवने की कुशलता और क्षमता को अवश्य कम करेगी। जुलाई के अन्तिम सप्ताह में रासबिहारी बोस टोकियो से एकदम गायब हो गए क्योंकि उनका आश्रय स्थान जहाँ कि वे छिप कर रहते थे ब्रिटिश अधिकारियों को ज्ञात हो गया था। पूरी पूरी और होशियारी से जांच करने पर पता लगा कि वह 'मोकिरस' नामक पूर्वी तट पर 'कस्तुरा' नगर के समीप एक गाँव में हैं।

जैसे ही बोस को ज्ञान हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों को उनके आश्रय स्थान का पता चल गया है उन्होंने तुरन्त उस स्थान को छोड़ दिया और वे टोकियो चले गए ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे वहाँ जापान सम्राट के महलों के प्रबन्धक लाड हार्डि श्वेन्डरलेन के गृह के प्रांगण में छिपे हुए हैं। यद्यपि यह भी सम्भव है कि उस उच्च अधिकारी के किसी वरिष्ठ ने उन्हें बिना अपने स्वामी की जानकारी के आश्रय दिया हो। बोस को पत्रों को जो अनाहूत (बीच में ही रोक लेना) किया गया उससे यह निश्चयपूर्वक सिद्ध होता है कि वे अब भी अमेरिका में पड़ोस के प्रमुख नेताओं जैसे

नरेन भट्टाचार्य आदि से घनिष्ठ और निकट सम्पर्क स्थापित किए हुए है इत्यादि उमरों से यह भी स्पष्ट है कि वे अब भी श्रांतिकारी कार्यों में लगे हुए हैं—जहां तक कि उनकी वर्तमान स्थिति की नियोग्यता उन्हे यह कार्य करने की इजाजत देती है। उनका महत्व किसी भी प्रकार कम नहीं हुआ है। उनके क्रिया कलापो पर जो भी बंधन हैं वह एक आत्मसमिक घटना है जो उनकी वर्तमान स्थिति की लोकप्रियता के कारण है।

तारकदास जब जापान में थे तो उनका बोस से सम्पर्क था। और ऐसा भी श्रांत हुआ है कि वे बोस को अपने में बहुत ऊंचा एक महान व्यक्ति के रूप में देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन दोनों ने समुद्री जहाजों में विस्फोटक पदार्थ रख कर उन्हे दुश्मनों को एक योजना तैयार की थी। परंतु जहां तक बात हुआ है कि वह योजना चर्चा के स्तर से आगे नहीं बढ़ी। अपने घटस्थ होने काल में रासबिहारी बोस ने अपना 'जापानी नाम 'हयाची इचरो' रख लिया था, वे इसी नाम से जान जाते थे। महा यह विश्वास किया जाता है कि तारकनाथ दास उस नाम से अवगत थे।

भारतवर्ष के सौभाग्य से और भारत की स्वतंत्रता के लिए अनुकूलता उत्पन्न करने के लिए एक ब्रिटिश जहाज ने एक जापानी स्कूटर (समुद्री पोत) पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। घटना के परिणाम स्वरूप इंग्लंड के प्रति जापान का दृष्टिकोण खराब बदल गया। इंग्लंड के प्रति जापान में तीव्र रोष उत्पन्न हो गया। जापान सरकार ने रासबिहारी बोस के विरुद्ध निष्कासन आना वापस ले ली तो एप्रिल १९१६ में रासबिहारी बोस प्रकट हो गए उन्हे अब भूमिगत रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दो वर्ष के अदम्य ही जुलाई १९१८ में आइजो और कोको सामा की पुत्री तोशिको से उनका विवाह हो गया जिन्होंने रासबिहारी बोस को आश्रय दिया था अपने यहां छिपा कर रखा था और उनकी सभी खतरा से रक्षा की थी। तोशिको ने रासबिहारी के उस क्रांतिकारी जीवन में उनकी केवल सहायता ही नहीं की बरन भारत के स्वतंत्रता के क्राय में अपने को खरा किया। बोस अब जापान में जापानिया की भांति ही रहने से उन्हे जापानी जसी कठिन भाषा चार महीनों में ही सीख ली थी। वे जापान के जन जीवन में घुल मिल गए थे।

रासबिहारी बोस को २ जुलाई १९२३ को जापानी नागरिकता मिल गई और वे उसके सुख के उस देश क पूर्ण नागरिक बन गए। उसकी जीवन सगिनी जिन्होंने उनके दुःख और कष्ट के जीवन में सकुट के समय उनके एक मित्र तथा रक्षक का कठिन कार्य किया था उनकी ३ मार्च १९२५ को मृत्यु हो गई। सच तो यह है कि रासबिहारी बोस को नागरिकता प्राप्त होने (१९२३) क पूर्व जैसा सकुटमय जीवन व्यतीत करना पड़ता था, कमी-कमी उन्हे सूचना मिलने पर कि वे गिरफ्तार होने वाले हैं तुरंत अपना मकान छोड़ कर भागना पड़ता और कहीं छिपना पड़ता था, उसकी सारी भवस्था उनकी पत्नी तोशिको करती थी। ऐसे खतरे के जीवन को व्यतीत करने के कारण उनका शरीर थक गया और असमय में ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हे अपने महान क्रांतिकारी पति के लिए अपने को बलिदान कर दिया। भारत उस देवी का विर मूर्तियां रहेगा।

अपनी प्रिय जीवन सगिनी का वियोग महाविप्लवी रासबिहारी बोस के लिए भारत भ्रमणक आघात था परंतु अपनी मातृभूमि के प्रति जो उनकी असीम भक्ति थी और उसको स्वतंत्र कराने की जो उनके अंतर में अमिट और तेजवान विषाया थी

सिने उन्हें उस देवी आभात की धय के साथ सहन करने की दमता प्रदान की और वे भारत की स्वतंत्रता के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुग गए। नागासाकी में एक अगस्त १९२६ को जो एशिया के देशों का सम्मेलन हुआ उसमें रासबिहारी केवल उपस्थित ही नहीं हुए वरन् वहाँ उनमें प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में भाग लिया। उस सम्मेलन में चीन, भारत, अफगानिस्तान, फिलीपाइंस विद्यतनाम और जापान के प्रतिनेधि सम्मिलित हुए थे (वे भी दास कमवीर रासबिहारी दास पृष्ठ १६६) और वहाँ एशिया की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श हुआ था कि किस प्रकार उन देशों को पश्चिमीय साम्राज्यवाद से मुक्त किया जाय।

१९३७ में जब चीन जापान युद्ध खिड़ गया तो श्री रासबिहारी बोस के प्रयत्नों से 'रेनबो' में तीस भारतीय एकत्रित हुए और उन्होंने 'इंडियन इंडिपेंडेंट लीग' की स्थापना की जो एशिया में भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन की अधिक तेजवान और कर्तित शाली बनाने के लिए संगठित की गई थी। श्री रासबिहारी बोस ने एक दूसरा सम्मेलन 'मल्लिख एशियाई तरुण सम्मेलन' किया। यह सम्मेलन २८ अक्टोबर १९३७ को टोकियो में 'सानकडो' में हुआ था। (जो जी भोगावा ट्रस्टेड इंडियांस इन जापान पृष्ठ ३७ जापान में दो महान भारतीय)

भारत की स्वतंत्रता के लिए जापान और एशिया के अन्य देशों में समयन और सहायता प्राप्त करने के लिए रासबिहारी ने बहुत बड़ी सहायता में पुस्तकें लिख कर प्रकाशित कीं और दो पत्रिकायें एक जापानी और दूसरी अंग्रेजी में प्रकाशित कीं। उन पुस्तकों और पत्रिकाओं द्वारा वे भारत के पक्ष में अनवरत आंदोलन करते रहे। सुदूर पूर्वी एशिया में राजनीतिक घटनाएँ तीव्र गति से घट रही थीं और परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहे थे और जब जापान ने ८ दिसम्बर १९४१ को अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तो उसकी चरम सीमा पहुँच गई। महाविप्लवी रासबिहारी बोस ने देखा कि मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का अनुकूल अवसर आ गया है अस्तु वे अधिक सचेत और सतक हो गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के दो मुख्य लक्ष्य हैं प्रथम भारत पर जो विदेशी आधिपत्य है उसको समाप्त कर देना और द्वितीय जापान द्वारा विजित देशों में भारतीयों की रक्षा करना। इस घोषणा के तुन्त बाद ही ११ दिसम्बर १९४१ को 'कोटा बालू' में श्री रासबिहारी ने एक ऐतिहासिक समारोह में जहाँ ब्रिटिश सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक अधिकारी और भारतीय नेता एकत्रित हुए थे आजाद हिंद सेना (इंडियन नेशनल आर्मी) का निर्माण किया (श्री श्री देवनाथ दास आई एन ए)

चतुर जापानियों ने श्री रासबिहारी के नेतृत्व में आजाद हिंद सेना का संगठन सहायता करने में सहायता दी। मलाया में जब ब्रिटिश सेनाओं ने आत्म समर्पण किया तो बहुत बड़ी सहायता में भारतीय सैनिक गिरफ्तार हुए थे। जापानी सेना का एक जनरल १/१४ अजाद रजिमेंट के श्री मोहनसिंह से मिला और उन्हें १७ दिसम्बर १९४१ को जापान के प्रधान सेनापति के पास ले गया जापान के प्रधान सेनापति से श्री मोहनसिंह की लम्बी वार्ता होने के पश्चात् समस्त भारतीय कदी सैनिका को जनरल मोहनसिंह के नियंत्रण में रख दिया गया। वे भारतीय सैनिक जनरल मोहनसिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी (आजाद हिंद सेना) में सम्मिलित हो गए। जापान के प्रधान सेनापति के साथ लम्बी वार्तालाप के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि आजाद हिंद सेना (इंडियन नेशनल आर्मी) अंग्रेजों को भारत

के सहैद्व बाहर काने के लिए जापान से सहयोग करेगी। १५ फरवरी १९४२ को जापान के आक्रमण के फलस्वरूप सिंगापुर का पतन हो गया। दूसरे ही दिन जापान की इमीरियल डाइट (जापान की पार्लियामेंट) में जापान के प्रधानमंत्री 'तोजो' ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए आजाद हिंद सेना की सहायता करने का आश्वासन दिया। १ मीर १० माच १९४२ को मलाया के विभिन्न भागों से आए हुए प्रमुख भारतीयों की एक बैठक में रासबिहारी बोस ने यह प्रस्ताव रक्खा कि प्रतिनिधि भारतीयों का एक सम्मेलन टोकियो में बुलाया जावे। रासबिहारी बोस के सुझाव के अनुसार पूर्वी एशिया के प्रमुख भारतीयों की दूसरी बैठक टोकियो में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में २० से ३० माच १९४२ तक तीन दिन हुई। उस बैठक के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो अभी तक प्रारम्भिक तथा अस्थिर रूप में विद्यमान थी उसकी औपचारिक रूप से विश्व के लिए घोषणा की गई। साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने प्रत्येक सदस्य को यह आदेश दिया कि वह पूव एशिया में प्रत्येक वर्ग के भारतीयों में भारत के स्वतंत्रता का दोहन को आरम्भ कर दें। उस सम्मेलन में नीचे लिखा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

'भारत के विरुद्ध सैनिक कायदाही केवल इंडियन नेशनल आर्मी (आजाद हिंद सेना) करेगी और वह केवल भारतीय सेनापतियों की आधीनता में ही युद्ध करेगी। जापान सरकार से वह स्वलीय, सामुद्रिक और वायु सेना सम्बन्धी उतनी ही सहायता और सतना ही सहयोग लेगी जिसकी शीघ्र ही स्थापित होने वाली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सग्राम समिति जापान से प्राथना करेगी और स्वतंत्र भारत के भावी धविधान का निर्माण कार्य सम्पूर्ण रूप से केवल मात्र भारत की जनता के प्रतिनिधियों के लिए छोड़ दिया जावेगा।'

सम्मेलन के अंत में यह निश्चय किया गया कि जून १९४२ के आस पास बंगलाक में एक वृहद और अधिक प्रतिनिधायी सम्मेलन किया जावे जो कि अधिकृत रूप से स्वतंत्रता का दोहन को आरम्भ करेगा। इस निर्णय के अनुसार १५ से २३ जून १९४२ तक तीन दिन बंगलाक में भारतीयों का वृहद सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में जापान, हांगकांग मचुकाओ बर्मा, योरनियो जावा, मलाया, और थाईलैंड के एक सौ भारतीय प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सम्मेलन में स्वीकृत मुख्य प्रस्ताव की प्रस्तावना में कहा गया था कि वृहद एशिया के युद्ध ने एशिया में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विनाश कर समाप्त करने का तथा भारत को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का महान अवसर प्रदान कर दिया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई है जो कि भारतीय सैनिकों में से एक सेना का संगठन करेगी जिसका नाम इंडियन नेशनल आर्मी [आजाद हिंद सेना] होगा। उसी सम्मेलन में एक सग्राम समिति (कार्जसिल आफ ऐक्शन) बनाई गई जिसके प्रथम अध्यक्ष महाविप्लवी रासबिहारी बोस निर्वाचित हुए उनके अतिरिक्त उसके चार सदस्य और भी थे। उस समिति ने नीचे लिखा निर्णय लिया।

'इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण सचालन नियंत्रण और संगठन भारतीयों के अधिकार में स्वयं उनके द्वारा होगा।' सम्मेलन की इच्छा और मादता है कि सरकार (जापान सरकार) इस आशय की औपचारिक घोषणा करे। ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होकर पृथक् होने के लिए न बाद ही जापान की सरकार यह घोषणा करे कि वह भारत की प्रादेशिक अखंडता को माय करेगी और किसी भी प्रकार के राजनीतिक

सैनिक अथवा आर्थिक प्रभाव, नियंत्रण अथवा हस्तक्षेप के बिना वह भारत को पूरा प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र के रूप में स्वीकार करेगी।" एक दूसरे प्रस्ताव के द्वारा सम्मेलन ने जापान सरकार से निम्नलिखित प्रार्थना की। 'भारतीयों द्वारा युद्ध की विमोचिका के कारण जो अपनी सम्पत्ति छोड़ दी गई है उसको जापान सरकार सग्राम समिति (काऊंसिल ऑफ एक्शन) को दे दे। सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव (जो सम्मेलन के कार्यक्रम की सराफा के सम्बन्ध में था) यह था कि श्रीयुक्त सुभाषचन्द्र बोस से प्रार्थना की जावे कि वे द्वारा पूर्ववत् एशिया में भावों और जापान सरकार से यह प्रार्थना की गई कि वह श्री सुभाषचन्द्र बोस को पूर्व एशिया में लाने के लिए आवश्यक प्रबंध करे। रासबिहारी बोस ने उस प्रस्ताव का आशय रेडियो टेनीफोन द्वारा श्री सुभाषचन्द्र बोस को बतलाया और स्वयं अपनी तीव्र इच्छा कि वे आकर आन्दोलन का नेतृत्व करें, अपने उत्तराधिकारी से व्यक्त कर दी। साथ ही अपना आग्रह भी उस प्रस्ताव के साथ जोड़ दिया। श्री सुभाषचन्द्र बोस ने उस सग्राम सभा को सक्षम स्वीकार कर लिया।

ठीक उसी समय बैंगकाक सम्मेलन के प्रस्तावों को जापान सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में गत्यारोध उत्पन्न हो गया। जापान सरकार विशेष रूप से बैंगकाक सम्मेलन के भाई एन ए सम्बन्धी प्रस्ताव - उसका जापान की सेना से सम्बन्ध उसकी स्थिति और उसके नियंत्रण के प्रश्न को लेकर बैंगकाक के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जनरल मोहनसिंह ने कड़ा प्रतिरोध किया। उ होने जापान सरकार की इस प्रार्थना को कि आजाद हिंद सेना मलाया से बरमा भेज दी जावे मानने से इंकार कर दिया। उ होने जापान सरकार से स्पष्ट कह दिया कि जब तक बैंगकाक सम्मेलन के सभी प्रस्तावों को सरकार स्वीकार न कर ले और उनके सम्बन्ध में अपनी नीति का स्पष्टीकरण न कर दे वे आजाद हिंद सेना को बरमा भेजने के लिए तैयार नहीं थे। जापान सरकार इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अधिक अधिक से अधिक जितना कुछ मानने को तैयार थी वह भारतीयों की 'यूनतम आकांक्षाओं से भी कम था। इस तथा अन्य प्रश्नों को लेकर रासबिहारी बोस के अतिरिक्त काऊंसिल ऑफ एक्शन के सभी सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। जनरल मोहनसिंह तथा अन्य ने ८ दिसम्बर १९४२ को त्याग पत्र दे दिया और वे जापानियों द्वारा एक प्रकार से उनके बगले में मजबूर बंद कर लिए गए।

जून और दिसम्बर १९४२ के मध्य रासबिहारी बोस अपने मुरयालय जो कि बैंगकाक में था से निहत्ते उ होने थाईलैंड मलाया बरमा, जावा, सुमात्रा तथा अन्य सुदूर पूर्व के देशों का विस्तृत दौरा किया, जहां भारतीय रहते थे। वे सभी स्थानों पर गए और भारतीयों को इंडियन इंडिय डेस लोग की सहायता देकर भारत को स्वतंत्र करने के अमूल्य अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। वे लगातार आकाशवाणी से भारतीयों के नाम भारत में अपना संदेश प्रसारित करते थे। उ होने महात्मा गांधी तथा अन्य भारतीय राजनीतिक नेताओं से अपने रेडियो संदेश द्वारा अपील की, कि इस अवसर से लाभ उठाकर भारत को स्वतंत्र कर लेना चाहिए। उन्होंने भारत के सभी राजनीतिक नेताओं से अपनी की कि वे शत्रु का सामना करने के लिए अपने मत भेदों को भूल कर सयुक्त मोर्चा बना लें। उ होने कहा कि भारत भूमि जो भी स्वतंत्रता का युद्ध खेदेगी, लोग उनकी भाँसक सहायता करेगी। जनरल मोहनसिंह और जापान

सरकार के बीच जो कटुता और मतभेद उत्पन्न हो गया था उसके परिणाम स्वरूप मोहनसिंह ने आई एन ए के विघटन का नियुक्त कर लिया था। स्थिति अत्यंत नाजुक थी। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग तथा आजाद हिंद सेना विघटन के कगार पर खड़ी थी। रासबिहारी बोस का शरीर अस्वस्थ और जर्जर हो गया था। यदि और कोई होता तो निराश होकर कायभार से मुक्त हो चुप बठ जाता। परंतु सो युद्धों को लड़ने वाला वह योद्धा, जापान और ब्रिटेन के युद्ध ने जो भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का अमूल्य प्रवचन प्रदान किया था, उसको खोना नहीं चाहता था। अस्तु, कल्पनातीत प्रतुलित निष्ठा और दृढ़ता के साथ उन्होंने अत्यंत धैर्य और वीरता के साथ इंडिया इंडिपेंडेंट लीग के इस तूफान का सामना किया। उन्होंने इस बात की भी चिन्ता नहीं की कि लीग के कुछ सदस्य तथा साधारण भारतीय उनके सम्बन्ध में गलत धारणा बना सकते हैं। क्योंकि उनके जापान सरकार से घनिष्ठ सम्बन्ध थे और उन्होंने सगठन को टूटने नहीं दिया। वे उस डगमगाती नाव को उस भयंकर अंधड़ में भी न डूबने देने के लिए मजदूरी से पतवार पकड़े रहे। ३ एप्रिल को आजाद हिंद सेना को विघटन से बचाने के लिए और सैनिकों में जो अशांति और क्षोभ उत्पन्न हो गया था उसको दूर करने के लिए उन्होंने सर्वाधिकार अपने हाथ में ले लिए और असीमित धन तथा निरंतर अथक परिश्रम के द्वारा उन्होंने आजाद हिंद सेना को विघटन से बचा लिया। रासबिहारी बोस ने लीग का मुख्यालय बंगकाक से हटा कर सिंगापुर में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ पहुँच कर रासबिहारी बोस नेताजी सुभाषचंद्र बोस की अग्रगण्यी करने और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के द्वितीय युद्ध का संचालन कर उसके ताकिक परिणाम अर्थात् स्वतंत्रता प्राप्ति तक उसको ले जाने के लिए उन्हें एकल अधिकार तथा अपरिचित उत्तराधिकार से मज्जित करने की तयारी में लग गए।

एप्रिल १९४३ में रासबिहारी बोस अपने सिंगापुर के मुख्यालय से टोकियो गए। सुभाषचंद्र बोस ३३ जून १९४३ को टोकियो पहुँचे। सम्पूर्ण पूर्वी एशिया में भारतीयों के प्रतिनिधियों का एक बृहद् सम्मेलन सिंगापुर में ४ जुलाई १९४३ को बुलाया गया। रासबिहारी और नेताजी सुभाषचंद्र बोस ३ जुलाई को सिंगापुर पहुँच गए। ४ जुलाई १९४३ को सिंगापुर के सिटी हाल के सामने के मदान में पुराने और नए नेता—दोनों ने आजाद हिंद फौज का निर्गमण किया। उसके उपरांत उस ऐतिहासिक सम्मेलन की कायवाही आरम्भ हुई। समस्त पूर्वी एशिया के देशों से आए हुए असह्य भारतीयों के समक्ष भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन के दो महान नेता एक साथ खड़े थे। वे असह्य भारतीय अपने उन महान क्रांतिकारी नेताओं को एक साथ देखकर उत्साह और उत्साह से गूगद हो गए। उन विंगल भारतीय जनसमूह में सभी आयु के स्त्री पुरुष मौजूद थे जो विभिन्न भाषाएँ बोलते थे और जिनके विभिन्न धर्म थे परंतु वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने महान नेताओं की आज्ञा पालन कर अपने प्राणों का भी बलिदान करने के लिए तयार थे। रासबिहारी बोस ने अपने हृदय के गहन तल से निकले उद्गारा से उन विशाल भारतीय जनसमूह को नीचे लिखे शब्दों में सुभाषचंद्र बोस का परिचय दिया।

मित्रों और भारत की स्वतंत्रता के युद्ध में मेरे सैनिक साथियों! अब आप लोग मुझ से पूछ सकते हैं कि टोकियो में अब तक मैं आपके लक्ष्य की प्रति के लिए क्या करता रहा। मैं आपके लिए कौनसी भेंट वहाँ से लाया हूँ। अच्छा, मैं बतलाऊँ मैं

आपके लिए (नेताजी सुभाष की ओर घूम कर उनकी ओर सकेन कर) यह भेंट लाया हूँ। श्रीयुक्त सुभाषचन्द्र बोस का आप सबको भारत की ओर विश्व को परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे भारत में जो कुछ सर्वोत्तम है अभिजातिता है उच्चतम साहसिकता है और जो भारत की तट्टणई में अधिकतम गतिशीलता है वे उस सब के सुदृढतम प्रतीक हैं। 'भारत में जो कुछ सर्वोत्तम है वे उसका प्रतिनिधित्व करते हैं।' मित्रों और स्वतंत्रता के युद्ध में मेरे साथियों आज आप सबकी उपस्थिति में मैं अपने पद को छोड़ता हूँ और श्रीयुक्त सुभाषचन्द्र बोस को पूरा एशिया में भारतीय इंडियन लीग का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ।

विशाल भारतीय जन समूह के समक्ष भारी उत्तरदायित्व स्वीकार करते हुए श्री सुभाषचन्द्र बोस ने इन अवसर के उपयुक्त एक भाषण में श्री रासबिहारी बोस के प्रति अपनी सहज गहरी श्रद्धा प्रगट की और मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए की गई उनकी महान सेवाभावा का बखान किया। उन्होंने श्री रासबिहारी बोस को अपनी श्रद्धा जल नीचे लिखे शब्दों को कह कर दी। भारत की मुक्ति के अंतिम युद्ध में अपने जीवन की भयंकर खतरे में डाल कर जो आश्चर्यजनक साफल्य उन्होंने अर्जित किया है वह हमारी स्मृति में ही ताजा नहीं है वरन् ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लेखागार में प्रलेखों में भी मौजूद है। 'नेताजी ने श्री रासबिहारी बोस की अवकाश प्राप्त नहीं करने दिया। नए अध्यक्ष ने उन्हें अस्थायी घातना हिंदू सरकार का मुख्य परामशदाता नियुक्त कर दिया।

वह दृश्य वास्तव में अनोखा था जब महाविप्लवी नायक श्री रासबिहारी बोस ने स्वेच्छा से उस उच्चतम पद की मातृभूमि की स्वतंत्रता के उस अंतिम युद्ध को अधिक शक्तिवान और तेजवान बनाने के लिए नेताजी सुभाष को सौंप कर कुर्सी से उतर जान का सकल्प किया। श्री एस ए अथर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'मन टू ए विग्नेस' में उस दृश्य को देखकर लिखा 'मैं उस समय अपने मन में सोच रहा था इनमें से कौन अधिक महान है श्रेष्ठ है। मेरा मन दोनों के प्रति गहन और अगाध श्रद्धा से भर गया।' अनुवादक के हृदय में इस दृश्य की कल्पना कर यह विचार उठता है कि भारत के दीखालीन हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसे अदभुत त्याग के उदाहरण कितने देखने को मिल सकते हैं। आज हमारे राजनीतिक कर्मियों में जो प्रशोभनीय पदलोलुपता और आपाधापी देखने को मिलती है वह इस अनुपम त्याग के प्रकाश में कितनी बुरूप और काली दिखती है।

निरंतर थका देने वाला परिश्रम वह भी अत्यन्त कठिन और अनिश्चित परिस्थितियों में करते रहने तथा अपने शरीर की तनिक भी चिंता न कर भारत की स्वतंत्रता के अंतिम युद्ध के संचालन के भार को वहन करने के कारण जबकि श्री रासबिहारी बोस मधुमेह के पुराने रोगी थे और अपनी प्रिय पत्नी तथा बाद की उनके प्रिय पुत्र मशेहिदे के स्वर्गवासी हो जाने से जिनका हृदय शोक सतप्त था उनका शरीर जजर हो गया था। वह भी युद्धों का महावीर योद्धा जिनका पग और हृदय कभी भयंकर से भयंकर खतरे को सामने देख कर भी कभी विचलित नहीं हुआ था, जिसने दशों तक निरंतर देश को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए सघष किया और अपने शरीर को एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं दिया वह जनवरी १९४५ में रोग सय्या पर पड़ गया और चिकित्सा के लिए वह हास्पिटल में ले जाया पड़ा।

महाबिप्लवी नायक रासबिहारी बोस जब अस्पताल में रोग शय्या पर पड़े थे तब जापान के सम्राट ने उगते हुए सूर्य का दो चिरणों वाले सेल्फिड ग्राडर ऑफ मेरिट से उन्हें विभूषित किया। अपने जीवन की अंतिम श्वास तक उनके हृदय में केवल एक ही विचार उनको उद्देहित करता था कि उनकी मातृभूमि की दासता को शूखलाए कब हटेंगी और वह अंग्रेजों की दासता से कब मुक्त होगी। २१ जनवरी १९४५ को किसी समय जापान की हिंदू महासभा का अध्यक्ष महान भारतीय क्रांतिकारी, भारत की स्वतंत्रता के युद्ध का वीर सेनानी शांतिपूर्वक महाप्रयाण कर स्वर्ग का वासी हो गया। अंत समय तक उस महान वीर की एक ही हादिक इच्छा थी जिस इच्छा को हृदय के गहन तल में दबाये वे चिरनिद्रा में सो गए वह इच्छा यह थी कि वे अपनी जन्मभूमि जहां उनका जन्म हुआ अपने बालकपन के क्रीडास्थल और अपने प्रौढ अवस्था की युद्ध भूमि के दर्शन करते। उन्होंने नीचे लिखे ऐतिहासिक शब्दों में अपने जीवन दर्शन का मानो सार ही कह दिया था जब उन्होंने २५ अप्रैल १९४२ को अपने सम्बन्ध में कहा था —

‘मैं एक योद्धा हूँ  
एक युद्ध और  
अंतिम और सर्वोत्तम’

अस्यायी आजाद हिंद सरकार के प्रधान नेताओं सुभाष चंद्र बोस ने रास बिहारी बोस—अस्यायी आजाद हिंद सरकार के सर्वोच्च परामर्शदाता को नीचे लिखे शब्दों में अपनी भाव भरी श्रद्धाजलि अर्पित की—‘श्री रासबिहारी बोस की दुःखद मृत्यु भारत की स्वतंत्रता के सपना के अतिरिक्त मेरी तथा मेरे सहकर्मियों की व्यक्तिगत हानि है। स्वर्गीय रासबिहारी बोस केवल एक महान जन्मजात क्रांतिकारी ही नहीं थे वे एक महान मानव भी थे। जब मैं बालक था तब थी रासबिहारी बोस के भारत में ब्रिटिश विरोधी कायवाहियों में उनके साहसिक कार्यों की कहानी सुनकर मेरा हृदय भावातिरेक से उद्देहित हो उठता था।

तीस वर्षों के उपरांत जब मेरा मनसे पूर्वी एशिया में अविगत निकट सम्पर्क हुआ तो मुझ पर उनके ज्वलंत उत्साह और असीम आशावादिता की गहरी छाप पड़ी। न तो उनकी बढ़ती हुई वृद्धावस्था और न उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य उनकी स्वतंत्रता का युद्ध करने की गहरी और तीव्र भावना को कुठित कर सका। भारत स्वर्गीय रासबिहारी बोस का चिर इत्तज रहेगा। उन्होंने एक पीढ़ी पुत्र जापान में रह कर भारत की स्वतंत्रता के लिए जो महान सेवा की उसके लिए भारतवासी उनके चिर ऋणी रहेंगे। यह प्रत्येक भारतीय याद रखेगा कि जब विश्वकवि रवी द्रनाय टगोर जापान के भ्रमण के उपरांत भारत वापस लौटे तो उन्होंने, रासबिहारी बोस ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो निस्वाय सेवा की थी उनके प्रति उन्होंने अपनी भाव भरी श्रद्धाजलि अर्पित की थी और श्री रासबिहारी बोस की भारत की स्वतंत्रता के लिए की गई अनुकरणीय सेवामें की भूरि भूरि प्रशंसा की थी। जापान में भारत के लिए जो सद्भावना सहानुभूति और मित्रता की भावना का निर्माण किया उसका फल भारत को उस समय प्राप्त हुआ जबकि वृहद् पूर्वी एशिया में युद्ध छिड़ा और जापान की सैन्य तथा जापानियों ने भारत की स्वतंत्रता के युद्ध के लिए पूरा सहायता देने का वचन दिया।

‘स्वर्गीय रासबिहारी बोस को जो पूर्वी एशिया में भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन



सन का जनक कहा जाता है वह यथाय है । जब से वृहद् पूर्वी एशिया युद्ध छिड़ा है तब से एशिया निवासो उह पूर्वी एशिया म भारत की स्वतंत्रता के आन्दोलन के जनक के रूप में ही देखते हैं । उनके सम्बन्ध में यह कहना अक्षरशः सत्य होगा कि य भारत की स्वतंत्रता के लिए जिए और भारतीय स्वतंत्रता के लिए मरे । अपनी मृत्युभूमि के प्रति उनकी जो महान् सेवाएँ थीं उनमें उ होने बगैरक सम्मेलन म जो प्रमुख भाग लिया और समस्त पूर्वी एशिया में इंडियन इंडिपेंडेन्स लीग जिसका मुख्यालय बंगकाक में था की स्थापना उनकी महती सेवाओं में अग्रणी गिनी जावेंगी । यदि पिछले कुछ महीनों म वे रोगग्रस्त न हुए होते तो वे अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के सचालन में अधिक सक्रिय भाग लेते । जब मैं पिछले दिनों टोकियो में था और अनेक बार उनके दशन करने आया तो उनकी रोग शय्या के पास आकर जो रोमाच उत्पन्न करने वाला दृश्य उपस्थित होता था वह आज भी मेरी आँखों के सामने प्रगता है । मैं उस दवी आश को कभी नहीं भूल सकता । उनके मुखमण्डल पर हड़ आगा की रेखाएँ उभरी हुई थीं और प्रथम आक्रमण म इम्फल की हम जो विनाय करने में असफल रहे उससे उनके मन में किञ्चित् मात्र भी निराशा नहीं थी । अपने जीवन की अन्तिम स्वास तक भारत और भारत की स्वतंत्रता ही एकमात्र उनका विचार था ।

रासबिहारी बोस का स्वगवाह हो गया परन्तु उनकी अजेय आत्मा और भावना सदैव हमारे हृदयों में विद्यमान रहेगी और हम उस समय तक भारत की स्वतंत्रता के युद्ध को लड़ते रहने की प्रेरणा देती रहेगी जब तक कि भारत की पवित्र भूमि पर से अन्तिम अग्नेय खदेह नहीं दिया जाता और भारत पूरा स्वतंत्र नहीं हो जाता जो कि रासबिहारी के जीवन का दिव्य स्वप्न था । २५ जनवरी १९४५ को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने समस्त पूर्वी एशिया की इन्डियन इंडिपेंडेन्स लीग की शाखाओं को आदेश प्रसारित किया कि २६ जनवरी १९४५ को जिस दिन टोकियो में श्री रासबिहारी बोस का अन्तिम संस्कार हो व भारतीयों की आम शोक सभा बुलाए ।

२५ जनवरी १९४५ को अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के मुख्य कार्यालय में अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के मन्त्रिमण्डल तथा परामशदाताओं की बैठक बुलाई गई । महामहिम नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने अध्यक्षता की । मन्त्रिमण्डल ने श्री रासबिहारी बोस के निधन पर एक मन से नीचे लिखा प्रस्ताव स्वीकार किया । समस्त मन्त्रिमण्डल ने खड़े होकर उनकी आत्मा की शान्ति के लिए एक मिनट का मौन धारण किया । अस्थायी आजाद हिन्द सरकार के मन्त्रिगण तथा परामशदाता श्री रासबिहारी बोस के अमात्यिक तथा खेदजनक निधन पर अपना गहरा शोक प्रकट करते हैं और उनकी उन महान् और अल्लेखनीय सेवाओं के प्रति अपना आदरभाव प्रकट करते हैं जो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता बनाने के लिए आत्र म की । स्वर्गीय श्री रासबिहारी बोस की पावन स्मृति के प्रति सच्ची श्रद्धालु यही हो सकती है । अतएव यह मन्त्रिमण्डल पुन एव वर हड़ निश्चय करता है कि वह भारत की स्वतंत्रता के युद्ध को अधिक तेजी के साथ जारी रखेगा जब तक कि भारत पूरा रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता और श्री रासबिहारी बोस के जीवन का राध्य पूरा नहीं हो जाता ।"

ऊपर लिखे प्रस्ताव को स्वीकार करने के उपरान्त मन्त्रिमण्डल ने एक मत से एक नए प्रस्ताव चिह्न "समग्रे आजाद हिन्द" की स्थापना की और उस प्रस्ताव चिह्न

का प्रथम श्रेणी का अलंकरण श्री रासबिहारी बोस को भारत की स्वतंत्र करने के उनके प्रयत्नों के लिए श्रद्धा सहित मृत्योपराज प्रदान किया गया। मन्त्रिमण्डल ने 'श्री रास बिहारी बोस पदक' की भी सृष्टि की जो उस सेना छात्र का प्रदान किया जाता जो टोकियो की सैनिक अकादमी में सर्वश्रेष्ठ घोषित होता। भारत की स्वतंत्रता के उस महान योद्धा की स्मृति में एक मुट्ठी भर भारतीयों ने उनके चारों ओर भयंकर खतरा था और जिनका अस्तित्व ही खतरों में था ऊपर लिखे निष्पत्ति लिए परंतु उनके देश-वासियों ने भारत में जब वह सावधानी सत्ता प्राप्त कर स्वतंत्र हो गया तो क्या किया। जो स्वतंत्रता श्री रासबिहारी बोस की भस्मी तथा उन देशभक्तों की भस्मी पर निर्मित हुई जिन्होंने देश के लिए अपने को बलिदान कर दिया उनके लिए स्वतंत्र भारत और भारतीयों ने क्या किया ?

यह हम पहले ही कह आए हैं कि जापान के सम्राट ने श्री रासबिहारी बोस के रोगग्रस्त होना पर हॉस्पिटल में दो किरण बाने उगते हुए सूर्य के द्वितीय अलंकरण से उन्हें अलंकृत किया था। यह जापान का उच्चतम अलंकरण था और जब उनकी मृत्यु हो गई तो सम्राट ने उनके शव को ले जाने के लिए पाहो शव वाहन भेजा जिसमें जापान के सम्राट के शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जाते थे। जापान के सर्वोच्च शासक सम्राट ने भारत की स्वतंत्रता के उस महान योद्धा को जापान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया परंतु हम भारतीय स्वतंत्र होने के उपरांत भी उस महान देश भक्त वीर योद्धा को भूल गए जो अपने जीवन की अंतिम दशास तक भारत की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करता रहा। भारत में श्री रासबिहारी बोस का कोई स्मारक नहीं बना। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकार ने उनको, मृत्योपरांत किसी अलंकरण से अलंकृत नहीं किया, उनके नाम का डाक टिकट भी नहीं निकाला। जो व्यक्ति यह स्वप्न देखता था कि मृत्योपरांत उसकी भस्मी भारत की मिट्टी में मिलेगी, जो जीवन भर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए युद्ध करता रहा और विदेश में पड़ा रहा। मृत्यु के उपरांत उनकी भस्मी को भारत लाकर उनकी इस इच्छा को भी हम भारतीयों ने पूरा करने का प्रयत्न नहीं किया। कृष्णना का ऐसा कुहरा उदाहरण दूढ़ने से भी सत्कार के इतिहास में नहीं मिलेगा। हमारे इस आचरण पर स्वयं कृष्णना भी लज्जित हुई होगी।

### विमान दुर्घटना के शिकार (१९४२)

मलाया इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के चार प्रमुख सदस्य बगकाक के श्री सत्या नंद पुरी, प्रीतमोह और मलाया के अकराम तथा नीलकंठ अय्यर ने १३ मार्च १९४२ को सिंगापुर से भारतीय स्वतंत्रता सम्मेलन में भाग लेने के लिए टोकियो को प्रस्थान किया। विमान अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुँचा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस दुर्घटनाग्रस्त वायुयान का एक एप्रिल १९४२ को पता लग सका। दुर्घटना के कारण भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध के उन चारों ओरों की मृत्यु हुई। उनका अंतिम संस्कार पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ ५ एप्रिल १९४२ को किया गया।

वे मृत्यु का आलिगन करने वापस लौटे (१९४२ ४३)

इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने मातृभूमि के भीतरी भागों में अपने स्वातंत्र्य वीरों को भेजने का अत्यंत जोखिम भरा और साहस का पग उठाया था। उन देशभक्त स्वा-तंत्र्य वीरों को भारत की भूमि पर भेजने का उद्देश्य यह था कि वे भारत में विद्रोह

भड़काने के लिए काय करें और वहा के समाचारों को सीग के पास पहुंचाते रहें। वे सल्ल्या मे १४ थे। उन चौन्ह को चार टुकडियो मे बाट गिया गया। दो टुकडिया स्थल के माग से और दो समुद्र के माग से भारत मे प्रवेश करें—यह निश्चय किया गया। पांच प्रक्तियों का एक दल कालीकट में उतरा। उसमें एम ए कादिर एस ए भानदन और तीन अन्य सदस्य थे। पांच व्यक्तियों का दूसरा दल जिसमे सत्येन बघन थे काठि यावाड के तट पर पहुंचा।

वे एक सब मरीन (पनडुब्बी) के द्वारा आए और तट से पांच मील दूर एक रबर की नाव में स्थानांतरित कर दिए गए। उस समय समुद्र में भयकर लहरें उठ रही थी। उनकी धार गजना से साधारण व्यक्ति भयभीत हो सक्ता या परन्तु जिहोने देश के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देने का व्रत ले लिया हो, उनकी गति को समुद्री तूफान वहां रोक सकता था। इकठ्ठीस घंटों तक उन भयानक समुद्री लहरों से युद्ध कर वे भारत के तट पर पहुंचे। सत्येन के पास एक द्रासमीटर था जिसके द्वारा समाचार भेजने की कला का वह विशेषण था। तट पर उतर कर इससे पूब कि वे कृषी युत्त स्थान पर सुरक्षित रूप से छिप सकते वहा उपरिथत स्थितियों मे उह देख लिया। उन्हें सदेह हो गया और उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस ने उ हे तट पर उतरने के कुछ घटो के अदर ही गिरफ्तार कर लिया।

दो दल जो स्थल माग से चले थे उनमें से पहला दल २६ अक्टोबर १९४२ को चिटागाव पहुंचा। दूसरा दल त्रिसमे ६ सनिक थे और फौजसिंह उनर्म से एक था, आसाम के मार्ग से भारत मे आए। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचरो और भेदियों ने जिनका उस क्षेत्र मे जाल बिछा हुआ था पुलिस के मुख्यालय को सूचित कर दिया कि नेताजी द्वारा भेजा सनिको का दल भारत मे घुसा है। यह सूचना मिलते ही पुलिस ने उनकी पकडने के लिए घेरा डाल दिया और कुछ दिनों मे ही वे गिरफ्तार हो गए। जो दो दल भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर पकडे गए थे वे मदरास के किले मे रक्खे गए और चिटागाव तथा आसाम मे गिरफ्तार होने वाले दोनो दलों को भी कुछ समय के उपरांत मदरास भेज दिया गया।

सम्राट के विरुद्ध युद्ध करने के अपराध मे अभियुक्तो पर मुकदमा चलाया गया। उन पर इसठे अतिरिक्त इंडियन पेनल कोड तथा ८ मार्च १९४३ को युद्ध सक्ट-नालीन अध्यादेश के अंतर्गत शत्रु के एजेंट का काय करने का भी आरोप लगाया गया। १ अप्रैल १९४३ को फइला दे दिया गया। त्रावणकोर के श्री अदुल कादिर बगाल के एस ए भान दन और सत्येन बघन, पंजाब के फौजसिंह और एक अन्य को प्राणदण्ड की सजा दी गई। पाचवें व्यक्ति की अपील सफल हुई और वह प्राणदण्ड से बच गया। चारों वीर आजाद हिंद सेना के बहादुर सनिकों को मदरास के शोषालय कारागार म १० सितम्बर १९४३ को फांसी दे दी गई। फांसी के पूब वाली रात्रि को सारी रात वह कारागार बंदे मातरम की ध्वनि से गूँजता रहा। वह दृश्य अद्भुत था जब वे चारों साहस और दृढता के साथ फांसी के तलने पर बंदे मातरम का घोष करते हुए चढ़ गए। जब तक उनका फांसी का फग इतना कड़ा नहीं हो गया कि उनका श्वास बंद हो गया तब तक वे चारों वीर बंदे मातरम का घोष करते रहे। अन्दुल कादिर ने अन्तिम श्वास मे सुभाष बाबू की जय ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विनाश हो, जय हिंद का घोष कर अपने प्राणो की अहुति मातृभूमि की बलिबेदी पर चढा दी।

जब वे चारों देशमन्त्री और फासी के तख्ते पर भारत की विजय की कामना कर झूठ गये तो वहाँ की वायु ने उनके उस संदेश को भारत के कोने कोने में पहुँचा दिया और उन और बलिदानों सहोदरों की भस्मी और हड्डियों पर भारत की स्वतंत्रता के भवन को खड़ा होने में देर नहीं लगी। भारत उन सहोदरों की अतिम इच्छा के अनुरूप ही स्वतंत्र हो गया। इन चारों बलिदानों की संस्था में जो थोड़ी जानकारी उपलब्ध है उससे पता होता है कि वे पूर्वी एशिया के विभिन्न भागों में अपने-अपने से अपनी आजीविका का उपार्जन कर रहे थे। जब प्रांत स्मरणीय नेताजी ने भारतीयों का आजाद हिंद सेना में भर्ती होने का आह्वान किया तो वे स्वयंसेवक के रूप में उनमें भर्ती हो गए। जब जापानी सेनाओं ने मलाया को पदाक्रान्त किया उस समय सत्येन बघन टाकू तार विभाग में काम कर रहे थे। कुछ समय के लिए सत्येन बघन सेवामबोम में घिर गया। जैसे ही वह वहाँ से निकल सका वह इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में सम्मिलित हो गया। लीग ने उसको युद्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पनाय भेज दिया। जहाँ वह प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था उस इन्स्टीट्यूट में अब्दुल कादिर और फौजिब्रह्म पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। वह उनका साथी प्रशिक्षणार्थी बन गया। जब आजाद हिंद सेना का गठन हुआ तो सत्येन बघन उसमें भर्ती हो गया। उसको युद्ध का प्रशिक्षण देने के प्रतिरिक्त भारतीय और जापानी विशेषज्ञों ने रेडियो द्वारा समाचार भेजने का विशेष प्रशिक्षण दिया। सत्येन बघन ने अपने भाई और मामा को जो उसके साथ अभियुक्त थे अपने अंतिम पत्र में नीचे लिखे शब्द लिखे थे —

मुझे आपको कुछ कहने या लिखने के लिए दोष नहीं है मुझे अत्यंत हृष्य है और मैं इस बात के लिए गौरव अनुभव करता हूँ कि परम पिता परमेश्वर ने मुझे अपनी मातृभूमि की बलिबेदी पर अपने प्राणों का बलिदान चढ़ने के लिए चुना है। यदि कभी आपको भवसर मिले तो देश के शत्रुओं से प्रतिशोध लेने का प्रयत्न करना। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देना बंगालियों के लिए कोई नई बात नहीं है।

आपका भाग्यशाली

कानू

परिशिष्ट

अब्दुल कादिर द्वारा अपने पिता को लिखे पत्र की प्रतिलिपि

मदरास जेल

६ सितम्बर, १९४१

मोहतरिम (परम श्रद्धास्वद) अन्वयज्ञान,

यह आखरी वक्त है जबकि मैं आपको यह खत लिख रहा हूँ। बहुत बार और बहुत तरीकों से हमें वक्त-वक्त पर एकी हालतों और घटनाओं का सामना करना पड़ता है जो ददनाक और दिल को तोड़ देने वाली होती हैं। ब्रिदगी के रुफर में हमें बहुत बार गम गरीबी, नाशमंशी नाकामयाबी और यथा तब कि अपने वजूद के लिए खतरे का सामना करना पड़ना है। बँसी हासत में हमारे लिए यह शोभा नहीं देता कि हम उसके बारे में भला बुरा कहे और किसी को बमूरवार ठहराएँ।—इसके

खिलाफ उन आफना को हमें चुना ताला का भागीदार मानकर स्वीकार करना चाहिए । हमारा पक्ष यह है कि हम उसकी इच्छा को बिना चुना किए मानें और बिना हिचकिचाहट के उनका इत्तफाज करें और बिना शिकायत किए उन्हें अपनी जिदगी का हिस्सा बनाएँ । पवित्र कुरान भी हम यह सबक दर्शा है । बहुत बार जब हमारे सामने ऐसी पेचीदा कठिनाइयाँ आरजी (मस्यौबी) और परमाती ह तो परल्लाह हमारे दिमाग को ऐसी ताकत देता है कि हम हिम्मत से आसानों के साथ उसको पार कर लेते हैं ।

वह हमें ऐसी हालत में कभी नहीं जाने देता जो हमारी बरदाश्त के बाहर हो । क्योंकि वह इतना मेहरबान है । हम पर वह इतना महरबान है कि उसकी कोई इत्हा नहीं है । प्यार वालिद में बहुत शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह न मुझे ऐसा दिमाग दिया जो कभी भी पबडा कर होश नहीं सोता और हमेशा शांत रहता है । जब हम जिदगी में सबसे ज्यादा गमनाक हादसे का सामना करना पड़े तो हमारे लिए यह शोभा नहीं देता कि हम उसकी (अल्लाह) की इच्छा के खिलाफ कोई विरोध या मुसालफत करें या अपने मन में थोड़ी भी दुर्भावना रखें । मरी जिदगी का यह सबसे शानदार लहमा (गण) है जबकि मैं खुदा की इच्छा को स्वीकार कर उसकी बेदी पर अपनी जिदगी को बुजान कर दूंगा । मेरे दिमाग में हर लहमा (शरण) जन्नत (स्वग) की ताकत बिना मिलावट की खुशी और एक अनाखी शांति भरी रहती है ।

मुझे मुकम्मिल यकीन है कि मरा यह खत आपको जो पहले ही बहुत ज्यादा गमजदा था उस गम को और भी ज्यादा बड़ा देगा । मैं जब यह महसूस करता हूँ कि आपकी भाखों ने मेरे लिए न रुकने वाले आसुषों का दरिया (नदा) बहाया है तो मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता हूँ । शायद आपके मन में यह खयाल होगा कि जब मैं मलाया पहुँचूँगा तो जवानी की उद्विग्नता भूल जाऊँगा और शायद आपकी कुछ मदद कर सकूँगा । आज की हालत में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ? आप खुदा से पूछिये उसका बदलो मैं दुआ कीजिए आपको इसका जवाब मिल जावेगा । और सभी मखलूक़ातों (प्राणियों) की तरह आदमी को भी एक तयगुदा (निश्चित) समय पर मरना होता है । लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फरक है । अपनी जिदगी के दौरान मैं आदमी अपनी जिदगी का एक मतलब और मिशन कायम करता है और उससे यह दूसरे मखलूक़ातों (प्राणियों) से अपने को ऊँचा उठाता है । ऐसी मिसालों की कोई कमी नहीं है कि जब वह मजबूरी के साथ उन आदमियों को पकड़े रहता है और मौत को भी धुनौती देकर अपने मकसद की तरफ बहता है । अपने आदेश में अटूट विद्वान रखकर निस्साय होकर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए वह अपने को तयार कर लेता है । जो जिदगी की इस असलियत (वास्तविकता) को जानता है वह इस भौतिक जरीर (दुनियावी जिस्म) की जरा भी फिक्र या चिन्ता नहीं करता । हमारा मुकदमे का फैसला एक अप्रैल को सुना दिया गया था । मुझे इंडियन पेनल कोड की १२१ वीं दफा (घाग) के मातहत (म तगत) पांच साल की सजा और सकटकालीन (इमरजेंसी) कानून के मातहत (म गत) मौत की सजा मिली है । बल दो बजे रात्रि के पहले जिदगी के विराग की ली सथा के लिए बृक्त जावेगी । यह हास्य फिर कभी लिखने के लिए कलम नहीं पकड़ेगा । पवित्र रमजान के महीने में साठवें दिन सुबह के ५ और ६ घंटों के बीच जिदगी अपना अन्त देख लेती ।

## सेना में विद्रोह (१९४२)

यह बड़े लक्ष की बात है कि विद्रोहियों के एक दल के सरबन्ध में जिन्होंने अपना निजी दंग से सेना में भारत की स्वतंत्रता के लिए विद्रोह की भावना जागृत करने का कार्य किया हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। सच तो यह है कि सेना में साधारण सैनिक के मन में विद्रोह तथा प्रतिशांघ की भावना उत्पन्न होने तथा समय आने पर ब्रिटिश सरकार की सेना को छोड़ देश की मुक्ति के लिए जो भी लोग प्रयत्न करें उनसे मिल जाने की भावना के चलवती हो जाने के कारण ही विदेशी सरकार यह अनुभव करने लगी कि भारत जैसे विशाल महादेश पर बिना राजभक्त भारतीयों की सहायता के जो भारत की मिट्टी में उत्पन्न हुए हो केवल अकेले गोरे बतनभोगी कर्मचारियों द्वारा शासन कर सकना असम्भव है।

सैनिक गुप्तचर विभाग ने उच्च अधिकारियों को यह रिपोर्ट दी कि चौथी मदरास तटीय सुरक्षा सेना (फोथ मदरास कोस्टल डिफेंस बटाली) का एक दल जहाँ भी सम्भव हो तोड़ फोड़ करने तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में भाग लगाने, सेना की राजभक्ति को नष्ट करने, सैनिकों को सेना छोड़ कर भाग जाने की भावना जागृत करने, उन सैनिकों में जो सेना के बरतों में रहते हैं उनमें परस्पर मनमुटाव तथा प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। इस रिपोर्ट का परिणाम यह हुआ कि १८ अप्रैल १९४३ को सैनिक पुलिस ने लगभग बारह विद्रोहियों को सरकार का विरुद्ध कार्यवाही करने तथा युद्ध के प्रयत्न में खावट डालने और युद्ध के प्रयत्नों पर कुप्रभाव डालने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ६ जुलाई और ५ अगस्त १९४३ को सैनिक अदालत (कोर्ट मजल) बंगलौर के सट ऐंड्रूथ गिरजाघर में बठी और उसने सभी अभियुक्तों को सजा दे दी। उनमें से नौ बंगाली सैनिकों की जिनके नाम नीचे दिये हैं सैनिक अदालत ने प्राणदण्ड की सजा दी।

(१) मान कुमार बसू ठाकुर (मायु २१ वर्ष), (२) नंद कुमार दे (२५ वर्ष) (३) दुर्गादास राय चौधरी (२५ वर्ष), (४) निरजन वरुणा (२३ वर्ष), (५) चित्ररजन मुखर्जी (२४ वर्ष), (६) पत्नी भूपण चक्रवर्ती (२३ वर्ष) (७) सुनील कुमार मुखर्जी (२२ वर्ष), (८) कालीपद झाड़च (२३ वर्ष), और (९) निरेन्द्र मोहन मुखर्जी (२१ वर्ष) दो का आजीवन कालापानी और एक को सात वर्ष का बंठोर कारावास दिया गया। उन तीनों कैदियों को ब्रिटेन प्राणदण्ड दिया गया उनको मैसूर में फांसी दी जानी थी। परंतु क्योंकि प्राणदण्ड की सजा ब्रिटिश सैनिक अदालत (कोर्ट मार्शल) ने दी थी अस्तु मैसूर राज्य की सरकार ने उनको मैसूर राज्य की भूमि पर फांसी देने में आपत्ति की। क्योंकि इन तीनों देशभक्तों को किसी भी अर्थ स्वरूप पर आसानी से मारा जा सकता था अतएव ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मदरास के शोध कारागार में जहाँ पहले ही चार (या ६) अन्य देशभक्तों को एक महीना पूर्व फांसी दी जा चुकी थी, स्थानांतरित कर दिया। फांसी के लिए अपनी बौद्धिकियों (सैल) से जब वे देशभक्तों मुक्त दो दो के समूह में ले जाए गए तो उनके मुखों पर प्रसन्नता खेल रही थी और उन्होंने आश्चर्यजनक साहस का परिचय दिया। उन सबों ने एक साथ मिल कर तब प्राजापत में 'बन्दे मातरम' का घोष किया। हर एक ने एक दूसरे को प्रसन्न बदन अभिनय कर बिना ली और प्रसन्न चित्त फांसी के तहते पर झूक कर २७ सितम्बर १९४३ को उसी प्रकार मातृभूमि की बलिदानों पर अपने प्राण दे दिए जिस प्रकार रणभूमि में घोड़ा अपने प्राण देते हैं।

## विद्याल समुद्र में (१९४५)

महाविप्लवी नायक रासबिहारी बोस के बोटे स योग्य सहायकों में श्री डी यश देशपांडे योग्यतम सहायक थे जिन्हें पर रासबिहारी बोस का घट्टा विश्वास था। देशपांडे जापान १९३० में गए और कुछ ही दिनों के उपरांत ही वे अपने नेता के सम्पर्क में आ गए। जो भारतीय विद्याध्ययन के लिए जापान जाते थे उनके सहायता करने में उनकी विशेष रुचि थी। रासबिहारी बोस भारत से जापान जाने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके जापान में रहने के लिए निवास तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करते थे। श्री देशपांडे उनके इस कार्य में विशेष सहायक थे। जब रासबिहारी बोस डॉ. डयन नेशनल आर्मी (भारत की राष्ट्रीय सेना) का संगठन कर रहे थे और उसके लिए रासबिहारी बोस को दक्षिण पूर्व एशिया का दौरा करना पड़ता था तो हर बार श्री देशपांडे उनके साथ जाते थे। एक बार जब अपने परिभ्रमण से वे अग्रेल १९४५ में वापस जापान लौट रहे थे तो अमेरिकियों ने उनके जहाज को टारपीडो कर डूबा दिया और एक मृत्युवान जीवन समुद्र के गह में विलीन हो गया। (स्रोत रासबिहारी बोस का लेख हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड के विंगेपाक में)

## शत्रु का व्यूह का भेदन

तीर्थयात्री जो रणक्षेत्र के लिए पूर्व निर्दिष्ट था (१९१४-४५)

यद्यपि सुभाषचंद्र बोस अपनी मतृ शिक्षण संस्था के अत्यंत मेधावी छात्र थे फिर भी अपने छात्र जीवन के प्रारम्भिक काल में उन्होंने जो चरित्र की दृढ़ता और तेजस्विता प्रदर्शित की वह चरित्र की दृढ़ता और तेजस्विता उनकी तरफाई और उनके पढ़ना बहुत जीवन के अन्तिम दिनों में और भी अधिक मुखरित हो उठी थी। अपने यौवन काल में वे भाष्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित हुए और अग्रेल १९१४ में एक सभ्य परिवार के सुविद्याजनक गृह को त्याग कर वे अध्यात्मिक गृह की खोज में निकल गए जब कि वे यौवन के द्वार में प्रवेश कर रहे थे तब उन्होंने अपने को अत्यंत कठोर जीवन के लिए तैयार कर लिया था। सुविद्याजनक सम्पन्न गृह को त्याग कर अतिरिक्त प्रदेश में नितांत अपरिचित स्थानों में रहना और नियमित रूप से औरत और आश्रय न मिलने की सम्भावना की चिंता न कर वे अपनी अंतर की पुकार को सुन चल पड़े थे। बहुत दिनों तक हिमालय तथा उत्तराखण्ड में तथा अन्य स्थानों पर 'गृह' की खोज में फिरने पर भी उन्हें मददगार नहीं मिला जो उनकी अध्यात्मिक लुधा को शांत कर सकता। अस्तु वे उस ओर से निराश होकर पर वापस लौट आए।

मद्रिग्यूलेशन तथा इंटरमीडियेट परीक्षाओं में वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। जब वे कलकत्ता के प्रेसीडेंसी कालेज में बी. ए. के तृतीय वर्ष में अध्ययन कर रहे थे तब १५ फरवरी १९१६ को असाधारण परिस्थितियों में एक अग्रज प्रोफेसर को पीटने की घटना घटी जो उनके जीवन में विशेष महावपूर्ण स्थान रखती थी। जब सुभाष बाल्य-पन में कटक के प्रोटस्टेंट स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल के योरोपियन सहापाठियों के जाती यता के अहंकार को सहन नहीं देखा था। उक्त अग्रज प्रोफेसर ने वह जातीय अहंकार चरम सीमा में था और वह भारतीयों को नितांत हेम समझता था। सुभाषचंद्र बोस पर उस काण्ड में सम्मिलित होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने न तो स्वयं अपराध स्वीकार किया और न उन छात्रों के नाम ही बतलाए जो उस घटना के लिए उत्तरदायी थे। अस्तु, उनकी कालेज से दो वर्ष के लिए अहिष्टित (रिस्ट्रिक्ट) कर दिया गया।

इस घटना का तनिक विस्तार से वर्णन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह घटना श्री सुभाषचन्द्र बोस के जीवन में एक महान परिवर्तन लाई। अनेक वर्षों के उपरांत १ दिसम्बर १९२६ को एक छात्र सम्मेलन में अध्यक्ष पद से भाषण करते हुए उन्होंने नीचे लिखे महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए थे—“मुझे आज भी वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जब कि मेरे प्रिंसीपल (आचार्य) ने मुझे अपने समक्ष बुला कर कॉलेज से मुझे वद्विष्ट किए जाने की घोषणा की और उनके हाथ आज भी मेरे बानों में गूज रहे हैं। उन्होंने कहा ‘तुम कॉलेज में सबसे अधिक शैतानी करने वाले छात्र हो’ वास्तव में वह दिन मेरे लिए एक अत्यंत शुभ और भाग्यशाली दिन था। अनेक प्रकार से वह मेरे जीवन में वह महान परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हुआ जबकि किसी उद्देश्य या लक्ष्य के लिए कष्ट सहने का प्रथम बार हृय या आनन्द का अनुभव हुआ। वह आनन्द ऐसा सुखद होता है जिसकी तुलना में जीवन के अन्य सभी प्रकार के आनन्द तुच्छ और ध्यय प्रतीत होते हैं। वह मेरे जीवन में पहला अवसर था—जब कि मेरी सद्भावनात्मक नैतिकता और सद्भावनात्मक देशप्रेम की परीक्षा ली गई—वास्तव में वह अत्यन्त कठोर परीक्षा थी और जब मैं उस परीक्षा में से बिना खरोच लगे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो गया तो मेरे भावी जीवन का मानचित्र सदैव के लिए निश्चित हो गया।”

प्रिंसीपल पर किए गए उस आक्रमण में वे सम्मिलित थे क्योंकि वे कहा करते थे कि ‘यूरोपियों को केवल धारीरिक बल ही समझ में आता है। यह वह समय था जबकि भारतीयों ने घण्ट का जवाब पूरे से देना आरम्भ कर दिया था और जब भारतीय मारते तो उसका तत्काल प्रभाव होता था।”

सन १९१७ में सुभाषचन्द्र बोस ने कसकता विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग कोर (सैनिक प्रशिक्षण) में अपना नाम लिख था। ट्रेनिंग कोर में अपना नाम लिखाने का उनका उद्देश्य यह था कि नैतिक और शारीरिक क्षेत्र में, दर्शन और सृष्टि के विभागों में तथा अन्य सभी क्षेत्रों में भारतीय अग्रजों से किसी भी तरह हीन नहीं हैं। केवल धारीरिक बल और स्वास्थ्य में वे अग्रजों की तुलना में पीछे हैं अतएव धारीरिक दृष्टि से भी उन्हें अग्रजों के समान अक्षिणशाली होना चाहिए। अतएव सुभाषचन्द्र बास अग्नि शस्त्रों के साथ सैनिक प्रशिक्षण के इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे। जहाँ तक राइफल और अग्नि घस्त्रों का प्रदान था बहुत थोड़े से भारतीयों को छोड़ कर वे भारतीयों के लिए वजित थे।

सैनिक शिविर का कठोर जीवन उह था त जीवन से जिसमें कुछ करने के लिए नहीं होता उन्हें अधिक सुखद प्रतीत होता था। वे शांत जीवन को नीरस मानते थे। उन्हें बेलघूरिया शिविर की यह घटना बहुत ही पसन्द आई जब कि हवा तेज बह रही थी, मूसलाधार वर्षा हो रही थी जिससे बेमों में पानी भर गया था और प्रातःकाल सूर्य भेद का अन्धास आरम्भ हुआ था। सायंकाल साढ़े चार बजे तक गोली चलाने और निशाना लगाने का अभ्यास होता रहा। उससे श्री सुभाषचन्द्र बोस को अतीव प्रसन्नता हुई क्योंकि उससे किंचित मात्र सैनिक प्रशिक्षण तथा युद्धक्षेत्र का अनुभव होता था। उन्हें अत्यन्त कठोर काय करना जैसे वेमे गाढना चीचालयों का निर्माण करना, दूर से जल लाना और सबसे अधिक रात्रि की सेवा तथा सतरी के रूप में रात भर पहना देना बहुत सुखद और मधुर प्रतीत होता था। शिविर जीवन का अनुभव



उनका बहुत पसंद था और उनका विश्वास था कि उस प्रशिक्षण में जो थोड़ा बहुत सैनिक प्रशिक्षण मिलता है उससे प्रत्येक छात्र को कुछ न कुछ अवयव लाभ होता है। सच तो यह है कि जसा उन्होंने ३० अप्रैल १९१८ में लिखा—उन्हें १८ महीने समय कल्पना-सीत गौरव का अनुभव हुआ कि अब गोली चलाने की प्रतिद्वंद्विता में बंगाली छात्र अपने अपने शिक्षकों से थोड़ा प्रमाणित हुए।

जब वे विश्वविद्यालय के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पाचवें वर्ष की कक्षा के छात्र थे तबसे अगली आई सी एस परीक्षा के लिए तयारी करने के लिए कहा गया जिसके लिए केवल ६ महीने ही समय था। ११ सितम्बर १९१६ को वे भारत से इंग्लैंड गए और उन्होंने आई सी एस परीक्षा में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त किया। उसी अवधि में उन्होंने केंब्रिज विश्वविद्यालय से दशनशास्त्र में आनस उपाधि भी ले ली। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया और १६ जुलाई १९१६ को भारत वापस लौट आए। भारत में वापस आते ही वे भारत के राजनीतिक जीवन में कूट पड़े और देशव्यापक चित्तरजन दास के सहायक के रूप में कार्य करने लगें। कांग्रेस में अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के अतिरिक्त वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कंसिडर भी नियुक्त किए गए।

वे क्रांतिकारी आंदोलन के जन्म उसके विकास तथा हिसात्मक प्रदर्शनों का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। कारण यह था कि क्रांतिकारी आंदोलन का सरकार पर गहरा प्रभाव पड़ा था। यत्नकता पहुँचने के कुछ ही दिनों बाद वे इंडो जर्मन पडयंत्र के प्रमुख नायकों तथा क्रांतिकारी कार्यों के पुराने और प्रमुख नेताओं से मिलने के लिए अपने पैतृक ग्राम 'कोडालिया' जो चौबीस परगने में स्थित है गए। अपने पैतृक ग्राम के क्रांतिकारी मित्रों से वे निरंतर गुप्त रूप से सम्पर्क बनाए रहे और धीरे धीरे उन्होंने विस्तृत बंगाली क्रांतिकारी संगठनों से अपना सम्पर्क स्थापित कर लिया जिन्होंने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के हस्त में भय का आतंक उत्पन्न कर दिया था। १० दिसम्बर १९२१ को कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन में वे गिरफ्तार हो गए और छह ६ महीने का कारावास हो गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले असहयोग आंदोलन के प्रभाव क्षेत्र तथा उसके विस्तार की जांच करने के उद्देश्य से भारतीय क्रांतिकारियों ने असहयोग काल में अपनी कायवाहियों को स्थगित कर दिया था।

जब असहयोग आंदोलन स्थगित होने लगा तो गुप्त क्रांतिकारी संगठना ने पुनः अपनी शक्तियों को पुनर्संगठित करना प्रारम्भ कर लिया। सुभाष चन्द्र बोस को क्रांतिकारियों से गठबंधन करने के सदेह में २५ अक्टूबर १९२४ को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ सफ़ेद प्रमुख क्रांतिकारियों को भी पकड़ लिया गया जो कि भावी क्रांतिकारी आंदोलन में प्रथम पवित्र में रह कर उनकी नेतृत्व करने वाले थे। सुभाषचन्द्र को तीन महीने बंगाल की जेल में रख कर २५ जनवरी १९२६ को उन्हें माइले जेल में भेज दिया गया। जब वे माइले जेल में थे तो उनके नेतृत्व में सफ़ेद राजनीतिक बंदियों ने अपने धार्मिक कृत्या तथा सनारों के जिनम दुगा पूजा भी सम्मिलित थी को जेल में मनाने के अधिकार को स्थापित करने के लिए वह ऐतिहासिक अनशन किया था। सुभाष चन्द्र तथा उनके कुछ साथी बंदियों का जेल में स्वास्थ्य बहुत अधिक खराब हो गया। विवश होकर सुभाष चन्द्र को सरकार ने १६ मई १९२७ को छोड़ दिया।

उनके जेल से छूटने पर वे वगाल प्रा तीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। जेल से छूटने पर कुछ दिनों में ही समाज जी के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ कि उन्होंने वगाल राजनीतिक सम्मेलन का सभापतित्व किया। इसके प्रतिरिक्त अनेक राजनीतिक युवक तथा छात्र सम्मेलनों के अध्यक्ष पद से उन्होंने भाग्य लिए। वे भारत के विभिन्न भागों में गए और उन्होंने देश की पूर्ण स्वतंत्रता की साहस और तेजस्विता [के साथ मांग की और उस विचारधारा के पक्ष में धुआधार प्रचार किया। वे जहाँ जाते देशवासियों का देश की स्वतंत्रता के युद्ध के लिए तैयार रहने का आह्वान करते। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का वार्षिक अधिवेशन १९२८ में कलकत्ता में होने वाला था और उससे सम्बंधित अनेक कार्यों तथा खुले अधिवेशन की व्यवस्था करने के लिए एक पूर्ण अनुशासित स्वयंसेवक संगठन खड़ा किया गया और श्री सुभाषचंद्र बोस इसके सर्वोच्च कमाण्डर नियुक्त किए गए।

वतिपय अत्यंत दूरदर्शी राजनीतिज्ञों ने उसी समय ही यह घोषणा कर दी थी कि वे देश के भावी नेता होंगे, वे देश की भावी आशा हैं। कलकत्ता के पत्र "दी पलफेयर" ने नीचे लिखे भविष्यवाणी के शब्दों में १९२८ के कांग्रेस अध्यक्ष के जुलूस के सम्बंध में अपने विचार प्रकट किए थे। " प्रातःकाल होने से पूर्व ही कांग्रेस अध्यक्ष का जुलूस जिस मांग से निकलने वाला था उसके दोनों ओर फुटपाथ पर दशनाथियों की भारी भीड़ घब और सघन से खड़ी थी। प्रत्येक उत्तल बरांडा झकोरा तथा खिड़की की इंच-इंच जगह उत्सुक दशनाथियों ने घेर रखी थी।" इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अपार जनसमूह कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा था किंतु 'भवश्य ही वे उससे भी अधिक मूल्यवान और अनिजात राष्ट्रीय महत्व की वस्तु का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए थे। वह थी एक असीनिक जाति में सैनिक आदरणीय की तीव्र और गहन इच्छा। सच तो यह है कि वगाल के लिए वह एक नवीन दिवस का प्रमाण था। उस दिन एक नवीन परम्परा को जन्म देने का प्रयास किया गया। आशा और अप्रतिष्ठा के उस प्रवाह ने पदों को उसी तरह दूर हटा दिया जिस प्रकार कि प्राचीन काल में विजयी राष्ट्रवीर विजयी सेनाओं के साथ रणभूमि में विजय प्राप्त कर विजयोन्नास से जब लौटते थे तो निमग्न बुरका घनायास ही हट जाता था और छत्रों और कमरों की खिड़कियाँ चौड़ी खुल जाती थी जिससे पदों में रहने वाली स्त्रियाँ भी उन विजेताओं पर अपना प्रेम स्नेह समादर प्रशंसा और फूलों तथा शुभकामनाओं की वर्षा कर सकें। उसी प्रकार उनकी उस दिन वर्षा हुई। लोगों ने उसी प्रकार पुष्पों और शुभकामनाओं की बौछार की। स्त्रियों और पुरुषों ने स्वयंसेवक दल के सर्वोच्च कमाण्डर के गव से ऊँचे शीश पर जब कि वह मोटरकार में धीरे धीरे स्वयंसेवक दल का संचालन करते हुए खड़े थे अपनी आगा और हथकी की वर्षा की। वह उस दिन प्रातःकाल के बीर योद्धा की भाँति दिखलाई पड़ रहे थे जिन्होंने अपार जन समूह को उदासीनता और शायरता पर तुरही और शक्रे की चोट से विजय प्राप्त की थी। उस अपार जन समूह में एक व्यक्ति की आँसु भी उसको मनदेखा या उपेक्षा नहीं कर सकती थी। कोई कमरा उसका चित्र लिए बिना नहीं रह सकता था। वह बीर वेग में एक कमाण्डर की भाँति संचालक के रूप में खड़ा था। जब कार धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ती तो वह कभी-कभी अपने हाथ के उसी भाँति संकेत से निर्दोष भर देता जिस प्रकार एक जनरल सैन्य संचालन के समय देता है। वह प्रत्येक दल एक सेनापति की भाँति

दिललाई दे रहा था—उन्हे मुद्रमदल और समस्त व्यक्तित्व पर एक विजयी योद्धा का स्व चतय, स्व भावनासून की मूक दृष्टि और स्व सतोप की आभा अद्वित थी। वह एक दशनीय दृश्य था। नहीं, वह एक दृष्टि बलना थी। नविष्य की एक महान भासा थी।”

जब कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ तो सुभाष जी कांग्रेस के महामन्त्री निर्वाचित हुए। अपने भाराम की तनिक भी शिता न करने वाले जोतिम उठाने के लिए सदैव तत्पर और कारागार के बन्दों के प्रति नितात उदासीन सुभाष को जनवरी १९३० को नी पहीने का कठोर कारावास हो गया। अगस्त १९२६ म उन्होंने जो एक जुलूस का नेतृत्व किया था उस सम्बन्ध में यह कारावास उन्हें दिया गया। २३ सितम्बर १९३० को वे कारागार से मुक्त किए गए।

कई बार सुभाष जी को सरकार ने गिरफ्तार कर कारागार में बन्द कर दिया। कभी उन पर मुकदमा चलाया जाता और कभी बिना मुकदमा चलाये ही उनको जेल में डूस दिया जाता। उनकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप की इन अवधियों में वे दो बार अखिल राष्ट्रीय महामन्त्री (इंडियन नेशनल कांग्रेस) के अध्यक्ष चुन गए। एक बार १९३८ में और दूसरी बार १९३६ में। जेल में लम्बे समय तक रहना तथा जेल जीवन उनके स्वतन्त्रता प्रिय मस्तिष्क के लिए विशेष अहितकर सिद्ध हुआ और वे कम से कम दो बार गम्भीर रूप से अस्वस्थ हो गए। विशेषणों द्वारा उपचार के लिए २३ फरवरी १९३३ को प्रथम बार वे योरोप भेजे गए। अपने पिता की गम्भीर बीमारी का समाचार सुन कर, मृत्युशय्या पर उनको देखने के लिए वे शीघ्रतापूर्वक भारत लौट और अपने पिता की मृत्यु के एक दिन बाद ही ३ दिसम्बर, १९३४ को कराची पहुँचे। भारत वापस लौटकर होने योरोप में उपचार के लिए जो उन्हें जाने दिया गया था उसकी गतों को उन्होंने तोड़ा था। अतएव वे पुन बन्दी बना लिए गए और १८ नवम्बर, १९३७ को वे हवाई जहाज द्वारा पुन योरोप भेज दिए गए।

जबकि उन्हें बलपूर्वक अपने देश से निर्वासित कर दिया गया, सो उस काल में उन्होंने योरोप की कूटनीतिक परिस्थिति का समीप से अध्ययन किया। वे अनेक यूरोपीय देशों में गए और वहा के सर्वोच्च तथा शीप राजनीतिक नेताओं से मिले। आगे चल कर उन राजनीतिक नेताओं तथा राजनीतिक परिस्थिति का ज्ञान उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। उस राजनीतिक ज्ञान का भारत के हित में उपयोग कर, उन्होंने भारतीयों को योरोप के राजनीतिक रहस्य पर होने वाले परिवर्तनों से, आने वाले कष्टों और दुखा से सदैव सावधान करने का प्रयत्न किया। भारत में २ जुलाई, १९४० को वे अंतिम बार गिरफ्तार किए गए। अपने दो पत्रों में जिन्हें वे अपना राजनीतिक सदेश या इच्छापत्र कहते थे जो उन्होंने बंगाल की सरकार को लिखे थे उन्होंने अपने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा का संकेत किया था। उनके भावी कार्यक्रम में मृत्युपयंत अनुदान रखना भी सम्मिलित था। ५ दिसम्बर १९४० को वे कारागार से मुक्त किए गए और बसकत्ते के उनके एलगिन रोड के मकान में पहुँचा दिए गए। सुभाषजी ने अपने को अपने निजी कमरे में बन्द कर लिया। प्रथम उ हाने लोगों से भी मिलना जुलना बन्द कर दिया। यहा तक कि वे अपने निकट सम्बन्धियों से भी नहीं मिलते थे। उनके लिए खाना उनके

पदों के समीप बाहर की ओर रख दिया जाता था और वे अपनी सुविधा के अनुसार उसे ले लेते थे तथा भोजन कर वाली आदि को पुनः उसी स्थान पर सरका देते थे। एक दो व्यक्ति जिन्हें उनसे मिलने की आज्ञा थी, वे यह देखकर आश्चर्य करते थे कि उन्होंने अपने साफ सुधरे चेहरे पर दाढ़ी बढा ली थी। वे दुबले हो गए थे और उनके दोनों ओर गीता तथा चढी की एक एक प्रति रखी रहती थी। जब उनसे पूछा जाता कि दाढ़ी क्या बढा रखी है, तो वे उत्तर देते कि उनकी खाची की मृत्यु हो जाने के कारण वे शोक में हैं और एक धार्मिक हिन्दू होने के नाते हजामत नहीं बना सकते। अर्द्ध रात्रि के उपरांत उनके एक मित्र, जिन्हें वे समय समय पर बुलावा भेजते थे वे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी अनुपस्थिति में जो योजना कार्यान्वित करनी थी, उस योजना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा होती थी।

यह उल्लेखनीय है कि वे अपने दो भयवा अधिक से अधिक तीन मित्रों के माध्यम से उन व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर सके कि जो उन्हें उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त में मिलने वाले थे और उन्हें अफगानिस्तान पहुँचाने वाले थे। कलकत्ता से निकलने में दो महीने की देरी हो जाने के कारण उन्हें काबुल से निकालकर रूसी प्रदेश में पहुँचाने की जो व्यवस्था की गई थी, वह इस देरी के कारण भंग हो गई। यह एक प्रकार से अचकार में कूटना था, इस सुदूर सम्भावना से कि वे भारत से निकल कर पेशावर और काबुल होकर मास्को पहुँच सकेंगे। श्री सुभाष-चन्द्र बोस १७ जनवरी, १९४१ को रात्रि के समय घर से निकल पडे। अपने एलमिन रोड के मकान को छोड़ने के उपरांत क्या हुआ, यह उनके भतीजे डॉक्टर अशोक नाथ बोस ने इस प्रकार बतलाया है—

“१७ जनवरी, १९४१ का प्रातःकाल ६ बजे जबकि मैं और मेरी पत्नी वरारी घनवाद में प्रातःकास के जलपान (ब्रेकफास्ट) के लिए खाने की मेज पर बठने की तयारी कर रहे थे कि हमने अपने भाई डाक्टर शिशिर बोस को हमारे पिता की एक मोटर में बगल में झुमते देखा। उन्होंने मुझे बतलाया कि वे कलकत्ते से नेताजी को छद्म वेश में गुप्त रूप से निकाल कर लाए हैं। उन्होंने अर्द्ध रात्रि के कुछ समय उपरांत ही कलकत्ता छोड़ दिया और सारी रात वे ग्राह ट्रक रोड पर मोटर चलाते रहे। मेरे बगले के समीप पहुँचने पर एक मील दूर उन्होंने नेताजी को मोटर से उतार दिया, जिससे कि मेरे नौकरों को इसका तनिक भी संदेह न हो कि मेरे भाई का उनसे कोई वास्ता है। मेरे भाई के पहुँचने के कुछ मिनटों के उपरांत ही नौकरों ने सूचना दी कि एक अपरिचित व्यक्ति आए हैं। वे सिर से पैर तक एक सभ्रांत पठान के वेश में थे। उनकी वेशभूषा, सर पर फज टोपी और कई महीनों की बढी हुई दाढ़ी, जो उन्होंने एकतवास में बढा ली थी—सब मिलाकर उनका छद्म वेश इतना पूर्ण था कि किसी के लिए भी पठान वेश में नेताजी को पहचान सकना असम्भव था। उन्होंने दिन भर मेरे बगले में आराम किया। किसी को किसी प्रकार का संदेह न हो, इसलिए उन्हें प्रतिधियों के लिए सुरक्षित कमरे में ठहराया गया और ऐसा प्रकट किया गया कि वे मानो भजनवी व्यक्ति हों। हम में जो भी बात होती वह केवल अग्रजी में होती थी। सायंकाल होने पर बाह्य रूप से उन्होंने हम से विदा ली और बगले से

समीप के टक्की स्टैंड तक जाने के लिए पैदल चल पड़े। बाधा घण्टे के बाद में मेरे भाई और मेरी पत्नी तीनों ही मोटर से चले और सड़ मार्ग में मोटर में से लिया। उधर उपरांत हम घाट टुक रोड पर गमोह की ओर चले। गमोह के पास पहुँच कर हम लोग सड़क पर एक एकांत और सुनसा जगह पर एक घण्टे लिए रुक गए क्योंकि गमोह स्थान पर ट्रेन अट्ट रॉजि ब पूर्व आने वाली नहीं थी। हम लोग आपस में घरेलू बातचीत करते रह। उन्होंने हमसे कहा कि वे उस समय पेशावर जा रहे हैं और काबुल तथा मास्को हीवर अतत चलिन जाने का उनका विचार है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे निकल जाने का भेज घाठ या नौ दिन छिपाया जा सका तो मैं ब्रिटिश सरकार की पहुँच के बाहर निकल जाऊंगा। उन्होंने हम से यह भी कहा कि मेरे निकल जाने के परिणाम विशेषकर परिवार के सदस्यों के लिए बहुत गम्भीर हो सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि यदि ऐसा हो तो उसके परिणामों को साहस और धय से सहन करना। उनके निकल जाने की योजना हम में से किसी को भी समूची ज्ञात नहीं थी। केवल दो व्यक्ति ही उनकी सम्पूर्ण योजना को जानते थे। अर्थात् मेरे माता पिता को ही, उनके निकल जाने की पूरी योजना पाठ थी। मुझे उनसे इष्ट स्थान का इससे पूर्व कोई पता नहीं था और न मुझे पहले से यह मालूम था कि वे मेरे यहाँ तक और कैसे पहुँचेंगे।

क्योंकि देहली-कालका रेल के आने का समय नजदीक आ रहा था, अस्तु, हम लोग स्टेशन की ओर चले और स्टेशन पहुँचकर हम जल्दी से सड़ उतार कर मोटर को तेजी से आगे आध मील की दूरी पर ले जाकर खड़ा किया और गाड़ी के चले जाने के उपरांत बाधा घण्टे तक और इ तजार करते रह। जब हम विश्वास हो गया कि वे गाड़ी में सुरक्षित चढ़ गए तब हम मोटर से वापस घनवाद लौट आए। यात्रा में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी तथा श्री सुभाषचन्द्र बोस बिना किसी बिध्न बाधा के पेशावर पहुँच गए जहाँ कि पूर्व निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार एक सहायुभूति रखने वाले सहायक मित्र ने उनका स्वागत किया। सुभाषजी तथा उनके मित्र को पेशावर में दो दिन यतीन करने पड़े। वहाँ से वे काबुल की ओर चले। उन्होंने भारतीय सीमा को पार किया और दो मस्कों को भर कर तथा सड़ बाँध कर एक कृत्रिम नाथ बनाकर अत्यन्त कठिनाई से उन्होंने काबुल नदी को पार किया। क्योंकि स्थानीय बोलचाल की भाषा से सुभाषजी अनभिज्ञ थे अस्तु उन्हें गूगे और वहरे व्यक्ति का ढोग करना पड़ा। वे गूगे और वहरे बन गए।

अफगानिस्तान की सीमा में घुसना आसान था परंतु काबुल पहुँचना बहुत ही कठिन था। शाम हो गई थी, उस निजन स्थान पर और वे वक्त समय कोई भी वस वनको बिठा लेने के लिए नहीं रही। सुभाषजी और उनके साथी ने कम से कम उस रात्रि को काबुल जाने के लिए कोई भी सवारी या सड़के के सम्बध म लगभग सारी आशायें छोड़ दी। सवारी न मिलने का विकल्प—प्रतीक्षा करना—बर्फाले शीत से मृत्यु होना था क्योंकि उस समय चारों ओर बिना रुके बर्फ गिर रही थी। अत में माल से पूरी तरह लदे हुए एक टुक ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान देकर उनको चढ़ा लिया। उन्हें ऊपर चढ़ कर सामान के ऊपर निकुड कर बैठना पड़ा और था वह बहुत खतरनाक। यही नहीं कि सड़ शीत वायु का सामना करना पड़ रहा था और उन पर बर्फ गिर रही थी वरत सड़के के दोनों ओर सड़े वृक्षा की भुकी हुई डालियों से यह खतरा था कि वे

दोनों यात्री जो माल के बोरे पर बंटे थे वृक्ष की मुकी डालियों से टकरा कर कहीं ऊपर से गिर न पड़ें। इस प्रकार अकथनीय कष्ट और खतरे से निकल कर दोनों यात्री सूय छिपने पर काबुल पहुच गए। कभी कभी ऐसी घटना घटी है जिसे हम 'बमत्कार' कहते हैं वैसे ही घटना सुभाय के साथ घटी। उन्हें काबुल में उत्तमचन्द का धादरपुण्य यात्रिण्य मिला जहाँ वे ४३ दिन रहे। अवश्य ही उनके वहाँ रहने के सम्बन्ध में अंग्रेजी सरकार को भेद शात हो जाने और उनके फिरफार हो जाने की सम्भावना बनी हुई थी। श्री सुभाय ने रूसी दूतावास से सम्बन्ध स्थापित करने की भरसक चेष्टा की परन्तु सारे प्रयत्न विफल हुए। इटलियन दूतावास का रुत अधिक अनुकूल रहा यद्यपि उनकी भी सुभाय जी की मिजवाने में बहुत देरी हुई। लम्बे दिनों तक मन और शरीर को कष्टभोर देने वाली प्रतीक्षा के उपरान्त सुभाय जी ने १८ माच को काबुल छोड़ दिया और वे रानि को रूसी प्रदेश में पहुच गए। २० माच १९४१ को वे मास्को पहुचने और वहाँ जर्मन राजदूत से मिले। मास्को स्थित जर्मन राजदूत के एशियाई राजनीति के गहन ज्ञान ने सुभाय जी को बहुत अधिक प्रभावित किया। वह महान भगोटा (सुभायजी) २८ माच को बर्लिन पहुच गया। घुरी राष्ट्रों ने सुभाय जी का हूय में स्वागत किया क्योंकि हिटलर ने इस पर धारक्रमण करने का निश्चय कर लिया था और भारत का भी प्रश्न उसके ध्यन में था। भारत से मागे हुए इस महान धार्मिक कारी का पहला प्रस्ताव बर्लिन रेडियो से ब्रिटेन विरोधी प्रचार करने का था। उनका दूसरा काय युद्ध बर्दिषा में से बर्दिषा विरोधी काय करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करना तथा सहायकों को भर्ती करना था। बोस द्वारा स्थापित इण्डियन लिजन में बनी सहायक भारतीय मम्पिलित हुए और जर्मनी सैनिक विशेषज्ञों की देखरेख में उनकी ऊचे दर्जे का सैनिक प्रशिक्षण मिलाया गया। सुभाय जी ने इन सभी कार्यों में गहरी रुचि प्रदर्शित की। कनिषय चुने हुए व्यक्तियों को गुप्तचर सेवा में प्रशिक्षण दिया गया जिससे कि भारत में बर्दिषा प्रचार के विरुद्ध प्रचार कर सकें। उनको प्रशिक्षण देकर वायुयान द्वारा चुने हुए भारतीय श्रोत्रों में अंग्रेजों द्वारा युद्ध के लिए जो भी भारत में प्रयत्न चल रहे हैं उसको रोकने और विफल करने के लिए और यदि सम्भव हो तो स्पानीय विद्रोह का सगठन करने के लिए भेजे जाने वाले थे। भारत के सम्बन्ध में जर्मनी का रुख स्पष्ट नहीं था और दोनों ओर मन में कुछ बातें छिपी हुई थी। परन्तु सुभाय जी के इण्डियन लिजन की स्थापना के प्रयत्न को जर्मनी ने पूरा समय और प्रोत्साहन दिया और विभिन्न युद्ध क्षेत्रों से भारतीय युद्ध बर्दिषा को उन्होंने डसडेन के समीप धरा बग शिविर में भेज दिया। जैसे जैसे समय ध्यतीत होता गया यह स्पष्ट हो गया कि सुभाय जी एकाकी जर्मनी की सहायता करने के लिए कुछ भी करने को तयार नहीं हैं और वे जर्मनी के सहयोग का भारत के हित में अधिक से अधिक लाभ छटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जर्मन युद्ध का परिणाम क्या होगा, उन्होंने इस सम्बन्ध में अदृश्य जगत् और उल्लेखनीय दूरदर्शिता का परिचय दिया। १९४२ में जबकि जर्मनी ने युद्ध सत्र के निबल होने के कोई भी चिह्न प्रगट नहीं हुए थे उन्होंने उच्चतम नौ सेना अधिकारियों में से एक ऐडमिरल बनारी से कहा था अथ जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जर्मनी इस युद्ध में विजयी नहीं हो सकता परन्तु इस बार विजयी बटेन भारत को खो देगा। विजयी हो जाने पर भी बटेन अपने वचन अर्थात् भारत पर से अपने प्रभुत्व को उठा देने को तोड नहीं सकेगा। यह वचन उन्होंने स्वतः अपनी स्वतंत्र इच्छया से १९४० में दिया था।" (लेबर कुहित थी जर्मन मिलीटरी इटलिजेंस १९४४ पृष्ठ १८८)

उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि उपयुक्त भारतीयों में से तीन पदाति (इ फ़ट्री) बटालियन खड़ी की जावें जो जर्मन सेनाओं से सहयोग करें और जबकि जर्मन सेनाएं अफगानिस्तान की ओर आगे बढ़ें तो भारतीय सेनाओं का एक बड़ा भाग उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में घुस सकेगा और उन क्रांतिकारियों और विद्रोहियों से मिल जावेगा जो कि भारत के अन्दर काय कर रहे हैं। विश्व को यह जानने में अधिक देर नहीं लगी कि वाज रूपी बटेन का शिकार (सुभाष जी) जर्मनों को भाग निकल जाने में सफल हो गया जहां वह स्वयं धारोपित इटलियन नाम 'सिगनर आगलेडो भोजाट्टा' के नाम से प्रसिद्ध है। उनके पुराने और नए सहयोगियों और मित्रों में अत्यन्त सभी अभिवादनों का स्थान 'जय हिन्द' ने ले लिया। यह वास्तविकता है कि इन दो शब्दों का भारतीयों के मस्तिष्क पर 'बम्बे मातरम' के बाद जो भारत के स्वतंत्रता के अहिंसक और हिंसक वीरा का पवित्र मंत्र था—सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अपने साथियों में सभी उन्हें प्रेम पूर्वक 'बैता जी' के नाम से पुकारते थे। बाद को वे इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। अंग्रेजों के हम घण्ट और भूठे प्रचार कि सुभाष चन्द्र बोस घुरी राष्ट्रों के पिठठ हैं—का उन्होंने २० अप्रैल १९४२ को टुडना पूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि जब मैं अपने देशवासियों से बात करता हूँ तो मुझे अपनी सच्चाई का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है इसका कारण यह है कि 'मेरा सम्पूर्ण जीवन बटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध बिना किसी प्रकार का समझौता किए अनवरत मगप करने का रहा है।' मेरे सद्भाव और सच्चाई की यही सबसे बड़ी गारंटी है। मेरे सम्पूर्ण जीवन में मैं भारत का सेवक रहा हूँ और मेरे जीवन के अन्तिम क्षण तक मैं भारत का ही सेवक रहूँगा। मेरी भक्ति और निष्ठा सदैव भारत के प्रति रही है और भविष्य में केवल मात्र भारत के लिए ही रहेगी फिर मैं चाहे विश्व के किसी भाग में क्यों न रहूँ। बैताजी ने थोड़े ही समय में ही यह अनुभव कर लिया कि उनके जर्मनी में ठहरे रहने से विशेष लाभ नहीं है विशेषकर जबकि पूर्वी एशिया में जापान एक के बाद दूसरी महान विजय प्राप्त कर रहा है। वह अपने काय क्षेत्र को बदलने के लिए उत्सुक हो उठे और अनुकूल अवसर की तलाश में वे कि उसी समय सुदूर पूर्व से श्री रामविहारी बोस का निमन्त्रण आया कि वे भारत की राष्ट्रीय सेना का सेनापतित्व स्वीकार करें और पूर्वी एशिया में जावें। भारत की राष्ट्रीय सेना का रामविहारी बोस के नेतृत्व में पहले ही संगठन हो चुका था। सुदूर पूर्व से आई हुई इस पुकार को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस न नहीं कर सके वह पुकार ऐसी थी जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। जर्मन सरकार से नेताजी की यात्रा के लिए एक यू-बोट (पन डुब्बी) देने की प्रार्थना की गई। अपने एक अत्यन्त विश्वास भाजन सहायक (श्री आबिद हसन गफरानी) को लेकर नेताजी ८ फरवरी १९४३ को बलि' से गहरे समुद्र में उतर गए। यह यात्रा अत्यन्त जोखिम भरी थी क्योंकि इस बात का निरन्तर खतरा था कि शत्रु के समुद्री जहाज जो चारों ओर गस्त लगा रहे वे वे उस पन डुब्बी को देख लें और नष्ट कर दें। वह सब मरिन २५ अप्रैल १९४३ को मडागास्कर के समीप पहुँची। उसके पत्रों एक खबर की नांव से जापानी सब मरिन में उतर गए। जापानी सब मरिन पहले से ही उनकी पूव सूचना और व्यवस्था के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा कर रही थी। जब वह सब मरिन २ जून को पनांग पहुँच गई तो वह जोखिम भरी यात्रा समाप्त हो गई। पनांग से नेता जी १३ जून १९४३ को हवाई जहाज द्वारा टोकियो पहुँच गए। ताओ से भारत के सम्बंध में नेताजी का पूण मतक्य हो गया। १६ जून को जापान के

प्रधानमंत्री ने भारतीयों के उनके स्वतंत्रता के सपने में बिना किसी शर्त के सहायता देने के वचन को पुनः दोहराया। नेताजी ने जापान में पहुंचते ही काय आरम्भ कर दिया। २१ जून १९४३ को उन्होंने प्रथम बार जापान से ब्राडकास्ट किया २ जुलाई को नेताजी सुभाषचंद्र सिंगापूर गए और पूर्वीय एशिया के भारतीय प्रतिनिधियों के सम्मेलन में ४ जुलाई १९४३ को नेताजी सुभाषचंद्र ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष पद को श्री रासबिहारी बोस से स्वीकार कर लिया। जापान के प्रधानमंत्री ने लीग को नेताजी को अपना अध्यक्ष चुनने पर बधाई दी और नेताजी को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। ५ जुलाई को भाजाव हिंद फौज की स्थापना की औपचारिक घोषणा की गई और नेताजी ने भारत की मुक्तिवाहिनी (सेना) के सैनिकों का एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण भाषण द्वारा उद्बोधन किया। नेताजी ने कहा कि यह मेरे जीवन का सबसे अधिक गौरवपूर्ण दिन है क्योंकि परमेश्वर की असीम कृपा से उनको भगवान ने समस्त विश्व को यह सूचित करने की अपूर्व प्रतिष्ठा प्रदान की है कि भारत की मुक्ति सेना की स्थापना हो गई है। नैरोलियन बोनापाट की दैनिक आज्ञाओं की स्मृति कराने वाले भावनापूर्ण क्षणों में नेताजी ने कहा—“साथियों मेरे सैनिकों तुम्हारा रणघोष होना चाहिए ‘दिल्ली चलो दिल्ली’ हममें से कितने इस स्वतंत्रता के युद्ध में व्यक्तिगत जीवित रहेंगे, मैं नहीं जानता। किंतु मैं इतना भर जानता हूँ कि अंत में हमारी विजय होगी। और हमारा काय उस समय तक समाप्त नहीं होगा जब तक हमारे युद्ध से जीवित बचे हुए थोड़ा बटिशा साम्राज्य के एक टुकड़े समझान भूमि—प्राचीन दिल्ली के लाल किले में अपनी विजय परेड नहीं करते। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं और अधिकार और सूर्य के प्रकाश में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथी रहूंगा। कष्टों और विजय में तुम्हारे साथ रहूंगा। इस समय मैं तुम्हें गिनाय भूषण प्यास, कष्ट लम्बी रात और मृत्यु के और कुछ नहीं दे सकता। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि हममें से भारत को स्वतंत्र देखने के लिए कौन जीवित रहेगा। यही पर्याप्त है कि भारत स्वतंत्र होगा और उसको स्वतंत्र बनने में हम अपना सबकुछ अर्पण कर देंगे। ‘उठो हमारे पास एक क्षण भी खोन के लिए नहीं है। अपने शस्त्र उठाओ। तुम्हारे सामने बड़ा सड़क है जिसे हमारे अग्रगणियों ने निर्मित किया है। हम उस सड़क पर कूच करेंगे। हम शत्रु की पकड़ों में से अपना भाग निकालेंगे और यदि ईश्वर की ऐसी इच्छा हुई तो हम शहीदों की मौत मरेगे, ‘और अपनी अंतिम चिर जिंदा में हम उस सड़क का चुम्बन करेंगे कि जो हमारी सेना को दिल्ली पहुंचावेगी। दिल्ली जाने वाली सड़क ही स्वतंत्रता की सड़क है। चलो दिल्ली।” ६ जुलाई १९४३ को पूरा संघर्ष की स्थिति की घोषणा करते हुए उन्होंने स्वयं के भारत से निकलने का कारण बताते हुए कहा था कि स्वतंत्रता का जो सपना देश के अंदर चल रहा है मैं उसकी अनुभूति बाहर से करने के लिए देश से निकला हूँ। उनकी मायता थी कि जब एक ऐसी भारतीय सेना का संगठन किया जा सकेगा जो बिना भारत स्थित बटिशा सेना पर आक्रमण करने की शक्ति और क्षमता रखती होगी तो केवल भारत को नागरिक जन सरप्रा में ही नहीं भारतीय सेना में भी विद्रोह फूट पड़ेगा। इस प्रकार जब बटिशा सरकार पर बहुर और भीतर दोनों तरफ से आक्रमण होगा तो उसका पतन हो जावेगा और तब भारतीय अपनी चिरवाञ्छित स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगे। “मित्रो, पूर्वीय एशिया के तीस लाख भारतीयों का नारा होना चाहिए



“सम्पूर्ण युद्ध के लिए पूरा सैन्यीकरण पूर्वोप एशिया में पूरा सनी करण होने दो तो मैं दूसरा मोर्चा खोलने का वचन देता हूँ—भारत की स्वतंत्रता के लिए एक वास्तविक दूसरा मोर्चा खुलेगा।” वास्तव में उसी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ समय पश्चात् बम्बई में रायल इंडियन नौ सेना में जो हड़ताल हुई उससे यह निस्संदेह प्रमाणित हो गया कि बटेन के भारतीय साम्राज्य का भवन नीब तक हिल गया है। १० जुलाई १९४३ को काऊकान क्लब अर्थात् क्रिकेट क्लब सिगापुर में पहला सवाददाता सम्मेलन हुआ उसमें नेता जी ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए वह समय आ गया है जबकि पूर्वोप एशिया के भारतीयों को हथियार उठा लेना चाहिए और निपन (जापान) के योद्धाओं के सहयोग से इंग्लैंड पर प्रहार करना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैंने पूर्वोप एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना का सेनापतित्व स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त जापान से समानता के आधार पर सम्बंध स्थापित करने के लिए वे बहुत शीघ्र स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना का विचार कर रहे हैं।

जापानी पत्रों के सवाददाताओं को यह भी सूचना दी गई कि भारत की राष्ट्रीय सेना के अग स्वरूप एक महिला रजिमेंट भी गठित की गई है। १२ जुलाई १९४३ को विश्व ने आश्चर्य चकित होकर सुना कि भारत की राष्ट्रीय सेना ‘आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी एक रजिमेंट होगी और वे भी पुरुषों के समान ही युद्ध करेंगी। यह एशियावासियों की सेनाओं के इतिहास में एक उल्लेखनीय घटना थी। प्रवृत्ति बहुत तेजी से बदल रही थी। एक अग्रस्त को बरमा स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। भारत की राष्ट्रीय सेना ‘आजाद हिंद फौज’ को आधुनिक सैनिक स्तर का बना दिया गया और काम को अधिक सुविधापूर्वक चलाने के लिए नेता जी सुभाषचंद्र बोस ने २५ अगस्त १९४३ को सेना की सीधी कमान अपने हाथ में ले ली। यह चिर स्मरणीय घटना का विवरण रेडियो पर समस्त विश्व के लिए प्रसारित किया गया। नेता जी ने सिपह मालार सर्वोच्च सेनापति का पद स्वीकार करते हुए—उस अवसर तथा अपने योग्य एक भाषण दिया—उन्होंने कहा “भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा आजाद हिंद सेना के हित में आज से मैंने हमारी सेना की सीधी कमान अपने अधिकार में ले ली है।” मेरे लिए यह अत्यंत हृद्य और गौरव की बात है। क्योंकि एक भारतीय के लिए भारत की मुक्ति सना का सेनाध्यक्ष होने से अधिक प्रतिष्ठा की और कोई बात नहीं हो सकती। किंतु मैं उस गुरत्तर काय की मुश्किल के प्रति जागरूक हूँ। जो कि मैंने अपने कंधों पर लिया है और मैं उस महान उत्तर दायित्व के भार से दबा हुआ अनुभव करता हूँ। जो मैंने अपने ऊपर लिया है।” मैं अपने कतय का इस प्रकार पालन करने के लिए कटिबद्ध हूँ जिससे कि अठनीम करोड़ देशवासियों के हित मेरे हृदयों में सुरक्षित रहें और प्रत्येक भारतीय मुझ में पूरा विश्वास रख सकने की स्थिति में हो। आजाद हिंद सेना के तत्कालीन लक्ष्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा। ‘हमें अपने की एक ऐसी सेना में ढाल लेना चाहिए जिसका केवल एक मात्र लक्ष्य—भारत की स्वतंत्रता हो और हमें हमसे प्रत्येक भारत की स्वतंत्रता के लिए बाध करके अपना मरने के लिए तयार हो। हम जब खड़े हो तो आजाद हिंद फौज कणासम (प्रनाइट) की दीवार की भांति सुदृढ़ हो, जब हम कूच करें तो आजाद हिंद फौज एक स्टीम रोलर की भांति हो।’ यद्यपि नेताजी का ध्यान मुख्यतः सेना पर था

परन्तु अन्य आवश्यक तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों को उम्होंने भुलाया नहीं। दृष्टिमा इन्डिपेंडेंस लीग का वार और विस्तार में बहुत बढ़ गई थी और उसमें जन धन और द्रव्य का एक प्रवाह आ रहा था परन्तु नेताओं ने भुलाया और बरमा में अनेक स्थानों पर प्रशिक्षण शिविर स्थापित कर दिये जहाँ स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और वे वहाँ से स्वतंत्रता के अनुशासित और वीर सैनिक बन कर निकलते थे। श्री देवनाथ दास के आन्दोलन में इंडियन इन्डिपेंडेंस लीग के मुख्य कार्यालय को विभिन्न विभागों में बाँट कर उसका पुनर्गठन किया गया, लीग के विभिन्न कार्यों के लिए एक पृथक विभाग स्थापित कर दिया गया अर्थात् सचिवालय और वित्त, शिक्षा, आय व्यवस्था परीक्षण (आडिट) सैनिकों की सर्ती और प्रशिक्षण सप्लाई, शिक्षा तथा मस्जिद, महिला गृह, तथा यातायात, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, प्रादेशिक शाखाओं और विशेषी विभाग स्थापित किए गए। इसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय सेना आजाद हिन्द फौज का शक्ति और गतिशीलता में युद्ध स्तर के लिए पुनर्गठित किया गया। सम्पूर्ण जन और धन के साधनों का एकत्रीकरण किया गया। इस प्रकार यह ऐतिहासिक क्षण आया जबकि आजाद हिन्द की अस्थायी सरकार स्थापित हुई और अपने मन्त्रिमंडल तथा परामर्शदाताओं के साथ नेताजी सुभाषचन्द्र बोस राज्य के अध्यक्ष बने। आजाद हिन्द (यद्यपि अस्थायी) सरकार की २१ अक्टोबर १९४३ को स्थापना हुई। सिंगापुर के साथ सिनेमा भवन में पूर्वोप एशिया के भारतीय प्रतिनिधियों की सभा में पूर्ण सत्य निष्ठा के साथ अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना तथा मन्त्रीमंडल के सदस्यों के नामों की विधिवत घोषणा की गई। उस ऐतिहासिक अवसर पर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने राजभाष्यक्ष प्रधान मन्त्री, युद्ध मन्त्री, विदेश मन्त्री और भारत की राष्ट्रीय सेना के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष के हस्ताक्षरों से एक उद्घोषणा निकाली। इसमें भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का बटिषा द्वारा भारत पर अधिकार स्थापित करने से उस समय का इतिहास दिया गया और यह बतलाया गया कि हम भारतीयों के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हम भारत से बाहर एक अस्थायी सरकार स्थापित करें और उस सरकार के सत्त्वा अधिन में भारत की स्वतंत्रता के अन्तिम युद्ध को लड़ें क्योंकि भारत के सभी नेता इस समय जेल में बन्द हैं इस कारण भारत में अस्थायी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना नहीं की जा सकती थी। उद्घोषणा का अर्थ भारत में रहने वाले तथा भारत के बाहर भारतीयों से एक जोशीली अपील के साथ किया गया। 'ईश्वर के नाम पर हम हमारे पूर्वजों की पीढ़ियों के नाम पर जिन्होंने हम भारतीयों को एक राष्ट्र में ढाला और उन मृत वीरों के नाम पर जिन्होंने हम वीरता और बलिदान की परम्परा उत्तराधिकार में छोड़ी है कि आप सब भारत की अस्थायी सरकार के भेदों के नीचे एकट्ठे होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए शत्रु पर प्रहार करें। शत्रु पर प्रहार करने का यही उपयुक्त समय है इतम तनिक भी देर नहीं की जा सकती। जापान ने २३ अक्टोबर को मध्य निर्मित आजाद हिन्द सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। अस्थायी आजाद हिन्द सरकार ने उसी दिन मन्त्री मंडल को बैठक में निर्णय किया और यूनाईटेड किंगडम तथा समुक्त राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा २४ अक्टोबर १९४३ को १२ बजे कर पंद्रह मिनट पर कर दी गई। इसके उपरांत क्रमशः बरमा ने २४ अक्टोबर, कोरिया टिया ने २६ अक्टोबर, जर्मनी ने २६ और चीन की राष्ट्रीय सरकार ने एक नवम्बर को, संयुक्त ने भी उसी दिन, इटली ने ६ नवम्बर को, पापुवा ने १६ नवम्बर को

भाजाद हिंद सरकार को मायता प्रदान कर दी। महान एशियाटिक राष्ट्रीय एसम्बली का टोकियो में ५ नवम्बर १९४३ को अधिवेशन आरम्भ हुआ। तोजो ने ७ नवम्बर को एसम्बली में जापान के अदमन और नीकोबार द्वीपों को भारत को सुपुद कर देने के निर्णय की घोषणा कर दी। मविष्य की कायवाही के सम्बन्ध में लम्बी चर्चा करने के उपरांत नेताजी १८ नवम्बर को टोकियो से रवाना हो गए और २३ नवम्बर को बिनापुर वापस लौटे। २६ दिसम्बर १९४३ को नेताजी अदमन द्वीप गए जहाँ जापानी ऐडमिरल ने सनका पोर्ट ब्लेयर पर स्वागत किया और दूसरे दिन उहोने जापान के प्रधान सेनाध्यक्ष से विचार विमर्श किया। उसके उपरांत वे ऐतिहासिक सत्यूलर जेल जो भारत का बस्ट लाई था देखन गए। वहा की रोती हुई दीवारो ने निस्त य आवाज में सन बन्धिया के अकथनीय कष्टो की गाथा तथा उनकी शांति साहबिकता दृढ साहस और दृढ भावना की सस शोय वी कथा सुनाई जिसन वहा के अधिकारियो की नृशस क्रूरता को ससी प्रकार सहन किया जिस प्रकार वे प्राचीन चट्टानें युगो युगों से तेज वायु और सहरो के प्रहारों को सहन करती रही हैं।

दूसरे दिन ३० तारीख को नेताजी ने मुक्ति की गई भारत भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज पहराया यह भारत में बटिष शासन के इतिहास में सब प्रथम अपने ढंग का काय था। शत्रु द्वारा पहले छीनी हुई भूमि को पुन उसके कब्जे से निकाल कर पुन अपने अधिकार में लेने की सभी औपचारिक रस्में पूरी की गई। उस समारोह में जो भी लोग एकत्रित हुए वे उहोने सहगान के साथ राष्ट्रीय गीत गया उसने उस अवसर की महान गम्भीरता को और भी बढ़ा दिया। रास द्वीप में स्थित अ प्रज चीफ कमिश्नर के निवास गृह के ऊपर उस दिन भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहराया गया और वह दिन भर उस मकान पर चढ़ता रहा। नेताजी ने उस दिन यह भाशा व्यक्त की थी, जो कि सत्य हुई कि एक दिन राष्ट्रीय ध्वज नई दिल्ली के वायसराय भवन पर भी पहरायगा। १९४४ के प्रथम चतुर्मास में एक प्रेस इटरव्यू में अ दमान की पुन भारतीयो द्वारा प्राप्ति के महत्व पर बल देते हुए नेताजी ने कहा था —

इस भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने से अस्थायी सरकार नाम और वास्तविकता दोनों में ही एक राष्ट्रीय इबाई बन गई है। अ दमान द्वीपों को मुक्ति इन कारण अत्यंत सांकेतिक महत्व की है क्योंकि अ प्रेजो ने अ दमान द्वीप समूह का सदस्य भारत के राजनीतिक बंदियों के लिए कारागार के रूप में उपयोग किया था। जिस प्रकार फासीवी की क्रांति के समय में पेरिस के बेस्टलाई जल को सब प्रथम मुक्त किया गया था और वहा के राजनीतिक कदियों को मुक्त कर दिया गया उसी प्रकार अ दमान जहा हमारे देश अक्तो ने कष्ट भेले और आजीवन बंदी रहे वह भारत की स्वतंत्रता के युद्ध में सब प्रथम मुक्त हुआ। एक के बाद भारत का दूसरा भाग मुक्त होगा परंतु जो भाग सब प्रथम मुक्त होता है उसका विशेष महत्व है।" सहीदो और बलिदानियों की स्मृति में अ दमान द्वीप समूह का नाम 'शहीद' और नीकोबार द्वीप समूह का नाम नेताजी ने 'स्वराज्य' रक्खा। सुविधा की दृष्टि से ७ जनवरी १९४४ को अस्थायी भाजाद हिंद सरकार का मुख्यालय बरमा में ले जाया गया और मंत्री मण्डल के पमुख सदस्य भी बरमा में मुख्यालय के साथ ही आ गए। ४ फरवरी १९४४ को भाजाद हिंद सेना ने भारत बरमा सीमा के समीप अराकान पर्वतीय प्रदेश पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया। रात बाजार पर भाजाद हिंद सेना ने उसी दिन अधिकार

कर लिया। कालादान क्षेत्र में 'सैताविन' पर एक माच को और स्वयं कालादान पर ५ माच को आजाद हिंद सेना का अधिकार हो गया। फोटो ग्राहक का ८ माच को हर लानाकाट का १२ माच को पतन हो गया। अब कनेडी की छोटी से भारत की पवित्र भूमि का दृश्य उन विजयी वीरों की दृष्टि के सामने था। कनेडी पहाड़ियों पर आजाद हिंद सेना ने १८ माच १९४४ को अधिकार कर लिया और दूसरे दिन (१९ माच १९४४) भारत भूमि पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज गाढ़ किया गया जो कि भारत सरकार के वेप में उस समय भी बटिश के अधिकार में था। अदमान और नीकोवार द्वीप समूहों का शासन औपचारिक रूप से आजाद हिंद सरकार का १७ फरवरी १९४४ को हस्तांतरित कर दिया गया। बिना किसी रुकावट तथा व्यवधान के आजाद हिंद सेना भारत में घुसने लगी। उसने २० माच को ठागजान और २१ माच को सकल पर अधिकार कर लिया। विजयी आजाद हिंद सेना के बढ़ते हुए चरण २२ माच को टिडिडम और मोलोन पहुँच गए, वे उसके अधिकार में आ गए। २४ माच को 'सगकाक' तथा ३१ माच को 'मोरस' पर भी आजाद हिंद सेना का अधिकार हो गया। एप्रिल के महीने में भी आजाद हिंद सेना आगे बढ़ी गई। एक एप्रिल को उसका ठाम्भू और 'कबाऊ' पर अधिकार स्थापित हो गया और ५ एप्रिल को 'हैंगतान' का भी पतन हो गया उसने उस पर भी अधिकार कर लिया। ६ एप्रिल को भयंकर युद्ध और कड़े प्रतिरोध के उपरांत 'कोहिमा' में भी ब्रिटिश सेना ने आजाद हिंद सेना के सामने हथियार डाल दिए और उसका भी पतन हो गया। अब आजाद हिंद सेना के लिए आगे बढ़ना सरल हो गया और उसने प्रमश ७ अप्रिल को 'बप्रावोंगो', १८ एप्रिल को 'मोपरांग' और २० एप्रिल को 'पलेटवा' और 'तेंगना पाल' पर अधिकार कर लिया। ७ मई १९४४ का वह चिरस्मरणीय दिवस था कि जब आजाद हिंद सेना के दूसरे अंग न दक्षिण की ओर से भारत वरमा की सीमा को पार कर लिया; २२ माच को जापान के प्रधान मंत्री तोजो ने जापान की 'डाइट' (पार्लियामेंट) में भारत के विजित प्रदेशों के सम्बन्ध में नीचे लिखे शब्दों में जापान की सरकारी नीति को स्पष्ट किया।

"यह स्वाभाविक है कि भारत के अन्तर्गत उन सम्पूर्ण भूभागों को जिन पर आजाद हिंद सेना कूच करती है अस्थायी आजाद हिंद सरकार का पूर्ण शासन स्थापित हो। व पूर्ण रूप से अस्थायी आजाद हिंद सरकार के शासन में रख दिए जाय। ४ एप्रिल १९४४ को रेडियो द्वारा भारतीयों से आजाद हिंद सरकार की सब प्रकार से सहायता करने की अपील की गई।" "भारत की एकमात्र विधि सम्मत सरकार जिसको केवल एक मिशन ही पूरा करना है—वह मिशन है भारत की पवित्र भूमि पर से ब्रिटिश तथा अमेरिकन सेनाओं की सैनिक शक्ति द्वारा निकाल बाहर करना और तत्पश्चात् स्वतंत्र भारत की स्थायी राष्ट्रीय सरकार का भारतीयों की इच्छा के अनुसार स्थापना करना।" ४ जुलाई १९४४ को अपने श्रोताओं को याद दिलाते हुए नेताजी ने कहा 'दूसरा मोर्चा' खोलने की मेरी शपथ को मैंने पूरा कर दिया है अब आप कब तक कर जो काम भाग हमारे सामने है उसके लिए तयार हो जाइये।" आगे नेताजी के बोलते हुए कहा —

'आज हमारी केवल एक इच्छा होनी चाहिए कि हम मरे जिससे भारत जीवित रहे—एक शहीद की तरह मृत्यु का सामना करने की इच्छा जिससे कि स्वतंत्रता का पथ शहीदों के शक्ति से प्रभावित हो।' 'मित्रों और इस मूर्ति के पुत्र मैं बेरे शायिरी

प्राज में तुमसे धन्य सभी वस्तुओं को छोड़ कर केवल एक वस्तु मांगता हूँ। मैं तुम्हारा रुधिर मांगता हूँ। केवल रुधिर ही उस रुधिर का प्रतिशोध ले सकता है जो हमारे शत्रु ने बहाया है। केवल रुधिर से ही स्वतंत्रता का मूल्य चुकाया जा सकता है। मुझे रुधिर दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता देने का वचन देता हूँ।" अब आजाद हिंद सेना के सामने एक भयंकर अवरोध प्रकट हो गया जिसने उसकी गति भी रोक दिया। साधन और धावास के अभाव में प्रेत आजाद हिंद सेना के सैनिकों पर मानसून की भयंकर घोर गजन करती हुई वर्षा टूट पड़ी। इस प्राकृतिक कोप के कारण आजाद हिंद सेना जिस कठिनाई का सामना कर रही थी उसमें और बढ़ि हो गई। सघन वन प्रदेश में मार्गों की कठिनाई प्रथम और व्यवस्था की शोचनीय स्थिति तथा दूरदक्षिण की कमी के कारण युद्ध के अग्रिम मोर्चे के आधार स्थल पर युद्ध की आवश्यक सामग्री और अस्त्र शस्त्र की भारी कमी हो गई। युद्ध सामग्री आवश्यकतानुसार वहाँ नहीं पहुँच सकी। २२ जुलाई १९४४ से जापानी और आजाद हिंद सेना को उस भारत दरमा सीमा प्रदेश को छोड़ कर पीछे हटना पड़ा। इस असफलता और विध्वंस के कारणों की गिनते हुए नेताजी ने १४ अगस्त १९४४ को अपनी सेना के समय भाषण करते हुए कहा कि हमें इस असफलता से सबक लेना चाहिए। आगे बढ़ने कहा—'इस वष माच महीने के मध्य आजाद हिंद सेना की अग्रिम टुकड़ियों ने भारत दरमा सीमा को पार किया और तब भारत की स्वतंत्रता का युद्ध भारत की भूमि पर आरम्भ हुआ।

"सभी तयारियाँ पूरा करली गई थी और इम्फाल पर अन्तिम आक्रमण करने के लिए सेना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी उसी समय भयंकर मूसलाधार वर्षा ने हम पर आक्रमण कर दिया और इम्फाल पर आक्रमण कर सञ्चना असम्भव हो गया।

'उन देशभक्त वीर योद्धाओं की आत्मा जो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं हमें भारत की मुक्ति के युद्ध के दूसरे चरण में वीरता और शौर्य के अभिजात कृत्यों को करने की प्रेरणा दे।' जब विध्वंस की स्थिति सामने मुह बाए खड़ी थी तो १६ अक्टोबर १९४४ को एक युद्ध परिपद का गठन किया गया। २६ अक्टोबर को नेताजी टोकियो गए उसके परिणाम स्वरूप २६ नवम्बर १९४४ को जापान से कूट नीतिक सम्बन्ध स्थापित हुए। जापान ने यह स्वीकार कर लिया कि आजाद हिंद सेना पर जापानी सैनिक कानून लागू नहीं होगा। आजाद हिंद सेना केवल अपने कठोर अनुशासन दण्ड विधान से ही शासित होगी।

### अन्तिम दौर

१९४५ के नव वर्षारम्भ के दिवस पर आजाद हिंद सेना के अपने सैनिक साथियों के सामने भाषण करते हुए नेताजी ने उनकी पिछली सफलताओं तथा प्रशसनीय वीरतापूर्ण कार्यों की याद दिलाते हुए वष के लिए नीचे लिखे शब्दों में एक नया नारा दिया। वीर साथियों हमारे अमर वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के मूल्य को अपने रुधिर से चुकाया है। हमको उनके लिए गौरव अनुभव होता है। परन्तु हमें भी उस सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। आजाद हिंद सेना सभी अपने नाम को चरिताय करेगी जबकि वह अपने अन्तिम सैनिक तक युद्ध करने और मृत्यु का आलिङ्गन करने को तैयार हो। हम अपना रुधिर देना होगा और अपने शत्रुओं का रुधिर बहाना होगा। अतएव १९४५ के वष के लिए तुम्हारा नारा और युद्ध घोष होना चाहिए। 'रुधिर, रुधिर, रुधिर।'

१४ दिसम्बर को नेताजी मलाया वापस छोटे घोर १२ जनवरी, १९४५ को शीघ्रता पूर्वक उहोने, बरमा की घोर प्रस्थान किया। १८ फरवरी १९४५ को वे रगून से युद्ध के मोर्चे पर गए। आजाद हिंद सेना के ऊपर जो दिनाश एक भयानक महा प्रपात की भांति उतर रहा था उस प्रलयकारी उवार को रोकने के लिए कुछ भी कर सकना अब सम्भव नहीं था। २५ फरवरी, १९४५ को जो समाचार मिले वे वास्तव में अत्यन्त चिन्ताजनक थे। सभी मोर्चों पर जापानी तथा आजाद हिंद सेना को पीछे हटना पडा था। जब नेताजी को उनके जनरलों ने स्वयं अपने को भयकर खतरे में फोकने से मना किया तो नेताजी ने हंस कर कहा इज्जलड ने ऐसा कोई बम नहीं बनाया जो मुझे मार सके।' अब वह समय आ गया जब कि नेताजी को अपनी युद्धरत सेना विना लेना था। उहोने अपनी सेना से २४ एप्रिल १९४५ को विदा ली और उनके गए एक सदेश छोड गए जो उनके हृदय के गहन तल से निकला था। 'आजाद हिंद ना के वीर उवानो और अधिकारियो। म भारी हृदय से बरमा को छोड रहा हूँ। ह वह भूमि है जहा तुमने फरवरी, १९४४ से अनेक वीरता पूण युद्ध किए और आज ही युद्ध कर रहे हो।

साथियो! इस सन्कट की घडी में मेरे पास केवल आपको आदेश देने के लिए एक ही शब्द है। वह यह है कि यदि आपको अस्थायी रूप से थोडे समय के लिए नत होना है तो बहादुरों की भांति नत होइए। अपनी इज्जत और अनुशासन के धरम अरुण को लेकर नत होइए। भारत की भावी पीढियाँ जो कि तुम्हारे अभूतपूर्व और अचण्ड बलिदान के फल स्वरूप दासता में जन्म न लेकर स्वतंत्र भारतीय के रूप में जन्म लेंगी तुम्हारे नाम को कृतज्ञता से याद करेंगी और विश्व को गौरव के साथ सर ऊधा करके बतलावेंगी कि तुमने—उनके अग्रजा ने—स्वतंत्रता के लिए युद्ध लडा था और पण्डीपुर, असम और बरमा के युद्धों को हार गए थे पर तु उस अस्थायी असफलता से तुमने अन्तिम सफलता और गौरव श्री के माग को प्रशस्त कर दिया था। जहाँ तक मेरा प्रश्न है मे उस आपस को दृढता से अपने मन में पोषित करता रहूँगा जो मेने २१ अक्टोबर १९४३ को ली थी कि म अपने ३८ करोड़ देशवासियो के हितों की सेवा पया शक्ति करूँगा और उनको दासता से मुक्त करने के लिए युद्ध करूँगा। उपसहार करते हुए अत में म आप सबो से अपील करूँगा कि मेरी तरह आप भी आशावादी बनें और इस बात का विश्वास करे कि प्रात काल के प्रकाश के पूर्व सबसे अधिक गहन अंधकार के क्षण आते हैं। भारत अवश्य ही स्वतंत्र होगा—और शीघ्र स्वतंत्र होगा उसके स्वतंत्र होने में अधिक देरी नहीं है।

इनकलाब जिंदाबाद - जयहिन्द!

अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो सब कुछ समाप्त हो गया। २७ फरवरी, १९४५ को जो निणय लिया गया था कि पाइनमाना की अत तक रक्षा की जावे सम्भव नहीं हो सका। चारों ओर से युद्ध क्षेत्रों से जापान की पराजय के समाचार आ रहे थे। अतएव आजाद हिंद सेना के युद्ध करते हुए अन्तिम अवशिष्ट घटकों ने पीगू में १३ मई, १९४५ को आत्म समर्पण कर दिया। अपने परामश दाताओं की परिपद की सलाह से २४ अग्रेल, १९४५ को नेताजी ने रगून छोड दिया और सप्ताह के अत में १ मई को रगून ने शत्रुओं के सामने आत्म समर्पण कर दिया। जापान के साथ नेताजी के अन्तिम सम्बन्धो को लेकर भारत में एक बर्ग ऐसा था जिसके लिए ब्रिटेन का

प्रचार विद् वाक्य के समान पवित्र तथा मान्य या अस्तु वे नेताजी के जापान से घनिष्ठ सम्बन्धों को लेकर उनकी प्रशंसा करते थे। २५ जून, १९४५ को नेताजी ने सम्पूर्ण विश्व के लिए एक घोषणा प्रसारित की।

‘मैं निपन (जापान) से सहायता लेने के लिए लज्जित नहीं हूँ निपन (जापान) ने भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता को माय किया था और अस्थायी आजाद हिन्द सरकार को उसने औपचारिक मान्यता प्रदान की थी उस आधार पर मैं निपन से सहायता लेने के लिए तनिक भी लज्जित नहीं हूँ।’ भारत की राष्ट्रीय सेना के विधान वहाँ और स्वरूप की व्याख्या करते हुए नेताजी ने कहा — निपन (जापान) ने हम भारत की राष्ट्रीय सेना का संगठन करने के लिए जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक युद्ध भारतीय हैं अस्त्र शस्त्र दिए इस आजाद हिन्द सेना का प्रशिक्षण भारतीय शिक्षकों ने भारतीय भाषा में किया है। यह सेना भारत का राष्ट्रीय ध्वज धेकर चलती है उसके नारे भारत के राष्ट्रीय नारे हैं। इस सेना के स्वयं अपने भारतीय उच्च सैनिक अधिकारी हैं और स्वयं अपने अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल हैं जो एक मात्र भारतीयों द्वारा संचालित हैं और रणभूमि में यह सेना अपने निज के भारतीय सेनापतियाँ की आधीनता में युद्ध करती है उनमें से कुछ जंगल की श्रेणी तक पहुँच गए हैं। यदि कोई व्यक्ति कठपुतली सेना की बात करता है तो ब्रिटिश भारतीय सेना को एक कठपुतली सेना कहना ठीक होगा क्योंकि वह सेना ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों की आधीनता में ब्रिटिश साम्राज्यवादी युद्ध लड़ रही है।’

एक समान परिस्थिति से तुलना करते हुए नेताजी ने अपनी नीति का औचित्य बतलाते हुए कहा—‘मैं निपन (जापान) से सहायता लेने के लिए लज्जित नहीं हूँ। मैं प्रागे बढ कर यह कहना चाहता हूँ कि जबकि पहले का महान शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य अपने घुटनों के बल भिक्षा पात्र लेकर समुक्त राज्य अमेरिका से सहायता प्राप्त करने के लिए जा सकता है तब कोई कारण नहीं है कि हम जो गुलाम और निशस्त्र राष्ट्र हैं अपने मित्र राष्ट्रों से सहायता न लें।’ नेताजी ने निर्भयता से कहा कि उनके काय पर इतिहास की स्वीकृत मुहर है। मुझे अत्यन्त हृष होता, ‘यदि मैं बिना विदेशी सहायता के अपना काय चला सकता। लेकिन मुझे इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण खोजना है कि एक गुलाम राष्ट्र ने बिना विदेशी सहायता के अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की हो। परन्तु भारत के लिए यह अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के पोषक ब्रिटिश राजनीतिक हस्तों के नेताओं के अनुग्रह के लिए प्रयत्न करने के बजाय ब्रिटिश साम्राज्य के शत्रुओं से हाथ मिलाए।’ नेताजी को अपने मे असीम आत्म विश्वास था। उन्होंने अपने प्रालोचकों को करारा उत्तर देते हुए कहा कि जापान द्वारा दुरंगी नीति के दोषारोपण के प्रति वे पूरी तरह जागरूक हैं। उन्होंने एक रसा कवच के सम्बन्ध में अच्छी तरह सोच लिया है और अपने साथियों को प्रदान कर दिया है। उन्होंने कहा —

‘क्या आप लोग इस पर विश्वास करेंगे कि मुझमें इतनी बुद्धि है कि वे मुझे मूख नहीं बना सकते? तब मेरे शब्दों पर विश्वास करिए जब मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जापानी हमें धोखा नहीं दे सकते। वे यह तभी कर सकते हैं कि जब हम अपनी स्वतन्त्रता के युद्ध को लड़ने के लिए एक अच्छी भारतीय सेना खड़ी करने में असफल हो जाते। हमको जागरूक, सतक और सावधान रहना होगा। हमें केवल अपने

दुःखपति प्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध ही नहीं बल्कि हमें साम्राज्यवादी दृष्टिकोण देने वाले जापानी अधिकार वंत्रियों और उस प्रकार के भारतीयों से भी सावधान और एक रहना होगा। अनुशासन के साथ हमें प्रत्येक बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति काय करने के लिए तैयार रहे। काय काय काय ही तुम्हारा और मेरा एक मात्र भार है।'

नेताजी इसके उपरान्त दयाम गए। उन्हें तथा उनके साथ थोड़े आजाद हिंदूना के अधिकारी तथा सैनिकों को शत्रु की न रुकने वाली बम वर्षा के कारण अकथनीय ठिनाइयो तथा खतरों में से होकर गुजरना पड़ा। अपने साथ जाने वाले साधियों की तजी देखभाल तथा उनकी कठिनाइयों और कष्टों को उनके साथ रहकर स्वयं भेलने। फल स्वरूप उनकी कठिनाइयों और दुखों को उन्होंने बहुत कुछ कम कर दिया। अपने वा काल में वे अपने छोटे से छोटे स्वयं सेवक की तथा सहकर्मी की स्वयं अपने लिए विशेष सुविधाओं को प्रस्वीकार कर जसी देख भाल करते थे उनकी वह प्रवृत्ति उन कष्ट और जोखिम भरे क्षणों में भी उनसे केवल छूटी ही नहीं बरन उस समय वह अपनी बरम उत्तमता के साथ प्रगट हुई जब वे उन सकट के क्षणों में बूच कर रहे थे। कोई भी काय उनके लिए नीचा नहीं था। जब मोटर का पहिया दल दल था कीचट म फस जाता तो वे उसको स्वयं निकालने में भी नहीं हिचकिचाते थे। यदि कोई भौषधि जो उस समय कम राशि में उपलब्धी थी उन्हें और एक साधारण सैनिक को एक साथ एक ही समय चाहिए होती तो वह निश्चित रूप से सैनिक को ही दी जाती थी। उनके साधियों को उन कष्टों निराशा और अंधकार के क्षणों में भी उनके साथ रहने में एक मान्तरिक मानद का अनुभव होता था।

नेताजी मीलपीन के मार्ग से १५ मई को बेंगकाक पहुंचे। ८ जुलाई को सिगापुर में उन वीर सहायियों की स्मृति में जो वीर गति को प्राप्त हुए वे स्मारक की आधार थिला रखकर वे मलाया गए और पुन १३ अगस्त, १९४५ को वे सिगापुर वापस लौटे। इसके उपरांत भारत सरकार ने नेताजी की जो कथा जनता के समक्ष उपस्थित की उसको सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। उस कहानी के अनुसार नेताजी १७ अगस्त को बेंगकाक से एक हवाई जहाज में रवाना हुए और उधी दिन सायंकाल को फ्रेंच कम्बोडिया में 'तोरेन' पहुंच गए। दूसरे दिन वे फारमोसा के तहाकू हवाई अड्डे पर मध्याह्न उपरांत दो बजे पहुंचे। आष घंटे के उपरांत वे पुन व युवान में चढ़े जिसका गन्तव्य स्पान था या किसी को ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है। किसी को भी यह नहीं बतलाया गया कि विमान चालक को क्या निर्देशन था। जब कि विमान जो अधिक ऊंचा नहीं पहुंचा था तभी वह विमान जो बाम्बर (बम फेंकने वाला) था उसमें प्राय लग गई नेताजी बुरी तरह से जल गए। इसके अतिरिक्त उनके सर में गहरी चोट लगी थी। उन्हें समीप के सैनिक अस्पताल में ले जाया गया जहां उनकी १८ अगस्त को रात्रि के आठ और नौ बजे के बीच मृत्यु हो गई।

इसके विरुद्ध दूसरा मत यह है कि नेताजी का फारमोसा जाने का विचार कभी नहीं हो सकता था क्योंकि उन्हें कभी उस देश में जाने का अवसर ही नहीं हुआ और न उनके मन में वहां से सहायता आश्रय, धयवा इस प्रकार की अन्य कोई सहायता पाने का कल्पना ही थी। स्वयं नेताजी की सहमति से यह उस योजना और व्यवस्था का एक अंग मात्र था कि विश्व को उनके सम्बन्ध में यत्नत जानकारी दी जावे। वे अज्ञानी



अपनी शक्ति को निरन्तर बढ़ाते रहने के लिए काम में लाना पड़ता है। जब तक कि क्रान्ति का सद्य (स्वतंत्रता) प्राप्त न हो जाये। इनमें से कतिपय घटनाओं का लेखा, यहाँ प्रस्तुत किया गया है —

### विश्वासघाती का पुरस्कार

जिन व्यक्तियों ने दल के उद्देश्यों के प्रति विश्वासघात किया उन के सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का यह प्रथम कार्य था। सुकमार चन्द्रवर्ती पहले 'अनुशीलन समिति' से कुछ समय तक सम्बन्धित रहने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। अपना छुटकारा कराने के उद्देश्य से उसने कतिपय नेताओं को फसाने तथा दल के सगठन के कुछ सदस्यों को बतलाते हुए एक बयान दिया। सुकमार जमानत पर छोड़ दिया गया। बहुत शीघ्र वह लापता हो गया और यह पता न चल सका कि वह कहा चला गया। बाद को यह पता चला कि वह भागे और अधिक दुष्टता न कर सके इसलिए उसको १४ नवम्बर १९०८ को ढाका के रमना स्थान पर हत्या कर दी गई और उसके शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगा दिया गया।

### जो खतरनाक रास्ते पर चल रहे थे

नवम्बर १९०८ में केशवचन्द्र-डे और आनन्द प्रसाद घोष जो पहले क्रान्तिकारी सगठन के सदस्य थे वे समिति के साथी सदस्यों द्वारा ढाका में मार डाले गए क्योंकि उनकी गतिविधियों और पुलिस से घनिष्ठ सम्पर्क ने उन सदस्यों के मस्तिष्क में गम्भीर संदेह उत्पन्न कर दिया था कि जो क्रान्तिकारी सगठन की भलाई और उसके सदस्यों की सुरक्षा में रुचि रखते थे।

### दूसरे के पाप के लिए

क्रान्तिकारी प्रतिहिंसा कभी कभी भीचर्य की सीमा का भी उल्लंघन कर जाती थी। प्रारम्भिक काल में जब सरकार तथा भारतीय चरम राष्ट्रवाद को आमने सामने टक्कर था उस समय एक ऐसी घटना घटी जिसने उन व्यक्तियों के मस्तिष्क में भी खेद की रेखा खींच दी जो उस कृत्य के लिए उत्तरदायी थे। डकती के मामले में एक निबल मन का आदमी जब गिरफ्तार हुआ तो उसने फरीदपुर के जिलाधीश के सामने एक बयान देकर बहुत से व्यक्तियों को फसा दिया उनमें कुछ नितान्त निर्दोष व्यक्ति थे। ढाका में जमाहटमी को छुरा भोंकने के मुकदमें में भी उसने पुलिस की सहायता की और इस प्रकार के कारण उसने अपने को क्रान्तिकारियों के कार्यक्रम का सत्य बना लिया।

४ जून १९०६ को आक्रमणकारी दोषी व्यक्ति के मकान पर गए और भूख से लड़ने उसके भाई प्रियोनाथ चटर्जी जो कि केवल सोलह वर्ष की आयु का बालक था और बारीसाल के बजमोहन कालेज का छात्र था, मार दिया। वास्तविक दोषी प्रियो का भाई निकल भागने में सफल हो गया।

### एक गवाह का भाग्य

ढाका पंडित तथा मुंशीगज बम के मुकदमें में पुलिस ने मनमोहन दे के एक अत्यन्त उपयोगी साक्षी प्राप्त कर लिया था और उसको साक्षी अभियुक्तों के बहुत विरुद्ध जा रही थी। अस्तु यह उचित और आवश्यक समझा गया कि उसको और अधिक शैतानी करने से रोक दिया जाय। इसके लिए एक अत्यन्त साहसिक कदम उसके घर में ही उसको मार देने का कदम उठाया गया। १६ मार्च, १९११ को लजमग रावि के

ग्यारह बजे जब कि मनमोहन अपने कमरे में सो रहा था कुछ व्यक्तियों ने उसको बाहर से नाम लेकर पुकारा, मनमोहन को सदेह हो गया और उसने दरवाजा नहीं खोला। इस पर तीन व्यक्ति जो कि हरीबेन साहनेन लेकर आए थे उन्होंने कुल्हाड़ी से दरवाजे को खोल दिया, वे मनमोहन के कमरे में दौड़ कर गए और उसको उमड़े बिस्तर में ही उसकी पत्नी और बच्चों के सामने रिवाल्वर से मार दिया। उसको तीन गोलियाँ लगीं। एक गोली उसके बदन को चीर कर निकल गई। आक्रमणकारी दोषी व्यक्तियों का कोई पता नहीं चला वे गिरफ्तार न हो सके।

### अनुशासनात्मक हत्या

दल को छोड़ देना यद्यपि बहुत बुरा माना जाता था परन्तु उसको सहन कर लिया जाता था, परन्तु विद्रोहियों को किसी दशा में भी सहन नहीं किया जाता था। शारद चक्रवर्ती नोप्राखली जिले के फेनी स्थान के क्रान्तिकारी दल का सदस्य था। दल के लिए उसकी घातक कायबाहियों के लिए उसके विरुद्ध कायबाही करना आवश्यक समझा गया। जून १९१२ के महीने में वह मरा हुआ पाया गया। यह पता न चला सका कि उसको मारने का कौन सा व्यक्ति था। वह हत्या प्रत्यन्त भीमत्स थी। उसका पीछा उसके शरीर से काट कर पृथक् कर दिया गया था और सिर को बहुत दूरी पर एक सालाब में फेंक दिया गया जिससे यह पहचाना न जा सके। उसको अनुसोचन समिति के लिए आवश्यक अनुशासनात्मक हत्या की सजा दी गई।

### संदेह पर

एक तरुण पर यह संदेह हो गया कि उसने अपने नेता के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना दी जिसके कारण उसका (नेता) गिरफ्तार कर लिया गया। सुकमार चक्रवर्ती जो अदरफून का रहने वाला था, ११ फरवरी, १९१२ को ढाका से पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी से दूसरे दिन अर्थात् १३ फरवरी को मिलने चला। उसी दिन मृत आरोपित छिन्न भिन्न दशा में एक अत्यन्त सूतसान स्थान में पड़ा मिला।

### आयातित आक्रमणकारी

सरकार ने उद्देहास्पद क्रान्तिकारियों तथा उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो कि उग्र विचारों के राजनीतिक कार्यक्रमों से सहानुभूति रखते थे अभियोगों की एक माला ही (अर्थात् अनेक अभियोग) आरम्भ कर दी। मनमोहन घोष क्रान्तिकारियों तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्त्तारों के सम्बन्ध में गुप्त जानकारी प्राप्त करने तथा अभियोगों की सहायता करने के लिए अत्यन्त उपयोगी पुलिस के एजेंट तथा भेदिये का कार्य कर रहा था। जसा कि बाद को पता चला कि ११ दिसम्बर १९१३ को उन लोगों के जो ढाका से बारीसाल घटना स्थल पर आए थे—उ होने स्थानीय लडकों की सहायता से उसको मार डाला। मनमोहन के लापता हो जाने का तब तक रहस्य ही बना रहा जब तक कि बारीसाल में एक पद्यन के अभियोग में भेदी साक्षी (एप्रूवर) के इस लघु को अपनी साक्षी में नहीं बतलाया।

### स्वयं अपने जाल में

नवम्बर १९१२ में एक स्वयंकार के मकान में कतिपय युवक गिरफ्तार किए गए। उनके विरुद्ध आरोप था कि उनके पास रिवाल्वर तथा अन्य ऐसे उपकरण तथा औजार थे कि जो साधारणतया ठकैतियों में काम आते थे। जो चौदह अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे उनमें देवेन्द्र नाथ घोष भी एक अभियुक्त था। वह स्थानीय मुंसिफ की

भद्रासत के एक खरिष्ठ प्लीडर (वकील) का पुत्र था। पुलिस उसको प्रभावित करने में सफल हो गई। उसने अपराध भंगीकार करते हुए एक ध्यान दे दिया जो अत्यंत अभियुक्तों के हिंनों के लिए अत्यंत घातक था। १४ जनवरी १९१३ को देवेन्द्र कोमिल्ला शहर के एक एकांत भाग से जा रहा था कि तीन या चार व्यक्तियों ने उस पर अक्षमात आक्रमण कर दिया और उनमें परस्पर सघष हुआ जिसे एक राहगीर ने एक सुरक्षित स्थान से देखा। उसने देखा कि एक आक्रमणकारी ने रिवाल्वर निकाला— देवेन्द्र को गोली मार कर घटना स्थल पर ही मार दिया और चुपचाप भाग कर गया।

### गलत पहचान

जो प्रहार एक पुलिस के भेदिए पर होना था वह एक निर्दोष व्यक्ति पर हुआ इसका केवल मात्र कारण यह था कि वह उस व्यक्ति के साथ रहता था कि जो क्रांति कारियों का सदस्य था। १९ जून १९१४ को आठ बजे रात्रि को सदर घाट सड़क पर 'ढालाघाट' के दत्तेश्वर नाथ सेन को गोली से मार दिया गया। वह 'ढाका पडपा' अभियोग के भेदी साक्षी (एप्रूवर) के साथ टहल कर अपने मकान की ओर लौट रहा था। भेदी साक्षी (एप्रूवर) क्रांतिकारी दल की घुणा और रोप का शिकार था। भेदी साक्षी का अंत करण दोषी था इस कारण वह सर्वद्वय धोकर और सावधान रहता था उसने दूर पर किसी के परो की आहट सुनी। उठने धूम कर देखा तो एक व्यक्ति का अपनी पीठ पर पीछे से रिवाल्वर से निगाना लगाते पाया वह तुरंत बंठ गया और इस प्रकार आघात से बच गया जबकि गोली सत्येन के लगी और वह तुरंत मर गया।

### नेता की आज्ञा से

एक अत्यंत सीधा और साधारण व्यक्ति अक्सर अक्षयत सक्रिय हो उठ और ढाका के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बहुत निकट घाने की चेष्टा करने लगा क्रांतिकारियों को उम पर सदेह हो गया कि वह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट बसंतकुमार शर्मा के पूरा प्रभाव में हैं। ढाका शहर के मध्य १९ जुलाई १९१४ को जब 'रामदास पुलिस का भेदिया सायकल बकनड बंद पर टहल रहा था उसे गोली से मार दिया गया। जैसा कि उम समय ऐसी घटनाओं में बहुधा हुआ आक्रमणकारी बच कर निकल भागने में सफल हो गया। यही नहीं कि वह उस समय गिरफ्तार नहीं हुआ था अविष्य में भी गिरफ्तार नहीं हुआ।

### अप्रकट व्यवस्था

जो आसली का शिरीशचंद्र राय चौधरी जो प्रोसद छात्र की आयु से बहुत बड़ा था ६ जनवरी १९१५ को पच्चीस वर्ष की आयु में राजकुमार जुबली स्कूली में मैट्रिकयूलेशन परीक्षा में परीक्षार्थी के रूप में बठने के लिए भेजा गया। इसी समय उसके रिश्तेदार पुलिस सब इसपक्टर के लिए सरकार ने मनोनीत कर दिया क्योंकि उसने सरकार की प्रशासनीय सेवाए की थी और परीक्षा के उपरांत वह पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में घानेदार का प्रशिक्षण लेने के लिए प्रविष्ट होने वाला था। मैट्रिक की परीक्षा देना सम्भवत घानेदार के पद के लिए अनिवार्य आवश्यक शक्षणिक योग्यता होगी। दस जनवरी को प्रात काल ६ बजे जब कि जाड़ा म भुत्पटा होता है उसको कुछ व्यक्तियों ने बाहर बुलाया। उन व्यक्तियों को पहचानना नहीं जा सका कि वे कौन थे। अपने घर से घाने नील की दूरी पर वह मरा हुआ पडा मिला।

प्रातः काल लडके एक के बाद दूसरी तीन गोलियों के चलने की आवाज के कारण स्थानीय व्यक्ति घटना स्थल पर आए। उन्होंने एक व्यक्ति को उसने शरीर पर अनेक स्थानों पर गोली के लगे घावों से मरा पड़ा देखा। एक गोली गदन के पीछे से निकल गई थी और दो अन्य गोलियाँ उसकी दाहिनी और बाईं भुजा के अग्र भाग की फाट कर निकली थीं। उसका रंपर जो वह छोड़े या धीर कोट में जलने के जगह-जगह निगान थे उससे यह प्रतीत होता था कि गोलियाँ बहुत पास से मारी गईं। इस घटना के सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

### अवाञ्छित कार्य

राष्ट्रीयता की भावना से कोमिट्टा जिला स्कूल के छात्र भी नहीं बच सके। उस स्कूल के हेड मास्टर शरतचन्द्र बोस जो अंग्रेजी सरकार के अग्र य भवत थे उनके विचार छात्रों तथा स्थानीय जनता के विचारों से तनिक भी मेल नहीं रखते थे। जनवरी १९१५ के आरम्भ में एक विनक्ति 'राजभक्ति और ऐम्पूलस कोम' शीपक से स्कूल के छात्रों तथा अध्यापकों के पास भेजी गई। हेड मास्टर के विचार से यह विनक्ति अत्यन्त राजद्रोह पूर्ण थी। यह केवल अपने विचार व्यक्त करके ही चुप नहीं रहे बरन उन्होंने उस विनक्ति को पुलिस को भेज दिया और दो छात्रों के बारे में रिपोर्ट कर दी जिसका उनकी सम्मति में विनक्ति को बाटने में हाथ था। ३ मार्च १९१५ को जब हेड मास्टर शरतचन्द्र बोस ६ बजे सायंकाल अपने मकान की ओर आ रहे थे तब युमुक्त स्कूल के सामने 'ननुमा डिम्पो' के उत्तरी छत पर सावजनिक भाग पर तीन व्यक्तिपों द्वारा जो साइकिलों पर आ रहे थे उन्हें गोली से मार दिया गया। उनमें नीकर को भी बन्दूक की गोली से घाव लगे जिनके परिणाम स्वरूप कुछ दिनों के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई।

### अपने पुत्र के पाप के लिए

( "अगरपारा" में २ अगस्त १९१५ को जो राजनीतिक दृष्टि से डाली गई थी उसके अभियोग में सोलह बप के एक बानक को साक्षी के रूप में पुलिस ने उपस्थित किया। उस लडके को अपने कृत्य के कारण उससे लिए खतरा हो सकता था उसकी चेतावनी दे दी गई थी। २५ अगस्त १९१५ को उत्तम वस्त्र धारण किए हुए एक युवक रात्रि के दस बजे उसके मकान पर आया और मुरारी मोहन मिश्रा उस लडके के पिता को पुकारा। उसने कहा कि यह एक अत्यन्त आवश्यक कार्य के लिए बाहर आ जावे मुरारी मोहन मिश्रा एक बच्चे को गोद में लिए हुए बाहर निकले और प्राण तुक ने लगभग आधे दर्जन बार उन पर गोली चलाई। मुरारी वहीं मर कर गिर पड़े। बच्चे के भी थोड़ी चोट आई पर वह गम्भीर नहीं थी हल्की थी। आक्रमणकारी गोली मार कर बरकपुर टुक रोड की ओर भागा जहाँ एक मोटर कार और उसके कुछ मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जबकि क्रांतिकारियों का वह दल भागने ही वाता था कि दो क्रास्टेबिलों ने जो कि वहाँ मौजूद थे उन्हें रोकना चाहा। परिणाम यह हुआ कि उन दोनों पुनिष्मनों को भी गोली मार कर घायल अवस्था में सड़क पर छोड़ कर वे चले गए। कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

### मित्र भी नहीं बरूने गए

ऐसे साथी जिन्होंने सल्लेखनीय सेवा की थी और बप्ट सहा था—भी नहीं बरूने गए जब यह स्पष्ट हो गया कि वे दल के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। एक

पच्चीस वष का युवक जो कि बजीतपुर इक्की अभियोग मे पकड़ा जाकर एक वष के कठोर कारावास का दण्ड भुगत चुका था। १६ नवम्बर १९१५ को सात बजे सायंकाल बगला बाजार सडक पर जहाँ वह प्रतापचन्द्र लेन से मिलती है गोली से मार डाला गया। बसंतकुमार भट्टाचार्य के रिवाल्वर की चार गोलियां सभी एक उसकी छाती के बायें वक्षस्थल पर घुस गईं और दूसरी उसके दाहिने बंध के पीछे पीठ को चीरती हुई निकल गई। गोली का शिकार बसंतकुमार भट्टाचार्य एक स्थानीय स्टीमर कम्पनी मे प्रोवेशनर था उसके सम्बन्ध मे दल को यह सादेह हो गया कि वह अपने गत कष्टों के इतिहास को भूल गया और अपने पुराने साथियों का विश्वास भाजन बने रहने की अपेक्षा वह पुलिस का विश्वास भाजन बनना अधिक लाभदायक समझने लगा था।

### देशद्रोही का भाग्य

यद्यपि पुलिस कर्मचारियों की ओर से क्रांतिकारियों ने अपना ध्यान नहीं हटाया परन्तु उनके एजेण्टों को भी उस काल मे देश की स्वतंत्रता के योद्धाओं के साथ बहुत बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा था। बंगाल के सभी जिलों मे ममनसिंह ने इस सम्बन्ध मे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में वहाँ अनेक घटनाएँ घटी थीं। धीरे-धीरे (देवेन्द्र) नाथ विश्वास नामक युवक अपनी तरुणार्द्धि के प्रथम उत्साह में ओर बिना यथोचित प्रशिक्षण लिए बीजापुर के क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गया। बाद की अपने अतर्निहित स्वभाव वश वह पुलिस के पास जाने लगा और उनके गुप्तचर तथा भेदिए का काम करने लगा। १६ दिसम्बर १९१५ को ममनसिंह ने सासर डिग्घी में वह मार डाला गया। यह पता नहीं चल सका कि मारने वाला कौन था। उस समय की अथ इस प्रकार घटनाओं की भांति इसका भी कोई पता नहीं लग सका और न अपराधी पकड़ा जा सका।

### समान भाग्य

ममनसिंह के क्रांतिकारी दल के नेताओं को यह ज्ञात हुआ कि ससी (सरसी) चक्रवर्ती दोहरी चाल चल रहा है। अर्थात् दल मे सम्मिलित होकर पुलिस के भेदिए का काम करता है। अतएव यह आवश्यक हो गया कि उसके द्वारा सरकार को जो मूल्यवान सहायता मिल रही है उससे सरकार को वंचित कर दिया जाय। कुछ कार्यकर्त्तियों को यह भाजा दी गई कि उसको प्रथम भ्रमसर मिलते ही मार दिया जाय। १६ जनवरी, १९१६ को आदेश का पालन किया गया और उसको ममनसिंह जिले के बजीतपुर स्थान पर मार दिया गया।

### द्वितीय हैडमास्टर

एक अध्यापक अपने कर्तव्य की ओर से उदासीन रह कर अपने छात्रों के राजनीतिक विचारों तथा कार्यों की ओर अधिक रुचि प्रदर्शित करते लषा, उसका परिणाम यह हुआ कि अपने इस अविवेकता पूरा काय का दण्ड मृत्यु से चुकाना पडा। मलदा जिला स्कून का हैडमास्टर नवीन चन्द्र बसु स्थानीय क्रांतिकारियों में अत्यन्त अप्रिय हो गया क्योंकि वह अपने छात्रों की देश भक्ति की भावनाओं को दबाने मे सरकार की निरन्तर सहायता करता था। सर्वप्रथम वह जमालपुर में सरकारी सहायता प्राप्त एक अर्पेजी हार्ड स्कून का हैड मास्टर बन कर आया। १९१० मे उसने दाका पब्लिक अभियोग में साक्षी दी जिसमे अनेक युवकों को सजा हुई। १९११ में उसने अपने स्वयं के विचारों के विरुद्ध गवाही दी जिस पर बुरे तरीके से जीवन धापन करने का धारोप

या। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए और उन पर अभियोग चलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) की यह धारा अत्यन्त सुविधा जनक थी। १५ जुलाई, १९११ को समस्त जमालपुर करवे में उसकी निंदा से भरे पोस्टर चिपके मिले। उसको दहा से स्थांतरित कर दिया गया और वह ५ मई, १९१२ को मालदा पहुँचा। वहाँ उसने छात्रों के तथा अध्यापकों के नाम जो राजद्रोहात्मक साहित्य था उसको रोक कर सुपरिटेण्डेंट पुलिस को दे दिया।

२८ जनवरी, १९१६ को नवीन एक अथ अध्यापक के साथ टहलन गया। टहल कर वापस छोटने पर सुपरिटेण्डेंट पुलिस के बगले के पास वे दोनों अलग अलग हो गए। समय पर नवीन घर नहीं पहुँचा और उसके सम्बन्धी खबरा गए। खोज करने पर उसका मृत शरीर सायकल ६३० और साठ बज के लगभग शुरू ट्रेनिंग कालेज के पास मिला। उसके शरीर पर अनेक छुरा भोंवने के घाव थे और अत्याधिक हथियार शरीर से निकल जाने के कारण उसको मृत्यु होना बतलाया गया। इस सम्बन्ध में एक सडका गिरफ्तार किया गया। उस पर अभियोग चलाया गया और उसे आजीवन निर्वासन (काले पानी) का दण्ड दे दिया गया।

#### ट्रक वध

क्रांतिकारी दल उपेन घोष नामक एक व्यक्ति पुलिस के भेदिए के रूप में बहुत अधिक कुख्यात हो गया। यह पता चला कि १० अगस्त, १९१६ को उपेन उपनाम देवव्रत ब्रह्मचारी सिन्धो नामक स्थान पर एक उद्यान में मार डाला गया। (पोस्ट मारटेम जांच) शव परीक्षा से पता चला कि उसका गला घोट कर मारा गया। उस मृत शरीर को एक ट्रक में बाँध कर रेल के एक डिब्बे में रख कर छोड़ दिया गया। ब देल स्टेशन पर प्रतीक्षा करने पर भी जब किसी ने उस ट्रक को अपना स्वीकार नहीं किया तो पुलिस ने उस ट्रक को अपने अधिकार में ले लिया। बहुत समय के उपरान्त उस शव को पहचाना जा सका कि यह किसका शव है। इस सम्बन्ध में तीन अभियुक्तों पर अभियोग चलाया गया जो लम्बे समय तक अभियोग चलने के बाद मुक्त हो गए।

#### राज भक्तों का आक्रोश

१९३०-३२ में विशेषकर योरोपियन तथा उनके आशाकरी भक्तों के विरुद्ध हिंसात्मक कायवाहियाँ बहुत अधिक बढ़ गईं। उनमें से केवल एक घटना की हम धार्यों से पथक करके उसका बगान केवल इस लिए करेंगे कि जिससे हम यह बतला सकें कि देशद्रोहियों के विरुद्ध इन कायवाहियों के प्रति बगाल में रहने वाले राज भक्तों जो मुख्यतः योरोपियन थे—की प्रक्रिया कसी हुई। यह घटना कलकत्ते में २६ अक्टोबर, १९३१ को घटी थी। जब कि एक युवक जो फज टोपी और पट पहने या एक व्यापारिक सस्थान के कार्यालय में उसके अध्यक्ष के कक्ष में घुसा जो कि स्थानीय योरोपियन ऐसोसियेशन का अध्यक्ष भी था। उसने तीन गोलियाँ चलाईं। दो तो निदाना चूक गईं और तीसरी उसकी पीठ में लगी। आक्रमणकारी को पकड़ लिया गया और पुलिस के सुपुद कर दिया गया। उसी दिन समस्त योरोपियनों तथा उनके समयको समाचार पत्रों के स्वामियों तथा उनके सम्पादकों में एक विज्रति वादी गई जिसमें नीचे लिखे शब्द प्रकृत थे जिससे योरोपियनों में अर्थात् शासक जाति में जो तीव्र खबराहट फैली हुई थी वह स्पष्ट होती है। कांग्रेस का आतङ्कवाद नष्ट करना होगा, बगाल का हिंसा काण्ड, जो मार डाले गए। लोमैन, डिम्पसन, पट्टी, मुखर्जी, गारलिक, प्रधानगुल्ला। जो

हुए, हडसन नैल्सन, कैसिलस । डोनोवन को सुरक्षा की दृष्टि से इंग्लैंड भेजना पड़ा । कल डूरनो आज प्रात काल विलियस । हम चाहते हैं कि बड़ी कायवाही की जावे यह विज्ञप्ति राजमन्त्रों के लिए गन्जीज प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड में डब्लू यच ग्ररमर द्वारा मुद्रित हुई ।

### मशयित का भार

कमी जो 'वाग्रेस डिक्टेटर' के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था वही शिशुपाल दत्त भूमिगत क्रांतिकारियों में पुलिस के भेदिए के रूप में बहुत अधिक कुख्यात हो गया था । लगातार तीन या चार बार पत्रों द्वारा उसको चेतावनी दी जा चुकी थी कि वयो कि वह पुलिस का गुप्तचर है उसको अपनी मृत्यु के लिए तयार रहना चाहिए । ऐसा प्रतीत होना है शिशुपाल ने उन धमकियों को गम्भीर रूप में नहीं लिया । १७ अक्टोबर १९३२ को खुलना में सन्धा बाहिरदिया में वह अपने मकान में सा रहा था । सोते हुए उसको किसी अनजाने हत्यारे ने गोली मार दी जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई । गोली उसके गले की हड्डी को भेद कर शरीर में घुस गई और बगल में से निकली उसके एक पैर में भी चोट लगी ।

### तत्काल न्याय

कोमिल्ला के क्रांतिकारी गुप्त संगठन के सदस्यों के लिए सरायल का प्रबुल खालिक पठान उपनाम माली पुलिस भेदिए के रूप में एक खतरनाक बण्टक बन गया था । अस्तु क्रांतिकारियों ने उससे गीघ्र प्रतिशोध लेने का निश्चय किया । २० नवम्बर, १९३२ को खालिक कलाई कच्छा में एक खतरा प्रदर्शन से रात्रि में वापस लौट रहा था जब कि किसी अनजाने आक्रमणकारी ने गिवाल्लवर से उसकी छाती की बाई ओर गोली मारी, उसके साथ पाच या ६ व्यक्ति और भी थे । खालिक क गोली लगने पर इतनी शक्ति नहीं रही कि वह उम दुषटना का बरण कर सकता और वह यही बतला सका कि उमने किसी आक्रमणकारी को पहचान लिया है । कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई ।

### कोई बच नहीं सका

जब कि २० वष के एक तरुण को पुलिस ने माणिकतल्ला डकती अभियोग में साक्षी देने के लिए तयार कर लिया तब उसको इस बात का तनिक भी सदेह नहीं था कि ऐसा करके वह अपने जीवन को सतरे में डाल रहा है । ३० दिसम्बर १९३२ को आशुतोष नियोगी जब अन्न रात्रि को प्रेम से लौट रहा था जहां वह अपने जीवन यापन के लिए काय करता था तो उसने घर की गली के सिरे से आक्रमणकारी ने उसका पीछा किया । जैसे ही कि वह अपने मकान के दरवाजे के जीने पर खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने के लिए पुकारा, किसी ने उमके गोली मारी जो उसकी कनपटी पर लगी । वह जोर से चिल्लाया और पथ्वी पर गिर पड़ा । जब तक कि मकान के अन्दर के लोग उसने पास पहुँचे उसके प्राण पखेट उठ चुके थे । उसका जीवन समाप्त हो चुका था ।

### मार्ग पर

८ नवम्बर १९३४ के मारायन गज के एक समाचार से पात हुआ कि हीरैन्द्र नाथ गुहा नामक पुलिस के एक भेदिए को किसी अनजाने व्यक्ति ने मार दिया । जैसा कि बहुधा होता है कुछ व्यक्ति जिन पर पुलिस को सदेह था उन्हें गिरफ्तार कर लिया

गया परन्तु साक्षी के अभाव में जाब करने वाले मजिस्ट्रेट ने उन्हें मुक्त कर दिया ।

### मोर के पक्षों में

कभी कभी पुलिस अपने गुप्तचरों और भद्रियों को काय करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उनको राजनीतिक सदेहजनक व्यक्ति का रंग देने का प्रयत्न करती थी जो दिखावे के लिए ऐसा प्रदर्शन करते थे कि मानो उन पर सदेह है और वे सच्चे और वास्तविक राजनतिक कार्यकर्त्ता हैं । उन पर पुलिस दिखते हुए कुछ प्रतिबन्ध लगा देती थी । (बंगाल प्रेशन ऑफ टैरारिस्ट आउट रेजि एक्ट) आतङ्कवादी हिंसात्मक आन्दोलन को दबाने सम्बन्धी बंगाल के अधिनियम के अन्तर्गत २४ फरवरी १९३५ की एक आज्ञा द्वारा ढाका के एक क्षेत्र के कतिपय युवकों की गतिविधियों पर पुलिस ने प्रतिबन्ध लगा दिया था ।

एक दूसरा व्यक्ति—हीरालाल चक्रवर्ती जो कि उसी स्थान का निवासी था और उसी राजनीतिक दल का सदस्य था उस को सभी लोग राजनीतिक दृष्टि से पुलिस द्वारा सशयित व्यक्ति मानते थे । उसको प्रत्यक्ष बुद्धवार सुतरापुर पुलिस स्टेशन और जिला गुप्तचर कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था । प्रकट रूप में दिखता था वह पुलिस में रिपोर्ट करने अर्थात् उपस्थित लिखाने जाता था किन्तु वास्तव में वह वहाँ गुप्त उद्देश्य से जाता था । हीरालाल रूपी कौवा जो मोर के पक्षों से सज्जित होकर मोरो में विचरण करता था उसके मोर के पक्ष शीघ्र ही झड़ गए और उसका छद्म रूप प्रकट हो गया । क्रांतिकारी दल के सदस्यों ने यह निश्चय किया कि उसके इस जघन्य दुहरे खेल को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया जावे । सदब की भाँति हीरालाल ने पुलिस याने में अपनी उपस्थिति दज करवाई और अपने कतब्य वश वह गुप्तचर विभाग के कार्यालय में सप्ताह में क्रांतिकारियों पर चौकसी रखने के अपने कार्य के परिणाम की सूचना देने जा रहा था जो कि याने से दो मील की दूरी पर था । तीन जुलाई १९३५ को मध्याह्न उपरांत एक बजे का समय था । हीरालाल को उसके दो राजनीतिक सशयित साथी जो कि उसके मित्र भी थे कम्पनी बाग में ले गए और उसको छुरे भोंक दिए । हीरालाल ने उन दोनों राजनीतिक सशयित मित्रों को पहचान लिया । उसी दिन सायंकाल ६ बजे हास्पिटल में ही हीरालाल की मृत्यु हो गई ।

दोनों सशयित व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एक विशेष यायालय में उन पर हत्या का अभियोग चलाया गया । विशेष यायालय ने १० सितम्बर १९३५ को दोनों अभियुक्तों का मृत्यु दण्ड दे दिया । अपने नियम में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि साक्षी से यह ज्ञात हुआ कि मृत व्यक्ति पुलिस के गुप्तचर के रूप में कार्य कर रहा था । एक ऐसे गुप्तचर की हत्या जो कि राजनीतिक कार्यों के सम्बन्ध में पुलिस को सूचना देता था उसी प्रकार व्यवस्थित सरकार के सङ्गठन के विरुद्ध एक गम्भीर आक्रमण है जिस प्रकार एक एक ऊँचे सरकारी अधिकारी का वध होता है । उनमें एक बालक केवल अठारह वर्ष का था और छोटी आयु का होने के कारण उसको कम सजा दी जानी चाहिए थी परन्तु उसको भी सर्वाधिक ऊँचा दण्ड (मृत्यु दण्ड) दिया गया क्योंकि वह दुस्साहसी आतङ्कवादी था । २७ नवम्बर को उच्च यायालय ने अपील को मुनवाई की और १२ दिसम्बर, १९३५ को उसने दोनों अभियुक्तों के प्राण दण्ड की घटा कर आजीवन काले पानी का दण्ड दे दिया ।



## अध्याय बारहवा

### बलिदानों की प्रशस्ति

साधारण सैनिक—म्राजाद हिन्द सेना की युद्धरत इकाइयों के वीर सैनिक शत्रु से युद्ध करते हुए शत्रु की बम वर्षा से दुःखा तथा रोगों से वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनके सर्वोच्च सेनापति ने उनसे उनके रुधिर की माग की थी और उन्हें रुधिर के बदले स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दिया था। उनके विश्वसनीय और वीर सैनिकों ने बिना कृपणता के अपने रुधिर बहाया कि जिससे दूंसरो के लिए देहली का माग रुधिर से लपपय और चिहना हो गया जिससे कि वे सतवता और दृढ़ता से अपने पग रखते हुए शत्रु के गढ़ के प्राचीर के द्वार तक पहुँच सकें और उसे नष्ट कर सकें। उस युद्ध में म्राजाद हिन्द सेना के उन वीर सहोदो की जिहोंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान कर दिया सूची बना सम्भव सम्भव नहीं है। यह सभी सम्भव हो सकता है कि जब कि सरकार और म्राजाद हिन्द सेना के वे सैनिक और अधिकारी जो आज भी जीवित हैं मिल कर यह दृढ इच्छा करें कि उन वीरों की जिहोंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान कर दिया जितनी सम्भव हो सके उतनी पूरी सूची बनाई जावे।

यह जानते हुए भी कि इतने दिनों के उपरांत सूची बनाने पर वह अवश्य ही सम्पूर्ण रहेगी। ईमानदारों से एक प्रयत्न इस प्रकार की सूची बनाने का अवश्य ही होना चाहिए। उन स्वतंत्रता के वीर सैनिकों ने सुदूर प्रदेशों में सधन यत्नों से आन्ध्यादित भूभागों में भारत की ओर जाने वाले माग पर कूच करते हुए अपने सिरों को भारत माता की बलिदेवी पर जब निछावर किया था तो उनको केवल एक मात्र सतोप यह था कि उ होने भारत की स्वतंत्रता के लिए पृथ्वी पर सर्वाधिक वीरता का काय किया है अपने हृदय में उच्चतम विचारों और उद्देश्य को पोषित किया है और अधिकतम उदारता के साथ अपने को त्याग और बलिदान की अग्नि में भोक्त दिया है। उन वीरों को मन त गौरवश्री प्राप्त हो। भारत को, उन्होंने जो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सर्वोच्च बलिदान किया उसे सच्ची और गहरी कृतज्ञता से याद करना चाहिए। सुदूर मोर्चों पर जो उन वीरों ने युद्ध लडा था जिसमें उ हे अस्थायी पराजय मिली परन्तु जिनके वीर कृत्यों ने भारत भूमि में स्वतंत्रता का युद्ध लड़ने वालों के मन को वीर भावों से भर दिया उसके परिणाम स्वरूप ही भारत स्वतंत्र हुआ। यद्यपि यह प्रयत्न सम्पूर्ण है परन्तु उन वीरों के नामों की एक सूची बनाने का प्रयत्न किया गया है— जिहोंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने को बलिदान कर दिया। अस्थायी म्राजाद हिन्द सरकार और म्राजाद हिन्द के २८ फरवरी, १९४५ के गबट में जो उन वीरों की सूची निकाली थी और जो प्रति किसी प्रकार भारत में आई उसमें जो नाम दिये गए हैं, उनको इस सूचि में सम्मिलित किया गया है। उन वीरों के नाम नीचे लिखे हैं—

सहीदे भारत—लफ्फटी-ट कुन्दनसिंह, वीरे हिन्द—द्वितीय लफ्फटीने-ट अशरफी मण्डल, समगये बहादुरी न० ५४२०७ हवलदार रत्नसिंह

संख्या	पद/नाम	मृत्यु का दिन	मृत्यु का स्थान
१	दल्पति एम सी बाल—	२५ ५ ४४	ई-यू
२	जत्येदार भाई डी माटिया—	३१ ५ ४४	मोराह
३	टोलीपति सेवकराम—	३ ६ ४४	मोराह
४	देबठा मण्डी—	५ ५ ४४	नाहन
५	लं के यस सुरी—	१० ६ ४४	मोराह
६	टोलीपति पन डी दलानी—	५ ६ ४४	नाहन
७	श्री सम्पूरनसिंह—	११ ६ ४४	बरमा
८	श्री एस यन राय—	जुलाई के मध्य	बरमा
९	श्री जे यल भजूमन्तार—	१४ ७ ४४	कठा विलेज (गाव)
१०	श्री बी नए चटर्जी—	१६ ७ ४४	कलेवा
११	श्री ए नादेसन—	१६ ७ ४४	कलेवा
१२	नायक राम स्वरूप चौधरी—	१६ ७ ४४	कलेवा
१३	श्री भ्रू-हसन—	१६ ७ ४४	कलेवा
१४	श्री देवीबहादुर—	१६ ७ ४४	कलेवा
१५	श्री जगदार एन के नाई—	१८ ७ ४४	एम एम एस बरमा
१६	श्री भजन दास—	१९ ७ ४४	कलेवा हास्पिटल
१७	श्री मगाराम—	१९ ७-४४	कलेवा हास्पिटल
१८	श्री बी के मुकर्जी—	१९ ७ ४४	कलेवा
१९	जत्येदार ए गोविन्दन—	२७ ७ ४४	इमाम बाग गांव
२०	टोलीपति एन एस सुन्दरम—	१९ ७ ४४	हिटोक नदी
२१	न० १४२८ लक्ष नायक सीसरीराम	२९ ७ ४४	एम एस एस बरमा
२२	श्री रामगोविंद महीर—	१ ८ ४४	एम एस एस बरमा
२३	श्री के मरिमूधु—	२ ८ ४४	एम एस एस बरमा
२४	जत्येदार एम एस हरी—	४ ८ ४४	माहले
२५	श्री वरनालसिंह—	५ ८ ४४	एम एम एस बरमा
२६	टी पी बी मन्वर—	११ ८ ४४	एम एस एस बरमा
२७	टोलीपति टी के रामचदानी—	१४ ८ ४४	एम एस एस बरमा
२८	यल के सुन्दरम—	१४ ८ ४४	रगून के माग पर
२९	सनिक रामराम नम्बर ६४२७५—	२६ ७ ४४	एम एस एस बरमा
३०	श्री के एम श्री घरन—	२ ९ ४४	मायमेयो हास्पिटल
३१	एस सी ए एम चन्दा—	२ ९ ४४	मायमेयो न २ हास्पिटल
३२	श्री तलराज कृष्णन—	१० ९ ४४	माहले हास्पिटल
३३	हवलदार लालसा—	११ ९ ४४	मयाग हास्पिटल
३४	श्री मोहिन्द्र कुमार मन्मदार—	१७ १० ४४	एम एस एस बरमा
३५	श्री पी यम काका—	११ १० ४४	एम एस एस बरमा
३६	श्री मूरजीमल हरचन्द—	१ ८ ८-४४	एम एस एस बरमा
३७	सिपाही यग बहादुर—	१० १० ४४	मयाग हास्पिटल
३८	श्री एस सी नाहा—	६-९-४४	मोनमावा हास्पिटल

३९	श्री यन यन राय—	५ ६ ४४	—	मिया क्षेत्र नुरुन गांव में मारे गए
४०	श्री यच सी दास—	१८ ६ ४४	—	एम एस एस बरमा
४१	श्री कबीर खा—	१४-११ ४४	—	एम एस एस बरमा
४२	श्री मिलारी जेना—	३ १२ ४४	—	मियांग हास्पिटल
४३	श्री जगतनारायण—	१८ ६ ४४	—	मोनयावा
४४	श्री वीरसिंह—	७ १२ ४४	—	मियांग हास्पिटल
४५	श्री प्रीतमसिंह—	१६ १२-४४	—	मियांग हास्पिटल
४६	श्री हासिम—	६ ११-४४	—	श्यूबो
४७	श्री मजु—	६ ११-४४	—	श्यूबो
४८	श्री गगोली—	६ ११-४४	—	श्यूबो
४९	श्री यासूफ—	६ ११ ४४	—	श्यूबो
५०	श्री रामशंकर—		—	इतांगी के पास अगस्त के प्रथम सप्ताह में मारे गए। (लापता)

५१	श्री पूरन बहादुर पुरी—	२७ ७ ४४	—	मिठा क्षेत्र (लापता)
५२	श्री राजपत पांटे—	अगस्त	—	मारे गए (लापता)
५३	श्री बाबूलाल—	पात नहीं	—	मारे गए
५४	श्री धार सी पाबी—	ज्ञात नहीं	—	एकसावा के माग में

निष्ठावान अनुयायी—वनल मिश्रा जि ह नेताजी ने ४ फरवरी, १९४४ को अक्रयाव क्षेत्र में बीरता पूर्ण युद्ध करन के उपलक्ष में 'दोरे हिंद' मंडल प्रदान किया था १४ अप्रैल, १९४५ को शत्रु की गोली बर्षा से मारे गए जब कि वे नेताजी के साथ बंगकाव से रगून जा रहे थे।

वीर महिलाएं—दो रानी क्रांती रंजीमत की महिलाएं लपटीनट जो संकाइन और ह्वतदार स्टला ३ अप्रैल, १९४५ का मारी गईं जब कि वे बंगकाव से रगून को वापस जा रही थी।

स्वयं छात्र बलिदान—एयलप्पा जो कि आजाद हिंद सरकार के परामश दाता थे और नेताजी काय समिति के अध्यक्ष थे माडले के समीप जब कि वे माडले हास्पिटल से रोगिया की हटान का प्रयत्न कर रहे थे तब शत्रु से लडते हुए मारे गए।

जल समाधि—नवम्बर १९४३ में श्री चटर्जी द्वारा घायल सैनिकों को चिह्नित नदी के द्वारा ल जाया जा रहा था जब कि शत्रुओं ने उस नाव पर आकाश से बम बर्षा की। बम के लगने से नाव अपने सभी यात्रियों को लेकर जल में डूब गई।

जिसने मृत्यु का आलिखन किया—एक प्रशंसक साथी जिसने अपना नाम नहीं लिखा एक लेख में ५ जून १९४५ को श्री पी के सम्बन्ध में लिखा है कि उन्होंने भारत भूमि में बरमा की सीमा के पार पेट्रोल के एक भण्डार को नष्ट करने के प्रयास में जो कि शत्रु के काम धाता अपने प्राण दे दिए।

जो लापता हो गए—आजाद हिंद फौज के लोचें लिखे सैनिक जो कि मोचें पर आइलैंड का भाग एक कोई पुता नहीं है वे लापता हैं—(१) जयदेव यून, एस.

चारलू (२) जल्येदार भार यन राहा (१) टोलीपति मूरजामा खूबचद, (४) टोलीपति श्री वासुदेव (५) टोलीपति वासुदेव पोहूमल, (६) टोलीपति तेजनारायन, (७) टोलीदास राममूरत तिवारी घोर (८) श्री श्री यन गेयर ।

जरमनी के पश्चिमीय मार्च पर शत्रु के आक्रमण के कारण बहुत से आजाद हिंद सेना के वीर सैनिक मारे गए । यह अत्यंत सेद और दुख की बात है कि उन वीर सैनिकों के नाम उपलब्ध नहीं हैं । जिन परिस्थितियों में भारतीय राष्ट्रीय सेना के वीर सैनिक जरमनी की भूमि पर युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए उसका विवरण जो एस एम इशाक (आजाद हिंद सेना में कनि) से प्राप्त हुआ, केवल उस सुदूर देश में जो कुछ घटित हुआ उसकी एक झलक मात्र देता है । पश्चिम में आजादी की भारतीय राष्ट्रीय सेना फ्रांस में घटलाटिक दीवार के समीप तटीय युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रवनी गई थी । यह सेना बिस्क की छाडी पर वीरदिवानस के समीप १९४३ से तैनात थी और जब कि मित्र राष्ट्रों की सेनाएं १९४४ के अंतिम भाग में जब फ्रांस की भूमि पर उतरीं, तब भी वहीं थी । उस परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय सेना को भी जरमनी सेना के साथ जरमनी की धार वापस लौटना पडा । जब कि भारतीय राष्ट्रीय सेना लौट रही थी तो लगभग २०० वीर सैनिक शत्रुओं से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए । उन वीर बलिदानियों के नाम आज उपलब्ध नहीं हैं । केवल नीचे लिखे चार वीरों के नाम ही उपलब्ध हैं—(१) द्वितीय लपटोनट एस एम मली, (२) भडर आफिसर पहलाद सिंह, (३) सार्जेंट इंदर बहादुर, (४) सिपाही गुरुमुख सिंह ये सभी पञ्जाब के थे ।

फ्रांस से वापस आकर भारतीय राष्ट्रीय सेना जरमनी में ह्यूबग की सैनिक छावनी जो स्टटगाट के समीप थी वहा माच १९४४ तक रही । अप्रैल १९४५ के आरम्भ में उस वहा से हटना पडा क्योंकि मित्र राष्ट्र की सेनाएं जरमनी की धार बंद रही थी । अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भारतीय राष्ट्रीय सेना को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के घेर लिया । भारतीय राष्ट्रीय सेना को स्विजरलंड की सीमा के पास दक्षिण जरमनी में कास्टेल भील क समीप द्वितीय फ्रेंच सेना न भेगा था । भारतीय राष्ट्रीय सेना की एक कम्पनी को जिसमें १५० सैनिक थे एक छोट्टे से सिनेमा म रात भर बिना भोजन और जल के रख कर प्रात काल गोली से छडा दिया गया । यह घटना अप्रैल के अंतिम सप्ताह की थी । भारतीय राष्ट्रीय सेना के दोप सैनिकों को युद्ध बंदी बना लिया गया और उनमें से कुछ को इङ्गलंड में थप फोट ब्रे इन जो नारविच के समीप है ले जाया गया । वहा से पूछ-ताछ की गई और उन पर बडा पहरा लगा दिया गया । उनमें से कुछ उस कदम मारे गए ।

जबो तक दुनिया को आशिक रूप में भी सुदूर-पूर्व और पश्चिम के योरोपीय मार्च पर आजाद हिंद सेना की विपरीत परिस्थितियों, कठिनाइयां और बलिदानों की कथा नहीं बतलाई गई । जो भी चीजें बहुत जानकारी दी गई वह टुकटुकें ही थीं । इससे यह सिद्ध होता है इस युद्ध महाद्वेष में समीप घनी सम्प्रदायों, जातियों, आदर्शों वाला स जो कि देश के विभिन्न भागों से आये थे और विभिन्न भागों से बोलते थे जो कि देश और बलिदानों की भांग और अपना रखो गई जो कि स्वतंत्रता प्रशस्ति के लिए मिला त आशुष्यक है उतना ही और बलिदान आजाद हिंद सेना कि गैरसिद्धांतिक रूप के पूरे भारतीयों ने भुगि नहीं किया था । नीचे गिरे हुए पद बलिदानों की शक्ति देने का रूप धारण करने वाले हैं—

शाली रुधिर की प्यासी मा आजाद हिंद सेना के यथेष्ट मात्रा में रुधिर बढ़ाने से जिसमें सभी जातियों और धर्मों के मानने वाले भारतीयों ने रुधिर बहाया था और जो एक घारा में होकर बहा था उससे तृप्त हो गई आजाद हिंद सेना के सैनिकों ने एक दिन और एक मुठभेड़ में जितने वीरों की बलि दी १८५७ के उस महान युद्ध के उपरांत हिंसा अथवा अहिंसा में विश्वास करने वाले देश भक्तों ने कुल मिला कर छतनों का बलिदान नहीं दिया था।

बलिदानों की सूची पर एक विहगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट ही जावेगा कि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि युद्ध के पश्चिमी मार्ग पर इतनी बड़ी सहायता में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया था। जब जापान तथा आजाद हिंद सेना ने हथियार डाल दिए और यह समाचार लोगों ने सुना तो बहुत से आजाद हिंद सेना के सैनिकों ने आरम्भगत कर लिया। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने कुछ आजाद हिंद सेना के सैनिकों को फाँसी दे दी थी। उनके नाम परिकल्पित दस में दिये जा चुके हैं। उनके अतिरिक्त अनेक धर्मों के नाम भी उपलब्ध हैं जिन्हें दिल्ली मुलतान, सियालकोट की जेलों में फाँसी दे दी गई। अधिक विस्तार में जान की आवश्यकता नहीं है। सहानुभूति पूर्वक सूची को देखने की लेखक सिफारिश करता है।

आई एन ए के कनल इराफ, मेजर जनरल साहनवाज खा तथा आजाद हिंद सेना की जाँच तथा सहायता समिति के डाक्टर जगदेव सिंह (कनल) तथा श्री नानकचंद (आई एन ए की उदारता पूर्वक दी गई सहायता के फल स्वरूप हम आगे दी गई आजाद हिंद सेना के बलिदानों की सूची (जो बड़ी सूची का एक भाग है) की सूची इस पुस्तक में प्रकाशित कर सकें हैं जो इस पुस्तक के नाम 'बलिदानों की प्रशस्ति' को साधक करती है।

आजाद हिंद सेना के बलिदानों की सूची जिन्हें वीर गति मिली

नाम	पद	पता तथा विवरण
१- अजमेरसिंह	मेजर	गा घरवार, डा सावेवाल जि लुधियाना, पंजाब
२- अशरफी मडल	से लफ्तीनट	गा मलखानपुर, डा शाहकुंड, जि भागलपुर, बिहार
३- अरजनसिंह	एस प्रो	गां डा सिधावन कला, जि लुधियाना, पंजाब
४- अटलसिंह	लफ्तीनट	गां साहपुरा जनपुर, डा जानी, जि मेरठ, उत्तरप्रदेश
५- अब्दुलप्रजीब	सैनिक	गा बिरोटी, जि बुलन्द शहर, उप्र
६- अमरसिंह	सैनिक	गा भारत, डा भाग जि गुरदासपुर पंजाब
७- अमरसिंह	सैनिक	गा डा टोपेपान बादला खुद जि अमृतसर, पंजाब
८- अमीर हयात	सेंस नायक	गां पीरखाल डा मालाकद, जि मरदान, सीमाप्रांत
९- अब्दुल रज्ज्वाक	सैनिक	गां डा साम्पली जि रोहतक पंजाब
१०- अजायब सिंह	गुप्तचर	गां डा जलहा जि अमर पंजाब लालकिले में फाँसी
११- अली अख्तर	एस प्रो	गां बवाटी खुद डा सराय घासमगीर जि गुजरात
१२- अलीमुहम्मद	हवलदार	गां २२६, मलखान वाला, जि लायलपुर, पंजाब
१३- अमरसिंह	हवलदार	गां बिवासपुर, डा घोरा कला, जि गुरगांव पंजाब

- १४- अमीरसिंह — हवलदार—गां कानी भावला, जि दिल्ही बरमा म मारे गए  
 १५- अजीतसिंह — नायक —उनकी मृत्यु त्रावाण म हुई  
 १६- भीतारसिंह — लैंस नायक—उनकी मृत्यु मिथा हाकिन मे हुई  
 १७- भालमसिंह — सैनिक —उनकी मृत्यु कलेवा में हुई  
 १८- बालमसिंह — सैनिक —उनकी मृत्यु त्रावाण में हुई  
 १९ अमरसिंह — सैनिक —उनकी मृत्यु उखराल मे हुई ।  
 २० आनसिंह — सैनिक —उनकी मृत्यु ऐजोन मे हुई  
 २१ अमरिव सिंह— कप्टेन —त्रावाण के युद्ध में मारे गए शेर हिंद पदक मिला ।  
 २२ अत्रेपुन — नायक —बरमा के युद्ध म मारे गए ।  
 २३ अली शान — सैनिक —युद्ध मे वीर गति प्राप्त हुई (बरमा)  
 २४ आनन्दसिंह— एस भो —बरमा के युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई  
 २५ अता मुहम्मद— नायक —युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई  
 २६ अरजनसिंह— नायक —युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई  
 २७ अलताफहुसन— गा राजपुर खुद जि अमृतसर ५ बरमा के युद्ध मे वीर गति मिली  
 २८ अक्षारसिंह— सैनिक —गा पीपली, डा सरघाट, जि कांगड़ा पंजाब  
 २९ अहमद खा — हवलदार —गा खुरलागामुन डा रतनपुर, जि देहरागजी खा  
 ३० आनंदसिंह — नायक —अरकान के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए  
 ३१- अमरसिंह — लैंस नायक—गा खोरी डा-मुल्ली जि गुरगाव (अराकान में)  
 ३२ अमीनलाल — सैनिक —गा-कुहाड, डा-नोहर नामाराज्य (अराकान म)  
 ३३ अत्तारसिंह — सैनिक —गा सहारमपुर डा रेवाडी, जि गुरगाव(अराकान मे)  
 ३४ आंसिंह — सैनिक —वीर गति को प्राप्त हुए  
 ३५ अनूपसिंह — लैंस नायक—वीर गति का प्राप्त हुए  
 ३६ आत्मासिंह — हवलदार—गा डा सग कला जिला भेलम (युद्ध करते हुए)  
 ३७ भीतारसिंह — लैंस नायक—युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए  
 ३८ अमरनाथ — नायक —वीर गति को प्राप्त हुए  
 ३९- आनन्दसिंह — नायक —शगाई में हवाई आक्रमण में मारे गए  
 ४० अस्ताह दाद— नायक —युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए ।  
 ४१- अमरसिंह — X —गा डा तिकरी जि मेरठ (उप्र) इम्फाल मे मारे गए  
 ४२- अजीतसिंह — सैनिक —मिथा हाका में घाबों के कारण मरे ।  
 ४३ अमीर अली— सैनिक —बरमा म युद्ध म मारे गए ।  
 ४४ अमरसिंह — सैनिक —कलेवा के युद्ध में मारे गए  
 ४५- अमीनलाल — सैनिक —कलेवा के युद्ध म मारे गए  
 ४६ ए बी मिर्जा— कप्टेन —गाली से मारे गए  
 ४७ अरजनसिंह —जीयफघार—गा-डा जादेव कला जि अमृतसर (फ्रांस में)  
 ४८ अमरसिंह —जीयफघार—फ्रांस में युद्ध करते हुए मारे गए  
 ४९- अयूब खा — लपटीमट—गां नहर डा रावलाकाट पूछ (इम्फाल में)  
 ५० अजरनसिंह — एसभो —लुधियाना (पंजाब) त्रिगर गाछा गिंवर में मारे गए  
 ५१ अमरसिंह — सैनिक —गा मिहरी खालमिया दादरी, भी राज्य ।  
 ५२ अजीतसिंह — सैनिक —गा पागो, डा हद्र प्रयाग, जि गढ़वाल, (उप्र)

- ५१- भार्गवसिंह — नायक — गां-रोजेवाला, डा काप, जि जालधर-पञ्जाब
- ५४ धरजनराम — एसभो — गां भादरा, डा धानीर, बीकानेर (राज)
- ५५- अबाड जरारधन-हवलदार-युद्ध म वीर गति को प्राप्त हुए ।
- ५६ अमरसिंह — लख नायक — गा डा रेवाडी, जि गुरगांव पञ्जाब
- ५७ अमरसिंह — लख नायक — गां नया गाव, डा नहर, दुजाना
- ५८ ए मजूमदार — डाक्टर — इंडोनेस में अमरुवा म मारे गए १९४५
- ५९ ए ए के तोदी — मै बर्गल — कपूपला — लापता
- ६० एस अहतरमली — कप्टेन — मुहल्ला डाक्टर सादिक मली — कपूपला ।
- ६१ अमद उल्ला — हवलदार — युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए
- ६२- अब्दुल रहमान खां — हवलदार — गा मायेरा, डा भाउन, जि भेलम, पञ्जाब
- ६३ अब्दुल रशीद खां — एस भो — युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए
- ६४ अली मुहम्मद — नायक — इम्फाल के युद्ध मे मारे गए
- ६५ अब्दुल अजीज — हवलदार — गा धुनी घूरिया डा खारियात युबरात
- ६६ अहमद खां — हवलदार — गा डा-कु-जाह, युबरात
- ६७ सापा सतूनके — सैनिक — युद्ध करते हुए मारे गए
- ६८ अमरसिंह — सैनिक — युद्ध म मारे गए ।
- ६९ अहलाह दिता — X — हावा के मार्च पर मारे गए
- ७० अज सराम — X — गा नयाना, डा वासना जि बुसद लहर (उप्र)
- ७१ धरजन सिंह — सैनिक — गा घावनसिंह चर १३ जि शेखूपुरा (पञ्जाब)
- ७२ अम्रा इनालाई — सैनिक — वीर गति को प्राप्त हुए
- ७३ अमरसिंह — X — गा सरकार डा कानिना जि मेरठ (उप्र)
- ७४ अब्दुन खालिक — X — युद्ध म वीर गति प्राप्त हुए ।
- ७५ अली खा — लपटीनट — फास मे मारे गए
- ७६ अहजर महमूद — हवलदार — इटली मे मारे गए
- ७७ अली नेर — सैनिक — हास्पिटल मे मृत्यु हुई
- ७८ अमर सिंह — नायक — पटियाला राज्य — अस्पताल मे मरे
- ७९ अगाधु राम — नायक — कोरापात अस्पताल मे मरे
- ८० अ-गू के — सैनिक — अस्पताल में मृत्यु हुई
- ८१ अ नु भूलाई — सैनिक — अस्पताल में मृत्यु हुई
- ८२ अचलसिंह — सैनिक — गा डा-राजाल जि कागडा पञ्जाब
- ८३ एस सी बरधान — X — गां डा बितघर जि तिमरा बगाल - १०९४३  
को मदरास में कांसी ।
- ८४ बलवानसिंह — नायक — गां डा जामोरा जि होशियारपुर युद्ध में मारे गए
- ८५ बच्चनसिंह — X — गां डा लटाला जि लुधियाना १९४२ मे भारत मे  
हवाई जहाज से उतारे गए परा नहीं ।
- ८६ भुलनसिंह — हवलदार — गा घाघर डा मुगादनगर जि मे ठ (उप्र)
- ८७ बलवतसिंह — सैनिक — गा मानीजासा डा घानला, नामा राज्य
- ८८ भोबारांम — लखनायक — गा कबराला, डा ध्यानिना नामा राज्य
- ८९ बनतासिंह — सैनिक — गां कोटला हिरान, डा उगरी जि जालधर

- ६० बूरसिंह — लपटी नैट—गा डा-कीटखेरा, जि अमतर, पजाब
- ६१ बख्शीशसिंह — X —गा डा गोरम्या, जि जालंधर पजाब
- ६२ बिश्मरदास — लपटीने ट—गा राघुभाजरा डा तेलीवाडा, पटियाला राज्य
- ६३ बूढासिंह — X —गा-खानपुर, डा झीलार जि सियालकोट, पजाब
- ६४ बारसिंह — एस ओ —गां-छोटे वाउषान, डा दिचकोट जि लायलपुर
- ६५ बनतासिंह — हवलदार—गा-लखीमपुर, डा रूपर, जि अम्बाला पजाब
- ६६ बहादुरसिंह कोटियाल-सैनिक—गा मुहरा, पट्टी सिला, डा-लसडान, जि गढवाल
- ६७ बालेराम — सैनिक —गा धेरिया डा दुआजजना, जि रोहतक, पजाब
- ६८ वैजमिन वासके — लपटीनैट—गां कुमारी ग्राम डा महाराजपुर, सयाल परगना
- ६९- भल्लाराम — सैनिक —गा गौराना, डा बरवाला, जि हिसार पजाब
- १००- बदलूराम — सैनिक —गा डा दिघाल, जि रोहतक, रगून में मारे गए
- १०१- विदम्बरसिंह — लंस नायक—गा धा मनकियाला जि राबलपिंडी, पजाब
- १०२ भगवानसिंह — से लपटीनैट—गा डा कनवाली जि गुरगांव पजाब
- १०३ बजलाल श्रीवास्तव —सम्पादक—जिला जबलपुर मध्य प्रदेश
- १०४ बहादुरसिंह — कप्टेन — X युद्ध करते मारे गए ।
- १०५ बच्चनसिंह — नायक — गा नावानपिंड दोना, डा सोहान जि जलंधर
- १०६- भगतसिंह — सैनिक —होशियारपुर जिनगरगछा के अस्पताल में मरे
- १०७ बख्शीसिंह — एस ओ —गा चामीहाट, डा मारेंज जि काण्डा
- १०८ बनारसीलाल — स्वयसेवक—गा डा-चुद्धरखाना मडी, जि शेखपुर
- १०९ बाबूराम पल्ले — सैनिक —३१२ वेतालियो बिल्डिंग किरकी पूना ।
- ११० भरतसिंह — हवलदार—गां खेरी अमरा, डा कफर, जि रोहतक
- १११ बहादुरसिंह — नायक —गा कोट डडाल, डा कोट टोडरमल, गुरदासपुर
- ११२- एस बी भट्टाचार्य— ग्रेड सी —गा बरहामपुर, डा बेरियाहाला चीटागाव
- ११३ भूपालसिंह — से लपटीनैट—कलेवा में हवाई आक्रमण में मारे गए
- ११४ बख्तावरसिंह — एस ओ — X खुदमोन में मारे गए
- ११५ बलबंतसिंह — एस ओ — X एकाबान में मारे गए
- ११६ बीरसिंह — न यन — X त्रावाग में मारे गए
- ११७ विसरामसिंह — हवलदार — यन में युद्ध करते मारे गए ।
- ११८ वाचनसिंह — हवलदार — त्रावग में मरे
- ११९ विशानसिंह — ल नायक— ऐजोन में मरे
- १२० बहादुरसिंह — नायक — त्रावाग में मरे
- १२१- बख्तावरसिंह — सैनिक — तामू में मरे
- १२२ भवानीसिंह — सैनिक — त्रावाग में मरे
- १२३ बलवानेसिंह — सैनिक — यन में मरे
- १२४ बाछीसिंह — लंस नायक— त्रावाग में मरे
- १२५ बाछीसिंह भदारी— लंस नायक—त्रावग में मरे
- १२६ भजनसिंह — सैनिक —विदात में मरे
- १२७ बालकसिंह — सैनिक —गान पोन में मरे
- १२८ बचित्तारसिंह — से-लपटीनैट—जापानियों ने बरमा में मरने की सूचना दी



१२६ भीमसिंह राना	— से लैपटीनेट—	मांडसे घसपताल में मरे
१३० बहादुरसिंह	— X	—जलने से मरे
१३१- बालकराम	— बप्टेन	—सिंगापुर में मरे
१३२- बुद्धीसिंह	— लपटीनेट	—बरमा में युद्ध करते मरे
१३३ भीमसेन	— लैपटीनेट	—बरमा में युद्ध करते मरे
१३४ बगगासिंह	— से-लपटीनेट—	धरुवाब में युद्ध करते मरे ।
१३५ भीमसेन	— हवलदार	—तांग जोंग में हवाई आक्रमण में मरे
१३६ भास्कर दीपरी	— सैनिक	—चमोल में युद्ध करते हुए मरे ।
१३७ भवानसिंह	— से लपटीनेट—	बरमा में युद्ध करते हुए मरे
१३८ बगीर प्रहमद	— लपटीनेट	—गा-बलियाली जि रोहतक पजाब
१३९- भूपेन्द्रसिंह	— नायक	—गां कुरमाह डा बनीत जि मुजफ्फरनगर
१४० भगत बहादुर	— X	—युद्ध करते वीर गति मिली
१४१ विक्रम राय	— X	—बरमा में मारे गए
१४२ बाबुराय मोडे	— X	—बरमा में मरे
१४३- भगवान सिंह	— एस घो	—गां डा-दाहिरा जि गुरगाव
१४४ बगगा खाँ	— सैनिक	—जिपावादी में मृत्यु हुई
१४५ बहादुरसिंह	— सैनिक	—मराकान के युद्ध में मारे गए ।
१४६ बसी	— सैनिक	— X
१४७ बलदेवसिंह	— सैनिक	—बरमा में मृत्यु हुई
१४८ प्रहम दत्त	— सैनिक	—रणभूमि में युद्ध करते मरे
१४९- विजयसिंह	— सैनिक	—युद्ध करते मरे
१५० भवानी दत्त शर्मा	— सैनिक	—युद्ध करते मरे
१५१ बहादुरसिंह	— लम नायक—	डा लोहार सेत पट्टी मल्लादान पात मल्लोबा
१५२- भोलदत्त जोशी	— हवलदार	—गां-तालीमोर, डा रानी सेत जि बल्लोड़ा
१५३ बहादुरसिंह	— सैनिक	—शत्रु की बमवर्षा में घन में मारे गए
१५४ बलवत्सिंह	— X	—ईजिन में मरे
१५५- बिशर्नासिंह	— X	—हवाई आक्रमण में हक्का में मरे
१५६ भीमसिंह	— से लैपटीनेट—	X
१५७ भट्टाचाय वै	— नायक	—रणभूमि में मृत्यु हुई
१५८- बूरसिंह	— हवलदार	—युद्ध करते मरे
१५९- विजयसिंह	— सैनिक	—कलेवा में मारे गए
१६०- बेगसिंह	— सैनिक	—कलेवा में मारे गए
१६१ बहादुरसिंह	— सैनिक	—इम्फाल में मरे
१६२- बलदेव	— हवलदार	—कलेवा में मरे
१६३ वीरवल	— सैनिक	—कलेवा में वीर गति को प्राप्त हुए
१६४ बुद्धाराम	— सैनिक	—गा कुमहारया, डा बि-नाराज जि हिष्पार
१६५ भिलासिंह	— नायक	—नामू में मृत्यु हुई
१६६ बागासिंह	— सैनिक	—कलेवा के समीप बम वर्षा में मरे ।
१६७ बलरत्नसिंह	— हवलदार	—गा सदावत कपुधला राज्य

१६८ बलवत्सिंह	— × —	जरमनी में आत्म हत्या करली
१६९ बनेसिंह	—	जी यफ टी भार — फास में मृत्यु हुई
१७० बग्गासिंह	— लफटीनेट	— मराकान युद्ध में वीर गति मिली
१७१ बड़ोरिया राम	— सैनिक	— ग्राम मुडिया, हिंडौन, जयपुर-भरतपुर
१७२ बड़ौराम	— सैनिक	— मेहादपुर जयपुर
१७३- बाळसिंह	— नायक	— गां करवारी-हिंडौन, जयपुर भरतपुर
१७४- भौडूराम	— नायक	— पावटा महामा जयपुर
१७५- बिहारी राम	— सैनिक	— पावटा, महामा जयपुर
१७६ बादूराम	— सैनिक	— लौस नायक-तेसगाव, हिंडौन, जयपुर
१७७- बलवत्सिंह	— नायक	— गां पुर शामूसी-मेरठ
१७८ बरुहीराम	— सैनिक	— कडोली लदराल, शिमला
१७९ फोवालसिंह गोरखा	— नायक	— युद्ध करते वीर गति प्राप्त हुई
१८० भगवान सिंह	— हवलदार	— गां डा-दाहिना गुरगांव (युद्ध)
१८१ भीमसिंह चापा	— कप्टेन	— युद्ध करते हुए वीर गति पाई
१८२ बशीर अहमद	— सैनिक	— गां डा धारोह सियालकोट (युद्ध)
१८३ विशनसिंह	— सैनिक	— गां-सासनवारा डा बेरीनाग, अल्मोडा
१८४ बद्रोदत्त	— सैनिक	— गां कोटेश्वर, डा बेरीनाग, अल्मोडा
१८५ बचनसिंह	— सैनिक	— गां हरिवाल, डा देरा बाबा नानक, जि गुरदासपुर
१८६ बहशीराम	— हवलदार	— गां रिठोड, डा सोहना, जि गुरगांव
१८७ बलाराम	— सैनिक	— गां-रिठोड डा सोहना, जि गुरगांव
१८८ विशम्भरसिंह	— सैनिक	— गां भिसरी डा डालम दादरी, भींद राज्य
१८९ भोगीराम	— सैनिक	— बिल जसपुर, हिंडौन भरतपुर
१९० बच्चनसिंह (शहीद भारत)	— नायक	— गां तिब्बा, डा-तलवडी चंदौराम, जि जलघर
१९१ बनवासिंह	— नायक	— गां इन्वन डा कपूथला (५ ६ ४४) को मरे
१९२ बूढासिंह	— सैनिक	— पछेटवा में युद्ध करते वीर गति मिली।
१९३ बावासिंह	— सैनिक	— गां माना तालबडी डा भोलाठ, जलघर
१९४ विशनसिंह	— सैनिक	— गां-बेसरपुर, डा कपूथला
१९५ बट्टनसिंह	— नायक	— युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए
१९६ बाखेरसिंह	— हवलदार	— जननी का नगल, डा सादाबाद जि मथुरा
१९७ बलवीरसिंह	— सैनिक	— गां घनौरा, डा दावा, जि मेरठ
१९८ बकशाराम	— नायक	— गां पाराधा, डा मोहिंदरगढ, पटियाला राज्य
१९९ भवानीसिंह	— सैनिक	— गां मटसाना डालमिया दादरी, भींद राज्य
२०० बस्तावर	— सैनिक	— गां कुरोरी, डा-नाहर, जि दुजाना
२०१ बालमुन्द	— नायक	— देहली
२०२- भूपालसिंह	— एन/सिपाही	— वीर गति को प्राप्त हुए
२०३ बट्टहीन	— हवलदार	— वीर गति को प्राप्त हुए
२०४ बलकू पोवार	— सैनिक	— इम्फाल में मारे गए

२०५ वापू साबत	— सैनिक — इम्फाल में मारे गए
२०६- बाचनसिंह	— सैनिक — वीर गति को प्राप्त हुए
२०७ बाचनसिंह	— सैनिक — पटियाला के युद्ध में मारे गए
२०८ वनतासिंह	— सैनिक — वीर गति को प्राप्त हुए
२०९- बाबू दारेकर	— सैनिक — वीर गति को प्राप्त हुए
२१० रतनसिंह	— हवलदार—गा मन्दीरा, डा होमेल, जि होशियारपुर
२११ बाबूसिंह	— सैनिक —प्राधान शिविर में मरे
२१२ वारासिंह	— नायक —गा छोटी बानशान, डा दिचकोट सायलपुर
२१३ बिशनसिंह	— सैनिक —तामू के निकट युद्ध में मारे गए
२१४ बागासिंह	— नायक —गा बामरपुर, डा बेरखुद, जि लुधियाना
२१५- वशम्बर लाल	— से लपटीन ट—वीर गति को प्राप्त हुए
२१६ बोल्लूराम	— सैनिक —गा खेरली डा बलभगद, जि गुरगाव
२१७ बग्गा	— X —गा दबोटा, डा नालागद, शिमला
२१८ बिशनसिंह	— लोपटीन ट—गा सरवान डा करलेपुर, जि जलधर
२१९- बरशीशसिंह	— सैनिक —इटली में मृत्यु हुई
२२० भगतसिंह	— सैनिक —गा मावना डा बदरो जि फिरोजपुर
२२१ बरकत	— लैस नायक—गा भोरान, डा लोधभारत, जि कागडा
२२२ बिद्धीसिंह	— नायक —गा दाहन डा लदरानी जि कागडा
२२३- बाबू सा	— सैनिक —गा भदोकुलार डा भएककी जि जलधर
२२४ बिकारसिंह	— सैनिक —गा राजपुर, जि होशियारपुर
२२५ वीरसिंह	— सैनिक —जिलासपुर, जलठान जि होशियारपुर
२२६ बचनसिंह	— हवलदार —गा डा नरली जि लाहौर
२२७ भालसिंह	— लस नायक—गा डाल डा खेर, जि लाहौर
२२८ महादुरसिंह	— सैनिक —गा बराही, डा बिंसा, जि भमृतसर
२२९ बिजसिंह	— सैनिक —गा मानेडा डा-इलान, जि मुजफ्फरनगर
२३० बिजसिंह	— सैनिक —गा लुल सरहा डा कुछेसर, जि मेरठ
२३१- बिगनसिंह	— नायक —युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए
२३२ बलव तसिंह	— सैनिक —गुरगाव
२३३- भगवाना राम	— नायक —गा दादौत, डा चिरावा जि जयपुर
२३४- बरधोराम	— नायक —युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए
२३५- बलवतसिंह	— एस ओ —मुजफ्फरनगर
२३६ बनवारी	— लस नायक—गा कुलेश्वर जि रोहतक
२३७- बन्दी	— सैनिक —गा खारोला, डा खेतरी जि मलवर
२३८ भोमन	— सैनिक —अलवर
२३९ भेराम	— सैनिक —गाव डा वरसाना भीद राज्य
२४०- विशम्बर दयाल	— लपटीनेट—गा डा-मनदौदा जि गुरगाव
२४१- बलवतसिंह	— हवलदार —गा डा दुबाल घान जि रोहतक
२४२ बिशनसिंह	— X —वीर गति मिली
२४३ बसंतसिंह	— X —वीर गति मिली

२४४ वरकतराम	— X	—वीर गति मिली
२४५ छज्जुराम	— सैनिक	—गा डा अचिना भीद राज्य
२४६- चंदरलाल वर्मा	— एस प्रो	—गगोला मुहल्ला मल्मोडा
२४७ चाननसिंह	— नायक	—गा-डा तिब्बा-कपुपला राज्य
२४८- चाननसिंह	— सैनिक	—मजारा दिनभिरियान, होशियारपुर
२४९- चंद गीराम	— सैनिक	—गा डा-डाकला, जि रोहतक
२५० चिरागदीन	— सैनिक	—गा वरदेची, डा हीसा जि लुधियाना
२५१ छोटाराम	— सैनिक	—गा लाडो सराय, डा महरोली देहली
२५२- छज्जसिंह	— X	—गा होशियारपुर डा सियालवा मजरी, धम्वाला
२५३ चिरजीतलाल	— सैनिक	—गा डा-नानगल कालिया जि नारनोल
२५४ बी यन चटर्जी	—प्रशासक विद्वांस	—१२/बी कु जालाल बनर्जी रोड, कलकत्ता
२५५- चाननसिंह	— सैनिक	—गा युवानवाला डा भोगा जि फिरोजपुर
२५६- विमल चक्रवर्ती	— X	—वरमा से लापता । गा डा शारातौली चीटागाव
२५७ चंदगीराम	— नायक	—गा डा बहू भक्वर पुर, जि रोहतक
२५८ छत्तासिंह	— नायक	—त्रावंग में मरे
२५९- चंदसिंह	— नायक	—त्रावांग म मरे
२६०- बेरियान	— लैफ्टीनेंट	—कलेवा में मरे
२६१ बाको एम भाई	— से लैफ्टीनेंट	—युद्ध में वीर गति मिली
२६२- चंदरसिंह	— नायक	—युद्ध में वीर गति मिली
२६३ चाद बहादुर	— नायक	—युद्ध में वीर गति मिली
२६४ चंदरसिंह	— सैनिक	—गा कनिरी डा हिंडौनी-जयपुर(वम वर्पा)
२६५- चंद्र दत्त	— सैनिक	—पाइमाना में वम वर्पा से मरे
२६५ चंदरसिंह	— सैनिक	—मायम्पो में मरे
२६७ चाननसिंह	— हवलदार	—कलेवा के युद्ध में
२६८ चंद्रमान	— एस प्रो	—गा इसनपुर गुरगान कलेवा युद्ध में
२६८ छत्रसिंह	— सैनिक	—भरतपुर-कलेवा युद्ध में
२७०- छेगसिंह	— नायक सैनिक	—वरमा में मरे
२७१- चहिसिंह	— सैनिक	—कलेवा के समीप वम वर्पा में
२७२- एम एन दे चौधरी	— कैप्टेन	—मनेवा के युद्ध में वीर गति
२७३ चन्नासिंह	— एस प्रो	—पाप म युद्ध करते वीर गति मिली
२७४ चाननसिंह	— सैनिक	—युद्ध में वीर गति मिली
२७५ बी खैलाह	— X	—पांस से लापता
२७६ चहिसू	— X	—गा-तेहरा कला डा-सोनपत जि रोहतक
२७७ चिनाणा	— X	—जरमनी में मृत्यु हुई
२७८ चंदगीराम	— सैनिक	—गा निमोरियाली डा छापर भीद
२७९- चंदनराम	— सैनिक	—गा खिनारी, डा-उचन जि भरतपुर
२८० चरनसिंह	— एस प्रो	—गा वामोली, डा हिंडौनी जयपुर

१८१- चरनसिंह	— X	—गा मोरानपुर डा जहेराबाद बुल दशहर
२८२ चाननसिंह	— सनिक	—गा बुकराबा कपूथला राज्
२८३ चाननसिंह	— X	—पकडे गण श्रीर फाँडी दे दी गई
२८४ च दनसिंह	— सैनिक	—गा छा द, डा-बोकुलिया जि छल्मोडा
२८५- चंदगोराम	— सनिक	—गा धोनी बिलोर वाला, सोबारी, हिसार
२८६ चाननसिंह	— सनिक	—गा तिम्बा, डा वनवदी, जलधर
२८७ चरनसिंह	— लैन नायक	—गा डा दाकली जि मेरठ
२८८ छत्रेश्वर तिवारी	—एस सनिक	—युद्ध में वीर गति मिली
२८९ च धीराम	— नायक	—युद्ध में वीर गति मिली
२९० च दगीराम	—हवलदार	—गा गोपी डा बाधरा, भीठ राज्य
२९१- चरनसिंह	—लैन नायक	—गा डा छरवन जलधर मुलतान जेष्ठ में फाँसी ।
२९२ चादसिंह	— X	—युद्ध में वीर गति मिली
२९३ चु नीलास	— सनिक	—गा कुलवाला डा दातारपुर, होशियारपुर
२९४ चाननसिंह	— सनिक	—गा मुलियान, डा सामे जि भम्बाला
२९५ चेराम खा	— सनिक	—गां काहता डा तलवदी, कपूथला
२९६ चरनसिंह	—लस नायक	—गा डा राजपुर भाया, जि होशियारपुर
२९७ छज्जूराम	— X	—गां डा नखाना, जि रोहतक
२९८ च दूलास	— X	—गा भागपुर डा खेरजा, जि बुलद शहर
२९९ चमनसिंह	— एस धो	—गा पहाडी डा हिडोती, जयपुर
३०० चादरसिंह	— सनिक	—गां खारियान, डा मातेर, हिसार
३०१ च दनसिंह	— सैनिक	—हिडोती जयपुर
३०२ च दू कु वर	— X	—छापता मारे गए
३०३ छोद	— X	—गा बाले, डा निसाग जि करनाल
३०४- चुहारसिंह	— X	—वीर गति मिली
३०५ दलावर खा	—हवलदार	—गां डा जाहली जि भेलम
३०६ दलबहादुर थापा	— केप्टेन	—बडा कोठे, धरमशाला छावनी, कागडा
३०७ दुरगामन	— केप्टेन	—गा मोरीखाना, डा धरमशाला, कागडा
३०८ देव सिंह	—लैन नायक	—गा डल्ली, डा भोगपुर सिरवास, जलधर
३०९ डी एल दास	—एस धो	—गां राम कटोरा बनारस छावनी
३१० दलीपसिंह	— सनिक	—गा डा-रथयाना, जि रोहतक
३११- घज्जाराम	— सैनिक	—गा-डा मदीना जि रोहतक
३१२ डेनियल परान जोती	—ब्राडकास्ट	—मदरास (सिंगापुर में मरे)
३१३ धारासिंह	—लस नायक	—गां जटखोर डा हलालपुर, देहली
३१४ धरनसिंह	— नायक	—गां केर डा बहादुरगढ जि दिल्ली
३१५ दास यच सी	— दलपति	—गा पुरान पल्टन, डा रमना, जि ढाका
३१६- देवसिंह	— एस धो	—१९४४ में एकावानो में मारे गए
३१७ धूमसिंह	— नायक	—धावग में युद्ध करते मरे
३१८ धामसिंह	— सैनिक	—मिता हाका में १९४४ में मरे

३१६-	दरवानसिंह	— सैनिक	— ब्राह्मण में मृत्यु हुई
३२०	धरमसिंह	— सैनिक	— ब्राह्मण में मृत्यु हुई
३२१	देवसागर राय	— नायक	— १६४५ में बरमा में बम वर्षा में मरे
३२२	डामर बहादुर	— लैस नायक	— युद्ध में वीर गति मिली
३२३	दातू चौहान	— नायक	— गा-कुरानडवाडो, बमबई
३२४	धरमसिंह	— लपटीनट	— युद्ध में वीर गति मिली
३२५	दयाराम	— नायक	— युद्ध में वीर गति मिली
३२६	दुनीच द	— नायक	— युद्ध में मारे गए
३२७	धानबहादुर गुरग	— नायक	— गा फत्तू सेन (देहरादून)
३२८-	डारको जीराव	— X	— युद्ध में मारे गए
३२९-	दीवानसिंह	— एस ओ	— गा रमूसपुर, डा सालुइननपुर-बुल दशहर
३३०-	दीवानसिंह	— नायक	— गुरदासपुर
३३१	दश्रोत्ताराम	— सैनिक	— गा रिठोज, डा शाना, जि गुरगाव
३३२-	दयानन्द	— सैनिक	— युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई
३३३	दूगरसिंह	— सैनिक	— युद्ध में मरे
३३४	दिलीपसिंह	— सैनिक	— युद्ध करते हुए मारे गए
३३५	दानसिंह	— लैस नायक	— बम वर्षा में मरे
३३६	दीवानसिंह	— सैनिक	— बम वर्षा में मारे गए
३३७	दामोदर सिंह	— सैनिक	— मिया हाका में मृत्यु हुई
३३८	दीवानसिंह	— सैनिक	— पाबों में बम वर्षा से
३३९	दीवानसिंह	— सैनिक	— यन में बम वर्षा से
३४०-	शानीचन्द	— सैनिक	— हाका में मृत्यु हुई
३४१-	दामोदर	— सैनिक	— तागू में बम वर्षा से
३४२	दलीपसिंह	— X	— कभेवा में मृत्यु हुई
३४३-	दरगनसिंह	— लैस नायक	— बोहिमा में युद्ध करते हुए
३४४-	देव कालीप्रसाद	— नायक	— घाडले में मृत्यु हुई
३४५-	धूमसिंह	— X	— मुजफ्फरनगर (युद्ध करते मरे)
३४६	दीक्षित जी यस	— नायक	—
३४७	दलेलसिंह	— सैनिक	— मेरठ इम्फाल में बम वर्षा से मरे
३४८	दलीपसिंह	— सैनिक	— कलेवा में बम वर्षा से मरे
३४९-	देबीसिंह	— हवलदार	— कलेवा में बम वर्षा से
३५०-	दुर्गादास	— एस ओ	— मृत्यु हुई
३५१	दीवानसिंह	— सैनिक	— गा-डा मिथोवल जि नेलूपुरा
३५२	दरियावसिंह	— एस ओ	— फास में मारे गए
३५३	धाना पाल	— X	— फास में युद्ध में मारे गए
३५४	दलीपसिंह	— सैनिक	— फास में गोली से मरे ।
३५५-	दावा दानम	— X	— जुलाई १९४३ में हालैड में बम फटने से मरे
३५६	दलीपसिंह	— सैनिक	— गा रिठाला, डा सापला, जि रोहतास
३५७-	धुरु	— X	— मेरठ बरसा में मृत्यु

३५८ दीवानसिंह	—लैस नायक—गा सिंगी डा नागोली, जि गढ़वाल
३५९- डौंडू रावत	— X —जरमनी में मृत्यु हुई
३६० दीपचन्द	—लैस नायक—गा विजाना करनाल
३६१ धान बहादुर	—हवलदार—नपान युद्ध में वीर गति
३६२ धान बहादुर	—हवलदार—नेपाल युद्ध में
३६३- देवसिंह	— सैनिक —गा भीमपुरा, डा साये ती जि धल्मोडा
३६४ धानसिंह	— सैनिक —डा लोहार हाट, जि धल्मोडा
३६५ धानसिंह	— हवलदार —गा जमोलयान जि धल्मोडा
३६६- धानीचन्द	— X —युद्ध में वीर गति मिली
३६७ दरवानसिंह	— X —गा डा वाप कोट जि धल्मोडा
३६८ धानसिंह	— सैनिक —पत्तोमाला दानपुर, डा लुहार सेत धल्मोडा
३६९ दशनसिंह	— लपटीने ट —गा खरा, कपूयला
३७० दयाचन्द	—लैस नायक—गा घनासन, डा बोघिया भीद राज्य
३७१ धरमसिंह	—लस नायक—गा देवली डा मेराखुर जि धागरा
३७२ दरावसिंह	—लस नायक—गा बसरी चोहार, डा कुली, धागरा
३७३ देवकरन	— सैनिक —गा डा डालमिया जि गुरगांव
३७४ दीन मुहम्मद	— सैनिक —इम्फाल के निकट मारे गए
३७५ दरियावसिंह	— लपटीनेट —गा जाखडा डा बहादुरगढ गुरगांव
३७६ देवीदास निकाम	— सैनिक —युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई ।
३७७ धौंडू रहावान कर	— सैनिक —युद्ध में वीर गति मिली ।
३७८ डोहीराम जयदेव	— सैनिक —युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए
३७९ दातू काडिटकर	— सैनिक —युद्ध में मारे गए
३८० दलबारा सिंह	— कप्टेन —३५४५ को देहली जेल में फासी लगी
३८१ दीदारसिंह	— X —प्रास में मृत्यु हुई
३८२ दयालसिंह	— X —युद्ध में मारे गए
३८३ दशनसिंह	— सैनिक —१९४४ में युद्ध में मारे गए
३८४ दिलीपसिंह	— लपटीनेट —गा डा मुडा वाप चक ५४ छावलपुर
३८५ धिरराम	— हवलदार —गा डा दुबालघन जि रोहतक
३८६ दीपसिंह	— एन/सैनिक—गा खारसी, डा बोरीमादा, जोधपुर
३८७ दीवानसिंह	— हवलदार—गा सायगा डा नौरगाबाद, जि बुसलदशहर
३८८ डोगरु किकन	— लस-नायक—युद्ध में मारे गए
३८९ दिगोपाल	— X —युद्ध में मारे गए
३९० देदलाराम	— X —गा गचरियो भरतपुर राज्य
३९१ दीपसिंह	— X —गा तारागढ युद्ध में मारे गए
३९२ धनीराम	— सैनिक —युद्ध में मारे गए
३९३ दुनीचन्द	— X —युद्ध में मारे गए
३९४ देवीराम	— X —युद्ध में मारे गए
३९५ पतेहखां	— हवलदार—गा डा धारुकाना जि भेलम
३९६ फजलखा	— हवलदार—गा धकर पारिया, डा सैपुर, जि रावसिंघी

## बलिदानों की प्रशस्ति

- ३६८ फतेहसिंह — नायक — युद्ध में मारे गए
- ३६८ फतेहसिंह — लफ्तीनेट — युद्ध में मारे गए
- ३६९- फिरोज रस — लैंग नायक — गा हजियाल, डा करियाला भेलम
- ४००- फतह खा — हवलदार — हावा युद्ध में मारे गए
- ४०१ फतहअली — गफरटर — फाम में मारे गए
- ४०२ फतहसिंह — X — गा चिमनी जि रोहतक
- ४०३ फजल करीम — नाई — इम्फाल में मारे गए
- ४०४ फकीरसिंह — सैनिक — युद्ध में मारे गए
- ४०५ फजल मोहम्मद — सैनिक — जोहार धारु अस्पताल में मरे
- ४०६ फतह मुहम्मद — X — गा शेरपुर जि होनियापुर
- ४०७ फतह खा — नायक — गा सरोवर डा जिलोम जि भेलम
- ४०८ फतह अली — नायक — गा डा मूचाल खुद, जि भेलम
- ४०९ फजल दाद — सैनिक — गा हस्ताल डा घोवाबहादुर भेलम
- ४१० फरजद अनी — सैनिक — युद्ध में मारे गए
- ४११ फजलदाद — सैनिक — इटली म जुलाई १९४४ में मरे
- ४१२ फतहसिंह — सैनिक — गा घायपुर डा समनरारा, जि अम्बाला
- ४१३- पठाराम — सैनिक — भरतपुर युद्ध में मारे गए
- ४१४ फौजासिंह — X — युद्ध में मारे गये
- ४१५ फतहसिंह — सैनिक — युद्ध में मारे गए
- ४१६ फतह मुहम्मद — X — रोहतक जियरगन्धा म मरे
- ४१७ शबरसिंह — सैनिक — गा चकैर गाव, डा मिलाग जि गढवाल
- ४१८- गुरुबचनसिंह — लैफ्टीनेट — मुतेव के युद्ध में मारे गए
- ४१९ श्यामीराम — लैंग नायक — गा बियाण, डा बरवाला हिसार
- ४२० गोपालचन्द्र गोपी — X — ३ डी गोपी बोस लेन बाऊ बाजार, कलकत्ता
- ४२१- गुलाब नूर — सैनिक — गा बाजार काले डा हस्तम जि मादान
- ४२२- गुरनामसिंह — सैनिक — गा कोट करोर कला, डा दरौली भाई फिरोजपुर
- ४२३ गुलाम खा — सैनिक — अकजाई डा शोर कोट, जि कोहाट
- ४२४ गुरनामसिंह — सैनिक — गा चकैर खुद डा-कै-गनवाल जि मलेर कोटला
- ४२५- गुरु स्वामी — नायक — गा पशापाधू, डा बिदाम बरम, जि उत्तर भारकट
- ४२६ गणेशावर दीक्षित — हवलदार — गा डा सिक्-दरपुर जि फरुखावाद
- ४२७ गोविन्द स्वामी — सैनिक — गा डा सारमपयाल जि तशोर
- ४२८- गुरदयाल — X — त्रय मित्र शास्त्री को आत्म समर्पण की मांगा मिली तो तो आत्म हत्या करली
- ४२९- गमलसिंह — हवलदार — १९४४ में मृत्यु हुई
- ४३० गजपालसिंह — हवलदार — १९४४ में मृत्यु हुई
- ४३१ श्यामसिंह — नायक — १९४४ में मृत्यु हुई



४३२	अजपालसिंह	— नायक — १९४४ में मृत्यु हुई
४३३-	गोविन्द सिंह	— लैंस-नायक-१९४४ में मृत्यु हुई
४३४-	गबरसिंह	— लैंस नायक-१९४४ में मृत्यु हुई
४३५	गोपालसिंह	— सैनिक — १९४४ में युद्ध करते हुए मारे गए
४३६	गुमानसिंह	— सैनिक — १९४४ में युद्ध करते मारे गए
४३७	गबरसिंह	— सैनिक — बैंगकाक में १९४५ में मृत्यु हुई
४३८	गोपालसिंह	— एस ओ — बरमा में युद्ध करते मारे गए (१९४५)
४३९-	गुरवर्धसिंह	— हवलदार—बरमा में युद्ध में मारे गए (१९४५)
४४०-	गुलामहैदर घाह (तमगए बहादुरी)	— हवलदार—८-३-४४ को युद्ध में मारे गए
४४१-	गोदाराम	— एस ओ — सितम्बर १९ में मेम्पो हास्पिटल में मरे
४४२-	गुलाम मुहम्मद	— लपटीने ट— १९४४ में कलेवा के युद्ध में मारे गए
४४३	गणेश गोपाल	— नायक — १९४४ में मोराम में युद्ध में मारे गए
४४४	गिरराज सिंह	— हवलदार — फरवरी १९४४ में कालादान नदी में डूब गए
४४५	गुलाम मुहम्मद	— नायक — २६ ५ ४४ को तामू में मृत्यु हुई
४४६-	गुलाम पजतन	— सैनिक — मृत्यु हुई
४४७-	गोपाल सिंह	— X — गा सलगढी, डा-धरमशाला, जि कांगडा
४४८	गोविन्दसिंह रावत	— नायक — वीर गति को प्राप्त हुए
४४९-	गोदा बी जी	— कप्टेन — बरमा के युद्ध में अगस्त १९४४ में मारे गए
४५०	गुमानसिंह	— सैनिक — युद्ध में वीर गति मिली
४५१	गोविन्दसिंह	— सैनिक — युद्ध में वीर गति मिली
४५२-	गोपालमल	— लपटीने ट— युद्ध में वीर गति मिली
४५३	गोरे खा	— लपटीने ट— युद्ध में वीर गति मिली
४५४-	गोपालसिंह	— हवलदार — बम वर्षा में तामू में मई १९४४ में मरे
४५५	गोपालसिंह	— सैनिक — गा पाफोन डा डुंग बागेश्वर
४५६-	गजे द्रसिंह	— सैनिक — गा प्रसकोट घामू डा-असकोट, अल्मोडा
४५७	गजे द्रसिंह गुरग	— नायक — लापता
४५८-	घोनाम	— लपटीने ट— गा हल्लनपुर, जि गुरगाव
४५९	गोरधन	— सैनिक — बम वर्षा में मारे गए
४६०	गर्गासिंह	— X — कलेवा के निकट मृत्यु हुई
४६१	गुरुमुखसिंह	— X — जि अमतसर, फास के मोर्चे पर मरे ।
४६२	गुरमानसिंह	— लैंस नायक—४ ६ ४४ को हाका में बम वर्षा में मरे
४६३	गुरवर्धसिंह	— एल एम एम — इटली के युद्ध में मारे गए
४६४-	गुरुमुखसिंह	— गफ्टर — जरमनी युद्ध में मारे गए
४६५	गुलाम ईसाज	— गफ्टर — सितम्बर १९४४ में फ्रांस में मारे गए
४६६-	गुरदयालसिंह	— X — जि फिरोजपुर
४६७	गोपीराम	— नायक — गा बुधपुरा, डा दादरी, बुल-दशहर
४६८	गोविन्दसिंह	— ओ गफ्टर—जरमनी में बम वर्षा में मारे गए
४६९	गोविन्द राजू	— X — युद्ध में मारे गए

४७०	गुरवचनसिंह	— सनिक	— गा-सलो, डा नवा शहर, जलधर
४७१	गजाधरसिंह	— सैनिक	— युद्ध करते मारे गए
४७२	गुरदेव सिंह	— X	— गा डा तपो तेह जगराव, लुधियाना
४७३	गुलजार खा	— सनिक	— सिगापुर में मृत्यु हुई
४७४	गिरधारीलाल	— सनिक	— गा धावना डा दाहमा, गुरगाव
४७५	गनेशीलाल	— सनिक	— गा कोलप्ररी, डा बिरार, रोहतक
४७६	गुलाम रसूल	— सनिक	— ंतिग नदी के पास युद्ध में मारे गए
४७७	गुलामसिंह	— सनिक	— गा पागो, डा रद्रप्रयाग गढवाल
४७८	गोकलराम	— सनिक	— गा नावा, डा-भाही होलराही-नाहन राज्य
४८६	गुरमहेश सिंह	— सनिक	— युद्ध में वीर गति मिली
४८०-	गुरदयाल सिंह	— लै नायक	— गा डा पवाली जि लुधियाना
४८१	गुलबत्तसिंह	— हवलदार	— गा सादूकला डा पदौर पटियाला राज्य
४८२	गुरवह्यसिंह	— सनिक	— गा डा वेगियाल तेह कसूर लाहौर
४८३	गुलाम नबी	— लै-नायक	— घरमाबाद, जि गुरदासपुर
४८४	गुरदयाल सिंह	— X	— तरहान शिविर में मृत्यु हुई
४८५	ज्ञानसिंह	— X	— युद्ध में वीर गति मिली
४८६-	गोपीनाथ	— X	— युद्ध में वीर गति मिली
४८७-	गु दयालसिंह	— ल नायक	— गा सेवावाला डा जतो, नामा राज्य
४८८-	गुरचरनसिंह	— हवलदार	— दिल्ली में फाँसी दी गई
४८९	गुरदाससिंह	— सनिक	— गा डा बलतोहा लाहौर
४९०	गुलाम कादिर	— हवलदार	— गा डा झलाहबाद भावलपुर राज्य
४९१	भद्रिसिंह	— हवलदार	— गा डा सरहाली, जि भमृतसर
४९२	गुरदयालसिंह	— सनिक	— गा भोजी डा चमकुर जि भमृतसर
४९३	गुरदयालसिंह	— लपटीवेत	— युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई
४९४	गोपालाराम	— सनिक	— युद्ध में वीर गति मिली
४९५	गजाकर सिंह	— X	— गा डा महुमा, जि मुराना
४९६	गोविंद राजू	— सनिक	— मदरास युद्ध में मारे गए
४९७	गिल्लीराम (शहीदे भारत)	— सनिक	— गा च दन, डा हि-डोन, जयपुर
४९८	गिराजसिंह	— सनिक	— गा जेलगांव, डा हि-डोन, जयपुर
४९९	गजनसिंह	— हवलदार	— गा बांदा होरी, डा मुगल, हिसार
५००-	गनपतराम	— सनिक	— गा मुलुकाना गल डा नारनोल पटियाला
५०१	गगासहाय	— सनिक	— गा निमदानी वाला, डा मानद भीद राज्य
५०२-	गोपालाराम	— सनिक	— गा म्योलाम हरराजपुर, डा फरीदाबाद गुरगांव
५०३-	गुरसहाय	— सनिक	— डा रेवाडी जि गुरगांव
५०४-	गुर स्वामी	— सनिक	— युद्ध में वीर गति मिली
५०५	गनपत छलगार	— सनिक	— युद्ध करते मारे गए
५०६	गुरदयालसिंह	— सैनिक	— युद्ध करते हुए मरे
५०७-	गुलजीराम	— सनिक	— गा खोरा, डा खोरास प्रबखर राज्य

- ५०८- गोपाल — लै नायक—गा बु ढाया, डा भऊर, जि रोहतक
- ५०९ गगाराम — X — जि गढवाल
- ५१०- गोपालसिंह — X — कागडा
- ५११- हरीदास — ली कनल—जरगार बाजार, बोढाट
- ५१२ हरीसिंह — कप्टेन — गां डा गखा जि लुधियाना
- ५१३ होशियारसिंह — एस भो — गां डा खादा जि रोहतक
- ५१४ हरद्वारी — सनिक — गां सेलाग, डा-कानीवा, नामा राज्य
- ५१५ हरीसिंह — ल-नायक—गा शाहपुर, डा मेहरोल, जि देहली
- ५१६ हजारासिंह — हवलदार—गा कान गिलपाना, जि हाशियारपुर  
२५ १० ४४ को लाल किले मे फासी
- ५१७ हकूमत राय — लपटीने ट—मु सेठिया सेलाग, जि केम्बलपुर
- ५१८ हरनारायण — सनिक — गां डा मदीना, जि रोहतक
- ५१९ हातम घली — X — गां डा धरेकन बला, जि गुजरात
- ५२० हरीसिंह — सनिक — गा-पपराला, डा रुपर जि भम्बाला
- ५२१- हरकाराम — नायक — गा डा बमला जि हिसार
- ५२२ हाकमसिंह — एस भो — गां खायला, डा मौसी, पटियाला राज्य
- ५२३ हगिसिंह रावत — एस भो — गा थाला दिमार डा सिमली, जि गढवाल
- ५२४ हजारासिंह — केडट भाफि — गां भवकानवाली, डा बाहर, पटियाला
- ५२५- हरदोवसिंह — रोहतक — मृत्यु हुई
- ५२६ हेमराज — X — घातम समपण की भाजा मिलने पर  
मिगला डाऊन मे घातम हत्या करली।
- ५२७ हिम्मतसिंह — एस भो — दिशम्बर ४३ में नीसून में डूब गए
- ५२८- हरिसिंह — लै नायक — मृत्यु १९४४ मे
- ५२९- हरवसिंह — सैनिक — १९४४ मे मृत्यु हुई
- ५३० हसासिंह — एस भो — मृत्यु
- ५३१ हरवससिंह — नायक — मृत्यु
- ५३२ हरच दसिंह — हवलदार — बीहिमा म युद्ध करते मरे
- ५३३ हिम्मतसिंह — एस भो — फरवरी १९४५ मे बम बर्पा से मरे
- ५३४ हिम्मतसिंह — एस भो — मस्जिदाल में बलने से मृत्यु
- ५३५ हाकिम अर ए — लपटीने ट—रगून मे माच ४५ में मृत्यु
- ५३६ हरिसिंह — सनिक — गां डा दसचौर, जि फीरोजपुर
- ५३७ हमीरसिंह — सैनिक — युद्ध में मरे
- ५३८- हीरालाल — सनिक — सिगापुर म मृत्यु हुई
- ५३९ हाकिमसिंह — सानक — जुलाई १९४४ म कलेवा म मरे
- ५४० हीरानिंह — सनिक — जुलाई १९४४ मे तागू म बम बर्पा मे मरे
- ५४१ हरदत्त — सनिक — अगस्त १९४४ मे मृत्यु हुई
- ५४२ हसराम — सनिक — कसेवा के पास युद्ध म मारे गए
- ५४३- हरकूनसिंह — नायक — डा कालानेर जि राहतक
- ५४४ हाकमसिंह — सनिक — ३१ द ४४ को हाका के युद्ध मे मरे

५४५- हज्जरासिंह	— सैनिक — बलेवा में अगस्त १९४४ में मृत्यु हुई
५४६- हज्जरासिंह	— लै नायक — गा जगनिवाला, डा तिदोला, जि होशियारपुर
५४७- हसासिंह	— × — तामू में अगस्त १९४४ में मृत्यु हुई
५४८- हफीजउल्ला	— लैपटीन ट — गा गुलमा पडा, डा हरीपुर हजरा
५४९- हरीसिंह	— × — जरमनी में विम्बर १९४२ में आत्म हत्या कर ली
५५०- हरीचंद	— हवलदार — गा डा चुकली जि होशियारपुर
५५१- हरग्यान	— × — गा राजपुर कराली
५५२- हरमोहन सिंह	— हवलदार — परतापगढ कालादोत मोर्चे पर मारे गए
५५३- हरवससिंह	— श्री य प टी धार — फास में मारे गए
५५४- हसराम	— सैनिक — अलवर उलेवा में युद्ध में मारे गए
५५५- हरिदत्त	— सैनिक — अलवर मेम्पो अस्पताल में मृत्यु हुई
५५६- हरीसिंह	— सैनिक — गा मिसरी डा डालमिया दादरी, भीद राज्य
५५७- हरवससिंह	— सैनिक — गा छापाई, डा इपुयला, जलधर
५५८- हज्जरासिंह	— लै नायक — लापता
५५९- हदायतउल्ला	— लै नायक — युद्ध में मारे गए
५६०- हरीसिंह	— लपटीनेट — जेल में मृत्यु हुई
५६१- हुसनगली	— लै-नायक — गा डा चाहा सैदानशाह, जि भेलम
५६२- हरजीतसिंह	— सैनिक — इम्फाल के मोर्चे पर मारे गए
५६३- हाकमसिंह	— एस श्री — इम्फाल के मोर्चे पर मारे गए
५६४- हिरो राम	— सैनिक — युद्ध में वीर गति मिली
५६५- हारोहरन सिंह	— हवलदार — युद्ध में वीर गति मिली
५६६- हगीसिंह	— सैनिक — गा-गाधोन, डा सरवाघाट जि कागडा
५६७- हजारीलाल	— × — गा दुलाधिक, डा चणोके, जि सियाकोट
५६८- हरलाल	— सैनिक — नामा राज्य
५६९- हरनामसिंह	— सैनिक — गा मनहजीतपुरा, जि मिड
५७०- हसराम	— ल नायक — गा ३ जारपुर जि बुलदशहर
५७१- हरीराम	— लै नायक — गा बदपुरा, डा दादरी बुनदशहर
५७२- हरमोहन	— सैनिक — युद्ध में वीर गति मिली
५७३- हनुमान	— ल नायक — गा-डा पलहारी, जयपुर
५७४- हरदेव	— सैनिक — युद्ध में वीर गति मिली
५७५- हरीसिंह	— सैनिक — युद्ध में वीर गति मिली
५७६- हीराम	— ल नायक — गा डा तिगाव जि गुरगाव
५७७- हसराम	— सैनिक — गा खानपुर खारला डा बाहू जि राहतक
५७८- हीरालाल	— सैनिक — जि गुरगाव युद्ध में मारे गए
५७९- हरवससिंह	— × — गा बाथोरपुर डा मानोली, जि अम्बाला
५८०- हनायत उल्ला (वीरे सिंह)	— लैपटीनेट — ठालोजाई, डा पडवी जि पेशावर
५८१- ईशवादास भाटिया—	× — गा डा काला बाग, जि मियावाली

५८२ इंदरसिंह	— सनिक — गा उदोहाल, डा मेहातपुर, जि जालधर
५८३ इंदरसिंह	— नायक — १९४४ में मृत्यु हुई
५८४ इंदरसिंह	— सनिक — १९४४ में मृत्यु हुई
५८५ इंदरसिंह	— लैस नायक — १९४४ में मृत्यु हुई
५८६ इंदरसिंह	— लपटीनेट — मृत्यु हुई
५८७ इंदरसिंह	— से-लपटीनेट-सितम्बर १९४४ में मेरथो हास्पिटल में मृत्यु
५८८ इस्मतउल्ला	— घो/जी शफ टी बार — फ्रांस में मारे गए
५८९ इंदरसिंह	— × — कलेया में मृत्यु हुई
५९० इलामचंद	— × — गा डा- सारसपुर, जि मरठ
५९१ इन्द्रराज	— लेफ्टिनेट — गा नीमरियाती, डा छप्पर, भीद
५९२ इब्राहीम	— सनिक — इम्फाल के युद्ध में मारे गए
५९३ इमामुद्दीन	— सनिक — इम्फाल के युद्ध में मारे गए
५९४ इब्राहीम	— सनिक — इम्फाल के युद्ध में मारे गए
५९५ इस्माइल	— × — मृत्यु हुई
५९६ इमानदीन	— × — ग ब्रूलगड डा जि भीरपुर
५९७ ईश्वरसिंह	— सनिक — गा खरीरा डा-खरताल प्रखर
५९८ इरशाद	— ल-नायक — गा निगाना जि रोहतक
५९९ इंदरसिंह	— × — गा भूवियान, ब्रह्मनादियान, डा रामगढ़ जम्मू
६०० जगतसिंह	— हवलदार — धराकान में १९४४ में युद्ध में मारे गए
६०१ जय लाल	— सनिक — गा डा मदीना जि रोहतक
६०२ जयमलसिंह	— सनिक — गा पडवान, डा डालमिया दादरी, भीद
६०३ जरनेलसिंह	— नायक — गा डा बडो देहली जि होशियारपुर
६०४ जीवनसिंह	— मेजर — गा डा मायो पथ जि जलधर
६०५ जगतसिंह	— हवलदार — गा कुदनपुर डा भ्रादमपुर जि जलधर
६०६ जोबर्दसिंह	— मेजर — गा-डा उर्गेन गल जि भ्रमृतसर
६०७ जागीरसिंह	— × — गा-भलियान सिम्बले, डा एपर भगवाला
६०८ जगराम	— नायक — गा देवावाष डा भूनपा, जि हिसार
६०९ जगराम	— लीपटीनेट — गा तुखलगाबाद डा मेहरोली, देहली
६१० जरनेलसिंह	— सनिक — गा बुज राका, डा सरहली जि भ्रमृतसर
६११ जहानदाद	— नायक — गा शकर पासिया, डा सदान, रावलपिण्डी
६१२ कमटमल सुखरामदास हसरामजी	— × — मुख्य बाजार सराफ चौर, हैदराबाद-सिंध
६१३ जागीरसिंह	— एम पुलिस — गा डा भाबाल, जि अमृतसर
६१४ जोसे द्रसिंह	— सनिक — गा जोहाल, डा जादूसिंह जि जलधर
६१५ जुगतीराम	— हवलदार — गा दरामान, डा उकलाना हिसार
६१६ जागीरसिंह	— × — गा मनीपुर, डा सामोगढ़, जि गोरखपुर
६१७ जगतसिंह	— नायक — गा डा-भीरपुर जि गुरगांव
६१८ जीतसिंह	— × — गा भलेना, डा रामजान, जि करनाल

६१६- जगतसिंह	— सैनिक	— गा सरितापुर, डा मानक घेरी, होशियारपुर
६२०- जसवन्तसिंह	— सैनिक	— मृत्यु हुई
६२१ जगतसिंह	— हवलदार	— १९४४ में युद्ध में वीर गति मिली
६२२ जोगसिंह	— लस नायक	— १९४४ में युद्ध में वीर गति मिली
६२३- जितारसिंह	— लस नायक	— १९४४ में मृत्यु हुई
६२४- जवाहरसिंह	— सैनिक	— १९४४ में मृत्यु हुई
६२५ भनकारसिंह	— सैनिक	— १९४४ में मृत्यु हुई
६२६ जगतराम	— सैनिक	— युद्ध में मारे गए
६२७ लोगेन्द्रसिंह	— हवलदार	— तारो में १९४४ में मृत्यु हुई
६२८ जयसिंह	— X	— जलम से मृत्यु हुई
६२९- जयकरन सिंह	— हवलदार	— बरमा युद्ध में मारे गए
६३० भूटाराम	— सैनिक	— इम्फाल के मोर्चे पर जून १९४४ में घाबो से मारे
६३१ जलालसिंह	— सैनिक	— गा डा हस्तल जि भेलम
६३२ जगदेवसिंह सूरी	— लफ्टीनेट	— गा डा दौलटौला, जि रावलपिंडी
६३३ जगासिंह	— लस नायक	— मियाग अस्पताल में मृत्यु हुई
६३४ भूडासिंह	— नायक	— बरमा में युद्ध में मारे गए
६३५ जयचन्द	— सैनिक	— कलेवा के समीप युद्ध में मारे गए
६३६ जीवनसिंह	— लस नायक	— कलेवा के समीप युद्ध में मारे गए
६३७ जागीरसिंह	— सैनिक	— ऐजीन के निकट युद्ध में मारे गए
६३८ बीतसिंह	— सैनिक	— तामू में अगस्त १९४४ में मृत्यु हुई
६३९ जगव दन	— सैनिक	— १९४४ में युद्ध में बरमा में मारे गए
६४०- जगतसिंह	— X	— फास में मृत्यु हुई
६४१- जमनादास	— X	— जरमनी में हवाई आक्रमण में मृत्यु
६४२ बीतराम	— सैनिक	— डा बिवास, जयपुर राज्य
६४३ जगमेलसिंह	— सैनिक	— गा लोचना, डा छपरोली, जि मेरठ
६४४ जगनाराम	— सैनिक	— बागड़ा युद्ध में मारे गए
६४५ जोगाचंद	— सैनिक	— गा कुमाला डा वटा, जि-भलमोटा
६४६ जोगिन्द्रसिंह	— नायक	— गा डा सिधवान जि जालघर
६४७ जगतसिंह	— सैनिक	— गा टिन्वा डा-तलव-डो जि जालघर
६४८ जाटराम	— सैनिक	— गा छोपाई, डा वपूयला, जि जालघर
६४९- जाटराम	— हवलदार	— गा ऊधाम, डा-मुरसान, जि झलीगढ
६५० जगमल	— लस नायक	— गा खरखरो, डा फरखनगर, जि गुरगाव
६५१ भूपार	— सैनिक	— गा खोमानेशार डा ब्रादशाहपुर, गुरगाव
६५२ जगराम	— सैनिक	— गा डा-मोटा जि गुरगाव
६५३- जल्लूराम	— सैनिक	— युद्ध में मारे गए
६५४ जयनारायन	— सैनिक	— गा पायघा, डा-डा मोहिन्द्रगढ-पटियाला
६५५ जमास उद्दीन	— नायक	— गा भेनवान, डा जि कपूयला
६५६ सपसिंह मोरे	— लस-नायक	— इम्फाल के युद्ध में मारे गए

७३२ बल्लू (गुरखा)	— सैनिक	— नवम्बर में हूब गए
७३३ कुम्बराज (गुरखा)	— नायक	— मृत्यु हो गई
७३४ केशरसिंह	— सैनिक	— रगून में बकटोवर १९४४ में घृत्यु हुई
७३५- केशरदास	— नायक	— अगस्त १९४४ में मृत्यु हुई
७३६ कविराज बी बे	— नायक	— अगस्त १९४४ में मृत्यु हुई
७३७ खान बेग	— ही नायक	— अराकान पहाडियों में युद्ध में मारे गए
७३८- खुशहालसिंह	— कॅप्टेन	— गाँ जुसियान वाला, डा मनावा, जि मोरपुर
७३९- कुल बहादुर	— सैनिक	— खान राज्य-बरमा में मृत्यु हुई
७४० केदारसिंह	— सैनिक	— मार्च १९४५ में हवाई आक्रमण में पोषा में मारे
७४१- कुनो मनी	— नायक	— ई यू में ४४४४ को बमबर्षा में मारे
७४२ केशरसिंह	— नायक	— चम्बोल में जून ४४ में मृत्यु हुई
७४३ कृपासिंह	— ही हवलदार	— हवाई आक्रमण में दिसम्बर ४३ में मारे गए
७४४ कालीराम	— ल नायक	— कलेवा के समीप मृत्यु हुई
७४५ कालासिंह	— सैनिक	— कलेवा के समीप मृत्यु हुई
७४६ खान बाज	— सैनिक	— जुलाई १९४४ में फ्रांस में मारे गए
७४७ करनसिंह	— हवलदार	— गाँ डा विलासपुर, जि बुलदशहर
७४८ करमसिंह	— सैनिक	— मार्च १९४५ में यजीन में हवाई आक्रमण में मारे गए
७४९ केहरसिंह	— सैनिक	— तामू में अगस्त १९४४ में मृत्यु हुई
७५०- केशरसिंह	— सैनिक	— कलेवा के निकट युद्ध में (जुलाई ४४) मारे गए
७५१ बलबारास	— सैनिक	— गा बटेघरा डा-बि भरतपुर
७५२- खान मुहम्मद	— हवलदार	— २९४५ (फरवरी) बम बर्षा में मारे
७५३- कालूराम	— यू आफिसर	— फ्रांस में मारे गए
७५४ खोदेंर	— X	— वदाविल हाऊस, डा प्रच्छीगोर, नावकुर भारत सरकार ने फाँसी दी।
७५५- बल्लूराम	— X	— फ्रांस में युद्ध में वीर गति मिली
७५६- करतारसिंह	— X	— फ्रांस में गोली से अगस्त ४४ में मार दिया गया
७५७ बरतारसिंह	— X	— फ्रांस में गोली से नवम्बर ४४ में मार दिया गया
७५८ कोटियाह	— X	— हालैण्ड में बस बिस्फोट से जुलाई ४३ में मारे
७५९- कुमारन कुट्टी	— X	— जर्मनी में मृत्यु हुई
७६०- कामेकरसिंह	— X	— अक्टोबर ४४ में सिंगापुर में मृत्यु हुई
७६१ कल्लूलामा	— एस ओ	— ३१ १२ ४३ को बिडविन नदी के युद्ध में मारे गए
७६२ करमसिंह 'ई'	— सैनिक	— गा मसचाक डा कोटा खटाई जि शेखूपुरा
७६३ बानोसिंह	— X	— गा किला जफरगढ़ डा जोलाना, भीद राज्य
७६४ करतारसिंह	— सैनिक	— गा डा विलासपुर जि लुबियाना
७६५ करमसिंह 'ई'	— सैनिक	— गा डा लटलियान, जि जलघर
७६६- केशरदास	— हवलदार	— मृत्यु हुई

७६७- खान बास	— भो/जीयफटी—जि कम्पबलपुर—फ्रांस म मारे गए
७६८ कुवरसिंह	— सैनिक —गा डा गनाई गगोली, जि अल्मोडा
७६९ केदारसिंह	— सैनिक —गरीगाव डा पिघोरागढ, जि अल्मोडा
७७० काशीराम	— सैनिक —युद्ध में वीर गति मिली
७७१- घुदनलाल	— सैनिक —गा कोहारार, डा नाहर जि रोहतक
७७२- वृष्णराम	— हवलदार —सिताग नदी पर युद्ध मे मारे गए
७७३- कानीराम	— सैनिक —इम्फाल के समीप युद्ध में मारे गए
७७४ खियालीराम	— एस भो —गा तीख, डा बादशाहपुर
७७५ क हैया	— ल नायक —गा-डा दिघाल जि रोहतक
७७६ क हाईराम	— ल नायक —गा चोके, डा-जादुसाना, जि गुरगाव
७७७- कुराराम	— नायक —युद्ध मे मारे गए
७७८ खान मुहम्मद	— हवलदार —गा डा बहाली, जि हिसार
७७९- सेमसिंह	— हवलदार — युद्ध मे मारे गए
७८० खुशोराम	— हेड बलक —युद्ध मे मारे गए
७८१ कु-दनलाल	— लपटीनेट—इम्फाल के पास युद्ध में मारे गए
७८२- करनेलसिंह	— X —गा धापी, डा-नुगालाला जि लुधियाना
७८३- खखाम सा	— सैनिक —गा बसाइन, डा नूरपुर जि भैलम
७८४- करमसिंह	— यन सैनिक—इम्फाल के समीप मृत्यु हुई
७८५- करतारसिंह	— X —गा बिलासपुर जि पटियाला
७८६ करनेलसिंह	— सैनिक —युद्ध से मारे गए
७८७- करतारसिंह	— सैनिक —शेखपुर-अग्नेजो ने सियाल कोट जेल मे फाँसी दी
७८८- कपूरसिंह	— सैनिक —गा गिदपुर, डा-अगोकी जि सियालकोट
७८९ कशमीरसिंह	— लै-नायक —गा डा राइविद, जि लाहौर
७९० कापूसिंह	— लैपटीनेट —जि लुधियाना ।
७९१- कालासिंह	— लै नायक —गा डा टाडा, जि गजरात
७९२- वीरसिंह	— सैनिक —ग माकारने काला स्पोर, अम्बाला
७९३- किशोरीलाल	— हवलदार —गा कुभेरी, डा खरार, जि अम्बाला
७९४- कानशीराम	— एस भो —गा धाना, डा हमीरपुर जि कागडा
७९५- कालेराम	— नायक —गा खोरि दो, डा मालागढ जि बुलन्दशहर
७९६- करनीसिंह	— X —गा बडा गाव, खोरला, जि जयपुर
७९७ वृष्ण वदम	— लै नायक —युद्ध मे वीर गति प्राप्त की
७९८- कानीनाय कदोरा-	सैनिक —युद्ध मे मारे गए
७९९ कबी तालप	— X —रण क्षेत्र मे मारे गए
८०० कनाइया	— लै नायक —युद्ध करते घरे
८०१- खाजीन शाह	— सैनिक —रण क्षेत्र मे मारे गए
८०२ करतारसिंह	— सैनिक —गा डा घाबनसिंह षक १३ जि शेखपुरा
८०३ करतारसिंह	— लै-नायक —गा-बामपुर, डा-वेरघुद जि लुधियाना
८०४ सेमसिंह	— X —डा भासी जि अ-मोडा
८०५- खजानराम	— नायक —गा मोटाखा, डा-वेगाव, जि गुरगाव



- ८८१- माधोसिंह — एस ओ — गा - कोयरा, डा चोरता जि गडवाल  
 ८८२ मदनसिंह — लै नायक—गा बनहोली, डा बाणेश्वर जि अल्मोड़ा  
 ८८३ मुहम्मद शफी —हवलदार—गा महुवाल डा नकोर, जि जखर  
 ८८४ मोहिन्दरसिंह —कप्टेन —गा धूत खुद, डा पिडोसी बावादास होशियारपुर  
 ८८५ मातबरसिंह —नायक —युद्ध मारे गए  
 ८८६ महीपाल सिंह —१ल नायक—युद्ध मे मारे गए  
 ८८७ महीपालसिंह —२ल नायक—युद्ध मे मारे गए  
 ८८८ मोहिन्द्र सिंह — सैनिक — मृत्यु हुई  
 ८८९ मानसिंह — सैनिक — मृत्यु हुई  
 ८९०- महीपाल सिंह — लै नायक— मृत्यु हुई  
 ८९१ मानसिंह — लै नायक— मृत्यु हुई  
 ८९२ मदन सिंह — सैनिक — मृत्यु हुई  
 ८९३ माधो सिंह — सैनिक — मृत्यु हुई  
 ८९४ मानबहादुरघापा—एस ओ — गा तोरानी डा घरमशाला, जि कागडा  
 ८९५ मानीलाल गुरग—एस ओ — युद्ध मे मारे गए  
 ८९६- मोहनसिंह घापा—एस ओ — युद्ध में मारे गए  
 ८९७ महताब सिंह —लैपिटनट— ई यू में मारे गए  
 ८९८- मोहर सिंह —हवलदार— मृत्यु हुई  
 ८९९ मिथा घर के —हवलदार — बरमा में युद्ध मे मारे गए  
 ९०० महताबसिंह गुमेन—लैपिटनट—कै दात में मृत्यु हुई  
 ९०१- मुहम्मद अफ़्जल—हवलदार—रगून के अस्पताल मे मृत्यु हुई  
 ९०२ मोहन सिंह —लपिटनट —गा घपाई, डा कपुथला जलघर  
 ९०३ मोहिन्दर सिंह—से-लपिटनट—मृत्यु हुई  
 ९०४- मुहम्मद यूसफ़ भाटी—एस ओ—बरमा में युद्ध में मारे गए  
 ९०५ मोहरसिंह जाट—से लपिटनट—मायम्पो हास्पिटल मे मृत्यु हुई  
 ९०६ मुहम्मद खा — सैनिक —बरमा में युद्ध मे मारे गए  
 ९०७ मान सिंह — हवलदार —मृत्यु हुई  
 ९०८ मानबहादुर दवाई—सैनिक —बैंगकाज में जुलाई १९४५ में मृत्यु हुई  
 ९०९ मोलार सिंह — नायक —गा डा कानवाली जि गुरगाव  
 ९१०- मूसा खा — X —१९४३ मे युद्ध में मारे गए  
 ९११ मोहनसिंह गुरखा—हवलदार —बरमा युद्ध में अप्रैल १९४४ मारे गए  
 ९१२ मन्नू पटान — सैनिक —युद्ध में मारे गए  
 ९१३ मुहम्मद गुनाम — सैनिक —१९४४ में मारे गए  
 ९१४ मुहम्मद मनवर — लैपिटनट—डा नूरपुर, जि फ़ेनम  
 ९१५ मुहम्मद गफ़ी —ल प-नट —धराकन मे युद्ध में मारे गए(१९४५)  
 ९१६ मुहम्मद हुसेन —ल नायक —धराकन मे युद्ध में मारे गए  
 ९१७ मागेराम — नायक —गा डा दिवाल, जि रोहतक  
 ९१८ मगलसिंह — लै-नायक —युद्ध मे मारे गए  
 ९१९- मगल सिंह — सैनिक —युद्ध मे मारे गए

- ६२० माधु सिंह — सैनिक — युद्ध में मारे गए  
 ६२१- मोहन सिंह — हवलदार — गा डा याकोट जि अल्मोडा  
 ६२२- मोहिन्दर सिंह — सैनिक — गां वडाला-बूपपला जि जलघर  
 ६२३ मोहिन्दर सिंह — सैनिक — गा पानगाव डा डी घाल जि- अल्मोडा  
 ६२४- सदन सिंह — लैं नायक — अल्मोडा-पेगू म बम वर्षा में मरे (४५)  
 ६२५- मुहम्मद शफी — सैनिक — अराकाण म जलप्रपात से गिर कर मृत्यु हुई  
 ६२६ माल खा — सैनिक — कलेवा के निकट युद्ध में मारे गए (जुलाई ४४)  
 ६२७- मानीराम — सैनिक — कलेवा के युद्ध में मारे गए  
 ६२८ मनखान सिंह — सैनिक — कलेवा के निकट युद्ध में मारे गए  
 ६२९ मागीराम — हवलदार — गा डा दिघाला जि रोहनक  
 ६३० मगध सिंह — लैंस नायक — गा-बटेसरा, डा कमीन जि रोहतक  
 ६३१ मोहन सिंह — हवलदार — गा डा महन्त, घरमशाला जि नागडा  
 ६३२ मान सिंह — सैनिक — यजीन के युद्ध में मारे गए (३४ ४५)  
 ६३३- मयल सिंह — X — बर्मा में हवाई आक्रमण में मई १९४५ में मारे गए  
 ६३४ मानचन्द — हवलदार — अस्पताल में मृत्यु हुई  
 ६३५ मुहम्मद फजल — हवलदार — बरमा में युद्ध में मारा गया  
 ६३६ माजीराम — सैनिक — रून अस्पताल में बमवर्षा में मारे गए (मार्च ४५)  
 ६३७ मोहम्मद असलम — एस घो — फास में युद्ध में मारे गए २४ १२ ४४  
 ६३८ मुहम्मद युसुफ — लैंस नायक — फास में युद्ध में मारे गए  
 ६३९ मगर भती खा — यू आफिसर — फास में युद्ध में मारे गए  
 ६४०- मेलाराम — गफ्रेटर — फास में युद्ध में सितम्बर ४४ में मारे गए ।  
 ६४१- मोहर सिंह — सैनिक — गा-लाके, जि फीरोजपुर  
 ६४२- मौजीराम — सैनिक — गा खडक, मीद राज्य ।  
 ६४३ भक्तखान सिंह — सैनिक — मारे गए ।  
 ६४४ मुहम्मद जमान — यू आफिसर — जर्मनी में बम वर्षा में मारे गए  
 ६४५- मनसाध-दर — सैनिक — गा-बहर, डा रावलकोट पूछ ।  
 ६४६- मालिकराम सावने — लैंपटीनेट — १९४४ में युद्ध में मारे गए  
 ६४७ महबूब अली — नायक — १९४४ में युद्ध में मारे गए  
 ६४८ मदन बल्लव — सैनिक — अल्मोडा १९४४ में मारे गए  
 ६४९ मोहन सिंह — हवनार — गा सिमरोली डा चौकूट देघाट अल्मोडा  
 ६५०- मानवहादुर चौध — लैंस नायक — गा दनरोर, डा-धुलाघाट- अल्मोडा  
 ६५१ मान सिंह — सैनिक — गा रनिया तल्ला वाला अल्मोडा  
 ६५२- मान सिंह — सैनिक — गा-बगाली गांव डा गगाली हाट अल्मोडा  
 ६५३- मंगल सिंह — सैनिक — गा-नागल, डा मोहिन्दरगढ पटियाला  
 ६५४ मल्लूक सिंह — X — डा-सम्पुर बुलढाहर  
 ६५५- मेवासिंह — एस घो — गा-डा-रामपुरी जि जालघर  
 ६५६- मस्सा सिंह — लैंस-नायक — गा देवारपुर, डा बूपपला जालघर  
 ६५७ मुजारी सिंह — नायक — गा-वनहना, डा तलवडी जालघर  
 ६५८- मुहम्मद इषाही — लैंस नायक — सिताग नदी के युद्ध में मारे गए

१५६-	मोहनसिंह	— ×	—गा पलासुर घाट २८७ डा जानीवाली-आस-घर
१६०	मेहरबान खा	—लस नायक	—गां डा राम्बा, जि करनाल
१६१	मक्खन	— सैनिक	—गा-जाते, डा सेगरा, वरनाल
१६२	मगलसिंह	— नायक	—गां डा घमिया जि गुरगाव
१६३-	मुमताज धली	— सैनिक	—गा डा बाबली जि हिसार
१६४-	मगहरसिंह	— मजर	— वपूथला लाल किले म आरम दृष्या का
१६५	मुबारक धली	— नायक	—इम्फाल म मृत्यु हुई
१६६	मु शी	— नायक	—इम्फाल मे मृत्यु हुई
१६७	मगतराम	— एस प्रो	—कागडा मागडा माडले बस्यतात् में मृत्यु
१६८	यच डी मिया	— ×	— २६ ७ ४४ को युद्ध मारे गए
१६९	मु शीराम	—लस नायक	—गा निमका डा तिगांव गुरगाव
१७०-	मुहम्मद घोफी	— सैनिक	—गा डा पट्टी साहौर
१७१	मुल्हारसिंह	— सैनिक	—युद्ध म वीर गति प्राप्त हुई
१७२	मल्लसिंह	— सैनिक	—युद्ध म वीर गति मिली
१७३	मायासिंह	— एस प्रो	—वपूथला
१७४	मजनून हुसेन	— सैनिक	—गा डा अशरजाई जि कोहाट
१७५	मुहम्मद खा	—लस नायक	—गा सेठी डा नुरपुर भेनम
१७६	मुहम्मद यानील	— सैनिक	—गा डा गोलरीसारी जि रावलपिंडी
१७७-	मुहम्मद अकबर	— सैनिक	—गा डा बसारत, जि भेलम
१७८	महबूब बरक	— ल नायक	—गा खाई डा-भाऊन, जि भेलम
१७९	मोहनसिंह	— सैनिक	—इम्फाल के सभीप मृत्यु हुई
१८०	मु शीराम	— नायक	—गा-चम्बोली, डा भारेरी, जि कागडा
१८१	मेलाराम	— सैनिक	—गां डा चनारी चम्बा राज्य (फ्रांस)
१८२	मिरायत	— नायक	—फ्रांस म युद्ध करते मारे गए
१८३	मुहम्मद अयूब	— लपटीने ट	—गा नेहर डा रावल कोट, पूछ
१८४	मेहरसिंह	— हवलदार	—गां मेघमानसिंह बाला लुधियाना
१८५	मुहम्मद याकूब	— सैनिक	—गा कसीर डा मनसेहरा जि हजारा
१८६	मुहम्मदीन	— सैनिक	—गां काकाकालान, डा बुद्धा सिवालकोट
१८७	महगासिंह	— सैनिक	—गा डा सरावन जि जालघर
१८८-	मुहम्मद शफी	— सैनिक	—गा हुरापवाला नई आबादे, कपूथला
१८९	मदनलाल	— नायक	—गा तेही, डा टालागज, कपबलपुर
१९०-	मुशीराम	— डाक्टर	—गां दुलेहिके, डा उगोक सिवालकोट
१९१	मक्खनसिंह	— सैनिक	—गा डा प्रावरा जि गुरगाव
१९२	मानेराव	— सैनिक	—गा-चलाहिना डा बेहर, रोहतक
१९३	माधूसिंह	— हवलदार	—गुरगांव युद्ध म मारे गए
१९४-	माधूराम	— एस प्रो	—रोहतक-युद्ध में मारे गए
१९५	मामराज	— नायक	—मुजिरी डा तेगाव, रोहतक
१९६	मोहनराम	— सैनिक	—गोधिया, डा लोने, मेरठ
१९७	मोहनसिंह	— सैनिक	—गा मोरोली, डा हिण्डीन, जयपुर

बलिदानों की प्रगति

६६८- माधो	— सैनिक	— गा मोरोली डा हिण्डोन, जयपुर
६६९- मांगूराम	— सैनिक	— गा मोरोली, डा हिण्डोन जयपुर
१०००- मोहरसिंह	— लस-नायक	— गा मोरोली डा हिण्डोन, जयपुर
१००१ मलखानसिंह	— नायक	— गा नगला हुकुमसिंह डा रामपुरा, बुल-दशहर
१००२- मेवसिंह	— सैनिक	— गा जूनिपोपुर, डा दानकीर, बुल-दशहर
१००३ मेनन	— कष्टन	— युद्ध म मारे गए
१००४- मोहरसिंह	— हवलदार	— गा जसवा, सभावास, रोहतक
१००५ मेहरसिंह	— सनक	— गा वराना, डा-खाखोला रोहतक
१००६- मीरसिंह	— सैनिक	— गा डा साम्पला, रोहतक
१००७- मछली गाडवे	— नायक	— गा-गोना मण्डी, सतारा
१००८ मेहरवद	— सैनिक	— गा छेपेरा डा शदरो, युन-दशहर
१००९- मुद्रू राम	— सैनिक	— गा कटवर डा कुमार, रोहतक
१०१० मोहरसिंह	— सैनिक	— गा मोरानी डा हिण्डोन, जयपुर राज्य
१०११- मोरसिंह	— सैनिक	— गा डा किरावली, धागरा
१०१२ मेरसिंह	— सैनिक	— गा डा-वगाना, सदयपुर
१०१३- माधोमोरे	— सैनिक	— युद्ध क्षेत्र में मर गए
१०१४ मरुथी जादू	— सैनिक	— युद्ध भूमि म मारे गए
१०१५- माधो साबत	— सैनिक	— रण क्षेत्र में वीर गति प्राप्त की
१०१६ मुहम्मद सरवर	— सैनिक	— युद्ध म मारे गए
१०१७- मुहम्मद शफी	— सैनिक	— युद्ध म मारे गए
१०१८- मीर गुल	— नायक	— युद्ध म मारे गए
१०१९- मसू बूमल	— सैनिक	— लापता विश्वास किया जाता है कि मारे गए
१०२०- माधु सीलके	— सैनिक	— लापता विश्वास किया जाता है कि मारे गए
१०२१ मोहरवद	— सैनिक	— गा छापरागढ डा दानकर, बुल-दशहर
१०२२- मानेराम	— सैनिक	— गा-कटेसरा, बनारियर, रोहतक
१०२३ मदान कुही	— सैनिक	— युद्ध म मारे गए
१०२४- मुलाराम	— लस नायक	— युद्ध म मारे गए
१०२५ मामनराम	— सैनिक	— गा-डा माधवपुर गुरगांव
१०२६ मगलाराम	— सैनिक	— गा निरीवाय देहरिया, गुरगांव
१०२७ मेहतासिंह	— सैनिक	— कागडा, युद्ध म मारे गए
१०२८ माखनसिंह	— X	— कागडा, युद्ध म मारे गए
१०२९ माखनसिंह	— X	— चात कागडा, युद्ध म मारे गए
१०३०- नसीबसिंह	— लपटीनेट	— गा चक १ ६२ डा चक १ ६१ लायलपुर
१०३१ नेकीराम	— लपटीनेट	— गा किरोहली, डा खरखण्डा, रोहतक
१०३२ निरजनसिंह	— सैनिक	— गा डा माखन वीठी रोहतक
१०३३ नाथरू ए पी	— एस घो	— गा डा डोटन रोड बोलारम सिक्-दशबाद
१०३४ नगेरसिंह	— हवलदार	— गा रामगढ डा सिद्धवाल, सुधियाना
१०३५ नसीबसिंह	— लस-नायक	— गा भट्टा डा बारापिंड जाल घर
१०३६ नारसिंह	— X	— गा खारियान बुकरान, डा-बारापिंड, भावलपुर

- १०३७ नन्दो के — लंस नायक—गा डा कुनोरिला हाऊस कल्लान कोरम, बरकाला
- १०३८ नागनायन — लपटीने ट—१६७/४२ यू स्ट्रीट, श्री गंगा, रामनद
- १०३९ मधीबसिंह — लपटीने ट—गा डा माहिलपुर, जि होशियारपुर
- १०४०- नदा सिंहबिश्त— सनिक —गा दुतरा, डा घाट, गढवाल
- १०४१ नाहरसिंह — सनिक —गां मालिकपुर, डा नजकगढ, देहली
- १०४२- निवाराम — लपटीने ट—गा डा भालमपुर कांगडा
- १०४३ नखित्तसिंह — लस नायक—गा गलासीखुद डा शेरपाकला लुधियाना
- १०४४ नामबियर पी एस — हवलदार—गा थावाथ, डा चेहकुनु मालावार
- १०४५ नागनायन एस — लेखा अधिकारी—७७४ पेहमल बोयल स्ट्रीट, पृहू, ढोटा राज्य
- १०४६ निखिलनाथराम  
 चौधरी— X —१८ ए यव के टगोर स्कयर तालटोला, कलकत्ता
- १०४७ नारायणसिंह विहड—स लपटीने ट—गा मुसासू मवालीधियम, डा पिपासी, गढ़वाल
- १०४८ नातसिंह — नायक —गां डा पराधो महना, फीरोपुर
- १०४९ नेयर एम एन — स्टनो — गा डा नेम्मोना बाया कोले गोडे ।
- १०५०- नारायणसिंह — हवलदार—मृत्यु हुई बीमारा से
- १०५१ नारायणसिंह — नायक —बीमारी से मृत्यु हुई
- १०५२ नारायणसिंह — नायक —बीमारी से मृत्यु हुई
- १०५३ नाथीसिंह — लस नायक—बीमारी से मृत्यु हुई
- १०५४- नरजनसिंह — नायक —कोहिमा के युद्ध में मारे गए
- १०५५- नरवासिंह — लंस नायक—कोहिमा के युद्ध में मारे गए
- १०५६ नाथासिंह मिनशा — कप्टन —मृत्यु हुई
- १०५७ नातसिंह भरद्वाज— लपटीने ट—टिहुम अस्पताल में ५८-४४ को मरे
- १०५८ नारायणसिंह — हवलदार—इनकशाग म १९४४ में मृत्यु हुई
- १०५९- नारायणसिंह — नायक —यजीन म १९४४ में मृत्यु हुई
- १०६० नाथूसिंह — सनिक —ई-यू म १९४४ में मृत्यु हुई
- १०६१- नातसिंह — सनिक —युद्ध म ३१ ३ ४४ को मारे गए
- १०६२- नुरमुहम्मद — लपटीने ट—कलवा म हवाई आक्रमण म मारे गए
- १०६३ मोबतराम — सनिक —मृत्यु हो गई
- १०६४ निरजनसिंह — सनिक रसोइया—बरमा म मृत्यु हुई
- १०६५ नसेर अहमद — स-लपटीने ट—तानु के युद्ध में मारे गए
- १०६६- मजरसिंह — लपटीनेट —मृत्यु हुई
- १०६७- मधीबसिंह — सनिक —गा डा बुदखवाल, होशियारपुर
- १०६८ निहालसिंह — नायक —बरमा म युद्ध म मारे गए
- १०६९- नकीराम — सनिक —गा डा पालरा, रोहतक
- १०७० मकतसिंह — सनिक —बरमा म युद्ध म मारे गए
- १०७१ निहालसिंह — एस धो —गा-नरसिंहपुर, डा-शहपुर पुरगांव
- १०७२- नोराराम — सनिक —गां याङ डा मालपुरा, आगरा
- १०७३ नरायनन — प्रचार विभाग—१९४५ म अस्पताल में मृत्यु हुई
- १०७४ नाथूसिंह — सनिक —गां बावा, डा भोथु, भीद राज्य

## बलिदानों की प्रशस्ति

१०७५ नन्दकिशोर	— ×	—ई यू म ३ ३-४४ के हवाई आक्रमण में मारे गए
१०७६- नाहरसिंह	— सैनिक	—कलेवा म १९४४ म मृत्यु हुई
१०७७ नतराम	— सैनिक	—कलेवा में १९४४ म मृत्यु हुई
१०७८ नाथसिंह	— सैनिक	—येजीन के हवाई आक्रमण में १९४५ म मारे गए
१०७९- नेटासन	— सैनिक	—हाका के हवाई आक्रमण में मारे गए
१०८०- नन्दसिंह	— सैनिक	—कलेवा में १९४४ म मृत्यु हुई
१०८१- नरामिमन	— ×	—हालड म माइन के फटने से मृत्यु हुई
१०८२ नाथूरामसिंह	— सैनिक	—हालड म मृत्यु हुई
१०८३- यह्ये खाँ	— गफरेटर	—जरमनी में मारे गए
१०८४ निरजनसिंह	— ×	—माइन के फटने से हालड में जुलाई ४३ म मृत्यु हुई
१०८५ नरसिमना रड्डी	— ×	—माइन फटने से हालड म मृत्यु हुई
१०८६ नरसिमहन	— ×	—हालड म माइन के विस्फोट से मारे गए
१०८७ नरसिमकालू	— ×	—जरमनी युद्ध में मारे गए
१०८८ के नागियाह	— सैनिक	—कालादान के मोर्चे पर मारे गए
१०८९ निहालसिंह	—लैस नायक	—गा गोबलपुर गुरगाव
१०९० नन्दराम	— सैनिक	—रणभूमि में मारे गए
१०९१ नरसिंह	— सैनिक	—गां जरमल, डा जनगुली अल्मोडा
१०९२ नजरसिंह	— सैनिक	—गां जलवडो डा कपूथला, जालघर
१०९३ नरजनसिंह	— सैनिक	—गा-वडाला, डा-कपूथला, जालघर
१०९४ नेकमुहम्मद	— एस भी	—गा डा-बव ली हिसार
१०९५ नबी बह्य	— एस भी	—गा मेनवान डा कपूथला, जालघर
१०९६ निजामदीन	— सैनिक	—सिगापुर के अस्पताल में मृत्यु हुई
१०९७ नारायणदास	— ×	—इम्फाल के निकट मृत्यु हुई
१०९८ नानकसिंह	—लैस नायक	—गा-डा मिना, फीरोजपुर
१०९९ नसीबसिंह	—लैस नायक	—इम्फाल के समीप मृत्यु हुई
११००- नूर मुहम्मद	— सैनिक	—गा कबल, डा-लिल्ले भेलम
११०१ नन्दसिंह	—लैस-नायक	—इम्फाल के समीप मृत्यु हुई
११०२ नजरसिंह	— ×	—देहली में फाँसी दी गई
११०३ नजरसिंह	— हवलदार	—युद्ध में मारे गए
११०४ नानकचन्द	— हवलदार	—युद्ध में मारे गए
११०५- नरजनसिंह	— सैनिक	—गा मखन बेला, डा उशरफ
११०६- नूर मुहम्मद	— ×	—युद्ध में मारे गए
११०७ नूर हसन	— सैनिक	—गा काजी डा बुखास धरफ, कम्पबलपुर
११०८ नरजनसिंह	—लैस नायक	—कलेवा के निकट युद्ध में मारे गये
११०९- नाथूराम	— सैनिक	—गा मजेरी डा तेगाव, गु गाव
१११० नन्दकिशोर	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
११११ ननवानराम	— सैनिक	—गा भाजपुर डा फकवाजा, मेरठ
१११२ नाथीसिंह	—लैस नायक	—धुरगाव युद्ध में मारे गए

१११३	नायाराम	— नायक	—युद्ध में मारे गए
१११४	नारायण पठरोव	— नायक	—गा डा जयपुर, जि कोरापुर
१११५	नाथूराम	— सैनिक	—गा यादलपुर, डा घून, बुल दशहर
१११६-	नर्दाहि	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१११७	नारायण त बदे	— X	—युद्ध में मारे गए
१११८-	नगेद्रासिंह	— नायक	—लुधियाना युद्ध में मारे गए
१११९-	नाथीराम	— नायक	—गा छटगा, डा जेवर बुल दशहर
११२०-	नारायणराम	— सैनिक	—गा खरोरा डा खेतरी, अल्मोडा
११२१	नखानराम	— सैनिक	—गा घाटा भरतपुर
११२२	नारायण के	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
११२३	न दराजन बी	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
११२४	न दलाल	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
११२५	निहालराम	— हवलदार	—गा नरसिंहपुर डा बादशाहपुर, गुरगाव
११२६-	निहालाराम	— हवलदार	—गा मातन रोहतक
११२७	नरोत्तमसिंह	— X	—गा खानूर जम्मू
११२८	भोगाडू सावत	— सैनिक	—मृत्यु हुई
११२९	प्रभराम	— सैनिक	—इम्फाल के मार्च पर मृत्यु हुई
११३०	प्रतापचंद मोहता	—यून/सैनिक	—गा डा कसियाला जि फेलम
११३१	फूनासिंह	— सैनिक	—गा देवला, डा राजोद करनाल
११३२-	प्यारलाल	— हवलदार	—गा डा धादला-रोहतक
११३३	प्रभूसिंह	— सैनिक	—गा पठवान, डा डालमिया डादरी, मोहि द्रगड़
११३४	प्रीतमसिंह	— सैनिक	—गा डा महारा फीरोजपुर
११३५	पेहनासिंह	— सैनिक	—गा डा बडीदा, रोहतक
११३६	परमासिंह	— सैनिक	—गा डा साडीर लुधियाना
११३७-	प्रहलासिंह	— नायक	—गा डा चदरपुर देहली
११३८	पनाइयाह, जी एम	— एम ओ	—गा डा १,४१ बचहरी रोड मलापुर मदरास
११३९	पट्टराम	— सैनिक	—गा मजरी, डा तिजारा अलवर (राज)
११४०-	पानसिंह बिश्त	— सैनिक	—गा जुलानी तलवारी, डा ग्वालदम गढ़वाल
११४१	प्रीतमसिंह	— सैनिक	—गा डा हिरन जि लुधियाना
११४२	पसुलान	— सैनिक	—गा नेरकुपाई, रामनद (मदरास)
११४३	प्रभुगंस खेलभाई	— X	—गा भगवन्तपुर, डा महुरिया, नरासारी
११४४	प्रीतमसिंह	— सैनिक	—गा होशियारपुर, डा सियास वास अम्बाला
११४५-	प्रेमलाल	— सैनिक	—गा दिहीपुरा, डा पाटपा नेपाल
११४६-	पाखरसिंह	— सैनिक	—गा डा समरारी जि जालंधर
११४७	पक्किमी सामी	— सैनिक	—गा इदावक, डा-सेठी त जोर (मदरास)
११४८	पिल्ले जी प्रार	—स लपटीनेट	—गा वड्डीयुर, डा तिरवाडी तजोर
११४९	प्रगपसिंह	— सैनिक	—बीमारी से मृत्यु हुई
११५०-	पदमसिंह	— सैनिक	—बीमारी से मृत्यु हुई
११५१	पचमू	—सैन-नायक	—बीमारी से मृत्यु हुई

११५२	पूरनसिंह	—लैस-नायक—गा खरो डा रुद्रप्रयाग गढवाल
११५३	पह्लादसिंह	—लपटीनेट—तरवान के युद्ध में मारे गए
११५४	पदमसिंह गुसाइ	—लैपटीनेट—लापता विश्वास किया जाता है मारे गए
११५५	परानसिंह	—से लपटीनेट—गाका के युद्ध में मारे गए १९४४
११५६	प्रीतमसिंह	—लैपटीनेट—गा खेराकाट, डा-तरसिखा, भ्रमूतसर
११५७	पानसिंह	— नायक —बरमा में मरे
११५८	प्रेमदत्त	— सनिक —ई यू में १९४४ में मरे
११५९	पानसिंह विदत्त	— से लपटीनेट—गा धोने, डा गानात, भ्रमूतोडा
११६०	प्रतापसिंह	—लैस नायक—ब्रम वर्षा में जून १९४४ में मारे गए
११६१	प्रेम बहादुर	— हवलदार—बीमारी से मृत्यु हुई।
११६२-	पानदेव	— हवलदार—मेम्बो हास्पिटल में मृत्यु हुई
११६३	परशोत्तम रानाडे	— सनिक —दुषटना से भराकान में मृत्यु हुई
११६४	पूरनसिंह	—लैस नायक —कलेवा में जुलाई १९४४ में मृत्यु हुई।
११६५	प्रीतमसिंह	— सनिक —मेम्बो हास्पिटल में मृत्यु हुई
११६६	परवारसिंह	— नायक —घजोन के हवाई घात्रमण में मरे
११६७	प्रीतमसिंह	— लैस नायक—हाका के समीप नदी में डूब गए
११६८	प्रेमचंद	— एस प्रो —बरमा में युद्ध में मारे गए
११६९	के यम पटेल	— नायक —बरमा में युद्ध में मारे गए
११७०	प्यारासिंह	— सनिक —कलेवा में मृत्यु हुई
११७१-	भार एन पटरो	— सैनिक —मृत्यु हुई
११७२-	विरथीसिंह	— सैनिक —कलेवा में मृत्यु हुई।
११७३	पांडू नेमारे	— × —फास में युद्ध में सितम्बर ४४ में मारे गए
११७४-	फूखसिंह	— × —कलेवा के समीप युद्ध में मारे गए
११७५	पोटर	— × —बरकनी में युद्ध करते मारे गए
११७६	प्रीतमसिंह	— सनिक —गा कारियान वाला चक, डा वागसर फीरोजपुर
११७७	प्रीतमसिंह	— सनिक —गा बजोन वाला।
११७८-	पोल हो	— × —गा नदीनी भीद राज्य
११७९	पजतान	— सनिक —हैदराबाद युद्ध में मारे गए
११८०	प्रम बल्लभ	— हवलदार —गा चातल राय माली डा देवमलान, अल्मोडा
११८१	पानदव	— हवलदार —भ्रमूतोडा तवाय के युद्ध में मारे गए
११८२	प्रभूसिंह	— सनिक —गा पलरो, डा थोजू कला भीद राज्य
११८३	प्रभूसिंह	— हवलदार —गा लहावाना डा डालमिया गुरगाव
११८४	परवारसिंह	— सनिक —गा तलवान, डा कपूथला, जाल बर
११८५	प्रेमसिंह	— सनिक —गा खेरी खुम्मार डा पाञ्जार, रोहूक
११८६-	प्रतापचंद	—लव नायक—गा शिवकूज भ्रमूतोडा
११८७	पावन	— सनिक —युद्ध में मारे गए।
११८८	प्रमराज	— × —युद्ध में मार गए
११८९	पूरनसिंह	— सनिक —गा-कसूल, डा जि कपूथला
११९०	प्यारासिंह	—लस नायक—गा रानीवाला, डा बरहामपुर



११६१	प्यारासिंह	— सैनिक	— इम्फाल के निवट मृत्यु हुई
११६२	प्रीतमसिंह	— सैनिक	— इम्फाल के निवट मृत्यु हुई
११६३	पूनु राम	— X	— रांगडा युद्ध में मारे गए
११६४	कूरेसिंह	— सैनिक	— मोलमीन में मृत्यु हुई
११६५	पुनू राम	— सैनिक	— गां निविद्यान, मीरपुर, लायलपुर
११६६	पीतमसिंह	— सैनिक	— गां विटायहर, मुजफ्फरनगर
११६७	पिरकूसिंह	— सैनिक	— गां तिवली जं गुरगांव
११६८	पूरनसिंह	— सैनिक	— गां चौसी, बुलन्दशहर
११६९	परतापसिंह	— सैनिक	— गां प्रहमदपुर डा सादपुर, बुलन्दशहर
१२००	प्रभूराम	— सैनिक	— गां कंमरी डा हिण्डौन, जयपुर
१२०१	पियारसिंह	— सैनिक	— गां बढागाव, डा हिण्डौन जयपुर
१२०२	वियारसिंह	— सैनिक	— गां लोपोली डा हिण्डौन जयपुर
१२०३	पेहलादासिंह	— कप्टेन	— गां सरिया डा-दोबाना, रोहतक
१२०४	परमाती बराते	— हवलदार	— गां सूरजपुर, डा ढदतारा सतारा
१२०५	पेहलादासिंह	— सैनिक	— गां बिसनोली, डा दादरी, बुलन्दशहर
१२०६	पेहलादराम	— सैनिक	— गां छोटा, गुरगांव
१२०७	पियाया स्वामी	— सैनिक	— राणभूमि में युद्ध करते मारे गए
१२०८	प्रीतमसिंह	— नायक	— युद्ध करते मारे गए
१२०९	परमल	— सैनिक	— गां जवाली डा चिरोई मेरठ
१२१०	पूरनराम	— सैनिक	— गां चासी, डा भर बुलन्दशहर
१२११	पेलानी पान	— सैनिक	— युद्ध में वीर गति मिली
१२१२	पूरनसिंह	— सैनिक	— युद्ध में मारे गए
१२१३	पांडिया	— सैनिक	— युद्ध करते मरे
१२१४	पिलाई	— सैनिक	— युद्ध में मारे गए
१२१५	पेरियानान	— सैनिक	— अस्पताल में मृत्यु हुई
१२१६	पिथौराम	— सैनिक	— गां प्रलीगज डा भोगल, देहली
१२१७	परमूराम	— सैनिक	— गां नेमपारा गुरगांव
१२१८	प्यारेलाल	— सैनिक	— जि रोहतक — मृत्यु हुई
१२१९	कतल अहमद	बरशी-नायक	— मृत्यु हुई
१२२०	रामहरप	— सैनिक	— गां मालिकपुर, डा नरनादि हिसार
१२२१	रिद्धपालसिंह	— हवलदार	— गां-जोनावस, डा न दरामपुर गुरगांव
१२२२	समन्त सिंह	— कप्टेन	— गां मुनारी कला डा जि रोहतक
१२२३	म शंकर राय	— लपटीनेट	— गां तिहामोहदपुर, डा बरहाल गज गोरखपुर
१२२४	रामचंद्र	— सैनिक	— गां रताकला डा ऐय्यू मण्डी मोहिश्मण्ड
१२२५	एस के राय	— सैनिक	— पी ४० ए, राजाबसंत राय रोड कलकत्ता
१२२६	रणजीतसिंह	— नायक	— गां-बडौदा, डा उछाना मण्डी, पटियाला
१२२७	रामू थावर	— X	— गां घुम्पादाक्षी कोट्टाई डा राजासिंहसम
१२२८	रतीराम	— लपटीनेट	— गां-डा भापरोदा, जि रोहतक
१२२९	रघबीरसिंह	— सैनिक	— गां जाहूर, डा नाहर, रोहतक

- १२३०- रघुवीरसिंह बदी— कैप्टेन —यच न टी /१६ भालोरा बाजार, रावलपिंडी
- १२३१ रिसालसिंह — सनिक —गा-दहकारा, डा सापला, रोहतक
- १२३२ रत्तनसिंह —लैस नायक—गा केर डा बहादुरगढ, रोहतक
- १२३३ रामचन्द्र — सनिक —गा बदलाबास डा खडाखेरी, रोहतक
- १२३४ रामस्वरूप — सनिक —गा डा खाडा, जि रोहतक
- १२३५ रामसिंह — सनिक —गा डा मदीना जि रोहतक
- १२३६- रामकण — सनिक —भूराबास, डा सलहाबास, रोहतक
- १२३७ रामसरूप — सनिक —गां सुनहरी कला, डा जि रोहतक
- १२३८ रवीन्द्रनाथ राहा- पुननिर्माणवि—गोपाल बोस लेन बलकत्ता
- १२३९- रूसिंह — सनिक —गा प्रालमवाला डा बाघा पुराना फीरोजपुर
- १२४० रावेलसिंह — एष घो —गा क्तिपरन कला डा दसूया होशियारपुर
- १२४१ रामसिंह — × —गा-आलिया डा हरर अम्बाला
- १२४२ रत्तनसिंह — सनिक गा जिदोवाल डा-बागा जल घर
- १२४३ रणसिंह — सनिक —गां कर, डा बहादुरगढ रोहतक
- १२४४ रामसरूप — सनिक —गा डा नरेला जि दे०ली
- १२४५- यस राजागोपालन- सैनिक —मदरास म अस्पताल मे मृत्यु हुई
- १२४६ के धार रामनाथन  
उनाम-मोकाल- सनिक —मृत्यु हुई
- १२४७ रखासिंह — सनिक —गां माजरी डा छपन, अम्बाला
- १२४८ रिसालसिंह — सैनिक —गां मिलकपुर, डा नजफगढ देहली
- १२४९ रघुवीरसिंह — सनिक —गा-डा म डोथी, रोहतक
- १२५० धार रामनाथन— सनिक —गा पुषावरम, डा इमानगुडी, तजौर
- १२५१- रघुवीरसिंह — लैफटीने ट—गा सिद्धपुर घर डा भरमार कागडा
- १२५२ रतीराम — सनिक —गा डा रियाल रोहतक
- १२५३ रामसिंह — × —गराकान मोर्जे पर मर
- १२५४ राम कवर — सनिक —चूली बगारिया, माटू कला, हिसार
- १२५५ रामासामी घोडिरवार- × —गा ति मु गलक कौट्टा विडायल, डा बदासेरी  
मनूगुडी, तजौर
- १२५६ रिद्धपालसिंह — हवलदार—गा करान, डा परमहानी बगडार
- १२५८ रामसरूप — सनिक —गा निन्दाना, डा मेहम, रोहतक
- १२५९ रामसु दरसिंह — सनिक —गा सतराव डा बराहोज गोरखपुर
- १२६० देवसिंह — लैफटीने ट—जुलाई १९४४ मे युद्ध म मारे गए
- १२६१- रणजीतसिंह —लस नायक—१९४४ मे युद्ध में मारे गए
- १२६२ रायसिंह —लस नायक—बीमारी से मृत्यु हुई
- १२६३ रणजीतसिंह —लस नायक—बीमारी से मृत्यु हुई
- १२६४- रघुवीरसिंह — सनिक —बीमारी से मृत्यु हुई
- १२६५ रूसिंह — सनिक —बीमारी से मृत्यु हुई
- १२६६ रायचन्द — सनिक —बीमारी से मृत्यु हुई
- १२६७ एम ए रहीम — लैफटीने ट—मृत्यु हुई

१२६८-	रामसिंह	—	हवलदार—युद्ध करते वीर गति मिली
१२६९	रगाराव बाबेर	—	लस-नायक—युद्ध करते मारे गए
१२७०-	रामहे नायडू	—	हवलदार—मियाग अस्पताल में मृत्यु हुई
१२७१-	राजिंदरसिंह	—	हवलदार—माडले में मृत्यु हुई
१२७२	रतीराम	—	सैनिक —बरमा में मृत्यु हुई
१२७३	रग इलाही	—	हवलदार—गा डा घुरकाना, जि भेलम
१२७४	राम खेलावम	—	हवलदार—सत्तर प्रदेश-बरमा में मृत्यु हुई
१२७५-	रामसिंह	—	नायक —बरमा में मृत्यु हुई
१२७६-	रगोलासिंह	—	सैनिक —बरमा में मृत्यु हुई
१२७७-	राम रक्खा	—	हवलदार —बरमा में मृत्यु हुई
१२७८	यन एस रहमान	—	हवलदार —बरमा में मृत्यु हुई
१२७९	राना डे	—	लस नायक—प्रगवान पहाडियों में युद्ध में मारे गए
१२८०-	रामदव सिंह	—	सैनिक —डा सोहावल जि फेजाबाद
१२८१	रतीराम	—	सैनिक —बरमा में युद्ध में मारे गए
१२८२	रिछपालसिंह	—	सैनिक —मृत्यु हुई
१२८३-	रामपट्ट	—	सैनिक —मृत्यु हुई
१२८४-	रूपसिंह	—	सैनिक —मृत्यु हुई
१२८५	रामसिंह	—	सैनिक —मृत्यु हुई
१२८६	रामरखा	—	सैनिक —मृत्यु हुई
१२८७-	रतनसिंह	—	सैनिक —गा डा बघा जि अल्मोडा
१२८८	रामसिंह	—	सैनिक —गा रिद हिंडोन, जयपुर
१२८९-	रामसिंह	—	सैनिक —गा बाबमर, डा लेगाव, अल्मोडा
१२९०-	रामसिंह	—	सैनिक —गा-डा असकत जि अल्मोडा
१२९१	रबीदत्त	—	सैनिक —ई-भू में मारे गए
१२९२-	रतनसिंह	—	लपटीनट—लापता
१२९३-	रामसिंह	—	सैनिक —ई यू की बम वर्षा में मारे गए
१२९४	रामसिंह	—	सैनिक —मई १९४४ से तामू से लापता
१२९५-	रणजीतसिंह	—	सैनिक —कलेवा में युद्ध में मारे गए
१२९६-	रणबीरसिंह	—	नायक —कलेवा में युद्ध में मारे गए
१२९७-	रिसालसिंह	—	सैनिक —कलेवा में युद्ध में मारे गए
१२९८-	रामकरण	—	सैनिक —गा डा-कुमारिया जि हिसार
१२९९	रामब्रीजाल	—	नायक —गा डा दाहिना जि गुरगाव
१३००	राममदन	—	सैनिक —इटली में युद्ध में मारे गए
१३०१-	रबनवाज खा	—	यू थाफिसर—फ्रांस में युद्ध में मारे गए
१३०२	रामनरूप	—	सैनिक —कलेवा के निकट युद्ध में मारे गए
१३०३	रमेश	—	× —जरमनी में युद्ध में मारे गए
१३०४	रामचंद्र	—	सैनिक —गा बिलोन, डा बामा, भरतपुर
१३०५	रामप्रहादुर थापा	—	× —विदविन नदी के युद्ध में मारे गए
१३०६	रामा रवामी	—	सैनिक —कालादन क्षेत्र के युद्ध में मारे गए

## मलिदानों की प्रशस्ति

१३०७-	रामसिंह	— सैनिक	— गा डा दिघाल, जि रोहतक
१३०८	रिसालसिंह	— X	— गा बिला जकरगढ जि रोहतक
१३०९-	रूपसिंह	— हवलदार	— गा बारीवाला चौक सडराल धिमला
१३१०	रामसिंह	— हवलदार	— भराकान की पहाडियों मे मरे
१३११	रामरक्षा	— हवलदार	— होशियारपुर, युद्ध में मारे गए
१३१२-	रामसिंह	— हवलदार	— हिसार, युद्ध में मारे गए
१३१३	रतनसिंह	— X	— गा चनकोर, डा बेन, भल्मोडा
१३१४	रतनसिंह	— सैनिक	— गा काना, डा-बागेश्वर, भल्मोडा
१३१५-	रामपाल	— हवलदार	— गा रिघोद, [डा सहाना, गुरगाव
१३१६	रामबिलास	— सैनिक	— गा वेगपुर, डा भतिलू, भल्मोडा
१३१७	रासनसिंह	— एस भो	— गा खेरा, डा कपूयला, जलधर
१३१८	रणधीर सिंह	— नायक	— युद्ध में मारे गए
१३१९	रामभोज	— लैस-नायक	— गा माडिल डा सालावास, रोहतक
१३२०	राजेन्द्रसिंह	— X	— युद्ध में मारे गए
१३२१	रफी मुहम्मद	— X	— गा डा वालियाह, जि हिसार
१३२२	राधोरसिंह	— X	— कपूयला, भस्पताल में मृत्यु
१३२३	रामदास	— नायक	— इट्ठी मे १९४४ में मृत्यु हुई
१३२४	रतीराम	— X	— गा घोलापानेर, डा नालाषड, शिमला
१३२५	रावेलसिंह	— लपटीने ट	— गा डा क्रिगर, जि होशियारपुर
१३२६	रामसिंह	— X	— खरकाला, डा सुनार वाल, भल्मोडा
१३२७	रामदित्त	— सैनिक	— गा खिदरा, डा बियहारी, काँगडा
१३२८	रघुवीरसिंह	— हवलदार	— गा कोट भडासिंह, सियासकोट
१३२९	एस रियादया	— सैनिक	— युद्ध में मारे गए
१३३०	रामसरूप	— सैनिक	— गा दिरोली नागल डा-नोहि द्रगढ, पटियाला
१३३१-	रामकरन	— सैनिक	— गुरगाव युद्ध में मारे गए
१३३२	रामधाम	— सैनिक	— गा गपली डा हिण्डौन, जयपुर
१३३३	रामहंस	— लैस नायक	— गा देवरान, युद्ध मे मारे गए
१३३४	रामकुमार	— लस-नायक	— गा पचाला डा हि डोन जयपुर
१३३५	रघुवीरसिंह	— लैस नायक	— गा रिंद, डा हिण्डौन, जयपुर
१३३६-	रघुवीरसिंह	— लैस-नायक	— गा नागला डा धोलास बुल-दसहर
१३३७	रणधीरसिंह	— से लपटीने ट	— रोहतक, युद्ध में मारे गए
१३३८	रामसु दर	— सैनिक	— गा भरतपुर जि फजाबाद
१३३९	रघुवीरसिंह	— सैनिक	— युद्ध मे मारे गए
१३४०	पी यस रानाडे	— सैनिक	— बरान, युद्ध म मारे गए
१३४१	रामसरूप	— लैपटीने ट	— गा-छाडा खरकालू रोहतक
१३४२	रामकाला	— सैनिक	— मेरठ, युद्ध में मारे गए
१३४३	रानसिंह	— एस भो	— गा खरमान, डा मडोपी रोहतक
१३४४	रामसिंह	— सैनिक	— गा कर डा बहादुरगढ
१३४५-	रघुनाथराम पटेल	— एस भो	— गा-पडवाल, डा माहेरू, पूना

- १३४६ एकमाजी गोविन्द पराध— सैनिक —घातमहत्या करली
- १३४७- रुमानराम — हवलदार—गां कतेहपुर, डा तेगांव, गुरणाव
- १३४८ राम राम — सैनिक —गां जाल, डा सिद्धाराबाद बुलन्दशहर
- १३४९ रामू लठकार — सैनिक —युद्ध में मारे गए
- १३५० रामचन्द्र मोर — सैनिक —युद्ध में मारे गए
- १३५१ रामा रेहो — सैनिक —युद्ध में मारे गए
- १३५२- एम राजू — सैनिक —युद्ध में मारे गए
- १३५३- रामा राय — सैनिक —युद्ध में मारे गए
- १३५४ करविह — सैनिक—युद्ध में मारे गए
- १३५५- रामाराव भोंसले— सैनिक —सापता विदवाह किया जाता है कि मारे गए
- १३५६- रामचन्द्र चौधरी— सैनिक —सापता विदवाह है मारे गए
- १३५७ रामा — सैनिक—गां-ताली डा सिद्धाराबाद बुलन्दशहर
- १३५८ रघुवीरविह — नायक —गां डा गुरुनू, जि रावतपिठी
- १३५९ रामविह — नायक —मरठ युद्ध में मारे गए
- १३६० रिद्धनाथ — सैनिक —युद्ध में मारे गए
- १३६१ रामचन्द्र — × —गां विदोद, जि भरठपुर
- १३६२- धरबती गां — सपनीनेट—गां-देवमी, धन्नमर
- १३६३ दोरमहादुर भठारी— कप्तान —गां बल्लूपुर जि देहरादून
- १३६४ मेरविह — हवलदार —कुमायू, युद्ध में मारे गए
- १३६५- बीधरम — × —मुदकर विहा, मम्पानद, प्रवपुर
- १३६६- मंगद अल्वी — हवलदार —बुधेडांव व समीर युद्ध में मारे गए
- १३६७ मुनतामविह — सैनिक —गां मठडा डा-जमफण्ड, देहली
- १३६८ गुरजनविह — सैनिक —गां भराटा कला, जजफण्ड देहली
- १३६९ सगुरमचन्द्र — हवलदार —गानपुर, डा-नारार अम्बाला
- १३७०- सोहनविह — सैनिक —गां-बोट करोर कला डा-दरोली भाई, पीरोज
- १३७१- गिबविह — सैनिक —गां सरीठी, डा-दादा मण्डी, मडबाम
- १३७२ गुरजविह — कप्तान —गां-नर डा-महादुरगढ़ देहली
- १३७३ गुमबीरविह — सैनिक —गां पटो गापी, डा बाऊमी मरठ
- १३७४ साहीराम — सैनिक—गां-कावती डा बीरमी गुरबाब
- १३७५ साहीराम — सैनिक —गां-कौरा, डा-नापारा बीरनेर
- १३७६- गोबालविह रावण- गां-क —गां-जमपार डा-नेननाली, टहरी गढ़वाल
- १३७७- विदवाह — सपनीनेट—गां ग मडोपी रोहता
- १३७८ साहीराम — सैनिक —गां-डा-जमपारा जमपार
- १३७९- सगुरमविह — हवलदार —गां-बीरमी, डा-कितारेपुर मुपियाना
- १३८०- धन नेत्र — सैनिक—गां-१०२/१० बालीगंज जमकला  
पुननिर्माण
- १३८१ करदागविह — × —गां डा-भोगाम धामा जि गियालको
- १३८२ सगुरमविह — सपनीनेट—गां-२२/२४ मण्डी बुद्ध धारागुमी

- १३८४ सुन्दरसिंह — सैनिक — गां डा घवानसिंह, शेखपुरा
- १३८५- शियो करन — सैनिक — गा भूतपुर, डा-वानसुर, झलघर
- १३८६- सरदारसिंह — लस-नायक—गां डा भारवाल गुजरात
- १३८७ सवणसिंह — X — गां चोहवाल, डा बागीवला, होशियारपुर
- १३८८- सुखमानराम — लस-नायक—मीतीबिना बाजार, बरमा
- १३८९- सईदुर रहमान — हवलदार—गां डा तिताबर, असम
- १३९० सरदारसिंह — सैनिक — गां मडो मीरों, डा अंपरा, जलघर
- १३९१ सरदारसिंह — नायक — गां फ़िगरन डा मुकदपुर, जलघर
- १३९२ सन्तसिंह — सैनिक — युल्लोही जीव न ३० पट्टोकी साहोर
- १३९३ सत्येद्रमाय राय — सैपटीनेट—जि तिपरा, बगाल, गा डा गोकर्ना
- १३९४ शिवनाथ बपूर — सपटीनेट—गुजरात बरमा मे मरे
- १३९५ सामुल्ला खा — से सैपटीनेट—इब्राहीम जाई बोहाट
- १३९६ टी सुपेह — सैनिक — झलगापुरी दक्षिण देवाकट्टी रामनद
- १३९७ शरबत खाँ — हवलदार — गां डा जियारत काका साहब, पेशावर
- १३९८ सूबासिंह — सैनिक — गा सादूलपुर, डा लोरियान खास जलघर
- १३९९- शियोलाल — सैनिक — गां जयपुर डा मुबाना, रोहतक
- १४०० शाहीराम — लस-नायक—गां-भाक्ली, डा कौसधी, रोहतक
- १४०१ सरदारसिंह — सैनिक — मारी मुस्तफा डा बाघा पुराना फीरोजपुर
- १४०२ शीताराम शोवाले — सैनिक — गां घोगांव जेलगांव, डा कुराद, सतारा, पेशावर
- १४०३ सादानू कोयरी — X — गां तिहामाहमेदपुर, डा-बरहालगज, शोरखपुर
- १४०४ शिवराम — मेजर — गा भागरा चक, डा रनवीरसिंहपुरा, काश्मीर
- १४०५ सजावलखा — सैनिक — गा डोकमेरा, डा सिहाला रावलपिंडी
- १४०६ सय्यद गफूर — हवलदार—६ साऊप कुवाम रोड मदराघ
- १४०७ शेरसिंह नेगी — सपटीनेट—गा कालोन, डा छिपाल घाट, गढ़वाल
- १४०८ सरजीतसिंह — सैनिक — जियावादी के युद्ध मे मारे गए
- १४०९ शेरसिंह — हवलदार—युद्ध में मारे गए
- १४१० सुन्दरसिंह — लस-नायक—बीमारी से मृत्यु हुई
- १४११- शिवासिंह — सैनिक — मृत्यु हुई
- १४१२ सातेहसिंह — सैनिक — हवाई आक्रमण मे मारे गए
- १४१३ शिवासिंह — सैनिक — १९४४ में मृत्यु हुई
- १४१४ शेरसिंह — लस नायक—बीमारी से मृत्यु
- १४१५- श्यामसिंह — लस नायक—बीमारी से मृत्यु
- १४१६ सातेहसिंह — लस नायक—बीमारी से मृत्यु
- १४१७ सुदामा — लस-नायक—बीमारी से मृत्यु
- १४१८ श्यामसिंह — लस नायक—बीमारी से मृत्यु
- १४१९ सुंदरम — से लपटीनेट—कोहिमा के युद्ध में मारे गए
- १४२० सोहनलाल — मेजर — गां मासन, डा मनहूषी रोहतक
- (बीरे हिंद)
- १४२१ ससारसिंह — हवलदार—मृत्यु हुई

- १४२२- सतानसिंह — एस ओ—तामू के निष्कट मृत्यु हुई
- १४२३ शम्भूसिंह — एस ओ—पाडे में बम बर्षा म मारे गए
- १४२४- सुरजनसिंह — लपटीने ट—ई यू मे युद्ध मे मारे गए
- १४२५ सगतसिंह — लैपटीने ट—चक न ३८, डा- पटटोकी, लाक्षीर
- १४२६- एस बी सेन — हवलदार—हवाई आक्रमण मे मारे गए
- १४२७- सिधाढासिंह — नायक —बरमा में मृत्यु हुई
- १४२८- साहिबजान — सैनिक —बरमा मे १२ १४५ को मृत्यु हुई
- १४२९- शकरराम — सैनिक —बरमा म मृत्यु हुई
- १४३०- शेरसिंह कुमोनी- नायक —तामू मे हवाई आक्रमण मे मारे गए
- १४३१- शैलोराम डोगरा- नायक —बरमा म युद्ध में मारे गए
- १४३२ सूदाराम — हवलदार —गां काकर, डा हमीरपुर
- १४३३- सावाद बरुश — नायक —मृत्यु हुई
- १४३४- शाह जमीर — एस ओ—बरमा मे एप्रिल, ४४ मे मृत्यु हुई
- १४३५- सवलसिंह — X —बरमा मे युद्ध में मारे गए
- १४३६ साधुराम — सैनिक —मृत्यु हुई
- १४३७- दोर मुहम्मद — हवलदार —मेम्पो अस्पताल में मृत्यु हुई
- १४३८- सरगदप्रली — सैनिक —गा-डा बसी जाई बोहाट
- १४३९ सहदुल्ला खां —स-लैपटीने ट— बरमा मे मृत्यु हुई
- १४४०- सुरामसिंह — सैनिक —गा बालीवाल डा-देबर, होशियारपुर
- १४४१- श्रीराम — सैनिक —बरमा में युद्ध करते मारे गए
- १४४२ सिहराम — सैनिक — बरमा म युद्ध करते मारे गए
- १४४३ सरदारसिंह — हवलदार —बरमा के युद्ध मे मारे गए
- १४४४- सगसिंह — सैनिक —बरमा के युद्ध म मारे गए
- १४४५ सगतसिंह — सैनिक —बरमा मे युद्ध करते मारे
- १४४६ शिम्भूसिंह —से लपटीने ट—बरमा म युद्ध करते मारे
- १४४७- सप्रामसिंह — सैनिक —बरमा म युद्ध में मारे गए
- १४४८ शीतल बहादुर — हवलदार—बरमा म आग्ने सामने के युद्ध में लड़ते हुए मारे
- १४४९- सुखदेव सिंह — हवलदार—मृत्यु हुई
- १४५० दोरसिंह — सैनिक —पोन माना में हवाई आक्रमण से मारे
- १४५१ दोरसिंह — सैनिक —पोनमाना म हवाई आक्रमण मे मारे
- १४५२- दोरसिंह — सैनिक —ई यू में हवाई आक्रमण में मारे गए
- १४५३ घोबनसिंह — सैनिक —गा गरगांव डा दिघतार, अल्मोडा
- १४५४ सोवाससिंह — सैनिक —गां-नानकुरी, डा-डिडीहाल अल्मोडा
- १४५५- सुरवासिंह — नाई —कलेशा मे मृत्यु हुई
- १४५६ सुनेसिंह —लैंग नायक—कलवा म मृत्यु हुई
- १४५७ सूरसिंह — सैनिक —कलवा म मृत्यु हुई
- १४५८- सोनामणि, — सैनिक —कलवा म मृत्यु हुई
- १४५९ शरसिंह — सैनिक —कलवा में मृत्यु हुई

१४६०-	सरदारसिंह	— सैनिक	—वरमा म घावों से मर गए
१४६१	सरदारसिंह	— सैनिक	—हाका मे हवाई आक्रमण में मारे गए
१४६२	शेरसिंह	— सैनिक	—वरमा में बीमारी से मृत्यु हुई
१४६३-	ससारीराम	— सैनिक	—वरमा म युद्ध में मारे गए
१४६४	श्रीच द	— सैनिक	—गा बुझाना, डा नारेला देहली
१४६५	सुन्दरसिंह	— सैनिक	—इम्फाल के पाम हवाई आक्रमण मे मारे गए
१४६६-	एम धार सावुने	— सैनिक	—वरमा म युद्ध में मारे गए
१४६७	दोख दस्तगीर	— नायक	—मेजिठा में हवाई आक्रमण में मारे गए
१४६८-	ए ए शाह	— मेजर	—तामू में युद्ध करते मारे गए
१४६९	दोखसिंह	— नायक	—तामू म युद्ध करते मारे गए
१४७०-	सम्बसिदान	— सैनिक	—जरमनी में अस्पताल म मृत्यु हुई
१४७१-	ससाहउद्दीन	— X	—जरमनी के प्रेस्टन नगर में घातमहत्या करली।
१४७२	शेर बहादुर	— X	—जरमनी के प्रेस्टन नगर में घातमहत्या करली।
१४७३	श्रीराम	— सैनिक	—गा घरसी, डा नगर, भरतपुर
१४७४	श्रीकृष्ण	— सैनिक	—गां सलेमपुर, जयपुर
१४७५	सूरजमल	— सैनिक	—गां डा दिपाल, मि रोहतक
१४७६	श्रीच द	— सैनिक	—माहले म मृत्यु हुई
१४७७	सोवणसिंह	— नायक	—गा-वदियासान होशियारपुर
१४७८	सुन्दरसिंह	—लस नायक	—वारीबाला चौक, दिमला
१४७९-	सूरजमल	— X	—मृत्यु हुई
१४८०	सरदारसिंह	— सैनिक	—गा डा पाटला, मेरठ
१४८१-	शेरसिंह	— सैनिक	—गा टाली डा पिथौरागढ भल्मोडा
१४८२	शकरदत्त	— सैनिक	—भल्मोडा युद्ध म मारे गए
१४८३	शेरसिंह	— सैनिक	—गा वखाल डा कनालीछिया
१४८४-	शेरसिंह	— सैनिक	—गा कालियानी, डा वादा, भल्मोडा
१४८५	शिवकरन सिंह	— हवलदार	—पट्टी इकारवान, डा लोहाघाट, भल्मोडा
१४८६-	सुरेना	— सैनिक	—इम्फाल के निकट युद्ध म मारे गए
१४८७	एम धार मोधाम	— सैनिक	—गा मगलम, रामनाथपुर म
१४८८-	शोभाचंद	— हवलदार	—गा धनसरो डा बाघरा, भीद
१४८९	शकरसिंह	— कप्टेन	—गां डा पचता जलधर
१४९०-	सम्बसिंह	—से लैपटीनेट	—गा टिब्बा डा तलवदी, जलधर
१४९१	सोहनसिंह	— सैनिक	—युद्ध मे मार गए
१४९२-	सुखबीर सिंह	—लस नायक	—गा पानपुर, डा वत मुपफरनगर
१४९३	शिर्वासिंह	— हवलदार	—हरिभन का नगला, डा किरावली, भागरा
१४९४	सोहनसिंह	— सैनिक	—युद्ध म मारे गए
१४९५	साधाराम	—लस नायक	—गा-कीहमा नेशार डा फराखनगर गुरगाव
१४९६	सुखीराम	— सैनिक	—गा च बेरा, मोहिद्वगढ पटियाला
१४९७	सुख दर्शन सिंह	— X	—युद्ध म मार गए
१४९८	सूरज भान	— सैनिक	—गा नानगल जतूखना, गुरगाव



१४६६- सुन नानसिंह	— सैनिक	—गां सगा, डा नारनोल, खेतरी
१५०० सिगोराम	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१५०१- सुलेमान	— नायक	—इम्फाल में युद्ध में मारे गए
१५०२ शाह मुहम्मद	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१५०३ शाहदीन	— नायक	—युद्ध में मारे गए
१५०४ शाहदीन	— हवलदार	—सापता
१५०५ शाह मुहम्मद	—लैस नायक	—सापता—विश्वास है कि मारे गए
१५०६- सौदागरसिंह	— हवलदार	—सिगापुर अस्पताल में मरे
१५०७- वामसिंह	—स-लपटीनेट	—माइनगोन में बम बर्षा में मार गए
१५०८- सय्यद	— हवलदार	—मलाया में युद्ध में मारे गए
१५०९ सूरतसिंह	— लपटीनेट	—घटव जेल में अनशन करने मरे
१५१० सय्यद जमान	— सैनिक	—हाका के युद्ध में मारे गए
१५११ सुरजनसिंह	— एस थो	—कपूयला
१५१२ सादिक मुहम्मद	— हवलदार	—युहन्ला जीनहो भरतपुर
१५१३- सूरी नारायण	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१५१४- शेरसिंह	— सैनिक	—गा मोहिम जि रोहुतक
१५१५- सूबासिंह	— सैनिक	—हास्पिटल में मृत्यु हुई
१५१६- शेरसिंह	— सैनिक	—गा छातर डा जसीमपुर, कागडा
१५१७- साधूसिंह	— सैनिक	—गा भभला, वपूयला
१५१८ सूरतसिंह	— सैनिक	—अमृतसर तामू के युद्ध में मारे गए
१५१९ ससारसिंह	—लस नायक	—गा हरसारीदारी डा-जवाली, कागडा
१५२० शामसिंह	— लपटीनेट	—युद्ध में मारे गए
१५२१ सुल्तानघली	— एस थो	—युद्ध में मारे गए
१५२२- सिबराम गुजारा	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१५२३ सरदारसिंह	— X	—फीरोजपुर, युद्ध में मारे गए
१५२४- सादाऊ सिंह	— लपटीनेट	—जुलाई १९४४ में युद्ध में मारे गए
१५२५- शिबसिंह	—लस नायक	—गा राजपुर रहोटे, डा समर, होशियारपुर
१५२६- सतासिंह	— सैनिक	—गा-बरहियान डा टाडा होशियारपुर
१५२७ सौदागरसिंह	— सैनिक	—गा डा मिखोवाली जि शेखपुरा
१५२८ सतासिंह	— सैनिक	—गा माध, डा सरकपूर शेखपुरा
१५२९ साधूसिंह	— सैनिक	—गा मजराबला, डा जोधला
१५३० खुरामचद	— सैनिक	—गा डा-बिनवाल, होशियारपुर
१५३१ सूपसिंह	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१५३२ सुल्तान गाह	— सैनिक	—गा झारा डा शाह सुल्तान, मुजफ्फरगढ
१५३३ सरदारसिंह	— सैनिक	—गा काजी मजरा डा मारिक मजरा बबाला
१५३४ दाकरसिंह	— सैनिक	—गा कुषार, डा बल्लो, कागडा
१५३५ सु दरसिंह	— सैनिक	—गा पारियो, डा-सेकाघाट, कागडा
१५३६ सुल्तान	— X	—गा होसास डा बरहा, भीद राज्य
१५३७ साहिव जाहरी	— X	—सिता ग म मृत्यु हुई

१५३८	सुल्तान मुहम्मद	— सैनिक	—गा डा प्रातिजर्, जि हजारा
१५३९-	सुरेन सिंह	—लैस नायक	—गां डा ठाठिया जि गुरदासपुर
१५४०	सोहनसिंह	— सैनिक	—गा-डा मनावला, जि लाहौर
१५४१-	सगरीराम	— सैनिक	—गां पिढारी फरगट डा साम घोराधी होशियारपुर
१५४२	दयोताजसिंह	—लैस न यक	—गा आसिया डी पछार डा-न दरामपुर गुरगाव
१५४३-	श्रीराम	— सैनिक	—गा डा भरतपुर
१५४४	गिवदयालसिंह	— सैनिक	—गां रीद, डा हिण्डोन जयपुर
१५४५	सूरजमल	— नायक	—गां-वमरी, डा हिण्डोन जयपुर
१५४६	सुलत नसिंह	— सैनिक	—गा मोक, जि रोहतक
१५४७-	सोहनसिंह	— हवनदार	—सुरजनयास, डा मोहिंद्रगढ, पटियाला
१५४८	सुनहरीसिंह	— सैनिक	—गुरगाव, युद्ध म मारे गए
१५४९	जे के सुल्त	— सैनिक	— युद्ध म लडते मारे गए
१५५०-	के यच स्वामी	— सैनिक	—युद्ध म मारे गए
१५५१-	शुभराम	— X	—गुरगाव, युद्ध म मारे गए
१५५२-	सुरजाराम	— सैनिक	— युद्ध में वीर गति मिली
१५५३	सूवेसिंह	— सैनिक	—गा रसोई डा खेरी माहुरी, रोहतक
१५५४	शिवराम भोंसले	—लैस-नायक	—युद्ध म वीर गति हुई
१५५५	साधू गायकवाड	—लैस नायक	—युद्ध म वीर गति मिली
१५५६	साकाराम चावान	— X	—युद्ध म वीर गति प्राप्त हुई
१५५७	गिवराम सपकास	— X	—युद्ध म वीर गति मिली
१५५८-	सीदू सेवाले	— X	—युद्ध में वीर गति मिली
१५५९	सेवासिंह	— सैनिक	— गा डा गोवि दगढ शेखूपुर
१५६०	सोहन खा	— सैनिक	—युद्ध मे लडते हुए मारे गए
१५६१-	गिगारासिंह	— सैनिक	—युद्ध करते हुए मृत्यु हुई
१५६२	सीताराम जगपत	— सैनिक	—सापता-विश्वास है कि मारे गए
१५६३-	श्रीचंद	— सैनिक	—युद्ध म मारे गए
१५६४-	श्रीचंद	— सैनिक	—गा डा भज्जर रोहतक
१५६५	दगोराम	— सैनिक	—गां मिरोणा जि मेरठ
१५६६	सिमरु	— सैनिक	—गुरगाव युद्ध म मारे गए
१५६७	शिवमूर्ति	— सैनिक	—गा घनवाली, डा बिलारनगढ परतापगढ
१५६८	छादान-दन	— सैनिक	—युद्ध में वीर गति मिली
१५६९	एम सुपजा	— सैनिक	—युद्ध में वीर गति मिली
१५७०	गेत पंडे	— सैनिक	—युद्ध करते घरासाधी हुए
१५७१-	सूरजमान	— सैनिक	—युद्ध म मारे गए
१५७२-	समसीवान	— सैनिक	—युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई
१५७३	सोहनसिंह	— सैनिक	—कोट करोर डा दुरलीदू, फीरोजपुर
१५७४	सरदारसिंह	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१५७५	सायासिंह	— लपटीनेट	—गा कर, डा बहादुरगढ, रोहनक
१५७६	छतराम	— X	—गा आवीर डा देलरा

१५७७	शीलोसिंह	— ×	—गा-बटाला, डा भेनोवार जि मोरपुर
१५७८	तेजसिंह	— सैनिक	—गा तोरग, डा हमदागढ़ बुल दशहर
१५७९-	ठाकुरसिंह	— सैनिक	—गा डा छागालदादी, अमृतसर
१५८०-	तिर्याराम	— लस-नायक	—मोलियोक म, मृत्यु हुई
१५८१	तुलजाराम	— सैनिक	—गा छोखी, डा दिधान, रोहतक
१५८२	यम धयाल	— सैनिक	—गा नालीव डा कल्लापन तजौर
१५८३	ताज मुहम्मद	—से सैनिक	—गा गाजरगट नुरासेल जि मरदान
१५८४	तेजनारायण	—दुर्गाधिया	—गां भूलेपुर डा बरहज, गोरखपुर
१५८५	तिलोक्सिंह	— सैनिक	—बीमारी से मृत्यु हुई
१५८६	तारासिंह	— सैनिक	—ग्राम में युद्ध म मारे गए
१५८७-	तेजसिंह	— लपटोने-ट	—पापून म युद्ध म घोर गति मिली
१५८८-	त्रिलोचनासिंह	— नायक	—अराकान पहाडियों मे युद्ध करते मरे
१५८९-	टेकचंद	— सैनिक	—बरमा मे युद्ध करते मारे गए
१५९०-	तकतसिंह	— नायक	—बरमा के युद्ध मे मारे गए
१५९१	ताराचंद	— सैनिक	—बलेवा से निकट मृत्यु हुई
१५९२-	तुलसराम	— सैनिक	—मोरे के समीप युद्ध म मारे गए
१५९३	तेहलसिंह	— सैनिक	—यजैन के युद्ध म मारे गए
१५९४	ठाकुरसिंह	— सैनिक	—बरमा मे बीमारी से मृत्यु हुई
१५९५	तेजासिंह	— सैनिक	—बरमा में एप्रिल १९४४ मे मरे
१५९६	तेजपालसिंह	— ×	—पालेल मे युद्ध करते मारे गए
१५९७-	ठुकादा	— ×	—जरमनी म युद्ध म मारे गए
१५९८	त्रिवेणीकिशोरसिंह	—एस घो	—गा डा खोरोर, जि भारा
१५९९	तेगसिंह	—जी यफ दी भार	—फास मे मारे गए
१६००	तारासिंह	— सैनिक	—गा भूलाघाट अल्मोडा
१६०१-	तेजासिंह	— सैनिक	—गा तिब्बान डा कपूयला जल धर
१६०२	ठालासिंह	— हवलदार	—गा मायरी बुलद्वारा डा मण्डी
१६०३	ठाकुरसिंह	— सैनिक	—गा डा गदोविंड जि अमृतसर
१६०४-	तारासिंह	— ×	—सियालकाट युद्ध में मारे गए
१६०५	तेजासिंह	— सैनिक	—गा डा तौरेशर पुनवा अमृतसर
१६०६	ठाकुरसिंह	— ×	—गा छगलवाडी अमृतसर
१६०७	तिलकनाथ	— नायक	—आजमगढ, युद्ध म मारे गए
१६०८	तुलसाराम	— कैप्टेन	—जयपुर युद्ध में मारे गए
१६०९	टेकराम	— नायक	—गा तोरग डा डांकेर बुल दशहर
१६१०	थनाज पोवार	— सैनिक	—युद्ध मे मारे गए
१६११	तेजासिंह	— सैनिक	—युद्ध में मारे गए
१६१२	ठाकुरसिंह	— सैनिक	—गा डा धावासिंह शेखूपुर
१६१३	तेजपाल	—सप्त नायक	—गा तिलता, डा दादरी, बुल दशहर
१६१४	तेजाराम	— सैनिक	—गा छित्तूर, डा दादरी बुल दशहर
१६१५	तरनीराम	— ×	—

- १६१६ तुलभीराम — × — युद्ध में मारे गए  
 १६१७ ताराचंद — सैनिक — मृत्यु हुई  
 १६१८ सजागराम — नायक — गाँव बहरोना रोहतक  
 १६१९ उमरावसिंह — सैनिक — यजीन में मरे  
 १६२० उजागरसिंह — हथलदार — गाँव नानगल, होशियारपुर  
 १६२१ सजागरसिंह — सैनिक — मृत्यु हुई  
 १६२२ सजागरसिंह — भो-गी एफ टी धार — गोली लगने से मृत्यु हुई  
 १६२३ उम्मेदसिंह — जी यफ टी धार — फाँस में मारे गए  
 १६२४ उदयसिंह — सैनिक — भल्मोडा, जियावादी के युद्धों में मारे गए  
 १६२५- उजगरसिंह — नायक — गाँव बुर्जा च-दसिंह, डा वेगावाल बियालकोट  
 १६२६ उदयराम — सैनिक — नया गाँव डा दोजारिया, नाहन राज्य  
 १६२७- सजागरसिंह — सैनिक — गाँव हूबवाल, डा वेनीवाल, होशियारपुर  
 १६२८ उजागरसिंह — सैनिक — गाँव पापी डा नुगरवाला लुधियाना  
 १६२९ उदमीराम — सैनिक — गाँव सेकूपुरा, डा हासी हिसार  
 १६३० उदमीराम — सैनिक — गाँव डा सिकदराबाद, रोहतक  
 १६३१ उमर मुहम्मद — नायक — गाँव भूमका, डा सेकता  
 १६३२ उमरावसिंह — सैनिक — गाँव डागर, गुरगांव  
 १६३३- उदयचंद — × — कागडा, युद्ध में मारे गए  
 १६३४ उजागरसिंह — सैनिक — गाँव डालीवाल, डा-कपूयला, जलधर  
 १६३४ उमरावसिंह — नायक — जयपुर, युद्ध में मारे गए  
 १६३६ उदयराम — सैनिक — गाँव गाँवोटा, डा चिराया जयपुर  
 १६३७ उदमीराम — सैनिक — गाँव कोटा, डा-तवारू गुरगांव  
 १६३८ श्री यल वर्मा — एस भो — गाँव-डा गगोला मुहस्ता, भल्मोडा  
 १६३९- बासुदेव षोडसल  
 हसरत जानी — × — मुख्य बाजार सराफ चौक, हैदराबाद, सिंध  
 १६४०- व बलू कुट्टी — सैनिक — गाँव विल्लाइल बीह, डा भोडायम बरकाला  
 १६४१ धीरापन — सैनिक — गाँव इडापर काटू डा बहाकू सेफो मारुदूर तजीर  
 १६४२ वी धीरायत — सैनिक — गाँव-नाथागीपुलम, काबिल, कुयागाई डा सोमबोदाई  
 १६४३ विरोटसिंह — एस भो — मोलमीन अस्पताल में मृत्यु हुई  
 १६४४ एस बेल्लु — × — वभकाक में मृत्यु हुई  
 १६४५ विट्ठलपवार — लंस नायक — युद्ध में मारे गए  
 १६४६ बासु जाधो — सैनिक — युद्ध में मारे गए  
 १६४७ विश्वनाथ खादरे — सैनिक — युद्ध में मारे गए  
 १६४८ बीरसिंह — सैनिक — युद्ध में मारे गए  
 १६४९ बरयामसिंह — सैनिक — गाँव डा नाहनसिंह चक नं० १३ शबपुर  
 १६५० धारिष ला — सैनिक — युद्ध में मारे गए  
 १६५१- बालेश शाह — सैनिक — जरमनी क युद्ध में मारे गए  
 १६५२ बी यलपना — छात्राद हिंद सर

वार के मंत्री — चिली भेड़ी गाहन.

१६५३- यारवानकर —लैस नायक—लापता—विश्वास है कि मारे गए

१६५४ जहूर अहमद — सैनिक —गा जहूर मुखलियान, डा सांगला पहाड़ी शेलूपुरा  
फासी दी गई २३ = ४३ को

नोट — बलिदानों की प्रशस्ति में आजाद हिंद सेना के जिन बलिदानों वीरों के सामने यह नहीं लिखा गया है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई वे सब के सब भारत माता की स्वतंत्रता के लिए रण भूमि में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जो बीमारी से मरे वास्तव में वे जल्मी होकर अथवा अत्यंत कष्टमय जीवन व्यतीत करने तथा अत्यंत श्रान्त और क्लान्त अवस्था में मरे। स्वतंत्रता के उपरांत स्वतंत्र भारत में इन बलिदानों वीरों के आश्रितों की नितांत उपेक्षा की।

अथ नायक—भाज यह वह मरना अत्यंत कठिन है कि आजाद हिंद सेना के कितने व्यक्ति रण भूमि के बाहर मारे गए। ८ परिवारों, १९४६ को भारत सरकार के सैनिक सचिव ने कहा था कि—“आजाद हिंद सेना के सत्ताइस सदस्य हिरासत में मर गए। अथ दो कप्टन मगहर सिंह और लपटीने ट अजमेर सिंह स्वयं अपने द्वारा गोली मारने से होने वाले घायलों से मरे और नौ को फासी दे दी गई।”

इस वधान की पुष्टि कर सकना सम्भव नहीं है। जिन वीरों को फासी दी गई उनमें से कुछ के नाम ऊपर दी हुई बलिदानों की प्रशस्ति में मिलेंगे। उनका क्रम सख्या इस प्रकार है—(I) ८२, (II) २८४, (III) २६२, (IV) ३०६, (V) ३०७, (VI) ३८०, (VII) ४८८, (VIII) ५१६ (IX) १०३४, (X) ११०२, (XI) ११४१, (XII) १३८२ और (XIII) १६५४

इनके अतिरिक्त यह निश्चय पुष्टि ज्ञात है कि सख्या १८६६२ सैनिक छतरसिंह (५/८ पंजाब रजीमेण्ट) और (२८८६६ आई घो) जमादार केशरी चन्द पर्मा (आर आई ए एस घो) को देहली में २९ जुलाई, १९४४ तथा ३ मई, १९४५ को फासी दे दी गई।

इतिहास नागरिकों को भी आजाद हिंद सेना की कायवाहियों में भाग लेने के कारण फाँसी दी गई थी उनमें से कुछ के नाम ऊपर दी हुई सूची में हैं। उनकी क्रम सख्या इस प्रकार है—७१८, ७५४, ७८७ ८७६, १२२७ १२५५ तीन अथ व्यक्ति जिनमें से दो के नामों का उल्लेख सूची के बाहर किया जा चुका है, के अतिरिक्त एक तीसरे व्यक्ति बोरीफस बी परीरा को अलीपुर जेल में फाँसी दे दी गई।

नागरिक जन सख्या के कुछ अथ नाम भी हैं जिनके सम्बंध कहा जाता है कि उन्हें फाँसी दे दी गई परंतु उनकी पुष्टि के अभाव में उनके नाम छोड़ दिए गए हैं।

आत्म हत्या करने वालों की क्रम सख्या इस प्रकार है—२४, ५२६, ५४६, ६०६, ८८४ ९६४, १३४६, १४७१ और १४७२

### सफलता

आजाद हिंद सेना के तीन शीपस्थ वीरों का अभियोग पाँच नवम्बर, १९४५ को आरम्भ हुआ अभियोग के पक्ष स्वरूप प्रथम बार सभार को यह विदित हुआ कि नेताजी और आजाद हिंद सेना ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कक्षा अद्भुत काय किया। आजाद हिंद सेना के उन तीन वीरों के अभियोग ने भारतवासियों में मनोबलानिक चेतना जागृति कर दी। समस्त भारत में मनोवैज्ञानिक क्रांति उत्पन्न हो गई।

सभी वर्गों और विचारों व भारतीयों ने आजाद हिंद सेना के उन तीनों वीरों को दण्डित किए जाने के विरुद्ध आवाज उठाई और उनको मुक्त करने लिए एक प्रबल जनमत उत्पन्न हो गया। आजाद हिंद सेना के उन तीन शीपस्थ वीरों को दण्डित किए जाने के विरुद्ध आन्दोलन और उनको मुक्त करने की मांग इतनी प्रबल और सशक्त थी कि प्रधान सेनापति को उस प्रबल जनमत के सामने झुकना पड़ा और उसने ३ जनवरी १९४६ को मुक्त कर दिया।

आजाद हिंद सेना के सर्वोच्च सेनापति (नेताजी) तथा हा महान वीरों के उद्देश्यों की प्रारम्भ से ही भारत के कनिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलों ने मत्सना की थी। १३ अप्रैल १९४२ को बलकृष्ण म एन प्रश्न के उत्तर में पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा— 'श्री सुभाषचंद्र बोस से भूतकाल में मरी मित्रता होने के बावजूद मैं यह घोषणा करने से नहीं हिचकूंगा कि उन्होंने जो मांग प्रपनाया वह निरान्तर्गत है जिस में केवल स्वोच्चारण या प्रपना ही नहीं सकता वरन् मैं उसका विरोध करता हूँ। भारत के साम्यवादी दल ने नेताजी को पंचमांगी कह कर बधनाम किया। २ जनवरी, १९४६ को मिर्जापुर जिले के कोनटाई नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने कहा— 'भारतीय तलवार की शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते' भारत सरकार के राजनीतिक विभाग ने जो सरदार वल्लभ भाई के आधीन या एक आदेश निकाला कि भारत की सभी सैनिक छावनीयों की घरों तथा मसों जहाँ भी नेताजी सुभाषचंद्र बोस के चित्र हा हटा दिए जावें।

### पतिम-प्रहार

आजाद हिंद सेना के वीरों के चिरस्मरणीय अभियोग के परिणाम स्वरूप भारत में ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके परिणाम अत्यन्त गम्भीर और महत्वपूर्ण तथा दूरगामी थे। तब तक भारत को भारतीय सैनिकों की सहायता से अपने अधिकार में परत न बनाए रखने की जो कुछ भी सम्भावनाएँ थी वे आजाद हिंद सेना के अभियोग के फल स्वरूप ही सेना वायु सेना में विद्रोह उठ खड़ा होने के कारण ध्वस्त हो गईं।

वात यह था कि आजाद हिंद सेना के अभियोग के फल स्वरूप मनो बज्ञानिक क्रांति पूरा हो चुकी थी केवल एक चिन्तनशील की आवश्यकता थी जो उन सुनगते हुए कोयला को दहका देती। बम्बई में सकेत देने वाला नौ सेना वा जहाज यच आई एम एस तलवार के एक हजार नौ सैनिकों न १८ फरवरी १९४६ को काम छोड़ कर घटना तथा भूल हड़ताल आरम्भ कर दी। ये भूल हड़ताल के द्वारा सरकार का ध्यान अपनी शिकायतों और शिलाना चाहते थे। उनके अभाव अभियोगों की सूची बहुत लम्बी थी परन्तु उनमें एक प्रमुख मांग यह थी कि आजाद हिंद सैनिकों के विरुद्ध चलने वाले अभियोग को सरकार वास ले।

नौ सेना के जहाज तलवार के एक हजार नौ सैनिकों का प्रथम विद्रोही काय था १८ फरवरी, १९४६ को प्राप्त। फाल भोजन करना अस्वीकार कर देना। १९ फरवरी को प्राप्त कास जिले के क्षेत्र में गम्भीर गड़बड़ हुई जिमकी सूचना मिलने पर नौ सैनिक विद्रोहियों में सख्त जना फल गई। उन्होंने कांप्रेस तथा मुस्लिम के भण्डों को एक साथ अपने आधीन जहाज पर पहराया। कतिपय नौ सैनिकों ने अपने अपने स्थानों को छोड़ दिया और बम्बई के विभिन्न भागों में नारे लगाते हुए घूमने लगे। हड़तालों नौ सैनिकों के झुंड झुंड जो कि तटीय छोटे जहाजों तथा नौ सेना सम्बन्धी तटीय विभागों को छोड़

कर निकल आए ये पँटल अथवा लांगिया में दाहर मे नारे लगाते हुए फिरने लगे। दो घंटे तक पत्थरों गडन के समीप छहाने ममस्त यातायात को रोक दिया और गम्भीर गडबड मचा दी। पुलिस तथा वटिश कमचारियों और साधारण अधिकारी व्यक्तियों का उ होने पीछा किया और उनके साथ दुश्मू वहार किया। पेट्रोल की टकियों को सडक पर खाली कर दिया और उसमे आग लगा दी। डाक के थलो का लूट लिया और ब्रिटिश वेस पोस्ट आफिस को तहस नहस कर दिया वहा की डाक लूट ली।

इस नौ सेना के प्रदशन न यच आई एम एस कोरोज यच आई एम एस मचडलीमार और सिगनल-स्टेशन डाक याड को भी प्रभावित कर दिया। नौ सेना के कोलाबा स्थित वायरलट स्टेशन भी इस प्रदशन से गम्भीर रूप से प्रभावित हो गया।

विद्रोही नौ सनिका की सख्या शीघ्र ही और अधिक बड गइ जब कि यच एम आई एस अकबर के तीन हजार सनिक भी उनके साथ सम्मिलित हो गए। तलवार तथा अकबर युद्ध पोता के नौ सनिको को मध्याहोपरा त तीन बजे तक अपने जहाजो पर लोट आने की आज्ञा दी गई। भारतीय नौ सेना के पलग आफिसर कमांडिंग मध्याहोपरान्त दो बजे विद्रोहियों को एक चेतावनी आकाशवाणी स प्रसारित की कि किसी भी प्रकार की अनुशासन हीनता को सहन नही दिया जावेगा और हडताल को सरशाल ही समाप्त कर देना चाहिए। उ ह सावधान किया गया—

कि सरकार के पास बहुत बडी सेना है उसका उनके विरुद्ध पूरा उपयोग किया जावेगा फिर चाहे उसका परिणाम यही क्यों न हो कि हमारे सभी नौ सेना के जहाज तथा नौ सेना पूण रूप से नष्ट हो जावे जिस नौ सेना का हमें यव है।

चेतावनी तथा जोखिम के सभी शर्णों की मजाक उड़ाई गई और उनकी पूरी त ह अवहेलना की गई। विद्रोही नौ सनिको न अपनी टोपियों को उतार कर फेंक दिया और उन कद खाने की कोठरियों (सेल) मे चले गए जहा अनुशासन हीनता तथा आज्ञा का उद्वलपन करने वाले अपराधियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। एक कोठरी में भाग लगा दी गई पर तु उसको शीघ्र ही बुझा दिया गया।

भारतीय सेना ने बम्बई नगर की पुलिस की सहायता से रायल इन्डियन नवी के चालीस सनिको को पकड लिया। इस घर पकड मे भगना हो गया जिसमे कुछ जीवन हानि हुई। सायबाल को विद्रोही नौ सनिक अपनी बरकों को आगे की योजना तयार करने के लिए वापस लोट आए।

मध्याहोपरा त अपेक्षाकृत थोडे समय तक शांति रहने के उपरा त कसल बरक के द्वार आई एन डिपो जा यच एम आई एस के डाक याड के समीप स्थित था उसके नौ सनिकों ने रात्रि के ६ बजे तोपखाने के पहरेदारो पर घावा कर दिया। पुलिस तथा सेना जो मार्गो को रखवाली कर रही थी उसने गोलिया चलाई और विद्रोही नौ सनिको को पीछे वापस हटन पर विवश कर दिया। विद्रोही नौ सनिको के बाहर निकल जाने के प्रयत्नों मे गोली चलने के कारण कुछ को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।

फरवरी २१ को प्रातः काल विद्रोही सनिको ने उन फाटको को तोडना आरम्भ कर दिया जा कि म ६२ से अवरुद्ध थ सीनिक पहरेदारो जो फाटकों पर तनात थे गोली चलाना आरम्भ कर दिया। लगभग ३० मिनट तक गोली चलती रही और आक्रमण का शी और दृढता स उत्तर दिया गया। ग्याहू बज कर तीस मिनट पर रायल इन्डियन नवी के पलग आफिसर कमांडिंग की अनुमति स एक सकेत (सिगनल)

दिया गया। सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे अपने अपने जहाजों को एक बजे मध्याह्नपर छोड़ दें। एक विज्ञप्ति इस आशय की निकाली गई कि कंसिल बरकों की बैठन तथा यच एम आई एस 'उलवार' की बैठनो को आज २१ २ ४६ को ६ बजे प्रात काल तोड़ दिया गया।

सैनिक पहरेदारो ने मगिनो के बल पर कुछ प्रदर्शनकारियो को बरकों के घाटर ढकेलने में आक्रिश सफनता प्राप्त करली थी। नो सनिका वे पीछे हट कर केन्द्र पर पूरा अधिकार कर लिया। पीछे लोटने पर उ होने शस्त्रागार क फाटको को बल पूर्वक खोल लिया और उ होने जो भी अस्त्र शस्त्र मिले जमे राइफिलें, हथकी मशीन गनें, रिवा ल्वर, इथगोला तथा कारतूस और गोलिया जो भी वहा मिली उनको लेकर वे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए।

भयानक मार करने वाले उन अस्त्र-शस्त्रा से सुसज्जित होकर उ होने दोवार के पीछे प्राचीर पर सभी युद्ध की दृष्टि से सामरिक महत्व के स्थाना पर अधिकार कर लिया तथा ऊंचे पहरे के स्तूप (वाच टावर) पर जो कि टाऊन हाल के समोप तथा बरको की पूर्वा सीमा स्थित था पहरा लगा दिया। सभी प्रवश द्वार बन्द कर दिए गए उन पर पहरा लगा दिया और भीतर घाने के सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया।

दोनो ओर से कभो कमी जो गोली चलती थी उसके कारण विस्तृत क्षेत्र में घबडाहट और भयदह फल गई। चैलाड पिपर से भजापव घर तक एच और, और दूसरी और क्राफोड मार्केट तक आतक और घबराहट फल गई। इसी के मध्य में बरको से कुछ लोग यच एम आई एस 'जमना' पर गए और उनसे कहा कि जसे ही विद्रोही नो सैनिक बरको को खालो कर दें बरकों पर गोलिया चलाई जावें।

दोपहर बारह बजे से लगा कर साठे बारह बजे तक घोर गजन के सपा गोली चलने की तेज आवाजें आती रही उससे यह सिद्ध होता था कि भारतीय नो सैनिकों और ब्रिटिश सैनिको के बीच भयकर गोली विनिमय हुआ वास्तव में वह एक युद्ध था जो खसिल बरकों के घाटर हुआ था। जिस प्रकार की दोना ओर से भयकर गोली शली उससे यह प्रत्यक्ष था कि दोनो ओर बडी सख्या में सैनिक हताहत हुए। लगातार राइफिलो तथा मशीन गने के चलन से भयकर आवाज होती थी वह तीन चार मील की दूरी तक सुनाई पडती थी। टाइम्स प्राक इण्डिया ने २१ फरवरी, को स्थिति का नीचे लिखे शब्दों में ब्यौरा प्रकाशित किया था—

'बम्बई का नगर अपनी ही रायल इन्डियन नेवी की तोपों और मशीन गना के सतजन और खतरे की छाया में रह रहा है जब कि हजारो नो सैनिक खुले रूप में विद्रोही हो गए और उन्होंने सभी तटीय स्थापनाओं तथा बन्दरगाह में खडे जहाजों पर अपना असदिव्य आधिपत्य स्थापित कर लिया।'

आगे — भारतीय नौ सेना के स्तूपो (छोटे जहाज) तथा माइन स्वीपरों पर जो कि विद्रोही नो सैनिको के अधिकार म हैं चार इंच घाली तोपें बडी हैं इनके अतिरिक्त अन्य छोटे क्षत्रु भी प्रचुर मात्रा में है। उन जहाजों ने प्रात काल से साय काल तक सट के किनारे स्थिति ताज महल होटल और याच्ट क्लब बिल्डिंग पर अपने अस्त्र शस्त्र की परीक्षा की हैं। इस गडबडी और आतक के कारण बलाड ऐस्टेट बम्बई नगर से पूण रूप से वृषक हो गया उसका नगर से सम्बन्ध टूट गया। जिस समय कि इस बात के प्रयत्न किए जा रहे थे कि विद्रोहियों को कंसिल बरकों में ही रोक कर सीमित कर



## शाही वायु सेना में (रायन एप्रर फोम) में चिट्रोह

भारत में सैनिक अधिकारी एफ गम्मीर मकट का सामना कर रहे थे उन सिकटों की श्रुतियाँ को पूरा करने के लिए २१ फरवरी १९४६ को प्रातः काल शाही वायु सेना के सैनिकों ने काम करना छोड़ दिया और हड़ताल कर दी। सभी सैनिकों ने एक जुलूस निकाला और 'ग्रोवर्ल' तक गए वहाँ एक सभा की। सुदूर हावडा (बलकत्ता) स्थित 'वीगाधी' में स्थित वायु सेना के १५० भारतीय सैनिकों ने बम्बई की हड़ताल की सहानुभूति में काम करना बरखा बंद कर दिया। देहली में शाही भारतीय वायु सेना की एक टुकड़ी ने २० फरवरी को काम करने से इनकार कर दिया। बहुत समय बुझाने पर दूसरे दिन प्रातः काल वे काम पर आए।

## \* आजाद हिंद सेना का भारतीय सेना पर प्रभाव

आजाद हिंद सेना का भारतीय सेना पर गहरा प्रभाव पड़ा था। भारतीय सेना के स्वामी भक्ति और राजनिष्ठा को समाप्त कर देना भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध नीति थी। रण क्षेत्र में परास्त हो जाने पर भी नेताजी की यह भाषणा थी आजाद हिंद सेना भारतीय सेना की राज निष्ठा और भक्ति को प्रभावित करेगी उनका विश्वास था कि युद्ध समाप्त होने पर जब आजाद हिंद सेना के सैनिक भाग्य प्राप्त जावगे तब उनके सतग में आकर भारतीय सेना की निष्ठा और भक्ति प्रकट होगी। १९४५ में नेताजी ने अपने सेनाध्यक्ष से कहा था कि आजाद हिंद सेना भारतीय सेना को आत्म समर्पण करना अथवा उसका मित्र राष्ट्रों की सेना द्वारा पकड़ा जाना स्वतंत्रता के युद्ध में व्यूहचरणा का केवल परिवर्तन मात्र होगा। आगे चलकर नेताजी ने नेताजी की भविष्य वाणी को सत्य सिद्ध कर दिया। १९४५-४६ में आजाद हिंद सेना के सैनिक अदालत के समक्ष अभियोगों से देश में ऐसी भयंकर जातिका हलचल उत्पन्न हुई भारतीय सेना को उससे बचा कर रख सकना असम्भव था।

भारतीय सेना के सैनिकों ने दक्षिण पूर्व के युद्धों में आजाद हिंद सेना को एक स्वतंत्र और पृथक सेना के रूप में लड़ते देखा था। और जब आजाद हिंद सेना ने आत्म समर्पण किया तो भी एक स्वतंत्र और पृथक सेना के रूप में ही उसने आत्म समर्पण किया था। युद्ध काल में उन्होंने आजाद हिंद सेना के शीय और अनुशासन के बहु से उदाहरण स्वयं देखे थे। जब जापानी सेनाएं रगून से हट गईं तो ६ हजार आजाद हिंद सैनिकों ने बरनल शरछंद के नेतृत्व में रगून में पूरा शांति और व्यवस्था कायम रखी थी और नगर की लूट और विनाश से रक्षा की थी। जब ब्रिगेडियर के एम विर्मरिया के नेतृत्व में भारतीय ब्रिगेड सब प्रथम रगून में घुसा तो आजाद हिंद सेना द्वारा जो बड़ा व्यवस्था और अनुशासन स्थापित था उसे देख कर चकित रह गया इसके अननिक भारतीय सेना और आजाद हिंद सेना के मन्दि बंधन एक ही क्षेत्र में थे और कोई कोई तो एक ही परिवार के थे। अब एक जब आजाद हिंद सेना आत्म समर्पण किया तो उनसे निरन्तर सम्बन्ध स्थापित करने में रोकना सम्भव नहीं था भारतीय सेना के सैनिकों ने जब दक्षिण पूर्व क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया तो वहाँ के भारतीयों के सम्पर्क में आए जिन्हें नेताजी ने देश भक्ति और राष्ट्रियता के मंत्र से दीक्षित कर दिया था। भारतीय समुदाय में नेताजी के समस्कारी व्यक्तित्व ने

\* यह मूल पुस्तक 'राल आफ़ आनर' में नहीं है। अनुवादक ने इसको स्वयं जोड़ा है। इसका धार्मिक अनुवादक पर है।

कारण धूमतय गहन राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। जापान के आत्म समर्पण और निम्न राष्ट्रों की सेनाओं द्वारा मलाया, थाईलैंड और सिंगापुर पर प्रभावकारी पुनः अधिकार स्थापित होने के बीच छोटे समय तक घोर अस्थिरता और अस्त व्यस्तता रही। उस काल में इंडियन इंडिपेंडेंस लीज के नेता विरपत्तार नहीं किए गए। इनके नेतृत्व में भूमिगत राष्ट्रवादी प्रचार ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों में तजी से किया गया। भारतीय सेनाएं वहाँ एक वय तक पड़ी रही। उस काल में वहाँ के भारतीयों का उनका मेल जोल हो गया। और जब उन्होंने वहाँ के भारतीयों से नेताजी और आजाद हिन्द सेना की गौरव गाथा सुनी तो उनके मन में नेताजी और आजाद हिन्द सेना के लिए अट्टा उत्पन्न हुई और गहरा राष्ट्रीय चेतन्य उदद हुआ जो भारतीय सेना में पहले कभी नहीं हुआ था। वहाँ रह कर उन्होंने अनुभव किया कि सभी लोग उन्हें पण्य की दृष्टि से देखते थे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के लोग अंग्रेजों के माडे के सैनिक मानते थे जो एशिया को परतंत्र और पदाज्ञात करने के लिए रखे गए थे। इसके विपरीत उन्होंने देखा कि भारत और विदेशों में सभी जगह आजाद हिन्द सैनिकों को लोग आदर और श्रद्धा से याद करते थे। इस सबका भारतीय सेना पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी राज्य निष्ठा और भक्ति ढीली हो गई। उनमें राष्ट्रीय विचार धारा पनप उठी।

जब आजाद हिन्द सेना का पहला मुकदमा लाल किले में होने वाला था तो भारतीय सेना की आजाद हिन्द सेना के पक्ष में भावना प्रकट होने लगी। कलकत्ता में स्थिति भारतीय वायु सेना (रायल एयर फोर्स) के सैनिकों ने तो स्वच्छ रूप से आजाद हिन्द सेना का समर्थन किया और कोट माल का खुला विरोध किया। उस अभियोग में वायु सेना के सैनिकों ने आजाद हिन्द सैनिकों के वचाव के लिए चंदा भेजते हुए उन्हें भारत के और देश भक्त पुत्र' कह कर सम्बोधित किया। रायल एयर फोर्स के सैनिकों ने गंगाल काप्रेस कमेटी को जो इस सम्बन्ध में सहायता भेजा या उसमें न केवल उन्होंने आजाद हिन्द सेना के महान आदेश की प्रशंसा ही की बरन् उन्होंने जो तरीका अपनाया उरुआ भी समर्थन किया। उस सहायता में रायल एयर फोर्स ने भारत के "अत्यन्त प्रेम गवान हीरो" (आजाद हिन्द सैनिकों) के कौट माल के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया था। प्रथम आजाद हिन्द सेना के प्रति सहानुभूति की भावना समस्त भारतीयों में प्रवेश कर गई और वे उसके विरुद्ध खड़ा जाने वाले अभियोगों का विरोध करने लगे। भारतीय सेना की इस भावना से तथा भारत में आजाद हिन्द सेना के पक्ष में जो प्रबल जनमत उभर पड़ा उसके कारण ही विद्वान होकर सरकार की आजाद हिन्द सेना के प्रति अपनी नीति को बदलना पड़ा। प्रथम सेनापति प्राचिनलेक ने बरिष्ठ सैनिक अधिकारियों को लिखा था भारतीय सेना व सभी भारतीय सैनिक आजाद हिन्द सेना के सैनिकों को छोड़ देने के पक्ष में थे और उनको छोड़ दिए जाने से वे प्रसन्न हैं। यदि सैनिक अदालत न जो उनको दण्ड दिया या सख्ती लागू करने का प्रयत्न किया जाता तो देश भर में भयंकर अराजकता फैल जाती और बहुत संभव था कि सेना में विद्रोह फैल जाता और उसका विघटन हो जाता।

बाद में उस समय स्थिति ऐसी ही विकीर्ण हो गई थी। रायल एयर फोर्स की इडलान के उपरान्त १९४६ में इंडियन एयर फोर्स ने इडलान कर दी। उन्होंने धन्य विचारों के साथ आजाद हिन्द सेना से सहानुभूति प्रदर्शित की और उनको छोड़ देने

की मांग थी। परन्तु १९४६ में रायस एडिपन नेवी (नौ सेना) विद्रोही हो उठी। बम्बई बार्गी मद्रास, कसबरा बोजीन विजगापट्टम (अब विद्यासा पट्टनम) मद्रास, और अदमन सभी जगह के नौ सेना के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। नौ सेना के बेवस इस जहाज द्वा विद्रोह की तपट से बच गये।

सेना के इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार को भ्रम और दिया उसका आरम्भ विद्रोह समाप्त हो गया। यह भयंकर रूप में प्रयत्न हो उठी। उसने समझ लिया कि देश में इतना धीम धीरे रूप है कि यदि अंग्रेजों ने शीघ्र ही भारत नहीं छोड़ा तो उनके विरुद्ध देश व्यापी विद्रोह पट्ट पड़ेगा और उन्हें बलपूर्वक भारत से निकाल दिया जायेगा वे जान गए कि ब्रिटिश शासन की आधार सिखा भारतीय सेना की निष्ठा समाप्त हो गई नेताजी के प्रताप में उनमें राष्ट्रीय अंतर्गत और ब्रिटिश विरोधी भावना जाग्रत हो गई है और विद्रोह को दूर ले के लिए उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। वे यह भी समझ गए कि यदि भारत को शीघ्र नहीं छोड़ दिया गया तो नेताजी तथा आजाद हिन्द सेना द्वारा प्रवाहित वेगवनी राष्ट्रीयता की धारा अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम साम्प्रदायिक जो दीवार खड़ी हो गई है वह भी डूब जायेगी और देव के विभाजन की सुरक्षा सधि भी सफा न हो सकेगी अतएव ब्रिटिश सरकार घबड़ा गई और उसने भारत को शीघ्र तिलांजलि छोड़ देने का निश्चय कर लिया।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा उनकी आजाद हिन्द सेना का ही यह समझ था कि अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश हो गए। (अनुवादक का लेख समाप्त)

लेखक ने इस सम्बन्ध में ठीक ही लिखा है कि वास्तव में अंग्रेजों द्वारा भारत को स्वयं भारतीयों के हाथ में छोड़ कर चले जाने की रजामंदी की यह पृष्ठभूमि और अन्तिम कहानी है। यह कोई ठानी कोई महती उदारता अथवा परोपकार की भावना नहीं थी यह उनके लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए नितांत और अनिवाय आवश्यकता थी।

आगे लेखक ने लिखा है कि किसी दिन इतिहास इस सत्य को भावी पीढ़ियों के बोध के लिए प्रकाश में लायेगा कि नेताजी और आजाद हिन्द सेना के कारण देश में जो अग्रभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई उसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया। यह सर्वविदित है कि २६ नवम्बर, १९४३ को भारतीय सेनाओं के प्रधान सेनापति सर सो आचिनलेक ने वायसराय को लिखा —

“ मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि उनसे (आजाद हिन्द सेनाओं) अग्रिम और विशेषकर नेताओं का विश्वास था कि सुभाषचन्द्र बोस एक सच्चे देश भक्त हैं और उनके नेतृत्व का अनुसरण कर वे उचित बच कर रहे हैं। जो विपुल सैन्य हमारे सामने है उसको देखने से हममें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं रह जाता कि सुभाषचन्द्र बोस का उन पर अत्यधिक प्रभाव हो गया था और यह कि उनका (नेताजी का) व्यक्तित्व अत्यन्त बड़ा और प्रभावकारी था। प्रधान सेनापति ने केवल इतना कह कर ही अपने वक्तव्य को समाप्त नहीं कर दिया। उन्होंने २२ फरवरी, १९४६ के अपने प्रेषणापत्र (फिच पत्र) में इसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा —

भारतीय सैनिकों के अपने दीर्घकालीन अनुभव से मैं यह जानता हूँ कि भारतीय सैनिकों की आंतरिक भावनाओं का जान सकता सब अंग्रेज अंग्रेज सैनिक

कारि जो भारतीय सैनिकों के प्रति गहरी सहानुभूति रखता हो उनके लिए भी बहुत नरत है। इतिहास मेरे इस विचार धारा की पुष्टि करता है। मैं नहीं समझता कि एक भी ब्रिटिश बटिय सैनिक अधिकारी है वा कि आजाद हिन्द सेना के प्रति भारतीय सैनिकों की वास्तविक आंतरिक भावना है उसे जानता हो। मैं बहुत कुछ अपनी नसबिक प्रवृत्ति से और जो जानकारी मुझे विभिन्न श्रोत्रो से प्राप्त हुई है उससे यह यह अनुभव करता हू कि भारतीय सेना में आजाद हिन्द सेना के प्रति गहरी सहानुभूति बढ रही है।

यह असम्भव है कि हम इस समस्या के सम्बन्ध में शीलाचार और नैतिकता क उन मान दण्डो को लागू करें। अथवा इस प्रकार की नीति को अपनायें जैसे कि हम उस समय अपनाते यदि आजाद हिन्द सेना के सैनिक हमारी जाति के होते।" श्रोत— जयश्री चक्र १३७१)

मशपूर्ण परिस्थिति का यह सही चित्र या विद्रोह और राष्ट्रीय चेतना की प्रमिगत धारा ने उस कठोर आघार शिला (सेना) को जबर कर दिया था जिस आघार पर बटिय भारतीय साम्राज्य का बलशाली और महात् भवन पर ईंट पर ईंट रख कर खडा किया गया था।

माइकेल ऐडवड ने अपनी पुस्तक बटिय भारत सरकार के प्रतिपक्ष दप (लास्ट इयम भाव बटिय इडिया) में पृष्ठ १२ पर इस सम्बन्ध में लिखा है—

“—क्रमशः धीरे धीरे भारत सरकार को यह विदित हो गया कि बटिय शासन की मेरूण्ड अथवा भारतीय सेना पर अविष्य में भरोसा नहीं किया जा सकता। हैमनेट के पिता की भान्ति सुभाषचन्द्र बोस की प्रतद्धायो लाल किले की प्राचीर पर चढ़नी हुई लिखवाई दे रही थी और उसने उन सभी सम्मेलनों को आतंकित और अयधीन कर दिया था जिनके परिणाम स्वरूप भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई।”

महात्मा जो न भारतीय शासन रूपी कागज के गेर की शान शीत और शान-गर प्रदयन तथा शक्ति प्रदर्शन की ओर से भारतीय जन मानस और अस्तिच्छ को खींच लिया। भारतीय जनता बटिय शासन की भक्त नहीं रही। जब दोना अर्थात् स्थल नम प्रो-नी सेना भारतीय जनता ने अविष्य में उस सब का समर्थन करना अस्वीकार कर दिया जो सभी प्रकार में राष्ट्रीय हित के लिए अहितकर था और एक नवोदित राष्ट्र के अशाभिमान के लिए अमान्य जनक था तब बटिय राजनीतिज्ञा ने बुद्धिमानी की और भारत के तट को छोड दिया। ऐसा करने से उनके प्रति भारतीयों की उनके प्रति यशो हुई कटुता और जन मानस के रोष को तो अपने साथ ले और पीछे एक कृतप राष्ट्र की उनकी ओर स्पाई सद्भावना छोड गए।

जो अपराधी थे

सेना और पुलिस को गोची खताने वाली टुकडियों (फायरिंग स्कूड) की बिना राय हुए निरूठर निगरानो के मध्य से जिसे राज्य न अशास प्राप्त सधन वनस्पति स भरे यनों विहगल बाटों ममवर नों आनाथ पुम्बी पतकों प्री भगानर गहरे यन्त्रों हिमक पपुषा और विषयर सांगा से भर देण की चौकती कान निग सडा किया था— भारतीय स्वतन्त्रता गद्यम के देश भक्त और रड् विषय स विर उर साग वन गए।

निरंतर समिटते हुए भूदृश्य में चमकने हुए आकाश दीप के प्रकाश के दर्शन करते हुए (उ होने स्वतंत्रता के वीरो न) प्राचीन समर कल्पियों की पुकार प्रतिध्वनि को ध्यान से बान लगा कर सुना । उस पावन और ओजमरी वाणी ने अपने स्नेहशील सम्पन्नियों और प्रेमियों को कठिनाइयों, कष्टों और चिन्ता की पान करने और देश के लिए आत्म बलिदान के यत्न में अपनी आहुति देने के साज्जायित और प्रेरित कर दिया —

उत्तिष्ठ जागृत प्राप्या बारा निमोदउ उठो । जागो । और तब तक न जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जावे ।

